IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355
(+91 22) 6655 3405, 3410
वेबसाइट : www.idbi.bank.in

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355
(+91 22) 6655 3405, 3410
Website : www.idbi.bank.in

June 25, 2026

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051

Dear Madam/Sir,

Annual Report for FY 2025-26

In terms of Regulations 34 and 53 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report including the Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) of IDBI Bank for the FY 2025-26 along with the Notice of the 22nd AGM of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

Yours faithfully,
For IDBI Bank Ltd.

JYOTHI BIJU NAIR

Digitally signed by JYOTHI BIJU NAIR
Date: 2026.06.25 18:09:51 +05'30'

Company Secretary

Enclosure: As above

IDBI BANK

Bank Aisa Dost Jaisa

ग्राहक-केंद्रित. विश्वास-आधारित
Customer-Centric. Trust-Led



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2025-2026

IDBI Bank reports 33% rise in profits on YTD basis

R Media
Chandigarh, March 28

IDBI Bank today announced its results for Q4 FY25. The Net Profit stood at Rs.2,051 crore for Q4 FY25, registering a strong growth of 26% YoY. The operating profit stood at Rs.3,195 crore. NIM was recorded at 4%, and Net Interest Income stood at Rs.3,290 crore. Cost of Deposit stood at 4.83% for Q4-2025 as compared to 4.48% for Q4-2024. CRAR stood at 25.05% with YoY growth of 279 bps. Return on Assets (ROA)was improved by 29 bps to 2.11% for Q4-2025 as compared to 1.82% for Q4-2024 and Return on Equity (ROE) stood at 20.40%, (YoY growth of 65 bps). Net NPA at 0.15%, from 0.34% as on March 31, 2024. Gross NPA at 2.98%, down from 4.53% as on March 31, 2024. PCR stood at 99.48% as against 99.09% on March 31, 2024.

IDBI Bank launches 'Aarogya Fixed Deposit' scheme

NEW DELHI, FEB 16: IDBI Bank today announced the launch of 'Aarogya Fixed Deposit' scheme, a unique fixed deposit product that combines assured returns with top-up health insurance coverage, reinforcing the Bank's commitment to customer well-being and financial security.

Under the Aarogya Fixed Deposit scheme, customers can invest a fixed amount of Rs. 7.50 lakh for a tenure of 370 days and receive health insurance coverage of up to Rs.15 lakh, along with fixed deposit interest. The health insurance cover is provided through Care Health Insurance, the Bank's identified insurance partner for the product. The product is exclusively designed for resident individual customers aged between 18 years and 58 years 11 months.

Speaking on the launch, Sumit Phakka, Deputy Managing Director at IDBI Bank, said, "The Aarogya Fixed Deposit scheme reflects IDBI Bank's continued focus on innovation that puts customers first. By combining assured returns with meaningful health insurance cover, we are offering a holistic solution that addresses both financial stability and health security." NET BUREAU

IDBI Bank launches Retail Loan Utsav across 310 branches

GUWAHATI, SEPT 24: To celebrate the upcoming festive season, IDBI Bank is launching a special 'Retail Loan Utsav' from September 22 to October 4, 2025. Extending the Bank's brand philosophy of 'Bank Aisa Dost Jaisa', the initiative highlights the Bank's customer-centric approach with exclusive offerings across a wide spectrum of retail loans including Housing Loan, Auto Loan, Education Loan, Loan Against Property and Personal Loan. The 'Retail Loan Utsav' is designed to resonate with the evolving aspirations of Indian households as they make important lifestyle and financial decisions during this auspicious festive period.

The Bank has identified 310 select branches to champion the 'Retail Loan Utsav' that will cover 156 districts across 29 states in India.

Sumit Phakka, DMD, IDBI Bank stated, "The Retail Loan Utsav is a key initiative to strengthen our engagement with customers during the festive season. By offering customized loan features, attractive terms, and seamless processing, we aim to provide a truly rewarding and delightful experience for our customers as they celebrate new beginnings."

IDBI Bank empanelled for WB pension disbursal:

Kolkata: IDBI Bank has been empanelled by the Government of West Bengal for disbursement of pension and family pension to state government employees. The empanelment was formalised through a government notification, authorising the bank to open pension accounts and facilitate payments through designated branches and linked state treasuries. In the first phase, 64 branches covering all 23 districts of West Bengal will handle pension disbursal. The initiative is expected to improve convenience, expand banking access for pensioners, and significantly strengthen IDBI Bank's government banking presence in the state.

IDBI BANK, JANPATH BRANCH, CELEBRATES SILVER JUBILEE

The IDBI Bank Janpath branch marked its Silver Jubilee with a special program held at its premises, celebrating 25 years of dedicated customer service. The event was presided over by

IDBI Bank Q4 profit rises 26% to ₹2,051 crore

New Delhi: IDBI Bank on Monday reported 26 per cent increase in net profit at Rs 2,051 crore for the March quarter of FY25. The LIC-controlled bank had posted a net profit of Rs 1,628 crore for the year-ago period.

PTI

New Delhi: Union home minister Amit Shah will launch two corporate social responsibility (CSR) initiatives — the Giftmilk Programme and the Shishu Sanjeevani Programme — here on Tuesday. The initiatives will

विषय-सूची

कॉरपोरेट विहंगावलोकन

मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक	ii
31 मार्च 2026 को निदेशक मंडल	iv
31 मार्च 2026 को मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक	v
अध्यक्ष महोदय की स्नेहपूर्ण स्मृति	vi
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश	viii
कुछ प्रमुख गतिविधियां	xviii
पुरस्कार एवं सम्मान	xxviii

सांविधिक रिपोर्टें

निदेशकों की रिपोर्ट	2
प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण	20
कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट	98
कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	205

वित्तीय विवरण

एकल वित्तीय विवरण	368
समेकित वित्तीय विवरण	548
समेकित पिलर III प्रकटन	675

Contents

CORPORATE OVERVIEW

Key Performance Indicators	ii
Board of Directors as on March 31, 2026	iv
Chief Vigilance Officer and Executive Directors as on March 31, 2026	v
Fond Remembrance of the Chairman	vi
Message from the Managing Director & CEO	viii
Some Major Events	xviii
Awards and Accolades	xxviii

STATUTORY REPORTS

Directors' Report	11
Management Discussion and Analysis	59
Corporate Governance Report	152
Business Responsibility & Sustainability Report	286

FINANCIAL STATEMENTS

Standalone Financial Statements	368
Consolidated Financial Statements	548
Consolidated Pillar III Disclosures	675

मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक
Key Performance Indicators

31 मार्च 2026 की स्थिति
Position as on March 31, 2026

कर पश्चात् लाभ
Profit After Tax

2025-26	₹9,513
2024-25	₹7,515
2023-24	₹5,634

₹करोड़ crore

परिचालन लाभ
Operating Profit

2025-26	₹10,838
2024-25	₹11,079
2023-24	₹9,592

₹करोड़ crore

निवल ब्याज आय
Net Interest Income

2025-26	₹13,512
2024-25	₹14,626
2023-24	₹14,186

₹करोड़ crore

तुलन-पत्र का आकार
Balance Sheet Size

2025-26	₹4,66,560
2024-25	₹4,11,707
2023-24	₹3,63,190

₹करोड़ crore

कुल जमाराशियां
Total Deposits

2025-26	₹3,47,163
2024-25	₹3,10,212
2023-24	₹2,77,657

₹करोड़ crore

कुल अग्रिम (निवल)
Total Advances (Net)

2025-26	₹2,53,626
2024-25	₹2,18,399
2023-24	₹1,88,621

₹करोड़ crore

आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)
Return on Assets (RoA)

2025-26	2.27
2024-25	1.98
2023-24	1.65

%

इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)
Return on Equity (RoE)

2025-26	18.93
2024-25	20.15
2023-24	19.50

%

प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये सहित)
Provision Coverage Ratio (with Technical Write-Offs)

2025-26	99.39
2024-25	99.48
2023-24	99.09

%

निवल एनपीए
Net NPA

2025-26	0.15
2024-25	0.15
2023-24	0.34

%

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)
Capital-to-Risk weighted Assets Ratio (CRAR)

2025-26	26.65
2024-25	25.05
2023-24	22.26

%

निवल ब्याज मार्जिन
Net Interest Margin

2025-26	3.77
2024-25	4.56
2023-24	4.93

%

जमाराशि मिश्रण (%)
Deposit Mix (%)



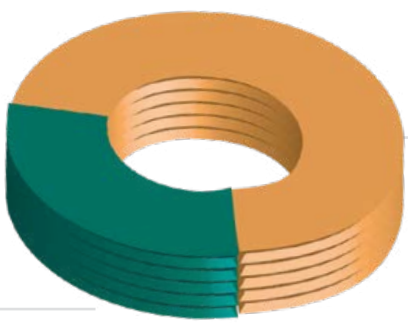
23.76%
थोक
Bulk

31.65%
रिटेल मीयादी
Retail Term

26.23%
बचत
Savings

18.37%
चालू
Current

सकल अग्रिम मिश्रण (%)
Gross Advances Mix (%)



70%
रिटेल
Retail

30%
कॉरपोरेट
Corporate

31 मार्च 2026 को निदेशक मंडल
Board of Directors as on March 31, 2026



श्री राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Shri Rakesh Sharma
Managing Director & CEO



श्री जयकुमार एस. पिल्लै
उप प्रबंध निदेशक
Shri Jayakumar S. Pillai
Deputy Managing Director



श्री सुमित फक्का
उप प्रबंध निदेशक
Shri Sumit Phakka
Deputy Managing Director



श्री मनोज सहाय
Shri Manoj Sahay



श्री सत पाल भानू
Shri Sat Pal Bhanoo



श्री समरेश परिदा
Shri Samaresh Parida



श्री एन. जंबुनाथन
Shri N. Jambunathan



श्री दीपक सिंघल
Shri Deepak Singhal



श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर
Shri Sanjay Gokuldas Kallapur



श्रीमती पी.वी. भारती
Smt. P. V. Bharathi



श्री अजय प्रकाश साहनी
Shri Ajay Prakash Sawhney

31 मार्च 2026 को मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक
Chief Vigilance Officer and Executive Directors as on March 31, 2026



श्रीमती आशा राजीव
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Smt. Asha Rajiv
Chief Vigilance Officer



श्री नागराज गारला
Shri Nagaraj Garla



श्री शलील आवले
Shri Shalil Awale



श्री सुनित सरकार
Shri Sunit Sarkar



श्री ईश्वर पधान
Shri Iswar Padhan



श्री त्रिलोक शर्मा
Shri Trilok Sharma



डॉ. कुमार नील लोहित
Dr. Kumar Neel Lohit



श्री बद्री श्रीनिवास राव
Shri Badri Srinivasa Rao



श्री अनिरुद्ध बेहरा
Shri Anirudha Behera



श्री उगेन टाशी
Shri Ugen Tashi



श्री अजय रमेश लांडे
Shri Ajay Ramesh Lande



श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर
Smt. Smita Harish Kuber



श्री संजय पनिकर
Shri Sanjay Panicker



श्री जोसफ कुमार ए
Shri Joseph Kumar A



श्री बिजु जॉर्ज के
Shri Biju George K



श्री एस शन्मुगसुंदरम
Shri S Shanmugasundaram



श्री दिनेश सिंह रावत
Shri Dinesh Singh Rawat



PADMA SHRI
T. N. MANOHARAN

Chairman

07.04.1956 - 30.07.2025

स्नेह एवं श्रद्धापूर्ण स्मृति में

आईडीबीआई बैंक स्वर्गीय श्री टी. एन. मनोहरन (7 अप्रैल 1956 - 30 जुलाई 2025), आईडीबीआई बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं स्वतंत्र निदेशक, को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने भारत के वित्तीय एवं कॉरपोरेट जगत में असाधारण योगदान दिया और सत्यनिष्ठा, नेतृत्व तथा सार्वजनिक सेवा की एक अमिट विरासत छोड़ी है.

In Fond and Respectful Remembrance

IDBI Bank pays its most heartfelt tribute to Late Shri T. N. Manoharan (7 April 1956 – 30 July 2025), former Chairman and Independent Director of IDBI Bank, whose exceptional contributions to India's financial and corporate ecosystem leaving behind an enduring legacy of integrity, leadership, and public service.

तमिलनाडु के राजकोइल गाँव में जन्मे श्री मनोहरन ने अपने पूरे विशिष्ट व्यावसायिक जीवन में अनुशासन, विनम्रता तथा राष्ट्र सेवा के मूल्यों को आत्मसात किया. सनदी लेखाकार के रूप में उनकी अपार प्रतिष्ठा को देखते हुए, उन्हें 2010 में इस पेशे में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 'पद्म श्री' से सम्मानित किया गया.

वर्ष 2006-07 के दौरान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के अध्यक्ष के रूप में तथा रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए, सीवीसी, सीबीडीटी एवं सीआईआई सहित संस्थाओं के साथ अपने जुड़ाव के माध्यम से, उन्होंने भारत में अभिशासन एवं वित्तीय निगरानी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

श्री मनोहरन ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के संकट के दौरान अपने नेतृत्व के लिए राष्ट्रव्यापी सम्मान अर्जित किया, जहां सरकार द्वारा मनोनीत विशेष निदेशक के रूप में उन्होंने भारत के सबसे उल्लेखनीय कॉरपोरेट संकटों में से एक के दौरान संस्थागत विश्वसनीयता तथा हितधारकों के विश्वास को बहाल करने में सहायता की. उनके प्रयासों को स्वीकारते हुए उन्हें सीएनएन - आईबीएन इंडियन ऑफ दि ईयर 2009 पुरस्कार तथा भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा 'बिजनेस लीडरशिप अवार्ड' से सम्मानित किया गया.

बाद में उन्होंने केनरा बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष तथा लक्ष्मी विलास बैंक के प्रशासक के रूप में अपनी सेवाएं दीं, जहाँ उल्लेखनीय शांति, स्पष्टता एवं पेशेवर दक्षता के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण संस्थागत बदलावों का नेतृत्व किया. उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा तथा नाबफिड सहित प्रमुख संस्थाओं के बोर्डों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया.

आईडीबीआई बैंक में, श्री मनोहरन को उनकी बुद्धिमत्ता, अभिशासन-केंद्रित दृष्टिकोण तथा संस्थागत उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए बहुत सम्मान दिया जाता था.

आईडीबीआई बैंक का निदेशक मंडल, प्रबंधन एवं कर्मचारीगण उनके परिवार एवं प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं. नैतिक नेतृत्व एवं राष्ट्र सेवा की उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी.

ईश्वर उनकी आत्मा को चिरस्थायी शांति प्रदान करे.

Born in Rajakoil village, Tamil Nadu, Shri Manoharan embodied values of discipline, humility, and national service throughout his distinguished career. A Chartered Accountant of immense repute, he was conferred the Padma Shri in 2010 in recognition of his outstanding contribution to the profession.

As President of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) during 2006–07, and through his association with institutions including RBI, SEBI, IRDA, CVC, CBDT, and CII, he played a pivotal role in strengthening governance and financial oversight in India.

Shri Manoharan earned nationwide respect for his leadership during the Satyam Computer Services Ltd. crisis, where, as a government-nominated Special Director, he helped restore institutional credibility and stakeholder confidence during one of India's most significant corporate crises. His efforts were recognised with the CNN-IBN Indian of the Year 2009 award and the Business Leadership Award from the Finance Minister of India.

He later served as Non-Executive Chairman of Canara Bank and Administrator of Lakshmi Vilas Bank, steering key institutional transitions with remarkable calm, clarity, and professionalism. He also contributed significantly as Independent Director on the boards of leading organisations including Mahindra & Mahindra, Tech Mahindra, and NaBFID.

At IDBI Bank, Shri Manoharan was deeply respected for his wisdom, governance-focused approach, and unwavering commitment to institutional excellence.

The Board of Directors, management, and employees of IDBI Bank extend their deepest condolences to his family and loved ones. His legacy of ethical leadership and service to the nation will continue to inspire generations.

May his soul rest in eternal peace.

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश
Message from the Managing Director & CEO



मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है, जो सतत विकास, परिचालन उत्कृष्टता, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन तथा सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

I am pleased to state that the Bank's performance during FY 2025-26 has been remarkable, reflecting its unwavering commitment towards sustainable growth, operational excellence, prudent risk management, and long-term value creation for all the stakeholders.

Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

प्रिय शेयरधारको,

मुझे अत्यंत गर्व है कि मैं आपके समक्ष आईडीबीआई बैंक की वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें वर्ष के दौरान बैंक के परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है. जहां इस वार्षिक रिपोर्ट के विभिन्न खंडों में बैंक की उपलब्धियों एवं किये गये पहल कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है, वहीं मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है, जो सतत विकास, परिचालन उत्कृष्टता, विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन तथा सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

इस संदेश के माध्यम से, मैं वर्ष के दौरान बैंक की प्रगति को आकार देने वाले कुछ प्रमुख घटनाक्रमों एवं उपलब्धियों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगा.

समष्टि आर्थिक विहंगावलोकन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था एक परिवर्तित हो रहे समष्टि आर्थिक परिदृश्य के बीच आगे बढ़ती रही, जिस पर भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं, बदलते व्यापारिक समीकरणों, मुद्रास्फीति में नरमी के रुझानों तथा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित होते मौद्रिक नीति चक्रों का प्रभाव रहा. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहा, जिसे मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी संरचना में निरंतर निवेश, स्थिर वित्तीय प्रणालियों तथा नीति-संचालित आर्थिक सुधारों का समर्थन प्राप्त हुआ.

भारत के बैंकिंग क्षेत्र ने सुदृढ़ तुलन पत्र, बेहतर आस्ति गुणवत्ता, पर्याप्त पूंजी भंडार तथा विभिन्न क्षेत्रों में ऋण मांग के विस्तार के माध्यम से लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखा. बदलते वित्तीय परिदृश्य ने सभी उद्योगों में ग्राहक-केंद्रित नवाचार, प्रौद्योगिकी-आधारित दक्षताओं तथा अनुशासित जोखिम प्रबंधन

Dear Shareholders,

With great pride, I present to you the Annual Report of IDBI Bank for FY 2025-26, highlighting the Bank's operational and financial performance during the year. While the details of the achievements and initiatives undertaken by the Bank have been elaborated in various sections of this Annual Report, I am pleased to state that the Bank's performance during FY 2025-26 has been remarkable, reflecting its unwavering commitment towards sustainable growth, operational excellence, prudent risk management, and long-term value creation for all the stakeholders.

Through this message, I would like to briefly touch upon some of the key developments and milestones that shaped the Bank's journey during the year.

Macroeconomic Overview

The global economy during FY 2025-26 continued to navigate an evolving macroeconomic environment shaped by geopolitical uncertainties, shifting trade dynamics, moderating inflationary trends, and changing monetary policy cycles across major economies. Despite global headwinds, India remained one of the fastest-growing major economies, supported by strong domestic demand, continued infrastructure investments, stable financial systems, and policy-driven economic reforms.

India's banking sector continued to exhibit resilience through strengthened balance sheets, improved asset quality, healthy capital buffers, and expanding credit demand across sectors. The evolving financial landscape also accelerated the need for customer-centric innovation,

प्रथाओं की आवश्यकता को भी गति प्रदान की है.

इस गतिशील परिवेश में परिचालन करते हुए, आईडीबीआई बैंक ने एक संतुलित एवं सुनियोजित विकास रणनीति का अनुसरण करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन का एक और मजबूत वर्ष रहा.

कारोबारी रणनीति

वर्ष के दौरान बैंक का रणनीतिक फोकस सतत एवं विविधीकृत विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्राहक जुड़ाव, परिचालन लचीलेपन, डिजिटल क्षमताओं तथा अभिशासन मानकों को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित रहा.

बैंक ने खुदरा, कृषि, एमएसएमई तथा कॉरपोरेट खंडों में संतुलित वृद्धि को जारी रखते हुए पोर्टफोलियो की सूक्ष्मता एवं आय स्थिरता को बढ़ाने पर बल दिया. अपने खुदरा-केंद्रित दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए, बैंक ने कम लागत वाली जमाओं में वृद्धि तथा विविधीकृत मीयादी जमा आधार के विस्तार के माध्यम से अपनी देयता फ्रेंचाइज़ी को मजबूत किया, साथ ही अपने संतुलित आस्ति पोर्टफोलियो का भी विस्तार जारी रखा.

अपनी डिजिटल रूपांतरण यात्रा के हिस्से के रूप में, बैंक ने एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्मों को बेहतर बनाने तथा प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार और फिनटेक साझेदारियों का लाभ उठाकर ग्राहक

technology-led efficiencies, and disciplined risk management practices across the industry.

Operating within this dynamic environment, IDBI Bank continued to pursue a balanced and calibrated growth strategy, resulting in another year of strong operational and financial performance.

Business Strategy

During the year, the Bank's strategic focus remained centered on driving sustainable and diversified growth while strengthening customer engagement, operational resilience, digital capabilities, and governance standards.

The Bank continued to pursue balanced growth across retail, agriculture, MSME, and corporate segments with emphasis on enhancing portfolio granularity and earnings stability. Maintaining its retail-centric focus, the Bank continued to strengthen its liability franchise through growth in low-cost deposits and diversified term deposit base, while also expanding its well-balanced asset portfolio.

As part of its digital transformation journey, the Bank focused on strengthening end-to-end digital journeys, enhancing mobile and internet banking platforms, and leveraging technology-led innovation and fintech partnerships to



अनुभव एवं परिचालन दक्षता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया.

बैंक मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, विश्लेषण-आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, सक्रिय वसूली रणनीतियों, गहन ऋण निगरानी तथा अनुशासित अंडरराइटिंग प्रथाओं के माध्यम से सुदृढ़ अभिशासन मानकों को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध रहा.

ग्राहक-केंद्रितता बैंक के कारोबारी दर्शन का अभिन्न अंग बनी रही. बैंक ने व्यक्तिगत पेशकशों, सीआरएम-आधारित अंतर्दृष्टियों, लक्षित अधिग्रहण रणनीतियों तथा ओम्नी-चैनल सेवा वितरण में सुधार के माध्यम से ग्राहक के साथ जुड़ाव को और सुदृढ़ करना जारी रखा.

विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में किये गये अनेक रणनीतिक पहलकार्यों का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के निदेशकों की रिपोर्ट तथा प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंडों में दिया गया है. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन पहलकार्यों के कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने सराहनीय प्रदर्शन किया.

वित्तीय एवं परिचालन संबंधी मुख्य बिन्दु

वित्तीय वर्ष 2025-26 कारोबार वृद्धि, लाभप्रदता, पूंजी सुदृढ़ता तथा आस्ति गुणवत्ता में सुधार के मामले में बैंक के लिए एक और ऐतिहासिक वर्ष रहा.

बैंक का कुल कारोबार ₹6 लाख करोड़ के महत्वपूर्ण आंकड़े को पार कर गया. जमाओं में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 23% की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज हुई और ये ₹3.47 लाख करोड़ हो गईं, जबकि अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16% की वृद्धि हुई और ये ₹2.53 लाख करोड़ हो गये.

31 मार्च 2026 को सकल अग्रिम पोर्टफोलियो में कॉरपोरेट एवं खुदरा की संरचना 30:70 के संतुलित अनुपात पर बनी

improve customer experience and operational efficiency.

The Bank also remained committed to maintaining strong governance standards through robust risk management practices, analytics-driven early warning systems, proactive recovery strategies, close credit monitoring, and disciplined underwriting practices.

Customer-centricity remained integral to the Bank's business philosophy. The Bank continued to deepen customer engagement through personalised offerings, CRM-driven insights, targeted acquisition strategies, and improved omnichannel service delivery.

Several strategic initiatives undertaken across various functional domains have been detailed in the Directors' Report and Management Discussion & Analysis sections of this Annual Report. I am pleased to state that these initiatives enabled the Bank to deliver commendable performance during FY 2025-26.

Financial and Operational Highlights

FY 2025-26 was another landmark year for the Bank in terms of business growth, profitability, capital strength, and asset quality improvement.

The Bank's total business crossed the milestone of ₹6 lakh crore. Deposits registered a robust growth of 23% year-on-year to ₹3.47 lakh crore, while advances grew by 16% year-on-year to ₹2.53 lakh crore.

The composition of corporate versus retail in the gross advances portfolio remained well balanced at 30:70 as on March 31, 2026, underscoring the

रही, जो बैंक के सूक्ष्म एवं खुदरा-केंद्रित ऋण पोर्टफोलियो के निर्माण पर निरंतर ध्यान को रेखांकित करती है. वर्ष के दौरान, बैंक ने 31 मार्च 2026 को निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के सभी लक्ष्यों, जिसमें उप-लक्ष्य भी शामिल हैं, को औसत आधार पर सफलतापूर्वक प्राप्त किया.

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹9,513 करोड़ का अब तक का उच्चतम कर-पश्चात लाभ दर्ज किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 27% की वृद्धि को दर्शाता है. लाभप्रदता में यह निरंतर सुधार स्थिर कारोबारी वृद्धि, परिचालन दक्षताओं, सुदृढ़ देयता फ्रेंचाइज़ी तथा अनुशासित पोर्टफोलियो प्रबंधन के कारण संभव हुआ.

सबसे अहम बात यह है कि हमारा तुलन पत्र एक वित्तीय किले की तरह मजबूत है. सख्त ऋण अनुशासन के माध्यम से हमारी सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) तेजी से घटकर 2.32% रह गईं, जबकि निवल एनपीए 0.15% के असाधारण रूप से निम्न स्तर पर आ गईं, जिसे 99.39% के उद्योग-अग्रणी प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) का समर्थन प्राप्त है. 26.65% के पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) के साथ, आईडीबीआई बैंक आज देश के सर्वाधिक सुदृढ़ पूंजीकृत एवं सुरक्षित बैंकिंग संस्थानों में से एक है, जो हमें एक असाधारण सुरक्षा कवच तथा भविष्य के विकास के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करता है.

Bank's continued focus on building a granular and retail-oriented loan portfolio. During the year, the Bank also successfully achieved all prescribed Priority Sector Lending (PSL) targets, including sub-targets, on an average basis as on March 31, 2026.

The Bank reported its highest-ever Profit After Tax (PAT) of ₹9,513 crore for FY 2025-26, registering a growth of 27% over the previous financial year. This sustained improvement in profitability was driven by stable business growth, operational efficiencies, strong liability franchise, and disciplined portfolio management.

Crucially, our balance sheet stands as a financial fortress. Through meticulous credit discipline, our Gross Non-Performing Assets (GNPA) fell sharply to 2.32%, while our Net NPA dropped to an exceptional record low of 0.15%, fortified by an industry-leading Provision Coverage Ratio (PCR) of 99.39%. Backed by a Capital Adequacy Ratio (CRAR) of 26.65%, IDBI Bank is today one of the most well-capitalised and secure banking institutions in the nation, providing us with an exceptional defensive buffer and a powerful springboard for future growth.



डिजिटल रूपांतरण एवं ग्राहक-केंद्रित पहलकार्य

आईडीबीआई बैंक में, ग्राहक-केंद्रितता केवल एक रणनीतिक स्तंभ मात्र नहीं है; यह वह निर्णायक दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से हम विकास, नवाचार तथा दैनिक निर्णय लेते हैं. हमने अपनी कार्यशैली को मात्र लेन-देन संबंधी सेवा से आगे बढ़ाकर ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए अनुभवों का सक्रिय रूप से निर्माण किया है.

इसे हासिल करने के लिए, हमने अपने डिजिटल इकोसिस्टम को निरंतर सुदृढ़ किया है, ताकि दैनिक बैंकिंग को अधिक सरल, त्वरित एवं अधिक सहज बनाया जा सके. जैसे-जैसे ग्राहकों का जीवन-चक्र आगे बढ़ता है, हमारे उत्पादों को भी सहजता से उनके साथ तालमेल बिठाना होगा. इस वर्ष हमने अपने मुख्य उत्पादों को परिष्कृत और अनुकूलित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है, जिससे व्यक्तिगत समाधान तैयार किये जा सके, ओम्नी-चैनल की पहुंच में सुधार हो सके तथा सभी खुदरा एवं उद्यम खंडों में ग्राहकों के साथ बेहतर जुड़ाव स्थापित किया जा सके.

इस दृष्टिकोण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कई प्रमुख डिजिटल और परिचालन उपलब्धियों से सबसे अच्छी तरह स्पष्ट होती हैं:

आई-एमएसएमई एक्सप्रेस: एक नवोन्मेषी डिजिटल अंडरराइटिंग प्लेटफॉर्म, जो उधारकर्ताओं की प्रोफ़ाइल के आकलन हेतु वास्तविक समय के डेटा इकोसिस्टम का उपयोग करता है, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को त्वरित, सहज एवं सांपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण वितरण सक्षम होता है.

सजग: एक पूर्वानुमानित, विश्लेषण-आधारित आस्ति निगरानी प्रणाली, जो एक प्रारंभिक चेतावनी तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिससे हम वित्तीय दबाव बढ़ने से पूर्व समय पर सुधारात्मक समाधानों के साथ उधारकर्ताओं को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं.

रिटेल ऋण उत्सव: एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील ग्राहक-केंद्रित पहल, जिसे त्योहारी और मांग के चरम चक्रों के दौरान निर्बाध

Digital Transformation & Customer-Centric Initiatives

At IDBI Bank, customer-centricity is not merely a strategic pillar; it is the definitive lens through which we view growth, innovation, and day-to-day decision-making. We have evolved our philosophy from transactional service to the active curation of tailored experiences designed around our customers' unique needs, aspirations, and shifting expectations.

To achieve this, we have continuously strengthened our digital ecosystem to make everyday banking simpler, faster, and more intuitive. As customer life-cycles progress, our products must seamlessly transition with them. This year, we focused intensely on refining and customising our core offerings creating personalised solutions, improving omnichannel accessibility, and driving deeper engagement across all retail and enterprise segments.

Our commitment to this narrative is best illustrated by several key digital and operational milestones:

i-MSME Express : An innovative digital underwriting platform that leverages real-time data ecosystems to assess borrower profiles, enabling swift, hassle-free, and collateral-free credit delivery to micro, small, and medium enterprises.

SAJAG : A predictive, analytics-driven asset monitoring system that serves as an early-warning mechanism, enabling us to support borrowers proactively with timely corrective solutions before financial stress intensifies.

Retail Loan Utsav : A highly responsive customer-centric initiative designed to offer seamless, cost-effective credit during peak

और किफायती ऋण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ग्राहकों की आकांक्षाओं और वित्तीय पूर्ति के बीच के अंतर को पाटती है.

जहां अत्याधुनिक तकनीक इन आधुनिक क्षमताओं को आकार देती है, वहीं हम बैंकिंग के उस शाश्वत सत्य में दृढ़ विश्वास रखते हैं कि ग्राहक का भरोसा ही हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है.

जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हमारा रणनीतिक ढांचा प्रौद्योगिकी को अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि गहरे और अधिक सार्थक ग्राहक संबंधों के एक अपरिहार्य साधन के रूप में देखता है.

तदनुसार, हमने इंटलिजेंट जोखिम प्रबंधन, उन्नत धोखाधड़ी रोकथाम तथा सुदृढ़ डिजिटल बुनियादी संरचना में निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है. आधुनिकीकरण की इस यात्रा में एक प्रमुख उपलब्धि हमारे उद्यम धोखाधडी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) का उन्नयन है. यह प्रणाली अब व्याख्यात्मक एआई (XAI), उन्नत व्यवहारिक बायोमेट्रिक्स तथा पूर्वानुमानित विश्लेषण को एकीकृत करती है, जिससे ग्राहक लेनदेन को वास्तविक समय में सुरक्षित किया जा सके. आईडीबीआई बैंक में नवाचार सदैव एकल पारदर्शी उद्देश्य द्वारा निर्देशित होगा - हमारे ग्राहकों को अधिक मूल्य, अभेद्य सुरक्षा तथा पूर्ण विश्वास प्रदान करना.

परिचालन उत्कृष्टता, अभिशासन तथा मानव संसाधन क्षमता

परिचालनगत लचीलेपन तथा मजबूत वित्तीय स्थिति पर विशेष बल के साथ, बैंक ने अनुपालन-आधारित संस्कृति, अभिशासन ढांचे तथा जोखिम प्रबंधन संरचना को मजबूत करना जारी रखा.

बैंक ने पूरे संगठन में परिचालन दक्षता बढ़ाने, लागतों के अनुकूलन, उत्पादकता में सुधार तथा सुदृढ़ अनुपालन और नैतिक मानकों के समावेशन पर ध्यान केंद्रित रखा. वर्ष के दौरान कार्यबल की क्षमता बढ़ाने, डिजिटल कौशल उन्नयन,

festive and demand cycles, bridging the gap between customer aspiration and financial fulfilment.

While cutting-edge technology shapes these modern capabilities, we remain anchored in the timeless banking truth that customer trust is our most valuable asset.

As we look to the future, our strategic framework treats technology not as an end in itself, but as an indispensable enabler of deeper, more meaningful customer relationships.

Accordingly, we have significantly scaled up investments in intelligent risk management, advanced fraud prevention, and robust digital infrastructure. A key milestone in this modernisation journey is the upgrade of our Enterprise Fraud Risk Management Solution (EFRMS). This system now integrates Explainable AI (XAI), advanced behavioural biometrics, and predictive analytics to secure customer transactions in real-time. Innovation at IDBI Bank will always be guided by a single, transparent purpose of delivering greater value, ironclad security, and absolute confidence to our customers.

Operational Excellence, Governance & People Capability

With a strong emphasis on operational resilience and sound financial health, the Bank continued to strengthen its compliance-driven culture, governance framework, and risk management architecture.

The Bank remained focused on enhancing operational efficiency, optimising costs, improving productivity, and embedding strong compliance and ethical standards across the organisation. Continuous investments

नेतृत्व विकास तथा संगठनात्मक लचीलेपन में सतत निवेश प्रमुख प्राथमिकताएँ बनी रहीं.

बैंक के कर्मचारियों का समर्पण, दृढ़ता एवं ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, बैंक की सतत प्रगति एवं रूपांतरण यात्रा में केन्द्रीय भूमिका निभाते रहे हैं.

ईएसजी एवं सतत बैंकिंग

एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, आईडीबीआई बैंक ने अपनी कारोबारी प्राथमिकताओं को व्यापक पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) उद्देश्यों के साथ संरेखित करना जारी रखा. विभिन्न सीएसआर पहलकार्यों के माध्यम से, बैंक ने स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, सतत कृषि, शिक्षा एवं सामुदायिक कल्याण से संबंधित पहलकार्यों में योगदान दिया.

बैंक 'विकसित भारत' की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप समावेशी एवं सतत विकास को समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है.

आगे की राह

बैंक की आगे की राह इसके विश्वास-आधारित तथा ग्राहक-प्रेरित बैंकिंग मॉडल की ओर परिवर्तन से निर्देशित होगी. बैंक अनुकूलित उत्पादों, निर्बाध बैंकिंग अनुभवों तथा ग्राहक के साथ गहन संबंध स्थापित करके ग्राहकों की प्रसन्नता एवं संतुष्टि को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा.

in workforce capability, digital upskilling, leadership development, and organisational agility remained key priorities during the year.

The dedication, resilience, and customer-centric approach of the Bank's employees continue to remain central to the Bank's sustained progress and transformation journey.

ESG & Sustainable Banking

As a responsible financial institution, IDBI Bank continued to align its business priorities with broader environmental, social, and governance (ESG) objectives. Through various CSR initiatives, the Bank contributed towards healthcare, rural development, sustainable agriculture, education, and community welfare initiatives.

The Bank remains committed to supporting inclusive and sustainable growth aligned with the national vision of Viksit Bharat.

The Way Forward

The road ahead for the Bank will be guided by its transition towards a trust-led and customer-driven banking model. The Bank will continue to focus on strengthening customer delight and satisfaction through customised products, seamless banking experiences, and deeper relationship engagement.



बैंक की आगे की रणनीतिक दिशा विश्वास-आधारित एवं ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग फ्रेंचाइज़ी के निर्माण पर केन्द्रित बनी रहेगी. हमारा ध्यान अनुकूलित उत्पाद पेशकशों के माध्यम से कारोबार वृद्धि को बढ़ावा देने, संस्थागत देयता संबंधों को सुदृढ़ करने, कॉरपोरेट अग्रिम पोर्टफोलियो में उच्च श्रेणी BBB एवं A रेटेड ग्राहकों के हिस्से को बढ़ाने तथा विवेकपूर्ण जोखिम चयन के माध्यम से पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित रहेगा.

The Bank's strategic direction going forward will continue to be anchored around building a trust-driven and customer-focused banking franchise. Focus will remain on driving business growth through customised product offerings, strengthening institutional liability relationships, improving the share of higher-rated BBB and A rated clients within the corporate advances portfolio, and enhancing portfolio quality through prudent risk selection.

आगे चलकर, बैंक शाखा-केंद्रित खुदरा कारोबार वृद्धि को प्राथमिकता देना जारी रखेगा, साथ ही परिचालन क्षमता, सक्रिय जोखिम प्रबंधन ढांचे, पूर्व चेतावनी प्रणालियों तथा एनपीए नियंत्रण रणनीतियों को सुदृढ़ बनाने पर बल देगा, ताकि सतत एवं सुदृढ़ विकास सुनिश्चित हो सके.

Going forward, the Bank will continue to prioritise branch-centric retail business growth while strengthening operational resilience, proactive risk management frameworks, early warning systems, and NPA containment strategies to ensure sustainable and resilient growth.

बैंक प्रतिफल में सुधार, पोर्टफोलियो का पुनर्संतुलन, शुल्क-आधारित एवं प्रति-विक्रय आय के अवसरों का विस्तार, लागतों का अनुकूलन तथा उत्पादकता वृद्धि संबंधी पहलकार्यों पर भी निरंतर ध्यान केंद्रित करेगा. एआई-संचालित क्षमताओं, ग्राहक-केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा विश्लेषण-आधारित निर्णय लेने पर बढ़ते ध्यान के साथ प्रौद्योगिकी-आधारित रूपांतरण बैंक की दीर्घकालिक विकास रणनीति का केंद्र बिन्दु बना रहेगा.

The Bank will also continue to focus on yield improvement, portfolio rebalancing, expansion of fee-based and cross-sell income opportunities, optimisation of costs, and productivity enhancement initiatives. Technology-led transformation with increasing focus on AI-driven capabilities, customer-centric digital platforms, and analytics-led decision-making will continue to remain central to the Bank's long-term growth strategy.

बैंक अपनी दीर्घकालिक मूल्य सृजन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए मानव संसाधन क्षमता संवर्धन, संगठनात्मक रूपांतरण, अभिशासन मानकों तथा ग्राहक-केन्द्रित नवाचार में निवेश करना जारी रखेगा.

The Bank will also continue to invest in people capability enhancement, organisational transformation, governance standards, and customer-centric innovation as it moves forward in its journey of long-term value creation.

आभार

बैंक की लगातार हो रही प्रगति और भविष्य की ओर देखते हुए, मैं भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सभी विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों का उनके निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ.

मैं निदेशक मंडल, कर्मचारियों, ग्राहकों, शेयरधारकों और कारोबारी भागीदारों की बैंक की रूपांतरण यात्रा के पूरे सफर में विश्वास, प्रतिबद्धता और अटूट समर्थन के लिए तहे दिल से सराहना करता हूँ.

मज़बूत बुनियाद, स्पष्ट रणनीतिक दिशा तथा सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ, आईडीबीआई बैंक दीर्घकालिक सतत मूल्य सृजित करने और आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में है.

शुभकामनाओं सहित,

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Acknowledgement

Reflecting on the Bank's continued progress and looking towards the future, I extend my sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation of India (LIC), and all regulatory and statutory authorities for their continued guidance and support.

I also express my heartfelt appreciation to the Board of Directors, employees, customers, shareholders, and business partners for their trust, commitment, and unwavering support throughout the Bank's transformation journey.

With a strengthened foundation, clear strategic direction, and collective commitment, IDBI Bank remains well-positioned to create sustainable long-term value and move forward with confidence towards the future.

With best wishes,

Rakesh Sharma
Managing Director & CEO



कुछ प्रमुख गतिविधियां
Some Major Events

विगत वर्ष की झलकियां
Glimpses of the past year



श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री एम. नागराजु, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 का लाभांश का चेक सौंपते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, along with senior officials, handing over the dividend cheque for FY 2024–25 to Shri M. Nagaraju, Secretary, Department of Financial Services.

श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक तथा श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक के साथ, श्री आर. दोरइस्वामी, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, साथ में उनके अन्य अधिकारीगण, को वित्तीय वर्ष 2024-25 का लाभांश का चेक सौंपते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, along with Shri Jayakumar S. Pillai, DMD and Shri Sumit Phakka, DMD handing over the dividend cheque for FY 2024-25 to Shri R Doraiswamy, MD & CEO, LIC of India and its other officials.





श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने, फिक्की और आईबीए द्वारा आयोजित वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन 'फाइबैक 2025' में भाग लिया. इस कार्यक्रम में वैश्विक विचारकों ने उभरते बैंकिंग मुद्दों, सफल रणनीतियों तथा भविष्य की कार्ययोजनाओं पर चर्चा की, जिसमें एमएसएमई ऋण संबंधी एक पैनल सत्र भी शामिल था.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, attended FIBAC 2025, the annual banking conference organised by FICCI and IBA. The event featured global thought leaders discussing emerging banking issues, success strategies, and future roadmaps, including an MSME lending panel session.

श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक तथा बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वैश्विक बैंकों के साथ बातचीत करने, कारोबारी सहयोग की संभावना तलाशने, उभरते वित्तीय रुझानों की जानकारी प्राप्त करने और बैंक की अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता को बढ़ाने के लिए मेस्से फ्रैंकफर्ट में आयोजित 'सिबोस 2025' में भाग लिया.

Shri Jayakumar S. Pillai, DMD and other senior officials of the Bank attended SIBOS 2025 at Messe Frankfurt to engage with global banks, explore business collaborations, gain insights on emerging financial trends, and enhance the Bank's international visibility.





अमरावती में वित्तीय हब की आधारशिला रखने के समारोह में श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साथ ही केंद्र एवं राज्य के वरिष्ठ लीडर तथा बैंक एवं बीमा कंपनियों के गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही.

The Foundation Stone Laying Ceremony of the Financial Hub at Amaravati was graced by Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, along with senior Union and State leaders and dignitaries from banks and insurance companies.



श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने 31 अक्तूबर 2025 को मोदी ग्राम में आयोजित वित्तीय समावेशन संतृप्ति शिविर में भाग लिया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करना था.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO attended Financial Inclusion Saturation Camp at Modi Village on October 31, 2025, aimed at achieving comprehensive coverage of banking and financial services in rural areas.

श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' के अवसर पर सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए, साथ में हैं श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक, श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक तथा श्रीमती आशा राजीव, बैंक की मुख्य सतर्कता अधिकारी.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, administering the Integrity Pledge on the occasion of 'Vigilance Awareness Week' along with Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD and Smt. Asha Rajiv, CVO of the Bank.





श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अंबेडकर जयंती के अवसर पर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, paying homage to Dr. Babasaheb Ambedkar on the occasion of Ambedkar Jayanti.



आईडीबीआई बैंक का स्मृति पथ - उपलब्धियों की यात्रा का उद्घाटन 25 सितंबर 2025 को बैंक के निदेशक मंडल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया जिसमें बैंक की धरोहर का सम्मान करते हुए, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली एक अभिलेखीय गैलरी के माध्यम से विरासत, नवाचार, उपलब्धियों का उत्सव मनाया गया.

IDBI Bank's Smriti Path - A Journey of Milestones was inaugurated on September 25, 2025 by the Bank's Board of Directors and other senior officials celebrating legacy, innovation, milestones through an archival gallery that honours the Bank's heritage while inspiring future generations.



श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी; श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, कॉरपोरेट सेंटर, मुंबई में भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये #प्लांट4मदर' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO along with Shri Jayakumar S. Pillai, DMD and other senior officials participated in the tree plantation drive at Corporate Centre, Mumbai, as part of the #Plant4Mother Campaign initiated by the Government of India.



आईडीबीआई बैंक ने विभिन्न विभागों द्वारा हिंदी में योगदान तथा हिंदी के आधिकारिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने किया, साथ में हैं श्रीमती आशा राजीव, मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण. कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध कविगण की गरिमामयी उपस्थिति रही.

IDBI Bank celebrated Hindi Pakhwada honoring Hindi contributions and promoting official use of Hindi across departments. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO inaugurated the event along with Smt. Asha Rajiv, CVO and other senior officials of the Bank. The event was graced by renowned poets.

श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक, श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक एवं श्रीमती आशा राजीव, मुख्य सतर्कता अधिकारी और बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुंबई पुलिस जिमखाना मैदान में वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आयोजित क्रिकेट मैच में भाग लिया.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD and Smt. Asha Rajiv, CVO participated in the Senior Executives Cricket Match conducted at Mumbai Police Gymkhana Ground along with other senior executives of the Bank.





आईडीबीआई बैंक ने नवी मुंबई में आयोजित क्रेडाई बीएएनएम रायगढ़ प्रॉपर्टी एक्सपो 2026 में भाग लिया, जिसमें आवास ऋण एवं रेरा सीएमएस को प्रोत्साहित किया. स्टॉल का उद्घाटन श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक ने श्री नील लोहित, कार्यपालक निदेशक और बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया.

IDBI Bank participated in the CREDAI BANM Raigad Property Expo 2026 in Navi Mumbai, promoting home loans and RERA CMS. The stall was inaugurated by Shri Sumit Phakka, DMD and Shri Neel Lohit, Executive Director and other senior officials of the Bank.



जयपुर में कारोबार रणनीति बैठक में निदेशक मंडल के सदस्य एवं बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण.

Members of the Board of Directors along with other senior officials of the Bank at the Business Strategy Meet, Jaipur.

आईसीबीएफ, हैदराबाद में बैंक के कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रतिभा महोत्सव 'एक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा' में दीप प्रज्वलित करते हुए श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक.

Shri Jayakumar S. Pillai, DMD lighting the lamp at the Pratibha Mahotsava, a talent competition organized for employees of the Bank held at ICBF, Hyderabad.





एसएएसएफ बोर्ड की अंतिम बैठक में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक और श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक, बोर्ड के अन्य सदस्यों एवं विशेष आमंत्रितों के साथ उपस्थित हुए.

The final SASF Board meeting was attended by Shri Jayakumar S. Pillai, DMD and Shri Sumit Phakka, DMD along with other Board members and special invitees.



वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आईडीबीआई बैंक ने एपीवाई के अंतर्गत 1.38 लाख अभिदाताओं के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 2 लाख से अधिक अभिदाताओं का नामांकन किया है. इस उपलब्धि के लिए श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक ने आईडीबीआई बैंक की ओर से पीएफ़आरडीए के अध्यक्ष श्री शिवसुब्रमणियन रमण से 'वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक पुरस्कार' प्राप्त किया.

IDBI Bank has enrolled more than 2 Lakh subscribers under APY for FY 2024-25, against Annual Target of 1.38 lakh subscribers. Shri Sumit Phakka, DMD received the 'Annual Award for FY 2024-25' on behalf of IDBI Bank, from Shri Sivasubramanian Ramann, Chairman PFRDA

आईडीबीआई बैंक देशभर में 20 से अधिक स्थानों पर आयोजित ईटी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए बैंकिंग एवं ऋणदाता भागीदार के रूप में कार्य करते हुए एसएमई क्षेत्र के विकास में योगदान दे रहा है. श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक ने रायपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित ईटी मेक इन इंडिया एसएमई रीजनल समिट में गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की.

IDBI Bank has served as the Banking and Lending Partner for the ET Make in India initiative hosted across 20+ locations throughout the country, supporting SME growth across the country. Shri Sumit Phakka, DMD graced the ET Make in India SME Regional Summit held at Raipur, Chhattisgarh





श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में गुवाहाटी में आईडीबीआई ज्ञानार्जन केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य आधुनिक अवसंरचना के माध्यम से कर्मचारियों के विकास को सुदृढ़ करना तथा गुवाहाटी अंचल में बहुराज्यीय पहुँच को सशक्त बनाना है.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO inaugurated the IDBI Learning Centre (ILC), Guwahati, in the presence of other senior officials aimed at enhancing employee development with modern infrastructure and multi state outreach across the Guwahati zone.

प्रमुख सीएसआर गतिविधियां
Major CSR Events



आईडीबीआई बैंक ने ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों हेतु चिकित्सा विशेषज्ञों एवं मरीजों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, नागपुर को वातानुकूलित बसें उपलब्ध कराईं.

IDBI Bank provided air-conditioned buses to Government Medical College & Hospital, Nagpur to facilitate movement of medical experts and patients for rural health camps.

आईडीबीआई बैंक ने भुवनेश्वर नगर निगम को भुवनेश्वर के जयदेव विहार में मियावकी पद्धति का उपयोग करके 1,600 पेड़ लगाने हेतु सहायता प्रदान की, जिससे शहरी हरित आवरण, पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार हुआ.

IDBI Bank supported Bhubaneshwar Municipal Corporation for plantation of 1,600 trees using the Miyawaki method at Jayadev Vihar, Bhubaneshwar, enhancing urban green cover, ecological balance, and environmental sustainability.





आईडीबीआई बैंक ने उदीयमान खिलाड़ियों के बीच हॉकी को बढ़ावा देने तथा खेलों के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट समिति को 150 हॉकी स्टिक उपलब्ध कराई.

IDBI Bank provided 150 hockey sticks to Lal Bahadur Shastri Hockey Tournament Committee in Delhi for promotion of hockey amongst aspiring players and encouraging skill development through sports.

आईडीबीआई बैंक ने अखंड ज्योति नेत्र चिकित्सालय, पटना को उन्नत चिकित्सीय उपकरणों की खरीद एवं स्थापना हेतु सहायता प्रदान की, जिससे विशेषीकृत नेत्र शल्य चिकित्सा करने की क्षमता में वृद्धि हुई तथा नेत्र चिकित्सा सेवाओं में सुधार हुआ.

IDBI Bank supported Akhand Jyoti Eye Hospital, Patna for procurement and installation of advanced medical equipment, thereby enhancing capacity to conduct specialized eye surgeries and improving ophthalmic care services.





आईडीबीआई बैंक 'कोस्टल सालिनिटी प्रिवेंशन सेल (सीएसपीसी)' के माध्यम से गुजरात के तटीय समुदायों को भूजल पुनर्भरण में सुधार करने, लवणता संबंधी चुनौतियों को कम करने तथा अधिक टिकाऊ सिंचाई पद्धतियों को अपनाने में सहायता प्रदान कर रहा है.

IDBI Bank, through Coastal Salinity Prevention Cell (CSPC) is helping coastal communities in Gujarat improve groundwater recharge, reduce salinity challenges, and implement more sustainable irrigation practices.



आईडीबीआई बैंक ने 'ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन' के साथ मिलकर अहमदाबाद में दिव्यांग जन को ईवी ट्राइसाइकिल एवं बैसाखियों के वितरण में सहायता की.

IDBI Bank, in association with the Blind People's Association, facilitated the distribution of EV tricycles and crutches to differently abled individuals in Ahmedabad.

आईडीबीआई बैंक ने 'चिल्ड्रन्स मूवमेंट फॉर सिविक अवेयरनेस', बंगलुरु को 100 सरकारी विद्यालयों में डिजिटल बुनियादी संरचना स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की, जिससे प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि हुई तथा शिक्षण परिणामों में सुधार हुआ.

IDBI Bank supported Children's Movement for Civic Awareness, Bangalore for establishing digital infrastructure across 100 government schools, enhancing access to technology-enabled education and improving learning outcomes.





आईडीबीआई बैंक ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई में एक नए माइनर ऑपरेशन थियेटर का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करना, समय पर चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता में सुधार करना तथा वंचित मरीजों के लिए प्रतीक्षा अवधि को कम करना है.

IDBI Bank inaugurated a new Minor Operation Theatre at Tata Memorial Hospital, Mumbai, with the aim of strengthening healthcare infrastructure, improving access to timely medical interventions, and reducing waiting times for underserved patients.

पुरस्कार एवं सम्मान
Awards and Accolades



आईडीबीआई बैंक को इसके उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, सुदृढ़ सुरक्षा सुविधाओं एवं निर्बाध डिजिटल ग्राहक अनुभव के लिए सिनेक्स इंडिया द्वारा **वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ मोबाइल बैंकिंग सेवा पुरस्कार** दिया गया.

IDBI Bank was awarded Best **Mobile Banking Service of the Year 2025** by Synnex India in recognition of its user-friendly mobile banking platform, robust security features, and seamless digital customer experience.

आईडीबीआई बैंक को फिनोविटी 2025 में **ओसीईएन-जीईएम सहाय 2.0 पहल** को शुरू करने के लिए सम्मानित किया गया, इसके ज़रिये बैंक ने अभिनव खुला ऋण सक्षम ढांचे द्वारा एमएसएमई की डिजिटल क्रेडिट तक पहुँच को सक्षम करने में अपने नेतृत्व का प्रदर्शन किया.

At Finnoviti 2025, IDBI Bank was honoured for pioneering the **OCEN-GeM Sahay 2.0 initiative**, demonstrating its leadership in enabling digital credit access for MSMEs through innovative open credit enablement frameworks.

आईडीबीआई बैंक को इसके प्रभावशाली सीड एक सीएसआर पहल के लिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रतिष्ठित **भामाशाह** पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह पहल सामाजिक विकास एवं समावेशी वृद्धि के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

IDBI Bank received the prestigious **Bhamashah** Award from Shri Bhajan Lal Sharma, Hon'ble Chief Minister of Rajasthan, in recognition of its impactful SEED A CSR initiative, highlighting its commitment to social development and inclusive growth.

एमएसएमई के वित्तपोषण, अनुकूलित बैंकिंग समाधानों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को निरंतर सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए बैंक को एन्क्यूब द्वारा **एमएसएमई लीडरशिप पुरस्कार** से सम्मानित किया गया.

The Bank was honoured with the **MSME Leadership Award** from Enqube for its significant contributions to MSME financing, tailored banking solutions, and continued support to small and medium enterprises.

आईडीबीआई बैंक को 21वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एवं प्रशस्ति पत्र 2024-2025 में वर्ष का **सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक** तथा **सर्वश्रेष्ठ फिनटेक एवं डीपीआई अपनाने**, दोनों श्रेणियों में उपविजेता पुरस्कार प्राप्त हुए.

IDBI Bank received the runner-up awards for both **Best Technology Bank of the Year** and **Best FinTech & DPI Adoption** at the 21st Annual Banking Technology Conference & Citations 2024–2025.



टीआरईडीएस (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) प्लेटफ़ॉर्म में उत्कृष्ट योगदान के लिए आईडीबीआई बैंक को **बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक पुरस्कार** से सम्मानित किया गया, जो एमएसएमई के लिए चलनिधि उपलब्धता में सुधार लाने में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करता है.

IDBI Bank was recognized as the **Best Private Sector Bank** for its outstanding contribution to the TReDS (Trade Receivables Discounting System) platform, reinforcing its role in improving liquidity access for MSMEs.

बैंक को **सुरक्षा और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए ईटी बीएफ़एसआई 2025 पुरस्कार** प्राप्त हुआ, जो बैंक के मज़बूत अभिशासन, उन्नत जोखिम प्रबंधन ढांचों और ग्राहकों व प्रणालियों की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपायों को दर्शाता है.

The Bank received the **ET BFSI 2025 Award for Excellence in Security and Fraud Risk Management,** reflecting its strong governance, advanced risk management frameworks and proactive measures to safeguard customers and systems.

दि फाइनेंशियल ब्रांड 2026 के प्रकाशन में सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले शीर्ष 100 बैंकों की रैंकिंग में आईडीबीआई बैंक ने **5वां स्थान** प्राप्त किया.

The Bank secured **5th position** in the 2026 publication of **The Financial Brand's Top 100 Banks Using Social Media rankings.**

आईडीबीआई बैंक को **"टेक-ड्रिवन ऑपरेशनल एक्सीलेंस"** के लिए **स्वर्ण** तथा **"साइबर शील्ड इनोवेशन"** के लिए **रजत** पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इसकी प्रौद्योगिकी-आधारित दक्षता, फिनटेक एकीकरण, सुदृढ़ साइबर सुरक्षा ढांचे तथा सुरक्षित, भविष्य के लिए तैयार बैंकिंग के प्रति प्रतिबद्धता को मान्यता देते हैं.

IDBI Bank was awarded **Gold** for **"Tech-Driven Operational Excellence"** and **Silver** for **"Cyber Shield Innovation"**, recognising its technology-led efficiency, fintech integration, robust cybersecurity frameworks, and commitment to secure, future-ready banking.

आईडीबीआई बैंक की राजभाषा गृह-पत्रिका, **विकास प्रभा,** जो तिमाही आधार पर प्रकाशित होती है, को प्रसिद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था 'आशीर्वाद' द्वारा **सर्वश्रेष्ठ गृह-पत्रिका** पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

IDBI Bank's in-house Rajbhasha magazine, **Vikas Prabha**, published quarterly, was awarded the **Best In-house Magazine** citation by the renowned literary and cultural organisation, Ashirvad.

निदेशकों की रिपोर्ट

Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के कारोबार और परिचालनों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

सतत भू-राजनैतिक तनावों और समय-समय पर वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता के बावजूद वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वैश्विक आर्थिक गतिविधि लचीली बनी रही. वर्ष 2022-23 में देखी गई समन्वित मौद्रिक सख्ती के चरण के बाद विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्रीय बैंकों ने नीतिगत सामान्यीकरण में क्रमिक प्रगति को जारी रखा. हालांकि राहत देने की गति असमान रही जो विशिष्ट देश के विकास और मुद्रास्फीति की गतिशीलता को प्रदर्शित करती है.

इस पृष्ठभूमि में भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा और जून 2026 में जारी अनंतिम अनुमानों (पीई) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की. भारत का समग्र आर्थिक प्रदर्शन मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी संरचनाओं तथा लचीली घरेलू मांग पर आधारित था. उच्च भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं के बावजूद, घरेलू विकास का व्यापक आधार बना रहा, जिसे निरंतर सार्वजनिक बुनियादी संरचना पर व्यय, निवेश परिवेश में सुधार, स्थिर उपभोग मांग तथा सेवा क्षेत्र के मजबूत विस्तार का समर्थन प्राप्त हुआ. घरेलू आर्थिक गतिविधियों को निरंतर बैंक ऋण में वृद्धि, क्षमता का उच्चतर उपयोग, बैंकों तथा कॉरपोरेट के तुलन-पत्र की सुदृढ़ स्थिति तथा सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर बल का लाभ मिला. कुल मिलाकर इन कारकों ने निवेश चक्र को सुदृढ़ किया, विकास की गति को मजबूत किया तथा वैश्विक विकास के प्रमुख प्रेरक के रूप में भारत की स्थिति को पुनःस्थापित किया.

घरेलू वित्तीय प्रणाली कई वैश्विक समकक्षों की तुलना में, मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी संरचनाओं और मजबूत वित्तीय प्रणाली के सहारे स्थिर और लचीली बनी रही. बैंकिंग क्षेत्र ने बेहतर लाभप्रदता, आस्ति गुणवत्ता में सुधार तथा पर्याप्त पूंजी एवं चलनिधि बफर का प्रदर्शन किया, जिससे यह अर्थव्यवस्था में ऋण की बढ़ती जरूरत को प्रभावी ढंग से पूरा कर पाया, इस प्रकार समग्र आर्थिक विस्तार को समर्थन मिला.

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एक संतुलित तथा विकास-समर्थक दृष्टिकोण अपनाया. लंबे समय तक विराम के बाद, मुद्रास्फीति में निश्चित कमी आने तथा आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल होने पर, रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2025 के आरंभ से नीतिगत ढील की प्रक्रिया प्रारंभ की. कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने संचयी रूप से नीतिगत रेपो दर में 125 आधार बिन्दुओं की कमी की, जिससे दिसंबर 2025 तक यह घटकर 5.25% हो गई. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान रिज़र्व बैंक ने खुले बाज़ार परिचालनों तथा चलनिधि में वृद्धि के उपायों के समर्थन से वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए उदार नीतिगत रुख बनाए रखा. नीतिगत दरों में ढील से मौद्रिक संचरण में सुधार हुआ, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उधार लेने की लागत को कम करने में सहायता मिली.

भविष्य में, अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों का परिदृश्य साथ ही सतत सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, निजी निवेश भावना के सुदृढ़ होने तथा स्थिर वित्तीय परिस्थितियों से, ऋण वृद्धि और निवेश गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने की संभावना है. जहां वैश्विक अनिश्चितताएँ तथा भू-राजनैतिक जोखिमें चुनौतियाँ उत्पन्न करती रहीं, वहीं भारत की सुदृढ़ घरेलू मांग, नीतिगत विश्वसनीयता तथा संरचनात्मक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ विकास की गति को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति प्रदान की.

वित्तीय विशेषताएं

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आपके बैंक ने मजबूत वित्तीय कार्यनिष्पादन दर्ज किया, जिसमें तुलन-पत्र में सतत वृद्धि और बेहतर विस्तार का योगदान रहा, कुल कारोबार के ₹ 6 लाख करोड़ से अधिक का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया. यह वृद्धि जमाराशियों एवं अग्रिमों, दोनों में सतत विस्तार से हुई. 31 मार्च 2026 को कुल जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 12% की वृद्धि दर्ज हुई और ये ₹ 3,47,163 करोड़ हो गईं, जबकि कासा जमाराशियों में 7% की वृद्धि हुई और ये ₹ 1,54,816 करोड़ हो गईं. कासा अनुपात 44.59% पर सुदृढ़ बना रहा, जो एक स्थिर एवं किफायती निधीयन संरचना को दर्शाता है. ऋण क्षेत्र में, संतुलित ऋण वृद्धि के समर्थन से निवल अग्रिमों में 16% की अच्छी वृद्धि हुई और ये ₹ 2,53,626 करोड़ हो गये. बैंक ने विवेकपूर्ण पोर्टफोलियो मिश्रण बनाए रखा, जिसमें इसके अग्रिमों में खुदरा अग्रिमों का हिस्सा 70% तथा कॉरपोरेट अग्रिमों का हिस्सा 30% रहा, जिससे पोर्टफोलियो की सूक्ष्मता एवं जोखिम विविधीकरण सुदृढ़ हुआ.

प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को
पूंजी	10,752	10,752
रिज़र्व और अधिशेष	49,499	56,885
जमाराशियां	3,10,212	3,47,163
उधार राशियां	19,882	28,055
अन्य देयताएं और प्रावधान	21,362	23,705
कुल देयताएं	**4,11,707**	**4,66,560**

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2026 को
नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	21,294	33,230
बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	23,122	23,607
निवेश	1,17,468	1,28,011
अग्रिम	2,18,399	2,53,626
अचल और अन्य आस्तियां	31,424	28,084
कुल आस्तियां	**4,11,707**	**4,66,560**
इस अवधि में	**2024-25**	**2025-26**
कुल आय	33,826	35,744
कुल व्यय (प्रावधानों को छोड़कर)	22,747	24,906
प्रावधान (कर को छोड़कर)	510	(1,088)
कर पूर्व लाभ/(हानि)	10,568	11,926
कर के लिए प्रावधान	3,053	2,413
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	7,515	9,513

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय ₹ 35,744 करोड़ रही, जिसमें ₹ 28,997 करोड़ की ब्याज आय और ₹ 6,746 करोड़ की अन्य आय शामिल है. ब्याज व्यय ₹ 15,486 करोड़ रहा और परिचालन व्यय ₹ 9,420 करोड़ रहा, कुल व्यय (प्रावधानों और आकस्मिकताओं को छोड़कर) ₹ 24,906 करोड़ रहा.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक के निवल लाभ में वृद्धि हुई और यह ₹ 9,513 करोड़ हो गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 27% की अच्छी वृद्धि दर्ज हुई.

वर्ष के दौरान प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) ₹ 8.85 रहा. 31 मार्च 2026 को प्रति शेयर बही मूल्य (पुनर्मूल्यन रिज़र्व, विदेशी मुद्रा रूपांतरण रिज़र्व, अमूर्त आस्तियों तथा आस्थगित कर आस्ति को छोड़कर) ₹ 51.85 था.

31 मार्च 2026 को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
मूल: आईडीबीआई बैंक लि.	98.39%	67,638	103.29%	9,513
सहायक संस्थाएं:				
भारतीय:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि.	0.59%	405	0.47%	44
2. आईडीबीआई इंटेक लि.	0.20%	136	0.14%	13
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि.	0.33%	227	0.09%	8
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	0.00%	2	0.00%	(0.07)
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	0.57%	393	0.64%	59
विदेशी: :	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित	0.26%	178	0.29%	27
सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय:				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.0003%	0.03
2. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.27%	25.14

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार अनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार)				
भारतीय:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**100.34%**	**68,978**	**104.62%**	**9,635**
विलोपन	(0.34%)	(236)	(4.62%)	(425)
निवल कुल	**100.00%**	**68,742**	**100.00%**	**9,210**

नोट: उपरोक्त में से किसी भी सहायक कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है.

आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के बीच में हुई हों

वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च 2026 और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख अर्थात 16 मई 2026 के बीच बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएँ नहीं थीं.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में यह दर्शाया जाना आवश्यक है कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणाली उपलब्ध है तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता कैसी है. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) में संदर्भित आईएफसी, वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसीओ-एफआर) से संबंधित हैं. बैंक का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आईएफसीओ-एफआर के लेखापरीक्षा के बारे में मार्गदर्शी नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए बनाए गए हैं. इन जिम्मेदारियों में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन व रखरखाव शामिल हैं जो बैंक की नीतियों के अनुपालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम व पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित अपने कारोबार का सुव्यवस्थित व प्रभावी परिचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित थे. बैंक ने मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए आईएफसीओ-एफआर ढांचा तैयार किया है और दस्तावेजीकरण, प्रमाणन, सभी कारोबारी वर्टिकलों/ विभागों के नियंत्रण की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुपालन के वैधीकरण और सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक में नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए एक परामर्शदाता को नियुक्त किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक के आईएफसीओ-एफआर ढांचे के अनुसार सभी अंतर्निहित प्रक्रियाओं के परीक्षण और वैधीकरण के पश्चात् परामर्शदाता ने जून 2025, सितंबर 2025, दिसंबर 2025 और मार्च 2026 को समाप्त तिमाहियों का आंतरिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है.

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (अर्थात् विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या अधिक बदलाव) का विवरण तथा उन पर विस्तृत स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बैंक के प्रमुख वित्तीय अनुपातों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है.

पूंजी पर्याप्तता

बासेल III ढांचे के तहत रिज़र्व बैंक के स्तंभ 1 दिशानिर्देशों के अनुपालन में, आपका बैंक मासिक आधार पर ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता की गणना करता है. भारत में बैंकों को 2.50% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) भी बनाए रखना अनिवार्य है. आपका बैंक मासिक आधार पर जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना पूंजी अनुपात (सीआरएआर) में घट-बढ़ पर भी कड़ी नजर रखता है. 31 मार्च 2026 को बैंक का कुल पूंजी + सीसीबी अनुपात 26.65% रहा जो 11.50% की विनियामक न्यूनतम अपेक्षा से काफी अधिक है. आपके बैंक का सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) + सीसीबी अनुपात 8.00% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 25.56% रहा. 31 मार्च 2026 को आपके बैंक का टियर

1 + सीसीबी अनुपात 9.50% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 25.56% रहा. 31 मार्च 2026 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 3.50% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा की तुलना में 10.51% रहा.

कारोबार रणनीति

वर्ष के दौरान आपके बैंक की समग्र कारोबार रणनीति कारोबार विविधीकरण, ग्राहक-केंद्रित पहलों, डिजिटल क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण, मजबूत जोखिम प्रबंधन, परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करने, आदि के जरिये सतत विकास हासिल करने पर केंद्रित रही. आपके बैंक ने खुदरा, कृषि, एमएसएमई एवं कॉरपोरेट ग्राहक खंडों में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करते हुए एक संतुलित कारोबार मिश्रण का निर्माण जारी रखा, साथ ही पोर्टफोलियो के सूक्ष्मीकरण तथा आय की स्थिरता में क्रमिक सुधार किया. विभिन्न उभरते बाज़ारों में अपनी पहुंच का विस्तार करने तथा सेवा उपलब्धता बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने बेहतर भौगोलिक कवरेज और उन्नत डिजिटल वितरण माध्यमों के समर्थन से संतुलित नेटवर्क विस्तार को आगे बढ़ाया. परिवर्तित होते कारोबारी परिवेश एवं ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं के अनुरूप, बैंक ने उन्नत विशेषताओं तथा संपूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं से युक्त जमा एवं ऋण योजनाओं को पेश करना जारी रखा, ताकि अपने ग्राहक आधार की विभिन्न आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके. चालू खाता एवं बचत खाता (कासा)जमा सहित अपने सूक्ष्म, कम लागत वाले जमा आधार को सुदृढ़ करते हुए, आपके बैंक ने सकेंद्रण जोखिम को कम करने तथा तुलन-पत्र के सतत विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए अपने खुदरा सावधि जमा पोर्टफोलियो का विस्तार जारी रखा.

व्यापक एवं सुव्यवस्थित आस्ति बही के जरिये विकास हासिल करने के अपने उद्देश्य के अनुरूप, आपके बैंक ने खुदरा, कृषि और एमएसएमई खंडों में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना जारी रखा. साथ ही, आपके बैंक ने निधि-आधारित एवं गैर निधि-आधारित एक्सपोज़र के विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से अपने कॉरपोरेट ऋण पोर्टफोलियो का रणनीतिक रूप से विस्तार किया, जिसमें उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में अच्छी रेटिंग वाली कॉरपोरेट संस्थाओं को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया गया. बैंक ने ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड कॉरपोरेट परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु अपने समर्पित परियोजना मूल्यांकन प्रकोष्ठ का भी प्रभावी उपयोग किया, जिससे शुल्क-आधारित आय में वृद्धि हुई. ऋण बही के विस्तार के साथ-साथ, आपके बैंक ने अपने आस्ति गुणवत्ता एवं जोखिम प्रबंधन ढांचे को भी सुदृढ़ किया. इसके लिए विश्लेषण-आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की तैनाती, उन्नत ऋण अभिशासन, बेहतर मूल्यांकन प्रक्रियाएं तथा विधिक, डिजिटल एवं संवाद-आधारित चैनलों के माध्यम से सक्रिय वसूली रणनीतियों को अपनाया गया.

आपके बैंक ने अपने मौजूदा ग्राहकों के साथ संबंधों को और सुदृढ़ करने के साथ-साथ नए ग्राहकों के अधिग्रहण को बढ़ाने हेतु ठोस प्रयास जारी रखा. आपका बैंक अनुकूलित मूल्य प्रस्तावों, व्यक्तिगत सेवाएं तथा डेटा विश्लेषण एवं ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली (सीआरएम) से प्राप्त विश्लेषण के आधार पर एकीकृत सहभागिता के माध्यम से अपने संबंध प्रबंधन को सुदृढ़ करने का कार्य कर रहा है. डिजिटलाइजेशन पर आपके बैंक के बढ़ते ध्यान ने इन पहलों को और सशक्त बनाया है. इसके अंतर्गत संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया, निर्बाध मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म तथा फिनटेक साझेदारियों के विस्तारित पारिस्थितिकी तंत्र का विकास शामिल है. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्राहक अनुभव में सुधार हुआ तथा शाखा स्तर पर परिचालन बोझ कम हुआ है.

आपका बैंक व्यापक शिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों के जरिये भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कार्यबल तैयार करने के प्रति भी प्रतिबद्ध बना रहा, इनका उद्देश्य भूमिका-आधारित कौशल एवं नेतृत्व क्षमताओं को सुदृढ़ करना, संरचित कैरियर उन्नयन व्यवस्था एवं कार्यनिष्पादन-आधारित प्रोत्साहन लागू करना है. वित्तीय सुदृढ़ता, परिचालन अखंडता तथा विनियामकीय अनुरूपता को सशक्त बनाने हेतु सुदृढ़ जोखिम एवं अनुपालन संस्कृति स्थापित करने के लिए बैंक-व्यापी पहलकार्य किये गये ताकि हितधारक का विश्वास बनाये रखने और दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने के लिए दैनिक कार्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं को निरंतर अपनाना सुनिश्चित किया जा सके.

कॉरपोरेट अभिशासन एवं नैतिक आचरण के मामले में सर्वोच्च मानक बनाए रखने की बैंक की प्रतिबद्धता, इसकी ब्रांड की विरासत को संरक्षित करने तथा दीर्घकालिक हितधारक मूल्य के सृजन हेतु मूल आधार बनी हुई है. अपने परिचालनों के सभी पहलुओं में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को बनाए रखते हुए, बैंक ने हितधारकों का विश्वास सुदृढ़ किया है तथा एक विश्वसनीय एवं पसंदीदा वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी ब्रांड पहचान को मजबूत किया है. बैंक की रणनीतिक प्राथमिकताओं में परिलक्षित ये मूल ब्रांड मूल्य, तेजी से परिवर्तित होते वित्तीय परिदृश्य में बैंक को दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने और इसे एक अधिक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक-केंद्रित एवं भविष्य के लिए तैयार बैंक बनने के दीर्घकालिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सशक्त आधार प्रदान करते हैं.

मुख्य कारोबारी पहल-कार्य

आपके बैंक ने ग्राहक केन्द्रित रणनीति अपनाई है जिसके अंतर्गत उत्पाद पेशकशों, सेवा वितरण, डिजिटल पहलकार्यों तथा जोखिम प्रबंधन ढांचे को संरेखित करके समुचित सुरक्षा उपायों के साथ सुसंगत, विश्वसनीय एवं विशिष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान किए जाते हैं. आपके बैंक ने 31 मार्च 2026 को 2,243 से अधिक भौतिक बैंकिंग आउटलेट (जिसमें 2,174 शाखाएं तथा 69 स्थायी कारोबार प्रतिनिधि आउटलेट, जिन्हें '*आईडीबीआई समीप*' के नाम से जाना जाता है) तथा 3,011 एटीएम के नेटवर्क द्वारा समर्थित एक हाइब्रिड डिलीवरी मॉडल के माध्यम से अपने ग्राहकों के साथ जुड़ाव बनाए रखा. आपके बैंक के भौतिक टचपॉइंटों को विस्तार योग्य डिजिटल चैनलों के जरिए सहज रूप से पूरक बनाया गया ताकि ग्राहकों की परिवर्तित होती प्राथमिकताओं के अनुरूप सुलभ, सुविधाजनक, सुसंगत एवं सुरक्षित सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके. डिजिटल रूपांतरण आपके बैंक की एक प्रमुख प्राथमिकता बना रहा, जिसमें निर्बाध ग्राहक अनुभव द्वारा संचालित बेहतर ग्राहक जुड़ाव पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया. आपके बैंक ने उन्नत उत्पाद क्षमताओं एवं निर्बाध ओम्नी चैनल जुड़ाव के माध्यम से अपने डिजिटल पेशकशों का विस्तार किया, जिससे ग्राहकों की मोबाइल, वेब तथा अन्य डिजिटल टचपॉइंटों के जरिए विभिन्न सेवाओं तक सहजता से पहुंच हो सके.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने खुदरा बैंकिंग पोर्टफोलियो को और सुदृढ़ किया, जिससे अपने विविध ग्राहक आधार की बैंकिंग एवं वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. बैंक ने विविध

उत्पाद शृंखला के माध्यम से अपने जमा आधार को मजबूत करने, ग्राहक अधिग्रहण तथा जुड़ाव में सुधार करने और डिजिटल एवं विश्लेषणात्मक क्षमताओं का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया. बैंक ने अपने अनिवासी भारतीय ग्राहकों को भी जमा, धन प्रेषण, निवेश तथा ऋण सुविधाओं हेतु एक व्यापक शृंखला के माध्यम से सेवाएं प्रदान कीं, साथ ही प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार किया. आपके बैंक ने ग्राहक-केंद्रित खुदरा ऋण पोर्टफोलियो के निर्माण पर विशेष ध्यान बनाए रखा, जिसे ग्राहकों के जीवनचक्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न ऋण उत्पादों के संतुलित मिश्रण का समर्थन प्राप्त हुआ. इसके अतिरिक्त, डिजिटल ऋण प्रसंस्करण के बढ़ते उपयोग, अनुशासित ऋण मूल्यांकन मानकों तथा ऋण पोर्टफोलियो की सक्रिय निगरानी से टर्नअराउंड समय को कम किया गया और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाया गया. इसके साथ ही, आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक ऋण मूल्यांकन सुनिश्चित किया गया.

आपके बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण (पीएसएल) तथा वित्तीय समावेशन पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित रखा, जिससे विनियामक अपेक्षा और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप व्यापक आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान किया गया. बैंक ने कृषि एवं एमएसएमई वित्तपोषण में अपनी उपस्थिति को विशेषीकृत शाखाओं, आईडीबीआई समीप आउटलेटों तथा विस्तारित कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) नेटवर्क के माध्यम से और सशक्त किया. बैंक ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अधिकाधिक नामांकन पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय समावेशन के अपने कार्य को और आगे बढ़ाया. अपने कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस प्रयास किए गए तथा साथ ही कारोबार प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया गया. बैंक ने समाज के वंचित वर्गों के जीवन में वास्तविक वित्तीय समावेशन और समग्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय साक्षरता पहलकार्यों एवं आजीविका विकास गतिविधियों पर भी ध्यान केन्द्रित रखा. इन पहलकार्यों के माध्यम से औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ी, समावेशी विकास को प्रोत्साहित किया गया, इस प्रकार ग्रामीण तथा उपेक्षित वर्गों के लिए सतत एवं दीर्घकालिक वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मजबूत आधार तैयार किया गया.

कॉरपोरेट बैंकिंग के क्षेत्र में, आपके बैंक ने सुविचारित तथा कम पूंजी वाली विकास रणनीति अपनाई, जिसमें उच्च श्रेणी के ग्राहकों, उच्चतर शुल्क आय, सीमाओं के बेहतर उपयोग तथा व्यापक स्तर पर डिजिटलीकरण पर विशेष बल दिया गया. आपके बैंक ने निधि-आधारित तथा गैर निधि-आधारित योजनाओं की एक व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराई, जिसे विभिन्न कारोबारी एवं सहायक कार्यों के सहयोग से प्रस्तुत किया गया, ताकि कॉरपोरेट ग्राहकों को समग्र एवं अनुकूलित समाधान प्रदान किए जा सकें. अपने विकास एवं पहुंच को और सुदृढ़ करने के लिए आपके बैंक ने नए संबंध बनाने तथा लेन-देन बैंकिंग का विस्तार करने के लिए कॉरपोरेट संबंध एवं नवीन कारोबार अधिग्रहण समूह (सीआरबीएजी) की स्थापना की है. इसके अतिरिक्त, परियोजना वित्तपोषण के लिए ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया को सशक्त बनाने हेतु आपके बैंक में एक समर्पित परियोजना मूल्यांकन प्रकोष्ठ (पीएसी) है.

बैंक ने आस्ति गुणवत्ता को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा, जिसे कॉरपोरेट तथा खुदरा पोर्टफोलियो में ऋण निगरानी, संग्रहण एवं वसूली के लिए एकीकृत एवं सक्रिय ढांचे द्वारा सुदृढ़ किया गया. ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम), प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्युएस) तथा सजग प्रणाली जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से दबाव की शीघ्र पहचान को सक्षम बनाया गया. वहीं ऋण निगरानी समूह, खुदरा संग्रहण एवं खुदरा वसूली जैसे समर्पित विभाग ने चूक को नियंत्रित करने एवं गिरावट को रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित किया. आपके बैंक के वसूली प्रयासों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी), नीलामी, एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजनाओं, लोक अदालतों तथा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत विधिक प्रक्रियाओं के माध्यम से और मजबूत किया गया है. इन उपायों ने मिलकर नए एनपीए को न्यूनतम रखने, त्वरित उन्नयन एवं वसूली तथा प्रावधान कवरेज में सुधार करने में सहायता की, जिससे बैंक की समग्र आस्ति गुणवत्ता में सतत सुधार सुनिश्चित हुआ.

बैंक के व्यापार वित्त कार्य ने केंद्रीकृत प्रसंस्करण, डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा वैश्विक प्रतिनिधि बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से घरेलू एवं सीमा पार संपूर्ण समाधान प्रदान किए, जो सुदृढ़ अभिशासन तथा धन शोधन निवारण (एएमएल)/अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/ आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफ़टी) संबंधी नियंत्रणों द्वारा समर्थित थे.

एक मान्यता प्राप्त एजेंसी बैंक के रूप में, आपके बैंक द्वारा शाखा नेटवर्क एवं डिजिटल चैनलों के माध्यम से निर्बाध प्राप्ति, भुगतान एवं पेंशन लेनदेनों की सुविधा प्रदान करके सरकारी एवं संस्थागत बैंकिंग गतिविधियों की विस्तृत शृंखला का संचालन करता है जिसे बेहतर सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम प्लेटफॉर्म एवं प्रक्रिया एकीकरण के द्वारा और सुदृढ़ किया गया.

इसके अतिरिक्त, बैंक ने कार्यक्षमता, अनुपालन एवं ग्राहक सुविधा में सुधार के लिए चल रहे प्लेटफॉर्म अपग्रेड और उत्पाद संवर्धन द्वारा समर्थित सुरक्षित, विस्तार योग्य एवं डिजिटल रूप से संचालित संग्रहण, भुगतान, एस्क्रो तथा चलनिधि समाधान प्रदान करके अपनी नकदी प्रबंधन सेवाओं को और मजबूत करना जारी रखा.

बैंक की ट्रेजरी विभिन्न पूंजी बाज़ारों में एकीकृत कार्य के रूप में कार्य करती है जो विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रभावी तुलनपत्र एवं चलनिधि प्रबंधन का समर्थन करती है. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने प्राथमिक एवं द्वितीयक बाज़ारों में सक्रिय रूप से भागीदारी की, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों में प्राइमरी डीलर के रूप में सहभागिता शामिल रही तथा चलनिधि के कुशल प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा तैनात मौद्रिक साधनों एवं बाज़ार लिखतों का उपयोग किया गया. ट्रेजरी ने संघटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) तथा खुदरा सरकारी प्रतिभूति (जीसेक) सेवाएं भी प्रदान कीं. साथ ही, इसके विदेशी मुद्रा एवं डेरिवेटिव्स डेस्कों ने मूल्य निर्धारण, बाज़ार निर्माण तथा हेजिंग समाधान ऑफर किये, जिससे कार्यक्षमता, बाज़ार उपस्थिति तथा लाभप्रदता में वृद्धि हुई.

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ एवं एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचा है जो सभी कार्यकलापों में जोखिमों की सक्रियता से पहचान, माप एवं निगरानी करता है. 31 मार्च 2026 को आपका बैंक मजबूत पूंजी एवं चलनिधि बफर, नियमित दबाव परीक्षण तथा पारदर्शी प्रकटीकरण के समर्थन से विनियामक एवं बासेल III अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालक बना रहा. प्रौद्योगिकी, कारोबार निरंतरता, साइबर सुरक्षा एवं डेटा संरक्षण में निरंतर सुधार, साथ ही कारोबारी उद्देश्यों के साथ पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) तथा जलवायु जोखिम से संबंधित पहलुओं के बढ़ते एकत्रीकरण ने सामूहिक रूप से बैंक के लचीलेपन, अभिशासन मानकों तथा दीर्घकालिक स्थिरता को और सुदृढ़ किया.

विभिन्न कारोबारी खंडों में की गई पहलों को जारी प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं डिजिटल आधुनिकीकरण का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन दक्षता में सुधार, लचीलेपन में वृद्धि, विस्तार योग्य परिचालन तथा उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव मिला. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने बदलते विनियमनों के अनुरूप अपने डेटा गोपनीयता तथा अभिशासन ढांचे को और सुदृढ़ किया, जिससे डिजिटल परिपक्वता तथा भावी विकास के लिए तैयारी को बल मिला. कारोबार रणनीति एवं प्रौद्योगिकी रूपान्तरण के सुदृढ़ समन्वय ने ग्राहक अनुभव तथा परिचालनगत लचीलेपन को बेहतर बनाया, साथ ही बैंक को सतत रूप से विस्तार करने, उभरते जोखिमों से निपटने तथा भविष्य के लिए तैयार बैंकिंग तंत्र का निर्माण करने में सक्षम बनाया.

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए पहलकार्यों का विस्तृत ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

बैंक के कारोबार पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव

वैश्विक महामारी कोविड-19 वाइरस ने गत कुछ वर्षों में विश्वभर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है. कोविड-19 महामारी बैंक के परिचालनों को और कितना प्रभावित करेगी, यह वर्तमान और भावी घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा. बैंक का प्रबंधन इस संबंध में घटनाक्रमों पर गहनता से निगरानी रख रहा है.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) के दिशानिर्देशों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियम] और बैंक के संस्था अंतर्नियम के प्रावधानों द्वारा अभिशासित है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही विभिन्न बोर्ड-स्तरीय समितियों के माध्यम से कार्य करता है, जिनका गठन बैंक के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में संकेंद्रित अभिशासन प्रदान करने के लिए किया गया है. बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार निदेशक मंडल में तीन से कम और पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए.

31 मार्च 2026 को बोर्ड में 11 निदेशक यथा श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ), श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) और श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), पूर्ण कालिक निदेशकों के रूप में; गैर-कार्यपालक निदेशकों के रूप में श्री मनोज सहाय, सरकार के नामिती निदेशक और श्री सत पाल भानू, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के नामिती निदेशक; स्वतंत्र निदेशकों के रूप में श्री समरेश परिदा, श्री एन. जम्बुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर, श्रीमती पी.वी. भारती और श्री अजय प्रकाश साहनी शामिल थे. 31 मार्च 2026 को बैंक के बोर्ड में 11 (ग्यारह) निदेशकों की संख्या बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 114 (ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है.

शीर्ष समितियां

31 मार्च 2026 को आपके बैंक के कारोबार और परिचालनों के विभिन्न कार्य क्षेत्रों की देख-रेख करने के लिए बोर्ड की कुल तेरह समितियां गठित की गई हैं. बोर्ड की समितियों में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, कार्यपालक समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी तथा अनुवर्तन करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति, वसूली समीक्षा समिति, जोखिम प्रबंध समिति, सीएसआर एवं ईएसजी समिति, ग्राहक सेवा समिति, इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति-I, सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति और अभिशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की समिति, शामिल हैं.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक की प्रतिबद्धता इस विश्वास को दर्शाती है कि प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन, सांविधिक एवं विनियामकीय अनुपालन की अपेक्षा के होने के साथ-साथ, पारदर्शी एवं नैतिक आचरण में उत्कृष्टता को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे सभी हितधारकों के लिए मूल्य में वृद्धि होती है. बैंक की कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग खंड अर्थात् कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंतर्गत दिया गया है.

कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

बैंक सेबी मानदंडों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2022-23 से अपनी कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रकाशित कर रहा है. बैंक ने पर्यावरणीय प्रकटीकरण के अंतर्गत रिपोर्टिंग सीमाओं का विस्तार करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 से बीआरएसआर कोर के लिए उचित आश्वासन लेकर अपने प्रकटीकरण को क्रमिक रूप से बढ़ाया है. बीआरएसआर प्रकटनों में पर्यावरणीय, सामाजिक तथा अभिशासन (ईएसजी) आयामों में बैंक के कार्यनिष्पादन को दर्शाया जाता है. बैंक अपने परिचालनों पर पर्यावरणीय प्रभाव का प्रलेखन ऊर्जा खपत, जल उपभोग, अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन आदि के संदर्भ में करता है, साथ ही इनके प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, को न्यूनतम करने हेतु अपनाए गए उपायों का भी विवरण प्रस्तुत करता है. सामाजिक मापदंडों के संबंध में बैंक के प्रकटीकरण में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* कार्यबल में लैंगिक विविधता तथा दिव्यांग कर्मचारी, कर्मचारी टर्नओवर दर, पद, लिंग एवं क्षेत्र के आधार पर पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण, व्यावसायिक स्थिति एवं सुरक्षा मानक, प्रदान किया गया प्रशिक्षण आदि शामिल हैं. अभिशासन से संबंधित पहलुओं के संदर्भ में बैंक के प्रकटीकरण में, अन्य प्रकटनों के साथ-साथ, निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन की

संरचना में विविधता, सांविधिक/विनियामकीय दंड/कार्रवाई, भ्रष्टाचार-रोधी एवं रिश्वत-रोधी तंत्र, व्हिसलब्लोअर तंत्र, हितों के टकराव की रोकथाम हेतु व्यवस्था, डाटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा आदि को शामिल किया गया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक की बीआरएसआर को इसकी वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/business-responsibility-report.aspx) पर रखा गया है.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अंतर्गत अपेक्षित कर्मचारियों के ब्यौरे का विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136(1) के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण, उक्त अनुलग्नक को छोड़कर, सदस्यों को प्रेषित किए जा रहे हैं. उक्त अनुलग्नक निरीक्षण हेतु उपलब्ध है तथा कोई भी सदस्य या शेयरधारक, जो अनुलग्नक की प्रति प्राप्त करने का इच्छुक है, वह बैंक के कंपनी सचिव को idbiequity@idbi.co.in पर लिख सकता है.

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण तथा पर्यावरणीय संधारणीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, आपके बैंक ने अपने विभिन्न परिचालनों में ऊर्जा खपत को कम करने के लिए विभिन्न पहलकार्य किये हैं. मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय में इन ऊर्जा बचत उपायों में नया ट्रांसफॉर्मर लगाना, चुनिंदा मंजिलों पर एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) का प्रतिस्थापन तथा प्रकाश व्यवस्था को ऊर्जा-कुशल एलईडी फिक्चर में परिवर्तित करना शामिल है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने पिछले पाँच वर्षों से 4.5 मेगा वोल्ट-एम्पियर (एमवीए)विद्युत स्थापना के उच्च-दाब (एचटी) उपभोक्ता के रूप में पावर फैक्टर को यूनिटी के नजदीक बनाए रखा है. इन पहलों के साथ-साथ, हरित भवन मापदंडों के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की गई रियायती विद्युत दरों के लाभ के परिणामस्वरूप, बैंक की औसत मासिक विद्युत लागत में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कमी आई है. इसके अतिरिक्त, मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में 40 किलोवाट पीक (केडब्ल्युपी) क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्र की स्थापना होने पर अतिरिक्त बचत होने की उम्मीद है. साथ ही, दक्षता में और सुधार की संभावनाओं की पहचान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में देशभर में बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों में विद्युत लेखा परीक्षा भी की गई.

बैंक ने अपने विभिन्न स्थानों पर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करते हुए भोपाल के इदगाह हिल्स तथा अरेरा कॉलोनी स्थित आवासीय फ्लैटों में 10 केडब्ल्युपी के सौर संयंत्र तथा कोल्हापुर क्षेत्रीय कार्यालय भवन में 20 केडब्ल्युपी क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए हैं. अहमदाबाद (40 केडब्ल्युपी), हैदराबाद (65 केडब्ल्युपी) एवं चंडीगढ़ (60 केडब्ल्युपी) स्थित चयनित कार्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर था. बैंक व्यवहार्यता मूल्यांकन के आधार पर अन्य स्थानों पर भी सौर संयंत्रों की स्थापना की संभावनाओं की निरंतर तलाश कर रहा है.

ऊर्जा दक्षता से संबंधित उपायों को विभिन्न शाखाओं एवं कार्यालयों में क्रमिक रूप से समाहित किया गया है. इसके अंतर्गत ऊर्जा-बचत वाले प्रकाश उपकरणों की स्थापना तथा केबिनों में प्रकाश नियंत्रण हेतु सेंसर लगाए गए हैं, जिससे कैबिन में व्यक्ति के न रहने की स्थिति में लाइट स्वतः बंद हो सके. जहाँ भी संभव हो, शाखाओं एवं कार्यालयों की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की जाती है कि प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग किया जा सके. कर्मचारियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे उपयोग न होने की स्थिति में फोटो कॉपियर, टेलीविजन, प्रिंटर, श्रेडिंग मशीन आदि विद्युत उपकरणों को बंद रखें.

इसके अतिरिक्त, शाखाओं एवं कार्यालयों को यह सलाह दी गई है कि वे वातानुकूलन यंत्रों का परिचालन 25°C - 26°C के इष्टतम तापमान पर करें. जहाँ संभव हो, चयनित नई शाखाओं तथा अंचल कार्यालयों में ऊर्जा-दक्ष इन्वर्टर प्रकार एवं परिवर्तनीय रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ) आधारित वातानुकूलन प्रणालियाँ अपनाई जा रही हैं. साथ ही, बड़ी शाखाओं एवं अंचल कार्यालयों में पावर फैक्टर को यूनिटी के निकट बनाए रखने हेतु स्वचालित पावर फैक्टर सुधार (एपीएफसी) पैनलों की स्थापना की गई है. मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय में, पारंपरिक पैकेज वातानुकूलन इकाइयों को ऊर्जा-कुशल वैकल्पिक प्रणालियों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है.

विद्युत संबंधी मरम्मत कार्य समय पर किए जाते हैं तथा वातानुकूलन प्रणालियों का निर्धारित निवारक अनुरक्षण नियमित रूप से सम्पन्न किया जाता है, जिससे ऊर्जा की हानि को न्यूनतम किया जा सके तथा उनकी कार्यक्षमता को इष्टतम स्तर पर बनाए रखा जा सके.

जहाँ संभव हो, आपके बैंक द्वारा फर्नीचर के नवीनीकरण एवं पुनः उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाता है जिससे निस्तारण एवं प्रतिस्थापन से संबंधित कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके. जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से प्राप्त उपचारित जल का उपयोग बागवानी तथा वातानुकूलन कंडेंसर अनुप्रयोगों में किया जाता है.

ये पहलकार्य ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरणीय संधारणीयता तथा जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन के प्रति बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं.

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने डिजिटल सक्षमता, बेहतर ग्राहक अनुभव, परिचालन दक्षता तथा नवाचार पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अपने प्रौद्योगिकी रूपांतरण रोडमैप को आगे बढ़ाया. वर्ष के दौरान अनेक प्रौद्योगिकीय पहलकार्य किये गये, जिनमें विभिन्न डिजिटल चैनलों तथा उद्यम-व्यापी प्लेटफॉर्मों पर नए अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन के साथ-साथ मौजूदा प्रणालियों के उन्नयन भी शामिल थे. मुख्य उपलब्धियों में से कुछ में ओम्नीचैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत, गो मोबाइल+ एप्लिकेशन में कार्यात्मक उन्नयन, सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन - ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन (स्विफ्ट जीपीआई) आधारित विदेशी मुद्रा (एफएक्स) प्रेषण ट्रैकिंग की शुरुआत तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए व्हाट्सएप आधारित नामांकन सुविधा का विस्तार शामिल है. वित्तीय समावेशन के प्रयासों को और सुदृढ़ किया गया, जिसके अंतर्गत कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक अपने ग्राहक को जानें (ई केवाईसी) आधारित बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान की गई. साथ ही, फील्ड परिचालनों को एंड्रॉयड आधारित कियोस्क बैंकिंग प्रणाली (केबीएस) अनुप्रयोगों के माध्यम से डिजिटाइज किया गया, जो लीड प्रबंधन, पासबुक प्रिंटिंग तथा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के उन्नत नियंत्रणों का समर्थन करते हैं. बैंक ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) प्लेटफॉर्म को भी मूल्य आधारित टोकन में उन्नत करते हुए उसमें प्रोग्रामेबल सीबीडीसी (पी-सीबीडीसी) क्षमताओं को शामिल किया. साथ ही, नए कार्ड उत्पादों का शुभारंभ किया गया, जिनमें वीज़ा इनफिनाइट, मास्टरकार्ड प्लेटिनम तथा ब्रेल डेबिट कार्ड शामिल हैं. कुल मिलाकर, इन पहलकार्यों से डिजिटल सेवाओं के उपयोग में वृद्धि हुई, जो वर्ष के दौरान समग्र डिजिटल तथा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों में हुई वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है.

इन पहलकार्यों के साथ-साथ, बैंक ने लक्षित स्वचालन, बुनियादी संरचना के आधुनिकीकरण तथा साइबर सुरक्षा में सुधार के जरिये अपने उद्यम की प्रणालियों एवं प्रौद्योगिकी आधार को भी सुदृढ़ किया. मुख्य पहलकार्यों में पहचान एवं अभिगम प्रबंधन (आईडीएएम) का कार्यान्वयन, एकीकृत ऑडिट प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) एवं एकीकृत खरीद प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) की तैनाती तथा सतत चेक समाशोधन को सक्षम बनाने हेतु कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) के साथ एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) आधारित चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) का एकीकरण शामिल है. धोखाधड़ी निगरानी एवं विनियामकीय अनुपालन को भी सुदृढ़ किया गया, जिसके अंतर्गत सेंट्रलाइज्ड पेमेंट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) का एकीकरण, रिज़र्व बैंक के '*प्रोजेक्ट फाइनेंस डायरेक्शंस, 2025*, के अनुरूप समाधान, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एनालिटिकल एप्लीकेशंस (ओएफएसएए) प्लेटफॉर्म में उन्नयन तथा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी-कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट (सीआईसी-सीआरएम) का एकीकरण शामिल हैं. बैंक ने सीबीएस हार्डवेयर का उन्नयन किया, 98% से अधिक शाखाओं में डुअल कनेक्टिविटी के माध्यम से नेटवर्क क्षमता का विस्तार किया गया तथा सार्वजनिक क्लाउड के लिए लैंडिंग ज़ोन स्थापित किए गए, अंतिम उपयोगकर्ता कंप्यूटिंग बुनियादी संरचना को अद्यतन किया गया तथा उद्यमव्यापी विस्तारित खोज एवं प्रत्युत्तर - एंडपॉइंट खोज एवं प्रत्युत्तर (एक्सडीआर-ईडीआर) प्लेटफॉर्म के क्रियान्वयन के माध्यम से साइबर सुरक्षा को सशक्त किया गया. डेटा आधारित निर्णयन प्रक्रिया को सक्षम करने हेतु टेबलो आधारित डैशबोर्डों की शुरुआत की गई. समग्र रूप से, यह वर्ष बैंक की डिजिटल क्षमताओं, सुदृढ़ता एवं विस्तारनीयता को सशक्त करने में मापनीय प्रगति को दर्शाता है, जो एक सुरक्षित, समावेशी एवं भविष्य उन्मुख प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति इसकी रणनीतिक प्रतिबद्धता के अनुरूप है.

ग) विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन एवं व्यय

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा ₹ 947 करोड़ (डेरिवेटिव और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेनों में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह को छोड़कर) और परिचालन व्यय आवश्यकताओं के लिए कुल विदेशी मुद्रा व्यय ₹ 701 करोड़ रहा.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करता है कि:

क. वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही अनुसरण न किये गये महत्वपूर्ण मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं एवं अनुमान लगाए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और इसी अवधि में बैंक के लाभ एवं हानि की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए यथोचित तथा विवेकपूर्ण हैं;

ग. निदेशकों ने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. निदेशकों ने कार्यशील संस्था आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं.

ङ. निदेशकों ने बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

च. निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं तथा ये प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं.

बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

बैंक यह मानता है कि बोर्ड का सुदृढ़ एवं संरचित वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, अभिशासन मानकों को सुदृढ़ करने तथा बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है. इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप और कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुपालन में, बोर्ड ने एक औपचारिक वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन ढांचा स्थापित किया है. इस प्रक्रिया के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है तथा मूल्यांकन मानदंड, ढांचे और कार्यप्रणाली की समीक्षा एवं अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है. समीक्षाधीन वर्ष के लिए, एनआरसी ने बोर्ड, बोर्ड की समितियों और एमडी एवं सीईओ तथा डीएमडी सहित व्यक्तिगत निदेशकों का व्यापक वार्षिक मूल्यांकन करने हेतु एक स्वतंत्र बाह्य भागीदार को नियुक्त किया. इस दृष्टिकोण ने मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को और अधिक सुदृढ़ किया.

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन संबंधी बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/pdf/Directors-Appointment-and-Evaluation-Policy.pdf) पर उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त, वर्ष के लिए बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत प्रकटन, जिसमें अपनाई गई कार्यप्रणाली, मूल्यांकन मानदंड तथा इस प्रक्रिया के व्यापक परिणाम शामिल हैं, कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में किए गए हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है.

आभार

बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), अन्य सभी सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी है. बोर्ड विभिन्न राज्य सरकारों, अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/ संस्थाओं का भी उनके द्वारा की गई सहायता और सहयोग के लिए आभार मानता है. बोर्ड बैंक के प्रति अटूट समर्थन और निरंतर विश्वास के लिए अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, व्यावसायिक भागीदारों तथा अन्य सभी हितधारकों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता है. बोर्ड अपने कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण एवं प्रतिबद्धता की सराहना करता है तथा बैंक के विकास और सफलता में उनके योगदान का अत्यधिक सम्मान करता है. बोर्ड बैंक के वेंडरों एवं सेवा प्रदाताओं सहित आपूर्ति शृंखला के भागीदारों द्वारा प्रदान की गई सतत सहायता और सहयोग की भी सराहना करता है, जिन्होंने बैंक के परिचालनों का कुशल संचालन सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

[सुमित फक्का]
उप प्रबंध निदेशक

[जयकुमार एस. पिल्लै]
उप प्रबंध निदेशक

[राकेश शर्मा]
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक: 16 मई 2026

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors are pleased to present the Report on the Bank's business and operations for the financial year ended March 31, 2026.

Global economic activity remained resilient during FY 2025-26 despite persistent geopolitical tensions and intermittent financial market volatility. After the phase of synchronised monetary tightening witnessed in 2022-23, central banks across economies continued gradual policy normalisation, though the pace of easing remained uneven, reflecting country-specific growth and inflation dynamics.

Against this backdrop, India remained the fastest-growing major economy, registering an annualised growth of 7.7% in FY 2025-26 as per the Provisional Estimates (PE) released in June 2026. India's overall economic performance was underpinned by strong macroeconomic fundamentals and resilient domestic demand. Notwithstanding elevated geopolitical uncertainties, domestic growth remained broad-based, supported by sustained public infrastructure spending, a revival in the investment climate, steady consumption demand and robust expansion of the services sector. Domestic economic activity benefited from sustained bank credit growth, higher capacity utilisation, healthy balance sheets of banks and corporates and continued thrust on capital expenditure by the Government. Together, these factors strengthened the investment cycle, reinforced growth momentum and reaffirmed India's position as a key driver of global growth.

The domestic financial system remained stable and resilient as compared with many global peers, supported by strong macroeconomic fundamentals and a sound financial system. The banking sector exhibited improved profitability, enhanced asset quality and adequate capital and liquidity buffers, enabling it to effectively meet the growing credit requirements of the economy, thereby supporting overall economic expansion.

On the monetary policy front, the Reserve Bank of India (RBI) adopted a calibrated and growth-supportive approach during FY 2025-26. Following a prolonged period of pause, the RBI initiated policy easing beginning in early 2025 as inflation moderated decisively and the outlook turned benign. Over the course of calendar year 2025, the RBI cumulatively reduced the policy repo rate by 125 basis points, bringing it down to 5.25% by December 2025. Further, during FY 2025-26, the RBI maintained an accommodative policy stance while ensuring financial stability, supported by open market operations and liquidity-enhancing measures. The easing of policy rates contributed to improved monetary transmission, helping lower borrowing costs across sectors.

Going forward, factors such as relatively lower interest rates scenario, combined with sustained public capital expenditure, strengthening private investment sentiment and stable financial conditions, are expected to provide a conducive environment for credit growth and investment activity. While global uncertainties and geopolitical risks continue to pose challenges, India's strong domestic demand, policy credibility and structural reforms position the economy well to sustain healthy growth momentum.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

During FY 2025-26, your Bank recorded a strong financial performance, marked by sustained balance sheet growth and improved scale, achieving a significant milestone with total business surpassing ₹ 6 lakh crore. This growth was driven by steady expansion in both deposits and advances. Total deposits increased by 12% year-on-year to ₹ 3,47,163 crore as on March 31, 2026, while CASA deposits grew by 7% to ₹ 1,54,816 crore. The CASA ratio remained healthy at 44.59%, reflecting a stable and cost-effective funding profile. On the lending side, net advances grew by a robust 16% to ₹ 2,53,626 crore, supported by balanced credit growth. The Bank continued to maintain a prudent portfolio mix, with retail advances accounting for 70% and corporate advances accounted for 30% of its advances, thereby reinforcing portfolio granularity and risk diversification.

Key Financials

(₹ in crore)

	As on March 31, 2025	As on March 31, 2026
Capital	10,752	10,752
Reserves & Surplus	49,499	56,885
Deposits	3,10,212	3,47,163
Borrowings	19,882	28,055
Other Liabilities & Provisions	21,362	23,705
Total Liabilities	**4,11,707**	**4,66,560**
Cash & Balances with RBI	21,294	33,230
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	23,122	23,607
Investments	1,17,468	1,28,011
Advances	2,18,399	2,53,626
Fixed & Other Assets	31,424	28,084
Total Assets	**4,11,707**	**4,66,560**
For the period	**2024-25**	**2025-26**
Total Income	33,826	35,744
Total Expenses (other than provisions)	22,747	24,906
Provisions (other than tax)	510	(1,088)
Profit/ (Loss) Before Tax	10,568	11,926
Provision for Tax	3,053	2,413
Profit/ (Loss) After Tax	7,515	9,513

During the year under review, the Bank's Total Income amounted to ₹ 35,744 crore, comprising Interest Income of ₹ 28,997 crore and Other Income of ₹ 6,746 crore. Interest Expenses stood at ₹ 15,486 crore, while Operating Expenses were ₹ 9,420 crore, resulting in Total Expenditure (excluding provisions and contingencies) of ₹ 24,906 crore.

The Bank's Net Profit increased to ₹ 9,513 crore for FY 2025-26, registering a robust growth of 27% over FY 2024-25.

The Earnings per Share (EPS) for the year stood at ₹ 8.85. The Book Value per Share (excluding Revaluation Reserve, Foreign Currency Translation Reserve, intangible assets and Deferred Tax Asset) was ₹ 51.85 as on March 31, 2026.

REPORT ON THE PERFORMANCE AND FINANCIAL POSITION OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES AND JOINT VENTURES INCLUDED IN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AS ON MARCH 31, 2026

Name of the Entity	Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		Share on profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount (₹ in crore)	As % of consolidated profit or loss	Amount (₹ in crore)
Parent : IDBI Bank Ltd.	98.39%	67,638	103.29%	9,513
Subsidiaries				
Indian:				
1. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	0.59%	405	0.47%	44
2. IDBI Intech Ltd.	0.20%	136	0.14%	13
3. IDBI Asset Management Ltd.	0.33%	227	0.09%	8
4. IDBI MF Trustee Co. Ltd.	0.00%	2	0.00%	(0.07)
5. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.57%	393	0.64%	59
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Minority Interest in all Subsidiaries	0.26%	178	0.29%	27
Associates (Investment as per the equity method):				
Indian:				
1. Biotech Consortium India Ltd.	NA	NA	0.0003%	0.03
2 North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	NA	NA	0.27%	25.14
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Joint Ventures (as per proportionate consolidation/investment as per the equity method)				
Indian:	NA	NA	NA	NA
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Total	**100.34%**	**68,978**	**104.62%**	**9,635**
Elimination	(0.34%)	(236)	(4.62%)	(425)
Net Total	**100.00%**	**68,742**	**100.00%**	**9,210**

Note : None of the above subsidiaries have any subsidiary.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING FINANCIAL POSITION OF IDBI BANK WHICH HAVE OCCURRED DURING THE END OF FINANCIAL YEAR AND THE DATE OF BOARD REPORT

There were no material changes and commitments affecting the financial position of the Bank, which occurred between the end of the financial year, i.e. March 31, 2026 and the date of the Directors' Report, i.e., May 16, 2026.

THE DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS

In accordance with Section 143(3) (i) of the Companies Act 2013, the report of the Statutory Auditors is required to state whether the Bank has adequate Internal Financial Controls (IFCs) system in place in the context of the financial statements and the operating effectiveness of such controls. The IFCs are as referred to in Section 143(3) (i) of the Companies Act, relating to Internal Financial Controls over Financial Reporting (IFCO-FR). The Bank's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the Internal Control over Financial Reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of IFCO-FR issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, safeguarding of its assets, prevention and detection

of frauds and errors, accuracy and completeness of the accounting records and timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 and the guidelines issued by the RBI. The Bank has put in place an IFCO-FR framework for evaluation of the existing internal financial controls system and appointed a consultant for validating the compliances with respect to documentation, certification, reporting process of the controls across all business verticals/ departments and ascertaining the adequacy and effectiveness of the controls in the Bank with respect to financial reporting in all material respects. During FY 2025-26, the consultant has submitted the Internal Compliance Certificate for the quarters ended June 2025, September 2025, December 2025 and March 2026 after carrying out the testing and validation of all the underlying processes as per the Bank's IFCO-FR framework.

DETAILS OF SIGNIFICANT CHANGES (I.E. CHANGE OF 25% OR MORE AS COMPARED TO THE IMMEDIATE PREVIOUS FINANCIAL YEAR) IN KEY FINANCIAL RATIOS, ALONG WITH A DETAILED EXPLANATION THEREOF

There have been no significant changes in the Bank's key financial ratios in FY 2025-26 as compared to the previous financial year.

CAPITAL ADEQUACY

In adherence to the Pillar 1 guidelines of the RBI under Basel III framework, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a monthly basis. Banks in India are also required to maintain the Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50%. Your Bank also keeps a close watch on the movement of Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) on a monthly basis. As on March 31, 2026, the Bank's Total Capital + CCB stood at 26.65%, significantly above the regulatory minimum requirement of 11.50%. Your Bank's Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB ratio was at 25.56% as against the regulatory requirement of 8.00%. Your Bank's Tier 1 + CCB ratio stood at 25.56% as on March 31, 2026 as against the regulatory requirement of 9.50%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2026 was 10.51% as against the minimum regulatory requirement of 3.50%.

BUSINESS STRATEGY

During the year, your Bank's overarching business strategy remained focussed on achieving sustainable growth through business diversification, customer-centric initiatives, enhancement of digital capabilities, robust risk management, strengthening of operational resilience, among others. Your Bank continued to build a well-balanced business mix by deepening its presence across retail, agriculture, MSME and corporate customer segments, while progressively improving portfolio granularity and earnings stability. To further expand its reach across emerging markets and enhance service accessibility, your Bank pursued calibrated network expansion supported by improved geographic coverage and enhanced digital distribution channels. In response to the evolving business environment and changing customer preferences, the Bank continued to introduce deposit and loan products with enhanced features and end-to-end digital journeys to better serve the diverse needs of its customer base. While strengthening its granular, low-cost deposit base, comprising Current Account and Savings Account (CASA) deposits, your Bank continued to expand its retail term deposit portfolio to mitigate concentration risk and support sustainable balance-sheet growth.

Aligned with its objective of achieving growth through a granular and well-diversified asset book, your Bank continued to expand its presence in the retail, agriculture and MSME segments. Simultaneously, your Bank strategically expanded its corporate loan portfolio through a prudent mix of fund-based and non-fund-based exposures, with a focussed lending towards well-rated corporates in high-growth sectors. The Bank also leveraged its dedicated Project Appraisal Cell for the evaluation of greenfield and brownfield corporate projects, thereby supporting fee-based income growth. While pursuing loan book expansion, your Bank concurrently strengthened its asset quality and risk management framework through the deployment of analytics-driven early warning systems, enhanced credit governance, improved appraisal processes and proactive recovery strategies across legal, digital and negotiated channels.

Your Bank continued its concerted efforts to deepen relationships with existing customers while scaling new customer acquisition. Your Bank has been working towards strengthening its relationship management through customised value propositions, personalised services and integrated engagement supported by data analytics and Customer Relationship Management (CRM) driven insights. Your Bank's enhanced focus on digitalisation further reinforced these initiatives through the scaling of end-to-end digital journeys, seamless mobile and internet banking platforms and an expanding ecosystem of fintech partnerships, resulting in improved customer experiences and reduced branch-level operational intensity.

Your Bank also remained committed to building a future-ready workforce through comprehensive learning and development programmes aimed at enhancing role-based skills and leadership capabilities, structured career progression framework and performance-linked incentives. To reinforce financial soundness, operational integrity and

regulatory alignment, bank-wide initiatives were undertaken to embed a strong risk and compliance culture, ensuring consistent adoption of best practices in day-to-day activities to maintain the stakeholder trust and create value over the longer-term.

The Bank's commitment to maintaining the highest standards of corporate governance and ethical conduct remains fundamental to preserving its brand legacy and creating long-term stakeholder value. By upholding transparency and fairness in all aspects of its operations, the Bank has reinforced stakeholder confidence and strengthened its brand identity as a trusted and preferred financial institution. These core brand values, reflected across the Bank's strategic priorities, serve as a strong foundation for the Bank to navigate a rapidly evolving financial landscape resiliently while advancing its long-term objective of becoming a more competitive, customer-centric and future-ready bank.

KEY BUSINESS INITIATIVES

Your Bank adopted a customer-first strategy, aligning product offerings, service delivery, digital initiatives and risk management framework to deliver consistent, trusted and differentiated customer experiences with appropriate safeguards. Your Bank engaged with its customers through a hybrid delivery model, supported by a network of over 2,243 physical banking outlets (including 2,174 branches and 69 fixed Business Correspondent outlets known as *'IDBI SAMEEP'*) and 3,011 ATMs as on March 31, 2026. The physical touchpoints of your Bank were seamlessly complemented by scalable digital channels to cater to evolving customer preferences while ensuring accessible, convenient, consistent and secured service delivery. Digital transformation remained a key priority for your Bank with focus on improved customer engagement driven by seamless customer experiences. Your Bank broadened its digital offerings through enhanced product capabilities and seamless omni-channel engagement, enabling customers to access services easily across mobile, web and other digital touchpoints.

During the year, your Bank continued to strengthen its retail banking portfolio through a customer-centric approach, catering to the banking and financial needs of its diverse customer base. The Bank focussed on strengthening its deposit base through a diversified product suite, improving customer acquisition and engagement and leveraging digital and analytical capabilities. The Bank also served its NRI customers through a comprehensive range of deposit, remittance, investment and loan solutions alongside ongoing process improvements. Your Bank remained focussed on building a customer-centric retail credit portfolio, supported by a well-diversified mix of loan products aligned with customer life-cycle needs. Furthermore, increased use of digital loan processing, disciplined credit underwriting standards and proactive loan portfolio monitoring helped to improve turnaround times and to enhance customer experience while ensuring diligent credit assessment to preserve asset quality.

Your Bank remained focussed on advancing its Priority Sector Lending (PSL) and financial inclusion portfolio, supporting broader economic development in line with the regulatory requirement and national agenda of ensuring inclusive growth. The Bank strengthened its presence in agriculture and MSME financing through specialised branches, IDBI SAMEEP outlets and an expanded Business Correspondent (BC) network. The Bank further advanced its financial inclusion agenda by focussing on higher enrolments under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and other social security schemes. Concerted efforts were undertaken to strengthen the last-mile delivery through its Business Correspondents (BCs), alongside focussed capacity-building for the BCs. The Bank also continued to focus on financial literacy initiatives and livelihood development to ensure meaningful financial inclusion and to drive holistic socio-economic transformation in the lives of underprivileged sections of the society. These initiatives enhanced access to formal banking services, supported inclusive growth and thus, contributed to a strong foundation for sustainable and long-term financial empowerment of the rural and underserved segments.

In corporate banking, your Bank pursued a calibrated, capital-light growth strategy focussed on better-rated clients, higher fee income, improved limit utilisation and extensive digitisation. Your Bank offered a comprehensive suite of fund-based and non-fund based products, delivered through collaboration across its business and support functions to provide holistic and customised solutions to the corporate clients. To further strengthen its growth and coverage, your Bank has established a specialised Corporate Relationships and New Business Acquisition Group (CRBAG) to source new relationships and expand transaction banking. Additionally, your Bank has a dedicated Project Appraisal Cell (PAC) to strengthen its credit assessment for project financing.

The Bank continued to accord high priority to asset quality, strengthened by an integrated and proactive framework for credit monitoring, collections and recovery across corporate and retail portfolios. Various tools such as Loan Review Mechanisms (LRM), Early Warning Signals (EWS) and SAJAG enabled early identification of stress, while a dedicated department, viz. Credit Monitoring Group, Retail Collection and Retail Recovery, ensured timely intervention to contain delinquencies and prevent slippages. Your Bank's recovery efforts have been strengthened through Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI), auctions, One Time Settlement (OTS) schemes, Lok Adalats and legal processes under

Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). Together, these measures have aided in minimising fresh NPAs, accelerate upgradation and recoveries and improve provision coverage, that ensured a steady improvement in the Bank's overall asset quality.

The Bank's trade finance function provided end-to-end domestic and cross-border solutions through centralised processing, digital platforms and a global correspondent banking network, supported by robust governance and Anti-Money Laundering (AML)/ Know Your Customer (KYC)/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) controls.

As an accredited agency bank, your Bank undertakes a broad range of government and institutional banking activities by facilitating seamless receipt, payment and pension transactions through its branch network and digital channels, further strengthened by technology-enabled platforms and process integrations for enhanced service delivery.

Additionally, the Bank also continued to strengthen its Cash Management Services by offering secure, scalable and digitally driven collection, payment, escrow and liquidity solutions, supported by ongoing platform upgrades and product enhancements to improve efficiency, compliance and customer convenience.

The treasury of the Bank operates as an integrated function across capital markets, supporting effective balance sheet and liquidity management in compliance with the regulatory requirements. During the year, your Bank actively participated in primary and secondary markets, including as a Primary Dealer in government securities and utilised the monetary tools deployed by RBI and market instruments for efficient liquidity management. The Treasury also provided Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) and retail Government Securities (G-Sec) services, while its forex and derivatives desks offered pricing, market-making and hedging solutions, enhancing efficiency, market presence and profitability.

Your Bank has a robust and integrated risk management framework that proactively identifies, measures and monitors risks across all activities. As on March 31, 2026, your Bank remained fully compliant with regulatory and Basel III requirements, supported by strong capital and liquidity buffers, regular stress testing and transparent disclosures. Continuous enhancements in technology, business continuity, cyber security and data protection, along with increasing integration of Environmental, Social and Governance (ESG) and climate risk considerations with business objectives, collectively strengthened the Bank's resilience, governance standards and long-term sustainability.

The initiatives across its business segments were supported by ongoing technology upgrades and digital modernisation, resulting in improved operational efficiency, enhanced resilience, scalable operations and superior customer experience. Additionally, your Bank strengthened its data privacy and governance frameworks in line with evolving regulations, reinforcing digital maturity and readiness for future growth. A strong convergence of business strategy and technology transformation improved customer experience and operational resilience, while equipping the Bank to scale sustainably, navigate emerging risks and build a future-ready banking ecosystem.

The detailed description of the Bank's initiatives undertaken during the year is outlined in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE BANK'S BUSINESS

The COVID-19 virus, a global pandemic, affected the world's economy over the last couple of years. The extent to which COVID-19 pandemic will further impact the Bank's operations will depend on ongoing as well as future developments. The management of the Bank is closely monitoring the developments in this regard.

BOARD OF DIRECTORS

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Reserve Bank of India (RBI) guidelines, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR) Regulations) and the Articles of Association of the Bank. The Board functions directly as well as through various Board-level committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas of the Bank. In terms of the Bank's Articles of Association, the Board of Directors shall comprise not less than three and not more than fifteen members.

As on March 31, 2026, the Board comprised eleven Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO), Shri Jayakumar S. Pillai, Deputy Managing Director (DMD) and Shri Sumit Phakka, Deputy Managing Director (DMD), as Whole Time Directors; Shri Manoj Sahay, Government Nominee Director and Shri Sat Pal Bhanoo, Life Insurance Corporation of India (LIC) Nominee Director, as Non-Executive Directors; and Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay Gokuldas Kallapur, Smt. P. V. Bharathi and Shri Ajay Prakash Sawhney as Independent Directors. The strength of 11 (eleven) Directors on the Bank's Board as on March 31, 2026 met the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association of the Bank.

APEX COMMITTEES

As on March 31, 2026, a total of thirteen Board Committees have been constituted to oversee various functional areas of your Bank's business and operations. The Board Committees are Audit Committee of the Board, Executive Committee, Nomination & Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, HR Steering Committee, Special Committee of the Board for Monitoring & Follow-up of cases of Frauds, Recovery Review Committee, Risk Management Committee, CSR & ESG Committee, Customer Service Committee, Wilful Defaulters' Review Committee-I, Information Technology Strategy Committee and Those Charged with Governance Committee.

CORPORATE GOVERNANCE

Your Bank is committed to adopting the best corporate governance practices. The Bank's commitment reflects its belief that effective corporate governance, in addition to being a requirement for statutory and regulatory compliance, also fosters excellence in transparent and ethical conduct, leading to enhanced value for all the stakeholders. The Bank's corporate governance practices are detailed in this Annual Report as a separate section, viz. the Corporate Governance Report.

BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORT

The Bank has been publishing its Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) since FY 2022-23 in compliance with the SEBI norms. The Bank has progressively strengthened its disclosures by expanding the reporting boundaries under the environmental disclosures as well as undertaking reasonable assurance for BRSR Core with effect from FY 2023-24. The BRSR disclosures capture the Bank's performance across Environmental, Social and Governance (ESG) dimensions. The Bank documents the environmental impact of its operations in terms of energy consumption, water consumption, waste management, Greenhouse Gas (GHG) emissions, etc. as well as reports on the measures taken to minimise the adverse impact, if any. The Bank's disclosure on social parameters encompasses, *inter alia,* workforce diversity in terms of gender as well as employees with disabilities, employee turnover rates, details of remuneration in terms of rank, gender and region, occupational health and safety standards, training imparted, etc. The Bank's disclosures with regard to governance-related aspects cover diversity in composition of the Board of Directors and senior management, statutory/ regulatory penalties/ actions, anti-corruption and anti-bribery mechanism, whistleblower mechanism, mechanism to prevent conflict of interest, data privacy and cybersecurity, among other disclosures. The Bank's BRSR for FY 2025-26 has been hosted on its website (https://www.idbi.bank.in/business-responsibility-report.aspx).

STATEMENT UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

The statement containing particulars of employees as required under Section 197(12) of the Companies Act, 2013, read with Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, is given as Annexure to this report. In terms of Section 136(1) of the Companies Act, 2013, the Annual Report and the financial statements are being sent to the members excluding the aforesaid Annexure. The Annexure is available for inspection and any member or shareholder interested in obtaining a copy of the Annexure may write to the Company Secretary of the Bank at idbiequity@idbi.co.in.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

a) Conservation of Energy

As part of its commitment towards energy conservation and environmental sustainability, your Bank has undertaken a range of initiatives to reduce energy consumption across its operations. At the Bank's Head Office in Mumbai, these energy-saving measures included the commissioning of new transformer, replacement of Air Handling Units (AHU) on select floors, conversion of lighting system to energy-efficient LED fixtures. In addition, the Bank has consistently maintained the power factor close to unity over the past five years as a high-tension (HT) consumer with a 4.5 Mega Volt-Ampere (MVA) electric installation. These initiatives, combined with the concessional electricity tariff benefits extended by the Government of Maharashtra under green building norms, have resulted in a reduction in average monthly power costs during FY 2025-26. Further, the installation of 40 kilowatt peak (kWp) rooftop solar plant at its Head Office in Mumbai is expected, upon commissioning, to yield additional saving. Additionally, electrical audits were conducted across its branches and offices on a pan-India basis in FY 2025-26 to identify further opportunities for efficiency enhancement.

The Bank has also expanded the adoption of renewable energy across its locations by installing solar plants of 10 kWp at the residential flats in Idgah Hills and Arera Colony in Bhopal and a 20 kWp solar

plant at Kolhapur Regional Office building. Installation of solar power plants was underway at select offices located in Ahmedabad (40 kWp), Hyderabad (65 kWp) and Chandigarh (60 kWp). The Bank continues to explore the possibility of installing solar plants at additional locations based on feasibility evaluations.

Energy-efficient practices have been progressively embedded across branches and offices through the adoption of energy-saving light fixtures and installation of lighting sensors in cabins to enable automatic switch-off during periods of non-occupancy. Branches and offices layouts are designed, wherever feasible, to maximise the use of natural daylight. Employees are sensitised to adopt energy conservation practices and encouraged to switch-off electrical equipment such as photocopier, televisions, printer, shredding machines etc., when not in use.

Further, branches and offices have been advised to operate air-conditioners at an optimal temperature of 25°C - 26°C. Energy-efficient inverter type and Variable Refrigerant Flow (VRF) air conditioners, wherever feasible, are being adopted in select new branches and Zonal Offices, while Automatic Power Factor Correction (APFC) panels are deployed in larger branches and zonal offices to maintain the power factor close to unity. At the Bank's Head Office in Mumbai, conventional package AC units have been replaced with energy-efficient alternatives.

Timely electrical repairs and scheduled preventive maintenance of air conditioning systems are carried out to minimise energy losses and ensure optimal efficiency.

Your Bank also promotes the refurbishment and reuse of furniture, wherever possible, to reduce carbon emission associated with disposal and replacement. Water conservation is encouraged through the use of treated water from Sewage Treatment Plant (STP) for gardening and air conditioning condenser applications.

These initiatives underscores the Bank's continued commitment to energy conservation, environmental sustainability and responsible resource management.

b) Technology Absorption

During FY 2025-26, the Bank advanced its technology transformation roadmap with a strong focus on digital enablement, enhanced customer experience, operational efficiency and innovation. The year witnessed the execution of numerous technological initiatives encompassing both the implementation of new applications and upgrades to the existing systems across the digital channels and the enterprise-wide platforms. Few of the key milestones included rollout of an Omni-Channel Digital Platform, functional upgrades to the GO Mobile+ application, introduction of Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Global Payments Innovation (SWIFT GPI) based foreign exchange (FX) remittance tracking and expansion of WhatsApp-based enrolment for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). Financial inclusion efforts were further strengthened through electronic Know Your Customer (eKYC)-based savings account opening via Business Correspondents, while field operations were digitised using Android-based Kiosk Banking System (KBS) applications supporting lead management, passbook printing and enhanced Aadhaar Enabled Payment System (AePS) controls. The Bank also upgraded its Central Bank Digital Currency (CBDC) platform to a value-based token with Programmable CBDC (P-CBDC) capabilities and launched new card offerings, including Visa Infinite, Mastercard Platinum and Braille Debit Cards. Collectively, these initiatives contributed to higher digital adoption, reflected in growth across overall digital and Unified Payments Interface (UPI) transactions during the year.

Alongside these initiatives, the Bank reinforced its enterprise systems and technology foundation through targeted automation, infrastructure modernisation and cyber security enhancements. Major initiatives included implementation of Identity and Access Management (IdAM), deployment of Integrated Audit Management System (AMS) and Integrated Procurement Management System (IPMS) and Application Programming Interface (API)-based integration of Cheque Truncation System (CTS) with the Core Banking System (CBS) to enable continuous cheque clearing. Fraud monitoring and regulatory compliance were augmented through Centralised Payment Fraud Information Registry (CPFIR) integration, solutions aligned with the RBI's *'Project Finance Directions, 2025'*, enhancements to the Oracle Financial Services Analytical Applications (OFSAA) platform and Credit Information Company - Customer Relationship Management (CIC-CRM) integration. The Bank upgraded CBS hardware, expanded network capacity with dual connectivity across more than 98% of its branches, established public cloud landing zones, refreshed end-user computing infrastructure and enhanced cyber resilience through the rollout of an enterprise-wide Extended Detection and Response - Endpoint Detection and Response (XDR-EDR) platform. Tableau-based dashboards were initiated

to support data-driven decision-making. Overall, the year reflected measurable progress in strengthening the Bank's digital capabilities, resilience and scalability, aligned with its strategic commitment to building a secure, inclusive and future-ready technology ecosystem.

c) **Foreign Exchange Earnings and Outgo**

During the year, the total foreign exchange earned by the Bank was ₹ 947 crore (excluding foreign currency cash flows in derivatives and foreign currency exchange transactions) and the total foreign exchange outgo was ₹ 701 crore towards the operating expenditure requirements.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors, hereby, declares and confirms that:

a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b. The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

BOARD PERFORMANCE EVALUATION

The Bank recognises that a robust and structured annual performance evaluation of the Board is fundamental to strengthening governance standards and enhancing overall Board effectiveness. In line with this commitment and in compliance with the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulations, the Board has institutionalised a formal annual performance evaluation framework. The Nomination and Remuneration Committee (NRC) functions as the nodal authority for this process and is responsible for reviewing and approving the evaluation criteria, framework and methodology. For the year under review, the NRC engaged an independent external partner to carry out a comprehensive annual evaluation of the Board, Board Committees, and individual Directors, including the MD & CEO and DMDs. This approach further strengthened the objectivity and credibility of the evaluation exercise.

The Bank's Policy on Performance Evaluation is available on the Bank's website (https://www.idbi.bank.in/pdf/Directors-Appointment-and-Evaluation-Policy.pdf).

In addition, a detailed disclosure relating to the Board Evaluation process for the year, including the methodology adopted, evaluation criteria and broad outcomes of the exercise, have been provided in the Report on Corporate Governance, which forms part of this Annual Report.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Bank's Board of Directors gratefully acknowledged the guidance and support received from the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), all other statutory/ regulatory authorities and Life Insurance Corporation of India (LIC) for their valuable co-operation and guidance. The Board also acknowledges the support and co-operation extended by various State Governments, other banks/ financial institutions, multilateral institutions and international banks/ institutions. The Board is deeply grateful to its shareholders, customers, business partners and all other stakeholders for their unwavering support and continued confidence in the Bank. The Board appreciates the dedication and commitment demonstrated by its workforce and highly values their contribution towards the Bank's growth and success. The Board also places on record its appreciation for the consistent support and co-operation extended by the Bank's supply chain partners, including vendors and service providers, which has played an important role in ensuring efficient conduct of the Bank's operations.

[Sumit Phakka]
Deputy Managing Director

[Jayakumar S. Pillai]
Deputy Managing Director

[Rakesh Sharma]
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: May 16, 2026

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

कारोबारी परिवेश

वर्ष 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास ऐतिहासिक औसत से नीचे रहते हुए भी मजबूत बना रहा, इसे अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों का समर्थन मिला, जिससे टैरिफ-संबंधी अनिश्चितताओं तथा बढ़ी हुई भू-राजनैतिक और मुद्रास्फीति संबंधी जोखिमों से उत्पन्न चुनौतियों को आंशिक रूप से कम करने में सहायता मिली. वर्ष 2025 के अंत से प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति में 'रुकें-और-आकलन करें' का रुख अपनाया गया, जहाँ सतत मुद्रास्फीति और बढ़ती अनिश्चितता के बीच अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी नीति में विराम दिया या चुनिंदा रूप से सख्ती की, वहीं उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं ने मुद्रास्फीति में नरमी और विकास की मंद गति के प्रत्युत्तर में सतर्क, मुद्रास्फीति-आधारित ढील या स्थिर नीतिगत रुख अपनाया. वर्ष 2025 के अंत तक मुद्रास्फीति में कमी और अनुकूल नीतियों के कारण अपेक्षाकृत मजबूत बने रहने के बाद, वैश्विक वित्तीय बाज़ार 2026 की शुरुआत में बढ़े हुए भू-राजनैतिक तनावों, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों, मुद्रास्फीति संबंधी नई जोखिमों तथा मौद्रिक नीति अपेक्षाओं में बदलाव के चलते अस्थिर हो गए.

इस पृष्ठभूमि में, भारत की घरेलू गतिविधि सकारात्मक बनी रही, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मांग में सुधार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को युक्तिसंगत बनाना तथा मौद्रिक नीति में ढील के चलते निजी उपभोग में वृद्धि हुई. चल रहे संरचनात्मक सुधारों, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों तथा सार्वजनिक बुनियादी संरचना व्यय की निरंतरता से निवेश गतिविधि को लाभ मिला. आपूर्ति पक्ष में, सेवा क्षेत्र में तेजी बनी रही तथा विनिर्माण कार्यकलाप की गति में वृद्धि हुई, वहीं मौसम-संबंधी व्यवधानों के कारण कृषि विकास में कमी आई. समग्र स्तर पर, सशक्त घरेलू कारकों ने निवल निर्यात के प्रतिकूल प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया, जिससे समग्र विकास की मजबूती को समर्थन मिला. वैश्विक स्तर पर बढ़ी अनिश्चितता एवं अस्थिर पूंजी प्रवाह के बीच, वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय छमाही के दौरान घरेलू वित्तीय बाज़ारों में यदा-कदा अस्थिरता के दौर देखे गए, हालांकि कुल मिलाकर बाज़ार स्थिति काफी हद तक स्थिर रही.

मौद्रिक नीति में नरमी का रुख अपनाते हुए, रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने कैलेंडर वर्ष 2025 में प्रमुख नीतिगत दर, अर्थात् रेपो दर, में संचयी रूप से 125 आधार अंकों की कटौती की. वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय छमाही के दौरान मौद्रिक नीति का संचरण सुदृढ़ हुआ, जिसे उधार एवं जमा, दोनों दरों में सकारात्मक प्रभाव से समर्थन मिला. अनुकूल समष्टि-आर्थिक परिवेश एवं राजकोषीय प्रोत्साहन के साथ इसका वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा. सुदृढ़ पूंजी बफरों तथा कम अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपातों के बल पर, बैंकिंग क्षेत्र ने वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंक ऋण की सुदृढ़ मांग को पूरा किया. समग्र ऋण वृद्धि व्यापक आधार पर हुई, जिसका नेतृत्व मजबूत औद्योगिक ऋण, विशेष रूप से एमएसएमई तथा बुनियादी संरचना क्षेत्र को दिए गए ऋणों के साथ ही कृषि एवं सेवा क्षेत्रों को दिए गए ऋणों तथा व्यक्तिगत ऋणों में भी अच्छी वृद्धि हुई, जो समग्र आर्थिक गतिविधि में निरंतर उछाल में परिलक्षित हुई. इसके अनुरूप, बैंक जमा में वृद्धि, यद्यपि ऋण वृद्धि से पीछे रही, लेकिन मुख्यतः मांग जमा में वृद्धि के कारण सुदृढ़ बनी रही.

आगे चलकर, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि तथा अस्थिर वित्तीय बाज़ारों से मुद्रास्फीति के दबावों में वृद्धि की जोखिमों ने वैश्विक समष्टि-आर्थिक एवं वित्तीय परिदृश्य में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है. बढ़ी भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं के बीच, भारत का समष्टि-आर्थिक परिदृश्य सुदृढ़ बना हुआ है, जो सशक्त बुनियादी संरचना, जैसे सतत् वृद्धि, कम एवं स्थिर मुद्रास्फीति तथा जारी राजकोषीय समेकन द्वारा समर्थित है, जिसकी प्रतिकूल वैश्विक प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान करने की संभावना है. तथापि, भू-राजनैतिक तनावों के पश्चात कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में हालिया उछाल, आपूर्ति-संबंधी व्यवधानों के साथ मिलकर, मुद्रास्फीति के लिए जोखिम उत्पन्न करता है तथा विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. इस चुनौतीपूर्ण परिवेश से निपटने के लिए, भारत में राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति की कार्रवाइयां मूल्य स्थिरता को कायम रखने की दिशा में उन्मुख बने रहने की अपेक्षा है, वहीं आर्थिक विकास को उपयुक्त समर्थन प्रदान करेंगी.

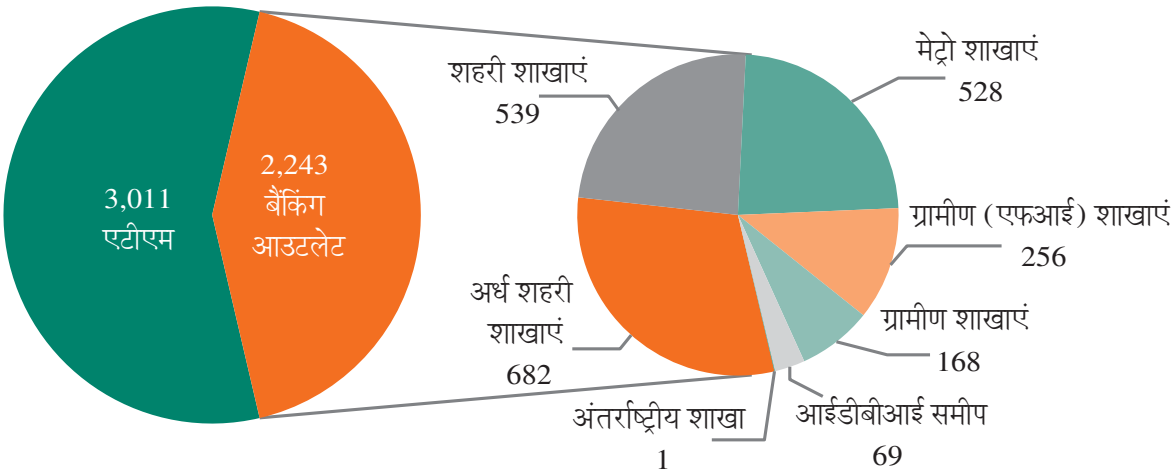
कारोबार समीक्षा

अच्छी एवं स्थिर आर्थिक विकास से युक्त समष्टिआर्थिक परिवेश में कार्य करते हुए, बैंक ने अनुशासन एवं एकाग्रता के साथ अपने रणनीतिक उद्देश्यों का अनुसरण किया, उभरते अवसरों का लाभ उठाया तथा अपने कारोबारी विकास और लाभप्रदता में सतत् सुधार किया. बैंक द्वारा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अपनाए गए रणनीतिक उपायों एवं पहलों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के इस खंड के अंतर्गत संबंधित भागों में दिया गया है.

अपनी पहुंच बढ़ाने और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य के अनुरूप आपके बैंक ने देशभर में अपने लक्षित शाखा विस्तार, कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) आधारित मॉडल के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म में निवेश जारी रखकर अपने भौतिक एवं डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित रखा. पहुंच बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 115 नए बैंकिंग आउटलेटों की स्थापना कर अपने वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ किया, जिनमें भौतिक शाखाएं तथा आईडीबीआई समीप मॉडल के तहत संचालित स्थायी कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) आउटलेट शामिल हैं. बैंक के बैंकिंग आउटलेट का नेटवर्क ग्राहक सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है. ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं को समझते हुए, बैंक कई वैकल्पिक एवं डिजिटल वितरण चैनलों के माध्यमों से लचीलापन प्रदान करता है, जिसमें स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क तथा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और व्हाट्सऐप बैंकिंग सहित डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का एक व्यापक समूह शामिल है. यह बहुचैनल दृष्टिकोण पहुंच को सरल बनाता है और बैंक के ग्राहकों के साथ सहभागिता को सुदृढ़ करता है, जिससे सुरक्षा एवं विश्वास के उच्च मानकों को बनाए रखते हुए एक ग्राहक अनुकूल बैंकिंग अनुभव को और अधिक सुदृढ़ किया जाता है.

'ग्राहक-प्रथम' दर्शन से प्रेरित होकर, आपका बैंक अपने विविध ग्राहक आधार की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप जमा, ऋण एवं निवेश उत्पाद और सेवाओं की एक व्यापक शृंखला प्रदान करता रहा. बदलते बाज़ार रुझानों और ग्राहक व्यवहार के अनुरूप, मौजूदा उत्पादों एवं सेवाओं की समय समय पर समीक्षा की जाती है और सतत प्रासंगिक एवं प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए नए

31 मार्च 2026 को आईडीबीआई बैंक के बैंकिंग आउटलेट एवं एटीएम नेटवर्क



विकल्प पेश किये जाते हैं. आपके बैंक की जमा रणनीति भिन्न, खंड विशिष्ट पेशकशों के माध्यम से ग्राहक संबंधों को सुदृढ़ करने तथा जमाओं को बनाये रखने पर केंद्रित रही. विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए अनुकूलित जमा समाधानों की पेशकश करते हुए तथा इन प्रस्तावों को अत्याधुनिक डिजिटल क्षमताओं के साथ पूरक बनाते हुए, आपके बैंक ने जीवनचक्र के विभिन्न चरणों तथा कारोबारी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों की पूर्ति में एक साझेदार बनने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया. बैंक की ऋण रणनीति खुदरा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा कॉरपोरेट ऋण के संतुलित मिश्रण के माध्यम से सूक्ष्म ऋण पोर्टफोलियो की ओर रणनीतिक परिवर्तन द्वारा परिभाषित है, साथ ही सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता एवं जोखिम अनुशासन को बनाए रखा गया है. खुदरा अग्रिम तथा एमएसएमई वित्तपोषण प्रमुख फोकस क्षेत्र बने रहे, जो स्थिर प्रतिफल और कम ऋण सकेंद्रण प्रदान करते हैं. इसके अनुपूरक के रूप में, आपके बैंक ने संबद्ध जोखिमों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करते हुए, इष्टतम प्रतिफलों को सुनिश्चित करने हेतु कॉरपोरेट ऋण प्रदान करने की गतिविधियों को चयनात्मक रूप से आगे बढ़ाया. ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान समुचित सावधानी को अधिक मजबूत करने के साथ-साथ, बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में दबाव की समय पर पहचान एवं न्यूनीकरण सुनिश्चित करने हेतु एक ऋण निगरानी प्रक्रिया स्थापित की है, जो गुणवत्तापूर्ण ऋण पोर्टफोलियो के निर्माण एवं अनुरक्षण के इसके उद्देश्य के अनुरूप है.

अनुपालन, कॉरपोरेट अभिशासन एवं जोखिम प्रबंधन के प्रति सुदृढ़ एवं सक्रिय दृष्टिकोण अपनाते हुए, बैंक ने निर्धारित विनियामकीय एवं सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी आंतरिक प्रणालियों, नियंत्रणों तथा प्रक्रियाओं को निरंतर अधिक सशक्त किया. स्थापित मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंक नियमित प्रशिक्षण, कार्यशालाओं तथा आंतरिक संप्रेषण के माध्यम से अपने कार्यबल को निरंतर शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने पर विशेष बल देता है, ताकि वे अपनी भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा आचरण के अपेक्षित मानकों को स्पष्ट रूप से समझ सकें. इसके अलावा, बैंक-व्यापी स्तर पर आंतरिक नीतियों और विनियामकीय एवं सांविधिक अपेक्षाओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और स्पष्ट जवाबदेही मानदंड, साथ ही सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग संरचना और सुदृढ़ निगरानी तंत्र को परिभाषित किया गया है.

बैंक अपने भविष्य के पथ पर अग्रसर होते हुए, ग्राहक केन्द्रिता को अपनी कारोबारी रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनाए रखेगा, जिससे बेहतर ग्राहक अनुभवों के द्वारा विश्वास को सुदृढ़ किया जा सके तथा ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध स्थापित किया जा सके. विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन एवं पोर्टफोलियो विविधीकरण के बल पर, जमा आधार और ऋण पोर्टफोलियो के विस्तार के माध्यम से स्थिर एवं सतत् कारोबारी वृद्धि पर निरंतर बल दिया जाता रहेगा. विकसित हो रही प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, बैंक परिचालन दक्षता में और सुधार लाने, सेवा वितरण को बढ़ाने तथा नवोन्मेषी बैंकिंग समाधानों के विकास में सहयोग करने के लिए डिजिटल समाधानों एवं प्रक्रिया स्वचालन को बढ़ावा देना जारी रखेगा. बैंक हितधारकों का विश्वास बनाए रखने तथा अपने ब्रांड की अखंडता एवं प्रतिष्ठा के संरक्षण पर निरंतर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अपने अनुपालन एवं अभिशासन ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करेगा.

रिटेल बैंकिंग

रिटेल देयता उत्पाद

आपका बैंक जमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है. इन जमा उत्पादों को वैयक्तिक ग्राहकों, जिनमें सामान्य नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, अति वरिष्ठ नागरिक, पेंशनभोगी, छात्र, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) शामिल हैं और गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों, जिनमें एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, कॉरपोरेट, सरकारी संस्थान, ट्रस्ट, संघ, समितियां, क्लब और अन्य बैंक (सहकारी बैंकों सहित) शामिल हैं, दोनों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है.

आपके बैंक ने तेजी से बदलती ग्राहकों की जरूरतों और गतिशील बाज़ार स्थितियों के अनुरूप अपने मौजूदा उत्पादों और प्रक्रियाओं को परिष्कृत एवं बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखा. बैंक के प्रयास खुदरा जमाकर्ताओं की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अपने कम लागत वाले जमा आधार को सुदृढ़ करने की दिशा में निर्देशित थे.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने वेतन खंड में एक नया उत्पाद अर्थात् केंद्र एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) तथा बड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं के वेतन खातों को आकर्षित करने के लिए 'सरकारी क्षेत्र वेतन पैकेज' आरंभ किया. बैंक ने व्यक्तिगत बैंकिंग खंड में उच्च निवल आय (एचएनआई) ग्राहकों के लिए 'आईडीबीआई ओपुलेन्शिया बचत खाता' नामक एक नया उत्पाद भी शुरू किया. आपके बैंक ने सावधि जमाओं के दो विशेष प्रकार-निविदाओं एवं बोलियों में भाग लेने वाले ग्राहकों के लिए टेंडर सावधि जमा तथा जमा सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा कवरेज के दोहरे लाभ प्रदान करने वाली आरोग्य सावधि जमा, आरंभ की. बैंक ने निर्बाध उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया. उप-सदस्य बैंकों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) तक पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) मॉडल विकसित किए. बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बैंक ने चालू खातों में मासिक औसत शेष (एमएबी) की आवश्यकताओं में भी कमी की.

खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक वीडियो खाता खोलने (वीएओ) प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति डिजिटल रूप से नए खाते खोल सकते हैं. बेहतर कारोबारी प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक डेटा विश्लेषण के व्यापक उपयोग तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) उपकरणों को अपनाकर ग्राहक से साथ जुड़ाव बढ़ा रहा है.

वर्ष के दौरान बैंक ने यह सुनिश्चित किया कि ब्याज दरों में संशोधनों को चयनित जमा श्रेणियों में सावधानीपूर्वक समायोजित किया जाये, ताकि वित्तपोषण लागत पर संभावित प्रभाव को कम किया जा सके तथा साथ ही बाज़ार में निरंतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके.

अपनी विकास रणनीति के हिस्से के रूप में, बैंक ने नई शाखाएं खोलकर अपने भौगोलिक विस्तार को जारी रखा. साथ ही, बैंक ने अपनी पूंजी-कुशल एवं विस्तारयोग्य हाइब्रिड वितरण मॉडल का लाभ उठाया, जिसमें भौतिक शाखाओं तथा कियोस्क जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं ताकि अपनी पहुंच का विस्तार किया जा सके और अपने जमा आधार को और सुदृढ़ किया जा सके.

एनआरआई सेवाएं

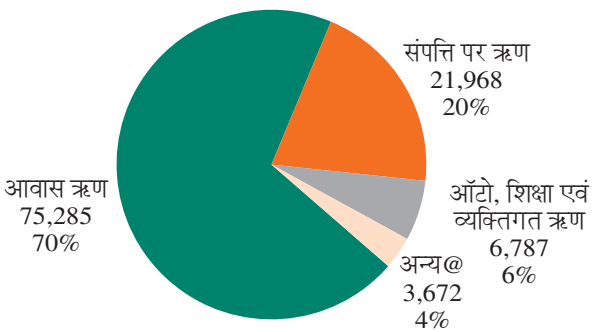
आपका बैंक अपने अनिवासी भारतीय (एनआरआई) ग्राहकों को अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) जमाराशियां, अनिवासी साधारण (एनआरओ) जमाराशियां और विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियां ऑफर करता है. इसके अलावा, बैंक एनआरआई ग्राहकों को निवेश की सुविधा प्रदान करता है जिसमें पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के माध्यम से इक्विटी बाज़ार में निवेश, विश्वव्यापी अंतर-बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) एवं अन्य रीतियों से विप्रेषण के साथ ही विश्वभर में फैले भारतीय प्रवासी समुदाय की बैंकिंग एवं वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ऋण प्रदान करता है.

आपका बैंक अपने एनआरआई ग्राहकों के लिए ग्राहक अनुभव को बढ़ाने, सेवा वितरण को बेहतर बनाने और सुविधाजनक बैंकिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्पाद एवं प्रक्रिया सुधार करना जारी रखता है.

रिटेल आस्तियां

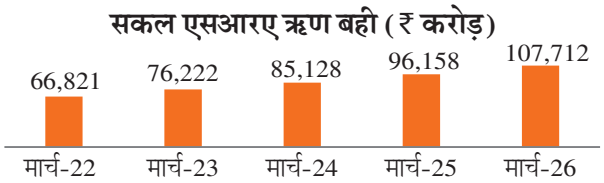
अपनी खुदरा केंद्रित रणनीति के अनुरूप, बैंक ने वर्ष के दौरान संरचित खुदरा आस्ति खंड में अपनी उपस्थिति को और सुदृढ़ किया, जो आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण, ऑटो ऋण, व्यक्तिगत ऋण, शिक्षा ऋण, सोलर रूफटॉप वित्तपोषण तथा प्रतिभूतियों के बदले ऋण सहित विभिन्न खुदरा ऋण उत्पादों में संतुलित वृद्धि से प्रेरित था. बैंक समय समय पर उत्पाद विशेषताओं एवं आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है ताकि बदलती बाज़ार परिस्थितियों, विनियामकीय अपेक्षाओं तथा उभरते जनरेशनज़ेड उधारकर्ताओं सहित ग्राहक वर्गों की बदलती प्राथमिकताओं से तालमेल सुनिश्चित किया जा सके.

सकल बकाया -
संरचित खुदरा आस्तियाँ (₹ करोड़)



@ - अन्य में स्टाफ आवास ऋण, प्रतिभूतियों के बदले ऋण, मर्चेंट प्रतिष्ठान ओवरड्राफ्ट, आवास ऋण - सह उधार, सोलर रूफटॉप वित्त शामिल हैं.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपनी संरचित खुदरा आस्ति (एसआरए) बही में ₹ 1 लाख करोड़ का महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया और 12.02% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जिसमें आवास ऋण बही में 11.40% की वार्षिक वृद्धि और सभी प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में सतत दोहरे अंकों की वृद्धि शामिल है. एसआरए पोर्टफोलियो की गुणवत्ता स्थिर बनी रही, जिसमें न्यूनतम गिरावट हुई और 31 मार्च 2026 को पोर्टफोलियो का सकल एनपीए स्तर 1.42% से कम रहा, जो विवेकपूर्ण अंडरराइटिंग तथा पोर्टफोलियो निगरानी पर बैंक के निरंतर बल को दर्शाता है.



अपने खुदरा ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने आवास ऋण पर अपना फोकस बनाए रखा तथा नियमित ऋण भुगतान करने वाले स्वरोज़गार पेशेवरों एवं स्वरोज़गार गैर-पेशेवरों के लिए एलीट होम लोन बैलेंस ट्रांसफर योजना जैसी नई योजना की शुरुआत के माध्यम से अधिग्रहण की गति को और मजबूत किया. साथ ही, बैंक ने सोलर रूफटॉप वित्तपोषण को बढ़ाकर, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खंड में अपनी उपस्थिति का विस्तार करके तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर पूर्वअनुमोदित व्यक्तिगत ऋणों को अधिक अपनाकर डिजिटल पहुंच को सुदृढ़ करते हुए सरकार से जुड़ी हरित ऊर्जा पहलों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाया. शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो को प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पेशकशों के माध्यम से और सुदृढ़ किया गया, जिससे भारत एवं विदेश में चयनित प्रमुख संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को वित्तपोषण की सुविधा मिली.

परिचालन दक्षता एवं ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक ने निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार, प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने तथा धोखाधड़ी का पता लगाने की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए अपनी स्वचालित ऋण प्रसंस्करण प्रणाली को उन्नत किया. बैंक के व्यापक डिजिटलीकरण कार्यसूची के अनुरूप, मैनुअल कार्यप्रवाहों के निरंतर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर अंतरण करने की निरंतर प्रक्रिया द्वारा इन प्रयासों को बल मिला. इन पहलों के साथ-साथ, बैंक ने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी, जिसके तहत सरकार की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं जिनमें केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) शामिल है, के अंतर्गत लाभों का विस्तार किया गया, साथ ही डॉ. अम्बेडकर सीएसआईएस तथा पढ़ो परदेस योजना जैसी बंद योजनाओं के अंतर्गत दावों को नवीकरण को संसाधित करता रहा. इसके अलावा, बैंक ने'राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम योजना' के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग किया. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत बैंक ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के पात्र ग्राहकों को आवास ऋण प्रदान किया जिससे किफायती आवास को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय उद्देश्य में सार्थक योगदान दिया.

क्रेडिट कार्ड

आपका बैंक विभिन्न नेटवर्क योजनाओं के अंतर्गत अपने विविध ग्राहक वर्गों की अलग-अलग आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड के अनेक विकल्प जैसे रुपे - विनिंग्स सेलेक्ट, वीज़ा - रॉयल सिग्नेचर, एस्पायर प्लेटिनम, इम्पीरियम प्लेटिनम और मास्टरकार्ड - यूफोरिया वर्ल्ड प्रदान करता है. अपने क्रेडिट कार्ड प्रस्तावों को सुदृढ़ करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में, बैंक ने एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड (एलआईसीसीएसएल) के साथ साझेदारी कर सेे योजना में सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अर्थात एक्लैट और ल्यूमिने ऑफर करता है. बेहतर ग्राहक सेवा और उपयोग में सुगमता के लिए, प्रमुख क्रेडिट कार्ड सुविधाओं को क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग और गो मोबाइल+ ऐप में सहजता से एकीकृत किया गया है जिससे ग्राहक तत्काल बिल भुगतान, कार्ड प्रतिस्थापन अनुरोध, भुगतान इतिहास देखना और अन्य आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. इसके अतिरिक्त, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतानों के प्रबंधन में ग्राहकों को लचीलापन प्रदान करने के लिए भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)का एकीकरण सभी अन्य मोबाइल-आधारित प्लेटफॉर्म के साथ किया गया है. इसके अतिरिक्त, बैंक क्रेडिट कार्ड धारकों को कई ऑफर और छूटों की एक श्रृंखला पेश करता है, ताकि अधिक व्यय को प्रोत्साहित किया जा सके और लाभप्रदता में सुधार किया जा सके.

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र बैंकिंग

बैंक ने रिज़र्व बैंक के अधिदेश के अनुरूप प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) उधार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा. वर्ष के दौरान विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार आपके बैंक के ऋण प्रयास मुख्य रूप से कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खंडों की ओर निर्देशित थे. वित्तीय समावेशन को बढ़वा देने और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में ऋण पहुंच बढ़ाने के लिए, बैंक ने कॉरपोरेट कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) नेटवर्क के माध्यम से अब तक असेवित और कम सेवित वर्गों को सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा. इस संबंध में, बैंक ने आईडीबीआई समीप के रूप में ब्रांडेड समर्पित बीसी आउटलेट के माध्यम से अपनी पहुँच को और सुदृढ़ किया, जो बैंक द्वारा चिन्हित स्थानों पर रिज़र्व द्वारा अनुमत निर्दिष्ट बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं. 31 मार्च 2026 को बैंक ने पीएसएल के सभी निर्धारित लक्ष्यों, उप-लक्ष्य सहित, को औसत आधार पर प्राप्त कर लिया है.

भारत सरकार की पहलों के अनुरूप, बैंक केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम एसवीए निधि), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), कृषि बुनियादी संरचना निधि (एआईएफ), पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई), प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विश्वकर्मा), आदि के अंतर्गत ऋण प्रदान करता है. बैंक अनुसूचित जाति (अजा) अनुसूचित जनजाति (अजजा) सहित अल्पसंख्यक समुदायों एवं कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहा है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने पीएसएल पोर्टफोलियो को और बढ़ाने के लिए, बैंक ने कई रणनीतिक पहलें कीं. एमएसएमई क्षेत्र से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, बैंक ने एमएसएमई व्यवसाय की उच्च संभावनाओं वाली 100 और शाखाओं की पहचान की, जिससे विशेषीकृत एमएसएमई शाखाओं की कुल संख्या 200 हो गई. कृषि-केंद्रित शाखाओं के नेटवर्क का भी उल्लेखनीय विस्तार किया गया, जिससे इनकी संख्या 80 से बढ़कर 243 हो गई, ताकि कृषि व्यवसाय के अवसर उत्पन्न हों और इनका समर्थन किया जा सके. एमएसएमई वित्तपोषण को सुदृढ़ करने की सरकार की पहलों के अनुरूप, बैंक ने वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग के अनुरूप एमएसएमई हेतु म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम (एमसीजीएस - एमएसएमई) शुरू की, जिसके अंतर्गत

उपकरण एवं मशीनरी की खरीद से संबंधित परियोजनाओं के लिए ₹ 100 करोड़ तक के पात्र सावधि ऋण के लिए गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है. शाखाओं को अतिरिक्त कारोबार आकर्षित करने तथा खाद्य एवं एग्रो-प्रोसेसिंग पारितंत्र का समर्थन करने में सक्षम बनाने के लिए, बैंक ने खाद्य एवं एग्रो-प्रोसेसिंग इकाइयों को प्रदान किए गये ऋणों पर विशेष मूल्य छूट शुरू की है. बैंक ने वेब-आधारित इंटरफेस के माध्यम से मौजूदा '*प्रॉपर्टी पावर*' ऋणों के प्रसंस्करण हेतु '*प्रॉपर्टी पावर एक्सप्रेस*' नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया. यह प्लेटफॉर्म जीएसटी पंजीकरण और लेन-देन डेटा का उपयोग करते हुए एमएसएमई को ऋण तक तीव्र और अधिक सुविधाजनक पहुँच प्रदान करता है, साथ ही ऋण प्रसंस्करण में मैनुअल हस्तक्षेप को उल्लेखनीय रूप से कम करता है.

बैंक ने अपने सप्लाई चेन फाइनेंस योजना का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण करते हुए कॉरपोरेट के डीलरों हेतु चैनल फाइनेंस तथा स्टैंडअलोन डीलर फाइनेंस को इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन फाइनेंस (ईएससीएफ) प्लेटफॉर्म में परिवर्तित किया है. इस उत्पाद के तहत लक्षित वृद्धि को बढ़ावा देने तथा क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए, कारोबार के प्रवाह को सुगम बनाने और परिचालन समन्वय की निगरानी हेतु एक समर्पित ईएससीएफ सेल स्थापित किया गया है.

बैंक का ईएससीएफ पोर्टफोलियो वर्ष के दौरान निरंतर और सुदृढ़ वृद्धि दर्शाता रहा, साथ ही वर्ष के दौरान शून्य अनर्जक आस्तियों के साथ मजबूत आस्ति गुणवत्ता बनाए रखी गई. बैंक ने संचयी डीलर स्वीकृतियों में ₹ 741.75 करोड़ का स्तर पार किया तथा वर्ष के दौरान 23,597 से अधिक लेन-देन प्रसंस्कृत किए, जिसके तहत ईएससीएफ प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कुल थ्रूपुट ₹ 2,406.21 करोड़ की राशि प्राप्त हुई.

दक्षता और विस्तार क्षमता को और बढ़ाने के लिए, बैंक द्वारा टर्नअराउंड समय को कम करने तथा परिचालन प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने हेतु डिजिटल समाधानों के माध्यम से उत्पाद एवं प्रक्रिया नवाचार को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है. इस यात्रा में एक प्रमुख उपलब्धि एमएसएमई ऋणों के डिजिटल प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन की शुरुआत रही है, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप कम हुआ है और तेज़, अधिक निर्बाध डिजिटल अनुमोदन संभव हुआ. ईएससीएफ प्लेटफॉर्म निधियन परिचालनों के डिजिटलिकरण के लिए बैंक द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय उन्नति है जो न्यूनतम मैन्युअल हस्तक्षेप के साथ तेजी से ऋण वितरण को सक्षम बनाती है.

इसके अलावा, पहुँच का विस्तार करने और डिजिटलीकरण पहलों को तीव्र करने के लिए चयनित फिनटेक संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक साझेदारियों की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. बैंक ने विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के 18 कॉरपोरेटों के साथ साझेदारी की है जिसके तहत कॉरपोरेट के डीलरों को चैनल फाइनेंस सहायता प्रदान की जाती है.

ये पहलें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) को बढ़ावा देने, एमएसएमई वित्तपोषण को सुदृढ़ करने तथा अधिक कुशल, दक्ष वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए नवाचार के साथ व्यापक स्तर पर काम करके समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को समर्थन देने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती हैं.

अन्य पक्ष उत्पाद तथा पूंजी बाज़ार उत्पाद

बैंक अन्य पक्ष वितरण (टीपीडी) खंड के अंतर्गत अपने ग्राहकों की उपयुक्तता, जोखिम प्रोफाइल, वित्तीय लक्ष्यों एवं निवेश उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न मूल्य संवर्धित उत्पादों व सेवाओं की पेशकश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. ग्राहक-केंद्रित दर्शन पर आधारित, बैंक ने लेन-देन आधारित बिक्री से मूल्य-आधारित सहभागिता की दिशा में अपने दृष्टिकोण को क्रमिक रूप से परिवर्तित किया है, साथ ही अनुपालनयुक्त कारोबारी प्रथाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया है. इस रणनीतिक बदलाव ने बैंक के लिए शुल्क आय का एक निरंतर और स्थायी स्रोत सृजित किया है.

वर्ष के दौरान, बैंक ने उन्नत ग्राहक समझ एवं व्यक्तिगत परामर्श सहायता के माध्यम से मूल्य-आधारित बिक्री को बढ़ावा देने हेतु कई पहलें शुरू कीं. इन प्रयासों को भारत की कुछ सबसे विश्वसनीय और प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ साझेदारियों द्वारा और सशक्त किया गया. जीवन बीमा खंड में, बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एएफएलआई) के उत्पाद ऑफर करता है. सामान्य बीमा एवं एकल स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में, बैंक ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएसीएल), टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (टीएजीआईसी) और निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (निवा बुपा) के साथ गठजोड़ किया है, जिससे ग्राहकों को बीमा समाधानों की व्यापक श्रृंखला प्राप्त होती है.

आपके बैंक ने निवेश खंड में भी अपनी उपस्थिति का विस्तार करते हुए कई असेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के साथ म्यूचुअल फंड (एमएफ) वितरण करार किए हैं, जिससे ग्राहकों को विभिन्न आस्ति श्रेणियों में योजनाओं का व्यापक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके अलावा, ग्राहकों को अन्य निवेश अवसरों जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और भारत सरकार (जीओआई) के बांड, फ्लोटिंग रेट सेविंग बांड, सॉवरेन गोल्ड बांड और कैपिटल गेन्स बांड सहित, तक पहुंच प्रदान की है. पूंजी बाज़ार खंड के अंतर्गत, आपका बैंक एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (एएसबीए) तथा सिंडिकेट एएसबीए (एसएएसबीए) जैसे उत्पाद प्रदान करता है, जो ग्राहकों को प्राथमिक बाज़ार निर्गमों में निर्बाध रूप से भागीदारी करने में सहयोग करते हैं. इसके अतिरिक्त, उन्नत डिजिटल माध्यमों के जरिए अपनी डीमैट सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक 31 मार्च 2026 को अपने डीमैट खाता कारोबार को आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज (आईसीएमएस) को अंतरित करने की प्रक्रिया में था, जो अब पूरा हो गया है.

तेजी से विकसित हो रही कारोबार प्रथाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, आपके बैंक ने अन्य पक्ष की योजनाओं के वितरण को संपूर्ण डिजिटल बनाने के लिए विभिन्न पहलकार्य किये हैं. इन उपायों का उद्देश्य ग्राहक सुविधा में सुधार करना, प्रक्रिया दक्षता को सुदृढ़ करना तथा एक सुरक्षित, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सक्षम निवेश अनुभव प्रदान करने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है.

एलआईसी के साथ रणनीतिक सहयोग

जनवरी 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बैंक में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के पश्चात, दोनों संस्थानों के बीच सार्थक कारोबारी तालमेल को विकसित एवं साकार करने के लिए एक सुदृढ़ आधार स्थापित किया गया. पिछले सात वर्षों में, इन कारोबारी तालमेल का लाभ उठाने हेतु कई सुपरिभाषित पहलों को सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे दोनों संस्थाओं के लिए मूल्य सृजन में वृद्धि हुई है.

आपके बैंक ने एलआईसी के साथ सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक संरचित एवं रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें राजस्व, लागत तालमेल तथा वित्तीय तालमेल का लाभ उठाने हेतु स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यबिंदु निर्धारित किए गए हैं. इन पहलों को बैंक के श्रेष्ठ उत्पादों एवं सेवाओं, विशेषतः चालू खाता पोर्टफोलियो सहित इसकी कम लागत वाली जमा आधार के प्रभावी उपयोग द्वारा समर्थित किया गया है.

सुविधाजनक बैंकिंग पेशकशों के हिस्से के रूप में, बैंक ने एलआईसी के विभिन्न कार्यालयों की संग्रहण और भुगतान, दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक लेनदेन बैंकिंग समाधान प्रदान किये हैं. ये सेवाएं बैंक के विस्तृत शाखा नेटवर्क और डिजिटल चैनलों के माध्यम से निर्बाध रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे कुशल बैंकिंग संचालन और बेहतर सेवा अनुभव सुनिश्चित होता है.

एलआईसी तालमेल ढांचे के अंतर्गत निरंतर सहयोग ने दोनों संगठनों के लिए संयुक्त मूल्य सृजन तथा परिचालन प्रदर्शन को सुदृढ़ करने में योगदान दिया है. इसके अतिरिक्त, इस रणनीतिक भागीदारी से उत्पन्न गहन सहभागिता एवं क्रॉस-सेलिंग अवसरों के माध्यम से बैंक अपने खुदरा व्यवसाय को और सशक्त करने तथा शुल्क-आधारित आय में वृद्धि करने में भी सक्षम रहा है.

वित्तीय समावेशन

बैंक का वित्तीय समावेशन (एफआई) विभाग ने देशभर में वंचित एवं बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को सस्ती, सुलभ और प्रौद्योगिकी-सक्षम वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने के बैंक के मिशन को निरंतर जारी रखा. आपका बैंक कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) नेटवर्क का विस्तार कर , डिजिटल पहुंच को बढ़ाकर तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी भारत सरकार की प्रमुख पहलों के अंतर्गत पहुँच को मजबूत करके अंतिम छोर तक सेवाएँ पहुंचाने पर केंद्रित रहा.

वित्तीय समावेशन के प्रति बैंक का दृष्टिकोण समग्र एवं संतुलित है, जिसमें भौतिक संपर्क बिंदुओं का विस्तार, डिजिटल बुनियादी संरचना का सुदृढ़ीकरण, सभी चैनलों में क्षमता निर्माण तथा सतत ग्राहक जागरूकता पहल शामिल हैं. ये प्रयास विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप थे तथा बैंक के व्यापक रणनीतिक अधिदेश के साथ भी घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, जिसका उद्देश्य अपने ग्राहक आधार का विस्तार करना, सेवाओं के उपयोग में वृद्धि करना और ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करना है.

वर्ष के दौरान फोकस का प्रमुख क्षेत्र खाता खोलने से आगे बढ़कर सार्थक सहभागिता को प्रोत्साहित करके वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता में सुधार करना था. सक्रिय खाता उपयोग को बढ़ावा देने, डिजिटल बैंकिंग चैनलों को अपनाने तथा औपचारिक वित्तीय पारितंत्र में भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे समावेशन पहलों के दीर्घकालिक प्रभाव को सुदृढ़ किया जा सके.

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्रदर्शन

बैंक ने भारत सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, अर्थात् प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जन सुरक्षा समूह के प्रति सक्रिय समर्थन देना जारी रखा और समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन सुदृढ़ बना रहा; 31 मार्च 2026 को 8.30 लाख ग्राहक पीएमजेजेबीवाई के तहत शामिल हुए, 20.73 लाख ग्राहक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में नामांकित हुए तथा 8.95 लाख ग्राहकों ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की सदस्यता ग्रहण की, जो असंगठित क्षेत्र में बीमा प्रसार तथा सेवानिवृत्ति बचत को सुदृढ़ करते हैं.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने इन पहलों के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं. कुल 1.83 लाख पीएमजेडीवाई बचत बैंक खाते खोले गए, जिससे प्रथम बार बैंकिंग सेवाओं से जुड़ने वाले ग्राहकों तथा निम्न-आय वर्ग के परिवारों को बुनियादी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन सुदृढ़ बना रहा; 3.47 लाख ग्राहक पीएमजेजेबीवाई के तहत शामिल हुए, 7.04 लाख ग्राहक पीएमएसबीवाई में नामांकित हुए तथा 2.23 लाख ग्राहकों ने एपीवाई में नामांकन कराया, जिससे असंगठित क्षेत्र में बीमा प्रसार तथा सेवानिवृत्ति बचत को बढ़ावा मिला.

वर्ष के दौरान पीएमजेडीवाई एवं जन सुरक्षा लक्ष्यों की 100% प्राप्ति बैंक की पहुँच रणनीति की प्रभावशीलता, बीसी नेटवर्क के उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा आवश्यक वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा समाधानों के माध्यम से ग्राहक सशक्तिकरण पर निरंतर ध्यान को दर्शाती है. यह प्रदर्शन ग्राहकों तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा बैंक पर व्यक्त किए गए विश्वास एवं भरोसे को भी और अधिक रेखांकित करता है.

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) नेटवर्क विस्तार के माध्यम से व्यवसाय सोर्सिंग को सुदृढ़ करना

वित्तीय समावेशन ढांचे के एक प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में बीसी नेटवर्क को स्वीकारते हुए, बैंक ने वर्ष के दौरान इस महत्वपूर्ण वितरण चैनल को सुदृढ़ और विस्तारित करने हेतु केंद्रित पहल की. विभिन्न क्षेत्रों की शाखाओं ने उपयुक्त बीसी भागीदारों की पहचान करने, उनके ऑन-बोर्डिंग एवं स्थापना में सहयोग प्रदान करने तथा सेवा गुणवत्ता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रदर्शन की निकटता से निगरानी करने में सक्रिय भूमिका निभाई.

विस्तारित बीसी संरचना ने उच्च संभावनाओं वाले, किन्तु पूर्व में उपेक्षित क्षेत्रों तक पहुँच का विस्तार करते हुए बैंक की पहुंच क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढाया है. इस विस्तार से बुनियादी बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत ग्राहकों के तेजी से अधिग्रहण में मदद मिली, साथ ही माइक्रो-एटीएम,

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) लेन-देन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जैसी सेवाओं की विश्वसनीय उपलब्धता सुनिश्चित हुई. सुदृढ़ बीसी नेटवर्क भविष्य में क्रॉस-सेलिंग के अवसरों तथा ऋण संबद्धता के लिए एक प्रभावी स्रोत चैनल के रूप में भी उभरकर आया है, जो बैंक के व्यापक विकास उद्देश्यों को समर्थन देता है.

बीसी परिचालन की क्षमता एवं गुणवत्ता, दोनों में सुधार पर दिए गए जोर का परिणाम अधिक संगत ग्राहक सेवा मानकों, उच्च लेन-देन विश्वसनीयता तथा ग्रामीण परिवारों के साथ गहन सहभागिता के रूप में सामने आया है. इन प्रयासों ने जमीनी स्तर पर एक विश्वसनीय वित्तीय भागीदार के रूप में बैंक की भूमिका को और सुदृढ़ किया है, साथ ही इसकी वित्तीय समावेशन पहलों की स्थिरता और प्रभावशीलता को भी मजबूती प्रदान की है.

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा शुरू संतृप्ति अभियान

भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपनी वित्तीय समावेशन (एफआई) योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया. यह अभियान 1 जुलाई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक चार माह की अवधि में संचालित किया गया, जिसके दौरान कुल 4,480 शिविर आयोजित किए गए. इस पहल का उद्देश्य प्रमुख वित्तीय सुरक्षा एवं समावेशन योजनाओं के प्रति व्यापक जागरूकता उत्पन्न करना तथा उन तक पहुँच में सुधार करना था. इन प्रयासों के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, अभियान अवधि के दौरान बैंक ने उल्लेखनीय नामांकन दर्ज किए, जिनमें पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 80,422, पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 2,77,394, एपीवाई के अंतर्गत 77,271 तथा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 49,362 नामांकन शामिल हैं.

समीप आउटलेट का शुभारंभ एवं विस्तार

वर्ष की एक प्रमुख विशेष उपलब्धि आईडीबीआई समीप नामक अत्याधुनिक स्वरूप में विस्तारित ई बैंकिंग आउटलेट का तीव्र विस्तार रहा, जिन्हें अंतिम छोर तक बैंकिंग पहुँच बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. आईडीबीआई समीप आउटलेट अगली पीढ़ी का कम पूंजी आधारित आउटरीच मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें पूर्ण-सेवा शाखाओं और पारंपरिक बीसी बिंदुओं के बीच सेवा अंतर को प्रभावी रूप से भरने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

बीसी द्वारा संचालित आउटलेट के रूप में शाखा जैसे वातावरण वाले समीप आउटलेट ग्राहकों को खाता खोलने, नकद लेन-देन, निधि अंतरण, प्रेषण तथा बुनियादी सेवा आवश्यकताओं जैसी जरुरी बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्रदान करते हैं. यह मॉडल बैंक को ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी बाज़ारों में अपनी ब्रांड दृश्यता और ग्राहक विश्वास को बढ़ाने में सक्षम बनाता है, साथ ही पूर्ण-सेवा शाखाओं की तुलना में अधिक त्वरित स्थापना सुनिश्चित करते हुए तथा काफी कम परिचालन लागत पर अपनी पहुँच का विस्तार करता है.

वर्ष के दौरान समीप नेटवर्क का क्रमिक रूप से विस्तार हुआ तथा 31 मार्च 2026 को बैंक देशभर में 69 समीप आउटलेट संचालित कर रहा था. ये आउटलेट तेजी से विश्वसनीय, सामुदायिक स्तर के बैंकिंग संपर्क केन्द्रों के रूप में उभर रहे हैं तो दूरस्थ अपर्याप्त बैंकिंग सेवाओं वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहे हैं, समीप मॉडल ने बैंक की अंतिम छोर में वितरण क्षमताओं को मजबूत किया है, व्यापक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और बैंक की पहुंच के सतत और स्केलेबल विस्तार को सक्षम बनाया है.

बीसी नेटवर्क के माध्यम से संवर्धित पहुँच तथा पीएसएल में योगदान

बैंक का बीसी नेटवर्क समावेशी वित्तीय विकास और अंतिम छोर तक सेवा वितरण के एक महत्वपूर्ण सक्षमकारी माध्यम के रूप में निरंतर कार्य करता है. वर्ष के दौरान, बीसी ने पीएमजेडीवाई नामांकन में सहायता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लेन-देन को सुगम बनाने तथा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) और माइक्रो-एटीएम सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराकर प्रमुख वित्तीय समावेशन पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके अतिरिक्त, बीसी चैनल ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ग्राहकों को जोड़ने में भी योगदान दिया, जिससे अपर्याप्त रूप से सेवित वर्गों तक पहुँच और सुदृढ़ हुई.

लेन-देन सेवाओं के अलावा, बीसी नेटवर्क की उपस्थिति में भी वृद्धि हुई है, जिससे बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) उद्देश्यों में योगदान मिल रहा है. जमीनी स्तर पर गहन सहभागिता के माध्यम से, बीसी नेटवर्क ने छोटे और सीमांत किसानों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की है, सूक्ष्म उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान की और ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी बाज़ारों में विश्वसनीय ग्रामीण उधारकर्ताओं की बेहतर पहचान को बढ़ाया है. इसके परिणामस्वरूप ऋण प्रसार में सुधार हुआ है तथा प्राथमिकता वाले भौगोलिक क्षेत्रों में बैंक की उपस्थिति सुदृढ़ हुई है.

बीसी-आधारित आउटरीच और पीएसएल विस्तार के बीच सशक्त समन्वय, बैंक के वित्तीय समावेशन एवं सतत ऋण वृद्धि के एकीकृत दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जो संतुलित पोर्टफोलियो विस्तार को समर्थन देते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है.

बीसी की क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास

संरचित क्षमता निर्माण दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा पुनश्चर्या सत्रों का सहयोग मिला.

ग्राहक सहभागिता तथा अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करने में बीसी की केंद्रीय भूमिका को पहचानते हुए, बैंक ने उनके कौशल, दक्षता एवं सेवा गुणवत्ता को बढ़ाने पर विशेष बल दिया. संरचित क्षमता निर्माण दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा पुनश्चर्या सत्रों का सहयोग मिला.

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य परिचालन क्षमताओं एवं अनुपालन जागरूकता को सुदृढ़ करना, ग्राहक सेवा एवं शिकायत निवारण में सुधार करना तथा माइक्रो-एटीएम उपकरणों और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के उपयोग में दक्षता विकसित करना था. पीएमजेडीवाई सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, डिजिटल ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाओं तथा वित्तीय धोखाधड़ी रोकथाम और साइबर सुरक्षा से संबंधित जागरूकता पर भी विशेष बल दिया गया. मनी म्यूल जोखिमों तथा साइबर सुरक्षा पर विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों

ने एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया, जिनमें बीसी को लेन-देन को सुरक्षित एवं ग्राहकों की रक्षा करने की जानकारी मिली. आपका बैंक बीसी को प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के उपयोग में दिशा-निर्देशन प्रदान करने तथा उनके परिचालनात्मक आत्मविश्वास को विकसित करने हेतु ऑन-द-जॉब मार्गदर्शन भी प्रदान करता है. संरचित प्रशिक्षण तथा ऑन-द-जॉब मार्गदर्शन के समन्वित प्रभाव ने बीसी को प्रौद्योगिकी के उपयोग में आत्मविश्वास प्राप्त करने में सक्षम बनाया तथा उनके कौशल को सुदृढ़ किया, जिससे बीसी का एक सशक्त नेटवर्क तैयार हुआ है. अंतिम छोर में, ग्राहकों को अधिक सुगम, सुरक्षित और विश्वसनीय सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ, जो सुरक्षा तथा ग्राहक-प्रमुखता के प्रति बैंक की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

वित्तीय साक्षरता एवं ग्राहक जागरूकता पहलकार्य

वित्तीय साक्षरता को लंबे समय से सार्थक वित्तीय समावेशन की आधारशिला के रूप में मान्यता प्राप्त है. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने वित्तीय साक्षरता शिविरों, घर-घर जागरूकता अभियानों तथा स्थानीय सामुदायिक बैठकों का आयोजन कर समुदायों तक पहुँच बनाई. इस सहभागिता ने एक ऐसे मंच के रूप में कार्य किया, जहाँ ग्राहकों को बचत के लाभों एवं उत्तरदायी उधारी के बारे में अवगत कराया गया, डिजिटल बैंकिंग की सुविधा और सुरक्षित लेन-देन प्रक्रियाओं से परिचित कराया गया तथा सरकार समर्थित बीमा एवं पेंशन योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई. इन सत्रों में धोखाधड़ी की रोकथाम एवं डिजिटल शिष्टाचार पर भी विशेष बल दिया गया, साथ ही ग्राहकों को अपने बैंक खातों को सक्रिय एवं अद्यतन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया. इन प्रयासों ने ग्राहकों को जागरूक वित्तीय निर्णय लेने में सशक्त बनाया, जिससे वे पीएमजेडीवाई तथा संबंधित योजनाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित कर सकें.

आईडीबीआई आरएसईटीआई - कौशल एवं आजीविका के माध्यम से ग्रामीण युवाओं का सशक्तिकरण

बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई आरएसईटीआई), सतारा ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के केंद्र के रूप में निरंतर सार्थक प्रभाव डाला है. ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के मार्गदर्शन में तथा राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप, संस्थान ने प्रतिभागियों को स्वरोजगार या वेतनभोगी रोजगार के लिए व्यावहारिक कौशल से सुसज्जित करने हेतु आजीविका उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया.

अपनी स्थापना से अब तक आरएसईटीआई ने 11,132 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 8, 273 अभ्यर्थी, जो कुल अभ्यर्थियों का 73.67% हैं, स्थायी रोजगार में सफलतापूर्वक स्थापित हुए हैं. आरएसईटीआई के प्रशिक्षण, बुनियादी संरचना एवं निगरानी में निरंतर गुणवत्ता के लिए वर्ष 2025 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा 'एए' ग्रेडिंग प्रदान कर सम्मानित किया गया, जो इसके उत्कृष्ट एवं विशिष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है.

उद्यमिता एवं रोजगार क्षमता को बढ़ावा देकर, आरएसईटीआई ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करना जारी रखे हुए है, साथ ही कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण समुदायों की आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल रहा है.

डिजिटल बैंकिंग

आपके बैंक की डिजिटल यात्रा का मार्गदर्शन एक स्पष्ट दृष्टिकोण द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करना, सतत विकास को गति देना तथा नवाचार प्रथम संस्कृति को बढ़ावा देना है. इसके मूल में एक सुरक्षित, निर्बाध एवं सुविधाजनक बैंकिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने की प्रतिबद्धता निहित है, जहाँ ग्राहक सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि है.

बैंक द्वारा की गई अग्रणी पहलों, जिन्हें उद्योग स्तर पर मान्यता दी गई है और सम्मानित किया गया है, के कारण वर्ष के दौरान समग्र डिजिटल लेनदेनों में 16.21% और यूपीआई लेनदेनों में 19.10% की वृद्धि हुई है. ग्राहकों ने बैंक के गो मोबाइल + एप्लिकेशन के माध्यम से इस परिवर्तन का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिसमें बिल भुगतान को नया रूप दिया गया है, सावधि जमा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और कई नामांकन प्रबंधित करने की सुविधा है. निरंतर सुधारों ने उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप प्ले स्टोर पर इसके गो मोबाइल + एप्लिकेशन की उपयोगकर्ता रेटिंग 4.6 तक पहुंच गई, जो ग्राहक संतुष्टि को दर्शाती है.

आपके बैंक ने वीज़ा इनफिनिटी डेबिट कार्ड और मास्टरकार्ड प्लेटिनम जैसे नए प्रीमियम खंड वाले डेबिट कार्ड भी लॉन्च किए हैं, जो विशेष सुविधाओं की चाह रखने वाले विशिष्ट ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इसके अलावा, आपके बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड भी लॉन्च किया है, जो स्पर्शनीय मार्करों के साथ एक समावेशी उत्पाद है, जो दृष्टिबाधित ग्राहकों को स्वतंत्रता और गरिमा प्रदान करता है.

डिजिटल मुद्रा के मोर्चे पर, आपके बैंक ने विकसित हो रहे पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संरेखित करते हुए एक निश्चित मूल्यवर्ग प्रणाली से एक मूल्य-आधारित टोकन मॉडल में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया. प्रोग्रामेबल सीबीडीसी (पी-सीबीडीसी) के कार्यान्वयन से उद्देश्य-बद्ध डिजिटल मुद्रा के लिए नई संभावनाएं खोलीं जिससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), सब्सिडी संवितरण आदि जैसे अनुप्रयोगों को सक्षम बनाया जा सकता है.

बैंक के फिनटेक फ्यूजन कार्यक्रम में सहयोग की भावना का प्रदर्शन हुआ, जहां बैंक फिनटेक नवप्रवर्तकों के विविध समूह को विचारों, क्षमताओं और अवसरों का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ लाया. इन सहयोगात्मक जुड़ावों ने साझेदारी को मजबूत किया और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में बैंक की भूमिका को उत्प्रेरक के रूप में सुदृढ़ किया.

अपने डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, बैंक ने स्वचालित सत्यापन प्रक्रियाओं द्वारा संचालित एक एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण उत्पाद आई-एमएसएमई एक्सप्रेस पेश किया. इसके साथ ही, बेहतर पहुँच और प्रतिक्रियाशीलता के लिए वेबसाइट एकीकरण के साथ एक नया ग्राहक जुड़ाव समाधान पेश किया गया जो ग्राहकों के लिए सहज और व्यक्तिगत दोनों बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करता है.

आपके बैंक ने सुदृढ़ नेटवर्क, आईटी बुनियादी ढांचे के अद्यतन, उन्नत भुगतान प्रणाली, डेटा संचालित विश्लेषण, डैशबोर्ड, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और मजबूत सुरक्षा समाधानों में निरंतर निवेश किया है. इन निवेशों ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक डिजिटल इंटरैक्शन न केवल कुशल है, बल्कि विश्वसनीय भी है.

कॉरपोरेट बैंकिंग

कॉरपोरेट बैंकिंग कारोबार के भीतर, आपके बैंक का बृहत कॉरपोरेट समूह (एलसीजी) और मिड कॉरपोरेट समूह (एमसीजी) मिलकर इसके कॉरपोरेट ऋण और सेवा पोर्टफोलियो का आधार हैं, जो इंजीनियरिंग, मूल धातुओं और इस्पात, निर्माण, कागज और कागज उत्पाद, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत उपकरण, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, चीनी, रसायन, ऑटोमोबाइल, सेवा क्षेत्र, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आदि जैसे विविध क्षेत्रों में उद्यमों को सेवाएं प्रदान करते हैं. दोनों समूह निधि-आधारित और गैर निधि-आधारित ऋण सुविधाओं की व्यापक शृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें परियोजना और गैर-परियोजना मीयादी ऋण, पैकिंग ऋण , निर्यातकों को पोत-लदान के बाद ऋण, प्राप्य खरीद, बिल भुनाई, इंट्रा-डे सीमाएं आदि शामिल हैं. खुदरा बैंकिंग, ट्रांजेक्शन बैंकिंग, ट्रेजरी के साथ-साथ अन्य विशेष कारोबारी वर्टिकलों के साथ मिलकर काम करते हुए, बैंक का कॉरपोरेट बैंकिंग समूह यह सुनिश्चित करता है कि इसके कॉरपोरेट ग्राहकों की विशिष्ट और जटिल जरूरतों को अनुरूप समाधानों के साथ पूरा किया जाए.

वर्ष के दौरान, बैंक के एलसीजी ने प्रो-फिन एप्लिकेशन शुरू करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसने परियोजना ऋणों के पूरे जीवनचक्र को डिजाइन और निर्माण से लेकर संचालन तक डिजिटाइज़ किया. इस संपूर्ण कार्यप्रवाह ने परियोजना वित्त को सुव्यवस्थित किया, साथ ही विनियामक डेटा और एमआईएस को आसानी से निकालने में सक्षम बनाया, जिससे अनुपालन और परिचालन स्फूर्ति मजबूत हुई.

इसके पूरक के रूप में, मिड कॉरपोरेट ग्रुप (एमसीजी) मझोले आकार के उद्यमों को निधि-आधारित और गैर निधि-आधारित ऋण सुविधाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बैंक के डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, बैंक ने कॉरपोरेट वर्टिकल्स के लिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (आईडीएमएस4सी) शुरू किया. केंद्रीकृत सुरक्षित भंडार डिजिटल भंडारण और कार्यालयीन रिकॉर्ड पुनर्प्राप्ति को सुव्यवस्थित करता है, दोहराव को कम करता है, संस्करण नियंत्रण सुनिश्चित करता है और पारदर्शिता एवं परिचालन दक्षता को बढ़ाता है.

बैंक अपने कॉरपोरेट ऋण बही में सुविचारित विकास को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है, पूंजी-बचत पोर्टफोलियो और संतुलित कारोबार मिश्रण को बनाए रख रहा है. बेहतर रेटिंग वाले कॉरपोरेट खातों का अधिग्रहण, मौजूदा ग्राहकों को मंजूर ऋण सुविधाओं के उपयोग को बढ़ाना और निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित सीमाओं के इष्टतम उपयोग के माध्यम से ब्याज और शुल्क आय में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित रखा. इसके अलावा, बैंक ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिए अपनी देयताओं और सेवा उत्पादों का विस्तार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया.

एलसीजी और एमसीजी मिलकर कॉरपोरेट बैंकिंग में नवाचार और निरंतर विकास के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं. क्षेत्रीय विशेषज्ञता को डिजिटल परिवर्तन पहलों के साथ जोड़कर, बैंक अपने कॉरपोरेट पोर्टफोलियो को बढ़ाने और अपने कॉरपोरेट बैंकिंग अनुभव को नया रूप देने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे यह अधिक पारदर्शी, कुशल और भविष्य के लिए तैयार हो सके.

कॉरपोरेट संबंध और नया कारोबार अधिग्रहण समूह (सीआरबीएजी) और परियोजना मूल्यांकन सेल (पीएसी)

आपके बैंक ने कॉरपोरेट संबंध और नया कारोबार अधिग्रहण समूह (सीआरबीएजी) की स्थापना की, जो एक विशेष टीम है जिसका उद्देश्य नए कारोबार अवसरों को बढ़ावा देना और कॉरपोरेट संबंधों को मजबूत करना है, जिससे कारोबार के प्रति 360° दृष्टिकोण में वृद्धि हो सके. एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, सीआरबीएजी संभावित स्रोतों, अर्थात्, कॉरपोरेट, समकक्ष बैंकों, रेटिंग एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, निवेश बैंकिंग समुदाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर उभरते बाज़ार के अवसरों का लाभ उठाता है, यह पहल बैंक की कॉरपोरेट उपस्थिति का विस्तार करने और दीर्घकालिक, मूल्य आधारित साझेदारी बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

इस प्रयास के पूरक के रूप में, बैंक ने कॉरपोरेट वर्टिकल में विशिष्ट परियोजना मीयादी ऋण एक्सपोजर का मूल्यांकन और सत्यापन करने के लिए एक समर्पित परियोजना मूल्यांकन सेल (पीएसी) की स्थापना की है. प्रस्तावों की गहन जांच करके और व्यवहार्यता स्थापित करके, पीएसी यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के ऋण संबंधी निर्णय विवेकपूर्ण और टिकाऊ दोनों हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण विकास और प्रबंधन पर इसका ध्यान मजबूत हो सके.

ऋण निगरानी समूह

आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, बैंक का ऋण निगरानी ग्रुप (सीएमजी) संरचित ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम) का संचालन करता है, अपने कॉरपोरेट और खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में दबाव के शुरुआती संकेतों को ट्रैक करता है और ऋण प्रबंध मापदंडों (सीएपी) की निगरानी करता है.

आपका बैंक ऋण मंजूरी की प्रभावकारिता के संबंध में समय पर फीडबैक देने तथा नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की नियमित अनुवर्ती कार्रवाई, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को ट्रैक करने और सीएपी का समय पर अनुपालन के लिए संरचित ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम) का उपयोग करता है. इन सभी पहलकार्यों से खातों में आरंभिक दबावों की पहचान एवं उनका प्रबंधन करने, सीएपी का अनुपालन और इसके द्वारा आपके बैंक के उधारकर्त्ताओं की ऋण गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है.

आपके बैंक ने अपने ऋण निगरानी कार्य को सुचारू बनाने के लिए दिसंबर 2019 से प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) एप्लीकेशन का उपयोग शुरू कर दिया है. यह टूल आंतरिक और बाहरी स्रोतों से प्राप्त डेटा का उपयोग कर दबाव और शुरुआती कमजोरी का पता लगाता है और नियमित आधार पर अलर्ट जारी करता है. ईडब्ल्यूएस एप्लीकेशन में पूर्वनिर्धारित सीमा के आधार पर सभी कॉरपोरेट और खुदरा खातों को उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम या कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है. यह आपके बैंक की उच्च जोखिम खातों और विशेष उल्लेख खाता बनने से (एसएमए)पहले के चरण में दबाव के शुरुआती संकेत दिखाने वाले खातों की पहचान करने की क्षमता का समर्थन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि समय पर और पहले से ही सुधारात्मक कार्रवाई की जाए. लगातार विकसित हो रही विनियामक आवश्यकता और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, आपका बैंक नई विशेषताओं और मापदंडों को जोड़ने के लिए ईडब्ल्यूएस एप्लीकेशन की समय-समय पर समीक्षा करता है.

आस्ति निगरानी टूल '*सजग*' आपके बैंक के ऋण निगरानी कार्य का एक अभिन्न हिस्सा है क्योंकि यह ऋण संस्कृति को बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए विभिन्न ऋण प्रबंध मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है. टूल ऋण पोर्टफोलियो में शुरुआती कमजोरियों की पहचान करने और स्लिपेज को रोकने में भी मदद करता है. आपका बैंक तेजी से बदलते समष्टि आर्थिक परिवेश और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार टूल की कार्यक्षमताओं को अपग्रेड करता है.

खुदरा संग्रहण

एक अच्छा और लाभदायक आस्ति पोर्टफोलियो बनाए रखना बैंक के महत्वपूर्ण रणनीतिक उद्देश्यों में से एक है. मुख्य रूप से खुदरा केंद्रित ऋण बही के साथ, जिसमें कम ब्याज मार्जिन और तीव्र प्रतिस्पर्धा है, आस्ति गुणवत्ता में मामूली गिरावट भी लाभप्रदता को तेजी से कम कर सकती है. ऐसे वातावरण में, वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए बजटीय सीमा के भीतर चूक का सख्त नियंत्रण अनिवार्य है.

किसी भी वित्तीय संस्थान की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सुव्यवस्थित आस्ति पोर्टफोलियो मुख्य आधार है और आपका बैंक आस्ति गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. यह मानते हुए कि आस्ति प्रदर्शन में गिरावट का लाभप्रदता, परिचालन क्षमता और समग्र वित्तीय स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, बैंक ने अनर्जक आस्तयों (एनपीए), बट्टे खाते में डालने और प्रावधानों को न्यूनतम करने के लिए सक्रिय उपाय अपनाए हैं. इस प्रयास के केंद्र में एक मजबूत और कुशल संग्रह तंत्र है जो ऋण जोखिमों को कम करता है और समय पर वसूली सुनिश्चित करता है.

अपनी संग्रहण रणनीति को मजबूत करने के लिए, बैंक ने एक समर्पित खुदरा संग्रह विभाग की स्थापना की है, जिसे खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में चूक को रोकने और देय राशि की समय पर वसूली सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है. यह विभाग विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में खातों के परिवर्तित होने के जोखिम को न्यूनतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. मजबूत खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो बनाए रखने के लिए संग्रह प्रयासों को एसएमए और संभावित और चिह्नित पहली बार अनर्जक आस्तियों (एफटीएनपीए) पर केंद्रित किया गया है. शीघ्र और समय पर हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करके, बैंक वसूली दर को बढ़ाता है और अतिदेय ऋणों के वित्तीय बोझ को कम करता है.

संग्रहण गतिविधियों को अंचलों और क्षेत्रों में संग्रह अधिकारियों के एक संरचित नेटवर्क द्वारा संचालित किया जाता है, जिन्हें कॉल सेंटर, संग्रह एजेंसियों, कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी), कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) और शाखा-केंद्रित उत्पादों के लिए शाखाओं या खुदरा आस्ति केन्द्रों (आरएसी) का समर्थन प्राप्त होता है. यह एकीकृत दृष्टिकोण उच्च समाधान दर सुनिश्चित करता है और बैंक के खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो को मजबूत करता है.

अपने डिजिटल रूपांतरण एजेंडा के अनुरूप, बैंक ने एकीकृत संग्रह और वसूली मॉड्यूल (आईसीएनआरएम) एप्लिकेशन को लागू किया है. यह एप्लिकेशन आंतरिक या बाहरी एजेंसियों के माध्यम से संसाधनों के बेहतर उपयोग द्वारा दवाबग्रस्त खातों के प्रभावी प्रबंधन को सक्षम बनाता है. यह चूककर्ता उधारकर्ताओं से देय राशि के ऑनलाइन संग्रह और वसूली के लिए एक सुविधाजनक मंच प्रदान करता है, साथ ही संग्रह गतिविधियों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक निर्बाध प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उपलब्ध कराता है. संग्रह तंत्र को डिजिटलीकरण करके, आईसीएनआरएम खुदरा ऋण जोखिमों के प्रबंधन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है.

खुदरा वसूली

खुदरा एनपीए से वसूली में तेजी लाने और उन्नयन में सुधार के लिए, बैंक ने समय पर वसूली कार्रवाई करने के अपने प्रयासों को तेज किया. इनमें प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम के तहत नई या बार-बार नीलामी के माध्यम से प्रतिभूतियों का प्रवर्तन, साथ ही संभावित खरीदारों को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार के साथ माननीय न्यायालयों और अन्य कानूनी मंचों के माध्यम से बिक्री शामिल है. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपने कब्जे वाली संपत्तियों की दस मेगा नीलामी की और नए एनपीए के उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए कठोर अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखी.

अपनी समाधान रणनीति के एक भाग के रूप में, बैंक ने पुराने एनपीए के निपटान के लिए खुदरा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए (टीडब्ल्यूओ) खातों के लिए 5 लाख रुपये और इससे अधिक तथा ₹ 5 करोड़ तक के सकल मूलधल बकाया (जीपीओ) वालों के लिए एक गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण विशेष एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना अर्थात सुगम ऋण भुगतान योजना (सुगम) - II योजना शुरूकी. इसके अलावा, बैंक की एनपीए प्रबंधन नीति के अनुरूप कुछ मामलों को सामान्य ओटीएस या बातचीत द्वारा निपटान (एनएस) के माध्यम से हल किया गया.

अपनी वसूली प्रक्रिया को और तेज करने के लिए, बड़ी संख्या में छोटी राशि वाले मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालतों में भेजा गया, जो एक किफायती और तेजी से समाधान प्रदान करने का तंत्र है. छोटी राशि के अधिकतम ऋणों वाली शीर्ष 20 शाखाओं में वसूली शिविर आयोजित किए गए ताकि उधारकर्ताओं

को लोक अदालतों के माध्यम से अपने मामलों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

बैंक ने एनपीए उधारकर्ताओं के साथ जुड़ने के लिए एक सक्रिय पहुंच रणनीति भी अपनाई. बैंक के कॉल सेंटर के कर्मचारियों ने खाता अपग्रेड करने, बंद करने या लोक अदालतों के माध्यम से निपटान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उधारकर्ताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत की. इन प्रयासों के पूरक के रूप में, बैंक ने अपने वसूली प्रयासों में सुधार के लिए सभी संबंधित उधारकर्ताओं को महीने में दो बार क्षेत्रीय भाषाओं में थोक एसएमएस और व्हाट्सएप संदेश भेजकर डिजिटल संचार का लाभ उठाया.

आस्ति गुणवत्ता

पिछले दशकों में, बैंक के एनपीए प्रबंधन समूह (एनएमजी) ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान और वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आपके बैंक की रणनीतिक दृष्टिकोण का बैंक के टर्नअराउंड में महत्वपूर्ण योगदान रहा , विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान जब इसे मई 2017 में रिज़र्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे के तहत रखा गया था. पिछले 10 वर्षों के दौरान निरंतर प्रयासों के माध्यम से, आपके बैंक ने एनपीए और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये (टीडब्ल्यूओ) खातों से अधिकतम वसूली की, जिससे इसे चुनौतीपूर्ण समय से सफलतापूर्वक बाहर निकलने में मदद मिली. इसके परिणामस्वरूप , आपके बैंक के सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात में अपने सकल अग्रिमों के 21.25% से घटकर 2.32% तक उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया, जिसमें 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2026 के बीच लगातार गिरावट आई.

बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार की यात्रा कई नए विधानों और विनियामक दिशानिर्देशों के लागू होने के साथ साथ चली - जैसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016, जानबूझकर चूक घोषणा पर संशोधित दिशानिर्देश, अशोध्य ऋणों के हस्तांतरण और समनुदेशन के लिए राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) की स्थापना आदि. वसूली को बढ़ावा देने के लिए नए ढांचे का लाभ उठाते हुए बैंक ने इन परिवर्तनों को तेजी से अपनाया. साथ ही, बैंक ने एक बारीय निपटान, कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) और आईबीसी के तहत परिसमापन, जानबूझकर चूक घोषणा, निगरानी और आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने जैसे क्षेत्रों में सूचना के अपने प्रक्रिया प्रवाह और रिपोर्टिंग ढांचे को स्वचालित किया.

आपके बैंक ने लगातार, नए एनपीए को रोकने और क्षतिग्रस्त आस्तियों से वसूली को अधिकतम करने को प्राथमिकता दी है. मार्च 2026 के अंत में, आपके बैंक की कुल आस्तियों की 97.68% अर्जक आस्तियां थीं, जबकि 2.32% एनपीए थीं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक की नई गिरावट मानक अग्रिमों की 0.63% थी. वर्ष के दौरान, बैंक की क्षतिग्रस्त आस्तियों से वसूली और एनपीए को अर्जक आस्तियों में अपग्रेड करने की राशि ₹ 1,484 करोड़ थी. मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप पर्याप्त प्रावधान किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2026 को 99.39% का मजबूत प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) था.

आईबीसी, 2016 के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) मामलों को संभालने के लिए एक केंद्रीकृत डेस्क ने दक्षता को और बढ़ाया है. कार्यक्षेत्र से प्राप्त सीख को आंतरिक बनाकर और इन सीखों को टीमों में प्रसारित करके, बैंक ने जटिल सीआईआरपी मामलों को सफलतापूर्वक निपटाया. 31 मार्च 2026 को कुल 230 मामले आईबीसी, 2016 के दायरे में सीआईआरपी के तहत चल रहे थे जिनमें कुल सकल बकाया मूलधन (जीपीओ) ₹ 34,368 करोड़ (एनपीए/टीडब्ल्युओ आस्तियों सहित) था. आपका बैंक सीआईआरपी के तहत कई मामलों को हल करने में सक्षम रहा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आईबीसी के तहत इन मामलों से ₹ 458.20 करोड़ की राशि वसूल की. वर्ष के दौरान व्यक्तिगत दिवाला समाधान कार्यवाही (पीआईआरपी) और आईबीसी के तहत दिवालियापन कार्यवाही के माध्यम से कॉरपोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों से ₹ 14.61 करोड़ की अतिरिक्त वसूली भी की गई.

निपटान तंत्र को मजबूत करने के लिए, बैंक एक डिजिटल *'एकबारगी निपटान (ओटीएस) प्रबंधन प्रणाली'* संचालित करता है जो अपनी वेबसाइट के माध्यम से ओटीएस आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है और वसूली की निगरानी सहित ओटीएस प्रस्ताव की संपूर्ण प्रक्रिया को भी सक्षम बनाती है. आपके बैंक ने एनपीए और टीडब्ल्युओ खातों की सभी श्रेणियों में निपटान के माध्यम से बकाया राशि की वसूली पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा. सुगम ऋण भुगतान योजना-II और सामान्य ओटीएस के तहत, आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एकबारगी निपटान के माध्यम से ₹ 604.79 करोड़ की वसूली की.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने दबावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण के माध्यम से एनएआरसीएल सहित अनुमत संस्थाओं को नकद व सुरक्षा रसीदों के आधार पर ₹ 188.98 करोड़ के प्रतिफल के लिए ₹ 1,507.50 करोड़ के जीपीओ वाले आठ खातों (छह टीडब्ल्यूओ खाते और दो एनपीए खाते) को भी हस्तांतरित किये.

आपका बैंक लागू कानूनों के तहत सक्रिय रूप से कानूनी कार्रवाई करता है जिसमें प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई शामिल है. इस संबंध में, बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क (बीएएएनकेएनईटी) के साथ बैंक को प्रभारित संपत्तियों की नीलामी के लिए समझौता किया. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने 1,150 संपत्तियों की नीलामी की और बीएएएनकेएनईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ₹ 75.37 करोड़ की वसूली की. आपके बैंक ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एनपीए उधारकर्ताओं की उपस्थिति और छिपी आर्थिक समृद्धि को दर्शाने वाली उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अपने चैनल भागीदारों में से एक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे प्राप्त जानकारी और सुराग का लाभ उठाकर वसूली को अधिकतम किया जा सके. बैंक ने ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और अदालतों के साथ निरंतर आधार पर समन्वय जारी रखा और वसूली प्रमाणपत्र या डिक्री और निष्पादन प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए डीआरटी से संबंधित कार्य के लिए बैंक के एनएमजी, विधि और खुदरा वसूली विभागों के अधिकारियों की नोडल प्रति-कार्यात्मक टीम की पहचान की है.

31 मार्च 2026 को आपके बैंक ने 373 मामलों को जान-बूझकर चूककर्ता या धोखाधड़ी वाले मामलों के तौर पर वर्गीकृत किया है और ऐसे उधारकर्ताओं, प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, प्रतिभूतियों की बिक्री और लंबित राशियों के वितरण के माध्यम से, शासकीय परिसमापक (ओएल) के कार्यालय से भी ₹ 53.02 करोड़ की वसूली की है.

व्यापार वित्त

आपके बैंक के पास एक समर्पित व्यापार वित्त (टीएफ) विभाग है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दोनों ग्राहकों की सहायता के लिए उत्पादों और सेवाओं का एक व्यापक समूह प्रदान करता है. पेशकशों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों जैसे आवक और जावक प्रेषण, साख पत्र (एलसी), बैंक गारंटी (बीजी), स्टैंडबाय साख पत्र (एसबीएलसी) से लेकर घरेलू और सीमापार व्यापार उत्पादों वाले अधिक जटिल समाधान शामिल हैं जिनमें माल और सेवाओं के आयात और निर्यात, लदानपूर्व और पोत्त लदानोत्तर निर्यात वित्त, अल्पकालिक व्यापार ऋण (खरीदार को ऋण और आपूर्तिकर्ता को ऋण), मर्चेंट व्यापार, पूंजी खाता लेनदेन आदि शामिल हैं.

एक अधिकृत डीलर (एडी) श्रेणी-I बैंक के रूप में, आपका बैंक 38 समर्पित व्यापार वित्त केंद्रों (टीएफसी) और 31 कॉरपोरेट शाखाओं के माध्यम से संचालित होता है जो सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए अधिकृत हैं. ये उत्पाद और सेवाएं केंद्रीकृत व्यापार प्रसंस्करण केंद्रों (सीटीपीसी) के माध्यम से संसाधित की जाती हैं जो तीन प्रमुख मेट्रो केंद्रों, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में स्थित हैं, जो हब-एंड-स्पोक मॉडल पर काम करते हैं. यह संरचना बैंक के सभी नेटवर्क में मानकीकृत प्रसंस्करण, कुशल संचार और त्वरित टर्नअराउंड को सुनिश्चित करती है.

आपका बैंक अपने कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म में लगातार सुधार कर रहा है और ग्राहकों की भागीदारी बढ़ाने और निर्बाध और सुविधाजनक व्यापार संचालन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए डिजिटल व्यापार प्रसंस्करण की पेशकश कर रहा है. आपके बैंक ने लेनदेन निष्पादन को तेज, त्रुटि-मुक्त और निर्बाध बनाने के लिए विभिन्न आईटी पहलकार्य किये हैं. आईडीबीआई गोट्रेड+, एक इंटरनेट-आधारित कारोबार वित्त समाधान, ग्राहकों को 24x7 आधार पर लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करता है. बैंक ने स्विफ्ट जीपीआई क्षमताओं को भी अपनाया है, जिससे सीमा पार भुगतान की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकती है, जिससे ग्राहकों का अनुभव बेहतर होता है. आपके बैंक ने स्विफ्ट इंडिया के साथ भी साझेदारी की है और एन्क्रिप्शन के साथ उन्नत कतार प्रबंधन के लिए मैसेज क्यू होस्ट एडाप्टर (एमक्यूएचए) को लागू किया है जो घरेलू लेनदेनों के लिए संदेश प्रवाह की मौजूदा सुरक्षा को मजबूत करता है. सभी भुगतान संदेशों के लिए आईएसओ 20022 मानकों के अनुरूप एक्सएमएल आधारित संरचना में एसडब्ल्यूआईएफटी एमटी (संदेश प्रकार) से परिवर्तन ने पारदर्शिता, डेटा क्षमता, सीधे प्रसंस्करण की क्षमता को और बढ़ाया है. आपके बैंक के सभी स्विफ्ट संचालन सख्त सत्यापन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एक केंद्रीकृत स्विफ्ट सेल (सीएससी) के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं. इसके अलावा, आपके बैंक ने विनियामक और सांविधिक मानदंडों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवहार दिशानिर्देशों के अनुपालन में अन्य उपायों के साथ नीतियां, प्रक्रियाएं, मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), परिचालन मैनुअल, मजबूत निगरानी तंत्र भी निर्धारित किए हैं.

आपके बैंक ने अपने खुदरा इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत विदेशी बाहरी प्रेषण की ऑनलाइन शुरुआत की सुविधा प्रदान की है, जबकि एक सीमा तक विदेशी आवक प्रेषण को अपने ग्राहकों के खाते में शीघ्र जमा करने के लिए केंद्रीय रूप से संसाधित किया जाता है. अपनी सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए, आपके बैंक के पास एक ऑनलाइन बैंक गारंटी (बीजी) पुष्टिकरण मॉड्यूल है, जो इसके द्वारा जारी बीजी के लाभार्थियों को गारंटी जारी करने की ऑनलाइन पुष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है.

आपके बैंक ने चौबीसों घंटे धोखाधड़ी निगरानी के साथ उचित परिचालन और अनुपालन संबंधी अलर्ट प्रणाली लागू की हैं. आपके बैंक ने साइबर धोखाधड़ी जोखिमों को कम करने के अपने प्रयास में भुगतान नियंत्रण प्रणाली और लेनदेन स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं के रूप में प्रभावी प्रणाली नियंत्रण तंत्र स्थापित किया है और सीमा पार भुगतान में धन शोधन (एएमएल) निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) करने से संबध्द मुद्दों के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र का भी निर्माण किया है. अतिरिक्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई सिस्टम सत्यापन स्थापित किए हैं. आपका बैंक अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए धन-शोधन निवारण (एएमएल), अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) करने संबंधी दिशानिर्देशों, मजबूत व्यापार -आधारित धन-शोधन निवारण (टीबीएमएल), रेड-फ्लैगिंग प्रक्रियाओं और अमेरिकी/यूरोपीय संघ प्रतिबंधों की स्क्रीनिंग का पूरी निष्ठा से पालन करता है. आपका बैंक, सिद्धांत के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो (आईएमबी) के माध्यम से मर्चेंट व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की आवाजाही को सत्यापित करता है. बैंक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और हितधारकों की रक्षा के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों से कारोबार सूचना रिपोर्ट के माध्यम से विदेशी पार्टियों की साख, मुख्य गतिविधियों और कारोबार के पैमाने और भुगतान गति का भी सत्यापन करता है.

आपके बैंक की बिल वित्त नीति में भारतीय रुपये (आईएनआर) और विदेशी मुद्रा (एफसीवाई), दोनों में वास्तविक व्यापार बिलों की खरीद, छूट और बातचीत शामिल है. आपके बैंक ने उधारकर्ता विशिष्ट व्यक्तिगत कवर से, अधिमानतः ईसीजीसी लिमिटेड के तहत पात्र निर्यात ऋण खातों का कवरेज निर्धारित किया है.

अपनी वैश्विक पहुंच को मजबूत करते हुए, बैंक ने द्विपक्षीय संबंध प्रबंधन अनुप्रयोग (आरएमए) के माध्यम से दुनिया भर में लगभग 561 बैंकों के साथ एक मजबूत प्रतिनिधि बैंकिंग नेटवर्क बनाया है और इसके परिणामस्वरूप यह दुनिया भर में व्यापार और गैर-व्यापार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है. बैंक के पास 11 मुद्राओं में सीधे धन भेजने के लिए नोस्ट्रो व्यवस्था है और दुनिया भर में 135 मुद्राओं में धन प्रेषण की सुविधा प्रतिनिधि बैंक व्यवस्था के माध्यम से प्रदान करता है, जिससे दुनिया भर में निर्बाध व्यापार और गैर-व्यापार सेवाएं संभव हो पाती हैं.

सरकारी कारोबार

आपका बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करता है, जो अपनी शाखाओं और 24x7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए प्राप्ति और भुगतान लेनदेन करने के लिए अधिकृत है. केंद्रीय सरकार के करों, जिसमें सभी आयकर, सीमा शुल्क और माल एवं सेवा कर शामिल हैं, के संग्रह के अलावा, आपके बैंक को 14 राज्य सरकारों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से भी प्राप्तियां एकत्र करने का अधिदेश है.

महाराष्ट्र राज्य में, बैंक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर बैंक और ट्रेजरी प्राप्ति (ई-एसबीटीआर) और साधारण प्राप्ति के माध्यम से स्टाम्प शुल्क भी एकत्र करता है. आपका बैंक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत मुद्रण विभाग के लिए एक मान्यता प्राप्त बैंक है. आपका बैंक भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना (एसएसए) जैसी लघु बचत योजनाओं की पेशकश करने के लिए अधिकृत है. इसके अलावा, बैंक केंद्रीय नागरिक, रक्षा और रेलवे पेंशन के वितरण के लिए भी अधिकृत है. आपका बैंक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के लिए देय राशि का ऑनलाइन संग्रह करने में सक्षम है.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना के खाताधारकों के लिए पासबुक सुविधा शुरू की, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सुविधा होगी. बैंक ने महाराष्ट्र राज्य सरकार की डिजिटल पहल के तहत करों और भूमि राजस्व के संग्रह के लिए भी एकीकृत किया है, जिसे ई-चावड़ी योजना या आपली चावड़ी के नाम से जाना जाता है, जो विशेष रूप से 7/12 (सातबारा) दस्तावेज और उत्परिवर्तन रिकॉर्ड के लिए गांव-स्तर के भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक डिजीटल प्लेटफॉर्म है. यह प्रणाली नागरिकों को भूमि रिकॉर्ड तक पहुंचने और कृषि भूमि राजस्व (शेट-सारा) और संपत्ति करों का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है, जबकि ऋणदाताओं को ऋण प्रसंस्करण के लिए भूमि दस्तावेजों के आसान सत्यापन से लाभ होता है.

नकदी प्रबंध सेवाएं

आपका बैंक कॉरपोरेट, संस्थानों और सरकारी संस्थाओं को व्यापक, प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान प्रदान करके नकदी प्रबंध सेवाएं (सीएमएस) क्षेत्र में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है. इसका ध्यान अपने ग्राहकों को प्रभावी ढंग से संग्रह का प्रबंधन करने, थोक भुगतान को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षित, स्केलेबल और डिजिटल रूप से एकीकृत प्लेटफार्मों के माध्यम से चलनिधि को इष्टतम करने के लिए सशक्त बनाना है.

वर्ष के दौरान, बैंक ने उन्नत प्रौद्योगिकीय सुविधाओं के साथ सीएमएस प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करके सीएमएस क्षमताओं को और बढ़ाया. उन्नत प्रणाली ने बेहतर लेनदेन प्रसंस्करण क्षमता, मजबूत सुरक्षा संरचना, बेहतर समाधान सुविधाएँ और बेहतर रिपोर्टिंग उपकरण प्रदान करती है. इन सुधारों का उद्देश्य ग्राहकों को कुशल और निर्बाध नकदी प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना था, साथ ही परिचालन विश्वसनीयता और स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करना था.

कॉरपोरेट की बदलती मांगों और बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप, बैंक ने विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए अनुपालक और प्रौद्योगिकी-सक्षम परियोजना खाता प्रबंधन समाधान प्रदान करते हुए डिजिटल रेरा और एस्क्रो समाधानों जैसे अभिनव समाधान पेश किए. बैंक ने सुविधा ई-एफडी के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) के साथ भी एकीकृत किया, जिससे डिजिटल चैनलों के माध्यम से बाज़ार प्रतिभागियों द्वारा मार्जिन मनी आवश्यकताओं का कुशल नियोजन संभव हो सका.

इन पहलकार्यों के माध्यम से, बैंक ने अपने उत्पाद समूह का विस्तार कर और ग्राहकों की भागीदारी को गहरा कर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए अपने सीएमएस फ्रेंचाइजी को मजबूत किया है. यह रणनीतिक दृष्टिकोण बैंक की ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने वाले कुशल, नवीन और भविष्य के लिए तैयार नकदी प्रबंधन समाधान प्रदान करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक ने अपने ट्रेजरी परिचालन को विविध बाज़ार खंडों जैसे मुद्रा बाज़ार, निश्चित आय, विदेशी मुद्रा, डेरिवेटिव और इक्विटी में एकीकृत किया है. आपके बैंक के ट्रेजरी कार्यों में तुलन-पत्र प्रबंधन, चलनिधि प्रबंधन, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना, बाज़ार लिखतों में निवेश और ट्रेडिंग , विदेशी मुद्रा लेनदेन और डेरिवेटिव में सक्रिय भूमिका शामिल है.

आपके बैंक की ट्रेजरी सीआरआर, एसएलआर और अन्य निर्धारित चलनिधि अनुपात जैसे विनियामक आवश्यकता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी है. वर्ष के दौरान, बैंक ने सीआरआर, एसएलआर, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो (एनएसएफआर) को बनाए रखने में निर्धारित विनियामक आवश्यकता का पूरी तरह से अनुपालन किया, जो चलनिधि प्रबंधन के प्रति अपने अनुशासित दृष्टिकोण को रेखांकित करता है.

लगातार आधार पर सक्रिय रूप से चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए, बैंक के ट्रेजरी ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएसएफ) और रिज़र्व बैंक की स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) जैसे विभिन्न साधनों के साथ-साथ अन्य बाज़ार लिखतों या प्लेटफॉर्म जैसे ट्राइपार्टी रेपो (टीआरईपीएस), क्लियरकॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) और मांग एवं सूचना पर देय राशि का उपयोग करता है. अधिशेष चलनिधि को विभिन्न अल्पकालिक लिखतों जैसे जमा प्रमाणपत्र, चलनिधि मुद्रा बाज़ार म्यूचुअल निधि तथा मांग, सूचना, सावधि मुद्रा बाज़ारों में ऋण, विदेशी मुद्रा जमा प्लेसमेंट, एसडीएफ आदि में विवेकपूर्ण तरीके से निवेश किया जाता है. आपका बैंक अल्पकालिक से मध्यम अवधि की चलनिधि आवश्यकताओं के अनुरूप सीडी निर्गम और पुनर्वित्त व्यवस्था के माध्यम से भी धन जुटाता है.

आपके बैंक की ट्रेजरी अपने निवेश और ट्रेडिंग प्रयोजनों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक), राज्य विकास ऋण (एसडीएल) और ट्रेजरी बिल (टी-बिल) की नीलामी में एक सक्रिय भागीदार बनी हुई है. आपका बैंक खुले बाज़ार के परिचालनों (ओएमओ), स्विच, वापसी खरीद और यूएसडी/आईएनआर स्वैप के माध्यम से रिज़र्व बैंक के उपायों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है.

एक प्राथमिक डीलर (पीडी) के रूप में, आपका बैंक प्राथमिक नीलामी में भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों (जी-सेक) की हामीदारी, बोली प्रतिबद्धता को पूरा करने, जी-सेक के लिए टर्नओवर अनुपात बनाए रखने और टी-बिल नीलामी के लिए सफलता अनुपात का पालन करने सहित सभी विनियामक दायित्वों को पूरा करता है. इसके अलावा, बैंक गिल्ट खाता धारकों (जीएएच) को ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) सेवा प्रदान करता है. इसके अलावा, आपका बैंक *'रिज़र्व बैंक रिटेल डायरेक्ट'* सुविधा के तहत खुदरा निवेशकों के लिए द्वितीयक बाज़ार में चलनिधि प्रदान करने के लिए तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ओदश मिलान (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म (ऑड-लॉट और कोट के लिए अनुरोध खंड) पर खुदरा निवेशकों को खरीद और बिक्री के भाव प्रदान करके बाज़ार निर्माण भी करता है. आईडीबीआई समृद्धि प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुदरा निवेशकों को और सशक्त बनाया गया है, जो जी-सेक में निर्बाध ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए एक वेब आधारित पोर्टल है.

विदेशी विनियम के मोर्चे पर, आपके बैंक का ट्रेजरी सक्रिय विदेशी मुद्रा अंतर-बैंक और डेरिवेटिव डेस्क संचालित करता है, जो ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी विदेशी मुद्रा दरें प्रदान करता है. स्वचालित ट्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से घरेलू बैंकों के साथ क्रॉस करेंसी में टू-वे मार्केट मेकिंग/ट्रेडिंग की शुरुआत ने विदेशी मुद्रा कारोबार में आपके बैंक की मात्रा, लाभप्रदता और बाज़ार उपस्थिति को बढ़ाने में सहायता की है. बैंक का डेरिवेटिव डेस्क अनुकूलित ब्याज दरें और विनिमय दर बचाव समाधान प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों को अपने एक्सपोजर को प्रभावी ढंग से प्रबंध करने में मदद मिलती है.

प्रमुख केंद्रों पर रणनीतिक रूप से स्थित ट्रेजरी बिक्री टीम, सभी आकार के कॉरपोरेट के साथ-साथ खुदरा ग्राहकों की सेवा के लिए संबंध प्रबंधकों के साथ मिलकर काम करती है. ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर, टीम मुद्राओं, दरों में उनके एक्सपोजर का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए समाधान प्रदान करती है और साथ ही उन्हें जी-सेक और गैर-एसएलआर बांड जैसे ऋण लिखतों में निवेश समाधान के लिए सलाह देती है. बैंक ने दर कवरिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और विदेशी मुद्रा लेनदेनों को संभालने की दक्षता में सुधार करने के लिए अपने प्रधान कार्यालय में एक केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा डेस्क की स्थापना की है.

सीमा पार शाखा

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में आपके बैंक की अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) ने 6 मई 2016 को अपना परिचालन शुरू किया. कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के तहत काम करने वाली और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के प्रावधानों और दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित, आईबीयू ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग गतिविधियों में सहायता करने में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार किया है. पेशकश के एक व्यापक समूह के अलावा, आईबीयू पात्र खुदरा और कॉरपोरेट ग्राहकों की स्टैंडबाय साख पत्र (एसबीएलसी), विदेशी मुद्रा ऋण और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) जैसे वित्तपोषण समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है. आपके बैंक की गिफ्ट सिटी शाखा बचत खाता, चालू खाता और आईबीयू सावधि जमा और व्यापार ऋण (खरीदार को ऋण और प्रतिपूर्ति प्राधिकरण (आरए) वित्तपोषण) जैसी जमा सेवाएं भी प्रदान करती है.

ऋण रेटिंग

आपका बैंक अपने घरेलू और विदेशी मुद्रा उधार, दोनों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान रेटिंग कार्रवाई, साथ ही 31 मार्च 2026 को रुपये संसाधनों के लिए वर्तमान रेटिंग निम्नानुसार है:

रुपया उधार के लिए रेटिंग				
रेटिंग प्राप्त लिखत	**क्रिसिल**	**इक्रा**	**इंडिया रेटिंग**	**केयर**
रेटिंग संबंधी कार्रवाई	**अगस्त 2025**	**अगस्त 2025**	**सितंबर 2025**	**सितंबर 2025**
सावधि जमाराशियाँ	क्रिसिल एए+/स्टेबल	[इक्रा] एए/ स्टेबल	इंड एए/ स्टेबल	-
अल्पावधि उधार राशियां (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	[इक्रा] ए1+	इंड ए1+	केयर ए1+
दीर्घावधि रुपया बांड	क्रिसिल एए/स्टेबल	[इक्रा] एए/ स्टेबल	इंड एए / स्टेबल	-
टियर II बांड (बासेल III)	क्रिसिल एए / स्टेबल	[इक्रा]एए/ स्टेबल	इंड एए/ स्टेबल	वापस ली गई

टिप्पणी : विदेशी रेटिंग एजेंसियों यथा एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स (एसएंडपी) और फिच रेटिंग्स (फिच) द्वारा रेटिंग प्राप्त मध्यम अवधि के नोट (एमटीएन) बांडों की 30 नवंबर 2020 को पूरी तरह चुकौती कर दी गई थी. इसलिए, बैंक ने एमटीएन बॉन्ड कार्यक्रम के तहत विभिन्न निर्गमों के लिए 21 मई 2021 को उनके साथ रेटिंग अनुबंध या करारों को समाप्त कर दिया था. तदनुसार, विदेशी मुद्रा उधार के लिए रेटिंग वापस ले ली गई है.

जोखिम प्रबंधन

आपकी बैंक की जोखिम प्रबंधन रणनीति तीन मूलभूत स्तंभों पर आधारित है - पहचान, मापन और निगरानी. जहां पहचान से बैंक को संबंधित जोखिमों का गहन विश्लेषण एवं आकलन करने में मदद करती है, वहीं मापन बैंक को प्रभावी ढंग से जोखिमों का प्रबंधन करने में सशक्त बनाता है. ये प्रक्रियाएं एक साथ मिलकर निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करती हैं और संचालन में विश्वास पैदा करती हैं. उचित सीमाओं और प्रक्रियाओं की रूपरेखा वाला सुव्यवस्थित नीतिगत ढांचा बैंक को अपनी समग्र जोखिम सहनशीलता के भीतर जोखिमों को कम करने और प्रबंध करने में सक्षम बनाता है. व्यापार की गतिशीलता, बैंकिंग नवाचारों, उभरते जोखिम परिदृश्यों और विनियामक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए नीतियों को आवधिक आधार पर अद्यतन किया जाता है, जिससे ढांचे को लचीला और प्रतिक्रियाशील रखा जाता है. आपका बैंक अपने सभी वर्टिकलों में जोखिम जागरूकता को समाहित करके और इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाकर एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देना जारी रखता है. जहां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, वहीं दिन-प्रतिदिन की गतिविधियां जोखिम अभिशासन संरचना के आधार पर विभिन्न स्तरों

पर आयोजित की जाती हैं. विनियामक आवश्यकताओं और विकसित हो रही सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लगातार उन्नत किया जाता है.

अधिक मजबूत और प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए, आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन संरचना (आईआरएमए) को लागू किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान अर्थात ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (आईकॉन), पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएएम) और व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकनकर्ता (कोर) शामिल हैं. आईआरएमए ऋण और परिचालन जोखिमों की पहचान करने और मापने में मदद करता है, जिससे उपयुक्त जोखिम प्रबंधन रणनीतियां तैयार करना आसान हो जाता है. इसके अलावा, बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम), निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एफटीपी), लाभप्रदता प्रबंधन और चलनिधि जोखिम प्रबंधन में सहायता के लिए एक व्यापक वित्तीय विश्लेषणात्मक एप्लिकेशन स्थापित किया है. ये सभी प्रणालियां जोखिमों और वित्तीय प्रदर्शन का एक समग्र दृश्य प्रदान करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक लचीला बना रहे, अनुपालक और विकसित हो रहे जोखिम परिदृश्य से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है.

जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं

बैंक अपनी जोखिम समीक्षा प्रक्रिया को नीतियों और स्थापित प्रथाओं के एक व्यापक सेट के माध्यम से दस्तावेजीकृत करता है, जो सभी परिचालनों और पोर्टफोलियो में जोखिमों का मूल्यांकन और प्रबंधन करने में पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतरता सुनिश्चित करता है. एक सुव्यवस्थित नीतिगत ढांचा कई स्तरों पर जोखिम प्रबंध प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है. विनियामक आवश्यकता के अनुरूप, बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित परिचालन जोखिम पूंजी आवश्यकताओं के आकलन के लिए एक मजबूत ढांचा शुरू किया है. इसमें विभिन्न कारोबारी खंडों में प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) और जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) ढांचे का एक व्यापक कार्यान्वयन शामिल है, जिससे जोखिम संस्कृति को मजबूत किया जा सके और प्रभावी नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जा सके. बाज़ार जोखिम के लिए, आपका बैंक निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कर, जोखिम मूल्यांकन के लिए एक विवेकपूर्ण और संरचित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए, विनियामक पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने के लिए मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) अपनाता है.

बासेल मानदंडों का कार्यान्वयन

बासेल-III ढांचे के तहत रिज़र्व बैंक के पिलर 1 दिशानिर्देशों के अनुपालन में, आपका बैंक मासिक आधार पर ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता की गणना करता है. भारत में बैंकों को 2.50% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखने का भी आदेश दिया गया है. आपका बैंक मासिक आधार पर जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के घटबढ़ पर भी गहनता से नजर रखता है. 31 मार्च 2026 को आपके बैंक का कुल पूंजी + सीसीबी अनुपात 26.65% था जबकि विनियामक आवश्यकता 11.50% थी. इसी तरह, आपके बैंक का सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) + सीसीबी अनुपात 25.56% था, जबकि विनियामक आवश्यकता 8.00% थी. 31 मार्च, 2026 को आपके बैंक का टियर 1 + सीसीबी अनुपात 25.56% था, जबकि विनियामक आवश्यकता 9.50% थी. 31 मार्च 2026 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 10.51% था जो 3.50% की न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से काफी अधिक था.

आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर 2 मानदंडों के अनुरूप आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के बारे में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है. यह नीति आपके बैंक को पिलर 1 के तहत पर्याप्त रूप से शामिल न की गई जोखिमों का आंतरिक मूल्यांकन और मात्रा निर्धारित करने में सक्षम बनाती है, वहीं सामान्य और दवाबग्रस्त परिस्थितियों में जोखिमों के प्रबंधन और कम करने के लिए उचित रणनीतियां तैयार करने में सहायक है. आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यापक दवाब परीक्षण ढांचा भी स्थापित किया है. आईसीएएपी के पूरक के रूप में, बैंक ने रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यापक दवाब परीक्षण ढांचा स्थापित किया है. यह ढांचा असाधारण लेकिन संभावित घटनाओं या परिदृश्यों के तहत प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए उचित सक्रिय रणनीतियां तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है. दबाव परीक्षण ढांचे में परिदृश्य विश्लेषण, बहुकारक संवेदनशीलता विश्लेषण और रिवर्स दबाव परीक्षण भी शामिल है. परिदृश्य विश्लेषण सकल एनपीए में और वृद्धि, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये(टीडब्ल्यूओ) खातों में गैर-निधि सुविधाओं के क्रिस्टलीकरण और बैंक की पूंजी एवं लाभप्रदता पर गैर-चलनिधि प्रतिभूतियों के प्रभाव की जांच करता है. दबाव के स्तर का पता लगाने के लिए बैंक रिवर्स दबाव परीक्षण के तंत्र का उपयोग करता है जो इसे पूर्व निर्धारित न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए इसकी पूंजी और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है.

आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के तहत पिलर 3 आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रकटीकरण नीति अपनाई है, जिसके तहत त्रैमासिक प्रकटीकरण अपनी वेबसाइट पर होस्ट किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बल मिलता है. आपके बैंक ने अपनी प्रतिष्ठा और संबंधित परिणामों के लिए जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए एक प्रतिष्ठा जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन नीति भी बनाई है, साथ ही उन्हें रोकने के उपाय भी किए हैं. आपके बैंक ने समूह स्तर पर समग्र जोखिम प्रोफाइल की निगरानी और उसे कम करने के लिए समूह जोखिम मूल्यांकन नीति भी लागू की है.

पूंजी प्रभार की गणना के लिए, आपका बैंक ऋण जोखिम के तहत मानकीकृत दृष्टिकोण का पालन करता है. आपका बैंक परिचालन जोखिम के लिए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का पालन करता है. आपका बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित परिचालन जोखिम पूंजी आवश्यकता के आकलन के लिए नए मानकीकृत दृष्टिकोण को लागू करने के लिए भी तैयार है, जो बदलते नियामक ढांचे के अनुरूप ढालने की इसकी तैयारी को दर्शाता है.

ऋण जोखिम

बैंक ने जोखिम मूल्यांकन को मजबूत करने और विवेकपूर्ण ऋण प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की

है. इस ढांचे के केंद्र में ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल (आईकॉन) जैसे उन्नत उपकरण हैं, जो प्रस्तावों की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग की सुविधा प्रदान करते हैं और पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएएम), पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन को स्वचालित करता है. बैंक की ऋण नीति की समय-समय पर बदलते कारोबारी उद्देश्यों और आर्थिक वातावरण के अनुरूप समीक्षा की जाती है और यह कारोबारी वर्टिकलों के लिए मार्गदर्शक उपकरण का काम करती है. बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), *अन्य बातों के साथ-साथ*, ऋण नीति की रणनीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी करती है. आपका बैंक उधारकर्ताओं के ऋण जोखिम मूल्यांकन के लिए आईकॉन (इंटेलिजेंट क्रेडिट ओरिजिनेशन सिस्टम) एप्लिकेशन का उपयोग करता है. अत्याधुनिक तकनीक पर निर्मित आईकॉन एप्लिकेशन लचीलापन और दक्षता प्रदान करता है, जिससे सुचारू आंतरिक रेटिंग प्रक्रिया और सूचित ऋण निर्णय लेने में सहायता मिलती है.

इसके अलावा, आपके बैंक ने बैंक के मॉडल जोखिम के प्रबंधन के लिए अपने मॉडल जोखिम प्रबंधन ढांचे (एमआरएमएफ) को नया रूप दिया है. भारतीय विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित और वैश्विक विनियामक प्रथाओं के साथ बेंचमार्क किया गया एमआरएमएफ, मॉडल प्रबंधन के पूरे जीवनचक्र को कवर करने वाली एक व्यापक संरचना प्रदान करता है. यह सुनिश्चित करता है कि मॉडल जोखिमों की व्यवस्थित रूप से पहचान, आकलन कर उन्हें कम किया जाता हैं, जिससे मजबूत जोखिम प्रबंधन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को बल मिलता है.

अपेक्षित ऋण हानि ढांचा

बैंक, उद्योग में एक अग्रणी संस्था से प्राप्त अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) गणना के लिए सबसे उन्नत अनुप्रयोगों में से एक को लागू करने के अंतिम चरण में है. यह समाधान बैंक को 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार ईसीएल की गणना करने में सक्षम करेगा. कार्यान्वयन का उद्देश्य डेटा प्रसंस्करण क्षमताओं को मजबूत करना, जटिल गणनाओं को स्वचालित करना और मैनुअल, स्प्रेडशीट-आधारित पद्धतियों पर निर्भरता को कम करना है. इस प्रकार बैंक आगामी ईसीएल दिशानिर्देशों के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो मजबूत जोखिम प्रबंधन मानकों के लिए इसकी तैयारी और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

बाज़ार जोखिम

आपके बैंक में बाज़ार जोखिम प्रबंधन सुव्यवस्थित नीतियों पर आधारित है, जिसमें बाज़ार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति और निवेश नीति शामिल हैं, जो समग्र जोखिम सहनशीलता और अभिशासन ढाचे को निर्धारित करती है. ये नीतियां बाज़ार जोखिमों की पहचान, मापन, निगरानी और रिपोर्टिंग पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जो समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्थापित उद्भवन तंत्र द्वारा समर्थित हैं.

इस ढांचे की प्रभावशीलता एकीकृत ट्रेजरी प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) के कार्यान्वयन से और बढ़ जाती है, जो ट्रेजरी की सभी गतिविधियों में जोखिमों की करीबी से निगरानी और वास्तविक समय पर निगरानी को सक्षम बनाता है. जोखिम सीमाओं और परिचालन प्रक्रियाओं की ट्रेजरी मिड ऑफिस द्वारा स्वतंत्र रूप से निगरानी की जाती है, जो सौदा और निपटान कार्यों, दोनों से अलग काम करता है, जिससे मजबूत आंतरिक नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है.

ट्रेडिंग गतिविधियाँ स्वीकृत सीमाओं के भीतर संचालित की जाती हैं तथा पोर्टफोलियो और व्यक्तिगत डीलर स्तर पर नियमित रूप से उनकी निगरानी की जाती है. गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात (एनएसएलआर) बॉन्ड में निवेश का मूल्यांकन एक आंतरिक रूप से विकसित रेटिंग-आधारित ढाँचे के माध्यम से किया जाता है, जिससे एक सुविविधीकृत एवं विवेकपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो के निर्माण को सुनिश्चित किया जाता है.

बैंक बाज़ार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न संकेतकों का उपयोग करता है, जिनमें एक्सपोज़र सीमाएँ, ब्याज दर संवेदनशीलता उपाय तथा अंतर्दिवसीय एवं एक दिवसीय स्थिति नियंत्रण शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, प्रतिकूल बाज़ार परिस्थितियों के संभावित प्रभाव का आकलन करने तथा चुनौतीपूर्ण बाज़ार परिस्थितियों में बैंक की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए वैल्यू एट रिस्क (वीएआर) तथा आवधिक दबाव परीक्षण जैसी उन्नत जोखिम मापन तकनीकों का उपयोग किया जाता है.

चलनिधि प्रबंधन

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम)नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंध ढाँचा है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंध समिति (एलको) कारोबार रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की निगरानी और प्रबंध करती है. बैंक सक्रिय निगरानी और विवेकपूर्ण तुलनपत्र प्रबंधन रणनीतियों के माध्यम से निरंतर कुशल और प्रभावी चलनिधि प्रबंधन सुनिश्चित करता है. चलनिधि विश्लेषण और प्रबंध सहित आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) कार्यकलाप कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे वित्त एवं लेखा, ट्रेजरी फ्रंट कार्यालय और बजट एवं आयोजना में आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) के सहयोग समूहों के बीच समन्वय से संपन्न किए जाते हैं. आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) के निर्देश तथा आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति को संबंधित कारोबारी समूहों और वर्टिकलों द्वारा पूरी निष्ठा से कार्यान्वित किया जाता है जिससे चलनिधि प्रबंधन प्रथाओं में एकरूपता एवं अनुशासन सुनिश्चित होता है.

विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) की गणना और निगरानी सतत आधार पर करता है. 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही में बैंक का औसत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) 122.25% रहा और 31 मार्च 2026 को निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) 118.58%.था.

परिचालनगत जोखिम

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) है, इसकी एक संगठनात्मक व्यवस्था है जिसमें निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), जोखिम प्रबंधन विभाग में परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) अनुभाग तथा विभिन्न कार्यों और विभागों के नोडल

अधिकारी शामिल हैं. परिचालनगत जोखिम की परिचालन प्रक्रिया बोर्ड अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित है जिसका लक्ष्य बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े परिचालनगत जोखिमों की पहचान, निगरानी, आकलन तथा प्रबंधन करना है. आपके बैंक में विभिन्न कारोबारी कार्यकलापों और परिचालनों में अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए सशक्त आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं हैं. मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) तथा जोखिम नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) अभ्यासों के ज़रिए परिचालनगत जोखिमों का प्रबंध किया जाता है और इस संबंध में हुई प्रगति से परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) को आवधिक रूप से अवगत कराता है. पूरे बैंक से परिचालनगत जोखिम हानि की घटनाओं को समेकित किया जाता है और मूल कारणों के विश्लेषण के साथ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुधारात्मक उपाय प्रक्रियाओं में अंतर्निहित हैं.

लचीलेपन को और सुदृढ़ करने के लिए, आपका बैंक अर्जन और पूंजी पर दबावग्रस्त परिचालनगत जोखिम संबंधी हानियों के प्रभाव के अध्ययन के लिए तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण करता है. इन उपायों के साथ परिचालनगत जोखिम के लिए बोर्ड अनुमोदित जोखिम वहन सीमा में किसी उल्लंघन का मापन और रिपोर्टिंग भी की जाती है. वर्तमान में, बैंक ने परिचालनगत जोखिम विनियामकीय पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है. साथ ही, बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित बासेल III के मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत परिचालन जोखिम हेतु विनियामक पूंजी गणना प्रणाली को अपनाने के लिए पूर्णतः तैयार है, जो वर्तमान में लागू बीआईए का स्थान लेगी.

आपके बैंक के पास अन्य पक्ष आउटसोर्सिंग जोखिम के प्रबंधन हेतु एक व्यापक अभिशासन ढांचा भी विद्यमान है. बैंक ने अन्य पक्ष जोखिम प्रबंधन हेतु बोर्ड अनुमोदित नीति स्थापित की है तथा अन्य पक्ष विक्रेताओं से जुड़े जोखिमों की पहचान, आकलन, मापन एवं निगरानी के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया है, ताकि आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएँ सुरक्षित, पारदर्शी तथा विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप बनी रहें.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन

आपके बैंक के पास कारोबारी व्यवधानों को कम करने तथा जीवन-घातक घटनाओं का मुकाबला करने के लिए सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम)प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया की मजबूती बैंक को कारोबार निरंतरता प्रबंधन के बैंक व्यापी कवरेज के लिए आईएसओ 22301:2019 प्रमाणन प्राप्त होने से स्पष्ट होती है. मूल रूप से, बैंक ने कोर तथा सहायक, दोनों कार्यों के लिए एक सुव्यवस्थित कारोबार निरंतरता योजना बनाई है, जिससे किसी भी अप्रत्याशित व्यवधान अथवा आपदा की स्थिति में भी ग्राहकों को निर्बाध सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें. इसके पूरक रूप में, अपने प्रमुख प्रतिष्ठानों के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) लागू की है, जिसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा महत्वपूर्ण आस्तियों को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना है. कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) एवं आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) की मजबूती का आवधिक रूप से परीक्षण बीसीपी परीक्षण अभ्यासों, आपदा रिकवरी कार्यकलापों, जिसमें समग्र ड्रिल तथा मॉक एवाक्युएशन ड्रिल्स शामिल है, के माध्यम से किया जाता है, ताकि हमेशा तैयारी सुनिश्चित की जा सके. बैंक की बीसीएम प्रणाली को एकीकृत आपदा एवं व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (आई-डैब) के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ किया गया है. यह एक स्वचालित घटना रिपोर्टिंग उपकरण है, जो महत्वपूर्ण सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने मोबाइल-आधारित एप्लिकेशन अर्थात् आयन बीसीपी भी विकसित किया है, जो बाधित शाखाओं को कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) को त्वरित रूप से सक्रिय करने और सहज रूप से निष्पादित करने में सक्षम बनाता है.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

आपके बैंक ने साइबर खतरों से बचाव करने तथा विनियामकीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. आपके बैंक ने बैंक की सुरक्षा प्रणालियों की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नवी मुंबई स्थित अपने डेटा केंद्र(डीसी) और चेन्नई स्थित आपदा रिकवरी (डीआर) साइट पर एक अत्याधुनिक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है. यह 24X7 कार्यरत रहने वाला एसओसी, बैंक के ग्राहकों को सुरक्षित एवं संरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बैंक के उद्देश्य को पूरा करने के साथ-साथ साइबर खतरों से निपटने के लिए और बैंक की सूचना सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय कमांड केंद्र के रूप में कार्य करता है. इसके अलावा, एसओसी के माध्यम से आपका बैंक केंद्रीकृत रूप से सुरक्षा बुनियादी संरचना जैसे फायरवाल्स, राऊटर्स, इंट्रूज़न डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) डिवाइस/ इंट्रूज़न प्रिवेंशन सिस्टम (आईपीएस)डिवाइस, विशेषाधिकारकृत पहचान प्रबंध (पीआईएम), एंटीवायरस, फिशिंग/ मालवेयर प्रयासों का पता लगाने आदि की निगरानी करता है और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करता है.

आपका बैंक सुरक्षा कमजोरियों की सक्रिय रूप से पहचान और निवारण करने के लिए इंटरनेट से जुड़े सभी एप्लीकेशनों अर्थात् फिनेकल ई-बैंकिंग एप्लीकेशन (एफ़ईबीए), मोबाइल बैंकिंग, मेल मैसेजिंग आदि की नियमित रूप से भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) करता है. आपके बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों के संबंध में रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामक सिफ़ारिशों तथा बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के साइबर सुरक्षा ढांचे को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है. आपके बैंक ने दिशानिर्देशों में अनुशंसित रूप में उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है जिसमें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), जो बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करते हैं, के नेतृत्व में एक अनन्य सूचना सुरक्षा समूह का गठन शामिल है. इन संरचनाओं के पूरक के रूप में सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी), साइबर सुरक्षा नीति (सीएसपी) और साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) जैसी विशिष्ट नीतियां हैं, जो साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का समाधान करने के लिए प्रबंधन के इरादे तथा दिशा को स्पष्ट करती हैं.

आपका बैंक नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उल्लंघनों से निपटने के तैयारी अभ्यास, टेबल टॉप अभ्यास और फिशिंग सिमुलेशन अभ्यास आयोजित करता है और उनमें भाग लेता ताकि अपनी सूचना सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की जांच और उसे बनाए रखा जाये. बैंक में नए भर्ती कर्मचारियों के लिए परिचय कार्यक्रम में सूचना सुरक्षा जागरूकता को एक अनिवार्य सत्र के रूप में शामिल किया गया है जबकि वरिष्ठ प्रबंधन ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) में आयोजित आईटी जोखिम प्रबंध कार्यक्रम में सहभागिता की. जागरूकता पहलकार्य को ग्राहकों तक भी पहुंचाया गया है जिसमें सुरक्षा उल्लंघन के प्रयासों को कम करने और विफल करने के लिए मेल, एसएमएस, एटीएम और पोस्टरों के जरिए सुरक्षा सावधानियों के बारे में सूचित किया जाता है.

बैंक की आईटी की बुनियादी संरचना और प्रणालियों को पेरिमीटर और एंड-पॉइंट सुरक्षा समाधान शामिल कर एक सशक्त सूचना सुरक्षा फ्रेमवर्क के द्वारा सुरक्षित किया गया है. आपके बैंक का डेटा सेंटर (डीसी), आपदा रिकवरी केंद्र (डीआर) तथा नजदीकी डीआर केंद्र (एनडीआर) नवीनतम आईएसओ/आईईसी 27001:2022 सूचना सुरक्षा मानकों के अंतर्गत प्रमाणित हैं. बैंक का नजदीकी डीआर महत्वपूर्ण लेनदेन प्रणालियों के लिए शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करता है. बैंक की सूचना सुरक्षा संचालन समिति (आईएसएससी) सूचना प्रणालियों में आईटी जोखिम को कम करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करती है तथा भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) और ऐप्लकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग (एपसेक) प्रक्रिया के माध्यम से पहचानी गई टिप्पणियों की स्थिति पर दिशानिर्देश जारी करती है. साइबर सुरक्षा की स्थिति, विभिन्न सुरक्षा घटनाएं और नीतियां आवश्यक निर्देशों के लिए बोर्ड की आईटी रणनीति समिति (आईटीएससीबी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं. आईटीएससीबी द्वारा समीक्षा की गई नीतियों को अनुमोदन के लिए बोर्ड को अनुशंसित किया जाता है.

अपनी भुगतान प्रणालियों की महता को पहचानते हुए बैंक की भुगतान बुनियादी संरचना को आईटी अधिनियम की धारा 70 ए के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी संरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) द्वारा महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी संरचना (सीआईआई) निर्दिष्ट किया गया है. एमईआईटीवाई से प्राप्त निर्देशों के आधार पर बैंक ने संरक्षित प्रणालियों के लिए समर्पित सूचना सुरक्षा संचालन समिति (आईएसएससी-पीएस) गठित की है जो बैंक की निर्दिष्ट संरक्षित प्रणालियों की केन्द्रित निगरानी करती है जिससे निरंतर निगरानी, बेहतर अभिशासन और उसकी साइबर सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके. आईएसएससी-पीएस विशेषकर इन महत्वपूर्ण प्रणालियों से संबंधित जोखिमों, नियंत्रणों और सुदृढ़ करने के उपायों की समीक्षा करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बैंक का सुरक्षा ढांचा मजबूत, अनुपालक और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बना रहे.

कम संभावना किन्तु उच्च प्रभाव वाले साइबर जोखिमों का समाधान करने हेतु, आपके बैंक ने एक व्यापक साइबर जोखिम बीमा पॉलिसी ली है, जो साइबर हमलों से उत्पन्न संभावित वित्तीय हानियों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है, जिसमें वे अवशिष्ट जोखिम भी शामिल हैं जो सुदृढ़ सुरक्षा नियंत्रणों के बावजूद बनी रह सकती हैं. बैंक ने ग्राहक डेटा की सुरक्षा करने, बाह्य आक्रमणों को रोकने तथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने के लिए उन्नत सुरक्षा समाधान जैसे विशेषाधिकार प्राप्त पहचान एक्सेस प्रबंधन, नेक्स्ट-जेनरेशन - फायरवाल समाधान, एंटीवायरस, पैच प्रबंधन समाधान, सक्रिय डायरेक्टरी, वेब एवं मेल गेटवे, डेटा लीकेज प्रिवेंशन (डीएलपी) समाधान, एंटी-एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट (एपीटी), नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी), वेब-एप्लिकेशन फायरवाल (डब्ल्यूएएफ), एक्स्टेंडेड डिटेक्शन एंड रेस्पोंस (एक्सडीआर), यूजर एंटिटी एंड बिहेवियर एनालिसिस (यूईबीए), आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट (आईडीएएम) आदि तैनात किये हैं. आपके बैंक ने क्लाउड सुरक्षा नियंत्रणों को सुदृढ़ कर तथा सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सुरक्षित रिमोट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस (जेडटीएनए) को अपनाकर अपनी बुनियादी संरचना को और सशक्त बनाया है.

इन प्रयासों को बाहरी स्तर पर भी मान्यता प्राप्त हुई है, जो एक सुदृढ़, प्रौद्योगिकी-संचालित सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में बैंक के नेतृत्व को रेखांकित करते हैं.

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समूह (एफआरएमजी) की स्थापना के माध्यम से धोखाधड़ी जोखम की निगरानी के लिए एक सुदृढ़ और एकीकृत ढांचा स्थापित किया है जो धोखाधड़ी निगरानी, धोखाधड़ी जांच, विनियामक रिपोर्टिंग और उद्यम-व्यापी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को समाहित करने वाली एक समग्र संरचना के रूप में कार्य करता है. यह केन्द्रीय ढांचा पूरे बैंक में धोखाधड़ी जोखिमों की पहचान, प्रबंध और रोकथाम के लिए एक समन्वित और सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है.

धोखाधड़ी निगरानी एवं जांच टीम विनियामकीय निर्देशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों के अनुसार धोखाधड़ी के मामलों की जांच, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के लिए नोडल प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है. समय पर एवं सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के साथ-साथ, टीम एक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचाव हेतु सुधारात्मक एवं निवारक उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है. आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने तथा विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, बैंक नियमित रूप से आंतरिक परामर्श सूचनाएँ एवं परिपत्र जारी करता है, जिनका उद्देश्य नियंत्रण तंत्रों को मजबूत करना, लक्षित सुधारात्मक उपायों को लागू करना तथा रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी मामलों की त्वरित एवं सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है.

बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (एफआरएम) नीति बैंक के धोखाधड़ी अभिशासन ढांचे की आधारशिला है. यह नीति धोखाधड़ी घटनाओं की निगरानी, पता लगाने, रोकथाम, रिपोर्टिंग तथा व्यवस्थित अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है.

वर्ष के दौरान बैंक ने बैंक स्तरीय केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफ़आईआर) के कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी अभिशासन एवं रिपोर्टिंग क्षमताओं को अधिक सुदृढ़ किया है. यह प्रणाली धोखाधड़ी के प्रयास, संदिग्ध, विवादित तथा वास्तविक धोखाधड़ी लेनदेनों की समय पर एवं सुव्यवस्थित विनियामक रिपोर्टिंग को सक्षम बनाती है, जिससे बैंक की समग्र धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन संरचना अधिक सशक्त होती है.

उद्यमवार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ईएफआरएमएस) टीम बैंक के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उभरते खतरों से अपने ग्राहकों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह टीम विभिन्न डिजिटल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्मों एवं एप्लिकेशनों में संदिग्ध लेनदेनों की जोखिम आधारित निगरानी के माध्यम से इन उद्देश्यों की पूर्ति करती है. उन्नत पहचान नियमों और पूर्वानुमानित विश्लेषणात्मक मॉडलों का उपयोग करते हुए, यह प्रणाली 24 घंटे निगरानी प्रदान करती है जिससे उभरते जोखिमों की सक्रिय पहचान और रोकथाम संभव हो पाती है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने उभरते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के पैटर्न के आधार पर नए पहचान नियमों को प्रगतिशील रूप से लागू कर अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ किया है. इसके अलावा, बैंक अपने ग्राहकों को जागरूकता अभियानों के माध्यम से लक्षित ईमेल संचार एवं सोशल मीडिया पर जागरूकता पोस्ट तथा अन्य संचार चैनलों के माध्यम से समय पर जानकारी प्रासारित कर नए धोखाधड़ी पैटर्न और एहतियाती उपायों द्वारा निरंतर शिक्षित कर रहा है. इन संयुक्त पहलकार्यों से ग्राहकों को अधिक विश्वास के साथ लेनदेन करने की शक्ति मिलती है जिससे एक अधिक सुरक्षित एवं संरक्षित डिजिटल भुगतान परिवेश को बढ़ावा मिलता है.

परोक्ष निगरानी प्रणाली

आपके बैंक के पास फिनेकल में दिन-प्रतिदिन के कार्यों से उत्पन्न त्रुटियों और चूकों का पता लगाने तथा निगरानी एवं आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलर्ट उत्पन्न करने हेतु परोक्ष निगरानी प्रणाली (ओएमएस) साधन मौजूद है. ओएमएस नियम उन अपवादों की पहचान करते हैं जिनसे बैंक को विनियामक, वित्तीय और परिचालन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है. बदलते दिशानिर्देशों के अनुरूप ओएमएस अलर्ट को बंद करने के लिए मौजूदा नियमों और टर्नअराउंड समय को वार्षिक आधार पर पुनःसमायोजित किया जाता है.

जलवायु जोखिम प्रबंधन

बैंक जलवायु संबंधी कारकों के अपने पोर्टफोलियो पर पड़ने वाले प्रभावों का व्यवस्थित मूल्यांकन कर, जलवायु जोखिम संबंधी विचारों को अपनी व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना में निरंतर शामिल कर रहा है. इस दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों में संभावित एक्सपोज़र की पहचान करता है, जलवायु-प्रेरित प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता का विश्लेषण करता है तथा पोर्टफोलियो की निरंतर निगरानी बनाए रखता है.

वर्ष के दौरान बैंक ने पूर्व चक्र में तैयार किए गए आधार पर आगे बढ़ते हुए जलवायु संबंधी जोखिमों की अपनी समझ को और अधिक सुदृढ़ किया. पिछले वर्ष फंड आधारित औद्योगिक पोर्टफोलियो के एक चयनित हिस्से के लिए पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसियल्स (पीसीएएफ) कार्यप्रणाली के अनुरूप किए गए वित्तपोषित उत्सर्जनों के आकलन से कार्बन तीव्रता तथा संक्रमण संबंधी कमजोरियों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई. इन जानकारियों के आधार पर, बैंक अपने व्यापक उधार पोर्टफोलियो में जलवायु जोखिम के अधिक व्यापक मूल्यांकन की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इस प्रयास के तहत बैंक पूरे पोर्टफोलियो के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना करने, चुनिंदा खंडों के लिए जलवायु संबंध दबाव परीक्षण शुरू करने और कॉरपोरेट पोर्टफोलियों के भीतर भौतिक और संक्रमणकालीन, दोनों जोखिमों का विश्लेषण करने पर विचार कर रहा है. इन पहलकार्यों पर वर्तमान में सक्रिय रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए इनके दायरे और कार्यप्रणाली को परिष्कृत किया जा रहा है.

भविष्य में, बैंक आंतरिक हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से अपने एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचे (आरएमएफ़) के अंतर्गत ईएसजी संबंधी विचारों के एकीकरण को और अधिक गहन बनाने का इरादा रखता है. यह सुदृढ़ीकृत ढांचा ईएसजी जोखिमों की अधिक संरचित पहचान एवं प्रबंधन को सक्षम बनाएगा, जिससे बेहतर लचीलापन तथा पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा. अपनी संधारणीयता संबंधी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, बैंक की ऋण नीति पर्यावरण के लिए हानिकारक प्रथाओं से जुड़ी वित्तपोषण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है, जिसमें ओज़ोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से संबंधित उद्योग शामिल हैं. इन प्रयासों के पूरक रूप में, बैंक ने पर्यावरण की दृष्टि से किऊ क्षेत्रों की ओर वित्तीय प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु बोर्ड अनुमोदित ग्रीन डिपोजिट नीति तथा एक समर्पित वित्तपोषण ढांचा स्थापित किया है.

आपका बैंक सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं, आवासीय सौर संस्थापन तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है. बैंक के आंतरिक रेटिंग मॉडलों में पर्यावरणीय विचारों को शामिल किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि उधारकर्ताओं के ऋण मूल्यांकन में जलवायु संबंधी जोखिम एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल है. इसके अतिरिक्त, बैंक की आईसीएएपी नीति जलवायु जोखिम के निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानती है, जो संधारणीयता एवं लचीलेपन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

उभरते जोखिम

बैंक उन उभरते जोखिमों के व्यापक दायरे की पहचान एवं निगरानी करना जारी रखता है, जो इसके परिचालन, वित्तीय प्रदर्शन तथा दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों को प्रभावित कर सकती हैं. सर्वाधिक आवश्यक चुनौतियों में अन्य के साथ-साथ जलवायु-संबंधी जोखिमें, उभरती साइबर सुरक्षा चुनौतियां, बदलते भू -राजनैतिक आयाम है जिनके परिचालन परिवेश में आकार लेने की संभावना है. भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाकर, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि इन जोखिमों को व्यापक रूप से समझा जाए, पूर्वानुमानित किया जाए तथा उनका प्रबंध किया जाए.

बैंक द्वारा वित्तपोषित क्षेत्रों के साथ-साथ बैंक के स्वयं के परिचालन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के कारण जलवायु संबंधी जोखिम पर ध्यान का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है. वैश्विक विनियामकों और हितधारकों की ओर से ईएसजी संबंधी एक्सपोजर के मूल्यांकन की बढ़ती अपेक्षाएं इस जोखिम श्रेणी के महत्व को और भी बढ़ा देती हैं. जलवायु जोखिम आकलन को सुदृढ़ करने, उत्तरदायी वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने तथा पर्यावरण अनुकूल संधारणीय प्रथाओं को अपनाने की दिशा में बैंक के समन्वित प्रयास उसकी दीर्घकालिक सुदृढ़ता, इसके व्यापक उद्देश्य का समर्थन करते हैं.

डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के तीव्र विस्तार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग के साथ, साइबर सुरक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में उभरकर सामने आई है. बैंक अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने, विभिन्न चैनलों में लचीलापन बढ़ाने तथा ग्राहक जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियंत्रणों को अपनाते हुए एक सक्रिय रुख अपनाए हुए है. सुरक्षा प्रणालियों में नियमित उन्नयन के माध्यम से बैंक बढ़ती अनिश्चितता एवं प्रौद्योगिकीय जटिलताओं से परिपूर्ण परिवेश में प्रभावी रूप से कार्य करने में सक्षम बना रहता है.

वैश्विक तनावों और व्यापार पुनर्संरेखणों से लेकर आपूर्ति शृंखला में उत्पन्न व्यवधानों तक फैली भू-राजनैतिक जोखिमों की, बाज़ार स्थिरता तथा सीमापार वित्तीय प्रवाह पर उनके संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, गहनता से निगरानी की जाती है. बैंक भू-राजनैतिक घटनाक्रमों की नियमित रूप से निगरानी करता है तथा अपनी व्यावसायिक गतिविधियों, प्रतिपक्षों एवं निवेश निर्णयों पर उनके प्रभाव का आकलन करता है. विवेकपूर्ण पोर्टफोलियो प्रबंधन तथा परिदृश्य आधारित आयोजना के माध्यम से, बैंक का उद्देश्य प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और परिचालन स्थिरता बनाए रखना है.

इन प्रमुख विषयों के अलावा, बैंक अन्य उभरते जोखिमों जैसे बदलती विनियामक अपेक्षाएँ, व्यापक आर्थिक अस्थिरता और तीव्र गति से हो रहे तकनीकी नवाचार के प्रति भी सतर्क रहता है. विनियामकों, उद्योग निकायों तथा विशेषज्ञ समूहों के साथ तत्परता और सहयोग बनाये रखते हुए, बैंक सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और आगामी आवश्यकताओं के साथ निरंतर तालमेल सुनिश्चित करता है.

लगातार निगरानी, सक्रिय जोखिम-शमन और हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव के माध्यम से, बैंक बदलते जोखिम परिदृश्य के बीच अपनी सुदृढ़ता को मज़बूत करने, ग्राहकों के विश्वास की रक्षा करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है.

डेटा संरक्षण एवं गोपनीयता नीति

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपीए 2023), भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह अधिनियम विधिक प्रयोजनों हेतु व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण की वैध आवश्यकता के साथ-साथ, उससे संबद्ध अथवा उससे अनुषंगिक विषयों सहित, किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है. अंतिम नियम 13 नवंबर 2025 से प्रभावी हुए, जिनमें अनुपालन के लिए कई समय सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और पूर्ण कार्यान्वयन 13 मई 2027 को निर्धारित है.

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपीए) के प्रावधानों के अनुरूप तथा बैंक को एक महत्वपूर्ण डेटा न्यासी (एसडीएफ़) के रूप में संभावित वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने अपने डेटा संरक्षण अभिशासन ढाँचे को संस्थागत रूप दिया है. अपनी अनुपालन रूपरेखा के एक भाग के रूप में, बैंक ने कई रणनीतिक एवं परिचालन पहलें शुरू की हैं. बैंक ने 15 अप्रैल 2025 से एक समर्पित डेटा संरक्षण कार्यालय स्थापित किया है. नामित डेटा संरक्षण अधिकारी (डीपीओ) तथा सहयोगी टीम के नेतृत्व में यह कार्यालय अधिनियम के अनुपालन हेतु स्पष्ट उत्तरदायित्व, निगरानी तथा परिचालन क्षमता सुनिश्चित करता है.

सांविधिक अपेक्षाओं की तुलना में बैंक की वर्तमान अनुपालन स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक डीपीडीपीए अंतराल आकलन किया गया था, जिसने एक सुव्यवस्थित सुधार योजना का आधार तैयार किया. निष्कर्षों के आधार पर, बैंक ने एक 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति' तैयार की है, जो डीपीडीपीए के सिद्धांतों और लागू विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप है. इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन चरण के दौरान चिन्हित कमियों को दूर करने के लिए, बैंक ने एक विशेषीकृत परामर्शदाता की नियुक्ति की है जो अभिशासन, प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकी नियंत्रणों को सम्मिलित करते हुए एक समग्र डेटा गोपनीयता ढाँचे के सुधारात्मक उपायों एवं कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करेगा.

पूरे संगठन में डेटा संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने कनिष्ठ अधिकारियों से लेकर वरिष्ठ प्रबंधन तथा बोर्ड स्तरीय कार्यपालकों तक सभी स्तरों को सम्मिलित करते हुए जागरूकता एवं संवेदनशीलता कार्यक्रमों का आयोजन किया. इसके अलावा, प्रमुख कारोबारी और सहायक इकाइयों में 'प्राइवेसी चैंपियंस' की पहचान की गई है और उन्हें 'डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया' (डीएससीआई) के 'सर्टिफाइड डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर' (डीसीडीपीओ) सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है; इस प्रकार, गोपनीयता संबंधी दायित्वों के विकेंद्रीकृत स्वामित्व को सुनिश्चित और सुदृढ़ किया गया है.

बैंक ने, अपने विधि विभाग के साथ गहन समन्वय में, बैंक की ओर से व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने वाले सभी वेंडरों और सेवा प्रदाताओं के लिए अपने करारों में 'डेटा संरक्षण परिशिष्ट' को शामिल करना अनिवार्य करके संविदात्मक नियंत्रणों को सुदृढ़ किया है. इसके अतिरिक्त, सभी प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफ़पी) एवं प्रस्ताव हेतु सीमित अनुरोध (एलआरएफ़पी) दस्तावेजों को अद्यतन कर उनमें सुदृढ़ डेटा संरक्षण एवं गोपनीयता संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अन्य पक्ष के साथ किए गए अनुबंध बैंक के डीपीडीपीए के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप हों.

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बैंक ने महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए डेटा खोज पूर्ण करने हेतु मौजूदा अनुप्रयोगों का उपयोग किया है, जिससे व्यक्तिगत डेटा तत्वों, डेटा प्रवाह तथा प्रसंस्करण गतिविधियों की स्पष्ट दृश्यता प्राप्त हो सकी है. यह अभ्यास डेटा कैटलॉगिंग तथा वर्गीकरण के लिए एक आधारभूत परत का निर्माण करता है, जो जोखिम आकलन, सहमति प्रबंधन तथा डेटा जीवनचक्र अभिशासन जैसी अनुपालन संबंधी गतिविधियों में सहायक होगा.

अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए, बैंक ने अनुपालन को संस्थागत रूप देने, निगरानी सक्षम करने तथा गोपनीयता संचालन की विस्तार क्षमता को समर्थन प्रदान करने के लिए एक प्राइवेसी ऑटोमेशन समाधान के लिए आरएफ़पी जारी की है. साथ ही, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) एवं उन्नत विश्लेषण में व्यक्तिगत डेटा के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एक प्रतिष्ठित परामर्शदाता की सहायता से एक समर्पित एआई नीति के विकास की भी पहल की है. यह पहल उत्तरदायी एआई उपयोग, डेटा संरक्षण तथा विनियामक अनुपालन पर केंद्रित है, जिससे उभरती प्रौद्योगिकियों का नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.

प्रबंधन, नियंत्रण और प्रणालियाँ

मानव पूंजी: कर्मचारियों को सशक्त बनाना एवं भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सुदृढ़ करना

आपका बैंक दृढ़तापूर्वक यह मानता है कि इसके कर्मचारी इसके दीर्घकालिक, सतत विकास की नींव हैं. विश्वास आधारित संस्था के रूप में, बैंक यह मानता है कि लगातार बेहतर प्रदर्शन करने, हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने और तेज़ी से बदलते वित्तीय परिदृश्य में आगे बढ़ने की इसकी क्षमता, सीधे तौर पर इसके कार्यबल की क्षमता, ईमानदारी एवं सहभागिता से जुड़ी हुई है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अपनी मानव संसाधन रणनीति को व्यावसायिक प्राथमिकताओं, सांविधिक घटनाक्रमों तथा जारी डिजिटल रूपांतरण के अनुरूप बनाये रखा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यबल लचीला, ग्राहक केंद्रित एवं भविष्य के लिए तैयार रहे. कर्मचारियों के अनुभव को बेहतर बनाना, क्षमता निर्माण करना तथा नैतिक, जिम्मेदार आचरण की संस्कृति को प्रोत्साहित करना, बैंक की मानव पूंजी कार्यसूची के मूल में रहा, जैसा नीचे बताया गया है.

भविष्य के लिए तैयार प्रतिभा अधिग्रहण

आपके बैंक ने प्रासंगिक कौशल और विकास क्षमता वाले व्यक्तियों को आकर्षित करके अपनी प्रतिभाओं की संख्या को बढ़ाना जारी रखा. भर्ती प्रयासों का केन्द्र-बिंदु व्यवसाय विस्तार की आवश्यकताएं, प्रौद्योगिकीय बदलाव और महत्वपूर्ण कार्यात्मक आवश्यकताएं थीं.

वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न ग्रेडों में व्यक्तियों की भर्ती इस प्रकार की:

ग्रेड	कुल
ईडी (कार्यपालक निदेशक)	-
ग्रेड एफ़ (मुख्य महा प्रबंधक)	1
ग्रेड ई (महा प्रबंधक)	2
ग्रेड डी (उप महा प्रबंधक)	-
ग्रेड सी (सहायक महा प्रबंधक)	18
ग्रेड बी (प्रबंधक)	58
ग्रेड ए (सहायक प्रबंधक) @	303
ग्रेड ओ (कनिष्ठ सहायक प्रबंधक) @	1,788
एक्जिक्यूटिव - बिक्री एवं परिचालन	621
लिपिक#	1
	2,792

नोट:

@ सहायक प्रबंधक और कनिष्ठ सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त एक्जिक्यूटिव को छोड़कर

#अनुकंपा नियुक्ति

31 मार्च 2026 को आपके बैंक के पास कुल स्टाफ संख्या 20,693 थी:

श्रेणी	कुल*
अधिकारी	18,551
एक्जिक्यूटिव	1,572
लिपिक	281
अधीनस्थ	289
कुल	**20,693**

नोट: इस गणना में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं.

प्रतिभा प्रबंधन

आपका बैंक अपने विकास एवं रूपांतरण के उद्देश्यों को पूरा करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रतिभा प्रबंधन पर निरंतर जोर देता रहा है. बदलते बैंकिंग माहौल में कुशल और प्रेरित कार्यबल के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आपके बैंक ने विभिन्न भूमिकाओं और कार्य क्षेत्रों में व्यवस्थित प्रतिभा अधिग्रहण, सुव्यवस्थित उत्तराधिकार योजना और निरंतर क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है. आपका बैंक अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार, चुस्त एवं मूल्य-उन्मुख कार्यबल के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित रणनीतिक उपाय लागू किये हैं:

क) **कार्यबल दक्षता का अनुकूलन:** आपके बैंक ने व्यवसाय, परिचालन एवं सहायक कार्यों में मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए श्रमशक्ति नियोजन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया है. नियोजन संबंधी निर्णय व्यावसायिक प्राथमिकताओं, शाखा की आवश्यकताओं और कौशल की उपलब्धता के अनुरूप होते हैं, जिससे उत्पादकता एवं सेवा प्रदायगी में वृद्धि होती है. आवधिक कार्य-आवर्तन, श्रमशक्ति की पुनर्तैनाती तथा दक्षताओं के आधार पर कर्मचारियों के नियोजन ने परिचालन दक्षता को बढ़ाया है, साथ ही कर्मचारियों को विविध अनुभव एवं विकास के अवसर भी प्रदान किए हैं.

ख) **कार्य-निष्पादन प्रबंधन:** उत्कृष्टता और विकास को बढ़ावा देना: बैंक ने एक कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) अर्थात् आई-पेस जवाबदेही, उत्कृष्टता तथा सतत सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विकसित की है. यह प्रणाली व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन लक्ष्यों को बैंक के रणनीतिक उद्देश्यों एवं व्यवसायिक योजनाओं के साथ संरेखित करती है. उद्देश्यपरक लक्ष्य निर्धारण, आवधिक कार्य-निष्पादन समीक्षा और पारदर्शी मूल्यांकन तंत्र, कार्य-निष्पादन के निष्पक्ष मूल्यांकन और उसकी पहचान को सुनिश्चित करते हैं. कार्य-निष्पादन परिणामों को पुरस्कार, कैरियर उन्नति एवं विकासात्मक हस्तक्षेपों से जोड़ा गया है, जिससे कर्मचारियों को निरंतर उच्च कार्य-निष्पादन प्रदान करने तथा संगठनात्मक सफलता में प्रभावी योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है.

ग) **व्यावसायिक विकास - कैरियर उन्नति को सक्षम बनाना:** बैंक ने व्यवस्थित कैरियर विकास और निरंतर सीखने की पहलों के माध्यम से व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है. कर्मचारियों को शिक्षण कार्यक्रमों, प्रमाणपत्रों, कार्यशालाओं एवं अन्य शिक्षण अवसरों के माध्यम से अपनी कार्यात्मक, प्रबंधकीय एवं नेतृत्व दक्षताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खुदरा, कॉरपोरेट, व्यापार वित्त, ट्रेजरी, सरकारी कारोबार, बिक्री, परिचालन एवं सहायक कार्य में सर्वांगीण व्यावसायिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं.

घ) **उत्तराधिकार योजना:** उत्तराधिकार योजना बैंक के प्रतिभा प्रबंधन ढांचे का एक प्रमुख तत्व बना हुआ है, जिसका उद्देश्य नेतृत्व की निरंतरता और संगठनात्मक स्थिरता को बनाए रखना है. कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य महाप्रबंधक स्तर के महत्वपूर्ण पदों की पहचान की गई है, तथा व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उच्च क्षमता वाले कर्मचारियों की एक सूची तैयार की गई है. उत्तराधिकार योजनाओं की वार्षिक समीक्षा भविष्य की नेतृत्व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्परता सुनिश्चित करती है और प्रमुख पदों के खाली होने से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करती है.

समग्र कल्याण

आपके बैंक ने कर्मचारी कल्याण के लिए एक व्यापक एवं समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है, यह मानते हुए कि सतत संगठनात्मक सफलता उन कर्मचारियों द्वारा संचालित होती है जो अपने व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक चरण में स्वस्थ, संलग्न एवं समर्थित हों. बैंक का यह 'वेल-बीइंग फ्रेमवर्क' कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है; जो उत्पादकता को बढ़ाता है, एकाग्रता को तेज करता है, और उनमें अपनेपन व कार्य संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देता है.

क) **स्वास्थ्य और कल्याण:** आपका बैंक अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के शारीरिक एवं मानसिक कल्याण की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ प्रदान करता है. इनमें आंतरिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति, अस्पताल में भर्ती होने को कवर करने वाला चिकित्सा बीमा, घरेलू उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, आवधिक व्यापक स्वास्थ्य जाँच तथा प्रमुख केंद्रों पर बैंक चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं तक पहुँच शामिल हैं. भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंक 'आई-केयर' नामक कर्मचारी कल्याण एवं सहायता कार्यक्रम भी संचालित करता है, जिसके माध्यम से कर्मचारी तथा उनके आश्रित गोपनीय रूप से पेशेवर परामर्श सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बैंक मुंबई में अपने प्रधान कार्यालय तथा अंचल स्तरों पर वार्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है और प्रमुख मैराथनों में भागीदारी हेतु पंजीकरण शुल्क की एकमुश्त प्रतिपूर्ति की योजना भी शुरू की है.

ख) **कर्मचारी पहचान एवं सहभागिता:** आपका बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा दी गई दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और समर्पित सेवा के महत्व को समझता है. अपने कर्मचारी जुड़ाव एवं मान्यता पहलों के अंतर्गत, बैंक ने कर्मचारियों को सेवा के महत्वपूर्ण वर्ष पूरे होने पर जैसे 15 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष जैसी महत्वपूर्ण सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को स्मृति-चिह्न प्रदान करने की शरूआत की है.

ग) **आवास एवं व्यक्तिगत वित्त सहायता:** आपका बैंक अपने कर्मचारियों को रियायती ब्याज दरों और लचीली पुनर्भुगतान शर्तों पर ऋण और अग्रिम प्रदान करता है. ये सुविधाएँ कर्मचारियों को घर खरीदने, वाहन खरीदने और अपने बच्चों की उच्च शिक्षा जैसी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाती हैं.

घ) **कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति:** आपका बैंक कर्मचारियों के परिवारों की शैक्षणिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. *'आई शिक्षा'* योजना के अंतर्गत, कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को कक्षा X एवं XII की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सम्मानित और पुरस्कृत किया जाता है. आपके बैंक ने अनुसूचित जाति (अजा) एवं अनुसूचित जनजाति (अजजा) से संबंधित कामगार कर्मचारियों तथा ग्रेड ए एवं बी के अधिकारियों के बच्चों को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर छात्रवृत्ति भी प्रदान की, जो समावेशी विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है.

ङ) **अनुकंपा योजनाएँ:** सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों के निधन की स्थिति में उनके परिवारों को समय पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंक ने वित्तीय कठिनाइयों को कम करने हेतु अनुकंपा योजनाएँ लागू की हैं. इनमें पात्र आश्रितों को अनुकंपा आधारित नियुक्ति प्रदान करना अथवा अनुग्रह राशि का भुगतान, साथ ही अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता शामिल है. इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों को जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है तथा कर्मचारियों पर बकाया स्टाफ ऋणों को बीमा योजनाओं के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है, जिससे शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है.

च) **विधिक एवं वित्तीय सहायता:** आपके बैंक ने अपने निदेशकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वित्तीय एवं विधिक सहायता प्रदान करने के लिए भी एक व्यापक योजना बनाई है जिससे उन्हें पेशेवर अत्यावश्यकताओं का आत्मविश्वास के साथ सामना करने में मदद मिलती है. इसके अलावा, बैंक के पास निदेशकों और अधिकारियों के लिए देयता बीमा पॉलिसी भी है जो जोखिम न्यूनीकरण और संस्थागत अभिशासन को मजबूत करती है.

विविधता और समावेशन

आपके बैंक ने कार्यबल में विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हैं. आपके बैंक ने संगठन के सभी स्तरों पर समान अवसर को बढ़ावा देते हुए समावेशी भर्ती प्रथाओं को लागू किया है. आपके बैंक ने दिव्यांग जनों की भर्ती करना और आरक्षण पर लागू दिशानिर्देशों का

अनुपालन करना जारी रखा है. 31 मार्च 2026 को बैंक की कुल श्रमशक्ति में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा)/अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आरुकव) का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार था:

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडे वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
अधिकारी	2, 701	1, 106	4, 968	570
एक्जिक्यूटिव	253	70	540	235
लिपिक	40	18	35	-
अधीनस्थ	76	20	61	-
कुल	**3, 070**	**1, 214**	**5, 604**	**805**

औद्योगिक संबंध

आपके बैंक में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध का वातावरण समान्यतः सौहार्दपूर्ण रहा है तथा अधिकांश मुद्दों का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से हो गया है. अधिकारियों या कर्मचारियों की शिकायतों को समझने और उनका समाधान करने के लिए रचनात्मक संवाद स्थापित करने के अपने प्रयासों के तौर पर बैंक, संघों और यूनियनों के साथ बैठकें करता है. संघ और यूनियन भी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिक्रियाशील और सक्रिय रही हैं.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

बैंक ने अवांछनीय घटना के घटित होने पर पीड़ित महिला को तुरंत सहायता देने और तत्काल अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक के कार्यस्थल पर उनके साथ हुई यौन उत्पीड़न की शिकायत सीधे मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय तथा अपने सभी अंचलों में गठित आंतरिक समितियों के सदस्यों के पास दर्ज कराने के लिए ई-मेल-आधारित शिकायत प्रणाली कार्यान्वित की है.

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

बैंक ने सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम को सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए अठारह आंतरिक समितियों (16 अंचल स्तर पर तथा 2 मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में) का गठन किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक को 14 (चौदह) शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर संबंधित आंतरिक समितियों द्वारा कार्रवाई की गई, 31 मार्च 2026 को पाँच शिकायतें प्रक्रियाधीन थीं.

नैतिकता और अनुपालन

आपके बैंक ने पूरे संगठन में नैतिक आचरण संस्कृति को बढ़ावा देने और विनियामकीय अनुपालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्य नैतिकता अधिकारी और अंचल नैतिकता अधिकारियों की भूमिकाएँ निर्धारित की है.

ज्ञानार्जन और कर्मचारी सहभागिता (एल एंड ईडी)

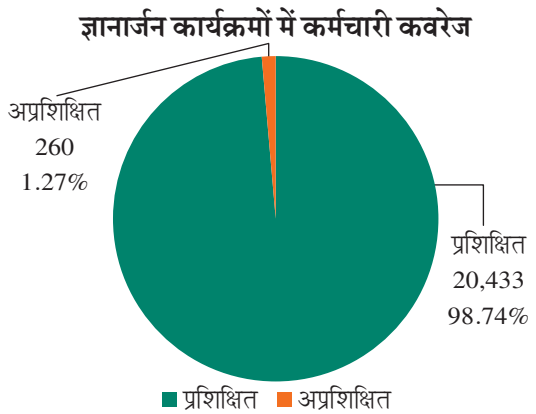
आईडीबीआई ज्ञानार्जन पारिस्थितिकी तंत्र: सीखने में निवेश करें और बदलाव लाएं

ज्ञानार्जन और कर्मचारी सहभागिता एक सक्षम और आत्मविश्वासी कार्यबल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो कारोबार कार्यनिष्पादन और अनुपालन उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है. आपका बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि प्रत्येक कर्मचारी की प्रासंगिक शिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता हो, जो कर्मचारी विकास और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के बैंक के दृष्टिकोण के साथ विचारपूर्वक संरेखित हो. ये कार्यक्रम अंचलों, वर्टिकलों तथा व्यक्तिगत स्तर पर पहचानी गई सीखने की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाये गये हैं, जिससे कौशल विकास के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण को समर्थन मिलता है.

इस वर्ष ज्ञानार्जन में सभी कार्यस्थलों पर सीखने की संस्कृति के विकास एवं उसे बनाए रखने, अनुपालन, नियंत्रण तथा नैतिकता को दैनिक अनुशासन के रूप में सुदृढ़ करने तथा प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाते हुए ज्ञानार्जन के डिजिटलीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया.

ज्ञानार्जन - विकास और उत्कृष्टता का लक्ष्य:

आपका बैंक सीखने को एक अनिवार्य गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि अनुकूलित कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से ज्ञान और कौशल अंतराल की पहचान करने तथा उन्हें दूर करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में देखता है. यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों पर केंद्रित है, और उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की पहल के एक संतुलित मिश्रण के माध्यम से पूरा किया जाता है. वर्ष के दौरान ज्ञानार्जन के कार्यक्रमों में कर्मचारी सहभागिता इस प्रकार है:



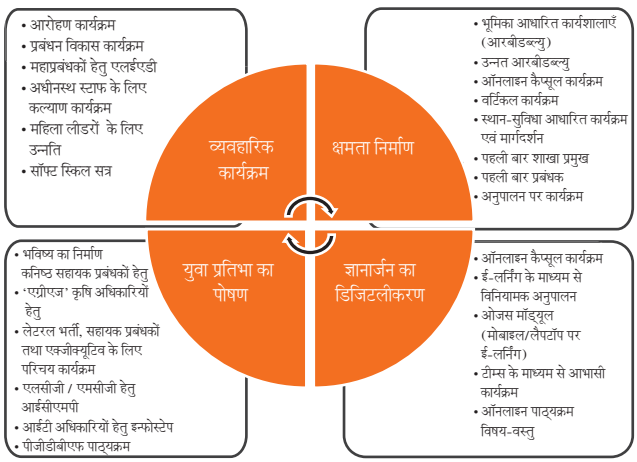
कुल 20,693 कर्मचारियों में से 20,433 ने वर्ष के दौरान ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्ञानार्जन कार्यक्रमों में भाग लिया.

सभी कर्मचारी श्रेणियों में लक्षित और प्राप्त कार्य-दिवस

ज्ञानार्जन और कर्मचारी सहभागिता (एल एंड ईडी) नीति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के विकास के लिए न्यूनतम कार्य -दिवस निर्धारित किए गए हैं. आपके बैंक ने न केवल इन लक्ष्यों को पूरा किया है, बल्कि इन लक्ष्यों (116%) से आगे भी बढ़ गया है, जो निरंतर सीखने और क्षमता निर्माण के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

विभिन्न ज्ञानार्जन कार्यक्रमों की मैपिंग का डिज़ाइन

कर्मचारियों की विशिष्ट भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और विकास संबंधी आवश्यकताओं के लिए ज्ञानार्जन कार्यक्रमों को डिज़ाइन और संरेखण करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया गया है. यह संरेखण संगठनात्मक उद्देश्यों और व्यक्तिगत कैरियर प्रगति के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करता है. कार्यक्रमों को कार्यात्मक, व्यवहारिक, विनियामक और नेतृत्व दक्षताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए लक्षित शिक्षण हस्तक्षेपों को सुगम बनाया जा सके:



व्यवहारिक कार्यक्रम

क. आरोहण: वीराइज आईडीबीआई: आपके बैंक का व्यवहार विज्ञान आधारित प्रमुख कार्यक्रम 'आरोहण' सांस्कृतिक रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण साधन बना रहा. इस वर्ष '*आरोहण*: वीराइज आईडीबीआई' कार्यक्रम को ग्रेड ई तक के कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है तथा यह 'जब हम अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में उन्नति करते हैं, तब हमारा बैंक भी हमारे साथ उन्नति करता है' विषय पर केंद्रित है. सत्रों में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया:



आयोजित कार्यक्रम	शामिल प्रतिभागी	शामिल % प्रतिभागी
675	16,030	97.01%

ख. आरोहण-सह-एलईएडी (नेतृत्व उत्कृष्टता एवं विकास कार्यक्रम): एलईएडी कार्यक्रम का आयोजन भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ के सहयोग से महाप्रबंधकों के लिए किया गया था. इस कार्यक्रम का उद्देश्य भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ उच्च प्रभावी संप्रेषण को बढ़ाना, आत्म-जागरूकता के साथ हितधारकों का प्रबंधन करना तथा उत्कृष्ट व्यवसायिक एवं सेवा परिणामों की प्राप्ति हेतु लोगों के प्रबंधन कौशल को बढ़ाना था. मुंबई एवं हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रमों में कुल 214 महाप्रबंधकों (91%) ने सहभागिता की.

ग. प्रबंधन विकास कार्यक्रम: आपके बैंक ने आईआईएम, बंगलुरु तथा आईआईएम, लखनऊ के सहयोग से क्रमशः कार्यपालक निदेशकों एवं मुख्य महाप्रबंधकों के लिए अनुकूलित प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किये. इस कार्यक्रम का उद्देश्य नेतृत्व, रणनीतिक सोच, निर्णयन, अभिशासन, प्रौद्योगिकी जागरूकता तथा भविष्य के लिए तत्परता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित था.

घ. कामगार स्टाफ के लिए आरोहण-सह कल्याण कार्यक्रम: बैंक ने 'आरोहण' कार्यक्रम को कामगार कर्मचारियों तक एक व्यावहारिक और कल्याणपूर्ण पहल के रूप में विस्तारित किया. इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई तथा उन्हें बैंक की विकास यात्रा में सहयोग हेतु प्रेरणा मिली. इसके अंतर्गत कुल 24 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 468 कर्मचारियों को शामिल किया गया.

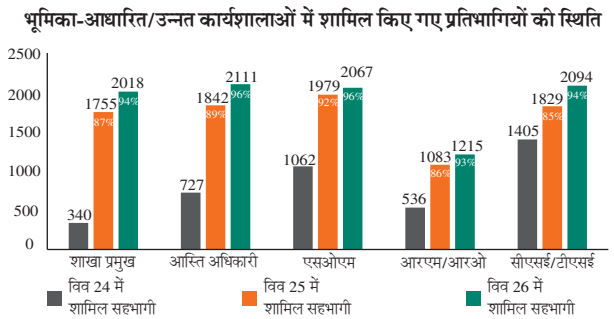
ङ. उन्नति: सफलता की ओर अग्रसर: उन्नति कार्यक्रम आपके बैंक द्वारा महिला अधिकारियों के सशक्तिकरण एवं विकास में समर्थन हेतु संचालित किया जा रहा है. वर्ष के दौरान कुल 32 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 535 महिला कर्मचारियों को शामिल किया गया.

च. सॉफ्ट स्किल्स हेतु अनुकूलित सत्र: अनुभवजन्य और परिस्थितिजन्य शिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्यक्रमों में अनन्य सत्र शामिल किए गए हैं, जिन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है. इन सत्रों का उद्देश्य वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों के माध्यम से प्रमुख अवधारणाओं की गहरी समझ और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ाना है.

क्षमता निर्माण

क. भूमिका-आधारित कार्यशालाएँ: आपके बैंक ने शाखा प्रमुखों, आस्ति अधिकारियों, सेवा एवं परिचालन प्रबंधकों, संपर्क प्रबंधकों, ग्राहक सेवा एक्जिक्यूटिव और टेलर सेवा एक्जिक्यूटिव सहित शाखाओं में विभिन्न पदों के लिए भूमिका-आधारित कार्यशालाएँ आयोजित की गई. ये कार्यशालाएँ कार्यात्मक पहलुओं को व्यापक रूप से कवर करते हुए अनुपालन, नियंत्रण तथा नैतिक प्रथाओं पर विशेष बल देती हैं, जिससे कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्यों में सशक्त बनाया जाता है. इनका उद्देश्य ज्ञान एवं कौशल की खाइयों को पाटना तथा कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ाना है.

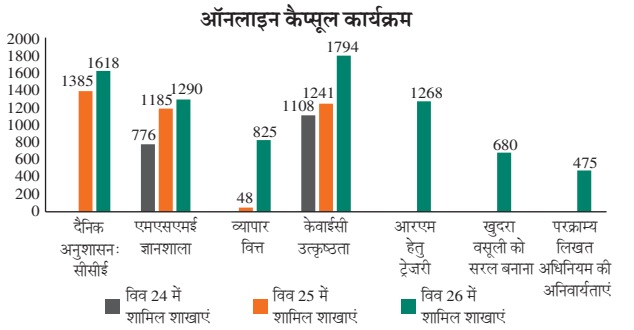
ख. उन्नत भूमिका-आधारित कार्यशालाएँ: आपके बैंक ने पूर्व चक्र में मूल भूमिका-आधारित कार्यशालाएँ पूर्ण कर चुके अधिकारियों के लिए उन्नत भूमिका-आधारित कार्यशालाएँ प्रारंभ किया है, ताकि कार्य-विशिष्ट विशेषज्ञता को और गहन किया जा सके तथा कर्मचारियों को जटिल परिस्थितियों का अधिक दक्षता एवं आत्मविश्वास के साथ प्रबंधन करने के लिए तैयार किया जा सके. भूमिका-आधारित एवं उन्नत भूमिका-आधारित कार्यशालाओं की कवरेज स्थिति निम्नानुसार है:



नोट: एसओएम - सेवा एवं परिचालन प्रबंधक; आरएम/आरओ - संपर्क प्रबंधक/ संपर्क अधिकारी; सीएसई/टीएसई - ग्राहक सेवा एक्जिक्यूटिव / टेलर सेवा एक्जिक्यूटिव

ग. ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रम: आपके बैंक ने ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रमों के माध्यम से विशेषीकृत क्षेत्रों में कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने के कदम उठाए हैं. इन कार्यक्रमों का आयोजन कारोबारी समय के बाद टीम्स मीटिंग के माध्यम से किया जाता है, जिससे *'कर्मचारियों के डेस्क पर शिक्षण'* की सुविधा सुनिश्चित होती है. इस पहल का उद्देश्य केवल एकल सहभागियों तक सीमित रहने के स्थान पर संपूर्ण शाखा टीम को सम्मिलित करना है, जिससे शाखा स्तर पर व्यापक एवं अधिक प्रभावी सहभागिता हो पाती है. इस वर्ष निम्नलिखित ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रम आयोजित किए गए है: (i) दैनिक अनुशासन : अनुपालन, नियंत्रण और नैतिकता (सीसीई) (ii) एमएसएमई ज्ञानशाला और कृषि ज्ञानशाला (iii) व्यापार वित्त - एक सरलीकृत मार्गदर्शिका (iv) केवाईसी उत्कृष्टता अभियान (v) संपर्क प्रबंधकों हेतु ट्रेज़री कार्यक्रम (vi) खुदरा वसूली को सरल बनाना और (vii) परक्राम्य लिखत अधिनियम की अनिवार्यताएं.

इन कार्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार है:



वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपर्क प्रबंधकों (आरएम) हेतु ट्रेज़री कार्यक्रम, खुदरा वसूली को सरल बनाने तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम की अनिवार्यताएं कार्यक्रमों की शुरुआत की गईं.

घ. शाखाओं को मार्गदर्शन: आपके बैंक की एल एवं ईडी टीम चिन्हित शाखाओं की क्षमता को उजागर करने, प्रदर्शन हेतु उनका मार्गदर्शन एवं प्रेरित करने, विकास एवं उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है. आईडीबीआई ज्ञानार्जन केंद्र के प्रशिक्षकों द्वारा 195 शाखाओं को कम लेखा परीक्षा रेटिंग वाली शाखाओं, कमजोर प्रदर्शन करने वाली शाखाओं तथा घाटे में चल रही शाखाओं जैसे विषयों पर संरचित, डेटा-आधारित मार्गदर्शन प्रदान किया गया.

ङ. स्थान सुविधा कार्यक्रम (एलसीपी): आपके बैंक ने स्थान सुविधा कार्यक्रम (एलसीपी) की एक नये दृष्टिकोण पर कार्य किया है. इन कार्यक्रमों का आयोजन सायंकाल में शाखा परिसरों में, निकटतम शाखाओं के समूह (क्लस्टर) के लिए किया जाता है. संकाय सदस्य इन स्थानों पर जाते हैं तथा सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं. शाखा स्तर की चुनौतियों के लिए यह पद्धति व्यावहारिक समाधान सुलभ करवाती है. इस अवधि के दौरान विभिन्न अंचलों में कुल 16 एलसीपी आयोजित किए गए. एलसीपी के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों जैसे- (i) एमएसएमई/ कृषि/ कासा में कम वृद्धि, (ii) कम शुल्क-आधारित आय, (iii) उच्च अनुपालन लंबितता, तथा (iv) शाखा चैनल के माध्यम से कम खाता खुलना, को शामिल किया गया.

च. वर्टिकल कार्यक्रम: विभिन्न वर्टिकलों की विशिष्ट ज्ञानार्जन आवश्यकताओं के आधार पर, आंतरिक और बाहरी, दोनों तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है.

विशेषीकृत कौशल विकास के लिए, बाहरी कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों को नामित किया गया है और बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से सहयोगी सत्र आयोजित किए गए हैं. इन पहलों में विशेष रूप से प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे ट्रेजरी, क्रेडिट, व्यापार वित्त, लेखा परीक्षा, अनुपालन, सतर्कता, परिचालन, आईटी और अन्य महत्वपूर्ण डोमेन पर ध्यान केंद्रित किया है.

64 वर्टिकल कार्यक्रम | 1602 अधिकारी प्रशिक्षित | 932 अधिकारियों ने बाहरी कार्यक्रमों में भाग लिया

अनुकूलित कार्यक्रम: वर्टिकल के लिए अनुकूलित प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

- कार्यपालक निदेशकों तथा बृहत कॉरपोरेट समूह एवं मध्य कॉरपोरेट समूह के मुख्य महाप्रबंधकों एवं शाखा प्रमुखों हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों पर जागरूकता कार्यक्रम
- नई श्रम संहिता तथा उसके प्रभाव पर कार्यक्रम.
- कॉरपोरेट बैंकिंग के लिए ऋण दस्तावेजीकरण एवं व्यावसायिक संभावनाओं पर कार्यक्रम.
- डीएससीआई प्रमाणित डेटा संरक्षण अधिकारी (डीसीडीपीओ) कार्यक्रम.
- परियोजना प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम.
- एनपीए वसूली पर कार्यक्रम.
- बैंक के सुरक्षा अधिकारियों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन (ओएसएचए) नीति पर कार्यक्रम.
- बैंक के मुख्य संपर्क अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण.
- सतर्कता अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम.

बाह्य कार्यक्रम: विभिन्न वर्टिकलों के 932 अधिकारियों को विशिष्ट संस्थानों अर्थात्-भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय (एएससीआई), स्टेट बैंक ग्रामीण विकास संस्थान (एसबीआईआरडी), कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (केफरल), क्रिसिल लिमिटेड, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई), भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिसंघ (फिक्की) आदि द्वारा आयोजित किए गए 107 कार्यक्रमों में नामांकित किया गया.

घ. पहली बार बने शाखा प्रमुख: इस कार्यक्रम ने नए नेतृत्वकर्ताओं को शाखा प्रबंधन के लिए आवश्यक परिचालन, प्रबंधकीय एवं मानव संसाधन प्रबंधन संबंधी क्षमताओं से लैस किया. कुल 13 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 238 अधिकारियों, प्रथम बार बने शाखा प्रमुख को शामिल किया गया.

ङ. पहली बार बने प्रबंधक: आपके बैंक ने एक्जीक्यूटिव - संविदा पर के बैंक में सहायक प्रबंधकों के रूप में नियुक्त होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया. यह छह दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें कार्यात्मक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र शामिल हैं. वर्ष के दौरान आईसीबीएफ़ में कुल 16 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 490 सहायक प्रबंधकों को शामिल किया गया.

च. अनुपालन पर कार्यक्रम: *'अनुपालन, नियंत्रण एवं नैतिकता (सीसीई)'* आपके बैंक के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का केंद्रीय विषय बना हुआ है. सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सीसीई से संबंधित सत्रों को शामिल किया गया है, ताकि सभी स्तरों के कर्मचारियों के बीच इसके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके.अपने ग्राहक को जानिए एवं धन शोधन निवारण, मनी म्यूल्स, साइबर सुरक्षा, निवारक सतर्कता, यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पोश), आचार संहिता, ग्राहक सेवा आदि विषयों पर ई-लर्निंग मॉड्यूल कर्मचारियों को ओजस के अंतर्गत अनिवार्य प्रमाणन के रूप में दिये जा रहे हैं. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों को भी ओजस के अंतर्गत त्रैमासिक अनिवार्य प्रमाणन के रूप में कर्मचारियों को दिये जाते हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में विनियामकीय अनुपालन मॉड्यूल में कर्मचारियों की भागीदारी पात्र कर्मचारियों की 99.14% रही है.

युवा प्रतिभाओं का पोषण

क. परिचय कार्यक्रम: युवा प्रतिभाओं को पोषित करने एवं सुगम एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए नव-नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिचय कार्यक्रम-सह-भूमिका आधारित कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिससे उनके ऑनबोर्डिंग अनुभव, दक्षताओं में वृद्धि हो तथा उन्हें बैंक की कार्य संस्कृति, विकास के अवसरों, उनकी भूमिकाओं एवं अपेक्षाओं से अवगत कराया जा सके. इन कार्यक्रमों में कनिष्ठ सहायक प्रबंधकों हेतु *'भविष्य निर्माण'*, नव-नियुक्त कृषि अधिकारियों हेतु *'एग्रीऐज'* तथा लेटरल नियुक्त कर्मियों, सहायक प्रबंधकों एवं एक्जीक्यूटिव हेतु परिचय कार्यक्रम शामिल थे. कुल 112 परिचय कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 2,792 कर्मचारियों को शामिल किया गया.

ख. प्रतिभा विकास कार्यक्रम: आपके बैंक ने अपने आंतरिक प्रतिभा को निखारने के लिए क्षेत्र-विशेष की विशेषज्ञता को गहन करने के उद्देश्य से लक्षित विकासात्मक कार्यक्रमों को जारी रखा. वर्ष के दौरान आपके बैंक द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- बृहत एवं मध्यम कॉरपोरेट समूह के अधिकारियों की ऋण कौशल के विकास हेतु इंटेंसिव क्रेडिट मैनेजमेंट प्रोग्राम (आईसीएमपी).
- नव-नियुक्त आईटी अधिकारियों के लिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस प्रोग्राम (इन्फोस्टेप).
- डीएससीआई प्रमाणित डेटा संरक्षण अधिकारी (डीसीडीपीओ) - यह कार्यक्रम डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) के सहयोग से आयोजित किया गया. प्रशिक्षण उपरांत आयोजित मूल्यांकन में उत्तीर्ण प्रतिभागियों को *'डीएससीआई प्रमाणित डेटा संरक्षण अधिकारी (डीसीडीपीओ)'* के रूप में प्रमाणित किया गया.

- ऋण समाधान केंद्रों में तैनात अधिकारियों के लिए ऋण मूल्यांकन स्तर 1 एवं स्तर 2 पर कार्यक्रम.
- नव-नियुक्त विधि अधिकारियों के लिए भूमिका-आधारित कार्यक्रम.
- अनुपालन विभाग में कार्यरत अधिकारियों हेतु भूमिका-आधारित कार्यक्रम.
- आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग में तैनात कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम.

ग. **बैंकिंग एवं वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीबीएफ):** आईडीबीआई पीजीडीबीएफ एक वर्षीय डिप्लोमा है, जिसका उद्देश्य बैंक में कनिष्ठ सहायक प्रबंधक (जाम) के रूप में भर्ती हेतु भावी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है. इस कार्यक्रम में छह माह का कक्षा-आधारित अध्ययन, दो माह की इंटर्नशिप और बैंक की शाखाओं/कार्यालयों/केंद्रों में चार माह का ऑन-जॉब प्रशिक्षण शामिल है. छह माह के कक्षा -आधारित अध्ययन हेतु आपके बैंक ने यू-नेक्स्ट मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरु तथा एनआईटीटीई एजुकेशनल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा के साथ टाई-अप किया है. यह माध्यम बैंक को प्रवेश स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराता है.

ज्ञानार्जन का डिजिटलीकरण- प्रौद्योगिकी एवं एआई का लाभ उठाना

क. **ओजस (ई-लर्निंग):** आपका बैंक का उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ज्ञानार्जन के डिजिटलीकरण और प्रतिभागियों को सुविधा प्रदान करने तथा समय एवं लागत की बचत करने का लक्ष्य है. कर्मचारियों को आसान पहुँच प्रदान करने के लिए विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य कार्यक्रमों को ईलर्निंग मॉड्यूल में विकसित किया गया है. इस दृष्टिकोण ने सभी कर्मचारियों द्वारा उच्चतर पूर्णता प्रतिशत के साथ अच्छे परिणाम दिए हैं. विनियामक अनुपालन मॉड्यूल में कर्मचारियों की भागीदारी पात्र कर्मचारियों का 99.14% रही है.

ओजस (ई-लर्निंग) मॉड्यूल का अद्यतन करना: कर्मचारियों को नवीनतम घटनाक्रमों, बैंक के दिशा-निर्देशों, योजनाओं और प्रक्रियाओं तक सुविधाजनक पहुँच प्रदान करने के क्रम में, आपके बैंक ने विषय विशेषज्ञों के सहयोग से ई-लर्निंग मॉड्यूल को अद्यतित करने के प्रयास किए हैं. इन मॉड्यूल्स को मोबाइल सहित ऑनलाइन माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.

ख. **माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से आभासी कार्यक्रम:** आभासी कार्यक्रमों को आंतरिक रूप से और बाहरी संस्थानों के सहयोग से विचारपूर्वक डिज़ाइन और संचालित किया गया है. इन पहलों को काफी सराहा गया है और इनसे प्रतिभागियों को मूल्यवान ज्ञानार्जन अनुभव प्राप्त हुए हैं.

ग. **ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रम:** डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, *'ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रम'* के तहत विशेषीकृत विषयों को शामिल किया गया है. इस पहल ने कर्मचारियों के बीच पहुँच और सहभागिता को काफी हद तक बढ़ाया है.

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए विशेष कार्यक्रम: आपके बैंक ने प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए उद्योग की वर्तमान प्रासंगिकता पर कार्यक्रम आयोजित किये, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए)- आईडीबीआई बैंक के निदेशकों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर कार्यक्रम.
- डिज़ाइन थिंकिंग: सतत व्यावसायिक प्रभाव परिणाम.
- रणनीतिक अंतर्दृष्टि पर कार्यक्रम.
- बैंकों, एनबीएफसी एवं वित्तीय संस्थानों के निदेशक मंडल के लिए केवाईसी एवं एएमएल विषय पर आभासी कार्यक्रम.

सेवानिवृत्ति कार्यक्रम: आगामी तिमाहियों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए एक विशेष त्रैमासिक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें वित्तीय आयोजना, भावनात्मक तत्परता, जीवनशैली समायोजन और सेवानिवृत्ति के बाद के अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि एक सुचारू और संतुष्टिदायक बदलाव सुनिश्चित किया जा सके.

प्रभाव विश्लेषण - गुणात्मक सुधार सूचकांक (क्यूआईआई)

कर्मचारियों की समझ, ज्ञान वृद्धि और कार्यक्रम की एक निश्चित अवधि के बाद कार्यस्थल पर उनके द्वारा सृजित मूल्य का आकलन करने के लिए भूमिका-आधारित कार्यशालाओं और ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रमों के लिए व्यवस्थित तरीके से क्यूआईआई को मापा जा रहा है. क्यूआईआई निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर निकाला जाता है:

- **निकास परीक्षा मूल्यांकन** - कार्यक्रम के बाद ज्ञान प्रतिधारण को मापता है.
- **कर्मचारी प्रतिक्रिया** - कार्यक्रम के बारे में प्रतिभागी की धारणा और कार्यस्थल पर इसकी प्रयोज्यता को शामिल किया जाता है.
- **रिपोर्टिंग प्राधिकरण से प्रतिक्रिया** - कर्मचारी में कार्यात्मक एवं व्यवहारिक सुधारों और परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए एक निर्धारित अवधि के बाद लिया जाता है.
- **कारोबार विकास** - प्रत्येक कार्यात्मक कार्यक्रम में एक निश्चित अवधि के पश्चात शाखा के कारोबार कार्य निष्पादन में सुधार का आकलन करने हेतु मूल्यांकन किया जाता है. यह मूल्यांकन शाखाओं की व्यावसायिक रैंकिंग के मानदंडों पर आधारित होता है, जो कर्मचारियों को केंद्रित रहकर सुधार को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करता है.

- **परिचालन संबंधी लंबित कार्यों में कमी** - दैनिक कार्यों में अनुपालन, नियंत्रण एवं नैतिकता को सुदृढ़ करने लिए प्रत्येक कार्यक्रम में सीसीई सत्रों का समावेश किया जाता है. इनकी प्रभावशीलता का आकलन शाखा की अनुपालन रैंकिंग मापदंडों के आधार पर परिचालन दक्षता में सुधार तथा अनुपालन संबंधी लंबित कार्यों में कमी के द्वारा किया जाता है.

अन्य बैंकों और एनबीएफसी के लिए ज्ञानार्जन कार्यक्रम आयोजित करना

आपके बैंक ने आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 938 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए अन्य बैंकों, वित्तीय और प्रबंधन संस्थानों, सहकारी बैंकों के लिए 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं. यह पहल अन्य संस्थानों के साथ संबंध को मजबूत करती है और आपसी लाभ हेतु भविष्य में सहयोग की संभावनाओं के अवसर तलाशने में सहायक है.

संकाय विकास कार्यक्रम

ज्ञानार्जन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है. संकाय सदस्य अपने प्रस्तुतीकरण कौशल को निखारने, अद्यतन कार्यक्रम रूपरेखाओं के अनुरूप स्वयं को ढालने तथा सभी केंद्रों में एकरूप एवं उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण अनुभव सुनिश्चित करने हेतु विशेष कार्यशालाओं में भाग लेते हैं.

कर्मचारी सहभागिता के लिए ज्ञानार्जन गतिविधियाँ

- **लर्निंग क्लब** - स्वयंसेवकों का समूह, जो सीखने, ज्ञान साझा करने एवं एक-दूसरे को सशक्त बनाने के इच्छुक हैं. इसका आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को किया गया. इसे *'पावर वेडनेसडे'* कहा जाता है. सत्रों का संचालन विशेषज्ञों द्वारा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से, लर्निंग क्लब के सदस्यों द्वारा चयनित विषयों पर किया जाता है.
- **विषय आधारित लर्निंग वेडनेसडे** - टीम आईडीबीआई में निरंतर ज्ञानार्जन की आदतों को प्रोत्साहित करने हेतु यह पहल है. *'लर्निंग वेडनेसडे - आत्म-सशक्तिकरण का एक दिवस'* के रूप में देशभर में शाखाओं, विभागों, वर्टिकलों एवं प्रोसेसिंग कक्षों के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक बुधवार सायंकाल एक घंटे के लिए नियमित रूप से आयोजित किया जाता है.
- **आईडीबीआई नॉलेज कप** - ज्ञानवर्धन एवं टीमभावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बैंक-व्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता डिज़ाइन की गई. यह निरंतर ज्ञानार्जन को प्रोत्साहित करते हुए स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देती है.
- **ज्ञानार्जन केन्द्रों पर त्वरित ज्ञान परीक्षण** - कार्यक्रम के अंत में त्वरित प्रश्नोत्तरी, जो प्रमुख सीखों को सुदृढ़ करती है, ज्ञान प्रतिधारण, सहभागिता और अवधारणाओं के त्वरित अनुप्रयोग को बढ़ाती है.
- **ई-पब्लिकेशन्स - क्यूबैंक** - आपके बैंक ने उत्पादों, प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों एवं सामान्य जागरूकता से संबंधित ज्ञान के अद्यतन हेतु प्रश्न बैंक तैयार किया गया है, जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है.

प्रशासन और बुनियादी संरचना प्रबंधन

आपके बैंक ने विभिन्न रणनीतिक पहलों के माध्यम से अपने भौतिक एवं परिचालनगत बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करना जारी रखा. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती में 60 वर्ष की लीज़ पर 1,618.74 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण किया गया, जहां रिटेल शाखा, बैक ऑफिस कार्य, प्रशिक्षण केंद्र तथा भविष्य में अंचल कार्यालय हेतु प्रावधान के साथ एक परिसर निर्माण की योजना है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक की बुनियादी संरचना के विस्तार के प्रयासों के परिणामस्वरूप देशभर में बैंक के नेटवर्क में 70 नई शाखाओं की वृद्धि हुई है तथा विभिन्न अंचलों में लगभग 101 शाखाओं एवं कार्यालयों के पुनर्स्थापन एवं व्यापक नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है.

अपनी विरासत का उत्सव मनाने हेतु, बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में *''स्मृति पथ - महत्वपूर्ण उपलब्धियों की यात्रा''* नामक संग्रहालय का निर्माण किया है, जो संगठन के समृद्ध इतिहास एवं देश के वित्तीय परिदृश्य में उसके महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करता है.

आपके बैंक ने *'माय ऑफिस माय प्राइड'* अभियान प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत व्यापक स्तर पर पुराने अभिलेखों एवं फाइलों को छांटने का कार्य किया गया. इस पहल के परिणामस्वरुप 14,550 किलोग्राम के पुराने कागजात एवं फाइलों का निपटान किया गया, जिससे स्वच्छ एवं अधिक टिकाऊ कार्य परिवेश को बढ़ावा मिला. कागज के उपयोग में और कमी लाने हेतु, मुंबई स्थित इसके प्रधान कार्यालय में प्रमुख स्थानों पर डिजिटल सूचना पैनल स्थापित किये गये हैं.

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न सिविल कार्य एवं बुनियादी संरचना परियोजनाएं शुरू कीं, जिनमें आवासीय स्टाफ क्वार्टर्स का पुनर्विकास एवं नवीनीकरण तथा अतिरिक्त आवासीय सुविधाओं एवं प्रशिक्षण संरचना का निर्माण शामिल है, इन पहलों का उद्देश्य अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर एवं समग्र कल्याण में सुधार करना तथा क्षमता-निर्माण के प्रयासों को समर्थन प्रदान करना है. मुख्य परियोजनाओं में मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, रायपुर, भोपाल एवं सतारा स्थित बैंक के आधिकारिक एवं आवासीय परिसरों में संरचनात्मक मरम्मत, नवीनीकरण, पुनर्विकास एवं अतिरिक्त बुनियादी संरचना सुविधाओं का निर्माण शामिल है. इसके अतिरिक्त, अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति को सुदृढ़ करते हुए बैंक ने अलवर, उज्जैन एवं तिरुवनंतपुरम में नए क्षेत्रीय कार्यालयों का उद्घाटन किया. प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, बैंक ने नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर स्थित अपने कार्यालय में डाटा सेंटर के विद्युत उन्नयन का कार्य किया, जिसमें 600 केवीए के 2 यूनिट मॉड्यूलर यूपीएस की खरीद शामिल है.

बैंक ने अपने सीएसआर प्रयासों के अंतर्गत मुंबई के कफ परेड पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कर्मियों की आवासीय सुविधाओं में सुधार तथा उनके समग्र कल्याण के लिए बैरकों के निर्माण में सहयोग प्रदान किया है, इस तरह से उनके

मनोबल एवं कर्तव्यों के निर्वहन में दक्षता को भी सुदृढ़ करने में योगदान दिया है.

सुरक्षा के क्षेत्र में, बैंक ने वर्ष के दौरान व्यापक ईएसजी ढांचे के अंतर्गत एक उत्तरदायी एवं सुरक्षित कारोबारी वातावरण के हिस्से के रूप में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशासन (ओशा) नीति को लागू किया है. यह नीति लागू व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विनियमों के अनुरूप निरंतर पर्यवेक्षण एवं सुरक्षा उपायों में सुधार के माध्यम से जोखिमों की सक्रिय पहचान तथा कार्यस्थल पर खतरों की रोकथाम पर बल देती है, ताकि बैंक परिसर में कार्यरत सभी कर्मचारियों एवं ऑफ-रोल स्टाफ के लिए एक सुरक्षित, स्वस्थ एवं संरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चत किया जा सके. इसके अतिरिक्त, नीति में नियमित प्रशिक्षण सत्र, जागरूकता कार्यक्रम तथा संरचित घटना-रिपोर्टिंग तंत्र को अपने अभिन्न घटकों के रूप में शामिल किया गया है.

कार्यकुशलता तथा टर्नअराउंड समय में सुधार करने के लिए, आपके बैंक ने कई प्रक्रियाओं का स्वचालन किया है, जिनमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण शामिल है, जो डिजिटल रूपांतरण तथा कर्मचारियों की सुविधा के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

आंतरिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक का एक समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो संस्था के भीतर आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन और अभिशासन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ आश्वासन देता है. विभाग आंतरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं के साथ-साथ लागू विनियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुपालन का भी मूल्यांकन करता है तथा प्रक्रिया सुधार हेतु रचनात्मक सुझाव प्रदान करता है.

लेखापरीक्षा कार्य के अंतर्गत जोखिम आधारित लेखापरीक्षा दृष्टिकोण अपनाया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि लेखा परीक्षा कवरेज बैंक की जोखिम प्रोफाइल तथा व्यावसायिक प्राथमिकताओं के अनुरूप है. बैंक की लेखा परीक्षा गतिविधियां, अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं तथा गैर-शाखा खंडों में फैले बैंक के संपूर्ण कारोबार एवं सहयोगी वर्टिकलों को कवर करती हैं. बदलते कारोबारी वातावरण के अनुरूप बने रहने और सख्त अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है और संशोधित किया जाता है. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के समग्र मार्गदर्शन तथा देख-रेख में कार्य करता है.

लेखा परीक्षा कार्य का संचालन एक व्यापक नीतिगत ढांचे पर आधारित है जिसमें जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति, समवर्ती लेखापरीक्षा नीति और सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा नीति शामिल है. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम में लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करता है जिनमें शाखा लेखापरीक्षा, अंचलों और क्षेत्रों की प्रबंधन लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा शामिल हैं. इन नियमित लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा विभाग औचक लेखापरीक्षा, गतिशील लेखापरीक्षा, स्नैप लेखापरीक्षा, विषयगत लेखापरीक्षा आदि भी करता है ताकि आंतरिक नियंत्रण तंत्र की सशक्तता सुनिश्चित की जा सके.

लेखापरीक्षा टिप्पणियों की केंन्द्रित निगरानी तथा प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (जेडएओ) संरचना बनाई गई है, जिसमें शाखा लेखा परीक्षा पर विशेष बल दिया गया है. संपूर्ण लेखा परीक्षा जीवनचक्र एक वेब आधारित एप्लिकेशन-अर्थात् *'आई-नेत्र'* (एकीकृत लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली) के जरिये संपन्न किया जाता है, जो लेखापरीक्षित इकाइयों के अधिकारियों को तत्काल आधार पर पहुँच प्रदान करता है तथा अनुपालन स्थिति की सतत निगरानी को सक्षम बनाता है.

इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा विभाग को प्रमुख अभिशासन-संबंधी दायित्व भी सौंपे गए हैं, जिनमें स्टाफ जवाबदेही परीक्षण, लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार व्हिसल ब्लोअर तंत्र शामिल हैं.

लेखापरीक्षा कार्य योग्य और कुशल पेशेवरों की एक टीम के द्वारा समर्थित है, जो जोखिमों की पहचान करने तथा प्रक्रियाओं एवं सेवा प्रदान करने में सुधार हेतु सक्रिय भूमिका निभाते है. प्रबंधन को समय पर फीडबैक एवं संरचित रिपोर्टिंग के माध्यम से, विभाग प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई में योगदान देता है, जिससे परिचालन, वित्तीय एवं विनियामकीय जोखिमों का शमन होता है तथा बैंक के समग्र नियंत्रण ढांचे को मजबूत किया जाता है.

लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर)

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) द्वारा लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) को अंतिम रूप देने में सहायक एवं समन्वयकारी भूमिका निभाता है. एलएफएआर से संबंधित गतिविधियों के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करते हुए, विभाग बैंक के विभिन्न व्यवसायिक वर्टिकलों, कार्यात्मक विभागों एवं शाखाओं के साथ निकटता से समन्वय स्थापित करता है, ताकि अपेक्षित जानकारी का अनुपालन, सत्यापन एवं समयबद्ध तथा संरचित रूप में एससीए को प्रेषण सुनिश्चित किया जा सके. बैंक में एलएफएआर गतिविधियों के समन्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करते हुए, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग संबंधित वर्टिकलों एवं विभागों के साथ सक्रिय रूप से फॉलो अप करता है तथा एलएफएआर में की गई टिप्पणियों के समय पर और प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करता है. यह समन्वित दृष्टिकोण लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के समय पर निपटान को सक्षम बनाता है तथा बैंक में आंतरिक नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण में सहायक होता है.

सतत अनुपालन की संस्कृति को अधिक सुदृढ़ करने के लिए, लेखापरीक्षा विभाग नियमित रूप से डीलिंग ग्रुप्स (डीजी) को सलाह जारी करता है, जिससे नियंत्रण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए सक्रिय उपायों को अपनाने, मिलान की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने तथा पहचानी गई विसंगतियों के सुधार हेतु प्रोत्साहन मिलता है. इन पहलों को नियमित अंतर-वर्टिकल बैठकों द्वारा समर्थन दिया जाता है, जिनमें अंचलों के साथ संरचित संवाद शामिल है जिसका उद्देश्य नियंत्रण ढांचे को सुदृढ़ करना, कार्य-दक्षता में वृद्धि करना तथा बैंक में समग्र अभिशासन मानकों में सुधार करना है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (इफको-एफआर)

बैंक ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के क्रियान्वयन हेतु एक सुदृढ़ ढांचा स्थापित किया है, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रणों को सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में शामिल किया गया हैं तथा संबंधित जोखिमों के अनुरूप बनाया गया है. इन नियंत्रणों को सुस्पष्ट जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) के माध्यम से मैप किया जाता है, जिनकी आवधिक समीक्षा की जाती है तथा त्रैमासिक आधार पर स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है, ताकि उनकी निरंतर पूर्णता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके.

इस उद्देश्य हेतु नियुक्त एक बाह्य परामर्शदाता प्रशासनिक कार्यालयों तथा शाखा स्थलों पर, नियंत्रण प्रभावशीलता के ऑनसाइट एवं ऑफसाइट, दोनों परीक्षण सहित, स्वतंत्र मूल्यांकन करता है. मूल्यांकन प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा एवं परिचालन प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है तथा जहां आवश्यक हो, नियंत्रण परिवेश को सुदृढ़ करने हेतु अनुशंसाएं शामिल हैं.

एकीकृत लेखा-परीक्षा प्रबंधन समाधान के हिस्से के रूप में, आपके बैंक ने कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा पता लगाने की क्षमता में और सुधार हेतु आई-नेत्र में इफको-एफआर मॉड्यूल कार्यान्वित किया है. यह स्वचालित समाधान आवधिक मूल्यांकन प्रक्रिया के संपूर्ण प्रबंधन को सक्षम बनाता है, जिसमें डेटा संकलन, नियंत्रण परीक्षण तथा प्रमाणों के मानकीकृत भंडार के परीक्षण एवं अनुरक्षण शामिल हैं जिससे निरंतरता और लेखा-परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित होती है.

आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग, बाह्य परामर्शदाताओं तथा बैंक के कारोबारी वर्टिकलों एवं विभागों के मध्य गतिविधियों के समन्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है. इस संरचित समन्वय के माध्यम से विभाग, बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करता है. लेखापरीक्षा विभाग सभी व्यवसाय स्वामियों के साथ निकट समन्वय में कार्य करता है, ताकि नियंत्रणों को क्रमिक रूप से खोजी प्रकृति से निवारक प्रकृति की ओर ले जाने तथा मैन्युअल प्रक्रियाओं के स्थान पर स्वचालन को बढ़ावा दिया जा सके. इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा विभाग व्यवसाय प्रक्रिया स्वामियों को जोखिमों के नियमित आकलन तथा संबंधित नियंत्रणों की आवधिक समीक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु समय-समय पर सलाह भी जारी करता है. यह जारी सहभागिता पूरे संगठन में सुदृढ़ नियंत्रण जागरूकता को बढ़ावा देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नियंत्रण तंत्र कार्यकुशल, प्रभावी तथा बैंक के अभिशासन एवं वित्तीय प्रतिवेदन उद्देश्यों के अनुरूप बना रहे.

सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखापरीक्षा

सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखापरीक्षा बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य का एक अभिन्न अंग है तथा प्रौद्योगिकी जोखिमों एवं उनके व्यवसायिक प्रभावों के संबंध में निरंतर आश्वासन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बैंकिंग परिचालनों में सूचना प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर अपनाने के मद्देनजर, बैंक आईटी प्रणालियों की नियमित एवं व्यापक समीक्षा के महत्व को समझता है, ताकि सभी सूचना प्रणालियों में सुदृढ़ नियंत्रण, सुरक्षा ढाँचा तथा सर्वोत्तम प्रथाएँ समान रूप से लागू हों.

बैंक का आईएस लेखापरीक्षा कार्य, इसके आईटी आस्तियों की गोपनीयता, अखंडता तथा उपलब्धता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें एक व्यापक लेखापरीक्षा दायरा समाहित है, जिसमें आईटी प्रणालियाँ एवं एप्लिकेशन्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी से संबंधित नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ, शाखाएँ तथा आउटसोर्स आईटी सेवा प्रदाता शामिल हैं. इस व्यापक कवरेज के माध्यम से, आईएस लेखापरीक्षा कार्य, बैंक के डिजिटल पारितंत्र में प्रौद्योगिकी जोखिमों पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करता है.

'लेखापरीक्षा कार्य के स्वतंत्र आश्वासन' संबंधी रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए, बैंक का आईएस लेखापरीक्षा, प्रबंधन तथा विनियामकों, दोनों को बैंक की सूचना प्रणाली नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता के संबंध में आश्वासन प्रदान करता है. बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की प्रभावशीलता एवं कार्यकुशलता का सत्यापन आवधिक गुणवत्ता आश्वासन समीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है, जो सुदृढ़ अभिशासन एवं विनियामकीय अनुपालन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करती है. परिवर्तित होती विनियामकीय अपेक्षाओं तथा उभरते साइबर एवं प्रौद्योगिकी खतरों के अनुरूप, बैंक ने अपनी व्यापक आईएस लेखापरीक्षा नीति को अद्यतन किया है, ताकि इसकी निरंतर प्रासंगिकता एवं मजबूती सुनिश्चित की जा सके.

उच्च स्तर की तकनीकी दक्षता बनाए रखने के लिए, बैंक आईएस लेखापरीक्षा टीम में क्षमता निर्माण पर विशेष बल देता है. उभरती प्रौद्योगिकियों, सूचना सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं तथा रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देशों, एडवाइजरी एवं परिपत्रों से आईएस लेखापरीक्षकों को अवगत कराने हेतु नियमित रूप से आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इसके फलस्वरूप, आईएस लेखापरीक्षा टीम तकनीकी विकासों एवं परिवर्तित होते कारोबारी क्षेत्रों के प्रति सुविज्ञ बनी रहती है.

बैंक सतत सुधार की संस्कृति के माध्यम से अपनी आईएस लेखा परीक्षा अभिशासन ढाँचे में निरंतर सुधार कर रहा है. नियमित लेखापरीक्षाएं, समीक्षाएँ, मूल्यांकन तथा फीडबैक तंत्र के माध्यम से उन क्षेत्रों की समय पर पहचान संभव हो पाती है, जहाँ सुधार की आवश्यकता है, तथा सुधारात्मक उपायों के क्रियान्वयन को सुगम बनाया जाता है.

समवर्ती लेखापरीक्षा

समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) प्रणाली अनियमितताओं, परिचालनगत चूक तथा प्रक्रियात्मक विचलनों का समय पर पता लगाने के लिए बैंक की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है. निरंतर निगरानी प्रदान करते हुए, सीए ढाँचा आंतरिक नीतियों एवं विनियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघनों का पता लगाने में सहायक होता है, जिससे जोखिमों का न्यूनीकरण तथा धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देनों की रोकथाम होती है. सीए प्रणाली एक आवश्यक नियंत्रण प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है, जो बैंक की आंतरिक लेखा प्रणाली को आधार प्रदान करती है तथा समग्र नियंत्रण वातावरण को और अधिक मजबूत बनाती है.

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित समवर्ती लेखा परीक्षा नीति के अनुपालन में, बैंक ने जोखिम मूल्यांकन और संभाले गए कारोबार की मात्रा के आधार पर विभिन्न कारोबार इकाइयों में सीए संरचना को लागू किया है. समवर्ती लेखा परीक्षा का दायरा जोखिम धारणा तथा संभाले गए कारोबार की मात्रा के आधार पर खुदरा बैंकिंग समूह (आरबीजी) की शाखाओं, विशेष या गैर-आरबीजी इकाइयाँ जैसे बृहत कॉरपोरेट समूह (एलसीजी), मध्य कॉरपोरेट समूह (एमसीजी), व्यापार वित्त केंद्र (टीएफ़सी), खुदरा आस्ति केंद्र (आरएसी), करेंसी चेस्ट, ट्रेजरी परिचालन तथा केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र जैसे क्रेडिट सॉल्यूशन सेंटर एवं खाता खोलने के केंद्रीकृत प्रभाग जैसे क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाइयाँ (आरपीयू) तक विस्तृत है.

बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीए नीति के अनुसार, सीए को बैंक की 70% जमा और 70% अग्रिमों को शामिल करना आवश्यक है. तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु एसीबी द्वारा अनुमोदित समवर्ती लेखापरीक्षा योजना के अनुरूप, सीए ने जमाओं में 76.75% तथा अग्रिमों में 82.50% का कवरेज प्राप्त किया, जिसमें बैंक की कुल 1,211 लेखापरीक्षित इकाइयाँ शामिल थीं.

समवर्ती लेखा परीक्षकों के कार्य-निष्पादन एवं गुणवत्ता की सतत निगरानी अंचल लेखा परीक्षा कार्यालयों तथा मुंबई स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा की जाती है, ताकि लेखा परीक्षा मानकों का अनुपालन तथा रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जा सके. जोखिम न्यूनीकरण को और सुदृढ़ करने हेतु, संबंधित अंचल लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा ग्रामीण (वित्तीय समावेशन) शाखाओं तथा *'उच्च जोखिम'* अथवा उससे अधिक श्रेणी में वर्गीकृत ग्रामीण शाखाओं के लिए त्रैमासिक आधार पर तदर्थ लेखा परीक्षाएं भी की जाती हैं. उपलब्धता की कमी के कारण जहाँ समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति संभव नहीं हो पाती है, वहाँ भी इस प्रकार की लेखा परीक्षाएँ की जाती हैं. पर्यवेक्षणीय नियंत्रण के रूप में, बैंक समवर्ती लेखा परीक्षकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करता है, ताकि लेखा परीक्षा के निष्कर्षों पर विचार-विमर्श किया जा सके तथा लेखा परीक्षा की प्रभावशीलता को सुदृढ़ किया जा सके. इसके अतिरिक्त, महाप्रबंधक अथवा उप महाप्रबंधक - अंचल लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षित इकाइयों के साथ प्रत्येक तीन माह में एक बार औपचारिक बैठकें आयोजित की जाती हैं.

ऋण लेखापरीक्षा

बैंक ने चयनित उधारकर्ताओं के खातों की व्यापक एवं गहन समीक्षा के लिए एक संरचित ऋण लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य ऋण गुणवत्ता को सुदृढ़ करना तथा ऋण पोर्टफोलियो की समग्र मजबूती में वृद्धि करना है. ऋण लेखापरीक्षा प्रक्रिया, ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धतियों की प्रभावशीलता के बारे में स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करती है तथा ऋण मूल्यांकन एवं निगरानी में संभावित कमियों की शीघ्र पहचान में सहायक होती है.

ऋण लेखापरीक्षा में उधार से संबंधित प्रमुख पहलुओं का विस्तृत परीक्षण शामिल होता है, जिसमें ऋण मूल्यांकन की पर्याप्तता एवं गुणवत्ता, आंतरिक नीतियों एवं विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन, दस्तावेजीकरण एवं प्रतिभूति सृजन की पर्याप्तता तथा खाते के परिचालन का परीक्षण आदि शामिल हैं. ऋण लेखापरीक्षा के लिए चयनित उधारकर्ता खातों की पहचान सुव्यवस्थित जोखिम-आधारित मानदंडों के आधार पर की जाती है. इनमें सभी नए, अधिग्रहण एवं संवर्धन प्रस्तावों और नवीनीकरण तथा सीमा नवीनीकरण-सह-संवर्धन से संबंधित प्रस्ताव एवं कॉरपोरेट नवीनीकरण के ऐसे मामले जिन्हें बीबीबी एवं उससे निम्न श्रेणी में आंका गया हो, शामिल हैं तथा जिनकी मंजूर की गई सीमा निर्धारित प्रारम्भिक सीमा से अधिक है. इसके अतिरिक्त, वे खाते जो समीक्षा अवधि के दौरान निवेश-ग्रेड से नीचे हो गए हों, उन्हें भी लेखापरीक्षा के दायरे में शामिल किया जाता है. यह लक्षित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि उच्च जोखिम वाले एक्सपोज़र का अधिक गहन परीक्षण किया जाए, जिससे सक्रिय जोखिम न्यूनीकरण को समर्थन मिलता है तथा पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सतत सुधार सुनिश्चित होता है.

छानबीनपरक लेखापरीक्षा अथवा विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षा (आईए/एसआईए)

आपके बैंक का लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न जोखिम-आधारित ट्रिगर्स के आधार पर शाखाओं एवं कार्यालयों में विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षा/ छानबीनपरक लेखापरीक्षाएं (एसआईए/ आईए) संचालित करता है. ये जांचें प्रणालियों, नीतियों, उत्पाद दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं तथा कार्यविधियों में विद्यमान कमियों की समय पर पहचान सुनिश्चित कर बैंक के नियंत्रण परिवेश को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे नियंत्रणों को मजबूत करने तथा शाखाओं की बेहतर ढंग से समग्र निगरानी करने में सहायता मिलती है. एसआईए/आईए द्वारा दिये गये प्रारंभिक ट्रिगरों ने अंचल कार्यालयों को समय पर वसूली अथवा विधिक कार्रवाई प्रारंभ करने में सहायता प्रदान की है, जिससे खातों के अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में जाने से रोका गया. इन एसआईए से प्राप्त महत्वपूर्ण अवलोकनों को उपयुक्त मार्गदर्शन एवं निर्देश हेतु एसआईए / आईए के लिए कार्यरत कार्यपालक निदेशक(ईडी) स्तर की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा उन पर किए गए सुधारात्मक कार्रवाइयों को आवधिक रूप से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) को रिपोर्ट किया जाता है. एसआईए / आईए के माध्यम से पहचानी गई प्रमुख त्रुटियों एवं नियंत्रण संबंधी कमियों को पुनरावृत्ति की रोकथाम के उद्देश्य से संबंधित शाखाओं, कार्यालयों तथा नियंत्रक कार्यालयों को सुनियोजित रूप से संप्रेषित किया जाता है. ये प्रयास बैंक में सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं, जो न केवल शाखा एवं कार्यालय स्तर के परिचालनों तक सीमित है, बल्कि पर्यवेक्षी निगरानी को भी समाहित करते हैं, जिससे समग्र अभिशासन एवं निगरानी तंत्र को और अधिक सुदृढ़ता प्राप्त होती है.

स्टाफ जवाबदेही

आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्टाफ जवाबदेही (एसए) नीति के अंतर्गत स्टाफ जवाबदेही संबंधी मुद्दों की जांच के लिए एक समर्पित टीम है, जिसकी प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है. एसए का उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर बैंक के व्यापक हितों की सुरक्षा करना है जहां बैंक के हितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का स्टाफ द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और जिसके परिणामस्वरूप बैंक को हानि हुई है. यह अभ्यास, बैंक को अपनी कार्य-प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने, प्रशिक्षण और परामर्श के माध्यम से किसी प्रकार के ज्ञान की कमी को दूर करने अथवा अन्य कार्रवाइयों द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार करने में, जो दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं

के बेहतर अनुपालन के अनुकूल हो, समय पर और उचित सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता करता है.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में एक समर्पित सतर्कता विभाग (वीजीडी) के माध्यम से एक सुव्यवस्थित सतर्कता ढांचा स्थापित किया है. कार्य-क्षेत्र स्तर पर निगरानी को सुदृढ़ करने और प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु, बैंक के सभी अंचल कार्यालयों (जेडओ) में सतर्कता टीमों का गठन किया गया है, ताकि पूरे बैंक में सतर्कता संबंधी गतिविधियों की निकट निगरानी और बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके.

सीवीओ बैंक में सतर्कता से संबंधित कार्यों की देखरेख के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिनका कार्यक्षेत्र व्यापक है इसमें निवारक और अन्वेषणात्मक दोनों पहलू शामिल हैं. इसमें कर्मचारियों द्वारा किए गए या संभवतः किए जाने वाले भ्रष्ट आचरण के बारे में सूचना का संग्रहण करना; सतर्कता संकेतों के साथ सत्यापन योग्य आरोपों संबंधी शिकायतों की जांच करना; सतर्कता और जांच रिपोर्टों पर कार्रवाई करना जिसे आगे अनुशासनात्मक प्राधिकारी के विचारार्थ भेजना; जहां कहीं भी आवश्यकता हो, मामलों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को उनके विचारार्थ और सलाह हेतु भेजना; भ्रष्टाचार या कदाचार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना और अन्य कार्यकलापों के साथ विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय एवं संपर्क करना शामिल है.

सतर्कता संबंधी जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी जानकारी तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए, आपके बैंक के इंट्रानेट पर सतर्कता विभाग का एक समर्पित वेबपेज है. यह प्लेटफॉर्म सतर्कता विभाग के कार्यों का विहंगावलोकन, बैंक की शाखाओं और कार्यालयों में प्रदर्शित करने के लिए सीवीसी द्वारा निर्धारित मानक नोटिस का प्रारूप, सीवीसी, सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ), व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए महत्वपूर्ण परिपत्रों और दिशानिर्देशों, साथ ही बैंक के आंतरिक निर्देश प्रदान करता है. इसमें निवारक सतर्कता संबंधी पहलों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिनमें निवारक सतर्कता के *'क्या करें'* और *'क्या न करें'* शामिल हैं. इन पहलों ने आपके बैंक के अधिकारियों के बीच सतर्कता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में योगदान दिया है.

सतर्कता कार्य में *'निवारक सतर्कता'* और *'दंडात्मक सतर्कता'* दोनों तत्त्व शामिल हैं. निवारक सतर्कता एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, विवेकाधिकार के उपयोग को कम किया जा सके और कर्मचारियों के साथ-साथ बैंक के हितधारकों को सतर्कता संबंधी मामलों के बारे में जागरूक किया जा सके और उनमें जागरूकता पैदा की जा सके.

अपने निवारक सतर्कता प्रयासों के हिस्से के रूप में, बैंक ऑनसाइट निगरानी, औचक सतर्कता दौरे (एसवीवी) और स्वतः संज्ञान के आधार पर निरीक्षण करता है, जो योजनाबद्ध तरीके से और साथ ही स्टाफ या बाहरी तत्वों द्वारा संदिग्ध कदाचार से संबंधित विशिष्ट स्रोत सूचना के आधार पर किए जाते हैं. ये उपाय किसी प्रकार की अनियमितताओं, यदि कोई हो, का पता लगाने और निर्धारित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन का आकलन करने में सहायक होते हैं. इसके अतिरिक्त, सतर्कता विभाग एक बारगी निपटान (ओटीएस)/ पहली बार अनर्जक आस्ति (एफटीएनपीए), बैंक अधिकारियों के आस्ति व देयताओं की वार्षिक विवरणियों (एआरएएल), बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच करता है और प्रणालीगत सुधार के लिए पाई गई अनियमितताओं जहां भी आवश्यक हो, को रोकने के लिए एड्वाईजरी जारी करता है, साथ ही पूरे संगठन में सतर्कता सिध्दांतों को सुदृढ़ करने के लिए कर्मचारियों को सतर्कता मामलों पर प्रशिक्षण प्रदान करता है. आपके बैंक के पास सतर्कता मामलों से संबंधित शिकायतों की प्रभावी निगरानी और त्वरित निपटान के लिए सतर्कता शिकायत प्रबंधन मॉड्यूल (वीसीएमएम) है.

सीवीसी के निर्देशों के अनुरूप और सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के तहत, आपके बैंक ने 27 अक्तूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2025 का आयोजन किया, जिसका विषय था "सतर्कता- हमारी साझा जिम्मेदारी". इस अवसर पर, अपने सभी कर्मचारियों के लाभ के लिए एक विशेष ई-पत्रिका जारी की गई. अखिल भारतीय स्तर पर स्टाफ सदस्यों तथा उनके बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफ लाइन मोड पर विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे प्रश्नोत्तरी, निबंध-लेखन, कार्टून और कैरिकेचर, कॉइन-ए-कैप्शन, मेमोरी गेम आदि का आयोजन किया. इसके अतिरिक्त, वीएडब्ल्यू 2025 सप्ताह के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) और कानून प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुंबई में आपके बैंक के प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों को संबोधित किया.

वीएडब्ल्यू 2025 मनाने के एक हिस्से के रूप में, बैंक के कर्मचारियों ने ऑनलाइन माध्यम से सत्यनिष्ठता की प्रतिज्ञा ली और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का व्यापक समर्थन करने के लिए बैंक के ग्राहकों को उनके खाते के विवरण के साथ सत्यनिष्ठता की प्रतिज्ञा लेने के लिए भी एक लिंक भेजा गया. फील्ड अधिकारियों, ग्राहकों और सर्व साधारण के लाभ के लिए विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया. पहुंच बढ़ाने के लिए आपके बैंक के अंचल कार्यालयों (जेडओ), क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ), शाखाओं और सार्वजनिक इंटरफेस वाले अन्य स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए. आपके बैंक ने विभिन्न स्थानों पर ग्राम सभाओं का आयोजन किया और जागरूकता अभियान भी चलाये.

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, वीएडब्ल्यू-2025 से संबंधित जानकारी आपके बैंक की वेबसाइट के साथ-साथ इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित की गई, जिससे सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और नैतिक आचरण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूती मिली.

विनियामक अनुपालन

आपका बैंक आंतरिक नियंत्रणों की संरचित प्रणाली और विभिन्न स्तरीय समीक्षा के ज़रिए भारत सरकार, रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य विनियामक/सांविधिक निकायों द्वारा जारी सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. अनुपालन कार्य मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में अनुपालन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है

जिसके प्रमुख कार्यपालक निदेशक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्हें मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के रूप में नामित किया गया है, जो पूरे बैंक में सभी विनियामक और सांविधिक दिशानिर्देशों के प्रसार, कार्यान्वयन और आंतरिककरण की देखरेख करते हैं.

आपका बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति के अंतर्गत कार्य करता है जिसे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है और जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. यह नीति अनुपालन कार्य से संबंधित विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करती है, जिससे कार्यान्वयन में जवाबदेही और निरंतरता सुनिश्चित होती है. इस ढांचे के समर्थन से, बैंक ने एक मजबूत और प्रभावी अनुपालन संरचना स्थापित की है, जिसमें बदलते विनियामक परिदृश्य, उभरती प्रौद्योगिकियों, आंतरिक क्षमताओं में वृद्धि और अनुपालन कार्य की आवधिक बाहरी लेखापरीक्षाओं या समीक्षाओं से प्राप्त निष्कर्षों के जवाब में ढांचे को मजबूत करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है.

बोर्ड को रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों या एजेंसियों से प्राप्त महत्वपूर्ण विनियामक संचार, निर्देश और दिशा-निर्देशों के संबंध में मासिक अंतराल पर अवगत कराया जाता है. इसके अतिरिक्त, बैंक विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सत्यापित करने और किसी भी कमी, यदि कोई हो, की समय पर पहचान करने के लिए अनुमोदित अनुपालन परीक्षण योजना के अनुसार जोखिम-आधारित अनुपालन परीक्षण करता है.

सूक्ष्म स्तर पर अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए, आपके बैंक ने उन्नत प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधानों का उपयोग किया है, जिनमें सेरमो+एनएक्सटी, कार्यप्रवाह-आधारित अनुपालन प्रणाली, केसवेयर आइडिया, एक ज्ञान प्रबंधन उपकरण (केएमटी) और विभिन्न निगरानी ट्रैकर शामिल हैं. ये डिजिटल उपकरण पूरे उद्यम में अनुपालन की निगरानी, विनियामक विवरणियों को समय पर प्रस्तुत करने और प्रभावी डेटा प्रबंधन को सुगम बनाते हैं, जिससे बैंक में अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा मिलता है.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

आपके बैंक ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है. आपके बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों का त्वरित उत्तर देने के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को नामित किया है. इसके अतिरिक्त, सभी शाखा प्रमुखों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने और उन्हें सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने असंतुष्ट आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य महा प्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक स्तर के अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किया गया है. बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/) पर आरटीआई अधिनियम के लिए एक अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है. आपके बैंक ने भारत सरकार के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के साथ भी संबद्धता स्थापित की है जिसके अंतर्गत नागरिक पोर्टल (https://rtionline.gov.in) के जरिये आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकते हैं और अपील दायर कर सकते हैं. ये उपाय आपके बैंक को सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आरटीआई अनुरोधों को कुशलतापूर्वक संभालने एवं निपटान करने में सक्षम बनाते हैं.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक ने भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार राजभाषा हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए हैं. आपके बैंक के सभी वर्टिकलों, विभागों, अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ अन्य कार्यालयों और शाखाओं ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और अन्य निर्देशों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से केंद्रित प्रयास किए.

ग्राहक संपर्क में राजभाषा के प्रगतिशील उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, आपके बैंक ने ग्राहक संप्रेषण में राजभाषा के प्रगतिशील उपयोग के लिए कई पहलें लागू कीं, जैसे राजभाषा में एटीएम रसीद जारी करना और संदेश भेजना. वर्ष के दौरान, बैंक की वेबसाइट पर राजभाषा में बैंक के उत्पादों और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए. बैंक का मोबाइल एप्लिकेशन, गो मोबाइल+ में राजभाषा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे ग्राहकों तक इसकी पहुंच और भी बढ़ गई है. इसके अतिरिक्त, ग्राहकों की सुविधा के लिए ग्राहक संपर्क केंद्रों पर राजभाषा के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित की गई. राजभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग विभिन्न विज्ञापन अभियानों में किया गया, जिनमें सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी शामिल हैं.

आपके बैंक ने राजभाषा में कार्य को सुगम बनाने के लिए अपने इंट्रानेट पर द्विभाषी रूप में टेम्पलेट पत्र, फॉर्म, प्रारूप, वार्षिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन, शब्दकोश, नोटिंग और अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री अपलोड की है. स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गईं और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. बैंक के विभिन्न विभागों और वर्टिकलों में राजभाषा के प्रयोग को प्रगामी रूप से बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न अपेक्षाओं और राजभाषा यूनिकोड के प्रयोग के बारे में कर्मचारियों को परिचित करने के लिए बैंक के सभी क्षेत्रों में राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं.

सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप, आपके बैंक ने सितंबर 2025 में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया. शाखाओं और विभागों में राजभाषा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए तिमाही आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें (राकास) आयोजित की जाती हैं और तिमाही रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गई हैं. राजभाषा

के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं और विभागों का निरीक्षण भी किया गया है.

इन निरंतर पहलों के माध्यम से, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान दिन-प्रतिदिन के आधिकारिक कार्यों में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया और बैंक को विभिन्न मंचों पर उचित सम्मान प्राप्त हुआ तथा पुरस्कार भी प्राप्त हुए.

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन

अपने सभी हितधारकों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने के अपने ध्येय को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने और ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने पर ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है.

ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी) समय पर और प्रभावी शिकायत समाधान के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का केंद्र है, जो सकारात्मक अनुभव के माध्यम से ग्राहकों के विश्वास और संतुष्टि को मजबूत करता है. ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं और विनियामक मानदंडों के प्रति उत्तरदायी बने रहने के लिए, आपका बैंक अपनी ग्राहक सेवा नीति, शिकायत निवारण नीति और ग्राहक अधिकार नीति की वार्षिक समीक्षा करता है. ये नीतियां एक संरचित, पारदर्शी और समयबद्ध शिकायत निवारण ढांचा सुनिश्चित करके ग्राहकों को सशक्त बनाती हैं. विभिन्न चैनलों से प्राप्त सभी शिकायतों पर इन्हीं नीतियों के अनुसार कार्रवाई की जाती है, जिसमें एक पूर्व-निर्धारित समयबध्द अंतर्निहित एस्केलेशन मैट्रिक्स और आंतरिक चेतावनी तंत्र निर्धारित है. इन नीतियों के अनुसार, यदि शिकायत का समाधान पूर्व-निर्धारित टर्नअराउंड समय (टीएटी) के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसे बेहतर शिकायत समाधान के लिए अगले उच्च अधिकारी के पास प्रेषित कर दिया जाता है. आपके बैंक ने अपने सभी 16 अंचल कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) और प्रधान कार्यालय में एक प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) को पदनामित किया है. इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2026 के अनुसार ऐसी सभी शिकायतों जिनको बैंक अस्वीकार या आंशिक समाधान प्रदान करने का प्रस्ताव करता है, उन्हें ग्राहक को जवाब देने से पूर्व बैंक के आंतरिक लोकपाल (आईओ) के पास स्वतंत्र समीक्षा के लिए भेजा जाता है.

आपके बैंक की एक केन्द्रिकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली है, जो विभिन्न चैनलों से प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने, निगरानी और उनका समय पर समाधान करने में सहायता करती है. सभी प्राप्त शिकायतों की प्रविष्टि इस प्रणाली में की जाती है और शिकायत पंजीकृत करने पर ग्राहक को एक एसएमएस के द्वारा पावती भेजी जाती है, जिससे ग्राहक को बैंक की वेबसाइट, निकटतम शाखा या संपर्क केंद्र के माध्यम से अपनी शिकायतों की स्थिति का पता लगाने की सुविधा मिलती है.

ग्राहकों के प्रश्नों के 24X7 आधार पर समाधान करने और विविध चैनलों से प्राप्त ग्राहक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए आपके बैंक के पास नवी मुंबई में सीबीडी बेलापुर और हैदराबाद स्थित, दो समर्पित ग्राहक संपर्क केंद्र है. बैंक के ग्राहकों की विविधता का सम्मान और स्वीकार करते हुए तथा उनकी बातचीत को व्यक्तिगत बनाने का प्रयास करते हुए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ग्राहक संपर्क केंद्र 10 क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान करता है.

आपका बैंक वार्षिक आधार पर जमाकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण आयोजित करता है और निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जाता है तथा प्राप्त जानकारियों को उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सुधार के लिए शामिल किया जाता है. शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति (बीएलसीएससी) की बैठकें प्रत्येक माह की 15 तारीख को आयोजित की जाती हैं ताकि ग्राहकों और शाखा के बीच संरचित संप्रेषण को प्रोत्साहित किया जा सके जिससे शाखा में सेवा स्तर में सुधार हो सके.

आपके बैंक ने ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए दो वरिष्ठ स्तरीय ग्राहक सेवा समितियां अर्थात् ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) और बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) गठित की हैं. इन समितियों, जिनकी बैठकें त्रैमासिक आधार पर होती हैं, को बैंक के विभिन्न संपर्क बिंदुओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने का कार्य सौंपा गया है. इसके अलावा, समितियां ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों और प्रतिक्रियाओं का भी मूल्यांकन करती हैं और शिकायत निवारण की दक्षता में सुधार तथा ग्राहक सेवा में सुधार को सुगम बनाने के लिए मौजूदा मानदंडों या प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं.

बैंक ने ग्राहक सेवा और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिनमें एचएनआई और एनआरआई ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक समर्पित *"ग्रीन कॉरिडोर"* की स्थापना शामिल है. आईटच सीआरएम के माध्यम से एक स्वचालित संचार प्रणाली शिकायत की स्थिति पर समय पर ईमेल अपडेट सुनिश्चित करती है, साथ ही पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा भी उपलब्ध है. सेवा गुणवत्ता की निगरानी के लिए कॉल सेंटर से बातचीत के बाद तुरंत एसएमएस आधारित फीडबैक तंत्र शुरू किया गया है. इसके अतिरिक्त, क्रेडिट कार्ड ग्राहक कॉल सेंटर सेवाओं को बैंक के आंतरिक सेटअप के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे संचालन सुचारू हो गया है और सेवा वितरण में सुधार हुआ है.

कॉरपोरेट संवाद

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के विज्ञापन और संचार संबंधी पहल का मुख्य उद्देश्य ब्रांड की पहचान को मजबूत करना और निरंतर ब्रांड जागरूकता तथा उत्पाद एवं सेवा प्रचार के माध्यम से इसके प्रमुख उत्पादों के प्रति रुचि बढ़ाना था. वर्ष के दौरान चलाए गए अभियानों का उद्देश्य बैंक की ब्रांड स्थिति को सुदृढ़ करना और साथ ही इसकी पेशकशों की प्रमुख विशिष्टताओं को उजागर करना था. संचार प्रयासों को मुख्य रूप से आउट-ऑफ-होम (ओओएच), प्रिंट और डिजिटल मीडिया के माध्यम से चलाए गए थे, साथ ही इष्टतम पहुंच और आवृत्ति प्राप्त करने के लिए टेलीविजन और रेडियो का भी सुनियोजित उपयोग किया गया.

इसके साथ ही, बैंक ने जनसंपर्क (पीआर) क्षेत्र में सकारात्मक मीडिया छवि बनाए रखने और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दृश्यता बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षित पहल की है. इन प्रयासों से बैंक की पहलों को अनुकूल कवरेज प्राप्त हुआ, जिससे हितधारकों की धारणा में सुधार हुआ और वर्ष के दौरान मीडिया में बैंक की उपस्थिति मजबूत हुई.

बैंक ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आधिकारिक हैंडल के माध्यम से अपने हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क बनाए रखा. महत्वपूर्ण संचार माध्यमों के रूप में कार्य करते हुए, इन प्लेटफॉर्मों ने बैंक को अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने और ग्राहक-केंद्रित पहलों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में सक्षम बनाया, साथ ही नवीन और इंटरैक्टिव सामग्री के माध्यम से हितधारकों की सहभागिता को मजबूत किया. यह मानते हुए कि जागरूक ग्राहक सशक्त ग्राहक होते हैं और ग्राहक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, डिजिटल अपनाने में तेजी से वृद्धि और डिजिटल धोखाधड़ी की घटनाओं में संबंधित वृद्धि को देखते हुए, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी जागरूकता और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं जैसे विषयों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, कई मीडिया चैनलों पर ग्राहक शिक्षा पहलों की एक श्रृंखला शुरू की गई.

सूचना प्रौद्योगिकी

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आपके बैंक ने डिजिटल आधुनिकीकरण, परिचालन दक्षता, ग्राहक केंद्रितता, नियामक अनुपालन, नवाचार पर विशेष ध्यान देते हुए, अपने प्रौद्योगिकी परिवर्तन एजेंडा को आगे बढ़ाना जारी रखा, जो बैंक की समग्र कारोबारी रणनीति के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं.

वर्ष के दौरान बैंक ने 540 से अधिक आईटी विकास, अनुकूलन और सुधार किए, जिनमें 26 नए एप्लिकेशन लॉन्च करना और कई प्रमुख सिस्टम अद्यतन करना शामिल हैं. ये पहलें नवाचार और उद्यम-व्यापी डिजिटल परिपक्वता के प्रति बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रौद्योगिकी विकास, लचीलापन और ग्राहक अनुभव का एक प्रमुख विकास संवाहक बनी रहे.

ग्राहक अनुभव और डिजिटल सहभागिता

आपके बैंक ने अपने डिजिटल पदचिह्नों के विस्तार को निरंतर बढ़ाते हुए एक ओम्नी-चैनल प्लेटफ़ॉर्म शुरूकिया है, जिसका उद्देश्य वेब और मोबाइल चैनलों पर ग्राहकों को एकसमान अनुभव प्रदान करना है, साथ ही वर्ष के दौरान कई नई सेवाएं भी शुरूकी गई हैं. खुदरा ग्राहकों के लिए, बैंक ने मोबाइल और नेट बैंकिंग चैनलों पर स्विफ्ट जीपीआई आधारित विदेशी मुद्रा प्रेषण ट्रैकिंग शुरूकी है, जिससे आवक-जावक विदेशी मुद्रा प्रेषण की वास्तविक समय में जानकारी मिलती है और सीमा पार लेनदेनों में पारदर्शिता बढ़ती है. पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लिए वॉट्सअप-आधारित नामांकन के माध्यम से डिजिटल ग्राहक सहभागिता को और मजबूत किया गया है, जिससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच आसान हो गई है और वंचित वर्गों तक पहुंच में सुधार हुआ है. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने कारोबार प्रतिनिधि के माध्यम से ईकेवाईसी आधारित बचत खाता खोलने की सुविधा शुरू की है, जिससे ग्राहक की कागज रहित ऑनबोर्डिंग में आसानी होती है और बैंकिंग सेवाएं दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचती हैं. लीड जेनरेशन, पासबुक प्रिंटिंग और एईपीएस को सक्षम या अक्षम करने सहित कई एंड्रॉइड आधारित केबीएस एप्लिकेशन के माध्यम से फील्ड परिचालनों को भी डिजिटाइज़ किया गया है, जिससे वास्तविक समय में प्रोसेसिंग, बेहतर सेवा वितरण और बेहतर परिचालन नियंत्रण सुनिश्चित होता है, जो बैंक की दक्षता, सुलभ और ग्राहक-केंद्रित नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

स्वचालन और प्रक्रिया रूपांतरण

वर्ष के दौरान बैंक ने अभिशासन, दक्षता और परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किए गए कई उद्यम-व्यापी प्रौद्योगिकी समाधानों को लागू करके अपने डिजिटल परिवर्तन की यात्रा को आगे बढ़ाया है. उपयोगकर्ता पहचानों को केंद्रीय रूप से प्रबंधित करने और एप्लिकेशन एवं आईटी प्रणालियों में सुरक्षित, भूमिका-आधारित एक्सेस को लागू करने के लिए एक व्यापक पहचान और पहुंच प्रबंधन (आईडीएएम) समाधान को इस वर्ष तैनात किया गया, जिससे मजबूत सुरक्षा और अनुपालन सुनिश्चित हुआ. लेन-देन दक्षता बढ़ाने के लिए, बैंक ने सीटीएस एप्लिकेशन और कोर बैंकिंग सिस्टम के बीच एपीआई-आधारित एकीकरण शुरू किया, जिससे निरंतर चेक समाशोधन सक्षम हुआ और विनियामक समय-सीमा का पालन करते हुए समाशोधन चक्रों में उल्लेखनीय कमी आई. एक उन्नत एकीकृत लेखापरीक्षा प्रबंधन समाधान (एएमएस) के कार्यान्वयन के माध्यम से लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ किया गया, जो संपूर्ण लेखापरीक्षा जीवनचक्र का समर्थन करता है. एक नई वेतन प्रणाली के शुभारंभ के साथ कर्मचारी सहायता प्रणालियों का आधुनिकीकरण भी किया गया, जिससे कर्मचारी मुआवजे की प्रक्रिया में सटीकता और दक्षता में सुधार हुआ. बैंक ने एकीकृत खरीद प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस) को भी लागू किया, जो एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जो आंतरिक और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए संपूर्ण खरीद जीवनचक्र का प्रबंधन करता है. कुल मिलाकर, ये पहलें एक सुरक्षित, कुशल और डिजिटल रूप से परिपक्व संगठनात्मक वातावरण के निर्माण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जो परिचालन उत्कृष्टता और ग्राहक-केंद्रित नवाचार की इसकी व्यापक रणनीति के अनुरूप है.

जोखिम प्रबंधन और विनियामक अनुपालन

वर्ष के दौरान बैंक ने प्रौद्योगिकी-आधारित कई पहलों के माध्यम से अपनी जोखिम प्रबंधन और विनियामक रिपोर्टिंग क्षमताओं को और मजबूत किया. केंद्रीकृत भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) को कई भुगतान चैनलों के साथ स्वचालन और एकीकीरण करके धोखाधड़ी की निगरानी और रिपोर्टिंग क्षमताओं को मजबूत किया गया, जिससे धोखाधड़ी वाले लेनदेनों का पता लगाना और समय पर रिपोर्टिंग करना आसान हो गया. रिज़र्व बैंक के परियोजना वित्त दिशा-निर्देश, 2025 के अनुरूप, बैंक ने परियोजना वित्त परिचालनों में अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग, प्रावधान और विनियामक खुलासे

सहित परियोजना ऋणों के संपूर्ण जीवनचक्र के प्रबंधन हेतु एक व्यापक एप्लिकेशन को तैनात किया. बैंक ने अपने ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एनालिटिकल एप्लीकेशन (ओएफएसएसए) प्लेटफॉर्म को भी अद्यतन किया है, जिसमें बैंकिंग बहीखाते में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी), बासेल पूंजी पर्याप्तता एवं विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) जैसे उन्नत मॉड्यूल लागू किए गए हैं, इससे जोखिम विश्लेषण और विनियामक रिपोर्टिंग क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इसके अलावा, क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) डेटा को सीआरएम के साथ एकीकृत करने से ऋण मूल्यांकन और ग्राहक संपर्क प्रबंधन को और मजबूत बनाने में मदद मिली है, जिससे सार्थक जानकारी प्राप्त होती है और अधिक सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है.

नवाचार और पारदर्शिता

वर्ष के दौरान बैंक ने आई-कैटलिस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कर्मचारियों के लिए संगठनात्मक सुधार हेतु नवीन विचार और सुझाव प्रस्तुत करने का एक सुरक्षित डिजिटल मंच है. इसके अलावा, ऑनलाइन सतर्कता शिकायत पोर्टल (ओवीसीपी) के कार्यान्वयन के माध्यम से पारदर्शिता और संस्थागत अभिशासन को मजबूत किया गया, जिससे सतर्कता संबंधी शिकायतों की कुशल इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति, पंजीकरण और ट्रैकिंग संभव हो सकी.

प्रमुख आईटी बुनियादी संरचना पहल

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आपके बैंक ने महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी संरचना में व्यापक हार्डवेयर आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाकर प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा. इन पहलों का उद्देश्य सिस्टम की मजबूती को बढ़ना, प्रदर्शन में सुधार करना और बैंक की बढ़ती डिजिटल और कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्केलेबल बुनियादी संरचना का निर्माण करना था. आपके बैंक ने कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) को सपोर्ट करने वाले हार्डवेयर का अद्यतन किया है ताकि प्रसंस्करण क्षमता, प्रणाली की उपलब्धता और लेनदेन थ्रूपुट में सुधार हो सके. इस उन्नत बुनियादी संरचना से वास्तविक समय में लेनदेन प्रोसेसिंग तेज़ हुई है, बैच प्रदर्शन बेहतर हुआ है और सभी शाखाओं, एटीएम, डिजिटल बैंकिंग चैनलों और भुगतान प्रणालियों में निर्बाध सेवा प्रदान की जा रही है. आपके बैंक ने अपनी नेटवर्क बुनियादी संरचना को भी अद्यतन किया है ताकि उच्च बैंडविड्थ आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, 98% से अधिक शाखाओं में कम से कम 4 एमबीपीएस के डुअल लिंक, लो-लेटेंसी कनेक्टिविटी और बैंक के संवितरित महौल में सुरक्षित डेटा संचारण की सुविधा उपलब्ध है. आपके बैंक ने क्लाउड अपनाने के लिए दो सार्वजनिक क्लाउड में लैंडिंग ज़ोन स्थापित किए हैं और उनमें से प्रत्येक में दो एप्लिकेशन का अंतरण परीक्षण पूरा कर लिया है. इसके बाद, बैंक सार्वजनिक क्लाउड की प्रबंधनीयता और स्केलेबिलिटी के लाभों का फायदा उठाने के उद्देश्य से चुनिंदा एप्लिकेशन को सार्वजनिक क्लाउड में अंतरण करेगा.

कर्मचारियों की उत्पादकता और परिचालनगत दक्षता में सुधार लाने के लिए, आपके बैंक ने सभी शाखाओं और कार्यालयों में पुराने डेस्कटॉप और लैपटॉप को आधुनिक, ऊर्जा कुशल और सुरक्षित उपकरणों से बदलकर अंतिम उपयोगकर्ता कंप्यूटिंग बुनियादी संरचना को उन्नत किया है. इसके परिणामस्वरूप सिस्टम का प्रदर्शन बेहतर हुआ, डाउनटाइम कम हुआ और रखरखाव लागत में कमी आई.

आपके बैंक ने अपनी सुरक्षा स्थिति को भी अद्यतन किया है. आपके बैंक द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख साइबर सुरक्षा पहल एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स (ईडीआर) के साथ एकीकृत एक उद्यम-व्यापी विस्तारित पहचान और प्रतिक्रिया (एक्सडीआर) प्लेटफॉर्म को तैनात किया है. इसका मुख्य उद्देश्य खंडित सुरक्षा निगरानी, खतरे की विलंबित पहचान और एंडपॉइंट्स और सर्वरों को लक्षित करने वाले बढ़ते उन्नत मैलवेयर/जीरो-डे घटनाओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना था. एक्सडीआर-ईडीआर समाधान ने एंडपॉइंट्स, नेटवर्क, पहचान और क्लाउड कार्यभार से टेलीमेट्री को एकीकृत किया, जिससे खतरे की तत्काल दृश्यता और स्वचालित रोकथाम संभव हुई. प्रमुख तकनीकों में व्यवहार-आधारित ईडीआर एजेंट, केंद्रीय एक्सडीआर सहसंबंध इंजन, सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स (एसओएआर) आधारित स्वचालित प्लेबुक और खतरे की खुफिया जानकारी संचालित विश्लेषण शामिल हैं. इसके अलावा, आपके बैंक ने उपयोगकर्ता समीक्षा और प्रबंधन को केंद्रीय रूप से करने के लिए पहचान और एक्सेस प्रबंधन (आईडीएएम) समाधान भी लागू किया है.

उद्यम स्तरीय विश्लेषण एवं डेटा दृश्यांकन पहल

आपके बैंक ने टैब्लू के माध्यम से डेटा-आधारित डैशबोर्ड एवं सिफारिशों के लिए आंतरिक क्षमता विकसित करने की भी पहल प्रारंभ की है. इस परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाइव, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड की शुरुआत की गई, जिससे पूरे बैंक में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है.

केंद्रीकृत परिचालन

बैंक ने एक समर्पित केंद्रीकृत परिचालन वर्टिकल स्थापित किया है, जिसमें प्रमुख कार्यात्मक इकाइयाँ जैसे केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई (सीपीयू), क्षेत्रीय प्रोसेसिंग इकाई (आरपीयू), खुदरा आस्ति परिचालन (आरएओ), धनशोधन निवारण कक्ष (एएमएल), मनी म्यूल सेल, साइबर क्राइम सेल, घरेलू भुगतान और विप्रेषण सेवाएं, नकदी प्रबंध सेवाएं (सीएमएस), सरकारी कारोबार समूह (जीबीजी), इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग परिचालन, कार्ड निर्गम एवं प्रबंधन अनुभाग, डेटा क्लीन-अप एवं अनुपालन टीम (डीसीसीटी) एवं जीएसटी परिचालन शामिल हैं. यह केंद्रीकृत संरचना सेवाओं और सहायता कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला में मानकीकरण, बेहतर नियंत्रण और परिचालनगत दक्षता को सक्षम बनाती है.

वर्ष के दौरान केंद्रीकृत परिचालन वर्टिकल ने सेवा वितरण और टर्नअराउंड समय में सुधार के लिए प्रक्रिया स्वचालन द्वारा समर्थित कई ग्राहक-केंद्रित पहलें कीं. इन पहलों में उसी दिन खाता खोलना, विविध अनुरोधों का तत्काल प्रसंस्करण, केवाईसी दस्तावेजों का ऑनलाइन अद्यतन या सत्यापन, ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्या (यूसीआईसी) के आवंटन का स्वचालन, लेनदेनों

की लगभग तत्काल निगरानी और संदिग्ध वैकल्पिक चैनलों को अवरुद्ध करना, चरण I निरंतर समाशोधन का सफल कार्यान्वयन, खुदरा ऋण ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईएमआई सेवा हेतु चुकौती के तरीके को अपडेट करना, निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्ति दस्तावेजों को लौटाना, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) पंजीकरण, आदि शामिल थे.

बैंक ने व्यक्तिगत चालू खाते, एकल स्वामित्व चालू खाता, एनआरआई खाते और पूंजीगत लाभ कर खाते जैसे अतिरिक्त खाता प्रकारों को शामिल करके अपनी स्कैन-आधारित खाता खोलने की प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाया है. इस सुधार से संपूर्ण डिजिटल सत्यापन संभव हो पाया है और खाता खोलने में लगने वाला समय काफी कम हो गया है, अब खाता खोलने की प्रक्रिया T+2 से घटकर उसी दिन हो जाती है, जिससे ग्राहकों का खाता खोलने का अनुभव बेहतर हुआ है.

वित्तीय अपराध के बढ़ते जोखिमों से निपटने के लिए, बैंक ने मनी म्यूल खातों से जुड़े जोखिमों की पहचान, निगरानी और निवारण के लिए एक सुव्यवस्थित और प्रौद्योगिकी-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए एक समर्पित मनी म्यूल कक्ष की स्थापना की है. लेन-देनों के पैटर्न का विश्लेषण करने और मनी म्यूल गतिविधि की संकेतिक अनियमितताओं का पता लगाने के लिए, एक आंतरिक नियम-आधारित एप्लिकेशन, अर्थात् *'आई-सतर्क'*, जुलाई 2025 में विकसित और लॉन्च किया गया था. इस क्षमता को अक्तूबर 2025 में रिज़र्व बैंक के उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित डिटेक्शन इंजन *'म्यूलहंटर.एआई'* को आई-सतर्क एप्लिकेशन में एकीकृत करके और मजबूत किया गया. इससे बैंक को अधिक जटिल म्यूल नेटवर्क का पता लगाने और मनी म्यूल का पता लगाने की बैंक की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली है.

भुगतान और निपटान के क्षेत्र में, बैंक ने निरंतर समाशोधन वातावरण में एपीआई-आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) समाशोधन को लागू किया, जिससे लगभग तत्काल समय में चेक प्रसंस्करण और निपटान दक्षता सक्षम हुई.

इसके अलावा, धोखाधड़ी की रोकथाम और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए) / राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के साथ एपीआई एकीकरण का उपयोग करके साइबर अपराध सेल को स्वचालित किया गया, जिससे अलर्ट निगरानी, मामला प्रबंधन और प्रतिक्रिया समयबद्धता में सुधार हुआ.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निरंतर प्रक्रिया स्वचालन और क्वेरी टूल के विकास के माध्यम से, केंद्रीकृत संचालन ने बैंक को ग्राहक संबंधों में मूल्यवर्धन करने और ग्राहकों से प्राप्त सेवा अनुरोधों के प्रसंस्करण में लगने वाले समय को कम करके, विभिन्न कारोबार इकाइयों को निर्बाध सहायता सेवाएं सुनिश्चित करके और इस प्रकार परिचालन लागत को कम करके परिचालन दक्षता में सुधार करने की अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरने में सुविधा प्रदान की है.

शाखा परिचालन सहायता और नीति

आपका बैंक स्टाफ की क्षमताओं को मजबूत करने पर लगातार जोर दे रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्मचारी बैंकिंग परिचालन और सेवाओं के बारे में पूरी तरह से अवगत रहें, ताकि सभी हितधारकों को कुशल सेवा प्रदान की जा सके. इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसके अतिरिक्त, सेवा की गुणवत्ता और परिचालन प्रभावशीलता को और बेहतर बनाने के लिए भूमिका-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में, आपके बैंक ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन (यूईबीटी) पर व्यापक नीति और ग्राहक क्षतिपूर्ति नीति लागू की है, जिनका उद्देश्य ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और ग्राहकों को समय पर समाधान और उचित एवं पारदर्शी मुआवजा सुनिश्चित करना है. ये दोनों नीतियां, अर्थात् यूईबीटी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Unauthorised-Electronic-Banking-Transactions-Policy.pdf) और ग्राहक क्षतिपूर्ति नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Compensation-Policy-Upload.pdf) सुलभ संदर्भ हेतु बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं.

ग्राहकों को उनकी अदावी जमाराशियां खोजने और उस पर दावा करने में सुविधा प्रदान करने हेतु, बैंक ने रिज़र्व बैंक के अदावी जमाराशियां - सूचना अभिगम गेटवे (यूडीजीएएम) पोर्टल में सक्रियता से स्वयं को पंजीकृत किया है और बैंक के पास पड़ी अदावी जमा राशियों का विवरण अपलोड किया है. इसके अलावा, बैंक ने अदावी जमा राशियों के ग्राहकों की पहचान करने और उनका निपटान के लिए रिज़र्व बैंक के *"आपका पैसा, आपका अधिकार"* अभियान (अक्तूबर 2025 से शुरू) में सक्रियता से सहभागिता की है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने कुल 7,320 अदावी जमाओं के दावों का निपटान किया है, जिनकी कुल राशि ₹ 39.46 करोड़ है. इसमें अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 की अवधि के दौरान 1,970 मामलों का निपटान शामिल है, जिनकी कुल राशि ₹ 10.04 करोड़ है और अक्तूबर 2025 से मार्च 2026 (31.03.26 तक) की अवधि के दौरान "आपका पैसा, आपका अधिकार" अभियान के तहत 5,350 मामलों का निपटान शामिल है, जिनकी राशि ₹ 29.42 करोड़ है. साथ ही, बैंक अपने शाखा नेटवर्क और नियंत्रण कार्यालयों के माध्यम से ग्राहकों की पहचान करने और उनसे संपर्क करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किये ताकि अदावी जमाराशियों का अग्रिम निपटान किया जा सके, जिससे निधियों को जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए) में अंतरित करने से बचा जा सके.

आपके बैंक की पूरे देश में 25 करेंसी चेस्ट (सीसी) हैं. ये सभी लिंक शाखाओं की नकदी का प्रसंस्करण करती हैं और एटीएम एवं शाखाओं के माध्यम से वितरण हेतु स्वच्छ नोट प्रदान करती हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, शाखाओं के समन्वय से इन सीसी के माध्यम से कुल 1,332 सिक्का वितरण मेले और नोट विनिमय मेले आयोजित किए गए, जिससे मुद्रा सेवाओं तक जनता की बेहतर पहुंच में मदद मिली.

आपके बैंक ने धोखाधड़ी की जोखिम को कम करने और नियंत्रित करने, प्रभावी परिचालन नियंत्रण और कुशल ग्राहक सेवा जैसे दिवंगत दावा निपटान में स्वचालन, सुरक्षित जमा लॉकर (सम्पूर्ण) स्वचालन और नामांकन सुविधा में स्वचालन, जो रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप हों, सुनिश्चित करने के लिए कई प्रौद्योगिकीय पहलकार्य, प्रणालीगत जांच और प्रक्रियाओं में सुधार किये हैं. बैंक ने सक्रिय ग्राहक संचार उपाय लागू किए हैं, जैसे अपरिचालित खातों के लिए अलर्ट भेजना ताकि खातों के निष्क्रिय होने से रोकने और बाद में खाते के फ्रीज होने से बचने के लिए, आवधिक लेनदेन संबंधी अलर्ट और पुनः केवाईसी करने के लिए देय खातों की अग्रिम सूचना अर्थात् छह महीने पहले भेजना. ग्राहकों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए, मौजूदा डिजिटल माध्यमों के अतिरिक्त, बैंक ने आधार-सक्षम ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के माध्यम से एक सरलीकृत पुनः केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है.

कुल मिलाकर, ये पहलें आंतरिक क्षमताओं को मजबूत करने, ग्राहक सेवा वितरण को बढ़ाने, विनियामक अनुपालन में सुधार करने और पारदर्शी एवं कुशल प्रक्रियाओं के माध्यम से विश्वास को बढ़ावा देने के लिए बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं.

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

आपके बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल समाज के वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के जीवन में महत्वपूर्ण, दृश्यमान और स्थायी बदलाव लाने के उद्देश्य पर आधारित है. बैंक का उद्देश्य संरचित और आवश्यकता-आधारित सीएसआर हस्तक्षेपों के माध्यम से समाज के ऐसे वर्गों के लिए पहचाने गए सामाजिक-आर्थिक और विकासात्मक अंतरों को दूर करना है. अपने विकासात्मक अधिदेश और समावेशी विकास के प्रति उत्तरदायित्व से प्रेरित होकर, बैंक अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से लक्षित प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों को लागू करके दीर्घकालिक रूप से बहुआयामी प्रभाव पैदा करने का प्रयास करता है, साथ ही लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक भूमिका निभाता है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आपके बैंक ने सीएसआर हस्तक्षेपों की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, प्रत्यक्ष पहलों के साथ-साथ मान्यता प्राप्त कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से, वित्तपोषण और पहलों दोनों के रूप में अपनी सीएसआर गतिविधियों को बढ़ाया. सीएसआर हस्तक्षेपों में विभिन्न राज्यों में आदिवासी और वंचित वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए आय सृजन वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए सहयोगात्मक दीर्घकालिक वित्तपोषण शामिल था, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं; इसने स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने में योगदान दिया; बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया; नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा दिया और स्थापित किया; आजीविका के अवसरों को बढ़ाया; व्यावसायिक एवं रोजगार योग्य कौशल को आगे बढ़ाया और नियोजित हस्तक्षेपों को अपनाकर गांवों का समग्र विकास किया.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपके बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित फोकस क्षेत्रों जैसे शिक्षा (सतत आजीविका के लिए कौशल विकास (उद्यमिता विकास सहित) और वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन), स्वास्थ्य सेवा, जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास में चुनिंदा सीएसआर हस्तक्षेपों के लिए ₹ 145 करोड़ स्वीकृत किए.

बैंक ने होप (हेल्थकेयर आउटरीच प्रोग्राम फॉर एवरीवन) और सीड (सपोर्टिंग एजुकेशन फॉर एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट) जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत देश भर में 2,000 से अधिक सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को सीएसआर सहायता प्रदान की है.

पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी)

ईएसजी प्रकटन के बारे में बढ़ते विनियामक फोकस, अधिक जागरूकता और हितधारकों की बदलती अपेक्षाओं के चलते भारत में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) परिदृश्य तेजी से उभर रहा है. इसके कारण संगठनों के बीच अपने दैनिक निर्णय लेने और गतिविधियों में ईएसजी आयामों को शामिल करने का महत्व बढ़ रहा है.

आपके बैंक ने ईएसजी प्रथाओं के लिए एक संरचित और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जो जिम्मेदार बैंकिंग और सतत मूल्य सृजन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. धारणीय और उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाने के महत्व को समझते हुए, आपका बैंक भी अपने ईएसजी प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कई पहलकार्य कर रहा है. बैंक के परिचालन के ईएसजी-संबंधी पहलुओं के प्रति इसका दृष्टिकोण इसकी ईएसजी नीति में निहित है, जो इसकी वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) पर भी उपलब्ध है. ईएसजी नीति बैंक की कारोबारी गतिविधियों के निर्देशन के लिए व्यापक ढांचे के रूप में कार्य करती है और इसे लागू राष्ट्रीय कानूनों/ विनियमों के अनुरूप डिजाइन किया गया है, इसका उद्देश्य बैंक को अपनी गतिविधियों के माध्यम से ईएसजी-अनुपालक संस्था के रूप में स्थापित करना है.

बैंक ऊर्जा कुशल प्रकाश समाधानों और डिजिटल एवं पेपर लाइट प्रक्रियाओं को अपनाते हुए और अपने परिसरों में ऊर्जा-बचत उपायों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करते हुए, अन्य उपायों के साथ-साथ, अपने परिचालन में पर्यावरणीय विचारों को शामिल करने की दिशा में कार्य कर रहा है. इसके अतिरिक्त, बैंक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसी हरित परियोजनाओं को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर वित्तपोषण को बढ़ावा दे रहा है. बैंक का सामाजिक उत्तरदायित्व एजेंडा लघु बचत खातों, सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन उत्पादों, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को समर्थन और वंचित एवं कमजोर समुदायों के लिए लक्षित पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. बैंक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और सामुदायिक संरचना जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम भी चलाता है, जिससे समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान होता है. बैंक एक विविधतापूर्ण और समावेशी कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है और सुरक्षित, स्वस्थ कार्य और उत्पीड़न-मुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है. अभिशासन के दृष्टिकोण

से, आपका बैंक जोखिम प्रबंधन, नैतिक आचरण, विनियामक अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित मजबूत नीतियों और प्रथाओं का पालन करता है. स्थिरता पर अपने दीर्घकालिक फोकस को मजबूत करने के लिए, आपका बैंक अपने हितधारकों के साथ विभिन्न चैनलों के माध्यम से निरंतर जुड़ाव बनाए रखता है ताकि उनकी अपेक्षाओं और विकसित होते परिचालन परिवेश के अनुरूप हो सके.

बैंक ने अपने ईएसजी प्रदर्शन को मजबूत करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसका प्रमाण पारदर्शी एवं बेहतर रिपोर्टिंग और प्रकटन से मिलता है जिसके लिए स्वतंत्र अन्य पक्ष द्वारा उचित रूप से आश्वासन दिया गया है. मौजूदा विनियामक मानदंडों के अनुपालन में, बैंक वित्तीय वर्ष 2022-23 से अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रकाशित कर रहा है, जिसमें भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एनजीआरबीसी) के तहत नौ सिद्धांतों के बारे में अपने कार्य निष्पादन का खुलासा किया जाता है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से मौजूदा विनियामक मानदंडों के अनुपालन में अपने बीआरएसआर कोर प्रकटनों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त कर लिया है. बैंक अपनी वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-databook.pdf) पर वार्षिक आधार पर एक ईएसजी डेटाबुक भी प्रकाशित करता है, जो हितधारकों के एक व्यापक समूह को पारदर्शी और सरलता से समझनेयोग्य तरीके से ईएसजी से संबंधित पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है.

आपका बैंक 2023 से वैश्विक एजेंसी अर्थात् एस एंड पी ग्लोबल द्वारा आयोजित कॉरपोरेट संधारणीयता मूल्यांकन (सीएसए) में भी स्वेच्छा से भाग ले रहा है. बैंक द्वारा हाल के वर्षों में कार्यान्वित पहलों ने इसके ईएसजी स्कोर में लगातार सुधार में योगदान दिया है.

ईएसजी से संबंधित मामलों पर बढ़ते ध्यान को देखते हुए, आपका बैंक अपने ईएसजी प्रदर्शन में सुधार करने के साथ-साथ अपने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में ईएसजी-केंद्रित संस्कृति को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध बना रहा है.

Management Discussion & Analysis

BUSINESS ENVIRONMENT

The global economic growth remained resilient in 2025, albeit below historical averages, supported by accommodative financial conditions that partially aided in offsetting headwinds arising from tariff-related uncertainties and elevated geopolitical and inflationary risks. The monetary policy stance by major central banks since late 2025 shifted to a pause-and-assess mode, with most advanced economies pausing or selectively tightening their policy stance, amid persistent inflation and heightened uncertainty, and emerging market economies adopting cautious, inflation-dependent easing or steady policy stances in response to moderating inflation and slowing growth. Global financial markets, after remaining relatively buoyant through late-2025 driven by easing inflation and accommodative policies, turned volatile in early-2026 due to heightened geopolitical tensions, rising energy prices, renewed inflationary risks and shifts in monetary policy expectations.

Against this backdrop, India's domestic activity remained upbeat, mainly driven by healthy private consumption supported by improving rural and urban demand, rationalisation in the Goods & Services Tax (GST) rates and monetary policy easing. Investment activity sustained momentum, benefiting from ongoing structural reforms, favourable financial conditions and continued public infrastructure spending. On the supply side, the services sector remained buoyant and manufacturing activity gained traction, while agricultural growth moderated due to weather-related disruptions. At the aggregate level, strong domestic drivers more than outweighed the adverse impact of net exports, supporting overall growth resilience. Domestic financial markets witnessed intermittent episodes of volatility during H2 FY 2025-26 amid heightened global uncertainty and volatile capital flows, though the overall market condition remained broadly resilient.

Embarking on a monetary policy easing stance, the Monetary Policy Committee (MPC) of the RBI cumulatively reduced the key policy rate, i.e. Repo Rate, by 125 basis points in the calendar year 2025. Monetary policy transmission strengthened during H2 FY 2025-26, supported by a healthy pass-through to both lending and deposit rates. This, coupled with favourable macroeconomic environment and fiscal stimulus, had a positive impact on the banking sector performance in FY 2025-26. Backed by strong capital buffers and low Non-Performing Asset ratios (NPAs), the banking sector catered to the healthy demand for bank credit in the economy during the year. The overall credit growth was broad-based, led by strong industrial lending, particularly to MSMEs and infrastructure, alongside robust growth in loans to the agricultural and services sectors as well as personal loans, underpinned by sustained buoyancy in the overall economic activity. Correspondingly, the growth in the bank deposits, while lagging the credit growth, remained healthy, largely led by growth in demand deposits.

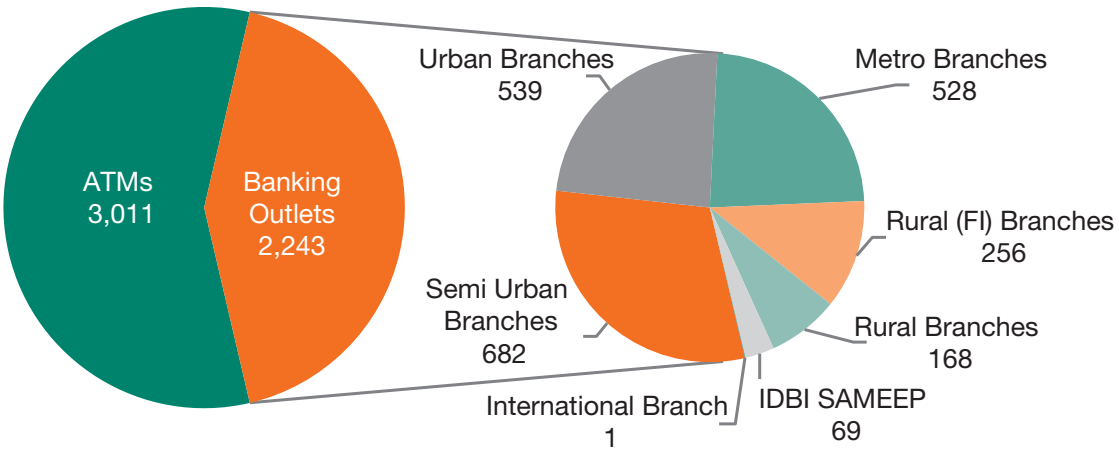
Going forward, upside risks to inflationary pressures from higher energy prices and volatile financial markets have heightened uncertainty in the global macroeconomic and financial outlook. Amid elevated geopolitical uncertainties, India's macroeconomic outlook remains resilient, supported by strong fundamentals, namely, sustained growth, low and stable inflation and ongoing fiscal consolidation, which is likely to provide buffers against adverse global spill-overs. However, the recent surge in global crude oil prices following the geopolitical tension, compounded by supply disruptions, poses upside risk to inflation and may adversely impact growth momentum. In navigating this challenging environment, fiscal and monetary policy actions in India are expected to remain firmly oriented towards anchoring price stability, while simultaneously providing appropriate support to economic growth.

BUSINESS REVIEW

Operating in a macroeconomic environment characterised by healthy and steady economic growth, the Bank pursued its strategic imperatives with discipline and focus, capitalising on emerging opportunities and delivering sustained improvement in its business growth and profitability. The strategic measures and initiatives undertaken by the Bank across various functional areas have been delineated under the respective segments of this section of the Annual Report.

Consistent with its objective of expanding its outreach and enhancing service delivery, your Bank continued to focus on strengthening its physical as well as digital network through targeted branch expansion across the length and breadth of the country, deeper penetration in rural areas through Business Correspondent (BC)-led models and continued investments in digital banking platforms. As a part of its ongoing efforts to expand outreach, the Bank further strengthened its distribution network in FY 2025-26 by opening 115 new banking outlets, comprising physical branches and fixed Business Correspondent (BC) outlets operating under the IDBI SAMEEP model. The Bank's network of banking outlets serves as the cornerstone of a comprehensive ecosystem focussed on delivering customer convenience. Understanding the evolving expectations of customers, the Bank offers flexibility through multiple alternate and digital delivery channels, that is, a nationwide network of Automated Teller Machines (ATMs) and a comprehensive suite of digital banking services, including internet banking, mobile banking and WhatsApp banking. This multi-channel approach simplifies access and strengthens engagement with the Bank's customers, reinforcing a customer-friendly banking experience while maintaining high standards of security and trust.

IDBI Bank's Banking Outlet & ATM network as on March 31, 2026



Guided by a customer-first philosophy, your Bank continued to offer a comprehensive suite of deposit, loan and investment products and services tailored to the varied requirements of its diverse customer base. In response to evolving market trends and customer behaviour, existing products and services are reviewed from time-to-time and new variants are introduced to ensure continued relevance and competitiveness. Your Bank's deposit strategy focussed on deepening customer relationships and enhancing deposit stickiness through differentiated, segment-specific offerings. Offering tailored deposit solutions across various customer segments and complementing these offerings with state-of-the-art digital capabilities, your Bank focussed on being a partner to its customers in catering to their varied financial needs across lifecycle stages and business requirements. The Bank's advances strategy is defined by a strategic shift towards granular loan portfolio through a balanced mix of retail, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) and corporate lending, while maintaining strong asset quality and risk discipline. Retail advances and MSME financing continued to remain key focus areas, offering stable yields and lower credit concentration. Complementing this, your Bank pursued corporate lending selectively to ensure optimised returns while prudentially managing the associated risks. Apart from enhanced due diligence during the credit appraisal stage, the Bank has put in place credit monitoring process to ensure timely identification and mitigation of stress in its loan portfolio, in line with its objective of building and maintaining a quality loan portfolio.

Adopting a robust and proactive approach to compliance, corporate governance and risk management, the Bank continued to strengthen its internal systems, controls and processes, in consonance with the defined regulatory and statutory guidelines. To ensure that the established norms are effectively adhered to, the Bank places strong emphasis on continuously educating and sensitising its workforce through regular training, workshops and internal communications to help them clearly understand their roles, responsibilities and expected standards of conduct. Further, transparent and clear accountability norms, along with well-defined reporting structures and robust monitoring mechanisms, have been defined to ensure strict adherence to internal policies as well as regulatory and statutory requirements on a bank-wide level.

As the Bank charts its future course, customer-centricity shall continue to be a core pillar of its business strategy, reinforcing trust through enhanced customer experiences and nurturing enduring customer relationships. Emphasis shall continue to be placed on stable and sustained business growth through focussed expansion of deposit base and lending portfolio, underpinned by prudent risk management and portfolio diversification. By leveraging evolving technological capabilities, the Bank shall continue to promote increased adoption of digital solutions and process automation to further improve operational efficiency, enhance service delivery and support the development of innovative banking solutions. The Bank will also further strengthen its compliance and governance frameworks, with a continued focus on maintaining stakeholder confidence and preserving the integrity and reputation of its brand.

RETAIL BANKING

Retail Liability Products

Your Bank offers a comprehensive range of deposit products, specifically designed to cater to the diverse banking needs of customers across all segments of the society. These deposit products are tailored to suit both individual

customers, including general citizens, senior citizens, super senior citizens, pensioners, students, Non-Resident Indians (NRIs) as well as non-individual customers, including proprietorships, partnership firms, corporates, Government Institutions, Trusts, Associations, Societies, Clubs and other banks (including Co-operative Banks).

Your Bank pursued its endeavour of refining and improving upon existing products and processes, in tandem with rapidly evolving customer needs and dynamic market conditions. The Bank's efforts were directed towards enhancing the share of retail depositors and augmenting its low-cost deposit base.

During the year, your Bank introduced a new product in the payroll segment, viz. the Government Sector Salary Package, to attract salary accounts of the Central and the State Governments, Public Sector Units (PSUs) and large corporate entities. The Bank introduced a new product for High Net Income (HNI) customers in the personal banking segment, viz. IDBI Opulentia Savings Account. Your Bank introduced two special variants of fixed deposits, viz. Tender Fixed Deposits designed for customers participating in tenders and bids and Aarogya Fixed Deposits, offering the dual benefit of deposit safety and health insurance coverage. The Bank introduced Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (RERA) online platform to facilitate seamless user experience. The Bank has developed Application Programming Interface (API) models for National Electronic Funds Transfer (NEFT) and Real-Time Gross Settlement (RTGS) to offer access to Centralised Payment System (CPS) to sub-member banks. The Bank also reduced Monthly Average Balance (MAB) requirements in the Current Accounts to remain competitive in the market.

With a view to enhancing customer convenience during on-boarding, the Bank leverages state-of-the-art technology under the Video Account Opening (VAO) platform, enabling individuals to open new accounts digitally. Your Bank has been driving customer engagement through extensive usage of data analytics and adoption of Customer Relationship Management (CRM) tools, so as to foster enhanced business penetration.

During the year, the Bank ensured that the revisions in the interest rates were meticulously calibrated across select deposit buckets to mitigate potential impact on funding costs as also to ensure continued market competitiveness.

As part of its growth strategy, the Bank continued to expand its geographical footprint through the opening of new branches. Concurrently, the Bank leveraged its capital light and scalable hybrid delivery model, comprising brick-and-mortar branches and digital platform such as kiosks, to expand its reach and to further strengthen its deposit base.

NRI Services

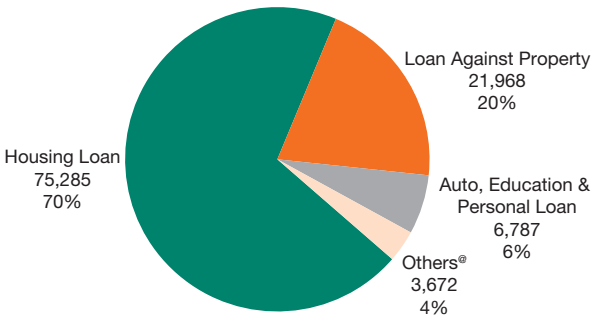
Your Bank offers Non-Resident (External) (NRE) Deposits, Non-Resident Ordinary (NRO) Deposits and Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Deposits for its Non-Resident Indian (NRI) customers. Further, the Bank facilitates investments by NRI customers, including equity market investments through Portfolio Investment Scheme (PIS), remittances through Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) and other modes as well as loans to meet the banking and financial needs of the Indian diaspora across the globe.

Your Bank continues to undertake product and process improvements for augmenting customer experience, enhancing service delivery and ensuring convenient banking for its NRI customers.

Retail Assets

In line with its retail-focussed strategy, the Bank further strengthened its presence in the structured retail asset segment during the year, driven by calibrated growth across a range of retail loan products, including Housing Loans, Loans against Property, Auto Loans, Personal Loans, Education Loans, Solar Rooftop Financing and Loans against Securities. The Bank periodically reviewed product features and internal processes to ensure alignment with evolving market conditions, regulatory expectations and the changing preferences of customer segments, including emerging Gen Z borrowers.

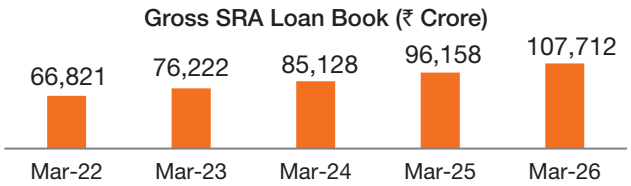
Gross Outstanding - Structured Retail Assets (₹ Crore)



@ - Others includes Staff home loan, Loan against securities, Merchant Establishment Overdraft, Housing Loan – Co-lending, Solar Roof Top finance.

During the year, your Bank crossed ₹ 1 lakh crore milestone for its Structured Retail Asset (SRA) book, registering an annualised growth of 12.02% with 11.40% annualised growth in the housing loan book and sustained double-digit growth across all major product categories. The

quality of the SRA portfolio remained stable, with minimal slippages and Gross NPA level for the portfolio being below 1.42% as on March 31, 2026, reflecting the Bank's continued emphasis on prudent underwriting and portfolio monitoring.



Responding to the evolving needs of its retail customers, the Bank sustained its emphasis on home loans and strengthening acquisition momentum through the introduction of new variants such as the Elite Home Loan Balance Transfer scheme for self-employed professionals and self-employed non-professionals with established repayment behaviour. At the same time, the Bank deepened its engagement with Government-linked green energy initiatives by scaling up Solar Rooftop Financing, expanding its footprint in the electric two-wheeler segment and enhanced digital outreach through the increased adoption of pre-approved personal loans on online platforms. The education loan portfolio was further supported through offerings under the Prime Minister Vidya Lakshmi Scheme, facilitating financing for students pursuing higher studies at select premier institutions within India and overseas.

With a focus on enhancing operational efficiency and customer experience, the Bank upgraded its Automated Loan Processing System to improve decision-making quality, reduce turn-around-time and strengthen fraud-detection capabilities. These efforts were complemented by continued migration of manual workflows to digital platforms, in alignment with the Bank's broader digitisation agenda. Alongside these initiatives, the Bank remained committed to advancing financial inclusion by extending benefits under various subsidy schemes of the government, including the Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS) while also processing renewal claims under discontinued schemes such as the Dr. Ambedkar CSIS and the Padho Pardesh Scheme. The Bank further supported socio-economic development by providing financial assistance to differently-abled individuals under the National Divyangjan Finance and Development Corporation Scheme at subsidised interest rates. Under Pradhan Mantri Awas Yojana -Urban 2.0, the Bank facilitated housing credit to eligible customers across the Economically Weaker Section (EWS), Low Income Group (LIG) and Middle Income Group (MIG) categories, thereby contributing meaningfully to the national objective of promoting affordable housing.

Credit Cards

Your Bank offers diverse range of credit card variants such as RuPay - Winnings Select, Visa - Royale Signature, Aspire Platinum, Imperium Platinum and Mastercard - Euphoria World, across multiple network schemes, designed to meet the varied needs and preferences of its diverse customer segments. As part of its efforts to strengthen its credit card offerings, the Bank partnered with LIC Cards Services Ltd. (LICCSL) to offer co-branded credit cards on the RuPay scheme, namely Eclat and Lumine. To enhance customer service and improve ease of use, key credit card functionalities were seamlessly integrated into credit card internet banking and the GO Mobile+ app, enabling customers to make real-time bill payments, request card replacement, view payment history and access other essential services. Additionally, the integration of Bharat Bill Payment System (BBPS) across all mobile-based platforms provided customers with greater flexibility managing credit card bill payments. In addition, the Bank introduced a range of offers and discounts for credit card holders to encourage higher spend levels and support improved profitability.

PRIORITY SECTOR BANKING

The Bank continued to play a significant role in advancing Priority Sector Lending (PSL) in line with the mandate of the RBI. During the year, your Bank's lending efforts were primarily directed towards the agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sectors, in accordance with regulatory requirements. To deepen financial inclusion and extend credit access to underserved regions, the Bank continued to service un-serviced and under banked areas through its Corporate Business Correspondent and Business Facilitator network. In this regard, the Bank further strengthened its outreach through dedicated BC outlets branded as IDBI SAMEEP, which provide specified banking services permitted by RBI at locations identified by the Bank. The Bank successfully achieved all prescribed targets for PSL, including sub-targets, on an average basis as on March 31, 2026.

In alignment with Government of India initiatives, the Bank extends loans under various Central Government and State Government sponsored schemes such as Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar Nidhi (PMSVANidhi), Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), Agriculture Infrastructure Fund (AIF), PM Formalisation of Micro Food Enterprises (PMFME), Pradhan Mantri Vishwakarma Kaushal Samman (PM Vishwakarma), among other schemes. The Bank also remained committed towards supporting minority communities and weaker sections, including Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs).

To further strengthen its PSL portfolio, the Bank undertook several strategic initiatives during FY 2025-26. To meet growing demand from the MSME sector, the Bank identified additional 100 branches with high potential of MSME business, taking the total number of specialised MSME branches to 200. The network of agri-focussed branches was also substantially expanded, increasing the count from 80 to 243 branches to generate and support agricultural business opportunities. In line with government initiatives to strengthen MSME financing, the Bank launched Mutual Credit Guarantee Scheme for MSMEs (MCGS - MSME) in line with Department of Finance, Ministry of Finance, to provide guarantee coverage for eligible term loan of up to ₹ 100 crore for projects involving purchase of equipment and machinery. To enable branches to attract incremental business and support the food and agro-processing ecosystem, the Bank has introduced special pricing concession for loans extended to food and agro-processing units. The Bank introduced a digital platform *'Property Power Xpress'* for processing of existing *'Property Power'* loans through web-based interfaces. The platform leverages GST registration and transaction data to provide MSMEs with faster and more convenient access to credit, while significantly reducing manual intervention in loan processing.

The Bank has undertaken end-to-end digitalisation of its Supply Chain Finance offering by transforming Channel Finance for Dealers of Corporate and Standalone Dealer Finance into an Electronic Supply Chain Finance (eSCF) platform. In order to drive focussed growth and streamline execution under this product, a dedicated eSCF cell has been established for channelising business and overseeing operational coordination.

The eSCF portfolio of the Bank continued to exhibit consistent and robust growth during the year, while maintaining strong asset quality with nil non-performing assets during the year. The Bank crossed cumulative dealer sanctions of ₹ 741.75 crore and processed over 23,597 transactions during the year, achieving a total throughput of ₹ 2,406.21 crore under the eSCF platform.

In order to further enhance efficiency and scalability, the Bank is continuously pursuing product and process innovations through digital solutions aimed at reducing turnaround time and strengthening operational effectiveness. A key milestone in this journey has been the introduction of technological advancement for digital processing of MSME loans, minimising manual intervention and enabling faster, more seamless digital approvals. The eSCF platform represents a key technological advancement introduced by the Bank for digitalisation of funding operations, enabling faster credit delivery with minimal manual intervention.

Further, collaborative partnerships with select fintech players are being explored to extend reach and fast-track digitalisation initiatives. The Bank has forged partnership with 18 corporates across diverse industry segments, extending channel finance support to dealers of corporates.

These initiatives reinforce the Bank's commitment to advancing Priority Sector Lending, strengthening MSME financing and supporting inclusive and sustainable economic growth by combining scale with innovation to deliver smarter, more efficient financial solutions.

THIRD PARTY PRODUCTS AND CAPITAL MARKET PRODUCTS

The Bank's Third-Party Distribution (TPD) segment continues to play a pivotal role in offering a diversified suite of value-added products and services to its customers' suitability, risk profiles, financial goals and investment objectives. Anchored in a strong customer-centric philosophy, the Bank has steadily transitioned its approach from transactional sales to value-based engagement, while ensuring strict adherence to complaint business practices. The strategic shift has enabled creation of a continuous and sustained source of fee income for the Bank.

During the year, the Bank undertook several initiatives to foster value-driven sales through enhanced customer understanding and personalised advisory support. These efforts were complemented by partnerships with some of India's most trusted and reputed institutions. In the life insurance segment, the Bank offers products of Life Insurance Corporation of India (LIC) and Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. (AFLI). In the general and standalone health insurance space, the Bank has tied up with New India Assurance Co. Ltd. (NIACL), TATA AIG General Insurance Co. Ltd. (TAGIC) and Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. (Niva Bupa), enabling customers to access a comprehensive range of insurance solutions.

Your Bank has also expanded its presence in the investment segment by entering into Mutual Fund (MF) distribution agreements with multiple Asset Management Companies (AMCs), thereby offering customers a wide choice of schemes across asset classes. In addition, customers are provided access to other investment avenues such as National Pension System (NPS) and Government of India (GoI) Bonds, including Floating Rate Savings Bonds, Sovereign Gold Bonds and Capital Gains Bonds. Under the capital market segment, your Bank offers products such as Application Supported by Blocked Amount (ASBA) and Syndicate ASBA (SASBA), supporting customers in participating seamlessly in primary market issuance. Further, the Bank was in the process of transitioning its Demat account business to IDBI

Capital Market Services (ICMS) as on March 31, 2026, which has since been completed, with a view to extending the reach of its Demat services through enhanced digital channels.

To keep pace with the rapidly evolving digital business practices, your Bank has undertaken multiple initiatives for digitalising the end-to-end third-party product distribution journey. These measures are aimed at improving customer convenience, strengthening process efficiency and reinforcing the Bank's commitment to delivering a secure, transparent and technology-enabled investment experience.

STRATEGIC COLLABORATION WITH LIC

Following the acquisition of a majority stake in the Bank by Life Insurance Corporation of India (LIC) in January 2019, a strong foundation was laid to unlock and realise meaningful business synergies between the two institutions. Over the past seven years, several well-defined initiatives have been successfully implemented to harness these business synergies, contributing to enhanced value creation for both entities.

Your Bank has adopted a structured and strategic approach to deepen collaboration with LIC, with clearly defined action points aimed at leveraging revenue, cost synergies and financial synergies. These initiatives have been supported by the Bank's best-in-class products and services, particularly through effective utilisation of its low-cost deposit base, including the current account portfolio.

As part of convenience banking offerings, the Bank has extended comprehensive transaction banking solutions to address both collection and payments-related requirements of various offices of the LIC. These services are delivered seamlessly though the Bank's extensive branch network as well as digital channels, enabling efficient banking operations and improved service experience.

The sustained collaboration under the LIC synergy framework has contributed to the creation of combined value and strengthened operational performance for both the organisations. In addition, the Bank has been able to further augment its retail franchise and enhance fee-based income through deeper engagement and cross-selling opportunities arising from this strategic partnership.

FINANCIAL INCLUSION

The Financial Inclusion (FI) Department of the Bank continued to anchor the Bank's mission of bringing affordable, accessible and technology-enabled financial services to underserved and unbanked populations across the country. Your Bank remained focussed on strengthening last-mile delivery by expanding the Business Correspondent (BC) network, deepening digital penetration and strengthening outreach under key Government of India initiatives such as Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY).

The Bank's approach to financial inclusion remains holistic and balanced, encompassing the expansion of physical touchpoints, enhancement of digital infrastructure, capacity-building across channels and sustained customer awareness initiatives. These efforts were aligned with regulatory expectations as also closely integrated with the Bank's broader strategic mandate to widen its customer base, improve service usage and strengthen its presence in rural and semi urban regions.

A key area of focus during the year was improving the quality of financial inclusion by encouraging meaningful engagement beyond account opening. Emphasis was placed on promoting active account usage, adoption of digital banking channels and participation in the formal financial ecosystem, thereby enhancing the long-term impact of inclusion initiatives.

Performance under Social Security Schemes

The Bank continued to actively support the Government of India's flagship financial inclusion programme, viz. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and the Jan Suraksha suite of social security schemes, playing a significant role in extending financial protection and social security coverage to vulnerable sections of society.

Enrolments under social security schemes remained robust, with 8.30 lakh customers covered under PMJJBY, 20.73 lakh customers enrolled under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and 8.95 lakh customers subscribed to Atal Pension Yojana (APY) as on March 31, 2026, reinforcing insurance penetration and retirement savings among the unorganised sector.

During FY 2025-26, the Bank achieved notable milestones under these initiatives. A total of 1.83 lakh PMJDY Savings Bank Accounts were opened, providing basic banking access to first-time customers and low-income households. Enrolment under social security schemes remained robust, with 3.47 lakh customers covered under PMJJBY, 7.04 lakh enrolled under PMSBY and 2.23 lakh enrolled under APY, reinforcing insurance penetration and retirement savings among the unorganised sector.

The achievement of 100% of assigned PMJDY and Jan Suraksha targets during the year reflects the effectiveness of the Bank's outreach strategy, the strong performance of the BC network and a sustained focus on customer empowerment through essential financial and social security solutions. This performance further underscores the confidence and trust reposed in the Bank by customers as well as Government agencies.

Strengthening Business Sourcing Through the Business Correspondent (BC) Network Expansion

Recognising the BC network as a cornerstone of financial inclusion framework, the Bank undertook focussed initiatives during the year to strengthen and scale this critical delivery channel. Branches across regions played a proactive role in identifying suitable BC partners, supporting their on-boarding and set-up and closely monitoring performance to ensure service quality and compliance.

The expanded BC architecture significantly enhanced the Bank's outreach capabilities by extending coverage to high-potential yet previously underserved geographies. This expansion facilitated faster customer acquisition across basic banking and social security schemes, while enabling reliable delivery of services such as micro-ATMs, Aadhaar Enabled Payment System (AePS) transactions, and Direct Benefit Transfers (DBT). The strengthened BC network has also emerged as an effective sourcing channel for future cross-selling opportunities and credit linkage, supporting the Bank's broader growth objectives.

The emphasis placed on improving both the capacity and quality of BC operations has translated into more consistent customer service standards, higher transaction reliability and deeper engagement with rural households. These efforts have reinforced the Bank's role as a trusted financial partner at the grassroots level, while strengthening the sustainability and effectiveness of its financial inclusion initiatives.

Saturation Campaign Launched by Department of Financial Services

The Department of Financial Services (DFS), Government of India launched a nationwide campaign aimed at achieving saturation of its Financial Inclusion (FI) schemes at the Gram Panchayat level. The campaign was carried out over a four-month period from July 1, 2025 till October 31, 2025, during which a total of 4,480 camps were organised. The initiative focused on creating widespread awareness and improving access to key financial security and inclusion schemes. As a direct outcome of these efforts, the Bank recorded significant enrolments during the campaign period, with 80,422 enrolments under PMJJBY, 2,77,394 under PMSBY, 77,271 under APY and 49,362 under PMJDY.

Launch and Expansion of SAMEEP Outlets

A key highlight of the year was the rapid scaling-up of IDBI SAMEEP, the state-of-the-art modern extended e-banking outlets designed to enhance last-mile banking outreach. The IDBI SAMEEP outlets represent the next-generation, capital light outreach model, designed to effectively bridge the service gap between full-service branches and conventional BC points.

Operating as BC-managed outlets with a branch-like ambience, the SAMEEP outlets provide customers with access to essential banking services such as account opening, cash transactions, fund transfers, remittances and basic servicing requirements. This model enables the Bank to enhance brand visibility and customer trust in rural and semi urban markets, while ensuring quicker deployment compared to full-service branches and expanding reach at significantly lower operational cost.

During the year, the SAMEEP network expanded steadily and the Bank operated 69 SAMEEP outlets across the country as on March 31, 2026. These outlets are increasingly emerging as trusted, community-level banking touchpoints, facilitating convenient access to banking services in remote underbanked areas. The SAMEEP model has strengthened the Bank's last-mile delivery capabilities, supported deeper financial inclusion and enabled sustainable and scalable expansion of the Bank's outreach.

Enhanced Reach through BC Network and Contribution to PSL

The Bank's BC network continues to serve as a critical enabler of inclusive financial growth and last-mile delivery. During the year, the BCs played a pivotal role in advancing key financial inclusion initiatives by supporting PMJDY enrolments, facilitating Direct Benefit Transfer (DBT) transactions and delivering essential services such as Aadhaar Enabled Payment System (AePS) and micro-ATM services. In addition, the BC channel also contributed to customer mobilisation for social security schemes, thereby strengthening outreach across underserved segments.

Beyond transactional services, the BC footprint has also been increasing contributing to the Bank's Priority Sector Lending (PSL) objectives. Through deeper engagement at the grassroots level, the BC network has enabled improved access to small and marginal farmers, extended support for micro entrepreneurs and rural enterprises and enhanced identification of creditworthy rural borrowers in rural and semi-urban markets. This has resulted in improved credit penetration and strengthened the Bank's presence in priority geographies.

The strong alignment between BC-led outreach and PSL expansion underscore the Bank's integrated approach to financial inclusion and sustained credit growth, reinforcing its commitment to fostering inclusive development while supporting balanced portfolio expansion.

Capacity Building and Skill Development of BCs

A structured capacity-building approach was adopted, supported by multiple training programmes, workshops and refresher sessions conducted across regions.

Recognising the central role played by the BCs in customer engagement and last mile service delivery, the Bank placed strong emphasis on enhancing their skills, efficiency and service quality. A structured capacity-building approach was adopted, supported by multiple training programmes, workshops and refresher sessions conducted across regions.

These programmes focussed on strengthening operational capabilities and compliance awareness, improving customer service and grievance redressal, building proficiency in the use of micro-ATM devices and Aadhaar Enabled Payment System (AePS). Special emphasis was also placed on social security schemes, including PMJDY, digital on-boarding processes and awareness relating to financial fraud prevention and cybersecurity. Specialised training programmes on money mules risks and cybersecurity laid a strong foundation, equipping BCs with the knowledge to safeguard transactions and protect customers. Your Bank also imparted on-the-job mentoring to guide BCs in navigating technology platforms and building their operational confidence. A blend of structured training and on-the-job mentoring enabled BCs to gain confidence with technology and strengthen their skills, creating a resilient network of BCs. At the last mile, customers benefitted from smoother, safer and more reliable service, reflecting the Bank's steadfast commitment to security and customer centricity.

Financial Literacy and Customer Awareness Initiatives

Financial literacy has long been recognised as the cornerstone for meaningful financial inclusion. During the year, your Bank reached out to the communities by conducting financial literacy camps, doorstep awareness drives and local community meetings. This engagement became a platform where customers were educated on the benefits of savings and responsible borrowing, discovered the convenience of digital banking and safe transaction practices and explored Government-backed insurance and pension schemes. These sessions also placed emphasis on fraud prevention and digital etiquette, while encouraging customers to maintain active and updated bank accounts. These efforts empowered customers to make informed financial decisions, to ensure that they fully benefit from PMJDY and related schemes.

IDBI RSETI – Empowering Rural Youth through Skills and Livelihoods

The Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI RSETI) at Satara continued to make a meaningful impact as a centre of skill development for rural youth. Guided by the Ministry of Rural Development (MoRD) and aligned with the National Skill Qualification Framework (NSQF), the Institute delivered livelihood-oriented training to equip participants with practical skills for self-employment or wage employment.

Since its inception, the RSETI has trained 11,132 candidates, of whom, 8,273 candidates, constituting 73.67% of the total candidates were successfully settled into sustainable employment. The RSETI's consistent quality in training, infrastructure and monitoring has been recognised in the year 2025 with an *'AA'* grading from the Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India, which is a testament to its excellence and outstanding performance.

By fostering entrepreneurship and employability, the RSETI continues to create sustainable livelihood opportunities for rural youth, advancing the national agenda of skill development and financial inclusion while transforming the aspirations of rural communities into reality.

DIGITAL BANKING

Your Bank's digital journey is guided by a clear vision of delivering superior digital experience, driving sustainable growth and nurturing an innovation-first culture. At its core lies a commitment to building a secure, seamless and convenient banking platform where customer convenience and security remains paramount.

The pioneering initiatives undertaken by the Bank, which has been recognised and honoured at the industry level, have led to a surge in overall digital transaction by 16.21% and a growth of 19.10% in UPI transactions during the year. Customers experienced this transformation first-hand through the Bank's Go Mobile+ application, which has revamped bill payments, a streamlined fixed deposit journey and the facility to manage multiple nominations. The continuous enhancements aided in providing an elevated user experience, resulting in an improvement in the user rating for its Go Mobile+ application to 4.6 on the Play Store, reflecting customer delight.

Your Bank also launched new premium segment debit card variants such as the VISA Infinite Debit Card and Mastercard Platinum, designed for elite customers seeking enhanced privileges. Further, your Bank also launched Braille Debit Card, an inclusion-focussed product with tactile markers, empowering visually impaired customers with independence and dignity.

On the digital currency front, your Bank upgraded the Central Bank Digital Currency (CBDC) platform from a fixed-denomination system to a value-based token model, aligning with the evolving ecosystem. The implementation of the Programmable CBDC (P-CBDC) opened up new possibilities for purpose-bound digital currency, enabling applications like Direct Benefit Transfer (DBT), subsidy disbursements, etc.

The spirit of collaboration was showcased at the Bank's Fintech Fusion event, where diverse group of fintechs

innovators were brought together to exchange ideas, capabilities and opportunities. These collaborative engagements strengthened partnership and reinforced the Bank's role as a catalyst in the fintech ecosystem.

Furthering its digital-first approach, the Bank introduced i-MSME Express - an end-to-end digital lending product powered by automated validation processes. Alongside, a new customer engagement solution with website integration for enhanced accessibility and responsiveness, ensuring customer banking experience that is both intuitive and personalised.

Your Bank has consistently invested in resilient networks, IT infrastructure updates, advanced payments systems, data driven analytics, dashboards, intelligent automation and robust security solutions. These investments ensured that every digital interaction is not only efficient but also trustworthy.

CORPORATE BANKING

Within the corporate banking business, your Bank's Large Corporate Group (LCG) and Mid Corporate Group (MCG) together form the backbone of its corporate lending and service portfolio, catering to enterprises across diverse sectors such as engineering, basic metals and steel, construction, paper and paper products, textiles, electronics and electrical equipment, infrastructure, energy, sugar, chemicals, automobiles, services sector, Non-Banking Financial Companies (NBFCs), among other sectors. Both groups provide comprehensive suite of fund-based and non-fund-based credit facilities, including project and non-project term loans, packing credit, post-shipment credit to exporters, receivables buyout, bill discounting, intra-day limits, among others. Working in close collaboration with other specialised business verticals such as Retail Banking, Transaction Banking, Treasury, among others, the Bank's corporate banking group ensures that the distinct and complex needs of its corporate customers are met with tailored solutions.

During the year, the Bank's LCG achieved a significant milestone with the rollout of Pro-Fin Application, which digitised the complete lifecycle of project loans, from design and construction to operations. This end-to-end workflow streamlined project finance while enabling seamless extraction of regulatory data and MIS, thereby strengthening compliance and operational agility.

Complementing this, the Mid Corporate Group (MCG) plays a pivotal role in supporting mid-sized enterprises with a wide spectrum of fund-based and non-fund-based credit facilities. Reflecting the Bank's digital-first vision, the Bank introduced Document Management System for Corporate Verticals (iDMS4C). The centralised secure repository streamlines digital storage and retrieval of official records, reduces duplications, ensures version control and enhances transparency and operational efficiency.

The Bank continues to pursue calibrated growth in its corporate loan book, maintaining a capital-light portfolio and a balanced business mix. The focus remained on acquiring better-rated corporate accounts, enhancing utilisation of sanctioned credit facilities by existing clients and driving growth in interest and fee income through optimal utilisation of fund-based and non-fund-based limits. Additionally, the Bank also focussed on expanding its liabilities and services products reinforcing holistic support to its corporate customers.

The LCG and MCG together exemplify the Bank's commitment to innovation, efficiency and sustained growth in corporate banking. By combining sectoral expertise with digital transformation initiatives, the Bank has been working towards enhancing its corporate portfolio and also redefining its corporate banking experience, making it more transparent, efficient and future-ready.

CORPORATE RELATIONSHIPS AND NEW BUSINESS ACQUISITION GROUP (CRBAG) & PROJECT APPRAISAL CELL (PAC)

Your Bank established the Corporate Relationships and New Business Acquisition Group (CRBAG), a specialised team designed to drive new business opportunities and to strengthen corporate relationships, thereby augmenting 360° approach towards business. With a focussed approach, the CRBAG actively engages with potential sources, namely, corporates, peer banks, rating agencies, financial institutions, investment banking community, Public Sector Undertakings (PSUs), thereby capitalising on emerging market opportunities. This initiative reflects the Bank's commitment to expand its corporate footprints and to build long-term, value driven partnerships.

Complementing this efforts, the Bank has set up a dedicated Project Appraisal Cell (PAC) to evaluate and validate specific project term loan exposures within the corporate vertical. By rigorously vetting proposals and establishing viability, the PAC ensures that the Bank's lending decisions are both prudent and sustainable, thereby reinforcing its focus on quality growth and management.

CREDIT MONITORING GROUP

Considering the critical importance of maintaining asset quality, the Bank's Credit Monitoring Group (CMG) conducts structured Loan Review Mechanism (LRM), tracks early signs

of stress in its corporate and retail loan portfolio and monitors Credit Administration Parameters (CAP).

Your Bank uses structured Loan Review Mechanism (LRM) to provide timely feedback on the effectiveness of credit sanction and undertakes regular follow-up to ensure compliance of policy guidelines, tracking of early warning signals and timely compliance of the CAP. All these initiatives have helped in identifying and managing the incipient stress of the accounts, compliance of the CAP and thereby, improving the credit quality of borrowers of your Bank.

Your Bank has operationalised the Early Warning Signal (EWS) application since December 2019 to support its credit monitoring function. The tool leverages data from internal and external sources to detect stress and incipient weakness and generates alerts on regular basis. All corporate and retail accounts are classified as High Risk, Medium Risk or Low Risk in the EWS application based on predefined threshold limit. This supports your Bank's capability to identify high-risk accounts and accounts showing early signs of stress in pre-Special Mention Account (SMA) stage, thereby ensuring that timely and pre-emptive corrective actions are taken. In line with the continuously evolving regulatory requirement and best practices, your Bank undertakes periodic review of the EWS application to add new features and parameters.

The asset monitoring tool *'SAJAG'* forms an integral part of your Bank's credit monitoring function as it ensures compliances of various credit administration parameters in order to improve and to strengthen credit culture. The tool also helps to identify incipient weaknesses in the loan portfolio and to prevent slippages. Your Bank upgrades the functionalities of the tool in accordance with the rapidly changing macroeconomic environment and regulatory guidelines.

RETAIL COLLECTIONS

Maintaining a healthy and profitable asset portfolio remains one of the Bank's important strategic objectives. With a predominantly retail-centric loan book, characterised by narrow interest margins and intense competition, even minor slippages in asset quality may quickly erode the profitability. In such an environment, strict containment of delinquencies within the budgeted thresholds is imperative to safeguard financial stability.

A well-maintained asset portfolio is fundamental to the long-term sustainability of any financial institution and your Bank is committed to upholding the highest standards of asset quality. Recognising that slippages in asset performance have cascading effects on profitability, operational resilience and overall financial health, the Bank has adopted proactive measures to minimise Non-Performing Assets (NPAs), write-offs and provisions. Central to this effort is a strong and efficient collection mechanism that mitigates credit risks and ensures timely recovery.

To strengthen its collection strategy, the Bank has established a dedicated Retail Collection Department tasked with preventing slippages and ensuring timely recovery of dues from retail loan portfolio. This department plays a pivotal role in minimising the risk of accounts transitioning into Special Mention Accounts (SMAs) and Non-Performing Assets (NPAs). The collection efforts are focussed on SMAs and probable and marked First-Time Non-Performing Assets (FTNPA) to maintain a robust retail asset portfolio. By focussing on early and timely intervention, the Bank enhances recovery rates and reduces the financial burden of overdue loans.

The collection activities are driven by a structured network of Collection Officers across Zones and Regions, supported by call centres, collection agencies, Business Correspondents (BCs), Business Facilitators (BFs) and also branches or Retail Asset Centres (RACs) for branch-centric products. This integrated approach ensures higher resolution rate and strengthens the Bank's retail asset portfolio.

In line with its digital transformation agenda, the Bank has implemented the Integrated Collection and Recovery Module (ICnRM) application. The application enables effective management of stressed accounts by optimising resource deployment, whether in-house or through external agencies. It provides a convenient platform for online collection and recovery of dues from delinquent borrowers, while delivering a seamless Management Information System (MIS) for monitoring and reporting collection activities. By digitising the collection mechanism, ICnRM enhances efficiency, transparency and responsiveness in managing retail credit risks.

RETAIL RECOVERY

In order to expedite recovery and improve upgrades from retail NPAs, the Bank intensified its efforts in taking timely recovery actions. These included enforcement of securities through fresh or repeated auctions under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act as well as sales through the Hon'ble Courts and other legal fora, supported by wide publicity to attract potential buyers. During the year, your Bank conducted ten mega auctions of properties in its possession and continued rigorous follow-up to ensure upgradation of fresh NPAs.

As a part of its resolution strategy, the Bank launched a non-discretionary and non-discriminatory special One Time Settlement (OTS) Scheme for retail Non-Performing Assets (NPAs) and Technically Written Off (TWO) accounts with Gross Principal Outstanding (GPO) of Rs. 5 lakh and above and up to Rs. 5 crore viz. Sugam Rinn Bhugtan Yojana (SUGAM) – II Scheme, to facilitate settlement of old NPAs.

In addition, certain cases were resolved through normal OTS or Negotiated Settlement (NS) in line with the Bank's NPA Management Policy.

To further accelerate its recovery process, a large number of small-ticket cases were referred to the National Lok Adalats, which offer a cost-effective and faster resolution mechanism. Recovery camps were organised at the top 20 branches with highest concentration of small-ticket loans to encourage borrowers to settle their cases through Lok Adalats.

The Bank also adopted a proactive outreach strategy to connect with the NPA borrowers. The call centre executives of the Bank engaged with the borrowers regularly to encourage account upgrade, closure or settlements through Lok Adalats. Complementing these efforts, the Bank leveraged digital communication by sending bulk SMSes and WhatsApp messages in regional languages twice a month to all borrowers concerned to improve its recover efforts.

ASSET QUALITY

Over the past decades, the Bank's NPA Management Group (NMG) played a pivotal role in driving resolution of and recovery from stressed assets. Your Bank's strategic approach has been instrumental in its turnaround, particularly during the challenging period when it was placed under the RBI's Prompt Corrective Action (PCA) framework in May 2017. Through sustained efforts, your Bank maximised recovery from NPA and Technically Written-Off (TWO) accounts during the last 10 years, enabling it to navigate successfully through challenging times. As a result, Gross Non-Performing Asset (GNPA) ratio of your Bank registered a marked improvement from 21.25% to 2.32% of its Gross Advances, declining steadily between March 31, 2017 and March 31, 2026.

The Bank's journey of improving its asset quality coincided with the introduction of a number of new legislations and regulatory guidelines such as Insolvency & Bankruptcy Code (IBC) 2016, revamped guidelines on Wilful Default declaration, establishment of National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) for transfer and assignment of bad loans, etc. The Bank adapted swiftly to these changes, leveraging new frameworks to boost recoveries. At the same time, the Bank automated its process flow and reporting framework of information in areas such as One Time Settlement, Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) & liquidation under IBC, Wilful Default Declaration, strengthening monitoring and internal control.

Your Bank has consistently prioritised containment of fresh NPAs and maximising recovery from impaired assets. As at end-March 2026, 97.68% of your Bank's Total Assets were Performing Assets, whereas 2.32% were NPAs. The Bank's fresh slippages were at 0.63% of its standard advances in FY 2025-26. During the year, the Bank's recovery from impaired assets and upgrade of NPAs to Performing Assets amounted to ₹ 1,484 crore. Adequate provisions were made in conformity with the extant regulatory guidelines, resulting in a strong Provision Coverage Ratio (PCR) of 99.39% as on March 31, 2026.

A centralised desk for handling Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) cases under the IBC, 2016 has further enhanced efficiency. By internalising learning from the field and disseminating these learnings across teams, the Bank successfully navigated complex CIRP cases. As of March 31, 2026, a total of 230 cases with an aggregate Gross Principal Outstanding (GPO) of ₹ 34,368 crore (including NPAs/ TWO assets) were undergoing CIRP within the ambit of IBC, 2016. Your Bank was able to resolve many cases under CIRP and recovered a sum of ₹ 458.20 crore from these cases under IBC during FY 2025-26. Additional recoveries of ₹ 14.61 crore were also achieved during the year through Personal Insolvency Resolution Proceedings (PIRP) and bankruptcy proceedings under the IBC from personal guarantors to corporate debtors.

To strengthen settlement mechanism, the Bank operates a digital *'One Time Settlement (OTS) Management System'* which facilitates submission of an OTS application through its website and also enables end-to-end processing of an OTS proposal, including tracking of recovery. Your Bank continued to focus on recovery of dues through settlement in all categories of NPA and TWO accounts. Under the Sugam Rinn Bhugtan Yojna-II and normal OTS your Bank made a recovery of ₹ 604.79 crore through One Time Settlement in FY 2025-26.

During the year, your Bank also transferred eight accounts (six TWO accounts and two NPA accounts) with the GPO amounting to ₹ 1,507.50 crore for consideration of ₹ 188.98 crore on a cash-cum-Security Receipts basis to the permitted entities including NARCL by way of transfer of stressed loan exposures.

Your Bank actively pursued legal action under the applicable laws including enforcement actions under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002. In this connection, the Bank tied-up with Bank Asset Auction Network (BAANKNET), formed under the aegis of the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India for auction of properties charged to the Bank. During FY 2025-26, the Bank auctioned 1,150 number of properties and made a recovery of ₹ 75.37 crore through the BAANKNET platform. Your Bank signed MOU with one of its channel partners for obtaining insights about NPA Borrower's presence on various social media platforms and their activities reflecting hidden economic affluence in order to maximise recovery leveraging the information and the insights gathered. The Bank continued co-ordination with the Debt Recovery Tribunals (DRTs) and Courts on a continuous basis

and identified nodal cross-functional team of officers from the Bank's NMG, Legal and Retail Recovery departments for work relating to the DRTs so as to expedite obtaining recovery certificates or decrees and execution processes.

As on March 31, 2026, your Bank classified 373 cases as wilful defaulters or fraud with punitive actions initiated against such borrowers, promoters and directors. The Bank also made a recovery of ₹ 53.02 crore during FY 2025-26 from the office of Official Liquidator (OL) by way of sale of securities and distribution of pending amounts.

TRADE FINANCE

Your Bank has a dedicated Trade Finance (TF) Department that delivers a comprehensive suite of products and services to support customers in both domestic and international trade. The offerings span from widely used products such as inward and outward remittances, Letters of Credit (LCs), Bank Guarantees (BGs), Standby Letters of Credit (SBLCs), to more complex solutions, covering domestic and cross-border trade products involving import and export of goods and services, pre-shipment and post-shipment export finance, short-term trade credits (buyer's credit and supplier's credit), merchanting trade, capital account transactions, among others.

As an Authorised Dealer (AD) Category-I bank, your Bank operates through 38 dedicated Trade Finance Centres (TFCs) and 31 corporate branches, which are authorised to handle all types of foreign exchange transactions. These products and services are processed through Centralised Trade Processing Centres (CTPCs) located at three major metro centres, viz. Mumbai, Chennai and Delhi, functioning on a hub-and-spoke model. This structure ensures standardised processing, efficient communication and faster turnaround time across the Bank's network.

Your Bank has been constantly improving its core banking platform and has been offering digitised trade processing to enhance customer engagement and to ensure seamless and convenient trade operation processes. Your Bank has undertaken various IT initiatives to make transaction executions faster, error-free and seamless. The IDBI GoTrade+, an internet-based trade finance solution, allows customers to transact on a 24x7 basis. The Bank has also adopted SWIFT GPI capabilities, enabling real-time tracking of cross-border payments, thereby enhancing customer experience. Your Bank has also partnered with SWIFT India and implemented Message Queue Host Adaptor (MQHA) for advanced queue management with encryption that strengthens existing security around the message flow for domestic transactions. The transitioned from SWIFT MT (Message Type) to the XML based structure complying with ISO 20022 Standards for all payment messages has further enhanced transparency, data capacity, potential for straight-through processing. All SWIFT operations of the Bank are managed through a Centralised SWIFT Cell (CSC) under stringent validation and security protocol. Further, your Bank has also laid down policies, processes, Standard Operating Procedures (SoPs), operating manuals, robust monitoring mechanisms, among other measures, in compliance with regulatory and statutory norms as well as international trade practice guidelines.

Your Bank has enabled online initiation of foreign outward remittances under the Liberalised Remittances Scheme (LRS) of the RBI via its retail internet banking portal, while foreign inward remittances up to a threshold are processed centrally for faster credit to its customers. To strengthen its service delivery, your Bank has an online Bank Guarantee (BG) Confirmation Module, which enables beneficiaries of the BGs issued by it to obtain online confirmation of issuance of guarantees.

Your Bank has instituted appropriate operational and compliance alerts enabled with round-the-clock fraud monitoring. Your Bank has instituted effective system control mechanisms in the form of Payment Controls System & Transaction Screening processes in its endeavour to mitigate cyber fraud risks and also to build effective control mechanism to address the issues of Anti-Money Laundering (AML) and Combating of Financing of Terrorism (CFT) in cross-border payments. In order to ensure additional control, your Bank has put in place several system validations to ensure compliance. Your Bank diligently follows Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), Combating of Financing of Terrorism (CFT) guidelines, robust Trade-based Money Laundering (TBML) red-flagging procedures and the US/ EU sanctions screening for international payments. Your Bank, as a matter of principle, verifies international cargo movement in merchanting trade through the International Maritime Bureau (IMB). The Bank also verifies credentials, core activities and scale of business and payment velocity of overseas parties through Business Information Reports from reputed agencies to ensure creditability and protect stakeholders.

Your Bank's bill finance policy covers purchase, discount and negotiation of genuine trade bills in both Indian Rupee (INR) and Foreign Currency (FCY). Your Bank has stipulated coverage of eligible export credit accounts under borrower specific individual cover, preferably from ECGC Ltd.

Strengthening its global reach, the Bank has built a robust correspondent banking network with around 561 banks worldwide through bilateral Relationship Management Application (RMA) and consequently it is able to render trade and non-trade services across the world. The Bank has Nostro arrangement for remitting funds in 11 currencies

directly and facilitates remittances in 135 currencies across the globe through correspondent bank arrangement, enabling seamless trade and non-trade services across the globe.

GOVERNMENT BUSINESS

Your Bank serves as an agency bank to the Reserve Bank of India (RBI), authorised to handle receipt and payment transactions for both the Central and State Governments through its branches and 24x7 internet banking facility. In addition to collecting central government taxes, which includes all Income Taxes, Customs Duty and Goods & Services Tax, your Bank also has the mandate to collect receipts on behalf of 14 State Governments and two Union Territories.

In the state of Maharashtra, the Bank also collects stamp duty through electronic Secured Bank and Treasury Receipt (e-SBTR) and Simple Receipt. Your Bank is an accredited bank to the Department of Printing under the Ministry of Housing and Urban Affairs. Your Bank is authorised by the Government of India to offer Small Savings Schemes such as Public Provident Fund (PPF), Senior Citizens' Savings Scheme (SCSS) and Sukanya Samriddhi Account Scheme (SSA). Additionally, the Bank is also authorised to disburse Central Civil, Defence and Railway Pension. Your Bank has enabled online collection of dues for Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC).

During the year, your Bank introduced Passbook Facility for account holders of Senior Citizens' Savings Scheme, enhancing convenience for senior citizens. The Bank has also integrated for collection of taxes and land revenue under the digital initiative by State Government of Maharashtra, known as, e-Chavadi Scheme or Aapli Chavadi, which is a digitised platform designed to modernise village-level land records, specifically the 7/12 (Satbara) extracts and mutation records. This system allows citizens to access land records and pay agricultural land revenue (Shet-sara) and property taxes online, while the lenders benefit from easier verification of land documents for loans processing.

CASH MANAGEMENT SERVICES

Your Bank continues to strengthen its position in the Cash Management Services (CMS) space by delivering comprehensive, technology-driven solutions to corporates, institutions and government entities. The focus remains on empowering its clients to manage collections effectively, streamline bulk payments and optimise liquidity through secure, scalable and digitally integrated platforms.

During the year, the Bank further enhanced its CMS capabilities by upgrading the CMS platform with advanced technological features. The enhanced system offers superior transaction processing capabilities, robust security architecture, improved reconciliation features and superior reporting tools. These enhancements were aimed at delivering efficient and seamless cash management services to clients while ensuring operational reliability and scalability.

In line with the evolving corporate demands and market requirements, the Bank introduced innovative solutions such as Digital RERA and Escrow Solutions, providing compliant and technology-enabled project account management solutions for real estate developers in line with regulatory requirements. The Bank also integrated with Multi Commodity Exchange (MCX) for Suvidha e-FD, enabling efficient placement of margin money requirements by market participants through digital channels.

Through these initiatives, the Bank has reinforced its CMS franchise, leveraging technology to expand its product suite and deepen customer engagement. This strategic approach underscores the Bank's commitment to delivering efficient, innovative and future-ready cash management solutions that caters to the dynamic needs of its customers.

TREASURY OPERATIONS

Your Bank has integrated its treasury operations across diverse market segments such as money market, fixed income, foreign exchange, derivatives and equities. Your Bank's Treasury operations involve active role in balance sheet management, liquidity management, maintaining Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR), investments and trading in market instruments, forex transactions and derivatives.

Your Bank's Treasury is also responsible for ensuring compliance to regulatory requirement such as CRR, SLR and other stipulated liquidity ratios. During the year, the Bank remained fully compliant with the stipulated regulatory requirement in maintaining CRR, SLR, Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR), underscoring its disciplined approach to liquidity management.

To actively manage liquidity on an on-going basis, the Bank's Treasury deploys a range of instruments such as Liquidity Adjustment Facility (LAF), Marginal Standing Facility (MSF) and Standing Deposit Facility (SDF) of the RBI, alongside other market instruments or platforms such as Triparty Repo (TREPS), Clearcorp Repo Order Matching System (CROMS) and Call and Notice Money. The surplus liquidity is prudently invested in various short-term instruments like Certificates of Deposits, Liquid Money Market Mutual Funds and lending in Call, Notice, Term Money markets, Forex Depo placements, SDF, among others. Your Bank also mobilises funds through CD issuances and refinance arrangements, aligned with short to medium term liquidity requirements.

Your Bank's Treasury remains an active participant in auctions of Government Securities (G-Sec), State Development Loans (SDL) and Treasury Bills (T-Bills), for its investment and trading purpose. Your Bank also actively participates in the RBI's measures by way of Open Market Operations (OMOs), Switch, Buyback and USD/ INR Swaps.

As a Primary Dealer (PD), your Bank fulfils all regulatory obligations including underwriting of Government of India dated securities (G-sec) in primary auction, meeting bidding commitment, maintaining turnover ratio for G-sec and adhering to success ratio for T-bill auctions. In addition, the Bank provides Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) service to Gilt Account Holders (GAHs). Further, your Bank also undertakes market making by providing buy and sell quotes to the retail investors on the Negotiated Dealing System- Order Matching (NDS-OM) platform (odd-lot and Request for Quotes segment) in order to provide liquidity in the secondary market for retail investors under the *'RBI Retail Direct'* facility. Retail investors are further empowered through the IDBI Samriddhi platform, which is a web-based portal for seamless online trading of G-Sec.

On the foreign exchange front, your Bank's Treasury operates active forex interbank and derivatives desks, offering competitive forex rates to the clients. The introduction of Two-Way Market Making/ Trading in Cross Currencies with domestic banks through automated trading system has aided in enhancing volumes, profitability and market presence of your Bank in forex business. The Bank's Derivatives desk provides tailored interest rates and exchange rate hedging solutions, helping clients to manage their exposure effectively.

The Treasury sales team, strategically located across major centres, works closely with relationship managers to serve corporates of all sizes as well as retail clients. By proactively engaging with customers, the team offers solutions for effectively managing their exposures in currencies, rates and also advises them with investment solutions in debt instruments such as G-Sec and Non-SLR bonds. The Bank has established a centralised forex desk at its Head Office to streamline the rate covering process and to improve efficiency in the handling of forex transactions.

CROSS-BORDER BRANCH

Your Bank's International Banking Unit (IBU) at the Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) commenced its operations on May 6, 2016. Functioning under the Kandla Special Economic Zone (SEZ) and regulated by the provisions and guidelines of the International Financial Services Centres Authority (IFSCA), the IBU has steadily expanded its role in supporting international banking activities. In addition to a broad suite of offering, the IBU focusses on funding solutions such as Standby Letter of Credit (SBLC), Foreign Currency Loan and External Commercial Borrowings (ECBs) for eligible retail and corporates customers. Your Bank's GIFT City branch also offers deposit services such as savings account, current accounts and IBU term deposit and Trade Credits (Buyer's Credit and Reimbursement Authorisation (RA) Financing).

CREDIT RATING

Your Bank obtains credit ratings for both its domestic and foreign currency borrowings. The rating action during FY 2025-26, along with the current ratings for Rupee resources as on March 31, 2026 are as follows:

	Ratings for Rupee Borrowings			
Rated Instruments	**CRISIL**	**ICRA**	**India Rating**	**CARE**
Rating action in	**August 2025**	**September 2025**	**September 2025**	**September 2025**
Fixed Deposit	CRISIL AA+/ Stable	[ICRA] AA / Stable	IND AA/ Stable	-
Short Term Borrowings (Certificate of Deposit)	CRISIL A1+	[ICRA] A1+	IND A1+	CARE A1+
Long Term Rupee Bond	CRISIL AA/ Stable	[ICRA] AA/ Stable	IND AA/ Stable	-
Tier II Bonds (Basel III)	CRISIL AA / Stable	[ICRA] AA/ Stable	IND AA/ Stable	Withdrawn

Note: The Medium Term Note (MTN) Bonds rated by foreign rating agencies, viz. S&P Global Ratings (S&P) and Fitch Ratings (Fitch), were fully repaid on November 30, 2020. Hence, the Bank had terminated the rating engagements or agreement with them on May 21, 2021, for various issues made under the MTN Bond Programme. Accordingly, rating for Foreign Currency Borrowings stands withdrawn.

RISK MANAGEMENT

Your Bank's risk management strategy is anchored on a fundamental tripod, viz. identification, measurement, and monitoring. While identification enables the Bank to further analyse and assess associated risks, measurement empowers the Bank to manage risks effectively. Together, these processes strengthen decision-making and instill confidence across operations. A well-defined policy framework outlining appropriate limits and processes enables the Bank to mitigate and manage risks within its overall risk appetite. Policies are periodically updated to reflect business dynamics, banking innovations, emerging risk scenarios and regulatory changes, thereby keeping the framework agile and responsive. Your Bank continues to foster a strong risk management culture by embedding risk awareness across all its verticals and making it integral to decision-making. While the Risk Management Committee (RMC) of the Board is responsible for overall risk management, the day-to-day activities are conducted at various levels based on the risk governance structure. The risk management systems and processes are continuously upgraded in alignment with the regulatory requirements and evolving best practices.

To build a more robust and technologically advanced risk management system, your Bank has implemented Integrated Risk Management Architecture (IRMA) comprising software

solutions, viz. Credit Risk Assessment Module (ICON), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE). The IRMA helps to identify and measure credit and operational risks which in turn facilitates formulation of suitable risk management strategies. In addition, the Bank has established a comprehensive Financial Analytical Application to support Asset Liability Management (ALM), Fund Transfer Pricing (FTP), Profitability Management and Liquidity Risk Management. Together, these systems provide a holistic view of risks and financial performance, ensuring that the Bank remains resilient, compliant and well-prepared to navigate an evolving risk landscape.

Risk Management Processes

The Bank documents its risk review process through a comprehensive set of policies and established practices, ensuring transparency, accountability and consistency in evaluating and managing risks across all operations and portfolios. A well-defined policy framework integrates risk management processes at multiple levels. In line with the regulatory requirement, the Bank has rolled out a robust framework for assessing operational risk capital requirements as proposed by the RBI. This includes the deployment of a comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) framework across different business segments, thereby strengthening risk culture and embedding effective control mechanism. For Market Risk, your Bank adopts the Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital requirements, ensuring compliances with prescribed norms while maintaining a prudent and structured approach to risk evaluation.

Implementation of Basel Norms

In adherence to the Pillar 1 guidelines of the RBI under Basel III framework, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a monthly basis. Banks in India are also mandated to maintain the Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50%. Your Bank also closely monitors the movement of Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) at monthly periodicity. Your Bank's Total Capital + CCB ratio was 26.65% as on March 31, 2026 against the regulatory requirement of 11.50%. Similarly, your Bank's Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB ratio was 25.56% as against the regulatory requirement of 8.00%. Your Bank's Tier 1 + CCB ratio stood at 25.56% as on March 31, 2026 as against the regulatory requirement of 9.50%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2026, was 10.51%, comfortably exceeding the minimum regulatory requirement of 3.50%.

Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify risks not adequately covered under Pillar 1, while developing appropriate strategies to manage and mitigate risks under normal and stressed conditions. Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework in line with the RBI guidelines. Complementing the ICAAP, the Bank has instituted a comprehensive stress testing framework in line with the RBI guidelines. This framework evaluates performance under exceptional but plausible events or scenarios and facilitates in framing appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies. The stress testing framework also includes scenario analysis, multifactor sensitivity analysis and reverse stress testing. Scenario analysis examines the impact of further increase in Gross NPAs, crystallisation of non-fund facilities in Non-Performing Assets (NPAs) and Technically Written-Off (TWO) accounts and impact of illiquid securities on capital and profitability of the Bank. The Bank uses the mechanism of reverse stress testing to ascertain the level of stress which may adversely impact its capital and profitability to take it to a pre-determined floor level.

Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms under which quarterly disclosures are hosted on its website, reinforcing transparency and accountability. Your Bank has also laid down a Reputational Risk Assessment and Management Policy to proactively identify risks to its reputation and the related consequences, along with the measures to contain them. Your Bank has also put in place Group Risk Assessment Policy to monitor and minimise the overall risk profile at the group level.

For computation of capital charge, your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk. Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk. Your Bank is also in readiness to implement new standardised approach for assessment of operational risk capital requirement as proposed by the RBI, reflecting its preparedness to adapt to evolving regulatory frameworks.

Credit Risk

The Bank has established a comprehensive Credit Risk Management system designed to strengthen risk evaluation and ensure prudent lending practices. Central to this framework are advanced tools such as the Credit Risk Assessment Model (ICON), which facilitates internal credit rating of proposals and the Capital Assessment Model (CAM), which automates capital adequacy assessment. The Bank's Credit Policy is reviewed periodically in line with changing business objectives and economic environment and forms the guiding tool for the business verticals. As per the Board-approved structure, the Credit Risk Management Committee (CRMC), *inter alia,* ensures implementation of

Credit Policy strategies and monitors credit risk on bank-wide basis. Your Bank uses ICON (Intelligent Credit Origination System) application for credit risk assessment of borrowers. The ICON application, built on cutting–edge technology, offers flexibility and efficiency, enabling smooth internal rating process and informed credit decision making.

In addition, your Bank has revamped its Model Risk Management Framework (MRMF) to manage Model Risk of the Bank. Developed in alignment with the Indian regulatory expectations and benchmarked against global regulatory practices, the MRMF provides a comprehensive structure covering the entire lifecycle of model management. This ensures that model risks are systematically identified, assessed and mitigated, thereby reinforcing the Bank's commitment towards robust risk management.

Expected Credit Loss Framework

The Bank is in the final stages of implementing one of the most advanced applications for Expected Credit Loss (ECL) computation, which has been procured from a leading player in the industry. This solution will enable the Bank to compute ECL in accordance with the regulatory guidelines effective from April 1, 2027. The implementation aims to strengthen data processing capabilities, automate complex calculations and reduce reliance on manual, spreadsheet-based methodologies. Thus overall, the Bank is fully geared for the upcoming ECL guidelines, underscoring its preparedness and commitment to robust risk management standards.

Market Risk

The Market Risk Management in your Bank is anchored in well-defined policies, including the Market Risk & Derivatives Policy and the Investment Policy, which set out the overall risk appetite and governance framework. These policies provide clear guidance on the identification, measurement, monitoring and reporting of market risks, supported by established escalation mechanisms to ensure timely and effective response.

The effectiveness of this framework is further enhanced with the implementation of the Integrated Treasury Management System (ITMS), which enables closer oversight and real-time monitoring of risks across treasury activities. The risk limits and operating procedures are independently monitored by the Treasury Mid Office, which operates separately from both the dealing and settlement functions, ensuring strong internal controls and transparency.

Trading activities are conducted within approved limits and are regularly monitored at both the portfolio and individual dealer levels. Investments in Non-Statutory Liquidity Ratio (NSLR) bonds are evaluated using an internally developed rating-based framework, ensuring the creation of a well-diversified and prudent investment portfolio.

The Bank employs a range of indicators to monitor market risk, including exposure limits, interest rate sensitivity measures and intraday and overnight position controls. In addition, advanced risk measurement techniques such as Value at Risk (VaR) and periodic stress testing, are used to assess the potential impact of adverse market movements and to ensure that your Bank remains resilient under challenging market conditions.

Liquidity Management

The Bank has in place a well-established liquidity risk management structure as enumerated in the Board-approved Asset Liability Management (ALM) Policy. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors and manages liquidity and interest rate risk in alignment with the business strategy. The Bank continuously ensures efficient and effective liquidity management through proactive monitoring and prudent balance sheet management strategies. The Asset Liability Management (ALM) activities, including liquidity analysis and management, are carried out in close co-ordination amongst various Asset Liability Management Committee (ALCO) support groups in the functional areas such as Finance and Accounts, Treasury Front Office and Budget and Planning. The directives issued by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and Asset Liability Management (ALM) Policy are implemented diligently by the respective business groups and verticals, ensuring consistency and discipline in liquidity management practices.

As per the regulatory guidelines, the Bank computes and monitors Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) on an ongoing basis. The average Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Bank remained at 122.25% for the quarter ended March 31, 2026 and Net Stable Funding Ratio (NSFR) as on March 31, 2026 was 118.58%.

Operational Risk

Your Bank has established a robust Operational Risk Management Framework (ORMF), which includes an organisational set-up comprising the Board of Directors, Risk Management Committee (RMC) of the Board, Operational Risk Management Committee (ORMC), Operational Risk Management (ORM) section in the Risk Management Department and nodal officers from various functions and departments. The operating procedures for operational risk are guided by the Board-approved Operational Risk Management Policy which aims at identifying, monitoring, measuring and managing operational risks associated with banking activities. Your Bank has put in place robust internal systems and procedures for mitigation of inherent risks

spread across various business activities and operations. The operational risks are managed through Key Risk Indicators (KRIs) and Risk Control Self-Assessment (RCSA) exercises, with outcomes periodically reported to the Operational Risk Management Committee (ORMC) and the Risk Management Committee (RMC) of the Board. Operational risk loss events are collated from across the Bank, analysed for root causes and presented to the Operational Risk Management Committee (ORMC), ensuring that corrective measures are embedded into processes.

To further strengthen resilience, your Bank conducts stress testing exercises on a quarterly basis to study the impact of stressed operational risk losses on its earnings and capital. These measures are complemented by measurement and reporting of any breach in the Board-approved Risk Appetite limits for operational risk. At present, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach (BIA) for computation of Operational Risk Regulatory Capital and Risk Weighted Assets. At the same time, the Bank is fully prepared for transition to the Operational Risk Regulatory Capital Computation under Basel III Standardised approach as proposed by the RBI, which shall replace the existing BIA.

Your Bank also has a comprehensive governance framework for managing third party outsourcing risk. The Bank has established a Board-approved Policy for Third Party Risk Management and created a digital platform for identifying, assessing, measuring and monitoring risk associated with Third Party Vendors, to ensure that the outsourcing arrangements remain secure, transparent and aligned with regulatory expectations.

Business Continuity Management

Your Bank has a robust Business Continuity Management (BCM) process to safeguard operations against business disruptions and life-threatening events. The strength of this process is reflected in the Bank being awarded ISO 22301:2019 certification for its bank-wide coverage of Business Continuity Management. At its core, the Bank has put in place a well-defined Business Continuity Plan (BCP) for both core and support functions, ensuring uninterrupted services to customers even in the face of unforeseen disruption or disaster. Complementing this, a comprehensive Disaster Management Plan (DMP) has been deployed for its major establishments to protect human lives and minimise damage to critical assets during disaster. The resilience of the Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan (DMP) is tested periodically through BCP testing exercises, disaster recovery including holistic drill and mock evacuation drills to ensure preparedness at all times. The Bank's BCM system is further strengthened by the Integrated Disaster and Business Continuity Management System (i-DaB), an automated incident reporting tool that enables uninterrupted delivery of critical services. Further, the Bank has also developed a mobile-based application, viz. ion BCP, which enables disrupted branches to instantly invoke and execute the Business Continuity Plan (BCP) with ease.

Information Technology Risk

Your Bank has taken significant steps to strengthen its Information Technology (IT) risk management and control in order to ensure resilience against cyber threats and compliance with regulatory standards. Your Bank has set up a state-of-the-art Security Operation Centre (SOC) at its Data Centre (DC) at Navi Mumbai and at Disaster Recovery (DR) site in Chennai to ensure high availability of its security systems. The 24x7 SOC serves as the Central Command hub for countering cyber threats and ensuring compliance with the Bank's Information Security Policy and Cyber Security Policy, besides upholding the Bank's objective of providing safe and secure banking to its customers. Further, through the SOC, your Bank centrally monitors its security infrastructure, including firewalls, routers, Intrusion Detection System (IDS) devices/ Intrusion Prevention System (IPS) devices, Privileged Identity Management (PIM), antivirus and detects phishing and malware attempts, enabling timely corrective actions.

Your Bank regularly conducts Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) of all internet facing applications, such as Finacle E-Banking Application (FEBA), mobile banking, mail messaging, etc. to proactively identify and remediate security weaknesses. Your Bank has successfully implemented the RBI's and other regulatory recommendations pertaining to information security, electronic banking, technology risk management and cyber frauds and the RBI's Cyber Security framework for banks. Your Bank has put in place an appropriate organisational framework, as recommended in the guidelines, which includes an exclusive Information Security Group (ISG) headed by the Chief Information Security Officer (CISO), reporting to the Chief Risk Officer (CRO) of the Bank. Complementing these structures are distinct polices, such as Information Security Policy (ISP), Cyber Security Policy (CSP) and Cyber Crisis Management Plan (CCMP), which articulate the management's intent and direction in addressing cyber security risks.

Your Bank regularly conducts and participates in various types of breach readiness exercises, table-top exercises and phishing simulation exercises to check and maintain the health of its information security setup. Information Security Awareness has been included as a mandatory session in the induction programme for new recruits of the Bank, while senior management have participated in specialised IT Risk Management programme at the Institute for Development & Research in Banking Technology (IDRBT). The awareness initiatives extend to the customers as well, with security

precautions communicated through mailers, SMSes, ATMs and posters, to minimise and thwart the attempts of any security breach.

The Bank's IT infrastructure and systems have been safeguarded by a robust information security framework, incorporating perimeter and end-point protection solutions. Your Bank's Data Centre (DC), Disaster Recovery Centre (DR) as well as Near DR Centre (NDR) are certified under the latest ISO/ IEC 27001:2022 information security standards. The Bank's Near DR site ensures zero data loss capability for critical transaction systems. The Information Security Steering Committee (ISSC) of the Bank provides directions and guidance for mitigating IT risk in the information systems and provides direction on the status of observations identified through Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) and Application Security Testing (AppSec) process. The cyber security posture, various security incidents and the policies are placed before the IT Strategy Committee of the Board (ITSCB) for necessary directions. The policies are reviewed and recommended by the ITSCB to the Board for approval.

Recognising the criticality of its payment systems, the Bank's payment infrastructure has been designated as Critical Information Infrastructure (CII) by the National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC) under Section 70A of the IT Act. Based on directions from MeitY, the Bank has constituted a dedicated Information Security Steering Committee for Protected Systems (ISSC-PS), which provides focussed oversight of the Bank's designated Protected Systems, ensuring continuous monitoring, enhanced governance and strengthening of their cybersecurity posture. The ISSC-PS reviews risks, controls and resilience measures specific to these critical systems, ensuring that the Bank's security framework remains robust, compliant and aligned with regulatory expectations.

To address low-probability but high-impact cyber risks, your Bank has obtained a comprehensive Cyber Risk Insurance policy, offering protection against potential financial losses arising from cyber-attacks, including those linked to residual risks that may persist despite robust security controls. The Bank has also deployed advanced security solutions such as Privileged Identity Access Management, Next-Generation-Firewall Solution, Antivirus, Patch Management Solution, Active Directory, Web and Mail Gateways, Data Leakage Prevention (DLP) solution, Anti-Advanced Persistent Threat (APT), Network Access Control (NAC), Web Application Firewall (WAF), Extended Detection & Response (XDR), User Entity & Behaviour Analysis (UEBA), Identity & Access Management (IDAM), among others to protect customer data, prevent external attacks as well as strengthen internal controls. Your Bank has further strengthened its infrastructure posture by enhancing cloud security controls and adopting Zero Trust Network Access (ZTNA) for secure remote connectivity across critical functions.

These efforts have been recognised externally, underscoring the Bank's leadership in building a resilient, technology-driven security ecosystem.

Fraud Risk Management

Your Bank has instituted a robust and integrated framework for fraud risk oversight through the establishment of the Fraud Risk Management Group (FRMG), which serves as the overarching structure encompassing critical functions of fraud monitoring, fraud examination, regulatory reporting and the Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS). This centralised framework ensures a cohesive and proactive approach to identifying, managing and mitigating fraud risks across the Bank.

The Fraud Monitoring and Examination team functions as a nodal authority for the assessment, classification and reporting of frauds in accordance with regulatory prescriptions and the Bank's internal policies. In addition to ensuring timely and accurate reporting, the team oversees the implementation of corrective and preventive measures to avoid recurrence of similar events. To reinforce internal controls and ensure regulatory compliance, the Bank regularly issues internal advisories and circulars aimed at strengthening control mechanisms, instituting targeted remedial actions and enabling prompt and accurate reporting of frauds to the RBI.

The Board-approved Fraud Risk Management (FRM) Policy forms the cornerstone of the Bank's fraud governance framework. It lays down comprehensive guidelines covering the monitoring, detection, prevention, reporting and systematic follow-up of fraud incidents.

During the year, the Bank further enhanced its governance and reporting capabilities through implementation of the bank-level Central Payments Fraud Information Registry (CPFIR). This system enables timely and streamlined regulatory reporting of attempted, suspected, disputed and actual fraudulent transactions, thereby strengthening the Bank's overall fraud risk management architecture.

The Enterprise-wise Fraud Risk Management System (EFRMS) team plays a pivotal role in safeguarding the Bank's digital ecosystem and protecting its customers from emerging threats through risk-based monitoring of suspicious transactions across diverse digital banking platforms and applications. Leveraging advanced detection rules and predictive analytical models, the system provides round-the-clock monitoring, enabling proactive identification and mitigation of emerging risks. During FY 2025-26, the Bank further strengthened its defences by progressively deploying new detection rules aligned with evolving digital payment fraud

patterns. Furthermore, the Bank continues to educate its customers through awareness campaigns by disseminating timely information on new fraud patterns and preventive measures through targeted email communications and awareness posts on social media and other communication channels. These combined initiatives empower customers to transact with greater confidence, fostering a safer and more secure digital payments environment.

Offsite Monitoring System

Your Bank has Offsite Monitoring System (OMS) tool to detect errors and omissions arising out of day-to-day operations in Finacle and generate alert for monitoring and undertaking necessary corrective action. The OMS rules identify exceptions that may expose the Bank to regulatory, financial and operational risks. Existing rules and turnaround time for closure of OMS alerts are recalibrated on an annual basis in line with changing guidelines.

Climate Risk Management

The Bank continues to embed climate risk considerations into its broader risk management architecture by systematically evaluating how climate related factors could affect its portfolio. This approach involves identifying potential exposures across key sectors, analysing their vulnerability to climate-driven impacts and maintaining ongoing oversight of the portfolio.

During the year, the Bank strengthened its understanding of climate-related risks by building on the groundwork laid in the previous cycle. Last year's assessment of financed emissions for a selected portion of the fund-based industrial portfolio, undertaken in accordance with the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) methodology, provided valuable insights into the carbon intensity and transition-linked vulnerabilities. Building on these learnings, the Bank is progressing toward a more comprehensive evaluation of climate risk across its broader lending portfolio. As part of this effort, the Bank is exploring the computation of financed emissions for the entire portfolio, initiating climate-related stress tests for select segments and analysing both physical and transition risks within the corporate portfolio. These initiatives are currently under active discussion, with scope and methodology are being refined to ensure alignment with best practices.

Looking ahead, the Bank intends to deepen the integration of ESG considerations within its Integrated Risk Management Framework (RMF) through active collaboration with internal stakeholders. This enhanced framework will enable more structured identification and management of ESG risks, supporting improved resilience and transparency. Aligned with its sustainability commitments, the Bank's Credit Policy outlines restrictions on financing activities linked to environmentally harmful practices, including industries involving ozone depleting substances. Complementing these efforts, the Bank has put in place a Board-approved Green Deposit Policy and a dedicated financing framework to promote financial flow to environmentally sustainable sectors.

Your Bank continues to extend funding support to renewable and clean energy segments such as solar and wind power projects, residential solar installations and electric mobility. Environmental considerations are incorporated into the Bank's internal rating models, ensuring that climate-related risks form an integral part of borrower credit assessments. Furthermore, the Bank's ICAAP Policy recognises climate risk as an important area requiring continuous evaluation, underscoring the Bank's commitment to sustainability and resilience.

Emerging Risk

The Bank continues to identify and monitor a broad spectrum of emerging risks that may influence its operations, financial performance and long-term strategic objectives. Among the most pressing challenges are climate-related risks, rising cybersecurity threats, shifting geopolitical dynamics, among others, that are likely to shape the operating environment. By adopting a forward looking approach, the Bank ensures that these risks are understood, anticipated and managed comprehensively.

Climate risks remain a key area of focus due to their potential impact on sectors financed by the Bank as well as on its own operational footprint. Growing expectations from global regulators and stakeholders to evaluate ESG-related exposures further elevate the importance of this risk class. The Bank's concerted efforts toward strengthening climate risk assessment, promoting responsible financing and pursuing environmentally sustainable practices, support its broader aim of long-term resilience.

With the rapid expansion of digital ecosystems and increasing adoption of Artificial Intelligence, cybersecurity has emerged as another critical risk. The Bank maintains a proactive stance by enhancing its cyber defence capabilities, improving resilience across channels and adopting robust controls to safeguard customer information. Regular upgrades to security systems enables the Bank to navigate an environment characterised by heightened uncertainty and technological complexity.

Geopolitical risks, ranging from global tensions and trade realignments to supply chain disruptions, are closely monitored for their potential influence on market stability and cross-border financial flows. The Bank regularly monitors geopolitical developments and access their implications for its business operations, counterparties and investment decisions. Through prudent portfolio management and

scenario-based planning, the Bank aims to minimise adverse impacts and preserve operational stability.

In addition to these key themes, the Bank remains vigilant to other emerging risks such as evolving regulatory expectations, macro-economic volatility and fast-paced technological innovations. By maintaining agility and collaborating with regulators, industry bodies and expert groups, the Bank ensures continuous alignment with best practices and upcoming requirements.

Through ongoing monitoring, proactive mitigation and sustained stakeholder engagement, the Bank strives to strengthen its resilience, protect customer confidence and support sustainable growth amid an evolving risk landscape.

Data Protection and Privacy Policy

The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDPA 2023), enacted by the Parliament of India, represents a landmark step in regulating the processing of digital personal data. The Act seeks to balance an individual's right to privacy with the legitimate need to process personal data for lawful purposes, along with matters connected or incidental thereto. The final Rules came into effect on November 13, 2025, prescribing multiple compliance timelines, with full implementation scheduled for May 13, 2027.

In accordance with the provisions of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDPA) and considering the Bank's probable classification as a Significant Data Fiduciary (SDF), the Bank has institutionalised its data protection governance framework. As a part of its compliance roadmap, the Bank has undertaken a series of strategic and operational initiatives. The Bank has established a dedicated Data Protection Office with effect from April 15, 2025. The Office, led by a designated Data Protection Officer (DPO) and a supporting team, ensures clear accountability, oversight and operational capability for compliance with the Act.

A comprehensive DPDPA Gap Assessment was conducted to evaluate the Bank's existing compliance posture against statutory requirements, forming the basis for a structured remediation plan. Based on the findings, the Bank formulated a Digital Personal Data Protection Policy, aligned with DPDPA principles and applicable regulatory expectations. Further, to address the gaps identified during the assessment phase, the Bank has empanelled a specialised consultant to support remediation and implementation of a comprehensive data privacy framework, covering governance, processes and technology controls.

To embed a culture of data protection across the organisation, the Bank conducted awareness and sensitisation programmes covering all levels, ranging from junior officers to senior management and Board-level executives. In addition, Privacy Champions have been identified across key business and support units and training has been provided to them through the Data Security Council of India (DSCI) Certified Data Protection Officer (DCDPO) certification programme, thus, ensuring and strengthening decentralised ownership of privacy obligations.

The Bank, in close coordination with its Legal Department, has strengthened contractual controls by requiring all vendors and service providers processing personal data on behalf of the Bank to incorporate a Data Protection Addendum in their agreements. Additionally, all Request for Proposal (RFP) and Limited Request for Proposal (LRFP) documents have been updated to include robust data protection and privacy clauses, thereby ensuring that third-party engagements are aligned with the Bank's obligations under the DPDPA.

On the technology front, the Bank has leveraged existing applications to complete data discovery for critical applications, providing visibility into personal data elements, data flows and processing activities. This exercise forms the foundational layer for data cataloguing and classification, which will support further compliance activities such as risk assessment, consent management and data lifecycle governance.

To further enhance its capabilities, the Bank has floated an RFP for a Privacy Automation Solution to institutionalise compliance, enable monitoring and support scalability of privacy operations. Also, recognising the growing use of personal data in Artificial Intelligence (AI) and advanced analytics, the Bank has also initiated the development of a dedicated AI Policy, with the assistance of a reputed consultant. This initiative focuses on responsible AI usage, data protection, and regulatory compliance, ensuring that emerging technologies are harnessed ethically and securely.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

Human Capital: Empowering Employees & Strengthening a Future Ready Workforce

Your Bank firmly believes that its employees are the foundation of long term, sustainable growth. As a trust-based institution, the Bank recognises that its ability to deliver consistent performance, meet stakeholder expectations and navigate a rapidly evolving financial landscape is directly linked to the capability, integrity and engagement of its workforce.

During FY 2025-26, the Bank continued to align its people strategy with business priorities, statutory developments and ongoing digital transformation, ensuring that the workforce remains resilient, customer-centric and future-ready. Enhancing employee experience, building

capability and promoting a culture of ethical, responsible conduct remained at the core of the Bank's human capital agenda as enumerated below.

Future Ready Talent Acquisition

Your Bank continued to strengthen its talent pipeline by attracting individuals with relevant skills and growth potential. Recruitment efforts were focussed on business expansion needs, technological transformation and critical functional requirements.

During the year, the Bank recruited individuals across various grades as follows:

Grade	Total
ED (Executive Director)	-
Grade F (Chief General Manager)	1
Grade E (General Manager)	2
Grade D (Deputy General Manager)	-
Grade C (Assistant General Manager)	18
Grade B (Manager)	58
Grade A (Assistant Manager)@	303
Grade O (Junior Assistant Manager)@	1,788
Executive – Sales and Operations	621
Clerical#	1
Total	**2,792**

Note:

@ - Excludes Executives appointed as Assistant Managers and Junior Assistant Managers

As on March 31, 2026, your Bank had total staff strength of 20,693:

Class	Total*
Officers	18,551
Executives	1,572
Clerical	281
Subordinate	289
Total	**20,693**

Note: The count includes employees on contract

Talent Management

Your Bank continued to place strong emphasis on talent management as a critical enabler of its growth and transformation objectives. Recognising the importance of a skilled and motivated workforce in a dynamic banking environment, your Bank focussed on systematic talent acquisition, structured succession planning and continuous capability building across roles and functions. Your Bank remains committed to building a future-ready, agile and value-driven workforce aligned with its long-term strategic objectives. Your Bank has deployed the following strategic interventions to ensure all-round development of its employees:

a) **Optimising Workforce Efficiency:** Your Bank has adopted a structured approach to manpower deployment to ensure optimal utilisation of human resources across business, operational and support functions. Deployment decisions are aligned with business priorities, branch requirement and skill availability, enabling enhanced productivity and service delivery. Periodic job rotation, redeployment of manpower and placement of employees based on competencies have strengthened operational efficiency while providing employees with diverse exposure and developmental opportunities.

b) **Performance Management - Driving Excellence and Growth:** The Bank's Performance Management System (PMS), that is, i-PACE is designed to foster a culture of accountability, excellence and continuous improvement. The system aligns individual performance goals with the Bank's strategic objectives and business plans. Objective goal setting, periodic performance reviews and transparent appraisal mechanisms ensure fair assessment and recognition of performance. Performance outcomes are linked to rewards, career progression and development interventions, thereby motivating employees to deliver sustained high performance and contribute effectively to organisational success.

c) **Professional Growth - Enabling Career Advancement:** The Bank has continued to focus on enabling professional growth through structured career development and continuous learning initiatives. Employees are encouraged to enhance their functional, managerial and leadership competencies through learning courses, certifications, workshops and other learning opportunities. Opportunities in varied aspect of banking namely, retail, corporate, trade finance, treasury, government business, sales, operations and support functions provides ample scope to have a rounded professional growth.

d) **Succession Planning:** Succession planning remains a key element of the Bank's talent management framework, aimed at ensuring leadership continuity and sustained organisational stability. Critical positions at Executive Director and Chief General Manager levels have been identified and a pipeline of high-potential employees has been identified to ensure business steadiness. An annual review of succession plans ensures readiness to meet future leadership requirements and mitigates risks arising from vacancies in key roles.

Holistic Well-being

Your Bank has adopted a comprehensive and integrated approach to employee well-being, premised on the belief that sustained organisational success is driven by employees who are healthy, engaged and supported across all stages of their professional and personal lives. The Bank's well-being framework is designed to create a positive employee experience that enhances productivity, sharpens focus and fosters a sense of belonging and fulfilment at work.

a. **Health and Well-being:** Your Bank provides a wide range of healthcare benefits aimed at safeguarding the physical and mental well-being of its employees and their dependents. These include in-house medical reimbursement policy, medical insurance covering hospitalisation, reimbursement of domiciliary treatment expenses, periodic comprehensive health check-ups and access to the Bank Medical Officers at major centres. Recognising the importance of emotional and psychological wellness, the Bank offers an Employee Well-being and Assistance Programme, viz. iCare, through which employees and their dependents can confidentially access professional counselling support. To promote a healthy lifestyle and encourage social bonding, the Bank organises annual sports and cultural events at its Head Office in Mumbai and the zonal levels and has also introduced a scheme for one-time reimbursement of registration fees for participation in major marathons.

b. **Employee Recognition and Engagement:** Your Bank recognises the value of long-term commitment and dedicated service rendered by its employees. As part of its employee engagement and recognition initiatives, the Bank has introduced the grant of milestone service year mementos to employees on completion of milestone years of service such as 15 years, 25 years and 30 years.

c. **Housing and Personal Finance Support:** Your Bank extends loans and advances at concessional rates of interest with flexible repayment terms to employees. These facilities enable employees to fulfil aspirations such as owning a home, purchasing a vehicle, and their children's higher education.

d. **Scholarship for Wards of Employees:** Your Bank remains committed to supporting the educational aspirations of employees' families. Under the *'i-Shiksha'* Scheme, meritorious wards of employees are recognised and rewarded for outstanding academic performance in Class X and XII Board examinations. Your Bank also granted the Dr. B. R. Ambedkar Scholarship to the children of workmen employees and officers in Grades A and B belonging to the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs), reinforcing its commitment to inclusive growth and social empowerment.

e. **Compassionate Schemes:** In order to provide timely support to families of employees who pass away while in service, the Bank has instituted compassionate schemes aimed at mitigating financial hardship. These include compassionate appointment to eligible dependents or payment of ex-gratia amounts, along with other forms of financial assistance. Additionally, life insurance cover is provided to all employees and outstanding staff loans are protected under insurance schemes, ensuring financial stability for bereaved families.

f. **Legal and Financial Assistance:** Your Bank has also put in place a comprehensive scheme for extending financial and legal assistance to its Directors, Officers, and Employees, helping them address professional exigencies with confidence. Complementing this, the Bank has a Directors' and Officers' Liability Insurance Policy, strengthening risk mitigation and institutional governance.

Diversity and Inclusion

Your Bank has continued its efforts in promoting diversity and inclusion in the workforce. Your Bank has implemented inclusive hiring practices, promoting equal opportunity across all levels of the organisation. Your Bank continues to recruit persons with disabilities and applicable guidelines on reservation are followed. As on March 31, 2026, the representation of Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Other Backward Classes (OBCs)/ Economically Weaker Sections (EWSs) in the Bank's total manpower was as follows:

CLASS	SC	ST	OBC	EWS
Officers	2,701	1,106	4,968	570
Executives	253	70	540	235
Clerical	40	18	35	-
Subordinate	76	20	61	-
Total	**3,070**	**1,214**	**5,604**	**805**

Industrial Relations

The industrial relations climate in your Bank has generally been cordial, during the year, with most of the issues having been resolved amicably. The Bank has been holding meetings with the Associations and Unions in its endeavour to have constructive dialogue for understanding and addressing grievances of officers or employees. The Associations and Unions have also been responsive and proactive while addressing various issues.

Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)

With the aim of providing quick assistance and the much desired immediate support to the aggrieved women on account of occurrence of an untoward incident, an e-mail based grievance mechanism has been put in place by the Bank to enable them to lodge complaints of sexual harassment faced by them at the Bank's workplace, directly to the members of Internal Committees at its Head Office in Mumbai and at all its Zonal Offices.

Disclosures under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

With the objective of creating a safe and friendly work environment and ensuring prevention of sexual harassment at workplace, the Bank, in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, has set up Eighteen Internal Committees (16 at Zonal Level and two at its Head Office in Mumbai) to redress the complaints received regarding sexual harassment of women at workplace. During FY 2025-26, the Bank received 14 (fourteen) complaints which were attended by the respective Internal Committees. As on March 31, 2026, five complaints were under process.

Ethics and Compliance

Your Bank has instituted the roles of Chief Ethics Officer and Zonal Ethics Officers to promote and reinforce a culture of ethical conduct and regulatory compliance across the organisation.

LEARNING AND EMPLOYEE ENGAGEMENT (L&ED)

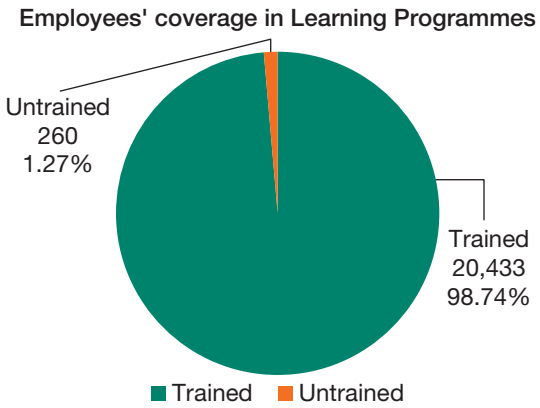
IDBI Learning Ecosystem: Invest in learning and make a difference

Learning and Employee Engagement plays a pivotal role in developing a capable and confident workforce, which is crucial for achieving excellence in both business performance and compliance. Your Bank remains dedicated to ensure that every employee participates in relevant learning initiatives, carefully aligned with the Bank's vision of fostering employee growth and empowerment. These programmes are tailored to address the specific learning needs identified by zones, verticals and individuals, thereby supporting a strategic approach to skill development.

The year in learning focussed on developing and sustaining a culture of learning across workplaces, strengthening compliance, control and ethics as daily discipline and digitalisation of learning by leveraging technology and AI.

Learning – Aiming for Growth and Excellence

Your Bank considers learning not merely as a mandatory activity, but as a strategic enabler to identify and bridge knowledge and skill gaps through tailored programmes and workshops. The approach focuses on individual learning requirements, addressing them through a balanced blend of online and offline initiatives. The employee participation in learning programmes during the year is as follows:



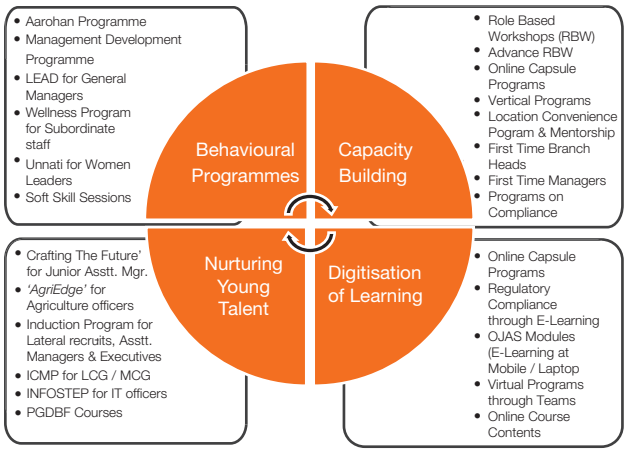
Out of total 20,693 employees, 20,433 have attended either online or offline learning programmes.

Man-Days Targeted and Achieved Across Employee Categories

As per the Learning & Employee Engagement (L&ED) policy, a minimum number of man-days has been defined for the development of employees across various categories. Your Bank has not only met but exceeded these targets (116%), reflecting a strong commitment to continuous learning and capability building.

Designing the Mapping of Various Learning Programmes

A structured approach has been followed to design and align learning programmes with the specific roles, responsibilities and development requirements of employees. This alignment ensures consistency with organisational objectives as well as individual career growth. The programmes are classified into functional, behavioural, regulatory and leadership competencies, facilitating focussed learning interventions for each category of employees:



Behavioural Programs

a. **Aarohan: WeRise IDBI:** Your Bank's flagship behavioural science programme *'Aarohan'*, remained a critical enabler of cultural transformation. This year's programme *'Aarohan: WeRise IDBI'* has been designed for employees up to Grade E and is centered on the theme *"When we rise in our personal and professional life, our Bank rises with us"*. The sessions covered the following key areas:



Programmes Conducted	Participants Covered	% Participants Covered
675	16,030	97.01%

b. **Aarohan-cum-LEAD (Leadership Excellence and Development Program):** The LEAD programme was conducted for the General Managers in collaboration with Indian Institute of Management, Lucknow. The program aimed at strengthening high impact communication with emotional intelligence, managing stakeholders with self-awareness and enhancing people's management skills to drive superior business and service outcomes. A total of 214 General Managers (91%) participated in the programme held at Mumbai and Hyderabad.

c. **Management Development Program:** Your Bank conducted customised Management Development Programs for Executive Directors and Chief General Managers in collaboration with IIM Bangalore and IIM Lucknow respectively. The programme focussed on strengthening leadership, strategic thinking, decision making, governance, technology awareness and future readiness.

d. **Aarohan-cum-Wellness Program for Workmen Staff:** The Bank extended the Aarohan programme to the workmen employees as a behaviour and wellness initiative. This boosted their confidence and motivated them to support Bank in its growth trajectory. A total number of 24 programmes were conducted, covering 468 employees.

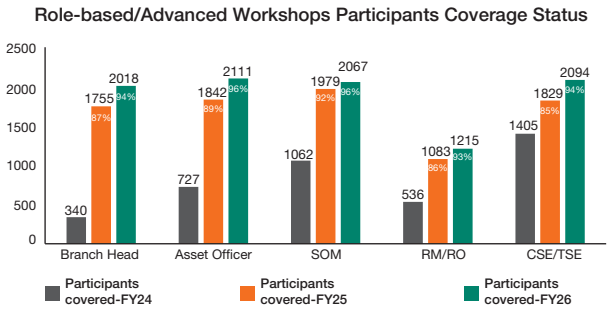
e. **Unnati: Rising to Success:** The Unnati programme is being conducted by your Bank to support the empowerment and development of women officers. During the year, a total number of 32 programmes were conducted, covering 535 women employees.

f. **Soft Skills Customised Sessions:** Exclusive sessions have been integrated into the programmes to facilitate experiential and situational learning, customised to specific requirements. These sessions aims to deepen understanding and enhance practical application of key concepts through real-world scenarios.

Capacity Building

a. **Role-Based Workshops:** Your Bank conducted role-based workshops for various positions in the branches, including Branch Heads, Asset Officers, Service and Operation Managers, Relationship Managers, Customer Service Executives and Teller Service Executives. These workshops comprehensively covered functional aspects while emphasising compliance, control and ethical practices, thereby empowering employees in their day-to-day roles. The aim is to bridge knowledge and skill gaps and build confidence among employees.

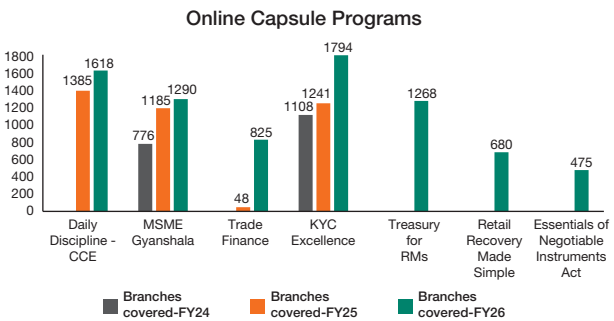
b. **Advanced Role-Based Workshops:** Your Bank has initiated the Advanced Role-Based Workshop for officers who completed the basic role-based workshops in the previous cycle, to deepen job-specific expertise and equip employees to manage complex situations with greater proficiency and assurance. Coverage status for Role-based and Advanced Role-based Workshops is as follows:



Note: SOM – Service & Operation Manager; RM/RO – Relationship Manager/ Relationship Officer; CSE/TSE – Customer Service Executive / Teller Service Executive

c. **Online Capsule Programmes:** Your Bank has taken steps to support employees in specialised domains through Online Capsule Programmes. These programmes are conducted after business hours via Teams meeting, enabling *'Learning at Employee Desk'*. The emphasis is on covering the entire branch team rather than only individual participants, thereby ensuring wider and more effective branch-level participation. The Online Capsule Programmes conducted this year are as follows, (i) Daily Discipline: Compliance, Control & Ethics (CCE), (ii) MSME Gyanshala and Agri Gyanshala, (iii) Trade Finance – A Simplified Guide, (iv) KYC Excellence Drive, (v) Treasury Programme for Relationship Managers, (vi) Retail Recovery Made Simple and (vii) Essentials of Negotiable Instrument Act.

The status of these programmes are as follows:



Treasury Programme for Relationship Managers (RM), Retail Recovery Made Simple and Essentials of Negotiable Instrument Act have been introduced in FY 2025-26.

d. **Mentorship to Branches:** Your Bank's L&ED team provides mentoring to unlock the potential of the identified branches, guide & inspire them to perform, to grow and to excel. Structured, data-driven mentorship was provided by IDBI Learning Centre facilitators to 195 branches on the topics, namely, Low Audit Rating Branches, Low Performing Branches and Loss Making Branches.

e. **Location Convenience Programme (LCP):** Your Bank has worked on a new approach of Location Convenience Programme (LCP). These programmes are conducted in the evenings at branch locations for clusters of nearby branches. Faculty members visit these locations and provide hands-on support to address common concerns. This approach facilitates practical solutions to branch-level challenges. A total of 16 LCPs were conducted across zones during the period. The following topics were covered under LCPs, namely, (i) Low growth MSME/ Agri/ CASA, (ii) Low fee-based income, (iii) Higher compliance pendency, and (iv) Low account opening through branch channel.

f. **Vertical Programmes:** Based on the specific learning requirements of various Verticals, both in-house and external training programmes have been organised.

For specialised skill development, officers have been nominated for external programmes and collaborative sessions have been conducted with the support of external experts. These initiatives have particularly focussed on key functional areas such as Treasury, Credit, Trade Finance, Audit, Compliance, Vigilance, Operations, IT and other critical domains.

64 Vertical Programmes | **1602 Officers trained** | **932 officers attended External Programmes**

Customised Programmes: Major programmes customised for the vertical are as follows:

- Sensitisation programme on Provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988 for Executive Directors and CGM & Branch Heads of Large Corporate Group and Mid Corporate Group
- Programme on New Labour Code and its impact
- Programme on Loan Documentation and Business prospective for Corporate Banking
- DSCI Certified Data Protection Officer (DCDPO) Programme
- Training Programme on Project Management
- Programme on NPA Recovery

- Programme on the Occupational Safety & Health Administration (OSHA) Policy for Security Officers of the Bank
- Training for Chief Liaison Officers of the Bank
- Capacity Building and Training programme for Vigilance Officers

External Programmes: 932 Officers from various Verticals were nominated in 107 programmes conducted by specialised institutes, viz. Administrative Staff College of India (ASCI), State Bank Institute of Rural Development (SBIRD), College of Agricultural Banking (CAB), Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL), CRISIL Ltd., Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), etc.

g. **First-Time Branch Head:** The programme equipped new leaders with operational, managerial and people-handling capabilities essential for branch stewardship. A total of 13 programmes were conducted covering 238 officers First-Time Branch Heads.

h. **First-Time Managers:** Your Bank conducted the programme for Executives-On Contract appointed as Assistant Managers in the Bank. The programme is for six days covering functional and behavioural learning sessions. During the year, 16 programmes were conducted at ICBF covering 490 Assistant Managers.

i. **Programmes on Compliance:** *'Compliance, Control and Ethics (CCE)'* remains the central theme for all the learning programmes of your Bank. The sessions on CCE have been included in all the learning programmes to spread awareness about its importance among employees at every level. E-Learning modules on Know Your Customer and Anti Money Laundering, Money Mules, Cyber Security, Preventive Vigilance, Prevention of Sexual Harassment (POSH), Code of Ethics, Customer Service, etc. are being assigned to the employees as part of the mandatory certifications in OJAS. The circulars issued by the RBI are also assigned to the employees as part of the quarterly Mandatory Certifications in OJAS. In FY 2025-26, participant coverage in regulatory compliance module has been 99.14% of the eligible employees.

Nurturing Young Talent

a. **Induction Programmes:** To nurture young talent and ensure smooth integration, Induction Programmes-cum-Role-based workshops were conducted for the new recruits to enhance their onboarding experience, competencies, familiarising them with the Bank's work culture, growth opportunities, their roles & expectations. The programmes included, *'Crafting The Future'* for Junior Assistant Managers, *'AgriEdge'* for the newly joined Agriculture officers and Induction Programme for Lateral recruits, Assistant Managers and Executives. A total of 112 Induction Programmes were conducted covering 2,792 employees.

b. **Talent Development Programmes:** Your Bank continued to enhance its internal talent pipeline through focussed development programmes aimed at deepening domain expertise. The following programmes were conducted by your Bank during the year:

- Intensive Credit Management Programme (ICMP) for developing credit skills among officers in Large & Mid Corporate Group
- Information Systems & Technology Excellence Programme (INFOSTEP) for newly recruited IT officers
- DSCI Certified Data Protection Officer (DCDPO) – Programme conducted in collaboration with Data Security Council of India (DSCI). The participants on qualifying an assessment post the training were certified as *'DSCI Certified Data Protection Officer (DCDPO)'*.
- Programme on Credit Appraisal Level 1 and Level 2 for officers posted in Credit Solution Centres
- Role Based Programme for newly recruited legal officers
- Role Based Programme for Officers working in Compliance Department
- Training and Refresher programme for staff posted in Internal Audit Department

c. **Post Graduate Diploma in Banking & Finance (PGDBF):** IDBI PGDBF is a one-year diploma to provide learning to prospective candidates for recruiting as Junior Assistant Managers (JAMS) in your Bank. The programme includes six months of classroom learning, two month internship and four months of On-Job-Training at the Bank's branches/ offices/ centres. Your Bank has tie-up with U-next Manipal Global Education Services Pvt. Ltd., Bengaluru and NITTE Educational International Pvt. Ltd., Greater Noida for the six months classroom learning. This channel provides the Bank with trained resources at the entry level.

Digitisation of Learning – Leveraging Technology & AI

a. **OJAS (e-learning):** Your Bank aims for the digitisation of learning aligned with the industry-best practices and providing convenience to the participants, saving time and cost. Mandatory programmes as per the regulatory guidelines have been developed into e-learning modules to provide easy access to employees. This approach has yielded good results with a higher completion percentage by all the employees. Participant coverage in regulatory compliance module has been 99.14% of the eligible employees.

   Updation of OJAS (e-learning) Modules: To facilitate convenient access to the latest developments, guidelines of the Bank, products and processes to the employees, your Bank has undertaken efforts to update e-learning modules with support of subject matter experts. These modules are accessible online including on mobile.

b. **Virtual Programmes through Microsoft Teams:** Virtual programmes have been thoughtfully designed and conducted both internally and in collaboration with external institutes. These initiatives have been well-received, providing participants with valuable learning experiences.

c. **Online Capsule Programmes:** To promote digitisation, specialised topics have been covered under *'Online Capsule Programmes'*. This initiative has significantly enhanced accessibility and engagement among employees.

Exclusive programmes for Board Members & Senior Management: Your Bank has organised programmes to current industry relevance for Board and Senior Management in collaboration with reputed institutes, as under:

- Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) - Programme on Corporate Governance for the Directors of IDBI Bank.
- Design Thinking: Sustainable Business Impact Outcome.
- Program on Strategic Insights.
- Virtual Programme on KYC and AML for Board of Directors of Banks, NBFCs and Financial Institutions.

Retirement Programme: An exclusive quarterly programmes is designed for employees scheduled to retire in the upcoming quarters, focussing on financial planning, emotional readiness, and lifestyle adjustments and exploring post-retirement opportunities to ensure a smooth and fulfilling transition.

Impact Analysis – Qualitative Improvement Index (QII)

The QII is being measured in a systematic manner for Role-based workshops and Online Capsule programmes to assess employees' understanding, knowledge enhancement and the value they create at the workplace after a certain period post-programme. The QII is derived based on the following parameters:

- **Exit Test Assessment -** Measures knowledge retention post-programme.
- **Employee Feedback -** Captures the participant's perception about the programme and its applicability at the workplace.
- **Feedback from Reporting Authority -** Taken after a defined period to evaluate functional and behavioural improvements and changes in the employee.
- **Business Growth -** Evaluation is conducted in every functional programme to assess improvement in branch business performance after a certain period. This evaluation is based on the parameters of the business ranking of the branches, encouraging employees to stay focussed and drive improvement.
- **Reduction in Operational Pendency -** CCE sessions are included in every programme to reinforce compliance, control and ethics in daily work. Their effectiveness is assessed through improvements in operational efficiency and reduction in compliance pendency, based on branch compliance ranking parameters.

Organising Learning Programmes for other Banks and NBFCs

Your Bank conducted 14 learning programmes for other banks, financial and management institutions, co-operative banks, covering 938 participants in various areas, leveraging internal and external expertise. This initiative strengthens connect with other institutes and helps exploring future collaborations for mutual benefit.

Faculty Development Programmes

To ensure effectiveness of the learning programmes, your Bank has made significant investments in this area. Faculty members undergo dedicated workshops to refine delivery skills, align with updated programme frameworks and ensure consistent, high quality learning experiences across all centres.

Learning Activities for Employee Engagement

- **Learning Club –** A group of volunteers, willing to learn, to share and to empower each other. Conducted on every 1st Wednesday of the month, it is called *'Power Wednesday'*. Sessions were conducted by experts through Microsoft Teams on topics selected by the Learning Club members.
- **Theme-Based Learning Wednesdays –** It is an initiative to foster continuous learning habits among Team IDBI. *'Learning Wednesday – A Day of Self-Empowerment'* has been religiously conducted by the officers at branches, departments, verticals, processing cells across country, every Wednesday for an hour in the evening.
- **IDBI Knowledge Cup –** A Bank-wide quiz competition designed to strengthen knowledge and teamwork. It builds a healthy competitive spirit while promoting continuous learning.
- **Rapid Fire Knowledge Checks at Learning Centres -** Quick end-of-programme quizzes that reinforce key learning takeaways boosting retention, engagement and immediate application of concepts.
- **E-Publications - QBank -** Your Bank has developed and regularly updated Question Bank for knowledge updation on products, processes, guidelines and general awareness.

ADMINISTRATION AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

Your Bank has continued to strengthen its physical and operational infrastructure through a series of strategic initiatives. During the year, the Bank acquired 1,618.74 square metre of land on 60-year leasehold basis at Amaravati, the capital city of Andhra Pradesh State, with plans to construct a facility including a retail branch, back office functions, training centre and provision for a future Zonal Office. During FY 2025-26, the Bank's infrastructure expansion efforts contributed to an increase of 70 new branches in the Bank's network across the country and has completed relocation, major renovation of about 101 branches and offices across various Zones.

To celebrate its legacy, the Bank created *'Smriti Path – A journey of Milestones'* at its Head Office in Mumbai, a museum to showcase the organisation's rich history and significant contribution to the financial landscape of the country.

Your Bank launched a campaign *'MY OFFICE MY PRIDE'*, undertaking a large-scale weeding out exercise of old records and files. This initiative resulted in the disposal of 14,550 kg of outdated papers and files, fostering cleaner, more sustainable working environment. To further reduce paper usage, digital information panels have been installed at strategic locations at its Head Office in Mumbai.

During the year, the Bank undertook various civil works and infrastructure projects, including redevelopment and renovation of residential staff quarters and construction of additional housing and training infrastructure, aimed at improving quality of life and overall well-being of its employees as well as supporting the capacity-building endeavours. Major projects included structural repairs, renovation as well as re-development and construction of additional infrastructural facilities across the Bank's official and residential premises located at Mumbai, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad Raipur, Bhopal and Satara. Further, strengthening its regional presence, the Bank inaugurated new Regional Offices at Alwar, Ujjain and Thiruvananthapuram. On the technology front, the Bank has undertaken electrical upgradation of Data Centre, including procurement of 2 units of 600 KVA Modular UPS at its office at CBD – Belapur, Navi Mumbai.

Under its CSR efforts, the Bank has assisted in constructing barracks for the police personnel posted at the Cuffe Parade Police Station, Mumbai, to improve their living conditions and contribute to their overall welfare and thereby, contributing to enhancing their morale and efficiency in discharging their duties.

On the safety front, the Bank has implemented the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) policy during the year, as part of responsible and safe business environment within the broader ESG framework. The policy emphasises proactive identification of risks and the prevention of workplace hazards through continuous monitoring and improvement of safety practices, in alignment with applicable occupational safety and health regulations, to ensure a safe, healthy, and secure working environment for all employees and off-roll staff operating within its premises. Further, the policy incorporates regular training sessions, awareness programmes, and structured incident reporting mechanisms as integral components.

To improve efficiency and turnaround time, your Bank has automated several procedures, including the online submission of life certificate by retired employees, reflecting its commitment to digital transformation and employee convenience.

INTERNAL AUDIT

Your Bank has a dedicated Internal Audit department that provides independent and objective assurance on the adequacy and effectiveness of internal controls, risk management and governance processes within the organisation. The department also evaluates the adherence to internal policies and procedures as well as applicable

regulatory guidelines, while also offering constructive recommendations for process improvements.

The Audit function has adopted the Risk-Based Audit approach, ensuring that audit coverage is aligned with the Bank's risk profile and business priorities. The audit activities of the Bank cover the entire spectrum of the Bank's business and support verticals spread across Zonal Offices, Regional Offices, branches and non-branch segments. The Risk-based Internal Audit framework is periodically reviewed and revised to remain responsive to evolving business environment and to promote a strict culture of compliance. The Audit Department functions under the overall guidance and supervision of the Audit Committee of the Board (ACB).

The governance of the audit function is anchored in a comprehensive policy framework comprising the Risk-based Internal Audit Policy, the Concurrent Audit Policy and the Information Systems Audit Policy. Under the Risk-based Internal Audit Programme, the Audit Department conducts a wide-range of audits, including Branch Audit, Management Audit of Zones and Regions, Credit Audit, Information Systems Audit, Concurrent Audit. In addition to these routine audits, the Audit Department also undertakes Surprise Audit, Dynamic Audit, Snap Audit, Thematic Audit etc. to ensure robustness of the internal control mechanism.

To ensure focussed oversight and effective follow-up of audit observations, a Zonal Audit Office (ZAO) structure has been created, with particular emphasis on Branch Audits. The entire audit lifecycle is undertaken through a web-based application, viz. *'i-Netra'* (Integrated Audit Management Solution), which facilitates real-time access for officers of auditee units and enables continuous monitoring of compliance status.

In addition, the Audit Department is also entrusted with key governance-related responsibilities, including staff accountability examination, Long Form Audit Report, Internal Financial Controls over Financial Reporting and Whistle Blower Mechanism in accordance with the Whistle Blower Policy.

The Audit function is supported by a team of suitably qualified and skilled professionals, who play a proactive role in identifying risks and recommending enhancements in processes and service delivery. Through timely feedback and structured reporting to management, the department contributes to effective corrective action, thereby mitigating operational, financial and regulatory risks and strengthening the Bank's overall control framework.

Long Form Audit Report (LFAR)

The Internal Audit Department plays a facilitative and coordinating role in the finalisation of Long Form Audit Report (LFAR) by the Statutory Central Auditors (SCAs). Acting as the nodal point for LFAR-related activities, the department liaises closely with the Bank's various business verticals, functional departments and branches to comply, validate and furnish the requisite information to the SCAs in a timely and structured manner. The Internal Audit department as the nodal department for coordinating the LFAR activity in the Bank, proactively follow-up with the concerned verticals and departments and ensures timely and effective compliance with the observations made in the LFAR. This coordinated approach enables timely closure of audit observations and supports the strengthening of internal controls across the Bank.

To further strengthen a culture of continuous compliance, the Audit department regularly issues advisories to the dealing groups (DG) to encourage adoption of proactive measures to address controls gaps, expedite reconciliations and rectify identified anomalies. These initiatives are complemented by regular inter-vertical meetings including structured interactions with Zones aimed at strengthening controls frameworks, enhancing efficiency and improving overall governance standards across the Bank.

Internal Financial Control over Financial Reporting (IFCO-FR)

The Bank has established a robust framework for implementation of Internal Financial Controls over Financial Reporting, under which the internal controls are embedded across all the business processes, aligned with associated risks. These controls are mapped through well-defined Risk Control Matrices (RCMs), which are periodically reviewed and independently evaluated on quarterly basis to ensure their continued adequacy and effectiveness.

An external consultant engaged for this purpose carries out independent assessments, including both onsite and offsite testing of control effectiveness at administrative offices as well as branch locations. The evaluation process assesses the design and operating effectiveness of internal controls and includes recommendations for strengthening the control environment, wherever necessary.

As a part of the Integrated Audit Management Solution, your Bank implemented the IFCO-FR module in i-Netra to further enhance efficiency, transparency and traceability. This automated solution enables end-to-end management of the periodic evaluation process, encompassing data collection, control testing and the testing and maintenance of a standardised repository of evidences, thereby ensuring consistency and audit readiness.

The Internal Audit department is working as the nodal department for coordinating the activity between the external consultants and the business verticals and departments in the Bank. Through this structured coordination, the department ensures independent and objective assessment

of internal controls for reporting to the Audit Committee of the Board. The Audit department works closely with all the business owners to progressively shift controls from detective to preventive in nature and to promote automation over manual processes. Further, the Audit department also issues regular advisories to sensitise the business process owners for regular assessment of risks and periodic review of associated controls. This ongoing engagement fosters a strong control consciousness across the organisation, ensuring that control mechanisms remain efficient, effective and aligned with the Bank's governance and financial reporting objectives.

Information Systems (IS) Audit

Information Systems (IS) Audit forms an integral component of the Bank's Internal Audit function and plays a critical role in providing ongoing assurance over technology risks and their business impacts. Given the extensive adoption of information technology across banking operations, the Bank recognises the importance of frequent and comprehensive review of IT systems to ensure that robust controls, security frameworks and best practices are consistently embedded across all information systems.

The Bank's IS Audit function is designed to safeguard confidentiality, integrity, and availability of its IT assets. It encompasses a broad audit scope covering IT systems and Applications, IT Infrastructure, IT-related policies and processes, branches and outsourced IT service providers. Through this comprehensive coverage, the IS Audit function ensures effective oversight of technology risks across the Bank's digital ecosystem.

Adhering to the RBI's guidelines on *'Independent Assurance of the Audit function'*, the Bank's IS Audit provides assurance to both management and regulators on the adequacy and effectiveness of the Bank's information systems controls. The effectiveness and efficiency of the Bank's Internal Audit function are further validated through periodic quality assurance reviews, reaffirming the Bank's commitment to strong governance and regulatory compliance. In line with evolving regulatory expectations and emerging cyber and technology threats, the Bank has updated its comprehensive IS Audit Policy to ensure continued relevance and resilience.

To maintain high levels of technical competence, the Bank places significant emphasis on capacity building within the IS Audit team. Regular internal and external training programmes are regularly conducted to apprise IS auditors of emerging technologies, information security best practices and the RBI's master directions, advisories and circulars. As a result, the IS Audit team remains well-versed in in terms of technological developments and evolving business areas.

The Bank continues to strengthen its IS Audit governance framework through a culture of continuous improvement. Regular audits, reviews, assessments and feedback mechanisms enable timely identification of areas requiring enhancement and facilitating implementation of corrective measures.

Concurrent Audit

The Concurrent Audit (CA) system forms a critical part of the Bank's Early-Warning System for timely identification of irregularities, operational lapses, and procedural deviations. By providing continuous oversight, the CA framework aids in detecting violations of internal policies and regulatory guidelines, thereby mitigating risks and preventing fraudulent transactions. The CA system serves as an essential control process, underpinning the Bank's internal accounting systems and strengthening the overall control environment.

In compliance with the RBI guidelines and the Board-approved Concurrent Audit Policy, the Bank has implemented the CA framework across a wide range of business units based on risk assessment and the volume of business handled. Concurrent Audit coverage extends to Retail Banking Group (RBG) branches based on risk perception and volume of business handled, specialised or non-RBG units such as Large Corporate Group (LCG), Mid Corporate Group (MCG), Trade Finance Centres (TFCs), Retail Asset Centres (RACs), Currency Chests, Treasury operations, as well as Centralised Processing Centres like Credit Solutions Centre, centralised account opening divisions such as Regional Processing Units (RPUs).

As stipulated in the Board-approved CA Policy of the Bank, the CA is required to cover 70% of deposits and 70% of advances of the Bank. Accordingly, as per ACB approved Concurrent Audit Plan for FY 2025-26, the CA achieved a coverage of 76.75% of deposits and 82.50% of advances, encompassing a total of 1,211 auditee units across the Bank.

The performance and quality of Concurrent Auditors are subject to continuous monitoring by the Zonal Audit Offices and the Head Office of the Bank located in Mumbai to ensure adherence to audit standards and timely submission of reports. To further mitigate risks, ad-hoc audits are also conducted on quarterly basis by the respective Zonal Audit Offices for the Rural (Financial Inclusion) branches and Rural branches categorised as *'High Risk'* or above. Such audits are also undertaken at locations where appointment of Concurrent Auditors is constrained due to non-availability. As a supervisory control, the Bank conducts regular meetings with Concurrent Auditors to address audit findings and enhance audit effectiveness. In addition, formal meetings are convened once in every three months by the General Manager or Deputy General Manager – Zonal Audit Office (ZAO) with the Concurrent Auditors and the auditee units.

Credit Audit

The Bank has instituted a structured Credit Audit mechanism to facilitate a comprehensive and in-depth review of selected borrower accounts, with the objective of strengthening credit quality and enhancing the overall robustness of the loan portfolio. The Credit Audit process provides independent assurance regarding the effectiveness of credit risk management practices and supports early identification of potential weaknesses in credit appraisal and monitoring.

Credit Audit encompass a detailed examination of key aspects of lending, including the adequacy and quality of credit appraisal, compliance with internal policies and regulatory guidelines, adequacy of documentation and security creation, examining conduct of account, etc. Borrower accounts selected for Credit Audit are identified on the basis of well-defined risk-based criteria. These include all new, takeover and enhancement proposals and proposals for renewal as well as renewal-cum-enhancement of limits and corporate renewal cases which are rated BBB and below, with sanction limits beyond defined threshold limits. In addition, accounts that have migrated to Below Investment Grade during the review period are also brought under the audit purview. This targeted approach ensures that higher-risk exposures receive enhanced scrutiny, thereby supporting proactive risk mitigation and sustained improvement in portfolio quality.

Investigative Audits or Special Investigative Audits (IAs/ SIAs)

Your Bank's Audit department undertakes Special Investigative Audits/ Investigative Audits (SIAs/ IAs) across branches and offices based on various risk-based triggers. These investigations play a vital role in strengthening the Bank's control environment by enabling timely identification of gaps in systems, policies, product guidelines, processes and procedures, thereby helping in strengthening controls and better overall monitoring of the branches. Early triggers provided by SIAs/ IAs have assisted the Zonal Offices in initiating timely recovery or legal actions, helping to prevent slippage of accounts into Non-Performing Assets (NPAs). Significant observations emerging out of these SIAs are placed before an Executive Director (ED) level Committee for SIA/ IA for appropriate guidance and directions and the status of corrective actions thereon is periodically reported to the Audit Committee of the Board (ACB). Key lapses and control deficiencies identified through SIAs/ IAs are systematically communicated to the concerned branches and offices as well as to the controlling offices, with a view to preventing recurrence. These efforts reinforce a strong compliance culture across the Bank, encompassing not only branch-level and office-level operations but also supervisory oversight, thereby enhancing overall governance and monitoring mechanisms.

Staff Accountability

Your Bank has a dedicated team for examining Staff Accountability issues under Board-approved Staff Accountability (SA) Policy, which is reviewed every year. The SA exercise is aimed at safeguarding the larger interests of the Bank by identifying the areas where the rules and procedures designed to protect the interests of the Bank are not followed by the staff, resulting in loss to the Bank. This exercise helps the Bank to undertake timely and appropriate corrective steps by way of improvement in systems and procedures, strengthening any knowledge gaps by way of training and mentoring, or by any other action to create an environment which could be conducive for better compliance of the guidelines and processes.

VIGILANCE MECHANISM

Your Bank has established a well-defined vigilance framework through a dedicated Vigilance Department (VgD), headed by a Chief Vigilance Officer (CVO), at its Head Office in Mumbai. To strengthen oversight and enhance effectiveness at the field level, the Vigilance teams have been set up at all its Zonal Offices (ZOs), enabling closer monitoring and improved control of vigilance-related activities across the Bank.

The CVO is responsible for overseeing the vigilance function in the Bank, with a comprehensive scope encompassing both preventive and investigative aspects. This includes gathering intelligence about corrupt practices, whether committed or likely to be committed by the employees; examining complaints with vigilance overtones supported by verifiable allegations; processing vigilance and Investigation Reports for further consideration of the Disciplinary Authority; referring the matters, wherever necessary, to the Central Vigilance Commission (CVC) for their consideration and advice; initiating measures to prevent commission of malpractices or misconducts and co-ordinating and liaising with various law enforcement agencies, among other activities.

To strengthen awareness and facilitate access to vigilance-related information, your Bank's Intranet hosts a dedicated webpage of the Vigilance Department. This platform provides an overview of its functions, format of Standard Notice prescribed by the CVC for display at the Bank's branches and offices, important circulars and guidelines issued from time-to-time by the CVC, the Chief Technical Examiner's Organisation (CTEO) of CVC, the Department of Expenditure, Government of India, as well as internal directives of the Bank. It also highlights preventive vigilance initiatives, including *'Do's'* and *'Don'ts'* of preventive vigilance. These initiatives have contributed to enhancing the level of vigilance awareness amongst your Bank's officers.

The vigilance function comprises elements of both *'Preventive Vigilance'* and *'Punitive Vigilance'*. Preventive Vigilance is a continuous process, which strives to review the existing guidelines to ensure that set systems and procedures are being followed, to reduce use of discretion and to ensure sensitisation of and to create awareness amongst the employees as well as the stakeholders of the Bank on vigilance matters.

As part of its preventive vigilance efforts, the Bank undertakes Onsite Monitoring, Surprise Vigilance Visits (SVVs) and inspections on suo-moto basis conducted both as a part of planned basis as well as based on specific source information relating to suspected wrongdoing by staff or external elements. These measures help in detecting malpractices, if any, and in assessing compliance with laid-down systems and procedures. Apart from this, the Vigilance department carry out scrutiny of One Time Settlement (OTS)/ First Time Non-Performing Assets (FTNPAs), Annual Return of Assets & Liabilities (ARAL) of the officers of the Bank, Audit Reports of the Bank and issuance of advisories to curb irregularities found for systemic improvements, wherever necessary as also imparting training to employees on vigilance matters to reinforce vigilance principles across the organisation. Your Bank has also implemented a Vigilance Complaints Management Module (VCMM) to enable effective monitoring and expeditious disposal of complaints relating to the vigilance matters.

In line with the directives of the CVC and as a part of its continued commitment to promoting integrity and transparency, your Bank observed Vigilance Awareness Week (VAW) 2025 from October 27, 2025, to November 02, 2025, with the theme as सतर्कता - हमारी साझा जिम्मेदारी (Vigilance - Our Shared Responsibility). On this occasion, a special e-journal was released for the benefit of all its employees. Various online and offline competitions, including quizzes, essay writing, cartoon and caricature, coin-a-caption, memory games, were organised on a pan-India basis for staff members and their children. Further, during the VAW 2025 week, senior officials from Central Vigilance Commission (CVC) and Law Enforcement Agency (LEA) addressed the employees at the Head Office of your Bank in Mumbai.

As a part of the observance of the VAW 2025, employees of the Bank took the Integrity Pledge through online mode and a link for the same was also shared with customers along with their account statements, encouraging broader participation in the fight against corruption. Seminars and workshops were organised at various locations for the field functionaries, customers and members of the public. To enhance outreach, banners and posters were displayed at prominent locations across your Bank's Zonal Offices (ZOs), Regional Offices (ROs), branches and also at other places with public interface. Your Bank also organised Gram Sabhas and awareness campaigns at various locations.

In accordance with directives of the CVC, information regarding VAW-2025 was disseminated through your Bank's website as well as its social media platforms, further reinforcing the Bank's commitment to integrity, transparency and ethical conduct.

REGULATORY COMPLIANCE

Your Bank ensures compliance of the statutory and regulatory guidelines issued by the GoI, RBI, Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory/ statutory bodies through a structured system of internal controls and tiered reviews. The compliance function is anchored by the Compliance Department at the Bank's Head Office in Mumbai, headed by a senior official in the rank of Executive Director designated as Chief Compliance Officer (CCO) who oversees the dissemination, implementation and internalisation of all regulatory and statutory guidelines across the Bank.

Your Bank operates under a Board-approved Compliance Policy, formulated in line with the RBI guidelines and reviewed annually. The Policy delineates the roles and responsibilities of various stakeholders in relation to the compliance function, ensuring accountability and consistency in implementation. Supported by this framework, the Bank has established a robust and effective compliance architecture, with a continuous focus on strengthening the framework in response to the evolving regulatory landscape, emerging technologies, internal capabilities enhancements and findings from periodic external audits or reviews of compliance function.

The Board is kept apprised, on a monthly basis, of significant regulatory communications, directives and guidelines received from the RBI and other regulators or agencies. In addition, the Bank undertakes risk-based compliance testing in accordance with an approved compliance testing plan to validate adherence to regulatory requirements and identify gaps, if any, on a timely basis.

To reinforce compliance at a granular level, your Bank has leveraged advanced technology-enabled solutions, including Cermo+ NXT, workflow-based compliance systems, CaseWare IDEA, a Knowledge Management Tool (KMT) and various monitoring trackers. These digital tools facilitate enterprise-wide compliance monitoring, timely submission of regulatory returns and effective data management, thereby enhancing compliance culture in the Bank.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT

Your Bank has put in place a comprehensive institutional mechanism to ensure timely and effective implementation of the Right to Information (RTI) Act, 2005. Your Bank has designated Central Public Information Officers (CPIOs) for responding promptly to requests for information pertaining to

various functional areas. In addition, all Branch Heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications under the Right to Information (RTI) Act to CPIOs. Your Bank has designated a senior officer in the rank of Chief General Manager as First Appellate Authority (FAA) for dealing with appeals of aggrieved applicants. A Transparency Officer, in the rank of Executive Director, has been designated for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link for the RTI Act has been provided on the Bank's website (https://www.idbi.bank.in/). Your Bank has also aligned with the Government of India's RTI online portal, whereby citizens can seek the information and raise appeals under RTI Act through the portal (https://rtionline.gov.in). These measures enable your Bank in efficiently handling and disposal of RTI requests in accordance with statutory requirements.

PROGRESSIVE USE OF HINDI

During the financial year, your Bank made concerted efforts to promote usage of Official Language, Hindi, in accordance with the provisions of the Official Language Act and Rules of the Government of India. All the verticals, departments, Zonal and Regional Offices as well as other offices and branches of your Bank undertook focussed efforts on regular basis to achieve the targets prescribed in the Annual Programme and other directives issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, GoI.

As part of its commitment to the progressive use of Rajbhasha in customer engagement, your Bank implemented several initiatives for the progressive use of Rajbhasha in customer communications such as issuance of ATM receipts and sending of SMSes in Rajbhasha. During the year, efforts were undertaken to provide in-depth information about the Bank's products and schemes in Rajbhasha on its website. The Bank's mobile application, GO Mobile+, is enabled with the facility of Rajbhasha, further enhancing accessibility for customers. Additionally, posters, banners and other publicity materials were displayed in Rajbhasha as well as in regional languages at customer touchpoints for the benefit of customers. Rajbhasha and regional languages were used in various advertising campaigns including government's social security schemes.

To facilitate official work in Rajbhasha, your Bank uploaded template letters, forms, formats, Annual Reports, press release advertisements, dictionaries, noting and other relevant reference materials in bilingual form on its Intranet. Various incentive schemes were implemented and many competitions were organised to encourage staff members to use Rajbhasha in their day-to-day official work. In order to progressively increase the usage of Rajbhasha in different departments and verticals of Bank, workshops were organised in all the regions of the Bank to familiarise the employees with the various requirements of Official Language implementation and use of Rajbhasha Unicode.

In line with statutory requirements, your Bank observed Rajbhasha fortnight during September 2025. Quarterly meetings of Official Language Implementation Committee (OLIC) were held to review and monitor the progress of implementation of Rajbhasha in the branches and departments and quarterly reports were forwarded to the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, GoI. Inspection of branches and departments were also carried out to ensure implementation of Rajbhasha.

Through these sustained initiatives, your Bank endeavoured to promote use of Rajbhasha in the day-to-day official work and received due recognition at various forums and was also conferred with awards during the year.

CUSTOMER SERVICE AND COMPLAINTS MANAGEMENT

Reflecting the spirit of its mission to be the most preferred and trusted bank for all its stakeholders, your Bank adopted a customer-centric approach focussed on delivering service excellence and ensuring customer delight.

The Customer Care Centre (CCC) is central to the Bank's commitment to timely and effective complaint resolution, strengthening customer trust and satisfaction through positive experience. To remain responsive to evolving customer expectations and regulatory norms, your Bank undertakes annual review of its Customer Care Policy, Grievance Redressal Policy and Customer Rights Policy. These policies are designed to empower customers by ensuring a structured, transparent and time-bound grievance redressal framework. All complaints received across various channels are handled in accordance with these policies, which stipulate a defined time-bound inbuilt escalation matrix and an internal alert mechanism. As per these policies, in case a complaint is not resolved within the pre-defined turnaround time, it is escalated to the next level of authority to ensure effective complaint resolution. Your Bank has designated Grievance Redressal Officers (GROs) at each of its 16 Zonal Offices and a Principal Nodal Officer (PNO) at the Head Office. Further, in compliance with the Reserve Bank of India (Commercial Banks - Internal Ombudsman) Directions, 2026, all complaints proposed to be rejected or provided with partial resolution by the Bank are referred to the Internal Ombudsman (IO) for independent review before responding to the customers.

Your Bank has put in place a centralised complaint management system for recording, monitoring and timely resolution of complaints received from various channels. All

complaints received are lodged in the system and an SMS acknowledgment is sent to the customers upon complaint registration, which allows them to track the progress of their complaints through the Bank's website, nearest branch, or Contact Centre.

Your Bank has two dedicated Customer Contact Centres, located at CBD Belapur in Navi Mumbai and Hyderabad, to address customer queries on a 24x7 basis and swiftly redress customer grievances received from multiple channels. Respecting and acknowledging diversity of the Bank's customers and striving to personalise their interactions, apart from Hindi and English, the Customer Contact Centre offers services in 10 regional languages.

Your Bank conducts a depositor satisfaction survey on an annual basis and findings are evaluated and the insights derived are incorporated to improve products, processes and systems. Meetings of the Branch Level Customer Service committee (BLCSC) are conducted on 15th of every month in order to encourage a structured communication between the customers and the branch, thereby enhancing the service levels at branch.

Your Bank has established two senior level customer service committees, i.e. Standing Committee on Customer Service (SCCS) and Customer Service Committee of the Board (CSCB), for assessing the quality of customer service. These Committees, which are convened on a quarterly basis, are entrusted with the task of assessment of quality of customer service rendered by the various touch points of the Bank. Further, the Committees also evaluates complaints and feedback received from customers and provides necessary directions to improve the efficiency of grievance resolution and necessary changes in the extant norms or processes to facilitate improvement in customer service.

The Bank has undertaken key initiatives to enhance customer service and experience, including establishing a dedicated *"Green Corridor"* for expedited resolution of HNI and NRI complaints. An automated communication system via iTouch CRM ensures timely email updates on complaint status, supported by an online tracking feature for transparency. An instant SMS-based feedback mechanism has been introduced post call centre interactions to monitor service quality. Additionally, credit card customer call centre services have been integrated with the Bank's in-house setup, enabling streamlined operations and improved service delivery.

CORPORATE COMMUNICATIONS

During FY 2025-26, the Bank's advertising and communication initiatives were focussed on strengthening brand recall and enhancing consideration for its flagship products through sustained brand awareness and product and service promotion. The campaigns during the year were designed to reinforce the Bank's brand positioning while highlighting the key differentiators of its offerings. Communication efforts were largely deployed through Out-of-Home (OOH), print, and digital media, supplemented by calibrated usage of television and radio to achieve optimal reach and frequency.

Concurrently, the Bank pursued focussed initiatives in the Public Relations (PR) domain aimed at maintaining positive media tonality and enhancing visibility across print, electronic, and digital media platforms. These efforts contributed to favourable coverage of the Bank's initiatives, supporting improved stakeholder perception and stronger media presence during the year.

The Bank also actively engaged with its stakeholders through its official handles on social media platforms including Facebook, Instagram, LinkedIn, X and YouTube. Serving as important communication channels, these platforms enabled the Bank to communicate its products and services and showcase customer-focussed initiatives to a wider audience while also strengthening stakeholder engagement through innovative and interactive content. Recognising that informed customers are empowered customers and in line with its commitment to customer well-being, a series of customer education initiatives were implemented across multiple media channels, particularly focussing on topics such as cyber security, fraud awareness and safe banking practices in view of rapid growth in digital adoption, coupled with associated rise in incidences of digital frauds.

INFORMATION TECHNOLOGY

During FY 2025-26, your Bank continued to advance its technology transformation agenda, with a strong focus on digital modernisation, operational efficiency, customer centricity, regulatory compliance, innovation, all closely aligned with the Bank's overarching business strategy.

Over the course of the year, the Bank rolled out more than 540 IT developments, customisations and enhancements, including the launch of 26 new applications and several major system upgrades. These initiatives reflect the Bank's sustained commitment to innovation and enterprise wide digital maturity, ensuring that technology remains a key growth driver of growth, resilience and customer experience.

Customer Experience and Digital Engagement

Your Bank has continued to expand its digital footprint by rolling out an Omni Channel platform, designed to deliver consistent customer experience across web and mobile channels with additional new journeys introduced during the year. For retail customers, the Bank launched SWIFT GPI based FX remittance tracking on mobile and net banking channels, providing real time visibility of inward and outward foreign remittances and enhancing transparency in

cross-border transactions. Digital customer engagement was further strengthened through WhatsApp-based enrolment for PMJJBY and PMSBY, simplifying access to social security schemes and improving outreach to underserved segments. To further financial inclusion, the Bank enabled eKYC-based savings account opening enabled via Business Correspondents, facilitating paperless customer onboarding and extending banking services to remote areas. Field operations were also digitised through multiple Android-based KBS applications, covering lead generation, passbook printing, and AEPS enablement or disablement, ensuring real time processing, improved service delivery and enhanced operational control, underscoring the Bank's commitment to efficient, accessible and customer-centric innovation.

Automation and Process Transformation

During the year, the Bank advanced its digital transformation journey by implementing several enterprise-wide technology solutions designed to strengthen governance, efficiency and operational resilience. A comprehensive Identity and Access Management (IDAM) solution was deployed during the year to centrally manage user identities and enforce secure, role-based access across applications and IT systems, ensuring robust security and compliance. To enhance transaction efficiency, the Bank introduced API-based integration between the CTS application and Core Banking System, enabling continuous cheque clearing and significantly reducing clearing cycles while adhering to regulatory turnaround time. Audit processes were digitised through the rollout of an advanced Integrated Audit Management Solution (AMS), supporting the complete audit lifecycle. Employee support systems were also modernised with the launch of a new Payroll System, ensuring improved accuracy and efficiency in employee compensation processing. The Bank also implemented the Integrated Procurement Management System (IPMS), a centralised platform managing the end-to-end procurement lifecycle while ensuring compliance with internal and regulatory requirements. Collectively, these initiatives reflect the Bank's commitment towards building a secure, efficient and digitally mature organisational environment, aligned with its broader strategy of operational excellence and customer-centric innovation.

Risk Management and Regulatory Compliance

During the year, the Bank further strengthened its risk management and regulatory reporting capabilities through a series of technology-led initiatives. Fraud monitoring and reporting capabilities were strengthened through automation and integration of the Centralised Payment Fraud Information Registry (CPFIR) with multiple payment channels, enabling streamlined detection and timely reporting of fraudulent transactions. In alignment with the RBI Project Finance Directions, 2025, the Bank deployed a comprehensive application to manage the entire lifecycle of project loans, including CRILC reporting, provisioning and regulatory disclosures, to ensure compliance and transparency in project finance operations. The Bank also upgraded its Oracle Financial Services Analytical Application (OFSSA) platform, implementing advanced modules such as Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB), Basel Capital Adequacy and Analytics and International Financial Reporting Standards (IFRS), significantly enhancing risk analytics and regulatory reporting capabilities. Further, the integration of Credit Information Company (CIC) data with CRM has aided in further strengthening credit assessment and customer relationship management, providing meaningful insights and enabling more informed decision-making.

Innovation and Transparency

The Bank launched the I-CATAL(Y)ISTS platform during the year, which is a secure digital forum for employees to submit innovative ideas and suggestions for organisational improvement. Further, transparency and institutional governance were strengthened through the implementation of the Online Vigilance Complaint Portal (OVCP), enabling efficient electronic receipt, registration and tracking of vigilance related complaints.

Key IT Infrastructure Initiatives

During FY 2025-26, your Bank continued its focus on technology-led innovation by undertaking a comprehensive hardware modernisation programme across critical IT infrastructure. The initiatives were aimed at strengthening system resilience, enhancing performance and creating a scalable infrastructure to support the Bank's growing digital and business requirements. Your Bank upgraded its hardware supporting the Core Banking System (CBS) to improve processing capacity, system availability and transaction throughput. The enhanced infrastructure has enabled faster real-time transaction processing, improved batch performance and seamless service delivery across branches, ATMs, digital banking channels and payment systems. Your Bank has also upgraded its network infrastructure to support higher bandwidth requirements with more than 98% of the branches having at least 4 Mbps dual links, low latency connectivity and secure data transmission across the Bank's distributed environment. Your Bank has also set up landing zones in two public clouds for cloud adoption and completed migration testing of two applications in each of them. Subsequently, the Bank shall be migrating to identified applications to the public cloud with an intent to leverage on the benefits of manageability and scalability of public cloud.

To improve employee productivity and operational efficiency, your Bank also upgraded end user computing infrastructure across branches and offices by replacing the legacy desktops

and laptops with modern, energy efficient and secure devices. This resulted in improved system performance, reduced downtime and lower maintenance overhead.

Your Bank also upgraded its security posture. A major cyber security initiative implemented by your Bank has been the deployment of an enterprise-wide Extended Detection and Response (XDR) platform integrated with Endpoint Detection and Response (EDR). The main objective was to address the challenge arising from fragmented security monitoring, delayed threat detection and rising advanced malware/ Zero-day attempts targeting endpoints and servers. The XDR–EDR solution unified telemetry from endpoints, networks, identities and cloud workloads, enabling real-time threat visibility and automated containment. Key technologies included behaviour-based EDR agents, central XDR correlation engine, Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) based automated playbooks and threat intelligence driven analytics. Further, your Bank has also implemented Identity and Access Management (IdAM) solution, to undertake user review and management centrally.

Enterprise Analytics and Data Visualisation Initiative

Your Bank has also initiated building in-house capability for data-driven dashboards and recommendations using Tableau. This transformative technology introduced live, interactive dashboards to strengthen decision-making across the Bank.

CENTRALISED OPERATIONS

The Bank has established a dedicated Centralised Operations vertical, encompassing key functional units such as Central Processing Unit (CPU), Regional Processing Unit (RPU), Retail Asset Operations (RAO), Anti Money Laundering Cell (AML), Money Mule Cell, Cyber Crime Cell, Domestic Payments and Remittance Services, Cash Management services (CMS), Government Business Group (GBG), Internet and Mobile Banking operations, Card Issuance and Management section, Data Clean up and Compliance Team (DCCT) and GST Operations. This centralised structure enables standardisation, enhanced control and operational efficiency across a wide range of service and support functions.

During the year, the Centralised Operations vertical undertook several customer-centric initiatives supported by process automation to enhance service delivery and turnaround time. These initiatives included same day account opening, real-time processing of miscellaneous requests, online updation or validation of KYC documents, automation of allotment of Unique Customer Identification Number (UCIC) to customers, near real-time monitoring of transactions and blocking of suspicious alternate channels, successful implementation of phase I continuous clearing, updation of repayment mode for servicing EMI electronically for retail loan customers, returning of property documents within stipulated turnaround time, National Automated Clearing House (NACH) registration through Aadhaar authentication, among others.

The Bank has further enhanced its scan-based account opening processes by on-boarding additional account types such as Individual Current Accounts, Proprietorship Current Account, NRI Accounts and Capital Gain Tax Accounts. This enhancement enabled end-to-end digital validation and significantly reduced turnaround time from T+2 to same-day account opening, thereby improving customer on-boarding experience.

To address emerging financial crime risks, the Bank established a dedicated Money Mule Cell to identify, to monitor and to mitigate risks associated with money mule accounts through a structured and technology-driven approach. An in-house rule-based application, viz. *'i-Satark'* was developed and launched in July 2025, to analyse transaction patterns and detect anomalies indicative of money mule activity. This capability was strengthened with integration of the RBI's *'Mulehunter.AI'*, an advanced Artifical Intelligence (AI)/ Machine Learning (ML) powered detection engine in October 2025 and integrated with i-Satark application. This has enabled the Bank to detect more complex mule networks and also enhance the Bank's capability of money mule detection.

In payments and settlement domain, the Bank implemented API-based Cheque Truncation System (CTS) Clearing in Continuous Clearing environment, enabling near real-time cheque processing and settlement efficiency.

Further, to enhance fraud prevention and response capabilities, the Cyber Crime Cell was automated using API integration with Ministry of Home Affairs (MHA)/ National Cybercrime Reporting Portal (NCRP), improving alert monitoring, case management, and response timelines.

During FY 2025-26, through continuous process automation and development of query tools, Centralised Operations had facilitated the Bank to stay true to its commitment of adding value to customer's relationship and improving operational efficiency by reducing the turnaround time for processing of service request from customers, ensuring uninterrupted support services to various business units and thereby reducing operational costs.

BRANCH OPERATIONS SUPPORT AND POLICY

Your Bank continues to place strong emphasis on strengthening staff capabilities by ensuring that employees remained well-informed on banking operations and services, thereby ensuring efficient service delivery to all stakeholders. In this regard, an exclusive training programme was conducted

during FY 2025-26, covering all employees of the Bank. In addition, role-based training programmes were imparted to further enhance service quality and operational effectiveness.

In compliance with the applicable regulatory guidelines, your Bank has instituted comprehensive Policy on Unauthorised Electronic Banking Transactions (UEBT) and the Customer Compensation Policy with the aim of safeguarding customer interests as well as ensuring timely resolution and fair and transparent compensation to the customers. Both the Policies, viz. Policy on UEBT (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Unauthorised-Electronic-Banking-Transactions-Policy.pdf) and the Customer Compensation Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Compensation-Policy-Upload.pdf), are made available on the Bank's website for convenient access.

In order to facilitate customers in searching and claiming their unclaimed deposits, the Bank has actively registered itself on the RBI's Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information (UDGAM) portal and has uploaded details of unclaimed deposits lying with the Bank. Further, Bank has actively participated in the RBI's campaign *"Your Money, Your Right"* (launched from October 2025 onwards) for identification and settlement of unclaimed deposits. During FY 2025-26, the Bank has settled a total of 7,320 unclaimed deposit claims involving an aggregate amount of ₹ 39.46 crore. This comprises settlement of 1,970 cases amounting to ₹ 10.04 crore during the period from April 2025 to September 2025 and 5,350 cases amounting to ₹ 29.42 crore under the *"Your Money, Your Right"* campaign during the period from October 2025 to March 2026 (up to 31.03.26). Simultaneously, the Bank continued to proactively identify and reach out to customers through its branch network and controlling offices to settle unclaimed deposits upfront, thereby avoiding transfer of funds to the Depositor Education and Awareness (DEA) Fund.

Your Bank operates 25 Currency Chests (CCs) across the country, which cater to cash processing for all linked branches and ensure the availability of clean notes for ATMs and branch dispensing. During FY 2025–26, a total of 1,332 Coin Distribution Melas and Note Exchange Melas were conducted through these CCs in co-ordination with branches, facilitating improved public access to currency services.

Your Bank has also undertaken several technological initiatives, systemic checks and process improvisations towards achieving fraud risk mitigation and control, effective operational controls and efficient customer service like, automation in deceased claim settlement, automation of Safe Deposit Locker (end-to-end), and automation in nomination facility in alignment with the RBI directions. The Bank implemented proactive customer communication measures such as alerts form non-operations accounts to prevent accounts from becoming inoperative and subsequent freeze of the account, periodic transactional alerts and advance notification, i.e. six months prior, for accounts due for Re-KYC submission. To further enhance customer convenience, over and above existing digital modes, the Bank introduced a simplified Re-KYC process through Aadhaar-enabled e-KYC authentication.

Collectively, these initiatives reflect the Bank's sustained commitment to strengthening internal capabilities, enhancing customer service delivery, improving regulatory compliance and fostering trust through transparent and efficient processes.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Your Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives are rooted in its aim to create material, visible and lasting difference in the lives of underprivileged and marginalised sections of the society. The Bank aims to address identified socio-economic and developmental gaps for such sections of the society through structured and need-based CSR interventions. Guided by its developmental mandate and responsibility towards inclusive growth, the Bank, through its CSR initiatives, seeks to create multidimensional impact over the long-term by implementing focussed direct interventions, while simultaneously playing a catalytic role in fostering socio-economic development of the beneficiaries.

During FY 2025-26, your Bank scaled up its CSR activities in terms of both funding and initiatives, both through direct initiatives as well as in collaboration with accredited implementation agencies, in order to enhance its outreach and the effectiveness of the CSR interventions. The CSR interventions included, but were not limited to, collaborative long-term funding for projects designed to promote income generating activities for tribal and the underprivileged, particularly women, across various states; contributed towards providing improved access to health services; promoting education for children, youth & women; promotion and installation of renewable energy systems; enhancement of livelihood opportunities; advancement of vocational & employable skills and holistic development of villages by undertaking planned interventions.

In FY 2025-26, your Bank sanctioned ₹ 145 crore towards select CSR interventions in the Board-approved focus areas such as Education (Skill Development for Sustainable Livelihoods (including entrepreneurship development) and Financial Literacy and Financial Inclusion), Healthcare, water management and Rural Development.

Under the flagship schemes of HOPE (Healthcare Outreach Programme for Everyone) and SEED (Supporting Education

for Empowerment and Development), the Bank provided CSR assistance to over 2,000 Government schools and hospitals all over the country.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG)

The Environmental, Social, and Governance (ESG) landscape in India is evolving rapidly with increasing regulatory focus on ESG disclosures, higher awareness and changing expectations among stakeholders. This has led to growing importance among organisations to incorporate ESG dimensions in their day-to-day decision-making and activities.

Your Bank has adopted a structured and integrated approach to ESG practices, reflecting its commitment to responsible banking and sustainable value creation. Recognising the importance of adopting sustainable and responsible business practices, your Bank has also been taking several initiatives to improve its ESG performance. The Bank's approach to ESG-related aspects of its operational conduct is enshrined in its ESG policy, which is also available on its website (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf). The Bank's ESG Policy acts as an overarching framework for guiding the business activities of the Bank and has been designed in consonance with the applicable national laws/ regulations with the aim of positioning the Bank as an ESG-compliant entity through its activities.

The Bank has been working towards incorporating environmental considerations into its operations by adopting energy efficient lighting solutions and digital and paper-light processes and encouraging adoption of energy-saving measures across its premises, among other measures. Further, the Bank has been promoting sustainable financing by focussing on lending to green projects such as renewable energy projects. The Bank's social responsibility agenda focuses on advancing financial inclusion through small savings accounts, micro insurance and micro pension products, priority sector lending to MSME and agriculture sectors, support to Self-Help Groups (SHGs), and targeted initiatives for underserved and vulnerable communities. The Bank also undertakes impactful Corporate Social Responsibility (CSR) programmes in the areas of education, healthcare, skill development and community infrastructure, among other areas, thereby contributing to inclusive socio-economic development. The Bank is also committed to ensuring a diverse and inclusive workforce and has been taking concerted efforts to ensure a safe, healthy work and harassment-free environment. From a governance perspective, your Bank follows robust policies and practices relating to risk management, ethical conduct, regulatory compliance, transparency and accountability. To reinforce its long-term focus on sustainability, your Bank engages with its stakeholders on an ongoing basis through various channels to align with their expectations and the evolving operating environment.

The Bank has made measurable progress in strengthening its ESG performance as evidenced by transparent and enhanced reporting and disclosures that have been reasonably assured by independent third party. In compliance with the extant regulatory norms, the Bank has been publishing its Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) since FY 2022-23 as a part of its Annual Report to disclose its performance against the nine principles under the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC) developed by the Ministry of Corporate Affairs, GoI. The Bank has obtained reasonable assurance for its BRSR Core disclosures since FY 2024-25 in compliance with the extant regulatory norms. The Bank also publishes an ESG Databook on an annual basis on its website (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-databook.pdf), which provides granular information on ESG-related aspects to a wider group of stakeholders in a transparent and easily comprehensible manner.

Your Bank has also been voluntarily participating in the Corporate Sustainability Assessment (CSA) conducted by the global agency, viz. S&P Global, since 2023. The initiatives implemented by the Bank in recent years have contributed to a consistent improvement in its ESG score.

In view of the growing focus around ESG-related matters, your Bank continues to remain committed towards improving its ESG performance as also imbibing an ESG-centric culture across its various functional areas.

चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी
सनदी लेखाकार
15/17, राघवजी बी बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर,
राघवजी रोड, गोवालिया टैंक,
ऑफ केम्प्स कॉर्नर, मुंबई 400036
एलएलपी पंजीकरण संख्या एएसी-8909

सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
यूनिट नंबर 2ए 1,
गुंडेचा ओन्क्लेव,
खेरानी रोड, साकीनाका,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400072

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के अध्याय IV के कतिपय प्रावधानों के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर, कफ परेड,
मुंबई - 400005

1. हम मेसर्स चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी, सनदी लेखाकार (फर्म पं.सं. - 101872W / W100045) तथा सूरी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पं.सं. - 004283S), आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (जिसे इसमें आगे 'बैंक' कहा गया है), जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्युटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005 में स्थित है, के संयुक्त सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 समय-समय पर यथा संशोधित ('सूचीबद्धता विनियमावली') के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V पैरा सी और डी में निर्दिष्टानुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का बैंक द्वारा अनुपालन के लिए यह प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. इस जिम्मेदारी में सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओ की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है.
4. हमने बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं के अनुपालन पर समुचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक के बहीखातों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है.
5. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानक जो इस प्रमाणपत्र के उद्देश्य के लिए लागू है तथा रिपोर्टों पर मार्गदर्शी नोट अथवा आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों हेतु प्रमाणपत्र जिसके द्वारा यह अपेक्षित है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें, के अनुसार बैंक के संबंधित अभिलेखों की जांच की है.
6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी)1, लेखापरीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा ऐतिहासिक वित्तीय सूचना की समीक्षाओं और अन्य आश्वासन व संबद्ध सेवा कार्यों के लिए लागू प्रासंगिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

अभिमत

7. संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान किये गये अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसची V के पैरा सी और डी में निर्दिष्टानुसार यथा प्रयोज्य 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

प्रयोग पर प्रतिबंध

8. यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है.
9. यह प्रमाणपत्र कॉरपोरेट अभिशासन के संबंधित विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में सूचीबद्धता विनिमयों के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन करने के एकमात्र उद्देश्य से बैंक के सदस्यों को संबोधित और उपलब्ध कराया गया है तथा इसका प्रयोग किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तदनुसार, हम बिना किसी हमारी पूर्व लिखित सहमति के किसी अन्य उद्देश्य के लिए अथवा किसी अन्य पक्ष को दिखाये जाने पर अथवा किसी अन्य को उपलब्ध हो जाने पर कोई देयता अथवा सावधानी संबंधी कर्तव्य का दायित्व स्वीकार या मान्य नहीं करते हैं. इस प्रमाणपत्र की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के लिए इस प्रमाणपत्र को अपडेट करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है.

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी
सनदी लेखाकार
(फर्म पं.सं. - 101872W / W100045)

राकेश जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 042364
यूडीआईएनः 26042364HHNUUB5293
स्थानःमुंबई
दिनांक : 19 जून 2026

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पं.सं. - 004283S)

नटराजन वी.
साझेदार
सदस्यता सं. 223118
यूडीआईएनः 26223118DOOJAW1902
स्थानः मुंबई
दिनांकः 19 जून 2026

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता पर बैंक के दर्शन का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इसकी नीतियां व पद्धतियां सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करती हैं, साथ ही अपने स्टेकधारकों के सर्वोत्तम हित में परिचालन की बैंक की प्रतिबद्धता को भी सुदृढ़ करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व बैंक के निदेशक मंडल तथा इसकी विभिन्न समितियों का है जिन्हें विधिक एवं विनियामक प्रावधानों तथा स्थापित बैंकिंग परंपराओं के अनुसार समय पर एवं समुचित प्रकटीकरण सुनिश्चित करने सहित उत्कृष्ट कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों को अपनाने एवं उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस संबंध में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर समुचित नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समय पर एवं समुचित प्रकटीकरण सुनिश्चित करे. इसके अतिरिक्त, बैंक के अन्य नीतिगत निदेश एक सुदृढ रणनीतिक नियंत्रण तंत्र की स्थापना करने की दिशा में निर्देशित हैं जिनके साथ-साथ इसकी प्रभावशीलता की आवधिक समीक्षा करना तथा नीति निर्माण, इसके कार्यान्वयन और समीक्षा, निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग को सुगम बनाने के लिए स्पष्ट रूप से प्रलेखित तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं को लागू करना है. बोर्ड को अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के लिए बैंक प्रासंगिक सूचनाओं तथा संसाधन तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है.

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंक के संस्था अन्तर्नियमों के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली 2015 (एलओडीआर विनियमों) में यथावर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से अधिशासित होता है. बैंक का बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और बोर्ड की विभिन्न समितियों, जिनका गठन विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए किया जाता है, के जरिये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है.

i. विचारार्थ विषय

- शेयरधारकों से उनके शेयरों पर अप्रदत्त धनराशि के संबंध में मांग करना;
- कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 68 के तहत प्रतिभूतियों की वापसी खरीद को प्राधिकृत करना;
- भारत में या भारत से बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभूतियों को जारी करना;
- धन उधार लेना;
- बैंक की निधियों का निवेश करना;
- बैंक के वित्तीय विवरणों और बोर्ड की रिपोर्ट अनुमोदित करना;
- बैंक के कारोबार में विविधता लाना;
- समामेलन, विलयन या पुनर्निर्माण को अनुमोदित करना;
- किसी कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रक या पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को नियुक्त करना या हटाना;
- आंतरिक लेखा-परीक्षकों और सचिवीय लेखा-परीक्षकों को नियुक्त करना;
- राजनीतिक अंशदान करना;
- निदेशकों के हित और शेयरधारिता के प्रकटन को नोट करना;

- तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों या वित्तीय परिणामों, जो भी हों, को अनुमोदित करना;
- गैर-अनुपालन के मामलों में सुधार करने के लिए बैंक द्वारा उठाये गये कदमों के साथ बैंक द्वारा तैयार की गई बैंक पर लागू सभी कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा करना;
- बैंक के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार करना;
- बैंक के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना, कार्यान्वयन करना और निगरानी सुनिश्चित करना और बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन प्रणाली, नीति एवं रणनीति की निगरानी करना;
- स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-कार्यपालक निदेशकों को देय सभी फीस या मुआवजे की सिफारिश करना;
- स्वतंत्र निदेशकों, सभी अन्य निदेशकों, बोर्ड की समितियों और संपूर्ण निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना;
- कॉरपोरेट रणनीति, कार्रवाई की प्रमुख योजनाओं, नीतियों, वार्षिक बजट और कारोबार योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करना, कार्य-निष्पादन के उद्देश्य तय करना, कार्यान्वयन और कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन की निगरानी करना, और बड़े पूंजीगत व्यय, अधिग्रहण और विनिवेशों की देखरेख करना;
- बैंक की अभिशासन पद्धतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करना और उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) का चयन, मुआवज़ा, निगरानी, और जब आवश्यक हो, उनका प्रतिस्थापन और उत्तराधिकार योजना की देखरेख करना;
- बैंक और इसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों के साथ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और निदेशकों के पारिश्रमिक को सुमेलित करना;
- निदेशक मंडल में विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और लिंग की विविधता के साथ बोर्ड के लिए पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना;
- कॉरपोरेट आस्तियों के दुरुपयोग और संबद्ध पक्षकार के लेनदेनों के गलत उपयोग के साथ-साथ प्रबंधन, निदेशक मंडल के सदस्यों और शेयरधारकों के हितों के संभावित टकरावों की निगरानी और प्रबंध करना;
- स्वतंत्र लेखा-परीक्षा सहित बैंक की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और यह देखना कि नियंत्रण की उचित प्रणाली, मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन, वित्तीय और परिचालनगत नियंत्रण प्रणालियां मौजूद हैं तथा कानून और प्रासंगिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- प्रकटन और संचार प्रक्रिया की देखरेख करना;
- निदेशक मंडल की मूल्यांकन संरचना की निगरानी और समीक्षा करना;
- बैंक को रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना और बैंक एवं इसके शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होना;
- कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य निर्धारित करना जिसके अनुसार बैंक के सभी कार्यपालकों को आचरण करना होगा;
- पूर्ण जानकारी के आधार पर, सद्भावना से, समुचित सावधानी और देखभाल के साथ बैंक और शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना;
- निदेशक मंडल के सदस्यों को अद्यतित जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना;
- सभी शेयरधारकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना;
- उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना और बैंक के स्टेकधारकों के हितों का ध्यान रखना;
- बैंक के कॉरपोरेट मामलों के बारे में वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय का निष्पादन करना;
- जहां हितों के टकराव की संभावना हो, ऐसे कार्यों के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम निदेशक मंडल के पर्याप्त गैर-कार्यपालक सदस्यों को नामित करने पर विचार करना;
- रणनीति, रणनीतिक पहल (जैसे अधिग्रहण), जोखिम क्षमता, एक्सपोजर और बैंक के ध्यान देने वाले मुख्य क्षेत्रों जैसी अंतर्निहित धारणाओं की चुनौती से कार्यपालक प्रबंधन की सहायता करना;
- बोर्ड की विभिन्न समितियों की संरचना, भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों, बैठकों की आवधिकता तथा पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों के संदर्भ में कॉरपोरेट अभिशासन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, तथा निदेशक मंडल की समितियों के अधिदेश, संरचना एवं परिचालन प्रक्रियाओं को परिभाषित एवं प्रकटन करना; बैंक की संबद्ध संस्थाओं के एक्सपोज़र पर निगरानी बनाए रखना, जिसमें सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण एवं उनमें किए गए निवेश के विवरण, ऐसे एक्सपोज़र का आस्ति वर्गीकरण तथा अन्य कोई महत्वपूर्ण वित्तीय संबंधों की निगरानी शामिल है;

- प्रत्येक बैठक में पूर्ववर्ती बैठकों में उठाये गये सभी बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट(एटीआर) की समीक्षा करना. किसी भी अपूर्ण मद को तब तक कार्यसूची में सम्मिलित रखा जाएगा, जब तक कि निदेशक मंडल इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि संबंधित कार्रवाई पूर्णतः तथा यथोचित रूप से पूरी हो चुकी है;
- सीएसआर एवं ईएसजी समिति की संस्तुति के आधार पर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का अनुमोदन करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में शामिल गतिविधियाँ बैंक द्वारा की जाती हैं;
- बैंक की जोखिम प्रोफ़ाइल पर निगरानी रखना, इसके कारोबार तथा नियंत्रण तंत्रों की अखंडता की निगरानी करना, विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना तथा इसके हितधारकों के हितों का अधिकतम संवर्द्धन सुनिश्चित करना;
- यह सुनिश्चित करना कि निदेशकों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं तथा प्रत्येक निदेशक को बैंक में उनके कार्यग्रहण से पूर्व बैंक के कार्य संचालन के संबंध में पूर्णतः परिचित कराया गया है, जिसमें निम्नलिखित अनिवार्य क्षेत्रों का समावेश हो;
  - (i) बोर्ड द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन;
  - (ii) संस्था की रणनीतिक योजना;
  - (iii) संगठनात्मक संरचना;
  - (iv) वित्तीय एवं अन्य नियंत्रण तथा प्रणालियां; और
  - (v) बाज़ार की आर्थिक विशेषताएँ और प्रतिस्पर्धी वातावरण.
- स्वयं के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन और पूरे संगठन के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही की स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करना और उन्हें लागू करना;
- आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की गुणवत्ता के संबंध में प्रबंधन एवं बोर्ड के मध्य विचार-विमर्श को संस्थागत रूप देना. बोर्ड विशेष रूप से नियंत्रण की संस्कृति के निर्माण एवं उसके सतत संवर्द्धन पर ध्यान देगा.
- निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में और निदेशक मंडल की समितियों के एक सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को अपनी भूमिका का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए सुविधा प्रदान करना; और
- समय-समय विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत इसको अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

31 मार्च 2026 को निदेशक मंडल की संरचना (नियुक्ति की तारीख, शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल/ विशेषज्ञता सहित)

निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर-स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी					
श्री राकेश शर्मा	10 अक्तूबर 2018	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.कॉम, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और सीएआईआईबी	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, लघु उद्योग, जोखिम, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन
उप प्रबंध निदेशक					
श्री जयकुमार एस. पिल्लै	12 जून 2023	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.एफ़.एससी., एमबीए (वित्त), विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएफ़टी), आईसीए, लंदन से अभिशासन,जोखिम एवं अनुपालन (जीआरसी) में डिप्लोमा और सीएआईआईबी	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त, लघु उद्योग, मानव संसाधन, जोखिम, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन

निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर-स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
श्री सुमित फक्का	15 जुलाई 2024	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.कॉम, एमबीए (वित्त), सीएआईआईबी	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, वित्त, लघु उद्योग, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन
			नामिती निदेशक		
श्री मनोज सहाय (भारत सरकार)	28 अप्रैल 2022	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बीई (सिविल इंजीनियरिंग)	लेखाशास्त्र एवं वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री सत पाल भानू (एलआईसी)	10 फरवरी 2025	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.ए. (इतिहास) (ऑनर्स)	मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
			स्वतंत्र निदेशक		
श्री समरेश परिदा	19 मई 2018	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	सनदी लेखाकार, कॉस्ट अकाउंटेंट और एमबीए	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रबंधन, रणनीतिक आयोजना, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री एन. जंबुनाथन	19 मई 2018	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी और प्रबंधन में डिप्लोमा	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री दीपक सिंघल	28 फरवरी 2019	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी.ए., एमबीए, सीएआईआईबी, पीजीडीआरएम	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री संजय जी. कल्लापुर	5 मार्च 2019	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी.कॉम, एम.एम.एस., व्यवसाय अर्थशास्त्र में पीएच.डी. और एफसीएमए	लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, वित्त, जोखिम, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्रीमती पी. वी. भारती	14 जनवरी 2021	गैर-कार्यपालक	महिला स्वतंत्र	बी.एससी., एम.ए (अर्थशास्त्र), बी.एड., सीएआईआईबी, बैंकिंग एवं वित्त में एकीकृत पाठ्यक्रम (एनआईबीएम)	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, जोखिम, अर्थशास्त्र, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री अजय प्रकाश साहनी	28 अगस्त 2023	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	मैकेनिकल इंजीनियर्स संस्थान, लंदन से स्नातक (बी.ई. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष)	मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन

31 मार्च 2026 को बोर्ड में 11 (ग्यारह) निदेशकों की संख्या बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 114(ए) के अंतर्गत प्रदान की गई अपेक्षाओं को पूरा करती है.

बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

ii. निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

(i) बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक का किसी अन्य निदेशक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है.

(ii) रिज़र्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल के लिए विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा के अनुसार किसी भी पूर्णकालिक निदेशक और गैर-कार्यपालक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की आयु क्रमशः सत्तर वर्ष और पचहत्तर वर्ष नहीं हुई है.

(iii) 30 जुलाई 2025 को अंशकालिक अध्यक्ष एवं स्वतंत्र निदेशक श्री टी. एन. मनोहरन के आकस्मिक निधन के पश्चात, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशकों द्वारा रोटेशन के आधार पर की गई है. इसके अतिरिक्त, संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(i) के निबंधनों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित *'रिलेटिव'* शब्द की परिभाषा के अनुसार कोई भी स्वतंत्र निदेशक बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित नहीं है.

iii. बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई अथवा तीन (3) निदेशक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा बशर्ते कि इनमें कम से कम एक निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का नामिती हो और बैठक में उपस्थित निदेशकों में कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक हों.

iv. बोर्ड की बैठकों की बारंबारता

बोर्ड की बैठक आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी तथा बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए.

v. बोर्ड की संपन्न बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान निदेशक मंडल की 14 बैठकें 28 अप्रैल 2025, 3 मई 2025, 29 मई 2025, 26 जून 2025, 21 जुलाई 2025, 16 अगस्त 2025, 25 सितंबर 2025, 18 अक्तूबर 2025, 27 नवंबर 2025, 19 दिसंबर 2025, 17 जनवरी 2026, 21 फरवरी 2026, 15 मार्च 2026 और 25 मार्च 2026 को संपन्न हुईं. 3 मई 2025 को मसूरी में तथा 15 मार्च 2026 को जयपुर में आयोजित रणनीतिक बैठक के अलावा सभी बैठकें बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में आयोजित की गईं. उक्त रणनीतिक बैठकें व्यक्तिगत रूप से आयोजित हुईं. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर सूचित किए अनुसार बैठकें उपर्युक्त स्थानों पर व्यक्तिगत रूप से और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गईं तथा बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा नीचे **तालिका 1** में दिया गया है.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक महा सभा में उपस्थिति, उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	22 जुलाई 2025 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
अंशकालिक अध्यक्ष एवं स्वतंत्र निदेशक					
श्री टी.एन. मनोहरन (डीआईएनः 01186248) *[30-07-2025 तक]*	(5/5)	उपस्थित	01	01	स्वतंत्र निदेशकः 1. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि. 2. नेशनल बैंक फॉर फाइनैंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	22 जुलाई 2025 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
पूर्णकालिक निदेशक					
श्री राकेश शर्मा (डीआईएन :06846594)	(14/14)	उपस्थित	02	शून्य	शून्य
श्री जयकुमार एस पिल्लै (डीआईएनः 10041362)	(14/14)	उपस्थित	01	शून्य	शून्य
श्री सुमित फक्का (डीआईएनः 08259618)	(14/14)	उपस्थित	01	शून्य	शून्य
गैर कार्यपालक निदेशक					
श्री राज कुमार (डीआईएनः06627311) [18-05-2025 तक]	(02/02)	उपस्थित	01	शून्य	1. चॉइस इंटरनेशनल लि.- स्वतंत्र निदेशक
श्री सत पाल भानू (डीआईएन-10482731)	(14/13)	उपस्थित	01	शून्य	1. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि. - नामिती निदेशक
श्री आर. दोरइस्वामी (डीआईएनः 10358884) *[19-05-2025 सं 24-09-2025 तक]*	(04/03)	उपस्थित	02	01	1. भारतीय जीवन बीमा निगम - प्रबंध निदेशक
श्री मनोज सहाय (डीआईएन-08711612)	(14/08)	उपस्थित	02	01	शून्य
श्री सुशील कुमार सिंह *(डीआईएन-09584577)* *[18-09-2025 तक]*	(06/03)	अनुपस्थित	01	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक					
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन - 06713850) *[08-10-2025 तक]*	(07/07)	अनुपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	22 जुलाई 2025 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
श्री समरेश परिदा (डीआईएन - 01853823)	(14/14)	उपस्थित	02	03	1. शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड - निदेशक 2. सुदीप फार्मा लि. - स्वतंत्र निदेशक
श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन - 05126421)	(14/14)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपक सिंघल (डीआईएन - 08375146)	(14/14)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजय जी कल्लापुर (डीआईएन - 08377808)	(14/14)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएन - 06519925)	(14/14)	उपस्थित	02	02	1. यूटीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड - स्वतंत्र निदेशक
श्री अजय प्रकाश साहनी (डीआईएनः 03359323)	(14/14)	उपस्थित	03	शून्य	शून्य

- *बोर्ड से हट चुके निदेशकों का विवरण बैंक के पास उपलब्ध अंतिम प्रकटीकरण के आधार पर उल्लिखित किया गया है.*
- *बैंक के किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास बैंक द्वारा जारी शेयर या संपरिवर्तनीय लिखत नहीं हैं.*

बोर्ड की समितियां

31 मार्च 2026 को बोर्ड की कुल 13 समितियां हैं, यथा :

- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
- स्टेकधारक संबंध समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- अभिशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति
- कार्यपालक समिति
- धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी तथा अनुवर्तन करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति
- सीएसआर एवं ईएसजी समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति-I

अ. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

i. विचारार्थ विषय

- संवेदनशील क्षेत्रों अर्थात् (क) पूंजी बाज़ार, और (ख) रियल इस्टेट में एक्सपोजर की समीक्षा करना;
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धन शोधन निवारण (एएमएल) दिशा-निर्देश -
  - i. केवाईसी नीति और प्रक्रिया की अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करना; और
  - ii. एएमएल और केंद्रीय केवाईसी के संबंध में प्रमुख पहलों और बैंक की तैयारियों की समीक्षा करना;
- हाउसकीपिंग की समीक्षा - विशेषकर लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों उचंत/ विविध/ देय अथवा प्रदत्त ड्राफ्ट/ मार्गस्थ निधियाँ/ समाशोधन/ सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल)/ संघटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों में शेष और मिलान तथा नोस्ट्रो खातों की समीक्षा करना;
- वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना और इसकी उपलब्धियों की स्थिति की समीक्षा करना;
- निम्नलिखित लेखा-परीक्षाओं के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों /आंतरिक नियंत्रण में कमियों सहित उनके अनुपालन की समीक्षा करना- (i) लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) (ii) संगामी लेखा-परीक्षा (iii) आंतरिक निरीक्षण (iv) डाटा सेंटर और अन्य विभागों की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा (v) ट्रेज़री एवं डेरिवेटिव (vi) नियंत्रक कार्यालयों/ प्रधान कार्यालय की प्रबंधन लेखा-परीक्षा (vii) सेवा शाखाओं की लेखा-परीक्षा (viii) करेंसी चेस्ट (ix) विदेशी मुद्रा विनिमय में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) लेखा-परीक्षा, आदि;
- एसीबी/ बोर्ड/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- समुद्रपारीय शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों के विनियामकों की विनियामकीय अपेक्षाओं की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- प्रबंधन चर्चा, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण में कमियों के बारे में जारी प्रबंधन पत्रों/ पत्रों सहित तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा करना और बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करना और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन करना;
- विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघन संबंधी जानकारी की समीक्षा करना;
- उधारकर्ता कंपनियों में उनकी चुकता पूंजी के 30% से अधिक की इक्विटी शेयर धारिता के संबंध में जानकारी रिपोर्ट करना;
- ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक की राशि वाले धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा करना;
- संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देनों और संबंधित पक्षकार लेनदेनों के लिए पूर्वानुमोदन और संबद्ध पक्षकार लेन-देनों में उत्तरवर्ती संशोधन, यदि कोई हो, की समीक्षा करना;
- (क) जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा नीति, (ख) संगामी लेखा-परीक्षा नीति और (ग) आईएस लेखा-परीक्षा नीति की समीक्षा करना;
- बैंक के लेखों में अधिक पारदर्शिता लाने और लेखांकन मानकों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक की लेखांकन नीतियों/ प्रणालियों की समीक्षा करना और वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन और उसके प्रभाव की समीक्षा करना तथा इस आशय की पुष्टि करना कि लेखांकन नीतियां, लेखांकन मानकों और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग प्रमुख की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखा-परीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
- बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा करना;
- बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा करना;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की अनुशंसा करना, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य निष्पादन, देशी और समुद्रपारीय परिचालनों, दोनों के लिए लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

- बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुति से पूर्व एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग सी के बिन्दु ए (4) में दर्शाई गयी (क) से (छ) की मदों के विशेष संदर्भ में बैंक के वार्षिक लेखों/ वित्तीय विवरणों और इन पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान का अनुमोदन करना;
- लेखा-परीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ चर्चा करना तथा किसी चिंताजनक विषय का पता लगाने के लिए लेखा-परीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श करना;
- विभिन्न कानूनों और संविधियों के तहत बैंक पर लगाए गए दंडों/ दंडात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए की गयी कार्रवाइयों की समीक्षा करना;
- आंतरिक/ बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा पता लगाई गई राजस्व रिसाव की रिपोर्ट और उसकी वसूली की स्थिति - कमतर राजस्व के कारण और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए उठाये गये कदमों की समीक्षा करना;
- ऑफर दस्तावेजों और निधियों के सार्वजनिक निर्गम (सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित) के ज़रिये जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग पर रिपोर्ट और साथ ही साथ, (i) विनियम 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन(नों) के तिमाही विवरण और (ii) एलओडीआर विनियमावली के विनियम 32(7) के अनुसार ऑफर दस्तावेज़ में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिए उपयोग की गई निधियों के वार्षिक विवरण, की समीक्षा करना;
- अंतरकॉरपोरेट ऋणों तथा निवेशों की जांच पड़ताल करना;
- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में बड़ी चूकों के कारणों की समीक्षा करना;
- असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए विशेष निवेशों सहित वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करना;
- पहली बार हुई अनर्जक आस्तियों (एफ़टीएनपीए) की समीक्षा करना;
- ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के अनादरित चेकों की समीक्षा करना;
- संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा करना ;
- आउटसोर्स वेंडरों की लेखा-परीक्षा की वार्षिक समीक्षा करना;
- सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना;
- मुख्य अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन, यदि कोई हो, को नोट करना;
- उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव, पृष्ठभूमि, आदि का आकलन करने के उपरांत मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को अनुमोदित करना;
- मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक/प्रमुख-आंतरिक लेखा परीक्षा की नियुक्ति, हटाने तथा उनके पारिश्रमिक की शर्तो की समीक्षा करना;
- सूचीबद्ध संस्था के उपक्रमों या आस्तियों के मूल्यांकन की देखरेख करना, जहां कहीं भी आवश्यक हो;
- बैंक के लेखों को प्रभावित करने वाले रिज़र्व बैंक के परिपत्रों की समीक्षा करना;
- सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करना;
- बैंक द्वारा सहायक संस्था में ₹ 100 करोड़ से अधिक या सहायक संस्था के आस्ति आकार के 10%, मौजूदा ऋण/ अग्रिम/ निवेश सहित, जो भी कम हो, में/के निवेश की ऋण और/ या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा करना;
- विचलन विवरण की समीक्षा करना;
- बैंक और इसके शेयरधारकों पर विलय, विलगाव, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना;
- स्टाफ जवाबदेही जांच की समीक्षा करना;
- ऋण/ प्रतिभूति दस्तावेजों के स्वत्व विलेखों और समुचित सावधानी कार्रवाई की वास्तविकता को सत्यापित करना;

- कंपनी अधिनियम, 2013, एलओडीआर विनियमावली, आदि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए अनुपालनों पर सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- सेंट्रल डिपॉजटरी सर्विसेस लि. (सीडीएसएल), नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) की निरीक्षण रिपोर्टों और संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों का अनुपालन करना;
- खोजी लेखा परीक्षा (आईए)/ विशेष खोजी लेखा परीक्षा (एसआईए) के निष्कर्षों की समीक्षा करना;
- रेटिंग एजेंसियों के साथ चर्चा करना;
- प्रबंधन की उपस्थिति के बिना प्रमुख-आंतरिक लेखा परीक्षा और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के साथ चर्चा करना;
- जोखिम रेटिंग प्रवसन और लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एसीबी की संरचना

31 मार्च 2026 को एसीबी में चार सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में भारत सरकार के नामिती निदेशक, श्री मनोज सहाय, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्री अजय प्रकाश साहनी, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एसीबी बैठकों के लिए कोरम:

एसीबी बैठकों के लिए कोरम में एसीबी के तीन सदस्य होंगे, इनमें से कम से कम दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे. एसीबी बैठक की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

iv. एसीबी बैठकों की बारंबारता

एसीबी की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी और एसीबी की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

v. एसीबी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान एसीबी की 14 बैठकें 15 अप्रैल 2025; 28 अप्रैल 2025; 28 मई 2025; 25 जून 2025; 21 जुलाई 2025; 16 अगस्त 2025; 24 सितंबर 2025; 17 अक्तूबर 2025; 18 अक्तूबर 2025; 26 नवंबर 2025; 19 दिसंबर 2025; 17 जनवरी 2026; 20 फरवरी 2026; और 24 मार्च 2026 को संपन्न हुईं.

आ. कार्यपालक समिति (ईसी)

i. विचारार्थ विषय

- 400 करोड़ से अधिक के एकल उधारकर्ता एक्सपोजर और ₹ 800 करोड़ से अधिक के समूह उधारकर्ता एक्सपोजर वाले उच्च मूल्य के ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देना;
- कार्यपालक समिति (ईसी) द्वारा मंजूर की गई निबंधनों और शर्तों में संशोधन करना;
- ऋण समितियों के कार्यवृत्त को रेकॉर्ड पर लेना;
- बातचीत से तय/ एकबारगी निपटान (ओटीएस) के प्रस्तावों की मंजूरी करना;
- ऋणों के एआरसी को अंतरण को अनुमोदित करना;
- रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर, संबद्ध पक्षकारों को उन ऋणों से संबंधित ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देना, जो ₹ 10 करोड़ की महत्वपूर्ण सीमा से अधिक हों;
- प्रतिभूतीकरण पोर्टफोलियो की मंजूरियों की समीक्षा करना;
- ईसी द्वारा अनुमोदित मामलों के संबंध में प्रतिभूति सृजन की स्थिति की समीक्षा करना;
- देय और प्राप्य राशियों को निवेश लिखत(तों) में परिवर्तन के प्रस्तावों का अनुमोदन करना;

- ₹ 5 करोड़ से अधिक बकाया खातों वाले इरादतन चूककर्ता की प्रारंभिक जांच करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. ईसी की संरचना

31 मार्च 2026 को ईसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक, श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी.वी. भारती स्वतंत्र निदेशक.

iii. ईसी बैठकों के लिए कोरम

ईसी की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक-तिहाई या ईसी के दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगी.

iv. ईसी बैठकों की बारंबारता

ईसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. ईसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान कार्यपालक समिति की कुल 19 बैठकें हुईं जो 28 अप्रैल 2025; 17 मई 2025; 03 जून 2025; 25 जून 2025; 19 जुलाई 2025; 08 अगस्त 2025; 04 सितंबर 2025; 24 सितंबर 2025; 17 अक्तूबर 2025; 03 नवम्बर 2025; 25 नवंबर 2025; 15 दिसंबर 2025; 26 दिसंबर 2025; 16 जनवरी 2026; 10 फरवरी 2026; 21 फरवरी 2026; 05 मार्च 2026; 17 मार्च 2026 और 27 मार्च 2026 को संपन्न हुईं.

इ. स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी)

i. विचारार्थ विषय

स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग डी के साथ पठित विनियम 20 के अंतर्गत उपबंधित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है.

एसआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- शेयरों के अंतरण/हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए / डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, महा सभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित शेयरधारकों, बांड धारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान करना;
- अपनी प्रत्येक बैठक में बैंक की इक्विटी सर्विसिंग और बांड सर्विसिंग रिपोर्टों पर विचार तथा समीक्षा करना और उपर्युक्त अधिदेश को पूरा करने के लिए, जहां आवश्यक हो, निम्नलिखित के संबंध में निर्देश जारी करना:
  - इक्विटी सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करना;
  - फ्लेक्सी बॉण्डों की सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करना;
  - शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मिलान की रिपोर्टिंग की समीक्षा करना;
  - शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;
  - इश्यु रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा दी गई विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना;
  - अदावी लाभांश की मात्रा को कम करने और बैंक के शेयरधारकों को लाभांश वारंट /वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहल कार्यों की समीक्षा करना; और
  - प्रभार सृजन, ब्याज/मूलधन के भुगतान, प्रतिभूति कवर के रखरखाव और किसी अन्य अनुबंध से संबंधित डिबेंचर धारकों की शिकायतों का समाधान करना.
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एसआरसी की संरचना

31 मार्च 2026 को एसआरसी में चार सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक.

श्रीमती ज्योति बीजू नायर, बैंक की कंपनी सचिव एलओडीआर विनियमावली के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी के रूप में भी कार्य करती हैं.

iii. एसआरसी बैठकों के लिए कोरम

एसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा एसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगी.

iv. एसआरसी बैठकों की बारंबारता

एसआरसी की बैठकें वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी.

v. एसआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान एसआरसी की चार बैठकें दिनांक 29 मई 2025, 04 सितंबर 2025, 27 नवंबर 2025 और 10 फरवरी 2026 को संपन्न हुईं.

vi. अनुरोध/ शिकायतों की संख्या (इक्विटी एवं बांड)

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त शेयरधारकों/ बांड धारकों की शिकायतों की संख्या	11,422
जिन शिकायतों का समाधान शेयरधारकों/ बांड धारकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया गया उनकी संख्या	शून्य
लंबित शिकायतों की संख्या	70

ई. धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी तथा अनुवर्तन करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ़)

i. विचारार्थ विषय

धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी तथा अनुवर्तन करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए किया गया है. समिति मूल कारण विश्लेषण सहित धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा और निगरानी करेगी और आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने तथा धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए उपाय सुझाएगी.

एससीबीएमएफ़ की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- निम्नलिखित को कवर करते हुए बैंक में धोखाधड़ी मामलों की समीक्षा और निगरानी करना:
  - (क) सभी आस्तियों और देयताओं से संबंधित धोखाधडियां;
  - (ख) सभी साइबर और डिजिटल भुगतान से संबंधित धोखाधडियां; और
  - (ग) चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट;
- धोखाधड़ी पुनः जांच और रिपोर्टिंग के निष्क्रिय मामलों की समीक्षा करना;
- आरएफए वर्गीकरण की तारीख से 180 दिनों से अधिक समय तक मौजूद रेड फ्लैग्ड खातों (आरएफए) की समीक्षा और निगरानी करना;
- कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए), अर्थात पुलिस/सीबीआई, आदि के पास शिकायत दर्ज करने की स्थिति की समीक्षा करना;
- धोखाधड़ी के मूल कारण विश्लेषण और क्षतिपूर्ति नियंत्रण की समीक्षा करना;
- प्रणाली सुधारों की समीक्षा करना;
- धोखाधड़ी के मामलों को बंद करने की स्थिति की समीक्षा और निगरानी करना;

- बैंक में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन की समग्र प्रभावशीलता की समीक्षा करना और आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए उपाय सुझाना;
- धोखाधड़ी का पता लगाने/वर्गीकरण में देरी की समीक्षा करना;
- स्टाफ जवाबदेही की जांच/निष्कर्ष में देरी की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एससीबीएमएफ़ की संरचना

31 मार्च 2026 को एससीबीएमएफ़ में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री अजय प्रकाश साहनी, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री जयकुमार एस.पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी और श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एससीबीएमएफ़ बैठकों के लिए कोरम

एससीबीएमएफ़ बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई अथवा एससीबीएमएफ़ के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. एससीबीएमएफ़ बैठकों की बारंबारता

एससीबीएमएफ की बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. एससीबीएमएफ़ की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान एससीबीएमएफ़ की 12 बैठकें दिनांक 28 अप्रैल 2025; 28 मई 2025; 25 जून 2025; 21 जुलाई 2025; 16 अगस्त 2025; 24 सितंबर 2025; 18 अक्तूबर 2025; 26 नवंबर 2025; 19 दिसंबर 2025; 17 जनवरी 2026; 20 फरवरी 2026; और 24 मार्च 2026 को संपन्न हुईं.

उ. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक के कारोबार से जुड़ी विभिन्न जोखिमों का आकलन करने, उनमें कमी लाने, आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने और साथ ही जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है.

आरएमसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- चलनिधि जोखिम और अन्य जोखिमों के साथ चलनिधि जोखिम की संभावित पारस्परिक क्रिया सहित बैंक के समक्ष आई सभी जोखिमों का मूल्यांकन करना;
- नकदी प्रवाह के अनुमानों और चलनिधि जोखिम मापन, प्रयुक्त धारणाओं की समीक्षा करना;
- बोर्ड को नीतियों जिनमें ऋण नीति, वसूली नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता नीति, परिचालन जोखिम तथा कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर एवं बीसीएम) नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, बाज़ार जोखिम तथा डेरिवेटिव नीति, देश जोखिम प्रबंधन नीति एवं देश की जोखिम सीमाएं, निवेश नीति, प्रकटन नीति, प्रतिष्ठा जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन नीति, समूह जोखिम एवं प्रबंधन नीति आदि शामिल हैं, की सिफ़ारिश करना;
- परिचालनगत जोखिम एवं कारोबार निरंतरता प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बाज़ार जोखिम रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- दबाव परीक्षण के परिणामों की समीक्षा करना;
- चलनिधि और ब्याज दर जोखिम परिदृश्य का विश्लेषण करना;
- जोखिम प्रबंधन विभाग में, मॉडल सत्यापन आंतरिक रेटिंग के माइग्रेशन और चूक विश्लेषण के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा करना;
- आस्ति देयता प्रबंधन की समीक्षा करना;

- ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, एएलसीओ, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), एलआरएमसी, प्रणाली उत्पाद अनुमोदन एवं समीक्षा समिति (स्पार्क) I एवं II के कार्यवृत्त की समीक्षा करना;
- प्रतिपक्षकार बैंक सीमाओं और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिए सीमाओं के आबंटन से संबंधित नीति की समीक्षा करना;
- ऋण एक्सपोजर मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा करना;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन को प्राप्त करने के उद्देश्य से नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ समन्वय में कार्य करना;
- विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - विशेषकर सूचीबद्ध संस्था द्वारा वित्तीय, परिचालनगत, क्षेत्र संबंधी, संधारणीयता (विशेष रूप से ईएसजी संबंधी जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिमों अथवा समिति द्वारा निर्दिष्ट अन्य कोई जोखिम सहित, सामना की गई आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए रूपरेखा तैयार करना.
  - पहचान की गई जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना; और
  - कारोबार निरंतरता योजना.
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक के व्यवसाय से जुड़ी जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियाँ मौजूद हैं.
- जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण करना.
- जोखिम प्रबंधन नीति की आवधिक आधार पर दो वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करना, जिसमें बदलते उद्योग की गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना शामिल है;
- प्रारंभिक चेतावनी संकेत और आरएफए के लिए ढांचे की प्रभावशीलता की निगरानी करना;
- ऋण सुविधाओं/ऋण खातों और अन्य बैंकिंग लेनदेनों की निगरानी के लिए पहचाने गए ईडब्ल्यूएस संकेतकों का अनुमोदन करना;
- ईडब्ल्यूएस अलर्ट/ट्रिगर, बैंक द्वारा शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई आदि सहित आरएफए की स्थिति की समीक्षा करना;
- निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफ़ारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और विषयवस्तु के बारे में सूचित करना;
- मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तों, यदि कोई हो, की समीक्षा करना;
- समकक्ष बैंक की समीक्षा करना;
- आईसीएएपी की मध्यावधि समीक्षा करना;
- प्रतिपक्ष बैंक एक्सपोजर सीमाओं और देश जोखिम एक्सपोजर सीमाओं की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- आंतरिक और बाह्य रेटिंग के बीच विचलन का विश्लेषण करना;
- साइबर सुरक्षा के संबंध में जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा करना और उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- प्रबंधन की उपस्थिति के बिना मुख्य जोखिम अधिकारी के साथ चर्चा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. आरएमसी की संरचना

31 मार्च 2026 को आरएमसी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से चार सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक, श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आरएमसी बैठकों के लिए कोरम

आरएमसी की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता/ योग्यता होनी चाहिए. आरएमसी की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड या किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

iv. आरएमसी बैठकों की बारंबारता

आरएमसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. आरएमसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान आरएमसी की चार बैठकें दिनांक 12 जून 2025; 11 सितंबर 2025; 06 दिसंबर 2025 और 10 मार्च 2026 को संपन्न हुईं.

ऊ. सीएसआर एवं ईएसजी समिति

i. विचारार्थ विषय

- कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति तैयार करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाएगी;
- उपर्युक्त खंड में दिए गए कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;
- सीएसआर बजट के उपयोग की समीक्षा करना;
- बैंक की सीएसआर नीति की समय-समय पर निगरानी करना;
- चालू सीएसआर परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करना;
- ईएसजी से संबंधित बैंक की सभी गतिविधियों की देखरेख करना और समीक्षा करना तथा बोर्ड को ईएससी नीति की अनुशंसा करना;
- बोर्ड को कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) की अनुशंसा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की संरचना

31 मार्च 2026 को सीएसआर एवं ईएसजी समिति में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकों के लिए कोरम

सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकों की बारंबारता

सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकें छमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान सीएसआरसी की तीन बैठकें दिनांक 28 मई 2025; 26 नवंबर 2025 और 10 मार्च 2026 को संपन्न हुईं.

ए. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक में ग्राहक संरक्षण तथा सेवा की अभिशासन संरचना को मजबूत बनाने और साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां बनाने और उनके आंतरिक अनुपालन का आकलन करने के लिए ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया है.

सीएससी की व्यापक भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहक शिकायतों को देखना तथा ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना;
- व्यापक जमा नीति तैयार करना;
- जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उनके खाते के परिचालन जैसे मुद्दों का समाधान करना;
- जमाकर्ता की संतुष्टि के लिए वार्षिक सर्वेक्षण के संचालन की जांच करना;
- ग्राहक सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा आयोजित करना;
- भारत के विभिन्न राज्यों के आंतरिक लोकपाल द्वारा समाधान की जा चुकी शिकायतों / परिवेदनाओं के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाना;
- आंतरिक लोकपाल द्वारा दिए गए सभी फैसलों पर ध्यान देना;
- तीन माह से अधिक समय तक कार्यान्वित नहीं किए गए सभी फैसलों की कारणों सहित समीक्षा करना;
- बैंक में ग्राहक सुरक्षा एवं सेवा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;
- शिकायत निवारण नीति की समीक्षा करना;
- प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों की जांच करना.
- प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं जटिलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक में नियुक्त किए जाने वाले आंतरिक लोकपाल / उप आंतरिक लोकपाल की संख्या का निर्धारण करना;
- आंतरिक लोकपाल के कार्यकलापों की समीक्षा करना;
- आंतरिक लोकपाल / उप आंतरिक लोकपाल को प्रदत्त पारिश्रमिक, सुविधाओं एवं लाभों की संरचना का निर्धारण करना;
- आंतरिक लोकपाल के कार्यों की निगरानी करना;
- उन मामलों की समीक्षा करना, जहाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा आंतरिक लोकपाल / उप आंतरिक लोकपाल के निर्णय के विरुद्ध निर्णय दिया गया है; तथा
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. सीएससी की संरचना

31 मार्च 2026 को सीएससी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी, श्री अजय प्रकाश साहनी, स्वतंत्र निदेशक और श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक, श्री श्रीकांत मोहपात्रा, आंतरिक लोकपाल स्थायी आमंत्रिती हैं.

iii. सीएससी बैठकों के लिए कोरम

सीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. सीएससी बैठकों की बारंबारता

सीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. सीएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान सीएससी की चार बैठकें दिनांक 28 मई 2025; 08 अगस्त 2025; 26 नवंबर 2025 और 20 फरवरी 2026 को संपन्न हुईं.

ऐ. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक में प्रभावी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया गया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न आईटी समर्थकारी सेवाएं प्रदान करना, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना, नए आईटी उत्पाद लांच करने में सहायता करना एवं तत्संबंधी सेवाएं प्रदान करना और साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं तथा साइबर सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना है. समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी के बारे में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक ने एक प्रभावी आईटी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है;
- आईटी रणनीति की तैयारी में मार्गदर्शन करना और यह सुनिश्चित करना कि आईटी रणनीति अपने व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंक की समग्र रणनीति के साथ संरेखित हो;
- स्वयं को संतुष्ट करना कि आईटी अभिशासन और सूचना सुरक्षा अभिशासन संरचना जवाबदेही को बढ़ावा देती है, प्रभावी और कुशल है, इसमें पर्याप्त कुशल संसाधन, सुपरिभाषित उद्देश्य और संगठन में प्रत्येक स्तर के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियाँ हैं.
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक ने आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिमों का आकलन और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं बनाई हैं;
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी कार्य (आईटी सुरक्षा सहित) के लिए बजटीय आबंटन, साइबर सुरक्षा बैंक की आईटी परिपक्वता, डिजिटल गहराई, खतरे के माहौल और उद्योग मानकों के अनुरूप हैं और बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाए हैं; और
- बैंक की कारोबार निरंतरता योजना और आपदा से उबरने का प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की कम से कम वार्षिक आधार पर समीक्षा करना.

आईटीएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- बोर्ड को प्रस्तावित आईटी बजट की संस्तुति करना;
- आईटी बजट के उपयोग की समीक्षा करना;
- आंतरिक अथवा बाहर से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर के विकास, अधिप्राप्ति और परिचालनों की समीक्षा करना और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने अथवा अन्य क्रिया विधिओं के लिए प्रक्रियाएँ तैयार करना;
- प्रणाली और प्रक्रियाओं के निष्पादन, कार्यान्वयन और परिचालन की निगरानी करना.
- प्रौद्योगिकी के ज़रिए शाखाओं के एकीकरण और बैंक के लिए एमआईएस के विकास की देखरेख करना;
- प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर की अद्यतन स्थिति और किये गए प्रमुख आईटी पहल कार्यों की समीक्षा करना;
- सूचना/साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की समीक्षा करना;
- सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा करना;
- आईटी नीति की समीक्षा करना;
- बैंक की साइबर सुरक्षा जोखिमों/व्यवस्थाओं/तैयारियों की समीक्षा करना;
- साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी करना;
- सूचना सुरक्षा समिति की गतिविधियों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. आईटीएससी की संरचना

31 मार्च 2026 को आईटीएससी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी और श्री अजय प्रकाश साहनी, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम

आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा आईटीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हों, होगा.

iv. आईटीएससी बैठकों की बारंबारता

आईटीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. आईटीएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान आईटीएससी की चार बैठकें 03 जून 2025; 11 सितंबर 2025; 06 दिसंबर 2025 और 05 मार्च 2026 को आयोजित की गईं.

ओ. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

i. विचारार्थ विषय

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- निदेशक के लिए अर्हताएं, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों को पारिश्रमिक से संबंधित नीति की निदेशक मंडल को अनुशंसा करना;
- बोर्ड, उसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का प्रभावी मूल्यांकन करने का, या तो बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा, तरीका निर्दिष्ट करना और उनके कार्यान्वयन एवं अनुपालन की समीक्षा करना.
- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करना और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करना. स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास इस तरह के विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी. उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, एनआरसी निम्नलिखित कार्य कर सकती है:
  - यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करें;
  - विविधता को ध्यान में रखते हुए, व्यापक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर विचार करें; तथा
  - उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करें.
- स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- निदेशक मंडल की विविधता के बारे में नीति तैयार करना;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना;
- अर्हता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा, *'उपयुक्त और उचित'* मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता (यदि लागू हो) तथा स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/ नियुक्ति को जारी रखने की उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया पर कार्य करना तथा उससे संबंधित मानदंड तैयार करना;
- बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के निर्माण, समीक्षा तथा क्रियान्वयन की देखरेख करना;
- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को भुगतान किए जाने वाले सभी पारिश्रमिकों, चाहे वे किसी भी रूप में हों, की अनुशंसा करना;

- पारिश्रमिक और जोखिमों के बीच प्रभावी सुयोजन प्राप्त करने के संबंध में जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय में कार्य करना;
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का लागत आय अनुपात ऐसा हो, जो सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता अनुपात के अनुरक्षण के अनुरूप पारिश्रमिक पैकेज का समर्थन करे; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एनआरसी की संरचना

31 मार्च 2026 को एनआरसी में चार सदस्य शामिल थे, सभी सदस्य गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में श्री मनोज सहाय, सरकारी नामिती निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक, और श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एनआरसी बैठकों के लिए कोरम

एनआरसी बैठकों के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा जिनमें से एनआरसी की बैठकों में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे और एक आरएमसी का सदस्य होगा. एनआरसी के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे जो बोर्ड की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

iv. एनआरसी बैठकों की बारंबारता

वर्ष में कम से कम एक बार एनआरसी की बैठक आयोजित की जाएगी.

v. एनआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान एनआरसी की छह बैठकें 29 मई 2025; 26 जून 2025; 16 अगस्त 2025; 25 सितंबर 2025; 06 दिसंबर 2025; और 21 फरवरी 2026 को संपन्न हुईं.

vi. स्वतंत्र निदेशकों के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन मानदंड

वार्षिक मूल्यांकन के मानदंडों के लिए, कृपया कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन खंड का ''बोर्ड, इसकी समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को दर्शाने वाला विवरण'' वाला पैरा देखें.

औ. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

i. विचारार्थ विषय

मानव संसाधन संबंधी मामलों को देखने और मानव संसाधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी) का गठन किया गया है.

एचआरएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- भर्ती और प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां बनाना;
- कार्य-निष्पादन प्रबंधन, क्षतिपूर्ति और कैरियर विकास के पहल कार्यों की समीक्षा करना;
- प्रबंधन योजना, विकास और उत्तराधिकार योजना पर विचार करना;
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना;
- कार्मिक की नियुक्ति, मानवशक्ति मूल्यांकन, पदोन्नति आदि सहित विभिन्न अन्य एचआर मामलों पर विचार और अनुमोदन प्रदान करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एचआरएससी की संरचना

31 मार्च 2026 को एचआरएससी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुमित फक्का, डीएमडी; श्री मनोज सहाय, सरकार के नामिती निदेशक और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एचआरएससी की बैठक के लिए कोरम

एचआरएससी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा एचआरएससी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. एचआरएससी बैठकों की बारंबारता

एचआरएससी की बैठक आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएगी.

v. एचआरएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान एचआरएससी की चार बैठकें 28 मई 2025; 24 सितंबर 2025; 19 दिसंबर 2025 और 24 मार्च 2026 को आयोजित की गईं.

अं. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

i. विचारार्थ विषय

भारत सरकार के निदेशों/बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए), दबावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, सरकारी परिसमापक (ओएल) मामलों, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) मामलों आदि से वसूली की समीक्षा करने के लिए और वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने तथा अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया गया है.

आरआरसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- पहली बार हुए एनपीए (एफ़टीएनपीए) और एनपीए की समीक्षा करना;
- शीर्ष 100 एनपीए एवं तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये (टीडबल्यूओ) खातों की समीक्षा करना;
- वाद दायर किए गए मामलों की समीक्षा करना;
- सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई - स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करना.
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत संदर्भित मामलों की समीक्षा करना;
- सरकारी परिसमापक (ओएल) के पास पड़ी राशि की समीक्षा करना;
- विशेष उल्लेख वाले खातों (एसएमए) की समीक्षा करना;
- निपटान के माध्यम से वसूली की समीक्षा करना;
- दबावग्रस्त ऋण एक्सपोज़र के अंतरण के अवलोकन की समीक्षा करना;
- बैंक द्वारा की गई बाहरी एजेंसियों की वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. आरआरसी की संरचना

31 मार्च 2026 को आरआरसी में पांच सदस्य शामिल थे, जिसमें से दो स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी; श्री सुमित फक्का, डीएमडी; श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आरआरसी बैठकों के लिए कोरम

आरआरसी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा आरआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. आरआरसी बैठकों की बारंबारता

आरआरसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. आरआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान आरआरसी की चार बैठकें 26 जून 2025; 25 सितंबर 2025; 06 दिसंबर 2025 और 10 मार्च 2026 को आयोजित की गईं.

अ:. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति-1 (डब्ल्यूडीआरसी-1)

i. विचारार्थ विषय

इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति-1 (डब्ल्यूडीआरसी-1) की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- इरादतन चूककर्ता पहचान समिति-1 (डब्ल्यूडीआईसी-1) द्वारा प्रस्तावित मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई करना;
- डब्ल्यूडीआईसी-I के प्रस्ताव और/या व्यक्तिगत सुनवाई के आधार पर व्यक्तियों/संस्थाओं की इरादतन चूक या अन्यथा की घोषणा पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना;
- डब्ल्यूडीआईसी-I द्वारा अनुशंसित मामलों में पहले से ही इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित नामों को वापस लेने पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित देना;
- डब्ल्यूडीआईसी-I से इरादतन चूककर्ता कार्यवाही को बंद करने के प्रस्ताव की जांच करना और उसे अनुमोदित करना, जिसे किसी व्यक्ति/संस्था को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित करने से पहले डब्ल्यूडीआईसी-I द्वारा संदर्भित किया गया था;
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति -II (डबल्यूडीआरसी II) की कार्यवाही को सूचनार्थ रिपोर्ट करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. डब्ल्यूडीआरसी-1 की संरचना

डब्ल्यूडीआरसी-1 का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों को शामिल कर किया गया था. 31 मार्च 2026 को डब्ल्यूडीआरसी-1 में अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री समरेश परिदा और श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

iii. डब्ल्यूडीआरसी-1 की बैठकों के लिए कोरम

डब्ल्यूडीआरसी-1 बैठकों के लिए सभी सदस्यों की उपस्थिति कोरम को पूरा करेगी.

iv. डब्ल्यूडीआरसी-1 की बैठकों की बारंबारता

बैंक की डबल्यूडीआईसी-1 द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को *'इरादतन चूककर्ता'* के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो डब्ल्यूडीआरसी-1 की बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होता है.

v. डब्ल्यूडीआरसी-1 की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान डब्ल्यूडीआरसी-1 की दो बैठकें 17 अक्तूबर 2025 और 10 मार्च 2026 को आयोजित की गईं.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक की समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण तालिका 2 में दिया गया है.

❖ ***अभिशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (टीसीडब्ल्यूजी)***

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफ़आरए) ने दिनांक 7 जनवरी 2026 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों (लेखा-परीक्षकों) और अभिशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों (टीसीडब्ल्यूजी) के बीच संवाद को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है. एनएफ़आरए के उपर्युक्त परिपत्र तथा लेखापरीक्षण मानक (एसए) 260 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, लेखा परीक्षकों ने अपने संवाद के उद्देश्य के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा उप प्रबंध निदेशकों के साथ, अभिशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के रूप में निर्धारित किया है. उपर्युक्त परिपत्र द्वारा अधिदेशित किए गए अनुसार, बैंक के बोर्ड ने लेखा परीक्षकों और टीसीडब्ल्यूजी के बीच प्रभावी दुतरफा संवाद हेतु एक रूपरेखा तैयार की है.

i. ***विचारार्थ विषय:***

टीसीडब्ल्यूजी लेखा परीक्षकों के साथ विस्तृत संवाद हेतु प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करेंगे. तथापि, यह उन मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जिनके लिए पूर्ण बोर्ड/एसीबी के साथ संवाद करना या उनके द्वारा/साथ निर्णय लेना आवश्यक है. टीसीडब्ल्यूजी, लेखापरीक्षकों के साथ ऐसे मामलों पर संवाद कर सकता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- अभिशासन में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- हाल के विनियामकीय अवलोकन या निष्कर्ष;
- रणनीतिक दिशा में परिवर्तन, प्रबंधन की सत्यनिष्ठा या क्षमता के संबंध में चिंताएँ;
- ऐसे क्षेत्र जहाँ टीसीडब्ल्यूजी चाहेगी कि लेखा परीक्षक अतिरिक्त ध्यान केंद्रित करें;
- लेखा परीक्षा निष्कर्षों अथवा प्रस्तावित समायोजनों पर उनके विचार;
- ऐसे लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाइयों की योजना बनाना, जिसमें यदि कोई आपत्तियाँ हों, तो उन्हें भी शामिल करना;
- पूर्व में संप्रेषित किसी भी नियंत्रण की कमियों/अवलोकनों पर किए गए सुधारात्मक उपायों की स्थिति;
- ऐसा कोई मामला, जो लेखा परीक्षा के दायरे को प्रभावित कर सकता हो;
- संभावित महत्वपूर्ण लेनदेन या जटिल लेखांकन उपचार;
- लेखांकन नीतियों में प्रस्तावित परिवर्तन; तथा
- विनियामकीय विचार-विमर्श; अभिशासन संबंधी परिवर्तन

ii. टीसीडब्ल्यूजी की बैठकों के लिए कोरम

टीसीडब्ल्यूजी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा टीसीडब्ल्यूजी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iii. टीसीडब्ल्यूजी की बैठकों की बारंबारता

लेखापरीक्षक तथा टीसीडब्ल्यूजी, लेखा-परीक्षा कार्य चक्र के विभिन्न चरणों में व्यक्तिगत रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से परस्पर संवाद करेंगे. तथापि, लेखा-परीक्षा कार्य चक्र के दौरान न्यूनतम दो बैठकें आयोजित की जाएंगी, एक लेखा-परीक्षा की योजना बनाने वाले चरण में तथा दूसरी वार्षिक वित्तीय परिणामों/विवरणों के अनुमोदन से पूर्व व्यक्तिगत रूप से अथवा वर्चुअल माध्यम से आयोजित की जाएगी.

iv. टीसीडब्ल्यूजी की बैठकें

टीसीडब्ल्यूजी की पहली बैठक 23 अप्रैल 2026 को मुंबई में आयोजित की गई.

अअ. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक (आईडीएम)

i. विचारार्थ विषय

स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, एलओडीआर विनियमावली के विनियम 25 और भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवीय मानक-1 का अनुपालन करेंगे.

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:

- गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र बोर्ड के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना;
- कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए बैंक के अध्यक्ष के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना;
- बैंक के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड को अपने कर्तव्यों के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक है; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. आईडीएम की संरचना

31 मार्च 2026 को बैंक के बोर्ड में छह स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय जी. कल्लापुर, श्रीमती पी. वी. भारती और श्री अजय प्रकाश साहनी. स्वतंत्र निदेशक प्रत्येक बैठक में अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं.

iii. आईडीएम के लिए कोरम

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे.

iv. आईडीएम की बैठकों की बारंबारता

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए.

v. स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की चार बैठकें 26 जून 2025; 25 सितंबर 2025; 19 दिसंबर 2025; और 25 मार्च 2026 को आयोजित की गईं.

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2025-26 में समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	एसीबी		ईसी		एसआरसी		एससीबीएमएफ		आरएमसी		सीएसआर एवं ईएसजी		सीएससी		आईटीएससीबी		एनआरसी		एचआरएससी		आरआरसी		डबल्यूडीआरसी-I	
		आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ
1.	श्री टी. एन. मनोहरन (डीआईएन:01186248) *[30-07-2025 तक]*	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0
2.	श्री राकेश शर्मा (डीआईएन :06846594)	0	0	19	19	0	0	12	12	4	4	3	3	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	2	2
3.	श्री जयकुमार एस. पिल्लै डीआईएन :10041362)	0	0	19	19	4	4	12	12	4	4	3	3	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0
4.	श्री सुमित फक्का (डीआईएन :08259618)	0	0	19	19	4	4	12	12	4	4	3	3	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0
5.	*श्री राज कुमार (डीआईएन :06627311) [18-05-2025 तक]*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
6.	श्री सत पाल भानू (डीआईएन : 10482731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	श्री आर.दोरइस्वामी (डीआईएनः 10358884) *[19-05-2025 से 24-09-2025 तक]*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	श्री मनोज सहाय (डीआईएन :08711612)	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	3	1	0	0	0	0
9.	श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन :09584577) *[18-09-2025 तक]*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0
10.	श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन :06713850) *[08-10-2025 तक]*	0	0	8	8	0	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
11.	श्री समरेश परिदा (डीआईएन :01853823)	14	14	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	2

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	एसीबी		ईसी		एसआरसी		एससीबीएमएफ		आरएमसी		सीएसआर एवं ईएसजी		सीएससी		आईटीएससीबी		एनआरसी		एचआरएससी		आरआरसी		डबल्यूडीआरसी-I	
		आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ
12.	श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन :05126421)	0	0	19	19	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	6	0	0	2	2	0	0
13.	श्री दीपक सिंघल (डीआईएन :08375146)	0	0	19	19	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	6	6	4	4	0	0	0	0
14.	श्री संजय जी. कल्लापुर (डीआईएन :08377808)	14	14	0	0	4	4	12	12	4	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएन :06519925)	7	7	11	11	0	0	0	0	4	4	3	3	0	0	0	0	6	6	0	0	2	2	2	2
16.	श्री अजय प्रकाश साहनी (डीआईएन : 03359323)	14	14	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0

(आ= आयोजित /उ = उपस्थित)

(आ= आयोजित/उ = उपस्थित)

31 मार्च 2026 को निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता के निर्धारण की मैट्रिक्स और ऐसे कौशल रखने वाले निदेशकों के नाम नीचे तालिका में दिए गए हैं:

	लेखा शास्त्र	कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था	बैंकिंग	सहयोग	अर्थ शास्त्र	वित्त	विधि	लघु उद्योग	मानव संसाधन	जोखिम	सूचना प्रौद्योगिकी	भुगतान और निपटान	व्यापार प्रबंधन	प्रशासन	कॉरपोरेट अभिशासन
श्री राकेश शर्मा	√	√	√		√			√	√	√			√	√	√
श्री जयकुमार एस. पिल्लै	√	√	√		√	√		√	√	√			√	√	√
श्री सुमित फक्का	√	√	√			√		√					√	√	√
श्री सत पाल भानू									√				√	√	√
श्री मनोज सहाय	√					√								√	√
श्री समरेश परिदा	√	√				√				√	√		√	√	√
श्री एन. जंबुनाथन		√	√					√			√	√		√	√
श्री दीपक सिंघल		√	√						√	√			√	√	√
श्री संजय जी. कल्लापुर	√				√	√				√			√	√	√
श्रीमती पी. वी. भारती		√	√		√			√		√				√	√
श्री अजय प्रकाश साहनी									√		√	√		√	√

वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(ए) और धारा 92(3) के अनुसरण में बैंक की वार्षिक विवरणी इसकी वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/Annual-Return.aspx) पर प्रकट की जाती है.

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा का विवरण

बैंक के स्वतंत्र निदेशक श्री समरेश परिदा, श्री एन.जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय जी. कल्लापुर, श्रीमती पी. वी. भारती और श्री अजय प्रकाश साहनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6), एलओडीआर विनियमावली के विनियम 16 (1) (बी) एवं 17(10), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और 28 नवम्बर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश (वाणिज्यिक बैंक - अभिशासन) निदेश, 2025 में उल्लिखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और वे किसी भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या यथोचित रूप से अनुमानित है, जो वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय और किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना उनके कर्तव्यों के निर्वहन की

क्षमता को ह्रासित करती हैं या प्रभावित कर सकती हैं. वार्षिक प्रकटीकरण के साथ निदेशकों ने यह भी पुष्टि की कि स्वतंत्र निदेशकों के डाटाबैंक में पंजीकरण एवं नवीकरण और ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण/ छूट दिये जाने के संबंध में उन्होंने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) पांचवें संशोधन नियम, 2019 के नियम 6 के उप नियम 1 और 2 के प्रावधानों का अनुपालन किया है. इसे निदेशक मंडल द्वारा 30 अप्रैल 2026 को नोट किया गया और इसकी सत्यता का सही आकलन करने के बाद इस पर बोर्ड की राय थी कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं. इसके अलावा, बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक लागू कानूनों के अधीन अपेक्षित आवश्यक निष्ठा, अनुभव, विशेषज्ञता और प्रवीणता रखते हैं.

निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन एवं उत्तराधिकार नीति और क्षतिपूर्ति नीति

बैंक के निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन और उत्तराधिकार नीति साथ ही क्षतिपूर्ति नीति इसकी वेबसाइट (www.idbi.bank.in) पर https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx लिंक पर उपलब्ध है.

कंपनी की लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण के बारे में बैंक की नीति इसकी वेबसाइट (www.idbi.bank.in) पर https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx लिंक पर उपलब्ध है.

सचिवीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित सचिवीय मानकों यथा एसएस-1 (बोर्ड की बैठकों के बारे में सचिवीय मानक) और एसएस-2 (महासभाओं के बारे में सचिवीय मानक) को अपनाया है. बैंक ने अपनी बोर्ड, बोर्ड की समिति और महा सभाओं का आयोजन इन मानकों के अनुसार तथा इनका अनुपालन करते हुए किया है.

आंतरिक लेखापरीक्षक

बैंक का अपना एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है जो आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्य करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार श्री बद्री श्रीनिवास राव, कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक को आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है. जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के बारे में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा नीति भी अपनाई है.

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत शुरू की गई कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के बारे में प्रकटीकरण

बैंकिंग कंपनियों पर ये प्रावधान लागू नहीं होते है.

लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए प्रत्येक विशिष्टता, रिजर्वेशन अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा डिसक्लेमर पर बोर्ड की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसी विशिष्टता, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा डिसक्लेमर नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणियों की आवश्यकता हो.

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अनुसार, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं के अलावा, धोखाधड़ी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

उप-धारा (1) को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान, सामान्य कारोबार के दौरान बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा प्रदान की गई प्रतिभूति पर लागू नहीं होते हैं. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा किए गए निवेश का ब्योरा वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 में प्रकट किया जाता है.

निर्धारित फॉर्म में संबद्ध पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा करारों का विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार, यदि कोई हो, का विवरण निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में दिया गया है जो रिपोर्ट के **अनुबंध-अ** के रूप में संलग्न है.

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट

बैंक की सीएसआर नीति की रूपरेखा इसकी वेबसाइट (www.idbi.bank.in)) पर https://www.idbi.bank.in/pdf/CSR-Policy.pdf लिंक पर उपलब्ध है. बैंक द्वारा किए गए सीएसआर कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध-आ** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक एक विस्तृत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतन किया जाता है. बोर्ड की एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति बैंक के जोखिम मामले एवं जोखिम-संबद्ध पहलुओं की नियमित रूप से व्यापक समीक्षा करती है. बैंक का निदेशक मंडल भी आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के साथ-साथ बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करता है.

बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके की सूचना का विवरण

कंपनी (लेखा) विनियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

अ. दृष्टिकोण:

बैंक निरंतर सुधार को बढ़ावा देने तथा बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बोर्ड मूल्यांकन को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानता है. एक प्रभावी मूल्यांकन प्रक्रिया, बोर्ड की निगरानी एवं कॉरपोरेट अभिशासन को सुदृढ़ करने में योगदान देती है, जिससे अंततः कंपनी और इसके समस्त हितधारकों को अधिक लाभ प्राप्त होता है. इस प्रक्रिया हेतु नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है.

आ. बैंक के बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया:

बोर्ड, बोर्ड की समितियों एवं वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए, एनआरसी ने भागीदार बनने और समीक्षाधीन वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक के बोर्ड की वार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ सेवा प्रदाता को नियुक्त किया. एनआरसी मूल्यांकन ढांचे को अंतिम रूप देने में भी शामिल रही, जिसे प्रधान बोर्ड मूल्यांकन भागीदार (पीबीईपी) द्वारा समकालीन सर्वोत्तम प्रथाओं एवं बैंक की आवश्यकताओं के आधार पर प्रस्तावित किया था.

मूल्यांकन प्रक्रिया को स्वचालित किया गया तथा इसे संपूर्ण बोर्ड, बोर्ड की प्रत्येक समिति तथा वैयक्तिक निदेशकों के कार्यप्रदर्शन का आकलन करने के लिए संरचित प्रश्नावलियों का उपयोग कर लागू किया गया था. इसे पीबीईपी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से संचालित किया गया, जिससे निदेशकों की स्पष्ट राय एवं विचारों की गोपनीयता एवं गुमनामी सुनिश्चित हुई और इस प्रकार निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को बढ़ावा मिला. लिकर्ट एवं अन्य विशेष प्रश्नों वाले संरचित वक्तव्यों के अतिरिक्त, विभिन्न खंडों में ओपन-टेक्स्ट प्रतिक्रियाओं को भी समाहित किया गया, साथ ही निदेशकों को पीबीईपी के समक्ष अपने विचार दर्ज कराने के अवसर भी प्रदान किए गए.

बोर्ड के कार्यनिष्पादन तथा प्रत्येक निदेशक के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन में बोर्ड के सभी सदस्यों ने भाग लिया. कोई भी निदेशक अपने स्वयं के मूल्यांकन में शामिल नहीं था/थी. कार्यपालक निदेशकों का मूल्यांकन स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) द्वारा किया गया. सभी समितियों का मूल्यांकन उनके संबंधित सदस्यों द्वारा किया गया.

इ. मूल्यांकन रूपरेखा एवं मानदंड

संरचित रूपरेखा का उपयोग करते हुए मूल्यांकन प्रक्रिया में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* बोर्ड के कार्यनिष्पादन के निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया:

- रणनीति, जोखिम तथा परिचालन पर्यवेक्षण सहित बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षण एवं रणनीतिक दिशानिर्देश प्रदान करना. इसके अतिरिक्त, कार्यकारी प्रदर्शन, उत्तराधिकार आयोजना तथा सतत सुधार के अवसरों, वार्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया सहित, का पर्यवेक्षण करना.

- बोर्ड एवं समितियों की संरचना तथा गठन, जिसमें व्यक्तियों एवं समितियों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं की क्षमताएं तथा स्पष्टता शामिल है.
- बोर्ड की कार्यशैली जिसमें बोर्ड एवं समिति की बैठकों की योजना बनाना, बोर्ड एवं समितियों को सूचना का प्रवाह तथा रिकार्ड रखना शामिल था.
- निदेशकों की सहभागिता का स्तर, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, तथा बोर्डरूम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, निदेशकों के ज्ञान एवं कौशल के प्रभावी उपयोग सहित, का आकलन करने हेतु बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपनाए गए मानदंड एवं प्रक्रियाएं.
- बाह्य हितधारकों, बैंक के आंतरिक हितधारकों तथा निदेशकों के बीच बोर्ड का संबंध.
- बोर्ड नेतृत्व, जिसमें बोर्ड नेतृत्व, समितियों का नेतृत्व तथा बैंक हेतु कार्यपालक नेतृत्व शामिल था.

ई. बोर्ड के मूल्यांकन निष्कर्षों की समीक्षा

व्यक्तिगत सदस्यों की प्रतिक्रियाओं एवं उनके विचारों का पीबीईपी द्वारा विश्लेषण किया गया. इन्हें मात्रात्मक विश्लेषण तथा गुमनाम गुणात्मक दृष्टिकोणों में रूपांतरित किया गया, जिससे बोर्ड के कार्यनिष्पादन को और सुदृढ़ करने के लिए अंतदृष्टि और कार्रवाई योग्य क्षेत्रों का पता चला.

स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित निष्कर्षों को आगे चर्चा के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ साझा किया गया. जहाँ समग्र बोर्ड रिपोर्ट सभी निदेशकों को उपलब्ध कराई गई, वहीं 12 समितियों के स्कोरकार्ड तथा व्यक्तिगत मूल्यांकन संबंधित सदस्यों के साथ साझा किए गए.

मूल्यांकन के परिणामों को पहले स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में चर्चा हेतु पीबीईपी द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसके पश्चात 25 मार्च 2026 को आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान अधिक केंद्रीकृत प्रस्तुति एवं चर्चा की गई. इन बैठकों में हुए विचार-विमर्श के आधार पर एक कार्ययोजना तैयार की गई तथा रिकार्ड एवं विनियामकीय समीक्षा हेतु पीबीईपी द्वारा अंतिम सारांश रिपोर्ट प्रस्तुत की गई.

उ. मूल्यांकन प्रक्रिया का परिणाम एवं कार्य योजना

बोर्ड ने बोर्ड मूल्यांकन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया की प्रभावशीलता को स्वीकार किया तथा इस प्रक्रिया से प्राप्त अंतर्दृष्टियों को संज्ञान में लिया. बोर्ड ने वर्ष के दौरान बोर्ड, इसकी समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों के कार्यनिष्पादन और प्रभावशीलता पर संतोष व्यक्त किया.

इस वर्ष के वार्षिक बोर्ड मूल्यांकन के आधार पर, बोर्ड ने कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों की पहचान की है:

- बोर्ड में रिक्तियों को भरकर, अध्यक्ष की नियुक्ति सहित, बोर्ड की क्षमताओं एवं कार्यक्षेत्र का अधिक विशाखन करने हेतु कदम उठाना;
- रणनीतिक बल की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय को प्राथमिकता देना अथवा अतिरिक्त समय का आवंटन करना;
- प्रमुख हितधारकों, विशेषकर नियंत्रक शेयरधारकों और रिज़र्व बैंक के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए संरचित तंत्रों को सुदृढ़ बनाना;
- बोर्ड स्तर तथा कार्यपालक भूमिकाओं, दोनों के लिए एक संरचित उत्तराधिकार योजना ढांचे को स्थापित करने हेतु कदम उठाना;
- कार्यपालक क्षमताओं के विकास की निगरानी हेतु सक्रिय कदम उठाना;
- बोर्ड के लिए गतिशील क्षमताएं विकसित करने की दिशा में कार्य करने हेतु बोर्ड मूल्यांकन ढांचे एवं प्रक्रिया को और सुदृढ़ तथा परिष्कृत करना.

कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ.

निदेशकों / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

निदेशक का नाम	पदनाम	परिवर्तन का स्वरूप	दिनांक
श्री टी. एन. मनोहरन	अंश-कालिक अध्यक्ष	पुनः-नियुक्ति	09-05-2025
श्री राज कुमार	एलआईसी नामिती निदेशक	सेवा समाप्ति	18-05-2025
श्री आर. दोरइस्वामी	एलआईसी नामिती निदेशक	नियुक्ति	19-05-2025
श्री टी. एन. मनोहरन	स्वतंत्र निदेशक एवं अंश-कालिक अध्यक्ष	सेवा समाप्ति	30-07-2025
श्री सुशील कुमार सिंह	सरकारी नामिती निदेशक	सेवा समाप्ति	18-09-2025
श्री आर. दोरइस्वामी	एलआईसी नामिती निदेशक	सेवा समाप्ति	24-09-2025
श्री बी.बी. जोशी	स्वतंत्र निदेशक	सेवा समाप्ति	08-10-2025

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का विवरण

वरिष्ठ प्रबंधन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक से एक स्तर नीचे के कार्मिक शामिल होंगे और इसमें विशेष रूप से कार्यात्मक प्रमुख और कंपनी सचिव एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे. 31 मार्च 2026 को बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक निम्नानुसार हैं:

1	श्री नागराज गारला	कार्यपालक निदेशक - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समूह (पीएसजी) (कृषि एवं एमएसई), वित्तीय समावेशन, ऋण प्रसंस्करण केंद्र
2	श्री शलील मुकुंद आवले	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी
3	श्री सुनित सरकार	कार्यपालक निदेशक - ऋण निगरानी समूह [(सीएमजी (खुदरा पीएसजी एवं कॉरपोरेट)], खुदरा वसूली एवं संग्रहण
4	श्री ईश्वर पधान	कार्यपालक निदेशक एवं प्रमुख - ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस
5	श्री त्रिलोक शर्मा	कार्यपालक निदेशक - खुदरा देयताएं, अन्य पक्ष वितरण (टीपीडी), क्रेडिट कार्ड एवं शाखा बैंकिंग
6	डॉ. कुमार नील लोहित	कार्यपालक निदेशक - खुदरा आस्तियां
7	श्री बद्री श्रीनिवास राव	कार्यपालक निदेशक - लेखा-परीक्षा एवं आंतरिक लेखा परीक्षक
8	श्री अनिरुद्ध बेहरा	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी
9	श्री उगेन टाशी	कार्यपालक निदेशक - मानव संसाधन (एचआर), ज्ञानार्जन एवं कर्मचारी सहभागिता विभाग (एल एवं ईडी)
10	श्री अजय रमेश लांडे	कार्यपालक निदेशक एवं प्रमुख - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं डिजिटल बैंकिंग विभाग (डीबीडी)
11	श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
12	श्री संजय पनिकर	कार्यपालक निदेशक - बृहद कॉरपोरेट समूह (एलसीजी), अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) - गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) एवं सहायक सेवाएँ - कॉरपोरेट बैंकिंग
13	श्री जोसफ कुमार ए.	कार्यपालक निदेशक - एनपीए प्रबंधन समूह एवं विधि
14	श्री बीजू जॉर्ज के.	कार्यपालक निदेशक - मध्य कॉरपोरेट समूह (एमसीजी) एवं लेनदेन बैंकिंग समूह.
15	श्री एस. शन्मुगसुंदरम	कार्यपालक निदेशक - कॉरपोरेट रणनीति एवं आयोजना विभाग (सीएसपीडी), बजट एवं योजना, प्रशासन एवं संरचना प्रबंधन विभाग (आईएमडी)
16	श्री दिनेश सिंह रावत	कार्यपालक निदेशक - केंद्रीकृत परिचालन, नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस) एवं सरकारी कारोबार समूह (जीबीजी) परिचालन. करेंसी चेस्ट, शाखा परिचालन सहायता एवं नीति विभाग (बीओएसपीडी)
17	श्रीमती ज्योति बीजू नायर	कंपनी सचिव

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों में परिवर्तन

नाम	पदनाम	परिवर्तन का स्वरूप	दिनांक
श्री बीजू जॉर्ज के.	कार्यपालक निदेशक - एमसीजी एवं लेनदेन बैंकिंग समूह	नियुक्ति	01-04-2025
श्री एस. शन्मुगसुंदरम	कार्यपालक निदेशक - सीएसपीडी, बजट एवं योजना, प्रशासन एवं आईएमडी	नियुक्ति	01-04-2025
श्री दिनेश सिंह रावत	कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति	01-04-2025
श्री मुरली सौरीराजन	कार्यपालक निदेशक - विधि	सेवा समाप्ति	31-05-2025
श्रीमती बलजिंदर कौर मंडल	कार्यपालक निदेशक - केंद्रीकृत परिचालन, सीएमएस एवं जीबीजी परिचालन. करेंसी चेस्ट, बीओएसपीडी	सेवा समाप्ति	30-09-2025
श्री मुरुकेश कुमार ई.पी.	कार्यपालक निदेशक -लेनदेन बैंकिंग समूह, सीआरबीएजी एवं पीएसी	नियुक्ति	01-04-2026
श्री रंजन कुमार रथ	कार्यपालक निदेशक (स्व-स्थाने)- खुदरा देयताएं, अन्य पक्ष वितरण (टीपीडी), क्रेडिट कार्ड एवं शाखा बैंकिंग	नियुक्ति	01-04-2026
श्री मंजुनाथ पै	कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति	01-04-2026

निदेशकों को पारिश्रमिक

आईडीबीआई बैंक के 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र का बैंक बन जाने से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक एवं परिलब्धियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जाती हैं. एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध/ लेनदेन नहीं रहे हैं.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक के घटक (वार्षिक निश्चित वेतन)

विवरण	श्री राकेश शर्मा (एमडी एवं सीईओ)	श्री जयकुमार एस. पिल्लै (डीएमडी)	श्री सुमित फक्का (डीएमडी)
			[राशि ₹ में]
वेतन	1,89,60,000	1,03,50,000	97,37,400
भविष्य निधि	18,96,000	10,35,000	9,73,740
ग्रेच्युटी	7,90,000	4,31,250	4,05,725
छुट्टी किराया रियायत/ भत्ता	5,00,000	4,00,000	4,00,000
मनोरंजन व्यय	3,84,161	2,93,111	2,92,496
परिलब्धियां @	25,69,839	12,90,639	12,90,639

@ - परिलब्धियों में मुफ़्त सुसज्जित आवास का प्रावधान तथा उसका रखरखाव/मकान किराया भत्ता एवं अन्य परिलब्धियाँ शामिल हैं;

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के डब्ल्यूटीडी के परिवर्ती वेतन (नकद और ईएसओपी के बदले नकद) इस अवधि में उनके कार्य- निष्पादन मूल्यांकन के आधार होगा.

- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोई ईएसओपी नहीं दिया गया.

कार्यकाल

श्री राकेश शर्मा - श्री राकेश शर्मा को 19 मार्च 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 19 मार्च 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया. श्री राकेश शर्मा को रिज़र्व बैंक के दिनांक 22 जनवरी 2025 के अनुमोदन के अनुसार 19 मार्च 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया गया. 08 मई 2025 को पोस्टल बैलेट द्वारा शेयरधारक से अनुमोदन प्राप्त किया गया था.

श्री जयकुमार एस. पिल्लै - श्री जयकुमार एस. पिल्लै को बोर्ड द्वारा 19 मई 2023 के रिज़र्व बैंक के पत्र के अनुसार 22 मई 2023 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री जयकुमार एस. पिल्लै ने 12 जून 2023 को पदभार ग्रहण किया. 13 जुलाई 2023 को संपन्न 19 वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया गया था. रिज़र्व बैंक की 19 मई 2026 के अनुमोदन के अनुसार श्री जयकुमार एस. पिल्लै को 12 जून 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक के डीएमडी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन होगी.

श्री सुमित फक्का - श्री सुमित फक्का को बोर्ड द्वारा 31 मई 2024 के रिज़र्व बैंक के पत्र के अनुसार 01 जून 2024 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री फक्का ने 15 जुलाई 2024 को पदभार ग्रहण किया. 23 जुलाई 2024 को संपन्न 20वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया गया था.

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के लिए मानदंड:

सरकार के नामिती निदेशक को छोड़कर सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है. बोर्ड की बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 1,00,000/- और बोर्ड की सभी समितियों की बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 60,000/- की दर से बैठक शुल्क था. एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को पारिश्रमिक और गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक फीस के अलावा बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर और कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक एवं अंशकालिक अध्यक्ष *(30.07.2025 तक)*	8,00,000
श्री राज कुमार, एलआईसी नामिती निदेशक *(18.05.2025 तक)*	2,00,000
भारतीय जीवन बीमा निगम [बोर्ड की बैठकों में निम्न के द्वारा उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क- *i. श्री सत पाल भानू (31.12.2025 तक) एवं ii. आर. दोरइस्वामी (19.05.2025 से 24.09.2025 तक)]*	12,00,000
श्री सत पाल भानू *[बैठकों में भाग लेने के लिए 31.12.2025 तक बैठक शुल्क एलआईसी को दिया गया और 01.01.2026 से सीधे श्री सत पाल भानू को भुगतान किया गया]*	4,00,000
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक *(08.10.2025 तक)*	20,20,000
श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक	32,60,000
श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक	37,40,000
श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक	35,60,000
श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक	37,40,000
श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक	37,40,000
श्री अजय प्रकाश साहनी , स्वतंत्र निदेशक	36,80,000

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत प्रकटन

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और बोर्ड द्वारा अनुशंसा के बाद बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के तहत प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाता है. बोर्ड के अन्य निदेशकों को गैर कार्यपालक निदेशकों को भुगतान मानदंड वाले अनुच्छेद में वर्णित बैठकों में उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) अर्थात् मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव सहित बैंक के अन्य कर्मचारियों को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू पारिश्रमिक मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन बैंक के कार्यनिष्पादन सहित कई कारकों पर निर्भर करता है.

रिज़र्व बैंक के दिनांक 28 नवंबर 2025 के वाणिज्यिक बैंकों (अभिशासन) निदेश, 2025 के अनुसार, परिवर्ती वेतन बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी), महत्वपूर्ण जोखिम उठाने वालों और नियंत्रणकर्ता स्टाफ पर लागू होगा. डब्ल्यूटीडी को देय पारिश्रमिक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एमडी एवं सीईओ और डीएमडी को पारिश्रमिक के घटक वाले पैराग्राफ में उल्लिखित है. क्षतिपूर्ति के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक क्षतिपूर्ति नीति अर्थात नियत वेतन एवं परिलब्धियां, परिवर्ती वेतन (नकद और शेयरों से जुड़े), अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति लाभ (भविष्य निधि, पेंशन/ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और ग्रेच्युटी) आदि रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त मास्टर परिपत्र के अनुसार तैयार की गई है. रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश में परिवर्ती वेतन को आस्थगित करने का अधिदेश है, जिसे बैंक की क्षतिपूर्ति नीति में शामिल किया गया है. सभी पात्र कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिवर्ती वेतन का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के पूरा होने के बाद क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार किया गया था.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) की शर्तों के अनुसार विवरण नीचे दिया गया है:

बैंक के रोल पर नियमित कर्मचारियों की संख्या;	20,693 इनमें से 1,585 कर्मचारी संविदा आधार पर थे

कंपनी के कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक की तुलना में प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात

कार्यपालक निदेशक का नाम	सभी कर्मचारियों की माध्यिका से पारिश्रमिक का अनुपात
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	22.93
श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी	8.90
श्री सुमित फक्का, डीएमडी*	7.30

वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक के पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि, यदि कोई हो;

पदनाम	प्रतिशत वृद्धि
एमडी एवं सीईओ	41.74
डीएमडी*	56.86*
सीएफओ	13.41
सीएस	(4.44)%

* *वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, डीएमडी के पारिश्रमिक के मामले में श्री सुमित फक्का का वेतन केवल उस वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए ही माना गया, चूंकि उनकी नियुक्ति 15 जुलाई 2024 से हुई थी. हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिशत वृद्धि की गणना करते समय, पारिश्रमिक को वार्षिकीकृत किया गया और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए विचार किया गया, जिससे प्रतिशत की तुलना पर असर पड़ा है और इसी वजह से डीएमडी के पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि अधिक दिखाई दे रही है.*

@ *कंपनी सचिव के पारिश्रमिक के संबंध में, चूंकि 1 नवंबर 2022 से संशोधित वेतन संरचना लागू होने की तारीख तक वेतन और भत्तों में संशोधन से उत्पन्न बकाया राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया था, इसलिए पिछले वर्ष का पारिश्रमिक अधिक था. परिणाम स्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 में पारिश्रमिक कम है, चूंकि इस वर्ष के दौरान ऐसी कोई बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई थी.*

वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि;	(3.57) *माध्यिका पारिश्रमिक में कमी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुई है:* • *वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वेतन एवं भत्तों के संशोधन के कारण बकाया का भुगतान किया गया, जिससे तुलनात्मक के आधार में वृद्धि हुई; और* • *नये पदनामों में कर्मचारियों को सम्मिलित किए जाने / कर्मचारी आधार में वृद्धि होने से समग्र माध्यिका पारिश्रमिक पर प्रभाव पड़ा है.*
पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से हुई औसत प्रतिशतक वृद्धि तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशतक वृद्धि के साथ इसकी तुलना एवं इसका औचित्य तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए असाधारण परिस्थितियां, यदि कोई हों, का उल्लेख करें;	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के गैर-प्रबंधकीय कार्मिकों का औसत पारिश्रमिक (3.22)% था और बैंक के प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में 40.25% की वृद्धि हुई. यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी और बकाया राशि के भुगतान के कारण हुआ है.
अभिपुष्टि कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है.	हाँ

महासभा की बैठकें

अ. बैंक की पिछली तीन वार्षिक महासभाओं (एजीएम) का आयोजन निम्नानुसार हुआः

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण

पिछली तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान और समय	1) 13 जुलाई 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 19 वीं वार्षिक महासभा). 2) 23 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 20वीं वार्षिक महासभा). 3) 22 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 21वीं वार्षिक महासभा).
क्या पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में विशेष संकल्प पारित किए गए थे.	➢ **19वीं वार्षिक महासभा में** 13 जुलाई 2023 को सम्पन्न बैंक की 19 वीं वार्षिक महासभा में आईडीबीआई बैंक के संस्था अंतर्नियमों में परिवर्तन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया था. ➢ **20वीं वार्षिक महासभा में** बैंक की 23 जुलाई 2024 को संपन्न 20वीं वार्षिक महासभा में श्रीमती पी.वी. भारती को 14 जनवरी 2025 से चार वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनःनियुक्त करने के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया था. ➢ **21वीं वार्षिक महासभा में** 21वीं वार्षिक महासभा में कोई भी विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया.
क्या गत वर्ष डाक मतपत्र के ज़रिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पैटर्न का ब्योरा दें	नहीं

व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	लागू नहीं
क्या डाक मतदान के जरिये विशेष संकल्प प्रस्तावित किया जाना है.	डाक मतदान के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव नहीं है.
डाक मतदान की प्रक्रिया	लागू नहीं

सूचना के साधन

बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित बोर्ड की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणाम प्रकाशित करता है. इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र अर्थात् फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और एक मराठी भाषा के समाचार पत्र अर्थात् लोकसत्ता में प्रकाशित किया जाता है और ये विज्ञापन शेयर बाज़ार को सूचित किए जाते हैं. उपर्युक्त जानकारी अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के साथ बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx) पर भी उपलब्ध कराई जाती है.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

		आम शेयरधारकों के लिए सूचना
i.	एजीएम की तारीख, समय और स्थान	मंगलवार, 21 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से.
ii.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026
iii.	एलओडीआर विनियमावली के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग अवधि.	ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 9.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) से प्रारंभ होगी और सोमवार, 20 जुलाई 2026 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) समाप्त होगी.
iv.	लेखा बहियों के बंद रहने की तारीख	15 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक (दोनों दिनों सहित)
v.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान की पुष्टि	1. **बीएसई लि. (बीएसई)** **पता:** 25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001 2. **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)** **पता:** एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई - 400 051. घरेलू बाज़ार में जारी किए गए बॉण्डों में निजी तौर पर नियोजित बॉण्ड शामिल हैं और ये बीएसई/ एनएसई पर सूचीबद्ध हैं. लागू सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

vi. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड

यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी,

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32,

गच्चिबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी, हैदराबाद, तेलंगाना - 500 032

vii. शेयर अंतरण प्रणाली

क) दिनांक 30 जनवरी 2026 के सेबी परिपत्र सं.: एचओ/38/13/11(2)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/I/3750/2026 के अनुसरण में, सेबी ने दिनांक 05 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2027 तक एक विशेष सुविधा प्रदान की है ताकि 01 अप्रैल 2019 से पूर्व खरीदी या बेची गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण सह अमूर्तीकरण की सुविधा प्रदान की जा सके, जिसमें वे मामले भी शामिल हैं जिन्हें पूर्व में अस्वीकृत किया गया था अथवा कमियों के कारण लंबित रह गए थे. इस सुविधा के माध्यम से अमूर्तीकृत शेयर एक वर्ष की लॉक-इन अवधि के अधीन होंगे. यह पहल निवेश को सरल बनाने तथा निवेशकों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई है. बैंक ने उक्त परिपत्र के लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए हैं.

ख) दिनांक 30 जनवरी 2026 के सेबी परिपत्र संदर्भ संख्या एचओ/38/13(3)2026 एमआईआरएसडी पीओडी/1/3763/2026 के अनुसरण में, सेबी ने लेटर ऑफ कन्फर्मेशन (एलओसी) जारी करने की आवश्यकता को समाप्त कर निवेशक सेवा अनुरोधों को सरल बनाया है तथा निवेशकों के डीमैट खातों में प्रतिभूतियों के सीधे क्रेडिट की सुविधा प्रदान की है. संशोधित ढांचे में डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करना, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजीशन, कॉरपोरेट कार्यवाहियों तथा अदावीत उचंत खातों जैसी सेवाओं को शामिल किया है, जिसका उद्देश्य प्रसंस्करण समय को कम करना तथा निवेशकों की सुविधा को बढ़ाना है. बैंक ने उक्त परिपत्र के अनुरूप अपनी प्रक्रियाओं को संरेखित कर लिया है, जो 2 अप्रैल 2026 से प्रभावी है.

ग) बैंक के शेयर जो अमूर्त रूप में रखे गए हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से स्वतंत्र रूप से अंतरणीय हैं. 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्राप्त सस्पेन्स एस्क्रो डीमैट खाते से शेयरों का दावा करने / डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने/ डिलीशन/ ट्रांसमिशन/ ट्रांसपोजिशन अनुरोधों को शेयर अंतरण समिति (जिसमें कार्यपालक निदेशक/ मुख्य महाप्रबंधक शामिल हैं) नामक एक आंतरिक समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और सेबी के मौजूदा परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित किया गया.

viii. वित्तीय कैलेंडर

1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026

तिमाही परिणाम अनुमोदित किए गए:

के परिणाम	बोर्ड की बैठक
30 जून 2025	21 जुलाई 2025
30 सितंबर 2025	18 अक्तूबर 2025
31 दिसंबर 2025	17 जनवरी 2026
31 मार्च 2026	30 अप्रैल 2026

ix.	शेयरों का अमूर्तीकरण एवं चलनिधि	बैंक के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त रूप में ट्रेड किया जा सकता है. 31 मार्च 2026 को अमूर्त और भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

	शेयरों की संख्या	जारी कुल पूंजी का %
एनएसडीएल में अमूर्त रूप से रखे गए	5655394661	52.60
सीडीएसएल में अमूर्त रूप से रखे गए	5091302405	47.35
भौतिक	5705109	0.05
कुल	**10752402175**	**100.00%**

x.	ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता	बैंक द्वारा जारी और 31 मार्च 2026 को बैंक की बहियों में बकाया अप्रतिभूत दीर्घकालिक रुपया बांड/ डिबेंचर बीएसई और एनएसई के ऋण खंड में सूचीबद्ध हैं.
xi.	डिबेंचर न्यासी	**एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड,** चौथी मंजिल, मिस्त्री भवन, 122 दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई- 400 020. **अनुपालन अधिकारी:** श्री संदीप पोद्दार **संपर्क सं-** 022 4302 5555 **ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी:** dt@sbicaptrustee.com / corporate@sbicaptrustee.com
xii.	बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर)/ अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर)/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट या परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए हैं.
xiii.	प्लांट का स्थान	लागू नहीं. तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थानों के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट (www.idbi.bank.in) पर उपलब्ध है.
xiv.	पत्राचार के लिए पता	**आईडीबीआई बैंक लि.** **सीआईएन - L65190MH2004GOI148838** **पता:** इक्विटी कक्ष- बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 **फोन:** 022-6655 3336/ 3062/ 3147/ 2806 **ई-मेल:** idbiequity@idbi.co.in **वेबसाइट:** www.idbi.bank.in **रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट** **केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड** (यूनिट आईडीबीआई इक्विटी) **पता:** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चिबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेड्डी, हैदराबाद, तेलंगाना - 500 032 **टोल फ्री नंबर:** 1800 309 4001 **वेबसाइट:** www.kfintech.com **ईमेल:** einward.ris@kfintech.com
xv.	बैंक द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची	क्रेडिट रेटिंग का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंधन विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.
xvi.	शेयरधारिता का वितरण	नीचे उल्लिखित तालिका के अनुसार

तालिका i: 31 मार्च 2026 को वितरण अनुसूची

क्रं. सं	श्रेणी से	श्रेणी तक	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का प्रतिशत
1	1	5000	718984	98.60	182873447	1.70
2	5001	10000	5331	0.73	39926441	0.37
3	10001	20000	2559	0.35	36583754	0.34
4	20001	30000	799	0.11	20075202	0.19
5	30001	40000	367	0.05	12910881	0.12
6	40001	50000	292	0.04	13493703	0.12
7	50001	100000	486	0.07	35440144	0.33
8	100001 और अधिक		388	0.05	10411098603	96.83
	योग		**729206**	**100.00**	**10752402175**	**100.00**

31 मार्च 2026 को शेयरधारिता का स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रबंधन नियंत्रण के साथ प्रवर्तक)	5294102939	49.24
भारत सरकार (प्रबंधन नियंत्रण के बिना सह- प्रवर्तक)	4889871903	45.48
कर्मचारी	590096	0.01
जनता	410516502	3.82
हिन्दू अविभाजित परिवार	18003820	0.17
कॉरपोरेट निकाय	45460207	0.42
संस्थाएं		
अ) बैंक	948718	0.01
आ) विदेशी संस्थागत निवेशक	100	0.00
इ) वित्तीय संस्थाएं /बीमा कंपनियां	2229001	0.02
ई) म्यूचुअल फंड	5886190	0.05
उ) एनबीएफसी	6182	0.00
ऊ) वैकल्पिक निवेश निधि	413049	0.00
सोसायटी	24800	0.00
न्यास	1648656	0.02
निदेशक, केएमपी एवं उनके रिश्तेदार	4400	0.00
अनिवासी भारतीय	13434412	0.12
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	60246791	0.56
आईईपीएफ	8360667	0.08
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	653742	0.01
कुल योग	**10752402175**	**100.00**

अन्य प्रकटन -

i. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमाराशियों से संबंधित विवरण और ऐसी जमाराशियों का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के परंतुक के अनुसार, इस उप-धारा का कुछ भी बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगा और इसलिए, ऊपर दिए गए विवरण के प्रकटीकरण की आवश्यकता आईडीबीआई बैंक पर लागू नहीं होती है.

ii. विनियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण जो चालू संस्था की स्थिति और कंपनी के भविष्य में संचालन को प्रभावित करते हैं

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विनियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया जो बैंक की चालू संस्था की स्थिति और भविष्य में इसके परिचालनों को प्रभावित कर सकते हैं.

iii. भेदिया ट्रेडिंग की रोकथाम

बैंक के पास बैंक के शेयरों के साथ-साथ अन्य सूचीबद्ध और सूचीबद्ध होने वाली कंपनियों के शेयरों में भेदिया ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक संहिता है. यह शेयर व्यवहार संहिता, *अन्य बातों के साथ-साथ,* अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) होने पर अंदरुनी व्यक्तियों द्वारा बैंक तथा अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों में लेन-देन पर प्रतिबंध लगाती है. वार्षिक आधार पर, एसीबी भेदिया ट्रेडिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं.

वर्ष के दौरान संहिता के तहत हुए उल्लंघनों की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों और साथ ही वार्षिक समीक्षा के दौरान एसीबी को दे दी गई है.

iv. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बनी या नहीं रहीं

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं बनाई गई हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई भी सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम समाप्त नहीं हुए हैं, तथापि, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एनएसडीएल में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा (11.11%) बेच दिया. तदनुसार, एनएसडीएल, जिसे पूर्व में आईडीबीआई बैंक की एक सहयोगी माना जाता था, हिस्सेदारी के विक्रय के पश्चात बैंक की सहयोगी नहीं रह गई. वर्तमान में, आईडीबीआई बैंक के पास एनएसडीएल में 14.99% हिस्सेदारी है, जिसे अन्य रणनीतिक निवेश के रूप में माना जाता है तथा विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफ़एस) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने मई 2025 के दौरान पांडिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास और निवेश निगम लिमिटेड (पीआईपीडीआईसी) में अपनी समस्त हिस्सेदारी (21.14%) बेच दी है.

v. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को नियमित रूप से बैंक के व्यवसाय, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों तथा विनियामक परिवेश में परिवर्तन के अनुसार बैंक में अनुपालन आवश्यकताओं से परिचित कराया जा रहा है. इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित/प्रतिनियुक्त किया गया.

इस संबंध में विस्तृत स्थिति बैंक की वेबसाइट (www.idbi.bank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत प्रदान की गई है: https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx

vi. निगरानी तंत्र की स्थापना

बैंक ने रिज़र्व बैंक, सेबी और कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रदत्त सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप निगरानी तंत्र के बारे में नीति लागू की है जो बैंक के कर्मचारियों और निदेशकों को अपने नियोक्ताओं के नियंत्रण में अवैध, अनैतिक या अवैध प्रथाओं से संबंधित शिकायतों को उन व्यक्तियों या संगठनों को प्रकट करने में सक्षम बनाती है जो कार्रवाई करने में सक्षम हो सकते हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया. निगरानी तंत्र की स्थापना का विवरण देने वाली निगरानी तंत्र नीति का प्रकटन बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट (www.idbi.bank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत किया गया है: https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx

vii. महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 46 की अपेक्षा के अनुसार, महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण के लिए नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbi.bank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध है: https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx

viii. संबद्ध पक्षकार से लेनदेन करने की नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों और एलओडीआर विनियमावली के विनियम 23 के अनुसार, बैंक ने संबद्ध पक्षकार से लेनदेन करने के लिए एक नीति तैयार की है. संबद्ध पक्षकार से लेनदेन संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbi.bank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध है: https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx

ix. वास्तव में महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार लेनदेनों के बारे में प्रकटीकरण जिनका व्यापक स्तर पर सूचीबद्ध संस्था के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो

एलओडीआर विनियमावली की सूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने वास्तव में महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार से ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो सकता हो.

x. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जानकारी

यौन उत्पीड़न के खिलाफ बैंक की एक नीति है और उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया है. उक्त नीति कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप है. बैंक ने उक्त अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

अ	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत की गई शिकायतों की संख्या	14
आ	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	9 *(वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त मामलों में से)* 4 *(वित्तीय वर्ष 2024-25 में लंबित मामले)*
इ	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	05

xi. पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और पण्य हेजिंग गतिविधियों का प्रकटन

बैंक पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम और पण्य हेजिंग गतिविधियों के संबंध में विनियामकों द्वारा निर्धारित प्रासंगिक दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, का अनुपालन करता है.

xii. लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्धारित लेखा मानकों से अलग कोई व्यवहार नहीं किया गया है, और इसलिए, इस संबंध में प्रबंधन की ओर से किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं है.

xiii. प्रकटीकरण, कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकार्ड का रखरखाव कंपनी द्वारा आवश्यक है और तदनुसार, ऐसे खाते और रिकार्ड बनाए और रखे जाते हैं.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते इस पर लागत रिकार्ड के रखरखाव के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

xiv. प्रकटन

क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ारों से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, कटु आलोचना का विवरण निम्नानुसार है::

वि.व. 2025-26	रिज़र्व बैंक ने दिनांक 02 मई 2025 के अपने पत्र द्वारा, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसानों को ₹ 3 लाख तक की स्वीकृत सीमाओं वाले केसीसी खातों में लागू उधार दर से अधिक ब्याज वसूलने के कारण बैंक पर ₹ 31.80 लाख का जुर्माना लगाया.
वि.व. 2024-25	रिज़र्व बैंक ने 21 मार्च 2025 के अपने पत्र के माध्यम से जून 2016 से जनवरी 2023 की अवधि के दौरान प्राप्त 363 आवक प्रेषणों से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन को संसाधित करने और अनुमति देने में समुचित सावधानी के गैर-अनुपालन के लिए फेमा, 1999 की धारा 11(3) के तहत बैंक पर ₹ 36.30 लाख का जुर्माना लगाया.
वि.व. 2023-24	शून्य

ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने अधिमानी आवंटन या अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के माध्यम से कोई फंड नहीं जुटाया है. पूर्व में जुटाई गई निधियों की धनराशि का पूरी तरह से बैंक की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और सामान्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है.

ग) मेसर्स परीख एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव के श्री मोहम्मद पिल्लिकंडलु (सीपी सं. 14603) से दिनांक 30 अप्रैल 2026 का इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/एमसीए अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा बने रहने के लिए विवर्जित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है. यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

घ) बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट में वे सभी प्रकटन किए हैं जो एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V (वार्षिक रिपोर्ट) के कॉरपोरेट अभिशासन खंड के उप-पैरा (2) से (10) के अनुसार अपेक्षित थे.

ङ) बैंक ने एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.

च) बैंक ने एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 में दी गई सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित प्रारूपों में कॉरपोरेट अभिशासन पर त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है.

छ) ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की ऐसी किसी सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं किया हो जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो, अतः इस संबंध में किसी प्रकटन की अपेक्षा नहीं है.

ज) एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को सभी सेवाओं के लिए प्रदत्त कुल शुल्क की राशि ₹ 262.50 लाख (प्रमाणीकरण और अन्य लेखापरीक्षा संबंधित सेवाओं सहित)रही और फुटकर खर्च अधिकतम ₹ 25.20 लाख रखा गया था.

झ) **सहायक कंपनियाँ:** 31 मार्च 2026 को बैंक की 5 सहायक संस्थाएं थीं यथा- आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि., आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कं. लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. बैंक के निदेशक मंडल के किसी स्वतंत्र निदेशक को इसकी किसी सहायक संस्था के बोर्ड में शामिल करने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि इन सहायक संस्थाओं में से कोई भी संस्था एलओडीआर विनियमावली के विनियम 16 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है. एलओडीआर विनियमावली के विनियम 24 की अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक की लेखा परीक्षा समिति गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से उनके द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा करती है. गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त नियमित रूप से बैंक के बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुत किये जाते हैं.

ञ) **दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति:** एलओडीआर विनियमावली के विनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने बोर्ड अनुमोदित दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति कार्यान्वित की है.

ट) **अभिलेखीय नीति:** एलओडीआर विनियमावली, 2015 के विनियम 30(8) के अनुसार बैंक ने बोर्ड अनुमोदित अभिलेखीय नीति कार्यान्वित की है.

ठ) **सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के करारों का प्रकटन:** ऐसे कोई करार नहीं हैं जिनके लिए एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची III के भाग ए के पैराग्राफ ए के खंड 5ए के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता हो.

ड) **डीमैट उचंत खाते/ अदावी उचंत खाते के संबंध में प्रकटन**

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरा रिपोर्ट करता है:

i. सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 39(4) के अनुपालन में डीमैट उचंत खाते में अंतरित शेयर:

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	1 अप्रैल 2025 को उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	4	800
(ख)	1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	0	0
(ग)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	0	0
(घ)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिनके शेयर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 एवं 125 के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए गए	0	0
(ङ)	31 मार्च 2026 को उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	4	800
(च)	**इन शेयरों का मताधिकार तब तक अवरोधित रहेगा जब तक इन शेयरों के वैध स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते.**		

ii. दिनांक 06 फरवरी 2026 के सेबी के मास्टर परिपत्र एचओ/38/13/(4)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/I/4298/2026 के अनुपालन में उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में अंतरित शेयर (ऐसे मामले जिनमें पुष्टिकरण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है):

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	1 अप्रैल 2025 को उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	10	2,560
(ख)	उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में अंतरित किए गए	22	4,620
(ग)	1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान उचंत एस्क्रो डीमैट खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	18	3,980
(घ)	उन शेयरधारकों की संख्या जिनको 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान उचंत एस्क्रो डीमैट खाते से शेयर अंतरित किए गए	18	3,980
(ड.)	31 मार्च 2026 को उचंत एस्क्रो डीमैट खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	14	3,200
(च)	**इन शेयरों के वैध स्वामी मतदान करने और लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं.**		

ढ़) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के संबंध में प्रकटन

(क) वर्ष के दौरान आईईपीएफ में किए गए अंतरण/अंतरणों का विवरण :

क्रम सं.	विवरण	शेयर/बांड/डिबेंचर	राशि
(i)	अदावी/अप्रदत्त लाभांश की राशि और संबंधित शेयर	0	0
(ii)	अधिमानी शेयरों की मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों की परिपक्व जमाओं की राशि, साथ ही उन पर उपचित ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	परिपक्व डिबेंचरों की राशि, साथ ही उन पर उपचित ब्याज	0	0
(v)	किसी भी प्रतिभूति के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि तथा उपचित ब्याज सहित वापसी के लिए देय राशि	0	0
(vi)	बोनस शेयरों के जारी होने, विलय और समामेलन से उत्पन्न होने वाले आंशिक शेयरों की बिक्री राशि	0	0

(ख) आईईपीएफ को पहले ही अंतरित शेयरों से उत्पन्न परिणामी लाभ का विवरण - शून्य

(ग) अप्रदत्त / अदावी लाभांश की वर्ष-वार राशि जो इस वर्ष तक अप्रदत्त खाते में पड़ी है तथा तदनुरूपी शेयर जो आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं व ऐसे अंतरण के लिए नियत तारीखों का विवरण:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	अप्रदत्त लाभांश (₹)	शेयरों की संख्या	आईईपीएफ़ में अंतरण के लिए नियत तारीख
1	2022-2023	55,20,195.00	35,211	17.08.2030
2	2023-2024	103,00,696.00	38,371	27.08.2031
3	2024-2025	142,00,568.70	36,465	27.08.2032

(घ) अप्रदत्त / अदावी ब्याज की वर्ष-वार राशि जो इस वर्ष तक अप्रदत्त खाते में पड़ी है तथा तदनुरूपी बॉन्ड जो आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं व ऐसे अंतरण के लिए नियत तारीखों का विवरण:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	अप्रदत्त ब्याज (₹)	बॉन्डों की संख्या	आईईपीएफ़ में अंतरण के लिए नियत तारीख
1	2021-22	3,76,097.00	4	27.12.2028
2	2022-23	43,76,000.00	4	26.12.2029

(ड.) आईईपीएफ को कंपनी द्वारा दिये गए दान की राशि, यदि कोई हो - शून्य

(च) वर्ष के दौरान आईईपीएफ को अंतरित ऐसी अन्य राशि, यदि कोई हो

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 के नियम 6(12) के अनुपालन में, बैंक ने आईईपीएफ प्राधिकरण के पास रखे शेयरों पर टीडीएस छोड़कर ₹ 1,74,62,315.20/- का लाभांश जमा किया है और बाद में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के पास फॉर्म आईईपीएफ-1 (पूर्ववर्ती फॉर्म आईईपीएफ-7) दाखिल कर दिया.

विनियम 27 की विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

बैंक पर लागू, एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग 'ई' में दी गई विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवेकपूर्ण अपेक्षाएं	स्थिति
1.	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए पात्र है और उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति है.	बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1) (i) के अनुसार श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक को बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था. हालांकि, उनके आकस्मिक निधन के कारण वे 30 जुलाई 2025 से स्वतंत्र निदेशक एवं अंशकालिक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे. वर्तमान में बैंक के पास कोई स्थायी अंशकालिक अध्यक्ष नहीं है. अतः प्रत्येक बोर्ड बैठक की अध्यक्षता हेतु बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों में से किसी एक को नामित किया जा रहा है. श्री टी. एन. मनोहरन को बोर्ड एवं समिति बैठकों में उपस्थिति हेतु बैठक शुल्क का भुगतान किया गया था.
2.	शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को पिछले छः महीनों के दौरान उल्लेखनीय कार्यक्रमों के सार सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा भेजी जाए.	तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजा जाता है. महत्वपूर्ण घटनाक्रमों सहित परिणामों के मुख्य अंशों की प्रेस विज्ञप्ति भी स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाती है और वेबसाइट पर अपलोड की जाती है.
3.	कंपनी असंशोधित लेखा परीक्षा अभिमत वाले वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो.	बैंक के वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा परीक्षा अभिमत के साथ हैं और बैंक असंशोधित लेखा परीक्षा अभिमत की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाता रहता है.
4.	कंपनी अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को इस प्रकार से नियुक्त करें कि अध्यक्ष - (क) गैर-कार्यपालक निदेशक हो, और (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित 'रिलेटिव' शब्द की परिभाषा के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित न हों.	बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के लिए अलग-अलग पद हैं. अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक थे और बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के संबंधी नहीं थे. श्री टी. एन. मनोहरन के निधन के पश्चात, वर्तमान में बैंक में कोई स्थायी अंशकालिक अध्यक्ष नहीं है. अतः प्रत्येक बोर्ड बैठक की अध्यक्षता हेतु बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों में से किसी एक को नामित किया जा रहा है. प्रत्येक बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त स्वतंत्र निदेशक का बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कोई संबंध नहीं है.
5.	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करें.	आंतरिक लेखा परीक्षक बैंक के डीएमडी को रिपोर्ट करते हैं एवं रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एसीबी के साथ व्यक्तिगत बैठक करते हैं.

आचार एवं सदाचार संहिता

बैंक के निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार एवं सदाचार संहिता को अपनाया है. एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 की अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि के बारे में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधितों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है.

राकेश शर्मा
(डीआईएन - 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक: 30 अप्रैल 2026

सीईओ/ सीएफ़ओ का प्रमाणन

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार वित्तीय विवरणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में एमडी एवं सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त किया गया है और उसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है.

अनुबंध-अ

एओसी -2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत किए गए कुछ स्वतंत्र संव्यवहारों सहित की गई संविदाओं/ व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

i. स्वतंत्र आधार पर न की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था या संव्यवहार की मूल्य सहित, यदि कोई हो, प्रमुख शर्तें	इस प्रकार की संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख
शून्य								

ii. स्वतंत्र आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहारों का विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरुप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था या संव्यवहार की मूल्य सहित, यदि कोई हो, प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खों), यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो
शून्य						

राकेश शर्मा
(डीआईएन-06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक: 30 अप्रैल 2026

अनुबंध-आ

वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत सीएसआर प्रकटीकरण

1. बैंक की सीएसआर नीति का संक्षिप्त रूपरेखा:

बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों में व्याप्त कमियों की पहचान करना और उनकी बेहतरी के लिए आवश्यकता-आधारित योगदान करते हुए उनके जीवन में ठोस, दृश्य तथा स्थायी बदलाव लाना है. सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ये पहल कार्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होंगे. बैंक यह प्रत्यक्ष हस्तक्षेप तथा हिताधिकारियों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए प्राप्त करना चाहता है.

बैंक की सीएसआर नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है.

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/ निदेशकता का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री राकेश शर्मा	एमडी एवं सीईओ - समिति अध्यक्ष	03	03
2.	श्री जयकुमार एस. पिल्लै	उप प्रबंध निदेशक	03	03
3.	श्री सुमित फक्का	उप प्रबंध निदेशक	03	03
4.	श्री समरेश परिदा	स्वतंत्र निदेशक	03	03
5.	श्रीमती पी.वी. भारती	स्वतंत्र निदेशक	03	03

3. वह वेबलिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है.

सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों का वेब लिंक है- https://www.idbi.bank.in/corporate-social-responsibility.aspx

4. नियम 8 के उप-नियम (3) यदि लागू हो के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के वेबलिंक के साथ कार्यपालक सार प्रदान करें

वित्तीय वर्ष 2025ॐ26 के दौरान, तीन एकबारगी सीएसआर परियोजनाएँ, अर्थात् जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कांची कामकोटी मेडिकल ट्रस्ट (एसकेकेएमटी) तथा टीएमसी नव्या केयर, जिन्हें ₹ 1 करोड़ एवं उससे अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, अपनी अनिवार्य एक-वर्षीय कार्यान्वयन अवधि पूर्ण कर चुकी हैं. अतः बैंक प्रभाव मूल्यांकन करवाने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति की प्रक्रिया में है, जो आगामी वर्ष में संपन्न किया जाएगा.

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ:

बैंक का गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 7242.84 करोड़ का औसत निवल लाभ (सीएसआर उद्देश्य के लिए) रहा.

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक का दो प्रतिशत औसत निवल लाभ रु 144.86 करोड़ था. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के सीएसआर बजट के रूप में ₹ 145 करोड़ का अनुमोदन दिया था.

(ग) **पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष -** शून्य

(घ) **वित्तीय वर्ष में समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो -** शून्य

(ङ) **वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)] -** ₹ 145 करोड़.

6. (क) **सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजनाओं एवं चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य, दोनों पर) :** ₹ 154.39* करोड़.

(ख) **प्रशासनिक उप-शीर्ष में खर्च की गई राशि :** शून्य. .

(ग) **प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो :** लागू नहीं.

(घ) **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)] -** ₹ 154.39* करोड़.

** वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से ₹ 126.96 करोड़ + ₹ 20.65 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024ॐ25 के अव्ययित सीएसआर खाते से तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के अव्ययित सीएसआर खाते से ₹ 6.78 करोड़ व्यय किए गए.*

(ङ) **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि: वित्तीय वर्ष** 2025-26 के बजट में से सीएसआर खर्च ₹ 126.96 करोड़ और ₹ 18.04 करोड़ की राशि मंजूर की गई है, लेकिन 60 चालू परियोजनाओं से संबंधित इस राशि का संवितरण नहीं किया गया है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अव्ययित राशि शून्य है.

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (₹ करोड़ में)	अव्ययित राशि (₹ करोड़ में)				
	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि.		धारा 135 की उप-धारा(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में अंतरित राशि.		
	राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
126.96	18.04	22.04.2026	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(च) समायोजन के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई हो :

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	145
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि [उपरोक्त (i) में से]	126.96
(iii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई आधिक्य राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	लागू नहीं

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अव्ययित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (र्षों)	धारा 135 की उपधारा 6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में अंतरित राशि, यदि कोई हों.		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि. (₹ करोड़ में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तारीख		
1.	2022-23	शून्य	शून्य	1.44	शून्य	लागू नहीं	शून्य	-
2.	2023-24	शून्य	शून्य	39.24	7.61#	26.09.2024	25.62	-
3.	2024-25	25.62	19.55	76.20	शून्य	लागू नहीं	32.87	-

 # वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट ₹ 74.09 करोड़; स्वीकृत ₹ 64.86 करोड़; समायोजन राशि ₹ 1.62 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021ॐ22: ₹ 0.18 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2022-23: ₹ 1.44 करोड़); व्यय राशि ₹ 39.24 करोड़; अव्ययित खाते में अंतरित राशि ₹ 25.62 करोड़.

** वित्तीय वर्ष 2021ॐ22 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में सीएसआर के लिए कोई बजट आवंटन नहीं किया गया था तथा सीएसआर गतिविधियों हेतु व्यय की गई राशि ₹ 0.18 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021ॐ22) एवं ₹ 1.44 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2022-23) को आगामी वर्ष के बजट अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 में समायोजित किया गया, जिससे उस वर्ष ₹ 25.62 करोड़ की राशि अव्ययित रही.*

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत आस्तियां सृजित याअधिगृहीत की गई हैं: नहीं

यदि हां, सृजित/अधिगृहीत की गई पूंजीगत आस्तियों की संख्या दर्ज करें : लागू नहीं

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से सृजित याअधिगृहीत की गई ऐसी आस्ति(यों) का विवरण प्रस्तुत करें: :

क्रम सं.	संपत्ति या आस्ति (यों) का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या आस्ति(यों) का पिन कोड	सृजन तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/ प्राधिकारी/ लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(सभी फील्ड राजस्व रिकॉर्ड में दिये गए अनुसार ही दर्ज किए जाए, फ्लैट संख्या, आवास संख्या, नगरपालिका कार्यालय/ नगर निगम/ ग्राम पंचायत विनिर्दिष्ट किया जाए तथा साथ ही अचल संपत्ति का क्षेत्रफल और उसकी सीमाओं का विवरण दें)

9. यदि कंपनी, धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण निर्दिष्ट करें. - वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीएसआर पर ₹ 126.96 करोड़ खर्च किया गया है और 60 चालू परियोजनाओं के लिए ₹ 18.04 करोड़ की अवितरित राशि को 'वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अव्ययित सीएसआर खाते' में अंतरित कर दिया गया है. अतः वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अव्ययित राशि शून्य है.

राकेश शर्मा
(डीआईएन - 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
सीएसआर समिति के अध्यक्ष
दिनांक: मई 2026

फॉर्म सं. एमआर - 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् 'बैंक' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट संचालनों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्राप्त हुआ है.

बैंक की बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों और बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों का हमारे द्वारा सत्यापन करने, सचिवीय लेखापरीक्षा करने के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की सीमा तक, प्रबंधन द्वारा हमें दी गई व्याख्या और स्पष्टीकरणों तथा प्रस्तुत निरूपणों के आधार पर और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा मंजूर रियायतों पर विचार कर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है और यह कि बैंक ने इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, वर्णित रीति से और उसके अध्यधीन उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएँ और अनुपालन प्रणाली लागू की हैं.

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई और अनुरक्षित बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;
3. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियमावली तथा उप-विधियों;
4. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमन.
5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश, लागू होने तक और समय समय पर यथा संशोधितः
   - क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियमावली, 2011;
   - ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियमावली, 2015;
   - ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2018; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**;
   - घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियमावली, 2021; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**;
   - ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियमावली, 2021;

च. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ संव्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमावली, 1993 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमावली, 2025; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**;

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियमावली, 2021; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियमावली, 2018; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अन्य विनियमावली जो बैंक पर लागू होती हैं:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के लिए बैंकर) विनियमावली, 1994
2. सेबी (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियमावली, 2018;

6. बैंक पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून अर्थात :

- बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं मार्गदर्शन;
- भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) अधिनियम, 1934;
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेएसी) अधिनियम, 2002;
- धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 एवं धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड प्रबंधन आदि), नियमावली, 2005;
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007;
- परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881.

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

1. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निदेशक मंडल (एसएस-1) और महा सभा (एसएस-2) के संबंध में जारी सचिवीय मानक.
2. बैंक द्वारा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता करार, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है.

हम रिपोर्ट करते हैं कि अंशकालिक अध्यक्ष के आकस्मिक निधन के उपरांत, बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के विनियम 10बी के अनुसार अपने निदेशकों में से किसी एक को पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना आवश्यक है. वर्तमान में, बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए स्वतंत्र निदेशकों में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि रिजर्व बैंक ने दिनांक 02 मई 2025 के अपने पत्र के द्वारा बैंक पर ₹ 31.80 लाख का दंड लगाया है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

बैंक के निदेशक मंडल का कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ विधिवत गठन किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे.

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त समय पहले सूचना दी गई और कार्य-सूची एवं कार्य-सूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए, जहां बैठक अत्यावश्यक कारोबार को निपटाने के लिए अल्प सूचना पर आयोजित की गई थी, को छोड़कर. बैठक से पहले कार्य-सूची मदों पर और जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है.

कार्यवृत्त के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल की बैठकों में निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिए गए.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप बैंक में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई है जिसका ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के कारोबार पर प्रमुख प्रभाव पड़ाः

कृते पारिख एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

मोहम्मद पिल्लिकंडलु
साझेदार
एफ़सीएस नं.: 10619 सीपी नं.: 14603
यूडीआईएनः F010619H000238946
पीआर नं.: 7327/2025

स्थानः मुंबई
दिनांकः 30 अप्रैल 2026

*इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो **अनुबंध 'अ'** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है.*

अनुबंध-अ'

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005.

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

1. सचिवीय अभिलेखों के रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है. हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है.

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रिया का पालन किया है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था. हमारा मानना है कि हमने जो प्रक्रिया और पद्धतियाँ अपनाई हैं, वे हमारे अभिमत हेतु उचित आधार प्रदान करती हैं.

3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और खाता बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.

4. जहां कहीं आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है.

5. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी.

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यों के संचालन में उनकी दक्षता अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन देती है.

कृते पारिख एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

मोहम्मद पिल्लिकंडलु
साझेदार
एफ़सीएस नं.: 10619 सीपी नं.: 14603
यूडीआईएन: F010619H000238946
पीआर नं.: 7327/2025

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 अप्रैल 2026

निदेशकों की गैर-अपात्रता संबंधी प्रमाण पत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V के पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400005.

सीआईएनः L65190MH2004GOI148838 वाले आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 (इसमें इसके बाद 'बैंक' कहा गया है) है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, फॉर्मों, विवरणियों और प्रकटनों की हमने जांच की है, जो बैंक द्वारा मेरे/हमारे समक्ष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 की अनुसूची V पैरा सी उप खंड (10)(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार यह प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से हमें उपलब्ध कराये गए हैं.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा सत्यापन (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) के अनुसार, जो आवश्यक समझा गया और बैंक एवं इसके अधिकारियों द्वारा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे दिये गये बैंक के बोर्ड का कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति या बने रहने से विवर्जित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया हैं.

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तारीख*
1.	श्री अजय प्रकाश साहनी	03359323	28-08-2023
2.	श्री दीपक सिंघल	08375146	28-02-2019
3.	श्री जयकुमार सुब्रमोनिया पिल्लै	10041362	12-06-2023
4.	श्री राकेश शर्मा	06846594	10-10-2018
5.	श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर	08377808	05-03-2019
6.	श्रीमती पी.वी. भारती	06519925	14-01-2021
7.	श्री समरेश परिदा	01853823	19-05-2018
8.	श्री जंबुनाथन नारायणन	05126421	19-05-2018
9.	श्री मनोज सहाय	08711612	28-04-2022
10.	श्री सत पाल भानू	10482731	10-02-2022
11.	श्री सुमित फक्का	08259618	15-07-2024

टिप्पणीः * - नियुक्ति की तारीख एमसीए पोर्टल के अनुसार है.

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इनके बारे में राय व्यक्त करना है. यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यों के संचालन में उनकी दक्षता अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन देता है.

कृते पारिख एंड एसोसिएट्स
कार्यरत कंपनी सचिव
ह/-

मोहम्मद पिल्लिकंडलु
साझेदार
एफसीएस नंबरः 10619 सीपी नं. : 14603
यूडीआईएनः F010619H000239012
पीआर नं.: 7327/2025

स्थानः मुंबई
दिनांकः 30 अप्रैल 2026

Chokshi & Chokshi LLP
Chartered Accountants
15/17, Raghavji B Bldg, Ground Floor,
Raghavji Road, Gowalia Tank,
Off Kemps Corner, Mumbai 400036
LLP Registration No. AAC-8909

Suri & Co.
Chartered Accountants
Unit No. 2A 1,
Gundecha Onclave,
Kherani Road, Sakinaka,
Andheri (East), Mumbai - 400072

INDEPENDENT AUDITOR'S CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE AS PER CERTAIN PROVISIONS OF CHAPTER IV OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, Cuffe Parade,
Mumbai – 400005

1. We, M/s Chokshi & Chokshi LLP, Chartered Accountants (FRN 101872W/W100045) and Suri & Co., Chartered Accountants (FRN 004283S) the Joint Statutory Central Auditors of IDBI BANK LIMITED (hereinafter referred to as "the Bank"), having its registered office at IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005, are issuing this certificate for the Bank's compliance with the conditions of Corporate Governance as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46(2) and para C and D of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ('Listing Regulations') from time to time.

Management's Responsibility

2. The compliance of conditions of Corporate Governance as stipulated under the Listing Regulations is the responsibility of the Management. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control and procedures to ensure compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is limited to examining the procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
4. We have examined the books of accounts and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purpose of providing reasonable assurance on compliance with Corporate Governance requirements.
5. We have carried out an examination of the relevant records of the Bank in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the ICAI), the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, in so far as it is applicable for the purpose of this certificate and as per the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the ICAI which requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standards on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audit and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

7. Based on our examination of the relevant records and according to the information and explanations given to us and the representations provided by the Management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46(2) and para C and D of Schedule V of the Listing Regulations during the year ended March 31, 2026, as applicable.

Restriction on Use

8. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.
9. This certificate is addressed to and provided to the members of the Bank solely for the purpose of enabling it to comply with its obligations under the Listing Regulations with reference to compliance with the relevant regulations of Corporate Governance and should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this certificate for events and circumstances occurring after the date of this certificate.

For Chokshi & Chokshi LLP
Chartered Accountants
(FRN - 101872W / W100045)

Rakesh Jain
Partner
Membership No. 042364
UDIN: 26042364HHNUUB5293

Place: Mumbai
Date: June 19, 2026

For Suri & Co.
Chartered Accountants
(FRN – 004283S)

Natarajan V.
Partner
Membership No. 223118
UDIN: 26223118DOOJAW1902

Place: Mumbai
Date: June 19, 2026

Corporate Governance Report

Brief Statement on the Bank's Philosophy on Code of Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of corporate governance in its operations. Its policies and practices comply with the statutory requirements while reinforcing the Bank's commitment to operating in the best interest of its stakeholders. The responsibility for upholding high governance standards rests with the Bank's Board of Directors and its various Board Committees, which are vested with the authority to oversee the adoption and effective implementation of the best corporate governance practices, including ensuring timely and appropriate disclosures in accordance with legal and regulatory provisions and established banking conventions.

In this regard, the Bank remains committed to ensuring that its Board of Directors continue to be constituted in accordance with the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises appropriate control over the management, monitors executive performance and ensures timely and appropriate disclosures. Further, the other policy directives of the Bank are directed towards establishing a robust strategic control mechanism, accompanied by periodic reviews of its effectiveness as well as to put in place clearly documented and transparent management processes to facilitate formulation of policies, its implementation and review, decision-making, monitoring, control and reporting. The Bank provides unhindered access to relevant information and resources, to enable the Board to discharge its roles and responsibilities effectively.

BOARD OF DIRECTORS

The Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI), the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of Corporate Governance, as envisaged in the Securities & Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The Bank's Board discharges its responsibilities directly as well as through various Board Committees, which are constituted to provide focussed oversight across key functional areas.

i. Terms of Reference

- To make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;
- To authorise buy-back of securities under Section 68 of the Companies Act, 2013;
- To issue securities, including debentures, whether in or outside India;
- To borrow monies;
- To invest the funds of the Bank;
- To approve financial statements and the Board's report of the Bank;
- To diversify the business of the Bank;
- To approve amalgamation, merger or reconstruction;
- To take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company;
- To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP);
- To appoint Internal Auditors and Secretarial Auditors;
- To make political contributions;
- To take note of the disclosures of Directors' interest and shareholding;
- To approve quarterly, half-yearly and annual financial statements or financial results, as the case may be;
- To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Bank, prepared by the Bank as well as steps taken by the Bank to rectify instances of non-compliances;
- To lay down a code of conduct for all the members of the Board of Directors and the senior management of the Bank;
- To ensure framing of, implementation of and monitoring of the risk management plan for the Bank and oversee risk management system, policy and strategy followed by the Bank;

- To recommend all fees or compensation payable to Non-Executive Directors, including Independent Directors;
- To undertake performance evaluation of the Independent Directors, all the other Directors, the Committees of the Board and the Board of Directors as a whole;
- To review and guide corporate strategy, major plans of action, policies, annual budgets and business plans, to set performance objectives, to monitor implementation and corporate performance, and to oversee major capital expenditures, acquisitions and divestments;
- To monitor the effectiveness of the Bank's governance practices and making changes as needed;
- To select, compensate, monitor and, when necessary, replace the Key Managerial Personnel (KMP) and oversee succession planning;
- To align remuneration of Key Managerial Personnel (KMP) and Directors with the longer term interests of the Bank and its shareholders;
- To ensure a transparent nomination process to the Board to achieve diversity of thought, experience, knowledge, perspective and gender in the Board of Directors;
- To monitor and manage potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions;
- To ensure the integrity of the Bank's accounting and financial reporting systems, including the independent audit and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards;
- To oversee the process of disclosure and communications;
- To monitor and review the Board of Directors' evaluation framework;
- To provide strategic guidance to the Bank, to ensure effective monitoring of the management and to be accountable to the Bank and its shareholders;
- To set a corporate culture and the values by which the executives throughout the Bank shall behave;
- To act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interests of the Bank and its shareholders;
- To encourage continual Directors' training to ensure that the members of the Board of Directors are kept up-to-date;
- To treat all the shareholders fairly;
- To maintain high ethical standards and take into account the interests of the stakeholders of the Bank;
- To exercise objective independent judgment on the corporate affairs of the Bank;
- To consider assigning a sufficient number of non-executive members of the Board of Directors capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflict of interest;
- To be able to stepback to assist executive management by challenging the assumptions underlying strategy, strategic initiatives (such as acquisitions), risk appetite, exposures and the key areas of the Bank's focus;
- To ensure adherence to corporate governance standards in relation to the composition, roles and responsibilities, meeting periodicity and oversight functions of the various Committees of the Board, and to define and disclose the mandate, composition and operating procedures of the Committees of the Board of Directors; to maintain oversight of exposures to related entities of the Bank, including monitoring details of lending to and investments in subsidiaries, the asset classification of such exposures and any other material financial relationships;
- To review, at each meeting, the Action Taken Report (ATR) on all points arising from previous meetings. Any item remaining incomplete shall continue to be included in the agenda until the Board is satisfied that the action has been fully and appropriately completed;

- To approve the Corporate Social Responsibility Policy as recommended by the CSR & ESG Committee and ensure that the activities as included in Corporate Social Responsibility Policy of the company are undertaken by the Bank;
- To oversee the risk profile of the Bank, monitoring the integrity of its business and control mechanisms, ensuring the expert management and maximising the interests of its stakeholders;
- To ensure that responsibilities of its directors are well-defined and every director is familiarised with the functioning of the Bank before their induction, covering the following essential areas:
  - (i) Delegation of powers to various authorities by the Board;
  - (ii) Strategic plan of the institution;
  - (iii) Organisational structure;
  - (iv) Financial and other controls and systems; and
  - (v) Economic features of the market and competitive environment.
- To set and enforce clear lines of responsibility and accountability for itself as well as the senior management and throughout the organisation;
- To institutionalise discussions between its management and the Board on quality of internal control systems. The Board shall specifically pay attention to creating and sustaining a culture of control;
- To facilitate the Independent Directors to perform their role effectively as members of the Board of Directors and also as members of Committees of the Board of Directors; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

Composition (including Date of Appointment, Educational Qualifications and Skills/ Expertise) of the Board of Directors as on March 31, 2026 –

Name of the Director	Date of Appoint-ment	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non-Independent Director	Educational Qualification	Expertise
		Managing Director and Chief Executive Officer			
Shri Rakesh Sharma	October 10, 2018	Executive	Non-Independent	B.Com, Post Graduate in Economics and CAIIB	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Small-Scale Industry, Risk, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance
		Deputy Managing Directors			
Shri Jayakumar S. Pillai	June 12, 2023	Executive	Non-Independent	B.F.Sc., MBA (Finance), Post Graduate Diploma in Foreign Trade (PGDFT), Diploma in Governance, Risk & Compliance (GRC) from ICA, London and CAIIB	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Finance, Small-Scale Industry, Human Resource, Risk, Business Management, Administration and Corporate Governance

Name of the Director	Date of Appoint-ment	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non-Independent Director	Educational Qualification	Expertise
Shri Sumit Phakka	July 15, 2024	Executive	Non-Independent	B.Com, MBA (Finance), CAIIB	Accountancy, Agriculture and Rural Economy, Banking, Finance, Small-Scale Industry, Business Management, Administration and Corporate Governance
			Nominee Directors		
Shri Manoj Sahay (GoI)	April 28, 2022	Non-Executive	Non-Independent	BE (Civil Engineering)	Accountancy & Finance, Administration and Corporate Governance
Shri Sat Pal Bhanoo (LIC)	February 10, 2025	Non-Executive	Non-Independent	B.A. (History) (Honors)	Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance
			Independent Directors		
Shri Samaresh Parida	May 19, 2018	Non-Executive	Independent	Chartered Accountant, Cost Accountant and MBA	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Finance, Information Technology, Business Management, Strategic Planning, Administration and Corporate Governance
Shri N. Jambunathan	May 19, 2018	Non-Executive	Independent	Post Graduate in Statistics, CAIIB and Diploma in Management	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small-Scale Industry, Information Technology, Payment & Settlement, Administration and Corporate Governance
Shri Deepak Singhal	February 28, 2019	Non-Executive	Independent	B.A., MBA, CAIIB and PGDRM	Agriculture & Rural Economy, Banking, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance
Shri Sanjay G. Kallapur	March 5, 2019	Non-Executive	Independent	B.Com, M.M.S, Ph.D. in Business Economics and FCMA	Accountancy, Economics, Finance, Risk, Administration and Corporate Governance
Smt. P. V. Bharathi	January 14, 2021	Non-Executive	Woman Independent	B.Sc., M.A. (Economics), B.Ed., CAIIB and Integrated Course in Banking & Finance (NIBM)	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small-Scale Industry, Risk, Economics, Administration and Corporate Governance
Shri Ajay Prakash Sawhney	August 28, 2023	Non-Executive	Independent	Graduate of Institute of Mechanical Engineers, London (Equivalent of B.E. Mechanical Engineering)	Human Resources, Information Technology, Payment & Settlement, Administration and Corporate Governance

The strength of 11 (eleven) Directors on the Board as on March 31, 2026 meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association of the Bank.

In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfill the conditions specified in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and are independent of the management.

ii. Relationship between Directors inter-se

(i) None of the Directors on the Bank's Board are related in any manner, directly or indirectly, to any other Director.

(ii) None of the Whole-Time Directors and Non-Executive Directors (including Independent Directors) of the Bank have attained the age of seventy years and seventy-five years, respectively, as prescribed by the RBI as the upper age limit for Directors on the Boards of private sector banks.

(iii) Following the sudden demise of Shri T. N. Manoharan, Part-time Chairman & Independent Director, on July 30, 2025, the meetings of the Board have been chaired by the Independent Directors on a rotational basis, in accordance with the directives of the Reserve Bank of India. Further, in terms of Article 116(1)(i) of the Articles of Association and the definition of *'relative'* under the Companies Act, 2013, none of the Independent Directors are related to the Managing Director & Chief Executive Officer of the Bank.

iii. Quorum for the Board Meetings

The quorum for the Board Meetings shall be one-third of the total strength or three (3) Directors, whichever is higher, subject to at least one Director being a nominee of the Life Insurance Corporation of India (LIC) and at least half of Directors attending the meeting being Independent Directors.

iv. Frequency of the Board Meetings

Meetings of the Board shall ordinarily be held at least six times in a year and at least once in every quarter and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive Board meetings.

v. Number of the Board Meetings held

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), 14 meetings of the Board of Directors were held on April 28, 2025; May 3, 2025; May 29, 2025; June 26, 2025; July 21, 2025; August 16, 2025; September 25, 2025; October 18, 2025; November 27, 2025; December 19, 2025; January 17, 2026; February 21, 2026; March 15, 2026 and March 25, 2026. All meetings were held at the Head Office of the Bank in Mumbai, except for the strategy meeting for FY 2025-26 held on May 3, 2025, in Mussoorie and the strategy meeting for FY 2026-27 which was held on March 15, 2026, in Jaipur. The strategy meetings were held in-person. Other Board Meetings were held in-person and through video conferencing as provided by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities & Exchange Board of India (SEBI) from time-to-time and the details regarding attendance at the Board meetings, attendance in the last Annual General Meeting (AGM), Directorships in other companies and memberships of committees in respect of each Director of the Bank, are given below in **Table 1**.

Table 1: Directors' Attendance at the Board Meetings and the last AGM, their Directorships and Committee Memberships

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on July 22, 2025	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
PART-TIME CHAIRMAN & INDEPENDENT DIRECTOR					
Shri T. N. Manoharan (DIN:01186248) *[upto 30.07.2025]*	(5/5)	Present	01	01	Independent Director: 1. Mahindra & Mahindra Ltd. 2. National Bank for Financing Infrastructure and Development

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on July 22, 2025	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
WHOLE-TIME DIRECTORS					
Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594)	(14/14)	Present	02	Nil	Nil
Shri Jayakumar S. Pillai (DIN: 10041362)	(14/14)	Present	01	Nil	Nil
Shri Sumit Phakka (DIN: 08259618)	(14/14)	Present	01	Nil	Nil
NON-EXECUTIVE DIRECTORS					
Shri Raj Kumar (DIN:06627311) [upto 18-05-2025]	(02/02)	Present	01	Nil	1. Choice International Ltd. - Independent Director
Shri Sat Pal Bhanoo (DIN: 10482731)	(14/13)	Present	01	Nil	1. Mahindra & Mahindra Ltd. - Nominee Director
Shri R. Doraiswamy (DIN: 10358884) *[w.e.f 19-05-2025 upto 24-09-2025]*	(04/03)	Present	02	01	1. Life Insurance Corporation of India - Managing Director
Shri Manoj Sahay (DIN:08711612)	(14/08)	Present	02	01	Nil
Shri Sushil Kumar Singh (DIN:09584577) *[upto 18-09-2025]*	(06/03)	Not Present	01	Nil	Nil
INDEPENDENT DIRECTORS					
Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN:06713850) *[upto 08-10-2025]*	(07/07)	Not Present	Nil	Nil	Nil

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on July 22, 2025	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
Shri Samaresh Parida (DIN:01853823)	(14/14)	Present	02	03	1. Shaily Engineering Plastics Ltd. - Director 2. Sudeep Pharma Ltd. – Independent Director
Shri N. Jambunathan (DIN:05126421)	(14/14)	Present	Nil	Nil	Nil
Shri Deepak Singhal (DIN:08375146)	(14/14)	Present	Nil	Nil	Nil
Shri Sanjay G. Kallapur (DIN:08377808)	(14/14)	Present	Nil	Nil	Nil
Smt. P. V. Bharathi (DIN:06519925)	(14/14)	Present	02	02	1. UTI Asset Management Company Limited – Independent Director
Shri Ajay Prakash Sawhney (DIN:03359323)	(14/14)	Present	03	Nil	Nil

- *The details of Directors who ceased to be on the Board have been mentioned based on the last available disclosure with the Bank.*
- *None of the Non-Executive Directors of the Bank hold shares or convertible instruments issued by the Bank.*

Committees of Board

The Board has constituted 13 Committees as on March 31, 2026, namely:

- Audit Committee of the Board
- Stakeholders' Relationship Committee
- Risk Management Committee
- Customer Service Committee
- Nomination & Remuneration Committee
- Recovery Review Committee
- Those Charged with Governance
- Executive Committee
- Special Committee of the Board for Monitoring & Follow-up of cases of Frauds
- CSR & ESG Committee
- Information Technology Strategy Committee
- HR Steering Committee
- Wilful Defaulters Review Committee- I

A. AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB)

i. Terms of Reference

- To review exposure to sensitive sectors, i.e., (a) Capital Market; and (b) Real Estate;
- Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML) Guidelines –
  - i. review of compliance status of KYC policy and procedure; and
  - ii. review of major initiatives and the Bank's preparedness in respect of AML and Central KYC.
- To review housekeeping - particularly balancing and reconciliation of long outstanding entries Suspense/ Sundries/ Drafts Payable or Paid/ Funds in Transit/ Clearing/ Subsidiary General Ledger (SGL)/ Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts and review of Nostro accounts;
- To review the Annual Audit Plan and status of achievement thereof;
- To review significant audit findings/ internal control weakness of the following audits along with the compliance thereof - (i) Long Form Audit Report (LFAR), (ii) Concurrent Audit, (iii) Internal Inspection, (iv) Information System Audit of Data Centre and other Departments, (v) Treasury & Derivatives, (vi) Management Audit at the controlling offices/ the Head Office, (vii) Audit of the service branches, (viii) the Currency Chests, (ix) Foreign Exchange Management Act (FEMA) Audit of the branches authorised to deal in foreign exchange, etc.;
- To review the compliance report on the directives issued by the ACB/ the Board/ the RBI;
- To review on the compliance of the regulatory requirements of the regulators in the host countries in respect of the overseas branches;
- To review financial results for the quarter including management discussion, analysis of financial condition, management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the Statutory Auditors and to oversee Bank's financial reporting process and the disclosure of its financial information;
- To review information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers;
- To report information in respect of equity shareholdings in borrower companies more than 30% of their paid-up capital;
- To review fraud cases involving an amount of ₹ 1 crore & above;
- To review transactions with related parties and prior approval to related party transactions and subsequent material modifications, if any, in related party transactions;
- To review (a) Risk-Based Internal Audit Policy, (b) Concurrent Audit Policy and (c) IS Audit Policy;
- To review accounting policies/ systems of the Bank with a view to ensuring greater transparency in its accounts and adequacy of accounting standards, to review any change during the year and their impact, and a confirmation that accounting policies are in compliance with accounting standards and the RBI guidelines;
- To review the adequacy of the internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit;
- To review the Bank's Internal Financial Controls;
- To review the Bank's Risk-Management Systems;
- To recommend appointment, remuneration and terms of appointment of Statutory Auditors, to review and to monitor the auditor's independence, performance, effectiveness of audit process both for domestic and overseas operations;

- To review annual accounts/ financial statements of the Bank and the Auditor's Report thereon before submission to the Board for approval with particular reference to items (a) to (g) as indicated in Point A(4) of Part C of Schedule II of the LODR regulations;
- To approve payment to Statutory Auditors for any other services rendered by the Statutory Auditors;
- To discuss with the Statutory Auditors before the audit commences about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- To review penalties imposed/ penal action taken against the Bank under various laws and statutes and action taken for corrective measures;
- To review report on revenue leakage detected by Internal/ External Auditors and status of recovery thereof - reasons for undercharges and steps taken to prevent revenue leakage;
- To review the statement of end-use of funds raised through offer documents and public issue funds (certified by the Statutory Auditors) as well as (i) quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency in terms of Regulations 32(1) and (ii) annual statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document in terms of Regulation 32(7) of the LODR Regulations;
- To scrutinise the inter-corporate loans and investments;
- To review the reasons for substantial defaults in payment to the depositors, the debenture holders, the shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and the creditors;
- To review financial statements including particular investments made by the Unlisted Subsidiaries;
- To review First Time Non-Performing Assets (FTNPAs);
- To review dishonour of cheques amounting to ₹ 1 crore & above;
- To conduct annual review of the Concurrent Audit System;
- To conduct annual review of Outsourced Vendors Audit;
- To review the functioning of Vigil Mechanism;
- To take note of change, if any, in the Chief Compliance Officer;
- To approve appointment of Chief Financial Officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;
- To review the appointment, removal and terms of remuneration of the Chief Internal Auditor/ Head-Internal Audit;
- To oversee valuation of undertakings or assets of the listed entity wherever it is necessary;
- To review RBI circulars having impact on the Bank's accounts;
- To review annually the compliance of the provisions of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- To review the utilisation of loans and/ or advances from/ investment by the Bank in the subsidiary exceeding ₹ 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower, including existing loans/ advances/ investments;
- To review Statement of Deviations;
- To consider and comment on the rationale, the cost-benefit and the impact of the schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., of the Bank and its shareholders;
- To review the staff accountability examination;
- To verify genuineness of title deeds and due diligence of loan/ security documents;

- To review the Secretarial Auditor's Report on Compliances made by the Bank during the financial year under the Companies Act, 2013, LODR Regulations, etc.;
- To comply with the observations made in inspection reports of the Central Depository Services Ltd. (CDSL), National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Concurrent Audit Reports;
- To review findings of Investigative Audits (IAs)/ Special Investigative Audits (SIAs);
- To discuss with the rating agencies;
- To discuss with the Head - Internal Audit and the Chief Compliance Officer (CCO) without the presence of the Management;
- To review Risk Rating Migration and the efficacy of Audit System; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the ACB

As on March 31, 2026, the ACB comprised members, of whom three members were Independent Directors, viz. Shri Samaresh Parida, Independent Director as Chairman, Shri Manoj Sahay, GOI Nominee Director, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director, and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the ACB Meetings

The quorum for the ACB meetings shall be three members of the ACB of which at least two-third shall be Independent Directors. The ACB meeting shall be chaired by an Independent Director who shall not chair any other Committee of the Board.

iv. Frequency of the ACB Meetings

The ACB shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive ACB meetings.

v. Meetings of the ACB

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), 14 meetings of the ACB were held on April 15, 2025; April 28, 2025; May 28, 2025; June 25, 2025; July 21, 2025; August 16, 2025; September 24, 2025; October 17, 2025; October 18, 2025; November 26, 2025; December 19, 2025; January 17, 2026; February 20, 2026 and March 24, 2026.

B. EXECUTIVE COMMITTEE (EC)

i. Terms of Reference

- To sanction high value credit proposals with single borrower exposure of more than ₹ 400 crore and group borrower exposure of more than ₹ 800 crore;
- To modify terms and conditions of sanctions made by the Executive Committee (EC);
- To take on record the minutes of the Credit Committees;
- To sanction proposals for Negotiated/ One-Time Settlements (OTS);
- To approve transfer of loans to ARCs;
- To sanction credit proposals in respect of loans to related parties exceeding materiality threshold of ₹ 10 crore within the ceilings prescribed by the RBI;
- To review sanctions of securitisation portfolios;
- To review status of security creation in respect of the EC approved cases;
- To approve proposals for conversion of dues and receivables into investment instrument(s);

- To conduct preliminary screening of wilful defaulter for the accounts with outstanding more than ₹ 5 crore; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the EC

As on March 31, 2026, the EC comprised six members of which three members were Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Shri N. Jambunathan, Independent Director, Shri Deepak Singhal, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the EC Meetings

The quorum for the EC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the EC, whichever is higher.

iv. Frequency of the EC Meetings

The EC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. Meetings of the EC

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), 19 meetings of the EC were held on April 28, 2025; May 17, 2025; June 03, 2025; June 25, 2025; July 19, 2025; August 08, 2025; September 04, 2025; September 24, 2025; October 17, 2025; November 03, 2025; November 25, 2025; December 15, 2025; December 26, 2025; January 16, 2026; February 10, 2026; February 21, 2026; March 05, 2026; March 17, 2026 and March 27, 2026.

C. STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE (SRC)

i. Terms of Reference

The Stakeholders' Relationship Committee (SRC) functions as per the terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 read with Part D of Schedule II of the LODR Regulations.

The broader roles and responsibilities of the SRC are as under:

- To resolve the grievances of the shareholders, the bondholders and other security holders, including complaints relating to transfer/ transmission of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings, etc.;
- To consider and review the equity servicing as well as the bonds servicing reports of the Bank in each of its meetings and give directions, wherever deemed necessary, towards achieving the mandate as given above, as follows:
  - Review the report on equity servicing;
  - Review the report on servicing of flexibonds;
  - Review the reporting of reconciliation of Share Capital Audit Report;
  - Review the measures taken for effective exercise of voting rights by the shareholders;
  - Review the adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar to an Issue and Share Transfer Agent;
  - Review various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ Annual Reports/ statutory notices by the shareholders of the Bank; and
  - To resolve grievances of debenture holders relating to creation of charge, payment of interest/ principal, maintenance of security cover and any other covenant.
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the SRC

As on March 31, 2026, the SRC comprised four members, of whom two were Independent Directors, viz. Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director as Chairman, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD and Shri N. Jambunathan, Independent Director, as members.

Smt. Jyothi Biju Nair, the Company Secretary of the Bank, also acts as the Compliance Officer under the LODR Regulations.

iii. Quorum for the SRC Meetings

The quorum for the SRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the SRC, whichever is higher.

iv. Frequency of the SRC Meetings

The SRC meetings shall be held at least once in a financial year.

v. Meetings of the SRC

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), four meetings of the SRC were held on May 29, 2025; September 04, 2025; November 27, 2025 and February 10, 2026.

vi. Number of Requests/ Complaints (Equity & Bonds)

Number of shareholder/ bondholder complaints received in FY 2025-26	11,422
Number of complaints not solved to the satisfaction of shareholders/ bondholders	Nil
Number of pending complaints	70

D. SPECIAL COMMITTEE OF THE BOARD FOR MONITORING AND FOLLOW-UP OF CASES OF FRAUDS (SCBMF)

i. Terms of Reference

The Special Committee of the Board for Monitoring and follow-up of cases of Frauds (SCBMF) has been constituted to oversee the effectiveness of the fraud risk management in the Bank. The Committee shall review and monitor cases of frauds, including root cause analysis and suggest mitigating measures for strengthening the internal controls, risk management framework and minimising the incidence of frauds.

The broader roles and responsibilities of the SCBMF are as under:

- To review and monitor frauds in the Bank covering the following:
  - (a) All Asset and Liability frauds;
  - (b) All Cyber & Digital Payment frauds; and
  - (c) Thefts, Burglary, Dacoity, Robbery.
- To review deactivated cases on fraud re-examination and reporting;
- To review and monitor Red Flagged Accounts (RFA) standing beyond 180 days from the date of RFA classification;
- To review status on filing of complaints with Legal Enforcement Agencies (LEAs), viz., Police/ CBI etc.;
- To review root cause analysis of frauds and compensatory controls;
- To review system corrections;
- To review and monitor status of closure of frauds;

- To review overall effectiveness of the fraud risk management in the Bank and suggest mitigating measures for strengthening internal controls, risk management framework;
- To review delay in detection/ classification of frauds;
- To review delay in examination/ conclusion of staff accountability; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the SCBMF

As on March 31, 2026, the SCBMF comprised five members, of whom two members were Independent Directors, viz. Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director as Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director as members.

iii. Quorum for the SCBMF Meetings

The quorum for the SCBMF meetings shall be one-third of the total strength or two members of the SCBMF, whichever is higher.

iv. Frequency of the SCBMF Meetings

The SCBMF meetings shall be held on a monthly basis.

v. Meetings of the SCBMF

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), 12 meetings of the SCBMF were held on April 28, 2025; May 28, 2025; June 25, 2025; July 21, 2025; August 16, 2025; September 24, 2025; October 18, 2025; November 26, 2025; December 19, 2025; January 17, 2026; February 20, 2026 and March 24, 2026.

E. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

i. Terms of Reference

The Risk Management Committee (RMC) has been constituted to assess various risks associated with the Bank's business, their mitigation, address the issues relating to asset liability mismatch and also monitor and review the Risk Management Plan.

The broader roles and responsibilities of the RMC are as under:

- To evaluate the overall risks faced by the Bank, including liquidity risk and the potential interaction of liquidity risk with other risks;
- To review projections of the cash flows and measure liquidity risk, assumptions used;
- To recommend policies including Credit Policy, Recovery Policy, Risk Management Policy, Asset Liability Policy, Operational Risk and Business Continuity Management (OR & BCM) Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Market Risk & Derivative Policy, Country Risk Management Policy & Country Risk Limits, Investment Policy, Disclosure Policy, Reputation Risk Assessment & Management Policy, Group Risk and Management Policy, etc. to the Board;
- To review the progress report on Operational Risk and Business Continuity Management;
- To review the market risk report of the trading portfolio;
- To review the results of stress test;
- To conduct liquidity and interest rate risk scenario analysis;
- To review the activities undertaken in the Risk Management Department, Model Validation - migration and default analysis of Internal Ratings;

- To review asset liability management;
- To review minutes of Credit Risk Management Committee, ALCO, Operational Risk Management Committee (ORMC), LRMC, Systems Product Approval & Review Committee (SPARC) I & II;
- To review policy on counterparty bank limits and allocation of limits for domestic and international banks;
- To review compliance of norms on credit exposure;
- To work in co-ordination with the Nomination & Remuneration Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks;
- To formulate a detailed risk management policy which shall include:
  - A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the listed entity, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG-related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.
  - Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks; and
  - Business Continuity Plan.
- To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of the Bank;
- To monitor and oversee implementation of the Risk Management Policy, including evaluating the adequacy of risk management systems;
- To periodically review the Risk Management Policy, at least once in two years, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity;
- To oversee the effectiveness of the framework for early warning signal and RFA;
- To approve the EWS indicators identified for monitoring credit facilities/ loan accounts and other banking transactions;
- To review the status of RFA including the EWS alerts/ trigger, remedial actions initiated by the Bank, etc.;
- To keep the Board of Directors informed about the nature and content of its discussions, recommendations and actions to be taken;
- To review the appointment, removal and terms of remuneration, if any, of the Chief Risk Officer;
- To conduct peer bank review;
- To conduct Mid-Term Review of ICAAP;
- To review Quarterly Report of the counterparty Bank Exposure Limits and Country Risk Exposure Limits;
- To analyse divergence between internal and external ratings;
- To review the risk management plan with respect to cyber security and monitor the implementation of the measures to mitigate any risk arising therefrom;
- To hold discussion with the Chief Risk Officer without the presence of the Management; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the RMC

As on March 31, 2026, the RMC comprised seven members of whom four members were Independent Directors, viz. Smt. P. V. Bharathi, Independent Director as Chairperson, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Shri Samaresh Parida, Independent Director, Shri Deepak Singhal, Independent Director and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the RMC Meetings

At least half of the members attending the RMC meeting shall be Independent Directors of which at least one member shall have professional expertise/ qualification in risk management. The RMC shall be chaired by an Independent Director who shall not chair the Board or any other Committee.

iv. Frequency of the RMC Meetings

The RMC meetings shall be held on quarterly basis.

v. Meetings of the RMC

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), four meetings of the RMC were held on June 12, 2025; September 11, 2025; December 06, 2025 and March 10, 2026.

F. CSR & ESG COMMITTEE

i. Terms of Reference

- To formulate and recommend Corporate Social Responsibility (CSR) Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the in areas or subject specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013 to the Board;
- To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in the above clause;
- To review the utilisation of CSR Budget;
- To monitor the CSR Policy of the Bank from time-to-time;
- To review the status of the ongoing CSR projects;
- To oversee all activities of the Bank relating to ESG and review and recommend the ESG Policy to the Board;
- To recommend the Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) to the Board; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the CSR & ESG Committee

As on March 31, 2026, the CSR & ESG Committee comprised five members of whom two are Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the CSR & ESG Committee Meetings

The quorum for the CSR & ESG Committee meetings shall be one-third of the total strength or two members, whichever is higher.

iv. Frequency of the CSR & ESG Committee Meetings

The CSR & ESG Committee meetings shall be held on half-yearly basis.

v. Meetings of the CSR & ESG Committee

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), three meetings of the CSRC were held on May 28, 2025; November 26, 2025 and March 10, 2026.

G. CUSTOMER SERVICE COMMITTEE (CSC)

i. Terms of Reference

The Customer Service Committee (CSC) has been constituted to enable the Bank to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the governance structure for customer protection and service in the Bank and also to bring about on-going improvements in the quality of customer service provided by the Bank.

The broader roles and responsibilities of the CSC are as under:

- To look into the customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment;
- To formulate a Comprehensive Deposit Policy;
- To address issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his/ her account;
- To examine conduct of annual survey of depositor satisfaction;
- To conduct triennial audit of customer services;
- To play a more proactive role with regard to the complaints/ grievances resolved by the Internal Ombudsman of various states in India;
- To take note of all the awards given by the Internal Ombudsman;
- To review all the awards remaining unimplemented for more than three months with the reasons thereof;
- To review the measures taken for customer protection and service in the Bank;
- To review the Grievance Redressal Policy;
- To examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered;
- To determine the number of Internal Ombudsman/ Deputy Internal Ombudsman to be appointed in the Bank having due regard to the volume and complexity of complaints received;
- To review the activities of Internal Ombudsman;
- To determine the structure of emoluments, facilities and benefits accorded to the Internal Ombudsman/ Deputy Internal Ombudsman;
- To oversee the functions of Internal Ombudsman;
- To review the cases where the decision of the Internal Ombudsman/ Deputy Internal Ombudsman has been overruled by the competent authority; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the CSC

As on March 31, 2026, the CSC comprised five members of whom two were Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director, as members. Shri Shreekanta Mohapatra, Internal Ombudsman, is a permanent invitee.

iii. Quorum for the CSC Meetings

The quorum for the CSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the CSC, whichever is higher.

iv. Frequency of the CSC Meetings

The CSC meetings shall be held on quarterly basis.

v. Meetings of the CSC

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), four meetings of CSC were held on May 28, 2025; August 08, 2025; November 26, 2025 and February 20, 2026.

H. INFORMATION TECHNLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC)

i. Terms of Reference

The Information Technology Strategy Committee (ITSC) has been constituted to put in place an effective technology platform in the Bank. The objectives are to render various IT-enabled services to customers, to help in streamlining the approach, to assist in launching new IT products and to provide related services and to monitor the implementation of Cyber Security Management Plans & Cyber Security Policies. The roles and responsibilities of the Committee are in line with the RBI guidelines on information security, electronic banking, technology risk management and cyber frauds and include the following:

- To ensure that the Bank has put an effective IT strategic planning process in place;
- To guide in preparation of IT strategy and ensure that the IT strategy aligns with the overall strategy of the Bank towards accomplishment of its business objectives;
- To satisfy itself that the IT Governance and Information Security Governance structure fosters accountability, is effective and efficient, has adequate skilled resources, well-defined objectives and unambiguous responsibilities for each level in the organisation;
- To ensure that the Bank has put in place processes for assessing and managing IT and cyber security risks;
- To ensure that the budgetary allocations for the IT function (including for IT security), cyber security are commensurate with the Bank's IT maturity, digital depth, threat environment and industry standards and are utilised in a manner intended for meeting the stated objectives; and
- To review, at least on annual basis, the adequacy and effectiveness of the Business Continuity Planning and Disaster Recovery Management of the Bank.

The broader roles and responsibilities of the ITSC are as under:

- To recommend proposed IT budget to the Board;
- To review IT budget utilisation;
- To review development, procurement and operations of various software/ hardware either in-house or purchased from outside and to formulate procedures for inviting tenders or other process for selection of technology;
- To oversee the execution, implementation and operations of systems and procedures;
- To oversee integration of branches through technology and development of MIS for the Bank;
- To review update of technology architecture and major IT initiatives undertaken;
- To review information/ cyber security incidents;
- To review Information Security Policy;
- To review IT Policy;
- To review cyber security risks/ arrangements/ preparedness of the Bank;
- To monitor the implementation of Cyber Security Management Plans;
- To monitor Cyber Security Policies;
- To review the activities of the Information Security Committee; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the ITSC

As on March 31, 2026, the ITSC comprised five members, of whom two members are Independent Directors, viz. Shri N. Jambunathan, Independent Director as Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the ITSC Meetings

The quorum for the ITSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the ITSC, whichever is higher.

iv. Frequency of the ITSC Meetings

The ITSC meetings shall be held on quarterly basis.

v. Meetings of the ITSC

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), four meetings of the ITSC were held on June 03, 2025; September 11, 2025; December 06, 2025 and March 05, 2026.

I. NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

i. Terms of Reference

The broader roles and responsibilities of the Nomination & Remuneration Committee (NRC) are as under:

- To formulate the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a Director and recommend to the Board of Directors a policy relating to the remuneration of the Directors, Key Managerial Personnel and other employees;
- To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual Directors to be carried out either by the Board by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;
- To evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board for every appointment of an Independent Director and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an Independent Director. The person recommended to the Board for appointment as an Independent Director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the NRC may:
  - Use the services of external agencies, if required;
  - Consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
  - Consider the time commitments of the candidates.
- To formulate criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- To devise a policy on diversity of the Board of Directors;
- To identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in the senior management in accordance with the criteria laid down and recommend to the Board of Directors their appointment and removal;
- To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment/ continuing to hold appointment as a Director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, *'fit and proper'* criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors, including Independent Directors and formulate the criteria relating thereto;
- To oversee the framing, review and implementation of Compensation Policy of the Bank;
- To recommend to the Board, all remuneration, in whatever form, payable to the senior management;

- To work in co-ordination with the Risk Management Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks;
- To ensure that the Cost to Income ratio of the Bank supports the compensation package consistent with maintenance of sound capital adequacy ratio; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the NRC

As on March 31, 2026, the NRC comprised four members, all of whom are Non-Executive Directors including three Independent Directors, viz. Shri Deepak Singhal, Independent Director as Chairman, Shri Manoj Sahay, Government Nominee Director, Shri N. Jambunathan, Independent Director, and Smt. P.V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the NRC Meetings

The quorum for the NRC meetings shall be three members of which at least half the members attending the NRC meetings shall be Independent Directors and one shall be a member of the RMC. The Chairperson of the NRC shall be an Independent Director who shall not chair the Board.

iv. Frequency of the NRC Meetings

The NRC shall meet at least once in a financial year.

v. Meetings of the NRC

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), six meetings of NRC were held on May 29, 2025; June 26, 2025; August 16, 2025; September 25, 2025; December 06, 2025 and February 21, 2026.

vi. Performance Evaluation criteria for Independent Directors

For Annual Evaluation criteria, please refer Performance Evaluation Section in Corporate Governance Report under the para "Statement Indicating the Manner of Formal Annual Evaluation of Board, its Committees and Individual Directors".

J. HR STEERING COMMITTEE (HRSC)

i. Terms of Reference

The HR Steering Committee (HRSC) has been constituted to deal with the matters relating to human resources and to discuss critical issues in HR.

The broader roles and responsibilities of the HRSC are as under:

- To make policies pertaining to recruitment and training;
- To review the performance management, compensation and career development initiatives;
- To consider management planning, development and succession planning;
- To align the HR strategy to the business strategy and plan;
- To consider and approve various other HR matters, including appointment of personnel, manpower assessment, promotions etc.; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the HRSC

As on March 31, 2026, the HRSC comprised five members, of whom one member is Independent Director, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD; Shri Manoj Sahay, Government Nominee Director and Shri Deepak Singhal, Independent Director as members.

iii. Quorum for the HRSC Meetings

The quorum for the HRSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the HRSC, whichever is higher.

iv. Frequency of the HRSC Meetings

The HRSC shall meet as per the need.

v. Meetings of the HRSC

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), four meetings of the HRSC were held on May 28, 2025; September 24, 2025; December 19, 2025 and March 24, 2026.

K. RECOVERY REVIEW COMMITTEE (RRC)

i. Terms of Reference

According to the Government of India directives/ the Board's recommendation, the Recovery Review Committee (RRC) has been constituted for reviewing recovery from Non-Performing Assets (NPAs), Stressed Accounts, Written-off cases, Official Liquidator (OL) cases, Debt Recovery Tribunal (DRT) cases, etc. and to monitor the progress of recovery and so on.

The broader roles and responsibilities of the RRC are as under:

- To review First Time NPAs (FTNPAs) and NPAs;
- To review top 100 NPAs & Technically Written-off (TWO) accounts;
- To review suit filed cases;
- To review action under SARFAESI Act-Status Report;
- To review cases referred under Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), 2016;
- To review amount lying with Official Liquidator (OL);
- To review Special Mention Accounts (SMA);
- To review recovery through settlements;
- To review overview of transfer of stressed loan exposures;
- To review the annual performance review of external agencies conducted by the Bank; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the RRC

As on March 31, 2026, the RRC comprised five members, of whom two members are Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sumit Phakka, DMD, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Shri N. Jambunathan, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the RRC Meetings

The quorum for the RRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the RRC, whichever is higher.

iv. Frequency of the RRC Meetings

The RRC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. Meetings of the RRC

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), four meetings of the RRC were held on June 26, 2025; September 25, 2025; December 06, 2025 and March 10, 2026.

L. WILFUL DEFAULTERS REVIEW COMMITTEE-I (WDRC-I)

i. Terms of Reference

The broader roles and responsibilities of the Wilful Defaulters Review Committee-I (WDRC-I) are:

- To conduct personal hearing in the cases proposed by the Wilful Defaulters Identification Committee - I (WDIC- I);
- To take a view and approve the declaration of wilful default or otherwise of the persons/ entities based on the proposal of WDIC-I and /or personal hearing;
- To take a view and approve withdrawal of names already declared as Wilful Defaulters in the cases as recommended by the WDIC-I;
- To examine and approve the proposal of discontinuation of wilful default proceedings from WDRC-I, which were earlier referred by the WDIC-I and before declaring any person/ entity as Wilful Defaulter;
- To report the proceedings of Wilful Defaulters Review Committee-II (WDRC-II) for information; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the WDRC-I

The WDRC-I was constituted consisting of MD & CEO and two Independent Directors. As on March 31, 2026, the WDRC-I comprised Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Samaresh Parida and Smt. P.V. Bharathi, Independent Directors, as members.

iii. Quorum for the WDRC-I Meetings

The presence of all members shall form the quorum for the WDRC-I meetings.

iv. Frequency of the WDRC-I Meetings

The WDRC-I is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as *'Wilful Defaulter'* is taken by WDIC-I of the Bank.

v. Meetings of the WDRC-I

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), two meetings of the WDRC-I were held on October 17, 2025 and March 10, 2026.

Details of attendance of Directors for the Committee Meetings of the Bank for the FY 2025-26 are given at Table 2.

❖ ***THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE (TCWG)***

The National Financial Reporting Authority (NFRA) has issued a Circular on January 7, 2026 emphasising the need to strengthen communication between Statutory Auditors (Auditors) and Those Charged with Governance (TCWG). As per the requirement of the said NFRA circular and Standard on Auditing (SA) 260 (revised), the Auditors have determined the Audit Committee of the Board (ACB) together with MD & CEO and DMDs of the Bank as TCWG for the purpose of their communications. As mandated by the said circular, the Bank's Board has documented the framework for effective two-way communication between the Auditors and TCWG.

i. ***Terms of Reference***:

The TCWG shall act as the primary forum for detailed interaction with the Auditors, without prejudice to matters that require communication to, or decision by/ with the full Board/ the ACB. The TCWG may communicate with the Auditors, on matters including but not limited to:

- Any significant governance changes;
- Recent regulatory observations or findings;
- Changes in strategic direction, concerns about management integrity or competence;
- Areas where the TCWG would like the Auditors to devote additional focus;
- Its views on the audit findings or proposed adjustments;
- Plan on corrective actions to be taken on such audit findings, including reservations, if any;
- The status of remedial actions on any previously communicated control deficiencies/ observations;
- Any matters that may affect audit scope;
- Anticipated significant transactions or complex accounting treatments;
- Proposed changes in accounting policies; and
- Regulatory discussions; governance changes.

ii. Quorum for TCWG Meetings

The quorum for the TCWG meetings shall be one-third of the total strength or two members of the TCWG, whichever is higher.

iii. Frequency of TCWG Meetings

The Auditors and TCWG shall interact either in-person or virtually at various stages of the audit engagement cycle. However, minimum two meetings, one at audit planning stage and another before approval of the Annual Financial Results/ Statements shall be held either in-person or virtually during the audit engagement cycle.

iv. Meetings of the TCWG

The first meeting of the TCWG was held on April 23, 2026 in Mumbai.

M. INDEPENDENT DIRECTORS' MEETING (IDM)

i. Terms of Reference

The Independent Directors' shall comply with the provisions of Companies Act, 2013 read with Schedule IV of the Companies Act, 2013, Regulation 25 of the LODR Regulations and Secretarial Standards-1 on Meetings of the Board of Directors issued by the Institute of Company Secretaries of India.

The broader roles and responsibilities of the Independent Directors' Meeting are:

- To review the performance of Non-Independent Directors and the Board as a whole;
- To review the performance of the Chairperson of the Bank, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors;
- To assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank's management and the Board which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the IDM

As on March 31, 2026, there were six Independent Directors on the Board of the Bank, viz. Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay G. Kallapur, Smt. P. V. Bharathi and Shri Ajay Prakash Sawhney. The Independent Directors elect one of themselves as the Chairperson at every meeting.

iii. Quorum for the IDM

As per Schedule IV of the Companies Act, 2013, all Independent Directors shall strive to be present at the Independent Directors' meetings.

iv. Frequency of the IDM

Independent Directors' Meetings should be held at least once in a financial year.

v. Meetings of Independent Directors

During the period under review (April 1, 2025 to March 31, 2026), four meetings of Independent Directors were held on June 26, 2025; September 25, 2025, December 19, 2025 and March 25, 2026.

Table 2: Attendance of Directors at Committee Meetings for the FY 2025-26

SN	Names of Directors	ACB		EC		SRC		SCBMF		RMC		CSR & ESG		CSC		ITSCB		NRC		HRSC		RRC		WDRC-I	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
1.	Shri T.N. Manoharan (DIN:01186248) *[upto 30-07-2025]*	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0
2.	Shri Rakesh Sharma (DIN:06846594)	0	0	19	19	0	0	12	12	4	4	3	3	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	2	2
3.	Shri Jayakumar S. Pillai (DIN:10041362)	0	0	19	19	4	4	12	12	4	4	3	3	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0
4.	Shri Sumit Phakka (DIN:08259618)	0	0	19	19	4	4	12	12	4	4	3	3	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0
5.	Shri Raj Kumar (DIN:06627311) *[upto 18-05-2025]*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
6.	Shri Sat Pal Bhanoo (DIN: 10482731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Shri R. Doraiswamy (DIN: 10358884) *[w.e.f. 19-05-2025 upto 24-09-2025]*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Shri Manoj Sahay (DIN:08711612)	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	3	1	0	0	0	0
9.	Shri Sushil Kumar Singh (DIN:09584577) *[upto 18-09-2025]*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0
10.	Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN:06713850) *[upto 08-10-2025]*	0	0	8	8	0	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
11.	Shri Samaresh Parida (DIN:01853823)	14	14	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	2

SN	Names of Directors	ACB		EC		SRC		SCBMF		RMC		CSR & ESG		CSC		ITSCB		NRC		HRSC		RRC		WDRC-I	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
12.	Shri N. Jambunathan (DIN:05126421)	0	0	19	19	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	6	0	0	2	2	0	0
13.	Shri Deepak Singhal (DIN:08375146)	0	0	19	19	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	6	6	4	4	0	0	0	0
14.	Shri Sanjay G. Kallapur (DIN:08377808)	14	14	0	0	4	4	12	12	4	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Smt. P. V. Bharathi (DIN:06519925)	7	7	11	11	0	0	0	0	4	4	3	3	0	0	0	0	6	6	0	0	2	2	2	2
16.	Shri Ajay Prakash Sawhney (DIN: 03359323)	14	14	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0

(H= Held/ A = Attended)

MATRIX SETTING OUT SKILLS/ EXPERTISE/ COMPETENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AS ON MARCH 31, 2026 AND NAMES OF THE DIRECTORS WHO POSSESS SUCH SKILL ARE MENTIONED IN THE TABLE BELOW:

	Accountancy	Agriculture and Rural Economy	Banking	Co-operation	Economics	Finance	Law	Small-scale industry	HR	Risk	IT	Payment and Settlement	Business Management	Administration	Corporate governance
Shri Rakesh Sharma	√	√	√		√			√	√	√			√	√	√
Shri Jayakumar S. Pillai	√	√	√		√	√		√	√	√			√	√	√
Shri Sumit Phakka	√	√	√			√		√					√	√	√
Shri Sat Pal Bhanoo									√				√	√	√
Shri Manoj Sahay	√					√								√	√
Shri Samaresh Parida	√	√				√				√	√		√	√	√
Shri N. Jambunathan		√	√					√			√	√		√	√
Shri Deepak Singhal		√	√						√	√			√	√	√
Shri Sanjay G. Kallapur	√				√	√				√			√	√	√
Smt. P. V. Bharathi		√	√		√			√		√				√	√
Shri Ajay Prakash Sawhney									√		√	√		√	√

ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 134(3)(a) and Section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Annual Return of the Bank is disclosed on its website (https://www.idbi.bank.in/Annual-Return.aspx)

STATEMENT ON DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTORS

In terms of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay G. Kallapur, Smt. P. V. Bharathi and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Directors of the Bank have given declaration on April 01, 2026, that they meet the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies

Act, 2013, Regulations 16(1)(b) & 17(10) of the LODR Regulations, Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Master Direction on Reserve Bank of India (Commercial Banks – Governance) Directions, 2025 dated November 28, 2025 and that they are not aware of any circumstance or situation, which exist or may be reasonably anticipated that could impair or impact their ability to discharge their duties with an objective independent judgment and without any external influence. The Directors, along with the annual disclosures, also provided a confirmation stating that they have complied with the provisions of Sub-Rule 1 and 2 of Rule 6 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2019 regarding registration and renewal in the Independent Directors Databank and passed/ exempted from the online proficiency test thereof. The same was noted by the Board of Directors on April 30, 2026 and after undertaking due assessment of the veracity of the same, the Board was of the opinion that the Independent Directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the Management. Further, in the opinion of the Board, the Independent Directors possess the requisite integrity, experience, expertise and proficiency required under applicable laws.

DIRECTORS' APPOINTMENT, EVALUATION & SUCCESSION POLICY AND COMPENSATION POLICY

Directors' Appointment, Evaluation and Succession Policy as well as the Compensation Policy of the Bank is available on its website (www.idbi.bank.in) under the link https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx

COMPANY'S DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

The Bank's Policy on Dividend Distribution is available on its website (www.idbi.bank.in) under the link https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx

COMPLIANCE WITH SECRETARIAL STANDARDS

The Bank has adopted the Secretarial Standards, namely SS-1 (Secretarial Standard on Board Meetings) and SS-2 (Secretarial Standards on General Meetings), issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and notified under the Companies Act, 2013. The Bank has conducted its Board Commitee and General Meetings in accordance with these standards and is in compliance with the same.

INTERNAL AUDITOR

The Bank has an in-house Internal Audit Department which carries out the internal audit functions. Shri Badri Srinivasa Rao, Executive Director, IDBI Bank Ltd., was designated as Head-Internal Audit in terms of Section 138 of the Companies Act, 2013. In line with the RBI's guidelines on Risk-Based Internal Audit (RBIA), the Bank has also adopted a robust Internal Audit Policy.

DISCLOSURE ON CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS INITIATED UNDER THE INSOLVENCY & BANKRUPTCY CODE, 2016 (IBC)

These provisions are not applicable for banking companies.

BOARD'S COMMENTS ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE BY THE AUDITORS OR SECRETARIAL AUDITORS IN THEIR REPORT

There are no qualifications, reservation or adverse remarks or disclaimers either in the Statutory Auditors' Report or in the Secretarial Auditors' Report which require the Board's comments thereon in terms of Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013.

Further, pursuant to Section 143(12) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of the Bank have not reported any instances of frauds other than those which are reportable to the Central Government.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

The provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of business. The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the financial statements as per the applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES IN THE PRESCRIBED FORM

In terms of Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars of contracts or arrangements, if any, with Related Parties are in the prescribed Form AOC -2 which is annexed to the report as **Annexure-A.**

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY

The CSR Policy framework of the Bank is available on its website (www.idbi.bank.in) under the link https://www.idbi.bank.in/pdf/CSR-Policy.pdf The Annual Report on the CSR activities undertaken by the Bank is annexed to the Report as **Annexure-B**.

RISK MANAGEMENT POLICY

The Bank follows a detailed and comprehensive risk management system which is constantly updated based on the RBI's regulatory guidelines issued in this regard from time-to-time. A dedicated Risk Management Committee of the Board regularly reviews comprehensively the risk matters and risk-related aspects of the Bank. The Board of Directors of the Bank also periodically review the risk assessment and minimisation procedures followed in the Bank as well as the capital requirements of the Bank.

STATEMENT INDICATING THE MANNER OF FORMAL ANNUAL EVALUATION OF BOARD, ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the details on the captioned matter are furnished herein below:

A. Approach:

The Bank considers Board evaluation to be a key exercise in fostering continuous improvement and augmenting overall Board effectiveness. An effective assessment process contributes to strong board oversight and corporate governance, which in turn helps deliver greater value to the Bank and all its stakeholders. The NRC acts as the nodal agency for the exercise.

B. Bank's Board Evaluation process:

Towards effective evaluation of the performance of the Board, Committees and individual Directors, NRC appointed a specialist service provider to partner and facilitate IDBI Bank's annual Board Evaluation exercise for the year under review. The NRC was involved in finalising the evaluation framework, which the Principal Board Evaluation Partner (PBEP) proposed based on contemporary best practices and the Bank's needs.

The evaluation process was automated and implemented using structured questionnaires to assess the functioning of the Board as a whole, each Board Committee, and individual Directors. It was administered via PBEP's online platform, ensuring the confidentiality and anonymity of candid voices and reflections from Directors, thereby enhancing psychological safety for an objective assessment. In addition to the structured statements containing the Likert and other special questions, the different segments captured the open-text responses as well as opportunities for the directors to register their views with the PBEP.

All Board members participated in evaluating the Board's performance and that of each Director. No Director was involved in his/ her own evaluation. The Executive Directors were evaluated by the Independent Directors (IDs) and Non-Executive Directors (NEDs). All Committees were evaluated by their respective members.

C. Evaluation Framework and Criteria

The evaluation process, using a structured framework, *inter alia,* covered the following aspects of Board performance:

- Oversight and strategic direction by the Board covering Strategy, Risk, and Operational Oversight. In addition, the oversight of Executive Performance, Succession Planning and Continuous Improvement opportunities, including the Annual Evaluation Process.

- Structure and composition of the Board and Committees, including the competencies and clarity of the roles played by individuals and Committees.
- Board Cadence that included planning of Board and Committee meetings, Flow of Information to the Board and Committees, and Record Keeping.
- Norms and processes followed by the Board members to ascertain the level of director involvement, professional commitment, and enabling boardroom culture, including candor and effective use of directors' knowledge and skills.
- Board's relationships with external stakeholders, internal stakeholders in the Bank, and among Directors.
- Board Leadership that included Board, Committees and Executive Leaderships for the Bank.

D. Review of Board Evaluation Findings

The responses from individual members and their voices were analysed by the PBEP. It was converted into quantitative analysis and anonymised qualitative perspectives, leading to insights and actionable areas for further strengthening the Board's performance.

Clear and well-structured findings were circulated to all Board members for further deliberations. While the overall Board report was shared with all the Directors, the 12 Committee scorecards and individual evaluations were shared with respective members.

The results of the evaluation were first presented by the PBEP for discussion in a meeting of Independent Directors. This was followed by a more focused presentation and discussion during the Board Meeting held on March 25, 2026. Based on deliberations at these meetings, an action plan was drawn up, and the PBEP submitted a final summary report for record and regulatory review.

E. Outcome of the Evaluation Process and Action Plan

The Board acknowledged the efficacy of the process adopted for Board evaluation and noted the insights emerging from the exercise. Board expressed satisfaction with the performance and effectiveness of the Board, its Committees, and individual Directors over the year.

Arising out of this year's Annual Board Evaluation, the Board has identified the following focus areas for action:

- Take steps to further diversify board capabilities and bandwidth by filling Board vacancies, including the appointment of the Chairperson;
- Prioritise time for or allocate additional time to focus on areas requiring a strategic thrust;
- Strengthen the structured mechanisms to engage better with the key stakeholders, particularly controlling shareholders and the RBI;
- Take steps to institutionalise a structured succession planning framework for both Board-level and Executive roles.
- Take proactive steps to monitor the executive capability development;
- Further strengthen and refine the Board evaluation framework and process to work towards building dynamic capabilities for the Board.

CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY

During the period under review, the Bank continued to carry on the business of banking and there was no change in the nature of its business.

CHANGE IN DIRECTORS/ KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Name of Director	Designation	Nature of Change	Date
Shri T. N. Manoharan	Part-Time Chairman	Re-appointment	09-05-2025
Shri Raj Kumar	LIC Nominee Director	Cessation	18-05-2025
Shri R. Doraiswamy	LIC Nominee Director	Appointment	19-05-2025
Shri T. N. Manoharan	Independent Director & Part-Time Chairman	Cessation	30-07-2025
Shri Sushil Kumar Singh	GOI Nominee Director	Cessation	18-09-2025
Shri R. Doraiswamy	LIC Nominee Director	Cessation	24-09-2025
Shri B. B. Joshi	Independent Director	Cessation	08-10-2025

PARTICULARS OF SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

Senior management shall comprise personnel one level below the Chief Executive Officer or Managing Director or Whole Time Director and shall specifically include the functional heads and the Company Secretary and the Chief Financial Officer. The Senior Management Personnel of the Bank as on March 31, 2026 are:

1	Shri Nagaraj Garla	Executive Director – Priority Sector Group (PSG) (Agriculture & MSE), Financial Inclusion, Credit Processing Centre
2	Shri Shalil Mukund Awale	Executive Director & Chief Compliance Officer
3	Shri Sunit Sarkar	Executive Director – Credit Monitoring Group [(CMG (Retail PSG & Corporate)], Retail Recovery & Collections
4	Shri Iswar Padhan	Executive Director & Head – Treasury Front Office
5	Shri Trilok Sharma	Executive Director – Retail Liabilities, Third Party Distribution (TPD), Credit Card & Branch Banking
6	Dr. Kumar Neel Lohit	Executive Director – Retail Assets
7	Shri Badri Srinivasa Rao	Executive Director – Audit & Internal Auditor
8	Shri Anirudha Behera	Executive Director & Chief Risk Officer
9	Shri Ugen Tashi	Executive Director – Human Resource (HR), Learning & Employee Engagement Department (L & ED)
10	Shri Ajay Ramesh Lande	Executive Director & Head – Information Technology (IT) & Digital Banking Department (DBD)
11	Smt. Smita Harish Kuber	Executive Director & Chief Financial Officer
12	Shri Sanjay Panicker	Executive Director – Large Corporate Group (LCG), International Banking Unit (IBU) – Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) & Support Services – Corporate Banking
13	Shri Joseph Kumar A.	Executive Director – NPA Management Group & Legal
14	Shri Biju George K.	Executive Director – Mid-Corporate Group (MCG) & Transaction Banking Group.
15	Shri S. Shanmugasundaram	Executive Director – Corporate Strategy & Planning Department (CSPD), Budget & Planning, Administration & Infrastructure Management Department (IMD)

16	Shri Dinesh Singh Rawat	Executive Director – Centralised Operations, Cash Management Services (CMS) & Government Business Group (GBG) Operations, Currency Chest, Branch Operations Support & Policy Department (BOSPD)
17	Smt. Jyothi Biju Nair	Company Secretary

CHANGE IN SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

Name	Designation	Nature of Change	Date
Shri Biju George K.	Executive Director- MCG & Transaction Banking Group	Appointment	01-04-2025
Shri S. Shanmugasundaram	Executive Director- CSPD, Budget & Planning, Administration & IMD	Appointment	01-04-2025
Shri Dinesh Singh Rawat	Executive Director	Appointment	01-04-2025
Shri Murali Sourirajan	Executive Director – Legal	Cessation	31-05-2025
Smt. Baljinder Kaur Mandal	Executive Director – Centralised Operations, CMS & GBG Operations, Currency Chest, BOSPD	Cessation	30-09-2025
Shri Murukesh Kumar E.P.	Executive Director- Transaction Banking Group, CRBAG & PAC	Appointment	01-04-2026
Shri Ranjan Kumar Rath	Executive Director (In-Situ)- Retail Liabilities, Third Party Distribution (TPD), Credit Card & Branch Banking	Appointment	01-04-2026
Shri Manjunath Pai	Executive Director	Appointment	01-04-2026

REMUNERATION OF DIRECTORS

IDBI Bank, being a Private Sector Bank with effect from January 21, 2019, the remuneration and perquisites of the MD & CEO and DMDs is approved by the RBI as per Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949. The details of remuneration as approved by the RBI in case of MD & CEO and DMDs is given in the table below. There have been no pecuniary relationships/ transactions of Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the period under review.

Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs for FY 2025-26 (Annual Fixed Pay)

Particulars	Shri Rakesh Sharma (MD & CEO)	Shri Jayakumar S. Pillai (DMD)	Shri Sumit Phakka (DMD)
			[Amount in ₹]
Salary	1,89,60,000	1,03,50,000	97,37,400
Provident Fund	18,96,000	10,35,000	9,73,740
Gratuity	7,90,000	4,31,250	4,05,725
Leave Fare Concession / Allowance	5,00,000	4,00,000	4,00,000
Entertainment Expenses	3,84,161	2,93,111	2,92,496
Perquisites[@]	25,69,839	12,90,639	12,90,639

@ - Perquisite value includes provision of free furnished house and its maintenance/ House Rent Allowance & other perquisites;

- *The Variable Pay (cash and cash-in-lieu of ESOPs) of the WTDs for FY 2025-26 will be on the basis of their performance assessment for the period.*
- *No ESOPs were granted in the FY 2025-26.*

Tenure	**Shri Rakesh Sharma** – Shri Rakesh Sharma was appointed as MD & CEO of the Bank for a period of three years with effect from March 19, 2019 and subsequently reappointed as MD & CEO for a period of three years with effect from March 19, 2022. Shri Rakesh Sharma was further re-appointed for a period of three years w.e.f. March 19, 2025 as per RBI approval dated January 22, 2025. The shareholder's approval was obtained by postal ballot on May 08, 2025. **Shri Jayakumar S. Pillai** - Shri Jayakumar S. Pillai was appointed as DMD by the Board on May 22, 2023 for a period of three years with effect from the date of taking over the charge of the post as per RBI letter dated May 19, 2023. Shri Jayakumar S. Pillai took charge on June 12, 2023. The shareholder's approval was obtained at 19th AGM held on July 13, 2023. Shri Jayakumar S. Pillai has been re-appointed as DMD of the Bank for a period of one year w.e.f. June 12, 2026 as per RBI approval dated May 19, 2026 subject to shareholders approval at the ensuing AGM. **Shri Sumit Phakka** - Shri Sumit Phakka was appointed as DMD by the Board on June 01, 2024 for a period of three years with effect from the date of taking over the charge of the post as per RBI letter dated May 31, 2024. Shri Phakka took charge on July 15, 2024. The shareholder's approval was obtained at 20th AGM held on July 23, 2024.

Criteria for making payments to Non-Executive Directors:

All the Non-Executive Directors, except the Government Nominee Director, are only paid sitting fees. The rate of sitting fees for Board was ₹ 1,00,000/- per meeting and ₹ 60,000/- per meeting for all Board Committee meetings. Apart from the remuneration to MD & CEO and DMDs and the sitting fees to the Non-Executive Directors, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by the Bank.

Aggregate amount of sitting fees paid to Non-Executive Directors including Independent Directors for FY 2025-26 is as detailed below:

Name of the Non-Executive Director	Sitting fees paid for FY 2025-26 (₹)
Shri T. N. Manoharan, Independent Director & part-time Chairman *(upto 30.07.2025)*	8,00,000
Shri Raj Kumar, LIC Nominee Director *(upto 18.05.2025)*	2,00,000
Life Insurance Corporation of India [Sitting fees for attending Board Meetings by- *i. Shri Sat Pal Bhanoo (upto 31.12.2025) &* *ii. Shri R. Doraiswamy (w.e.f. 19.05.2025 upto 24.09.2025)]*	12,00,000
Shri Sat Pal Bhanoo *[Sitting fees for attending meetings was paid to LIC till 31.12.2025 and directly to Shri Sat Pal Bhanoo w.e.f. 01.01.2026]*	4,00,000
Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director *(upto 08.10.2025)*	20,20,000
Shri Samaresh Parida, Independent Director	32,60,000
Shri N. Jambunathan, Independent Director	37,40,000
Shri Deepak Singhal, Independent Director	35,60,000
Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director	37,40,000
Smt. P. V. Bharathi, Independent Director	37,40,000
Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director	36,80,000

DISCLOSURE UNDER RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

The appointment and remuneration of the MD & CEO and the DMDs is approved by the RBI under Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949 after the same is recommended by the Nomination & Remuneration Committee and the Board. Other Directors on the Board do not receive any remuneration except the sitting fees for attending meetings as detailed in the paragraph on criteria for making payments to Non-Executive Directors. The other employees of the Bank, including the Key Managerial Personnel (KMPs), i.e., Chief Financial Officer and the Company Secretary, receive remuneration as applicable to the officials in the similar grades of the Bank. Periodical revision in the pay scales of employees, including the KMPs, does have relationship with many factors, including the Bank's performance.

As per the RBI Master Direction on Commercial Banks (Governance) Directions, 2025 dated November 28, 2025, variable pay shall be applicable to Whole-time Directors (WTDs), Material Risk Takers and Control Function staff of the Bank. The remuneration payable to WTDs is as mentioned in the paragraph Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs for FY 2025-26. A Compensation Policy covering all aspects of compensation, viz. Fixed Pay & Perquisites, Variable Pay (Cash & Shares linked), Superannuation/ Retirement Benefits [Provident Fund, Pension/ National Pension Scheme (NPS) & Gratuity] etc., has been formulated taking into account the aforesaid RBI's Master Direction. The RBI's Master Direction mandate deferral of Variable Pay, which has been incorporated in the Compensation Policy of the Bank. Variable pay for FY 2024-25 was paid to all eligible employees after the completion of performance appraisal for FY 2024-25 as per the Compensation Policy.

The details in terms of Section 197(12) of the Companies Act, 2013, read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, are as follows:

The number of regular employees on the rolls of the Bank;

20,693

Out of which, 1,585 employees were on contract basis

The ratio of the remuneration of each Director to the median remuneration of the employees of the company;

Name of the Executive Director	Ratio of remuneration to the median of all employees
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	22.93
Shri Jayakumar S. Pillai, DMD	8.90
Shri Sumit Phakka, DMD	7.30

The percentage increase in remuneration of each Director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year;

Designation	Percentage Increase
MD & CEO	41.74
DMDs*	56.86*
CFO	13.41
CS	(4.44)%

**In respect of remuneration of DMDs, during FY 2024-25, the salary of Shri Sumit Phakka was considered only for a part of the financial year, as he was appointed w.e.f. July 15, 2024. However, while calculating the percentage increase for FY 2025–26, the remuneration has been annualised and considered for the full financial year, which has impacted the percentage comparision and therefore resulting in high percentage increase incase of remuneration of DMDs.*

% In respect of remuneration of CS, since arrears arising from the revision of pay and allowances for the period from November 1, 2022 up to the date of implementation of the revised salary structure were paid in FY 2024-25, the remuneration for previous year was higher. Consequently, the remuneration is lower in FY 2025-26, as no such arrears were received during the year.

The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year;	(3.57) *The decrease in median remuneration is primarily attributable to:* • *Arrears paid during FY 2024–25 towards revision of pay and allowances, thereby increasing the base of comparison; and* • *Inclusion of employees in new designations and additions to employee base, which has impacted the overall median remuneration.*
Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration;	Average remuneration increase for non-managerial personnel of the Bank during FY 2025-26 was (3.22)% and the Average remuneration increase for the managerial personnel of the Bank was 40.25%. This is due to increase in employee base and payment of arrears during FY 2024-25.
Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the Bank.	Yes

GENERAL BODY MEETINGS

A. The last three Annual General Meetings (AGMs) of the Bank were held as under:

Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.

Location and time of the last three AGMs.	1)	July 13, 2023 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 11:00 a.m. (19th AGM of the Bank)
	2)	July 23, 2024 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 11:00 a.m. (20th AGM of the Bank)
	3)	July 22, 2025 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 11:00 a.m. (21st AGM of the Bank)
Whether Special Resolutions were passed in previous three AGMs	➢	**In 19th AGM** Special Resolution for taking shareholders' approval for Alteration of Articles of IDBI Bank was passed at the 19th AGM of the Bank held on July 13, 2023.
	➢	**In 20th AGM** Special Resolution for taking shareholders' approval for Re-appointment of Smt. P.V. Bharathi as Independent Director for a second term of four years w.e.f. January 14, 2025 was passed at the 20th AGM of the Bank held on July 23, 2024.
	➢	**In 21st AGM** No Special Resolution was passed in 21st AGM
Whether any special resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern	No	

Person who conducted the postal ballot exercise	Not Applicable
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	No special resolution is proposed to be conducted through postal ballot.
Procedure for Postal Ballot	Not Applicable

MEANS OF COMMUNICATION

Apart from providing the detailed Annual Report on the Bank's working, consisting of the Board's Report as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 and the Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders. These are published in one English language newspaper, viz. the Financial Express, having nationwide circulation and in Marathi language newspaper, viz. Loksatta, and these advertisements are intimated to the stock exchanges. The aforesaid information is also displayed on the Bank's website (https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx) along with the official press release.

GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION

GENERAL SHAREHOLDERS' INFORMATION

i.	Date, time and venue of AGM	Tuesday, July 21, 2026, 11:00 a.m., through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM).
ii.	Financial Year	April 1, 2025 to March 31, 2026
iii.	E-voting period in terms of Regulation 44 of LODR Regulations and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014	E-voting period commences on and from Friday, July 17, 2026 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, July 20, 2026 at 5.00 p.m. (IST)
iv.	Book closure date	July 15, 2026 to July 21, 2026 (both days inclusive)
v.	Dividend payment date	Not Applicable for FY 2025-26
vi.	Listing on Stock Exchanges and confirmation of payment of Annual listing fee	1. **BSE Ltd. (BSE)** **Address:** 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 2. **National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)** **Address:** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C / 1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. The bonds issued in the domestic market comprised privately placed bonds and are listed on the BSE/ NSE. Listing fees as applicable have been paid.

vii.	Registrar and Share Transfer Agents	**KFin Technologies Ltd.** Unit : IDBI Equity, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Rangareddi, Hyderabad, Telangana - 500 032
viii.	Share Transfer system	a) Pursuant to SEBI Circular No: HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, SEBI opened a special window from February 05, 2026 to February 04, 2027 to facilitate for transfer-cum-dematerialisation of physical securities that were purchased or sold prior to April 01, 2019, including cases that were previously rejected or remained pending due to deficiencies. Shares dematerialised through this facility shall be subject to a lock-in period of one year. This initiative aims to facilitate ease of investment and safeguard of investor interest. The Bank has taken all necessary steps to ensure compliance with the applicable provisions of the said circular. b) Pursuant to SEBI Circular Ref. No. HO/38/13(3)2026-MIRSD POD/1/3763/2026 dated January 30, 2026, SEBI has simplified investor service requests by eliminating the requirement of issuing a Letter of Confirmation (LOC) and enabling direct credit of securities to investors' demat accounts. The revised framework covers services such as issuance of duplicate certificates, transmission, transposition, corporate actions and unclaimed suspense accounts, with an objective to reduce processing time and enhance investor convenience. The Bank has aligned its processes with the said circular, which is effective from April 2, 2026. c) The Bank's shares which are held in dematerialised form only are freely transferable through the depository systems. Requests for claiming of shares from suspense escrow demat account/ issue of duplicate share certificates/ deletion/ transmission/ transposition received by the Bank during the financial year ended March 31, 2026 were approved by an Internal Committee called Share Transfer Committee (comprising Executive Directors/ Chief General Managers) and were processed as per SEBI's extant operational guidelines.
ix.	Financial Calendar	**April 1, 2025 to March 31, 2026** Quarterly Results were approved on:

Results as on	Board Meeting
June 30, 2025	July 21, 2025
September 30, 2025	October 18, 2025
December 31, 2025	January 17, 2026
March 31, 2026	April 30, 2026

x.	Dematerialisation of Shares & Liquidity	The Bank's shares can be traded in the stock exchanges in dematerialised form only compulsorily . The number of shares held in dematerialised and physical mode as on March 31, 2026 is as under:

	No. of shares	% of total Capital issued
Held in dematerialised form in NSDL	5655394661	52.60
Held in dematerialised form in CDSL	5091302405	47.35
Physical	5705109	0.05
Total	**10752402175**	**100.00%**

xi.	Listing of Debt Securities	Unsecured Long-term Rupee Bonds/ Debentures issued by the Bank and outstanding in the books of the Bank as on March 31, 2026, are listed on the debt segment of the BSE and the NSE.
xii.	Debenture Trustee	**SBICAP Trustee Company Ltd.,** 4th Floor, Mistry Bhavan, 122 Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020 **Compliance Officer:** Shri Sandeep Poddar **Contact No.:** 022 4302 5555 **E-mail ID of the Principal officer of the Trustee:** dt@sbicaptrustee.com/ corporate@sbicaptrustee.com
xiii.	Outstanding Global Depository Receipts (GDRs)/ American Depository Receipts (ADRs)/ warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank has not issued GDRs/ ADRs/ Warrants or convertible instruments.
xiv.	Plant Locations	Not applicable. However, the information about the locations of the Bank's branches is available on its website (www.idbi.bank.in).
xv.	Address for Correspondence	**IDBI Bank Ltd.** **CIN – L65190MH2004GOI148838** **Address:** Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 22nd floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005 **Phone:** 022-6655 3336/ 3062/ 3147/ 2806 **E-mail:** idbiequity@idbi.co.in **Website:** www.idbi.bank.in **Registrar & Transfer Agents** **KFin Technologies Ltd.** (Unit IDBI Equity) **Address:** Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Rangareddi, Hyderabad, Telangana - 500 032 **Toll Free Number:** 1800 309 4001 **Website:** www.kfintech.com **E-mail:** einward.ris@kfintech.com
xvi.	List of Credit Rating obtained by the Bank	The credit rating details are provided in the Management Discussion & Analysis section of the Annual Report.
xvii.	Distribution of shareholding	As per details mentioned in the following table:

Table i: Distribution Schedule as on March 31, 2026

Sr. No.	Category		No. of shareholders	% to total shareholders	No. of shares	% to total Equity Shares
	From	To				
1	1	5000	718984	98.60	182873447	1.70
2	5001	10000	5331	0.73	39926441	0.37
3	10001	20000	2559	0.35	36583754	0.34
4	20001	30000	799	0.11	20075202	0.19
5	30001	40000	367	0.05	12910881	0.12
6	40001	50000	292	0.04	13493703	0.12
7	50001	100000	486	0.07	35440144	0.33
8	100001 & above		388	0.05	10411098603	96.83
	Total		**729206**	**100.00**	**10752402175**	**100.00**

Shareholding Pattern as on March 31, 2026

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Life Insurance Corporation of India (Promoter with Management control)	5294102939	49.24
Government of India (co-promoter without Management control)	4889871903	45.48
Employees	590096	0.01
Public	410516502	3.82
Hindu Undivided Family	18003820	0.17
Bodies Corporate	45460207	0.42
Institutions		
A) Banks	948718	0.01
B) Foreign Institutional Investors	100	0.00
C) Financial Institutions/Insurance Companies	2229001	0.02
D) Mutual Funds	5886190	0.05
E) NBFCs	6182	0.00
F) Alternative Investment Funds	413049	0.00
Societies	24800	0.00
Trusts	1648656	0.02
Directors, KMPs & Relatives	4400	0.00
NRI's	13434412	0.12
Foreign Portfolio Investors	60246791	0.56
IEPF	8360667	0.08
NSDL (in-transit)	653742	0.01
GRAND TOTAL	**10752402175**	**100.00**

OTHER DISCLOSURES–

i. DETAILS RELATING TO DEPOSITS COVERED UNDER CHAPTER V OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND DETAILS OF DEPOSITS WHICH ARE NOT IN COMPLIANCE OF THE REQUIREMENTS OF CHAPTER V OF THE ACT

In terms of proviso to Section 73(1) of the Companies Act, 2013, nothing in this sub-section shall apply to a banking company and hence, the requirement of disclosure of captioned details is not applicable to IDBI Bank.

ii. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

There were no significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals during FY 2025-26 which could impact the Bank's going concern status and its operations in future.

iii. PREVENTION OF INSIDER TRADING

The Bank has a Board-approved code for prevention of insider trading in the shares of the Bank as well as in other listed and proposed to be listed companies. The share dealing code, *inter alia*, prohibits dealing in securities of the Bank and other listed entities by insiders while in possession of Unpublished Price Sensitive Information (UPSI). On an annual basis, the ACB reviews the compliance with the provisions of Insider Trading Regulations and verifies that the systems for internal control are adequate and are operating effectively.

The violations under the code during the year have been duly reported to the Stock Exchanges and also to the ACB during the annual review.

iv. THE NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR

No subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies have been formed during the FY 2025-26. No Subsidiaries and Joint Ventures have ceased to be the same during the FY 2025-26, however, during FY 2025–26, the Bank sold a portion of its stake (11.11%) in NSDL. Accordingly, NSDL, which was earlier considered an Associate of IDBI Bank, ceased to be an Associate of the Bank after the sale of the stake. Currently, IDBI Bank holds 14.99% in NSDL which is treated as other Strategic Investment and classified under Available for Sale (AFS). Further, the Bank sold its entire stake (21.14%) in Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (PIPDIC) in the month of May 2025.

v. FAMILIARISATION PROGRAMME FOR INDEPENDENT DIRECTORS

The Independent Directors are being regularly familiarised with the business of the Bank, their duties and responsibilities and the compliance requirements in the Bank as per the changes in the regulatory environment. Further, the Independent Directors were nominated for/ deputed to various training programmes during FY 2025-26.

The detailed status in this regard is provided on the Bank's website (www.idbi.bank.in) under the following link: https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx

vi. ESTABLISHMENT OF VIGIL MECHANISM

The Bank has put in place a policy on Vigil Mechanism in line with the regulatory guidelines provided by the RBI, the SEBI and the Companies Act, 2013 which enables the Employees and Directors of the Bank to disclose or report complaints pertaining to illegal, immoral or illegitimate practices under the control of their employers, to persons or organisations that may be able to effect action. During FY 2025-26, no personnel were denied access to the Audit Committee. The Policy on Vigil Mechanism giving details of establishment of Vigil Mechanism has been disclosed by the Bank on its website (www.idbi.bank.in) under the following link: https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx

vii. POLICY FOR DETERMINING MATERIAL SUBSIDIARIES

In terms of the requirement of Regulation 46 of the LODR Regulations, the policy for determining material subsidiaries is available on the Bank's website (www.idbi.bank.in) under the following link: https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx

viii. POLICY ON DEALING WITH RELATED PARTY TRANSACTIONS

In terms of the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of the LODR Regulations, the Bank has formulated a policy on dealing with Related Party Transactions. The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website (www.idbi.bank.in) under the following link: https://www.idbi.bank.in/secretarial-disclosures.aspx

ix. DISCLOSURE ON MATERIALLY SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS THAT MAY HAVE POTENTIAL CONFLICT WITH THE INTEREST OF LISTED ENTITY AT LARGE

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, during FY 2025-26, the Bank has not undertaken any materially significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the Bank.

x. INFORMATION UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013

The Bank has a policy against sexual harassment and a formal process for dealing with complaints of harassment or discrimination. The said policy is in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. The Bank has complied with provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the said Act. Pursuant to the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details pertaining to number of complaints during the year has been provided below:

A	Number of complaints filed during the financial year	14
B	Number of complaints disposed of during the year	9 *(out of cases received in FY 2025-26)* 4 *(Cases which were pending in FY 2024-25)*
C	Number of complaints pending as at end of the financial year	05

xi. DISCLOSURE OF COMMODITY PRICE RISKS OR FOREIGN EXCHANGE RISK AND COMMODITY HEDGING ACTIVITIES

The Bank is in compliance with the relevant provisions in respect of commodity price risks or foreign exchange risk and commodity hedging activities as per the guidelines, if any, prescribed by regulators.

xii. DISCLOSURE OF ACCOUNTING TREATMENT

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, in preparation of financial statements, no treatment different from that prescribed in an Accounting Standard has been followed and hence, no explanation from the Management is required to be given in this regard.

xiii. DISCLOSURE, AS TO WHETHER MAINTENANCE OF COST RECORDS AS SPECIFIED BY THE CENTRAL GOVERNMENT UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 148 OF THE COMPANIES ACT, 2013, IS REQUIRED BY THE COMPANY AND ACCORDINGLY SUCH ACCOUNTS AND RECORDS ARE MADE AND MAINTAINED

IDBI Bank Ltd., being a banking company, provisions of maintenance of cost records is not applicable to it.

xiv. DISLOSURES

a) Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or the SEBI or any statutory authority, on any matter relating to capital markets, during the last three years are:

FY 2025-26	The RBI, vide letter dated May 02, 2025, imposed a penalty of ₹ 31.80 lakh on the Bank in exercise of powers vested in the RBI under Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 for charging interest in excess of applicable lending rate to farmers in KCC having sanctioned limits upto ₹ 3 lakh.
FY 2024-25	The RBI, vide letter dated March 21, 2025, imposed a penalty of ₹ 36.30 lakh on the Bank under Section 11(3) of FEMA, 1999 for Non-Compliance in carrying out Due Diligence in processing and allowing foreign exchange transaction involving 363 inward remittances received during the period June 2016 to January 2023.
FY 2023-24	Nil

b) During FY 2025-26, the Bank has not raised any funds through preferential allotment or through Qualified Institutions Placement (QIP). The proceeds from previous funds raised, have been fully utilised for augmenting the capital adequacy of the Bank and for general business purposes.

c) A certificate dated April 30, 2026 has been obtained from Shri Mohammad Pillikandlu (CP No. 14603) of M/s. Parikh & Associates, Company Secretaries that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/ the MCA or any such statutory authority is annexed to this Report.

d) The Bank has made all the disclosures in the Annual Report that were required in terms of sub-paras (2) to (10) of the Corporate Governance section of Schedule V (Annual Report) of the LODR Regulations.

e) The Bank has complied with the Corporate Governance requirements specified in Regulations 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Sub-regulation (2) of Regulation 46 of the LODR Regulations.

f) The Bank has complied with all the mandatory requirements given under Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations and has been submitting quarterly/ half-yearly/ annual compliance report on Corporate Governance in the prescribed formats to the Stock Exchanges within the prescribed timelines.

g) There has been no instance where the Board had not accepted any recommendation of any Committee of the Board which is mandatorily required and hence, no disclosure in this regard is required.

h) In terms of Schedule V of the LODR Regulations, the total fees for all services paid by the Bank to the Statutory Auditors during FY 2025-26 was ₹ 262.50 lakh (including Certification and other audit related services) and out of pocket expenses was capped at ₹ 25.20 lakh.

i) **Subsidiary Companies:** As on March 31, 2026, the Bank had five subsidiaries, viz. IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Markets & Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Co. Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries are material subsidiary companies as defined under Regulation 16 of the LODR Regulations. In compliance of the requirements of Regulation 24 of the LODR Regulations, the Bank's Audit Committee reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at the Bank's Board meetings.

j) **Document Handling and Retention Policy:** In terms of Regulation 9 of LODR Regulations, the Bank has in place a Board-approved Document Handling and Retention Policy.

k) **Archival Policy:** The Bank has in place a Board-approved archival policy in terms of Regulation 30(8) of the LODR Regulations, 2015.

l) **Disclosure of certain types of agreements binding listed entities:** There are no agreements that require disclosure under clause 5A of paragraph A of Part A of Schedule III of the LODR Regulations.

m) **Disclosures with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account**

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, the Bank reports the following details in respect of equity shares lying in the unclaimed suspense account:

i. Shares transferred to Demat Suspense Account in compliance of Regulation 39(4) of SEBI (LODR):

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on April 01, 2025	4	800
(b)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Account during April 01, 2025 to March 31, 2026	0	0
(c)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Account during April 01, 2025 to March 31, 2026	0	0
(d)	Number of shareholders whose shares were transferred to IEPF Authority in compliance of section 124 & 125 of the Companies Act, 2013	0	0
(e)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on March 31, 2026	4	800
(f)	**The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.**		

ii. Shares transferred to Suspense Escrow Demat Account in compliance of SEBI Master Circular HO/38/13/(4)2026-MIRSD-POD/I/4298/2026 dated February 06, 2026 (Cases wherein validity of Letter of Confirmation expired):

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Escrow Demat Account as on April 01, 2025	10	2,560
(b)	Number of shareholders whose shares were transferred to Suspense Escrow Demat Account during April 01, 2025 to March 31, 2026	22	4,620
(c)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Escrow Demat Account during April 01, 2025 to March 31, 2026	18	3,980
(d)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Escrow Demat Account during April 01, 2025 to March 31, 2026	18	3,980
(e)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Escrow Demat Account as on March 31, 2026	14	3,200
(f)	**The rightful owner of such shares are entitled to vote and to receive dividend.**		

n) Disclosures in respect of Investors Education and Protection Fund (IEPF)

(a) Details of the transfer/s to the IEPF made during the year :

Sr. No.	Description	Shares/ Bonds/ Debentures	Amount
(i)	Amount of unclaimed/ unpaid dividend and the corresponding shares	0	0
(ii)	Redemption amount of preference shares	NA	NA
(iii)	Amount of matured deposits, for companies other than banking companies, along with interest accrued thereon	NA	NA
(iv)	Amount of matured debentures along with interest accrued thereon	0	0
(v)	Application money received for allotment of any securities and due for refund along with interest accrued	0	0
(vi)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation	0	0

(b) Details of the resultant benefits arising out of shares already transferred to the IEPF- NIL

(c) Year-wise amount of unpaid/ unclaimed dividend lying in the unpaid account upto the Year and the corresponding shares, which are liable to be transferred to the IEPF, and the due dates for such transfer:

Sl. No.	Financial Year	Unpaid dividend (₹)	No. of shares	Due Date for transfer to IEPF
1	2022-2023	55,20,195.00	35,211	17.08.2030
2	2023-2024	103,00,696.00	38,371	27.08.2031
3	2024-2025	142,00,568.70	36,465	27.08.2032

(d) Year-wise amount of unpaid/ unclaimed interest lying in the unpaid account upto the Year and the corresponding bonds, which are liable to be transferred to the IEPF, and the due dates for such transfer:

Sl. No.	Financial Year	Unpaid interest (₹)	No. of Bonds	Due Date for transfer to IEPF
1	2021-22	3,76,097.00	4	27.12.2028
2	2022-23	43,76,000.00	4	26.12.2029

(e) The amount of donation, if any, given by the company to the IEPF - NIL

(f) Such other amounts transferred to the IEPF, if any, during the year

In compliance to rule 6(12) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the Bank has credited dividend amounting to ₹ 1,74,62,315.20/- excluding TDS on account of shares held with IEPF Authority and subsequently filed Form IEPF-1 (erstwhile Form IEPF-7) with Ministry of Corporate Affairs

STATUS OF COMPLIANCE OF DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF REGULATION 27

The status of discretionary requirements given under Part E of Schedule II of the LODR Regulations, applicable to the Bank, is as follows:

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status
1.	A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the Company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/ her duties	In terms of Article 116(1) (i) of the Articles of Association of the Bank, Shri T.N. Manoharan, Independent Director was appointed as the Part-time Chairman of the Bank. However, he ceased to be an Independent Director & Part-time chairman w.e.f. July 30, 2025 pursuant to his sudden demise. The Bank currently does not have a permanent Part-time Chairman. Accordingly, the Board is nominating one of the Independent Directors to preside over each Board meeting as Chairman. Sitting fees was paid to Shri T. N. Manoharan for attending the Board and Committee Meetings.
2.	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six months may be sent to each household of shareholders	Quarterly and half-yearly financial results are published in the newspapers as well as disseminated to the Stock Exchanges immediately after the Board approval for information of shareholders and other stakeholders. Press release of highlights of results including significant developments is also disclosed to the Stock Exchanges and uploaded on the website.
3.	Company may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank's financial statements are with unmodified Audit opinion and Bank continues to adopt best practices to ensure regime of unmodified audit opinion.
4.	The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and MD & CEO such that the Chairperson shall – (a) be a Non-Executive Director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013.	The Bank has separate positions for Part-time Chairman and a MD & CEO. The Chairperson was an Independent Director and not related to the MD & CEO of the Bank. Following the demise of Shri T. N. Manoharan, the Bank currently does not have a permanent Part-time Chairman. Accordingly, the Board is nominating one of the Independent Directors to preside over each Board meeting. "The Independent Director, who is appointed as the Chairman for every meeting, is not related to the MD & CEO of the Bank.
5.	The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal Auditor reports to the DMD of the Bank and has a one-to-one meeting with the ACB every quarter as per the prescribed RBI guidelines.

CODE OF CONDUCT AND ETHICS

The Bank's Board of Directors has adopted a Code of Conduct and Ethics for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, a declaration signed by the Managing Director & CEO about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of the Bank is given below:

DECLARATION BY MD & CEO

Pursuant to the provisions of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2025-26.

Rakesh Sharma
(DIN-06846594)
Managing Director & CEO
Dated: April 30, 2026

CEO/ CFO CERTIFICATION

In terms of Regulation 17(8) of the LODR Regulations, the certification by MD & CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

Annexure-A

AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3)of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto

i. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

Sl. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts/ arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any:	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188
NIL								

ii. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

Sl. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any:	Date(s) of approval by the Board, if any:	Amount paid as advances, if any:
NIL						

Rakesh Sharma
(DIN-06846594)
MD & CEO
Dated: April 30, 2026

Annexure-B

CSR disclosure under Annual Report FY 2025-26

1. Brief outline on CSR Policy of the Bank:

The Bank's CSR objective is to make material, visible and lasting difference to the lives of underprivileged sections of the society by identifying gaps and extending need-based contribution for their betterment. The initiatives shall be aligned with the national priorities towards achieving sustainable development goals. The Bank seeks to achieve this through direct intervention as well as acting as a catalyst for socio-economic progress of the beneficiaries.

The Bank's CSR policy, *inter alia,* provides the platform for undertaking interventions in areas as specified under Schedule VII of the Companies Act 2013.

2. Composition of CSR Committee:

Sr. No	Name of Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	Shri Rakesh Sharma	MD & CEO – Chairman of the Committee	03	03
2.	Shri Jayakumar S. Pillai	Dy. Managing Director	03	03
3.	Shri Sumit Phakka	Dy. Managing Director	03	03
4.	Shri Samaresh Parida	Independent Director	03	03
5.	Smt. P. V. Bharathi	Independent Director	03	03

3. Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the Board are disclosed on the website of the company.

The web-link to the CSR policy and projects or programs is https://www.idbi.bank.in/corporate-social-responsibility.aspx

4. Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable

During FY 2025-26, three one-time CSR projects viz. Jaslok Hospital & Research Centre, Sri Kanchi Kamakoti Medical Trust (SKKMT) and TMC Navya Care with funding of ₹ 1 crore and above completed their mandatory one-year implementation period. The Bank is therefore in the process of appointing an independent agency to conduct an impact assessment, which shall be carried out in the following year.

5. (a) **Average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135 –**

The average net profit of the Bank (for CSR purpose) was ₹ 7242.84 crore for last three financial years, i.e. FY 2022-23, FY 2023-24 and FY 2024-25.

(b) **Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135 –**

In terms of Section 135 (5) of the Companies Act, 2013, two percent average net profit of the Bank was ₹ 144.86 crore for financial year 2025-26. The Board approved ₹ 145 crore as CSR budget of the Bank for the FY2025-26.

(c) **Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years –** Nil.

(d) **Amount required to be set-off for the financial year, if any –** Nil.

(e) **Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)] –** ₹ 145 crore.

6. (a) **Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project)** - ₹ 154.39* crore

(b) **Amount spent in Administrative Overheads** - Nil.

(c) **Amount spent on Impact Assessment, if applicable** - Nil.

(d) **Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)]** – ₹ 154.39* crore (disbursements).

** ₹ 126.96 crore out of FY 2025-26 budget + ₹ 20.65 crore spent from unspent CSR account of FY 2024-25 and ₹ 6.78 crore spent from unspent CSR account of FY 2023-24.*

(e) **CSR amount spent or unspent for the Financial Year:** CSR amount spent out of FY 2025-26 budget is ₹ 126.96 crore and amount of ₹ 18.04 crore has been sanctioned during FY 2025-26, but not disbursed relates to 60 ongoing projects. Accordingly, unspent amount for FY 2025-26 is Nil.

Total Amount Spent for the Financial Year. (in ₹ crore)	Amount Unspent (in ₹ crore)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per subsection (6) of section 135 of Companies Act, 2013.		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135.		
	Amount (in ₹ crore)	Date of transfer	Name of the Fund	Amount (in ₹ crore)	Date of transfer
126.96	18.04	22.04.2026	NA	Nil	NA

(f) **Excess amount for set-off, if any:**

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹ crore)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	145
(ii)	Total amount spent for the Financial Year [out of (i) above]	126.96
(iii)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	Nil
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	Nil
(v)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	Not applicable

7. **Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:**

1	2	3	4	5	6		7	8
Sl. No.	Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in ₹ Crore)	Balance Amount in Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in ₹ Crore)	Amount Spent in the Financial Year (in ₹ Crore)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to subsection (5) of section 135, if any		Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in ₹ Crore)	Deficiency, if any
					Amount (in ₹ crore)	Date of Transfer		
1.	2022-23	Nil	Nil	1.44	Nil	NA	Nil	-
2.	2023-24	Nil	Nil	39.24	7.61#	26.09.2024	25.62	-
3.	2024-25	25.62	19.55	76.20	Nil	NA	32.87	-

 # Budget for FY2023-24 ₹ 74.09 Cr ; Sanctioned ₹ 64.86 Cr ; Set-off amount ₹ 1.62 Cr (FY 2021-22 : ₹ 0.18 Cr and FY 2022-23: ₹ 1.44 Cr); Amount spent ₹ 39.24 Cr; Amount transferred to Unspent account ₹ 25.62 Cr.*

** There was no budget allocation towards CSR in FY 2021-22 & FY 2022-23 and the amount spent for CSR activities of ₹ 0.18 Cr (FY 2021-22) & ₹ 1.44 Cr (FY 22-23) was Set-off in the succeeding year's budget i.e. FY 2023-24 leaving unspent amount of ₹ 25.62 Cr in the year.*

8. **Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:** No

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired: NA

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	Short particulars of the property or asset (s) [including complete address and location of the property]	Pin code of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

9. **Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per subsection (5) of section 135** – The CSR spent for FY 2025-26 is ₹ 126.96 crore and undisbursed amount of ₹ 18.04 crore towards 60 ongoing projects has been transferred to 'Unspent CSR Account for FY 2025-26'. Hence, the unspent amount for FY 2025-26 is Nil.

Rakesh Sharma
(DIN: 06846594)
MD & CEO
Chairman of CSR Committee
May 16, 2026

FORM No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014)

To,
The Members,
IDBI Bank Limited,
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005.

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by IDBI Bank Limited (hereinafter called 'the Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank, to the extent the information provided by the Bank, its officers, agents and authorised representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management, and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2026, generally complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records made available to us and maintained by the Bank for the financial year ended on March 31, 2026 according to the provisions of:

1. The Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder;
2. The Securities Contract (Regulation) Act, 1956 ('SCRA") and the rules made thereunder;
3. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
4. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.
5. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'), to the extent applicable and as amended from time to time:
    a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
    b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
    c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**
    d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**
    e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;
    f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 and The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 2025 regarding the Companies Act and dealing with client; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **(Not applicable to the Bank during the audit period)**

i) Other regulations of the Securities and Exchange Board of India as are applicable to the Bank:

1. The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994

2. The SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018;

6. Other laws applicable specifically to the Bank namely:

- The Banking Regulation Act, 1949 and Rules, Notifications, Circulars and Guidance issued by the Reserve Bank of India from time-to-time;
- The Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934;
- Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002;
- The Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002 and The Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records, etc.) Rules, 2005;
- The Payment and Settlement Systems Act, 2007;
- The Negotiable Instruments Act, 1881

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

1. Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2).

2. The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited read with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

During the period under review, the Bank has generally complied with the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, standards, etc. mentioned above.

We report that subsequent to the sudden demise of the Part-time Chairman, the bank is required to appoint one of its directors as a Chairman, wholetime or part time basis as per regulation 10 B of the Banking Regulation Act, 1949. Presently the Board elects one of the Independent director as Chairman for each board meeting.

We further report that RBI, vide letter dated May 02, 2025, imposed a penalty of ₹ 31.80 lakh on the Bank.

We further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice was given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, except where meeting was held at a short notice to transact urgent business and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

As per the minutes, decisions at the meetings of the Board of Directors of the Bank were carried out with requisite majority.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period there were no events occurred which have a major bearing on the Bank's affairs in pursuance of the laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. referred to above:

For Parikh & Associates
Company Secretaries

Mohammad Pillikandlu
Partner
FCS No.: 10619 C P No.: 14603
UDIN: F010619H000238946
PR No.: 7327/2025

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

*This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as **Annexure A** and forms an integral part of this report.*

Annexure 'A'

To,
The Members,
IDBI Bank Limited,
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai – 400005.

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.

4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.

5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.

6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Parikh & Associates
Company Secretaries

Mohammad Pillikandlu
Partner
FCS No.: 10619 C P No.: 14603
UDIN: F010619H000238946
PR No.: 7327/2025

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members,
IDBI Bank Limited,
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400005.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of IDBI Bank Limited having CIN L65190MH2004GOI148838 and having registered office at IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400005 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before me/us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on March 31, 2026 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	DIN	Date of Appointment in Company*
1.	Ajay Prakash Sawhney	03359323	28-08-2023
2.	Deepak Singhal	08375146	28-02-2019
3.	Jayakumar Subramonia Pillai	10041362	12-06-2023
4.	Rakesh Sharma	06846594	10-10-2018
5.	Sanjay Gokuldas Kallapur	08377808	05-03-2019
6.	P. V. Bharathi	06519925	14-01-2021
7.	Samaresh Parida	01853823	19-05-2018
8.	Jambunathan Narayanan	05126421	19-05-2018
9.	Manoj Sahay	08711612	28-04-2022
10.	Sat Pal Bhanoo	10482731	10-02-2022
11.	Sumit Phakka	08259618	15-07-2024

Note: * - The date of appointment is as per the MCA Portal.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Parikh & Associates
Practising Company Secretaries

Mohammad Pillikandlu
Partner
FCS No: 10619 CP No: 14603
UDIN: F010619H000239012
PR No.: 7327/2025

Place: Mumbai
Date: April 30, 2026

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कथन

प्रिय हितधारको,

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन की ओर से, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आईडीबीआई बैंक की कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है. यह रिपोर्ट उत्तरदायी कारोबारी आचरण के संबंध में राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) के नौ सिद्धांतों से निर्देशित उत्तरदायी बैंकिंग को सुनिश्चित करके अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के प्रति आपके बैंक की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित एवं दर्शाती है. वर्ष के दौरान बैंक ने संधारणीयता-संबद्ध अभिशासन और बेहतर प्रकटन पर अपना ध्यान केंन्द्रित रखा. पर्यावरणीय एवं सामाजिक कारकों को अपने परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए, बैंक ने अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में संधारणीयता संबंधी विचारों को उत्तरोत्तर एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया.

बैंक ने ग्राहक सुरक्षा, सेवा गुणवत्ता, वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ कर्मचारियों की क्षमता के विकास के माध्यम से ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान देना जारी रखा, ताकि हितधारकों का विश्वास बनाये रखा जा सके और परिचालनगत क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा दीर्घकालिक मूल्य सृजन को बढ़ावा दिया जा सके. यह मानते हुए कि उत्तरदायी बैंकिंग पहुँच और समावेशन में ठोस परिणामों से प्रामाणित होती है, बैंक ने वंचित और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों को किफायती, सुलभ और प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से कई पहलकार्य किये जैसे आईडीबीआई समीप बैंकिंग आउटलेट की शुरुआत, माइक्रो-एटीएम सेवाओं का उपयोग, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), आदि.

बैंक के संधारणीयता दृष्टिकोण में अभिशासन केंद्रीय भूमिका निभाता है और ईएसजी से संबंधित विषयों की समर्पित बोर्ड स्तरीय एवं वरिष्ठ प्रबंधन स्तर की समितियों द्वारा निगरानी तथा आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है. वर्ष के दौरान, बोर्ड के सदस्यों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मिकों को उभरते ईएसजी विकास एवं विनियामकीय अपेक्षाओं के बारे में विशेष सत्रों के माध्यम से जागरूक किया गया, जिससे बेहतर जानकारी के साथ अभिशासन और निर्णय लेने में सहायता मिली. बैंक ने रिपोर्ट में ईएसजी से संबंधित प्रकटीकरणों की गहराई, एकरूपता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं एवं नियंत्रणों को और अधिक सुदृढ़ करना जारी रखा.

वर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास व्यापक हितधारक सहभागिता एवं तथ्यात्मक आकलन (एसईएमए) का पूरा होना रहा. इस आकलन ने बैंक को अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं समाज पर उनके वास्तविक तथा संभावित प्रभावों के आधार पर ईएसजी विषयों की पहचान करने और प्राथमिकता निर्धारित करने में सक्षम बनाया, साथ ही बैंक के दीर्घकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर भी ध्यान दिया गया. संरचित मात्रात्मक सर्वेक्षण के माध्यम से आंतरिक तथा बाहरी हितधारकों से महत्वपूर्ण विषयों पर अंतर्दृष्टियाँ प्राप्त की गईं. इन अंतर्दृष्टियों ने संधारणीयता से जुड़े जोखिमों और अवसरों के प्रति बैंक की समझ को और गहरा करने में सहायता की है. बैंक अपनी कारोबारी रणनीति, जोखिम प्रबंधन ढांचा और अभिशासन प्रक्रियाओं में ईएसजी से जुड़े विचारों के अधिक लक्षित समावेशन को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा.

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, बैंक ने संसाधनों के उपयोग को बेहतर बनाने और अपने परिचालन प्रभाव के प्रबंधन के लिए प्रणालियों को और सुदृढ़ करना जारी रखा. इसी के साथ, यह भी माना जा रहा है कि बैंकों के लिए जलवायु संबंधी प्रभाव मुख्य रूप से वित्तपोषण गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं. इस संदर्भ में, बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में जलवायु संबंधी जोखिमों एवं अवसरों के प्रति गहरी समझ विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं. इन प्रयासों को डेटा की उपलब्धता, आंतरिक क्षमता निर्माण और अभिशासन निगरानी में क्रमिक सुधारों का समर्थन प्राप्त है, और ये आने वाले समय में अधिक संरचित जलवायु जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के लिए आधार बनेंगे.

विनियामकीय आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए, बैंक की वित्तीय वर्ष 2025-26 की बीआरएसआर रिपोर्ट में ईएसजी क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के प्रयासों का दस्तावेजीकरण किया गया है और अपने परिचालनों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरूप बनाया है कि संधारणीयता इसकी रणनीनीतिक कार्ययोजना में सर्वोपरि बनी रहे. इसके अलावा, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, अर्थात् चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कंपनी, द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बीआरएसआर कोर प्रकटीकरणों पर स्वतंत्र रूप से उचित आश्वासन दिया है, जो बैंक के विनियामकीय मानकों के अनुपालन तथा पारदर्शिता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. ईएसजी रिपोर्टिंग में पारदर्शिता एवं एकरूपता के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, बैंक प्रतिवर्ष एक ईएसजी डेटाबुक प्रकाशित करता है. यह डेटाबुक ईएसजी संकेतकों की विस्तृत श्रृंखला में सूक्ष्म और व्यापक डेटा प्रदान करती है, जिससे हितधारकों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के साथ-साथ गहन जानकारियां प्राप्त करने में सुविधा होती है. वास्तव में यह गर्व की बात है कि बैंक के सतत प्रयास एस एंड पी ग्लोबल के कॉरपोरेट संधारणीयता मूल्यांकन में इसके ईएसजी स्कोर में सुधार को दर्शाते हैं जो सीएसए 2024 में 42 से बढ़कर 55 हो गया है, यह ईएसजी के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. बैंक ने अपने ईएसजी प्रदर्शन में सुधार दर्ज किया, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन मानकों के अंतर्गत अंक 2025 सीएसए में क्रमशः 17, 62 और 63 तक बढ़ गए, जबकि सीएसए 2024 में ये 10, 51 और 47 थे.

जैसे-जैसे बैंक सतत कारोबारी वृद्धि की दिशा में कोशिश कर रहा है, यह सुनिश्चित करता रहेगा कि इसकी दीर्घकालिक रणनीतिक दिशा संधारणीयता संबंधी विचारों पर आधारित रहे. बैंक अपनी ईएसजी पद्धतियों को इस ढंग से सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वे विवेकपूर्ण, पारदर्शी एवं एक वित्तीय संस्था के रूप में इसकी जिम्मेदारियों के अनुरूप हों, साथ ही सतत आर्थिक वृद्धि को सहयोग प्रदान करें.

भविष्य में, बैंक का इरादा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और विनियामकीय मार्गदर्शन के अनुरूप डीकार्बोनाइजेशन के लिए स्पष्ट और व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में कार्य करना है. इसमें उधार और निवेश गतिविधियों से जुड़े उत्सर्जन का आकलन करने हेतु आंतरिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना, ऋण मूल्यांकन और पोर्टफोलियो समीक्षा प्रक्रियाओं में जलवायु संबंधी पहलुओं को शामिल करना, तथा संक्रमण-संबद्ध चुनौतियों का सामना कर रहे क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के साथ जुड़ना शामिल है. बैंक यह मानता है कि इन पहलों के लिए मजबूत डाटा, क्षेत्र-विशिष्ट की समझ और सावधानीपूर्वक क्रमबद्धता की आवश्यकता होती है और इसलिए चरणबद्ध और सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ने का प्रस्ताव है.

मैं विनियामकीय एवं सांविधिक प्राधिकरणों, शेयरधारकों, ग्राहकों तथा अन्य सभी हितधारकों की उनके निरंतर विश्वास एवं सहयोग के लिए तहेदिल से सराहना करता हूँ. मैं निदेशक मंडल के मार्गदर्शन और आपके बैंक के कर्मचारियों की वर्ष भर की प्रतिबद्धता तथा योगदान के लिए भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ.

शुभकामनाओं सहित,

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

भाग क : सामान्य प्रकटन

I. सूचीबद्ध संस्था का ब्योरा

क्रम संख्या.	विवरण	ब्योरा
1.	संस्था की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65190MH2004GOI148838
2.	सूचीबद्ध संस्था का नाम	आईडीबीआई बैंक लि.
3.	निगमन का वर्ष	27 सितंबर 2004
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
5.	कॉरपोरेट पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
6.	ई मेल:	idbiequity@idbi.co.in
7.	टेलीफोन	+91-22-66553355
8.	वेबसाइट	www.idbi.bank.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्ट की जा रही है	वित्तीय वर्ष 2025-26
10.	स्टॉक एक्सचेंज(जों) का नाम जहां शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है	बीएसई लि. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
11.	चुकता पूंजी (भारतीय रूपया)	₹ 1,07,52,40,21,750
12.	बीआरएसआर रिपोर्ट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम एवं संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता)	श्री मनीष पाल, महाप्रबंधक टेलिफोन सं. -+91-22-66553355 ईमेल - brsr@idbi.co.in
13.	रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरण एकल आधार (अर्थात केवल संस्था के लिए) पर किए गए हैं या समेकित आधार (अर्थात् संस्था तथा इसके समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सभी संस्थाओं को शामिल करते हुए) पर किए गए हैं.	एकल आधार पर
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सूरी एंड कं. (बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक)
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	बीआरएसआर कोर प्रकटन के लिए उचित आश्वासन

II. उत्पाद और सेवाएं :

16. कारोबारी गतिविधियों का ब्योरा (टर्नओवर के 90% को शामिल करते हुए)

क्रम संख्या	प्रमुख गतिविधि का वर्णन	कारोबारी गतिविधि का विवरण	संस्था के टर्नओवर का प्रतिशत
1.	वित्तीय एवं बीमा गतिविधियां	बीमा एवं पेंशन निधीयन को छोड़कर वित्तीय सेवा गतिविधियाँ	100%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के टर्नओवर के 90% को शामिल करते हुए):

क्रम संख्या	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर में योगदान का प्रतिशत
1.	वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लोकल एरिया बैंकों की गतिविधियां	641901	100%

III. परिचालन:

18. 31 मार्च 2026 को उन स्थानों की संख्या, जहां पर संस्था के संयंत्र और /या परिचालन / कार्यालय मौजूद हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	बैंकिंग आउटलेट - 2,243[@] कार्यालय - 283[#]	2,526[@]
अंतर्राष्ट्रीय	लागू नहीं	शाखा - 1[$]	1

**@ - 2,174 शाखाएँ तथा 69 आईडीबीआई समीप बैंकिंग आउटलेट और एक गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफ़एससी) बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) शामिल हैं.*

 # - इसमें अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालय, विशिष्ट परिचालन इकाइयाँ, प्रसंस्करण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र आदि शामिल हैं, किन्तु रिजर्व बैंक को प्रस्तुत शाखा एवं कार्यालय रिपोर्टिंग के अनुसार प्रधान कार्यालय शामिल नहीं है.

$ - इसमें गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर, गुजरात में स्थित बैंक की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) शामिल है.

19. संस्था द्वारा सेवित बाज़ार:

क. स्थानों की संख्या:

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	36[@]
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1[$]

@ - 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं.

$ - गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात

ख. संस्था के कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है ?

लागू नहीं

ग. ग्राहकों के प्रकारों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, एक पूर्ण-सेवा प्रदाता सार्वभौमिक बैंक है, जिसकी देशभर में 2,244 बैंकिंग आउटलेट और 1,600 से अधिक स्थानों पर 3,011 एटीएम के माध्यम से उपस्थिति है. बैंक व्यापक और विविध ग्राहक आधार को सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें व्यक्ति, संस्थागत इकाइयाँ, कृषि समुदाय, मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु कारोबार, बड़े कॉरपोरेट तथा समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्ग शामिल हैं. बैंक अपने उत्पादों एवं सेवाओं के माध्यम से इन ग्राहक वर्गों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति में सहयोग करने का प्रयास करता है. बैंक के ऑफर्स में उत्पादों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है, जिसमें बचत एवं चालू खाते, सावधि जमा जैसे दैनिक बैंकिंग समाधान तथा आवास ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण जैसे विभिन्न खुदरा ऋण शामिल हैं, साथ ही मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा मध्यम एवं लघु किसानों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण भी शामिल हैं. कॉरपोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो में निधि-आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण, लेन-देन बैंकिंग उत्पाद, कोषागार एवं पूंजी बाज़ार सेवाएँ, नकदी प्रबंधन सेवाएँ तथा कर संग्रह सुविधाएँ शामिल हैं, जिससे कॉरपोरेट संस्थाएँ अपने कारोबार का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं. समावेशी विकास की कार्ययोजना के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए, बैंक सार्थक पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर देता है. बैंक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में मौजूद अंतर को कम करने का प्रयास करता है, जिसके लिए वह सेवाओं से वंचित समुदायों तक पहुँच बनाता है और उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भागीदारी के लिए सक्षम बनाता है. बैंक के उत्पादों और सेवाओं तथा की गई पहलों से संबंधित विवरण वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

IV. कर्मचारी:

20. 31 मार्च 2026 का विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांग कर्मचारियों सहित):

क्रम सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	प्रतिशत (ख / क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग / क)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	18,538	11,959	64.51%	6,579	35.49%
2.	स्थायी कर्मचारी से इतर (ङ)	1,585	861	54.32%	724	45.68%
3.	**कुल कर्मचारी (घ + ङ)**	**20,123**	**12,820**	**63.71%**	**7,303**	**36.29%**
	कामगार					
4.	स्थायी (च)	570	425	74.56%	145	25.44%
5.	स्थायी से इतर (छ)	0	0	-	0	-
6.	**कुल कामगार (च + छ)**	**570**	**425**	**74.56%**	**145**	**25.44%**

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्रम सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	प्रतिशत (ख / क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग / क)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1.	स्थायी कर्मचारी (घ)	645	477	73.95%	168	26.05%
2.	स्थायी कर्मचारी से इतर (ङ)	229	161	70.31%	68	29.69%
3.	**कुल कर्मचारी (घ+ङ)**	**874**	**638**	**73.00%**	**236**	**27.00%**
	दिव्यांग कामगार					
4.	स्थायी (च)	10	8	80.00%	2	20.00%
5.	स्थायी से इतर (छ)	0	0	-	0	-
6.	**कुल कर्मचारी (च+छ)**	**10**	**8**	**80.00%**	**2**	**20.00%**

21. 31 मार्च 2026 को महिलाओं की सहभागिता / समावेश / प्रतिनिधित्व:

विवरण	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (ख)	प्रतिशत (ख/क)
निदेशक मंडल	11[@]	1	9.09%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	5[#]	2	40.00%

@- बैंक के निदेशक मंडल के तीन सदस्य अर्थात् प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) और दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में शामिल हैं.

 # - मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में एमडी एवं सीईओ, दो डीएमडी, मुख्य वित्तीय आधिकारी (सीएफओ) और कंपनी सचिव शामिल हैं.

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की टर्नओवर दर[@]:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	4.67%	5.09%	4.82%	5.63%	5.63%	5.63%	6.51	6.63%	6.55%
स्थायी कामगार	0.00%	1.27%	0.31%	0.55%	0.00%	0.42%	1.10%	2.08%	1.33%

@ - टर्नओवर दर की गणना इस अवधि के दौरान हुए स्वैच्छिक निकास की कुल संख्या को, अवधि के प्रारंभ में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अवधि के दौरान कार्यग्रहण किये नए कर्मचारियों की कुल संख्या के योग से भाग देकर की जाती है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) को डेटा रिपोर्टिंग हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली के अनुरूप है.

V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

23. 31 मार्च 2026 को धारक / सहायक/ सहयोगी कंपनियां/ संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रम सं.	धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियां / संयुक्त उद्यमों के नाम (क)	दर्शायें कि क्या कंपनी धारक / सहायक / सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	कॉलम क में दर्शायी गयी संस्था सूचीबद्ध संस्था की कारोबारी दायित्व की पहलों में भाग लेती है?
1.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि.	सहायक	66.67%[@]	नहीं
2.	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि.	सहायक	100.00%	नहीं
3.	आईडीबीआई इंटेक लि	सहायक	100.00%	नहीं
4.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	सहायक	54.70%	नहीं
5.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	सहायक	100.00%	नहीं
6.	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	सहयोगी	25.00%	नहीं
7.	बॉयोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लि.	सहयोगी	27.93%	नहीं

@ शेष 33.33% धारिता आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. के पास है.

VI. सीएसआर का ब्योरा

24.

(i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है? (हाँ/नहीं)	हाँ
(ii) टर्नओवर [₹ में]	₹ 35,743.53 करोड़
(iii) निवल मालियत [₹ में]	₹ 55,748.93 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटन संबंधी अनुपालन:

25. उत्तरदायी कारोबारी आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (1 से 9 सिद्धांत) के बारे में शिकायत/ परिवाद:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं [हाँ / नहीं] (यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां
समुदाय	हाँ, बैंक की सीएसआर नीति में शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उन्हें प्राप्त किसी भी शिकायत को शीघ्र ही बैंक को सूचित किया जाए और उसका उचित निवारण किया जाए. (https://www.idbi.bank.in/pdf/csr-Policy.pdf)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
शेयरधारक	हाँ, बैंक के पास शेयरधारकों एवं अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के समाधान हेतु एक बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र है, जिसके अंतर्गत शिकायतों का पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निपटान किया जाता है (https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-officials-for-shareholder-grievances.aspx)	2,468	01	मुख्यतः इसमें मूल लाभांश वारंट प्राप्त न होने/ लाभांश प्राप्त न होने/ लाभांश वारंट के पुनः मान्यकरण, प्रतिभूतियाँ प्राप्त न होने/ हस्तांतरण से संबंधित शिकायतें आदि शामिल हैं.	2,153	0	मुख्यतः इसमें मूल लाभांश वारंट प्राप्त न होना/लाभांश प्राप्त न होना/लाभांश वारंट का पुनः मान्यकरण, प्रतिभूतियाँ प्राप्त न होना/हस्तांतरण से संबंधित शिकायतें आदि शामिल हैं
निवेशक [शेयर धारकों से इतर]	-	-	-	'ग्राहक' शीर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है जिसमें फ़्लेक्सी बॉण्ड संबंधी शिकायतें शामिल हैं	-	-	'ग्राहक' शीर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है जिसमें फ़्लेक्सी बॉण्ड संबंधी शिकायतें शामिल हैं

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं [हाँ / नहीं] (यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां
कर्मचारी एवं कामगार @	हाँ, आंतरिक रूप से, बैंक के कर्मचारी एक ऑनलाइन पोर्टल 'आई-हृदयो' पर शिकायत दर्ज और ट्रैक कर सकते हैं. यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप स्थापित यौन उत्पीड़न निवारण (पीओएसएच) तंत्र के तहत किया जाता है. (https://www.idbi.bank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf)	44	19	लागू नहीं	48	4	लागू नहीं
ग्राहक	हाँ, बैंक ने एक शिकायत निवारण नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत एक सुदृढ़ ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, जो विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप ग्राहकों की शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है. (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf)	66,538	795	फ्लेक्सीबॉण्ड शिकायतों सहित सभी स्रोतों से प्राप्त शिकायतें.	49,508	154	फ्लेक्सीबॉण्ड शिकायतों सहित सभी स्रोतों से प्राप्त शिकायतें.

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं [हाँ / नहीं] (यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ, बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मापदंडों के अनुपालन में एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है, जिसके अंतर्गत जनता/अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है. (https://www.idbi.bank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx) इसके अतिरिक्त, निर्धारित मौद्रिक सीमा से अधिक के प्रस्तावों हेतु बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाता, यदि कोई विवाद/शिकायत हो, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मापदंडों के अनुपालन में बैंक द्वारा नियुक्त दो स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. (https://www.idbi.bank.in/pdf/New-IEMs-in-IDBI-Bank.pdf)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं [हाँ / नहीं] (यदि हाँ तो शिकायत निवारण नीति का वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	शिकायतों की संख्या जो वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित थी	टिप्पणियां
अन्य (केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तंत्र तथा बैंक के व्हिसल ब्लोअर समाधान (डब्ल्यूबीएस) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतें)	हाँ, बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शिकायतों, जिनमें सतर्कता संबंधी पहलू निहित होते हैं, की जाँच के लिए एक समर्पित सतर्कता विभाग स्थापित किया है. (https://www.idbi.bank.in/vigilance-mechanism.aspx) बैंक ने व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत बताये अनुसार नैतिक विषयों एवं अनुपालन संबंधी मुद्दों हेतु एक आंतरिक रिपोर्टिंग तंत्र के रूप में व्हिसल ब्लोअर समाधान (डब्ल्यूबीएस) भी स्थापित किया है. यह तंत्र बैंक के इंट्रानेट पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से इसके मौजूदा कर्मचारी एवं निदेशक आंतरिक स्टाफ द्वारा की जाने वाली किसी भी अनुचित प्रथा या कदाचार की सूचना दे सकते हैं.	137	28	शिकायतों की कुल संख्या में सीवीसी शिकायत निवारण तंत्र के तहत प्राप्त 125 शिकायतें तथा डब्ल्यूबीएस के अंतर्गत प्राप्त 12 शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से वर्ष के अंत में सीवीसी तंत्र के अंतर्गत 24 शिकायतें और डब्ल्यूबीएस के अंतर्गत 4 शिकायतें निस्तारण हेतु लंबित थीं.	128	26	शिकायतों की संख्या में सीवीसी शिकायत निवारण तंत्र के तहत प्राप्त 117 शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से 26 वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित थीं और बैंक के व्हिसल ब्लोअर तंत्र के तहत प्राप्त 11 शिकायतें शामिल हैं, जिनमें से कोई भी वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित नहीं थी.

@- इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत शिकायतें शामिल हैं.

26. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारोबारी आचरण मुद्दों का विहंगावलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उन महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारोबारी आचरण एवं संधारणीयता संबंधी मुद्दों को इंगित करें, जो पर्यावरणीय एवं सामाजिक विषयों से संबंधित हैं तथा आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं; साथ ही, उनकी पहचान का औचित्य, जोखिम के अनुकूलन अथवा न्यूनीकरण हेतु अपनाई गई रणनीति तथा उनसे संबंधित वित्तीय प्रभावों का विवरण प्रदान करें:

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
1	जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** जलवायु परिवर्तन तथा निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से भौतिक जोखिम तथा संक्रमण संबंधी जोखिम उत्पन्न होते हैं, विशेषतः चरम मौसम घटनाओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता, भारत की नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं के समर्थन में विकसित होती विनियामकीय एवं नीतिगत पहलों, तथा उत्सर्जन एवं संधारणीयता से संबंधित पहलों पर विनियामकों तथा अन्य हितधारकों द्वारा बढ़ती जांच के परिप्रेक्ष्य में. • **अवसर:** कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण के प्रयास ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायक होते हैं, परिचालन संधारणीयता को सुदृढ़ करते हैं तथा संधारणीय वित्तपोषण की दिशा में परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं.	• बैंक के अपने परिचालनों में ऊर्जा संरक्षण रणनीति का मुख्य ध्यान ऊर्जा दक्षता में सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि तथा सतत परिचालन प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित है. प्रमुख पहलों में विद्युत एवं कूलिंग प्रणालियों का उन्नयन, तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर रूफटॉप सौर संयंत्रों का विस्तार, पावर फैक्टर एवं तापमान सेटिंग्स का अनुकूलन, तथा उपलब्ध ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहनों का उपयोग शामिल है. इन उपायों को नियमित ऊर्जा लेखापरीक्षण, सुदृढ़ निवारक देखभाल तथा कार्यबल के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है. • बैंक जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति अपने ऋण पोर्टफोलियो की दृढ़ता को रणनीतिक रूप से मजबूत करना चाहता है, साथ ही ऋण प्रदान करने की गतिविधियों को निम्नकार्बन अर्थव्यवस्था की उभरती परिवर्तन प्रक्रिया के अनुरूप बनाना है. इसके लिए बैंक ऋण मूल्यांकन, पोर्टफोलियो विश्लेषण तथा जोखिम प्रबंधन ढांचे में जलवायु संबंधी पहलुओं को समाहित करता है. यह जोखिम केंद्रित दृष्टिकोण पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाली गतिविधियों को ऋण प्रदान करने पर नीति आधारित प्रतिबंधों तथा पर्यावरणीय रूप से सतत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु पूंजी के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हरित जमा (ग्रीन डिपॉजिट) ढाँचे द्वारा समर्थित है.	• **नकारात्मक:** जलवायु से संबंधित जोखिम बैंक के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आस्ति गुणवत्ता पर दबाव उत्पन्न हो सकता है, ऋण लागत एवं संक्रमण-संबंधी व्यय में वृद्धि हो सकती है तथा पूंजी और चलनिधि पर संभावित दबाव पड़ सकता है. • **सकारात्मक:** जलवायु के अनुरूप रणनीतियाँ परिचालन लागतों के युक्तिकरण, पोर्टफोलियो की सुदृढ़ता में वृद्धि, नए राजस्व स्रोतों के सृजन, पूंजी की लागत में कमी, विकसित होते विनियामकीय रूपरेखाओं के साथ संरेखण तथा हितधारकों के विश्वास में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं, जिससे दीर्घकालीन व्यवसायिक वृद्धि और लाभप्रदता को समर्थन मिलता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
2.	कॉरपोरेट अभिशासन एवं नैतिकता	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** अप्रभावी अभिशासन तथा अनैतिक आचरण जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण तथा अनुपालन रूपरेखाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं. ऐसी कमियां वित्तीय हानियों, विनियामकीय उल्लंघनों तथा पर्यवेक्षी दंडात्मक कार्रवाइयों को जन्म देती हैं, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. • **अवसर:** सुदृढ़ अभिशासन एवं नैतिक आचरण विश्वास को सुदृढ़ करते हुए, जोखिम प्रबंधन में सुधार लाते हैं तथा हितधारकों के विश्वास को बढ़ाते हैं. इस प्रकार एक रणनीतिक लाभ प्रदान करते हैं और दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं.	• बैंक एक सुव्यवस्थित अभिशासन रूपरेखा के अनुरूप कॉरपोरेट अभिशासन तथा नैतिक आचरण के उच्च मानकों का पालन करता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही एवं अनुपालन सुनिश्चित करना है. बैंक विविध अनुभव वाले निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों के पर्यवेक्षण में संचालित होता है, जिससे विवेकपूर्ण निर्णय लेने, प्रभावी जोखिम प्रबंधन तथा विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है. स्पष्ट आचार संहिता, नैतिक नीतियाँ एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कर्मचारियों को दैनंदिन कार्यों में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व बनाए रखने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती हैं. • बैंक ने संगठन के समस्त स्तरों पर नैतिक आचरण तथा विनियामकीय अनुपालन की संस्कृति को प्रोत्साहित एवं सुदृढ़ करने हेतु मुख्य नैतिक अधिकारी तथा अंचल स्तर पर नैतिक अधिकारी के पदों को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया है.	• **नकारात्मक:** अभिशासन तंत्र और नैतिक आचरण में विफलताओं के परिणामस्वरूप मूर्त वित्तीय हानियाँ हो सकती हैं, जो विनियामकीय दंड, संभावित वाद-विवाद, और व्यापार की हानि तथा हितधारकों के विश्वास में कमी के कारण आय में गिरावट के रूप में उत्पन्न होती है. • **सकारात्मक:** प्रभावी अभिशासन तथा नैतिक आचरण, वित्तीय हानि के जोखिमों को कम करके, अनुपालन लागत को घटाते हुए, दक्षता को सुदृढ़ करने तथा सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन को समर्थ बनाकर वित्तीय लचीलापन को सुदृढ़ करते हैं.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
3	ग्राहक गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** डिजिटल बैंकिंग चैनलों के तीव्र विस्तार तथा परस्पर संबद्ध भुगतान पारितंत्रों के कारण साइबर सुरक्षा एवं ग्राहक डेटा गोपनीयता जोखिमों के प्रति जोखिम-संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जो साइबर सुरक्षा प्रणालियों, विक्रेता जोखिम प्रबंधन, अभिगम नियंत्रण तथा/या पुरानी प्रणालियों में अंतराल के कारण उत्पन्न होती हैं. ऐसी कमियाँ संभावित रूप से ग्राहक डेटा तक अनधिकृत पहुंच, उल्लंघन अथवा दुरुपयोग का कारण बन सकती हैं. • **अवसर:** सुरक्षित प्रौद्योगिकी अवसंरचना को अपनाना, सभी उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में गोपनीयता-आधारित डिज़ाइन सिद्धांतों का समावेश तथा उद्यम-स्तरीय डेटा अभिशासन रूपरेखा को सुदृढ़ करना डिजिटल युग में बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विभेदक के रूप में उभरा है. यह न केवल सुदृढ़ डेटा संरक्षण एवं ग्राहक जानकारी के नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करके ग्राहक विश्वास को सुदृढ़ करता है, अपितु ग्राहक के विश्वास और दीर्घकालिक निष्ठा को भी बढ़ावा देता है.	• बैंक ने एक सुदृढ़ साइबर सुरक्षा ढांचा स्थापित किया है, जिसका नेतृत्व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के अधीन कार्यरत सूचना सुरक्षा समूह द्वारा किया जाता है तथा जिसे व्यापक सूचना सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा नीतियों, साइबर संकट प्रबंधन योजना एवं नियमित उल्लंघन तैयारी अभ्यासों द्वारा संचालित किया जाता है. बैंक ने अपने आईटी जोखिम प्रबंधन एवं साइबर सुरक्षा ढांचे को और सुदृढ़ किया है, जिसके अंतर्गत नवी मुंबई स्थित अपने डेटा केंद्र (डीसी) तथा चेन्नई स्थित आपदा प्रबंधन स्थल में 24X7 अत्याधुनिक सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया गया है, जिससे साइबर खतरों की केंद्रीकृत निगरानी एवं समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है. डेटा केंद्र (डीसी), आपदा प्रबंधन (डीआर) तथा नियरडीआर सुविधाएँ आईएसओ/आईईसी 27001:2022 से प्रमाणित हैं, तथा नियरडीआर सुविधाएँ महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करती हैं. बैंक की भुगतान अवसंरचना, जिसे महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में नामित किया गया है, एक समर्पित समिति द्वारा पर्यवेक्षित की जाती है. कई उन्नत सुरक्षा समाधानों, सुदृढ़ क्लाउड सुरक्षा नियंत्रणों तथा व्यापक साइबर जोखिम बीमा उपायों के माध्यम से बैंक के समग्र साइबर लचीलेपन को सुदृढ़ किया गया है, जिससे सुरक्षित एवं संरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है.	• **नकारात्मक:** ग्राहक गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित स्थापित मापदंडों के अननुपालन पर पर्यवेक्षी कार्यवाही, जुर्माना, विधिक दायित्व, ग्राहक असंतोष तथा साख (प्रतिष्ठा) में हानि जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन व्यय में वृद्धि तथा व्यवसाय की नुकसान की संभावना रहती है. • **सकारात्मक:** नैतिक डेटा उपयोग तथा सुदृढ़ ग्राहक डेटा संरक्षण से ग्राहक विश्वास का निर्माण होता है, जिससे उनकी सहभागिता एवं राजस्व में वृद्धि होती है. साथ ही, यह डेटा उल्लंघनों, विनियामकीय दंड तथा अक्षमताओं से जुड़े वित्तीय एवं परिचालन जोखिमों को कम करने में भी सहायक होता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
				• बैंक ने 15 अप्रैल 2025 से एक समर्पित डेटा संरक्षण कार्यालय स्थापित किया है, जिसका नेतृत्व नामित डेटा संरक्षण अधिकारी (डीपीओ) द्वारा किया जाता है, ताकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी) के अनुपालन हेतु स्पष्ट उत्तरदायित्व एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके. बैंक ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति (डीपीडीपी) तैयार की है, जो डीपीडीपीए के सिद्धांतों तथा लागू विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप है. बैंक ने डीपीडीपीए अनुपालन को सुदृढ़ करने हेतु विक्रेता अनुबंधों तथा प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में सुदृढ़ डेटा संरक्षण प्रावधान शामिल किए हैं तथा महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए डेटा खोज (डेटा डिस्कवरी) प्रक्रिया पूर्ण की है, जिससे प्रभावी डेटा अभिशासन एवं जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके. इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपने कार्यबल के लिए डेटा संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं, प्रमुख इकाइयों में कुशल गोपनीयता अभिकर्ता नामित किए हैं, जिन्हें डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) के प्रमाणित डेटा संरक्षण अधिकारी (डीसीडीपीओ) प्रमाणन से लैस किया गया है, तथा पहचानी गई कमियों के समाधान और एक संपूर्ण डेटा गोपनीयता ढाँचे के कार्यान्वयन हेतु एक विशिष्ट परामर्शदाता को भी सूचीबद्ध किया गया है.	

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
4	ग्राहक शिक्षा एवं अनुभव	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** बैंकिंग उत्पादों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों तथा सुरक्षा प्रथाओं के संबंध में ग्राहकों की अपर्याप्त समझ धोखाधड़ी के प्रति बढ़ते जोखिम, सेवा विवादों, मिथ्या-विक्रय से संबंधित आरोपों तथा अनभिप्रेत भुगतान चूक की स्थितियों को जन्म दे सकती हैं. ग्राहक अनुभव में कमियाँ इस जोखिम को और बढ़ा सकती हैं, जिससे शिकायतों की संख्या में वृद्धि, ग्राहकों का विच्छेदन, नकारात्मक धारणा का निर्माण तथा विनियामकीय प्राधिकरणों के समक्ष मामलों के बढ़ते प्रेषण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. • **अवसर:** ग्राहक शिक्षा एवं अनुभव से ग्राहकों के साथ संपूर्ण जीवन-चक्र में लेन-देन केंद्रित अंतःक्रियाओं से मूल्य-आधारित सहभागिता की ओर रूपांतरण में सहायता मिल सकती है, जिससे सशक्त ग्राहक का निर्माण होता है.	• बैंक ने मल्टीचैनल पहुँच पहल, जिनमें डिजिटल मंच, शाखा संवाद तथा लक्षित जागरूकता अभियान शामिल हैं, के माध्यम से ग्राहकों को उत्पादों, सेवाओं, अधिकारों तथा सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के संबंध में स्पष्ट, समय पर तथा सहज रूप से समझ में आने वाली जानकारी प्रदान कर सशक्त बनाया है. बैंक नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करता है, संयोजित डिजिटल सामग्री प्रदान करता है तथा ग्राहकों को सूचित निर्णय लेने और दीर्घकालिक वित्तीय आत्मविश्वास विकसित करने में सहायता हेतु व्यक्तिगत सलाह उपलब्ध कराता है. साथ ही, बैंक ने प्रक्रिया सरलीकरण, पारदर्शी संचार, समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र तथा विभिन्न संपर्क बिंदुओं पर सुसंगत सेवा मानकों के माध्यम से समग्र रूप से निर्बाध ग्राहक अनुभव सुनिश्चित किया है. निरंतर प्रतिपुष्टि तंत्र तथा कार्मिक प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहकों से प्राप्त अंतर्दृष्टियों को बैंक के उत्पादों एवं सेवा मानकों में सार्थक सुधारों में रूपांतरित किया जाए.	• **नकारात्मक:** ग्राहक शिक्षा एवं अनुभव में कमियाँ अधिक धोखाधड़ी हानियों, सुधारात्मक कार्रवाइयों तथा शिकायत निवारण से संबंधित लागतों में वृद्धि, ग्राहकों के आधार में कमी के कारण राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव तथा संभावित विनियामकीय दंडों का कारण बन सकती हैं. • **सकारात्मक:** सक्रिय ग्राहक शिक्षा से डिजिटल सेवाओं को शीघ्र अपनाने में सहायता मिल सकती है, शाखाओं एवं ग्राहक सेवा केंद्रों पर निर्भरता में कमी आती है, सेवा लागत घटती है, तथा ग्राहक के विश्वास एवं निष्ठा के कारण क्रॉससेल एवं अपसेल के अवसर भी बढ़ते हैं.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
5	डिजिटलीकरण	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** बैंकिंग परिचालनों के तीव्र डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप साइबर खतरों, डेटा गोपनीयता उल्लंघनों, प्रणालीगत अवरोध, प्रौद्योगिकी के अप्रचलन तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लाउड अवसंरचना एवं थर्ड पार्टी फिनटेक भागीदारों पर बढ़ती निर्भरता के कारण उत्पन्न कमजोर नियंत्रणों, एकीकरण संबंधी विफलताओं एवं विनियामकीय अननुपालन से उत्पन्न कमजोरियों सहित विभिन्न जोखिमों में वृद्धि हो सकती है. • **अवसर:** डिजिटलीकरण बैंकों को दोहरा लाभ प्रदान करता है, जिसमें एक ओर ग्राहक अनुभव में सुधार होता है तथा दूसरी ओर परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है. स्वचालित एवं डेटा-आधारित प्रक्रियाएँ तेज सेवा प्रदाय एवं सुसंगत ग्राहक अंत:क्रियाओं को सक्षम बनाती हैं, जबकि डिजिटल स्व-सेवा चैनल परिचालन लागत तथा टर्नअराउंड समय को कम करने में सहायक होते हैं.	• बैंक ने ग्राहक डाटा एवं प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सशक्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अभिशासन, आवधिक कमजोरी आकलन, प्रवेशण परीक्षण तथा सतत नेटवर्क निगरानी के माध्यम से अपनी साइबर सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ किया है. अनधिकृत अभिगम तथा साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम हेतु बहु-कारक प्रमाणीकरण, एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल तथा उन्नत धोखाधड़ी निगरानी उपकरणों को लागू किया गया है. बैंक ने परिचालन लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सशक्त डेटा गोपनीयता नियंत्रण, सूचना सुरक्षा नीतियाँ तथा आपदा पुनर्प्राप्ति और व्यवसाय निरंतरता योजनाएँ भी स्थापित की हैं. आवधिक सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा, नियमित कर्मचारी प्रशिक्षण, ग्राहक जागरूकता पहल तथा विनियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन, प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन में बैंक की तत्परता को और सुदृढ़ करता है.	• **नकारात्मक:** डिजिटलीकरण संबंधी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने में असफलता से परिचालन हानियाँ हो सकती हैं, अनुपालन लागत में वृद्धि हो सकती है, विनियामकीय दण्ड लग सकते हैं तथा लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. • **सकारात्मक:** डिजिटलीकरण परिचालन लागतों में कमी, कार्यबल उत्पादकता में सुधार, ऋण मूल्यांकन को सुदृढ़ करने, धोखाधड़ी की पहचान की प्रक्रियाओं का स्वचालन तथा अनुपालन दक्षता में वृद्धि के माध्यम से सतत वित्तीय मूल्य सृजित कर सकता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
6	कर्मचारी विविधता एवं समावेशन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** कार्यबल में विविधता का अभाव बैंक में रणनीतिक एवं परिचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए आवश्यक विभिन्न दृष्टिकोणों, अनुभवों एवं महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियों के दायरे को सीमित कर सकता है. समान प्रकृति वाली टीमें विविध ग्राहक आधार की आवश्यकताओं को समझने और प्रभावी रूप से उनका समाधान करने में अपेक्षाकृत कम सक्षम हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे उत्पाद, सेवाएं तथा सेवा प्रदाय मॉडल विकसित हो सकते हैं जो पर्याप्त रूप से समावेशी न हों या बाज़ार की मांग के अनुरूप न हों. समावेशी कार्य संस्कृति में कमियाँ, असमान व्यवहार अथवा भेदभाव की धारणाओं के कारण धीरे-धीरे कर्मचारी सहभागिता, विश्वास एवं सहयोग को कमजोर कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता एवं मनोबल में कमी आ सकती है. • **अवसर:** संतुलित, विविधतापूर्ण एवं कौशलयुक्त कार्यबल का निर्माण कर्मचारी सहभागिता को सुदृढ़ करता है, कर्मचारियों की स्थिरता में सुधार लाता है तथा आंतरिक क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करता है. इससे निर्णय लेने को सशक्तता, कार्यकुशलता में वृद्धि, विवेकपूर्ण परिचालन निगरानी को समर्थन प्राप्त होता है तथा सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार संभव हो पाता है.	• बैंक अपनी सभी मानव संसाधन नीतियों एवं प्रथाओं में समानता तथा निष्पक्षता के सिद्धांतों को समाहित करते हुए एक विविधतापूर्ण एवं समावेशी कार्यबल को प्रोत्साहित करता है. भर्ती, विकास तथा कैरियर उन्नति का मार्गदर्शन योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर किया जाता है, जिससे सभी कर्मचारियों को समान अवसर सुनिश्चित होते हैं. बैंक कर्मचारी सहभागिता पहलों, विभिन्न शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों तथा विविधता के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता के माध्यम से एक समावेशी कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करता है.	• **नकारात्मक:** विविधता एवं समावेशन से संबंधित अप्रभावी प्रथाएँ मानव पूंजी से संबंधित व्यय में वृद्धि, आचरण जोखिम लागतों में बढ़ोतरी तथा प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव का कारण बन सकती हैं. दीर्घकाल में, ये कारक आय की स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं, आंतरिक नियंत्रणों की लागत को बढ़ा सकते हैं तथा परिचालन दक्षता और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं. • **सकारात्मक:** कार्यबल में समतामूलक प्रतिनिधित्व कार्यबल उत्पादकता तथा कर्मचारी सहभागिता में वृद्धि, परित्याग संबंधी लागतों में कमी, और नवोन्मेषण तथा सतत दीर्घकालीन मूल्य सृजन को प्रोत्साहित कर वित्तीय परिणामों में सुधार ला सकता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
7	वित्तीय समावेशन	जोखिम एवं अवसर	• **जोखिम:** वित्तीय समावेशन पर अपर्याप्त ध्यान भविष्य में विकास के अवसरों की लाभ क्षमता को प्रभावित कर सकता है तथा सुदृढ़, विविधीकृत एवं वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद बाजारों तक पहुँच बनाने में बाधा उत्पन्न कर सकता है. उत्पाद डिजाइन, जोखिम प्रबंधन ढांचे तथा ग्राहक शिक्षा पहल कार्यों में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने वाले पहलू, बाज़ार विस्तार को सीमित कर सकते हैं तथा ग्राहक जीवनकाल मूल्य में कमी ला सकते हैं. इसके अतिरिक्त, खराब ढंग से डिज़ाइन किए गए या अपर्याप्त रूप से अभिशासित समावेशन प्रयास, परिचालन त्रुटियों, साइबर जोखिमों, डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं तथा ग्राहक शिकायतों में वृद्धि जैसे जोखिम को बढ़ा सकते हैं. • **अवसर:** वित्तीय समावेशन, बिना बैंकिंग सुविधा वाले तथा आंशिक रूप से बैंकिंग सेवाओं से जुड़े वर्गों को सेवाएँ प्रदान करते हुए अप्रयुक्त बाजारों में विस्तार का अवसर प्रदान करता है तथा दीर्घकालिक रूप से सतत मूल्य सृजन में सहायक होता है, साथ ही, समावेशी आर्थिक विकास में सार्थक योगदान भी देता है.	• बैंक ने बैंकिंग एवं ऋण सेवाओं की उपलब्धता में मौजूद अंतराल को कम करते हुए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया है. प्रौद्योगिकी, सरलीकृत प्रक्रियाओं तथा सामुदायिक स्तर पर पहुँच के माध्यम से बैंक ने बचत, ऋण तथा डिजिटल भुगतान समाधानों को व्यापक रूप से अपनाए जाने में सक्षम बनाया है. इन पहल कार्यों का उद्देश्य वित्तीय सुदृढ़ता को बढ़ाना तथा विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी विकास को समर्थन प्रदान करना है.	• **नकारात्मक:** समावेशन का वित्तीय प्रभाव सामाजिक उद्देश्यों और व्यावसायिक व्यवहार्यता के बीच संतुलन स्थापित करने से उत्पन्न होता है. जहां समावेशी बैंकिंग दीर्घकालिक वृद्धि और विविधीकरण को समर्थन प्रदान करती है, वहीं खराब ढंग से डिज़ाइन की गई अथवा प्रभावी रूप से निगरानी न किये गए पहल कार्यों से आस्ति गुणवत्ता संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, व्यय में वृद्धि तथा अल्पकालिक प्रतिलाभ में कमी आ सकती है. • **सकारात्मक:** वित्तीय समावेशन से संबंधित पहल कार्य वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करने में सहायक हो सकते हैं, क्योंकि ये स्थिर एवं कम लागत वाले जमा धन की वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं, ऋण आधार के विविधीकरण में योगदान देती हैं तथा प्रति-बिक्री अवसरों के माध्यम से शुल्क-आधारित आय में वृद्धि करती हैं.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
8	मानव पूंजी प्रबंधन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** मानव पूंजी प्रबंधन में कमियाँ परिचालन त्रुटियों, नियंत्रण तंत्र में विफलताओं, विनियामकीय उल्लंघनों, धोखाधड़ी जोखिम में वृद्धि, कमजोर जोखिम अभिशासन, उत्पादकता में कमी तथा प्रतिष्ठागत क्षति का कारण बन सकती हैं. • **अवसर:** कार्यबल क्षमताओं का रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ समुचित संरेखण, उत्पादकता, लगातार कार्यनिष्पादन करने, कौशल अंतराल को पाटने, महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं में निरंतरता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को सुदृढ़ करता है.	• बैंक की मानव संसाधन नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ एक कुशल, संलग्न तथा कार्यनिष्पादन उन्मुख कार्यबल के निर्माण हेतु तैयार की गई हैं. बैंक सतत शिक्षण, नेतृत्व विकास एवं कैरियर प्रगति पर विशेष ध्यान देता है, जिसे निष्पक्ष एवं पारदर्शी मानव संसाधन प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित किया जाता है. कर्मचारियों के आचरण, नैतिकता एवं अनुपालन को निरंतर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है.	• **नकारात्मक:** मानव संसाधन प्रबंधन की कमजोर प्रथाएँ परिचालन तथा कार्यबल से संबंधित लागतों में वृद्धि का कारण बन सकती हैं जो विनियामकीय दंड को आकर्षित कर सकती हैं तथा हानि-जनित घटनाओं को जन्म दे सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता एवं दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. • **सकारात्मक:** लक्षित कौशल-विकास, भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा तथा कार्यनिष्पादन का सार्थक विभेदीकरण, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि, ग्राहकों के उत्कृष्ट परिणामों की प्राप्ति तथा दीर्घावधि में स्थायी लाभप्रदता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
9	मानवाधिकार	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** कार्यस्थल प्रथाओं, आपूर्ति श्रृंखला तथा हितधारक संबंधों से संबंधित मानवाधिकार जोखिमों के न्यूनीकरण हेतु उपयुक्त तंत्र का अभाव अथवा अपर्याप्तता विधिक, वित्तीय, प्रतिष्ठागत तथा परिचालन संबंधी प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं. • **अवसर:** कार्यस्थल प्रथाओं के अंतर्गत मानवाधिकारों के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता बैंक की एक उत्तरदायी तथा मूल्य-आधारित नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठा को बढ़ाती है. सुरक्षित कार्य परिवेश, उचित कार्य अवधि, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन तथा कार्य-जीवन संतुलन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां नैतिक प्रदर्शन के अनुरूप एक कर्मचारी-केंद्रित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने में सहायक होती हैं. ये प्रथाएं प्रतिभा को आकर्षित करने एवं बनाए रखने में योगदान देती हैं, साथ ही कर्मचारी सहभागिता एवं विश्वास को सुदृढ़ करती हैं.	• बैंक ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों की घोषणा के अनुरूप एक सुस्पष्ट मानवाधिकार नीति अपनाई है जो मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. यह नीति एक ऐसे सुरक्षित, स्वस्थ एवं उत्पीड़नमुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसमें विविधता एवं समान अवसर को प्रोत्साहित किया जाता है, बाल श्रम एवं जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है, मानवीय गरिमा को बनाए रखा जाता है, न्यायसंगत एवं पारदर्शी पारिश्रमिक तथा संवैधानिक लाभ सुनिश्चित किए जाते हैं, नैतिक आचरण को बढ़ावा दिया जाता है, संरचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाता है तथा कर्मचारियों को भेदभाव, उत्पीड़न एवं प्रतिशोध से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ लागू की जाती हैं.	• **नकारात्मक:** मानवाधिकार उल्लंघन लाभप्रदता और वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि इनके कारण विधिक एवं विनियामकीय कार्यवाहियों से उत्पन्न प्रत्यक्ष वित्तीय लागतें बढ़ती हैं, साथ ही साख (प्रतिष्ठा) को नुकसान पहुँचने के कारण व्यवसाय की हानि जैसे परोक्ष प्रभाव भी सामने आते हैं. • **सकारात्मक:** न्यायपूर्ण एवं समावेशी कार्यस्थल प्रथाओं में निवेश से सकारात्मक वित्तीय लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि इससे कर्मचारी क्षरण (एट्रिशन) में कमी के कारण लागत में बचत होती है, कुशल एवं प्रेरित कार्यबल के माध्यम से उत्पादकता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तथा विधिक और साख संबंधी जोखिमों के प्रति एक्सपोजर भी कम होता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
10	उत्पाद एवं सेवा नवाचार	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** उत्पाद एवं सेवा नवाचार का अभाव अथवा अपर्याप्तता बहुआयामी गंभीर जोखिम उत्पन्न करती है, जो परिचालन अक्षमताओं, बदलती ग्राहक अपेक्षाओं को पूरा करने की सीमित क्षमता, प्रतिस्पर्धी स्थिति में कमी तथा विनियामकीय एवं अनुपालन संबंधी जोखिमों में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है. • **अवसर:** नवाचारी उत्पाद प्रस्तावों तथा उन्नत सेवा प्रदाय से निरंतर बदलती ग्राहक प्राथमिकताओं को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा किया जा सकता है, जिससे ग्राहक अनुभव में सुधार होता है, ग्राहक निष्ठा सुदृढ़ होती है तथा दीर्घकालिक ग्राहक संबंधों का निर्माण होता है.	• बैंक की उत्पाद एवं सेवा नवाचार संबंधी रणनीति, डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से ग्राहक अनुभव तथा परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है, साथ ही विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करती है. उत्पाद एवं सेवा विभेदन के एक प्रमुख सक्षमकर्ता के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, बैंक एनालिटिक्स, ऑटोमेशन तथा क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर आधुनिक बैंकिंग अनुभव प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रहा है. इसके अतिरिक्त, बैंक अपने मौजूदा उत्पादों एवं सेवाओं की निरंतर समीक्षा एवं अद्यतन करता है तथा बदलती ग्राहक आवश्यकताओं, बाजार प्रवृत्तियों एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप समय-समय पर नए ऑफर प्रस्तुत करता है, जिससे दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता एवं प्रासंगिकता सुनिश्चित हो सके.	• **नकारात्मक:** नवाचार के अभाव से परिचालन लागत में वृद्धि, प्रक्रियाओं में अक्षम्यता, बाज़ार हिस्सेदारी में क्षरण तथा राजस्व स्रोतों के कमजोर होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. • **सकारात्मक:** उत्पाद एवं सेवा नवोन्मेष से ग्राहक अधिग्रहण एवं प्रतिधारण में सुधार, साथ ही ग्राहक के वॉलेट शेयर में वृद्धि होती है, जिसका बैंक के लाभ में योगदान होता है. साथ ही, यह डिजिटलीकरण/ स्वचालन के माध्यम से दक्षता में वृद्धि करते हुए परिचालन लागत को कम करने में भी सहायक होता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
11	विनियामक और कानूनी अनुपालन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** विकसित हो रही विनियामक आवश्यकताएं, सख्त प्रवर्तन तंत्र और खंडित दिशानिर्देश/मानदंड, परिचालन जटिलता और अनुपालन लागत को बढ़ा सकती हैं और अननुपालन के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, निर्णय लेने में बाधा डाल सकती हैं और चल रही पहलों को बाधित कर सकती हैं. • **अवसर:** मजबूत अनुपालन ढाँचे लचीलापन और विश्वसनीयता बढ़ाकर रणनीतिक अवसर पैदा करते हैं, जिससे विनियामक अपेक्षाओं के साथ सक्रिय तालमेल, बेहतर परिचालन अनुशासन और मजबूत हितधारक संबंधों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त होता है.	• बैंक ने बोर्ड की निगरानी, अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों और प्रक्रियाओं और एक समर्पित अनुपालन कार्य के द्वारा समर्थित एक मजबूत विनियामक और कानूनी अनुपालन ढांचा स्थापित किया है. बैंक आंतरिक नियंत्रण, प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी, समय-समय पर लेखापरीक्षा और समय पर विनियामक रिपोर्टिंग के माध्यम से लागू विनियामक और सांविधिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करता है. इसके अलावा, विनियामकों के साथ निरंतर जुड़ाव और कार्यबल के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं जागरूकता पहलों ने बैंक को अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद की है.	• **नकारात्मक:** विनियामक और कानूनी दायित्वों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप दंड/जुर्माना, मुकदमेबाजी लागत और व्यावसायिक प्रतिबंध हो सकते हैं, जो वित्तीय प्रदर्शन को काफी प्रभावित करते हैं. • **सकारात्मक:** मजबूत अनुपालन संस्कृति विनियामक जोखिमों को कम करके वित्तीय लचीलेपन को बढ़ाती है, साथ ही हितधारकों के विश्वास और भरोसे पर आधारित स्थिर और निरंतर विकास को सक्षम बनाती है.
12	प्रतिष्ठा और ब्रांड प्रबंधन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** अपनी कार्रवाइयों के साथ-साथ बाहरी घटनाओं, सार्वजनिक धारणाओं और संबद्ध जोखिमों से उत्पन्न प्रतिष्ठा संबंधी क्षति के परिणामस्वरूप हितधारक के विश्वास का असमान क्षरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप परिचालन और वित्तीय परिणामों पर कई गुना प्रभाव पड़ सकता है. • **अवसर:** एक सकारात्मक प्रतिष्ठा हितधारक के विश्वास को बढ़ाती है जबकि प्रभावी प्रतिष्ठा प्रबंधन प्रतिष्ठा जोखिम के बेहतर शमन को सक्षम बनाता है, प्रतिस्पर्धी लाभ और हितधारक विश्वास को मजबूत करता है.	• बैंक की प्रतिष्ठा और ब्रांड प्रबंधन रणनीति भौतिक, डिजिटल और संचार प्लेटफार्मों पर लगातार और बार-बार संदेश सुनिश्चित करके ब्रांड की पहचान को मजबूत करने पर केंद्रित है. ब्रांड उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बैंक सभी वितरण चैनलों में लेन-देन के टचप्वाइंट का लाभ उठाता है और ब्रांड तत्वों और संदेश संरचनाओं में निरंतरता बनाए रखने पर जोर देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह संज्ञानात्मक जुड़ाव के माध्यम से ब्रांड की पहचान का निर्माण करता है.	• **नकारात्मक:** प्रतिष्ठा को नुकसान उच्च ग्राहक टर्नओवर, बाज़ार हिस्सेदारी में कमी, उच्च विनियामक जांच हो सकती है, जिससे वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है. • **सकारात्मक:** मजबूत प्रतिष्ठा और ब्रांड प्रबंधन स्थिर जमा वृद्धि, निधियों की कम लागत, ग्राहक अधिग्रहण और सेवा लागत में कमी और लाभदायक क्रॉस-सेलिंग अवसरों को सक्षम करके ठोस वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
13	जोखिम प्रबंधन	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** जोखिमों की अपर्याप्त पहचान, मूल्यांकन या शमन से वित्तीय अस्थिरता, चलनिधि दबाव, विनियामक अननुपालन, परिचालन व्यवधान और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है. • **अवसर:** मजबूत जोखिम संस्कृति और सक्रिय जोखिम प्रबंधन सक्रिय रूप से लाभदायक अवसरों की पहचान करने, नए बाजारों में विवेकपूर्ण विस्तार करने और स्थिर प्रदर्शन द्वारा समर्थित नवाचार को सक्षम बनाता है, साथ ही विनियामक अनुपालन, हितधारक विश्वास को बढ़ाता है, इस प्रकार एक प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है.	• बैंक ने विनियामक मानदंडों के अनुरूप एक व्यापक और एकीकृत जोखिम प्रबंधन रणनीति अपनाई है. बैंक का जोखिम प्रबंधन ढांचा स्पष्ट रूप से परिभाषित बोर्ड-अनुमोदित जोखिम सहनशीलता ढांचे द्वारा निर्देशित है और बोर्ड-स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति सहित एक मजबूत अभिशासन संरचना के माध्यम से इसकी निगरानी की जाती है. ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम और परिचालन जोखिम जैसी प्रमुख जोखिमों की पहचान की जाती है, मापा जाता है, निगरानी की जाती है और अच्छी तरह से परिभाषित नीतियों, स्वतंत्र जोखिम कार्यों और मजबूत आंतरिक नियंत्रणों के माध्यम से कम किया जाता है.	• **नकारात्मक:** अपर्याप्त या कमजोर जोखिम प्रबंधन ढांचे के परिणामस्वरूप विनियामक दंड और वित्तीय नुकसान हो सकते हैं, जो परिचालन और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करते हैं. • **सकारात्मक:** प्रभावी जोखिम प्रबंधन नुकसान को न्यूनतम करके, पूंजी दक्षता को मजबूत करके, निरंतर व्यवसाय वृद्धि का समर्थन करके और अनुपालन लागत को कम करके वित्तीय प्रदर्शन को बढ़ाता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	बतायें जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव बतायें)
14	सतत वित्त	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** जैसे-जैसे स्थिरता वित्तीय बाजारों को नया आकार देती है, बैंकों को रणनीतिक जोखिम का सामना करना पड़ता है यदि उनके व्यवसाय मॉडल विकसित हो रहे ग्राहकों की जरूरतों, निवेशक प्राथमिकताओं और विनियामक अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होते हैं. घटते उद्योगों के प्रति अत्यधिक एक्सपोजर या सतत वित्त क्षमताओं में कम निवेश भविष्य में विकास के अवसरों को सीमित कर सकता है और बैंक की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकता है. इसके विपरीत, पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन, डेटा गुणवत्ता या विशेषज्ञता के बिना सतत वित्त के प्रति बढ़ते एक्सपोजर के परिणामस्वरूप गलत मूल्य निर्धारण, अक्षम पूंजी आवंटन और जोखिम बढ़ सकता है. • **अवसर:** सतत वित्तपोषण की ओर बदलाव नवीकरणीय ऊर्जा, सतत बुनियादी ढांचे, एमएसएमई परिवर्तन वित्तपोषण और हरित आवास जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे पोर्टफोलियो का विविधीकरण, दीर्घकालिक जोखिम लचीलापन को मजबूत करना और विनियामक अपेक्षाओं के साथ संरेखण की अनुमति मिलती है.	• बदलती विनियामक अपेक्षाओं और राष्ट्रीय स्थिरता प्राथमिकताओं के अनुरूप, बैंक अपनी वित्तपोषण गतिविधियों में स्थिरता जोखिम विचारों को उत्तरोत्तर शामिल कर रहा है. बैंक ऋण देने के निर्णयों में पर्यावरणीय और सामाजिक विचारों को शामिल करता है, विशेष रूप से पारिस्थितिक प्रभाव या विनियामक एक्सपोजर के प्रति उच्च संवेदनशीलता वाली परियोजनाओं के लिए. बैंक कार्बन-गहन और पर्यावरण के लिए हानिकारक क्षेत्रों को ऋण देने में सावधानी बरतता है, जबकि सतत बुनियादी ढांचे, एमएसएमई और विकास-उन्मुख गतिविधियों के लिए वित्तपोषण को प्रोत्साहित करता है.	• **नकारात्मक:** जलवायु परिवर्तन से वित्तीय निहितार्थ संक्रमण से संबंधित पोर्टफोलियो पुनः मूल्य निर्धारण और संपार्श्विक मूल्यों और उधारकर्ता नकदी प्रवाह को प्रभावित करने वाले भौतिक जोखिमों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं जो लंबी अवधि में आस्ति गुणवत्ता और ऋण बुक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं. • **सकारात्मक:** स्थायी वित्तपोषण कम जलवायु और विनियामक जोखिम वाली आस्तियों की ओर पूंजी को पुनर्निर्देशित करके दीर्घकालिक लाभप्रदता को बढ़ाता है, साथ ही ग्रीन बॉण्ड जैसे स्रोतों से स्थिर, दीर्घकालिक और अक्सर कम लागत वाली फंडिंग तक पहुंच के माध्यम से पूंजी दक्षता को बढ़ाता है.

भाग ख : प्रबंधन और प्रक्रिया का प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है:

क्र. सं.	प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1.	**क) क्या आपकी संस्था की नीति / नीतियों में एनजीआरबीसी के हर सिद्धांत और इसके मूलभूत तत्वों को शामिल किया गया है? [हाँ / नहीं]**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख) क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ? [हाँ / नहीं]	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग) इन नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हों	बैंक ने सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं के साथ-साथ उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप और संबंधित हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद नीतियों एवं तंत्रों का एक व्यापक समूह स्थापित किया है. इन नीतियों में ऐसी प्रक्रियाएं और प्रथाएं भी स्थापित की गई हैं जो जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों (एनजीआरबीसी) के सिद्धांतों के अनुरूप हैं. जहां इनमें से अधिकांश नीतियां और तंत्र बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/) पर पारदर्शिता और व्यापक हितधारक पहुंच के लिए सार्वजनिक रूप से प्रकट किए गए हैं, वहीं कुछ नीतियां और प्रक्रियाएं गोपनीयता, सूचना की संवेदनशीलता और/या व्यावसायिक विचारों के कारण आंतरिक दस्तावेजों के रूप में रखी जाती हैं और केवल आंतरिक हितधारकों के लिए सुलभ हैं. अधिक जानकारी के लिए कृपया **नोट** देखें.								
2.	**क्या संस्था ने अपनी नीति को क्रियाविधियों में परिवर्तित किया है ? [हाँ / नहीं]**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	**क्या सूचीबद्ध नीतियाँ आपकी मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं [हाँ/नहीं]**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	**आपकी संस्था द्वारा अपनाये गये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड / प्रमाणपत्र / लेबल / मानकों [जैसे फॉरेस्ट स्टूअर्ड्शिप काउंसिल, फेयर ट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायन्स, ट्रस्टी] मानक [जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस] का नाम और अपने हर सिद्धांत के साथ उन्हें जोड़ लिया है.**	बैंक ने भारत सरकार, विभिन्न सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों, जिनमें कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारतीय रिजर्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) आदि शामिल हैं, द्वारा निर्धारित लागू कानूनों/विनियमों/दिशानिर्देशों को अपनाया और उनका अनुपालन किया है.								
5.	**संस्था द्वारा सुपरिभाषित समय सीमा के साथ स्थापित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों**	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6.	**संस्था का विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्य और लक्ष्यों को लेकर कार्यनिष्पादन तथा यदि इनमें से कोई पूरा नहीं हुआ है तो उसके कारण.**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	अभिशासन, नेतृत्व और निगरानी	
7.	**कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा कथन, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटीकरण को रखने के संबंध में लचीलापन है) पर प्रकाश डाला गया हो**	कृपया वार्षिक रिपोर्ट के बीआरएसआर खंड में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) द्वारा दिये गए कथन को देखें.
8.	**कारोबारी उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण.**	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
9.	**क्या संस्था में बोर्ड / निदेशक की ऐसी कोई निर्दिष्ट समिति है जो संधारणीयता से संबंधित मुद्दों के बारे में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है?[हाँ / नहीं] यदि हाँ, तो विवरण दें.**	हाँ, बैंक का संधारणीयता के प्रति दृष्टिकोण इसकी पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) नीति में संस्थागत है, जो इसके परिचालन में जिम्मेदार और टिकाऊ प्रथाओं के लिए मार्गदर्शक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है. बोर्ड-स्तरीय सीएसआर और ईएसजी समिति बैंक की ईएसजी रणनीति को आकार देने और इसकी देखरेख करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है, जो इसकी दीर्घकालिक दृष्टि के अनुरूप दिशा और अभिशासन प्रदान करती है. इसके अलावा, समिति की संरचना, विचारार्थ विषय और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित समिति की बैठकों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉरपोरेट अभिशासन अनुभाग में प्रकट किया गया है. प्रबंधन स्तर पर, दिन-प्रतिदिन के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन सीएसआर, ईएसजी और प्रचार पर प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ नेतृत्व टीम के सदस्य शामिल होते हैं. नियमित समीक्षा और मूल्यांकन के माध्यम से, समिति ईएसजी पहलों के कार्यान्वयन और बैंक के स्थिरता लक्ष्यों की दिशा में की गई प्रगति की निगरानी करती है.

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का ब्योरा

समीक्षा के लिए विषय	**यह दर्शाएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / अन्य किसी समिति द्वारा समीक्षा की गयी थी**									**आवृत्ति (वार्षिक / छ:माही / त्रैमासिक / अन्य कोई - कृपया निर्दिष्ट करें)**								
	पी1	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**	**पी1**	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
उपर्युक्त नीतियों के संबंध में कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	मजबूत कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक प्रत्येक दस्तावेज़ में निर्दिष्ट समीक्षा चक्रों के अनुसार या अनुमोदन अधिकारियों द्वारा निर्देशित अनुसार अपनी नीतियों की समय-समय पर समीक्षा करता है ताकि उनकी निरंतर प्रभावशीलता और प्रासंगिकता सुनिश्चित की जा सके. आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से, बैंक अपनी नीतिगत संरचनाओं को और मजबूत करने के अवसरों की पहचान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि यह विकसित हो रही विनियामक आवश्यकताओं, उभरती व्यावसायिक प्राथमिकताओं और अपने व्यापक स्थिरता उद्देश्यों के साथ संरेखित है. नीति के प्रदर्शन का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और विकसित हो रही विनियामक आवश्यकताओं, व्यावसायिक प्राथमिकताओं और बैंक के व्यापक स्थिरता लक्ष्यों के साथ निरंतर संरेखण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार अद्यतन या संवर्द्धन शामिल किए जाते हैं.																	
सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन और किसी भी अननुपालन में सुधार	बैंक संबंधित सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सभी लागू कानूनों/विनियमों का पालन करता है.																	

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी से अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से आकलन / मूल्यांकन करवाया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं.	नहीं
12. प्रश्न	**यदि उपर्युक्त प्रश्न (1) का उत्तर ''नहीं'' है, अर्थात् नीति में सभी सिद्धांत शामिल नहीं है, कारणों का उल्लेख किया जाए :**
संस्था सिद्धांतों को अपने कारोबार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हाँ/ नहीं)	**लागू नहीं**
संस्था ऐसी स्थिति में नहीं है कि जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बना सके और उनको कार्यान्वित कर सके (हाँ /नहीं)	
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय अथवा/ मानवीय एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)	
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं)	
अन्य कोई कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	

नोट: *नौ सिद्धांतों के विभिन्न पहलुओं के तहत अभिशासन और नियंत्रण ढांचा प्रदान करने वाली बैंक की प्रमुख नीतियों और तंत्रों की सूची इस प्रकार है:*

सिद्धांत	नीतियां/तंत्र
सिद्धांत 1 *(सत्यनिष्ठा और जवाबदेही)*	• रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार विरोधी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf) • ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता (https://www.idbi.bank.in/commitment-code.aspx) • गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए क्षतिपूर्ति नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Compensation_Policy.pdf) • ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है) • सामान्य आचार संहिता और नैतिकता (https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx) • इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आईडीबीआई बैंक की आचार संहिता (https://www.idbi.bank.in/pdf/investor/Prevention_of_Insider_Trading.pdf) aspx • आईडीबीआई बैंक की अनुपालन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है) • एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है.) • अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है.) • अधिकारी सेवा, आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है.) • घटना संबंधी सूचना की महत्ता के निर्धारण और प्रकटीकरण की नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-for-Determination-of-Materiality-Disclosure-of-Events.pdf)

सिद्धांत	नीतियां/तंत्र
	• निगरानी तंत्र पर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism.pdf) • संबद्ध पार्टी लेनदेन (आरपीटी) नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-on-Related-Party-Transactions.pdf) • बैंक की पारिश्रमिक नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Remuneration-Policy-of-the-Bank.PDF) • आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति के तहत दबाव परीक्षण (https://www.idbi.bank.in/pdf/basel/Pillar-III-Disclosures_December-25.pdf) • सतर्कता तंत्र (https://www.idbi.bank.in/vigilance-mechanism.aspx) • व्हिसल ब्लोअर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Whistle-Blower-Policy.pdf)
सिद्धांत 2 *(सतत और सुरक्षित उत्पाद)*	• नागरिक चार्टर (https://www.idbi.bank.in/pdf/Citizen-Charter.pdf) • डिजिटल डेटा संरक्षण नीति (डीपीडीपी) (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • सूचना सुरक्षा ढांचा (https://www.idbi.bank.in/information-security.aspx) • एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • आईटी नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/basel/Pillar-III-Disclosures-March-26.pdf)
सिद्धांत 3 *(कर्मचारी कल्याण)*	• समान अवसर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf) • ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • सामान्य आचार संहिता और नैतिकता (https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx) • आईडीबीआई बैंक - व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंध (ओएसएचए) नीति (आई-ओएसएचए) (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • आई-हृदयो पोर्टल (यह पोर्टल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया गया है). • शिक्षण एवं कर्मचारी सहभागिता नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • अधिकारी सेवा, आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम (यह नियम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • निगरानी तंत्र पर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism.pdf) • सुरक्षा नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है).
सिद्धांत 4 *(हितधारक जवाबदेही)*	• कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/CSR-Policy.pdf) • ग्राहक सेवा नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf) • ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • आई-हृदयो पोर्टल (यह पोर्टल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया गया है). • निगरानी तंत्र पर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism.pdf) • पीओएसएच अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न निवारण समितियां (https://www.idbi.bank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf)

सिद्धांत	नीतियां/तंत्र
सिद्धांत 5 (मानवाधिकार संरक्षण)	• ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • मानवाधिकार नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/Human-Rights-Policy.pdf) • पीओएसएच अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न निवारण समितियां (https://www.idbi.bank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf)
सिद्धांत 6 *(पर्यावरण संरक्षण)*	• व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/basel/bcm-disclosure.pdf) • ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf)
सिद्धांत 7 *(जिम्मेदार हिमायत)*	• ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • आईडीबीआई बैंक की अनुपालन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है).
सिद्धांत 8 *(समावेशी विकास)*	• कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/CSR-Policy.pdf) • ईएसजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf)
सिद्धांत 9 *(जिम्मेदार ग्राहक सहभागिता)*	• नागरिक चार्टर (https://www.idbi.bank.in/pdf/Citizen-Charter.pdf) • ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता की संहिता (https://www.idbi.bank.in/commitment-code.aspx) • ग्राहक सेवा नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf) • ग्राहक क्षतिपूर्ति नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Compensation-Policy-Upload.pdf) • ग्राहक अधिकार नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Customer_Rights_Policy.pdf) • डिजिटल डेटा संरक्षण नीति (डीपीडीपी) (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • ईसीजी नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • उचित व्यवहार संहिता - सूक्ष्म-वित्त ऋण (https://www.idbi.bank.in/pdf/micro-loan-fpc.pdf) • ऋण देने के लिए उचित व्यवहार संहिता (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/FairPracticecodeforLending.pdf) • धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति (यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है). • शिकायत निवारण नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf) • सूचना सुरक्षा ढांचा (https://www.idbi.bank.in/information-security.aspx) • देय राशि के संग्रहण और प्रतिभूति के पुनर्ग्रहण पर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/collection_of_dues_policy.pdf) • अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन पर नीति (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Unauthorised-Electronic-Banking-Transactions-Policy.pdf)

भाग ग : सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन का प्रकटीकरण

इस भाग का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है. मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है. जहां आवश्यक संकेतकों को प्रत्येक संस्था द्वारा प्रकट किए जाने की उम्मीद है जो इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य है, वहीं नेतृत्व संकेतकों को स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरण और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति करने की आकांक्षा रखती हैं.

सिद्धांत 1: कारोबारों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से खुद का संचालन और नियंत्रण करना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम में शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का %
निदेशक मंडल@	7	• 24वां फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) - प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीएआई) का बाली में वार्षिक सम्मेलन • डिज़ाइन थिंकिंगः सतत व्यापार प्रभाव परिणाम • निदेशकों के लिए वित्तीय बुद्धिमत्ता • भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) - आईडीबीआई के निदेशकों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर आईडीबीआई का कार्यक्रम • स्विफ्ट अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन सेमिनार (एसआईबीओएस) 2025, फ्रैंकफर्ट • बोर्ड सदस्यों के लिए रणनीतिक अंतर्दृष्टि • बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वित्तीय संस्थानों (एफआई) के निदेशक मंडल के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन-शोधन-निवारण (एएमएल) पर वर्चुअल कार्यक्रम	100%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	49	• बाली में 24वां एफआईएमएमडीए-पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन • आरोहण सह लीड - महाप्रबंधकों के लिए नेतृत्व उत्कृष्टता और विकास कार्यक्रम • बैंकों, एफआई और एनबीएफसी के मुख्य वित्तीय अधिकारियों का सम्मेलन - नई चुनौतियाँ • नेतृत्वकर्ताओं द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण गलतियाँ • डिज़ाइन थिंकिंगः सतत व्यापार प्रभाव परिणाम • डेलॉइट द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम पर ऑनलाइन कार्यक्रम • दस्तावेज़ संभालने और प्रतिधारण नीति • आईडीबीआई साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत • आईडीबीआई के निदेशकों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर आईआईसीए-आईडीबीआई कार्यक्रम • भारत जलवायु और ऊर्जा डैशबोर्ड (आईसीईडी) • केवाईसी एएमएल - मनी म्यूल्स और ग्राहक सम्यक तत्परता (सीडीडी) दिशानिर्देश	100%

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम में शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का %
		• आईडीबीआई बैंक के कार्यपालकों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम - कार्यकारी निदेशक (ईडी) • बोर्ड रूम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों पर कार्यक्रम • एसआईबीओएस 2025, फ्रैंकफर्ट • बोर्ड सदस्यों के लिए रणनीतिक अंतर्दृष्टि • बैंकों, एनबीएफसी और एफआई के निदेशक मंडल के लिए केवाईसी/एएमएल पर वर्चुअल कार्यक्रम • आरोहण सह नेतृत्व उत्कृष्टता और विकास (एलईएडी) कार्यक्रम - महाप्रबंधकों (जीएम) के लिए • बैंक के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम-ओजेएएस में विनियामक और कार्यात्मक भूमिका आधारित ऑनलाइन मॉड्यूल • सचिवीय परिचालनों में एआई को शामिल करने पर वेबिनार • प्रभावी बोर्ड प्रबंधन और संप्रेषण की भूमिका पर वेबिनार • कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ऋण एवं उधार पर वेबिनार • आईपीएफ कानूनों को समझने के लिए वेबिनार • एमएसएमई पर वेबिनार: पेशेवरों के लिए अवसर • इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाने वाले (पीआईटी) विनियमों और संरचित डेटाबेस के व्यावहारिक पहलुओं पर वेबिनार • सेबी (एलओडीआर) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2024 पर वेबिनार • भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा आयोजित प्रगतिशील, समावेशी और सतत भारत विषय पर कंपनी सचिवों का 53वां राष्ट्रीय सम्मेलन • सेबी द्वारा आयोजित इनसाइडर ट्रेडिंग पर चर्चा • संबद्ध पक्षकार लेनदेनों, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) और अन्य चुनौतियों पर पैनल चर्चा • बोर्ड द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर पैनल चर्चा	
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	2,868	• आरोहण: वीराइज़ आईडीबीआई • अनुपालन, नियंत्रण और नैतिकता • भूमिका आधारित/उन्नत भूमिका आधारित कार्यशाला • पहली बार बने शाखा प्रमुख कार्यक्रम • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों पर जागरूकता कार्यक्रम • ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रम • नए भर्ती कार्मिकों के लिए परिचय कार्यक्रम सह भूमिका आधारित कार्यशालाएं • विशेष और अनुकूलित कार्यक्रम • प्रतिभा विकास कार्यक्रम • बाहरी शिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन • स्थान सुविधा कार्यक्रम • मेंटरशिप • ओजस के माध्यम से ई-लर्निंग	99%

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम में शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का %
कामगार	37	• आरोहण: वीराइज़ आईडीबीआई - कामगार कर्मचारियों के लिए एक व्यवहार विज्ञान और कल्याण कार्यक्रम • लिपिक स्टाफ के लिए भूमिका आधारित कार्यशाला • रिज़र्व बैंक के नोटों के विनिमय/वापसी संबंधी दिशानिर्देशों पर कार्यशाला • निरंतर समाशोधन और निपटान पर कार्यशाला • स्थान सुविधा कार्यक्रम • केवाईसी एएमएल - मनी म्यूल्स और सीडीडी दिशानिर्देश • प्राथमिकता और शेड्यूलिंग • पीओएसएच के कानूनी पहलू • आईडीबीआई साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत • फ़िशिंग ईमेल का पता लगाने और उनसे निपटने पर जागरूकता प्रशिक्षण • उद्देश्य के साथ जीवन जीना • फ़िशिंग ईमेल का पता लगाने और उनसे निपटने पर जागरूकता प्रशिक्षण • अन्य पक्ष जोखिम प्रबंधन (टीपीआरएम) - जोखिम विभाग द्वारा उपयोगकर्ता प्रशिक्षण	87%

@ - 31 मार्च 2026 को निदेशक मंडल और एमडी एवं सीईओ सहित मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की कुल संख्या पर विचार किया गया है.

2. निम्नलिखित प्रारूप में वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों की कार्यवाही में (संस्था द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) भुगतान किया गया जुर्माना/दंड/सजा/फैसले/कंपाउंडिंग फीस/समझौता राशि का विवरण (नोट: संस्था को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट महत्वपूर्णता के आधार पर और संस्था की वेबसाइट पर प्रकट किए गए अनुसार प्रकटीकरण करना होगा):

मौद्रिक

प्रकार	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम	राशि (₹ में)	मामले का संक्षिप्त सार	क्या कोई अपील दर्ज की गई है? (हाँ/नहीं)
दंड / जुर्माना	सिद्धांत 1	भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक)	₹ 34,98,285/-	• गुप्त दौरे के दौरान गंदे नोट स्वीकार करने/कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में लगाए गए जुर्माने (3 उदाहरण): ₹ 30,000/- • किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) में 3 लाख रुपये तक की स्वीकृत सीमा वाले किसानों को लागू उधार दर से अधिक ब्याज लेने के लिए वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में जुर्माना (1 उदाहरण) ₹ 31,80,000/-	नहीं

मौद्रिक					
प्रकार	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम	राशि (₹ में)	मामले का संक्षिप्त सार	क्या कोई अपील दर्ज की गई है? (हाँ/नहीं)
				• (i) गंदे नोट, (ii) नकदी की कमी, (iii) नकली नोट, (iv) अर्धवार्षिक सत्यापन न करने आदि के कारण करेंसी चेस्ट से संबंधित वित्तीय वर्ष 26 की पहली तिमाही में रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने (15 उदाहरण): ₹ 51,000/- • गुप्त दौरे के दौरान गंदे नोट स्वीकार करने/कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में लगाए गए जुर्माने (2 उदाहरण) ₹ 20,000/- • (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) नकली नोट के कारण वित्तीय वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट पर लगाए गए जुर्माने (12 उदाहरण): ₹ 21,050/- • गुप्त दौरे के दौरान गंदे नोट स्वीकार करने/कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में लगाए गए जुर्माने. (1 उदाहरण): ₹10,000/- • (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) नकली नोट के कारण वित्तीय वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट पर लगाए गए जुर्माने (12 उदाहरण): ₹ 46,900/- • गुप्त निरीक्षण के दौरान गंदे नोटों को स्वीकार करने/कमी पाए जाने पर वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने (9 उदाहरण): ₹ 1,00,000/-. • (i) गंदे नोट (ii) नकदी की कमी (iii) नकली नोट (iv) नकदी सत्यापन (v) वॉल्ट में बाहरी विद्युत स्विच कनेक्शन के कारण वित्तीय वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टों पर लगाए गए जुर्माने (12 उदाहरण) : ₹ 39,335/-	

मौद्रिक					
प्रकार	**एनजीआरबीसी सिद्धांत**	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम**	**राशि (₹ में)**	**मामले का संक्षिप्त सार**	**क्या कोई अपील दर्ज की गई है? (हाँ/नहीं)**
निपटान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कंपाउंडिंग शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
फैसला	सिद्धांत 1	ओआरबीआईओ	₹ 15,700/-	शिकायतकर्ता, जो दूसरे बैंक का ग्राहक है, दिनांक 11-05-2025 को नागपुर के सदर स्थित आईडीबीआई बैंक के एटीएम से ₹ 5,000 निकालने का प्रयास किया. हालांकि राशि डेबिट हो गई थी लेकिन नकद राशि नहीं निकली. भारतीय रिज़र्व बैंक के लोकपाल कार्यालय (ओआरबीआईओ) ने बैंक को रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजे सहित राशि वापस करने की सूचना दी. चूंकि बैंक ने लेनदेन की तारीख के बजाय शिकायत की तारीख से मुआवजा दिया, इसलिए ओआरबीआईओ ने लेनदेन की तारीख से मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया.	नहीं

गैर मौद्रिक				
प्रकार	**एनजीआरबीसी सिद्धांत**	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम**	**मामले का संक्षिप्त सार**	**क्या कोई अपील दर्ज की गई है? (हाँ/नहीं)**
कारावास	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
दंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. **उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट की गयी जानकारी में से उन मामलों के ब्योरे जिनके मामले में अपील / संशोधन दर्ज किया गया है जहां मौद्रिक अथवा गैर- मौद्रिक कार्रवाई करने की अपील की गयी है.**

मामले का विवरण	**विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम**
प्रश्न संख्या 2 में उल्लिखित मामलों के संबंध में, बैंक द्वारा कोई अपील/पुनर्विचार प्रस्तुत नहीं किया गया है.	

4. क्या संस्था की कोई भ्रष्टाचार विरोधी अथवा रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो उसका संक्षिप्त ब्योरा दें और यदि उपलब्ध हो, तो इस नीति से संबंधित वेब लिंक उपलब्ध कराएं.

हां, बैंक के पास बोर्ड द्वारा स्वीकृत रिश्वत विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति है जो ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक अभिशासन के साथ व्यवसाय का संचालन करने की इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है. यह नीति बैंक के सभी परिचालनों एवं हितधारकों के साथ परस्पर संवाद के दौरान रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के प्रति बैंक के शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है. यह नीति बैंक के आंतरिक कार्यबल को इंट्रानेट के माध्यम संप्रेषित की गई है तथा व्यापक प्रसार एवं जागरूकता के लिए बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf) पर सार्वजनिक डोमेन में भी रखा गया है.

5. निदेशकों/केएमपी /कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वत खोरी/भ्रष्टाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का ब्योरा:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-
केएमपी के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाये गये दंड / जुर्माने / की गयी कार्रवाई से संबंधित मामलों पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो या की जा रही हो तो उसका विवरण प्रस्तुत करें

लागू नहीं

8. निम्नलिखित प्रारूप में देनदारी लेखों के दिनों की संख्या ((देनदारी लेखे x 365)/ खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
देनदारी लेखों के दिनों की संख्या@	30	32

@ - कारोबार मॉडल को ध्यान में रखते हुए, बैंक की देय खातों से सीधे संबंधित कोई देनदारी नहीं है. बैंक की देयताओं को "अन्य देयताओं" शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और इनकी निगरानी खाता स्वामियों द्वारा की जाती है.

9. व्यापार में पारदर्शिता

निम्नलिखित प्रारूप में ट्रेडिंग हाउस, डीलरों और संबद्ध पक्षकारों के साथ ऋण और अग्रिम एवं निवेश सहित खरीद और बिक्री संकेंद्रण का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	मात्रक	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
खरीद संकेंद्रण	क) कुल खरीद के % के रूप में ट्रेडिंग हाउस से खरीद	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग कंपनी होने के नाते, बैंक पर खरीद एवं बिक्री के मापदंड लागू नहीं होते हैं. बैंक के पास जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं का एक व्यापक आधार है जिन्हें बैंक की नीतियों के अनुरूप जोड़ा जाता है. बैंक का किसी भी ट्रेडिंग हाउस/डीलर के साथ कोई लेन-देन नहीं है. संबद्ध पक्षकारों के साथ सभी लेन-देन निष्पक्ष तरीके से किए जाते हैं. संबंधित चार श्रेणियों के शीर्ष 20 खातों के संबंध में जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए के संकेद्रण का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है.	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग कंपनी होने के नाते, बैंक पर खरीद एवं बिक्री के मापदंड लागू नहीं होते हैं. बैंक के पास जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं का एक व्यापक आधार है जिन्हें बैंक की नीतियों के अनुरूप जोड़ा जाता है. बैंक का किसी भी ट्रेडिंग हाउस/डीलर के साथ कोई लेन-देन नहीं है. संबद्ध पक्षकारों के साथ सभी लेन-देन निष्पक्ष तरीके से किए जाते हैं. संबंधित चार श्रेणियों के शीर्ष 20 खातों के संबंध में जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए के संकेद्रण का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है.
	ख) ट्रेडिंग हाउसों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है		
	ग) ट्रेडिंग हाउसों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 ट्रेडिंग हाउसों से खरीदारी		
बिक्री संकेंद्रण	क) कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों/वितरकों को बिक्री		
	ख) डीलरों/ वितरकों की संख्या जिनको बिक्री की जाती है		
	ग) डीलरों/ वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री		
में आरपीटी का हिस्सा	क) खरीद (संबद्ध पक्षकारों से खरीद/कुल खरीद)	-	-
	ख) बिक्री (संबद्ध पक्षकारों को की गई बिक्री/कुल बिक्री	-	-
	ग) ऋण एवं अग्रिम (संबद्ध पक्षकारों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम/ कुल ऋण एवं अग्रिम)[@]	0.37%	0.42%
	घ) निवेश (संबद्ध पक्षकारों में निवेश/ किया गया कुल निवेश)[#]	0.25%	0.28%

@ - संबद्ध पक्षकारों को दिए गए ऋण/बैंक के सकल अग्रिम

 # - संबद्ध पक्षकारों में निवेश / बैंक का कुल सकल निवेश

नेतृत्व संकेतक

1. मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर चलाये गये जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित किये गये जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए (इन भागीदारों के साथ किए गए कारोबार मूल्य द्वारा) मूल्य श्रृंखला के भागीदारों का प्रतिशत
01	ईएसजी और बीआरएसआर का परिचय, उत्पाद, नीति और अनुपालन, ईएसजी की परिभाषा, ईएसजी के अंतर्गत फोकस क्षेत्र, ईएसजी पर राष्ट्रीय नीतियां और विनियमन, एनजीआरबीसी के नौ सिद्धांत, बीआरएसआर की प्रयोज्यता समयसीमा और बीआरएसआर कोर प्रकटीकरण का विवरण.	ईएसजी से संबंधित आवश्यकताओं के प्रति अपनी सभी मूल्य श्रृंखलाओं में जागरूकता एवं अनुपालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, बैंक ने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अपने प्रमुख विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं के बीच एक समर्पित प्रशिक्षण मॉड्यूल वितरित किया.

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों के हितों के टकराव को टालने के लिए /प्रबंधन करने के लिए कोई प्रक्रिया मौजूद है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो उक्त का विवरण प्रस्तुत करें.

हां. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा समर्थित एक व्यापक अभिशासन ढांचा स्थापित किया है जिसका उद्देश्य बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव की पहचान करना, उनका प्रबंधन करना और उनका निवारण करना है. बैंक की सामान्य आचार संहिता और नैतिकता, जो इसकी वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx) पर उपलब्ध है, में नैतिक आचरण और हितों के टकराव की स्थितियों को नियंत्रित करने वाले व्यापक प्रावधान दिए गए हैं जिनमें निदेशकों पर लागू विशिष्ट मार्गदर्शन भी शामिल है. इस ढांचे के हिस्से के रूप में, बोर्ड के सभी सदस्यों को अपने हितों की आवधिक और वार्षिक घोषणाएँ प्रस्तुत करनी होती हैं और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली बोर्ड बैठक में बाहरी संस्थाओं में अपने हितों में किसी भी परिवर्तन का प्रकटन करना होता है और किसी भी परिवर्तन की स्थिति में उसके तुरंत बाद ऐसा करना होता है. हितों के टकराव की पहचान होने या संभावित टकराव की समीक्षा बैंक की अभिशासन प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है. यदि किसी निदेशक का विचाराधीन मामले में व्यक्तिगत हित हो, तो निदेशक को विचार-विमर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखना आवश्यक है; विचार-विमर्श और निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी और पूर्वाग्रह रहित तरीके से लिये जाते हैं. हितों के टकराव के प्रबंधन की प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बैंक के व्यापक अभिशासन और नैतिकता ढांचे के हिस्से के रूप में बोर्ड स्तर की निगरानी के अधीन है.

सिद्धांत 2: कारोबारों को इस प्रकार वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों.

आवश्यक संकेतक:

1. संस्था द्वारा कुल आर एंड डी तथा पूंजीगत व्यय निवेशों की तुलना में उत्पाद एवं प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में क्रमशः आर एंड डी और पूंजीगत व्यय (केपेक्स) निवेशों का प्रतिशत.

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों में सुधारों का विवरण
आर एंड डी	वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं है.		
केपेक्स			

2. क. क्या संस्था के पास सतत् सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हाँ/नहीं).

हाँ

ख. यदि हाँ, तो इनपुट के कितने प्रतिशत स्थायी स्रोतों से प्राप्त किए गए थे?

बैंक ने नवस्थापित शाखाओं और चुनिंदा कार्यालयों एवं आवासीय सुविधाओं में प्रमाणित ग्रीन प्लाईवुड और ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसे पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों को अपनाकर सतत संचालन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है. ये पहलें बैंक के व्यापक सततता उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जिनमें पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना और अपनी परिचालन अवसंरचना में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना शामिल है. अपनी परिचालन

गतिविधियों से परे इस प्रतिबद्धता का विस्तार करते हुए, बैंक अपने विक्रेताओं और सेवा भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, सुदृढ़ श्रम प्रथाओं, मानवाधिकार संरक्षण और सुदृढ़ अभिशासन ढांचे को प्रोत्साहित करता है ताकि उनके ईएसजी प्रदर्शन को बढ़ाया जा सके. इसके अलावा, बैंक ने कई प्रस्तावों के लिए अनुरोधों (आरएफपी) में ईएसजी-विशिष्ट खंड शामिल किए हैं, जिनमें सांविधिक और विनियामक अनुपालन, नैतिक व्यावसायिक आचरण, हितों के टकराव से बचाव, डेटा सुरक्षा, सूचना सुरक्षा मानकों का पालन और उल्लंघनों के लिए क्षतिपूर्ति जैसे क्षेत्र शामिल हैं. अपनी खरीद प्रक्रियाओं को वैश्विक स्थिरता मानकों के अनुरूप बनाने के लिए, बैंक जहां भी संभव हो, आईएसओ 14001 जैसे स्थापित पर्यावरण प्रबंधन ढांचों से प्रमाणित विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता देता है. बढ़ी हुई सुरक्षा और टिकाऊ परिचालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत बैंक अग्निरोधी पेंट, अग्निरोधी दरवाजे, अग्निरोधी प्लाईवुड और नाइट्राइल इन्सुलेशन जैसी कम/शून्य ज्वलनशील सामग्रियों की सोर्सिंग को प्राथमिकता दे रहा है.

3. जीवनकाल की समाप्ति पर अपने उत्पादों को पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुन: प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें:(क) प्लास्टिक (पैकिंग सामग्री सहित), (ख) ई-वेस्ट (ग) हानिकारक कचरा (घ) अन्य कचरा

वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.

4. क्या संस्था की गतिविधियों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) लागू है ?(हाँ / नहीं). यदि हाँ, तो क्या कचरा उठाने की योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो उक्त के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करें.

वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी भी उत्पाद के लिए (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी किसी भी सेवाओं के लिए (सेवा उद्योग के लिए) उसका जीवन चक्र परिदृश्य / मूल्यांकन (एलसीए) किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में उसका ब्योरा प्रस्तुत करें.

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल टर्नओवर में योगदान %	जीवन चक्र परिदृश्य/ मूल्यांकन हेतु निर्धारित सीमा	क्या यह किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया था (हाँ/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो वेबलिंक प्रदान करें

वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक अथवा पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिमें पैदा हो रही हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिदृश्य / मूल्यांकन (एलसीए) में या अन्य किसी माध्यम के जरिये पहचाना गया है, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें और उसे कम करने के लिए किये गये उपाय का भी उल्लेख करें.

इनपुट सामग्री इंगित करें	जोखिम/ चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई

वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.

3. उत्पादन में (विनिर्माण उद्योग के लिए) अथवा सेवा प्रदान करने के लिए (सेवा उद्योग के लिए) उपयोग में लाई गई कुल सामग्री में से री-सायकल की गई या दोबारा उपयोग में लाई गई सामग्री का प्रतिशत.

उत्पाद/सेवा का नाम	कुल सामग्री में री-सायकल की गई या पुन: उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25

वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.

4. निम्नलिखित प्रारूप में उत्पादों के जीवन चक्र के अंत में पुन: प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से पुन: उपयोग की गई, री-सायकल की गई और सुरक्षित रूप से नष्ट की गई मात्रा (मेट्रिक टन में) बताएं:

प्रकार	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	पुन: उपयोग की गई	री-सायकल की गई	सुरक्षित रूप से नष्ट की गई	पुन: उपयोग की गई	री-सायकल की गई	सुरक्षित रूप से नष्ट की गई
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.					
ई-कचरा						
खतरनाक अपशिष्ट						
अन्य अपशिष्ट						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुन:प्राप्त किये गये उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गये उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)

उत्पाद श्रेणी इंगित करें	संबंधित श्रेणी में कुल बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में पुन:प्राप्त किये गये उत्पाद एवं उनकी पैकेजिंग सामग्री
वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में परिचालनों की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं होता है.	

सिद्धांत 3: कारोबारों को उनकी मूल्य श्रृंखलाओं के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का ब्योरा:

श्रेणी	कुल (ए)	इनके अंतर्गत शामिल कर्मचारियों का %									
		स्वास्थ्य बीमा@		दुर्घटना बीमा		प्रसूति लाभ		पितृत्व लाभ		पालना घर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी /ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ /ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	11,959	11,959	100%	11,959	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	11,959	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	6,579	6,579	100%	6,579	100%	6,579	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**18,538**	**18,538**	**100%**	**18,538**	**100%**	**6,579**	**35.49%**	**11,959**	**64.51%**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
स्थायी कर्मचारियों से इतर											
पुरुष	861	852	98.95%	861	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	724	723	99.86%	724	100%	724	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**1,585**	**1,575**	**99.37%**	**1,585**	**100%**	**724**	**45.68%**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

@ - स्थायी कर्मचारी बैंक की इन-हाउस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आते हैं. प्रवेश स्तर के अधिकारी फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं.

ख. कामगारों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का ब्योरा

श्रेणी	कुल (ए)	इनके अंतर्गत शामिल कामगारों का %									
		स्वास्थ्य बीमा@		दुर्घटना बीमा		प्रसूति लाभ		पितृत्व लाभ		पालना घर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी / ए)	संख्या (सी)	% (सी /ए)	संख्या (डी)	% (डी / ए)	संख्या (ई)	% (ई / ए)	संख्या (एफ)	% (एफ /ए)
स्थायी कामगार											
पुरुष	425	425	100.00%	425	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	425	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	145	145	100.00%	145	100.00%	145	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	570	570	100.00%	570	100.00%	145	25.44%	425	74.56%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कामगारों से इतर											
पुरुष	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
महिला	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
कुल	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

@ - स्थायी कामगार बैंक की इन-हाउस चिकित्सा योजना के अंतर्गत आते हैं.

ग. कर्मचारियों एवं कामगारों (स्थायी तथा अस्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर किए गए व्यय का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण संबंधी उपायों पर उपगत लागत@	0.32%	0.32%

@ वित्तीय सहायता के उपाय के रूप में बैंक अपने दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रित परिवारजन को अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर अनुग्रह राशि भी प्रदान करता है.

2. चालू वित्तीय वर्ष तथा पिछले वित्तीय वर्ष के सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण.

क्रम सं.	लाभ	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में शामिल	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई (हाँ/ नहीं/ लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई (हाँ / नहीं / लागू नहीं)
1.	भविष्य निधि (पीएफ)	2.08%	10.54%	हाँ	2.45%	11.49%	हाँ
2.	ग्रेच्युटी	100.00%	100.00%	हाँ	100.00%	100.00%	हाँ
3.	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई)	0.00%	0.00%	लागू नहीं	0.00%	0.00%	लागू नहीं
4.	अन्य - पेंशन एवं एनपीएस@	97.92%	89.46%	हाँ	97.55%	88.51%	हाँ

@ - उन कर्मचारियों को छोड़कर जिनका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) नहीं खोला गया है.

3. कार्यस्थलों की सुलभता

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार संस्था के परिसर / कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं ? यदि नहीं, तो क्या संस्था इस संबंध में कोई कदम उठा रही है.

बैंक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, दिव्यांगजनों सहित सभी आगंतुकों, कर्मचारियों एवं कामगारों के लिए बाधारहित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. काफी संख्या में शाखाएं पहले से ही निर्धारित सुलभता मानकों को पूरा करती हैं, जबकि कई अन्य आंशिक रूप से अनुपालन करती हैं और पूर्ण अनुरूपता प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन्नत की जा रही हैं. कुछ मामलों में, वैधानिक सीमाओं, स्थान की कमी, या संरचनात्मक और विनियामक स्थितियां जैसे स्थल-विशिष्ट कारकों से पूर्ण अनुपालन वर्तमान में बाधित है और ऐसे मामलों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है ताकि जब भी संभव हो सुधार किए जा सकें. पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए बैंक ने वैकल्पिक व्यवस्थाएँ शुरू की हैं जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएँ शामिल हैं और पहुँच संबंधी चिंताओं को दूर करने और आवश्यक सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शाखा में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं. 31 मार्च 2026 को कुल 2,174 शाखाओं (69 आईडीबीआई समीम बैंकिंग आउटलेट को छोड़कर) में से 1,078 शाखाओं में रैंप की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी और 33 शाखाओं में रैंप लगाने का काम प्रगति पर है. इसके अतिरिक्त 293 शाखाओं को रैंप की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे समतल प्रवेश या लिफ्ट-आधारित पहुंच के माध्यम से सुलभ हैं. शेष 770 शाखाएँ ऊपरी मंजिलों पर स्थित हैं जिसके कारण रैंप लगाना अव्यवहार्य है. समावेशी कार्यस्थल के महत्व को पहचानते हुए, 97 क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों में से 66 में सुलभता संबंधी सुविधाएं प्रदान की गई हैं. बैंक इन सुविधाओं को अन्य कार्यालयों तक विस्तारित करने के विकल्पों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है, जहां भी यह संभव हो. इसके अतिरिक्त, दृष्टिबाधित कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में स्वतंत्र रूप से आने-जाने में सहायता करने के लिए चुनिंदा कार्यालयों में आवाज-सक्षम लिफ्ट सिस्टम भी स्थापित किए गए हैं.

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति मौजूद है? यदि हाँ, तो उक्त नीति की वेब लिंक उपलब्ध कराएं.

हाँ. बैंक अपनी समान अवसर नीति के माध्यम से समानता, विविधता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का पालन करता है. यह नीति बैंक की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह सभी कर्मचारियों और योग्य नौकरी आवेदकों को उनकी जाति, धर्म, रंग, वंश, वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु, राष्ट्रीयता, अक्षमता और अन्य कारकों पर ध्यान दिये बिना समान अवसर प्रदान करेगा. नीति के प्रावधानों का उद्देश्य योग्यता-आधारित व्यावसायिक विकास द्वारा परिभाषित एक विविध और समावेशी कार्य संस्कृति सुनिश्चित करना है, साथ ही लागू श्रम कानूनों और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करना है. हितधारकों के बीच व्यापक प्रसार के लिए यह नीति बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf) पर उपलब्ध है.

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में पितृत्व/ मातृत्व छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी एवं काम पर बने रहने की दर

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर लौटने की दर@	बने रहने की दर#	काम पर लौटने की दर@	बने रहने की दर#
पुरुष	99.78%	91.85%	100%	100%
महिला	79.33%	87.40%	50%	100%
कुल	**90.66%**	**89.95%**	**85.71%**	**100%**

@ - काम पर लौटने की दर के लिए, उन अधिकारियों को शामिल किया गया है जिन्होंने पितृत्व/मातृत्व छुट्टी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 मार्च 2026 तक) के दौरान समाप्त अवधि में ली है और जो 31 मार्च 2026 को सेवा में थे.

 # - बने रहने की दर के लिए, उन अधिकारियों को शामिल किया गया है जिन्होंने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान पितृत्व/मातृत्व छुट्टी ली थी और 12 महीने बाद सेवा में बने रहे और 31 मार्च 2026 को सेवा में थे.

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों की शिकायतें सुनने का और उनका निवारण करने का कोई तंत्र मौजूद है ? यदि हाँ, तो उस तंत्र का ब्योरा संक्षिप्त में दीजिए.

श्रेणी	हाँ/नहीं	संक्षिप्त में तंत्र का ब्योरा
स्थायी कामगार	हाँ	हाँ, बैंक के पास आई-हृदयो नामक एक ऑनलाइन पोर्टल है जो बैंक के इंट्रानेट पर उपलब्ध है और जिसके माध्यम से कर्मचारी एवं कामगार अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों के अंतर्गत अंतर्निहित अपीलीय तंत्र भी स्थापित किए हैं.
स्थायी कामगारों से इतर	हाँ	
स्थायी कर्मचारी	हाँ	
स्थायी कर्मचारियों से इतर	हाँ	

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यताप्राप्त संघ (घों) अथवा यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (ए)@	संबंधित श्रेणी में उन कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जो संघ(घों))अथवा यूनियनों के हिस्से हैं (बी)#	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी /कामगार (सी)@	संबंधित श्रेणी में उन कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जो संघ(घों))अथवा यूनियनों के हिस्से हैं (डी)#	% (डी/सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	**20,123**	**11,304**	**56.17%**	**19,087**	**10,968**	**57.46%**
- पुरुष	12,820	7,770	60.61%	12,333	7,708	62.50%
- महिला	7,303	3,534	48.39%	6,754	3,260	48.27%
कुल स्थायी कामगार	**570**	**502**	**88.07%**	**644**	**584**	**90.68%**
- पुरुष	425	386	90.82%	487	457	93.84%
- महिला	145	116	80.00%	157	127	80.89%

** - डेटा में संविदा पर कर्मचारी शामिल हैं.*

 # - हालांकि किसी भी यूनियन/संघ को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा नहीं दिया गया है, उपर्युक्त बैंक में संचालित प्रमुख यूनियनों /संघों की संभावित सदस्यता स्थिति है.

8. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गये प्रशिक्षण का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26					वित्तीय वर्ष 2024-25				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (ई)	% (एफ/डी)
कर्मचारी										
पुरुष	12,820	12,536	97.78%	12,731	99.31%	12,333	11,617	94.19%	12,155	98.56%
महिला	7,303	7,075	96.88%	7,195	98.52%	6,754	6,221	92.11%	6,609	97.85%
कुल	**20,123**	**19,611**	**97.46%**	**19,926**	**99.02%**	**19,087**	**17,838**	**93.46%**	**18,764**	**98.31%**
कामगार										
पुरुष	425	351	82.59%	351	82.59%	487	394	80.90%	397	81.52%
महिला	145	131	90.34%	131	90.34%	157	145	92.36%	145	92.36%
कुल	**570**	**482**	**84.56%**	**482**	**84.56%**	**644**	**539**	**83.70%**	**542**	**84.16%**

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्यनिष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	कुल (ए)@	संख्या (बी)#	% (बी/ए)	कुल (सी)@	संख्या (डी)#	% (डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	12,844	12,317	95.90%	11,147	10,764	96.56%
महिला	7,315	6,624	90.55%	5,802	5,208	89.76%
कुल	**20,159**	**18,941**	**93.96%**	**16,949**	**15,972**	**94.24%**
कामगार						
पुरुष	458	457	99.78%	525	524	99.81%
महिला	155	154	99.35%	165	165	100.00%
कुल	**613**	**611**	**99.67%**	**690**	**689**	**99.86%**

@ - कुल कर्मचारियों में वित्तीय वर्ष के अंत में कार्यरत कर्मचारी और साथ ही सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/मृत कर्मचारी शामिल हैं जिनका कार्यनिष्पादन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के लिए किया गया है.

 # - कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जिनका कार्यनिष्पादन मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के लिए किया गया है.

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

क. क्या संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ /नहीं) यदि हाँ, ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?

हां, बैंक ने अपने परिसरों में कार्यरत सभी कर्मचारियों और ऑफ-रोल स्टाफ को सुरक्षित, स्वस्थ और संरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए एकीकृत व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और आश्वासन (i-OSHA) नीति को अपनाया है. यह नीति कार्यस्थल पर लागू व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विनियमों के अनुपालन में सुरक्षा प्रथाओं की निरंतर निगरानी और सुधार के माध्यम से सक्रिय रूप से जोखिम की पहचान और रोकथाम पर केंद्रित है. बैंक की सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने और इसके परिचालनों में कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और घटना रिपोर्टिंग तंत्र को नीति का अभिन्न अंग बनाया गया है. बैंक की सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने और इसके सभी कार्यों में कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और घटना रिपोर्टिंग तंत्र को नीति का अभिन्न अंग बनाया गया है. बैंक ने अपने सभी कार्यालयों और शाखाओं में व्यापक सुरक्षा उपाय भी किए हैं, जिनमें अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाना, क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी के लिए प्रणाली लगाना, एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई बैठने की व्यवस्था करना और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना शामिल है. बैंक अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण पर विशेष जोर देता है, जिसके तहत प्रधान कार्यलय, अंचल कार्यालयों और प्रशिक्षण कॉलेज सहित प्रमुख स्थानों पर बैंक चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) की नियुक्ति की जाती है और समय-समय पर स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. बैंक द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से कर्मचारियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य जांच भी कराई जाती है, जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी चिकित्सा नीति और लागू स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अनुसार व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है ताकि कर्मचारियों को उनके चिकित्सा संबंधी व्यय को पूरा करने में सहायता मिल सके.

ख. संस्था द्वारा कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

बैंक समय -समय पर अग्नि मॉक ड्रिल आयोजित करके और सभी उपकरणों का नियमित निवारक रखरखाव करके सुरक्षा और परिचालन निरंतरता के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है ताकि कर्मचारियों की तैयारी और निरंतर परिचालन दक्षता सुनिश्चित हो सके. कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सभी कामगारों को हेलमेट, दस्ताने और सुरक्षा जूते जैसे आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते हैं और किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), कार्य परमिट और उचित साइनेज सुनिश्चित किए जाते हैं. कार्यस्थलों

का दैनिक निरीक्षण किया जाता है और संभावित जोखिमों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए आवधिक रूप से दुर्घटनाओं के इतिहास की समीक्षा की जाती है. बैंक अपने परिसरों का नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा ऑडिट भी करता है और पहचाने गए जोखिमों को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करता है. बैंक की नीति के अनुसार, सभी सुरक्षा, ऑडिट और रखरखाव संबंधी जानकारी को आपदा और व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन आईटी सिस्टम (आई-डीएबी) में व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है, निगरानी और अद्यतन किया जाता है. बैंक परिसर में फर्श की सफाई के दौरान, गीले फर्श की स्थिति के बारे में सूचित करने और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए उचित साइनेज और भौतिक बैरिकेड्स लगाए जाते हैं.

ग. क्या आपके पास कामगारों द्वारा काम से संबंधित खतरों को रिपोर्ट करने तथा उन्हें स्वयं को ऐसे जोखिमों से हटाने की प्रणाली मौजूद है? (हाँ / नहीं)?

हाँ. बैंक अपने प्रधान कार्यालय में कार्यस्थल पर होने वाली घटनाओं और खतरों को दर्ज करने के लिए इलेक्ट्रिकल शॉक रजिस्टर सहित संबंधित रजिस्टर और लॉगबुक रखता है. इसके अतिरिक्त, मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) निवारक उपायों और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिससे व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को बल मिलता है.

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/ कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध है ? (हाँ/ नहीं)?

कर्मचारी कल्याण संबंधी पहलों के अंतर्गत, बैंक अपनी चिकित्सा योजना के तहत सभी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा कवरेज सुनिश्चित करता है. इसके अतिरिक्त, बैंक के कनिष्ठ कर्मचारियों को फ्लोटर ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है, जिससे सभी कर्मचारी श्रेणियों को पर्याप्त चिकित्सा कवरेज प्राप्त होता है. बैंक के प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाती है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, लिवर फंक्शन, नेत्र स्वास्थ्य और हृदय स्वास्थ्य संबंधी मूल्यांकन शामिल हैं. वर्ष के दौरान बैंक ने कैंसर जागरूकता, महिला स्वास्थ्य और आहार एवं पोषण पर केंद्रित कई स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए हैं जो निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सतत कर्मचारी कल्याण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं.

11. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का निम्नलिखित प्रारूप में ब्योरा :

सुरक्षा से संबंधित घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
लॉस्ट टाइम इंज्युरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति एक मिलियन-व्यक्ति घंटे के काम)	कर्मचारी	वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बैंक का कोई भी कर्मचारी/ कामगार ऐसा नहीं था जिसे कार्य संबंधी चोट/अस्वास्थ्यता/अपमृत्यु का सामना करना पड़ा हो.	
	कामगार		
काम-काज से जुड़ी दर्ज करने योग्य कुल चोटें	कर्मचारी		
	कामगार		
मृतकों की संख्या	कर्मचारी		
	कामगार		
कार्य से जुड़ी चोट के भारी परिणाम अथवा अस्वास्थ्य (मृतकों को छोड़कर)	कर्मचारी		
	कामगार		

** संविदा कार्यबल सहित*

12. संस्था द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल को सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपायों का वर्णन करें.

बैंक अपने सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित तथा स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए, बैंक ने आईडीबीआई बैंक - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आश्वासन (आई-ओशा) नीति को अपनाया है, जो आईएसओ 45001:2018, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता, 2020 तथा अन्य राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, बैंक के समस्त परिसरों में एक व्यापक कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ढांचा स्थापित करती है. यह नीति, सक्रिय जोखिम पहचान, कार्यस्थल खतरों की रोकथाम, लागू व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विनियमों के अनुपालन, तथा सुरक्षा प्रथाओं की निरंतर निगरानी एवं सुधार पर केंद्रित है. यह नीति बैंक, कर्मचारियों तथा संविदाकारों की जिम्मेदारियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, अग्नि, विद्युत, एर्गोनॉमिक्स तथा आंतरिक वायु गुणवत्ता संबंधी मानकों के अनुपालन को अनिवार्य बनाती है, आपातकालीन प्रत्युत्तर योजनाओं, अभ्यासों, लेखापरीक्षाओं एवं प्रशिक्षण के माध्यम से तत्परता को सुदृढ़ करती है तथा सुरक्षा संबंधी विचारों को व्यवसाय निरंतरता

और ईएसजी प्रतिबद्धताओं के साथ समन्वित करती है. यह खतरों की पहचान एवं जोखिम आकलन (एचआईआरएसी), परिचालन नियंत्रण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीमा लाभ, कल्याणकारी पहल, घटना रिपोर्टिंग तंत्र, कार्य-निष्पादन की निगरानी तथा संरचित कार्ययोजनाओं एवं आवधिक प्रबंधकीय समीक्षा के माध्यम से सतत सुधार को समाहित करती है, जिससे बैंक के समस्त परिसरों में कर्मचारियों, आगंतुकों तथा आउटसोर्स कार्मिकों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ एवं सुदृढ़ परिचालन सुनिश्चित हो सके.

एक आरामदायक कार्य परिवेश सुनिश्चित करने तथा वातानुकूलन इकाइयों के अत्यधिक तापग्रस्त होने के जोखिम को न्यूनतम करने हेतु, बैंक आंतरिक वातानुकूलन तापमान को 25°C-26°C के उपयुक्त स्तर पर बनाए रखता है. इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल जोखिमों के सक्रिय प्रबंधन तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, बैंक ने संरचित सुरक्षा एवं चिकित्सीय तत्परता उपायों को लागू किया है. आपातकालीन तत्परता को सुदृढ़ करने के लिए, मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय तथा सभी अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समय-समय पर अग्निशमन अभ्यास प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं. सभी कार्यालय स्थानों में प्राथमिक उपचार किट, फायर अलार्म तथा अग्निशामक यंत्र सहित सुरक्षा अवसंरचना का रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है. कर्मचारियों एवं आगंतुकों को मार्गदर्शन प्रदान करने तथा अग्नि या आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी को सुगम बनाने के उद्देश्य से, बैंक के समस्त परिसरों में प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट सुरक्षा संकेतक, निकास चिह्न, अग्निशामक यंत्रों की अवस्थिति तथा लेआउट मानचित्र स्थापित किए गए हैं.

बैंक निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए समग्र स्वास्थ्य परीक्षण पैकेजों के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य प्रबंधन भी सुनिश्चित करता है. प्रधान कार्यालय, चयनित अंचल कार्यालयों तथा मुंबई स्थित कुछ स्टाफ क्वार्टर्स में समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने हेतु बैंक चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसके अतिरिक्त, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने प्रमुख अस्पतालों एवं चिकित्सालयों के साथ टाई-अप किया है, जिससे कर्मचारियों को अनुमोदित स्वास्थ्य संस्थानों में नकदरहित उपचार सुविधाओं के माध्यम से सर्वोत्तम स्तर की चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने तथा तत्काल वित्तीय भार को कम करने में सहायता प्राप्त होती है.

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित के बारे में की गई शिकायतों की संख्या

विषय	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में अनिर्णीत समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में अनिर्णीत समाधान	टिप्पणी
कामकाज की स्थिति	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	शून्य	लागू नहीं

14. वर्ष का मूल्यांकन:

विषय	आपके उन संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था द्वारा अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रथाएं **कामकाज की स्थितियाँ**	कर्मचारी स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की अपनी सक्रिय पहल के तहत, बैंक ने अपने सभी परिसरों में विद्युत सुरक्षा एवं सांविधिक अनुपालन मूल्यांकन का एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया. निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु, कुल 2,145 कार्यालयों एवं शाखाओं का मूल्यांकन योग्य विद्युत लेखा-परीक्षकों द्वारा किया गया. इसके अतिरिक्त, जोखिम न्यूनीकरण के अपने निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में नियमित एवं निवारक निरीक्षण भी किए. इनमें अधिकृत लिफ्ट निरीक्षकों द्वारा लिफ्टों का निरीक्षण, अनुमोदित एजेंसियों द्वारा अग्नि पहचान एवं दमन प्रणालियों का सत्यापन, निर्माता द्वारा पैकेज्ड पेयजल की गुणवत्ता जांच तथा अधिकृत एजेंसियों द्वारा डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों का प्रदूषण परीक्षण शामिल था. ये उपाय अपने कर्मचारियों, ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों के लिए सुरक्षित, अनुपालनीय तथा सतत कार्य परिवेश बनाए रखने के प्रति बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण जोखिमों /चिंताओं का विवरण प्रदान करें.

बैंक सुरक्षित एवं स्वस्थ कामकाज की स्थितियों को सुनिश्चित करता है तथा निवारक रखरखाव अनुसूचियों, स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) एवं निर्धारित 'क्या करें और क्या न करें' का कड़ाई से अनुपालन करते हुए किसी भी अप्रिय घटना की जोखिम को कम करता है.

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) किसी कर्मचारी (हाँ/नहीं) (ख) किसी कामगार (हाँ/नहीं) की मृत्यु होने की स्थिति में कोई जीवन बीमा अथवा कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है ?

हाँ, बैंक अपने कर्मचारियों और कामगारों को कर्मचारी कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के प्रति अपनी समग्र प्रतिबद्धता के तहत व्यापक जीवन बीमा सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करता है. इन उपायों का उद्देश्य न केवल कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, बल्कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में उनके परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना भी है.

2. यह सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का विवरण दें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा सांविधिक देय राशियों की कटौती की गई है और जमा की गई है.

बैंक अपनी समस्त मूल्य श्रृंखला में अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय रूप से कार्य करता है तथा वेंडरों से अपेक्षा करता है कि वे सभी लागू सांविधिक दायित्वों का पालन करें, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, उपदान, वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य अनिवार्य देयों की समय पर कटौती एवं भुगतान शामिल हैं. अनुपालन के प्रमाण के रूप में वेंडरों को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है. साथ ही, नकदी वितरण, पिकअप एवं नकदी छंटाई सेवाओं में संलग्न वेंडरों को केंद्रीय श्रम कानूनों के अनुरूप मासिक अनुपालन प्रमाणपत्र के साथ-साथ भुगतान रसीदें भी प्रस्तुत करनी होती हैं. इन अपेक्षाओं की समीक्षा वार्षिक वेंडर लेखा-परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है. जवाबदेही को सुदृढ़ करने हेतु, विभिन्न प्रस्ताव अनुरोधों में सांविधिक एवं विनियामकीय अनुपालन संबंधी खंडों को समाहित किया गया है, जो विधिसम्मत, नैतिक एवं उत्तरदायी मूल्य श्रृंखला संलग्नता के प्रति बैंक की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

3. उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें काम से संबंधित अत्यधिक गंभीर चोट / अवस्थ्यता / मृत्यु हुई है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्र. 11 में रिपोर्ट किया गया है), और जिनका पुनर्वसन किया गया है और उन्हें यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है :

श्रेणी	प्रभावित कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों /कामगारों की संख्या, जिनका पुनर्वसन किया गया है और जिन्हें यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है या परिवार के सदस्यों को यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कर्मचारी	लागू नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बैंक का कोई भी कर्मचारी/कामगार ऐसा नहीं था जिसे कार्य-संबंधी गंभीर चोट/अवस्थ्यता/मृत्यु का सामना करना पड़ा हो.			
कामगार				

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार क्षमता को सुगम बनाने और सेवानिवृत्ति या रोजगार समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के अंत के प्रबंधन के लिए संक्रमणकालीन सहायता कार्यक्रम चलाती है (हां/ नहीं).

बैंक कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति एवं सेवा पश्चात जीवन के लिए तैयार करने हेतु संरचित बदलाव-सहायता पहल प्रदान करता है. बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, आईडीबीआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईसीबीएफ), हैदराबाद में समर्पित सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. ये कार्यक्रम वित्तीय योजना, स्वास्थ्य देखभाल, बीमा, मनोवैज्ञानिक तत्परता, स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण पर सम्पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे सुगम एवं सुविचारित बदलाव सुनिश्चित किया जा सके. कार्यक्रम व्यापक रूप से स्वस्थ वृद्धावस्था, जीवनशैली प्रबंधन, आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी आचार, योग एवं ध्यान, जीवन दर्शन जिसमें आध्यात्मिक पहलू शामिल हैं, द्वितीय कैरियर एवं उत्पादक वृद्धावस्था, सामाजिक सहभागिता, मनोवैज्ञानिक तत्परता, वित्त एवं निवेश प्रबंधन, सेवानिवृत्ति योजना एवं कर संबंधी पहलू, वसीयत निर्माण, नामांकन प्रक्रियाएं तथा अधिवर्षिता लाभ कवर करता है. इसके अतिरिक्त, बैंक का सुदृढ़ शिक्षण एवं विकास तंत्र. जिसमे कौशल संवर्द्धन, पुनःकौशल विकास, नेतृत्व विकास तथा भूमिका-आधारित कार्यक्रम शामिल है. कर्मचारियों के संपूर्ण कैरियर चक्र में सहायक होता है, उन्हें आत्मविश्वास एवं तत्परता के साथ बदलावों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है.

5. मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के मूल्यांकन का ब्योरा:

ब्योरा	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार का मूल्य) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	अपने सभी परिचालनों में धारणीय प्रथाओं के समावेशन में अपनी मूल्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, बैंक पर्यावरणीय मानदंडों, श्रम कानूनों, मानवाधिकार अपेक्षाओं तथा सुरक्षित, स्वस्थ एवं उत्पीड़नमुक्त कार्य वातावरण के प्रावधान के प्रति मूल्य श्रृंखला भागीदारों के अनुपालन के आकलन हेतु एक संरचित मूल्यांकन ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया में है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 134 प्रमुख वेंडरों/सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वघोषणाएं प्रस्तुत की गईं, जिनमें लागू पर्यावरणीय विनियमों, श्रम कानूनों तथा मानवाधिकार मानकों के प्रति उनके अनुपालन की पुष्टि की गई. यह मूल्यांकन बैंक की अपनी मूल्य श्रृंखला में उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं को सुदृढ़ करने के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.
कार्य स्थितियां		

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों की स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के मूल्यांकन तथा कार्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

वेंडरों/ सेवा प्रदाताओं की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कार्य की स्थितियों के मूल्यांकन के दौरान कोई विशिष्ट जोखिम/चिंता नहीं देखी गई. तथापि, बैंक अपने वेंडरों/सेवा प्रदाताओं के साथ सक्रिय रूप से संलग्न रहने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कार्यस्थल मानकों के अनुपालन हेतु संवेदनशील बनाया जा सके तथा निरंतर सुधार को प्रोत्साहित किया जा सके.

सिद्धांत 4: कारोबारों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों का पता लगाने के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया का वर्णन करें:

बैंक समावेशी तरीके से धारणीय एवं दीर्घकालिक मूल्य सृजन को सक्षम बनाने के लिए अपने हितधारकों की आवश्यकताओं और चिंताओं को अपनी रणनीति के केंद्र में रखने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों की पहचान एवं आकलन हेतु एक संरचित एवं सुदृढ़ ढांचे का अनुसरण करता है, जिसमें अपने परिचालनों के प्रभाव के साथ-साथ हितधारकों द्वारा बैंक के कार्यनिष्पादन एवं प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाता है. इस प्रक्रिया के माध्यम से, बैंक ने प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान की है, जिनमें निदेशक मंडल, ग्राहक, कर्मचारी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं के क्रियान्वयन भागीदार, उद्योग निकाय, मीडिया भागीदार, शेयरधारक, विनियामकीय निकाय, स्वयं-नियामक संगठन (एसआरओ), अन्य बाज़ार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई) तथा वेंडर/ सेवा प्रदाता शामिल हैं.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक के लिए प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान हेतु संरचित सर्वेक्षण प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यापक हितधारक जुड़ाव तथा प्रभाव महत्व मूल्यांकन किया गया. सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया, ताकि हितधारकों के लिए उनकी प्रासंगिकता तथा बैंक के परिचालनों एवं दीर्घकालिक संधारणीयता उद्देश्यों पर उनके संभावित प्रभाव के आधार पर प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता दी जा सके एवं उनकी पहचान की जा सके. बैंक द्वारा अपने सभी हितधारकों के साथ जुड़ाव इसकी प्रक्रियाओं का एक सतत एवं अभिन्न अंग है. बैंक विभिन्न संचार चैनलों के माध्यम से अपने हितधारकों के साथ निरंतर एवं रचनात्मक रूप से संलग्न रहता है, ताकि वह हितधारकों की बदलती अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बना रहे, साथ ही विश्वास, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करता रहे. इन सतत हितधारक सहभागिता प्रयासों के माध्यम से, बैंक समावेशी एवं उत्तरदायी विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हितधारक के दृष्टिकोणों को इसके निर्णय लेने तथा दीर्घकालिक रणनीति में सार्थक रूप से समाहित किया जाए.

2. अपनी संस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति बताएं.

स्टेक धारक समूह	क्या उसे कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ / नहीं)	संप्रेषण के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/तिमाही/ अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताओं सहित ऐसी जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
निदेशक मंडल	नहीं	• बोर्ड की बैठकें • बोर्ड स्तर की समिति की बैठकें • सूचना • ईमेल • निवेशक प्रस्तुतियां	• अन्य - सतत	• कॉरपोरेट अभिशासन • रणनीति • वित्तीय एवं परिचालनगत कार्य निष्पादन • जोखिम प्रबंधन • ईएसजी एवं संधारणीयता से संबंधित विषय

स्टेक धारक समूह	क्या उसे कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ / नहीं)	संप्रेषण के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/तिमाही/ अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताओं सहित ऐसी जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
ग्राहक	हाँ	• टेलीफोन कॉल • ईमेल • कॉल सेंटर • वेबसाइट • शाखा स्तर पर संवाद • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म • विज्ञापन • सर्वेक्षण	• अन्य - सतत	• उत्पाद एवं सेवा संबंधी जानकारी एवं अपडेट • ग्राहक अनुभव • संपर्क प्रबंधन • शिकायत निवारण
कर्मचारी	नहीं	• आंतरिक पोर्टल • ईमेल • बैठकें • प्रशिक्षण कार्यक्रम • कार्य-निष्पादन मूल्यांकन • कर्मचारी सहभागिता पहल • सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म • सर्वेक्षण	• अन्य - सतत	• मानव पूंजी प्रबंधन नीतियां • कर्मचारी कल्याण एवं कार्यस्थल सुरक्षा • प्रशिक्षण एवं विकास • कैरियर प्रगति • समावेशी कार्य संस्कृति
सीएसआर परियोजनाओं की क्रियान्वयन एजेंसियां	हाँ	• बैठकें • ईमेल • टेलीफोन कॉल • फील्ड दौरे • रिपोर्टें	• अन्य - सतत और आवश्यकता आधारित	• सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन • सामाजिक-आर्थिक प्रभाव • सीएसआर उद्देश्यों के साथ संरेखण
मीडिया एजेंसियां	नहीं	• प्रेस विज्ञप्तियां • प्रेस कोंफ्रेंस • मीडिया ब्रीफिंग	• अन्य - आवधिक और आवश्यकता आधारित	• ब्रांड एवं प्रतिष्ठा प्रबंधन • सार्वजनिक सूचना का प्रसार
विनियामकीय निकाय, एसआरओ एवं एमआईआई	नहीं	• विनियामकीय रिपोर्टिंग • बैठकें • टेलीफोन कॉल • ईमेल	• अन्य - सतत	• विनियामकीय अनुपालन • विनियामकीय अनुमोदन • आवश्यक बैंकिंग एवं वित्तीय बाज़ार परिचालन • अभिशासन मानक
शेयरधारक	नहीं	• वार्षिक रिपोर्ट • वार्षिक महासभा • शेयरधारक बैठक • स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग्स • वेबसाइट प्रकटीकरण • प्रेस विज्ञप्तियां • ईमेल • टेलीफोन कॉल	• अन्य - आवधिक और आवश्यकता आधारित	• रणनीति संबंधी अपडेट • वित्तीय एवं परिचालनगत कार्य-निष्पादन • विनियामकीय एवं सांविधिक प्रकटीकरण • कॉरपोरेट कार्रवाई • शेयरधारक संरक्षण पहल
वेंडर/ सेवा प्रदाता	नहीं	• टेलीफोन कॉल • आमने-सामने एवं आभासी बैठकें • ईमेल • सूचनाएं	• अन्य - सतत और आवश्यकता आधारित	• परियोजना कार्यान्वयन • समीक्षा/ अपडेट • आवश्यक बैंकिंग सेवाओं का प्रदाय • विनियामकीय एवं सांविधिक अनुपालन

नेतृत्व संकेतक

1. हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक,पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें अथवा यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्राप्त प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने प्रमुख महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान हेतु हितधारकों के लिए उनकी प्रासंगिकता तथा बैंक के परिचालनों एवं दीर्घकालिक संधारणीयता उद्देश्यों पर उनके संभावित प्रभाव के आधार पर एक संरचित हितधारक सहभागिता और महत्व का मूल्यांकन (एसईएमए) का अभ्यास किया. यह पहल समावेशी निर्णय लेने के लिए हितधारक सहभागिता तथा पारदर्शी एवं उत्तरदायी कारोबार संचालन पर बैंक के निरंतर ध्यान को दर्शाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के महत्वपूर्ण मुद्दे हितधारकों की अपेक्षाओं एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों.

एसईएमए प्रक्रिया को निम्नानुसार एक संरचित, बहुचरणीय प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वित किया गया:

- **हितधारक मैपिंग:** बैंक ने अपने प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान हेतु एक सुव्यवस्थित मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई, जिसमें निदेशक मंडल, ग्राहक, कर्मचारी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं के कार्यान्वयन भागीदार, उद्योग निकाय, मीडिया भागीदार, शेयरधारक, विनियामकीय निकाय, स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ), अन्य बाज़ार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई) तथा वेंडर/सेवा प्रदाता शामिल हैं. यह मैपिंग प्रत्येक हितधारक समूह के बैंक पर प्रभाव के स्वरूप एवं परिमाण, बैंक के परिचालनों का उन पर पड़ने वाले प्रभाव तथा बैंक और इसके हितधारकों के मध्य पारस्परिक निर्भरता एवं उत्तरदायित्व की सीमा का आकलन करके किया गया.
- **हितधारकों के साथ बातचीत:** विविध दृष्टिकोणों को समाहित करने के उद्देश्य से, बैंक एक संरचित मात्रात्मक सर्वे के माध्यम से हितधारकों से जुड़ा, जिसका उद्देश्य विभिन्न हितधारक समूहों की संधारणीयता संबंधी अपेक्षाओं के साथ-साथ ईएसजी से संबंधित उनकी चिंताओं एवं बैंक की प्रथाओं के प्रति उनकी धारणा से संबंधित अंतर्दृष्टि प्राप्त करना था.
- **महत्वपूर्ण विषयों की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण:** विभिन्न हितधारक समूहों के 3,000 से अधिक उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर उन ईएसजी विषयों की पहचान की गई, जो बैंक के व्यवसाय तथा उसके हितधारकों के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक हैं. इन विषयों की सापेक्ष महत्ता के आकलन के लिए हितधारक की प्राथमिकता तथा बैंक के परिचालनों, जोखिम प्रोफ़ाइल एवं दीर्घकालिक मूल्य सृजन पर संभावित प्रभाव के आधार पर एक भौतिकता ढ़ाचा अपनाया गया. एसईएमए के निष्कर्षों, अर्थात् चयनित महत्वपूर्ण मुद्दों की वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा की गई तथा उन्हें बैंक की ईएसजी अभिशासन प्रक्रिया के अंतर्गत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
- **रणनीतिक संरेखण एवं फोकस क्षेत्र:** हितधारक समूहों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं ने बैंक के समक्ष विद्यमान चुनौतियों, उभरते जोखिमों तथा संभावित अवसरों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है. इन अंतर्दृष्टियों ने बैंक के संधारणीयता फोकस क्षेत्रों के संदर्भ में चल रहे विचार-विमर्श एवं पहलों को दिशा प्रदान की है तथा व्यवसायिक उद्देश्यों एवं रणनीतिक आयोजना के अंतर्गत ईएसजी मुद्दों के व्यापक विचारों के लिए प्रासंगिक दृष्टिकोण प्रदान किया है.

2. क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान करने और प्रबंधन के लिए हितधारक परामर्श की सहायता ली जाती है? (हाँ /नहीं) यदि हाँ, तो इस बात का ब्योरा प्रस्तुत करें कि किस प्रकार हितधारकों से इन विषयों पर प्राप्त जानकारी को संस्था की नीतियों एवं गतिविधियों में शामिल किया गया?

हाँ, हितधारक परामर्श बैंक द्वारा प्रमुख पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं की पहचान करने, प्राथमिकता निर्धारण तथा निराकरण हेतु अपनाये गये दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है. भौतिकता मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से, बैंक ने उन ईएसजी मुद्दों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ प्राप्त की हैं, जो इसके हितधारकों तथा बैंक के व्यवसाय दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण या आवश्यक हैं.

हितधारकों से प्राप्त इनपुट ने ईएसजी संबंधित मुद्दों पर हितधारकों के दृष्टिकोण की व्यापक समझ में योगदान दिया है तथा बैंक के संधारणीयता के प्रति दृष्टिकोण को समझने में सहायता प्रदान की है.

संरचित प्रभाव भौतिकता मूल्यांकन प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक हितधारकों की पहचान एवं सहभागिता के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाता है, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक परिदृश्य में परिवर्तन, विनियामक घटनाक्रमों तथा बदलती हितधारकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आवधिक समीक्षा की जाती है. यह निरंतर पुनर्मूल्यांकन सुनिश्चित करता है कि बैंक के संधारणीयता संबंधी प्रयास प्रासंगिक, प्रत्युत्तरशील तथा उभरते हुए जोखिमों एवं अवसरों के अनुरूप बने रहें.

3. कमजोर /सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं का निवारण करने के लिए किये गये प्रयासों और की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

बैंक उत्पादों, सेवाओं एवं वितरण चैनलों की व्यापक श्रृंखला का लाभ उठाते हुए ग्राहकों विशेषकर समाज के वंचित वर्गों की वित्तीय सुरक्षा तथा समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय कार्य-निष्पादन को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ रणनीतिक रूप से एकीकृत करता है. यह दृष्टिकोण साझा मूल्य सृजन के उद्देश्य से प्रेरित है तथा समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को प्रेरित करता है. बैंक के वित्तीय समावेशन संबंधी पहलकार्य तथा सीएसआर कार्यक्रम समाज के अल्पसेवित वर्गों तक पहुँच बनाने और ठोस सामाजिक-आर्थिक प्रभाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

बैंक का व्यापक एवं सुव्यवस्थित रूप से एकीकृत भौतिक, डिजिटल तथा सम्पर्क-आधारित चैनलों का नेटवर्क केवल पहुँच एवं सुविधा प्रदान करने के लिए ही नहीं है, बल्कि सतत सहभागिता, प्रतिक्रिया तथा शिकायतों या चिंताओं को सुनने में सक्षम बनाने के लिए भी है. पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बनाए रखने हेतु, बैंक ने परिभाषित नीतियों तथा समर्पित पहुँच चैनलों द्वारा समर्थित एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है. ये तंत्र ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों तथा सीएसआर लाभार्थियों द्वारा उठाई गई चिंताओं के समय पर एवं न्यायसंगत निवारण को सुगम बनाते हैं. मूल्य श्रृंखला भागीदारों तथा अन्य हाशिए पर स्थित अथवा बाह्य समूहों से प्राप्त शिकायतों एवं प्रतिक्रियाओं का निवारण, बैंक की आचार संहिता के अनुरूप, प्रकरण-विशिष्ट आधार पर किया जाता है.

सिद्धांत 5: कारोबारों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे कर्मचारियों और कामगारों का विवरण दें जिन्हें संस्था के मानवाधिकार मुद्दों और नीति(यों) के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	कुल (ए)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (बी))	% (बी /ए)	कुल (सी)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (डी)	% (डी /सी)
कर्मचारी						
स्थायी	18,538	17,922	96.68%	16,911	16,447	97.26%
स्थायी से इतर	1,585	1,418	89.46%	2,176	1,955	89.84%
कुल कर्मचारी	**20,123**	**19,340**	**96.11%**	**19,087**	**18,402**	**96.41%**
कामगार						
स्थायी	570	482	84.56%	644	537	83.39%
स्थायी से इतर	0	0	-	0	0	-
कुल कामगार	**570**	**482**	**84.56%**	**644**	**537**	**83.39%**

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों को अदा की गयी न्यूनतम मजदूरी का ब्योरा :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26					वित्तीय वर्ष 2024-25				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (एफ)	% (एफ़/डी)
स्थायी कर्मचारी										
पुरुष	11,959	0	-	11,959	100.00%	11,123	0	-	11,123	100.00%
महिला	6,579	0	-	6,579	100.00%	5,788	0	-	5,788	100.00%
स्थायी कर्मचारियों से इतर										
पुरुष	861	0	-	861	100.00%	1,210	0	-	1,210	100.00%
महिला	724	0	-	724	100.00%	966	0	-	966	100.00%

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26					वित्तीय वर्ष 2024-25				
	कुल (ए)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)		संख्या (ई)	% (ई/डी)	संख्या (एफ)	% (एफ़/डी)
स्थायी कामगार										
पुरुष	425	0	-	425	100.00%	487	0	-	487	100.00%
महिला	145	0	-	145	100.00%	157	0	-	157	100.00%
स्थायी कामगार से इतर										
पुरुष	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-
महिला	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-

3. पारिश्रमिक /वेतन /मजदूरी का ब्योरा:

क. माध्यिका पारिश्रमिक / मजदूरी:

श्रेणी	पुरुष		महिला	
	संख्या@	संबंधित श्रेणी की माध्यिका पारिश्रमिक/ वेतन / मजदूरी	संख्या@	संबंधित श्रेणी की माध्यिका पारिश्रमिक/ वेतन / मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)#	9	₹ 32,60,000	1$	₹ 37,40,000
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	3	₹ 1,67,97,944	2	₹ 57,28,150
बीओडी और केएमपी को छोड़ कर अन्य कर्मचारी	13,815	₹ 20,12,801	7,958	₹ 15,12,613
कामगार	481	₹ 10,79,510	157	₹ 11,32,520

@ - माध्यिका पारिश्रमिक की गणना के लिए विचार किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या में मार्च 2026 के अंत में वेतन प्राप्त करने के लिए पात्र सभी कर्मचारी और पूर्व कर्मचारी (जो सेवानिवृत्ति/इस्तीफा/मृत्यु/सेवा से हटाए जाने के कारण बैंक छोड़ चुके हैं) शामिल हैं, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वेतन का भुगतान किया गया था.

 # - निदेशक मंडल के विवरण में एमडी एवं सीईओ और दो डीएमडी के विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उनका विवरण मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक में शामिल किया गया है. इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है लेकिन बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है और बैठक शुल्क का विवरण प्रदान किया गया है. भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बैठक शुल्क प्राप्त नहीं होता है और इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया गया है. निदेशकों की कुल संख्या में श्री टी. एन. मनोहरन, श्री राज कुमार तथा श्री बी. बी. जोशी को भी शामिल किया गया है, जो क्रमशः 30.07.2025, 18.05.2025 एवं 08.10.2025 से निदेशक नहीं हैं, तथा उन्हें भुगतान किए गए बैठक शुल्क को माध्यिका की गणना में शामिल किया गया है. गणना में निम्न की ओर से बैठक में उपस्थिति पर एलआईसी को भुगतान की गई बैठक शुल्क शामिल नहीं है:

i. श्री सत पाल भानू 31.12.2025 तक (श्री सत पाल भानू 31.12.2025 से एलआईसी के प्रबंध निदेशक नहीं रहे और 01.01.2026 से बैठक की फीस सीधे उन्हें भुगतान की गई जो कि माध्यिका में शामिल है) एवं

ii श्री आर दोरईस्वामी 19.05.2025 से 24.09.2025 तक.

$ माध्यिका की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि निदेशक मंडल में एक महिला प्रतिनिधि है.

ख. निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी	30.96%	30.82%

4. क्या आपके पास कोई ऐसा केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो कारोबार द्वारा उत्पन्न या उसमें योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां /नहीं).

बैंक ने एक व्यापक मानवाधिकार नीति बनायी है, जो कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों पर लागू होती है तथा मान्यता प्राप्त मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप है. यह नीति कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना, कार्यबल में विविधता को प्रोत्साहित करना, बाल श्रम एवं जबरन श्रम को निषेध करना, उत्पीड़न-मुक्त कार्य वातावरण बनाए रखना, मानव गरिमा को बनाए रखना, न्यूनतम मजदूरी एवं सांविधिक लाभ प्रदान करना तथा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया एवं शिकायत निवारण हेतु सुलभ चैनल सक्षम कराना जैसे प्रमुख पहलुओं को कवर करती है. इसके अतिरिक्त, यह बैंक की नैतिक व्यावसायिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है. इन सिद्धांतों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के आचरण नियमों, आंतरिक दिशानिर्देशों तथा कर्मचारी-संबंधित नीतियों में शामिल किया गया है.

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें.

बैंक उस महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है जो बेहतर भविष्य के लिए मानवाधिकारों के दीर्घकालिक संरक्षण में कारोबार निभा सकते हैं. मूलभूत सिद्धांतों के प्रति यह प्रतिबद्धता इसकी नीतियों और हितधारकों के प्रति कार्यों में परिलक्षित होती है. बैंक ने कर्मचारियों के लिए शिकायतें दर्ज करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल आई-हृदयो चालू किया है और भेदभाव तथा उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) गठित की है. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है. इसके अलावा बैंक ने मानवाधिकार नीति लागू की है.

6. निम्नलिखित के बारे में कर्मचारियों और कामगारों द्वारा की गयी शिकायतों की संख्या :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2024-25		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गयी	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज की गयी	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ
यौन उत्पीड़न	14	5	-	12	4	-
कार्यस्थल पर भेद भाव	4	0	-	4	1	-
बाल श्रमिक	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
जबरन श्रम / अनिच्छुक श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मजदूरी	शून्य	शून्य	-	1	शून्य	-
मानवाधिकारों से संबंधित अन्य मामले	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

7. निम्नलिखित प्रारूप में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत दर्ज की गई शिकायतें: :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश) के तहत रिपोर्ट की गई कुल शिकायतें	14	12
महिला कर्मचारी/कामगारों के प्रतिशत के रूप में पॉश शिकायतें	0.20%	0.18%
पॉश शिकायतें सही पाई गईं	1	2

8. भेदभाव और उत्पीड़न मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों से बचाने के लिए तंत्र.

शिकायतकर्ता अपनी चिंताओं या शिकायतों को एक अलग पोर्टल (आई-हृदयो) के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, जिस तक केवल अधिकृत कर्मियों की ही पहुंच हो सकती है. आई-हृदयो, जीआरसी या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों को देखने वाले प्राधिकृत कर्मी शिकायत की पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं और शिकायतकर्ता की पहचान की सुरक्षा करते हैं. बैंक ने यौन उत्पीड़न रोकथाम (पॉश) के लिए दिशानिर्देश भी लागू किए हैं. इसके अलावा, बैंक की मानवाधिकार नीति मानवाधिकारों की रक्षा और उत्पीड़न मुक्त कार्य वातावरण बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

9. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके कारोबारी करारों और संविदाओं का हिस्सा होती हैं? (हाँ/नहीं)

हां, बैंक अपने संविदात्मक ढांचे में सांविधिक अनुपालन और मानवाधिकार सुरक्षा उपायों को शामिल करता है. प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) और विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं के साथ कारोबारी संविदाओं में समय-समय पर जारी किए गए सभी लागू श्रम, औद्योगिक और सुरक्षा कानूनों, नियमों, विनियमों और सांविधिक अधिसूचनाओं का अनुपालन अनिवार्य है. विक्रेताओं को अनुबंध निष्पादन के दौरान सभी निर्धारित सुरक्षा उपायों को लागू करना, कर्मियों, कार्य और सुविधाओं की सुरक्षा करना तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है. इसी प्रकार, ऋण समझौतों के तहत उधारकर्ताओं को यह पुष्टि करनी होती है कि उन पर कोई सांविधिक या श्रम-संबंधी देनदारी बकाया नहीं है, जिसमें भविष्य निधि और श्रम देनदारियाँ शामिल हैं, जिससे जिम्मेदार कारोबारी आचरण और मानवाधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है.

10. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मूल्यांकन: :

विवरण	आपके प्लांट और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था द्वारा अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा)
बाल श्रमिक	100%
जबरन /अनैच्छिक श्रमिक	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्य स्थल पर भेद भाव	100%
मजदूरी	100%
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं

11. उपर्युक्त प्रश्न 10 के मूल्यांकन से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं का समाधान करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें.

मूल्यांकनों से कोई महत्वपूर्ण जोखिम/चिंता उत्पन्न नहीं हुई.

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार संबंधी परिवेदनाओं/शिकायतों के निवारण के परिणामस्वरूप संशोधित की जा रही / शुरू की गई कारोबारी प्रक्रिया का ब्योरा.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक को किसी भी ऐसी घटना या घटनाक्रम की पहचान नहीं हुई या उसका सामना नहीं करना पड़ा है जिसके लिए इसकी मौजूदा पेशकशों या प्रक्रियाओं में बदलाव की आवश्यकता हो, जो इसके आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन और अभिशासन तंत्र की मजबूती को दर्शाता है. हालांकि मानवाधिकारों से संबंधित कोई परिवेदना या शिकायत दर्ज नहीं की गई, फिर भी बैंक मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप अपनी नीतियों और कारोबारी परिचालनों की समीक्षा और निगरानी करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि नैतिक और जिम्मेदार आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के अपने उद्देश्य के अनुरूप किसी भी संभावित उल्लंघन से बचाव किया जा सके.

2. किसी मानवाधिकार मामले में की गई सम्यक तत्परता का दायरा और व्याप्ति संबंधी विवरण दें

बैंक ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मानवाधिकार संबंधी कोई औपचारिक सम्यक तत्परता नहीं की है. तथापि, मानवाधिकार संबंधी पहलुओं को मौजूदा नीतियों, संविदात्मक सुरक्षा उपायों और अनुपालन तंत्रों के माध्यम से संबोधित किया गया है.

3. क्या संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

बैंक, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 और लागू सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अपने परिसरों में बाधा रहित पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. अधिकतर शाखाएँ निर्धारित अभिगम्यता मानकों का पूर्णतः अनुपालन करती हैं, जबकि अन्य शाखाएं आंशिक रूप से अनुपालन करती हैं और पूर्ण अनुरूपता प्राप्त करने के लिए धीरे-धीरे उन्नत की जा रही हैं. 31 मार्च 2026 को, बैंक की 2,174 शाखाएं थीं (69 आईडीबीआई समीम बैंकिंग आउटलेट को छोड़कर). जिनमें से 1,078 शाखाओं में रैंप की सुविधा है और अन्य 33 शाखाओं में रैंप सुविधाओं का निर्माण कार्य चल रहा है.

जबकि 293 शाखाओं में रैंप सुविधा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन शाखाओं का समतल प्रवेश द्वार या लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है. 770 शाखाएं ऊपरी मंजिल पर स्थित हैं जहां रैंप की सुविधा प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है. पहुँच को सुदृढ़ करने के लिए, बैंक ने पूरक उपाय अपनाए हैं, जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं और पहुँच संबंधी मुद्दों को संबोधित करने और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शाखा में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है.

समावेशी कार्यस्थल के महत्व को समझते हुए, 97 क्षेत्रीय और अंचल कार्यालयों में से 66 में सुलभता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. बैंक इन सुविधाओं को अन्य कार्यालयों, जहां भी यह संभव हो, तक भी विस्तारित करने के विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है. इसके अतिरिक्त, दृष्टिबाधित कर्मचारियों को कार्यालय परिसर में स्वतंत्र रूप से आने-जाने में सहायता करने के लिए चुनिंदा कार्यालयों में आवाज-आधारित लिफ्ट प्रणाली भी स्थापित की गई है.

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन का ब्योरा:

श्रेणी	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार के मूल्य के रूप में) जिनका मूल्यांकन किया गया है
बाल श्रमिक	बैंक अपने सभी परिचालनों में सतत प्रथाओं को शामिल करने में अपनी मूल्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, पर्यावरण मानदंडों, श्रम कानूनों, मानवाधिकार आवश्यकताओं और सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पीड़न-मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने के संबंध में मूल्य श्रृंखला भागीदारों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित मूल्यांकन ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया में है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 134 प्रमुख विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं द्वारा स्व-घोषणाएं प्रस्तुत की गईं, जिसमें उन्होंने लागू पर्यावरण विनियमों, श्रम कानूनों और मानवाधिकार मानकों के अनुपालन की पुष्टि की. यह मूल्यांकन बैंक की अपनी मूल्य श्रृंखला में जिम्मेदार कारोबार प्रथाओं को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.
जबरन / अनैच्छिक श्रमिक	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
मजदूरी	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 के मूल्यांकन से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का समाधान करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

हालांकि मूल्यांकन के दौरान कोई महत्वपूर्ण जोखिम या चिंता की पहचान नहीं की गई, फिर भी बैंक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में अपने विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के साथ जुड़कर और उन्हें संवेदनशील बनाकर मानवाधिकार संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखता है.

सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा तथा पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित फॉर्मेट में ऊर्जा की कुल खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की तीव्रता का ब्योरा:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
नवीकरणीय स्रोतों से			
बिजली की कुल खपत (ए)	जीजे	-	लागू नहीं
ईंधन की कुल खपत (बी)	जीजे	-	लागू नहीं
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	जीजे	-	लागू नहीं
नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत (ए+बी +सी)	**जीजे**	**-**	**लागू नहीं**
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से			
बिजली की कुल खपत (डी)	जीजे	2,84,783.42	2,86,034.83
ईंधन की कुल खपत (ई)	जीजे	27,543.64	24,539.11
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ़)	जीजे	-	0
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत (डी+ई+एफ़)	**जीजे**	**3,12,327.06**	**3,10,573.94**
ऊर्जा की कुल खपत (ए +बी +सी +डी+ई+एफ़)@	**जीजे**	**3,12,327.06**	**3,10,573.94**

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
प्रत्येक रुपया टर्नओवर के प्रति ऊर्जा तीव्रता (ऊर्जा की कुल खपत/ परिचालनों से राजस्व)	**जीजे प्रति करोड भारतीय रुपया**	8.74	9.18
क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित प्रत्येक रुपया के टर्नओवर के प्रति ऊर्जा की तीव्रता (पीपीपी) (ऊर्जा की कुल खपत/ पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व)	**जीजे प्रति मिलियन यूएसडी**	17.77	18.97
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता (उर्जा की कुल खपत/ पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	**जीजे प्रति एफटीई**	9.77	10.01

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सुरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के बीआरएसआर कोर प्रकटन के संबंध में उचित आश्वासन दिया है.

@ - वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऊर्जा आंकड़े वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने अपनी सभी 2,244 शाखाओं एवं 283 कार्यालयों की ऊर्जा खपत को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के ऊर्जा आंकड़ों में निम्नलिखित स्थानों पर वास्तविक उपभोग से प्राप्त डेटा को शामिल किया गया है, जैसे बैंक का प्रधान कार्यालय, बेलापुर स्थित कार्यालय, अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, आईडीबीआई बैंकिंग एवं वित्त उत्कृष्टता केंद्र (आईसीबीएफ), आईडीबीआई शिक्षण केंद्र (आईएलसी) तथा सभी महानगरीय शाखाएँ और अन्य सभी शाखाओं एवं कार्यालयों के लिए सेबी द्वारा अधिसूचित व्यय आधारित पद्धति के आधार पर गणित अनुमानित आंकड़े हैं. विद्युत से ऊर्जा की गणना हेतु सीईए द्वारा प्रकाशित नवीनतम वर्ष 2025 की विद्युत दर को व्यय आधारित पद्धति के आधार पर किया गया है. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना हेतु परिचालनों से राजस्व ब्याज आय एवं अन्य आय का योग है, जिसमें भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/(हानि) (निवल), जैसा एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, को शामिल नहीं किया गया है. आईएमएफ द्वारा प्रकाशित रूपांतरण फैक्टर 20.34/अमरीकी डॉलर (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अप्रैल 2026) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) का उपयोग क्रय शक्ति समता (पीपीपी) समायोजित तीव्रता की गणना के लिए प्रयुक्त किया गया है. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीव्रता का प्रकटन भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पूर्णकालिक समकक्ष (एफटीई) के आधार पर किया गया है.

2. **क्या संस्था के पास भारत सरकार के कार्यनिष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट / सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो प्रकट करें कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है. यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गयी सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, की जानकारी प्रदान करें.**

लागू नहीं.

3. **निम्नलिखित फॉर्मेट में जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का ब्यौरा प्रस्तुत करें:**

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
(i) भूपृष्ठीय जल	केएल	-	0
(ii) भूजल	केएल	-	0
(iii) अन्य पक्ष जल	केएल	5,40,151.13	3,33,091.94
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	केएल	-	0
(v) अन्य	केएल	-	0
जल निकासी की कुल मात्रा (i+ ii+ iii+ iv+ v)	**केएल**	5,40,151.13	3,33,091.94
जल की खपत की कुल मात्रा	केएल	5,40,151.13	3,33,091.94
प्रति रुपया टर्नओवर के प्रति जल की तीव्रता (जल की कुल खपत/ परिचालनों से राजस्व)	किलो लीटर्स प्रति करोड़ भारतीय रुपये	15.11	9.85
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर के प्रति जल की तीव्रता (जल की कुल खपत/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व)	केएल प्रति मिलियन यूएसडी	30.73	20.34
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता(जल की कुल खपत/ पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	केएल प्रति एफटीई	16.89	10.74

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सुरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के बीआरएसआर कोर प्रकटन के संबंध में उचित आश्वासन दिया है.

@ - वित्तीय वर्ष 2025-26 के जल उपभोग के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने अपनी सभी 2,244 शाखाओं एवं 283 कार्यालयों के जल उपभोग को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में तृतीय पक्ष जल में बैंक के प्रधान कार्यालय, बेलापुर स्थित कार्यालय, अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, आईसीबीएफ, आईडीबीआई शिक्षण केन्द्र तथा महानगरीय शाखाओं हेतु बोतलबंद/पैकेज्ड जल तथा नौ राज्यों में स्थित ऐसे कार्यालयों में स्थानीय निकायों द्वारा घरेलू जल आपूर्ति को शामिल किया है. शेष 20 राज्यों में स्थित उन कार्यालयों के लिए, जहाँ घरेलू जल उपभोग का डेटा उपलब्ध नहीं है, जल उपभोग का अनुमान निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया गया है: (20 लीटर x कर्मचारियों, कामगारों एवं संविदा स्टाफ के कार्य दिवस). अन्य स्थानों, अर्थात् 2,243 शाखाओं एवं 238 कार्यालयों, जहाँ जल बिल उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए सेबी द्वारा अधिसूचित पद्धति के आधार पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार जल उपभोग का अनुमान किया गया है: (45 लीटर x कर्मचारियों, कामगारों एवं संविदा स्टाफ के कार्य दिवस). कर्मचारियों एवं कामगारों के मामले में, कार्य दिवसों की संख्या उनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर निर्धारित की गई है. संविदा स्टाफ के मामले में, जहाँ वास्तविक उपस्थिति उपलब्ध नहीं है, कार्य दिवसों की संख्या वर्ष के 365 दिनों में से राज्य वार अवकाशों को घटाकर निर्धारित की गई है. जल उपभोग के अनुमान में विपणन सेवाओं हेतु नियुक्त संविदा स्टाफ को शामिल नहीं किया गया है. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना हेतु परिचालनों से राजस्व, ब्याज आय एवं अन्य आय का योग है, जिसमें भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/(हानि) (निवल), जैसा एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, को शामिल नहीं किया गया है. आईएमएफ द्वारा प्रकाशित रूपांतरण फैक्टर 20.34/अमरीकी डॉलर (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अप्रैल 2026) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) का उपयोग क्रय शक्ति समता (पीपीपी) समायोजित तीव्रता की गणना के लिए प्रयुक्त किया गया है. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीव्रता का प्रकटन भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पूर्णकालिक समकक्ष (एफटीई) के आधार पर किया गया है.

4. जल छोड़ने से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
गंतव्य और उपचार स्तर के आधार पर जल निकासी			
(i) भूपृष्ठीय जल		बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय, बेलापुर कार्यालय और आईसीबीएफ, हैदराबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए हैं. उपचारित जल का उपयोग प्रधान कार्यालय और बेलापुर कार्यालय में एयर कंडीशनिंग प्लांट में किया जाता है. आईसीबीएफ में उपचारित जल का उपयोग बागवानी के लिए किया जाता है. ये उपाय जल संरक्षण को बढ़ावा देते हैं और सतत परिचालनों में योगदान देते हैं.	
- कोई उपचार नहीं	केएल		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	केएल		
(ii) भूजल			
- कोई उपचार नहीं	केएल		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	केएल		
(iii) समुद्री जल			
- कोई उपचार नहीं	केएल		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	केएल		
(iv) अन्य पक्ष को भेजा गया			
- कोई उपचार नहीं	केएल		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	केएल		
(v) अन्य			
- कोई उपचार नहीं	केएल		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	केएल		
जल की कुल निकासी (किलो लीटर्स में)	केएल		

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सुरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के बीआरएसआर कोर प्रकटन के संबंध में उचित आश्वासन दिया है.

@ - जिन स्थानों पर एसटीपी उपलब्ध है, वहां ताजे पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए उपचारित पानी का पुनः उपयोग किया जाता है. बैंक के प्रधान कार्यालय को छोड़कर अन्य सभी कार्यालयों/शाखाओं में प्रवाह मीटरों की अनुपलब्धता के कारण जल निकासी का मापन नहीं किया जाता है और इस संबंध में कोई डेटा नहीं रखा जाता है. इसके अलावा, जल निकासी का अनुमान लगाने के लिए कोई मानकीकृत दिशानिर्देश न होने के कारण, बैंक जल निकासी का अनुमान लगाने में असमर्थ है. अपशिष्ट जल को संबंधित स्थानों पर नगरपालिका सीवरों के माध्यम से छोड़ा जाता है.

5. क्या संस्था ने शून्य तरल छोड़ने के लिए कोई तंत्र लागू किया है ? यदि हां, तो इसकी व्याप्ति और कार्यान्वयन का विवरण दें.

पर्यावरण संरक्षण के अपने उपायों के हिस्से के रूप में, बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय, बेलापुर स्थित कार्यालय और हैदराबाद स्थित आईसीबीएफ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए हैं. उपचारित जल का उपयोग प्रधान कार्यालय और बेलापुर कार्यालय के एयर कंडीशनिंग संयंत्रों में किया जाता है, जबकि हैदराबाद स्थित आईसीबीएफ में इसका उपयोग बागवानी के लिए किया जाता है. ये पहलें जल संरक्षण को बढ़ावा देती हैं और बैंक के सतत एवं जिम्मेदार परिचालनों के प्रयासों में योगदान देती हैं.

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रस्तुत करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
एनओएक्स	एमजी/एनएम^3	1,154.71	लागू नहीं
एसओएक्स	एमजी/एनएम^3	336.48	लागू नहीं
कणिका तत्व (पीएम)	एमजी/एनएम^3	294.71	लागू नहीं
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ.

हालांकि वायु उत्सर्जन (ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के अलावा) के लिए कोई अलग आश्वासन नहीं दिया गया था, लेकिन लागू विनियमों और मानकों के अनुसार डीजल-आधारित जनरेटर सेटों के स्टैक उत्सर्जन के परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर इसकी जानकारी दी गई है.

7. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
क्षेत्र 1 का कुल उत्सर्जन (सीओ2 में जीएचजी, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 का अलग-अलग विवरण, यदि उपलब्ध हो)	टीसीओ2ई	4,518.16	2,360.87
क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (सीओ2 में जीएचजी, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 का अलग-अलग विवरण, यदि उपलब्ध हो)	टीसीओ2ई	56,165.62	57,763.14
क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन@	टीसीओ2ई	60,683.78	60,124.01
प्रति रुपया टर्नओवर के हिसाब से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और 2 का कुल जीएचजी उत्सर्जन / परिचालनों से राजस्व)	टीसीओ2ई प्रति करोड भारतीय रुपया	1.70	1.78
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर के हिसाब से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और 2 का कुल जीएचजी उत्सर्जन / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व)	टीसीओ2ई प्रति मिलियन यूएसडी	3.45	3.67
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के कुल उत्सर्जन की तीव्रता (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के कुल जीएजजी उत्सर्जन / पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	टीसीओ2ई प्रति मिलियन एफटीई	1.90	1.94

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सुरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के बीआरएसआर कोर प्रकटन के संबंध में उचित आश्वासन दिया है.

@ - वित्तीय वर्ष 2025-26 के जीएचजी उत्सर्जन के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने अपनी सभी 2,243 शाखाओं एवं 283 कार्यालयों की ऊर्जा खपत को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएचजी उत्सर्जन - क्षेत्र 1 में सभी स्थानों पर क्रय किए गए ईंधन (स्वामित्व वाले वाहन एवं डीज़ल जनरेटर) से उत्सर्जन, 31 शाखाओं एवं कार्यालयों के अग्निशामक यंत्रों से फ्यूगिटिव उत्सर्जन तथा 55 शाखाओं एवं कार्यालयों की एसी से गैस रिसाव को शामिल किया गया है. जीएचजी उत्सर्जन - क्षेत्र 2 में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक की 2,243 शाखाओं एवं 283 कार्यालयों में क्रय की गई

विद्युत से होने वाले उत्सर्जन को शामिल किया गया है. डीज़ल एवं पेट्रोल के लिए उत्सर्जन फैक्टर सेबी द्वारा जारी उद्योग मानक संबंधी परिपत्र से लिया गया है. क्रय की गई विद्युत के लिए उत्सर्जन फैक्टर, सीईए द्वारा प्रकाशित भारतीय विद्युत क्षेत्र हेतु सीओ2 बेसलाइन डेटाबेस - दिसंबर 2025' से लिया गया है. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना हेतु परिचालनों से राजस्व, ब्याज आय एवं अन्य आय का योग है, जिसमें भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/(हानि) (निवल), जैसा एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, को शामिल नहीं किया गया है. आईएमएफ द्वारा प्रकाशित रूपांतरण फैक्टर 20.34/अमरीकी डॉलर (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अप्रैल 2026) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) का उपयोग क्रय शक्ति समता (पीपीपी) समायोजित तीव्रता की गणना के लिए प्रयुक्त किया गया है. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीव्रता का प्रकटन भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पूर्णकालिक समकक्ष (एफटीई) के आधार पर किया गया है.

8. क्या संस्था के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ''हाँ'', तो विवरण दें.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने ऊर्जा खपत को कम करने, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को न्यूनतम करने और जलवायु जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए परिचालन, प्रौद्योगिकी और वित्तपोषण संबंधी कई पहलें कीं. परिचालन स्तर पर, कार्यालयों और शाखाओं में ऊर्जा दक्षता उपायों को सुदृढ़ करने के लिए प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग, पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था को ऊर्जा-कुशल एलईडी उपकरणों से बदलना, सेंट्रल, डक्ट, स्प्लिट और विंडो यूनिट एयर कंडीशनिंग में तापमान को 25°C से 26°C पर मानकीकृत करना, केबिन और बैंक-ऑफिस की लाइटों को नियमित रूप से बंद करना, लंबे समय तक निष्क्रिय रहने पर डेस्कटॉप और पीसी को बंद करना तथा टेलीविजन, फोटोकॉपी मशीन और श्रेडर जैसे कार्यालय उपकरणों को उपयोग में न होने पर बंद करना सुनिश्चित किया गया. इष्टतम ऊर्जा दक्षता बनाए रखने के लिए उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंधों (एएमसी) का समय पर नवीनीकरण भी सुनिश्चित किया गया.

बैंक ने वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करना जारी रखा. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में, बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में 40 किलोवाट-पीक (केडब्ल्युपी) और कोल्हापुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 20 किलोवाट-पीक क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है. नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए, अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में 40 केडब्ल्युपी का सौर ऊर्जा संयंत्र वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में पूरा होने के करीब था. इसके अतिरिक्त, हैदराबाद और चंडीगढ़ कार्यालयों में क्रमशः 65 केडब्ल्युपी और 60 केडब्ल्युपी के सौर संयंत्रों का निर्माण भी शीघ्र ही पूरा होने वाला है. बैंक ने तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर अन्य स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना जारी रखा है.

डिजिटलीकरण की पहलों ने उत्सर्जन में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड ज्ञापन की आवाजाही के डिजिटलीकरण से 3.60 टीसीओ2ई और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के डिजिटलीकरण से अतिरिक्त 5.40 टीसीओ2ई कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिली है.

वर्ष के दौरान सतत बुनियादी संरचना विकास में भी प्रगति हुई, जिसमें आईसीबीएफ में नए परिसर विकास परियोजना का निर्माण इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के हरित भवन मानकों के अनुसार किया जा रहा है और यह कार्य प्रगति पर है, जो कि दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है. वित्तपोषण के दृष्टिकोण से, बैंक की ऋण नीति ने व्यापक ग्रीनहाउस गैस न्यूनीकरण प्रयासों का समर्थन करने के लिए सतत वित्त को प्राथमिकता देना जारी रखा. विशिष्ट उधार और निवेश गतिविधियों से जुड़े उत्सर्जन के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने हेतु एक नमूना ऋण पोर्टफोलियो के लिए वित्तपोषित उत्सर्जन का आकलन किया गया. जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के तहत, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अपने जलवायु जोखिम न्यूज़लेटर के त्रैमासिक संस्करण प्रकाशित किए, जिनमें जलवायु परिवर्तन के जोखिमों, शमन रणनीतियों और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनियामक घटनाक्रमों पर लेख शामिल थे.

बैंक ने सतत ऋण देने संबंधी निर्णयों का समर्थन करने के लिए रणनीतिक समीक्षा भी की, जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और वायु) पोर्टफोलियो और स्मार्ट मीटर पोर्टफोलियो की समीक्षा पर उद्योग से संबंधित पेपर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किए गए, नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित पेपर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के समक्ष और स्मार्ट मीटर से संबंधित पेपर कार्यपालक समिति (ईसी) के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं. इसके अलावा, ईएसजी स्कोरकार्ड को अंतिम रूप देने का काम उन्नत चरण में है और सितंबर 2026 तक इसके चालू होने की उम्मीद है. वर्ष के दौरान, बैंक ने वसुंधरा ग्रीन डिपॉजिट योजना के तहत ₹ 8.33 करोड़ जुटाए और 31 दिसंबर 2025 को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 675.20 करोड़ का बकाया ऋण बनाए रखा, जिसमें सौर और वायु ऊर्जा उत्पादन कंपनियां, मूल्य-श्रृंखला प्रतिभागी और खुदरा उधारकर्ता शामिल हैं. कुल मिलाकर, ये पहलें ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने, उत्सर्जन में कमी, सतत वित्त और जलवायु जोखिम प्रबंधन के प्रति बैंक के एकीकृत दृष्टिकोण को दर्शाती हैं.

9. निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
उत्पन्न कुल कचरा			
प्लास्टिक (ए)	एमटी	8.54	4.30
ई-कचरा (बी)	एमटी	58.70	38.22
जैव-चिकित्सीय कचरा (सी)	एमटी	0	0
निर्माण और विनष्टीकरण का कचरा(डी)	एमटी	144.89	69.00

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26[@]	वित्तीय वर्ष 2024-25
बैटरी कचरा (ई)	एमटी	86.86	90.62
रेडियोएक्टिव कचरा (एफ)	एमटी	0	0
अन्य हानिकारक कचरा, यदि कोई हो, कृपया निर्दिष्ट करें (जी)	एमटी	0	0
उत्पन्न हुआ अन्य गैर हानिकारक कचरा (एच) यदि कोई हो तो, कृपया निर्दिष्ट करें. (संरचना के अनुसार अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के अनुसार ब्योरा)	**एमटी**	301.37	206.57
कुल (ए +बी +सी +डी +ई +एफ +जी +एच)[@]	**एमटी**	600.36	408.71
प्रति रुपए टर्नओवर पर कचरा तीव्रता (उपभोग किया गया कुल कचरा/परिचालन से राजस्व)	**एमटी प्रति करोड भारतीय रुपया**	0.02	0.01
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर पर कचरे की तीव्रता (उपभोग किया गया कुल कचरा/ पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)	**एमटी प्रति मिलियन यूएसडी**	0.03	0.02
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कचरे की तीव्रता (उत्पन्न कुल कचरा / पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	**एमटी प्रति मिलियन एफटीई**	0.02	0.01
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: प्लास्टिक कचरा (ए)			
(i) रिसाइकल	एमटी	-	-
(ii) पुनःउपयोग	एमटी	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: प्लास्टिक कचरा (ए)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	8.54	4.30
कुल	**एमटी**	**8.54**	**4.30**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: ई- कचरा (बी)			
(i) रिसाइकल	एमटी	58.70	128.84
(ii) पुनःउपयोग	एमटी	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**58.70**	128.84
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: ई-कचरा (बी)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**

मापदंड		यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)				
कचरे की श्रेणी: जैव-चिकित्सीय कचरा (सी)				
(i)	रिसाइकल	एमटी	-	-
(ii)	पुन:उपयोग	एमटी	-	-
(iii)	अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल		**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)				
कचरे की श्रेणी: जैव-चिकित्सीय कचरा (सी)				
(i)	जलाना	एमटी	-	-
(ii)	भूमि में भर देना	एमटी	-	-
(iii)	अन्य निपटान परिचालन	एमटी	-	-
कुल		**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)				
कचरे की श्रेणी: निर्माण और विनष्टीकरण का कचरा(डी)				
(i)	रिसाइकल	एमटी	-	-
(ii)	पुन:उपयोग	एमटी	-	-
(iii)	अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल		**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)				
कचरे की श्रेणी: निर्माण और विनष्टीकरण का कचरा(डी)				
(i)	जलाना	एमटी	-	-
(ii)	जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii)	अन्य निपटान परिचालन	एमटी	144.89	69.00
कुल		**एमटी**	**144.89**	**69.00**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)				
कचरे की श्रेणी: बैटरी कचरा (ई)				
(i)	रिसाइकल	एमटी	86.86	90.62
(ii)	पुन:उपयोग	एमटी	-	-
(iii)	अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल		**एमटी**	**86.86**	**90.62**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)				
कचरे की श्रेणी: बैटरी कचरा (ई)				
(i)	जलाना	एमटी	-	-
(ii)	जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii)	अन्य निपटान परिचालन	एमटी	-	-
कुल		**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)				
कचरे की श्रेणी: रेडियोएक्टिव कचरा (एफ)				
(i)	रिसाइकल	एमटी	-	-
(ii)	पुन:उपयोग	एमटी	-	-
(iii)	अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल		**एमटी**	**-**	**-**

मापदंड	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025-26@	वित्तीय वर्ष 2024-25
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: रेडियोएक्टिव कचरा (एफ)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: अन्य खतरनाक कचरा (जी)			
(i) रिसाइकल	एमटी	-	-
(ii) पुनःउपयोग	एमटी	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: अन्य खतरनाक कचरा (जी)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, रिसाइकल, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: अन्य गैर-खतरनाक कचरा (एच)			
(i) रिसाइकल	एमटी	-	-
(ii) पुनःउपयोग	एमटी	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	एमटी	-	-
कुल	**एमटी**	**-**	**-**
उत्पन्न हुए कचरे की प्रत्येक श्रेणी हेतु, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में)			
कचरे की श्रेणी: अन्य गैर-खतरनाक कचरा (एच)			
(i) जलाना	एमटी	-	-
(ii) जमीन में भर देना	एमटी	-	-
(iii) अन्य निपटान परिचालन	एमटी	301.37	206.57
कुल	**एमटी**	**301.37**	**206.57**

नोट: क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन किया/आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम बताएँ.

हां, चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी और सुरी एंड कंपनी, बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के बीआरएसआर कोर प्रकटन के संबंध में उचित आश्वासन दिया है.

@ - वित्तीय वर्ष 2025-26 के अपशिष्ट संबंधी आंकड़े वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, बेलापुर स्थित कार्यालय, आईसीबीएफ तथा चयनित अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों/शाखाओं में उत्पन्न अपशिष्ट को शामिल किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के ई-कचरे और बैटरी कचरे के आंकड़े पूरे भारत के रिपोर्ट किए गये हैं. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना हेतु परिचालनों से राजस्व, ब्याज आय एवं अन्य आय का योग है, जिसमें भूमि, भवन एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ/(हानि) (निवल), जैसा एकल वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, को शामिल नहीं किया गया है. आईएमएफ द्वारा प्रकाशित रूपांतरण फैक्टर 20.34/अमरीकी डॉलर (वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अप्रैल 2026) - निहित पीपीपी रूपांतरण दर) का उपयोग क्रय शक्ति समता (पीपीपी) समायोजित तीव्रता की गणना के लिए प्रयुक्त किया गया है. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीव्रता का प्रकटन भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पूर्णकालिक समकक्ष (एफटीई) के आधार पर किया गया है.

10. आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई कचरा प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें. अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन करें.

वित्तीय सेवा संस्थान होने के नाते, बैंक द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरनाक कचरे की प्राथमिक श्रेणी ई-कचरा है. ई-कचरे के सतत समाधान हेतु, बैंक ने सभी कार्यालयों और शाखाओं में लागू एक व्यापक ई-कचरा प्रबंधन नीति तैयार की है. बैंक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा निर्धारित निपटान दिशानिर्देशों का पालन करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी ई-कचरा उत्पन्न होने के 180 दिनों के भीतर निपटान कर दिया जाए. निपटान केवल प्राधिकृत और पंजीकृत रिसाइकिलकर्ताओं के माध्यम से ही किया जाता है, और नियामक अनुपालन एवं जिम्मेदार कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए ई-कचरे के उत्पादन और निपटान को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है. इसके अतिरिक्त, बैटरियों का प्रबंधन विक्रेता बायबैक व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है, जिससे जिम्मेदार रिसाइक्लिंग और पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा मिलता है. कार्यालयों और शाखाओं से उत्पन्न अन्य प्रकार का कचरा, जिनका रिसाइकल या पुनः उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें लागू विनियमों के अनुसार स्थानीय निकायों या उपयुक्त वैकल्पिक तंत्रों के माध्यम से जिम्मेदारीपूर्वक निपटाया जाता है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने "माई ऑफिस माई प्राइड" अभियान के तहत पुराने अभिलेखों और फाइलों का वीडींग आउट अभियान चलाया. इस पहल के अंतर्गत, 14,550 किलोग्राम पुराने और अनुपयोगी कागज एवं फाइलें का निपटान किया गया, जिससे स्वच्छ कार्यक्षेत्र और अधिक टिकाऊ कार्य वातावरण बनाने में योगदान मिला. कागज का उपयोग और कम करने के लिए, प्रधान कार्यालय, मुंबई में प्रमुख स्थानों पर डिजिटल सूचना पैनल स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा, बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में विंग पैसेज, क्रॉस पैसेज और लिफ्ट लॉबी की सफाई करवाई है ताकि निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सके और आपातकालीन या संकट की स्थितियों में मानव जीवन को होने वाले जोखिमों को कम किया जा सके. इस प्रक्रिया के दौरान, बैंक ने पुरानी अलमारी (17 संख्या), साइड रैक (26 संख्या) और दराज (18 संख्या) सहित कबाड़ सामग्री का निपटान किया. कबाड़ सामग्री की बिक्री से कुल ₹ 7,76,241 की राशि प्राप्त हुई. सभी शाखाओं को अनुपयोगी और बेकार पड़ी सामग्रियों का आवधिक आधार पर निपटान करने और पुराने फर्नीचर को यथासंभव रिसाईकल करने की सलाह दी गई. समग्र तौर पर, बैंक सांविधिक आवश्यकताओं और स्थिरता उद्देश्यों के अनुरूप, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और कचरा प्रबंधन पद्धतियों का पालन करने का अनुसरण करता है.

11. यदि संस्था के परिचालन /कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे नैशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल रिज़र्व, झीलों, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में या उसके आसपास स्थित हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी आवश्यक है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करें:

क्रम सं.	परिचालनों/कार्यालयों का स्थान	परिचालनों का प्रकार	क्या पर्यावरण संबंधी अनुमोदन /मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो उसका विवरण दें.

हालांकि बैंक की वित्तीय सेवाओं के परिचालन की प्रकृति के कारण यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता है, फिर भी बैंक अपने जिम्मेदार कारोबार दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में स्थायी प्रथाओं को अपनाना जारी रखता है और लागू पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है.

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू क़ानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या.	दिनांक	क्या यह किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया था (हाँ / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए गए (हाँ / नहीं)	संबंधित वेब लिंक

लागू नहीं

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/ विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु, (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम (हाँ /नहीं). यदि नहीं, तो ऐसे सभी अननुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

हां, संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानूनों/ विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जैसे कि जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम.

क्रम सं.	उस कानून / विनियम / दिशानिर्देश का उल्लेख करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया था	अननुपालन का ब्योरा प्रस्तुत करें	विनियामक एजेंसियों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अदालतों द्वारा लगाया गया दंड/ जुर्माना/ की गई कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
वर्ष के दौरान अननुपालन का ऐसा कोई मामला न तो देखा गया और न ही रिपोर्ट किया गया.				

नेतृत्व संकेतक

1. 'जल संकट' वाले क्षेत्रों में जल निकासी, उपभोग और निर्वहन (किलो लीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम

(ii) परिचालन की प्रकृति

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, उपभोग और छोड़ना :

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
स्रोत द्वारा जल निकासी			
(i) सतही जल	केएल	-	-
(ii) भू-जल	केएल	-	-
(iii) अन्य पक्ष जल	केएल	-	-
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	केएल	-	-
(v) अन्य	केएल	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (i+ ii+ iii+ iv+ v)	केएल	-	-
जल उपभोग की कुल मात्रा	केएल	-	-
प्रति रुपया टर्नओवर के लिए जल तीव्रता (कुल जल उपभोग/ परिचालनों से राजस्व)	केएल प्रति करोड़ भारतीय रुपया	-	-
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर के प्रति जल तीव्रता (कुल जल उपभोग /पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व)	केएल प्रति मिलियन यूएसडी	-	-
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल तीव्रता (जल का कुल उपभोग/ पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	केएल प्रति एफटीई	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मैट्रिक संस्था द्वारा चुना जा सकता है	-	-	-

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
गंतव्य और उपचार स्तर के आधार पर छोड़ा गया जल			
(i) सतही जल में			
- कोई उपचार नहीं		-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें		-	-
(ii) भू-जल में			
- कोई उपचार नहीं		-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें		-	-
(iii) समुद्री जल में			
- कोई उपचार नहीं		-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें		-	-
(iv) अन्य-पक्षों को भेजा गया			
- कोई उपचार नहीं		-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें		-	-
(v) अन्य			
- कोई उपचार नहीं		-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें		-	-
छोड़ा गया कुल जल (किलोलीटर में)		-	-

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन एवं इसकी तीव्रता का ब्योरा प्रस्तुत करें :

मापदंड	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
कुल क्षेत्र 3 का उत्सर्जन[@] (सीओ2 का जीएचजी, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 का अलग अलग विवरण प्रस्तुत करें, यदि उपलब्ध है)	एमटीसीओ2ई	1,365.91	1,573.92
प्रति एक रुपया टर्नओवर पर कुल क्षेत्र 3 की उत्सर्जन तीव्रता	एमटीसीओ2ई प्रति भारतीय रुपया	0.04	0.05
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) (कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन / पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई))	एमटीसीओ2ई प्रति एफ़टीई	0.04	0.05

[@] - क्षेत्र 3 उत्सर्जन की गणना व्यावसायिक यात्रा श्रेणी (केवल हवाई यात्रा शामिल) के लिए व्यय आधार पर की जाती है. भारतीय रुपये में तीव्रता की गणना के लिए परिचालनों से प्राप्त राजस्व, भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) को छोड़कर (निवल) ब्याज आय और अन्य आय का योग है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में उल्लेख किया गया है. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में तीव्रता को पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) के आधार पर भौतिक उत्पादन के रूप में प्रकट किया है.

3. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट की गई पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ जैव-विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का ब्योरा प्रदान करें.

वित्तीय सेवा प्रदाता होने के नाते यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता है. तथापि, बैंक सतत संचालन और लागू पर्यावरणीय कानूनों एवं विनियमों के पूर्ण अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है.

4. यदि संस्था ने संसाधनों की दक्षता में सुधार लाने, अथवा उत्सर्जन/प्रवाह निर्वहन / उत्पन्न कचरे के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल अथवा किसी अभिनव प्रोद्यौगिकी या समाधान का उपयोग किया है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इन पहलों के विवरण और परिणामों की जानकारी प्रदान करें:

क्रम सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, तो सारांश के साथ प्रदान किया जाए)	पहल का परिणाम

बैंक ऊर्जा दक्षता और संसाधन अनुकूलन पर विशेष ध्यान देते हुए अपनी पर्यावरण प्रबंधन पद्धतियों को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था, उपस्थिति-आधारित सेंसर प्रणालियों और प्राकृतिक प्रकाश पर अधिक निर्भरता को अपनाकर, बैंक स्वस्थ कार्य वातावरण को बढ़ावा देते हुए बिजली की खपत को सक्रिय रूप से कम कर रहा है. इन प्रयासों को कर्मचारियों के लिए निरंतर जागरूकता पहलों द्वारा समर्थित किया जाता है जो ऊर्जा के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देती हैं.

नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में 40 किलोवाट-पीक (केडब्लयुपी) और कोल्हापुर क्षेत्रीय कार्यालय में 20 केडब्लयुपी क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है. नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को और मजबूत करते हुए, अहमदाबाद अंचल कार्यालय में 40 केडब्लयुपी का सौर ऊर्जा संयंत्र वर्ष के अंत तक पूरा होने के करीब था. इसके अतिरिक्त, हैदराबाद और चंडीगढ़ कार्यालयों में क्रमशः 65 केडब्लयुपी और 60 केडब्लयुपी के सौर संयंत्रों का निर्माण भी जल्द ही पूरा होने वाला है. बैंक तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर अन्य स्थानों पर भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है.

नवीकरणीय ऊर्जा की पहलों के अलावा, बैंक ने समग्र संसाधन दक्षता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं. अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए पुराने फर्नीचरों को नया रूप देकर उसका पुनः उपयोग किया जाता है. बैंक के प्रधान कार्यालय, बेलापुर और आईसीबीएफ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से प्राप्त रिसाइकल जल का उपयोग एयर कंडीशनिंग कंडेंसर के परिचालन और बागवानी के लिए किया जाता है, जिससे ताजे पानी का उपभोग कम होता है.

सर्वोत्तम परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत संबंधी मरम्मत का काम तुरंत किया जाता है और एयर कंडीशनिंग सिस्टम का नियमित निवारक रखरखाव किया जाता है. इसके अतिरिक्त, बैंक ने हाल ही में प्रधान कार्यालय में दो एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) से सुसज्जित यूनिटों से बदल दिया है, और निकट भविष्य में छह अतिरिक्त एएचयू को बदलने की योजना है. समग्र तौर पर, ये सभी पहलें ऊर्जा संरक्षण, जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण के प्रति जागरूक परिचालनों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं.

संधारणीयता परिचालन और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, बैंक ने अपशिष्ट को कम करने और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के उद्देश्य से कई पहलें की हैं. ऐसी ही एक पहल में एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक की बोतलों को पुनःउपयोग योग्य कांच की बोतलों से बदलना शामिल है, जिससे प्लास्टिक की खपत कम हो और दीर्घकालिक अपशिष्ट न्यूनीकरण में सहायता मिले. इसके अतिरिक्त, बैंक ने अपने डाइनिंग लाउंज में खाद्य अपशिष्ट मापन तंत्र स्थापित किए हैं, जिससे खाद्य उपभोग के पैटर्न की निगरानी करना और अनावश्यक अपशिष्ट को कम करने के अवसरों की पहचान करना संभव हो पाता है. यह सुनियोजित दृष्टिकोण न केवल संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि कर्मचारियों में जिम्मेदार उपभोग के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है.

5. क्या संस्था के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में ब्योरा / वेब लिंक प्रदान करें.

मानव जीवन की सुरक्षा करने और व्यवधान या आपदाओं के दौरान बैंकिंग सेवाओं में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक व्यापक व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) ढांचा तैयार किया है. सभी महत्वपूर्ण विभागों के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) दस्तावेजों में व्यावसायिक व्यवधानों या आपदाओं से निपटने की प्रक्रियाओं के साथ-साथ पुनर्प्राप्ति रणनीतियाँ और योजनाएं भी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, आपातकाल के दौरान मानव जीवन की सुरक्षा और मूल्यवान आस्तियों को कम नुकसान होने के लिए प्रमुख स्थानों पर एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) लागू की गई है. विभिन्न व्यवधान परिदृश्यों के तहत इन योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन बीसीपी परीक्षण अभ्यासों, आपदा रिकवरी अभ्यासों और महत्वपूर्ण आईटी अनुप्रयोगों के लिए समग्र अभ्यासों के साथ-साथ बैंक की सुविधाओं पर मॉक निकासी अभ्यासों के माध्यम से किया जाता है. बैंक की व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) आईएसओ 22301:2019 के अनुरूप है. कृपया अधिक जानकारी के लिए देखें: (https://www.idbibank.in/pdf/basel/BCM-Disclosure.pdf).

6. संस्था की मूल्य श्रृंखला से पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को प्रकट करें. इस संबंध में संस्था द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव की सूचना प्राप्त नहीं हुई है. बैंक निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी उभरते जोखिम की शीघ्र पहचान करने के लिए साझेदारों के परिचालनों पर कड़ी निगरानी रखता है. पर्यावरण पर बैंक के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, यह पहचाने गए मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखेगा ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और उनके परिचालनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके.

7. मूल्य श्रृंखला के भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य द्वारा) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया.

बैंक अपने मूल्य श्रृंखला के भागीदारों द्वारा पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुपालन के मूल्यांकन हेतु एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में, बैंक ने 134 विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से लागू पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन की पुष्टि करते हुए स्व-घोषणाएँ प्राप्त कीं. यह पर्यावरणीय सम्यक तत्परता को मजबूत करने और बैंक की मूल्य श्रृंखला की स्थिरता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

8. कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न या प्राप्त किए गए हैं:

अ. सूचीबद्ध संस्था द्वारा

शून्य

आ. शीर्ष दस (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के आधार पर) मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा

शून्य

सिद्धांत 7: कारोबार जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हो तो उन्हें ऐसा जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के साथ संबद्धता की संख्या

बैंक विभिन्न व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों से संबद्ध है. प्रमुख संबद्धताओं का विवरण निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर में दिया गया है.

ख. संस्था जिन उद्योग मंडलों/ संघों के साथ संबद्ध/सदस्य है, ऐसे 10 शीर्ष उद्योग मंडलों/संघों (ऐसी निकाय के कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित) की सूची.

क्रम सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का नाम@	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल(एसोचेम)	राष्ट्रीय
2.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
3.	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ(फिक्की)	राष्ट्रीय
4.	फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल)	राष्ट्रीय
5.	भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (फिमडा)	राष्ट्रीय
6.	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई)	राष्ट्रीय
7.	भारतीय विदेशी मुद्रा संघ (एफएआई)	राष्ट्रीय
8.	भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	राष्ट्रीय
9	भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ़)	राष्ट्रीय
10.	भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई)	राष्ट्रीय

@ - नामों की सूची सांकेतिक है संपूर्ण नहीं.

2. विनियामक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था के गैर-प्रतिस्पर्धा आचरण से संबंधित मुद्दों के बारे में की गयी अथवा की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई की जानकारी प्रदान करें.

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त सार	की गयी सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीतिगत स्थितियों का विवरण:

क्रम सं.	समर्थित सार्वजनिक नीति	ऐसे समर्थन के लिए अपनाया गया तरीका	क्या इसकी जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है ? (हाँ / नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो

बैंक जिम्मेदारी और नैतिक तरीके से जनहित में कार्य करता है. यह सरकारों, विनियामकों, नीति निर्माताओं और उद्योग संघों के साथ परामर्श और चर्चाओं में भाग लेता है, जो इसके परिचालनों और बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हैं, साथ ही, पारदर्शिता बनाए रखता है और मौजूदा तथा लागू कानूनों एवं विनियमों के साथ-साथ आंतरिक नीतियों का पालन सुनिश्चित करता है.

सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में, लागू कानूनों के आधार पर, संस्था द्वारा शुरू की गयी परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन(एसआईए) का विवरण

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या यह किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है? (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक रूप से सूचित किए गए (हाँ/नहीं)	संबंधित वेब-लिंक

कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार, ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक के परिव्यय वाली सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन, ऐसे परियोजनाओं के पूरा होने की तारीख के एक वर्ष बाद किया जाना आवश्यक है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के एकल आवंटन वाली तीन एक-बारगी सीएसआर परियोजनाएँ, पूर्ण होने की तिथि से निर्धारित अनिवार्य एक वर्ष की अवधि पूरी कर चुकी हैं. लागू सीएसआर प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक ने इन परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का कार्य करने हेतु एक स्वतंत्र एजेंसी की पहचान करने और उसे नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रभाव आकलन अध्ययन आगामी वित्तीय वर्ष में किए जाने का प्रस्ताव है.

2. अपनी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एवं आर) के लिए चलाई जा रही परियोजना (ओं) से संबंधित जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें

क्रं. सं.	उस परियोजना का नाम जिसके लिए आर एवं आर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ़) की संख्या	आर एवं आर के अंतर्गत शामिल पीएएफ़ का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष में पीएएफ़ को प्रदत्त राशि (भारतीय रुपये में)
लागू नहीं.						

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके समाधान के लिए तंत्र का वर्णन कीजिए.

बैंक अपनी सीएसआर नीति के मार्गदर्शन में, अपनी प्रतिबद्धता के अनुरुप सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करता है, ताकि इसकी सीएसआर पहलों के लाभों का निष्पक्ष, समानतापूर्ण एवं पारदर्शी वितरण सभी लक्षित लाभार्थी समूहों में सुनिश्चित किया जा सके. इस प्रतिबद्धता को लागू करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, जिसके तहत सीएसआर परियोजनाओं के लिए

कार्यान्वयन एजेंसियों को प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत या परिवाद की सूचना बैंक को देना अनिवार्य है. सीएसआर कार्य की देखरेख करने वाले महाप्रबंधक ऐसी शिकायतों की समीक्षा करने और समाधान करने के लिए ज़िम्मेदार हैं. इसके अलावा, शिकायतों और की गई उपचारात्मक कार्रवाई पर एक रिपोर्ट सीएसआर, ईएसजी और प्रचार से संबंधित प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाती है. शिकायत निवारण प्रक्रिया बैंक की सीएसआर नीति में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुरूप लागू की जाती है.

4. आपूर्तिकर्ताओं से जुटाई गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के हिसाब से कुल इनपुट की तुलना में इनपुट)

	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
एमएसएमई /छोटे उत्पादकों से सीधे तौर पर जुटाए गई	5.30%	बैंक लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप खरीद के लिए निर्धारित निविदा प्रक्रिया का पालन करता है. बैंक स्टेशनरी जैसी सामग्री, जो कि प्राथमिक इनपुट सामग्रियों में से एक है को स्थानीय विक्रेताओं से खरीदता है. बैंक विशेष रूप से एमएसएमई तथा स्थानीय विक्रेताओं से प्राप्त इनपुट सामग्रियों के प्रतिशत को संकलित एवं गणना करने हेतु प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया में है.
भारत के भीतर सीधे तौर पर	97.46%	

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई मजदूरी प्रकट करें

स्थान [@]	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
ग्रामीण	5.90%	6.14%
अर्ध शहरी	13.50%	13.65%
शहरी	23.13%	22.60%
महानगर	57.48%	57.61%

[@] - स्थान को रिजर्व बैंक की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार ग्रामीण/अर्ध-शहरी /शहरी /महानगरीय में वर्गीकृत किया गया है.

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का ब्योरा दें. (संदर्भ: उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न सं 1):

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
यह प्रश्न लागू नहीं होता, क्योंकि बैंक आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 1 में उल्लिखित तीन सीएसआर परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है.	

2. सरकारी निकायों द्वारा अभिनिर्धारित निर्दिष्ट महत्वाकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा प्रारंभ की गयी सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :

क्रम	राज्य	महत्वाकांक्षी जिला	खर्च की गयी राशि भारतीय रुपयों में
1	बिहार	कटिहार	9,64,595.65
2	झारखंड	रांची	46,67,342.00
3	केरल	वायनाड	21,75,784.00
4	ओडिशा	रायगड़ा	3,76,420.00
5	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर	2,84,420.00
6	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	5,00,000.00

3. क) क्या आपके पास अधिमानी खरीद नीति मौजूद है जिसमें आप उपेक्षित /कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां/ नहीं)

एमएसएमई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं समावेशी खरीद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बैंक भारत सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुरूप, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) विक्रेताओं तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) में पंजीकृत संस्थाओं के लिए बयाना जमा राशि (ईएमडी) की आवश्यकता से छूट पर विचार करता है.

ख) किन उपेक्षित /कमजोर समूहों से आप खरीद करते हैं?

एमएसएमई विक्रेताओं के अंतर्गत, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उनके सीमित पैमाने एवं संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत अधिक कमजोर माना जा सकता है.

ग) यह कुल खरीद (मूल्य के हिसाब से) का कितना प्रतिशत है?

बैंक ने अपनी कुल खरीद मूल्य का 4.86% सूक्ष्म एवं लघु विक्रेताओं से प्राप्त किया.

4. आपकी संस्था द्वारा पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्तीय वर्ष में) अपनी स्वामित्व वाली या अधिगृहीत बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

क्रम संख्या	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व वाली / अधिगृहीत (हाँ /नहीं)	साझा किये गये लाभ (हाँ / नहीं)	साझा लाभ की गणना का आधार
लागू नहीं				

5. बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है.

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

6. सीएसआर परियोजना के लाभार्थियों का ब्योरा

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजना से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या	कमजोर समूहों के लाभार्थियों की संख्या	कमजोर और उपेक्षित समूहों के लाभार्थियों का %
1.	पशु कल्याण	0	0	0.00%
2.	सशस्त्र बल	10,000	0	0.00%
3.	आपदा प्रबंधन	0	0	0.00%
4.	शिक्षा	66,787	32,220	48.24%
5.	पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना	1,17,980	22,930	19.44%
6.	लैंगिक समानता	695	695	100.00%
7.	स्वास्थ्य देखभाल	33,49,168	5,07,206	15.14%
8.	खेलों को बढ़ावा देना	1,150	650	56.52%
9.	राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	2,50,000	0	0.00%
10.	सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालय / आईआईटी	300	0	0.00%
11.	ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	0	0	0.00%

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता से शिकायतें और फीडबैक प्राप्त करने के लिए तथा उनका उत्तर देने के लिए तंत्र का वर्णन करें.

बैंक के पास एक सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र है, जिसका उद्देश्य ग्राहक शिकायतों का समय पर, पारदर्शी तथा उचित समाधान सुनिश्चित करना है. एक केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है, जो सभी माध्यमों से प्राप्त ग्राहक शिकायतों के पंजीकरण, आवंटन एवं उनके समाधान की सुविधा प्रदान करती है तथा इन्हें पूर्व-निर्धारित निपटान अवधि के भीतर निष्पादित करना सुनिश्चित करती है. प्रणाली में एक अंतर्निर्मित वृद्धि ढांचा शामिल है, जो शिकायतों के त्वरित एवं समय पर समाधान को सुनिश्चित करता है. पंजीकृत सभी शिकायतों का, उनके अंतिम समाधान अथवा अस्वीकृति तक की गई सभी कार्यवाहियों सहित, प्रणाली में पूर्ण रिकार्ड रखा जाता है, जिससे जवाबदेही, पता लगाने की क्षमता एवं विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित होता है.

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में, उत्पादों और / सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है:

प्रकार	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	ग्राहक संरक्षण एवं डिजिटल सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत, बैंक नियमित रूप से ग्राहक जागरूकता पहल आयोजित करता है, जिनका उद्देश्य उत्तरदायी बैंकिंग व्यवहार को बढ़ावा देना तथा साइबर एवं डिजिटल धोखाधड़ी से उत्पन्न जोखिमों से सुरक्षा करना है. संचार के लिए एक बहु-माध्यम दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके तहत जानकारी एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया अभियानों, बैंक की वेबसाइट, एटीएम, 'गो मोबाइल+' एप्लिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, शाखाओं के भीतर संचार के साथ-साथ स्थानीय जन-संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित की जाती है. ग्राहकों को व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) केंद्रों पर आधार सक्षम भुगतान सेवा (एईपीएस) के सुरक्षित उपयोग के संबंध में भी जागरुक किया जाता है, जहाँ महत्वपूर्ण सुरक्षा दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं. सुरक्षित लेनदेन व्यवहार के संबंध में नियमित परामर्श डिजिटल चैनलों के माध्यम से समय-समय पर जारी किए जाते हैं तथा इन्हें ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले आवश्यक संचार, वेलकम किट सहित, में शामिल किया जाता है.
री-साइक्लिंग और / अथवा सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26		टिप्पणियाँ	वित्तीय वर्ष 2024-25		टिप्पणियाँ
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डेटा गोपनीयता	20	शून्य	-	4	शून्य	-
विज्ञापन	7	शून्य	-	1	शून्य	-
साइबर सुरक्षा	5,517	46	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों (यूईबीटी) से संबंधित शिकायतें	4,505	14	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों (यूईबीटी) से संबंधित शिकायतें
आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी	1,127	10	डिलिवरेबल अर्थात एटीएम कार्ड, आई-नेट पिन की हार्ड कॉपी, ऋण दस्तावेज, आदि प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें	766	2	डिलिवरेबल अर्थात एटीएम कार्ड, आई-नेट पिन की हार्ड कॉपी, ऋण दस्तावेज, आदि प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025-26		टिप्पणियाँ	वित्तीय वर्ष 2024-25		टिप्पणियाँ
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	1	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
अनुचित व्यापार प्रथाएं	12	शून्य	-	2	शून्य	-
अन्य- (उपभोक्ता शिकायतें)	59,854	739	उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों को छोड़कर सभी शिकायतें	44,230	138	उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों को छोड़कर सभी शिकायतें

4. सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण उत्पाद को वापस लेने की घटनाओं का ब्योरा :

	संख्या	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
स्वैच्छिक वापसी	लागू नहीं	
जबरन वापसी		

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता से संबंधित जोखिमों के लिए कोई ढांचा / नीति मौजूद है? (हाँ /नहीं). यदि उपलब्ध है, तो नीति का वेब लिंक उपलब्ध कराएं. यदि हाँ, तो ढांचे/नीति का वेब लिंक तथा उसका संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराएं.

हां, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना सुरक्षा और साइबर सुरक्षा नीतियां लागू की हैं जो साइबर जोखिमों का प्रबंध करने और कम करने के लिए एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान करती हैं. ये नीतियां अनधिकृत पहुंच को रोकने, सूचना आस्तियों की गोपनीयता और अखंडता की रक्षा करने के लिए तैयार की गई हैं और अधिकृत उपयोगकर्ताओं को आईटी प्रणालियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं. बैंक ने सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी) और साइबर सुरक्षा नीति (सीएसपी) लागू की है जिन्हें कार्यबल के बीच व्यापक प्रसार के लिए बैंक के इंट्रानेट पर प्रकाशित किया जाता है. इन नीतियों की समय-समय पर या जब भी कोई महत्वपूर्ण तकनीकी या विनियामक परिवर्तन होता है, तब समीक्षा की जाती है.

ग्राहकों के डेटा और खाता संबंधी जानकारी की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए, बैंक ने सुरक्षा नियंत्रणों की कई परतें लागू की हैं और अपने डिजिटल सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया है. इसके अतिरिक्त, बैंक अपने ग्राहकों को स्पष्ट सूचना सुरक्षा दिशानिर्देश प्रदान करता है और व्यावहारिक 'क्या करें' और 'क्या न करें' अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराता है, ताकि वे अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रख सकें. ये संसाधन निम्नलिखित लिंक (https://www.idbi.bank.in/information-security.aspx और https://www.idbi.bank.in/dos-donts-banking.aspx) पर बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, बैंक नियमित रूप से अपने कर्मचारियों, बैंक के सूचना सिस्टम तक पहुँच रखने वाले अधिकृत वेंडर कर्मियों और ग्राहकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है. इन कार्यक्रमों में उभरते साइबर खतरों और सूचना संपत्तियों को बदलते जोखिमों से मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली सुरक्षा प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है.

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पादों को वापस लेने के उदाहरणों की पुनरावृत्ति से संबंधित मुद्दों पर की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई और उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड लगाने / की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार की सुधारात्मक कार्रवाई का कोई उदाहरण दर्ज नहीं किया गया. बैंक ने अब तक साइबर सुरक्षा उल्लंघन अथवा ग्राहक डेटा गोपनीयता से संबंधित किसी भी घटना को दर्ज नहीं किया है, जो इसकी वर्तमान सुरक्षा रूपरेखा की प्रभावशीलता को दर्शाता है. ऐसी कोई भी घटना होने पर स्थापित प्रोटोकॉल एवं विनियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप तत्परता से सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी. आईटी से संबन्धित सभी प्रमुख घटनाओं तथा आईटी सुरक्षा से संबंधित घटनाओं को व्यवस्थित रूप से एस्केलेट किया जाता है तथा बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससीबी) को रिपोर्ट किया जाता है, जिससे सुदृढ़ अभिशासन तथा निरंतर निगरानी सुनिश्चित होती है.

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें

(क) डेटा उल्लंघन के मामलों की संख्या	शून्य
(ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत	शून्य
(ग) डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो	लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल / प्लैटफॉर्म जहां पर संस्था की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी तक पहुंचा जा सकता है (यदि उपलब्ध हैं, तो वेब लिंक प्रदान करें).

पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रकटीकरण सुनिश्चित करने और साथ ही हितधारकों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंक अपनी वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/) पर अपने उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराता है. बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/) को एक एकल संदर्भ बिंदु के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें जमा और ऋण उत्पादों, डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं, ब्याज दरों, शुल्क एवं प्रभारों, पात्रता आवश्यकताओं तथा लागू निबंधन एवं शर्तों से संबंधित सभी प्रमुख जानकारी का समेकन किया गया है. इसके अतिरिक्त, वेबसाइट पर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे सांविधिक एवं विनियामकीय प्रकटीकरण, नीतिगत दस्तावेज, ग्राहक सेवा मानक, शिकायत निवारण तंत्र तथा सार्वजनिक सूचनाओं की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. बैंक फेसबुक (IDBI Bank), एक्स (@IDBI_Bank), इंस्टाग्राम (@idbibankofficial), लिंक्डइन (IDBI Bank) तथा यूट्यूब (IDBIBANK) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति का उपयोग करते हुए अपनी वर्तमान पेशकशों, नव-प्रवर्तित योजनाओं एवं सेवाओं, प्रचार अभियानों, वित्तीय साक्षरता पहलों, ग्राहक जागरूकता अभियानों, कॉरपोरेट घोषणाओं, ग्राहक परामर्शों तथा महत्वपूर्ण परिचालन अद्यतनों से संबंधित जानकारी का प्रसार भी करता है.

2. योजनाओं और/अथवा सेवाओं का सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से उपयोग करने के बारे में उपभोक्ताओं को सूचना और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम.

बैंक सतत जागरूकता एवं शिक्षा संबंधी पहलों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और ग्राहक सशक्तिकरण को निरंतर सुदृढ़ करता रहता है. बैंक सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा धोखाधड़ी और साइबर अपराध के जोखिमों से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया, अन्य जनसंचार माध्यम जैसे ओओएच एवं डिजिटल, बैंक की वेबसाइट, एटीएम, गो मोबाइल+, इंटरनेट बैंकिंग, शाखा बैठकों तथा स्थानीय ग्राहक कार्यक्रमों सहित विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग करता है. डिजिटल एवं सहायक बैंकिंग सेवाओं, जैसे व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध आधार सक्षम भुगतान सेवा (एईपीएस) के सुरक्षित उपयोग के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है. इन केंद्रों पर ग्राहकों को सुरक्षित रूप से लेनदेन करने में सहायता हेतु 'क्या करें और क्या न करें' के रूप में स्पष्ट निर्देश प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं. इसके अतिरिक्त, सुरक्षित लेनदेन प्रथाओं से संबंधित जानकारी को नियमित अलर्ट और ग्राहक संचार के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है तथा इसे खाता खोलने, डिजिटल एवं वैकल्पिक चैनल पंजीकरण तथा ऋण स्वीकृति के समय जारी किए जाने वाले प्रमुख ग्राहक-संबंधी दस्तावेजों में समाहित किया जाता है.

सूचित वित्तीय निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने आवधिक ऋण विवरणों में अधिक विस्तृत प्रकटीकरण शुरू किए हैं. ग्राहकों को उनके ऋण खातों पर लागू वर्तमान ब्याज दर के साथ-साथ ऋण की शेष अवधि के संबंध में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है. जहाँ बेंचमार्क दरों में संशोधन के कारण ऋण दरों में वृद्धि होती है, ऐसे मामलों में ग्राहकों को इसके प्रभाव को प्रबंधित करने हेतु उपलब्ध विकल्पों के बारे में सक्रिय रूप से जानकारी दी जाती है. इन विकल्पों में वर्तमान समान मासिक किस्त (ईएमआई) को बनाए रखने के लिए आंशिक पूर्वभुगतान करना, मूल पुनर्भुगतान समय-सीमा को जारी रखने हेतु ईएमआई बढ़ाना, अनुमत सीमाओं के भीतर ऋण अवधि बढ़ाना, अथवा जहाँ लागू हो, स्थिर ब्याज दर का विकल्प चुनना शामिल हैं. ग्राहक ऋण खातों को प्रभावित करने वाली ब्याज दरों या सेवा शुल्कों में किसी भी संशोधन को बैंक की वेबसाइट पर पारदर्शी रूप से प्रदर्शित किया जाता है तथा अन्य डिजिटल और भौतिक संपर्क चैनलों के माध्यम से भी इसकी जानकारी ग्राहकों को दी जाती है.

3. आवश्यक सेवाओं में किसी व्यवधान/अनिरन्तरता की कोई जोखिम होने पर ग्राहकों को जानकारी देने के लिए उपलब्ध तंत्र.

बैंक अपने किसी भी उत्पाद या सेवाओं में किसी प्रकार के व्यवधान अथवा बंद किए जाने की स्थिति में ग्राहकों को समय पर सूचना सुनिश्चित करता है, जिसके लिए ईमेल, बैंक की वेबसाइट पर नोटिस, मोबाइल एप्लीकेशन नोटिफिकेशन, एसएमएस अलर्ट तथा फोन कॉल सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है. अप्रत्याशित व्यवधानों से अपने परिचालनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, बैंक ने सभी स्थानों पर अपने परिचालनों के लिए एक

सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) लागू की है. गंभीर परिस्थितियों के कारण किसी भी स्थान पर परिचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में, ग्राहकों को उनके लेनदेन को निर्बाध रूप से करने हेतु निकटतम संचालित शाखा या सेवा केन्द्र पर सहायता प्रदान की जाती है.

4. **क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद पर उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां / नहीं / लागू नहीं). यदि हां, तो संक्षिप्त में विवरण प्रदान करें. क्या आपकी संस्था ने अपने प्रमुख योजनाओं /सेवाओं, या संस्था के परिचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण संस्था के बारे में उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां / नहीं)**

बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में विस्तृत प्रासंगिक जानकारी को पारदर्शी रूप से विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रकट करता है, जिनमें बैंक की वेबसाइट (https://www.idbi.bank.in/) के साथ-साथ अन्य ग्राहक संपर्क बिंदु जैसे शाखाएँ, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग आदि शामिल हैं. विनियामक मानदंडों के अनुसार, बैंक की शाखाओं और एटीएम में प्रमुख सूचनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं जिनमें दी जाने वाली सेवाओं, लागू शुल्कों, प्रचलित ब्याज दरों, शिकायत निवारण प्रक्रियाओं आदि के बारे में जानकारी दी जाती है. इसके अलावा, बैंक ग्राहकों को सूचित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनबोर्डिंग के समय लागू प्रभार, ब्याज दरों, निबंधन एवं शर्तों जैसी विस्तृत जानकारी सरल और आसानी से समझने योग्य भाषा में साझा करता है. बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ-साथ बैंकिंग सेवाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में ईमेल, एसएमएस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जानकारी देता है

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, बैंक सेवा स्तरों, संपर्क बिंदुओं पर ग्राहक अनुभव तथा उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष ग्राहक संतुष्टि (सी-सैट) सर्वेक्षण करता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सी-सैट सर्वेक्षण वर्तमान में प्रगति पर है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सर्वेक्षण फरवरी-मार्च 2025 के दौरान आयोजित किया गया था, जिसमें कंप्यूटर-सहायक टेलीफोन साक्षात्कार (सीएटीआई) कार्यप्रणाली का उपयोग किया गया जिसमें बैंक के 16 अंचलों के 3,200 उत्तरदाताओं के विविध नमूनों को शामिल किया गया, जिससे व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके. बैंक ने इस सर्वेक्षण के माध्यम से समग्र ग्राहक संतुष्टि को मापने के लिए नेट प्रमोटर स्कोर (एनपीएस) को प्राथमिक मेट्रिक के रूप में अपनाया है. सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों को प्रभावी अभिशासन और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक समिति, अर्थात् ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) तथा बोर्ड स्तर की बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) को प्रस्तुत किया गया है.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') में निर्धारित संधारणीयता सूचना पर स्वतंत्र व्यवसायी की उचित आश्वासन रिपोर्ट, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

प्रति,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का निदेशक मंडल,

1. हमने दिनांक 12 दिसंबर 2025 के नियुक्ति पत्र के द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ("बैंक") के लिए नीचे सूचीबद्ध सहमत संधारणीयता सूचना ("निर्धारित संधारणीयता सूचना" या "बीआरएसआर कोर संकेतक") के संबंध में नीचे पैराग्राफ 4 में बताए गए मानदंडों के अनुसार एक उचित आश्वासन देने का कार्य किया है. यह संधारणीयता सूचना 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट ("बीआरएसआर" या "रिपोर्ट") में शामिल है, जिसे प्रबंधन द्वारा दिनांक 10 मई 2021 के सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 11 जुलाई 2023 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120, दिनांक 20 दिसंबर 2024 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 और 28 मार्च 2025 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2025/42 के अनुसार तैयार किया गया है. यह कार्य एश्योरेंस प्रैक्टिशनर्स की एक टीम के द्वारा किया गया था.

आश्वासन का दायरा

2. हमारे उचित आश्वासन के दायरे में हमारी रिपोर्ट के अनुलग्नक अ में सूचीबद्ध निर्धारित संधारणीयता सूचना (''आईएसआई'') शामिल है. रिपोर्ट की रिपोर्टिंग सीमा खंड अ : बीआरएसआर का सामान्य प्रकटीकरण के प्रश्न 13 में प्रकट की गई है, इसमें अपवाद, जहां लागू हैं, को बीआरएसआर के संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत नोट के रूप में प्रकट किया गया है.

3. हमारा उचित आश्वासन कार्य केवल 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष की जानकारी के संबंध में ही था और हमने पहले की अवधियों या बीआरएसआर में शामिल किसी भी अन्य तत्व के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं की है और इसलिए, उस पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं.

रिपोर्टिंग मानदंड

4. निर्धारित संधारणीयता जानकारी तैयार करने के लिए बैंक द्वारा प्रयुक्त रिपोर्टिंग मानदंड का सारांश नीचे दिया गया है:

   क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं (सेबी एलओडीआर), 2015 के विनियम 34(2) (एफ) यथा संशोधित;

   ख. सेबी मास्टर परिपत्र दिनांक 10 मई 2021 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 11 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120, 12 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122, दिनांक 20 दिसंबर 2024 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफ़डी/सीएफ़डी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 और 28 मार्च 2025 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2025/42 के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग आवश्यकताएं.

   ग. सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रारूप के लिए मार्गदर्शी नोट.

   घ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट पर रखे अनुसार कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) कोर के बारे में उद्योग मानक नोट.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

5. बैंक प्रबंधन रिपोर्ट की रिपोर्टिंग सीमा सहित संधारणीयता सूचना तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंडों का चयन या स्थापना करने, संधारणीयता सूचना पर रिपोर्टिंग से संबंधित लागू कानूनों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख पहलुओं की पहचान, हितधारकों के साथ जुड़ाव, विषयवस्तु, मानदंडों के अनुसार संधारणीयता सूचना की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है.

6. इस जिम्मेदारी में बीआरएसआर की तैयारी और संधारणीयता सूचना के मापन से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार के तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त है.

अंतर्निहित सीमाएँ

7. गैर-वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन और माप करने के लिए स्थापित अभ्यास के एक महत्वपूर्ण निकाय की अनुपस्थिति अलग-अलग, लेकिन स्वीकार्य, उपायों और माप तकनीकों की अनुमति देती है और संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकती है.

हमारी स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

8. हमने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और पुष्टि करते हैं कि हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (''आईसीएआई'') और सेबी के परिपत्र दिनांक 10 मई 2021 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 11 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120, 12 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122, दिनांक 20 दिसंबर 2024 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 और 28 मार्च 2025 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2025/42 द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं और उसके स्पष्टीकरणों को पूरा करते हैं और इस आश्वासन कार्य को करने के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव रखते हैं.

9. हम गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, ''ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण'' लागू करते हैं, और तदनुसार नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली बनाए रखते हैं.

हमारी जिम्मेदारी

10. हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अनुलग्नक-अ में सूचीबद्ध निर्धारित संधारणीयता जानकारी पर एक उचित आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करें.

11. हमने अपना कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड (''एसआरएसबी'') द्वारा जारी संधारणीयता आश्वासन कार्य मानक (एसएसएई) 3000, "संधारणीयता जानकारी पर आश्वासन कार्य'' और आश्वासन कार्य मानक (एसएई) 3410 ग्रीनहाउस गैस विवरणों पर आश्वासन कार्य (सामूहिक रूप से "मानक"), दोनों के अनुसार किया है.

12. इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी कार्य योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या **अनुलग्नक अ** में सूचीबद्ध और रिपोर्ट में शामिल निर्धारित संधारणीयता जानकारी, सभी तात्विक मामलों में, ऊपर पैराग्राफ 4 के तहत बताए गए रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार तैयार की गई है.

13. मानकों के अनुरूप उचित आश्वासन कार्य के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा संपूर्ण कार्य के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं.

14. एक उचित आश्वासन कार्य में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण निर्धारित संधारणीयता जानकारी के तात्विक मिथ्यावर्णन के जोखिमों का आकलन करना, परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार मूल्यांकित जोखिमों का जवाब देना शामिल है.

15. हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाएं हमारे पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं और इसमें पूछताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, परिमाणीकरण विधियों और रिपोर्टिंग नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ सहमति या सामंजस्य स्थापित करना शामिल था.

16. उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रक्रियाओं के निष्पादन में, कार्य की परिस्थितियों को देखते हुए, हमः

    क. निर्धारित संधारणीयता जानकारी और संबंधित प्रकटनों की समझ प्राप्त की ;

    ख. बैंक के प्रबंधन और रिपोर्ट तैयार करने के जिम्मेदारी वाले बैंक के संबंधित विभागों से पूछताछ की गई.

    ग. नमूने के आधार पर अंतर्निहित अभिलेखों के साथ निर्धारित संधारणीयता जानकारी को सहमत या समन्वित कर संधारणीयता जानकारी को एकत्रित करने के लिए बैंक की प्रक्रिया का परीक्षण किया गया.

    घ. निर्धारित संधारणीयता संकेतकों के नमूने के आधार पर मूल परीक्षण किया गया ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि डेटा को रिकॉर्ड अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ संकलित और रिपोर्ट कर उचित रूप से मापा गया था. इसमें रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना और नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित परीक्षण करना शामिल था.

ङ. कतिपय निर्धारित संधारणीयता जानकारी की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रियाओं, नियंत्रणों की समझ प्राप्त की, जिसके लिए वास्तविक डेटा पर विचार किया गया था अर्थात रिपोर्टिंग सीमा के अंतर्गत प्रधान कार्यालय और अन्य स्थान तथा सभी 16 अंचल कार्यालयों, हैदराबाद में प्रशिक्षण कॉलेज और मुंबई में प्रधान कार्यालय के समेकन का परीक्षण किया ताकि रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके. इसमें प्रबंधन प्रणालियों और नियंत्रणों के डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल नहीं था.

च. ऐतिहासिक डेटा में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं तथा तदनुसार चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए डेटा की तर्कसंगतता का पता लगाया गया.

छ. निर्धारित संधारणीयता जानकारी की तैयारी में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों और निर्णयों की तर्कसंगतता और उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया. इसके अतिरिक्त, 20 दिसंबर 2024 के सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/177 के अनुपालन में कुछ संकेतकों के लिए 2244 शाखाओं और 283 कार्यालयों के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली की उपयुक्तता का भी सत्यापन किया गया.

ज. बैंक के प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किए.

हमारा यह मानना है कि हमने जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं वह हमारे उचित आश्वासन निष्कर्ष के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

अपवर्जन

17. हमारे आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं और इसलिए हम इन पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं:

- "आश्वासन के दायरे" में उल्लिखित के अलावा बैंक के परिचालन.
- निर्धारित संधारणीयता जानकारी के अलावा बीआरएसआर और डेटा/जानकारी (गुणात्मक या मात्रात्मक) के पहलू.
- बीआरएसआर रिपोर्ट के नेतृत्व संकेतक खंड या किसी अन्य स्वैच्छिक ईएसजी प्रकटीकरण के तहत किए गए प्रकटन;
- संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, एकीकृत रिपोर्ट, कॉरपोरेट वेबसाइट या अन्य सार्वजनिक फाइलिंग में शामिल डेटा या कथन, जब तक कि बीआरएसआर प्रमुख आवश्यक संकेतकों के तहत स्पष्ट रूप से संदर्भित न हों;
- निर्धारित रिपोर्टिंग अवधि अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 से बाहर का डेटा और जानकारी.
- बैंक द्वारा प्रदान किए गए विवरण जो अभिमत, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, उद्देश्य अथवा भविष्य के इरादों की अभिव्यक्ति का वर्णन करते हैं.

18. हमारा निष्कर्ष इस कार्य के दायरे में स्पष्ट रूप से परिभाषित विषय-वस्तु और समयावधि से परे किसी अन्य डेटा या जानकारी से संबंधित नहीं है, या उस आश्वासन प्रदान नहीं करता है.

अन्य जानकारी

19. अन्य जानकारी के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में निर्धारित संधारणीयता जानकारी और उस पर 16 जून 2026 की हमारी स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट के अलावा, बीआरएसआर और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है.

20. निर्धारित संधारणीयता जानकारी पर हमारे निष्कर्ष में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं.

21. निर्धारित संधारणीयता जानकारी के बारे में हमारे आश्वासन के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी निर्धारित संधारणीयता जानकारी से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है.

22. यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है. इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है.

विशेष ध्यान वाले मुद्दे

23. बीआरएसबार खंड ग की टिप्पणियों के अनुसार ''सिद्धांत 6 : कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा और पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए'' - आवश्यक संकेतक 4 ''पानी छोड़ने से संबंधित विवरण'' के तहत, बैंक ने बताया है कि प्रधान कार्यालय के अलावा बैंक के अन्य कार्यालयों/शाखाओं में फ्लो मीटर न होने के कारण पानी छोड़ने को मापा नहीं जाता है. साथ ही, पानी छोड़ने का अनुमान लगाने के लिए कोई मानक दिशानिर्देश न होने के कारण, बैंक पानी छोड़ने का अनुमान लगाने में असमर्थ है.

ऊपर बताई गई बातों के संबंध में हमारे आश्वासन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

अभिमत

24. हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, हमारा यह मत है कि अनुबंध-अ में उल्लिखित निर्धारित संधारणीयता जानकारी, सभी तात्विक पहलुओं में, ऊपर पैराग्राफ 4 में उल्लिखित रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार उचित रूप से प्रस्तुत की गई है.

उपयोग पर प्रतिबंध:

25. इस रिपोर्ट के संबंध में हमारे दायित्व बैंक के लेखा परीक्षकों के रूप में या किसी अन्य रूप में हमारी किसी भी अन्य भूमिका से पूरी तरह से अलग हैं तथा हमारी जिम्मेदारी और देयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती है. इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं और न ही इस रिपोर्ट के विषय में सेवाओं के संबंध में कही या कार्य के दौरान की गई या उसके संबंध में कोई बात, बैंक के लेखा परीक्षकों के रूप में हमारी क्षमता में सावधानी बरतने के किसी कर्तव्य को आगे बढ़ाएगी.

26. बैंक के अनुरोध पर, हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट बनाई गई है और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को संबोधित की गई है जो केवल बैंक को बैंक के संधारणीय प्रदर्शन और गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सहायता के लिए है. तद्नुसार, बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है. हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट किसी अन्य उद्देश्य के लिए या हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं की जानी चाहिए. हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य पक्षकार के प्रति, जिसे हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना हमारी रिपोर्ट दिखाई जाती है या जिसके हाथों में यह रिपोर्ट पहुंचती है, किसी भी प्रकार की देखभाल या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं.

कृते **चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन- 101872W/ W100045

हार्दिक यम्पट
साझेदार
सदस्य संख्या: 194467
यूडीआईएन: 26194467HPDWAG9789

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 जून 2026

सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन- 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्य संख्या: 223118
यूडीआईएन: 26223118KLSCLJ1957

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 जून 2026

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') में निर्धारित संधारणीयता सूचना पर स्वतंत्र व्यवसायी की उचित आश्वासन रिपोर्ट, कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट का अनुबंध अ

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 6 : कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा और पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए		
	विशेषता 1: ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट	
पी6 क्यू7	प्रश्न 7: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) का विवरण और इसकी तीव्रता:	उचित आश्वासन
	कुल स्कोप 1 उत्सर्जन	
	कुल स्कोप 2 उत्सर्जन	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के रूप में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	विशेषता 2: जल फुटप्रिंट	
पी6 क्यू3	जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटनों का विवरण:	उचित आश्वासन
	स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)	
	जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
	जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर में जल तीव्रता (कुल जल खपत परिचालनों से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर जल तीव्रता	
	भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के रूप में जल तीव्रता	
पी6 क्यू4	जल छोड़ने से संबंधित विवरण :	उचित आश्वासन. रिपोर्ट का पैराग्राफ 23 भी देखें
	गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल छोड़ना (किलोलीटर में)	
	कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)	

Business Responsibility & Sustainability Report

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
	विशेषता 3: ऊर्जा फुटप्रिंट	
पी6 क्यू1	कुल ऊर्जा खपत (जूल अथवा गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:	उचित आश्वासन
	नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा	
	गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/ परिचालनों से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता	
	भौतिक आउटपुट/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के रूप में ऊर्जा तीव्रता	
	विशेषता 4: चक्रीयता को अपनाना - संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण	
पी6 क्यू9	संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:	उचित आश्वासन
	कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालनों से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रुपये के टर्नओवर पर अपशिष्ट तीव्रता	
	भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के रूप में अपशिष्ट तीव्रता	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य रिकवरी परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
	विशेषता 5: कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा को बढ़ाना	
पी3 क्यू1 (सी)	कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और अस्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्ययः कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याण उपायों पर उपगत लागत	उचित आश्वासन
पी3 क्यू11	कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण	
	खोया समय क्षति आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे कार्य)	
	कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	
	मृतकों की संख्या	
	उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 5: कारोबारों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए		
विशेषता 6: कारोबार में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना		
पी5 क्यू3 (बी)	संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मजदूरी	उचित आश्वासन
पी5 क्यू7	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतें	उचित आश्वासन
	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	
	महिला कर्मचारियों/कामगारों के प्रतिशत के रूप में पॉश शिकायतें	
	पॉश शिकायतें सही पाई गई	
सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए		
विशेषता 7: समावेशी विकास को सक्षम बनाना		
पी8 क्यू4	आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इन्पुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इन्पुट में इन्पुट) : क. एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त ख. भारत के भीतर से सीधे	उचित आश्वासन
पी8 क्यू5	छोटे शहरों में रोजगार सृजन - छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी, कुल मजदूरी लागत के % के रूप में बताएं.	उचित आश्वासन
सिद्धांत 9: कारोबारों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए		
विशेषता 8: ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्षता		
पी9 क्यू7	डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो	उचित आश्वासन

Business Responsibility & Sustainability Report

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 1: कारोबार को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद का संचालन और नियंत्रण करना चाहिए.		
	विशेषता 9: कारोबार में खुलापन	
पी1 क्यू8	देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/ सेवाओं की लागत)	उचित आश्वासन
पी1 क्यू9	संबद्ध पक्षकारों को ऋण और अग्रिम एवं निवेश के साथ-साथ ट्रेडिंग घरानों, डीलरों, और संबद्ध पक्षकारों से खरीद और बिक्री संकेन्द्रण का विवरण	उचित आश्वासन
	खरीद संकेन्द्रण	
	बिक्री संकेन्द्रण	
	निम्न में आरपीटी का हिस्सा:	
	क. खरीद (संबद्ध पक्षकारों से खरीद / कुल खरीद) ख. बिक्री (संबद्ध पक्षकारों को बिक्री / कुल बिक्री) ग. ऋण एवं अग्रिम (संबद्ध पक्षकारों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम / कुल ऋण एवं अग्रिम) घ. निवेश (संबंधित पक्षकारों में निवेश / किया गया कुल निवेश)	

कृते **चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी**
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन- 101872W/ W100045

हार्दिक यम्पट
साझेदार
सदस्य संख्या: 194467
यूडीआईएन: 26194467HPDWAG9789

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 जून 2026

सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन- 004283S

नटराजन वी
साझेदार
सदस्य संख्या: 223118
यूडीआईएन: 26223118KLSCLJ1957

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16 जून 2026

Business Responsibility & Sustainability Report

Statement by Managing Director & Chief Executive Officer

Dear Stakeholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management of IDBI Bank, I am pleased to present IDBI Bank's Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) for FY 2025-26. This report reflects and signifies your Bank's commitment to ensure long-term value creation for all its stakeholders by ensuring responsible banking, guided by the nine principles of the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC). During the year, the Bank continued to maintain its focus on sustainability-linked governance and enhanced disclosures. Recognising environmental and social factors as material to its operations, the Bank focussed on increasingly integrating sustainability considerations into its decision-making processes.

The Bank continued to emphasise customer-centric approach through customer protection, service quality, financial literacy as also employee capability development in its endeavour to maintain stakeholder trust with a view to enhance operational resilience and to drive long-term value creation. Recognising that responsible banking is evidenced by tangible outcomes in access and inclusion, the Bank undertook several initiatives aimed at delivering affordable, accessible and technology-enabled financial services such as introduction of IDBI SAMEEP banking outlets, use of micro-ATM services, Aadhaar Enabled Payment Systems (AePS), among other initiatives, to underserved and unbanked segments.

Governance remains central to the Bank's sustainability approach, with ESG-related matters monitored and periodically reviewed by dedicated Board-level and senior management-level committees. During the year, the Board members and the Key Managerial Personnel were also sensitised through focussed sessions on emerging ESG developments and regulatory expectations, supporting more informed governance and decision-making. The Bank continued to further strengthen its internal processes and controls to materially improve the depth, consistency and quality of the ESG-related disclosures in the report.

A significant development during the year was the completion of a comprehensive Stakeholder Engagement & Materiality Assessment (SEMA). The assessment enabled the Bank to identify and prioritise ESG topics based on their actual and potential impacts on the economy, the environment and the society, while also considering their relevance to the Bank's long-term performance. Insights on the material topics were drawn from internal as well as external stakeholders through a structured quantitative survey. These insights have contributed to deepening the Bank's understanding of sustainability related risks and opportunities. The Bank shall endeavour to ensure more targeted integration of ESG considerations across its business strategy, risk management framework and governance processes.

From an environmental standpoint, the Bank continued to enhance its internal systems for optimising resource usage and managing its operational footprint. At the same time, there is growing recognition that climate-related implications for banks arise predominantly through financing activities. In this context, the Bank has initiated steps to deepen its understanding of climate-related risks and opportunities within its loan portfolio. These efforts are supported by gradual improvements in data readiness, internal capability building and governance oversight, and shall serve as the foundation for more structured climate risk management practices going forward.

While complying with the regulatory requirement, the Bank's BRSR for FY 2025-26 documents its efforts to further enhance its performance on the ESG-front and align its operations to ensure that sustainability remains at the forefront of its strategic agenda. Further, the Bank's statutory auditors, viz. Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co., have conducted an independent reasonable assurance of the BRSR Core disclosures for FY 2025-26, underscoring the Bank's compliance to the regulatory norms as well as its commitment to transparency. Understanding the growing importance of transparent and consistent ESG reporting, the Bank publishes an ESG Databook annually. The Databook provides granular, comprehensive data across a wide spectrum of ESG indicators, enabling stakeholders to access deeper insights alongside publicly available information. It is indeed a matter of pride that the Bank's sustained efforts are reflected in its ESG score improving to 55 in the S&P Global's Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 from 42 in CSA 2024, underscoring its commitment to ESG initiatives. The Bank recorded an improvement in its ESG performance, with scores under the Environmental, Social and Governance parameters improving to 17, 62 and 63, respectively, in CSA 2025, from 10, 51 and 47, respectively, in CSA 2024.

As the Bank continues to seek sustained business growth, it will continue to ensure that its long-term strategic direction is underpinned by sustainability considerations. The Bank is committed to strengthening its ESG practices in a manner that is prudent, transparent and aligned with its responsibilities as a financial institution, while supporting sustainable economic growth.

Looking forward, the Bank intends to work towards developing clear and methodical approaches to decarbonisation aligned with the national priorities and regulatory guidance. This includes strengthening internal capabilities to assess emissions associated with lending and investment activities, integrating climate considerations into credit appraisal and portfolio review processes, and engaging with borrowers in sectors facing transition-related challenges. The Bank recognises that these initiatives require robust data, sector-specific understanding and careful sequencing, and therefore, proposes to progress in a phased and calibrated manner.

I extend my sincere appreciation to the regulatory and statutory authorities, shareholders, customers and all other stakeholders for their continued trust and engagement. I also place on record my gratitude to the Board of Directors for their guidance and for the employees of your Bank for their commitment and contribution throughout the year.

With best wishes,

Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

Section A: General Disclosures

I. Details of the listed entity:

S. No.	Particulars	Details
1.	Corporate Identity Number (CIN) of the Entity	L65190MH2004GOI148838
2.	Name of the Listed Entity	IDBI Bank Ltd.
3.	Year of Incorporation	September 27, 2004
4.	Registered Office Address	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005
5.	Corporate Address	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005
6.	E-mail	idbiequity@idbi.co.in
7.	Telephone	+91-22-66553355
8.	Website	www.idbi.bank.in
9.	Financial Year for which report is being done	FY 2025-26
10.	Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
11.	Paid-up Capital (INR)	₹ 1,07,52,40,21,750
12.	Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	Shri Manish Pal, General Manager **Telephone No.:** +91-22-66553355 **Email:** brsr@idbi.co.in
13.	Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e., only for the entity) or on a consolidated basis (i.e., for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).	Standalone
14.	Name of assurance provider	Chokshi & Chokshi LLP, Chartered Accountants and Suri & Co., Chartered Accountants (Statutory Auditors of the Bank)
15.	Type of assurance obtained	Reasonable assurance for the BRSR Core disclosures

II. Products and Services:

16. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the Entity
1.	Financial and Insurance Activities	Financial service activities, except insurance and pension funding	100%

17. **Products/ Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):**

S. No.	Product/Service	NIC Code	% of Total Turnover contributed
1.	Activities of commercial banks, Regional Rural Banks, Local Area Banks	641901	100%

III. Operations:

18. **Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated as on March 31, 2026:**

Location	Number of Plants	Number of Offices	Total
National	NA	Banking Outlets – 2,243[@] Offices – 283[#]	2,526[@]
International	NA	Branch -1[$]	1

[@] - Includes 2,174 branches, 69 IDBI SAMEEP banking outlets and one International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) GIFT City.
 # - Includes Zonal & Regional Offices, specialised operational units, processing centres, training centres etc. but excludes Head Office as per the branch and office reporting submitted to the RBI.
[$] - Includes the Bank's International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) located at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gandhinagar, Gujarat.

19. **Markets Served by the Entity:**

a. **No. of Locations:**

Location	Number
National (No. of States)	36[@]
International (No. of Countries)	1[$]

[@] - Includes 8 Union Territories.

[$] - Gujarat International Finance Tec – City (GIFT City), Gandhinagar, Gujarat.

b. **What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?**

Not Applicable.

c. **A brief on types of customers**

IDBI Bank Ltd., headquartered in Mumbai, is a full-service universal bank with a network of 2,244 banking outlets and 3,011 ATMs in over 1,600 locations pan-India. The Bank serves a broad and diversified customer base comprising individuals, institutional entities, agrarian communities, medium, micro and small businesses, large corporates as well as socio-economically underprivileged sections of the society. The Bank, through its products and services, endeavours to financially empower these customer segments and to enable them to fulfil their aspirations. The Bank's offerings include comprehensive suite of products that includes everyday banking solutions such as savings and current accounts, fixed deposits and a wide range of retail loans such as housing loan, auto loan, education loan and personal loan, priority sector loans for medium, micro and small enterprises as well as medium and small farmers. The corporate banking portfolio encompasses fund-based and non-fund based credit, transaction banking products, treasury and capital market services, cash management services, and tax collection facilities, enabling corporates to manage their businesses efficiently. Committed to the agenda of inclusive development, the Bank places strong emphasis on advancing financial inclusion through meaningful interventions. The Bank endeavours to bridge gaps in access to financial services by reaching out to underserved communities and enabling participation in the formal financial system. Details relating to the Bank's products and services as well as initiatives taken have been outlined in the Management Discussion & Analysis section of the Annual Report.

IV. Employees

20. Details as on March 31, 2026

a. Employees and Workers (including differently abled)

Sr. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
	Employees					
1.	Permanent (D)	18,538	11,959	64.51%	6,579	35.49%
2.	Other than Permanent (E)	1,585	861	54.32%	724	45.68%
3.	**Total Employees (D+E)**	**20,123**	**12,820**	**63.71%**	**7,303**	**36.29%**
	Workers					
4.	Permanent (F)	570	425	74.56%	145	25.44%
5.	Other than Permanent (G)	0	0	-	0	-
6.	**Total Workers (F+G)**	**570**	**425**	**74.56%**	**145**	**25.44%**

b. Differently-abled employees and workers

Sr. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)
	Differently-abled Employees					
1.	Permanent (D)	645	477	73.95%	168	26.05%
2.	Other than Permanent (E)	229	161	70.31%	68	29.69%
3.	**Total Employees (D+E)**	**874**	**638**	**73.00%**	**236**	**27.00%**
	Differently-abled Workers					
4.	Permanent (F)	10	8	80.00%	2	20.00%
5.	Other than Permanent (G)	0	0	-	0	-
6.	**Total Workers (F+G)**	**10**	**8**	**80.00%**	**2**	**20.00%**

21. Participation/ Inclusion/ Representation of Women as on March 31, 2026

Particulars	Total (A)	No. and percentage of females	
		No. (B)	% (B/A)
Board of Directors	11[@]	1	9.09%
Key Management Personnel	5[#]	2	40.00%

@ - Three members of the Board of Directors of the Bank, viz. Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and two Deputy Managing Directors (DMDs) are also included under Key Management Personnel.

 # - Key Management Personnel includes MD & CEO, two DMDs, Chief Financial Officer (CFO) and Company Secretary.

22. Turnover rate for permanent employees and workers[@]

Particulars	FY 2025-26			FY 2024-25			FY 2023-24		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	4.67%	5.09%	4.82%	5.63%	5.63%	5.63%	6.51%	6.63%	6.55%
Permanent Workers	0.00%	1.27%	0.31%	0.55%	0.00%	0.42%	1.10%	2.08%	1.33%

@ - The turnover rate is calculated by dividing the total number of voluntary exits during the period by the sum of the total number of employees at the beginning of the period and the total number of new employees who joined during the period, in line with the methodology followed for reporting data to the Reserve Bank of India (RBI).

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

23. Names of holding/ subsidiaries/ associate companies/ joint ventures as on March 31, 2026

S. No.	Name of the holding/ subsidiaries/ associate companies/ joint ventures (A)	Indicate whether holding/ subsidiary/ associate/ joint venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity?
1.	IDBI Asset Management Ltd.	Subsidiary	66.67%[@]	No
2.	IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	Subsidiary	100.00%	No
3.	IDBI Intech Ltd.	Subsidiary	100.00%	No
4.	IDBI Trusteeship Services Ltd.	Subsidiary	54.70%	No
5.	IDBI MF Trustee Company Ltd.	Subsidiary	100.00%	No
6.	North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	Associates	25.00%	No
7.	Biotech Consortium India Ltd.	Associates	27.93%	No

@ - Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Markets & Securities Ltd.

VI. CSR Details

24.

(i)	Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No)	Yes
(ii)	Turnover (in ₹)	₹ 35,743.53 crore
(iii)	Net Worth (in ₹)	₹ 55,748.93 crore

VII. Transparency and Disclosures Compliances:

25. Complaints/ Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in place (Yes/No) (If yes, then provide web-link for grievance redress policy)	FY 2025-26			FY 2024-25		
		No. of complaints filed during the year	No. of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	No. of complaints filed during the year	No. of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes. The Bank's CSR Policy provides for a grievance redressal mechanism, under which an implementing agency must ensure that any grievance received by them is promptly reported to the Bank and addressed appropriately. (https://www.idbi.bank.in/pdf/csr-Policy.pdf)	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	NA
Shareholders	Yes. The Bank has a multi-tier grievance mechanism to address complaints of shareholders and other security holders in a transparent and time-bound manner. (https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-officials-for-shareholder-grievances.aspx)	2,468	01	Comprises majorly complaints for non-receipts of original dividend warrants/ dividend not received/ Revalidation of dividend warrants, non-receipt of Securities/ Transfer Related Complaints etc.	2,153	0	Comprises majorly complaints for non- receipts of original dividend warrants/ dividend not received/ Revalidation of dividend warrants, non-receipt of Securities/ Transfer Related Complaints etc.
Investors (other than shareholders)	-	-	-	Reported under the head *'Customers'* which includes Flexibond complaints	-	-	Reported under the head *'Customers'* which includes Flexibond complaints

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in place (Yes/No) (If yes, then provide web-link for grievance redress policy)	FY 2025-26			FY 2024-25		
		No. of complaints filed during the year	No. of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	No. of complaints filed during the year	No. of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Employees and workers[@]	Yes. The Bank's employees may raise and track grievances through an online portal, viz. i-Hridayo, available to its employees internally. Concerns related to sexual harassment are addressed under the Prevention of Sexual Harassment (POSH) mechanism established in accordance with the statutory guidelines. (https://www.idbi.bank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf)	44	19	NA	48	4	NA
Customers	Yes. The Bank has put in place a Grievance Redressal Policy that governs a robust customer grievance redressal mechanism designed to ensure time-bound and effective disposal of customer grievances in line with regulatory guidelines. (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf)	66,538	795	Complaints received from all channels, including Flexibonds complaints	49,508	154	Complaints received from all channels, including Flexibonds complaints

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in place (Yes/No) (If yes, then provide web-link for grievance redress policy)	FY 2025-26			FY 2024-25		
		No. of complaints filed during the year	No. of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	No. of complaints filed during the year	No. of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Value Chain Partners	Yes. The Bank has put in place a vigilance mechanism in adherence to the Central Vigilance Commission (CVC) norms, wherein complaints received, from the public/ any other sources, are attended to promptly. (https://www.idbi.bank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx) Further, bidders participating in a bidding process for a proposal above a defined threshold in terms of monetary value may raise a dispute/ complaint, if any, with two Independent External Monitors (IEMs) appointed by the Bank in compliance with the CVC norms. (https://www.idbi.bank.in/pdf/New-IEMs-in-IDBI-Bank.pdf)	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	NA

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in place (Yes/No) (If yes, then provide web-link for grievance redress policy)	FY 2025-26			FY 2024-25		
		No. of complaints filed during the year	No. of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	No. of complaints filed during the year	No. of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Others *(Complaints received under the Central Vigilance Commission (CVC) mechanism and the Bank's Whistle Blower Solution (WBS))*	Yes. The Bank has established a dedicated Vigilance Department for examining complaints with vigilance overtones in compliance with the Central Vigilance Commission (CVC) guidelines. (https://www.idbi.bank.in/vigilance-mechanism.aspx) The Bank has also put in place a Whistle Blower Solution (WBS) as an internal reporting mechanism for ethical concerns and compliance issues as provided under the Policy on Whistle Blower. The mechanism is available on the Bank's Intranet for its existing employees and Directors to report wrongful practices or misconduct by internal staff.	137	28	Total number of complaints includes 125 complaints received under the CVC mechanism and 12 complaints received under the WBS, out of which 24 complaints under CVC mechanism and 4 complaints under the WBS were pending for resolution as at the end of the year.	128	26	Number of complaints includes 117 complaints received under the CVC Grievance Redressal Mechanism, out of which 26 were pending for resolution at the end of the year and 11 complaints received under the Whistleblower Mechanism, none of which were pending for resolution at the end of the year.

@ - Includes complaints under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH).

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format:

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
1	Climate Change and Decarbonisation	Risk & Opportunity	• **Risk:** Climate change and the transition to a low-carbon economy presents physical risks and transition risks, especially in view of the heightened vulnerability to extreme weather event, evolving regulatory and policy measures in support of India's net-zero commitments and enhanced scrutiny by regulators as well as other stakeholders on emissions and sustainability initiatives. • **Opportunity:** Decarbonisation efforts enables adoption of energy-efficient technologies to improve operational sustainability and supports the shift towards sustainable financing.	• The Bank's energy conservation strategy in its own operations focuses on improving energy efficiency, increasing the use of renewable energy, and adopting sustainable operational practices. Key initiatives include upgrading electrical and cooling systems, expanding rooftop solar installations based on technical and economic feasibility, optimising power factor and temperature settings, and leveraging available green building incentives. These measures are reinforced through regular energy audits, robust preventive maintenance, and sensitisation efforts for workforce. • The Bank seeks to strategically strengthen its loan portfolio resilience to climate-related risks while aligning lending activities with the evolving transition to a low-carbon economy by embedding climate considerations into credit assessment, portfolio analysis and risk management framework. This risk-focused approach is supported by policy restrictions on lending to environmentally-detrimental activities and a green deposit framework to channelise capital towards financing environmentally sustainable projects.	• **Negative:** Climate-related risks may impact the Bank's financial performance through asset quality stress, higher credit and transition-related costs, and potential pressure on capital and liquidity. • **Positive:** Climate aligned strategies may lead to rationalisation of operational costs, enhanced portfolio resilience, new revenue streams, reduced cost of capital, alignment with evolving regulatory frameworks and improved stakeholder confidence, thereby supporting long-term business growth and profitability.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
2.	Corporate Governance and Ethics	Risk & Opportunity	• **Risk:** Ineffective governance and unethical conduct compromise the effectiveness of risk management, internal controls and compliance frameworks. Such lapses may lead to financial losses, regulatory breaches and supervisory sanctions, potentially impairing long-term stability. • **Opportunity:** Sound governance and ethical practices offer a strategic advantage by enhancing trust, improving risk management, and enhancing stakeholder confidence, thereby driving long-term stability.	• The Bank maintains high standards of corporate governance and ethical conduct in adherence to a well-defined governance framework that is focussed on transparency, accountability and compliance. The Bank operates under the oversight of a diversified and experienced Board of Directors and its committees, ensuring prudent decision making and ensuring effective risk management and regulatory adherence. Clear codes of conduct, ethical policies, and internal controls guide the workforce in maintaining integrity, fairness, and responsibility in day-to-day operations. • The Bank has instituted the roles of Chief Ethics Officer and Zonal Ethics Officers to promote and to reinforce a culture of ethical conduct and regulatory compliance across the organisation.	• **Negative:** Failures in governance frameworks and ethical conduct may lead to tangible financial losses arising from regulatory penalties, possible litigations and loss of business and decline in revenue owing to erosion of stakeholder trust. • **Positive:** Effective governance and ethical conduct supports financial resilience by mitigating the risks of financial loss, lowering compliance costs, enhancing efficiency and supporting long-term value creation for all stakeholders.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
3	Customer Privacy and Data Security	Risk and Opportunity	• **Risk:** Rapid expansion of digital banking channels and interconnected payment ecosystems heightens exposure to cyber security and customer data privacy risks arising from gaps in cyber security systems, vendor risk management, access controls and/ or legacy systems. Such weaknesses may potentially lead to unauthorised access, breach, or misuse of customer data. • **Opportunity:** Adoption of secure technology infrastructures, privacy-by-design principles across products and processes, and strengthening enterprise-wide data governance frameworks have emerged as a differentiator in the banking space in the digital era, as it also helps to reinforce customer confidence by ensuring strong data protection and ethical use of customer information, contributing to customer trust and long-term loyalty.	• The Bank has put in place a robust cybersecurity framework led by an Information Security Group headed by the Chief Information Security Officer (CISO) and governed by comprehensive Information Security and Cyber Security Policies, a Cyber Crisis Management Plan and periodic breach readiness exercises. The Bank has significantly strengthened its IT risk management and cybersecurity framework through a 24x7 state-of-the-art Security Operations Centre (SOC) at its Data Centre (DC) in Navi Mumbai and Disaster Recovery (DR) site in Chennai, enabling centralised monitoring and timely response to cyber threats. The DC, DR site and Near-DR facilities are ISO/ IEC 27001:2022 certified, with Near-DR ensuring zero data loss for critical systems. The Bank's payment infrastructure, designated as Critical Information Infrastructure, is overseen by a dedicated committee. Multiple advanced security solutions, enhanced cloud security controls, and comprehensive cyber risk insurance further strengthen the Bank's overall cyber resilience and ability to provide safe and secure banking services.	• **Negative:** Non-compliance to the established norms regarding customer privacy and data security may lead to supervisory actions, penalties, legal liabilities, customer dissatisfaction and reputational loss, potentially resulting in higher operational expenses and loss of business. • **Positive:** Ethical data use and robust customer data protection may help to build customer trust that boosts engagement and revenue, while simultaneously lowering the financial and operational risks associated with data breaches, regulatory penalties, and inefficiencies.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
				• The Bank has set up a dedicated Data Protection Office, led by a designated Data Protection Officer (DPO), with effect from April 15, 2025, to ensure defined accountability and effective oversight for compliance to the Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDPA). The Bank has also formulated a Digital Personal Data Protection Policy (DPDP) which is aligned with DPDPA principles and applicable regulatory expectations. The Bank has strengthened DPDPA compliance by enhancing vendor contracts and Request for Proposals (RFPs) with robust data protection clauses and completing data discovery for critical applications to enable effective data governance and risk management. Further, the Bank has conducted data protection awareness programmes for its workforce, designated Privacy Champions skilled with Data Security Council of India (DSCI) Certified Data Protection Officer (DCDPO) certification across key units, and empanelled a specialised consultant to address identified gaps and implement an end-to-end data privacy framework.	

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
4	Customer Education and Experience	Risk & Opportunity	• **Risk:** Inadequate customer understanding of banking products, digital platforms, and security practices may result in increased exposure to fraud, service disputes, mis-selling allegations and unintended payment defaults. Deficiencies in customer experience may further exacerbate this risk by driving higher complaint volumes, customer attrition, negative perceptions and escalations to regulatory authorities. • **Opportunity:** Customer education and experience may help in shifting from transaction-centric interactions to value-driven engagement across the entire lifecycle of customers, leading to empowered customers.	• The Bank, through multi-channel outreach initiatives, including digital platforms, branch interactions, and targeted awareness campaigns, empowers customers with clear, timely and easy-to-understand information on products, services, customer rights, and safe banking practices. The Bank conducts regular financial literacy programmes and disseminates curated digital content as well as offers personalised advisories to help customers in making informed decisions and building long-term financial confidence. Simultaneously, the Bank ensures seamless overall customer experience through process simplification, transparent communication, time-bound and well-defined grievance redressal mechanism and consistent service standards across touchpoints. Continuous feedback mechanisms and staff training initiatives further ensure that customer insights are translated into meaningful improvements in the Bank's offerings and service standards.	• **Negative:** Deficiencies in customer education and experience may lead to higher fraud losses, remediation and complaint handling costs, increased customer attrition impacting revenue, and potential regulatory penalties. • **Positive:** Proactive customer education may drive faster digital adoption, lower reliance on branches and customer care centres, lower service costs, and drive opportunities for cross-sell and up-sell on account of customer trust and loyalty.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
5	Digitalisation	Risk & Opportunity	• **Risk:** Rapid digitalisation of banking operations has led to heightened risks, including cyber threats, data privacy breaches, system outages, technology obsolescence and vulnerabilities on account of increased reliance on digital platforms, cloud infrastructure and third-party fintech partners arising from weak controls, integration failures, and regulatory non-compliance. • **Opportunity:** Digitalisation offers banks a dual advantage of enhancing customer experience while driving operational efficiency. Automated, data-driven processes enable faster service delivery and consistent customer interactions, while digital self-service channels reduce operational costs and turnaround times.	• The Bank has strengthened its cybersecurity architecture through robust IT governance, periodic vulnerability assessments, penetration testing, and continuous network monitoring to safeguard customer data and systems. Multi-factor authentication, encryption protocols, and enhanced fraud monitoring tools have been deployed to prevent unauthorised access and cyber frauds. The Bank has also put in place strong data privacy controls, information security policies, and disaster recovery systems and business continuity plans to ensure operational resilience. Periodic Information Systems (IS) Audit, regular employee training, customer awareness initiatives, and compliance with regulatory guidelines further reinforce the Bank's preparedness in managing technology and digital risks effectively.	• **Negative:** Failure to effectively manage digitalisation risk may result in operational losses, increased compliance costs, regulatory penalties, and adverse impact on the profitability. • **Positive:** Digitalisation may generate sustained financial value by reducing operating costs, improving workforce productivity, improving credit assessment, automating fraud detection and enhancing compliance efficiency.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
6	Employee Diversity and Inclusion	Risk & Opportunity	• **Risk:** A lack of workforce diversity may constrain the range of perspectives, experiences, and critical insights that inform strategic and operational decision-making within a bank. Homogeneous teams may also be less equipped to understand and to respond effectively to the needs of a diverse client base, resulting in products, services and delivery models that are insufficiently inclusive or misaligned with market demand. Shortcomings in an inclusive culture may also gradually erode employee engagement, trust, and collaboration with perceptions about unequal treatment or discrimination, leading to decline in productivity and morale. • **Opportunity:** Building a balanced diverse and skilled workforce enhances employee engagement, improves retention, and ensures internal capacity building, thus may strengthen decision-making, improve efficiency, support prudent operational oversight and enable improved service delivery.	• The Bank promotes a diverse and inclusive workforce by incorporating the principles of equality and fairness across its human resource policies and practices. Recruitment, development and career progression are guided by merit and transparency, ensuring equal opportunities for all employees. The Bank supports an inclusive work environment through employee engagement initiatives, various learning and awareness programmes and leadership commitment to diversity.	• **Negative:** Ineffective diversity and inclusion practices may result in increased human capital-related expenditure, conduct risk costs and reputational impact. In the longer term, these factors may weaken earnings stability, elevate cost of internal controls and adversely affect operating efficiency and profitability. • **Positive:** Equitable workforce representation may improve financial outcomes by improving workforce productivity, employee engagement, reducing attrition-related costs, and driving innovation and supporting sustainable long-term value creation.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
7	Financial Inclusion	Risk and Opportunity	• **Risk:** Insufficient focus on financial inclusion may impair the ability to capture future growth opportunities and tap into resilient, diversified and commercially viable markets. Failure to incorporate aspects that promote financial inclusion within product design, risk management frameworks and customer education initiatives may limit market expansion and lower customer lifetime value. Further, poorly designed or inadequately governed inclusion efforts may increase exposure to operational lapses, cyber risks, data privacy concerns, and customer grievance escalation. • **Opportunity:** Financial inclusion offers opportunity to expand into untapped markets by serving unbanked and underbanked populations and generate sustainable long term value, while contributing meaningfully to inclusive economic development.	• The Bank has adopted a structured approach to promote financial inclusion by bridging gaps in access to banking and credit services. By leveraging technology, simplified processes and community-level outreach initiatives, the Bank has enabled wider adoption of savings, credit and digital payment solutions. These initiatives aim to enhance financial resilience and support inclusive growth across regions.	• **Negative:** The financial impact of inclusion arises from balancing social objectives with commercial viability. While inclusive banking supports long-term growth and diversification, poorly designed or monitored initiatives may lead to asset quality challenges, increased expenses and lower short-term returns. • **Positive:** Financial inclusion initiatives may drive improvement in financial performance by supporting growth in stable, low-cost deposits, diversifying the lending base, and improving fee-based income through cross-sell opportunities.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
8	Human Capital Management	Risk and Opportunity	• **Risk:** Weaknesses in human capital management may lead to operational errors, control breakdowns, regulatory breaches, increased fraud risk, weakened risk governance, reduced productivity, and reputational damage. • **Opportunity:** Systematically aligning workforce capabilities with strategic priorities may significantly enhance productivity, deliver consistent performance, address skills gaps, ensure continuity in key roles and improve competitive edge.	• The Bank's Human Resources policies and practices are designed to build a skilled, engaged, and performance-oriented oriented workforce. The Bank focuses on continuous learning, leadership development, and career progression supported by fair and transparent HR processes. Employee conduct, ethics, and compliance are reinforced through continuous training and awareness programmes.	• **Negative:** Poor human capital management practices may drive higher operating and workforce-related costs, lead to regulatory penalties, and cause loss events, impairing profitability and long term value creation. • **Positive:** Targeted upskilling, clear role definitions and meaningful performance differentiation help in driving higher employee effectiveness, superior customer outcomes, and ensure sustained profitability over the long-term.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
9	Human Rights	Risk & Opportunity	• **Risk:** Lack of or inadequate mechanism for mitigating human rights risks relating to workplace practices, supply chains and stakeholder relationships may lead to legal, financial, reputational, and operational consequences. • **Opportunity:** A strong commitment to human rights within workplace practices enhances a bank's reputation as a responsible and values-driven employer. Policies that promote safe working environments, reasonable working hours, mental health support, and work–life balance helps to ensure a people-centric work culture aligned with ethical performance. These practices contribute to attracting and retaining talent while strengthening employee engagement and trust.	• The Bank has adopted well-defined Human Rights Policy, aligned with United Nations Universal Declaration of Human Rights and International Labour Organisation's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work that enumerates its commitment to the protection and promotion of human rights. The Policy provides a framework to ensure safe, healthy, and harassment-free workplace by promoting diversity and equal opportunity, prohibition of child labour and forced labour, upholding human dignity, fair and transparent remuneration and statutory benefits, promoting ethical conduct, putting in place structured grievance redressal mechanism and policies and procedures to safeguard employees against discrimination, harassment, and retaliation.	• **Negative:** Human rights violations may adversely impact profitability and financial stability on account of direct financial costs stemming from legal and regulatory actions as well as indirect effects such as loss of business on account of reputational damage. • **Positive:** Investing in fair and inclusive workplace practices may lead to positive financial benefits arising from cost savings from lower attrition, productivity and efficiency gains from skilled and motivated workforce and lower exposure to legal and reputational risks.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
10	Product and Service Innovation	Risk & Opportunity	• **Risk:** Absence or inadequacy of product and service innovation poses a significant, multi-dimensional risk on account of operational inefficiencies, limited ability to meet evolving customer expectations, weakening competitive position, and heightened regulatory and compliance risks. • **Opportunity:** Innovative product offerings and improved service delivery ensures that the constantly evolving customer preferences are catered to, in line with their expectations, leading to enhanced customer experience, strengthening customer loyalty and building long-lasting customer relationships.	• The Bank's strategy for product and service innovation centres on leveraging digital technology to enhance customer experience and operational efficiency while ensuring prudent risk management. Using technology as a key enabler of product and service differentiation, the Bank has been focussing on delivering modern banking experiences by leveraging analytics, automation and cloud-based platforms. Further, the Bank undertakes continual review and updation of its existing products and services and periodically introduces new offerings to align with changing customer needs, market trends, and regulatory requirements, ensuring sustained competitiveness and relevance.	• **Negative:** Lack of innovation may lead to higher operating costs, inefficient processes, erosion of market share and weakening of revenue streams, negatively impacting the financial health. • **Positive:** Product and service innovation may lead to improved customer acquisition and retention as well as deepening wallet share, contributing to the bottom-line. Concomitantly, it may also help in reducing operational costs by enhancing efficiency through digitalisation/ automation.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
11	Regulatory and Legal Compliance	Risk & Opportunity	• **Risk:** Evolving regulatory requirements, stricter enforcement mechanisms and fragmented guidelines/ norms may increase operational complexity and compliance costs and may heighten risk of non-compliance, hinder decision making and disrupt ongoing initiatives. • **Opportunity:** Strong compliance frameworks may create a strategic opportunity by enhancing resilience and credibility, thereby offering a competitive advantage through proactive alignment with regulatory expectations, improve operational discipline and stronger stakeholder relationships.	• The Bank has established a strong regulatory and legal compliance framework supported by Board oversight, well-defined policies & procedures, and a dedicated compliance function. The Bank ensures adherence to applicable regulatory and statutory norms through internal controls, technology-enabled monitoring, periodic audits, and timely regulatory reporting. Further, continual engagement with regulators and regular training and awareness initiatives for the workforce has helped the Bank to foster a culture of compliance.	• **Negative:** Failure to meet regulatory and legal obligations may result in penalties/ fines, litigation costs, and business restrictions, materially affecting the financial performance. • **Positive:** Robust compliance culture may enhance financial resilience by mitigating regulatory risks while also enabling stable and sustained growth built on stakeholder trust and confidence.
12	Reputation and Brand Management	Risk & Opportunity	• **Risk:** Reputational damage arising from own actions as well as from external events, public perceptions, and association risks may result in disproportionate erosion of stakeholder confidence, resulting in manifold impact on operational and financial outcomes. • **Opportunity:** A positive reputation may enhance stakeholder trust while effective reputation management may enable better mitigation of reputational risk, reinforcing competitive advantage and stakeholder confidence.	• The Bank's reputation and brand management strategy focusses on strengthening the brand recall by ensuring consistent and repetitive messaging across physical, digital, and communication platforms. The Bank leverages transactional touchpoints across all delivery channels to reinforce brand presence and emphasises on preserving continuity in brand elements and messaging structures to ensure that it builds brand familiarity through cognitive association.	• **Negative:** Reputational damage may result in higher customer turnover, loss in market share, higher regulatory scrutiny, which may lead to deterioration in financial performance. • **Positive:** Strong reputation and brand management may deliver tangible financial benefits by supporting stable deposit growth, lower cost of funds, reducing customer acquisition and servicing costs and enabling profitable cross-selling opportunities.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
13	Risk Management	Risk & Opportunity	• **Risk:** Inadequate identification, assessment, or mitigation of risks may lead to financial instability, liquidity stress, regulatory non-compliance, operational disruptions and reputational damage. • **Opportunity:** Robust risk culture and proactive risk management allows proactive identification of profitable opportunities, expansion into new markets prudently, and innovation backed by stable performance while also enhancing regulatory compliance, stakeholder confidence, thus providing a competitive advantage.	• The Bank has adopted a comprehensive and integrated risk management strategy aligned with regulatory norms. The Bank's risk management framework is guided by a clearly defined Board-approved risk appetite framework and overseen through a robust governance structure, including the Board-level Risk Management Committee. Key risks such as credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk are identified, measured, monitored, and mitigated through well-defined policies, independent risk functions, and strong internal controls.	• **Negative:** Inadequate or weak risk management framework may result in regulatory penalties and financial losses, affecting operational and financial stability. • **Positive:** Effective risk management may enhance financial performance by minimising losses, strengthening capital efficiency, supporting sustained business growth and reducing compliance costs.

S. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications
14	Sustainable Finance	Risk & Opportunity	• **Risk:** As sustainability reshapes the financial markets, banks face strategic risk if their business models do not adapt to evolving client needs, investor preferences and regulatory expectations. Overexposure to declining industries or underinvestment in sustainable finance capabilities may limit future growth opportunities and reduce competitiveness of a bank. Conversely, increasing exposure to sustainable finance without adequate risk assessment, data quality or expertise may result in mispricing, inefficient capital allocation and elevated risk. • **Opportunity:** The shift towards sustainable financing offers an opportunity to tap into segments such as renewable energy, sustainable infrastructure, MSME transition financing and green housing, thereby allowing for diversification of portfolio, strengthening long-term risk resilience and aligning with the regulatory expectations.	• In line with evolving regulatory expectations and national sustainability priorities, the Bank is progressively incorporating sustainability risk considerations into its financing activities. The Bank factors environmental and social considerations into lending decisions, particularly for projects with higher sensitivity to ecological impact or regulatory exposure. The Bank also exercises caution in lending to carbon-intensive and environmentally detrimental sectors, while encouraging financing for sustainable infrastructure, MSMEs and development-oriented activities.	• **Negative:** Financial implications from climate change arise through transition-related portfolio re-pricing and physical risks impacting collateral values and borrower cash flows which may influence asset quality and loan book performance in the long-term. • **Positive:** Sustainable financing may enhance long-term profitability by redirecting capital toward assets with lower climate and regulatory risk as also may contribute to capital efficiency through access to stable, long-term, and often lower-cost funding from sources such as green bonds.

Section B: Management and Process Disclosures

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements:

S.No.	Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
	Policy and Management processes									
1.	a) **Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	a) **Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
	a) **Web Link of the Policies, if available**	The Bank has established a comprehensive suite of policies and mechanisms in line with statutory and regulatory requirements as well as industry best practices and after due consultation with relevant stakeholders. These policies also put in place processes and practices that are aligned to the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC) principles. While a majority of these policies and mechanisms are publicly disclosed on the Bank's website (https://www.idbi.bank.in/) for transparency and wider stakeholder access, certain policies and procedures are maintained as internal documents due to confidentiality, sensitivity of information and/ or business considerations, and are accessible only to internal stakeholders. Please refer to the **Note** for more details.								
2.	**Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes/No)**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
3.	**Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)**	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
4.	**Name of the national and international codes/certifications/labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.**	The Bank has adopted and complies with the applicable laws/ regulations/ guidelines as prescribed by the Government of India, various statutory and regulatory authorities, including those notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), the Reserve Bank of India (RBI), the Securities & Exchange Board of India (SEBI), among others.								
5.	**Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.**	No	No	No	No	No	No	No	No	No
6.	**Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.**	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Governance, Leadership and Oversight									
7.	**Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG-related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure)**	Please refer to the Statement by Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) in the BRSR section of the Annual Report.								

8.	**Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).**	Shri Rakesh Sharma, MD & CEO
9.	**Does the entity have a specified Committee of the Board/Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.**	Yes. The Bank's approach to sustainability is institutionalised in its Environment, Social & Governance (ESG) Policy, which serves as the guiding framework for responsible and sustainable practices in its operations. The Board-level CSR & ESG Committee plays a central role in shaping and overseeing the Bank's ESG strategy, providing direction and governance in line with its long-term vision. Further details of the Committee's composition, terms of reference, and meetings held during FY 2025–26 are disclosed in the Corporate Governance section of the Annual Report. At the management level, day-to-day implementation is guided by the Management Committee on CSR, ESG and Publicity, comprising members of the senior leadership team. Through regular reviews and evaluations, the Committee monitors the implementation of ESG initiatives and progress made towards the Bank's sustainability goals.

10. Details of Review of NGRBCs by the Company:

Subject for Review	Indicate whether review was undertaken by Director/ Committee of the Board/ Any other committee									Frequency (Annually/ Half Yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Performance against above policies and follow-up action	In line with its commitment to robust corporate governance practices, the Bank undertakes periodic review of its policies in line with the review cycles specified in each document or as directed by approving authorities to ensure their continued effectiveness and relevance. Through periodic reviews, the Bank identifies opportunities to further strengthen its policy frameworks, ensuring alignment with evolving regulatory requirements, emerging business priorities and its broader sustainability objectives. Policy performance is evaluated annually, and updates or enhancements are incorporated as needed to ensure continued alignment with evolving regulatory requirements, business priorities, and the Bank's broader sustainability goals.																	
Compliance with statutory requirement of relevance to the principles & rectification of any non-compliances	The Bank adheres to all applicable laws/ regulations as notified from time-to-time by the statutory and regulatory authorities concerned.																	

11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency	No.
12. Questions	**If answer to question (1) above is "No" i.e., not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated**
The entity does not consider the principles material to its business (Yes/No)	**Not Applicable**
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)	
The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)	
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)	
Any other reason (please specify)	

Note: *List of key policies and mechanisms of the Bank providing the governance and control framework under various aspects of the nine Principles are as follows:*

Principle	Policies/ Mechanisms
Principle 1 *(Integrity and Accountability)*	• Anti-Bribery & Anti-Corruption Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf) • Code of Bank's Commitment to Customers (https://www.idbi.bank.in/commitment-code.aspx) • Compensation Policy for Non-Executive Directors (https://www.idbi.bank.in/pdf/Compensation_Policy.pdf) • ESG Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • Fraud Risk Management Policy *(The Policy is not made available in public domain.)* • General Code of Conduct and Ethics (https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx) • IDBI Bank's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading (https://www.idbi.bank.in/pdf/investor/Prevention_of_Insider_Trading.pdf) • IDBI Bank's Compliance Policy *(The Policy is not made available in public domain.)* • Integrated Risk Management Policy *(The Policy is not made available in public domain.)* • Know Your Customer (KYC) Policy *(The Policy is not made available in public domain.)* • Officers Service, Conduct, Discipline & Appeals Rules *(The Rules is not made available in public domain.)* • Policy for Determination of Materiality and Disclosure of Events Information (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-for-Determination-of-Materiality-Disclosure-of-Events.pdf)

Principle	Policies/ Mechanisms
	• Policy on Vigil Mechanism (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism.pdf) • Related Party Transaction (RPT) Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-on-Related-Party-Transactions.pdf) • Remuneration Policy of the Bank (https://www.idbi.bank.in/pdf/Remuneration-Policy-of-the-Bank.PDF) • Stress Testing under Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/basel/Pillar-III-Disclosures-March-26.pdf) • Vigilance Mechanism (https://www.idbi.bank.in/vigilance-mechanism.aspx) • Whistle Blower Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/Whistle-Blower-Policy.pdf)
Principle 2 *(Sustainable and Safe Products)*	• Citizen Charter (https://www.idbi.bank.in/pdf/Citizen-Charter.pdf) • Digital Data Protection Policy (DPDP) *(The Policy is not made available in public domain.)* • Fraud Risk Management Policy *(The Policy is not made available in public domain.)* • Information security framework (https://www.idbi.bank.in/information-security.aspx) • Integrated Risk Management Policy *(The Policy is not made available in public domain.)* • IT Policy *(The Policy is not made available in public domain.)* • Operational Risk Management Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/basel/Pillar-III-Disclosures-March-26.pdf)
Principle 3 *(Employee Well-being)*	• Equal Opportunity Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf) • ESG Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • General Code of Conduct and Ethics (https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx) • IDBI Bank - Occupational Safety & Health Administration (OSHA) Policy (I-OSHA) *(The Policy is not made available in public domain.)* • i-HRIDAYO Portal *(The Portal is not made available in public domain.)* • Learning & Employee Engagement Policy *(The Policy is not made available in public domain.)* • Officers Service, Conduct, Discipline & Appeals Rules *(The Rules is not made available in public domain.)* • Policy on Vigil Mechanism (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism.pdf) • Security Policy *(The Policy is not made available in public domain.)*
Principle 4 *(Stakeholder Responsiveness)*	• Corporate Social Responsibility (CSR) Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/CSR-Policy.pdf) • Customer Care Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf) • ESG Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • i-HRIDAYO Portal *(The Portal is not made available in public domain.)* • Policy on Vigil Mechanism (https://www.idbi.bank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism.pdf) • Sexual Harassment Redressal Committees under POSH Act, 2013 (https://www.idbi.bank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf)

Principle	Policies/ Mechanisms
Principle 5 *(Human Rights Protection)*	• ESG Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • Human Rights Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/Human-Rights-Policy.pdf) • Sexual Harassment Redressal Committees under POSH Act, 2013 (https://www.idbi.bank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf)
Principle 6 *(Environmental Protection)*	• Business Continuity Management (BCM) Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/basel/bcm-disclosure.pdf) • ESG Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf)
Principle 7 *(Responsible Advocacy)*	• ESG Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • IDBI Bank's Compliance Policy *(The Policy is not made available in public domain.)*
Principle 8 *(Inclusive Growth)*	• Corporate Social Responsibility (CSR) Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/CSR-Policy.pdf) • ESG Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf)
Principle 9 *(Responsible Customer Engagement)*	• Citizen Charter (https://www.idbi.bank.in/pdf/Citizen-Charter.pdf) • Code of Bank's Commitment to Customers (https://www.idbi.bank.in/commitment-code.aspx) • Customer Care Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf) • Customer Compensation Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Compensation-Policy-Upload.pdf) • Customer Rights Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Customer_Rights_Policy.pdf) • Digital Data Protection Policy (DPDP) *(The Policy is not made available in public domain.)* • ESG Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/ESG-Policy.pdf) • Fair Practice Code-Microfinance Loans (https://www.idbi.bank.in/pdf/micro-loan-fpc.pdf) • Fair Practices Code for Lending (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/FairPracticecodeforLending.pdf) • Fraud Risk Management Policy *(The Policy is not made available in public domain.)* • Grievance Redressal Policy (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf) • Information security framework (https://www.idbi.bank.in/information-security.aspx) • Policy on Collection of dues and Repossession of security (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/collection_of_dues_policy.pdf) • Policy on Unauthorised Electronic Banking Transactions (https://www.idbi.bank.in/pdf/policy/Unauthorised-Electronic-Banking-Transactions-Policy.pdf)

SECTION C: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorised as *'Essential'* and *'Leadership'*. While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally and ethically responsible.

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable

Essential Indicators

1. **Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:**

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/ Principles covered under the training and its impact	Percentage of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors@	7	• 24th Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) - Primary Dealers Association of India (PDAI) Annual Conference at Bali • Design Thinking: Sustainable Business Impact Outcome • Financial Intelligence for Directors • Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) - IDBI Programme on Corporate Governance for the Directors of IDBI • SWIFT International Banking Operations Seminar (SIBOS) 2025, Frankfurt • Strategic Insights for Board Members • Virtual Programme on Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML) for Board of Directors of Banks, Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and Financial Institutions (FIs)	100%
Key Managerial Personnel	49	• 24th FIMMDA-PDAI Annual Conference at Bali • Aarohan cum LEAD - Leadership Excellence And Development Programme for General Managers • Conference of Chief Financial Officers of Banks, FIs & NBFCs - New Challenges • Critical Mistakes Leaders Make • Design Thinking: Sustainable Business Impact Outcome • Digital Personal Data Protection Act Online Programme by Deloitte • Document Handling and Retention Policy • IDBI Basic Principles of Cyber Security • IICA-IDBI Programme on Corporate Governance for the Directors of IDBI • India Climate & Energy Dashboard (ICED) • KYC AML - Money Mules and Customer Due Diligence (CDD) Guidelines • Management Development Programme for IDBI Bank Executives – Executive Directors (EDs)	100%

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/ Principles covered under the training and its impact	Percentage of persons in respective category covered by the awareness programmes
		• Programme on Provisions of the Prevention of Corruption Act at Board Room • SIBOS 2025, Frankfurt • Strategic Insights for Board Members • Virtual Programme on KYC/ AML for Board of Directors of Banks, NBFCs and FIs • Aarohan cum Leadership Excellence and Development (LEAD) Programme – for General Managers (GMs) • Regulatory and functional role-based online modules in the Bank's Learning Management System-OJAS • Webinar on Integration of AI into Secretarial Operations • Webinar on Effective Board Management and Role of Communication • Webinar on Loans and Borrowings under Companies Act, 2013 • Webinar on Demystifying IEPF Laws • Webinar on MSMEs: Opportunities for Professionals • Webinar on Practical Aspects of Prohibition of Insider Trading (PIT) Regulations & Structured Digital Database • Practical Aspects of Prohibition of Insider Trading (PIT) Regulations & Structured Digital Database • Webinar on SEBI (LODR) (Third Amendment) Regulations, 2024 • 53rd National Convention of Company Secretaries on theme: Progressive, Inclusive and Sustainable Bharat organised by The Institute of Company Secretaries of India (ICSI). • Discussion on Insider Trading organised by SEBI • Panel Discussion on Related Party Transactions, Unpublished Price Senssitive Information (UPSI) and other challenges • Panel Discussion on facilitating decision making by the Board	
Employees other than BoD and KMPs	2,868	• Aarohan: WeRise IDBI • Compliance, Control and Ethics • Role-based/ advanced role-based workshop • First-Time Branch Head programmes • Sensitisation Programme on Provisions of the Prevention of Corruption Act, 1988 • Online Capsule Programmes • Induction Programme cum role-based workshops for the new recruits • Specialised and customised programmes • Talent Development Programme • Nominations to External Learning Programmes • Location Convenience Programme • Mentorship • E-learning through OJAS	99%

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/ Principles covered under the training and its impact	Percentage of persons in respective category covered by the awareness programmes
Workers	37	• Aarohan: WeRise IDBI – A behavioural science and wellness programme for the Workmen Employees • Role-based workshop for the clerical staff • Workshop on Notes exchange/ refund guidelines of RBI • Workshop on Continuous Clearing and Settlement • Location Convenience Programme • KYC AML - Money Mules and CDD Guidelines • Prioritisation and Scheduling • Legal Aspects of POSH • IDBI Basic Principles of Cyber Security • Awareness Training on Detecting and Dealing with Phishing Emails • Living a Life With a Purpose • Awareness Training on Detecting and Dealing with Phishing Emails • Third Party Risk Management (TPRM) - User training by Risk Department	87%

@ - The total count of Board of Directors and Key Managerial Personnel, including MD & CEO and DMDs, have been considered as on March 31, 2026.

2. **Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):**

Monetary					
Type	**NGRBC Principle**	**Name of the regulatory/ enforcement agencies/judicial institutions**	**Amount (In INR)**	**Brief of the Case**	**Has an appeal been preferred? (Yes/No)**
Penalty/ Fine	Principle 1	Reserve Bank of India (RBI)	₹ 34,98,285/-	• Penalties levied by RBI in Q1 FY26 for soiled note acceptance/ deficiency during incognito visit (3 instances): ₹ 30,000/- • Penalty in Q1 FY26 for charging interest in excess of applicable lending rate to farmers in Kisan Credit Card (KCC) having sanctioned limits up to ₹ 3 lakh (1 instance): ₹ 31,80,000/-	No

Monetary					
Type	NGRBC Principle	Name of the regulatory/ enforcement agencies/judicial institutions	Amount (In INR)	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes/No)
				• Penalties levied by RBI in Q1 FY26 pertaining to currency chests on account of (i) soiled notes, (ii) shortage of cash, (iii) counterfeit notes, (iv) non-conduct of half yearly verification etc. (15 instances): ₹ 51,000/- • Penalties levied by RBI in Q2 FY26 for soiled note acceptance/ deficiency during Incognito Visit. (2 instances): ₹ 20,000/- • Penalties levied by RBI in Q2 FY26 pertaining to currency chests on account of (i) soiled notes (ii) shortage of cash (iii) counterfeit notes (12 instances): ₹ 21,050/- • Penalties levied by RBI in Q3 FY26 for soiled note acceptance/deficiency during incognito visit. (1 instance): ₹ 10,000/- • Penalties levied by RBI in Q3 FY26 pertaining to currency chests on account of (i) soiled notes (ii) shortage of cash (iii) counterfeit notes (12 instances): ₹ 46,900/- • Penalties levied by RBI in Q4 FY26 for soiled note acceptance/deficiency during incognito visit. (9 instances): ₹ 1,00,000/- • Penalties levied by RBI in in Q4 FY26 pertaining to currency chests on account of (i) soiled notes (ii) shortage of cash (iii) counterfeit notes (iv) cash verification (v) external electrical switch connection in vault. (12 instances): ₹ 39,335/-	

Monetary					
Type	**NGRBC Principle**	**Name of the regulatory/ enforcement agencies/judicial institutions**	**Amount (In INR)**	**Brief of the Case**	**Has an appeal been preferred? (Yes/No)**
Settlement	NA	NA	NA	NA	NA
Compounding Fee	NA	NA	NA	NA	NA
Award	Principle 1	ORBIO	₹ 15,700/-	The complainant, a customer of another bank, attempted to withdraw ₹ 5,000 from an IDBI Bank ATM at Sadar, Nagpur on 11-05-2025. Although the amount was debited, cash was not dispensed. The Office of Reserve Bank of India Ombudsman (ORBIO) advised the Bank to refund the amount with compensation as per RBI guidelines. Since the Bank paid compensation from the date of complaint instead of the transaction date, ORBIO issued an Award directing payment of compensation from the date of the transaction.	No

Non-Monetary				
Type	**NGRBC Principle**	**Name of the regulatory/ enforcement agencies/judicial institutions**	**Brief of the case**	**Has an appeal been preferred? (Yes/No)**
Imprisonment	NA	NA	NA	NA
Punishment	NA	NA	NA	NA

3. **Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.**

Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
For the instances mentioned in Question no. 2, no appeal / review was preferred by the Bank.	

4. **Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy**

Yes, the Bank has put in place Board-approved Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy that affirms its commitment to conducting its business with integrity, transparency and ethical governance. This Policy articulates the Bank's zero-tolerance approach towards bribery and corruption across all its operations and stakeholder interactions. The Policy is communicated internally to the Bank's workforce through its intranet and is also placed in the public domain on the Bank's website (https://www.idbi.bank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf) for wider dissemination and awareness.

5. **Number of Directors/ KMPs/ employees/ workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:**

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Directors	Nil	Nil
KMPs	Nil	Nil
Employees	Nil	Nil
Workers	Nil	Nil

6. **Details of complaints with regard to conflict of interest**

Particulars	FY 2025-26		FY 2024-25	
	Number	Remark	Number	Remark
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	Nil	-	Nil	-
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	Nil	-	Nil	-

7. **Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines/ penalties/ action taken by regulators/ laws enforcement agencies/ judicial institutions on cases of corruption and conflicts of interest.**

Not Applicable.

8. **Number of days of accounts payables ((Accounts payable x 365) / Cost of goods/services procured) in the following format:**

Category	FY 2025-26	FY 2024-25
Number of days of accounts payable@	30	32

@ - Considering the business model, the Bank does not have liability directly related to accounts payable. The Bank's liabilities are grouped under head "other liabilities" and the same is monitored by the accounts owners.

9. Open-ness of business

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format:

Parameter	Metrics	FY 2025-26	FY 2024-25
Concentration of Purchases	a) Purchases from trading houses as % of total purchases	Purchase and Sales parameters are not applicable to the Bank, being a banking company engaged in providing banking and financial services. The Bank has wide base of depositors and borrowers which are sourced as per its policies. The Bank has no transactions with trading houses/ dealers. All the transactions with related parties are done at an arm's length. Concentration of deposits, advances, exposures and Non-Performing Assets (NPAs) with respect to Top 20 accounts of the respective four categories are disclosed in the Bank's Annual Report.	Purchase and Sales parameters are not applicable to the Bank being a banking company engaged in providing banking and financial services. The Bank has wide base of depositors and borrowers which are sourced as per its policies. The Bank has no transactions with trading houses/ dealers. All the transactions with related parties are done at an arm's length. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs in respect of Top 20 accounts of the respective four categories are disclosed in the Bank's Annual Report.
	b) Number of trading houses where purchases are made from		
	c) Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading houses		
Concentration of Sales	a) Sales to dealers/ distributors as % of total sales		
	b) Number of dealers/ distributors to whom sales are made		
	c) Sales to top 10 dealers/ distributors as % of total sales to dealers/ distributors		
Share of RPTs in	a) Purchases (Purchases with related parties/ Total Purchases)	-	-
	b) Sales (Sales to related parties/ Total Sales)	-	-
	c) Loans & advances (Loans & advances given to related parties/Total loans & advances)[@]	0.37%	0.42%
	d) Investments (Investments in related parties/Total Investments made)[#]	0.25%	0.28%

@ - Loans given to Related party/ Gross Advances of the Bank.

 # - Investments in Related party/ Total Gross Investments of the Bank.

Leadership Indicators

1. **Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the Principles during the financial year:**

Total number of awareness programmes held	Topics/ principles covered under the training	Percentage of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
01	Introduction to ESG and BRSR, Products, Policy and Compliance, definition of ESG, focus areas under ESG, national policies & regulations on ESG, nine principles of NGRBC, applicability timelines of BRSR, and details of BRSR Core disclosures.	With the objective of strengthening awareness and compliance with ESG-related requirements across its value chain, the Bank disseminated a dedicated training module to its key vendors/ service providers across various functional areas.

2. **Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interest involving members of the Board? (Yes/No) If Yes, provide details of the same.**

Yes. The Bank has instituted a comprehensive governance framework supported by Board-approved policies and procedures to identify, manage and resolve conflicts of interest involving the Board members. The Bank's General Code of Conduct and Ethics, hosted on its website (https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx), lays down comprehensive provisions governing ethical conduct and conflict of interest situations, including specific guidance applicable to Directors. As part of this framework, all members of the Board are required to submit periodic and annual declarations of their interests and disclose any changes in their interests in external entities in the first Board meeting of every financial year and promptly thereafter in the event of any changes. Identified or potential conflicts of interest are reviewed in accordance with the Bank's governance processes. In instances where a Director has a personal interest in a matter under consideration, the Director is required to recuse himself/ herself from the deliberations and decision-making, discussions and decisions are conducted in a fair, transparent and unbiased manner. The effectiveness of conflict of interest management processes is subject to Board level oversight as part of the Bank's broader governance and ethics framework.

Principle 2: Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. **Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.**

Particular	FY 2025-26	FY 2024-25	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	Not applicable given the nature of operations as a financial service provider.		
Capex			

2. a. **Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/ No).**

Yes

b **If "Yes", what percentage of inputs were sourced sustainably?**

The Bank reinforced its focus on sustainable operations by adopting environmentally responsible materials such as certified green plywood and energy-efficient lighting solutions in newly established branches and select offices as well as residential facilities. These initiatives align with the Bank's broader sustainability objectives, including reduction of environmental footprint and promotion of energy efficiency across its operational infrastructure. Extending this commitment beyond its own operations, the Bank proactively engages with its vendors and service

partners to encourage responsible waste management, renewable energy adoption, robust labour practices, human rights protection and robust governance framework in order to enhance their ESG performance. Further, the Bank has incorporated ESG-specific clauses, covering areas such as statutory and regulatory compliance, ethical business conduct, avoidance of conflicts of interest, data protection, adherence to information security standards and indemnification for breaches in several Requests for Proposal (RFPs). In order to align its procurement practices with global sustainability standards, the Bank accords preference, wherever feasible, to vendors and service providers possessing certifications from established environmental management frameworks such as ISO 14001. As part of its commitment to enhanced safety and sustainable operations, the Bank is prioritising sourcing of low/ zero-combustible materials such as fire-resistant paints, fire-retardant doors, fire-retardant plywood and nitrile insulation.

3. **Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.**

Not applicable given the nature of operations as a financial service provider.

4. **Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.**

Not applicable given the nature of operations as a financial service provider.

Leadership Indicators

1. **Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?**

NIC Code	Name of Product/ Service	% of total Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective/ Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link
Not applicable given the nature of operations as a financial service provider.					

2. **If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along-with action taken to mitigate the same**

Indicate input material	Description of the risk/concern	Action taken
Not applicable given the nature of operations as a financial service provider.		

3. **Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).**

Name of Product/Service	Recycled or re-used input material to total material	
	FY 2025-26	FY 2024-25
Not applicable given the nature of operations as a financial service provider.		

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:

Type	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Reused	Recycled	Safely Disposed	Reused	Recycled	Safely disposed
Plastics (including packaging)	Not applicable given the nature of operations as a financial service provider.					
E-Waste						
Hazardous Waste						
Other Waste						

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

Indicate product category	Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category.
Not applicable given the nature of operations as a financial service provider	

Principle 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1. a. Details of measures for the well-being of Employees:

Category	Total (A)	% of employees covered by									
		Health Insurance@		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)	No. (D)	% (D/A)	No. (E)	% (E/A)	No. (F)	% (F/A)
Permanent Employees											
Male	11,959	11,959	100.00%	11,959	100.00%	NA	NA	11,959	100.00%	NA	NA
Female	6,579	6,579	100.00%	6,579	100.00%	6,579	100.00%	NA	NA	NA	NA
Total	**18,538**	**18,538**	**100.00%**	**18,538**	**100.00%**	**6,579**	**35.49%**	**11,959**	**64.51%**	**NA**	**NA**
Other than Permanent Employees											
Male	861	852	98.95%	861	100.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Female	724	723	99.86%	724	100.00%	724	100.00%	NA	NA	NA	NA
Total	**1,585**	**1,575**	**99.37%**	**1,585**	**100.00%**	**724**	**45.68%**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

@ - Permanent employees are covered under the Bank's in-house medical scheme. Entry level officers are covered under Floater Health Insurance Policy.

b. Details of measures for the well-being of Workers:

Category	Total (A)	% of workers covered by									
		Health Insurance@		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
Permanent Workers											
Male	425	425	100.00%	425	100.00%	NA	NA	425	100.00%	NA	NA
Female	145	145	100.00%	145	100.00%	145	100.00%	NA	NA	NA	NA
Total	570	570	100.00%	570	100.00%	145	25.44%	425	74.56%	NA	NA
Other than Permanent Workers											
Male	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Female	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

@ - Permanent workers are covered under the Bank's in-house medical scheme.

c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format:

Category	FY 2025-26	FY 2024-25
Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the company@	0.32%	0.32%

@ - The Bank also provides ex-gratia assistance in lieu of compassionate appointment to eligible dependent family members of deceased employees.

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous Financial Year:

Sr.	Benefits	FY 2025-26			FY 2024-25		
		No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority. (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority. (Y/N/N.A.)
1.	Provident Fund (PF)	2.08%	10.54%	Y	2.45%	11.49%	Y
2.	Gratuity	100.00%	100.00%	Y	100.00%	100.00%	Y
3.	Employees' State Insurance (ESI)	0.00%	0.00%	NA	0.00%	0.00%	NA
4.	Others – Pension & NPS@	97.92%	89.46%	Y	97.55%	88.51%	Y

@ - Except for employees with unopened Permanent Retirement Account Number (PRAN).

3. **Accessibility of Workplaces**

Are the premises / offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

The Bank is committed to providing barrier-free access for all visitors, employees, and workers, including persons with disabilities, in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and applicable government guidelines. A substantial number of branches already meet the prescribed accessibility standards, while several others are partially compliant and are being upgraded on a phased basis to achieve full conformity. In certain cases, complete compliance is currently constrained by site-specific factors such as statutory limitations, space constraints or structural and regulatory conditions and such cases are being periodically reviewed to undertake enhancements as and when feasible. To further enhance accessibility, the Bank has introduced alternative arrangements, including doorstep banking services for persons with disabilities, and has appointed nodal officers at each branch to address accessibility related concerns and facilitate uninterrupted access to essential services. As of March 31, 2026, out of a total of 2,174 branches (excluding 69 IDBI Sameep Banking Outlets), 1,078 branches were equipped with ramp facilities and ramp installation was in progress at 33 branches. An additional 293 branches did not require ramps as they were accessible through level entry or lift-based access. The remaining 770 branches are located on upper floors, making ramp installation infeasible. Recognising the importance of an inclusive workplace, accessibility features have been provided in 66 out of 97 Regional and Zonal Offices. The Bank is in the process of evaluating options to extend these facilities to other offices wherever feasible. Additionally, voice-enabled lift systems have also been installed in select offices to assist visually impaired employees in navigating the office premises independently.

4. **Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.**

Yes. The Bank upholds the principles of equality, diversity and non-discrimination through its Equal Opportunity Policy. The Policy encapsulates the Bank's commitment to provide equal opportunities to all employees and qualified job applicants, regardless of their race, caste, religion, color, ancestry, marital status, sex, age, nationality, disability, and other factors. The provisions of the Policy are aimed at ensuring a diverse and inclusive work culture defined by merit-based professional growth, while complying with applicable labour laws and regulatory requirements. The Policy is disclosed on the Bank's website (https://www.idbi.bank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf) for wider dissemination among the stakeholders.

5. **Return to Work and Retention Rates of permanent employees and workers that took parental leave for FY 2025-26**

Gender	Permanent Employees		Permanent Workers	
	Return to Work Rate@	Retention Rate#	Return to Work Rate@	Retention Rate#
Male	99.78%	91.85%	100.00%	100.00%
Female	79.33%	87.40%	50.00%	100.00%
Total	**90.66%**	**89.95%**	**85.71%**	**100.00%**

@ - For Return to Work rate, officers who have availed paternity/ maternity leave which ended during FY 2025-26 (till March 31, 2026) and were in service as on March 31, 2026 have been considered.

 # - For Retention Rate, officers who availed paternity/ maternity leave which ended during April 01, 2024 till March 31, 2025 and were retained after12 months and in service as on March 31, 2026 have been considered.

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers? If yes, give details of the mechanism in brief.

Category	Yes/ No	Details of the mechanism in brief
Permanent Workers	Yes	Yes, the Bank has an online portal called i-Hridayo, hosted on its intranet, which allows employees and workers to report their grievances. Additionally, the Bank has established built-in appellate mechanisms within various policies, procedures, and processes to facilitate the grievance redressal process.
Other than Permanent Workers	Yes	
Permanent Employees	Yes	
Other than Permanent Employees	Yes	

7. Membership of employees and workers in association(s) or Unions recognised by the listed entity:

Category	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Total employees/ workers in respective category (A)[@]	No. of employees/ workers in respective category who are part of association(s) or Union (B)[#]	% (B/A)	Total employees/ workers in respective category (C)[@]	No. of employees/ workers in respective category who are part of association(s) or Union (D)[#]	% (D/C)
Total Permanent Employees	**20,123**	**11,304**	**56.17%**	**19,087**	**10,968**	**57.46%**
- Male	12,820	7,770	60.61%	12,333	7,708	62.50%
- Female	7,303	3,534	48.39%	6,754	3,260	48.27%
Total Permanent Workers	**570**	**502**	**88.07%**	**644**	**584**	**90.68%**
- Male	425	386	90.82%	487	457	93.84%
- Female	145	116	80.00%	157	127	80.89%

[@] - *Data includes Employees on Contract.*

[#] - *Though recognised union status has not been given to any of the unions/ associations, the above is the tentative membership position of major unions/ associations operating in the Bank.*

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 2025-26					FY 2024-25				
	Total (A)	On Health and Safety Measures		On Skill Upgradation			On Health and Safety Measures		On Skill Upgradation	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	Number (C/A)	Total (D)	Number (E)	% (E/D)	Number (E)	% (F/D)
Employees										
Male	12,820	12,536	97.78%	12,731	99.31%	12,333	11,617	94.19%	12,155	98.56%
Female	7,303	7,075	96.88%	7,195	98.52%	6,754	6,221	92.11%	6,609	97.85%
Total	**20,123**	**19,611**	**97.46%**	**19,926**	**99.02%**	**19,087**	**17,838**	**93.46%**	**18,764**	**98.31%**
Workers										
Male	425	351	82.59%	351	82.59%	487	394	80.90%	397	81.52%
Female	145	131	90.34%	131	90.34%	157	145	92.36%	145	92.36%
Total	**570**	**482**	**84.56%**	**482**	**84.56%**	**644**	**539**	**83.70%**	**542**	**84.16%**

9. **Details of performance and career development reviews of employees and workers:**

Category	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Total (A)@	Number (B)#	% (B/A)	Total (C)@	Number (D)#	% (D/C)
Employees						
Male	12,844	12,317	95.90%	11,147	10,764	96.56%
Female	7,315	6,624	90.55%	5,802	5,208	89.76%
Total	**20,159**	**18,941**	**93.96%**	**16,949**	**15,972**	**94.24%**
Workers						
Male	458	457	99.78%	525	524	99.81%
Female	155	154	99.35%	165	165	100.00%
Total	**613**	**611**	**99.67%**	**690**	**689**	**99.86%**

@ - Total Employees includes live employees as at end of a financial year plus Retired/ Voluntary Retirement Scheme/ Deceased employees for whom performance assessment is done for the financial year.

 # - Total Employees/Workers for whom performance assessment is done for the financial year.

10. **Health and safety management system:**

a. **Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage of such system?**

Yes. The Bank has adopted the Integrated Occupational Safety, Health and Assurance (i-OSHA) Policy to provide a safe, healthy and secure working environment for all its employees and off-roll staff working in its premises. The Policy focuses on proactive risk identification and prevention of workplace hazards through continuous monitoring and improvement of safety practices in compliance with applicable occupational safety and health regulations. Regular training, awareness programmes and incident reporting mechanisms have been made an integral part of the Policy for strengthening the Bank's safety culture and ensuring employee well-being across its operations. The Bank has also undertaken comprehensive safety measures across its offices and branches including installation of fire safety equipment, deployment of Closed-Circuit Television (CCTV) surveillance, provision of ergonomically designed seating and engagement of trained security personnel. The Bank places strong emphasis on employee health and well-being with appointment of Bank Medical Officers (BMOs) at key locations, including the Head Office, Zonal Offices, and the Training College and conduct of periodic wellness programmes. Comprehensive health check-ups for employees are also conducted through empanelled hospitals, reflecting the Bank's continued commitment to preventive healthcare. Additionally, the Bank provides comprehensive medical facilities in accordance with its medical policy and applicable health insurance schemes to support employees in meeting their medical expenses.

b. **What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?**

The Bank adopts a proactive approach to safety and operational continuity by conducting periodic fire mock drills and undertaking regular preventive maintenance of all equipments to ensure employee preparedness and sustained operational efficiency. In order to enhance workplace safety, necessary personal protective equipment such as helmets, gloves, and safety shoes are provided to all workers and Standard Operating Procedures (SOPs), work permits and proper signage are ensured prior to the execution of any task. Daily inspections of workplaces are carried out and accident histories are reviewed periodically to identify and to address potential risks. The Bank also conducts regular fire and electrical audits of its premises and undertakes corrective actions to mitigate identified risks. In accordance with the Bank's policy, all safety, audit, and maintenance-related information is systematically

recorded, monitored, and updated in the Disaster and Business Continuity Management IT system (I-DAB). During floor cleaning activity in the Bank's premises, appropriate cautionary signages and physical barricades are placed to inform about wet floor conditions and minimise the risk of accidents.

c. Whether you have processes for workers to report the work-related hazards and to remove themselves from such risks. (Y/N)

Yes. The Bank maintains relevant registers and logbooks, including an electrical shock register, at its Head Office to document workplace incidents and hazards. Additionally, Standard Operating Procedures (SOPs) provide clear guidance on preventive measures and emergency responses, reinforcing a structured approach to occupational health and safety.

d. Do the employees/ workers of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

As part of its employee well-being initiatives, the Bank ensures medical coverage for all employees and their dependents under its Medical Scheme. Further, junior employees of the Bank are covered under a floater group mediclaim policy, ensuring adequate medical coverage across all employee categories. Periodic comprehensive health check-ups are conducted at the Bank's Head Office, including assessments relating to mental well-being, liver function, eye health, and cardiovascular fitness. During the year, the Bank also undertook multiple health awareness programmes focussing on cancer awareness, women's health and diet and nutrition, underscoring its commitment to preventive healthcare and sustainable employee well-being.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incidents/ Number	Category	FY 2025-26	FY 2024-25
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	Employees	In FY 2024-25 and FY 2025-26, there were no employees/ workers of the Bank who suffered high consequence work-related injury/ ill-health/ fatalities.@	
	Workers		
Total recordable work-related injuries	Employees		
	Workers		
Number of fatalities	Employees		
	Workers		
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees		
	Workers		

@ - Including in the contractual workforce.

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy workplace.

The Bank is committed to ensuring a safe, secure, and healthy working environment for all its employees. To support this commitment, the Bank has adopted the IDBI Bank - Occupational Safety, Health and Assurance (i-OSHA) Policy, which establishes a comprehensive workplace health and safety framework aligned with ISO 45001:2018, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020, and other national standards across all its premises. The policy focuses on proactive risk identification, prevention of workplace hazards, compliance with applicable occupational safety and health regulations, and continuous monitoring and improvement of safety practices. The policy outlines the responsibilities of the Bank, employees and contractors, mandates compliance with fire, electrical, ergonomic, and indoor air quality standards, strengthens preparedness through emergency response plans, drills, audits, and training and integrates safety considerations with business continuity and ESG commitments. It encompasses hazard identification and risk assessment (HIRAC), operational controls, medical and health insurance benefits, well-being initiatives, incident reporting mechanisms, performance monitoring, and continuous improvement through structured action plans and periodic management reviews, ensuring safe, healthy, and resilient operations for employees, visitors, and outsourced personnel across all the Bank's premises.

In order to ensure a comfortable work environment and to minimise the risk of overheating of air-conditioning units, the Bank maintains indoor air-conditioning temperatures at an ambient level of 25°C-26°C. Further, the Bank, in order to proactively manage workplace risks and safeguard employee health, has implemented structured safety and medical preparedness measures. Fire drill trainings are conducted periodically across the Head Office in Mumbai and all Zonal and Regional Offices to strengthen emergency preparedness. Safety infrastructure, including first-aid kits, fire alarms, and fire extinguishers, is maintained across office locations. Clear safety signages, exit markers, fire extinguisher placements, and layout maps have been installed at prominent locations across the Bank's premises to guide employees and visitors and facilitate safe evacuation in the event of a fire or emergency.

The Bank also ensures preventive health management for employees above a defined age threshold through comprehensive health check-up packages. The facility of Bank Medical Officers (BMOs) is made available at the Head Office, select Zonal Offices and select staff quarters in Mumbai to ensure timely medical support. Further, to ensure access to quality healthcare, the Bank has established tie-ups with leading hospitals and clinics, enabling employees to avail best-in-class medical treatment while also alleviating immediate financial burden through cashless treatment facilities at approved healthcare institutions.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

Topic	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remark	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remark
Working Conditions	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	NA
Health & Safety	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	NA

14. Assessments for the year:

Topic	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties
Health and Safety Practices	As part of its proactive efforts towards promoting employee health and workplace safety, the Bank undertook a comprehensive programme of electrical safety and statutory compliance assessments across its premises. A total of 2,145 offices and branches were evaluated by qualified electrical auditors to ensure adherence to prescribed safety standards. In addition, the Bank conducted regular and preventive inspections at its Head Office as part of its ongoing risk mitigation efforts. These included inspections of lifts by authorised lift inspectors, verification of fire detection and suppression systems by approved agencies, quality testing of packaged drinking water by the manufacturer and pollution testing of diesel generator (DG) sets by authorised agencies. These measures reflect the Bank's continued commitment to maintaining a safe, compliant, and sustainable working environment for its employees, customers, and other stakeholders.
Working Conditions	

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions

The Bank ensures safe and healthy working conditions and mitigates the risk of any untoward incidents through strict adherence to preventive maintenance schedules, established Standard Operating Procedures (SOPs) and prescribed Do's and Don'ts.

Leadership Indicators

1. **Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N).**

   Yes. The Bank provides comprehensive life insurance cover and compensatory packages to its employees and workers as part of its overall commitment to employee well-being and social security. These measures are designed not only to offer financial protection to employees during their service tenure but also to ensure financial security and dignity for their families in the event of unforeseen circumstances.

2. **Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.**

   The Bank actively works to ensure compliance across its value chain by requiring vendors/ service providers to meet all applicable statutory obligations, including timely deduction and payment of Provident Fund, Employees' State Insurance, Gratuity, Goods and Services Tax, and other mandated dues. Vendors/ service providers are required to submit compliance certificates as proof of adherence, and those engaged in Cash Delivery, Pickup, and Cash Sorting services must additionally furnish monthly compliance certificates, along with payment receipts in line with central labour laws. These requirements are reviewed through annual vendor/ service provider audits. To reinforce accountability, statutory and regulatory compliance clauses have been embedded in multiple Requests for Proposal (RFPs), reflecting the Bank's ongoing commitment to lawful, ethical, and responsible value chain engagement.

3. **Provide the number of employees/ workers having suffered high consequence work-related injury/ ill-health/ fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:**

Category	Total no. of affected employees/ workers		No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2024-25
Employees	Not applicable considering there were no employees/ workers of the Bank who suffered high consequence work-related injury/ ill-health/ fatalities in FY 2024-25 and FY 2025-26.			
Workers				

4. **Does the entity provide transition assistance programmes to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/ No):**

   The Bank provides structured transition-support initiatives to assist employees in preparing for retirement and post-service life. Dedicated Retirement Programmes are conducted at the Bank's apex training institute, the IDBI Centre for Excellence in Banking and Finance (ICBF), Hyderabad. These programmes offer holistic guidance on financial planning, healthcare, insurance, psychological preparedness, wellness and overall well-being to ensure a smooth and informed transition. The programme broadly covers healthy ageing, lifestyle management, diet and wellness practices, yoga and meditation, philosophy of life including spiritual aspects, second careers and productive ageing, social networking, psychological preparedness, management of finances and investments, retirement planning and tax aspects, will-making, nomination processes and superannuation benefits. In addition, the Bank's robust learning and development ecosystem, encompassing up-skilling, reskilling, leadership development and role-based programmes, supports employees across the career lifecycle, enabling them to navigate transitions with confidence and preparedness.

5. **Details on assessment of value chain partners:**

Details	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Health and Safety Practices	Recognising the critical role of its value chain in incorporating sustainable practices across its operations, the Bank is in the process of instituting a structured assessment framework to evaluate value chain partner compliance with environmental norms, labour laws, human rights requirements and provision of a safe, healthy and harassment-free work environment. During FY 2025-26, self-declarations were submitted by 134 key vendors/ service providers confirming their compliance with applicable environmental regulations, labour laws, and human rights standards. This assessment underscores the Bank's commitment to reinforcing responsible business practices across its value chain.
Working Conditions	

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.**

No significant risks/ concerns were observed during the assessments of health and safety practices and working conditions of vendors/ service providers. Nevertheless, the Bank remains committed to actively engage with its vendors/ service providers to sensitise them on adhering to health, safety and workplace standards and to promote continuous imprement.

Principle 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. **Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity:**

The Bank is committed to placing the needs and concerns of its stakeholders at the core of its strategy to enable sustainable and long-term value creation in an inclusive manner. The Bank follows a structured and robust framework to identify and assess both internal and external stakeholders, taking into account the impact of its operations as well as the influence that the stakeholders may exert on the Bank's performance and reputation. Through this process, the Bank has identified key stakeholder groups, including Board of Directors, customers, employees, implementation partners for Corporate Social Responsibility (CSR) projects, industry bodies, media partners, shareholders, regulatory bodies, Self-Regulatory Organisations (SROs) and other Market Infrastructure Institutions (MIIs), and vendors/ service providers.

During FY 2025-26, a comprehensive stakeholder engagement and impact materiality assessment was undertaken through a structured survey exercise to identify the key material issues for the Bank. The survey responses were systematically analysed and evaluated to prioritise and identify key material issues for the Bank based on their relevance to the stakeholders as well as their potential impact on the Bank's operations and long-term sustainability objectives. The Bank's engagement with all its stakeholders is an ongoing and integral part of its processes. The Bank engages consistently and constructively with its stakeholders through a wide range of communication channels in order to remain responsive to evolving stakeholder expectations, while reinforcing trust, transparency and accountability. Through these sustained stakeholder engagement endeavours, the Bank strives to promote inclusive and responsible growth by ensuring that stakeholder perspectives are meaningfully integrated into its decision-making and long-term strategy.

2. **List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group:**

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group (Yes/ No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Board of Directors	No	• Board Meetings • Board-level Committee Meetings • Notice • Emails • Investor Presentations	• Others - Continuous	• Corporate Governance • Strategy • Financial and operational performance • Risk Management • ESG and Sustainability related matters
Customers	Yes	• Telephonic calls • Emails • Call Centres • Website • Branch Interactions • Social media platforms • Advertisements • Surveys	• Others – Continuous	• Product and service information and updates • Customer experience • Relationship management • Grievance Redressal

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalised Group (Yes/ No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Employees	No	• Internal Portal • Emails • Meetings • Training programmes • Performance evaluation • Employee engagement initiatives • Social media platforms • Surveys	• Others – Continuous	• Human capital management policies • Employee well-being and workplace safety • Training & development • Career progression • Inclusive work culture
Implementing agencies for CSR projects	Yes	• Meetings • Emails • Telephonic calls • Field Visits • Reports	• Others – Continuous and need-based	• CSR project implementation • Socio-economic impact • Alignment with CSR objectives
Media Agencies	No	• Press releases • Press conferences • Media briefings	• Others – Periodic and need-based	• Brand and reputation management • Public information dissemination
Regulatory bodies, SROs & MIIs	No	• Regulatory reporting • Meetings • Telephonic calls • Emails	• Others – Continuous	• Regulatory compliances • Regulatory approvals • Essential banking and financial market operations • Governance standards
Shareholders	No	• Annual Report • Annual General Meeting • Shareholder Meets • Stock exchange filings • Website disclosures • Press Releases • Emails • Telephonic calls	• Others – Periodic and need-based	• Strategy updates • Financial and operational performance • Regulatory and statutory disclosures • Corporate actions • Shareholder protection initiatives
Vendors/ Service Providers	No	• Telephonic calls • In-person and virtual Meetings • Emails • Notices	• Others – Continuous and need-based	• Project implementation • Review/ update • Delivery of essential banking services • Regulatory and statutory compliance

Leadership Indicators

1. **Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.**

   During FY 2025-26, the Bank carried out a structured Stakeholder Engagement and Materiality Assessment (SEMA) exercise to identify key material issues, based on their relevance to the stakeholders as well as their potential impact on the Bank's operations and long-term sustainability objectives. This initiative reflects the Bank's ongoing focus on stakeholder engagement for inclusive decision-making as well as transparent and responsible business conduct, ensuring that the material issues for the Bank are aligned with stakeholder expectations and long-term goals.

   The SEMA exercise was implemented through a structured, multi-stage process as outlined below:

   - **Stakeholder Mapping:** The Bank undertook a systematic evaluation to identify its key stakeholder groups, comprising Board of Directors, customers, employees, implementation partners for Corporate Social Responsibility (CSR) projects, industry bodies, media partners, shareholders, regulatory bodies, Self-Regulatory Organisations (SROs) and other Market Infrastructure Institutions (MIIs), and vendors/ service providers. This mapping was undertaken by assessing the nature and extent of each stakeholder group's influence on the Bank, the impact of the Bank's operations on them, and the degree of mutual reliance and responsibility between the Bank and its stakeholders.

   - **Stakeholder Interactions:** To capture diverse viewpoints, the Bank engaged with stakeholders through a structured quantitative survey that was focussed on obtaining insights relating to sustainability expectations of the diverse stakeholder groups as well as their ESG-related concerns and perceptions of the Bank's practices.

   - **Identification and Prioritisation of Material Issues:** The responses received from over 3,000 respondents across stakeholder groups were analysed to identify ESG topics that are most relevant to the Bank's business and its stakeholders. A materiality framework was applied to assess the relative importance of these topics based on stakeholder priority and potential impact on the Bank's operations, risk profile, and long-term value creation. The outcomes of the SEMA, that is, the shortlisted material issues were reviewed by the senior management and presented to the Board as part of the Bank's ESG governance process.

   - **Strategic Alignment and Focus Areas:** Responses received across stakeholder groups has provided valuable insights into existing challenges, emerging risks, and potential opportunities for the Bank. These insights shall shape the ongoing deliberations and initiatives around the Bank's sustainability focus areas, offering relevant perspective for broader considerations of ESG matters within its business objectives and strategic planning.

2. **Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.**

   Yes, stakeholder consultations form an integral part of the Bank's approach to identifying, prioritising, and addressing key environmental and social considerations. Through the materiality assessment process, the Bank has gained valuable insights into ESG issues that are most significant or material to both its stakeholders and its business.

   The stakeholder inputs have contributed to a broader understanding of stakeholder perspectives on ESG-related issues and helped to contextualise the Bank's approach to sustainability.

   In addition to the structured impact materiality assessment exercise, the Bank follows a dynamic approach to stakeholder identification and engagement, with periodic reviews undertaken to account for changes in the business landscape, regulatory developments and evolving stakeholder expectations. This ongoing reassessment ensures that the Bank's sustainability efforts remain relevant, responsive and aligned with emerging risks and opportunities.

3. **Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalised stakeholder groups.**

The Bank strategically integrates financial performance with social responsibility by leveraging a wide range of products, services, and delivery channels to enhance financial security and overall well-being of customers, especially for those from the disadvantaged sections of the society. This approach is guided by the objective of creating shared value while fostering inclusive and sustainable economic growth. The Bank's financial inclusion initiatives and CSR programmes play a crucial role in reaching underserved sections of society and delivering tangible socio-economic impact.

The Bank's widespread and well-integrated network of physical, digital and relationship-based channels are designed not only for access and convenience, but also to enable continuous engagement, feedback, as also grievances or concerns. To uphold transparency and accountability, the Bank has instituted robust grievance redressal systems supported by defined policies and dedicated access channels. These mechanisms facilitate timely and equitable resolution of concerns raised by customers, employees, investors, and CSR beneficiaries. Grievances and feedback from value chain partners and other marginalised or external groups are addressed on a case-specific basis, consistent with the Bank's ethical code of conduct.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. **Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:**

Category	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Total (A)	No. of employees/ workers covered (B)	% (B/A)	Total (C)	No. of employees/ workers covered (D)	% (D/C)
Employees						
Permanent	18,538	17,922	96.68%	16,911	16,447	97.26%
Other than permanent	1,585	1,418	89.46%	2,176	1,955	89.84%
Total Employees	**20,123**	**19,340**	**96.11%**	**19,087**	**18,402**	**96.41%**
Workers						
Permanent	570	482	84.56%	644	537	83.39%
Other than permanent	0	0	-	0	0	-
Total Workers	**570**	**482**	**84.56%**	**644**	**537**	**83.39%**

2. **Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:**

Category	FY 2025-26					FY 2024-25				
	Total (A)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage		Total (D)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)		Number (E)	% (E/D)	Number (F)	% (F/D)
Permanent Employees										
Male	11,959	0	-	11,959	100.00%	11,123	0	-	11,123	100.00%
Female	6,579	0	-	6,579	100.00%	5,788	0	-	5,788	100.00%
Other than Permanent Employees										
Male	861	0	-	861	100.00%	1,210	0	-	1,210	100.00%
Female	724	0	-	724	100.00%	966	0	-	966	100.00%
Permanent Workers										
Male	425	0	-	425	100.00%	487	0	-	487	100.00%
Female	145	0	-	145	100.00%	157	0	-	157	100.00%
Other than Permanent Workers										
Male	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-
Female	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-

3. **Details of remuneration/ salary/ wages:**

a. **Median remuneration/ wages:**

Category	Male		Female	
	Number[@]	Median remuneration/ salary/ wages of respective category	Number[@]	Median remuneration/ salary/ wages of respective category
Board of Directors (BoDs)[#]	9	₹ 32,60,000	1[$]	₹ 37,40,000
Key Managerial Personnel (KMPs)	3	₹ 1,67,97,944	2	₹ 57,28,150
Employees other than BoDs and KMPs	13,815	₹ 20,12,801	7,958	₹ 15,12,613
Workers	481	₹ 10,79,510	157	₹ 11,32,520

@ - The total number of employees considered for computing the median remuneration includes all employees eligible to receive salary as at end-March 2026 and past employees (who have left the Bank due to retirement/ resignation/ death/ removal from service) to whom salary payments were made during FY 2025-26.

 # - The details of Board of Directors do not include the details of MD & CEO and two DMDs as their details have been included in Key Managerial Personnel. Further, the Board of Directors are not paid remuneration but sitting fees and details of sitting fees are provided. The Government of India Nominee Directors are not in receipt of sitting fees and hence, excluded. The total number of Directors includes Shri T. N. Manoharan, Shri Raj Kumar, and Shri B. B. Joshi who ceasesd to be Director w.e.f. 30.07.2025, 18.05.2025, and 08.10.2025, respectively and the sitting fees paid to them is included in the median calculation. The calculation does not include siting fees paid to LIC on behalf of meetings attended by:

i. Shri Sat Pal Bhanoo upto 31.12.2025 (Shri Sat Pal Bhanoo ceased to be LIC Managing Director on 31.12.2025 and sitting fees was directly paid to him w.e.f. 01.01.2026 which is included in the median and

ii. Shri R. Doriaswamy w.e.f. 19.05.2025 to 24.09.2025

$ - Median cannot be calculated as there is one female representative in the Board of Directors.

b. **Gross wages paid to females as percentage of total wages paid by the entity, in the following format:**

Category	FY 2025-26	FY 2024-25
Gross wages paid to females as % of total wages	30.96%	30.82%

4. **Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)**

The Bank has established a comprehensive Human Rights Policy applicable to all identified stakeholders, including employees, and aligned with recognised human rights principles. The Policy covers key aspects such as ensuring health and safety at the workplace, promoting workforce diversity, prohibiting child labour and forced labour, maintaining a harassment free work environment, upholding human dignity, providing minimum wages and statutory benefits, and enabling accessible channels for employee feedback and grievance redressal. Additionally, it reinforces the Bank's commitment to ethical business conduct. These principles are incorporated across the Bank's conduct rules, internal guidelines, and employee related policies to ensure effective implementation.

5. **Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.**

The Bank acknowledges the important role that businesses can play in the long-term protection of human rights for a better future. This commitment to fundamental principles is reflected in its policies and actions towards stakeholders. The Bank has established an online portal called i-HRIDAYO for employees to submit grievances and has created a Grievance Redressal Committee (GRC) to address issues relating to discrimination and harassment. A mechanism for addressing sexual harassment complaints has been implemented in accordance with the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act). Additionally, the Bank has instituted a Human Rights Policy.

6. **Number of Complaints on the following made by employees and workers:**

Category	FY 2025-26			FY 2024-25		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remark	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remark
Sexual Harassment	14	5	-	12	4	-
Discrimination at workplace	4	0	-	4	1	-
Child Labour	Nil	Nil	-	Nil	Nil	-
Forced Labour/ Involuntary Labour	Nil	Nil	-	Nil	Nil	-
Wages	Nil	Nil	-	1	Nil	-
Other human rights related issues	Nil	Nil	-	Nil	Nil	-

7. **Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:**

Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Complaints reported under Sexual Harassment on of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	14	12
Complaints on POSH as a % of female employees / workers	0.20%	0.18%
Complaints on POSH upheld	1	2

8. **Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.**

The complainants can submit their concerns or complaints via a separate portal (i-HRIDAYO), which can only be accessed by authorised personnel. Authorised personnel dealing with complaints received through i-HRIDAYO, GRC or any other mode ensure the utmost confidentiality of the complaint and protect the identity of the complainant. The Bank has also implemented guidelines for preventing sexual harassment under the POSH mechanism. Furthermore, the Bank's Human Rights Policy underscores its commitment to safeguarding human rights and maintaining a work environment free from harassment.

9. **Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)**

Yes. The Bank embeds statutory compliance and human rights safeguards within its contractual framework. Request for Proposals (RFPs) and business contracts with vendors and service providers mandate compliance with all applicable labour, industrial and safety laws, rules, regulations and statutory notifications issued from time-to-time. Vendors are required to implement all prescribed safety measures, protect personnel, work and facilities, and adhere to safety instructions during contract execution. Similarly, loan agreements require borrowers to confirm the absence of outstanding statutory or labour-related liabilities, including provident fund and labour dues, thereby reinforcing responsible business conduct and protection of human rights.

10. **Assessments for FY 2025-26:**

Category	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child Labour	100%
Forced/Involuntary Labour	100%
Sexual Harassment	100%
Discrimination at workplace	100%
Wages	100%
Others – please specify	NA

11. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 10 above.**

No significant risks/ concerns observed arising from the assessments.

Leadership Indicators

1. **Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/ complaints**

During FY 2025-26, the Bank did not identify or encounter any incidences or developments necessitating changes to its existing offerings or processes, reflecting the robustness of its internal controls, compliance and governance mechanisms. While no human rights–related grievances or complaints were reported, the Bank remains committed to reviewing and monitoring its policies and business operations to ensure alignment with human rights principles and to safeguard against any potential violations in line with its objective of maintaining highest standards of ethical and responsible conduct.

2. **Details of the scope and coverage of any human rights due-diligence conducted**

The Bank has not carried out a formal human rights due diligence exercise during the reporting period. However, human rights considerations are addressed through existing policies, contractual safeguards and compliance mechanisms.

3. **Is the premise/office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?**

The Bank remains committed to providing barrier-free access across its premises in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and applicable Government guidelines. A substantial number of branches are fully compliant with the prescribed accessibility standards, while others are partially compliant and are being upgraded progressively to achieve full conformity. As of March 31, 2026, the Bank operated 2,174 branches (excluding 69 IDBI Sameep Banking Outlets). Of these, 1,078 branches were equipped with ramp facilities and in another 33 branches, ramp installation was in progress. While 293 branches did not require ramps due to level entrances or lift access, 770 branches are situated on upper floors, where the provision of ramps was not feasible. To further strengthen accessibility, the Bank has adopted supplementary measures, including doorstep banking services for persons with disabilities and the appointment of nodal officers at each branch to address accessibility related issues and ensure uninterrupted delivery of essential services.

Recognising the importance of an inclusive workplace, accessibility features have been provided in 66 out of 97 Regional and Zonal Offices. The Bank is in the process of evaluating options to extend these facilities to other offices wherever feasible. Additionally, voice-enabled lift systems have also been installed in select offices to assist visually impaired employees in navigating office premises independently.

4. **Details on assessment of value chain partners:**

Category	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Child Labour	Recognising the critical role of its value chain in incorporating sustainable practices across its operations, the Bank is in the process of instituting a structured assessment framework to evaluate value chain partner compliance with environmental norms, labour laws, human rights requirements and provision of a safe, healthy and harassment-free work environment. During FY 2025-26, self-declarations were submitted by 134 key vendors/ service providers confirming their compliance with applicable environmental regulations, labour laws, and human rights standards. This assessment underscores the Bank's commitment to reinforcing responsible business practices across its value chain.
Forced/Involuntary Labour	
Sexual Harassment	
Discrimination at workplace	
Wages	
Others – please specify	

5. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.**

While no significant risks or concerns were identified during the assessment, the Bank continues to uphold its commitment to human rights protection by engaging with and sensitising its vendors and service providers across the value chain.

Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. **Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:**

Parameter	Unit	FY 2025-26@	FY 2024-25
From renewable sources			
Total Electricity Consumption (A)	GJ	-	Not Applicable
Total Fuel Consumption (B)	GJ	-	Not Applicable
Energy Consumption through other sources (C)	GJ	-	Not Applicable
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)	**GJ**	**-**	**Not Applicable**
For Non-Renewable Sources			
Total Electricity Consumption (D)	GJ	2,84,783.42	2,86,034.83
Total Fuel Consumption (E)	GJ	27,543.64	24,539.11
Energy Consumption through other sources (F)	GJ	-	0
Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)	**GJ**	**3,12,327.06**	**3,10,573.94**
Total Energy Consumption (A+B+C+D+E+F)@	**GJ**	**3,12,327.06**	**3,10,573.94**
Energy intensity per rupee of turnover (Total energy consumed/Revenue from operations)	**GJ per crore INR**	8.74	9.18
Energy intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total energy consumed/Revenue from operations adjusted for PPP)	**GJ per million USD**	17.77	18.97

Parameter	Unit	FY 2025-26@	FY 2024-25
Energy intensity in terms of physical output (total energy consumption/Full time Equivalent (FTE))	**GJ per FTE**	9.77	10.01

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co., the Bank's statutory auditor, have conducted reasonable assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2025-26.

@ - The energy data for FY 2025-26 is not comparable to that of FY 2024-25. For FY 2025-26, the Bank has considered energy consumption of all its 2,244 branches and 283 offices. The energy data for FY 2025-26 includes data derived by actual consumption in the following locations, the Bank's Head Office (including its office in Belapur and Chembur), Zonal Offices, Regional Offices, IDBI Centre for Excellence in Banking & Finance (ICBF), IDBI Learning Centres (ILCs) and metro branches and estimated data for all other branches and offices calculated on the basis of spend-based method notified by SEBI. The latest 2025 tariff published by CEA has been adopted to calculate energy from electricity using a spent-based method. Revenue from operations for computation of intensity in INR is sum of interest income and other income excluding profit/(loss) on sale of land, buildings and other assets (net) as disclosed in the standalone financial statements. The conversion factor of 20.34/USD, published by the IMF (World Economic Outlook (April 2026) - Implied PPP conversion rate), has been used to calculate intensity-adjusted Purchasing Power Parity (PPP). In accordance with the SEBI guidelines, the Bank has disclosed the intensity in terms of physical output based on Full Time Equivalent (FTE) for FY 2025-26.

2. **Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.**

   Not Applicable.

3. **Provide details of the following disclosures related to water in the following format:**

Parameter	Unit	FY 2025-26@	FY 2024-25
(i) Surface Water	KL	-	0
(ii) Ground Water	KL	-	0
(iii) Third party Water	KL	5,40,151.13	3,33,091.94
(iv) Sea Water/ Desalinated Water	KL	-	0
(v) Others	KL	-	0
Total volume of water withdrawal (i+ ii+ iii+ iv+ v)@	**KL**	5,40,151.13	3,33,091.94
Total volume of water consumption	KL	5,40,151.13	3,33,091.94
Water intensity per rupee of turnover (Total water consumption/Revenue from operations)	**KL per crore INR**	15.11	9.85
Water intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total water consumption/Revenue from operations adjusted for PPP)	**KL per million USD**	30.73	20.34
Water intensity in terms of physical output (total water consumption/ Full time Equivalent (FTE))	**KL per FTE**	16.89	10.74

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co., the Bank's statutory auditor, have conducted reasonable assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2025-26.

@ - The water consumption data for FY 2025-26 is not comparable to that of FY 2024-25. For FY 2025-26, the Bank has considered water consumption of all its 2,244 branches and 283 offices. For FY 2025-26, third party water includes bottled/ packaged water for the Bank's Head Office (including its office in Belapur and Chembur), Zonal Offices, Regional Offices, IDBI Centre for Excellence in Banking & Finance (ICBF), IDBI Learning Centres (ILCs) and metro branches and domestic water supplied by local bodies for such offices

located in nine states. In case of such offices located in the rest of the 20 states where the domestic water consumption data is not available, the water consumption has been estimated on the basis of the formula (20 litres x working days for employees, workers and contractual staff). For remaining branches and offices where water bills are not available, water consumption has been estimated on the basis of the following formula (45 litres x working days for employees, workers and contractual staff) on the basis of method notified by SEBI. In case of employees and workers, the number of working days has been arrived based on their actual attendance. In case of contractual staff where actual attendance is not available, the number of working days has been calculated by excluding state-wise holidays from 365 days in a year. The water estimation does not include contractual staff employed for marketing services. Revenue from operations for computation of intensity in INR is sum of interest income and other income excluding profit/(loss) on sale of land, buildings and other assets (net) as disclosed in the standalone financial statements. The conversion factor of 20.34/USD, published by the IMF (World Economic Outlook (April 2026) - Implied PPP conversion rate), has been used to calculate intensity-adjusted Purchasing Power Parity (PPP). In accordance with the SEBI guidelines, the Bank has disclosed the intensity in terms of physical output based on Full Time Equivalent (FTE) for FY 2025-26.

4. Provide the following details related to water discharged:

Parameter		Unit	FY 2025-26[@]	FY 2024-25
Water discharge by destination and level of treatment				
(i)	To Surface water		The Bank has installed Sewage Treatment Plant (STP) at its Head Office in Mumbai, its office in Belapur and ICBF, Hyderabad. The treated water is reused in the air conditioning plant at the Head Office and at the office in Belapur. The treated water is used for gardening purpose in the ICBF. These measures aid in promoting water conservation and contribute towards sustainable operations.	
	- No treatment	KL		
	- With treatment - please specify level of treatment	KL		
(ii)	To Ground Water			
	- No treatment	KL		
	- With treatment - please specify level of treatment	KL		
(iii)	To Seawater			
	- No treatment	KL		
	- With treatment - please specify level of treatment	KL		
(iv)	Sent to third-parties			
	- No treatment	KL		
	- With treatment - please specify level of treatment	KL		
(v)	Others			
	- No treatment	KL		
	- With treatment - please specify level of treatment	KL		
Total water discharged (in kilolitres)		KL		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co., the Bank's statutory auditor, have conducted reasonable assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2025-26.

[@] - In locations where an STP is available, the treated water is reused to minimise the need for fresh water. Water discharge is not measured in the Bank's offices/ branches other than the Bank's Head Office due to non-availability of flow meters and data is not being maintained in this regard. Further, since there are no standardised guidelines for estimating water discharge, the Bank is unable to estimate the water discharge. Waste water is discharged through the municipal sewers at the respective locations.

5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

As part of its environmental protection measures, the Bank has installed Sewage Treatment Plants (STPs) at its Head Office in Mumbai, its office in Belapur, and at ICBF, Hyderabad. The treated water is reused in the air conditioning plants at the Head Office and the Belapur office, while at ICBF, Hyderabad, the treated water is utilised for gardening purposes. These initiatives support water conservation and contribute to the Bank's efforts toward sustainable and responsible operations.

6. **Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:**

Parameter	Unit	FY 2025-26	FY 2024-25
NOx	mg/Nm3	1,154.71	NA
SOx	mg/Nm3	336.48	NA
Particulate Matter (PM)	mg/Nm3	294.71	NA
Persistent Organic Pollutants (POP)	NA	NA	NA
Volatile Organic Compounds (VOC)	NA	NA	NA
Hazardous Air Pollutants (HAP)	NA	NA	NA
Other – please specify	NA	NA	NA

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

While no separate assurance was undertaken for the air emissions (other than GHG emissions), the same has been reported based on the testing reports for stack emissions of diesel-based generator sets as per the applicable regulations and standards.

7. **Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:**

Parameter	Unit	FY 2025-26@	FY 2024-25
Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	tCO2e	4,518.16	2,360.87
Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	tCO2e	56,165.62	57,763.14
Total Scope 1 and Scope 2 emissions@	tCO2e	60,683.78	60,124.01
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions/Revenue from operations)	tCO2e per crore INR	1.70	1.78
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions/Revenue from operations adjusted for PPP)	tCO2e per million USD	3.45	3.67
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output (Total Scope 1 and Scope 2 GHG Emissions/ Full time Equivalent (FTE))	tCO2e per million FTE	1.90	1.94

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co., the Bank's statutory auditor, have conducted reasonable assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2025-26.

@ - The GHG emission data for FY 2025-26 is not comparable to that of FY 2024-25. For FY 2025-26, the Bank has considered energy consumption of all its 2,244 branches and 283 offices. The GHG emission – Scope 1 for FY 2025-26 includes emissions from fuel purchased in all locations (owned vehicles and Diesel Generators) and fugitive emission from fire extinguishers of 30 branches/ offices and gas leakage of AC of 55 branches/ offices. The GHG emission – Scope 2 for FY 2025-26 includes emissions from purchased electricity across its 2,244 branches and 283 of offices. The emission factors for Diesel and Petrol are adopted from SEBI circular on Industry Standards. The emission factor for purchased electricity is adopted from the CO_2 Baseline Database for the Indian Power Sector published by CEA - December 2025. Revenue from operations for computation of intensity in INR is sum of interest income and other income excluding profit/(loss) on sale of land, buildings and other assets (net) as disclosed in the standalone financial statements. The conversion factor of 20.34/USD, published by the IMF (World Economic Outlook (April 2026) - Implied PPP conversion rate), has been used to calculate intensity-adjusted Purchasing Power Parity (PPP). In accordance with the SEBI guidelines, the Bank has disclosed the intensity in terms of physical output based on Full Time Equivalent (FTE) for FY 2025-26.

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details

During FY 2025–26, the Bank undertook a wide range of operational, technological and financing initiatives to reduce energy consumption, minimise greenhouse gas (GHG) emissions and promote climate awareness. At the operational level, energy efficiency measures were reinforced across offices and branches through maximised use of natural daylight, replacement of conventional lighting with energy-efficient LED fixtures, standardisation of air-conditioning temperatures at 25° C - 26°C across central, duct, split and window units, disciplined switching off of cabin and back-office lighting, powering down desktops and PCs during prolonged idle periods, and ensuring office equipment such as televisions, photocopiers and shredders are switched off when not in use. Timely renewal of Annual Maintenance Contracts (AMCs) for equipment was also ensured to maintain optimal energy performance.

The Bank continued to expand its use of renewable energy during the year. As part of its ongoing efforts to increase renewable energy adoption, the Bank has commissioned solar power plants with a capacity of 40 kilowatt-peak (kWp) at the Bank's Head Office in Mumbai and 20 kWp at the Kolhapur Regional Office. Further strengthening its renewable energy portfolio, a 40 kWp solar power plant at the Ahmedabad Zonal Office was nearing commissioning as at end of FY 2025-26. Additionally, solar installations of 65 kWp and 60 kWp at the Hyderabad and Chandigarh offices, respectively, were scheduled for completion shortly. The Bank continues to explore the possibility of installing solar power plants at other locations based on the technical feasibility.

Digitisation initiatives contributed meaningfully to emissions reduction, with digitisation of Board memorandum movement helping to avoid 3.60 tCO_2e and digitisation of credit card statements, enabling avoidance of an additional 5.40 tCO_2e of carbon emissions during FY 2025–26.

Sustainable infrastructure development also progressed during the year, with the new premises development project at ICBF being constructed in accordance with Indian Green Building Council (IGBC) green building standards and remaining under execution, with expected completion by December 2026. From a financing perspective, the Bank's lending policy continued to prioritise sustainable finance to support broader GHG mitigation efforts. An assessment of financed emissions was conducted for a sample loan portfolio to gain better insights into emissions associated with specific lending and investment activities. As part of awareness building efforts, the Bank published quarterly editions of its Climate Risk Newsletter during FY 2025–26, featuring articles on climate change risks, mitigation strategies and regulatory developments at domestic and international levels.

The Bank also undertook strategic reviews to support sustainable lending decisions, with industry papers on the review of the renewable energy (solar and wind) portfolio and the smart meter portfolio presented to senior management during FY 2025-26, the renewable energy paper being presented to the Credit Risk Management Committee (CRMC) and the smart meter paper to the Executive Committee (EC). Further, an ESG scorecard is at an advanced stage of finalisation and is expected to be made operational by September 2026. During the year, the Bank mobilised ₹ 8.33 crore under the Vasundhara Green Deposit Scheme and maintained lending outstanding of ₹ 675.20 crore to the renewable energy sector as on December 31, 2025, covering solar and wind power generation companies, value-chain participants and retail borrowers. Collectively, these initiatives reflect the Bank's integrated approach to energy efficiency, renewable energy adoption, emissions reduction, sustainable finance and climate risk management.

9. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2025-26@	FY 2024-25
Total Waste generated			
Plastic (A)	MT	8.54	4.30
E-Waste (B)	MT	58.70	38.22
Bio-Medical Waste (C)	MT	0	0
Construction and Demolition Waste (D)	MT	144.89	69.00
Battery Waste (E)	MT	86.86	90.62
Radioactive Waste (F)	MT	0	0
Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)	MT	0	0

Parameter	Unit	FY 2025-26@	FY 2024-25
Other Non-hazardous waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector)	**MT**	301.37	206.57
Total (A+B + C + D + E + F + G + H)@	MT	**600.36**	**408.71**
Waste intensity per rupee of turnover (Total waste consumed/Revenue from operations)	**MT per crore INR**	0.02	0.01
Waste intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste consumed/Revenue from operations adjusted for PPP)	**MT per million USD**	0.03	0.02
Waste intensity in terms of physical output (total waste generated/ Full time Equivalent (FTE))	**MT per million FTE**	0.02	0.01
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)			
Category of Waste: Plastic Waste (A)			
(i) Recycled	MT	-	-
(ii) Re-used	MT	-	-
(iii) Other recovery operations	MT	-	-
Total	**MT**	**-**	**-**
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)			
Category of Waste: Plastic Waste (A)			
(i) Incineration	MT	-	-
(ii) Landfilling	MT	-	-
(iii) Other disposal operations	MT	8.54	4.30
Total	**MT**	**8.54**	**4.30**
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)			
Category of Waste: E-Waste (B)			
(i) Recycled		58.70	128.84
(ii) Re-used		-	-
(iii) Other recovery operations		-	-
Total		**58.70**	**128.84**
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)			
Category of Waste: E-Waste (B)			
(i) Incineration	MT	-	-
(ii) Landfilling	MT	-	-
(iii) Other disposal operations	MT	-	-
Total	**MT**	**-**	**-**

Parameter	Unit	FY 2025-26@	FY 2024-25
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)			
Category of Waste: Bio-medical Waste (C)			
(i) Recycled	MT	-	-
(ii) Re-used	MT	-	-
(iii) Other recovery operations	MT	-	-
Total	**MT**	**-**	**-**
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)			
Category of Waste: Bio-medical Waste (C)			
(i) Incineration	MT	-	-
(ii) Landfilling	MT	-	-
(iii) Other disposal operations	MT	-	-
Total	**MT**	**-**	**-**
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)			
Category of Waste: Construction and Demolition Waste (D)			
(i) Recycled	MT	-	-
(ii) Re-used	MT	-	-
(iii) Other recovery operations	MT	-	-
Total	**MT**	**-**	**-**
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)			
Category of Waste: Construction and Demolition Waste (D)			
(i) Incineration	MT	-	-
(ii) Landfilling	MT	-	-
(iii) Other disposal operations	MT	144.89	69.00
Total	**MT**	**144.89**	**69.00**
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)			
Category of Waste: Battery Waste (E)			
(i) Recycled	MT	86.86	90.62
(ii) Re-used	MT	-	-
(iii) Other recovery operations	MT	-	-
Total	**MT**	**86.86**	**90.62**
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)			
Category of Waste: Battery Waste (E)			
(i) Incineration	MT	-	-
(ii) Landfilling	MT	-	-
(iii) Other disposal operations	MT	-	-
Total	**MT**	**-**	**-**
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)			
Category of Waste: Radioactive Waste (F)			
(i) Recycled	MT	**-**	**-**
(ii) Re-used	MT	**-**	**-**
(iii) Other recovery operations	MT	**-**	**-**
Total	**MT**	**-**	**-**

Parameter		Unit	FY 2025-26@	FY 2024-25
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)				
Category of Waste: Radioactive Waste (F)				
(i)	Incineration	MT	-	-
(ii)	Landfilling	MT	-	-
(iii)	Other disposal operations	MT	-	-
Total		MT	-	-
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)				
Category of Waste: Other Hazardous waste (G)				
(i)	Recycled	MT	-	-
(ii)	Re-used	MT	-	-
(iii)	Other recovery operations	MT	-	-
Total		**MT**	-	-
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)				
Category of Waste: Other Hazardous waste (G)				
(i)	Incineration	MT	-	-
(ii)	Landfilling	MT	-	-
(iii)	Other disposal operations	MT	-	-
Total		**MT**	-	-
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)				
Category of waste: Other Non-hazardous waste generated (H)				
(i)	Recycled	MT	-	-
(ii)	Re-used	MT	-	-
(iii)	Other recovery operations	MT	-	-
Total		**MT**	-	-
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)				
Category of Waste: Other Non-hazardous waste (H)				
(i)	Incineration	MT	-	-
(ii)	Landfilling	MT	-	-
(iii)	Other disposal operations	MT	301.37	206.57
Total		**MT**	**301.37**	**206.57**

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, Chokshi & Chokshi LLP and Suri & Co., the Bank's statutory auditor, have conducted reasonable assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2025-26.

@ - The waste data for FY 2025-26 is not comparable to that of FY 2024-25. For FY 2025-26, the Bank has considered waste generated in its Head Office, its office in Belapur, ICBF, and select ZOs, ROs and other offices/ branches. The data for e-waste and battery waste for FY 2025-26 has been reported on a pan-India basis. Revenue from operations for computation of intensity in INR is sum of interest income and other income excluding profit/(loss) on sale of land, buildings and other assets (net) as disclosed in the standalone financial statements. The conversion factor of 20.34/USD, published by the IMF (World Economic Outlook (April 2026) - Implied PPP conversion rate), has been used to calculate intensity-adjusted Purchasing Power Parity (PPP). In accordance with the SEBI guidelines, the Bank has disclosed the intensity in terms of physical output based on Full Time Equivalent (FTE) for FY 2025-26.

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

As a financial services institution, e-waste constitutes the primary category of hazardous waste generated by the Bank. To sustainably dispose e-waste, the Bank has formulated a comprehensive E-waste Management Policy applicable across all its offices and branches. The Bank adheres to disposal guidelines prescribed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), ensuring that all e-waste is disposed of within 180 days of generation. Disposal is carried out exclusively through authorised and registered recyclers and a system has been established for tracking the generation and disposal of e-waste to ensure regulatory compliance and responsible waste management. In addition, batteries are managed through vendor buyback arrangements, facilitating responsible recycling and recovery. Other types of waste generated from offices and branches, which is not recycled or reused, is responsibly disposed of through local bodies or appropriate alternate mechanisms, in accordance with applicable regulations.

During FY 2025–26, the Bank undertook a weeding-out exercise of old records and files under the campaign *'MY OFFICE MY PRIDE'.* As part of this initiative, 14,550 kg of old and unwanted paper and files were discarded, contributing to a cleaner workspace and a more conducive working environment. To further reduce paper usage, digital information panels have been installed at strategic locations at its Head Office in Mumbai. Further, the Bank undertook clearing of wing passages, cross passages, and lift lobbies in its Head Office to ensure unobstructed movement and mitigate risks to human life during emergency or crisis situations. During this exercise, the Bank disposed of scrap materials, including old cupboards (17 units), side racks (26 units) and drawers (18 units). The total proceeds from the sale of the scrap materials amounted to ₹ 7,76,241. All branches have also been advised to periodically dispose of unwanted and unutilised materials and to recycle old furniture to the maximum extent feasible. Overall, the Bank follows environmentally responsible and compliant waste management practices, aligned with statutory requirements and sustainability objectives.

11. If the entity has operations/ offices in/ around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals/ clearances are required, please specify details in the following format:

S. No.	Location of operations/ offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval / clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any.

While the question is not applicable to the Bank due to the nature of its financial services operations, the Bank continues to adopt sustainable practices and ensures compliance with applicable environmental regulations as part of its responsible business approach.

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Name and brief details of project	EIA Notification No.	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link

Not Applicable.

13. **Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:**

Yes, the entity is compliant with the applicable environmental laws/ regulations/ guidelines in India, such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act and Environment Protection Act and rules thereunder.

Sl. No.	Specify the law/ regulation/ guidelines which was not complied with	Provide details of the non-compliance	Any fines / penalties/ action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts	Corrective action taken, if any
No such instance of non-compliance was observed or reported during the year.				

Leadership Indicators

1. **Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):**

For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:

i. Name of area

ii. Nature of operations

iii. Water withdrawal, consumption, and discharge in the following format:

Parameter	Unit	FY 2025-26	FY 2024-25
Water withdrawal by source			
(i) Surface Water	KL	-	-
(ii Ground Water	KL	-	-
(iii) Third Party Water	KL	-	-
(iv) Sea Water/ Desalinated Water	KL	-	-
(v) Others	KL	-	-
Total volume of water withdrawal (i+ ii+ iii+ iv+ v)	KL	-	-
Total volume of water consumption	KL	-	-
Water intensity per rupee of turnover (Total water consumption/Revenue from operations)	KL per crore INR	-	-
Water intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) **(**Total water consumption/Revenue from operations adjusted for PPP)	KL per million USD	-	-
Water intensity in terms of physical output (total water consumed/ Full time Equivalent (FTE)	KL per FTE	-	-
Water intensity (optional) – the relevant metric may be selected by the entity	-	-	-

Parameter		Unit	FY 2025-26	FY 2024-25
Water discharge by destination and level of treatment				
(i)	Into Surface water			
	- No treatment		-	-
	- With treatment- please specify level of treatment		-	-
(ii)	Into Groundwater			
	- No treatment		-	-
	- With treatment- please specify level of treatment		-	-
(iii)	Into Seawater			
	- No treatment		-	-
	- With treatment – please specify level of treatment		-	-
(iv)	Sent to third-parties			
	- No treatment		-	-
	- With treatment- please specify level of treatment		-	-
(v)	Others			
	- No treatment		-	-
	- With treatment- please specify level of treatment		-	-
Total water discharged (in kilolitres)			**-**	**-**

2. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2025-26	FY 2024-25
Total Scope 3 emissions[@] (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	MTCO2e	1,365.91	1,573.92
Total Scope 3 emission intensity per rupee of turnover (Total Scope 3 emissions/ turnover in rupees)	MTCO2e per INR	0.04	0.05
Total Scope 3 emission intensity in terms of physical output (optional) – (Total Scope 3 emissions/ Full time Equivalent (FTE))	MTCO2e per FTE	0.04	0.05

[@] *- Scope 3 emissions are calculated for business travel category (only Air travel included) on spend basis. Revenue from operations for computation of intensity in INR is sum of interest income and other income excluding profit/(loss) on sale of land, buildings and other assets (net) as disclosed in the standalone financial statements. In accordance with the SEBI guidelines, the Bank has disclosed the intensity in terms of physical output based on Full Time Equivalent (FTE) for FY 2025-26.*

3. **With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along with prevention and remediation activities.**

This question is not applicable to the Bank being a financial service provider. However, the Bank remains committed to sustainable operations and full compliance with applicable environmental laws and regulations.

4. **If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:**

S. No.	Initiative undertaken	Details of the initiative (Web-link, if any, may be provided along-with summary)	Outcome of the initiative

The Bank continues to strengthen its environmental management practices with a focus on energy efficiency and resource optimisation. Through the adoption of energy-efficient lighting, occupancy-based sensor systems, and greater reliance on natural daylight, the Bank actively minimises electricity consumption while fostering healthier work environments. These efforts are supported by continuous employee awareness initiatives that promote responsible energy use.

As part of its ongoing efforts to increase renewable energy adoption, the Bank has commissioned solar power plants with a capacity of 40 kilowatt-peak (kWp) at the Bank's Head Office in Mumbai and 20 kWp at the Kolhapur Regional Office. Further strengthening its renewable energy portfolio, a 40 kWp solar power plant at the Ahmedabad Zonal Office was nearing commissioning as at the end of the year. Additionally, solar installations of 65 kWp and 60 kWp at the Hyderabad and Chandigarh offices, respectively, were scheduled for completion shortly. The Bank continues to explore the possibility of installing solar power plants at other locations based on the technical feasibility.

Apart from these renewable energy initiatives, the Bank has undertaken several measures to enhance overall resource efficiency. Old furnitures are refurbished and reused to minimise waste generation. Recycled water treated through Sewage Treatment Plants (STPs) at the Bank's Head Office, Belapur and ICBF is utilised for air-conditioning condenser operations and landscaping, thereby reducing freshwater consumption.

To ensure optimal operational efficiency, electrical repairs are attended to promptly, and air-conditioning systems are subjected to regular preventive maintenance. Further, the Bank has recently replaced two Air Handling Units (AHUs) with Variable Frequency Drive (VFD)–enabled units at the Bank's Head Office, with six additional AHUs scheduled for replacement in the near future. Collectively, these initiatives reflect the Bank's commitment to energy conservation, responsible resource management and environmentally conscious operations.

As part of its ongoing efforts to promote sustainable operations and responsible resource utilisation, the Bank has undertaken several initiatives aimed at reducing waste and minimising environmental impact. One such initiative includes the replacement of single-use plastic bottles with reusable glass bottles, thereby reducing plastic consumption and supporting long-term waste reduction. In addition, the Bank has introduced food waste measurement mechanisms in its dining lounges, enabling the monitoring of food consumption patterns and identification of opportunities to minimise avoidable waste. This structured approach not only supports more efficient resource use but also encourages greater awareness among the workforce towards responsible consumption.

5. **Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link**

To protect human life and ensure the continuity of banking services during disruptions or disasters, the Bank has established a comprehensive Business Continuity Management (BCM) framework. The Business Continuity Plan (BCP) documents for all key departments include procedures for handling business disruptions or disasters, along with recovery strategies and plans. Additionally, a thorough Disaster Management Plan (DMP) is implemented at major locations to protect lives and reduce damage to valuable assets during emergencies. The effectiveness of these plans under various disruption scenarios is continuously evaluated through BCP testing exercises, disaster recovery drills, and holistic drills for critical IT applications, as well as mock evacuation drills at the Bank's facilities. The Bank's Business Continuity Management System (BCMS) complies with ISO 22301:2019. For further information, please refer to: (https://www.idbibank.in/pdf/basel/BCM-Disclosure.pdf).

6. **Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.**

No significant adverse impacts have been reported from the Bank's vendors/ service providers during FY 2025-26. The Bank continues to monitor partner operations closely to ensure ongoing compliance and early identification of any emerging risks. In order to minimise the Bank's adverse impact to the environment, it shall continuously engage with the identified value chain partner to create awareness and make their operations eco-friendly.

7. **Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.**

The Bank is in the process of establishing a structured system to assess its value chain partners for compliance with environmental requirements. In FY 2025–26, the Bank collected self-declarations from 134 vendors/ service providers confirming their adherence to applicable environmental norms. This marks a significant step toward strengthening environmental due diligence and enhancing the sustainability of the Bank's value chain.

8. **How many Green Credits have been generated or procured:**

a. **By the listed entity**

Nil

b. **By the top ten (in terms of value of purchases and sales, respectively) value chain partners**

Nil

Principle 7: Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. **Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations**

The Bank is affiliated with various trade and industry chambers/ associations. Details of key affiliations are provided in the response to the following question.

b. **List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to.**

S. No.	Name of the trade and industry chambers/ associations@	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/ National)
1.	Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)	National
2.	Confederation of Indian Industry (CII)	National
3.	Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI)	National
4.	Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FBIL)	National
5.	Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India (FIMMDA)	National
6.	Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI)	National
7.	Forex Association of India (FAI)	National
8.	Indian Banks Association (IBA)	National
9	Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)	National
10.	Primary Dealers' Association of India (PDAI)	National

@ - *The list of names is indicative and not exhaustive.*

2. **Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities:**

Name of authority	Brief of the Case	Corrective action taken
Not Applicable.		

Leadership Indicators

1. **Details of public policy positions advocated by the entity:**

S. No.	Public policy advocated	Method resorted by such advocacy	Whether information available in public domain? (Yes/No)	Frequency of Review by Board (Annually/Half Yearly/Quarterly/Others – please specify)	Web-Link, if available

The Bank engages in public advocacy in a responsible and ethical manner. It participates in consultations and discussions with the governments, regulators, policymakers and industry associations, as is relevant to its operations and the banking sector, while maintaining transparency and ensuring adherence to extant and applicable laws and regulations as well as internal policies.

Principle 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. **Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:**

Name and brief details of project	SIA Notification No.	Date of Notification	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No)	Relevant Web-Link

In terms of the Rule 8(3) of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, impact assessment of CSR projects with an outlay of ₹ 1 crore or more is required to be conducted after one year of date of completion of such projects.

During FY 2025–26, three one-time CSR projects with individual allocations of ₹ 1 crore and above completed the prescribed mandatory one-year period from the date of completion. In compliance with the applicable CSR provisions, the Bank has initiated the process of identifying and engaging an independent agency to undertake impact assessment of these projects. The impact assessment studies are proposed to be carried out in the ensuing financial year.

2. **Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:**

S. No.	Name of Project for which R&R is ongoing	State	District	No. of Project Affected Families (PAFs)	% of PAFs covered by R&R	Amount paid to PAFs in the FY (In INR)
Not Applicable.						

3. **Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.**

Guided by its CSR Policy, the Bank follows structured and transparent processes in line with its commitment to ensure that fair, equitable and transparent distribution of benefits of its CSR initiatives across all identified beneficiary groups. In order to enforce this commitment and ensure accountability, a grievance redressal mechanism has been put in place wherein any grievances or complaints received by the implementing agencies for CSR projects must be reported to the

Bank. The General Manager in charge of the CSR function is responsible for reviewing and resolving the grievances of such nature. Additionally, a report detailing the grievances and the remedial actions taken is placed before the Management Committee on CSR, ESG, and Publicity. The grievance redressal process is implemented in accordance with the procedures specified in the Bank's CSR Policy.

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:

	FY 2025-26	FY 2024-25
Directly sourced from MSMEs/ small producers	5.30%	The Bank uses a prescribed tendering process for procurement in line with the applicable guidelines. The Bank sources consumables such as stationery, which is one of the primary input materials, from local vendors. The Bank is in the process of formalising the systems and processes to capture and compute the percentage of input materials specifically obtained from MSME and local vendors.
Directly from within India	97.46%	

5. Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent/ on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost

Location[@]	FY 2025-26	FY 2024-25
Rural	5.90%	6.14%
Semi-Urban	13.50%	13.65%
Urban	23.13%	22.60%
Metropolitan	57.48%	57.61%

[@] - Location has been categorised as rural/ semi-urban/ urban/ metropolitan as per RBI Classification System.

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above:

Details of negative social impact identified	Corrective action taken
This question is not applicable as the Bank is in the process of conducting the Social Impact Assessments for the three CSR projects as indicated in Q1 of Essential Indicators.	

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:

S. No.	State	Aspirational District	Amount Spent (in INR)
1	Bihar	Katihar	9,64,595.65
2	Jharkhand	Ranchi	46,67,342.00
3	Kerala	Wayanad	21,75,784.00
4	Odisha	Raygada	3,76,420.00
5	Uttar Pradesh	Fatehpur	2,84,420.00
6	Uttarakhand	Udham Singh Nagar	5,00,000.00

3. a. **Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalised/ vulnerable groups? (Yes/No)**

To support MSME participation and inclusive procurement, the Bank considers exemptions from Earnest Money Deposit (EMD) requirements for Medium, Small and Micro (MSME) vendors and National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC) registered entities, in accordance with prevailing Government of India guidelines.

b. **From which marginalised /vulnerable groups do you procure?**

Within the MSME vendors, micro and small enterprises may be considered as relatively more vulnerable due to their scale and resource limitations.

c. **What percentage of total procurement (by value) does it constitute?**

The Bank sourced 4.86% of its procurement value from micro and small vendors.

4. **Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:**

S. No.	Intellectual Property based on traditional knowledge	Owned/Acquired (Yes/No)	Benefit shared (Yes/No)	Basis of Calculating Benefit Share
Not Applicable.				

5. **Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.**

Name of authority	Brief of the Case	Corrective action taken
Not Applicable.		

6. **Details of beneficiaries of CSR Projects.**

S. No.	CSR Project	No. of persons benefitted from CSR Project	No. of Beneficiaries from vulnerable groups	% of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
1.	Animal Welfare	0	0	0.00%
2.	Armed Forces	10,000	0	0.00%
3.	Disaster Management	0	0	0.00%
4.	Education	66,787	32,220	48.24%
5.	Ensuring Environmental Sustainability	1,17,980	22,930	19.44%
6.	Gender equality	695	695	100.00%
7.	Healthcare	33,49,168	5,07,206	15.14%
8.	Promoting Sports	1,150	650	56.52%
9.	Promotion and development of national heritage, art and culture	2,50,000	0	0.00%
10.	Public funded universities/ IITs	300	0	0.00%
11.	Rural Development Projects	0	0	0.00%

Principle 9: Business should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. **Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.**

The Bank has a well-defined and robust customer grievance redressal mechanism aimed at ensuring timely, transparent, and fair resolution of customer complaints. A Centralised Complaint Management System has been implemented which facilitates registration, assignment and resolution of all customer grievances received from all channels within the pre-defined turnaround time. The system is equipped with an inbuilt escalation matrix for that ensures prompt and timely resolution of complaints. Complete record of all the registered grievances, along with all actions taken till until final resolution or rejection, is recorded in the system, thereby ensuring accountability, traceability and regulatory compliance.

2. **Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:**

Type	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	Not applicable
Safe and responsible usage	As part of its commitment towards customer protection and digital security, the Bank conducts regular customer awareness initiatives to promote responsible banking behaviour and to safeguard against cyber and digital fraud risks. A multi-channel communication approach has been adopted with the information disseminated through SMSes, emails, social media campaigns, the Bank's website, ATMs, Go Mobile+ application, Internet Banking, in-branch communication as also local outreach programmes. Customers are also sensitised about the safe use of Aadhaar Enabled Payment Services (AePS) at Business Correspondent (BC) points, where critical safety guidelines are clearly displayed. Regular advisories on secure transaction practices are reinforced through digital channels and integrated into essential customer communications, including the welcome kit.
Recycling and/ or safe disposal	Not applicable

3. **Number of consumer complaints in respect of the following:**

Category	FY 2025-26		Remarks	FY 2024-25		Remarks
	Received during the year	Pending resolution at end of year		Received during the year	Pending resolution at end of year	
Data privacy	20	Nil	-	4	Nil	-
Advertising	7	Nil	-	1	Nil	-
Cyber-security	5,517	46	Complaints related to Unauthorised Electronic Banking Transactions (UEBT)	4,505	14	Complaints relating to Unauthorised Electronic Banking Transactions (UEBT)

Category	FY 2025-26		Remarks	FY 2024-25		Remarks
	Received during the year	Pending resolution at end of year		Received during the year	Pending resolution at end of year	
Delivery of essential services	1,127	10	Complaints related to non-receipt of deliverables, viz. ATM Cards, hard copy of i-net PIN, loan documents, etc.	766	2	Complaints relating to non-receipt of deliverables, viz. ATM Cards, hard copy of i-net Pin, loan documents, etc.
Restrictive Trade Practices	1	Nil	-	Nil	Nil	-
Unfair Trade Practices	12	Nil	-	2	Nil	-
Other (Consumer Complaints)	59,854	739	All complaints except for the categories mentioned above	44,230	138	All complaints except for the categories mentioned above

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

	Number	Corrective action taken
Voluntary recalls	Not Applicable	
Forced recalls		

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy. If Yes, provide weblink of the Framework / Policy and a brief description.

Yes. The Bank has instituted comprehensive, Board-approved Information Security and Cyber Security Policies that provide a robust framework for managing and mitigating cyber risks. These policies are designed to prevent unauthorised access, to protect the confidentiality and integrity of information assets, and to ensure the uninterrupted availability of IT systems to authorised users. The Bank has put in place Information Security Policy (ISP) and the Cyber Security Policy (CSP), which are published on Bank's intranet for widespread dissemination among the workforces. These policies are reviewed periodically or whenever significant technological or regulatory changes occur.

To further strengthen the protection of customer data and account information, the Bank has implemented multiple layers of security controls and fortified its digital defense mechanisms. Additionally, the Bank equips its customers with clear Information Security guidelines and practical Do's and Don'ts available on its official website, to help them safeguard their personal and financial information. These resources are accessible at on the Bank's website (https://www.idbi.bank.in/information-security.aspx and https://www.idbi.bank.in/dos-donts-banking.aspx).

As part of its commitment to strengthening cyber resilience, the Bank regularly conducts awareness programmes for employees, authorised vendor personnel having access to the Bank's information systems and customers, focusing on emerging cyber threats and security practices to be followed to ensure robust protection of information assets against evolving risks.

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.**

During the year, the Bank did not record any instance of corrective action with regard to advertising. The Bank did not record any incidents related to cyber security breaches or customer data privacy to date, underscoring the effectiveness of its current security framework. In the event of any such occurrence, corrective actions shall be promptly initiated in accordance with established protocols and regulatory guidelines. All major IT incidents and IT security–related events are systematically escalated and reported to the Information Technology Strategy Committee of the Board (ITSCB), ensuring strong governance and continuous oversight.

7. **Provide the following information relating to data breaches:**

a.	**Number of instances of data breaches**	Nil
b.	**Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers**	Nil
c.	**Impact, if any, of the data breaches**	NA

Leadership Indicators

1. **Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).**

With a view to ensuring transparent and fair disclosures as also to enhancing stakeholder awareness, the Bank provides comprehensive information about its products and services on its website (https://www.idbi.bank.in/). Designed as a single point of reference, the Bank's website (https://www.idbi.bank.in/) consolidates all key information related to deposit and loan products, digital banking facilities, interest rates, fees and charges, eligibility requirements, and applicable terms and conditions. In addition, the website provides access to other key information such as statutory and regulatory disclosures, policy documents, customer service standards, grievance redressal frameworks and public notices. The Bank further leverages its presence on social media platforms such as Facebook (IDBI Bank), X (@IDBI_Bank), Instagram (@idbibankofficial), LinkedIn (IDBI Bank), and YouTube (IDBIBANK) to disseminate information on its current offerings, newly introduced products and services, promotional campaigns, financial literacy initiatives, customer awareness campaigns, corporate announcements, customer advisories and important operational updates.

2. **Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.**

The Bank continues to strengthen financial literacy and customer empowerment through sustained awareness and education initiatives. The Bank leverages various communication channels, including SMS, email, social media, other mass media like OOH & Digital, the Bank's website, ATMs, Go Mobile+, Internet Banking, branch meetings, and local customer events to promote safe banking practices and to increase awareness to safeguard them from fraud and cybercrime risks. Special focus is given to educating customers on the safe usage of digital and assisted banking services, including the Aadhaar Enabled Payment Service (AePS) offered through Business Correspondent (BC) points where clear guidance in the form of Do's and Don'ts is displayed prominently to help customers transact safely. Additionally, information regarding secure transaction practices is reinforced through routine alerts and customer communications and is integrated into key customer-related documents issued at the time of onboarding, digital and alternate channel registration and loan sanction.

In order to promote informed financial decision-making, the Bank has introduced more detailed disclosures in periodic loan statements. Customers are provided with clear and detailed information on the prevailing interest rate applicable to their loan accounts as well as the remaining tenure of the loan. In instances where there is an increase in the lending rates due to revisions in benchmark rates, customers are proactively informed of the available choices to manage the impact. These options include making part prepayments to retain the existing Equated Monthly Instalment (EMI), increasing the EMI to continue with the original repayment timeline, extending the loan tenure within permissible limits, or opting for a fixed interest rate, where applicable. Any revisions in interest rates or service charges affecting customer loan accounts are transparently disclosed on the Bank's website as well as communicated through other digital and physical touchpoints.

3. **Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/ discontinuation of essential services.**

The Bank ensures timely communication with customers regarding any disruption or discontinuation of any of its products or services through multiple channels, including emails, notices on the Bank's website, mobile application notifications, SMS alerts and phone calls. To safeguard its operations against unforeseen disruptions, the Bank has put in place a robust and comprehensive Business Continuity Plan (BCP) for its operations across all locations. In the event of extreme situations resulting in operational downtime at any location, customers are supported to conduct their transactions seamlessly at the nearest operational branch or service point.

4. **Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)**

The Bank transparently discloses detailed relevant information about its products and services through multiple channels, including the Bank's website (https://www.idbi.bank.in/) as well as other customer touchpoints such as branches, ATMs, internet banking, mobile banking, phone banking etc. In accordance with the regulatory norms, prominent notices are displayed in the Bank's branches and ATMs providing information about the offerings, applicable charges, prevailing interest rates, grievance redressal processes, among other information. Additionally, the Bank ensures that customers are fully informed at the onboarding stage by providing comprehensive disclosures on charges, interest rates, and terms and conditions in clear and understandable language. The Bank also communicates updates related to its products and services as well as any other key banking services related developments through the emailers, SMSes as well as social media platforms.

In compliance with the RBI guidelines, the Bank conducts Customer Satisfaction (C-SAT) survey on an annual basis to obtain feedback on the service levels, customer experience at the touchpoints and products and processes. The C-SAT survey for FY 2025–26 is currently underway. The survey for the previous financial year, that is, FY 2024–25 was conducted during February–March 2025 using Computer-Assisted Telephone Interviewing (CATI) methodology with a diversified sample of 3,200 respondents spread the Bank's 16 Zones for a robust representation. The Bank has adopted Net Promoter Score (NPS) as the primary metric for measuring overall customer satisfaction through this survey. The key findings of the survey is reported to the internal committee, viz. Standing Committee on Customer Service (SCCS), and the Board-level Customer Service Committee of the Board (CSCB) to ensure effective governance and oversight.

INDEPENDENT PRACTITIONER'S REASONABLE ASSURANCE REPORT ON THE IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN IDBI BANK LTD. (THE 'BANK') BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT FOR THE PERIOD FROM APRIL 1, 2025 TO MARCH 31, 2026

TO THE BOARD OF DIRECTORS OF IDBI BANK LTD.,

1. We have undertaken to perform a reasonable assurance engagement, for IDBI Bank Ltd. ("the Bank") vide our appointment dated 12th December 2025 in respect of the agreed Sustainability Information listed below (the "Identified Sustainability Information" or "BRSR Core Indicators") in accordance with the criteria stated in paragraph 4 below. This Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report (the "BRSR" or the "Report") in the Annual Report of the Bank for the year ended March 31, 2026, prepared by the management in accordance with the SEBI circulars SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562 dated May 10,2021, SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177 dated December 20, 2024, SEBI/HO/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/42 dated March 28, 2025. This Engagement was conducted by a team of Assurance Practitioners.

SCOPE OF ASSURANCE

2. Our scope of reasonable assurance consists of the Identified Sustainability Information ("ISI") listed in Annexure A to our report. The reporting boundary of the Report is as disclosed in Question 13 of Section A: General Disclosure of the BRSR with exceptions disclosed by way of note under respective questions of the BRSR, where applicable.

3. Our reasonable assurance engagement was with respect to the year ended March 31, 2026 information only and we have not performed any procedures with respect to earlier periods or any other elements included in the BRSR and, therefore, do not express any conclusion thereon.

REPORTING CRITERIA

4. The Reporting Criteria used by the Bank to prepare the Identified Sustainability Information is summarized below:

   a. Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirements (SEBI LODR), 2015 as amended;

   b. Business Responsibility and Sustainability Reporting Requirements for listed entities as per SEBI Master circular number SEBI circulars SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562 dated May 10, 2021, SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023, Circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177 dated December 20, 2024 and SEBI/HO/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/42 dated March 28, 2025.

   c. Guidance notes for BRSR format issued by SEBI.

   d. Industry Standards Note on Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) Core as hosted in the National Stock Exchange website and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry website.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY

5. The Bank's management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Sustainability Information including the reporting boundary of the Report, taking into account applicable laws and regulations, related to reporting on the Sustainability Information, identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Sustainability Information in accordance with the Criteria.

6. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

INHERENT LIMITATIONS

7. The absence of a significant body of established practice on which to draw, to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities.

OUR INDEPENDENCE AND QUALITY CONTROL

8. We have maintained our independence and confirm that we have met the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and SEBI circulars SEBI/HO/CFD/CMD-2/P/CIR/2021/562 dated May 10, 2021, SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 Circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177 dated December 20, 2024 and SEBI/HO/CFD-PoD-1/P/CIR/2025/42 dated March 28, 2025, and its clarifications thereto and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

9. We apply Standards on Quality Control (SQC) 1, "Quality Control for Firms that Perform Audit and Review of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements", and accordingly maintain a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.

OUR RESPONSIBILITY

10. Our responsibility is to express a reasonable assurance conclusion on the Identified Sustainability Information listed in Annexure A based on the procedures we have performed and evidence we have obtained.

11. We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, "Assurance Engagements on Sustainability Information" and Standard on Assurance Engagements (SAE) 3410 Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements (together the "Standards"), both issued by the Sustainability Reporting Standards Board (the "SRSB") of the Institute of Chartered Accountants of India.

12. These standards requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information listed in Annexure A and included in the Report are prepared, in all material respects, in accordance with the Reporting Criteria stated under paragraph 4 above.

13. As part of reasonable assurance engagement in accordance with Standards, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the engagement.

14. A reasonable assurance engagement involves assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances.

15. The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

16. Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, we:

    a. Obtained an understanding of the Identified Sustainability Information and related disclosures;

    b. Made enquiries of the Bank's Management and concerned departments of the Bank with the responsibility for preparation of the Report.

    c. Tested the Bank's process for collating the sustainability information through agreeing or reconciling the identified Sustainability Information with the underlying records on a sample basis.

    d. Performed substantive testing on a sample basis of the identified sustainability indicators, to verify that data had been appropriately measured with the underlying documents recorded, collated and reported. This included assessing records and performing testing, including recalculation of sample data.

    e. Obtained an understanding of the processes, controls for recording and reporting on the certain Identified Sustainability Information for which actual data was considered i.e. Head office and other locations under the respective reporting boundary and tested the consolidation of all the 16 zonal offices, Training College in Hyderabad and the Head office in Mumbai to ensure the completeness of data being reported. This did not include testing of the design and operating effectiveness of the management systems and controls.

    f. Performed analytical procedures to analyse trends in the historical data and accordingly ascertain the reasonableness of the data reported in the current year.

g. Evaluated the reasonableness and appropriateness of significant estimates and judgements made by the management in preparation of the Identified Sustainability Information. Additionally, also verified the appropriateness of methodology adopted for the 2244 branches and 283 offices for certain indicators in compliance with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2024/177 dated December 20, 2024.

h. Obtained representations from the Bank's management.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our reasonable assurance conclusion.

EXCLUSIONS

17. Our assurance scope excludes the following and therefore we do not express a conclusion on the same:

- Operations of the Bank other than those mentioned in the "Scope of Assurance"
- Aspects of the BRSR and the data/information (qualitative or quantitative) other than the Identified Sustainability Information.
- Disclosures made under the Leadership Indicators section of the BRSR report, or any other voluntary ESG disclosures;
- Data or statements included in the entity's annual report, integrated report, corporate website, or other public filings, unless expressly referenced under the BRSR Core Essential Indicators;
- Data and information outside the defined reporting period i.e., April 1, 2025, till March 31, 2026.
- The statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim, or future intentions provided by the Bank.

18. Our conclusion does not relate to, or provide assurance on, any other data or information beyond the subject matter and time period explicitly defined within the scope of this engagement.

OTHER INFORMATION

19. The Bank's Management is responsible for the Other Information. The Other Information comprises the Information included within the BRSR and the Annual Report, other than Identified Sustainability Information and our Independent assurance report dated 16th June 2026 thereon.

20. Our Conclusion on the Identified Sustainability Information does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance thereon.

21. In connection with our assurance engagement of the Identified Sustainability Information, our responsibility is to read the Other Information and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Identified Sustainability Information or otherwise appears to be materially misstated.

22. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

EMPHASIS OF MATTER

23. As described in Notes to BRSR Section C "Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment" - Essential Indicator 4 "Details related to water discharged" the Bank has specified that water discharge is not measured in the Bank's offices/ branches other than the bank's Head Office due to non-availability of flow meters in place and further, since there are no standardised guidelines for estimating water discharge, the Bank is unable to estimate the water discharge.

Our assurance is not modified to the extent of matters stated above.

OPINION

24. Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, we are of the opinion that the Identified Sustainability information as mentioned in Annexure A is fairly presented, in all material respects, in accordance with the Reporting Criteria stated under paragraph 4 above.

RESTRICTION ON USE

25. Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have (or may have had) as auditors of the Bank or otherwise. Nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Bank.

26. Our Reasonable Assurance report has been prepared and addressed to the Board of Directors of IDBI Bank Limited at the request of the Bank solely, to assist the Bank in reporting on Bank's sustainability performance and activities. Accordingly, we accept no liability to anyone, other than the Bank. Our Reasonable Assurance report should not be used for any other purpose or by any person other than the addresses of our report. We neither accept nor assume any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our Deliverables are shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Chokshi & Chokshi LLP
Chartered Accountants
FRN - 101872W / W100045

Hardik Yampat
Partner
Membership No. 194467
UDIN: 26194467HPDWAG9789

Place: Mumbai
Date: 16th June 2026

For Suri & Co.
Chartered Accountants
FRN 004283S

Natarajan V
Partner
Membership No. 223118
UDIN: 26223118KLSCLJ1957

Place: Mumbai
Date: 16th June 2026

ANNEXURE A TO THE INDEPENDENT PRACTITIONER'S REASONABLE ASSURANCE REPORT ON THE IDENTIFIED SUSTAINABILITY INFORMATION IN IDBI BANK LTD (THE 'BANK') BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT

Principle	BRSR Indicator	Type of Assurance
Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment		
	Attribute 1: Green-house gas (GHG) footprint	
P6 Q7	Question 7: Details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) its intensity:	Reasonable Assurance
	Total Scope 1 emissions	
	Total Scope 2 emissions	
	Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover	
	Total Scope I and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
	Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
	Attribute 2: Water footprint	
P6 Q3	Details of the following disclosures related to water:	Reasonable Assurance
	Water withdrawal by source (in kilolitres)	
	Total volume of water withdrawal (in kilolitres)	
	Total volume of water consumption (in kilolitres)	
	Water intensity per rupee crore of turnover (Total water consumption Revenue from operations)	
	Water intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
	Water intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
P6 Q4	Details related to water discharged:	Reasonable Assurance. Also, refer Paragraph 23, of the Report
	Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)	
	Total water discharged (in kilolitres)	

Principle	BRSR Indicator	Type of Assurance
Attribute 3: Energy footprint		
P6 Q1	Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity:	Reasonable Assurance
	Total energy consumed from renewable sources	
	Total energy consumed from non-renewable sources	
	Energy intensity per rupee crore of turnover (Total energy consumed / Revenue from operations)	
	Energy intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
	Energy intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Attribute 4: Embracing circularity - details related to waste management by the entity		
P6 Q9	Provide details related to waste management by the entity:	Reasonable Assurance
	Total Waste generated (in metric tonnes)	
	Waste intensity per rupee crore of turnover (Total waste generated/Revenue from operations)	
	Waste intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
	Waste intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
	For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)	
	For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)	
Attribute 5: Enhancing Employee Wellbeing and Safety		
P3 Q1 (C)	Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent): Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the company	Reasonable Assurance
P3 Q 11	Details of safety related incidents for Employees and Workers	
	Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	
	Total recordable work-related injuries	
	No. of fatalities	
	High consequence work-related injury or ill-health excluding fatalities)	

Principle	BRSR Indicator	Type of Assurance
Principle 5: Businesses should respect and promote human rights		
Attribute 6: Enabling Gender Diversity in Business		
P5 Q3 (b)	Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity	Reasonable Assurance
P5 Q7	Complaints led under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:	Reasonable Assurance
	Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	
	Complaints on POSH as a % of female employees /workers	
	Complaints on POSH upheld	
Principle 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development		
Attribute 7: Enabling Inclusive Development		
P8 Q4	Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers: a. Directly sourced from MSMEs/ small producers b. Directly from within India	Reasonable Assurance
P8 Q5	Job creation in smaller towns — Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in smaller towns, as % of total wage cost.	Reasonable Assurance
Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner		
Attribute 8: Fairness in Engaging with Customers and Suppliers		
P9 Q7	Provide the following information relating to data breaches: a. Number of instances of data breaches b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers c. Impact, if any, of the data breaches	Reasonable Assurance

Principle	BRSR Indicator	Type of Assurance
Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Integrity, and In a manner that is Ethical, Transparent, and Accountable.		
	Attribute 9: Open-ness of business	
P1 Q8	Number of days of accounts payable (Accounts payable *365) / Cost of goods/ services procured)	Reasonable Assurance
P1 Q9	Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties	Reasonable Assurance
	Concentration of Purchases	
	Concentration of Sales	
	Share of RPTs in	
	a. Purchases (Purchases with related parties / Total Purchases) b. Sales (Sales to related parties / Total Sales) c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances) d. Investments (Investments In related parties / Total Investments made)	

For Chokshi & Chokshi LLP
Chartered Accountants
FRN - 101872W / W100045

Hardik Yampat
Partner
Membership No. 194467
UDIN: 26194467HPDWAG9789

Place: Mumbai
Date: 16th June 2026

For Suri & Co.
Chartered Accountants
FRN 004283S

Natarajan V
Partner
Membership No. 223118
UDIN: 26223118KLSCLJ1957

Place: Mumbai
Date: 16th June 2026

एकल वित्तीय विवरण

Standalone Financial Statements

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2026 का एकल तुलन पत्र, इस समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ एवं हानि खाते और एकल नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं (इसमें इसके बाद ''एकल वित्तीय विवरणों'' के रूप में संदर्भित किया गया है).

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देश, बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित ढंग में, आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2021 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133, लागू होने की सीमा तक यथा संशोधित, के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2026 को बैंक के कार्यों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के इसके लाभ तथा नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के बारे में मानकों ('एसए') के अनुरूप की है. उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के 'एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व' भाग में भी वर्णित हैं. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता साथ ही अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि एकल वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह पर्याप्त और उपयुक्त है.

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले (केएएम) वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में विचार किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों को प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है, जिन्हें हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किया जाना है:

To the Members of
IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the standalone financial statements of IDBI Bank Limited ('the Bank'), which comprise the Standalone Balance Sheet as at March 31, 2026, the Standalone Profit and Loss Account and the Standalone Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "Standalone Financial Statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 (the 'Act') and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 as amended to the extent applicable, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2026, and its profit, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Standalone Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing ('SAs') specified under Section 143 (10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements' section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under the provisions of the Act, and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us, is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

Key Audit Matters

Key Audit Matters (KAM) are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the standalone financial statements for the year ended March 31,2026. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले	हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया
अग्रिमों से आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण	
कृपया अनुसूची 9 का संदर्भ लें, इसे एकल वित्तीय विवरणों की प्रासंगिक टिप्पणियों तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में घट-बढ़ के संबंध में आस्ति गुणवत्ता और संबंधित प्रावधानों के साथ पढ़ें. अग्रिमों से संबंधित आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निदेशों के तहत आवश्यक, जिन पर बैंक द्वारा 31 मार्च 2026 तक सामूहिक रूप से विचार गया था, बैंक अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकृत करता है, जिसमें मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियां शामिल हैं और उचित प्रावधान करता है. अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधान और बट्टे खाते में डालना एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला है क्योंकि बैंक के पास विभिन्न क्षेत्रों, उत्पादों, उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उधारकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण ऋण जोखिम एक्सपोजर है. अग्रिमों की वसूली, लेन-देन की प्रकृति और उन पर प्रावधानों का अनुमान लगाने और बट्टे खाते में डाले जाने वाले खातों की पहचान करने में जटिलता, अनिश्चितता और निर्णय का उच्च स्तर शामिल है. बैंक विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करता है.	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों से संबंधित आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के बारे में आंतरिक नियंत्रणों और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था. विशेषकर: • अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के पालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया; • आस्ति वर्गीकरण (मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि), उनके गत - देय दिनों(डीपीडी) की स्थिति (एनपीए के गैर-वित्तीय मापदंडों पर विचार, कार्यशील पूंजी ऋणों में क्रेडिट की पर्याप्तता, पुनर्संरचना दिशानिर्देश, विनियामक पैकेज और समाधान ढांचा सहित) और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के संबंध में प्रयुक्त प्रमुख आईटी प्रणालियों एवं एप्लिकेशन और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रासंगिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया. • रिकॉर्ड की गई राशियों की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण, खातों के विवरण की जांच, ह्रास के संकेतक, अनर्जक आस्तियों के लिए ह्रास प्रावधान, और लागू रिज़र्व

Key Audit Matters	How KAM was addressed in our audit
Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and provisioning as per regulatory norms	
Please Refer to Schedule 9, read with relevant Notes to the Standalone Financial Statements, and Asset Quality in respect of movement of Non-Performing Assets (NPAs) and related provisions. As required under prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect of asset classification and provisioning pertaining to advances, and relevant circulars, notifications and directions issued by the RBI which were collectively considered by the Bank till March 31, 2026, the Bank classifies advances into performing and non-performing advances (NPA), which consists of Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss categories and makes appropriate provisions. The Classification, Provisioning and Write off of Advances, is a Key Audit Matter as the Bank has significant credit risk exposure to a large number of borrowers across various sectors, products, industries and geographies. There is a high degree of complexity, uncertainty and judgment involved in recoverability of advances, the nature of transactions and estimation of provisions thereon and identification of accounts to be written off. The Bank applies both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations.	Our audit approach included testing the design and operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular: • Evaluated the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances; • Tested key IT systems/ applications used and their design and implementation as well as operational effectiveness of relevant controls, in relation to asset classification (standard, sub-standard, doubtful and loss) with reference to their days-past-due (DPD) status (including consideration of non-financial parameters of NPA, sufficiency of credits in working capital loans, restructuring guidelines, the Regulatory Package and Resolution framework) and provisioning pertaining to advances; • Test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, indicators of impairment, impairment

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले	हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया
लेन-देनों की प्रकृति, विनियामक आवश्यकताओं, मौजूदा कारोबारी माहौल, उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करने में निहित अनुमान/ निर्णय के साथ-साथ प्रतिभूतियों के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है.	बैंक के दिशानिर्देशों के संदर्भ में अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के अनुपालन की जांच करने के लिए अग्रिमों का परीक्षण किया गया;
	• मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाता विवरणों और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा की गई. • हमने शाखाओं/कार्यालयों का भी दौरा किया है तथा दस्तावेजीकरण और अन्य रिकार्डों की जांच की. • चयनित अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने प्रबंधन के पूर्वानुमान और वसूली योग्य नकदी प्रवाह, उधारकर्ता के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, अंतर्निहित प्रतिभूति और संपार्श्विक का मूल्यांकन, चूक की वसूली योग्य राशियों के अनुमान और पुनर्भुगतान के अन्य स्रोतों के इनपुट का आकलन किया; • रिज़र्व बैंक विनियमों के अनुपालन के लिए अग्रिमों पर प्रावधान करने के लिए बैंक की प्रक्रियाओं और प्रावधान के लिए आंतरिक रूप से निर्धारित नीतियों का परीक्षण किया; • स्वचालित ई-एनपीए प्रणाली को देखा और लेखापरीक्षा क्षेत्र पर विचार करते हुए

Key Audit Matters	How KAM was addressed in our audit
Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation / judgment involved in assessing the financial condition of borrowers as well as valuation of securities, we have determined this as Key Audit Matter.	provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines;
	• Reviewed account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors. • We have also carried out visits to branches / offices and examination of documentation and other records. • For the selected non-performing advances, we assessed Management's forecast and inputs of recoverable cash flows, borrower's audited financial statements, valuation of underlying security and collaterals, estimation of recoverable amounts on default and other sources of repayment; • Tested the Bank's processes for making provision on advances for compliance with RBI regulations and internally laid down policies for provisioning; • Undertaken the walkthrough for the automated E-NPA system and tested the core functionality

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले	हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया
	चयनित नमूनों के लिए मुख्य कार्य क्षमता का परीक्षण किया. • आईआरएसी मानदंडों और विनियामक पैकेज के संदर्भ में सामूहिक प्रावधानों की गणना के लिए प्रयुक्त मापदंडों को मान्य किया गया; • रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 31 मार्च 2026 को धोखाधड़ी वाले खातों के लिए किये गये प्रावधान का परीक्षण किया; • हमारी मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के भाग के रूप में, खुदरा और कॉरपोरेट पोर्टफोलियो के नमूने के लिए प्रावधानों की गणना पुनः की गई, ताकि इसकी सटीकता का निर्धारण किया जा सके; (मानक पोर्टफोलियो के लिए सामूहिक और अनर्जक पोर्टफोलियो के लिए मामला विशिष्ट). • बैंक प्रबंधन के साथ उन क्षेत्रों पर चर्चा की जहां ऋण जोखिम की आशंका है और प्रबंधन द्वारा चिन्हित दबावग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की. • रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया गया
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियां और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण	
बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग, आईआरएसी और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर हैं. आईटी नियंत्रण परिवेश में खामियां होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रिकार्डों के अत्यधिक रूप से गलत वर्णन होने का जोखिम बना रहता है. इसलिए आईटी नियंत्रणों से यह सुनिश्चित करने	इस मामले के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: बैंक की आईटी प्रणालियों पर नियंत्रण का आकलन करने के लिए हमने आईटी परिवेश, आईटी बुनियादी संरचना और आईटी प्रणालियों के बारे में समझ हासिल करने के लिए अपने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ को शामिल किया.

Key Audit Matters	How KAM was addressed in our audit
	for selected samples considering the audit universe. • Validated the parameters used to calculate collective provisions with reference to IRAC norms and the Regulatory Package; • Tested provision created for fraud accounts as at March 31, 2026 as per the RBI circular; • Re-performed the calculation of provisions, for sample cases of retail and corporate portfolios, as part of our substantive audit procedures, to determine the accuracy of the same; (Collective for standard portfolio and case specific for non performing portfolio) • Discussed with the management of the Bank on sectors where there is perceived credit risk and the steps taken by management to mitigate the risks pertaining to identified stress sectors • Assessed the adequacy of disclosures against the RBI Guidelines
Information Technology (IT) Systems and Controls over financial reporting	
The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking, IRAC, Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls. There exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being	Our Audit procedures with respect to this matter included the following: In assessing the controls over the IT systems of the Bank, we involved our technology specialists to obtain an understanding of the IT environment, IT infrastructure and IT systems.

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले	हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया
की आवश्यकता होती है कि एप्लिकेशन डेटा को अपेक्षित रूप से संसाधित करें और परिवर्तन उचित तरीके से किए जाएं. बैंक के आईटी नियंत्रण ढांचे में स्वचालित, अर्ध-स्वचालित और मैनुअल नियंत्रण शामिल हैं, जिन्हें पहचाने गए जोखिमों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है. आईटी नियंत्रणों को एंटिटी लेवल कंट्रोल्स (ईएलसी), आईटी जनरल कंट्रोल्स (आईटीजीसी) और आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स (आईटीएसी) में वर्णित किया गया है. इस तरह के नियंत्रण गलत आउटपुट डेटा के जोखिम को कम करने में योगदान देते हैं. हमने आईटी नियंत्रण ढांचे को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है क्योंकि बैंक का व्यवसाय प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है. आईटी वातावरण जटिल है और आईटी नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है. इस तरह के नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टें तैयार करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न आईटी एप्लिकेशनों के माध्यम से संसाधित डेटा की अखंडता और पूर्णता का आश्वासन प्रदान करते हैं.	आईटी सामान्य नियंत्रण (आईटीजीसी), एप्लिकेशन नियंत्रण (आईटीएसी) और आईटी आश्रित मैनुअल नियंत्रण के परीक्षण के लिए. • हमने बैंक की आईटी प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई, डिजाइन किया और वांछित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई और नमूना जांच की. • बैंक में कार्यान्वित आईटी एप्लिकेशनों के परिदृश्य की व्यापक समझ प्राप्त की. इसके बाद प्रक्रिया की समझ, एप्लिकेशनों की मैपिंग और मानव-प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी से उत्पन्न वित्तीय जोखिमों को समझे. • प्रमुख आईटी परीक्षण प्रक्रियाओं में पूर्णता, वैधता, पहचान/प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, अखंडता और जवाबदेही जैसे विभिन्न मापदंड शामिल हैं. एप्लिकेशनों से स्वचालित नियंत्रणों को महत्वपूर्ण मानकर इनके परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना था कि क्या नियंत्रण अनधिकृत लेनदेनों को रोकते हैं या उनका पता लगाते हैं और लेनदेन की पूर्णता, सटीकता, प्राधिकरण और वैधता सहित वित्तीय उद्देश्यों का समर्थन करते हैं.

Key Audit Matters	How KAM was addressed in our audit
materially misstated. Hence the IT controls are required to ensure that applications process data as expected and that changes are made in an appropriate manner. The Bank's IT control framework includes automated, semi-automated and manual controls designed to address identified risks. IT controls are stated in Entity Level Controls (ELC), IT General Controls (ITGC) and IT Application Controls (ITAC). Such controls contribute to risk mitigation of erroneous output data. We have identified IT Controls Framework as a Key Audit Matter as the Bank's business is highly dependent on technology. The IT environment is complex and the design and operating effectiveness of IT controls have a direct impact on its financial reporting process. Such controls provide assurance on the integrity and completeness of data processed through various IT applications which are used for the preparation of financial reports.	For testing the IT general controls (ITGC), application controls (ITAC) and IT dependent manual controls. • We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank. • Obtained a comprehensive understanding of IT applications landscape implemented at the Bank. It was followed by process understanding, mapping of applications to the same and understanding financial risks posed by people-process and technology. • The key IT Testing procedures includes various parameters such as Completeness, Validity, Identification/Authentication, Authorization, Integrity and Accountability. Focus of testing automated controls from applications considered as critical, was whether the controls prevent or detect unauthorized transactions and support financial objectives including completeness, accuracy, authorization and validity of transactions.

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले	हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया
	• आईटीजीसी परीक्षण में, नमूना आधार पर, हमने उपयोगकर्ता पहुंच प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रण के अन्य पहलुओं जैसे नियंत्रण क्षेत्रों की समीक्षा की. इसमें सिस्टम के एक्सेस हेतु अनुरोध की समीक्षा करना और प्राधिकृत होने का परीक्षण शामिल है. हमने नमूना आधार पर लेखापरीक्षा की जांच को रिकॉर्ड करने की प्रणाली की भी समीक्षा की. • आईटीएसी के लिए, हमने सिस्टम गणनाओं की सटीकता का आकलन करने हेतु नमूना आधार पर सिस्टम कार्यक्षमता के अनुपालन का परीक्षण किया. • उपर्युक्त के अलावा, पूछताछ, दस्तावेजीकरण / रिकॉर्ड / रिपोर्टों की समीक्षा जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता, जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक प्रणाली नियंत्रण माना जाता था, का परीक्षण किया गया. • क्षतिपूर्ति करने वाले नियंत्रणों या सुधारे गए नियंत्रणों के संयोजन का परीक्षण किया, और/या जहाँ आवश्यक था, वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ निष्पादित कीं.

Key Audit Matters	How KAM was addressed in our audit
	• In ITGC testing, on sample basis, we reviewed control areas such as User Access Management, Change Management, and other aspect of IT operational controls. This includes testing that request for access to systems were reviewed and authorised. We have also reviewed system of recording the audit trails on a sample basis. • For ITAC, we carried out on sample basis, compliance tests of system functionality in order to assess the accuracy of system calculations. • In addition to the above, the design and operating effectiveness of certain automated controls, that were considered as key internal system controls over financial reporting were tested. Using various techniques such as inquiry, review of documentation / record / reports. • Tested a combination of compensating controls or remediated controls and / or performed alternative audit procedures, where necessary.

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में निदेशकों की रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं. अन्य जानकारी लेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं.

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें उपलब्ध कराए जाने पर ऊपर निर्दिष्ट अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती है.

जब हम अन्य जानकारी का अध्ययन करते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई तात्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को उसकी सूचना देना आवश्यक है और प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अंतर्गत यथा प्रयोज्य आवश्यक कार्रवाई करना है.

एकल वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2021, यथा संशोधित, जहां तक वे बैंकों पर लागू होते हैं, और बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा बैंक पर लागू, भारतीय रिज़र्व बैंक ('रिज़र्व बैंक') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत, लेखांकन मानकों में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

Information other than the standalone financial statements and Auditor's Report thereon

The Bank's Management and Board of Directors are responsible for preparation of Other Information. The other information comprises the Management Discussion and Analysis, Business Responsibility and Sustainability Report, Directors' Report forming part of the Annual Report, Corporate Governance Report but does not include the Standalone Financial Statements, Consolidated Financial Statements and our auditor's reports thereon. The other information is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take necessary actions as applicable under the relevant laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation and presentation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 as amended, in so far as they apply to banks, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ('RBI') from time to time, as applicable to the Bank. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act and the RBI Guidelines, for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design,

तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या कथन से मुक्त एकल वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन और निदेशक मंडल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि निदेशक मंडल का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है.

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण मिथ्या कथन उत्पन्न हो सकता है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब इनकी अकेले या समग्र रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो सकती हो.

एसए के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो पर्याप्त और उचित हों. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझ कर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हो. अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास एकल वित्तीय विवरणों के

implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Management and Board of Directors are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an Auditor's Report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls with reference

संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था मौजूद है तथा क्या इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है.

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन एवं निदेशक मंडलों द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों का औचित्य एवं एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना.
- प्रबंधन और निदेशक मंडल का एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन की कार्यशील संस्था के रूप में उपयोग करने की उपयुक्तता पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं या परिस्थितियां से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चतता मौजूद है जो कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की क्षमता पर सार्थक संदेह व्यक्त कर सकती हो. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती हैं.
- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना तथा क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का निरूपण इस ढंग से करते हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति कर सकें.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसका समय और लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को वक्तव्य भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही सभी संबंधों और उन मामलों की जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो चालू वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे और जो इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के सार्वजनिक प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा संप्रेषण करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

to standalone financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures in the standalone financial statements made by the Management and Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of the Management and Board of Director's use of the going concern basis of accounting in preparation of standalone financial statements and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditor's Report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditor's Report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1) हमारी राय में तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2021 यथा संशोधित, इसके तहत जारी, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

2) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है;

(ख) जो लेन-देन हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक की अधिकार सीमा के भीतर हैं; और

(ग) बैंक की वित्तीय लेखा प्रणाली केंद्रीकृत हैं, हमने लेखा-परीक्षा केंद्रीय रूप से की है क्योंकि हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित रिकॉर्ड और डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध हैं. इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने रिज़र्व बैंक के मौजूदा परिपत्र के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसी शाखाओं में रखे गए अभिलेखों की जांच करने के लिए 59 घरेलू शाखाओं और गांधीनगर शाखा (विदेश) में स्थित गिफ्ट सिटी आईबीयू का दौरा किया है.

(घ) 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ-हानि खाता उस अवधि के लिए सही लाभ शेष को दर्शाता है, जिसे ऐसे खातों द्वारा शामिल किया गया है.

3) अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है;

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल किए गए एकल तुलन पत्र, एकल लाभ-हानि खाते एवं एकल नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2021 यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते

Report on other legal and regulatory requirements

1) In our opinion, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and Section 133 of the Act and read with Companies (Accounting Standard) Rules, 2021, as amended, issued thereunder.

2) As required by sub-section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

(a) we have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were required for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;

(b) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

(c) The financial accounting systems of the Bank are centralized , our audit has been carried out centrally as the necessary records and data required for the purpose of our audit are centrally made available. Further, during the course of our audit, we have visited 59 domestic branches and GIFT City IBU, Gandhinagar branch (Overseas) to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit, in compliance with the extant RBI Circular.

(d) The standalone profit and loss account for the year ended March 31, 2026 shows a true balance of profits for the period covered by such accounts.

3) As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

(a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books;

(c) the Standalone Balance Sheet, the Standalone Profit and Loss Account, and the Standalone Cash Flow statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

(d) in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read

हैं, इस सीमा तक कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं;

(ङ) 31 मार्च 2026 को निदेशकों से प्राप्त और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2026 को अधिनियम की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; और

(च) बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध ए' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

4) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 यथा संशोधित, के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों के अनुसार;

(क) बैंक ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च 2026 को लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है - एकल वित्तीय विवरणों के नोट 18(बी)(12)(ए)एवं 18(बी)12(सी) देखें;

(ख) बैंक ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं में महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हों, के लिए लागू विधि या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है - एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 18(बी)(12बी) देखें;

(ग) 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है.

(घ) (i) बैंक प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए विवरण (टिप्पणी सं. 18(सी)(VII) देखें) के अलावा, बैंक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित कोई से कोई धनराशि अग्रिम या ऋण निवेश (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) इस समझ के साथ नहीं ली गई है, जो लिखित अथवा

with Companies (Accounting Standard) Rules, 2021, as amended, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

(e) on the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2026 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2026 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act; and

(f) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in 'Annexure A'.

4) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us:

(a) the Bank has disclosed the impact of pending litigations as at March 31, 2026 on its financial position in its standalone financial statements - Refer Note No. 18(B)12(A) and Note No. 18(B) 12(C) to the standalone financial statements;

(b) the Bank has made provision, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts - Refer Note No. 18(B)(12B) to the standalone financial statements;

(c) there has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank during the year ended March 31, 2026.

(d) (i) The management of the Bank has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to accounts (Refer Note No. 18 (C) -VII), no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"),

अन्यथा रूप से दर्ज किया गया है कि मध्यस्थ, बैंक द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति, आदि प्रदान करेगा;

(ii) बैंक प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए विवरण (टिप्पणी सं. 18(सी)(VII) देखें) के अलावा, बैंक द्वारा विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) से कोई निधि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं की है, जो लिखित अथवा अन्यथा रूप से दर्ज किया गया है कि बैंक, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति, आदि प्रदान करेगा; और

(iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपर्युक्त उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण है.

(ड.) बैंक द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश, जो पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश से संबंधित है, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जहाँ तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होती है.

(च) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल है, बैंक ने अपनी खाता बहियों को रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें, जैसा लागू हो, लेखा परीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित हुआ है. इसके अलावा, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें लेखा परीक्षा ट्रेल विशेषता के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला. इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक द्वारा लेखा परीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया गया है.

with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Bank ('Ultimate Beneficiaries') or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(ii) The management of the Bank has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to accounts (Refer Note No. 18 (C) -VII) no funds have been received by the Bank from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, the Bank shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ('Ultimate Beneficiaries') or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(iii) Based on such audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) above contain any material misstatement.

(e) The final dividend paid by the Bank during the year, in respect of the same declared for the previous year, is in accordance with section 123 of the Act to the extent it applies to payment of dividend

(f) Based on our examination which included test checks, the Bank has used accounting software for maintaining its books of account which, as applicable, have a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with. Additionally, the audit trail has been preserved by the Bank as per the statutory requirements for record retention.

5) अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संबंध में; बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत परिभाषित एक बैंकिंग कंपनी है. तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 197 के तहत निर्धारित अपेक्षाएं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी (2ए) के आधार पर लागू नहीं होती हैं.

5) With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under section 197(16) of the Act; the Bank is a banking company as defined under the Banking Regulation Act, 1949. Accordingly, the requirements prescribed under Section 197 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') do not apply by virtue of Section 35B(2A) of the Banking Regulation Act, 1949.

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W / W100045)

राकेश जैन
Rakesh Jain
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 042364
यूडीआईएन/ UDIN: 26042364DQRYQO6423

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

कृते सूरी एंड कंपनी
For Suri & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/(FRN – 004283S)

नटराजन वी.
Natarajan V.
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 223118
यूडीआईएन/ UDIN: 26223118SAMKPC6892

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

(31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों को एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट में 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 3(एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2026 के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (''बैंक'') के एकल वित्तीय विवरणों के संयोजन में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट' ('मार्गदर्शी नोट') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा एकल वित्तीय विवरणों के लिए स्थापित मापदंड के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं. इन जिम्मेदारियों में बैंक की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने आईसीएआई द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन नोट और लेखापरीक्षण के मानकों ('मानकों') के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित, एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक माना गया. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the standalone financial statements of IDBI Bank Limited for the year ended March 31, 2026

(Referred to in paragraph 3(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date to the members of IDBI Bank Limited on the standalone financial statements for the year ended March 31, 2026)

Report on the Internal Financial Controls with reference to the aforesaid standalone financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to standalone financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") as of March 31, 2026 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to standalone financial statements criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing ('the Standards'), issued by the ICAI and deemed to be, prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to standalone financial statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements were established and maintained and whether such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to standalone financial statements and their operating effectiveness.

साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें एकल वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या गलती से किसी तात्विक मिथ्या कथन की जोखिमों का आकलन शामिल है.

हमें विश्वास है कि बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो -

1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित ब्योरे, परिशुद्धता और बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;

2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनका एकल वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से अधिव्यापन की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक मिथ्या कथन की घटना हो सकती है और जिनका पता नहीं चल पाता है. साथ ही, भावी अवधियों के लिए एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

Our audit of internal financial controls with reference to standalone financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to standalone financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls with reference to standalone financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls with Reference to Standalone Financial Statements

A Bank's internal financial controls with reference to standalone financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control with reference to standalone financial statements includes those policies and procedures that

1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;

2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and

3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with Reference to Standalone Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to standalone financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to standalone financial statement may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

अभिमत

हमारी राय में बैंक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित एकल वित्तीय विवरणों के मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2026 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

Opinion

In our opinion, the Bank has maintained, in all material respects, an adequate internal financial controls with reference to standalone financial statements and such internal financial controls were operating effectively as at March 31, 2026, based on the internal control with reference to standalone financial statements criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W / W100045)

राकेश जैन
Rakesh Jain
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 042364
यूडीआईएन/ UDIN: 26042364DQRYQO6423

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

कृते सूरी एंड कंपनी
For Suri & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/(FRN – 004283S)

नटराजन वी.
Natarajan V.
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 223118
यूडीआईएन/ UDIN: 26223118SAMKPC6892

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

एकल तुलन-पत्र 31 मार्च 2026 को
Standalone Balance Sheet as at March 31, 2026

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10752 40 22
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	56885 17 85	49498 61 46
जमाराशियां / Deposits	3	347162 68 00	310211 94 94
उधार राशियां / Borrowings	4	28054 53 95	19882 27 95
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	23704 86 87	21361 86 18
कुल / TOTAL		**466559 66 89**	**411707 10 75**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	33230 37 25	21294 15 38
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	23607 39 43	23122 03 50
निवेश / Investments	8	128011 25 21	117467 53 44
अग्रिम / Advances	9	253626 07 05	218399 15 56
अचल आस्तियां / Fixed assets	10	9760 14 46	12181 14 09
अन्य आस्तियां / Other assets	11	18324 43 49	19243 08 78
कुल / TOTAL		**466559 66 89**	**411707 10 75**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	275374 84 56	322995 72 43
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		14076 25 31	12757 55 78
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां एकल तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)	(जयकुमार एस. पिल्लै) (Jayakumar S. Pillai))	(सुमित फक्का) (Sumit Phakka)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida)	(स्मिता कुबेर) (Smita Kuber)	(ज्योति नायर) (Jyothi Nair)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
Managing Director & Chief Executive Officer	Dy. Managing Director	Dy. Managing Director	Director	Chief Financial Officer	Company Secretary
डीआईएन/DIN: 06846594	डीआईएन/DIN: 10041362	डीआईएन/DIN: 08259618	डीआईएन/DIN: 01853823		

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP	कृते सूरी एंड कंपनी For Suri & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045	फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S
राकेश जैन	नटराजन वी
Rakesh Jain	Natarajan V
साझेदार/Partner	साझेदार/Partner
स. सं./ M.No. 042364	स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

एकल लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
Standalone Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2026

(₹ '000 / ₹ '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	28997 25 53	28902 03 35
	अन्य आय / Other Income	14	6746 27 95	4923 98 77
	कुल / TOTAL		**35743 53 48**	**33826 02 12**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	15485 61 28	14275 57 26
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	9420 40 23	8471 84 57
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		1324 15 70	3563 42 58
	कुल / TOTAL		**26230 17 21**	**26310 84 41**
III	**लाभ/ हानि / PROFIT / LOSS**			
	वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit / (Loss) for the Year		9513 36 27	7515 17 71
	आगे लाया गया लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) brought forward		11051 97 88	7148 27 26
	कुल / TOTAL		**20565 34 15**	**14663 44 97**
IV	**विनियोजन / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		2378 34 07	1878 79 43
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		1532 17 97	119 81 63
	गत वर्ष से संबंधित लाभांश इस वर्ष में प्रदत्त Dividend pertaining to previous year paid during the year		2258 00 45	1612 86 03
	निवेश घट-बढ़ रिज़र्व (आईएफआर) में अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR)		384 83 41	-
	शेष राशि तुलनपत्र में ले जाई गई / Balance carried over to balance sheet		14011 98 25	11051 97 88
	कुल / TOTAL		**20565 34 15**	**14663 44 97**

एकल लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
Standalone Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2026

(₹ '000 / ₹ '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(B)(7A)		
मूल / Basic		8.85	6.99
न्यूनीकृत / Diluted		8.85	6.99
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां एकल लाभ-हानि लेखे के अभिन्न अंग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Standalone Profit and Loss Account			

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)	(जयकुमार एस. पिल्लै)	(सुमित फक्का)	(समरेश परिदा)	(स्मिता कुबेर)	(ज्योति नायर)
(Rakesh Sharma)	(Jayakumar S. Pillai))	(Sumit Phakka)	(Samaresh Parida)	(Smita Kuber)	(Jyothi Nair)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
Managing Director & Chief Executive Officer	Dy. Managing Director	Dy. Managing Director	Director	Chief Financial Officer	Company Secretary
डीआईएन/DIN: 06846594	डीआईएन/DIN: 10041362	डीआईएन/DIN: 08259618	डीआईएन/DIN: 01853823		

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी	कृते सूरी एंड कंपनी
For Chokshi & Chokshi LLP	For Suri & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045	फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S
राकेश जैन	नटराजन वी
Rakesh Jain	Natarajan V
साझेदार/Partner	साझेदार/Partner
स. सं./ M.No. 042364	स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 2100 00 00 000 इक्विटी शेयर 2100 00 00 000 Equity Shares of ₹ 10 each	21000 00 00	21000 00 00
	21000 00 00	**21000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर (अनुसूची 18 नोट सी I देखें) 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (Refer Schedule 18 Note C I)	10752 40 22	10752 40 22
कुल / TOTAL	**10752 40 22**	**10752 40 22**

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	7623 02 21	5744 22 78
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2378 34 07	1878 79 43
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		10001 36 28	**7623 02 21**
II	**विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व/ Foreign Currency Translation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	23 49 15	18 21 88
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	18 84 57	5 27 27
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		42 33 72	**23 49 15**
III	**पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3347 86 74	3228 03 23
	वर्ष के दौरान परिवर्धन# / Additions during the year#	1532 17 95	119 83 51
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		4880 04 69	**3347 86 74**
IV	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	10511 63 74	7933 45 36
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	2854 62 37
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	2121 82 71	-
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	373 64 35	276 43 99
		8016 16 68	**10511 63 74**

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
V	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	5323 56 46	5323 56 46
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		5323 56 46	**5323 56 46**
VI	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve**		
	(क)/(a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	8617 26 53	7268 35 17
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	1072 47 37
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरित / Transferred from Revaluation Reserve	373 64 35	276 43 99
	लाभ-हानि लेखे से अंतरित / Transferred from Profit & Loss Account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		8990 90 88	**8617 26 53**
	(ख) (b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग) (c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
	(घ) (d) निवेश घट-बढ़ रिज़र्व Investment Fluctuation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	892 99 17	892 99 17
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	384 83 41	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1277 82 58	**892 99 17**
	(ङ) (e) एएफएस रिज़र्व AFS Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	534 44 54	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2234 18 71	534 44 54
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2768 63 25	**534 44 54**
VII	**लाभ-हानि लेखे में शेष / Balance in Profit and Loss account**	14011 98 27	11051 97 88
	कुल (I से VII) / TOTAL (I to VII)	**56885 17 85**	**49498 61 46**

एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत इक्विटी लिखतों की बिक्री से लाभ शून्य (पिछले वर्ष - ₹ *188* हजार) शामिल है.

 # includes NIL gain on sale of Equity Instrument designated under AFS (previous year - ₹ 188 thousands)

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
अ / A			
I.	मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i)	बैंकों से / From banks	12240 93 33	13176 48 20
(ii)	अन्य से / From others	51515 91 98	48849 42 49
		63756 85 31	**62025 90 69**
II.	बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	**91059 47 19**	**82371 63 72**
III.	सावधि जमाराशियां / Term Deposits		
(i)	बैंकों से / From banks	15396 11 60	9303 01 18
(ii)	अन्य से / From others	176950 23 90	156511 39 35
		192346 35 50	**165814 40 53**
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**347162 68 00**	**310211 94 94**
आ / B			
(i)	भारत में स्थित शाखाओं में जमाराशियां / Deposits of branches in India	346946 91 37	310046 39 60
(ii)	भारत से बाहर स्थित शाखाओं में जमाराशियां Deposits of branches outside India	215 76 63	165 55 34
	कुल / TOTAL	**347162 68 00**	**310211 94 94**

टिप्पणी: जिन जमाराशियों पर धारणाधिकार अंकित किया गया है उनकी राशि ₹ 28685 47 96 हजार है (पिछले वर्ष ₹ 23485 01 45 हजार)
Note: The amount of Deposits against which lien is marked is ₹ 28685 47 96 Thousand (Previous Year ₹ 23485 01 45 Thousand)

अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I.	भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i)	भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	5000 00 00	-
(ii)	अन्य बैंक / Other banks	147 25 00	382 30 00
(iii)	टियर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	-	-
(iv)	अपर टियर II बांड / Upper Tier II bonds	-	-
(v)	अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टियर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	-	302 00 00
(vi)	बासेल III ओम्नी टियर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	-	1900 00 00
(vii)	अन्य / Others	12087 10 97	9527 30 97
	कुल (I) / TOTAL (I)	**17234 35 97**	**12111 60 97**
II.	भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	10820 17 98	7770 66 98
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**28054 53 95**	**19882 27 95**

टिप्पणी: ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 17082 10 97 हजार (पिछले वर्ष ₹ 8522 30 97 हजार)
Note: Secured borrowings included in I and II above- ₹ 17082 10 97 Thousand (Previous Year ₹ 8522 30 97 Thousand)

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I.	देय बिल / Bills Payable	1935 74 97	1896 86 55
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	368 24 76	385 53 73
IV.	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)**		
	(क) (a) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	6541 75 28	7562 70 87
	(ख) (b) प्राप्त अग्रिम भुगतान Advance payments received	815 13 36	722 92 99
	(ग) (c) देय लाभांश और लाभांश कर Dividend and dividend tax payable	-	-
	(घ) (d) विविध लेनदार Sundry Creditors	105 80 13	103 78 59
	(ङ) (e) देय सेवा कर/टीडीएस/अन्य कर Service tax/TDS/Other taxes payable	245 10 59	167 72 24
	(च) (f) विविध जमाराशियां Sundry Deposits	84 72 02	45 81 00
	(छ) (g) अन्य डेरिवेटिव देयताएं Other Derivative Liabilities	3662 62 45	1496 02 33
	(ज) (h) अन्य प्रावधान Other provisions	5434 91 23	5358 42 28
	(झ) (i) विविध Miscellaneous	4510 82 08	3622 05 60
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**23704 86 87**	**21361 86 18**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1648 97 33	1389 92 53
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(क/a) चालू खातों में / in Current Accounts	9304 39 92	12468 22 85
	(ख/b) अन्य खातों में / in Other Accounts	22277 00 00	7436 00 00
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**33230 37 25**	**21294 15 38**

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I	**भारत में / In India**		
(i)	बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
	(क) (a) चालू खातों में in Current Accounts	156 29 77	152 17 05
	(ख) (b) अन्य जमा खातों में in Other Deposit Accounts	8677 40 25	6624 31 25
(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
	(क) (a) बैंकों के पास with banks	12365 34 95	14512 08 01
	(ख) (b) अन्य संस्थाओं के पास with other Institutions	-	-
	कुल (i और ii) / Total (i and ii)	**21199 04 97**	**21288 56 31**
II	**भारत के बाहर / Outside India**		
(i)	चालू खातों में / in Current Accounts	1027 78 40	1401 39 57
(ii)	अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	1301 06 98	393 84 32
(iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	79 49 08	38 23 30
	कुल (i, ii और iii) / Total (i , ii and iii)	**2408 34 46**	**1833 47 19**
	कुल योग (I तथा II) / GRAND TOTAL (I and II)	**23607 39 43**	**23122 03 50**

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां@ / Government Securities@	102488 12 99	99217 71 06
(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
(iii)	शेयर / Shares	3773 03 08	1467 54 97
(iv)	डिबेंचर एवं बॉण्ड / Debentures and Bonds	2795 97 10	3703 71 74
(v)	सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम* / Subsidiaries and/or joint ventures*	334 03 82	344 47 82
(vi)	अन्य (सीपी, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी, वीसीएफ, सीडी) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs, VCFs, CDs)	17676 41 85	12046 17 19
	कुल / TOTAL	**127067 58 84**	**116779 62 78**
II	**भारत के बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	943 20 49	687 45 50
(ii)	सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	-	-
(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (Shares)	45 88	45 16
	कुल / TOTAL	**943 66 37**	**687 90 66**
	कुल जोड़ (I और II) / GRAND TOTAL (I and II)	**128011 25 21**	**117467 53 44**
III	**भारत में निवेश / Investments in India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	132030 78 16	122177 49 34
	घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	4963 19 32	5397 86 56
	निवल निवेश / Net investments	**127067 58 84**	**116779 62 78**
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	943 66 37	687 90 66
	घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास / Less:Aggregate provision / depreciation	-	-
	निवल निवेश / Net investments	**943 66 37**	**687 90 66**

@ इसमें गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 12438 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं.

@ Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous Year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.

** सहयोगी कंपनियों में निवेश ₹ 26 50 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 36 94 00 हजार) शामिल है.*

** Includes investment in Associates Companies of ₹ 26 50 00 Thousands (Previous year ₹ 36 94 00 Thousand).*

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
अ / A			
(i)	खरीदे और भुनाए गये बिल Bills purchased and discounted	15925 08 64	12326 91 52
(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	76894 93 97	69034 95 29
(iii)	मीयादी ऋण@ / Term loans@	160806 04 44	137037 28 75
	कुल / TOTAL	**253626 07 05**	**218399 15 56**
आ / B			
(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत@@ / Secured by tangible assets@@	199711 69 21	170606 29 85
(ii)	बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित@@@ Covered by Bank / Government guarantees@@@	14541 77 41	12088 71 39
(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	39372 60 43	35704 14 32
	कुल / TOTAL	**253626 07 05**	**218399 15 56**
इ / C			
I	**भारत में अग्रिम / Advances in India**		
(i)	प्राथमिकता क्षेत्र / Priority sector	81662 01 16	63904 86 79
(ii)	सरकारी क्षेत्र / Public sector	9129 00 43	7997 28 00
(iii)	बैंक / Banks	232 70 94	187 01 94
(iv)	अन्य / Others	146519 85 52	132882 10 27
	कुल / TOTAL	**237543 58 05**	**204971 27 00**
II	**भारत के बाहर अग्रिम / Advances Outside India**		
(i)	बैंकों से देय / Due from banks	-	-
(ii)	अन्य से देय / Due from others:	-	-
(क) (a)	खरीदे तथा भुनाये गए बिल Bills purchased and discounted	-	-
(ख) (b)	समूहित ऋण Syndicated loans	-	-
(ग) (c)	अन्य Others	16082 49 00	13427 88 56
	कुल / TOTAL	**16082 49 00**	**13427 88 56**
	कुल योग (सी I और सी II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**253626 07 05**	**218399 15 56**

@ *₹ 1150 00 00 हजार (पिछले वर्ष : ₹ 6251 00 00 हजार) के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल) शामिल हैं.*
@ *Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) ₹ 1150 00 00 Thousand (Previous Year: ₹ 6251 00 00 Thousand)*

@@ *बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं.*
@@ *Includes advances against book debts*

@@@ *बैंकों द्वारा जारी साख पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं.*
@@@ *Includes advances against letter of credit issued by banks.*

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी आ.2 देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note B.2)**		
	गत वर्ष 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31st March of the preceeding year	11423 56 31	9302 32 33
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	18 99 24	117 52 06
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	(2237 69 51)	2003 71 93
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	22 26	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	323 80 31	40 32 71
	कुल / TOTAL	**8880 83 47**	**11383 23 61**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	गत वर्ष 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31st March of the preceeding year	2948 89 18	2836 63 76
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	293 27 88	248 22 71
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	70 17 93	135 97 29
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	2383 08 48	2229 35 97
	कुल / TOTAL	**788 90 65**	**719 53 21**
III	**पट्टे पर दी गईं आस्तियां / Assets given on Lease**		
	गत वर्ष 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31st March of the preceeding year	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
	कुल / TOTAL	**-**	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	**90 40 34**	**78 37 27**
	कुल / TOTAL	**90 40 34**	**78 37 27**
	कुल योग (I से IV) / GRAND TOTAL (I to IV)	**9760 14 46**	**12181 14 09**

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	3214 45 54	3303 17 84
III	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	438 20 25	913 90 26
IV	स्टेशनरी एवं स्टांप / Stationery and stamps	31 97	48 14
V	दावों की तुष्टि में अधिगृहीत गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)	710 53 75	710 53 75
VI	अन्य / Others		
	(क) (a) आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred Tax Asset (net)	3747 46 07	5981 66 20
	(ख) (b) आबंटन के लिए लंबित शेयर/बॉण्ड Shares / Bonds Pending allotment	4 69 74	118 89 88
	(ग) (c) विविध जमाराशियां और अग्रिम Sundry deposit and advances	789 85 74	727 97 95
	(घ) (d) प्राप्य दावे Claims receivable	1423 43 64	275 04 89
	(ङ) (e) अन्य व्युत्पन्न आस्ति Other Derivative Asset	3231 87 83	1691 57 88
	(च) (f) विविध* Miscellaneous*	4763 58 96	5519 81 99
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**18324 43 49**	**19243 08 78**

* *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जमा ₹ 2021 05 42 हजार (पिछले वर्ष ₹ 3547 90 06 हजार) में निवेश शामिल है.*

* *Includes Investment in Priority sector deposit ₹ 2021 05 42 Thousand (Previous Year ₹ 3547 90 06 Thousand)*

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	315 42 91	230 51 03
II	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	-	74 83
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	187169 12 57	214461 75 35
IV	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	57137 69 48	47953 21 90
	(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	614 71 60	567 45 72
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	18413 75 24	16861 25 45
VI	**अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है** **Other items for which the Bank is contingently liable**		
	(क) ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता (a) Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	10303 82 09	40362 80 72
	(ख) अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता (b) Liability in respect of other Derivative contracts	-	1372 29 48
	(ग) विवादित कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण (c) On account of disputed taxes, Interest tax, penalty and interest demands	366 17 17	417 23 67
	(घ) अन्य (d) Others	1054 13 50	768 44 28
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**275374 84 56**	**322995 72 43**

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	19403 48 51	19226 45 90
II	निवेशों से आय / Income on investments	8190 60 14	8254 88 11
III	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	964 57 06	415 37 95
IV	अन्य / Others	438 59 82	1005 31 39
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**28997 25 53**	**28902 03 35**

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2295 20 71	2069 91 93
II	निवेशों की बिक्री से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	2629 27 14	900 08 76
III	निवेशों के पूनर्मूल्यन से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	166 44 88	(87 23 71)
IV	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(9 43 41)	(2 31 20)
V	विनिमय लेनदेनों / डेरिवेटिव से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	680 27 97	493 23 95
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	16 50 00	20 23 35
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	880 11 14	1444 09 12
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	87 89 52	85 96 57
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**6746 27 95**	**4923 98 77**

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	13961 89 48	12742 15 94
II	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / Inter-bank borrowings	381 82 86	497 79 90
III	अन्य / Others	1141 88 94	1035 61 42
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**15485 61 28**	**14275 57 26**

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	4337 72 80	4049 68 75
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	606 65 01	559 79 39
III	प्रिंटिंग और स्टेशनरी / Printing and stationery	45 05 75	42 39 18
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	45 34 60	58 25 43
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on bank's property	610 39 26	531 47 68
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	2 88 69	3 40 36
VII	लेखापरीक्षक की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 74 24	3 69 70
VIII	विधि प्रभार / Law charges	40 79 59	33 76 36
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	135 38 74	140 85 34
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	150 83 20	120 33 25
XI	बीमा / Insurance	391 54 30	336 75 28
XII	अन्य व्ययः / Other Expenditure:		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	240 88 02	239 65 36
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	418 15 60	354 29 63
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	9 80 48	11 10 90
	(घ) बट्टे खाते डाले गये मामलों से वसूली संबंधी व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	11 83 82	9 84 97
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	854 29 98	789 12 99
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	301 59 48	247 24 77
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	20 62 55	21 55 12

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
(ज) (h) यात्रा एवं वाहन प्रभार Travelling and conveyance charges	43 95 23	41 61 98
(झ) (i) ट्रेजरी व्यय Treasury expenses	8 38 54	6 66 62
(ञ) (j) उधारी के लिए फीस और अन्य व्यय Fee and other expenses for borrowing	7 12 96	12 15 37
(ट) (k) अन्य व्यय Others	1134 37 39	858 16 14
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**9420 40 23**	**8471 84 57**

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

बैंक के वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां अर्थात् विशिष्ट लेखांकन नीतियां और इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए तरीके निम्नलिखित हैं.

Following are the significant accounting policies i.e., the specific accounting policies and methods of applying these principles in the preparation and presentation of the Financial Statements of the Bank.

1) पृष्ठभूमि / Background

मुंबई, भारत में निगमित आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('आईडीबीआई बैंक' या 'बैंक') एक बैंकिंग कंपनी है जो खुदरा बैंकिंग, थोक बैंकिंग, ट्रेजरी और अन्य बैंकिंग परिचालनों सहित कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है. बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अधिशासित होता है. बैंक की अपतटीय बैंकिंग इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी), गिफ्ट सिटी, भारत में स्थित है. बैंक अपने 2243 बैंकिंग आउटलेटों (2174 भौतिक शाखाओं और 69 निश्चित बीसी बैंकिंग आउटलेटों) के अपने नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है.

IDBI Bank Limited ('IDBI Bank' or 'the Bank'), incorporated in Mumbai, India is a banking company engaged in providing a range of banking and financial services including retail banking, wholesale banking, treasury and other banking operations. The Bank is governed by the Banking Regulation Act, 1949 and the Companies Act, 2013. The Bank has Offshore Banking Unit at International Financial Service Centre (IFSC), GIFT City, India. The Bank provides a wide array of services to its customers across India through its network of 2243 Banking Outlets (2174 Brick-and-Mortar branches and 69 Fixed BC Banking Outlets).

2) तैयार करने का आधार / Basis of Preparation

वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और स्पष्टीकरणों, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 और कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों (एएस), जो बैंकों पर लागू होते हैं, अधिनियम के प्रावधानों एवं भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतया प्रचलित पद्धतियों के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय पद्धति और परम्परागत लागत रीति, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया है को छोड़कर, का अनुसरण करता है.

The Financial Statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines and clarifications issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) notified under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with the companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, in so far as they apply to banks, provisions of the Act and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting and historical cost convention, except where otherwise stated.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया है को छोड़कर, पिछले वर्ष अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं.

The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year except as otherwise stated.

3) अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates

वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान व धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान और धारणाएं तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं. तथापि वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखांकन अनुमानों में किसी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of Financial Statements requires the management to make estimates and assumptions that may affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the Financial Statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to the accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

4) राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा तक किया जाता है कि बैंक को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकता है.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured.

(i) ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामले में जहां इसे रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है.

Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

(ii) रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार शर्त के उल्लंघन पर दंडस्वरूप प्रभार इसकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है.

Penal charges for covenant breach are recognized upon certainty of its realization as per the prudential norms of the RBI.

(iii) साख पत्र (एलसी) /बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/ बैंक गारंटी की अवधि के दौरान आय के रूप में उपचित / परिशोधन किया जाता है.

Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued / amortised as income over the period of LC/ BG.

(iv) शुल्क और कमीशन आय तब निर्धारित किए जाते हैं जब देय हो और वसूली का यथोचित अधिकार स्थापित हो जाता है और इसे विश्वसनीय रूप से आंका जा सके. जब महत्वपूर्ण कार्य / माइलस्टोन पूरा हो जाता है तब सिंडिकेशन / अरेंजर शुल्क को आय के रूप में मान्यता दी जाती है.

Fees and commission income is recognized as income when due and reasonable right of recovery is established and can be reliably measured. Syndication / Arranger fee is recognized as income when a significant act / milestone is completed.

(v) बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि में दर्शाया जाता है.

Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

(vi) सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों के मामले में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है. असूचीबद्ध इक्विटी निवेशों के मामले (रणनीतिक पोर्टफोलियो के अंतर्गत धारित निवेशों सहित) में लाभांश को प्राप्ति आधार पर बुक किया जाता है.

In case of listed equity investments, dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established. In case of unlisted equity investments (including investments held under Strategic portfolio), dividend is booked on receipt basis.

(vii) अनर्जक अग्रिमों (एनपीए)/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये (टीडब्ल्यूओ) खातों के मामले में वसूली का विनियोजन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है:

The appropriation of recoveries in case of Non-Performing Advances (NPA)/ Technically Written-off (TWO) accounts is done in the following manner:

(क) एनसीएलटी/ मध्यस्थता या विधिक कार्यवाही के तहत उधारकर्ताओं के संदर्भ में, वसूली को एनसीएलटी/ मध्यस्थ/न्यायालय के सुसंगत आदेश के अनुसार विनियोजित किया जाता है और विशिष्ट मामले या मामलों के समूह के संबंध में सांविधिक/विनियामक निदेशों, यदि कोई जारी किये गये हो, के अनुसार किया जाता है.

(a) In respect of borrowers under NCLT/Arbitration or Legal Proceedings, the recovery is apportioned in terms of relevant order of NCLT/ Arbitrator/ Court of Law and in accordance with statutory /regulatory directives, if any, issued in respect of a specific case or group of cases.

(ख) ऐसे मामलों में जहां वसूली ऋण खातों के अंतिम खाताबंदी (गारंटर/अन्य पक्षों, यदि कोई हो, सहित ऋणदाता/ उधारकर्ता संबंध विच्छेद) की ओर उन्मुख हो [एकमुश्त निपटान/बातचीत के जरिए निपटान/ दबावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के अंतरण/आईबीसी के माध्यम से वसूली (समाधान रीति/ परिसमापन रीति के तहत), लेकिन वसूली के किसी अन्य तरीके के तहत कोई और विधिक वसूली-प्राधिकार उपलब्ध या प्रस्तावित न हो] को नीचे वर्णित अनुसार विनियोजित किया जाएगा:

(b) In cases where recovery is leading to final closure (severance of lender /borrower relationship including with guarantors / third parties, if any) of loan accounts [by way of One time settlement /Negotiated settlement /Transfer of Stressed Loan Exposure/Recovery through IBC (under resolution mode/liquidation mode) but no further legal recourse is available or proposed through any other mode of recovery] shall be appropriated in the following order:

(i) मूलधन
Principal

(ii) अदत्त व्यय / पहले से ही उपगत/प्रदत्त व्यय
Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.

(iii) ब्याज /दंडस्वरूप ब्याज (31 मार्च 2024 तक पहले ही नामे किया गया है लेकिन वसूल नहीं हुआ)
Interest /penal Interest (already debited upto March 31, 2024, but not recovered).

(iv) दंडस्वरूप प्रभार और उस पर जीएसटी
Penal Charges and GST thereon.

(v) प्रभार (बकाया शुल्क/ बीजी कमीशन) और उस पर जीएसटी
Charges (Fees/BG commission outstanding) and GST thereon.

(ग) ऐसे मामले में जहां वसूली के परिणामस्वरूप खातों को अंतिम रूप से बंद नहीं किया जाता है, तो इसे संविदा की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया जाएगा. जहां एनपीए में वसूली के विनियोजन के प्रयोजन के लिए बैंक और उधारकर्ता के बीच कोई स्पष्ट समझौता नहीं है, उसे नीचे बताए गए अनुसार विनियोजित किया जाएगा:

(c) In cases where recovery not resulting in final closure of accounts, it shall be appropriated as per contractual terms. In absence of any clear agreement between bank and borrower for the purpose of appropriation of recoveries in NPAs, the same would be appropriated in the following order:

(i) अदत्त व्यय/ पहले ही उपगत/प्रदत्त व्यय
Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.

(ii) ब्याज /दंडस्वरूप ब्याज (31 मार्च 2024 तक पहले ही नामे किया गया है लेकिन वसूल नहीं हुआ)
Interest /penal Interest (already debited upto March 31, 2024, but not recovered).

(iii) दंडस्वरूप प्रभार और उस पर जीएसटी / Penal Charges and GST thereon.

(iv) प्रभार (बकाया शुल्क/ बीजी कमीशन) और उस पर जीएसटी
Charges (Fees/BG commission outstanding) and GST thereon.

(v) मूलधन / Principal

(घ) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से वसूल की गई संपूर्ण राशियों को लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में दर्शाया जाता है.
(d) Entire amounts recovered against debts written off are recognized as income in the Statement of Profit & Loss.

(ङ) एनपीए के लिए प्रावधान को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
(e) Provisions for NPA are recognized as an expense in the Statement of Profit & Loss.

(च) ऋणों की बिक्री (समनुदेशन) से हुए लाभ/हानि को रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार दर्शाया जाता है.
(f) Gain/loss on sell down (assignment) of loans is recognised in line with the extant RBI Guidelines.

5) अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions

(i) अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधान, ब्याज, उचंत, जारी अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र, प्रत्यक्ष समनुदेशन और पुनर्भुनाई किए गए बिलों को घटाकर दिखाया जाता है. विदेशी शाखाओं के संबंध में, ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय नियमों के अनुसार या रिज़र्व बैंक के मानदंडों, जो भी अधिक विवेकपूर्ण हो, के अनुसार किए जाते हैं.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by the RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances, interest suspense, inter-bank participation certificate issued, direct assignment and bill rediscounted. In respect of foreign branches, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per norms of the RBI, whichever is more prudent.

(ii) नकदी प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के जरिये अंतरित आस्तियों को तुलनपत्र से तब हटाया जाता है जब उन्हें बेच दिया जाता है (सही बिक्री का मानदंड पूरी तरह से पूरा किया जाता है) और बैंक को प्रतिफल प्राप्त हो जाता है.

Assets transferred through direct assignments of cash flows are de-recognised in the Balance Sheet when they are sold (true sale criteria being fully met with) and consideration is received by the Bank.

(iii) जहाँ मूर्त प्रतिभूति (बही ऋण सहित) पर अग्रिमों को विनिर्दिष्ट किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. भारतीय/विदेशी सरकारों, भारतीय/विदेशी बैंकों, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) की गारंटी द्वारा कवर किए गए अग्रिम और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) द्वारा कवर किए गए अग्रिमों को 'बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. जहां ऐसी प्रतिभूति विनिर्दिष्ट नहीं है/कोई कवर उपलब्ध नहीं है, अग्रिमों को 'अप्रतिभूत' रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त' नहीं माना जाता है.

Advances wherein a tangible security (including book debts) is stipulated are classified as 'Secured by Tangible Assets'. Advances that are covered by guarantees of Indian/foreign governments, Indian/foreign banks, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) and advances to the extent they are covered by Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing (CRGFTLIH) are classified as 'Covered by Bank/Government Guarantee'. Where such security is not stipulated/ no cover is available, advances are classified as 'Unsecured'. Any Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc. are not considered as Tangible.

(iv) बैंक एक पुनर्संरचित खाते को एक ऐसा खाता मानता है, जहां बैंक, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या विधिक कारणों से, उधारकर्ता को ऐसी रियायतें देता है, जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करता. पुनर्संरचना में आम तौर पर अग्रिम/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होता है, जिसमें आम तौर पर अन्य के साथ-साथ, चुकौती अवधि / चुकौती राशि / किस्तों की राशि / ब्याज दर में परिवर्तन शामिल होता है (प्रतिस्पर्धी कारणों के अलावा अन्य कारणों से). पुनर्संरचना पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन पर ही बैंक द्वारा पुनर्संरचित खातों को वर्गीकृत किया जाता है.

The Bank considers a restructured account as one where the Bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants to the borrower concessions that the Bank would not otherwise consider. Restructuring would normally involve modification of terms of the advance / securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period / repayable amount / the amount of instalments / rate of interest (due to reasons other than competitive reasons). Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.

(v) बैंक रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों के लिए चूक की तारीख से अतिरिक्त प्रावधान करता है जिनमें व्यवहार्य समाधान योजना रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू नहीं की गई है. इन अतिरिक्त प्रावधानों का रिज़र्व बैंक के रिवर्सल संबंधी दिशानिर्देशों की शर्तों को पूरा करने पर प्रतिलेखन किया जाता है.

The Bank makes additional provisions as per RBI guidelines for the cases where viable resolution plan has not been implemented within timelines prescribed by RBI, from the date of default. These additional provisions are written back on satisfying the conditions for reversal as per RBI guidelines.

(vi) एनपीए के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किए जाते हैं जो रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक प्रावधानों के बराबर या अधिक होते हैं.

Provisions are made for NPAs as per the rates determined by the management which are either equal to or higher than the minimum regulatory provisions stipulated by the RBI.

(vii) विशिष्ट मामलों/परिस्थितियों में प्रबंधन द्वारा एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं.

Additional provisions on NPAs are made by the management in specific cases/circumstances.

(viii) ब्याज दर और विदेशी मुद्रा डेरेवेटिव संविदाओं को वर्तमान बाज़ार मूल्यों पर अंकित करने के लिए गणित ऋण एक्सपोजर के लिए प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किये जाते हैं. ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत परिलक्षित होते हैं और निवल एनपीए निर्धारित करने के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है.

General provisions are also made for standard assets, including provision for credit exposures computed as per the current marked to market values of interest rate and foreign exchange derivative contracts. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

(ix) बैंक चिन्हित क्षेत्रों की मानक आस्तियों पर विनियामक न्यूनतम प्रावधान से अधिक दरों पर जोखिम मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान भी कर रहा है.

Bank is also making additional provisions on stressed sectors based on risk assessment at rates higher than the regulatory minimum provision on standard assets of identified sectors.

(x) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे और कोविड-19 से संबद्ध दबाव के लिए समाधान ढांचों के बारे में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक ने पात्र उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजनाएं लागू की हैं. आस्ति वर्गीकरण और उनके लिए आवश्यक प्रावधानीकरण रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.

In accordance with the RBI guidelines on the prudential framework for resolution of stressed assets and the resolution frameworks for COVID-19 related stress and its Board approved policy, the Bank has implemented resolution plans for eligible borrowers. The asset classification and necessary provisioning thereon has been carried out in accordance with the said RBI guidelines.

(xi) इरादतन चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के संबंध में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक त्वरित प्रावधान करता है. धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किये गये ऋणों को हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रतिभूति के मूल्य पर विचार किये बिना तत्काल पूर्ण प्रावधान किया जाता है.

In respect of borrowers classified as wilful defaulters, the Bank makes accelerated provisions as per the extant RBI guidelines. Loans reported as fraud are classified as loss assets, and fully provided immediately without considering the value of security.

(xii) रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षानुसार किसी उपचित एवं देय ब्याज को ऋण (अर्थात् निधिक ब्याज मीयादी ऋण) में बदला जाता है तो ऐसी आय को रिवर्स किया जाता है और नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

As per requirement of RBI guideline, any interest accrued and due if converted into a loan (i.e. Funded Interest Term Loan), then such income is reversed and recognized on cash basis.

(xiii) दिनांक 28 नवंबर 2025 के मास्टर निदेश 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण) निदेश, 2025' के अनुसार, बैंक ने परियोजना वित्त के संबंध में आवश्यक प्रावधान किया है.

As per Master Direction 'Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025' dated November 28, 2025, the Bank has maintained necessary provisioning on Project Finance.

कंट्री एक्सपोजर के लिए प्रावधान / Provision for Country Exposure:

(xiv) आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, अलग-अलग देशों (गृह देश के अलावा) के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कंट्री एक्सपोजर के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं. देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, महत्वहीन, निम्न जोखिम, मध्यम रूप से निम्न, मध्यम, मध्यम रूप से उच्च, उच्च और बहुत उच्च, तथा प्रावधान रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर इसकी कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है. यह प्रावधान तुलपनपत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत दिखाया जाता है.

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual direct as well as indirect country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderately low, moderate, moderately high, high and very high and provisioning is made as per the extant RBI guidelines. If the net funded exposure of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of its total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others"

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर / Unhedged Foreign Currency Exposure

(xv) बैंक त्रैमासिक आधार पर रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएचएफसीई) वाली संस्थाओं के लिए वृद्धिशील पूंजी और प्रावधान रख रहा है. बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है जो बैंक की ऋण नीति में शामिल है.

The Bank is holding incremental capital and provisions for entities with un-hedged foreign currency exposure (UHFCE), in line with the RBI guidelines, on quarterly basis. Bank has a laid down process for managing foreign currency induced credit risk for its borrowers which is covered in Bank's Credit Policy.

6) निवेश / Investments

रिज़र्व बैंक के संशोधित मास्टर निदेश 2023 के संक्रमण काल के समय बैंक ने उपर्युक्त मास्टर निदेशों के अध्याय XIV में बताये अनुसार संक्रमण एवं निरसन प्रावधानों का अनुसरण किया था. इसके अलावा, 31 मार्च 2024 को अर्जक निवेशों (पीआई) के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में शेष को राजस्व/सामान्य रिज़र्व में रिवर्स किया था. तथापि, एनपीआई के लिए प्रावधानों को आईआरसीएपी मानदंडों के अनुसार रखा गया था.

At the time of transition to revised RBI Master Direction 2023, the Bank had followed Transition and Repeal Provisions as provided in Chapter XIV of the said Master Directions. Further, the balance in provision for depreciation for Performing Investments (PI), as at March 31, 2024, was reversed into the Revenue/ General Reserve. However, provisions for NPI was maintained as per IRCAP norms

क. वर्गीकरण
A. Classification

दिनांक 28 नवंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 के अनुसार बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

In terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025, dated November 28, 2025 the entire investment portfolio of the Bank is classified as

(i) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) / Held To Maturity (HTM),

(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / Available For Sale (AFS)

(iii) लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) ट्रेडिंग के लिए धारित (एफवीटीपीएल-एचएफटी) सहित. एफवीटीपीएल-एचएफटी श्रेणी के अलावा बैंक के एफवीटीपीएल पोर्टफोलियो को एफवीटीपीएल गैर-एचएफटी या एफवीटीपीएल - एनएचएफटी के रूप में निर्धारित किया जाता है.
Fair Value through Profit & Loss (FVTPL) including Held For Trading (FVTPL-HFT). FVTPL portfolio of the Bank other than FVTPL-HFT category is designated as FVTPL Non-HFT or FVTPL-NHFT.

(iv) सहायक, सहयोगी संस्था और संयुक्त उद्यम (एसजेए) / Subsidiary, Associates and Joint Venture (SJA)

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को तुलनपत्र में अनुसूची-8 निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है:
Investments under each category is presented in the Balance Sheet under Schedule 8-Investments:

(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities

(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities

(iii) शेयर / Shares

(iv) डिबेंचर तथा बांड / Debentures & Bonds

(v) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्था / Subsidiaries and / or Joint Ventures/ Associates

(vi) अन्य / Others

ख. वर्गीकरण का आधार
B. Basis of Classification

(I) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)*
Held till Maturity (HTM) *

(क) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा:
(a) Securities that fulfil the following conditions shall be classified under HTM:

(i) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित किए जाने के उद्देश्य से किये गये निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है; और
Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'; and

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जिनमें निर्दिष्ट तारीखों को मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज ('एसपीपीआई मानदंड') का ही भुगतान किया जाता है.
The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.

(ख) निम्नलिखित प्रतिभूतियों को जिस भी इरादे से अधिगृहीत किया गया है, वे एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करती हैं, अतः वे एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किये जाने की पात्र नहीं होंगी:
(b) Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they are not meeting the SPPI criteria and therefore shall not be eligible for classification either as HTM or AFS:

(i) अनिवार्यतः,ऐच्छिक या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय विशेषताओं वाले लिखत.
Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.

(ii) संविदात्मक हानि अवशोषक विशेषताओं वाले लिखत जैसे बासेल-III पूंजी विनियमनों के अंतर्गत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 योग्यता वाले लिखत.
Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.

(iii) ऐसे लिखत जिनके कूपन ब्याज के स्वरूप वाले नहीं हैं. मूलधन एवं ब्याज मानदंड के एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए ब्याज में विशिष्ट समयावधि के दौरान बकाया मूलधन राशि से संबद्ध ऋण जोखिम के लिए धन के समय मूल्य के प्रतिफल और अन्य मूलभूत उधार जोखिमें एवं लागत, साथ ही लाभ मार्जिन शामिल हैं.

Instruments whose coupons are not in the nature of Interest. For the purposes of determining eligibility under the solely payments of principal and interest ('SPPI') criteria, interest consists of consideration for the time value of money, for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs, as well as a profit margin.

(iv) अधिमानी शेयर (ऐसे अधिमानी शेयरों के अलावा जो शोधनीय हैं, गैर-विवेकाधिकार लाभांश मिलता है, परिपक्वता पर प्रतिफल निर्गमकर्ता के लिए उधार की बाज़ार दर के नजदीक है और लाभांश के आस्थगित भुगतान पर क्षतिपूर्ति प्रदान करता है) और इक्विटी शेयर (एएफएस के रूप में वर्गीकृत किए गए के अलावा).

Preference shares (other than a preference share which is redeemable, carries a non-discretionary dividend, with a yield to maturity close to the market rate of borrowing for that issuer and provides for compensation on deferred payment of dividend) and Equity shares (other than classified as AFS).

(ग) इक्विटी ट्रांच के अलावा प्रतिभूतिकृत नोटों में निवेश पर एसपीपीआई मानदंड पूरा करने के लिए विचार किया जायेगा यदि ऐसा ट्रांच जिसमें निवेश किया गया है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:

(c) Investments in the securitization notes, other than the equity tranche, shall be considered to meet the SPPI criteria if the tranche in which the investment is made meets all the following conditions:

(i) वर्गीकरण के लिए मूल्यांकन किये जा रहे ट्रांच (वित्तीय लिखतों के अंतर्निहित पूल को देखे बिना) की संविदात्मक शर्तें ऐसी नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जिसमें केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान हो.

The contractual terms of the tranche being assessed for classification (without looking through to the underlying pool of financial instruments) give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

(ii) वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है.

The underlying pool of financial instruments meet the SPPI criteria.

(iii) ट्रांच की ऋण जोखिम आस्तियों के मिश्रित अंतर्निहित पूल की ऋण जोखिम के बराबर या कम है.

The credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined underlying pool of assets.

* अन्य शर्तें 28 नवंबर 2025 के रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश के अनुसार.

* Other stipulation as per RBI Master Direction dated November 28, 2025

(II) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
Available for Sale (AFS)

(क) निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाली प्रतिभूतियां एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत की जायेंगी:

(a) Securities that meet the following conditions shall be classified under AFS:

(i) प्रतिभूति ऐसे उद्देश्य के साथ अधिगृहीत की गई है जो संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्रित करने और बिक्री प्रतिभूतियों,दोनों को पूरा करती है और

The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मापदंड'को पूरा करती हैं अर्थात् प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें ऐसी नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जिसमें निर्दिष्ट तारीखों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हो. बशर्ते प्रारंभिक निर्धारण पर बैंक ऐसे इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए अविकल्पी चयन करे जिसे एएफएस के अंतर्गत ट्रेडिंग (अर्थात् 28 नवंबर 2025 के रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश में सूचीबद्ध उद्देश्यों में से किसी के लिए भी धारित नहीं) के उद्देश्य के लिए धारित न किया हो.

The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion' i.e. the contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding on specified dates. Provided that on initial recognition, a bank may make an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading (i.e., not held for any of the purposes listed in RBI Master Direction dated November 28, 2025) under AFS.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(ख) एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य के अलावा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) के उद्देश्य के लिए धारित ऐसी ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं जिसमें बैंक का इरादा परिपक्वता तक धारित या परिपक्वता से पहले बिक्री के संबंध में लचीला है.

(b) AFS securities shall inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

(III) लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) / Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

ऐसी प्रतिभूतियों को एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा जो एचटीएम या एएफएस में शामिल करने के योग्य नहीं हैं. इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगी:

Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. These shall inter-alia include:

(क) (क) सहायक, सहयोगी संस्थाओं या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (ख) ऐसे इक्विटी शेयर जिनके प्रारंभिक निर्धारण पर एएफएस के रूप में वर्गीकृत करने का अविकल्पी चयन का उपयोग किया गया है, को छोड़कर इक्विटी शेयर

(a) Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.

(ख) म्यूच्युल फंडों, वैकल्पिक निवेश फंडों, स्थावर संपदा निवेश ट्रस्टों, बुनियादी संरचना निवेश ट्रस्टों, आदि में निवेश.

(b) Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.

(ग) ऐसे प्रतिभूतिकृत नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन के इक्विटी ट्रांच का निरूपण करते हैं. अधिमानी एवं अन्य गौण ट्रांचों में निवेश को एसपीपीआई मानदंड के संबंध में उनके अनुपालन की समीक्षा करने की जरूरत होगी.

(c) Investment in securitisation notes which represent the equity tranche of a securitisation transaction. Investments in senior and other subordinate tranches shall need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion.

(घ) बांड, डिबेंचर आदि जिनका भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क की बजाय विशिष्ट सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक में घट-बढ़ से जुड़ा होता है.

(d) Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

(ङ) वे प्रतिभूतियां जो एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हैं.

(e) Securities which are not eligible for classification either as HTM or AFS.

(IV) ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) /Held for Trading (HFT)

बैंक ने एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी के नाम से अलग उप-श्रेणी बनाई है. ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी), जो लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) की उप-श्रेणी हैं, में ऐसे सभी लिखत शामिल होंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 के अनुसार एचएफटी के विशेष विवरणों को पूरा करते हैं.

Bank has created a separate sub-category called HFT within FVTPL. Held for Trading (HFT), which is a sub-category of Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) and consist of all instruments that meet the specifications for HFT as per Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025.

(V) सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों (एसजेए) में निवेश
Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures (SJA)

सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है. ऐसे निवेश अन्य निवेश श्रेणियों (अर्थात् एचटीएम,एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग होते हैं.

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures are held in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

इ. अधिग्रहण लागत
C. Acquisition Cost

निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारण करने में: / In determining the acquisition cost of an investment:

(i) द्वितीयक बाज़ार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अधिग्रहण लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

(ii) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त / प्राप्त ब्याज को अधिग्रहण लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.
Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

(iii) एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी बट्टे या प्रीमियम जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हैं, को लिखत की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Any discount or premium on the acquisition of debt securities under HTM, AFS & FVTPL which pass SPPI criterion is amortised over the remaining life of the instrument.

(iv) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.
Cost is determined on the weighted average cost method.

ई. प्रारंभिक निर्धारण
D. Initial Recognition

सभी निवेशों को प्रारंभिक निर्धारण पर उचित मूल्य पर आंका जाता है. जब तक तथ्य और परिस्थितियां सुझाव नहीं देती कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से काफी भिन्न है, तो यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत उचित मूल्य है. जिन स्थितियों में अनुमान की जांच की जाती है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless fact and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value. Situations where the presumption is tested include:

(i) लेनदेन संबद्ध पक्षकारों (एनडीएस-ओएम पर किये गये लेनदेनों को छोड़कर) के बीच किया गया है.
The transaction is between related parties (excluding transactions carried out on NDS-OM).

(ii) लेनदेन दबाव के अंतर्गत किया गया है जिसमें एक पक्षकार को लेनदेन का मूल्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया है.
The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.

(iii) लेनदेन प्रतिभूति की उस श्रेणी के मूल बाज़ार के बाहर किया गया है.
The transaction is done outside the principal market for that class of securities.

(iv) अन्य स्थितियां जिनमें पर्यवेक्षक, तथ्य और परिस्थितियां अनुमान की जांच को न्यायसंगत ठहराती हैं.
Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.

नीलामी (डिवाल्वमेंट सहित) के जरिये अधिगृहीत सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित (एनडीएस-ओएम पर किये गये लेनदेनों को छोड़कर) स्विच परिचालन और खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) में जिस मूल्य पर प्रतिभूति आबंटित की जाती है, उसे प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य के लिए उचित मूल्य समझा जाता है.
In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted (Excludes transactions on NDS-OM.) by the RBI, the price at which the security is allotted is considered as the fair value for initial recognition purposes.

जहां प्रतिभूतियां क्वोट की जाती हैं या बाज़ार से सुस्पष्ट इन्पुट (जैसे प्रतिफल वक्र, ऋण स्प्रैड, आदि) के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया जा सकता है, उसे किसी भी दिन 1 के लाभ/हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय', 'निवेशों के पुनर्मल्यन पर लाभ' या 'निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि', जैसी भी स्थिति हो, के उप-शीर्षक के भीतर लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.
Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss is recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the sub-head 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

क) लेवल 3 के निवेशों से उत्पन्न किसी दिन 1 की हानि को तत्काल दर्शाया जाता है.
a) Any Day 1 loss arising from Level 3 investments recognised immediately.

ख) लेवल 3 के निवेशों से उत्पन्न किसी दिन 1 के लाभ को स्थगित कर दिया जाता है. ऋण लिखतों के मामले में दिन 1 के लाभ को परिपक्वता की तारीख (शाश्वत लिखतों के लिए सबसे पहली परिपक्वता पूर्व मोचन की तारीख) पर सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित कर दिया जाता है,जबकि अनुद्धृत इक्विटी लिखतों के लाभ को तब तक देयता के रूप में अलग रखा जायेगा जब तक प्रतिभूति सूचीबद्ध या अमान्य न हो जाये.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

b) Any Day 1 gains arising from Level 3 investments is deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be set aside as a liability until the security is listed or de-recognised.

उ. परवर्ती आकलन
E. Subsequent Measurement

(i) एचटीएम के लिए धारित प्रतिभूतियों को उनके लागत पर दिखाया जाता है और प्रारंभिक निर्धारण के बाद बाज़ार मूल्य पर अंकित करने (एमटीएम) के अधीन नहीं होती हैं. एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर किसी बट्टे/ प्रीमियम को लिखत की शेष बची अवधि में परिशोधित किया जाता है.

Securities held in HTM are carried at cost and not subjected to be marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount / premium on the securities under HTM are amortised over the remaining life of the instrument.

(ii) हालांकि रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में केवल एचएफटी पोर्टफोलियो के लिए दैनिक मूल्यांकन अनिवार्य है, बैंक इस प्रथा को अपने एएफएस ट्रेजरी निवेशों तक विस्तारित करता है. एएफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट या प्रीमियम, लिखत के शेष जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है. परिशोधित राशि अनुसूची 13 के अंतर्गत दर्शायी जाती है. एएफएस के तहत सभी अर्जक निवेशों के लिए निवल वृद्धि या कमी (लागू करों के प्रभाव के लिए समायोजित) को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एएफएस रिजर्व में जमा या नामे किया जाता है. एएफएस श्रेणी में ऋण लिखतों की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस रिजर्व में उस प्रतिभूति के संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व से अंतरित किया जाता है और अनुसूची 14: अन्य आय के तहत लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है. तथापि,एक बारगी अविकल्पी चयन का उपयोग कर एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत इक्विटी निवेशों के मामले में बिक्री पर लाभ को लाभ एवं हानि खाते के जरिये रूट किये बिना सीधे पूंजी रिज़र्व में जमा कर दिया जाता है. एएफएस रिज़र्व को सामान्य इक्विटी टियर (सीईटी) 1 पूंजी माना जाता है. एएफएस रिजर्व में अंतरित किए गए अप्राप्त लाभों को लाभांश और अतिरिक्त टियर 1 लिखतों पर कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए विचार नहीं किया जाता है. एएफएस रिजर्व में मान्यता प्राप्त लेवल 3 निवेशों पर निवल अप्राप्त लाभ को सामान्य इक्विटी टियर (सीईटी) 1 पूंजी से घटाया जाता है.

While RBI guidelines mandates daily valuation only for HFT portfolio, the bank extends this practice to its AFS treasury investments Any discount or premium on acquisition of debt securities under AFS are amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount reflected under Schedule 13. The net appreciation or depreciation (adjusted for the effect of applicable taxes) for all performing investments under AFS are directly credited or debited to AFS reserve without routing through the Profit & Loss Account. Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under Schedule 14: Other Income. However, in case of Equity investments classified under AFS using one-time irrevocable selection, the profit on sale are directly credited to Capital Reserve account without routing the same through P & L Account. AFS Reserve is reckoned Common Equity Tier (CET) 1 Capital. The unrealised gains transferred to AFS Reserve are not considered for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1 instruments. The net unrealised gains on Level 3 investments recognised in AFS Reserve is deducted from Common Equity Tier (CET) 1 Capital.

(iii) एफवीटीपीएल में धारित प्रतिभूतियां का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन से हुए निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ-हानि खाते में जमा या नामे किया जाता है. खरीद से अधिक बिक्री सहित एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत ऐसी प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और बाज़ार मूल्य पर आंकने के कारण हुए लाभ/हानि को एचएफटी पोर्टफोलियो को बाज़ार मूल्य पर आंकने से संबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

The securities held in FVTPL are fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities classified under the HFT sub-category within FVTPL, including the short position, are valued on a daily basis and account for the resultant mark to market gain/losses in to Profit & Loss account as per the relevant guidelines for marking to market of the HFT portfolio.

(iv) एफवीटीपीएल (गैर-एचएफटी) के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का एमटीएम मूल्यांकन मासिक आधार पर किया जाता है और निवल पुनर्मूल्यन लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में जमा/नामे किया जाता है.

MTM Valuation of Investments classified under FVTPL (Non-HFT) are valued on monthly basis and net revaluation gain / loss is credited/debited in Profit & Loss accounts.

(v) एक बार किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने पर, तो उसे शेष पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाता है और अर्जक पोर्टफोलियो के साथ मूल्यांकन लाभ और हानि की गणना में उसे शामिल नहीं किया जाता है. एनपीआई पर रखा जाने वाला प्रावधान निम्न में से अधिक माना जाता है: (1) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशि,जिसकी गणना निवेश के रखाव मूल्य पर की जाती है जो उसे एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले का है; और (2) एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर निवेश के रखाव मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यह्रास

Once an investment is classified as an NPI, it is segregated from rest of the portfolio and not considered for netting of valuation gains and losses with the performing portfolio. The provision to be held on an NPI is considered the higher of: (1) The amount of provision required as per IRACP norms computed on the carrying value of the investment immediately before it was classified as NPI; and (2) The depreciation on the investment with reference to its carrying value on the date of classification as NPI.

(vi) सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों (ऋण एवं इक्विटी सहित) को अधिग्रहण लागत पर धारित किया जायेगा. ऋण प्रतिभूतियों (जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं) के अधिग्रहण पर बट्टे और प्रीमियम को लिखतों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है.

All investments (including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost. Any discount and premium on the acquisition of the debt securities (that meet SPPI criterion) are amortised over the remaining life of the instruments.

ऐसे मामलों में जहां संस्था में पहले ही निवेश किया हुआ है जो सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम नहीं है और बाद में निवेशित संस्था सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम बन जाती है तो ऐसी संस्था के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख से संशोधित रखाव मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

In cases where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture, and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associates or joint venture, the revised carrying value as at the date of such entity becoming a subsidiary, associate or joint venture are determined as under:

क) जहां निवेश एचटीएम के अंतर्गत रखा हुआ था, रखाव मूल्य में से स्थायी अनर्जकता को घटाकर संशोधित रखाव मूल्य माना जाता है.

a) Where an investment was held under HTM, the carrying value less any permanent impairment is considered as revised carrying value.

ख) जहां निवेश एएफएस के अंतर्गत रखा हुआ था, एएफएस रिज़र्व में पूर्व में दर्शाये गये संचयी लाभ और हानियों को रिवर्स किया जाता है और संशोधित रखाव मूल्य निर्धारित करने के लिए निवेश के मूल्य में स्थायी कमी के साथ निवेश के रखाव मूल्य को समायोजित किया जाता है.

b) Where an investment was held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS Reserve are reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.

ग) जहां निवेश एफवीटीपीएल के अंतर्गत रखा हुआ था, निवेशित संस्था के सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख को उचित मूल्य को रखाव मूल्य के रूप में लिया जाता है.

c) Where an investment was held under FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming subsidiary, associate or joint venture is taken as the carrying value.

(vii) जब निवेशित संस्था सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम नहीं रहती है तो निवेशों को संबंधित श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments are classified to the respective categories as under:

क) जहां निवेश को एचटीएम में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, वहां रखाव मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है और इसके कारण कोई लेखांकन समायोजन नहीं किया जाता है.

a) Where the investment is reclassified into HTM, no change is made in the carrying value and consequently no accounting adjustment is made.

ख) जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, वहां ऐसे पुनःवर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य को संशोधित रखाव मूल्य माना जाता है. संशोधित और पूर्ववर्ती रखाव मूल्य के बीच अंतर को एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनः वर्गीकरण के मामले में क्रमशः एएफएस रिज़र्व और लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है.

b) Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification is considered as the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value is transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.

(viii) सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम के पुनः वर्गीकरण या निवेश की बिक्री से हुई आय / लाभ को पहले लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है और उसके बाद लाभ-हानि खाते से पूंजी रिजर्व खाते (कर एवं सांविधिक रिज़र्व में अंतरण को घटाकर) की लाइन के नीचे विनियोजित किया जाता है.

Any gain / profit arising on the reclassification / sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss account and then appropriated below the line (net of taxes and transfer to statutory reserves) from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve Account.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(ix) सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम में निवेश में ह्रास का परीक्षण कम से कम तिमाही आधार पर किया जाता है.
Investments in subsidiary, associate or joint venture are tested for impairment at least on quarterly basis.

ऊ. मूल्यांकन कार्य-प्रणाली
F Valuation Methodologies

(i) मूल्यांकन के सिद्धांत / Valuation Principles

क) बट्टाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.
a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.

ख) ट्रेड/ उद्धृत इक्विटी निवेशों के संबंध में बाज़ार मूल्य मान्याप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड/ भाव-सूची से लिया जाता है.
b) In respect of traded/ quoted equity investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the recognised stock exchanges.

ग) सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) का उचित मूल्यांकन/बाज़ार मूल्यांकन फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा निर्धारित मूल्य/प्रतिफल बेंचमार्क के अनुसार किया जाता है.
c) The Fair Valuation / Market valuation for the government securities (SLR) is performed in accordance with Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FBIL) prescribed price/yield benchmark.

घ) अनुद्धृत अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों के लिए जिनकी कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, ऐसी प्रतिभूतियों का उचित बाज़ार मूल्य, एफबीआईएल द्वारा जारी की गई समतुल्य परिपक्वता वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक मूल्य जोड़कर, वाईटीएम विधि लागू करके निकाला जाता है.
d) For Other unquoted approved government securities whose prices are not published by FBIL, the fair market value of such securities is arrived by applying the YTM method by marking them up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL.

ङ) ऐसे सभी साधारण डिबेंचर/बांड, जिनके लिए एफआईएमएमडीए की सिक्योरिटी लेवल वैल्यूएशन (एसएलवी) प्रकाशन में प्रतिभूति स्तर पर मूल्यांकन उपलब्ध है, उनके लिए प्रकाशित मूल्यों को ही अपनाया जाता है.
e) For all plain vanilla debentures / bonds where Security Level Valuation is available in FIMMDA Security level Valuation (SLV) publication, the prices as published are used.

च) ऐसे अन्य बॉण्ड एवं डिबेंचर तथा नियत आय वाली प्रतिभूतियाँ, जिनके एसएलवी मूल्य/क्रय-विक्रय मूल्य एफआईएमएमडीए/रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, के लिए ऐसी प्रतिभूतियों का उचित बाज़ार मूल्य, एफबीआईएल/ एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर उपयुक्त मार्क-अप लागू करके निर्धारित किया जाता है *(यह मार्क-अप, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिबेंचरों/बॉण्डों को प्रदान की गई रेटिंग तथा एफआईएमएमडीए एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है)*.
f) For other Bonds & Debenture and fixed income securities whose SLV prices/Traded prices are not published by FIMMDA/reporting portal, the fair market value of such securities is arrived by applying the appropriate mark-up *(The mark-up applied shall be determined based on the ratings assigned to the debentures / bonds by the credit rating agencies and FIMMDA & RBI guidelines)* over the YTM rates for Central Government Securities as put out by FBIL / FIMMDA.

छ) समाधान योजना के हिस्से के रूप में ऋण के परिवर्तन के जरिये अधिगृहीत सभी मौजूदा एलसीबी/जेडसीबी (जहां उधारकर्ता ऋण शोधन निधि बनाने में असफल रहा है) का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश *(वाणिज्यिक बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी निदेश, 28 नवंबर 2025)* के अनुसार ₹ 1 पर किया जाता है.
g) Valuation of all existing LCB/ZCB (where the borrower fails to build up the sinking fund) acquired through conversion of debt as a part of a resolution plan is carried out at Re. 1 as per the relevant RBI Master Direction. *(Commercial Banks - Resolution of Stressed Assets Directions, November 28, 2025)*.

ज) अश्रेणीकृत बांड के मार्क-अप के मूल्यांकन के लिए मार्क-अप समान परिपक्वता वाले श्रेणीकृत डिबेंचरों या बांडों पर लागू मार्क-अप से कम नहीं होता है ताकि बैंक द्वारा वहन ऋण जोखिम को प्रदर्शित किया जा सके.
h) For valuing the unrated bonds mark-up not less than the mark-up applicable to rated debentures or bonds of equivalent maturity applied so as to reflect the credit risk borne by the Bank.

झ) अनुद्धृत इक्विटी शेयर अर्थात् ऐसे इक्विटी शेयर जिनकी वर्तमान क्वोटेशन उपलब्ध नहीं हैं या जिनके भाव एक्सचेंज पर उपलब्ध न हो, उनका मूल्यांकन अलग-अलग मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो, पर विचार किये बिना), जो कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र से प्राप्त होगा, के आधार पर किया जाता है. नवीनतम तुलन-पत्र के बनाने की तारीख, मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए. यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों का मूल्यांकन रिजर्व बैंक के संबंधित मास्टर निदेश के अनुसार एक रुपया प्रति कंपनी पर किया जाएगा.

i) The unquoted equity shares i.e., equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the exchanges, are valued at break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest audited balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available, the shares are valued at Re.1 per company, as per the relevant RBI master direction.

ञ) अनुद्धृत एमएफ़ यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संदर्भ में एमएफ़ द्वारा हाल में घोषित किए गए पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाता है. ऐसी निधियाँ जो लॉक-इन अवधि के साथ हों या कोई अन्य फ़ंड जिसका पुनर्खरीद मूल्य/बाज़ार भाव उपलब्ध न हो, ऐसी यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है. यदि एनएवी उपलब्ध नहीं हो तो इनका मूल्यांकन लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक लागत के आधार पर किया जाता है.

j) Investment in un-quoted MF units are valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme. In case of funds with a lock-in period or any other fund, where repurchase price/ market quote is not available, units are valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these are valued at cost, till the end of the lock-in period.

ट) एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश को ऐसे निवेश के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना कर आवधिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है.

k) Investments by the Bank in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

बशर्ते कि बैंक द्वारा एआरसी को अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में बैंक निवेश करता है तो बैंक निवेश तब तक सतत आधार पर बहियों में दिखाता है जब तक उपर्युक्त एनएवी के आधार पर एसआर का शोधन मूल्य और अंतरण के समय अंतरित दबावग्रस्त ऋण की एनबीवी में जो कम हो पर अंतरण या वसूली नहीं हो जाती है.

Provided that when the Bank invests in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by it to the ARC, the Bank carries the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.

ठ) (अ) यदि अंतरणकर्ता द्वारा अंतरित ऋणों के बदले जारी एसआर में अंतरणकर्ता द्वारा निवेश अंतरित आस्ति के बदले जारी सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक है तब एसआर का मूल्यांकन निम्नलिखित में से कम पर विचार किया जाता है:

l) (A) If the investment by the transferor in SRs issued against loans transferred by it is more than 10 percent of all SRs issued against the transferred asset, then the valuation of the SRs is considered as the lower of the following:

i) क्लाज (i) के अनुसार निकाला गया मूल्य और / Value arrived at in terms of clause (i); and

ii) यदि ऋण अंतरणकर्ता की बहियों में जारी रहते हैं तो एसआर के अंकित मूल्य में लागू आनुमानिक प्रावधान दर घटाकर.
Face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the loans had continued on the books of the transferor.

ड) उद्धृत अधिमानी शेयरों को बाज़ार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत/ ट्रेड न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता आधार पर उपयुक्त प्रतिफल के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है.

m) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per the RBI guidelines.

ढ) अनुद्धृत उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ़)/वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ)/ बुनियादी संरचना निवेश न्यास /रियल एस्टेट निवेश न्यास में निवेश का वर्गीकरण रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एफवीटीपीएल गैर-एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत बैंक के विवेक पर किया जाता है और एनएवी पर मूल्यांकन किया जाता है. जहां कोई एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के अंतर्गत निर्धारित आवृत्ति के अनुसार अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और उसका प्रकटीकरण करने में विफल रहता है, वहां यूनिटों का मूल्यांकन, उपलब्ध होने की स्थिति में वीसीएफ/एआईएफ के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया जाएगा अथवा, रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति वीसीएफ/एआईएफ ₹ 1 के मूल्य पर किया जाएगा.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

n) Investments in unquoted Venture Capital Fund (VCF)/Alternate Investments Funds (AIFs)/ InVITs / REITs are categorised, at the discretion of the Bank, under FVTPL Non-HFT category in accordance with the RBI guidelines and valued at NAV. Where an AIF fails to carry out and disclose the valuation of its investments as per the frequency mandated by SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, the units are valued based on the latest audited financials of the VCF/AIF if available or else at Re 1 per VCF/AIF as per the RBI guidelines.

ण) पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एचटीएम श्रेणी में धारित किए जाते हैं तथा लागत पर दर्शाये जाते हैं.

o) PTC investments are presently held only under HTM category and are carried at Cost.

त) दिनांक 28 नवंबर 2025 के मास्टर निदेश के अनुसार बैंकों को निदेशक मंडल की अनुमति के बिना निवेशों की श्रेणियों (अर्थात् एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनःवर्गीकरण की अनुमति नहीं है. इसके अलावा, ऐसे वर्गीकरण के लिए पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन की भी जरूरत है.

p) As per Master Direction dated November 28, 2025, Banks are not allowed to reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of Board of Directors. Further, such reclassification also requires the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.

उत्तरवर्ती पुनः वर्गीकरण के लिए, बैंक दिनांक 28 नवम्बर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन) निदेश, 2025 के अंतर्गत श्रेणियों के मध्य पुनःवर्गीकरण से संबंधित अध्याय VII में निर्दिष्ट पुनः वर्गीकरण लेखांकन का अनुपालन करेगा.
For subsequent reclassification, Bank shall follow reclassification accounting stipulated under Chapter VII on Reclassification between categories of Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 dated November 28, 2025

ए. अनर्जक निवेश
G. Non-Performing Investments

अनर्जक निवेशों की पहचान की जाती है तथा उन पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है. ऐसे अनर्जक निवेश की मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास से समायोजित नहीं किया जाता है. जब तक अनर्जक निवेशों पर आय प्राप्त नहीं होती तब तक लाभ-हानि खाते में दर्शाया नहीं जाता है.
Non-performing investments are identified and provisions are made thereon based on the RBI guidelines. The appreciation/ depreciation on such non-performing investments are not set off against the appreciation/ depreciation in respect of other performing securities. Income on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss Account until it is realised.

ऐ. अधिविक्रय
H. Short Sale

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में अधिविक्रय करता है. अधिविक्रय स्थितियों को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
The Bank undertakes short sale transaction in Central Government dated securities in accordance with the RBI guidelines. The short positions are categorized under HFT category.

ओ. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन
I. Repo and reverse repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः संपार्श्विकृत उधार लेने व उधार देने वाले लेन-देनों के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देनों पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देनों पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In accordance with the RBI guidelines, repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with the RBI) are reflected as collateralized borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

7) डेरिवेटिव लेन-देन / Derivative Transactions

डेरिवेटिव लेन-देनों में वायदा संविदाएँ, स्वैप, विकल्प और एक्सचेंज में क्रय-विक्रय डेरिवेटिव उत्पाद शामिल हैं जिनका प्रकटन आकस्मिक देयताओं के रूप में किया जाता है. वायदा, स्वैप और विकल्पों को ट्रेडिंग या हेज लेन-देन, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Derivative transactions comprise of forward contracts, swaps, options and exchange traded derivative products which are disclosed as contingent liabilities. The forwards, swaps and options are categorized as trading or hedge transactions, as the case may be.

बैंक विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के बारे में लेखांकन मानक 11 के सिद्धांत का अनुसरण करता है.
Bank follows the principle of Accounting Standard 11 on The Effects of Change in Foreign Exchange Rates.

बैंक भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी डेरेवेटिव संविदाओं के लिए लेखांकन के बारे में निर्देशन नोट (संशोधित 2021), उक्त निर्देशन नोट के अनुच्छेद 63 (जिसमें तुलन-पत्र में दर्शाई गई डेरिवेटिव आस्तियों एवं देयताओं को चालू एवं गैर-चालू आधार पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है) को छोड़कर, की अपेक्षाओं का भी अनुपालन करता है. बैंक दिनांक 28 नवंबर 2025 के वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निदेश), 2025 के बारे में रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश, के पैरा 109 के अनुसार अपनी डेरिवेटिव आस्ति एवं देयताओं को क्रमशः अनुसची 11: 'अन्य आस्तियां' और अनुसूची 5:'अन्य देयताएं' के अंतर्गत अलग मद के रूप में दर्शाता है.
Bank also complies with the requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India except for paragraph 63 (which requires presentation of Derivative assets and liabilities recognized on the balance sheet on current and non-current basis) of the said Guidance Note. Bank presents its derivative asset and liabilities as separate line items under Schedule 11: 'Other Assets' and Schedule 5: 'Other Liabilities' respectively, in accordance with para 109 of the RBI Master Circular - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025 dated November 28, 2025.

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में: / In Transactions designated as 'Hedge':

बैंक का 31 मार्च 2026 को कोई सक्रिय हेज लेनदेन नहीं है. / Bank has no active Hedge trade as on March 31, 2026.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में: / In Transactions designated as 'Trading':

क) 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है.

a) Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

ख) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंडों में ट्रेडिंग के रूप में नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन्स और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत में निपटान की तारीख को लाभ एवं हानि खाते में अंतरित किया जाता है.

b) Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

ग) 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित रुपया डेरिवेटिव पर आय को वसूली आधार पर लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है.

c) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading" is recognised in the Profit and Loss Account on realisation basis.

घ) डेरिवेटिव संविदाओं के अंतर्गत किसी भी प्राप्यराशि, जो 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ एवं हानि खाते के जरिये 'उचंत खाता निश्चित प्राप्यराशियां' में रिवर्स किया जाता है.

d) Any receivable under derivative contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through Profit and Loss Account to "Suspense Account Crystallised Receivables".

8) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार का प्रमाण-पत्र / Priority Sector Lending Certificates

बैंक प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र को उधार के प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) के क्रय या विक्रय के लेन-देन करता है. बिक्री लेन-देन के मामले में, बैंक रिज़र्व बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफ़ार्म पर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार दायित्वों को पूरा करने की बिक्री करता है और खरीद लेनदेन के मामले में, बैंक प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र को उधार दायित्वों को पूरा करने का क्रय करता है. जोखिम या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं होता है. पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को विविध आय के रूप में दर्शाया जाता

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

है और पीएसएलसी की खरीद के लिए अदा किए गए शुल्क को अन्य व्यय के रूप में लाभ-हानि खाते में रिकॉर्ड किया जाता है. इनको प्रमाण-पत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.

The Bank enters into transactions for the sale or purchase of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs). In the case of a sale transaction, the Bank sells the fulfilment of priority sector obligation and in the case of a purchase transaction the Bank buys the fulfilment of priority sector obligation through the RBI trading platform. There is no transfer of risks or loan assets. The fee received for the sale of PSLCs is recorded as miscellaneous income and the fee paid for purchase of the PSLCs is recorded as other expenditure in Profit and Loss Account. These are amortised over the period of the Certificate.

9) अचल आस्तियां और मूल्यह्रास (संपत्ति संयंत्र और उपकरण)
Fixed Assets and Depreciation (Property Plant and Equipment)

(i) अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर दिखाया जाता है. परिसर का पुनर्मूल्यन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि पर दिखाया जाता है.

Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and the RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

(ii) पट्टेधृत परिसरों में सुधारों को पट्टे की बची हुई प्राथमिक अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया जाता है.

Improvements to lease hold premises are depreciated over the remaining primary period of lease.

(iii) आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने के बाद आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.

Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

(iv) पुनर्मूल्यन पर मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में जमा किया जाता है.

The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

(v) अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत या आस्तियों के पुनर्मूल्यन के मामले में पुनर्मूल्यित राशि पर सीधी रेखा पद्धति द्वारा की जाती है.

Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

(vi) पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.

In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

(vii) ₹ 5000/- से कम लागत की एकल अचल आस्तियों को पहले पूंजीकृत किया जाता है और फिर उनके परिवर्धन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है क्योंकि बैंक इससे आगामी वर्षों में आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं करता है.

Fixed assets individually costing less than ₹ 5,000/- are first capitalized and then fully depreciated in the year of addition as the bank do not expect economic benefit over the period of years.

(viii) मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग-सी के अंतर्गत निर्धारित रूप में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान विनिधानित किया जाता है. उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, किसी अचल आस्ति के अधिग्रहण करते समय उस अचल आस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.

Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.

(ix) वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास का प्रावधान आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए किया जाता है.

Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.

(x) अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति / Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में) / Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन / Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर एवं फिक्सचर a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर a) Personal Computers	3

(xi) पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है. पट्टेधृत सुधारों को उसी आस्ति श्रेणी में पूंजीकृत तथा पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease. Leasehold improvements are capitalized in the same asset category and amortized over period of lease.

(xii) प्रत्येक ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और 6 वर्ष से अनधिक अवधि में इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है.
Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 lacs is capitalized and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

10) प्रतिभूतीकरण लेन-देन / Securitisation Transactions

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं ('एसपीवी') को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक बिक्री पर होने वाली हानि का लेखा-जोखा बिक्री के समय ही कर लेता है और बिक्री के परिणामस्वरूप हुए लाभ/प्रीमियम को उस एसपीवी द्वारा, जिसे आस्तियां बेची गई हैं, जारी की गई अथवा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.
Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control over the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold.

11) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री
Sale of Financial assets to Asset Reconstruction Companies (ARCs)

प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है.
Sale of financial assets to Securitization Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs) / Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

आस्तियों की बिक्री, जिसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाला गया है, के मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की गणना बैंक की निवेश बही में एक रुपये मान कर की जाती है.
In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

जब एक दबावग्रस्त ऋण एआरसी को अंतरण के समय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर अंतरित किया जाता है तो बैंक कमी की राशि को लाभ-हानि खाते में उस वर्ष में नामे करता है जिसमें अंतरण किया जाता है. जब अंतरण एनबीवी से कम मूल्य पर किया जाता है तो बैंक को दबावग्रस्त ऋण के अंतरण में कमी को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय या अस्थिर प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति है.
When the stressed loan is transferred to ARC at a price below the Net Book Value (NBV) at the time of transfer, the bank debits the shortfall to the profit and loss account for the year in which the transfer has taken place. Bank is permitted to use countercyclical or floating provisions for meeting any shortfall on transfer of stressed loan when the transfer is at a price below the NBV.

जब एक दबावग्रस्त ऋण एआरसी को अंतरण के समय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर अंतरित किया जाता है तो बैंक अंतरण पर आधिक्य प्रावधान को लाभ-हानि खाते में उस वर्ष में रिवर्स करता है जिसमें राशियां प्राप्त होती हैं और ऐसा तब किया जाता है जब प्रारंभिक प्रतिफल और/या मोचन या प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/पास थ्रू प्रमाणपत्रों (पीटीसी)/एआरसी द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्त नकदी का योग अंतरण के समय ऋण की एनबीवी से अधिक हो. इसके अलावा, ऐसा रिवर्सल उस सीमा तक सीमित रहता है जितनी अंतरण के समय प्राप्त नकदी ऋण की एनबीवी से अधिक है.
When the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, Bank reverses the excess provision on transfer, to the profit and loss account in the year in which the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs) / other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of transfer. Further, such reversal is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer.

उपर्युक्त के बावजूद, यदि विक्रय प्रतिफल में केवल नकद तथा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत एसआर शामिल हों, तो बैंक अंतरण के वर्ष में संपूर्ण आधिक्य प्रावधान [अर्थात् विक्रय प्रतिफल(-) एनबीवी] को लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर सकता है.
Notwithstanding the above, the bank can reverse the entire excess provision [viz. sale consideration (-) NBV] to the Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by the Government of India.

बशर्ते कि, आधिक्य प्रावधान का गैर-नकद घटक [अर्थात् आधिक्य प्रावधान(-)अंतरण के समय प्राप्त नकद] को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा तथा इस घटक से कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा.
Provided that, the non-cash component of the excess provision [viz. Excess provision (-) cash received at the time of transfer] shall be deducted from CET 1 capital, and no dividends shall be paid out of this component.

12) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के अलावा अन्य अंतरिती को वित्तीय आस्तियों की बिक्री
Sale of Financial assets to transferee other than Asset Reconstruction Companies (ARCs)

संपूर्ण अंतरण प्रतिफल ऋण अंतरण के समय ही प्राप्त किया जायेगा और ऋण को बैंक की बही से संपूर्ण अंतरण प्रतिफल प्राप्त होने पर ही हटाया जा सकता है.
The entire transfer consideration will be received not later than at the time of transfer of loans, and the loan can be taken out of the books of the Bank only on receipt of the entire transfer consideration.

यदि एआरसी के अलावा अन्य किसी अंतरिती को ऋण का अंतरण, अंतरण के समय निवल एनबीवी से कम मूल्य पर किया जाता है तो कमी को लाभ-हानि खाते में उस वर्ष नामे किया जाता है जिस वर्ष अंतरण किया जाता है.
In case of loan transfer to transferee(s) other than ARCs is at a price below the net NBV at the time of transfer, the shortfall is debited to the profit and loss account of the year in which transfer has taken place.

यदि अंतरण प्रतिफल अंतरण के समय एनबीवी से अधिक मूल्य है तो आधिक्य प्रावधान को रिवर्स किया जाये.
If the transfer consideration is for a value higher than the NBV at the time of transfer, the excess provisions may be reversed.

13) विदेशी मुद्रा लेन-देन / Foreign Currency Transactions:

(i) विदेशी मुद्रा लेन-देनों को आरंभिक अभिनिर्धारण पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.
Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

(ii) अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्यांकन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(iii) वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों को समाप्ति की तारीख पर लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है.

Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts are recognized in the statement of profit & loss on the date of termination

(iv) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.

Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

(v) विदेशी शाखा के परिचालनों को 'गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है. मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों की विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों दोनों को तुलन-पत्र की तारीख को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है. आय और व्यय मदों को त्रैमासिक औसत दरों पर रूपान्तरित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप विनिमय अंतरों से उत्पन्न लाभ/ हानि को गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण खाते में संचित किया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as 'Non-Integral Foreign Operations'. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the Balance Sheet date, Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates and the resulting profit / loss arising from exchange differences are accumulated in the Foreign Currency Translation Account until disposal of the non-integral foreign operations.

14) कर्मचारी लाभ: / Employee Benefits:

(i) पेंशन / Pension

परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों के समूह को देय पेंशन के संबंध में, बैंक अपने द्वारा स्थापित और न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित पेंशन फंड ट्रस्ट को वेतन का 10% अंशदान देता है. बैंक प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर पेंशन देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता की कमी के लिए अतिरिक्त राशि का अंशदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, छोड़ने की दर, मृत्यु दर और भुनाई दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि में दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

In respect of Pension payable to the group of employees who are eligible for Pension under Defined Benefit Scheme, Bank contributes 10% of pay to Pension Fund Trust set up by the Bank and administered by the Board of Trustees. Bank further contributes for an additional amount towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial valuation of Pension liability at each Balance Sheet date which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gins or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(ii) नई पेंशन योजना (एनपीएस) / New Pension Scheme (NPS)

नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल किए गए कर्मचारियों के संबंध में, बैंक परिभाषित अंशदान योजना में कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते का 14% परिभाषित योजना में अंशदान देता है, जिसे पेंशन फंड कंपनियों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है. बैंक का इसमें अंशदान के अलावा कोई दायित्व नहीं है और इस तरह के अंशदान को उस वर्ष में किया गया खर्च माना जाता है जिसमें यह होता है.

In respect of the employees covered under New Pension Scheme (NPS), Bank contributes 14% of the Pay plus Dearness Allowance of employees to the defined scheme, a defined contribution plan, which is managed and administered by Pension Fund companies. Bank has no liability other than its contribution and recognizes such contribution as an expense in the year of incurrence.

(iii) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ / Compensated Absences

बैंक के कर्मचारी विभिन्न क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के हकदार हैं. कर्मचारी अप्रयुक्त उपार्जित क्षतिपूरित अनुपस्थिति के एक हिस्से को आगे ले जा सकते है और इसका उपयोग भविष्य की अवधि में कर सकते है या निर्दिष्ट दिनों की संख्या तक कुछ प्रकार के अप्रयुक्त उपार्जित क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति पर नकद क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है. एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा तुलन-पत्र की तारीख को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैंक क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए देयता उपार्जित करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, वेतन वृद्धि, ब्याज दर और छुट्टी का उपयोग करना शामिल है. बैंक के दायित्व के निवल वर्तमान मूल्य का निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके किया जाता है.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

बीमांकिक लाभों/ हानियों को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है, जिस वर्ष वे उत्पन्न होते हैं.

The employees of the Bank are entitled to various compensated absences. The employees can carry forward a portion of the unutilized accrued compensated absence and utilize it in future periods or receive cash compensation at retirement or termination of employment for certain types of unutilized accrued compensated absence upto specified number of days. The Bank accrues the liability for compensated absences based on the actuarial valuation as at the Balance Sheet date conducted by an independent actuary which includes assumptions about demographics, early retirement, salary increases, interest rates and leave utilization. The net present value of the Banks' obligation is determined using the Projected Unit Credit Method as at the Balance Sheet date. Actuarial gains / losses are recognized in the Profit and Loss Account in the year in which they arise.

(iv) स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) / Voluntary Health Scheme (VHS)

बैंक की एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) है जो कर्मचारियों की विभिन्न ग्रेड के लिए निर्धारित सीमा (घरेलू और अस्पताल में भर्ती) के अनुसार कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी और आश्रित बच्चों (जैसा लागू हो) की, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती है. यह योजना वैकल्पिक थी और सदस्यता के लिए बंद कर दी गई है. इसके अलावा, बैंक तुलन पत्र की तारीख को इस योजना के लिए एक स्वतंत्र बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर कमी राशि के लिए एक अतिरिक्त राशि के लिए योगदान देता है, जिसकी गणना अवधि में फंड के वास्तविक उपयोग और उन लोगों के लिए शेष सीमा के आधार पर की जाती है जिन्होंने योजना में अंशदान किया है.

The Bank has a Voluntary Health Scheme (VHS) which caters to the post-retirement medical needs of the employees and their spouse & dependent children (as applicable) as per the limits (domiciliary and hospitalization) set for various Grades of employees. This scheme was optional and has been closed for subscription. Further, Bank contributes for an additional amount towards the shortfall amount based on an independent actuarial valuation for this scheme as on Balance Sheet date which is calculated based on the actual utilization of the fund for the period and the balance limits for those who have subscribed to the scheme.

(v) ग्रेच्युटी / Gratuity

ग्रेच्युटी के रूप में बैंक का एक दायित्व है जो एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस्तीफा, सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर दिया जाता है. बैंक आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में अंशदान देता है, जिसे ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित किया जाता है.

The Bank has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering all eligible employees on resignation, retirement, death while in employment or on termination of employment. The Bank makes contributions to IDBI Bank Employees' Gratuity Fund Trust, administered by the Trustees.

कार्यपालक श्रेणी के कर्मचारी (ईएसओ) तथा विशेषज्ञ वर्तमान में संविदा आधार पर संलग्न हैं तथा संहिता के प्रावधानों के अनुरूप उन्हें निश्चित अवधि के कर्मचारी (एफ़टीई) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, ये कर्मचारी, स्थायी कर्मचारियों के लिए निर्धारित पाँच वर्ष की सेवा अवधि की तुलना में, एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे. तदनुसार, ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान नई श्रम संहिता, 2026 के अनुसार निर्दिष्ट पद्धति के आधार पर की गई वेतन गणना के आधार पर (जहाँ लागू हो) बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिससे प्रावधान निर्धारण के प्रयोजनों हेतु विचारित मजदूरी की परिभाषा के साथ सामंजस्य सुनिश्चित किया जाता है.

Employee in the Executive Cadre (ESO) and Experts are currently engaged on contract and will be classified as Fixed Term Employee (FTE), in line with the provision of the Code and are eligible for Gratuity upon completion of one year of service, as against five years for permanent employees. Accordingly, the provision towards Gratuity is made based on the wage computation derived under the methodology indicated as per New Labour Code, 2026 is determined through actuarial valuation (as applicable), ensuring alignment with the wage definition considered for provisioning purposes.

जिन कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है लेकिन 10 साल से कम हो, उन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है. ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए ग्रेच्युटी अधिनियम के नियमों के अलावा बैंक के पास ग्रेच्युटी नियम, 2004 का एक अलग सेट है. ग्रेच्युटी नियम, 2004 उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्होंने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना के लिए एक अलग पद्धति है. ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी अधिनियम और ग्रेच्युटी नियम दोनों के अनुसार की जाती है और जो भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद हो, उसका भुगतान किया जाता है.

The employees who have completed 5 years of service but less than 10 years, Gratuity is paid as per Gratuity Act. Bank has a separate set of Gratuity Rules, 2004 apart from the rules as per Gratuity Act for payment of Gratuity. The Gratuity Rules, 2004 are applicable to those employees who have completed 10 years of service period and has a separate methodology for calculation of Gratuity. For such employees gratuity is calculated as per both Gratuity Act and Gratuity Rules and are paid the amount whichever is beneficial to employee.

बैंक त्रैमासिक आधार पर ग्रेच्युटी देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता में कमी के लिए अंशदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, छोड़ने की दर, मृत्यु दर और भुनाई दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/

परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

Bank contributes towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial Valuation of Gratuity liability on a quarterly basis which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(vi) **भविष्य निधि / Provident Fund**

बैंक एक अलग ट्रस्ट (आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट) को वेतन का 10 प्रतिशत अदा करता है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है. वर्ष में निधि में अंशदान को खर्च माना जाता है और लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसा नियत अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिलाभ दर (ईपीएफओ दरों) सुनिश्चित करना है. ईपीएफओ की प्रतिलाभ दर की तुलना में निधि की आस्तियों में कमी, यदि कोई हो, जो स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उसकी पूर्ति बैंक द्वारा की जाती है और उसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

The Bank pays 10% of Pay to a separate trust (IDBI Bank Employees Provident Fund Trust), which invests the funds in permitted securities. The contributions to the fund for the year are recognized as expense and are charged to the Profit and Loss Account. The obligation of the Bank is to make such fixed contributions and to ensure a minimum rate of return to the members as specified by the Government of India (EPFO rates). Shortfall in the fund assets to match EPFO rate of return, if any, determined based on the independent actuarial valuation, is made good by the bank and charged to the Profit and Loss Account.

(vii) **अन्य दीर्घकालिक लाभ / Other Long Term Benefits**

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी) और दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजनाएं जैसे ईएसओपी के बदले नकदी शामिल हैं. बैंक की देयता उपचित होती है और रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग कर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है. बीमांकिक पूर्वानुमानों में परिवर्तन के प्रभाव के कारण बीमांकिक लाभ या हानि, जो भी हो, को उनके उत्पन्न होने की अवधि में लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Other long term employee benefits include Leave Fare Concession (LFC) and long term incentive plans like cash in-lieu of ESOPs. The Bank's liability is accrued and provided for on the basis of an actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method at the end of the reporting period. Actuarial gains or losses, if any, due to the effects of changes in actuarial assumptions are accounted for in the Profit and Loss Account, as the case may be, in the period in which they arise.

15) खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

बैंक चार खंडों अर्थात कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, ट्रेजरी और अन्य बैंकिंग सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति और जोखिम रूपरेखा पर विचार करने के बाद खंड रिपोर्टिंग के बारे में लेखांकन मानक-17, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Bank operates in four segments corporate/wholesale banking, retail banking, treasury and other banking operation. These segments have been identified in line with extant RBI guidelines and AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु पहचाननेयोग्य राशियां और आबंटित राशि शामिल है. जो आस्तियां एवं देयताएं पहचाननेयोग्य खंडों में आबंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अनाबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में समूहित किया जाता है

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities

16) आयकर / Income Tax

(i) कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल हैं.

Tax expense comprises of current and deferred tax.

वर्तमान कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार परिकलित अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है.

Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

(ii) चालू वर्ष की लेखांकन आय और करयोग्य आय के बीच समय अंतरालों के प्रभाव और आगे लाई गई हानियों पर विचार कर आस्थगित कर निर्धारित किया जाता है, इसके लिए तुलनपत्र की तारीख को पूर्ण रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग किया जाता है. समय अंतरालों से उत्पन्न होने वाली

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उनकी भविष्य में वसूली की उचित निश्चितता हो.

Deferred tax is recognized considering the impact of timing differences between the accounting income and taxable income for the current year and carry forward of losses, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

(iii) अनवशोषित मूल्यह्रास/ कर हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी हिसाब में ली जाती हैं जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.

Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ tax losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

(iv) आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और उचित / आभाषी रूप से निश्चित वसूल होने वाली राशि को समुचित रूप से समायोजित किया जाता है.

Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/ virtually certain to be realized.

17) पट्टे / Leases

(i) पट्टे/ किराए के आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ निरसनीय हैं.

The properties taken on lease rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

(ii) बैंक के द्वारा किए गए पट्टे करार सहमत अवधि के लिए होते हैं जिनमें लीज अवधि के दौरान भी आपसी सहमति वाला लिखित नोटिस देकर समाप्त करने का विकल्प होता है.

The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed notice in writing.

(iii) परिचालन पट्टे के लिए अदा किये गये पट्टे किराये को उसी वर्ष के लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिससे यह संबंधित है.

Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates.

(iv) परिचालन पट्टे के संबंध में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे विधिक लागत, दलाली लागत, आदि को तत्काल खर्च के रूप में लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है.

Initial direct costs in respect of operating leases such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognized as expense immediately in the Profit and Loss Account

18) प्रति शेयर अर्जन / Earnings Per Share

(i) बैंक एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर अर्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

(ii) प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या इक्विटी शेयरों में परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के योग, जहां परिणाम न्यूनीकृत विरोधी हों के सिवाय, से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted to equity shares during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year except where the results are anti-dilutive.

19) आस्तियों का ह्रासित होना / Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि वसूलीयोग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों के ह्रासित होने की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य और उपयोग में मूल्य की आस्ति की रखाव राशि से तुलना द्वारा किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां ह्रासित मानी गई हों तो निर्धारित किये जाने वाले ह्रास को उस आस्ति की रखाव राशि से उसके अनुमानित वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है. दावों के निपटान से प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियों के ह्रास की समीक्षा केवल तब की जाती है जब ह्रास के संकेत स्पष्ट दिखें.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use. Non-banking assets acquired in settlement of claims are reviewed for impairment only when the indications of impairment are evident.

20) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(i) एएस 29 - प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के अनुरूप बैंक प्रावधानों को तभी हिसाब में लेता है जब अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप उस पर वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है, यह संभावना है कि दायित्व को चुकाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(ii) प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at each balance sheet date.

(iii) किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह आभाषी रूप से सुनिश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

(iv) आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

(v) आकस्मिक देयता का प्रकटन निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है:

A disclosure of contingent liability is made when there is:

- जब संभाव्य दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना बहुत कम न हो, या
  a possible obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is not remote; or
- किसी विगत घटना से वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हो रहा है जिसे माना नहीं गया है क्योंकि इस बात की संभाव्यता नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता.
  a present obligation arising from a past event which is not recognized, as it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.
- जब कोई संभाव्य दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है.
  When there is a possible obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

(vi) जहां यह संभावना हो कि विवादित करों के संबंध में वर्तमान दायित्व मौजूद है तो प्रावधान किया जाता है. जहां यह संभावना नहीं है कि वर्तमान दायित्व मौजूद है, बैंक तब तक आकस्मिक देयता का प्रकटन करता है जब तक गत कर निर्धारण के संबंध में अभिमत/विभिन्न न्यायिक निर्णयों, स्वीकार करने के लिए लंबित

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अपील, मामले की योग्यता/तथ्यों, लागू कर कानूनों के प्रावधानों और अन्य संबद्ध न्यायिक निर्णयों के आधार पर संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम न हो, जिसके लिए कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है.

Where it is probable that a present obligation exists in respect of disputed taxes, a provision is made. Where it is not probable that such a present obligation exists, the bank discloses a contingent liability, unless the possibility of an outflow of resources is remote, based on opinions/ various judicial decisions in respect of past assessment, appeals pending admission, merits/facts of the case, the provisions of applicable Tax Laws and other relevant judicial decisions, where in no provision or disclosure is made.

(vii) दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान तब किये जाते हैं जब संविदा से बैंक को होने वाले संभावित लाभ संविदा के अंतर्गत भावी दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागतों से कमतर हों. प्रावधान का आकलन संविदा को समाप्त करने पर संभावित लागत और संविदा को जारी करने की संभावित निवल लागत के वर्तमान मूल्य में से कमतर पर किया जाता है. प्रावधान का निर्धारण करने से पहले बैंक उस संविदा से संबद्ध आस्तियों की किसी ह्रासित हानि की पहचान करता है.

Provisions for onerous contracts are recognized when the expected benefits to be derived by the Bank from a contract are lower than the unavoidable costs of meeting the future obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Bank recognizes any impairment loss on the assets associated with that contract.

21) लाभांश का लेखांकन / Accounting for Dividend

लेखांकन मानक (एएस) 4 ''तुलनपत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं एवं घटनाएं'' के अनुसार, बैंक प्रस्तावित लाभांश या तुलनपत्र की तारीख के बाद घोषित लाभांश को चालू वर्ष के तुलनपत्र में लाभ-हानि खाते से विनियोजन के जरिये देयता के रूप में नहीं दिखाता है. इसे लेखों पर टिप्पणियों में प्रकटित किया जाता है. इसे शेयरधारकों के अनुमोदन वाले वर्ष में दिखाया जाता है. तथापि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए पूंजी निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश को बैंक हिसाब में लेता है.

In terms of Accounting Standard (AS) 4 "Contingencies and Events occurring after the Balance sheet date" the Bank does not account for proposed dividend or Dividend declared after balance sheet date as a liability through appropriation from profit and loss account in current year balance sheet. This is disclosed in the notes to accounts. The same is recognized in the year of approval of shareholders. However, the Bank reckons proposed dividend in determining capital funds in computing the capital adequacy ratio.

22) नकदी एवं नकदी समतुल्य /Cash & Cash equivalents

नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, रिज़र्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है.

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

23) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व / Corporate Social Responsibility

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए किए गए व्यय को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013, is recognised in the Profit and Loss Account.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुसूची 18 - लेखों पर टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO ACCOUNTS

अ. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रकटन
A. DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

1. विनियामक पूंजी / Regulatory Capital

क) विनियामक पूंजी की संरचना
a) Composition of Regulatory Capital

बैंक के जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात ('पूंजी पर्याप्तता अनुपात') की गणना बासेल III पूंजी विनियम (बासेल III) के बारे में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है. बासेल III के अंतर्गत बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना नीचे दी गई है:
The Bank's capital to risk-weighted assets ratio ('Capital Adequacy Ratio') is calculated in accordance with the RBI guidelines on Basel III capital regulations ('Basel III'). The Bank's capital adequacy ratio computed under Basel III is given below:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	57,052	45,492
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / Additional Tier 1 capital	-	-
(iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii) / Tier 1 capital (i + ii)	57,052	45,492
(iv)	टियर 2 पूंजी / Tier 2 capital	2,446	2,978
(v)	कुल पूंजी (टियर 1+ टियर 2) / Total capital (Tier 1+Tier 2)	59,498	48,470
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) Total Risk Weighted Assets (RWAs)	223,246	1,93,485
(vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	25.56%	23.51%
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	25.56%	23.51%
(ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	1.10%	1.54%
(x)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	26.65%	25.05%

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
(xi)	लिवरेज अनुपात / Leverage Ratio	10.51%	9.59%
(xii)	निम्नलिखित की शेयर धारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of		
	क) भारत सरकार a) Government of India	45.48%	45.48%
	ख) राज्य सरकार b) State Government	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ग) प्रायोजक बैंक c) Sponsor Bank	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि Amount of paid-up equity capital raised during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि Amount of Tier 2 capital raised during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र सं. डीओआर.सीएपी.आरईसी.130/21.06.201/2025-26 के द्वारा सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के उद्देश्य के लिए पूनर्मूल्यन रिज़र्व/ विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व/डीटीए पर विचार करने हेतु बैंकों को विवेकाधिकार दिया है. बैंक ने उपर्युक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है.
RBI vide circular no DOR.CAP.REC.130/21.06.201/2025-26 dated November 28, 2025 has given discretion to Banks to consider Revaluation Reserve/ Foreign Currency Translation Reserve/ DTA for the purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के लिए निवल लाभ को सीईटी-1 पूंजी माना गया है. इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए CET-1 पूंजी में वृद्धि हुई.
Net Profit for the current financial year is considered in CET-1 capital in accordance with extant RBI guidelines. This had resulted in increase in CET-1 capital for period ending March 31, 2026.

ख) आरक्षित निधियों में कमी
b) Draw Down from Reserves

बैंक ने 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों में कोई कमी नहीं की है.
The Bank has not undertaken any drawdown from reserves during the year ended March 31, 2026 and March 31, 2025.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

2. आस्ति देयता प्रबंधन
Asset Liability Management

क) 31 मार्च 2026 को आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप
a) Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on March 31, 2026

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां# / Deposits #	3,742	9,008	5,075	10,518	14,441	14,011	18,291	54,244	1,77,119	18,563	22,151	3,47,163
अग्रिम# / Advances #	763	2,349	2,413	6,168	7,595	6,065	11,772	12,132	1,08,494	21,916	73,958	2,53,626
निवेश / Investments	41,172	8,350	2,574	6,146	1,856	3,163	6,106	14,258	28,328	5,055	11,004	1,28,011
उधार राशियां#/Borrowings #	-	147	22	6,280	1,404	1,281	2,329	6,845	9,743	3	-	28,055
विदेशी मुद्रा आस्तियां @ Foreign Currency assets @	1,343	8,287	3,254	12,202	2,933	8,485	16,304	50,863	20,521	2,139	4,983	1,31,313
विदेशी मुद्रा देयताएं $ Foreign Currency Liabilities $	239	8,345	3,007	14,375	4,433	7,108	17,837	41,429	15,694	360	19,368	1,32,195

 # इनमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.
 # Includes foreign currency balances.

@ इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.
@ Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.

$ इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया विक्रय- क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं.
$ Includes foreign currency-Rupee sell –buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

31 मार्च 2025 को आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप
Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on March 31, 2025

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां# / Deposits #	3,552	8,620	4,361	5,974	11,525	9,858	15,263	54,320	1,63,347	14,785	18,607	3,10,212
अग्रिम# / Advances #	608	2,022	2,012	5,978	7,758	11,613	11,293	16,626	64,376	15,533	80,581	2,18,399
निवेश / Investments	23,537	23,529	2,144	4,382	2,583	2,838	4,974	12,473	26,128	4,186	10,693	1,17,468
उधार राशियां# / Borrowings #	-	699	5	842	1,521	996	1,660	6,362	7,792	5	-	19,882
विदेशी मुद्रा आस्तियां @ Foreign Currency assets @	1,497	10,733	2,400	20,767	13,663	12,900	41,785	26,309	8,016	3,290	4,523	1,45,884
विदेशी मुद्रा देयताएं $ Foreign Currency Liabilities $	37	8,910	3,544	18,413	16,540	4,790	20,938	28,683	4,886	386	19,233	1,26,359

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

 # इनमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.
 # Includes foreign currency balances.

@ इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.
@ Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.

$ इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया विक्रय-क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं.
$ Includes foreign currency-Rupee sell –buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

नोट: *चालू वर्ष एवं पिछले वर्ष, दोनों के लिए एएलएम गणना के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत विवरणियों के संकलन के लिए बैंक द्वारा उपयोग किये गये अनुमानों और मान्यताओं पर ही आधारित है.*
Note: Classification of Assets & Liabilities under the different heads of ALM computation for both current year & previous year is based on same estimates and assumptions as used by the bank for the compiling the returns submitted to the RBI.

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)
b) Liquidity Coverage Ratio (LCR)

(i) वित्तीय वर्ष 2025-26 की सभी चार तिमाहियों को शामिल करते हुए एलसीआर (मात्रात्मक प्रकटन)
LCR covering all the four quarters (Quantitative disclosure) for FY 2025-26

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

		मार्च 2026 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2026		दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2025		सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2025		जून 2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2025	
क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)- अनुबंध - I Total High Quality Liquid Assets (HQLA)-Annexure-I		92,982		91,925		91,146		87,733
	नकदी बहिर्वाह Cash Outflows								
2	खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमाराशियां, जिनमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	1,54,443	14,941	1,51,370	14,684	1,48,773	14,449	1,45,996	14,177
	(i) स्थिर जमाराशियां Stable deposits	10,066	503	9,066	453	8,567	428	8,463	423
	(ii) कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	1,44,377	14,438	1,42,304	14,230	1,40,206	14,021	1,37,534	13,753

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

		मार्च 2026 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2026		दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2025		सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2025		जून 2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2025	
क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
3	अप्रतिभूति थोक निधीयन, जिनमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	1,25,678	79,404	1,16,971	73,714	1,10,706	67,612	1,06,681	64,405
	(i) परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	1,22,430	76,156	1,13,159	69,902	1,08,278	65,184	1,04,397	62,121
	(iii) अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	3,248	3,248	3,812	3,812	2,428	2,428	2,284	2,284
4	प्रतिभूत थोक निधीयन Secured wholesale funding				1				
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से Additional requirements, of which	52,049	8,827	76,452	10,017	74,734	9,861	68,675	8,937
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	1,188	1,188	1,291	1,291	1,298	1,298	837	837
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-	-	-	-	-
	(iii) क्रेडिट और चलनिधि सुविधा Credit and liquidity facility	50,862	7,640	75,161	8,726	73,436	8,563	67,838	8,100
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व Other contractual funding obligations	6,203	6,203	6,075	6,075	6,016	6,016	5,688	5,688

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

		मार्च 2026 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2026		दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2025		सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2025		जून 2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2025	
क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other contingent funding obligations	1,31,941	4,296	1,38,030	4,147	1,37,188	4,121	1,29,761	3,898
8	**कुल नकदी बहिर्वाह Total Cash Outflows**		1,13,673		1,08,637		1,02,060		97,104
	नकदी अंतर्वाह Cash Inflows	-	-	-	-	-	-	-	-
9	प्रतिभूत उधार (अर्थात् रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	1,365	-	2,238	-	2,450	-	566	1
10	पूर्णतः अर्जक एक्सपोजरों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	11,303	5,651	9,144	4,572	9,879	4,940	9,829	4,915
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	32,262	31,962	27,798	27,498	25,966	25,666	24,003	23,708
12	**कुल नकदी अंतर्वाह Total Cash Inflows**	44,929	37,613	39,180	32,070	38,294	30,606	34,398	28,623
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	**कुल एचक्यूएलए Total HQLA**		92,982		91,925		91,146		87,733
14	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows**		76,060		76,567		71,455		68,481
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)**		122.25%		120.06%		127.56%		128.11%

नोट: *दिनांक 28 नवंबर 2025 के रिजर्व बैंक के परिपत्र संदर्भः आरबीआई/डीओआर/2025-26/167 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.86/21.04.018/2025-26 के अनुसार, औसत भारित और गैर भारित राशियों की गणना कार्य दिवसों के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दैनिक साधारण औसत लेते हुए की जाती है.*

Note: In accordance with RBI circular Ref: RBI/DOR/2025-26/167 DOR.ACC.REC. No.86/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025, the average weighted and un-weighted amounts are calculated taking daily simple average from 1st April to 31st March for working days.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी चार तिमाहियों को शामिल करते हुए एलसीआर (मात्रात्मक प्रकटन)
LCR covering all the four quarters (Quantitative disclosure) for FY2024-25

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

		मार्च 2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2025		दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2024		सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2024		जून 2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2024	
क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) अनुबंध-I Total High Quality Liquid Assets (HQLA) Annexure-I		87,363		85,384		81,751		83,824
	नकदी बहिर्वाह Cash Outflows								
2	खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमा राशियां, जिनमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	1,44,543	14,032	1,41,809	13,935	1,43,543	13,923	1,41,226	13,694
	(i) स्थिर जमाराशियां Stable deposits	8,436	422	8,637	438	8,618	431	8,577	429
	(ii) कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	1,36,106	13,611	1,33,171	13,497	1,34,925	13,493	1,32,649	13,265
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन, जिनमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	1,07,038	66,454	1,04,459	64,352	99,376	59,792	99,852	59,354
	(i) परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	1,03,284	62,701	1,02,175	62,068	97,756	58,172	98,370	57,872
	(iii) अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	3,753	3,753	2,284	2,284	1,620	1,620	1,482	1,482
4	प्रतिभूत थोक निधीयन Secured wholesale funding		0.39		-		-		-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से Additional requirements, of which	63,813	7,848	63,076	7,701	63,099	7,699	59,099	7,014
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	547	547	917	917	1,064	1,064	1,025	1,025

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 2025 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2025		दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2024		सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2024		जून 2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2024	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	-	-	-	-	-	-	-	-
	(iii) क्रेडिट और चलनिधि Credit and liquidity	63,266	7,301	62,159	6,785	62,034	6,635	58,073	5,988
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व Other contractual funding obligations	5,616	5,616	5,713	5,713	6,842	6,842	5,240	5,240
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other contingent funding obligations	1,21,857	3,661	1,14,749	3,499	1,15,076	3,457	1,15,675	3,475
8	**कुल नकदी बहिर्वाह Total Cash Outflows**		97,612		95,200		91,714		88,776
	नकदी अंतर्वाह Cash Inflows	-	-	-	-	-	-	-	-
9	प्रतिभूत उधार Secured lending	223	0.26	763	-	1,192	-	503	-
10	पूर्णतः अर्जक एक्सपोजरों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	8,766	4,383	7,744	3,902	7,826	3,913	7,809	3,905
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	24,788	24,488	24,039	23,743	22,839	22,539	17,898	17,598
12	**कुल नकदी अंतर्वाह Total Cash Inflows**	**33,777**	**28,871**	**32,546**	**27,646**	**31,857**	**26,452**	**26,210**	**21,502**
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	**कुल एचक्यूएलए Total HQLA**		87,363		85,384		81,751		83,824
14	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows**		68,740		67,554		65,262		67,274
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)**		**127.09%**		**126.39%**		**125.27%**		**124.60%**

(ii) **चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) से जुड़े गुणात्मक प्रकटन**
Qualitative disclosure around Liquidity Coverage Ratio (LCR)

क. बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने अधिक लचीले बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमनों को मजबूत करने के लिए प्रमुख सुधारों में से एक के रूप में चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरूआत की है.

a. The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) has introduced Liquidity Coverage Ratio (LCR) as one of the key reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector.

ख. चलनिधि कवरेज अनुपात संभावित चलनिधि विघटनों के प्रति बैंक की अल्पावधि आघात-सहनीयता को यह सुनिश्चित करते हुए बढ़ावा देता है कि 30 दिनों तक बनी रहने वाली विकट दबावग्रत स्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्तावाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं. चलनिधि कवरेज अनुपात मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भारमुक्त उच्च गुणवत्तावाली चलनिधि अस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर चलनिधि दबाव वाली स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस की समयावधि हेतु अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सके.

b. The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

एलसीआर की परिभाषा
Definition of LCR:

$$\frac{\text{उच्च गुणवत्तावाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) का स्टॉक /Stock of high quality liquid assets (HQLAs)}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल निवल नकदी बहिर्वाह /Total net cash outflows over the next 30 calendar days}} >= 100\%$$

ग. चलनिधि कवरेज अनुपात की अपेक्षाएं बैंकों पर बाध्यककारी हैं. बैंक एलसीआर को सतत आधार पर 100% बनाए रखेगा.

c. The LCR requirement is binding on banks, Bank shall maintain LCR at a minimum of 100% on an on going basis.

उच्च गुणवत्तावाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)
High Quality Liquid Assets (HQLA):

दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को निर्धारित दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिन की अवधि के लिए कुल निवल नकदी बहिर्वाह को कवर करने के लिए भार-रहित एचक्यूएलए का स्टॉक रखना चाहिए. एचक्यूएलए के रूप में पात्र होने के लिए दबाव काल के दौरान आस्तियां बाज़ार में नकदी सुलभ होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में बैंक के परिचालनों में उपयोग के लिए पात्र होनी चाहिए. बैंक की एचक्यूएलए में मुख्यतः अनिवार्य अपेक्षाओं से अधिक एसएलआर निवेश, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार (एनडीटीएल का 2%) के माध्यम से उपलब्ध चलनिधि, चलनिधि कवरेज अनुपात (एनडीटीएल का 16%) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं.

As per the guidelines, banks must hold a Stock of unencumbered HQLA to cover the total net cash outflows over 30-day period under the prescribed stress scenario. In order to qualify as HQLA, assets should be liquid in markets during times of stress and, in most cases, be eligible for use in bank operations. The HQLA of the Bank mainly comprise of SLR investments over and above mandatory requirement, liquidity available by way of borrowing under Marginal Standing Facility (2% of NDTL), Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (16% of NDTL) & other securities as may be permitted by Reserve Bank of India from time to time.

कुल निवल नकदी बहिर्वाह
Total net cash outflows:

कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की बकाया शेष राशियों या देयता के प्रकारों तथा तुलन-पत्र बाह्य वचनबद्धताओं को उन दरों से गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके समाप्त होने या निकाले जाने की आशा है. कुल प्रत्याशित नकदी अंतर्वाहों की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष को उन दरों से गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके प्रवाहित होने की आशा है.

Total expected cash out flows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

चलनिधि प्रबंधन
Liquidity Management:

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलएम नीति में वर्णित किये अनुसार एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि विश्लेषण एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन आस्ति देयता प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न एल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा एल्को के दिशा-निर्देशों तथा एएलएम कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है.
The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Asset Liability Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने पात्र हेयरकट को ध्यान में रखते हुए ₹ 92,982 करोड़ का औसत एचक्यूएलए बनाए रखा. एचक्यूएलए मुख्य रूप से लेवल-1 आस्तियों द्वारा संचालित होता है और इसमें मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियां और टी-बिल शामिल होते हैं, जो 31 मार्च 2026 को एचक्यूएलए का 90% से अधिक हिस्सा हैं. बैंक के पास निधियों के विविध स्रोत हैं, जिनमें मुख्य रूप से जमाराशियां शामिल हैं, जिसमें शीर्ष 20 जमाकर्ताओं ने 31 मार्च 2026 को कुल जमाराशियों का 12.02% योगदान दिया है.
The Bank during the quarter ended March 2026, maintained average HQLA of ₹ 92,982 crore after factoring eligible haircuts. HQLA is mainly driven by Level 1 Assets and comprises mainly of Government securities and T-bills which constitute more than 90% of HQLA as on 31st March 2026. The Bank has well diversified source of funds, which mainly comprise of deposits, with top 20 depositors contributing 12.02% of total deposits as on 31st March 2026.

मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एलसीआर 122.25% (पिछले वर्ष 127.09%) था, जो मौजूदा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता 100% से अधिक है.
The average LCR for the quarter ended March 2026 was at 122.25% (Previous Year 127.09%), which is above the present prescribed minimum requirement of 100%.

ग) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर)

c) Net Stable Funding Ratio (NSFR)

(i) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एनएसएफ़आर का मात्रात्मक प्रकटन / NSFR Quantitative disclosure for FY 2025-26

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
	एएसएफ़ मद / ASF Item					
1	पूंजी: (2+3) / Capital: (2+3)	-	-	-	63,678	63,678
2	विनियामक पूंजी / Regulatory capital	-	-	-	63,678	63,678
3	अन्य पूंजी लिखत / Other capital instruments	-	-	-	-	-
4	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमाराशियां (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	86,769	27,484	51,347	171	1,49,746
5	स्थिर जमाराशियां / Stable deposits	8,317	1,192	1,180	21	10,174
6	कम स्थिर जमाराशियां / Less stable deposits	78,452	26,293	50,167	151	1,39,571

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
7	थोक निधीयन: (8+9) / Wholesale funding: (8+9)	38,421	29,165	62,613	1,618	66,717
8	परिचालनगत जमाराशियां / Operational deposits	-	-	-	-	-
9	अन्य थोक निधीयन / Other wholesale funding	38,421	29,165	62,613	1,618	66,717
10	अन्य देयताएं: (11+12) / Other liabilities: (11+12)	96,225	-	-	9,746	9,746
11	एनएसएफ़आर डेरिवेटिव देयताएं / NSFR derivative liabilities		-	-	-	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	92,413	-	-	9,746	9,746
13	**कुल एएसएफ़ (1+4+7+10) / Total ASF (1+4+7+10)**					**2,89,887**
आरएसएफ़ मद / RSF Item						
14	कुल एनएसएफ़आर उच्च गुणवत्तावाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					4,289
15	परिचालन के उद्देश्य से अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाराशियाँ Deposits held at other financial institutions for operational purposes	1,184	-	-	-	592
16	अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	-	92,792	25,432	1,91,004	2,00,871
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	11,702	-	-	1,170
18	गैर-लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थाओं को अप्रतिभूत अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	22,043	3,907	15,609	20,869
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिनमें से: Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	-	38,672	19,209	81,013	97,867
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	35,040	18,542	16,066	39,943
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें: Performing residential mortgages, of which:	-	4,465	2,315	75,274	56,768

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	1,768	1,796	53,026	36,249
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्हक नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	-	15,910	-	19,109	24,198
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 की पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	25,596	3,760	213	8,776	34,004
25	स्वर्ण सहित भौतिक रूप से क्रय-विक्रय वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	-
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी की चूक निधियों में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	-	-	-	7,080	6,018
27	एनएसएफ़आर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets	-	3,279	-	-	-
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	-	191	-	-	191
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	25,596	291	213	1,696	27,796
30	तुलन-पत्र से बाहर की मदें Off-balance sheet items	-	-	-	1,05,381	4,718
31	**कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30)** **Total RSF (14+15+16+24+30)**					**2,44,474**
32	**निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)** **Net Stable Funding Ratio (%)**					**118.58%**

नोट : चालू वर्ष और पिछले वर्ष, दोनों के लिए एनएसएफ़आर गणना के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत विवरणियों के संकलन के लिए बैंक द्वारा उपयोग किये गये अनुमानों और मान्यताओं पर ही आधारित है.

Note: Classification of Assets & Liabilities under the different heads of NSFR computation for both current year and previous year is based on same estimates and assumptions as used by the bank for the compiling the returns submitted to the RBI..

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनएसएफ़आर का मात्रात्मक प्रकटन: / NSFR Quantitative disclosure for FY 2024-25

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
	एएसएफ़ मद / ASF Item					
1	पूंजी: (2+3) / Capital: (2+3)	53,537	0	0	0	53,537
2	विनियामक पूंजी / Regulatory capital	53,537	0	0	0	53,537
3	अन्य पूंजी लिखत / Other capital instruments	0	0	0	0	0
4	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमाराशियां (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	79,371	24,525	50,120	251	1,39,282
5	स्थिर जमाराशियां / Stable deposits	6,625	907	816	0	7,930
6	कम स्थिर जमाराशियां / Less stable deposits	72,746	23,619	49,304	251	1,31,352
7	थोक निधीयन: (8+9) / Wholesale funding: (8+9)	36,424	23,103	57,211	1,461	59,830
8	परिचालनगत जमाराशियां / Operational deposits	0	0	0	0	0
9	अन्य थोक निधीयन / Other wholesale funding	36,424	23,103	57,211	1,461	59,830
10	अन्य देयताएं: (11+12) / Other liabilities: (11+12)	78,045	0	0	7,797	7,797
11	एनएसएफ़आर डेरिवेटिव देयताएं / NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	76,526	0	0	7,797	7,797
13	**कुल एएसएफ़ (1+4+7+10) / Total ASF (1+4+7+10)**					**2,60,446**
	आरएसएफ़ मद / RSF Item					
14	कुल एनएसएफ़आर उच्च गुणवत्तावाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					4,246
15	परिचालन के उद्देश्य से अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी जमाराशियाँ Deposits held at other financial institutions for operational purposes	1,553.57	0.00	0.00	0.00	777
16	अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0	79,340	17,009	1,75,290	1,74,355
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	11,862	0	0	1,186
18	गैर-लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को अप्रतिभूत अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	22,611	2,315	12,577	17,126

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा और लघु कारोबारी ग्राहकों को ऋण और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिनमें से: Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0	33,651	13,725	75,154	85,667
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	27,782	13,502	17,103	31,759
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें: Performing residential mortgages, of which:	0	1,248	969	69,507	50,048
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	1,068	870	50,706	33,928
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्हक नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0	9,967	0	18,053	20,328
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 की पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	24,568	1,951	104	6,971	31,409
25	स्वर्ण सहित भौतिक रूप में क्रय-विक्रय वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	0	0	0	0	0
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी की चूक निधियों में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0	0	0	4,391	3,732
27	एनएसएफ़आर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets	0	1,731	0	0	209
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0	76	0	0	76
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	24,568	144	104	2,580	27,392

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
30	तुलन-पत्र से बाहर की मदें Off-balance sheet items	0	0	0	1,26,653	5,105
31	**कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)**					**2,15,896**
32	**निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)**					**120.63%**

(ii) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) के संबंध में गुणात्मक प्रकटन
Qualitative disclosure around Net Stable Funding Ratio (NSFR)

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमनों को मजबूत करने के लिए प्रमुख सुधारों में से एक के रूप में निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अधिक लचीले बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना है.
The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) has introduced Net Stable Funding Ratio (NSFR) as one of the key reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector.

एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्त पोषित करने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देता है. एक स्थायी वित्तपोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के नियमित वित्तपोषण के स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की चलनिधि की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता की जोखिम बढ़ सकती है और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत दबाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. एनएसएफआर अल्पकालिक थोक वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता को सीमित करता है, सभी ऑन- और ऑफ-बैलेंस शीट मदों में फंडिंग जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, और निधीयन स्थिरता को बढ़ावा देता है.
The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of a bank's liquidity position due to disruptions in a bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress. The NSFR limits over reliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on- and off- balance sheet items, and promotes funding stability.

एनएसएफ़आर की परिभाषा: / Definition of NSFR:

$$\text{एनएसएफ़आर / NSFR} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ़) / Available Stable Funding (ASF)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ़) / Required Stable Funding (RSF)}} >= 100\%$$

उपर्युक्त अनुपात निरंतर आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए और एनएसएफआर अनुपात बैंकों पर 1 अक्तूबर 2021 से बाध्यकारी है.
The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis and the NSFR ratio is binding on banks with effect from October 1, 2021.

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ़) / Available Stable Funding (ASF)

एएसएफ की राशि को किसी संस्थान के फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है. एएसएफ की राशि की गणना पहले संस्थान की पूंजी और देयताओं के रखाव मूल्य को रिज़र्व बैंक के परिपत्र में उल्लिखित पांच श्रेणियों में से एक को निर्दिष्ट करके की जाती है. प्रत्येक श्रेणी को दी गई राशि को तब एएसएफ़ फ़ैक्टर से गुणा किया जाता है और कुल एएसएफ़ भारित राशियों का योग है. रखाव मूल्य उस राशि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर किसी भी विनियामक कटौती, फ़िल्टर या अन्य समायोजन को लागू करने से पहले देयता या इक्विटी लिखत दर्ज किया जाता है.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

The amount of ASF is measured, based on the broad characteristics of the relative stability of an institution's funding sources, including the contractual maturity of its liabilities and the differences in the propensity of different types of funding providers to withdraw their funding. The amount of ASF is calculated by first assigning the carrying value of an institution's capital and liabilities to one of five categories as mentioned in RBI circular. The amount assigned to each category is then multiplied by an ASF factor, and the total ASF is the sum of the weighted amounts. Carrying value represents the amount at which a liability or equity instrument is recorded before the application of any regulatory deductions, filters or other adjustments.

आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ़) / Required Stable Funding (RSF)

आवश्यक स्थिर निधीयन की राशि को संस्थान की आस्तियों और ओबीएस एक्सपोजर की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है. आवश्यक स्थिर निधिकरण की राशि की गणना पहले संस्था की आस्तियों के रखाव मूल्य को रिज़र्व बैंक के परिपत्र में सूचीबद्ध श्रेणियों को निर्दिष्ट कर के की जाती है. प्रत्येक श्रेणी को दी गई राशि को उसके संबद्ध आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) कारक से गुणा किया जाता है, और कुल आरएसएफ ओबीएस गतिविधि (या संभावित चलनिधि एक्सपोजर) की मात्रा में जोड़ी गई भारित राशि का योग होता है, जिसे इसके संबंधित आरएसएफ कारक से गुणा करके निकाला जाता है.

The amount of required stable funding is measured based on the broad characteristics of the liquidity risk profile of an institution's assets and OBS exposures. The amount of required stable funding is calculated by first assigning the carrying value of an institution's assets to the categories listed in RBI circular. The amount assigned to each category is then multiplied by its associated required stable funding (RSF) factor, and the total RSF is the sum of the weighted amounts added to the amount of OBS activity (or potential liquidity exposure) multiplied by its associated RSF factor.

चलनिधि प्रबंधन / Liquidity Management

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलएम नीति में वर्णित किये अनुसार एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि विश्लेषण एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलनपत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न एल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा एल्को दिशा-निर्देशों तथा एएलएम कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है.

The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

बैंक ने 31 मार्च 2026 को ₹ 2,89,888 करोड़ के उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) और ₹ 2,44,475 करोड़ के अपेक्षित स्थिर निधीयन (आरएसएफ) को बनाए रखा. उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) मुख्य रूप से कुल विनियामक पूंजी और खुदरा ग्राहकों, छोटे कारोबारी ग्राहकों, गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एक वर्ष से अधिक परिपक्वता के साथ की गई जमाराशियों द्वारा संचालित होती है. आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) मुख्य रूप से एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली भार-रहित सरकारी प्रतिभूतियों और आस्तियों द्वारा संचालित होती है. हेयरकट के बाद एचक्यूएलए (उच्च गुणवत्तावाली चलनिधि आस्तियां) भारित आरएसएफ के 2.23% थी. एचक्यूएलए को बाज़ार में आसानी से बेचा जा सकता है या अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है.

Bank maintained Available Stable Funding (ASF) of ₹ 2,89,888 crore and Required Stable Funding (RSF) of ₹ 2,44,475 crore as on 31st March 2026. Available Stable Funding (ASF) is mainly driven by total regulatory capital and deposits with maturity over one year from retail customers, small business customers, non-financial corporate customers and PSUs. Required Stable Funding (RSF) is mainly driven by unencumbered government securities and assets with maturity over one year. HQLAs (High Quality Liquid Assets) after applying hair-cut constitute 2.23% of weighted RSF. HQLAs can be easily sold in the market or can be used as collateral for sourcing

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही में बैंक का एनएसएफ़आर विनियामक सीमा 100% की तुलना में 118.58 % (पिछले वर्ष 120.63%) रहा है.

The NSFR of the Bank for Quarter ending March 31, 2026 is at 118.58 % (Previous Year 120.63%) as against the regulatory limit of 100%.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

3. निवेश / Investments

i) 31 मार्च 2026 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना
Composition of Investment Portfolio as at March 31, 2026

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	एचटीएम / HTM		एएफएस / AFS	एफवीटीपीएल / FVTPL		सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम / Subsidiaries, Associates & JVs	
	लागत पर / At cost	उचित मूल्य / Fair Value		एचएफटी / HFT	गैर-एचएफटी / Non-HFT	लागत पर / At cost	उचित मूल्य / Fair Value
I. भारत में निवेश / Investments in India							
(i) सरकारी प्रतिभूतियां # / Government securities#	69,246	68,542	29,269	3,973	-		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-	-	-	-		
(iii) शेयर / Shares	-	-	3,169	203	508		
(iv) डिबेंचर एवं बांड / Debentures and Bonds	1,738	1,737	175	908	689		
(v) सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम / Subsidiaries, associates and joint ventures						334	1,458
(vi) अन्य / Others	5,001	4,953	-	12,687	4,132		
कुल / Total	**75,984**	**75,232**	**32,613**	**17,771**	**5,329**	**334**	**1,458**
घटाएं/ ह्रास/एनपीआई के लिए प्रावधान^ / Less: Provisions for impairment/NPI^	28	-	46	34	4,855	-	-
निवल / Net	75,956	75,232	32,567	17,737	474	334	1,458
II. भारत के बाहर निवेश / Investments outside India							
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) / Government securities (including local authorities)	-	-	943	-	-		
(ii) सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम / Subsidiaries, associates and joint ventures							
(iii) अन्य निवेश / Other investments	-	-	0*	-	-		
कुल / Total	**-**	**-**	**944**	**-**	**-**	**-**	**-**
घटाएं/ ह्रास/एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provisions for impairment/NPI	-	-	-	-	-	-	-
निवल / Net	-	-	944	-	-	-	-
कुल निवेश (I+II)@ / Total investments (I+II)@	**75,956**	**75,232**	**33,511$**	**17,737$**	**474$**	**334**	1,458

 # एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ₹ 12438 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण बांड शामिल हैं.

 # Government Securities under HTM category includes recapitalisation bonds issued by GOI of ₹ 12438 Crore.

^ एनपीआई और अन्य प्रावधान/ NPI and other provisions.

** विदेशी निवेश के अंतर्गत अन्य में दिखाये गये प्रभु बैंक (पूर्ववर्ती नेपाल विकास बैंक) में ₹ .0.45 करोड़ का निवेश और कुल निवेश में पूर्णांक किया गया है.*

**Investment of 0.45 crore of Prabhu Bank (erstwhile Nepal Development Bank) shows as other under Overseas Investment and rounded off in total investment.*

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

@ प्रावधान मूल्य को घटाकर दर्शाता है.
@ Represent Net of Provision Value.
$ एएफएस और एफवीटीपीएल के तहत एनपीआई निवेश को लागत मूल्य पर और पीआई को उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है.
$ NPI investment under AFS & FVTPL carried at cost and PI carried at Fair Value.
नोटः श्रेणी/वर्गीकरण के बीच दशमलव को निवेश के कुल आंकड़ों में पूर्णांक किया गया है.
Note- Decimal between the category/classifications are rounded off in total investment figures.

31 मार्च 2025 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना
Composition of Investment Portfolio as at March 31, 2025

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण / Particulars	एचटीएम /HTM		एएफएस / AFS	एफवीटीपीएल / FVTPL		सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम /Subsidiaries, Associates & JVs	
	लागत पर / At cost	उचित मूल्य / Fair Value		एचएफटी / HFT	गैर-एचएफटी Non-HFT	लागत पर / At cost	उचित मूल्य / Fair Value
I. भारत में निवेश / Investments in India							
(i) सरकारी प्रतिभूतियां # / Government securities#	74,107	75,156	23,620	1,491	-		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-	-	-	-		
(iii) शेयर / Shares	-	-	631	448	605		
(iv) डिबेंचर एवं बांड / Debentures and Bonds	2,568	2,554	170	990	866		
(v) सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम / Subsidiaries, associates and joint ventures						344	1,576
(vi) अन्य / Others	3,016	3,015	-	9,030	4,291		
कुल / Total	**79,691**	**80,725**	**24,421**	**11,959**	**5,762**	**344**	**1,576**
घटाएं/ ह्रास/एनपीआई के लिए प्रावधान^ / Less: Provisions for impairment/NPI^	28	-	4	3	5,363	-	-
निवल / Net	79,663	80,725	24,416	11,956	399	344	1,576
II. भारत के बाहर निवेश / Investments outside India							
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) / Government securities (including local authorities)	-	-	687	-	-		
(ii) सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम / Subsidiaries, associates and joint ventures						-	-
(iii) अन्य निवेश / Other investments	-	-	0*	-	-		
कुल / Total	**-**	**-**	**688**	**-**	**-**	**-**	**-**
घटाएं/ ह्रास/एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provisions for impairment/NPI							
निवल / Net	-	-	688	-	-	-	-
कुल निवेश (I+II)@ / Total investments (I+II)@	**79,663**	**80,725**	**25,104$**	**11,956$**	**399$**	**344**	1,576

 # एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ₹12438 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण बांड शामिल हैं.
 # Government Securities under HTM category includes recapitalisation bonds issued by GOI of ₹12438 Crore.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

^ *एनपीआई और अन्य प्रावधान / NPI and other provisions.*

** विदेशी निवेश के अंतर्गत अन्य में दिखाये गये प्रभु बैंक (पूर्ववर्ती नेपाल विकास बैंक) में ₹ .0.45 करोड़ का निवेश और कुल निवेश में पूर्णांक किया गया है.*

**Investment of ₹ 0.45 crore of Prabhu Bank (erstwhile Nepal Development Bank) shows as other under Overseas Investment and rounded off in total investment.*

@ प्रावधान मूल्य को घटाकर दर्शाता है.

@ Represent Net of Provision Value.

$ एएफएस और एफवीटीपीएल के तहत एनपीआई निवेश को लागत मूल्य पर और पीआई को उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है.

$ NPI investment under AFS & FVTPL carried at cost and PI carried at Fair Value.

नोट: श्रेणी/वर्गीकरण के बीच दशमलव को निवेश के कुल आंकड़ों में पूर्णांक किया गया है.

Note- Decimal between the category/classifications are rounded off in total investment figures.

ii) वित्तीय वर्ष के अंत में उचित मूल्य पर मापे गए निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम
Fair value hierarchy of investment portfolio measured at fair value as at end of Financial Year

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2026 / March 31, 2026								31 मार्च 2025 / March 31, 2025							
	एएफएस / AFS				एफवीटीपीएल / FVTPL				एएफएस / AFS				एफवीटीपीएल / FVTPL			
	लेवल / Level 1	लेवल / Level 2	लेवल / Level 3	कुल / Total	लेवल / Level 1	लेवल / Level 2	लेवल / Level 3	कुल / Total	लेवल / Level 1	लेवल / Level 2	लेवल / Level 3	कुल / Total	लेवल / Level 1	लेवल / Level 2	लेवल / Level 3	कुल / Total
I. भारत में निवेश / Investments in India	29,269	-	-	29,269	3,973	-	-	3,973	23,619	-	-	23,619	1,491	-	-	**1,491**
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities																
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) शेयर / Shares	2,414	-	755	3,169	201	54	456	710	-	-	631	631	447	210	397	**1,053**
(iv) डिबेंचर एवं बांड / Debentures and Bonds	175	-	-	175	405	1,192	-	1,597	170	-	-	170	414	1,442	-	**1,856**
(v) सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम / Subsidiaries, associates and joint ventures																
(vi) अन्य / Others	-	-	-	-	12,687	-	4,132	16,819	-	-	-	-	9,030	-	4,291	**13,321**
कुल / Total	**31,858**	**-**	**755**	**32,613**	**17,267**	**1,245**	**4,588**	**23,100**	**23,790**	**-**	**631**	**24,421**	**11,382**	**1,651**	**4,688**	**17,721**
II. भारत के बाहर निवेश / Investments outside India																

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2026 / March 31, 2026								31 मार्च 2025 / March 31, 2025							
	एएफएस / AFS				एफवीटीपीएल / FVTPL				एएफएस / AFS				एफवीटीपीएल / FVTPL			
	लेवल / Level 1	लेवल / Level 2	लेवल / Level 3	कुल / Total	लेवल / Level 1	लेवल / Level 2	लेवल / Level 3	कुल / Total	लेवल / Level 1	लेवल / Level 2	लेवल / Level 3	कुल / Total	लेवल / Level 1	लेवल / Level 2	लेवल / Level 3	कुल / Total
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) / Government securities (including local authorities)	943	-	-	943	-	-	-	-	687	-	-	687	-	-	-	-
(i) सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम / Subsidiaries, associates and joint ventures																
(iii) अन्य निवेश / Other investments	-	-	0*	0*	-	-	-	-	-	-	0*	0*	-	-	-	-
कुल / Total	**943**	**-**	**0***	**944**	**-**	**-**	**-**	**-**	**687**	**-**	**0***	**688**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल निवेश / Total investments (I+II)@	**32,801**	**-**	**755**	**33,557 $**	**17,267**	**1,245**	**4,588**	**23,100 $**	**24,477**	**-**	**632**	**25,109 $**	**11,382**	**1,651**	**4,688**	**17,721 $**

**विदेशी निवेश के अंतर्गत अन्य में दिखाये गये प्रभु बैंक (पूर्ववर्ती नेपाल विकास बैंक) में ₹ 0.45 करोड़ का निवेश और कुल निवेश में पूर्णांक किया गया है.*

**Investment of ₹ 0.45 crore of Prabhu Bank (erstwhile Nepal Development Bank) shows as other under Overseas Investment and rounded off in total investment.*

@सकल मूल्य दर्शाता है.

@Represent Gross Value.

$ एएफएस और एफवीटीपीएल के तहत एनपीआई निवेश को लागत मूल्य पर और पीआई को उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है.

$ NPI investment under AFS & FVTPL carried at cost and PI carried at Fair Value.

नोट: श्रेणी/वर्गीकरण के बीच दशमलव को निवेश के कुल आंकड़ों में पूर्णांक किया गया है.

Note- Decimal between the category/classifications are rounded off in total investment figures.

iii) **वित्तीय वर्ष के अंत में एएफएस-रिजर्व और लाभ एवं हानि खाते में दर्शाये गये स्तर 3 वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ / (हानि)**
Net gains / (losses) on Level 3 financial instruments recognised in AFS-Reserve and Profit and Loss Account as at end of Financial Year.

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
एएफएस-रिजर्व में दर्शाया गया / Recognised in AFS-Reserve	123	392
लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया / Recognised in Profit and Loss Account	1,900	76

टिप्पणी: इस प्रकटीकरण में लेवल 3 की उन आस्तियों को शामिल नहीं किया गया है, जिनका मूल्यांकन एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए द्वारा उस आस्ति के लिए घोषित मूल्य है.

Note: This disclosure excludes Level 3 assets where the valuation of the asset is the price declared by FBIL / FIMMDA for that asset.

iv) **एचटीएम से की गई बिक्री का विवरण**
Details of sales made out of HTM

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
क A	एचटीएम में प्रतिभूतियों का प्रारंभिक रखाव मूल्य* Opening carrying value of securities in HTM*	79,663	74,910
ख B	वर्ष के दौरान बेची गई सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का रखाव मूल्य**** Carrying value of all HTM securities sold during the year****	15,475	5,659
ग C	घटाएं: नियामक सीमा से छूट प्राप्त स्थितियों के तहत बेची गई प्रतिभूतियों का रखाव मूल्य** Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit**	13,463	2,716
घ D	बेची गई प्रतिभूतियों का रखाव मूल्य (घ =ख-ग) Carrying value of securities sold (D=B-C)	2,012	2,943
ङ E	एचटीएम में प्रतिभूतियों के शुरुआती रखाव मूल्य के प्रतिशत के रूप में बेची गई प्रतिभूतियाँ*** Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D÷A)***	2.53%	3.93%
च F	एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में पूंजी रिजर्व में अंतरित की गई राशि, जिन्हें लाभ पर बेचा गया था Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain	-	-

** प्रारंभिक रखाव मूल्य में बैंक द्वारा संबंधित पूर्व वर्ष के अंतिम दिन धारित एसएलआर और गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियां, दोनों शामिल हैं.*
**Opening Carrying Value includes both SLR and NON-SLR HTM Securities held by the Bank as on the last day of respective previous year.*

***** उपर्युक्त 'ख' में परिपक्वता पर प्रतिभूतियों का मोचन/ चुकौती और प्रवर्तक से प्राप्त पीटीसी चुकौतियाँ शामिल नहीं हैं.*

***** Redemption / repayment of securities on maturity and PTC repayments received from the originator are not included in B above.*

*** वित्तीय वर्ष 2026 और वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान, एचटीएम से बिक्री केवल एसएलआर-एचटीएम से हुई है, सिवाय एनएआरसीएल द्वारा एनसीडी की ₹ 30 करोड़ की आंशिक बायबैक के (एनएआरसीएल द्वारा एनसीडी बायबैक कॉलम ग में शामिल है).*

***During the FY26 and FY25, Sale from HTM has happened only from SLR-HTM except one partial buyback of NCD by NARCL of Rs.30 crore (NCD buyback by NARCL is included in Column C).*

**** वित्तीय वर्ष 2026 और वित्तीय वर्ष 2025 में एसएलआर-एचटीएम से बिक्री संबंधित पिछले वर्ष के एसएलआर-एचटीएम के रखाव मूल्य का क्रमशः 3.26% और 4.96% थी. इस प्रकार, प्रत्येक वर्ष में एसएलआर-एचटीएम से बिक्री एसएलआर-एचटीएम के प्रारंभिक रखाव मूल्य के 5% के भीतर थी.*

**** Sale from SLR-HTM for FY26 and FY25 was 3.26% and 4.96% of the respective SLR-HTM carrying value of the respective previous year. Thus, Sale from SLR-HTM for each year was also within 5% of the opening carrying value of SLR-HTM.*

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से / को विक्रय व अंतरण
Sales and transfers to/from Held to Maturity (HTM) category:

28 नवंबर 2025 के रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश - (वाणिज्यिक बैंक- निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) (निदेश), 2025 के अनुसार, एचटीएम से बेचे गए निवेशों का रखाव मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के प्रारंभिक रखाव मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा. इस सीमा से अधिक किसी भी बिक्री के लिए पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी.
As per RBI Master Direction – (Commercial Banks- Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio) (Directions), 2025 dated November 28, 2025, the carrying value of investments sold out of HTM shall not exceed 5% of the opening carrying value of the HTM portfolio. Any sale beyond this threshold shall require prior approval from DoS, RBI.

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से बिक्री का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के रखाव मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है.
During the year ended March 31, 2026 the value of sales from HTM category has not exceeded 5% of the carrying value of the investments held in HTM category at the beginning of the year.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

उपरोक्त सीमा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को पांच प्रतिशत की विनियामक सीमा से बाहर रखा गया है:
For the purpose of above limit following are excluded from the regulatory limit of five percent:

क. रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन परिचालनों जैसे कि खुले बाज़ार परिचालन (ओएमओ) सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के तहत रिज़र्व बैंक को बिक्री.
a. Sales to the RBI under liquidity management operations of RBI such as the Open Market Operations (OMO) Government Securities Acquisition Programme (GSAP).

ख. भारत सरकार द्वारा बैंकों से पुनर्खरीद या स्विच परिचालनों के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद.
b. Repurchase of Government Securities by Government of India from banks under buyback or switch operations.

ग. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्खरीद या स्विच परिचालनों के तहत राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद.
c. Repurchase of State Development Loans by respective state governments under buyback or switch operations.

घ. जारीकर्ता द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, बायबैक या कॉल विकल्प का प्रयोग.
d. Repurchase, buyback or exercise of call option of non-SLR securities by the issuer.

ङ. क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्षकार द्वारा चूक के बाद गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की बिक्री.
e. Sale of non-SLR securities following a downgrade in credit ratings or default by the counterparty.

च. वित्तीय संकट का सामना कर रहे उधारकर्ता के लिए दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान योजना के भाग के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री.
f. Sale of securities as part of a resolution plan under the Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets for a borrower facing financial distress.

छ. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री.
g. Additional sale of securities explicitly permitted by the Reserve Bank of India.

v) निवेश की श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण
Reclassification between categories of investments

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आईडीबीआई बैंक ने एनएसडीएल में अपनी हिस्सेदारी (11.11%) का एक हिस्सा बेच दिया. तदनुसार, एनएसडीएल, जिसे पूर्व में बैंक की एक सहयोगी संस्था के रूप में माना जाता था, उक्त हिस्सेदारी के विक्रय के पश्चात बैंक की सहयोगी संस्था नहीं रहा. वर्तमान में, आईडीबीआई बैंक के पास एनएसडीएल में 14.99% हिस्सेदारी है, जिसे अन्य रणनीतिक निवेश के रूप में माना गया है तथा इसे 'बिक्री हेतु उपलब्ध' (एएफ़एस) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.
During FY 2025–26, IDBI Bank sold a portion of its stake (11.11 %) in NSDL. Accordingly, NSDL, which was earlier considered an Associate of IDBI Bank, ceased to be an Associate of the Bank after the sale of the stake. Currently, IDBI Bank holds 14.99% in NSDL which is treated as other Strategic Investment and classified under Available for Sale (AFS).

(vi) अनर्जक निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव और निवेश घट-बढ़ रिज़र्व
Movement of Provisions for Non-Performing Investments (NPIs) and Investment Fluctuation Reserve

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
I	**एनपीआई के लिए धारित प्रावधान में उतार-चढाव** **Movement of provision held towards NPIs**		
क A	**प्रारंभिक शेष** **Opening Balance**	2,218	2,474
ख B	जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Add: Provision made during the year	367	208
ग C	घटाएं : वर्ष के दौरान आधिक्य प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/ प्रतिलेखन करना Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	610	464
घ D	**अंतिम शेष** **Closing balance**	1,975	2,218

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. S. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
II	**निवेश घट-बढ़ रिज़र्व में उतार-चढ़ाव** **Movement of Investment Fluctuation Reserve**		
क A	**प्रारंभिक शेष** **Opening Balance**	893	893
ख B	जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि Add: Amount transferred during the year	385	-
ग C	घटाएं : गिरावट Less: Drawdown	-	-
घ D	**अंतिम शेष** **Closing balance**	1,278	893
III	**एएफएस और एफवीटीपीएल में निवेश (एचएफटी श्रेणी सहित) के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर का अंतिम शेष** **Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and FVTPL (including HFT category).**	2.26%	2.38%

संबंधित रिपोर्टिंग अवधि के अंत की स्थितियों की तुलना करके वार्षिक आधार पर प्रावधान में घट-बढ़ तैयार किया जाता है.

Movement of provision is prepared on annual basis by comparing the positions as at the respective reporting period end.

नोट: रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2025 को जारी मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 के अनुसार, ऐसी राशि की निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) सृजित करने के लिए सूचित किया है, जो वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या वर्ष के लिए निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन घटाकर में से कम हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए, जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो की कम से कम 2 प्रतिशत न हो जाए.

Note: As per RBI vide its Master Direction dated November 28, 2025 "Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025" advised to create Investments Fluctuation Reserve (IFR) with an amount which is not less than lower of net profit on sale of investments during the year or net profit for the year less mandatory appropriations until the amount of IFR is at least 2 percent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis.

vii) **गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो**
Non- SLR Investment Portfolio

क) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश /
a) Non-performing Non-SLR investments

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25
प्रारंभिक शेष / Opening balance	2,218	2474
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year since 1st April	367	208
उपर्युक्त वर्ष के दौरान कमी @ / Reductions during the above year @	610	464
अंतिम शेष / Closing balance	1,975	2218
धारित कुल प्रावधान/ Total provisions held	1,975	2218

@ इसमें ₹ 354 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹ 64 करोड़) का निवेश मोचन/बिक्री/राइट-ऑफ/निपटान/बायबैक, ₹ 256 करोड़ का अपग्रेडेशन (पिछले वर्ष - ₹ 303 करोड़), और तत्पश्चात एनसीडी निवेश के अंतर्गत एक कंपनी की रेटिंग में गिरावट के कारण उसके निवेश का मूल्य घटाकर ₹ 1/- कर दिया गया है, निवेश का अन्य आस्तियों में घट-बढ़ - शून्य (पिछले वर्ष - ₹ 97 करोड़) शामिल है.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

@ Includes Investment Redemption/ Sale/ Write-off/ Settlement/Buyback of ₹ 354 crore (previous year – ₹ 64 crore), Up-gradation of ₹ 256 crore (previous year – ₹ 303 crore) and subsequently on account of down-gradation one company under NCD investment has been written down to Re.1/-, movement of Investment to other assets- Nil (previous year - ₹ 97 crore).

Movement of provision is prepared on annual basis by comparing the positions as on respective reporting periods.

ख) गैर-एसएलआर निवेशकों की निर्गमकर्ता संरचना

b) Issuer composition of Non-SLR investments

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement		'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of below investment grade' securities #		'बिना- रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा $ Extent of 'unrated' securities$		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
31 मार्च को / As at March 31,		2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	282	228	2	2	141	138	282	228	281	228
2	वित्तीय संस्थाएं / FIs	703	611	504	486	0	0	454	486	454	486
3	बैंक / Banks	12,841	9,909	534	496	0	4	49	13	0	0
4	निजी कॉरपोरेट Private corporates	6,285	4,615	5,307	3,791	3,403	1,181	3,674	1,615	1,068	1,234
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / JV	334	308	334	308	0	0	334	308	334	308
6	अन्य@ / Others@	22,480	20,415	5,001	3,016	1,142	2,748	13,577	15,017	9,098	7,290
	सकल कुल / Gross Total	**42,924**	**36,086**	**11,681**	**8,100**	**4,686**	**4,071**	**18,370**	**17,667**	**11,235**	**9,546**
7	मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान Prov. held towards Depreciation	4,963	5,398	-	-	-	-	-	-		-
	निवल कुल / Net Total	**37,961**	**30,688**	**11,681**	**8,100**	**4,686**	**4,071**	**18,370**	**17,667**	**11,235**	**9,546**

 # निवेश ग्रेड से नीचे की प्रतिभूतियों में एनपीआई निवेश भी शामिल हैं.

 # Below investment grade securities also includes NPI investments.

@ अन्य में पीटीसी, एसआर, जीओआई पुनर्पूंजीकरण बांड और विदेशी/गिफ्ट सिटी निवेश शामिल हैं.

@ Others include PTC, SR, GOI Recapitalisation Bonds and overseas/GIFT City investment.

$ इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियां माना जाता है.

$ Investment in Equities are treated as unrated securities

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

viii) **रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य और बाज़ार मूल्य के शर्तों में)**
Repo Transactions (in face value and market value terms)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण / Disclosure for the year ended March 31, 2026

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum Outstanding During The Year		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum Outstanding During The Year		वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average Outstanding During The Year		31 मार्च 2026 को बकाया Outstanding as on March 31, 2026	
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under Repo								
	अंकित मूल्य Face Value	बाज़ार मूल्य Market Value	अंकित मूल्य Face Value	बाज़ार मूल्य Market Value	अंकित मूल्य Face Value	बाज़ार मूल्य Market Value	अंकित मूल्य Face Value	बाज़ार मूल्य Market Value
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	5	5	4,968	5,086	878	896	4,968	5,041
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	200	205	200	207	2	2	0	0
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	0	0	0	0	0	0	0	0
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां Securities purchased under Reverse Repo								
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	5	5	9,392	9,248	574	585	0	0
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	43	42	43	43	1	1	0	0
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	0	0	0	0	0	0	0	0

नोट - ''वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि'' के निर्धारण के उद्देश्य के लिए ''शून्य'' शेष राशि को शामिल नहीं किया गया है.
Note - For the purpose of determination of "minimum outstanding amounts during the year","zero" balances have been excluded.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण / Disclosure for the year ended March 31, 2025

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum Outstanding During The Year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum Outstanding During The Year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average Outstanding During The Year	31 मार्च 2025 को बकाया Outstanding as on March 31, 2025

रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) / Securities sold under Repo (Face Value)

	अंकित मूल्य Face Value	बाज़ार मूल्य Market Value	अंकित मूल्य Face Value	बाज़ार मूल्य Market Value	अंकित मूल्य Face Value	बाज़ार मूल्य Market Value	अंकित मूल्य Face Value	बाज़ार मूल्य Market Value
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	380	386	4,284	4,438	1,657	1,685	0	0
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	200	205	200	207	2	2	0	0
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	0	0	0	0	0	0	0	0

रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां / Securities purchased under Reverse Repo

I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	5	5	8,891	8,877	354	350	0	0
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	23	22	108	108	3	3	0	0
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	0	0	0	0	0	0	0	0

नोट - ''वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि'' के निर्धारण के उद्देश्य के लिए ''शून्य'' शेष राशि को शामिल नहीं किया गया है.
Note - For the purpose of determination of "minimum outstanding amounts during the year" "zero" balances have been excluded..

ix) **सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन**
Government Security Lending (GSL) transactions

बैंक ने चालू वर्ष और गत वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के उधार संबंधी कोई लेनदेन नहीं किया है.

Bank has no transaction in Government Securities Lending during the current year & previous year.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

4. आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

i) 31 मार्च 2026 को अग्रिमों का आस्ति गुणवत्ता वर्गीकरण और धारित प्रावधान
Asset Quality Classification of advances and provisions held as on March 31, 2026

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing				
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अव-मानक / Sub-standard	संदिग्ध / Doubtful	हानि / Loss	कुल अनर्जक अग्रिम / Total Non-Performing Advances	कुल / Total
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए Gross Standard Advances & NPA						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2,18,062	632	2155	3,908	6,695	2,24,757
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					1,700	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी* Less: Reductions during the year*					2,367	
अंतिम शेष / Closing Balance	2,53,246	685	1,598	3,745	6,028	2,59,274
*सकल एनपीए में कमी के कारण: *Reductions in Gross NPAs due to:						
उन्नयन Up-gradation					633	
वसूलियां (अपग्रेड खातों से हुई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					851	
बट्टे खाते में डाले गए Write-offs					883	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)^ Provisions (excluding Floating Provisions)^						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	7,563	335	2,115	3,908	6,358	13,921
जोड़ें:वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					1,401	
घटाएं: रिवर्स किये गये आधिक्य प्रावधान/ बट्टे खाते डाले गये ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					2,111	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of provisions held	6,542	352	1,551	3,745	5,648	12,190
निवल एनपीए / Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		297	40	0	337	337

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing				
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अव-मानक / Sub-standard	संदिग्ध / Doubtful	हानि / Loss	कुल अनर्जक अग्रिम / Total Non-Performing Advances	कुल / Total
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					802	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					759	
अंतिम शेष / Closing Balance		333	47	0	380	380
अस्थिर प्रावधान **Floating Provisions**						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						
जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						
घटाएं: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि Less: Amount drawn down during the year						
अस्थिर प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						
तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए और उनसे की गई वसूली **Technical write-offs and the recoveries made thereon**						
तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						58,226
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						517
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खातों में हुई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						2,385@
अंतिम शेष Closing balance						56,358

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

31 मार्च 2025 को अग्रिमों का वर्गीकरण और धारित प्रावधान
Classification of advances and provisions held as on March 31, 2025

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing				
	कुल मानक अग्रिम (क) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (ख) Total Non-Performing Advances (B)	कुल (क+ख) Total (A+B)
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए Gross Standard Advances & NPA						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1,87,977	2,053	2,680	4,184	8,917	1,96,894
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					1,923	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					4,145	
अंतिम शेष / Closing Balance	2,18,062	632	2,155	3,908	6,695	2,24,757
सकल एनपीए में कमी के कारण: Reductions in Gross NPAs due to:						
i) उन्नयन Up-gradation					826	
ii) वसूलियां (अपग्रेड खातों से हुई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					2,195	
iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Technical/ Prudential Write-offs					939	
iv) उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए Write-offs other than those under (iii) above					185	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)^ Provisions (excluding Floating Provisions)^						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	4,817	1,441	2,648	4,184	8,273	13,090
जोड़ें:वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					1,689	
घटाएं: रिवर्स किये गये आधिक्य प्रावधान/ बट्टे खाते डाले गये ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					3,604	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of provisions held	7,563	335	2,115	3,908	6,358	13,921
निवल एनपीए / Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		612	32	0	644	

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing				
	कुल मानक अग्रिम (क) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (ख) Total Non-Performing Advances (B)	कुल (क+ख) Total (A+B)
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					693	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					1,000	
अंतिम शेष / Closing Balance		297	40	0	337	337
अस्थिर प्रावधान **Floating Provisions**						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						
जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						
घटाएं: वर्ष के दौरान कम की गई राशि Less: Amount drawn down during the year						
अस्थिर प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						
तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए और उनसे की गई वसूली **Technical write-offs and the recoveries made thereon**						
तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						61,897
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						939
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खातों से हुई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						4,610[@]
अंतिम शेष Closing balance						58,226

[@] विनिमय अंतर (निवल)

[@] Exchange differences (net)

^ रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों में बदलाव के अनुसार, निवल एनपीए की गणना के उद्देश्य से एनपीवी के लिए प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है.

^ Pursuant to change in extant RBI guidelines, provision for NPV is excluded for the purpose of computation of Net NPA.

टिप्पणी: 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने आईआरएसी मानदंडों से अधिक अतिरिक्त प्रावधान किया है.

Note: During financial year ended March 31, 2026 and March 31, 2025, Bank has made additional provision of over and above the IRAC norms..

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुपात Ratios	वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए / Gross NPA to Gross Advances	2.32%	2.98%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए / Net NPA to Net Advances	0.15%	0.15%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्युओ सहित) Provision Coverage Ratio (including TWO)	99.39%	99.48%

ii) क्षेत्र-वार अग्रिम और सकल एनपीए
Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं Sl. No	क्षेत्र@ Sector@	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026			31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025		
	विवरण Particulars	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
अ A	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector**						
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	28,003	1,826	6.52%	23,820	1,741	7.31%
	कृषि और वानिकी Agriculture and Forestry	22,761	1,657	7.28%	18,864	1,601	8.49%
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उधार के लिए पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	9,392	294	3.13%	6,861	299	4.35%
	विनिर्माण / Manufacturing	6,274	255	4.06%	4,871	251	5.16%
	निर्माण / Construction	2,582	38	1.48%	1,856	41	2.19%
3	सेवाएं / Services	23,559	585	2.48%	20,189	517	2.56%
	थोक और खुदरा व्यापार Wholesale and Retail Trade	14,958	459	3.07%	9,683	391	4.04%
4	वैयक्तिक ऋण / Personal loans	23,565	364	1.55%	15,715	267	1.70%
	उप-कुल (अ) / Sub-total (A)	**84,519**	**3,069**	**3.63%**	**66,585**	**2,824**	**4.24%**

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं Sl. No		क्षेत्र@ Sector@	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026			31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025		
		विवरण Particulars	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
आ B	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector**							
	1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	236	-	0.00%	282	-	0.00%
		कृषि और वानिकी Agriculture and Forestry	232	-	0.00%	257	-	0.00%
	2	उद्योग क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector	54,520	339	0.62%	48,578	695	1.43%
		विनिर्माण / Manufacturing	27,116	106	0.39%	19,547	93	0.47%
		बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति Electricity, Gas And Water Supply	4,120	9	0.21%	4,876	136	2.78%
		खनन एवं उत्खनन Mining and Quarrying	386	-	0.00%	5,071	-	0.00%
	3	सेवाएं / Services	12,373	133	1.07%	13,800	539	3.91%
		थोक और खुदरा व्यापार Wholesale and Retail Trade	3,622	46	1.26%	4,425	61	1.37%
		वित्तीय मध्यस्थता Financial Intermediation	5,651	-	0.00%	4,193	338	8.07%
		रियल इस्टेट, किराया एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ Real Estate, Renting and Business Activities	1,804	18	1.02%	1,055	19	1.80%
		परिवहन, भण्डारण एवं संचार Transport, Storage and Communications	471	58	12.21%	2,811	76	2.72%
	4	**वैयक्तिक ऋण Personal loans**	**1,07,627**	**2,487**	**2.31%**	**95,512**	**2,637**	**2.76%**
		उप-कुल (आ) / Sub-total (B)	**1,74,755**	**2,959**	**1.69%**	**1,58,172**	**3,871**	**2.45%**
		कुल (अ+आ) / TOTAL (A+B)	**2,59,274**	**6,028**	**2.32%**	**2,24,757**	**6,695**	**2.98%**

@ उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं, उन्हें अलग से प्रकट किया जाता है.
@ - Sub-sectors where the outstanding advances exceed 10% of the outstanding total advances to that sector is disclosed separately..

iii) **समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए और राजस्व**
Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
कुल आस्तियां / Total Assets	18,450	14,573
कुल एनपीए (निवल) / Total NPAs (Net)	शून्य / NIL	शून्य / NIL
कुल राजस्व / Total Revenue	**1,080**	795

iv) **समाधान योजना और पुनर्संरचना का विवरण**
Particulars of resolution plan and restructuring

क) 'दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे' पर रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2025 को जारी 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025' के अनुरूप प्रकटीकरण,

a) Disclosure as per RBI Circular on 'Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets' issued vide Reserve Bank of India (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025 dated November 28, 2025, .

31 मार्च 2026 को / As at March 31, 2026:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	आरपी कार्यान्वयन की स्थिति Status of RP Implementation	मामले Cases	बकाया शेष (एफबी+एनएफबी) O/S Balance (FB+NFB)	कुल धारित प्रावधान Total Provision Held	विलंबित कार्यान्वयन हेतु प्रावधान (यदि कोई हो) Provision for Delayed Implementation (if any)
1	कार्यान्वित Implemented	9	2,219	1,205	304
2	गैर-कार्यान्वित Non implemented	4	625	540	61
	कुल / Total	**13**	**2,844**	**1,746**	**365**

31 मार्च 2025 को / As at March 31, 2025:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	आरपी कार्यान्वयन की स्थिति Status of RP Implementation	मामले Cases	बकाया शेष (एफबी+एनएफबी) O/S Balance (FB+NFB)	कुल धारित प्रावधान Total Provision Held	विलंबित कार्यान्वयन हेतु प्रावधान (यदि कोई हो) Provision for Delayed Implementation (if any)
1	कार्यान्वित Implemented	19	5,086	4,207	229
2	गैर-कार्यान्वित Non implemented	36	17,087	17,077	210
	कुल / Total	55	**22,173**	**21,284**	**439**

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

ख) पूंजी बाज़ार एक्सपोजर स्थिति पर विनियामकीय सीमा/ पाबंदी से छूट प्राप्त ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन के कारण इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण.

b) Acquisitions of Equity Shares due to conversion from Debt to Equity exempted from Regulatory Ceilings/ Restrictions on Capital Market Exposure Position

विवरण Particulars		पुनर्संरचना के अधीन Under Restructuring
31 मार्च 2026 को पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on March 31, 2026	उधारकर्ताओं की संख्या# Number of Borrowers#	26
	बकाया राशि (₹ करोड़)* Amount Outstanding (₹ crore)*	460
31 मार्च 2025 को पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on March 31, 2025	उधारकर्ताओं की संख्या Number of Borrowers	25
	बकाया राशि (₹ करोड़) Amount Outstanding (₹ crore)	581

 # 3 कंपनियों में संपूर्ण इक्विटी शेयरधारिता की बिक्री / बट्टे खाते डालने के कारण उधारकर्ताओं की संख्या कम हो गई है.
 # No. of borrowers have been reduced due to sale/ write-off of entire equity shareholding in 3 companies.

4 कंपनियों में नए अधिग्रहण भी किए गए हैं.
There is also new acquisition in 4 companies.

** 3 कंपनियों के शेयरों की ₹ 167 करोड़ में बिक्री तथा 4 कंपनियों के पुनर्गठित इक्विटी शेयरों के ₹ 46 करोड़ के अधिग्रहण के कारण बकाया राशि में ₹ 121.00 करोड़ की कमी हुई है.*
** Outstanding amount has been decreased by ₹ 121.00 crore due to sale of shares of 3 companies amounting of ₹ 167 crore and increase on account of acquisition of restructured equity shares of 4 companies amounting to ₹ 46 crore.*

v) आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में विचलन
Divergence in Asset Classification and Provisioning

जहां कहीं भी अतिरिक्त प्रावधान आकलित/अतिरिक्त सकल एनपीए रिज़र्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित किए जाते हैं, जो रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हों, बैंक को अपने वित्तीय विवरणों के लेखा नोटों में, रिज़र्व बैंक के वार्षिक पर्यवेक्षकीय प्रक्रिया के कारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन को प्रकट करना जरूरी होता है.

The bank is required to disclose the divergence in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever the additional provisioning assessed/ additional gross NPAs identified by RBI exceeds the threshold specified by RBI.

वित्तीय वर्ष 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आस्ति वर्गीकरण एवं एनपीए के संबंध में प्रावधानीकरण में कोई भी रिपोर्ट योग्य विचलन नहीं पाया गया.

There was no reportable divergence in asset classification and provisioning for NPA identified during the FY 2025-26 and FY 2024-25.

vi) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटन
Disclosure of Transfer of loan exposures

(i) ऐसे ऋणों के संबंध में जिसमें चूक नहीं हुई है, और जिनको अंतरित या अधिगृहीत किया गया है, का प्रकटन निम्नानुसार है:
In respect of loans not in default that are transferred or acquired, the disclosure is as follows:

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान चूक न होने वाले ऋणों के अंतरण का विवरण - शून्य (पिछला वर्ष: शून्य)
(a) Details of loans not in default transferred during FY 2025-26 – Nil (Previous year: Nil)

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(ख) **वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अधिगृहीत चूक न होने वाले ऋणों का विवरण**

(b) **Details of loans not in default acquired during FY 2025-26**

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2025-26		वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25	
	कॉरपोरेट खंड Corporate Segment	खुदरा खंड Retail Segment	कॉरपोरेट खंड Corporate Segment	खुदरा खंड Retail Segment
अधिग्रहण का प्रकार Mode of Acquisition	लागू नहीं / NA	समनुदेशन Assignment	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अधिग्रहीत ऋण का कुल बकाया मूलधन Aggregate principal outstanding of loan acquired	लागू नहीं / NA	3,991	शून्य / Nil	शून्य / Nil
प्रदत्त कुल प्रतिफल Aggregate consideration paid	लागू नहीं / NA	3,592	शून्य / Nil	शून्य / Nil
भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में) Weighted average residual maturity (in years)	लागू नहीं / NA	14.32	शून्य / Nil	शून्य / Nil
आरंभक की भारित औसत धारिता अवधि Weighted average holding period of the originator (in years)	लागू नहीं / NA	1.35	शून्य / Nil	शून्य / Nil
आरंभक द्वारा हिताधिकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण Retention of beneficial economic interest by originator	लागू नहीं / NA	10%	शून्य / Nil	शून्य / Nil
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (गुणा) Coverage of tangible security (Times)	लागू नहीं / NA	2.62	शून्य / Nil	शून्य / Nil
मूल्य के आधार पर अधिग्रहित ऋणों का रेटिंग- वार वितरण Rating wise distribution of loans acquired by value	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / Not applicable	शून्य / Nil	शून्य / Nil

(II) अंतरित या अधिगृहीत दबावग्रस्त ऋणों के मामले में, प्रकटन निम्नानुसार है:
In the case of stressed loans transferred or acquired, the disclosure is as follows: :

(ग) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अंतरित/ अधिगृहीत एसएमए का विवरण - शून्य (पिछला वर्ष: शून्य)

(c) Details of SMA transferred/ acquired during FY 2025-26– Nil (Previous year: Nil)

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(घ) **वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अंतरित एनपीए/टीडब्ल्युओ का विवरण**
(d) **Details of NPAs/ TWO transferred during FY 2025-26**

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरीतियों को To permitted transferees	अन्य अंतरीतियों को To other transferees
खातों की सं. / No. of accounts	6	2	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की कुल मूलधन बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans transferred	1379	128	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	0	0	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0	0	शून्य / Nil
सकल प्रतिफल / Aggregate consideration	179	10	शून्य / Nil
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल (प्रतिभूति रसीदों से मोचन) / Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years (Redemption from Security Receipts)*	340	0	शून्य / Nil

** प्रतिभूति रसीदों से मोचन - ₹ 235 करोड़ है और लाभ का हिस्सा ₹ 105 करोड़ है.*
** Redemption from Security Receipts is ₹ 235 crore and upside sharing is ₹ 105 crore*

नोट: बैंक ने दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 133 करोड़ का प्रावधान रिवर्स किया है.
Note: Bank has reversed provision of ₹ 133 crore to profit and loss account on account of sale of stressed loans.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अंतरित एनपीए/टीडब्ल्युओ का विवरण
Details of NPAs/ TWO transferred during FY 2024-25

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरीतियों को To permitted transferees	अन्य अंतरीतियों को To other transferees
खातों की सख्या / No. of accounts	7	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की कुल मूलधन बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans transferred	2,135	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
सकल प्रतिफल Aggregate consideration	1,767	शून्य / Nil	शून्य / Nil

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरीतियों को To permitted transferees	अन्य अंतरीतियों को To other transferees
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल (प्रतिभूति रसीदों से मोचन) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years (Redemption from Security Receipts)	65*	शून्य / Nil	शून्य / Nil

** प्रतिभूति रसीदों से मोचन - ₹ 62 करोड़, लाभ में हिस्सा - ₹ 3 करोड़, एसआर मोचन पर ब्याज ₹ 0.22 करोड़, आदि.*
** redemptions from Security Receipts – ₹ 62 crore, upside sharing- ₹ 3 crore, interest on SR redemptions of ₹ 0.22 crore etc.*

टिप्पणी: बैंक ने दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 317 करोड़ का प्रावधान रिवर्स किया है.*
Note: Bank has reversed provision of ₹ 317 crore to profit and loss account on account of sale of stressed loans.*

** ₹ 10 करोड़ (अंतरण प्रतिफल) एक कंपनी से संबंधित है, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में अंतरित किया गया था, लेकिन प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में रिवर्स किया गया.*
** ₹ 10 crore (Transfer consideration) pertains to one Companhy which was transferred in Q4 of FY 2023-24, but reversal of provisioning done in Q1 of FY 2024-25.*

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अधिगृहीत ऋणों का विवरण / Details of loans acquired during the year FY 2025-26:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	एआरसी से From ARCs
अधिगृहीत ऋणों की कुल मूलधन बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल प्रदत्त प्रतिफल Aggregate consideration paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अधिगृहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अधिगृहीत ऋणों का विवरण / Details of loans acquired during the year FY 2024-25:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	एआरसी से From ARCs
अधिगृहीत ऋणों की कुल मूलधन बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल प्रदत्त प्रतिफल Aggregate consideration paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अधिगृहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil

31 मार्च 2026 को बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को दी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में वितरण :

The distribution of the Security Receipts (SRs) held by bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2026:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही लागत Book Cost (₹ करोड़) / (₹ Crore)
आरआर1+ / RR1+	0
आरआर1 / RR1	2,955
आरआर2 / RR2	0
आरआर3 / RR3	0
आरआर4 / RR4	0
आरआर5 / RR5	3
रेटिंग नहीं / Unrated	1,110
रेटिंग नहीं^ / Unrated^	29
कुल / Total	**4,097**

^ इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर में किया गया निवेश शामिल है. एआरसी को आस्तियों के अधिग्रहण की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर एक अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से एसआर की प्रारंभिक रेटिंग प्राप्त करनी होगी.

^ Includes Investment made during Q4 of FY2025-26 in SR that are guaranteed by Government of India. The ARC shall obtain initial rating of SRs from an approved credit rating agency within a period of six months from the date of acquisition of assets by it.

पोर्टफोलियो स्तर पर, बैंक ने ₹ 864 करोड़ की मार्क-टू-मार्केट हानि दर्ज की है. बैंक ने 31 मार्च 2026 को ₹ 4,097 करोड़ के एसआर निवेश पर 100% प्रावधान बनाए रखा.

At portfolio level, the Bank has mark-to-market loss of ₹ 864 crore. Bank maintained 100% provision on SRs Investment of ₹ 4,097 crore as on March 31, 2026.

31 मार्च 2026 को बैंक के पास ₹ 2,984 करोड़ की सरकारी गारंटीकृत एसआर थी, जिनके लिए पूरा प्रावधान कर रखा है. बैंक विवेकपूर्ण आधार पर ऐसे एसआर के लिए प्रावधान रखना जारी रखे है, जिसे सरकार से वसूली की वास्तविक प्राप्ति या दावों की स्वीकृति, यदि कोई हो, पर रिवर्स किया जाएगा.

At March 31, 2026, Bank held Government guaranteed SRs amounting to 2,984 crore, which were fully provided. The Bank, on a prudent basis, continues to hold provision against such SRs which will be reversed on actual receipt of recoveries or approval of claims, if any, by the Government.

भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर के उचित मूल्यांकन के कारण अप्राप्त लाभ को लाभ- हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है.

The unrealised gain on account of fair valuation of SRs guaranteed by Government of India is not recognised in Profit and Loss account.

31 मार्च 2025 को बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को दी गई वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में वितरण :

The distribution of the Security Receipts (SRs) held by bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2025:

वसूली रेटिंग बैंड **Recovery Rating Band**	बही लागत **Book Cost** **(₹ करोड़) / (₹ Crore)**
आरआर1+ / RR1+	10
आरआर1 / RR1	1,516
आरआर2 / RR2	161
आरआर3 / RR3	3
आरआर4 / RR4	0
आरआर5 / RR5	5
रेटिंग नहीं / Unrated	1,121
रेटिंग नहीं^ / Unrated ^	1,457
कुल / Total	**4,273**

^ इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर में किया गया निवेश शामिल है. एआरसी को आस्तियों के अधिग्रहण की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर एक अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से एसआर की प्रारंभिक रेटिंग प्राप्त करनी होगी.

^ Includes Investment made during Q3 & Q4 of FY2024-25 in SR that are guaranteed by Government of India. The ARC shall obtain initial rating of SRs from an approved credit rating agency within a period of six months from the date of acquisition of assets by it.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

vii) **सह-ऋण व्यवस्था (सीएलए) पर प्रकटीकरण:**
Disclosure on Co-Lending Arrangements (CLA):

भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025 के अनुसार कुल आधार पर सह-ऋण व्यवस्था (सीएलए) का आवश्यक विवरण निम्नानुसार है:
The necessary details of Co-Lending Arrangements (CLAs) on an aggregate basis as per Reserve Bank of India (Commercial Banks-Transfer and Distribution of Credit Risk) Directions, 2025 is as follows:

क्रम संख्या Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 के अनुसार As at March 31, 2026
1	सीएलए की मात्रा Quantum of CLA	
	- सीएलए भागीदारों की संख्या - Number of CLA partners	9
	- ऋण खातों की संख्या - Number of loan accounts	40266
	- बकाया राशि (₹ करोड़ में) - Amount outstanding (₹ in Crore)	886
2	भारित औसत. ब्याज दर (आरओआई) Weighted Average. Rate of Interest (ROI)	9.32%
3	प्रदत्त शुल्क (जीएसटी सहित) (₹ करोड़ में) Fees Paid (Including GST) (₹ in Crore)	1
4	व्यापक क्षेत्र Broad Sectors	प्रतिभूत/अप्रतिभूत एमएसएमई ऋण Secured/Unsecured MSME Loan आवास ऋण Housing Loan कृषि स्वर्ण ऋण Agri Gold Loan वाणिज्यिक वाहन ऋण Commercial Vehicle Loan
5	सीएलए के तहत ऋणों का प्रदर्शन Performance of Loans under CLA - मानक ऋण - Standard Loans - अनर्जक ऋण - Non performing Loans	 ₹ 873 करोड़/crore ₹ 13 करोड़/crore
6.	चूक हानि गारंटी (यदि कोई हो) का विवरण (₹ करोड़ में) Details of Default Loss Guarantee (if any) (₹ in Crore)	शून्य / Nil

viii) **लंबित गैर निधि-आधारित (एनएफबी) ऋण सुविधाएं**
Non-Fund Based (NFB) Credit Facilities pending

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

		31 मार्च 2026 March 31, 2026 प्रतिभूत* हिस्सा Secured* Portion	31 मार्च 2026 March 31, 2026 अप्रतिभूत हिस्सा Unsecured Portion	31 मार्च 2025 March 31, 2025 प्रतिभूत* हिस्सा Secured* Portion	31 मार्च 2025 March 31, 2025 अप्रतिभूत हिस्सा Unsecured Portion
I	बकाया गारंटी (₹ करोड़) Outstanding Guarantees (₹ crore)	38,148	19,603	32,438	16,083
	i) भारत में / In India	37,616	19,521	31,985	15,968
	ii) भारत के बाहर / Outside India	532	82	452	115
II	स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व (₹ करोड़) Acceptances, Endorsements and other Obligations (₹ crore)	4,978	3,174	5,560	2,546
III	अन्य एनएफबी ऋण सुविधाएं (₹ करोड़) Other NFB Credit facilities (₹ crore)	5,106	5,155	4,692	4,062

** प्रतिभूत हिस्सा भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के तहत परिभाषित किये अनुसार है.*

** Secured portion is as defined under Reserve Bank of India (Commercial Banks – Credit Facilities) Directions, 2025.*

ix) **वर्ष के दौरान रिपोर्ट धोखाधड़ी के मामले और प्रावधान**
Fraud Reported and Provision made during the Year

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या / Number of Frauds reported	1468	586
धोखाधड़ी में शामिल राशि / Amount involved in fraud	1822@	6136
ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किये गये प्रावधान की राशि / Amount of provision made for such frauds	99*	136
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधि' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि / Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	शून्य / NIL	शून्य / Nil

** प्रावधान की राशि वसूली को घटाकर है.*

** Amount of provision is net of recovery*

@01.04.2025 से 31.03.2026 के दौरान कुल 1468 धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 60 संपत्ति धोखाधड़ी के मामले थे जिनकी राशि ₹1812 करोड़ के थी (प्रावधान ₹ 98 करोड़, वसूली ₹6 करोड़ और राइट-ऑफ राशि ₹1708 करोड़) और 1408 देयता धोखाधड़ी के मामले (सीएफआरएस में 179 मामले और सीपीएफआईआर में 1229 मामले)थे जिनकी राशि ₹10 करोड़ थी (प्रावधान ₹1 करोड़ का किया गया).

@During 01.04.2025 to 31.03.2026, total 1468 fraud cases were reported, wherein, 60 Asset fraud cases amounting to ₹ 1812 crore (Provision is ₹ 98 crore, recovery is ₹ 6 crore and Write off amount is ₹ 1708 crore) and 1408 liability fraud cases (179 cases in CFRS and 1229 cases in CPFIR) amounting to ₹10 crore (Provision done for ₹ 1 crore)

नोट : वर्ष 01.04.2025 से 31.03.2026 के दौरान, 2 धोखाधड़ी के मामले जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में दर्ज किए गए थे, राशि ₹ 1014 करोड़ को रिज़र्व बैंक द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया था. उपरोक्त डेटा उल्लिखित 2 खातों को छोड़कर है.

Note: During the year 01.04.2025 to 31.03.2026, 2 Fraud cases which were reported in FY 2025-26, amounting to ₹ 1014 crore were deactivated by RBI. Above data is exclusive of mentioned 2 accounts.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

x) परियोजना वित्त से संबंधित प्रकटीकरण
Disclosure related to project finance

दिनांक 28 नवंबर 2025 के मास्टर निदेश 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025' अनुसार, 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए परियोजना वित्त से संबंधित प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:
As per Master Direction 'Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025' dated November 28, 2025, disclosure related to project finance for the Quarter ended March 31, 2026 are given below:

क्रम संख्या Sl. No.	मद का विवरण Item Description	मार्च 26 को समाप्त तिमाही के लिए For the Quarter ended March 26		दिसम्बर 25 को समाप्त तिमाही के लिए For the Quarter ended Dec 25	
		खातों की संख्या Number of accounts	कुल बकाया (₹ करोड़ में) Total outstanding (in ₹ crore)	खातों की संख्या Number of accounts	कुल बकाया (₹ करोड़ में) Total outstanding (in ₹ crore)
1	तिमाही की शुरुआत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजना खाते Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter.	68	1,118*	80	1,439
2	तिमाही के दौरान मंजूर कार्यान्वयन के अधीन परियोजना खाते Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter.	49	465	6	20
3	कार्यान्वयन के अधीन परियोजना खाते जिनका तिमाही के दौरान डीसीसीओ हासिल हुआ Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter	33	250	18	549
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन के अधीन परियोजना खाते (1 + 2-3) Projects under implementation accounts at the end of the quarter. (1+2-3)	84	1,333	68	910
5	4 में से - ऐसे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ, जो भी मामला हो, में विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	21	58	-	-
5.1	5 में से - ऐसे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है. Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	-	-	-	-
5.2	5 में से - ऐसे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वित की जा रही है. Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	21	58	-	-
5.3	5 में से - ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल हो गई है. Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	-	-	-	-

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

क्रम संख्या Sl. No .	मद का विवरण Item Description	मार्च 26 को समाप्त तिमाही के लिए For the Quarter ended March 26		दिसम्बर 25 को समाप्त तिमाही के लिए For the Quarter ended Dec 25	
		खातों की संख्या Number of accounts	कुल बकाया (₹ करोड़ में) Total outstanding (in ₹ crore)	खातों की संख्या Number of accounts	कुल बकाया (₹ करोड़ में) Total outstanding (in ₹ crore)
6	5 में से, ऐसे खाते जिनके के संबंध में परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण मूल/विस्तारित, जो भी मामला हो, डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है. Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project.	-	-	-	-
7	5 में से, ऐसे खाते, जिसके संबंध में मूल/विस्तारित, जो भी मामला हो, डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित लागत वृद्धि का वित्तपोषण किया गया था Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original / extended DCCO, as the case may be, was funded	-	-	-	-
7.1	7 में से, ऐसे खाते जिनमें वित्तीय पूर्णता के दौरान एसबीसीएफ मंजूर किया गया था और लगातार नवीनीकृत किया गया था Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	-	-	-	-
7.2	7 में से, ऐसे खाते जहां एसबीसीएफ को पूर्व-अनुमोदित नहीं किया गया था या लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया था Out of '7', accounts where SBCF was not presanctioned or renewed continuously	-	-	-	-
8	4 में से - ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान प्रक्रिया लागू की गई है जिसमें मूल/विस्तारित, जो भी मामला हो, डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं है Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original / extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	-	-	-	-
8.1	8 में से - ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना को लागू किया गया है Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	-	-	-	-
8.2	8 में से - ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वित की जा रही है Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.			-	-
8.3	8 में से - ऐसे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.	-	-	-	-

**इसमें तिमाही की शुरुआत में मौजूद कार्यान्वयन के अधीन परियोजना खातों में 2026 की चौथी तिमाही के दौरान ₹ 208 करोड़ की अंतरित राशि शामिल है.*

** It includes movement of ₹ 208 crore during Q4-2026 in project under implementation accounts existing at the beginning of the quarter.*

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

xi) **कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटन**
Disclosure under Resolution Framework for COVID-19- related stress

'कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचे' के बारे में रिज़र्व बैंक के दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र सं. आरबीआई/2020-21/16 डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 के अनुसार प्रकटन.
Disclosure as per RBI circular No. RBI/2020-21/16 DOR. No. BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 under "Resolution Framework for COVID-19 related stress".

(i) **वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रकटन**
Disclosure for FY 2025-26

31 मार्च 2026 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन:
Disclosure for Half Year ended March 31, 2026:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	(अ) / (A)	(आ) / (B)	(इ) / (C)	(ई) / (D)	(उ) / (E)
उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - 30 सितंबर 2025 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति [1, 2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended September 30, 2025[1, 2]	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गई Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year	(अ) में से वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the year	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि[3] Of (A) amount paid by the borrower during the half year[3]	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर -31 मार्च 2026 को समाप्त इस छमाही की स्थिति [1, 2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended March 31, 2026[1,2]
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	1,382#	16	-	231	1,254
कॉरपोरेट व्यक्ति Corporate persons	86	-	-	1	94
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	152	0	-	17	144
अन्य / Others	6	0	-	1	4
कुल / Total	**1,474**	**16**	**-**	**233**	**1,352**

 # उपर्युक्त राशि को पुनः वर्णित किया गया है.
 # The above amount has been re-stated..

1. *उधारकर्ताओं को अन्य सुविधाएं शामिल नहीं हैं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है.*
   Excludes other facilities to the borrowers which have not been restructured.
2. *मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि को दर्शाता है.*
   Represents Fund Based Oustanding Balances of Standard Accounts
3. *उधारकर्ताओं के ऋण खातों में क्रेडिट दर्शाता है.*
   Represents Credits to the loan accounts of the borrowers.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

30 सितंबर 2025 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन: / Disclosure for Half Year ended September 30, 2025:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	(अ) / (A)	(आ) / (B)	(इ) / (C)	(ई) / (D)	(उ) / (E)
उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - 31 मार्च 2025 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति [1, 2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended March 31, 2025[1, 2]	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गई Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year	(अ) में से वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the year	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि[3] Of (A) amount paid by the borrower during the half year[3]	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर -30 सितंबर 2025 को समाप्त इस छमाही की स्थिति [1, 2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended September 30, 2025[1, 2]
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	1,553	53	-	223	1,382#
कॉरपोरेट व्यक्ति Corporate persons	110	-	-	26	86
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	179	9	-	30	152
अन्य / Others	7	1	-	1	6
कुल / Total	**1,670**	**54**	**-**	**250**	**1,474**

#उपर्युक्त राशि को पुनः वर्णित किया गया है.
 # The above amount has been re-stated.

1. *उधारकर्ताओं को अन्य सुविधाएं शामिल नहीं हैं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है.*
   Excludes other facilities to the borrowers which have not been restructured.
2. *मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि को दर्शाता है.*
   Represents Fund Based Oustanding Balances of Standard Accounts
3. *उधारकर्ताओं के ऋण खातों में क्रेडिट दर्शाता है.*
   Represents Credits to the loan accounts of the borrowers.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रकटन / Disclosure for FY 2024-25

31 मार्च 2025 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन: / Disclosure for Half Year ended March 31, 2025:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	(अ) / (A)	(आ) / (B)	(इ) / (C)	(ई) / (D)	(उ) / (E)
उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - 30 सितंबर 2024 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति [1, 2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended September 30, 2024[1, 2]	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गई Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year	(अ) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half year	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि[3] Of (A) amount paid by the borrower during the half year[3]	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर -31 मार्च 2025 को समाप्त इस छमाही की स्थिति [1, 2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended March 31, 2025[1, 2]
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	1,741	55	1	248	1,553
कॉरपोरेट व्यक्ति Corporate persons	108	12	-	22	110
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	233	32	-	36	179
अन्य / Others	11	2	-	12	7
कुल / Total	**1,860**	**69**	**1**	**282**	**1,670**

1. *उधारकर्ताओं को अन्य सुविधाएं शामिल नहीं हैं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है.*
   Excludes other facilities to the borrowers which have not been restructured.
2. *मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि को दर्शाता है.*
   Represents Fund Based Oustanding Balances of Standard Accounts
3. *उधारकर्ताओं के ऋण खातों में चुकौती दर्शाता है.*
   Represents Repayments in the loan accounts of the borrowers.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन: / Disclosure for Half Year ended September 30, 2024:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	(अ) / (A)	(आ) / (B)	(इ) / (C)	(ई) / (D)	(उ) / (E)
उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति [1, 2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended March 31, 2024[1, 2]	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गई Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year	(अ) में से वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the year	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि[3] Of (A) amount paid by the borrower during the half year[3]	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर -30 सितंबर 2024 को समाप्त इस छमाही की स्थिति [1,2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended September 30, 2024[1,2]
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	2,002	82	-	296	1,741
कॉरपोरेट व्यक्ति Corporate persons	136	-	-	87	108
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	289	9	-	64	233
अन्य / Others	17	3	-	16	11
कुल / Total	**2,155**	**85**	**-**	**399**	**1,860**

1. *उधारकर्ताओं को अन्य सुविधाएं शामिल नहीं हैं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है.*
   Excludes other facilities to the borrowers which have not been restructured.
2. *मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि को दर्शाता है.*
   Represents Fund Based Oustanding Balances of Standard Accounts
3. *उधारकर्ताओं के ऋण खातों में क्रेडिट इंगित करता है.*
   Represents Credits to the loan accounts of the borrowers.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

5. एक्सपोजर / Exposures

(क) स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर
(a) Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

श्रेणी Category		31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
1.	प्रत्यक्ष एक्सपोजर / Direct exposure	95,354	85,323
	(क) आवासीय बंधक - (a) Residential Mortgages –	94,666	84,714
	आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	94,666	84,714
	उपर्युक्त में से ऐसे व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र हैं. Of above individual having housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	21,772	14,148
	(ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - (b) Commercial Real Estate –	688	610
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lending secured by mortgages on commercial real estates	85	100
	उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	45	96
	(ग) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर - (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –	0	0
	क. आवासीय, a. Residential,	0	0
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा b. Commercial Real Estate	0	0
2.	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर / Indirect Exposure	9,162	6,695
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	9,119	6,689
	उपर्युक्त में से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Of the above Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	15	14
	कोई अन्य-अप्रत्यक्ष एक्सपोजर / Any other - Indirect Exposure	43	6
	कुल / Total	**1,04,516**	**92,018**

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(ख) पूंजी बाज़ार में एक्सपोजर
(b) Exposure to Capital Market

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	3,106	975
(ii)	शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों (आईपीओ/ ईसॉप सहित) में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	249	200
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है; Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	1,212	927

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बांडों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर अथवा अप्रतिभूत आधार पर कॉरपोरेट को मंजूर ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	-	-
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में सभी एक्सपोजर All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered)	61	21
	पूंजी बाज़ार में कुल एक्सपोजर Total Exposure to Capital Market	**4,628**	**2123**

(ग) जोखिम श्रेणी-वार देश में एक्सपोजर
(c) Risk Category Wise Country Exposure

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2026 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2026	31 मार्च 2026 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2025	31 मार्च 2025 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2025
नगण्य / Insignificant	2,605	-	2,840	-
निम्न जोखिम / Low Risk	1,272	-	829	-
मध्यम निम्न जोखिम/ Moderately Low Risk	-	-	119	-
मध्यम जोखिम Moderate Risk	142	-	-	-

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2026 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2026	31 मार्च 2026 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2025	31 मार्च 2025 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2025
मध्यम उच्च जोखिम Moderately High Risk	-	-	-	-
उच्च जोखिम / High Risk	-	-	-	-
अति उच्च जोखिम Very High Risk	-	-	-	-
कुल / Total	**4,019**	**-**	**3,788**	**-**

31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को बैंक का किसी भी देश को निवल निधि आधारित एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है.
Bank's net fund based exposure to any of the countries is not more than 1% of total assets of the bank as on March 31, 2026 and as on March 31, 2025.

(घ) अप्रतिभूत अग्रिम
(d) Unsecured Advances

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total unsecured advances of the bank	39,373	35,704
उपर्युक्त में से, अग्रिमों की राशियां जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	-	-
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य Estimated value of such intangible securities	-	-

(ङ) फैक्टरिंग एक्सपोजर
(e) Factoring Exposures:

31 मार्च 2026 को व्यापार प्राप्य भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) बकाया ₹ 4,851 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,606 करोड़).
Trade Receivable Discounting System (TReDS) outstanding of ₹ 4,851 crore as at March 31, 2026 (previous year of ₹2,606 crore).

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(च) अंत:-समूह एक्सपोजर
(f) Intra-Group Exposures

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
(क) (a)	अंत:-समूह एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of intra-group exposures	1,349	1,319
(ख) (b)	शीर्ष 20 अंत:-समूह एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of top-20 intra-group exposures	1,349	1,319
(ग) (c)	उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में अंत:-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers	0.29%	0.32%
(घ) (d)	अंत:-समूह एक्सपोजर में सीमा उल्लंघन का वर्णन और इस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	शून्य / Nil	शून्य / Nil

(छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर
(g) Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक, अपनी ऋण नीति में विस्तृत रूप से बताये अनुसार, अपने उधारकर्ता के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) की निगरानी करता है और विनिमय दर प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपने ग्राहकों को उनके विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए प्रेरित करता है. बैंक समय-समय पर अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की जानकारी प्राप्त करता है और इसे आंतरिक रूप से विकसित प्रणाली में बनाए रखता है और विनिमय दर में घट-बढ़ के कारण संभावित नुकसान की गणना के लिए कार्यप्रणाली का पालन करता है. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए यूएफसीई का प्रावधान ₹ 40 करोड़ था. चूंकि वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कोई वृद्धिशील प्रावधान प्रस्तावित नहीं है, इसलिए 31 मार्च 2026 को यूएफसीई प्रावधान ₹ 40 करोड़ पर अपरिवर्तित है. 31 मार्च 2026 को जोखिम के प्रति रखी गई पूंजी ₹ 12 करोड़ थी (31 मार्च 2025 को ₹ 29 करोड़).

The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation. Bank obtains information on Un-hedged Foreign Currency Exposure from its customers on a periodic basis and maintains the same in an internally developed system and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The UFCE provisioning for the year ending March 31, 2025 amounted to ₹ 40 crore. As no incremental provisioning is proposed for FY 2026, the UFCE provision remains unchanged at ₹ 40 crore as at March 31, 2026. The capital held towards the risk stood at ₹ 12 crore as on March 31, 2026 (₹ 29 crore as on March 31, 2025).

(ज) सोने और चांदी की संपार्श्विक पर ऋण
(h) Loans against gold and silver collateral

(i) 31 मार्च 2026 को पात्र सोने और चांदी की संपार्श्विक पर दिए गए ऋणों का विवरण
Details of loans extended against eligible gold and silver collateral as at March 31, 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 - स्वर्ण और चांदी संपार्श्विक पर ऋण के बारे में रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार नई प्रकटीकरण की आवश्यकता रिज़र्व बैंक के 28 नवंबर 2025 के निदेशों में निर्धारित अनुसार रिज़र्व बैंक के संशोधित निदेशों को अपनाने के बाद से लागू है. रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार, नए दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए निर्धारित समय-सीमा 1 अप्रैल 2026 से बाद की नहीं है. बैंक 1 अप्रैल 2026 से नए निदेशों को अपनाएगा.

The new disclosure requirement as per RBI Circular on - Reserve Bank of India (Commercial Banks – Credit Facilities) Directions, 2025 - Loans against Gold and Silver Collateral is applicable from adoption of Revised Directions of RBI as stipulated in RBI Directions dated November 28, 2025. As per the RBI Directions, the timeline stipulated for adoption of new guidelines is not later than April 1, 2026. The Bank will adopt new directions with effect from April 1, 2026.

(ii) **सोने और चांदी की संपार्श्विक और नीलामी का विवरण**
Details of gold and silver collateral and auctions

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 - स्वर्ण और चांदी संपार्श्विक पर ऋण के बारे में रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार नई प्रकटीकरण की आवश्यकता, रिज़र्व बैंक के 28 नवंबर, 2025 के निदेशों में निर्धारित अनुसार रिज़र्व बैंक के संशोधित निदेशों को अपनाने के बाद से लागू है. रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार, नए दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए निर्धारित समय-सीमा 1 अप्रैल 2026 से बाद की नहीं है. बैंक 1 अप्रैल 2026 से नए निदेशों को अपनाएगा.

The new disclosure requirement as per RBI Circular on - Reserve Bank of India (Commercial Banks – Credit Facilities) Directions, 2025 - Loans against Gold and Silver Collateral is applicable from adoption of Revised Directions of RBI as stipulated in RBI Directions dated November 28, 2025. As per the RBI Directions, the timeline stipulated for adoption of new guidelines is not later than April 1, 2026. The Bank will adopt new directions with effect from April 1, 2026.

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा एनपीए का संकेंद्रण
Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

(क) जमाराशियों का संकेंद्रण
(a) Concentration of Deposits

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of the twenty largest depositors	41,743	37,435
बैंक की कुल जमाराशियां Total Deposits of the Bank	3,47,163	3,10,212
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	12.02%	12.07%

(ख) अग्रिमों का संकेंद्रण
(b) Concentration of Advances

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	59,102	54,159
कुल अग्रिम Total Advances	4,24,685	3,90,354
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	13.92%	13.87%

नोट: कुल अग्रिमों की गणना क्रेडिट एक्सपोजर अर्थात डेरिवेटिव एक्सपोजर सहित निधिक और गैर-निधिक सीमाएं, जहां भी लागू होती हैं, के आधार पर की गई है. मंजूर सीमा या बकाया, जो भी अधिक हो, को एक्सपोजर गणना के लिए लिया गया है. हालांकि, पूरी तरह से आहरित सावधि ऋणों के मामले में, जहां मंजूर सीमा के किसी भी हिस्से को और आहरण करने की कोई गुंजाइश नहीं है, बैंक ने बकाया को क्रेडिट एक्सपोजर के रूप में लिया है.

Note: Total Advances has been computed on the basis of credit exposure i.e. funded and non-funded limits including derivative exposures wherever applicable. The sanctioned limits or outstanding, whichever is higher, has been reckoned for exposure computation. However, in the case of fully drawn term loans, where there is no scope for re-drawal of any portion of the sanctioned limit, bank has reckoned the outstanding as the credit exposure.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(ग) एक्सपोजर का संकेंद्रण
(c) Concentration of Exposures

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	65,017	56,408
कुल एक्सपोजर Total Exposure	4,55,198	4,14,002
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	14.28%	13.63%

नोटः रिजर्व बैंक के 1 जुलाई 2015 के एक्सपोजर मानदंडों पर दिशानिर्देशों के बारे में एक्सपोजर मानदंडों पर मास्टर परिपत्र के आधार पर.
Note: Based on RBI guidelines on exposure norms dated July 01, 2015 Master Circular on Exposure norms.

(घ) एनपीए का संकेंद्रण
(d) Concentration of NPAs

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
बीस शीर्ष एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर# Total Exposure to top twenty NPA accounts#	679	1,427
कुल सकल एनपीए की तुलना में बीस सबसे बड़े एनपीए को एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	11.26%	21.31%

 # कुल एक्सपोजर में केवल निधि आधारित बकाया राशि शामिल है .
 # Total Exposure includes fund based outstanding amount only.

7. डेरिवेटिव / Derivatives

(क) डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का विवरण
(a) Details of Derivative portfolio

		31 मार्च 2026 March 31, 2026			31 मार्च 2025 March 31, 2025		
		लेवल 1 / Level 1	लेवल 2 / Level 2	लेवल 3 / Level 3	लेवल 1 / Level 1	लेवल 2 / Level 2	लेवल 3 / Level 3
I)	ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरएस) **Interest Rate Derivatives (IRS)**						
	एमटीएम - आस्तियाँ MTM – Assets		24.14			112.72	
	एमटीएम - देयताएं MTM – Liabilities		(27.84)			(113.23)	
	लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया निवल लाभ/ हानि Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account		(1.04)			2.16	

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

			31 मार्च 2026 March 31, 2026			31 मार्च 2025 March 31, 2025		
			लेवल 1 / Level 1	लेवल 2 / Level 2	लेवल 3 / Level 3	लेवल 1 / Level 1	लेवल 2 / Level 2	लेवल 3 / Level 3
II)	क) A)	**विनिमय दर डेरिवेटिव (मुद्रा स्वैप) Exchange Rate Derivatives (Currency Swap)**						
		एमटीएम - आस्तियाँ MTM – Assets		25.39			-	
		एमटीएम - देयताएं MTM – Liabilities		(25.54)			-	
		लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया निवल लाभ/हानि Net Gain / Loss recognised in Profit &Loss Account		(0.34)			0.10	
II)	ख) B)	**विनिमय दर डेरिवेटिव (विकल्प) Exchange Rate Derivatives (Options)**						
		एमटीएम - आस्तियाँ MTM – Assets		-			0.30*	
		एमटीएम - देयताएं MTM – Liabilities		-			(0.30)#	
		लाभ और हानि खाते (हानि) में दर्शाया गया निवल लाभ/हानि Net Gain / Loss recognised in Profit &Loss Account		0.00$			0.09	
III)		**ऋण जोखिम डेरिवेटिव Credit Risk Derivatives**						
		एमटीएम - आस्तियाँ MTM – Assets						
		एमटीएम - देयताएं MTM – Liabilities						
		लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया निवल लाभ/हानि Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account						
IV)	क) A)	**अन्य डेरिवेटिव (एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स और ब्याज दर फ्यूचर्स) Other Derivatives (Exchange traded Currency Futures & Interest rate Futures)**						
		एमटीएम - आस्तियाँ MTM – Assets	लागू नहीं @ / NA@			लागू नहीं @ / NA@		
		एमटीएम - देयताएं MTM – Liabilities	लागू नहीं @ / NA@			लागू नहीं @ / NA@		
		लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया निवल लाभ/हानि Net Gain / Loss recognised in Profit & Loss Account	4.71			94.62		

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

			31 मार्च 2026 March 31, 2026			31 मार्च 2025 March 31, 2025		
			लेवल 1 / Level 1	लेवल 2 / Level 2	लेवल 3 / Level 3	लेवल 1 / Level 1	लेवल 2 / Level 2	लेवल 3 / Level 3
IV)	ख) B)	**अन्य डेरिवेटिव (फॉरवर्ड) Other Derivatives (Forwards)**						
		एमटीएम - आस्तियाँ MTM – Assets		3,182.35		1,578.63		
		एमटीएम - देयताएं MTM – Liabilities		-3,609.25		-1,382.73		
		लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया निवल लाभ/हानि Net Gain / Loss recognised in Profit &Loss Account		467.56		354.47		

- *एमटीएम आस्तियां और देयताएं बकाया सौदों पर सकारात्मक और नकारात्मक एमटीएम को दर्शाती हैं.*
- *MTM Assets & Liabilities reflect positive & negative MTM on Outstanding deals.*
- *एमटीएम आस्तियों और देयताओं में बीसीवीए क्रेडिट जोखिम समायोजन भी शामिल हैं.*
- *MTM Assets & Liabilities includes BCVA credit risk adjustments also.*
- *निवल लाभ में - i) अप्राप्त लाभ और हानि, और ii) प्राप्त लाभ और हानि, दोनों शामिल हैं.*
- *Net Gain includes both - i) Unrealised P&L, and ii) Realised P&L*
- *एक्सचेंज में कारोबार किए गए उत्पादों पर लाभ और आय को छोड़कर, अन्य सभी मदों को लेवल 2 के रूप में माना जा रहा है.*
- *Except for Profit and Gain on Exchange traded products, all other items are being considered as Level 2.*

- *कोई बकाया मुद्रा स्वैप और विकल्प सौदा नहीं है, अतः एमटीएम शून्य है.*
- *No outstanding Currency Swap & Options deal therefore, MTM is Nil.*

* *वास्तविक आंकड़ा ₹ 0.2961 करोड़ रुपये*
* *Actual Figure INR 0.2961 crore*
\# *वास्तविक आंकड़ा ₹ (0.2986) करोड़ रुपये*
\# *Actual figure INR (0.2986) crore*
$ *वास्तविक आंकड़ा ₹ 0.0024 करोड़ रुपये*
$ *Actual figure INR 0.0024 crore*
@ *एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के लिए, केवल प्राप्त लाभ/हानि है और कोई एमटीएम नहीं है. इसलिए, लागू नहीं.*
@ *For exchange traded derivatives, there is only realised Gain/ Loss and no MTM. Therefore, Not Applicable (NA).*

ख) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप
(b) Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026		31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन* The notional principal of swap agreements*	**शून्य** / Nil	9,381	शून्य / Nil	40,363
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टी अपने दायित्व के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	**शून्य** / Nil	24	शून्य / Nil	113

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026		31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(iii)	स्वैप निष्पादित करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the Bank upon entering into swaps	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	शून्य / Nil	नीचे (i) देखें Refer (i) Below	शून्य / Nil	नीचे (i) देखें Refer (i) Below
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	शून्य / Nil	(4)	शून्य / Nil	(1)

* *इसमें विदेशी शाखा के आंकड़े भी शामिल हैं*

* *The figures include overseas branch also.*

(i) 31 मार्च 2026 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक का वर्तमान एक्सपोजर) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों को कुल वर्तमान एक्सपोजर ₹ 2 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8 करोड़) का 100% है.

Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2026 is at 100% of the total current exposure ₹ 2 crore (previous year ₹ 8 crore) from Corporate Clients to the Bank.

(ii) 31 मार्च 2026 को स्वैप का स्वरूप और इसकी शर्तें निम्नानुसार हैं:

The nature and terms of the Swaps on March 31, 2026 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या Nos.	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़) Notional Principal (₹ Crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	141	4,605	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	185	4,776	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(iii) 31 मार्च 2025 को स्वैप का स्वरूप और इसकी शर्तें निम्नानुसार हैं:
The nature and terms of the Swaps as on March 31, 2025 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या Nos.	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़) Notional Principal (₹ Crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	421	20,393	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	445	19,970	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable

(iv) पीवी01 के संदर्भ में ओआईएस पोर्टफोलियो की निवल खुली स्थिति ₹ 0.02 करोड़ नियत प्राप्त (पिछले वर्ष ₹0.0009 करोड़ से नकारात्मक थी) से नकारात्मक है, जिसका आशय है कि रुपया ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (आईएनआर ओआईएस) वक्र में एक आधार बिन्दु वृद्धि के लिए ₹ 0.02 करोड़ का संभावित नुकसान है. बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं के अनुसार सभी खुली स्थितियों की दैनिक आधार पर निगरानी और प्रबंधन किया जाता है.

Net open position of OIS portfolio in terms of PV01 is at negative ₹ 0.02 crore received in fixed (Previous Year was at negative ₹ 0.0009 crore) implying a potential loss of ₹ 0.02 crore for one basis point increase in the Rupee Overnight Indexed Swap (INR OIS) curve. All the open positions are monitored and managed on a daily basis in terms of risk limits approved by the Board.

(ग) एक्सचेंज में क्रय-विक्रय वाले ब्याज दर डेरिवेटिव
(c) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
(i)	**वर्ष के दौरान एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year**		
	क) a) मुद्रा फ्यूचर Currency Futures	2,994	85,311
	ख) b) ब्याज दर फ्यूचर Interest Rate Future	128	910
	ग) c) विकल्प Options	शून्य / Nil	शून्य / Nil

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
(ii)	**एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक मूलधन राशि** **Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding**		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य / Nil	1295
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iii)	**एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक मूलधन राशि और ''उच्च प्रभावी'' नहीं** **Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"**		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य/ Nil	शून्य / Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iv)	**एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज डेरिवेटिव का बकाया मार्क-टू-मार्केट मूल्य और ''उच्च प्रभावी'' नहीं** **Mark-to market value of exchange traded interest derivatives outstanding and not "highly effective"**		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य/ Nil	शून्य / Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य / Nil	शून्य / Nil

(घ) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन
(d) Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) गुणात्मक प्रकटन / Qualitative disclosures

(क) डेरेवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन
(a) The structure and organization for management of risk in derivatives trading

बैंक हेजिंग के साथ ही ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरेवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं. बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रमुख मुख्य जोखिम अधिकारी हैं.

The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc. The Bank has a well-defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organization, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by Chief Risk Officer.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(ख) जोखिम आकलन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणालियों का कार्यक्षेत्र और स्वरूप

(b) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems

जोखिम प्रबंधन ग्रुप, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनायमक दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम आदि के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. जोखिम का प्रबंध संबंधित समितियों (जैसे- ऋण जोखिम प्रबंध समिति, परिचालन जोखिम प्रबंध समिति और आस्ति देयता प्रबंध समिति) के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को आवधिक रूप से की जाती है.

The Risk Management Group is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks like credit risk, market risk, operational risk etc. in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of respective committees (viz. Credit Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Asset Liability Management Committee) with periodic reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.

(ग) हेजिंग/शमन की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए हेजिंग और /या जोखिम को कम करने और रणनीतियों और प्रक्रियाओं के लिए नीतियाँ.

(c) Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants

ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन तथा विधिक जोखिम को समझने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरिवेटिव लेन-देनों में ऋण एक्सपोजर का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरिवेटिव लेन-देन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्षकार को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के रूप में आकलित ऋण जोखिम एक्सपोजर, अनुमोदित सीमा के भीतर है तथा ग्राहक/दूसरे पक्षकार को लेन-देन की आवश्यक समझ है. बाज़ार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाज़ार दरों के प्रति संवेदनशीलता, अंतराल, ग्रीक्स, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. भौतिक रूप से निपटाए गए विदेशी मुद्रा अनुबंधों का भुगतान बनाम भुगतान के आधार पर निपटान किया जाता है ताकि विफल ट्रेडों के परिणामस्वरूप होने वाले मूल जोखिम को कम किया जा सके. जहां भी लागू हो, बैंक क्लोज़-आउट नेटिंग करारों, मार्जिन के आदान-प्रदान, सांपार्श्विक आदि के प्रभावी उपयोग से प्रतिस्थापन लागत जोखिम को कम करता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है.

Risk exposures in derivatives transactions are measured/ assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, gaps, greeks, stop loss etc. Physically-settled foreign exchange contracts are settled on payment versus payment (PvP) basis so as to mitigate principal risk resulting from failed trades. The Bank mitigates replacement cost risk by effective use of close-out netting agreements, exchange of margin, collaterals etc, wherever applicable. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

(घ) हेज और नॉन-हेज लेनदेन, आय निर्धारण, प्रीमियम और छूट, बकाया संविदाओं का मूल्यांकन, प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम न्यूनीकरण संबंधी रिकार्डिंग के लिए लेखांकन नीति.

(d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation

डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ''बैंक की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों'' में दिये गए हैं.
The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

(ii) मात्रात्मक प्रकटन / Quantitative disclosures

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026		31 मार्च 2025 March 31, 2025	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amt.)				
	क) हेजिंग के लिए a) For hedging	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ख) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	923	9,381	77	40,363
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट पोजीशन (1) Marked to Market Positions (1)				
	क) आस्ति (+) a) Asset(+)	26	24	0.00003	113
	ख) देयता (-) b) Liability (-)	(25)	(28)	(0.00006)	(113)
(iii)	ऋण जोखिम (2) Credit Exposure (2)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) On hedging derivatives	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) On trading derivatives	72	63	2	401
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)# Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)#				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	शून्य / Nil	2.09	शून्य / Nil	0.09
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम# Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year#				
	क) हेजिंग पर@ a) on hedging@				
	- अधिकतम / Maximum	शून्य / Nil	शून्य / Nil	0.02	शून्य / Nil
	- न्यूनतम / Minimum	शून्य / Nil	शून्य / Nil	0.001	शून्य / Nil

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026		31 मार्च 2025 March 31, 2025	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
	ख) ट्रेडिंग पर b) on trading				
	- अधिकतम / Maximum	0.0006	2	शून्य / Nil	7
	- न्यूनतम / Minimum	शून्य / Nil	0.0966	शून्य / Nil	0.09

*@ चूंकि लेनदेन आस्ति-देयता पोर्टफोलियो में ब्याज दर और मुद्रा जोखिमों से बचाव व्यवस्था के लिए किए जाते हैं, अतः बैंक अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 की गणना प्रत्येक माह के अंत में स्थिति के अनुसार करता है.*

*@Since the transaction are undertaken to hedge the interest rate and currency risks in the asset-liability portfolio, the bank is calculating the maximum and minimum of 100*PV01 on the positions as at the end of every month.*

दी गई राशियाँ निवल आधार पर हैं, मुद्रा विकल्पों को छोड़कर

 # Amounts given are on a net basis, excluding currency options

- डेरिवेटिव की आनुमानिक मूल राशि तुलन-पत्र की तिथि पर बकाया लेनदेन की मात्रा को दर्शाती है और जोखिम वाली राशियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है.
  The notional principal amounts of derivatives reflect the volume of transactions outstanding as at the Balance Sheet date and do not represent the amounts at risk.
- इस प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए; मुद्रा डेरिवेटिव में खरीदे और बेचे गए मुद्रा विकल्प तथा क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं; ब्याज दर डेरिवेटिव में ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार शामिल हैं.
  For the purpose of this disclosure; currency derivatives include currency options purchased and sold and cross currency swaps; interest rate derivatives include interest rate swaps, forward rate agreements.
- बैंक ने प्रत्येक दिन के अंत में शेष राशि के आधार पर वर्ष के लिए PV01 की अधिकतम और न्यूनतम गणना की है, जबकि हेज बुक के लिए PV01 की अधिकतम और न्यूनतम गणना प्रत्येक माह के अंत में शेष राशि के आधार पर की गई है.
  The Bank has computed the maximum and minimum of PV01 for the year based on the balances as at the end of each day while maximum and minimum of PV01 for Hedge book is computed on the balances as at the end of every month.
- डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में, बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा 28 नवम्बर 2025 को जारी ''वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता के बारे में विवेकपूर्ण मानदंड, निदेश, 2025'' और उसके बाद किसी भी संबंधित संशोधनों के आधार पर वर्तमान एक्सपोजर पद्धति के तहत एक्सपोजर की गणना करता है. तथापि, उपरोक्त तालिका में बिंदु संख्या (iii) में उल्लिखित उत्पाद-वार डेरिवेटिव एक्सपोज़र की गणना करने के उद्देश्य से, बैंक ने द्विपक्षीय नेटिंग के प्रभाव के बिना वर्तमान एक्सपोज़र पद्धति ('सीईएम') का उपयोग करके एक्सपोज़र की गणना की है.
  In respect of derivative contracts, the Bank computes the exposure under the Current Exposure Method based on RBI guidelines on "Commercial Banks - Prudential Norms on Capital Adequacy Directions, 2025" dated November 28, 2025 and any related amendments thereafter. However, for the purpose of calculating product-wise derivative exposure as mentioned in point number (iii) in table above, bank has calculated exposure using Current Exposure Method ('CEM') without the impact of Bilateral Netting

(ङ) ऋण चूक स्वैप

(e) Credit Default Swaps

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 और पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने कोई सीडीएस लेनदेन नहीं किया है.

During the current financial year 2025-26 and the previous year 2024-25, the Bank did not enter into any CDS transactions.

(च) दिनांक 28 नवंबर 2025 के रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश - (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन) (निदेश), 2025 के अनुसार बैंक ने अपने डेरिवेटिव आस्तियों एवं देयताओं को क्रमशः अनुसूची 11: "अन्य आस्तियां" तथा अनुसूची 5: "अन्य देयताएँ" के अंतर्गत पृथक मदों के रूप में प्रस्तुत किया है.

(f) Bank has presented its derivative asset and liabilities as separate line items under Schedule 11: 'Other Assets' and Schedule 5: 'Other Liabilities' respectively in accordance with RBI Master Direction – (Commercial Banks- Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio) (Directions), 2025 dated November 28, 2025.

8. प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटीकरण / Disclosures relating to securitisation

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए आस्तियां रखने वाले एसपीई की संख्या (यहाँ केवल बकाया प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की रिपोर्टिंग की जाये)/ No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	शून्य/ Nil	शून्य / Nil
2.	एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य/ Nil	शून्य / Nil
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन के संबंध में प्रवर्तक द्वारा धारित एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य/ Nil	शून्य / Nil
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर a) Off-balance sheet exposures	-	-
	• प्रथम हानि / First loss		
	• अन्य / Others		
	ख) तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर b) On-balance sheet exposures	-	-
	• प्रथम हानि / First loss		
	• अन्य / Others		

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025
4.	एमआरआर से इतर प्रतिभूतीकरण लेनदेनों में एक्सपोजर राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	क) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर a) Off-balance sheet exposures	-	-
	i) अपने प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to own securitisations		
	• प्रथम हानि / First loss		
	• अन्य / Others		
	ii) अन्य पक्षकार प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations		
	• प्रथम हानि / First loss		
	• अन्य / Others		
	ख) तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर b) On-balance sheet exposures	-	-
	i) अपने प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to own securitisations		
	• प्रथम हानि / First loss		
	• अन्य / Others		
	ii) अन्य पक्षकार प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations		
	• प्रथम हानि / First loss		
	• अन्य / Others		
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतीकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	शून्य / Nil	शून्य / Nil
6.	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतीकरण के बाद आस्ति सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं का प्रारूप और मात्रा (बकाया मूल्य). Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
7.	प्रदान की गई सुविधा का कार्यनिष्पादन. कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि. प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.	शून्य / Nil	शून्य / Nil

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As on March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As on March 31, 2025
	(क) प्रदत्त राशि (a) Amount paid	-	-
	(ख) प्राप्त चुकौती (b) Repayment received	-	-
	(ग) बकाया राशि (c) Outstanding amount	-	-
8.	अतीत में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत चूक दर. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग - अलग विवरण प्रदान करें. Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
9.	उसी अंतर्निहित आस्ति पर दिये गए अतिरिक्त/टॉप-अप ऋण की राशि और संख्या. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग - अलग विवरण प्रदान करें. Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
10.	निवेशकों की शिकायतें / Investor complaints (क) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (a) Directly/Indirectly received and; (ख) बकाया शिकायतें (b) Complaints outstanding	शून्य / Nil	शून्य / Nil

9. प्रायोजित तुलन-पत्र बाह्य एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है)
Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

31 मार्च 2026 March 31, 2026		31 मार्च 2025 March 31, 2025	
देशी / Domestic	विदेशी / Overseas	देशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईए निधि)
Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
i)	डीईए निधि में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	561	483
ii)	जोड़े : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEA Fund during the year	122	99
iii)	घटाएँ : दावों के लिए डीईए निधि से प्रतिपूर्ति की राशि Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	(37)	(21)
iv)	डीईए निधि में अंतरित अंतिम शेष राशि Closing Balance of amounts transferred to DEA Fund	646	561

11. शिकायतों का प्रकटन / Disclosure of Complaints

क) ग्राहकों से और बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों (ओबीओ) से बैंक को प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय)

a) Summary information on complaints received by the Bank from customers and from the Offices of Ombudsman (previously office of banking ombudsman)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें Complaints received by the Bank from its customers			
1	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	154	282
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या* Number of complaints received during the year*	66,538	49,508
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या* Number of complaints disposed during the year*	65,897	49,636
3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	949	1,099
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	795	154
ओबीओ से बैंक को प्राप्त स्वीकार्य शिकायतें Maintainable complaints received by the Bank from OBOs			
5	ओबीओ* से बैंक को प्राप्त स्वीकार्य शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the Bank from OBOs*	3,421$	2,595#
5.1	5 में से, ओबीओ द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by OBOs	2,756	2,184
5.2	5 में से, सुलह/मध्यस्थता/ ओबीओ द्वारा दी गई सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/ advisories issued by OBOs	596	223

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ ओबीओ द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या/ Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by OBOs against the bank	1	0
6	निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील वाले मामलों के अलावा)/ Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

नोट : उपर्युक्त सारांश में आयकर, सीबीआई और सतर्कता विभाग से प्राप्त शिकायतें शामिल नहीं हैं. इसके अलावा, ग्राहक सेवा के बारे में रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार, अगले कार्य दिवस के भीतर समाधान की गई शिकायतों को उपर्युक्त सारांश में शामिल नहीं किया गया है. बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के संबंध में 27 जनवरी 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार डेटा को संरेखित किया गया है.

Note: The above summary does not include complaints from Income Tax, CBI, and Vigilance. Further, as per RBI master circular on Customer Service, complaints resolved within the next working day are excluded from the above summary. The data has been aligned according to the circular issued by Reserve Bank of India on January 27, 2021 regarding Strengthening of Grievance Redress Mechanism in Banks.

** 0-1 दिन के भीतर निपटान की गई शिकायतों को छोड़कर.*

** excluding complaints resolved within 0-1 day.*

$ वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान प्राप्त 3,421 शिकायतों में से 68 शिकायतों पर ओबीओ से निर्णय प्राप्त होना बाकी है.

$ Out of the 3,421 complaints received during FY 2026, in 68 complaints decision is yet to be received from OBOs.

 # वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान प्राप्त 2,595 शिकायतों में से, वित्तीय वर्ष 2026 में 188 शिकायतों का निर्णय प्राप्त हुआ. जिनमें से 138 शिकायतों का समाधान ओबीओ द्वारा बैंक के पक्ष में किया गया और 50 शिकायतों का समाधान सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से किया गया.

 # Out of 2,595 complaints received during FY 2025, decision for 188 complaints was received in FY 2026. Of which, 138 complaints were resolved in favour of the bank by OBOs and 50 complaints were resolved through conciliation/mediation/ advisories.

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के पांच शीर्ष आधार:

b) Top five grounds of complaints received by the Bank from customers

शिकायतों के आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित थीं) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या के % में वृद्धि / कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	5 में से 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहीं शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
	वित्तीय वर्ष 2025-26 / FY 2025-26				
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/mobile/Electronic Banking	19	19,062	161.05	279	0
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of accounts	29	12,722	(6.98)	114	0

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

शिकायतों के आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित थीं) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या के % में वृद्धि / कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	5 में से 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहीं शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
एटीएम/डेबिटकार्ड ATM/Debit Cards	57	11,409	(21.83)	111	0
ऋण और अग्रिम Loans and advances	22	3,666	9.69	38	0
बिना किसी पूर्व-सूचना के शुल्क लगाना / अधिक शुल्क/फोरक्लोज़र शुल्क Levy of charges without prior notice/ excessive charges/foreclosure charges	8	1,331	63.53	20	0
अन्य Others	19	18,348	82.01	233	0
कुल / Total	**154**	**66,538**	**34.40**	**795**	**0**
	वित्तीय वर्ष 2024-25 / FY 2024-25				
एटीएम/डेबिटकार्ड ATM/Debit Cards	123	14,596	(51.67)	57	0
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of accounts	71	13,677	29.08	29	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/mobile/Electronic Banking	58	7,302	8.55	19	0
ऋण और अग्रिम Loans and advances	14	3,342	70.60	22	0
बिना किसी पूर्व सूचना के शुल्क लगाना/ अधिक शुल्क/फोरक्लोज़र शुल्क Levy of charges without prior notice/ excessive charges/foreclosure charges	2	510	26.55	8	0
अन्य Others	14	10,081	2.55	19	0
कुल / Total	**282**	**49,508**	**(17.09)**	**154**	**0**

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

12. लगाए गए दंड का प्रकटन
Disclosure on Penalties imposed

(i) **वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए:**
During the year following penalties were imposed by Reserve Bank of India:

(क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
(a) Banking Regulation Act, 1949

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	
		घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount	घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount
1	चेक संग्रहण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए दंड Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	-	-	-	-
2	• गुप्त दौरों के दौरान एटीएम आउट ऑफ कैश घटनाओं और सिक्कों एवं कम वर्गमूल्य के नोटों तथा कटे-फटे नोटों को बदलने संबंधी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया दंड. • Penalty imposed by RBI for ATM out of cash instances and non-compliance of guidelines on exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes during incognito visits. • बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दीये गए अल्पकालिक ऋणों की योजना पर रिज़र्व बैंक के 'ब्याज सबवेंशन' संबंधी निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहा. • Bank failed to comply with Reserve Bank 'Interest Subvention directions on Scheme for short term loans, for Agriculture and allied activities availed through Kisan Credit Card (KCC).	16	0.334	26	0.3895
3	करेंसी चेस्टों द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए विप्रेषणों के मामलों में रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट पर लगाए गए दंड Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	51	0.0158	91	0.0239
4	अन्य कारणों के लिए दंड, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया Penalties for other reasons not mentioned above	-	-	-	-
	कुल प्रदत्त दंड **Total Penalties Paid**	**67**	**0.3498**	**117**	**0.4134**

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(ख) **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007: शून्य**
(b) **Payment and Settlement System Acts, 2007: Nil**

(ग) **सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंसिंग के लिए) : शून्य**
(c) **Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL): Nil**

(घ) **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन: शून्य**
(d) **Disclosure on Penalties imposed by Reserve Bank of India (any other): Nil**

(ii) **वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए (रिज़र्व बैंक के अलावा):**
During the year following penalties were imposed (other than RBI)

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025	
		घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount	घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount
1	अन्य देशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड की कुल राशि Total amount of penalties levied by other domestic regulators	-	-	3	0.0055

13. पारिश्रमिक पर प्रकटन / Disclosures on Remuneration

(1) **गुणात्मक प्रकटन / Qualitative disclosures**

(क) **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना एवं अधिदेश से संबंधित सूचना:**

(a) **Information relating to the composition and mandate of the Nomination and Remuneration Committee:**

पारिश्रमिक की देखरेख करने वाली मुख्य निकाय का नाम, संरचना और अधिदेश:

Name, composition and mandate of the main body overseeing remuneration:

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) में चार सदस्य हैं, सभी गैर-कार्यपालक निदेशक हैं और एक स्वतंत्र निदेशक इसके अध्यक्ष हैं. सदस्यों के रूप में एक सरकारी नामिती निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं. समिति, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, एलओडीआर विनियमावली के विनियम 19 और अनुसूची II के भाग डी, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियमन, 2021 तथा निदेशकों की उपयुक्तता और योग्यता के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में प्रदत अधिदेशों/विचारार्थ विषयों को पूरा करती है जो निम्नानुसार हैं:

Nomination and Remuneration Committee (NRC) comprises of four members, all Non-Executive Directors with an Independent Director as its Chairman, one Government Nominee Director and three Independent Directors as members. The Committee fulfils the mandate / terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013, Regulation 19 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations, SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and RBI guidelines in respect of fit and proper status of Directors, as under :

- एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की अनुशंसा करना;

  Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a Director and recommend to the Board of Directors a policy relating to remuneration of the Directors, Key Managerial Personnel and other employees;

- बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र वाह्य एजेंसी द्वारा बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए पद्धति विनिर्दिष्ट करना और इसके कार्यान्वयन एवं अनुपालन की समीक्षा करना;
  To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual directors, to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;
- स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मण्डल के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
  Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- निदेशक मंडल में विविधता के लिए नीति तैयार करना;
  Devising a policy on diversity of Board of Directors;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की अनुशंसा करना;
  To identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management with the criteria laid down, and recommend to the Board of Directors their appointment and removal;
- निदेशकों की नियुक्ति और मूल्यांकन नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बोर्ड को निदेशकों की नियुक्ति और हटाने की अनुशंसा करना;
  To recommend to the Board the appointment and removal of Directors in accordance with the criteria laid down in the Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी. स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास ऐसे विवरण में तय की गई क्षमताएं होनी चाहिए. उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति निम्न कार्य कर सकती है:
  For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:
  क. यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग;
  a. Use the services of external agencies, if required;
  ख. विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करना; और
  b. Consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
  ग. उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार
  c. Consider the time commitments of the candidates.
- योग्यता, विशेषज्ञता, पिछले कार्यनिष्पादन, सत्यनिष्ठा, 'उपयुक्ता और योग्यता' मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतन्त्रता (यदि लागू हो) के आधार पर तथा स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/ नियुक्ति को जारी रखने के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाना तथा उसके संबंध में मानदंड तैयार करना;
  To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment / continuing to hold appointment as a Director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors including independent Directors and formulate the criteria relating thereto;
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार करना;
  Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc.
- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को देय पारिश्रमिक, चाहे जिस रूप में हो, की अनुशंसा करना;
  Recommend to the Board, all remunerations, in whatever form, payable to the senior management;
- क्षतिपूर्ति और विवेकपूर्ण जोखिम उठाने के बीच प्रभावी सुसंगतीकरण के लिए जोखिम प्रबंधन समिति के साथ गहन समन्वय के साथ कार्य करना;

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

To work in close coordination with Risk Management Committee to achieve effective alignment between compensation and prudent risk-taking;

- क्षतिपूर्ति प्रणाली की रूपरेखा और परिचालनों की देखरेख करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणाली अपेक्षानुसार कार्य करती है और यह वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए सिद्धांतों के अनुरूप है.

  To oversee the compensation system's design and operations to ensure that the system operates as intended and is also consistent with the principles outlined by the Financial Stability Board;

- क्षतिपूर्ति नीति के निर्धारण, समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशकों/महत्वपूर्ण जोखिम उठाने वालों के साथ-साथ जोखिम नियंत्रण और अनुपालन स्टाफ (बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के लिए) के लिए वार्षिक पारिश्रमिक का निर्णय लेना.

  To oversee framing, review and implementation of compensation policy and make annual remuneration decisions for Chief Executive Officer/Whole Time Directors/Material Risk Takers plus Risk Control and Compliance staff (for ratification by the Board);

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का लागत-आय अनुपात, ठोस पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखते हुए क्षतिपूर्ति का समर्थन करता है.

  To ensure that the cost to income ratio of the Bank supports the compensation consistent with maintaining sound capital adequacy ratio;

- बैंक की क्षतिपूर्ति प्रथाओं और नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में पर्यवेक्षी निरीक्षण करना. बैंकिंग क्षेत्र और सामान्य रूप से उद्योग से संबंधित विभिन्न विधियों द्वारा निर्धारित सभी प्रकटीकरण मानदंडों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना.

  To have supervisory oversight regarding implementation of compensation practices and policies of the Bank. To ensure complete compliance with all disclosure norms as prescribed by the various statutes relevant to the banking sector and industry in general;

- मैलस एंड क्लाबैक के लिए हर साल विशिष्ट मानदंडों की समीक्षा करना.

  To review specific criteria for Malus and Clawback every year;

- हर साल नकद आधारित प्रोत्साहनों और शेयर-संबद्ध प्रोत्साहनों के लिए कार्य-निष्पादन मानदंड और अंतिम भुगतान तय करना.

  To fix performance parameters & final payout for Cash based incentives and share-based incentives every year;

- महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों (एमआरटी) की पहचान करना जिनके कार्यों का बैंक के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जो गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानदंडों को पूरा करते हैं.

  To identify Material Risk Takers (MRTs) whose actions have a material impact on the risk exposure of the Bank, and who satisfy the qualitative and quantitative criteria;

- सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियमावली, 2021 के विनियम 5 के तहत निर्धारित क्षतिपूर्ति समिति के रूप में कार्य करना. सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियमावली, 2021 के तहत अधिदेशित कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना/कर्मचारी स्टॉक वृद्धि अधिकार (एसएआर) योजना का प्रबंध और पर्यवेक्षण करना तथा अन्य बातों के साथ-साथ उन कर्मचारियों के ग्रेडों को अनुमोदित करना जिन्हें विकल्प/एसएआर दिए जा सकते हैं और साथ ही विकल्प/एसएआर देने के लिए अपनाए जाने के लिए आवश्यक कार्यनिष्पादन स्तर और/ या कोई अन्य मानदंड निर्धारित करना.

  To act as the Compensation Committee as prescribed under Regulation 5 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021. To administer and supervise the Employee Stock Option Scheme/Employee Stock Appreciation Rights (SAR) Scheme of the Bank as mandated under the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and to inter-alia approve the grades of employees to whom options/SARs could be granted as well as determine the performance level and/or any other criteria required to be adopted for grant of options/SARs;

- बैंक की कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना/कर्मचारी स्टॉक वृद्धि अधिकार योजना को नियंत्रित करने वाली सभी शर्तों, उनमें किसी परिवर्तन सहित, का निर्धारण करना और अंतिम रूप देना, जो विनियामक और/या अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, की प्राप्ति के अधीन होगा.

  To determine and finalize all the terms and conditions governing the Employee Stock Option Scheme/ Employee Stock Appreciation Rights Scheme of the Bank including any variation thereof subject to receipt of requisite approval, if required under regulatory and/or other applicable laws;

- किसी भी स्टॉक विकल्प योजना या एसएआर योजना में संशोधन का सुझाव देना, बशर्ते कि ऐसी योजनाओं में सभी संशोधन बोर्ड के विचार और अनुमोदन के अधीन हों.
  To suggest amendments to any stock option plan or SAR scheme, provided that all amendments to such plans/schemes shall be subject to consideration and approval of the Board;

- हर साल क्षतिपूर्ति नीति की समीक्षा करना और जब कभी विनियामक दिशानिर्देशों/ अन्य कानूनों के तहत कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना/ कर्मचारी स्टॉक वृद्धि अधिकार योजना की समीक्षा करना आवश्यक हो, उसकी समीक्षा करना.
  To review the Compensation Policy annually and to review the Employee Stock Option Scheme/Employee Stock Appreciation Rights Scheme of the Bank as and when required under regulatory guidelines/other laws;

- विनियामक/ सांविधिक दिशा-निर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित कोई अन्य भूमिका का निर्वहन करना.
  To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory / statutory guidelines from time-to-time.

31 मार्च 2026 को एनआरसी के चार सदस्य थे जिसमें श्री दीपक सिंघल (स्वतंत्र निदेशक) इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में श्री मनोज सहाय (सरकारी नामिती निदेशक) और श्री एन. जंबुनाथन एवं श्रीमती पी. वी. भारती (स्वतंत्र निदेशक) शामिल थे.

As on March 31, 2026, the NRC comprised of four members with Shri Deepak Singhal (Independent Director) as its Chairman, Shri Manoj Sahay (Government Nominee Director) and Shri N. Jambunathan & Smt. P. V. Bharathi (Independent Directors) as other members.

(ख) पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को शामिल करने के तरीकों का विवरण. इसमें इन जोखिमों का ध्यान रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों का स्वरुप और प्रकार शामिल हो.

(b) Information relating to the design and structure of remuneration processes and the key features and objectives of remuneration policy:

विदेश स्थित सहायक संस्थाओं और शाखाओं पर लागू सीमा सहित बैंक की क्षतिपूर्ति नीति (पारिश्रमिक नीति) के कार्यक्षेत्र के संबंध में विवरण:

A description of the scope of the Bank's Compensation Policy (Remuneration Policy), including the extent to which it is applicable to foreign subsidiaries and branches:

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 4 नवंबर 2019 के परिपत्र सं.डीओआर.एपीपीटी. बीसी.सं.23/29.67.001/ 2019-20 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अपनी क्षतिपूर्ति नीति तैयार की है. (जिसे वापस ले लिया और 28 नवम्बर 2025 को समेकित मास्टर निदेश परिपत्र सं. आरबीआई/ डीओआर/ 2025-26/ 149 डीओआर. एचजीजी- जीओवी सं. 68/29.67.001/ 2025-26 जारी किया) क्षतिपूर्ति नीति बैंक की घरेलू शाखाओं/ कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू है. यह बैंक की सहायक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है.

The Bank has formulated its Compensation Policy based on the Reserve Bank of India guidelines issued vide Circular No. DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 (withdrawn and reissued consolidated Master Directions vide Circular No. RBI/DOR/2025-26/149 DOR.HGG.GOV. No.68/29.67.001/ 2025-26 dated November 28, 2025). The Compensation Policy is applicable to employees appointed at Bank's domestic branches/offices. It is not applicable to employees of subsidiaries of the Bank.

इसमें शामिल कर्मचारियों के प्रकार का विवरण और ऐसे कर्मचारियों की संख्या:

A description of the type of employees covered and number of such employees:

श्रेणी 1 / Category 1

एमडी एवं सीईओ तथा अन्य डब्ल्यूटीडी: / MD & CEO and Other WTDs:

इस श्रेणी में एमडी एवं सीईओ और दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) शामिल हैं. डब्ल्यूटीडी के लिए पारिश्रमिक संरचना में नियत व परिवर्ती वेतन शामिल है और परिवर्ती वेतन नियत वेतन के प्रतिशत के रूप में देय है और बैंक के कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है. बैंक के एमडी और सीईओ तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के लिए पारिश्रमिक संरचना एनआरसी / बोर्ड द्वारा तय की जाती है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है. क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए कंपनी

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अधिनियम, 2013 की धारा 197 और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35बी(1) के साथ पठित बैंक के संस्था-अंतर्नियम के खंड 119 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों की महासभा में अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है.

This category includes MD & CEO and two Deputy Managing Directors (DMDs). The remuneration structure for WTDs comprises of fixed and variable pay. Variable pay is payable as a percentage of fixed pay and is linked to the Bank's performance. The remuneration structure for MD & CEO and other Whole Time Directors (WTDs) of the Bank is fixed by NRC / Board and is subject to approval of Reserve Bank of India in terms of Section 35 B of the Banking Regulation Act, 1949. The payment of compensation also requires approval of the shareholders of the Bank in the General Meeting pursuant to clause 119 of Articles of Association of the Bank read with Section 197 of the Companies Act, 2013 and Section 35B (1) of Banking Regulation Act 1949.

श्रेणी 2 / Category 2

महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले (एमआरटी) एवं नियंत्रक कार्य वाले स्टाफ:
Material Risk Takers (MRTs) & Control Function Staff:

महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले (एमआरटी) और नियंत्रक कार्य वाले स्टाफ के पद आईडीबीआई बैंक के कैडर अधिकारियों द्वारा धारित किए जाते हैं तथा उनकी नियत वेतन संरचना में आईडीबीआई बैंक द्वारा समानान्तर ग्रेड में अन्य अधिकारियों को ऑफर किया जा रहा वेतन और भत्तों के समतुल्य वेतन एवं भत्ते शामिल हैं. एमआरटी के लिए परिवर्ती वेतन नियत वेतन के प्रतिशत के रूप में देय है तथा यह व्यक्तियों और बैंक के कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है. नियंत्रक कार्य स्टाफ के लिए परिवर्ती वेतन उनके व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है; बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन को प्राथमिक पात्रता तय करते समय ध्यान में रखा जाता है.

The positions of Material Risk Takers (MRTs) & Control Function Staff are held by cadre officers of IDBI Bank and their fixed pay structure comprising of pay and allowances is equivalent to the pay & allowances being offered by IDBI Bank to the other parallel grade officers. Variable pay is payable as a percentage of fixed pay and is linked to individual and Bank performance for the MRTs. Variable Pay of Control Function Staff is linked to their individual performance and overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

श्रेणी 3 / Category 3

अन्य अधिकारी और कर्मचारी: / Other Officers and Employees:

मौजूदा नीति के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों, लिपिकीय कर्मचारियों और ग्रेड 'ए' से कार्यपालक निदेशक के ग्रेड तक के अधिकारियों की नियत भुगतान संरचना भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के वेतनमान और भत्तों के अनुसार तैयार की गई है तथा यह 5 वर्ष की अवधि के लिए उद्योग स्तरीय समझौते के साथ समाप्त होती है. हालांकि ग्रेड 'ओ' के अधिकारियों की वेतन संरचना कंपनी को लागत (सीओसी) पर आधारित है. इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए परिवर्ती वेतन नियत वेतन के प्रतिशत/ दिनों की संख्या के रूप में देय है तथा यह व्यक्तिगत और बैंक के कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है.

As per the current policy, the fixed pay structure of subordinate staff, clerical staff and officers from Grade A upto the grade of Executive Director is drawn on the lines of the Indian Banks' Association (IBA) pay scales and allowances and runs co-terminus with the industry level settlements for a period of 5 years. Officers in Grade O, however are on a cost to company (CTC) based salary structure. Variable Pay as a percentage/ number of days of fixed pay is payable to this category of employees and is linked to the individual and Bank performance.

अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है / Count of Officers and employees is given below:

ग्रेड / Grade	संख्या / Count
अधिकारी (ग्रेड ओ से ईडी) / Officers (Gr O to ED)	18,548
एक्जीक्यूटिव* / Executives*	1,572
लिपिकीय / Clerical	281
अधीनस्थ / Subordinates	289
कुल योग / Grand Total	**20690**

** एक्जीक्यूटिव परिवर्ती वेतन के लिए पात्र नहीं है. संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्ती वेतन संबंधित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार होगा तथा नियुक्ति के समय निर्धारित कुल सी.टी.सी. का हिस्सा है.*

** Executives are not eligible for Variable Pay. For Employees on contract, variable pay is as per the respective terms and conditions and is part of the total CTC fixed at the time of appointment.*

क्षतिपूर्ति (पारिश्रमिक) नीति के उद्देश्य / Objectives of Compensation (Remuneration) Policy:

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफ़एसबी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, हर समय, आंतरिक रूप से न्यायसंगत और बाहरी रूप से प्रतिस्पर्धी क्षतिपूर्ति नीति का पालन करेगा. क्षतिपूर्ति के स्तर को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा कि बैंक की व्यावसायिक योजनाओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके व उन्हें रोके रखने में मदद मिल सके.

The Bank shall follow a compensation policy that is internally equitable and externally competitive, while complying, at all times, with the guidelines set forth by the Reserve Bank of India (RBI) and the Financial Stability Board (FSB). The compensation levels shall be designed to enable attraction & retention of the most suitable talent for delivering on the Bank's business plans.

क्या पारिश्रमिक समिति ने पिछले वर्ष के दौरान बैंक की क्षतिपूर्ति (पारिश्रमिक) नीति की समीक्षा की और यदि हां, तो किए गए परिवर्तनों का एक विहंगावलोकन

Whether the Remuneration Committee reviewed the Bank's Compensation (Remuneration) Policy during the past year and if so, an overview of any changes that were made.

वर्ष 2025-26 के दौरान क्षतिपूर्ति नीति की समीक्षा की गई थी. आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानों में विचलन के प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधानों को वर्तमान विनियामकीय मानदंडों के अनुरूप अद्यतन किया गया . सेवाओं की समाप्ति की स्थिति में लागू क्लॉबैक प्रावधानों में संशोधन किए गए, और कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवर्ती वेतन का भुगतान नामिती को सुनिश्चित करने हेतु एक नया खंड सम्मिलित किया गया.

The Compensation Policy was reviewed during the year 2025-26. The provisions relating to disclosure of divergence in asset classification and provisioning were updated in line with current regulatory norms. Clawback provisions applicable in the event of termination of services were modified, and a new clause was introduced to ensure disbursement of variable pay to the nominee in the event of an employee's death.

इस बात पर चर्चा की बैंक कैसे सुनिश्चित करता है कि जोखिम और अनुपालन कर्मचारियों को उन के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से स्वतंत्र रूप से पारिश्रमिक दिया जाए.

A discussion of how the Bank ensures that risk and compliances employees are remunerated independently of the businesses they oversee.

कार्यपालक निदेशक-मुख्य जोखिम अधिकारी, कार्यपालक निदेशक-मुख्य अनुपालन अधिकारी, कार्यपालक निदेशक-लेखा परीक्षा, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समूह एवं आंतरिक लेखा परीक्षक और कार्यपालक निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद आईडीबीआई बैंक के कैडर अधिकारियों के पास हैं और उनके वेतनमान व भत्ते यानी नियत वेतन अन्य समानांतर ग्रेड अधिकारियों को दिए जा रहे वेतनमान और भत्तों के बराबर है तथा इसे बैंक द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाता है. हालांकि परिवर्ती वेतन उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है; बैंक के समग्र व्यावसायिक प्रदर्शन को केवल प्राथमिक पात्रता सुनिश्चित करने के लिए गिना जाता है.

The positions of Executive Director-Chief Risk Officer, Executive Director-Chief Compliance Officer, Executive Director-Audit, Fraud Risk Management Group & Internal Auditor and Executive Director-Chief Financial Officer are held by cadre officers of IDBI Bank and their pay scale and allowances i.e. fixed pay is equivalent to the pay scales and allowances being offered to other parallel grade officers and is finalized by the Bank with the approval of the Board. The Variable Pay is, however, linked to their individual performance and overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

(ग) पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को शामिल करने के तरीकों का विवरण. इसमें इन जोखिमों का ध्यान रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों का स्वरूप और प्रकार शामिल हो.

(c) Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It includes the nature and type of the key measures used to take account of these risks.

पारिश्रमिक को जोखिम और उस समय सीमा के अनुरूप बनाने के लिए जिसमें वे उभर सकते हैं, एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों सहित वरिष्ठ प्रबंधन के बड़े भाग का परिश्रमिक परिवर्ती वेतन व्यवस्था के अंतर्गत आता है. परिवर्ती पारिश्रमिक नकद और गैर - नकद* घटक के रूप में देय है तथा 3 वर्षों या उससे अधिक अवधि के लिए आस्थगित होता है. पारिश्रमिक समायोजनों का प्रभाव कर्मचारियों और/

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

या व्यापार इकाइयों द्वारा की गई कार्रवाई और बैंक द्वारा ली गई जोखिम के स्तर पर उनके प्रभाव के साथ संबद्ध है. उत्तरदायित्व के उच्च स्तर पर परिवर्ती वेतन का अनुपात उच्च है. बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर परिवर्ती वेतन की राशि को शून्य तक भी घटाया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, परिवर्ती वेतन बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के मैलस और क्लाबैक प्रावधानों के अधीन है.

In order to align remuneration with the risk and the time horizons over which they could emerge, a substantial portion of the senior management remuneration including that of MD & CEO and Deputy Managing Directors is under variable pay arrangement. The variable compensation is payable in the form of cash and non-cash* components and is deferred over a period of 3 years or more. The impact of remuneration adjustments is linked to actions taken by employees and/or business units, and their impact on the level of risk taken on by the Bank. At higher level of responsibility, the proportion of variable pay is higher. The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank. In addition, variable pay is subject to the malus and clawback provisions of the Compensation Policy of the Bank.

(घ) उन तरीकों का विवरण जिसमें बैंक कार्यनिष्पादन माप अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन को पारिश्रमिक के स्तरों के साथ जोड़ना चाहता है:

(d) Description of the ways in which the Bank seeks to link performance during a performance measurement period with levels of remuneration:

परिवर्ती वेतन बैंक की कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली में भूमिका के आकलन के आधार पर, प्रदर्शन मूल्यांकन अवधि के दौरान देय होता है. लक्षित परिवर्ती वेतन नियत वेतन के प्रतिशत के रूप में या दिनों की संख्या के रूप में देय होता है. उत्तरदायित्व के उच्च स्तर पर परिवर्ती वेतन का अनुपात उच्च है. परिवर्ती वेतन के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखे गए कारक निम्न हैं.

Variable Pay shall be payable basis role assessed in the Bank's performance management system during the performance measurement period. The target Variable Pay shall be payable as a percentage or in terms of number of days of Fixed Pay. At higher level of responsibility, the proportion of variable pay is higher. The factors taken into account for the purpose of variable pay are:

- बैंक का कार्य-निष्पादन / The performance of the Bank
- कर्मचारी का व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन/ ग्रेड/ भूमिका / Individual performance/grade/role of the employee
- अन्य जोखिम धारणाएं / Other risk perceptions.

(ङ) परिवर्ती पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित करने के संबंध में बैंक की नीति पर चर्चा तथा निहित करने से पहले एवं करने के बाद में आस्थगित पारिश्रमिक का समायोजन करने के लिए बैंक की नीति और मापदंडों पर चर्चा.

(e) A discussion of the Bank's policy on deferral and vesting of variable remuneration and a discussion of the Bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting:

(क) परिवर्ती वेतन के प्रयोजन हेतु, कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है.

(a) For the purpose of Variable pay, employees have been grouped into following categories.

i) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और अन्य डबल्यूटीडी/ MD & CEO and other WTDs

ii) महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले / Material Risk Takers

iii) नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ / Control Function Staff

iv) अन्य अधिकारी / Other Employees

(ख) एमआरटी की पहचान के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं:

(b) The criteria for identification of MRTs are as under:

स्टाफ सदस्य जो गुणात्मक मानदंड और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मात्रात्मक मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते हैं:

The staff members who satisfy the qualitative criteria and any one of the quantitative criteria as detailed below:

(I) मानक गुणात्मक मानदंड: / Standard Qualitative Criteria:

- संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से, जोखिम एक्सपोजर आदि के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध प्राधिकार वाले

स्टाफ सदस्यों (जैसे प्रबंधन निकाय के सदस्य) की भूमिका और निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित हैं.
Relate to the role and decision-making power of staff members (e.g. member of management body) having jointly or individually, the authority to commit significantly to risk exposures, etc.

(II) मानक मात्रात्मक मानदंड: / Standard Quantitative Criteria:

- उनका कुल पारिश्रमिक एक निश्चित सीमा से अधिक है (बोर्ड को अनुमोदन के लिए एनआरसी द्वारा अनुशंसित किया जाना है); जिसका निर्धारण बैंक द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से किया जा सकता है,
  Their total remuneration exceeds a certain threshold (to be recommended by NRC to the Board for approval); the determination of which may be done prudently by the bank,

  अथवा / or

- वे बैंक में उच्चतम पारिश्रमिक वाले 0.3% स्टाफ में शामिल हैं,
  They are included among the 0.3% of staff with the highest remuneration in the bank,

  अथवा / or

- उनका पारिश्रमिक वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य जोखिम लेने वालों के न्यूनतम पारिश्रमिक के बराबर या उससे अधिक है.
  Their remuneration is equal to or greater than the lowest remuneration of senior management and other risk-takers.

बोर्ड, एनआरसी की अनुशंसा पर, महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों (एमआरटी) को निर्दिष्ट करेगा जिन के कार्यों का समय-समय पर बैंक के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है.
The Board, on recommendation of NRC, shall specify Material Risk Takers (MRTs) whose actions have a material impact on the risk exposure of the bank from time-to-time.

(ग) निम्नलिखित कार्यों में लगे कार्यपालक निदेशकों (ईडी) को 'नियंत्रण कार्य स्टाफ' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता हैं:
(c) Executive Directors (ED) engaged in following functions are classified under Control Function Staff category.

i) मुख्य जोखिम अधिकारी / Chief Risk Officer

ii) मुख्य अनुपालन अधिकारी / Chief Compliance Officer

iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी / Chief Financial Officer

iv) आंतरिक लेखा परीक्षक / Internal Auditor

- परिवर्ती वेतन / Variable Pay

परिवर्ती वेतन रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए नकद और शेयर लिंक्ड घटकों के बीच उचित संतुलन के साथ नकद और शेयर- लिंक्ड लिखतों का मिश्रण होगा. शेयर आधारित एलटीआई का फोकस दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य निर्माण पर होगा. उक्त के मदेनजर शेयर आधारित एलटीआई परिवर्ती वेतन के हिस्से के रूप में स्वीकृत होगा और इसका ब्लैक-श्योल्स मॉडल या विनियामक(कों) द्वारा निर्देशित किसी अन्य मॉडल के उपयोग द्वारा स्वीकृति के दिन उचित मूल्यांकन किया जाएगा. केवल ऐसे मामलों में जहां शेयर लिंक्ड लिखतों के माध्यम से क्षतिपूर्ति, कानून/ विनियमनों द्वारा स्वीकृत नहीं है, सम्पूर्ण परिवर्ती वेतन नकद के रूप में हो सकता है.
The Variable Pay shall be a mix of cash and share-linked instruments with proper balance between cash and share linked components in keeping with the RBI guidelines. The focus of share-based LTI will be on long-term shareholder value creation. In view of the same, share-based LTI shall be granted as a part of Variable Pay and it shall be fair valued on the date of grant by using the Black-Scholes Model or any other model as may be directed by the Regulator(s). Only in cases where the compensation by way of share-linked instruments is not permitted by statute/regulations, the entire variable pay can be in the form of cash.

पूर्णकालिक निदेशकों के लिए परिवर्ती वेतन का निर्धारण बैंक-व्यापी प्रदर्शन मानदंडों की उपलब्धि पर आधारित है. महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले(एमआरटी) और अन्य कर्मचारियों के परिवर्ती वेतन का निर्धारण व्यक्तिगत एवं बैंक-व्यापी प्रदर्शन मानदंडों की उपलब्धि पर आधारित है. नियंत्रण कार्य स्टाफ के परिवर्ती वेतन का निर्धारण उनके व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन से संबद्ध है और बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन को केवल प्राथमिक पात्रता तय करते समय ध्यान में रखा जाता है.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

The assessment of variable pay is based on achievement of Bank-wide performance parameters for Whole Time Directors For Material Risk Takers (MRTs) and other employees the assessment of variable pay is based on achievement of individual as well as Bank-wide performance parameters For Control Function staff the assessment of variable pay is linked to their individual performance; overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

क. परिवर्ती वेतन की सीमा

a. Limit on Variable Pay:

अ. एमडी एवं सीईओ और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों के लिए

A. For MD & CEO and Other Whole Time Directors

i. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और अन्य नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में कुल क्षतिपूर्ति का न्यूनतम 50% परिवर्ती होगा और बैंक-व्यापी प्रदर्शन के आधार पर भुगतान किया जाएगा. कुल परिवर्ती वेतन नियत वेतन का अधिकतम 300% होगा.

In compliance to the RBI guidelines and other applicable rules and regulations atleast 50% of the total compensation shall be variable and paid on the basis of Bank-wide performance. The total variable pay shall be limited to a maximum of 300% of the fixed pay.

ii. यदि परिवर्ती वेतन नियत वेतन के 200% तक है, तो परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 50%; और यदि परिवर्ती वेतन 200% से अधिक है, तो परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 67% गैर-नकद* लिखतों के रूप में होगा.

In case variable pay is upto 200% of the fixed pay, a minimum of 50% of the variable pay; and in case variable pay is above 200%, a minimum of 67% of the variable pay shall be in the form of non-cash* instruments.

iii. यदि किसी कार्यपालक को शेयर-लिंक्ड लिखतों की मंजूरी के लिए कानून या विनियमन द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, तो उनका/ उनकी परिवर्ती वेतन न्यूनतम 50% से अधिकतम 150% के दायरे में होगा.

In the event that an executive is barred by statute or regulation from grant of share-linked instruments, his/ her variable pay shall be in the range of minimum 50% to maximum 150%.

iv. बैंक के वित्तीय कार्य निष्पादन के आधार पर परिवर्ती वेतन शून्य तक घटाया जा सकता है.

The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank.

आ. महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों (एमआरटी) के लिए

B. For Material Risk Takers (MRTs)

i. रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुपालन में, सभी एमआरटी के कुल क्षतिपूर्ति का 50% परिवर्ती होगा और व्यक्तिगत एव बैंक-व्यापी प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर भुगतान किया जाएगा.

In compliance to the RBI guidelines, 50% of total compensation for all MRTs shall be variable and paid on the basis of individual and Bank-wide performance parameters.

ii. परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 50% गैर-नकद* लिखत के रूप में होगा.

Minimum 50% of the variable pay shall be in the form of non-cash* instruments.

iii. बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर परिवर्ती वेतन शून्य तक भी घटाया जा सकता है.
The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank.

iv. एनआरसी/ बोर्ड समय-समय पर महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों (एमआरटी) की पहचान करेगा.
The NRC/ Board shall from time-to-time identify the Material Risk Takers (MRTs).

ख. परिवर्ती वेतन का आस्थगन

b. Deferral of Variable Pay

(i) डबल्यूटीडी और एमआरटी हेतु कुल परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 60% निरपवाद रूप से आस्थगित व्यवस्थाओं के अधीन होगा. इसके अतिरिक्त, यदि नकद घटक परिवर्ती वेतन का भाग है तो नकद घटक का न्यूनतम 50% भी आस्थगित होगा.

For WTDs and MRTs, a minimum of 60% of the total variable pay shall invariably be under deferral arrangements. Further, if cash component is part of variable pay, atleast 50% of the cash component shall also be deferred.

(ii) तथापि, ऐसे मामलों में जहां परिवर्ती वेतन का नकदी घटक 25 लाख रुपये से कम है, वहां आस्थगित अपेक्षा लागू नहीं है.

However, in cases where the cash component of variable pay is under ₹ 25 lakh, deferral requirement is not applicable.

ग. आस्थगन व्यवस्था की अवधि

c. Period of Deferral Arrangement

आस्थगन अवधि न्यूनतम 3 वर्ष की होगी. यह परिवर्ती वेतन के नकदी और गैर-नकदी* दोनों घटकों पर लागू होगा.

The deferral period shall be a minimum of 3 years. This would be applicable to both the cash and non-cash* components of the variable pay.

घ. वेस्टिंग

d. Vesting:

शेयर-आधारित दीर्घकालिक प्रोत्साहन मंजूरी की तारीख से 3 साल की अवधि के दौरान निहित किया जाएगा. (मंजूरी की तारीख से पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 25%, 25% और 50%) और इसके प्रयोग की अवधि निहित किए जाने की तारीख से 5 वर्ष तक होगी. शेयर-आधारित एलटीआई बैंक की संबंधित योजना पर यथा लागू निबंधनों एवं शर्तों द्वारा अभिशासित होंगे.

Vesting of Share-based Long Term Incentive shall be over a period of 3 years from the grant date (25%, 25% & 50% at the end of 1st, 2nd & 3rd year from date of grant respectively) and exercise period shall be upto 5 years from the date of vesting. Share-based LTIs shall be governed by the terms & conditions of the respective scheme of the Bank, as applicable.

- यदि आस्थगन अवधि 3 वर्ष है तो पहले वर्ष की समाप्ति पर कुल मंजूर किए गए शेयर-आधारित एलटीआई का 33.33% से अधिक निहित नहीं होगा. इसके अलावा, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कुल मंजूर शेयर-आधारित एलटीआई का 33.33% से अधिक निहित नहीं होगा. इसी प्रकार यदि आस्थगन व्यवस्था चार साल की है, तो पहले प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति पर कुल मंजूर शेयर-आधारित एलटीआई का 25% से अधिक निहित नहीं होंगे. इसके अलावा निहित किए जाने की प्रक्रिया वार्षिक आधार की आवधिकता से अधिक बार सम्पन्न नहीं होगी, ताकि कार्योत्तर समायोजनों की प्रयोज्यता के पहले जोखिमों का उचित आकलन सुनिश्चित किया जा सके.
- If deferral period is 3 years, not more than 33.33 % of the total granted Share-based LTI shall vest at the end of first year. Further, not more than 33.33 % of total granted Share-based LTI shall vest at the end of second year. Similarly, in case deferral arrangement is four years, not more than 25% of total granted Share-based LTI shall vest in each of the first three years Additionally, vesting shall not take place more frequently than on a yearly basis to ensure a proper assessment of risks before the application of ex-post adjustments.

मैलस/ क्लाबैक / Malus/Clawback

परिवर्ती वेतन (नकद आधारित और शेयर आधारित एलटीआई) पर मैलस और क्लाबैक प्रावधान कुछ स्थितियों अर्थात् एनपीए के लिए बैंक के प्रावधान में विचलन, कमजोर या नकारात्मक वित्तीय कार्यनिष्पादन, कदाचार या एनआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मापदंड में अनिहित अवार्ड को कम करने या रद्द करने और पहले भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की वसूली करने में एनआरसी सक्षम होगी. मैलस को सभी परिस्थितियों में लागू किया किया जा सकता है और क्लाबैक को कदाचार अथवा एनआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मानदंड के मामले में लागू किया जा सकता है. मैलस प्रावधान लागू किए जाने की प्रक्रिया में लागू ट्रिगर के ज्ञात होने की तारीख से आंशिक अथवा पूर्ण आस्थगित वार्षिक नकद प्रोत्साहन और/ अथवा अनिहित एलटीआई अवार्डों का निरसन अंतर्निहित होगा. क्लाबैक व्यवस्था में लागू ट्रिगर के ज्ञात होने की तारीख से पिछले पांच वर्षों में दिए गए वार्षिक नकद प्रोत्साहन और एलटीआई पुरस्कारों की वसूली अंतर्निहित होगी.

Malus & Clawback provisions on variable pay (cash based & share-based LTI) would enable the NRC to reduce or cancel unvested awards and recover previously paid compensation in certain situations viz. divergence in Bank's provisioning for NPAs, subdued or negative financial performance, misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. Malus can be

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

invoked in all the situations and clawback can be invoked in case of misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. Invocation of Malus provisions would imply cancellation of partial or full deferred annual cash incentive and/or unvested LTI awards as on the date of discovery of applicable trigger. The clawback arrangement would imply recovery of annual cash incentives paid and LTI awards vested over the last five years from the date of discovery of the applicable trigger.

(च) परिवर्ती पारिश्रमिक के विभिन्न प्रकारों (जैसे नकद और शेयर संबद्ध लिखतों के प्रकार) जिन्हें बैंक प्रयोग करता है, के विवरण और इन विभिन्न प्रकारों के प्रयोग के लिए औचित्य:

(f) Description of the different forms of variable remuneration (i.e. cash and types of share-linked instruments) that the Bank utilizes and the rationale for using these different forms:

परिवर्ती वेतन नकदी एवं शेयर आधारित दीर्घावधि प्रोत्साहन (एलटीआई)* का मिश्रण होगा. शेयर-आधारित एलटीआई को परिवर्ती वेतन के एक भाग के रूप में प्रदान किया जाएगा और इसे ब्लैक-स्कोल्स मॉडल या विनियामक (कों) द्वारा निर्देशित किसी अन्य मॉडल का उपयोग करके मंजूरी की तारीख को उचित मूल्यांकन किया जाएगा. शेयर-आधारित एलटीआई समय-समय पर संशोधित बैंक की लागू योजना के निबंधन और शर्तों द्वारा अभिशासित होगा. नियत वेतन के प्रतिशत/ दिनों की संख्या (विनियामक दिशा-निर्देशों के अधीन) के रूप में कर्मचारी श्रेणीवार लक्ष्य परिवर्ती वेतन नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों तथा बोर्ड द्वारा दिए अनुमोदन के अनुसार होगा.

The Variable Pay shall be a mix of Cash & Share-based Long Term Incentive (LTI)*. Share-based LTI shall be granted as a part of Variable Pay and it shall be fair valued on the date of grant by using the Black-Scholes Model or any other model as may be directed by the Regulator(s). Share-based LTI shall be governed by the terms & conditions of the applicable scheme of the Bank, as amended from time-to-time. The employee category-wise target Variable Pay as a percentage/number of days of Fixed Pay (subject to regulatory guidelines) shall be as recommended by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board.

2) मात्रात्मक प्रकटन / Quantitative Disclosures:

(मात्रात्मक प्रकटन में केवल पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों की जानकारी शामिल हैं)
(The quantitative disclosures includes only Whole Time Directors / Chief Executive Officer/ Material Risk Takers)

		वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25
(क) (a)	वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या Number of meetings held by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) during the financial year	6	6
	और / and इसके सदस्यों को प्रदत्त पारिश्रमिक. (करोड़ में) Remuneration paid to its members. (in Crores)	0.14	0.21
(ख) (b)	(i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्ती पारिश्रमिक अवार्ड प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year. **नोट- / Note –** 1. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एमडी एवं सीईओ, 2 डीएमडी तथा 23 महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों को परिवर्ती पारिश्रमिक प्रदान करने की स्वीकृति दी गई जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित है. Variable remuneration award for FY 2024-25 was approved to MD & CEO, 2 DMDs and 23 Material Risk Takers during the FY 2025-26. 2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एमडी एवं सीईओ, 2 डीएमडी तथा 24 महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों को परिवर्ती पारिश्रमिक प्रदान करने की स्वीकृति दी गई जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित था. Variable remuneration award for FY 2023-24 was approved to MD & CEO, 2 DMDs and 24 Material Risk Takers during financial year 2024-25.	26	27

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

			वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25
	(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए गए साइन ऑन/जॉइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि Number and total amount of sign-on/joining bonus made during the financial year.	**शून्य** / Nil	शून्य / Nil
	(iii)	उपचित लाभों के अतिरिक्त सेवा विच्छेद भुगतान, यदि कोई हो, का विवरण Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	**शून्य** / Nil	शून्य / Nil
(ग) (c)	(i)	नकद, शेयर और शेयर से जुड़े लिखत और अन्य प्रकारों में विभक्त बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of outstanding deferred remuneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms.		
		नकद / Cash	2.10	1.67
		ईएसओपी के एवज में नकद* / Cash in lieu of ESOP*	21.50	16.40
	(ii)	वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	4.64	2.30
(घ) (d)		नियत और परिवर्ती, आस्थगित और गैर-आस्थगित घटकों को दिखाने हेतु वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक अवार्ड राशि का विश्लेषण$ Breakdown of amount of remuneration awards for the financial year to show fixed and variable, deferred and non-deferred$		
		नियत / Fixed	17.11	15.90
		परिवर्ती / Variable	21.07	16.50
		आस्थगित / Deferred	15.87	12.18
		गैर-आस्थगित / Non-Deferred	5.20	4.32
(ङ) (e)	(i)	पूर्व सुस्पष्ट और/ अथवा अस्पष्ट समायोजनों के प्रति बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और धारित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments.	23.60	18.07
	(ii)	पूर्व सुस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments.	**शून्य** / Nil	शून्य / Nil
	(iii)	पूर्व अस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments.	**शून्य** / Nil	शून्य / Nil
(च) (f)		पहचान किए गए महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों (एमआरटी) की संख्या Number of Material Risk Takers (MRTs) identified	24	23
(छ) (g)	(i)	मामलों की संख्या जहां मैलस का प्रयोग किया गया है. Number of cases where malus has been exercised.	**शून्य** / Nil	शून्य / Nil
	(ii)	मामलों की संख्या जहां क्लाबैक का प्रयोग किया गया है. Number of cases where clawback has been exercised.	**शून्य** / Nil	शून्य / Nil

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

			वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25
	(iii)	मामलों की संख्या जहां मैलस और क्लाबैक, दोनों का प्रयोग किया गया है Number of cases where both malus and clawback have been exercised.	**शून्य** / Nil	शून्य / Nil
(ज) (h)		समग्र रूप में (सब-स्टाफ को छोड़कर) बैंक का माध्य वेतन तथा निम्नलिखित डब्ल्यूटीडी के वेतन का माध्य से विचलन: (राशि करोड़ में) The mean pay for the Bank as a whole (excluding sub-staff) and the deviation of the pay of each of the following WTDs from the mean pay: (Amount in Crores)	0.19	0.21
	(i)	एमडी एवं सीईओ / MD & CEO	4.17	2.86
	(ii)	डीएमडी / DMD	1.50	1.02
	(iii)	डीएमडी (15 जुलाई 2024 को पदभार ग्रहण किया) DMD (Joined on 15th July 2024)	1.20	0.52
		नोट - / Note - वेतन में सकल वेतन (इसमें संपूर्ण बैंक के लिए बीमांकिक आधार पर निर्धारित ग्रेच्युटी और छुट्टी लाभों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है)+ एमआरटी को + छुट्टी नकदीकरण + वर्ष के दौरान भुगतान किया गया परिवर्ती वेतन +आयकर अधिनियम, 1961 के तहत गणना के अनुसार अनुलाभ मूल्य शामिल है. Pay includes Gross salary (excludes the provision for gratuity and leave benefits as determined on actuarial basis for the Bank as a whole) + leave encashment + Variable Pay paid during the year + perquisite value as calculated under the Income Tax Act, 1961.		

नोट- / Note –

** रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिवर्ती वेतन को नकद (3 वर्ष की आस्थगन अवधि) और ईएसओपी के एवज में नकद (4 वर्ष की आस्थगन अवधि) प्रस्तावित किया है.*

** Bank has proposed Variable pay in the form of Cash (deferral period of 3 years) and Cash in lieu of ESOPs (deferral period of 4 years) for FY 2025-26 with the approval of RBI.*

$ एमडी और सीईओ, डीएमडी और एमआरटी के निश्चित पारिश्रमिक में सकल वेतन, वार्षिक छुट्टी नकदीकरण और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत गणना की गई अनुलाभ राशि शामिल है. इसमें ग्रेच्युटी और छुट्टी लाभों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि वे संपूर्ण बैंक के लिए बीमांकिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं. एमडी एवं सीईओ, डीएमडी और एमआरटी के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आस्थगित और गैर आस्थगित परिवर्ती वेतन में बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार लक्षित परिवर्ती वेतन शामिल हैं. डब्ल्यूटीडी के लिए यह रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है.

$ Fixed remuneration for MD & CEO, DMDs and MRTs includes, gross salary, annual leave encashment and perquisite value as calculated under the Income Tax Act 1961. It excludes the provision for gratuity and leave benefits as they are determined on actuarial basis for the Bank as a whole. The Variable Pay - Deferred and Non-deferred includes target variable pay for FY 2025-26 for MD & CEO, DMDs and MRTs as approved by Bank's Board. In case of WTDs the same is subject to RBI approval.

14. अन्य प्रकटन / Other Disclosures

क) कारोबार अनुपात
a) Business ratios

क्रम. सं. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय$ Interest income as a percentage to working funds$	6.92%	7.60%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	1.61%	1.30%
3	जमाराशियों की लागत / Cost of Deposits	4.69%	4.67%
4	निवल ब्याज मार्जिन^ / Net Interest Margin^	3.77%	4.56%
5	कोर निवल ब्याज मार्जिन^^ / Core Net Interest Margin^^	3.33%	3.72%
6	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ$ Operating profit as a percentage to working funds$	2.58%	2.91%
7	आस्तियों पर प्रतिलाभ@ / Return on assets@	2.27%	1.98%
8	आस्तियों पर कोर प्रतिलाभ@@ / Core Return on assets@@	1.28%	0.89%
9	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा और अग्रिम)# [₹ करोड़] Business (Deposits plus advances) per employee# [₹ crore]	27.70	25.65
10	प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़] / Profit per employee [₹ crore]	0.46	0.38

$ कार्यशील निधियों की गणना वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अधीन फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किए अनुसार कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत तथा विदेशी शाखाओं की कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत के रूप में की जाती है.

$ Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year and average of total assets (excluding accumulated losses, if any) of overseas branches.

^ निवल ब्याज आय / औसत ब्याज अर्जक आस्तियां. निवल ब्याज आय = ब्याज आय - ब्याज व्यय.

^ Net Interest Income/ Average Interest Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income – Interest Expense

^^ कोर निवल ब्याज आय/ औसत ब्याज अर्जक आस्तियां.
^^ Core Net Interest Income/ Average Interest Earning Assets.

कोर निवल ब्याज आय = (ब्याज आय- आयकर रिफंड पर ब्याज- अनर्जक और तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों से ब्याज वसूली और एनपीआई मामलों से ब्याज की वसूली) - ब्याज व्यय
Core Net Interest Income= (Interest Income- Interest on Income Tax Refund- Interest Recovery from Non-performing & Technically Written offs accounts and Interest Recovery from NPI cases) - Interest Expenses

@ आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर कुल आस्तियां) के संदर्भ में होगा.
@ Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any).

@@ आस्तियों के कोर प्रतिलाभ की गणना अनर्जक / तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों से प्राप्त ब्याज आय/मूलधन की नकदी वसूली, आयकर रिफंड पर ब्याज, एनपीआई निवेशों पर ब्याज तथा गैर कोर आस्तियों की बिक्री (एनएसडीएल) से लाभ जैसी आय को छोड़ कर की जाती है.
@@ Core Return of Asset is calculated by excluding income such as Recovery in form of Interest income/ Principal recovery in cash from Non-performing/ Technically written offs accounts, Interest on Income Tax Refund, Interest on NPI Investments & Gain on sale of Non core assets (NSDL).

 # प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां एवं अग्रिम) की गणना करने के लिए अंतर-बैंक जमाराशियों को शामिल नहीं किया जाता है.
 # For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits have been excluded.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

ख) बैंकएश्योरेंस व्यवसाय
b) Bancassurance Business

बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस कारोबार के संबंध में अर्जित शुल्कों/ ब्रोकरेज का विवरण निम्नानुसार है.
The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business is as follows:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.@ Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.@	60	29
भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	87	84
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि. TATA AIG General Insurance Co. Ltd.	24	21
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी / New India Assurance Co.	7	8
निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस / Niva Bupa Health Insurance	28	20
कुल / Total	**206**	**162**

@- पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के नाम से जानी जाती थी.
@ - Earlier known as IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.

ग) विपणन एवं वितरण
c) Marketing & Distribution

विपणन एवं वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस कारोबार को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/ कमीशन का विवरण निम्नानुसार है:
Details of fees / commission received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) is as follows:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
म्युच्युअल फंड / Mutual Fund	44	41
सरकारी बांड (एफआईएस) / Government Bonds (FIS)	1	1
एनपीएस / NPS	1	1
पूंजीगत अभिलाभ बांड (एनएचएआई, आरईसी एवं आईआरएफसी) Capital Gain Bond (NHAI, REC & IRFC)	1	1
कुल / Total	**47**	**44**

घ) **प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटन**

d) **Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)**

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान / During the year ended March 31, 2026

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	क्रय राशि Purchased Amount	बिक्री राशि Sold amount
पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत कृषक (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	10,000	1,800
पीएसएलसी-कृषि / PSLC-Agriculture	0	0
पीएसएलसी-सामान्य / PSLC-General	0	0
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises	0	0
कुल / Total	**10,000**	**1,800**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान/ During the year ended March 31, 2025

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	क्रय राशि Purchased Amount	बिक्री राशि Sold amount
पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत कृषक (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	6,000	800
पीएसएलसी-कृषि / PSLC-Agriculture	1,944	0
पीएसएलसी-सामान्य / PSLC-General	0	0
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises	0	0
कुल / Total	**7,944**	**800**

ड़) **प्रावधान तथा आकस्मिकताएं**

(e) **Provisions and Contingencies**

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
निवेशों के लिए प्रावधान निर्मित/(प्रावधान रिवर्सल) Provision created/ (provision reversal) for Investments	(39)	454
एनपीए के लिए प्रावधान निर्मित/(प्रावधान रिवर्सल) Provision created/ (provision reversal) towards NPA	(2,716)	(4,368)
करों के लिए किया गया प्रावधान - वर्तमान कर Provision made towards Taxes - Current Tax	93	137
- आस्थगित कर / Deferred Tax	2,320	2,916
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं Other Provisions and Contingencies		
मानक आस्ति के लिए प्रावधान निर्मित/(प्रावधान रिवर्सल) Provision created/ (provision reversal) towards Standard Asset	(1,021)	2,746
पुनःसंरचित आस्तियों (एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान निर्मित/(प्रावधान रिवर्सल) Provision created/ (provision reversal) for Restructured Assets (including FITL)	(59)	(46)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	2,852	2,058
अन्य प्रावधान[@] / Other Provision[@]	(105)	(333)
कुल / Total	**1,325**	**3,564**

[@] अन्य प्रावधान में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 22 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 339 करोड़) के एनपीए मामलों की गैर-निधि आधारित सीमाओं के लिए प्रावधान का रिवर्सल शामिल है.

[@] Other Provision inter-alia includes reversal of provision on Non-fund based limits of NPA cases of ₹ 22 crore (Previous year ₹ 339 crore).

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

च) आईएफआरएस के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) का कार्यान्वयन
f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (Ind AS)

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 18 जनवरी 2016 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बैंकों, बीमा कंपनियों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के लिए आईएफआरएस के अनुरूप भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) की प्रयोज्यता हेतु रोडमैप अधिसूचित किया था, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रभावी था. तत्पश्चात, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 मार्च 2019 के अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.01/2018-19 के माध्यम से बैंकिंग उद्योग के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन को आगामी सूचना तक स्थगित करने की सलाह दी. इस बीच, रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक द्वारा अर्द्धवार्षिक आधार पर इंड एएस प्रो-फॉर्मा वित्तीय विवरण रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाते रहे हैं. बैंक ने प्रो-फॉर्मा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इंड एएस के अनुरूप विभिन्न अवधारणा कागजात भी तैयार कर लिये हैं.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide press release dated January 18, 2016, notified the roadmap for the applicability of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS) for Banks, Insurance Companies and Non Banking Financial Companies (NBFCs) with effect from FY 2018 19. Subsequently, the Reserve Bank of India (RBI), vide its Circular No. DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, advised deferment of the implementation of Ind AS for the banking industry until further notice. In the interim, as directed by RBI, the Bank has been submitting Ind AS pro forma financial statements to RBI on half yearly basis. The Bank has also prepared various concept papers aligned with Ind AS to facilitate the preparation of pro forma financial statements.

इंड एएस के कार्यान्वयन पर बैंक के लिए पहचाने गए प्रमुख प्रभाव क्षेत्रों में प्रत्याशित ऋण हानि प्रावधान, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) लेखांकन, उचित मूल्यांकन इनपुट, मूल्यांकन कार्यप्रणाली और धारणाएं, वित्तीय लिखतों में विशिष्ट मूल्यांकन संबंधी प्रतिफल, कर्मचारी लाभ और सहायक प्रौद्योगिकी प्रणालियों का कार्यान्वयन शामिल हैं.

The key impact areas identified for the Bank upon implementation of Ind AS include Expected Credit Loss provisioning, Effective Interest Rate (EIR) accounting, fair valuation inputs, valuation methodologies and assumptions, specific valuation considerations for financial instruments, employee benefits, and the implementation of supporting technology systems.

वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान, 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने वाणिज्यिक बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के बारे में मास्टर निदेश (निदेश), 2023 जारी किया. संशोधित मास्टर निदेश निवेशों के वर्गीकरण और लेखांकन को भारतीय लेखा मानक के करीब लाता है. बैंक ने 1 अप्रैल 2024 से मास्टर निदेश के अनुसार आवश्यक परिवर्तन लागू कर दिये हैं.

During FY 2024, the Reserve Bank of India (RBI) issued master direction on classification, valuation and operation of investment portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023, which became effective from April 1, 2024. The revised master direction brings the classification and accounting of investments closer to Ind AS. The Bank has implemented the required changes as per the master direction with effect from April 1, 2024.

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने 7 अक्तूबर 2025 को रिज़र्व बैंक (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक - आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान एवं आय निर्धारण) निदेश, 2025 शीर्षक से प्रारूप दिशा-निर्देश जारी किए. तत्पश्चात, 27 अप्रैल 2026 को रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंक - आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान एवं आय निर्धारण (निदेश), 2026 जारी किए, जो 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे. उक्त निदेश ने इंड एएस के अनुरूप अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) तथा प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) रूपरेखा का समावेश किया है. इस दिशा में सुगम अंतरण सुनिश्चित करने हेतु बैंक आवश्यक प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया में है.

Further, during FY 2026, RBI issued draft guidelines titled RBI (Scheduled Commercial Banks – Asset Classification, Provisioning and Income Recognition) Directions, 2025 on October 7, 2025. Subsequently on April 27, 2026, RBI issued Commercial Banks - Asset Classification, Provisioning and Income Recognition (Directions), 2026, which shall be effective from April 1, 2027. This direction introduces the Expected Credit loss (ECL) and Effective Interest Rate (EIR) framework in alignment with Ind AS. Bank is in the process of putting in place necessary systems and processes to facilitate a smooth transition.

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान
g) Payment of DICGC Insurance Premium

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान Payment of DICGC Insurance Premium	409	357
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान के लिए बकाया राशियां Arrears in payment of DICGC premium	-	-

ज) बैंकों द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) का प्रकटन

h) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by banks:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अपनी सहायक कंपनियों को कोई चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) जारी नहीं किया है. 5 सहायक कंपनियों के संबंध में बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए और 31 मार्च 2026 को बकाया एलओसी के तहत मूल्यांकित वित्तीय प्रभाव, साथ ही मूल्यांकित संचयी वित्तीय दायित्व शून्य है.

During FY 2025-26, Bank has not issued any Letters of Comfort (LoCs) to its subsidiaries. The assessed Financial impact, as also assessed cumulative financial obligations under the LoCs issued by the Bank in past and outstanding as on March 31, 2026 is, NIL with respect to 5 subsidiaries.

झ) हरित जमाओं से जुटाई गई निधियों के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तर की जानकारी

i) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars		31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025	संचयी Cumulative
जुटाई गई कुल हरित जमाराशियां (अ) Total green deposits raised (A)		8	0	8
हरित जमा निधियों का उपयोग Use of green deposit funds				
(1)	नवीकरणीय ऊर्जा Renewable Energy	3	0	3
(2)	ऊर्जा क्षमता Energy Efficiency	0	0	0
(3)	स्वच्छ परिवहन Clean Transportation	0	0	0
(4)	जलवायु परिवर्तन अनुकूलन Climate Change Adaptation	0	0	0
(5)	सतत जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन Sustainable Water and Waste Management	0	0	0
(6)	प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण Pollution Prevention and Control	0	0	0
(7)	हरित भवन Green Buildings	0	0	0
(8)	जीवित प्राकृतिक संसाधनों एवं भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	0	0	0
(9)	स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	0	0	0
आबंटित कुल हरित जमा निधियाँ (आ = 1 से 9 का योग) Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)		3	0	3

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025	संचयी Cumulative
आबंटित न की गई हरित जमा निधियों की राशि (इ = अ-आ) Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)	5	0	5
पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं में आवंटन लंबित रहने की अवधि के दौरान हरित जमा से प्राप्त राशियों के अस्थायी आवंटन का विवरण Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/ projects			

15. विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं / Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के एलईएफ़ दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक के एकल उधारकर्ताओं तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूह एक्सपोजरों के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुए हैं. एकल प्रतिपक्ष उधारकर्ता तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूहों के एक्सपोजर पात्र पूंजी आधार अर्थात् टियर I पूंजी की 20% और 25 % की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के अंदर थे.

During the year ended March 31, 2026 & March 31, 2025, there were no breaches in respect of Single borrowers and Group of Connected Counterparties exposures of the Bank under LEF guidelines of RBI. Exposures to single counterparty borrower and group of connected counterparties were within the prudential exposure limits of 20% and 25% of eligible capital base i.e. Tier I Capital.

16. भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुतीकरण और प्रकटन) के निदेश, 2025 के अनुसार प्रकटन - महत्वपूर्ण मदों का प्रकटन

Disclosure as per Reserve Bank of India (Financial Statements - Presentation and Disclosures) Directions, 2025 - Disclosure of material items

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2026

अ. ''अनुसूची 14 - अन्य आय'' शीर्ष के अंतर्गत उपशीर्ष ''विविध आय'' के तहत कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक की मदें - शून्य

A. Item under the subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14-Other Income" exceeding one percent of total income - NIL.

आ. ''अनुसूची 16 - परिचालन व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत उपशीर्ष ''अन्य'' के तहत कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक की मदें :

B. Items under subhead "Others" under the head "Schedule 16 - Operating Expenses" exceeding one percent of total income:

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	कुल आय का % % of Total Income	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended on March 31, 2025	कुल आय का % % of Total Income
कार्ड एवं एटीएम व्यय / Card & ATM expenses	418	1.17%	354	1.05%
बाह्यस्रोतीय व्यय / Outsourcing expenses	854	2.39%	789	2.33%
अन्य व्यय # / Other expenditure #	1134	3.17%	858	2.54%

 # अन्य व्यय के अंतर्गत प्रमुख मदों में निविष्टि टैक्स क्रेडिट का प्रतिवर्तन - ₹ 290 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 223 करोड़), पीएसएलसी लेनदेन के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम का व्यय - ₹ 269 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 132 करोड़), सीएसआर व्यय ₹ 145 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 103 करोड़) और लाभांश प्रबंधन व्यय - ₹ 99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 96 करोड़) शामिल हैं.

 # Major items under other expenditure include Reversal of Input Tax Credit - ₹ 290 crore (Previous year ₹ 223 crore), Expense for premium paid for PSLC transaction - ₹ 269 crore (Previous year ₹ 132 crore), CSR Expenditure ₹ 145 crore (Previous year ₹ 103 crore) and Dividend handling expense – ₹ 99 crore (Previous year ₹ 96 crore).

इ. ''अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान'' के अंतर्गत उपशीर्ष ''अन्य प्रावधान'' के तहत कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक की मदें:

C. Items under subhead "Other Provisions" under the "Schedule 5 - Other Liabilities and Provisions" exceeding one percent of total assets:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	कुल आस्तियों का % % to Total Assets	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	कुल आस्तियों का % % to Total Assets
मानक आस्तियों के विरूद्ध विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	6,542	1.40%	7563	1.84%
अन्य प्रावधान# / Other provisions #	5,435	1.16%	5,358	1.30%

 # ''अन्य प्रावधान'' के अंतर्गत प्रमुख मदों में एनपीए एनएफ़बी के लिए प्रावधान - ₹1767 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1789 करोड़), कर्मचारी लाभ प्रावधान- ₹ 1851 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1742 करोड़) और गैर बैंकिंग आस्तियों के लिए प्रावधान - ₹711 करोड़ (पिछले वर्ष ₹711 करोड़) शामिल हैं.

 # Major items under "Other provisions" include Provision for NPA NFB - ₹ 1,767 crore (Previous year ₹ 1,789 crore), Employee Benefit Provision - ₹ 1,851 crore (Previous year ₹ 1,742 crore) and Provision for Non-Banking Assets – ₹ 711 crore (Previous year ₹ 711 crore).

ई. ''अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां'' के अंतर्गत उपशीर्ष ''अन्य'' के तहत कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक की मदें:

D. Items under subhead "Others" under the "Schedule 11 - Other Assets" exceeding one percent of total assets:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	कुल आस्तियों का % % to Total Assets	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	कुल आस्तियों का % % to Total Assets
आस्थगित कर आस्ति (निवल) / Deferred Tax Asset (net)	3,747	0.80%	5,982	1.45%
विविध# / Miscellaneous#	4,764	1.02%	5,520	1.34%

 # विविध के अंतर्गत प्रमुख मदों में नाबार्ड, एनएचबी, मुद्रा और सिडबी के पास ₹ 2,021 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,548 करोड़) की पीएसएल जमाराशियां शामिल हैं.

 # Major items under Miscellaneous include PSL deposits amounting to ₹ 2,021 crore (Previous year ₹ 3,548 crore) held with NABARD, NHB, Mudra and SIDBI.

17. गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को पारिश्रमिक
Remuneration to the Non-Executive Directors (NEDs)

बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को नियत पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता. सरकार द्वारा नामित निदेशकों के अलावा सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.

Bank does not pay fixed remuneration to the Non-Executive Directors (NEDs). All the Non-Executive Directors, except the Government Nominee Directors, are only paid sitting fees.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

आ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं
B. DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

1. अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)
Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5)

- 31 मार्च 2026 तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्व अवधि की आय/ व्यय की कोई महत्वपूर्ण मदें नहीं थीं.
  There were no material prior period income/ expenditure items for the year ended March 31, 2026 and March 31, 2025.

- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अपनाई गई लेखांकन नीतियों की तुलना में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हैं.
  There is no change in significant accounting policies adopted during the year ended March 31, 2026 as compared to those followed in the previous financial year.

2. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) (एएस-10) / Fixed Assets (Property, Plant & Equipment's) (AS-10)

क) 31 मार्च 2026 को पुनर्मूल्यन रिज़र्व का शेष ₹8,016 करोड़ हैं (पिछले वर्ष ₹10,512 करोड़).

a) The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2026 is ₹ 8,016 Crores (Previous year ₹10,512 Crores).

ख) वर्ष के दौरान आवासीय/ कार्यालय भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री से ₹9.43 करोड़ की निवल हानि (पिछले वर्ष: ₹2.31 करोड़ की निवल हानि) की राशि को अनुसूची-14 अन्य आय में शामिल किया गया है.

b) Net loss amounting to ₹ 9.43 Crore (Previous year: Net loss ₹ 2.31 crore) on account of sale of residential/office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.

ग) चालू वर्ष (2025-26) के दौरान, कुछ विधिक घटनाक्रमों के फलस्वरूप बैंक की दो अचल संपत्तियां प्रभावित हुईं, जिसके कारण बैंक उक्त संपत्तियों को बेच नहीं पाया, यद्यपि ये संपत्तियां बैंक के निर्बाध कब्जे/स्वामित्व में ही हैं. बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांककों के माध्यम से इन संपत्तियों का पुनर्मूल्यन कराया है. उक्त पुनर्मूल्यन के आधार पर, बैंक ने पुनर्मूल्यन रिज़र्व को नामे करके इन संपत्तियों के अवलिखित मूल्य में ₹2,122 करोड़ की कमी की है

c) During Current year (2025-26), Pursuant to certain legal developments affected two immovable properties of the Bank, which restrict the Bank's ability to sell the said properties, though they continue to remain in the Bank's un-interrupted possession/ownership, the Bank has revalued the said properties through independent valuers. Based on such revaluation, the Bank has reduced the written-down value of these properties by ₹ 2,122 crores by debiting the Revaluation Reserve.

घ) पिछले वर्ष (2024-25) के दौरान बैंक ने एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपनी अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया है. उचित मूल्य पर पहुंचने लिए प्रेक्षित कीमतों के संदर्भ में बट्टाकृत नकदी प्रवाह / लागत दृष्टिकोण / तुलनीय बिक्री विधियों का उपयोग किया गया था, जो दिनांक 1 मार्च 2025 प्रभावी है. पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्तियों के रखाव मूल्य में ₹2855 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसे सीधे पुनर्मूल्यन रिज़र्व में जमा कर दिया गया है. इसी प्रकार, पहले अवमूल्यित कुछ संपत्तियों के रखाव मूल्य में ₹6 करोड़ की वृद्धि को लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है.

d) During previous year (2024-25) the Bank has revalued its immovable based on valuation by an Independent Valuer, using discounted cash flow / cost approach / comparable sales methods, with reference to observable prices to arrive at fair value, with effective date 1st March 2025. An increase of ₹ 2,855 crore in carrying value of properties, arising on account of revaluation has been credited directly to the Revaluation Reserve. Similarly, an increase of ₹ 6 crore in the carrying value of certain properties earlier devalued has been credited to profi¬t and loss account.

ङ) बैंक 7 संपत्तियों के हक विलेखों को नियमित करने की प्रक्रिया में हैं जिनका 31 मार्च 2026 को रखाव मूल्य ₹ 23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 24 करोड़) था, जिनमें एक ऐसी संपत्ति शामिल हैं जिसे बैंक वैकल्पिक भूखंड (31 मार्च 2026 को रखाव मूल्य ₹ 10 करोड़ था) से बदलने के विकल्प की तलाश कर रहा है. तद्नुसार, इन संपत्तियों के पुनर्मूल्यन प्रभाव को बहियों में शामिल नहीं किया गया है.

e) The Bank is in process of regularizing the title in respect of 7 properties having carrying value of ₹ 23 crore as on March 31, 2026 (Previous year- ₹ 24 crore) which includes one property where the Bank is exploring the option of replacement with alternate land parcel (the carrying cost of which as at March 31, 2026 was ₹ 10 cr). Accordingly, for these properties, the impact of revaluation is not considered in the books.

च) पुनर्मूल्यन रिज़र्व लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है.

f) Revaluation reserve is not available for distribution of dividends.

3. **कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / Employee Benefits (AS-15) (Revised)**

(i) **परिभाषित अंशदान योजनाएं/ Defined Contribution Schemes**

क) भविष्य निधि / a) Provident Fund

31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में कार्य ग्रहण करने वाले कर्मचारियों, पेंशन का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर, को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत शामिल किया गया है. बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना का प्रबंधन ''आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि न्यास (न्यास) के ट्रस्टी बोर्ड'' द्वारा किया जाता है. आईडीबीआई होम फ़ाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) और आईडीबीआई गिल्टस लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संदर्भ में मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किया गया था और इसके बाद अंशदान उपर उल्लिखित निधि में किया गया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹7 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹7 करोड़) पीएफएस में अंशदान किया गया है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the FY 2025-26 ₹ 7 Crore (Previous FY 2024-25 ₹ 7 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

ख) नई पेंशन योजना / b) New Pension Scheme

1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों को आईडीबीआई बैंक लि. की नई पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निश्चित प्रतिशत के रूप में परिभाषित अंशदान करता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आईबीएलएनपीएस में ₹240 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹228 करोड़) का अंशदान किया गया है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the FY 2025-26, ₹ 240 Crore (Previous FY 2024-25 ₹ 228 Crore) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.

(ii) **परिभाषित लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes**

क) बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है.

a) The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

ख) बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं, जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित होती है.

b) Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ग) इन परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करते हुए की जाती है.

c) The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

3. आ. **निम्नलिखित तालिका परिभाषित लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2026 को बैंक के वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो एएस - 15 (संशोधित) के अनुसार है.**

B. The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2026 which is per AS-15(R).

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
	31 मार्च 2026 को / As at March 31, 2026	31 मार्च 2026 को / As at March 31, 2026 (स्थायी और एफटीई के लिए) / (for permanent and FTE)	31 मार्च 2025 को / As at March 31, 2025	31 मार्च 2025 को / As at March 31, 2025
क) a) लाभ दायित्वों में परिवर्तन: Change in benefit obligations:				
वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	4,537	1,147	4,246	1,037
ब्याज लागत / Interest cost	320	78	307	75
चालू सेवा लागत / Current Service cost	61	30	47	32
सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	6	-	-
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(260)	(71)	(265)	(75)
जनसांख्यिकीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (gain)/ loss due to change in Demographic assumptions	-	-	10	32
वित्तीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(30)	(81)	89	41
अनुभव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	125	19	103	5
वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ/दायित्व Projected benefit/ obligation, end of the year	4,753	1,128	4,537	1,147

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
	31 मार्च 2026 को / As at March 31, 2026	31 मार्च 2026 को / As at March 31, 2026 (स्थायी और एफटीई के लिए) / (for permanent and FTE)	31 मार्च 2025 को / As at March 31, 2025	31 मार्च 2025 को / As at March 31, 2025

नोटः 31 मार्च 2025 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व में वर्ष के दौरान वेतन संशोधन का प्रभाव शामिल है, जिसके लिए बैंक ने 31 मार्च 2024 तक ग्रेच्युटी और पेंशन से संबंधित क्रमशः ₹ 57 करोड़ और ₹ 212 करोड़ का प्रावधान किया था.

Note: The closing Defined Benefit Obligation as at March 31, 2025 includes the impact of wage revision during the year for which Bank had made a provision of ₹ 57 and ₹ 212 Crores pertaining to Gratuity and Pension respectively upto March 31, 2024.

ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	4612	1134	4083	1067
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	326	77	296	77
	नियोक्ता का अंशदान / Employer's contributions	32	20	422	53
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(260)	(71)	(265)	(75)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial gain / (loss)	(38)	18	76	13
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**4672**	**1179**	**4612**	**1134**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का मिलान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	4,753	1,128	4,537	1,147
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at the end of the year	**4,672**	1,179	4612	1,134
	तुलन पत्र में दर्शाई निवल (देयता)/ आस्ति Net (Liability)/ Asset Recognized in the Balance Sheet	**(81)**	51	75	(13)

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars		पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2026 को / As at March 31, 2026	31 मार्च 2026 को / As at March 31, 2026 (स्थायी और एफटीई के लिए) / (for permanent and FTE)	31 मार्च 2025 को / As at March 31, 2025	31 मार्च 2025 को / As at March 31, 2025
घ) d)	**लाभ एवं हानि खाते में दिखाये गये व्यय Expenses Recognised in Profit &Loss Account**				
	सेवा लागत / Service cost	61	30	47	32
	ब्याज लागत / Interest cost	(6)	78	12	75
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	-	(77)	-	(77)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि / Net Actuarial (gain)/ loss	133	(80)	125	65
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान दर्शाई गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	6	-	-
	वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	188	(43)	184	94
ङ) e)	**आस्तियों की श्रेणी Category of Assets**				
	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	693	-	682	0
	कॉरपोरेट बांड / Corporate Bonds	1,068	-	1,024	0
	विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	-	-	-	-
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां / Insurer Managed Funds	2,578	1,179	2,586	1,134
	नकद और नकदी के समतुल्य / Cash and Cash equivalents	-	-	-	-
	अन्य / Others	333	-	320	-
	कुल / Total	4,672	1,179	4,612	1,134
च) f)	**अगले वर्ष में अपेक्षित अंशदान Expected contribution in next year**	-		-	43

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars		पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		31 मार्च 2026 को / As at March 31, 2026	31 मार्च 2026 को / As at March 31, 2026 (स्थायी और एफटीई के लिए) / (for permanent and FTE)	31 मार्च 2025 को / As at March 31, 2025	31 मार्च 2025 को / As at March 31, 2025
छ) g)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर / Discount rate	7.87%	7.59%	7.05%	6.82%
	योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर Rate of return on plan assets	7.87%	7.59%	7.05%	6.82%
	वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate	5.75%	स्थायी कर्मचारियों और विशेषज्ञों के लिए 5.75% और एक्जीक्यूटिव के लिए ₹ 29,000 / 31,000 / 34,000 5.75% for permanent employees and Experts & INR 29,000/ 31,000/ 34,000 for Executives	5.75%	5.75%
ज) h)	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ Actual Return on Plan Assets**				
	योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on Plan Asset	325	77	296	77
	अनुभव के कारण- योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial Gains/(Losses) on Plan Assets due to experience	(38)	18	76	13
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ Actual Return on Plan Assets	287	95	372	90

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2026 को (स्थायी और एफटीई के लिए) As at March 31, 2026 (for permanent & FTE)	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
नौकरी छोड़ने की दर Attrition Rate	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 6.00% प्रति वर्ष. 5 वर्ष और उससे अधिक सेवा के लिए 3.00% प्रति वर्ष. For service 4 years and below 6.00% p.a. For service 5 years and above 3.00% p.a.	स्थायी कर्मचारियों के लिए 4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 6.00% प्रति वर्ष. 5 वर्ष और उससे अधिक सेवा के लिए 3.00% प्रति वर्ष. एक्जीक्यूटीव के लिए 17.75% प्रतिवर्ष और विशेषज्ञों के लिए 21.25% प्रतिवर्ष. For service 4 years and below 6.00% p.a. For service 5 years and above 3.00% p.a. for Permanent Employees. 17.75% p.a. for executives and 21.25% p.a. for experts.	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 6.00% प्रति वर्ष. 5 वर्ष और उससे अधिक सेवा के लिए 3.00% प्रति वर्ष. For service 4 years and below 6.00% p.a. For service 5 years and above 3.00% p.a.	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 6.00% प्रति वर्ष और 5 वर्ष और उससे अधिक के लिए 3.00% प्रति वर्ष. For service 4 years and below 6.00% p.a. For service 5 years and above 3.00% p.a.
मृत्यु दर Mortality Rate	**रोजगार के दौरान** भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) **रोजगार के बाद** भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15) **During Employment** Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban) **After Employment** Indian Individual AMT (2012-15)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	**रोजगार के दौरान** भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) **रोजगार के बाद** भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15) **During Employment** Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban) **After Employment** Indian Individual AMT (2012-15)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार किये जाने वाले भावी वेतन आय वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है.
The estimates of future salary income increases considered in the actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factor.

सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिफल वक्र के आधार पर योजनागत आस्तियों को बाज़ार भाव पर दर्शाया है. अतः प्रतिलाभ की अपेक्षित दर को छूट दर के समान ही रखा गया है.
The Plan assets are marked to market on the basis of the yield curve derived from government securities. Hence, the expected rate of return has been kept the same as the discount rate.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

अनुभव समायोजन: / Experience Adjustments:

(i) ग्रेच्युटी योजना / Gratuity Plan

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation	1128	1147	1037	972	958
योजना आस्तियां / Plan assets	1179	1134	1067	1067	1023
अधिशेष/(कमी) / Surplus/(deficit)	51	(13)	30	95	64
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	19	5	(19)	(16)	(22)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	18	13	4	3	13

(ii) पेंशन योजना / Pension Plan

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation	4753	4537	4246	3793	3619
योजना आस्तियां / Plan assets	4672	4612	4083	3900	3821
अधिशेष/(कमी) / Surplus/(deficit)	(81)	75	(163)	107	201
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	125	103	(227)	171	(245)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	38	76	90	(43)	154

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

3 इ. **अन्य दीर्घावधि लाभ**
C. **Other long term benefits**

(i) **छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment**

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2025
कुल बीमांकिक देयता / Total Actuarial Liability	1161	1174
योजना आस्तियां / Plan Assets	1167	-
अधिशेष/(कमी) / Surplus / (Deficit)	6	-
धारणाएं / Assumptions		
बट्टा दर / Discount Rate	7.59%	6.82%
वेतन बढ़ोतरी दर / Salary Escalation Rate	5.75%	5.75%

(ii) **रुग्ण अवकाश / Sick Leave**

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2025
कुल बीमांकिक देयता / Total Actuarial Liability	191	199
धारणाएं / Assumptions		
बट्टा दर / Discount Rate	7.59%	6.82%
वेतन बढ़ोतरी दर / Salary Escalation Rate	5.75%	5.75%

(iii) **विशेष रुग्ण अवकाश / Special Sick Leave**

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2025
कुल बीमांकिक देयता / Total Actuarial Liability	21	20
धारणाएं / Assumptions		
बट्टा दर / Discount Rate	7.59%	6.82%
वेतन बढ़ोतरी दर / Salary Escalation Rate	5.75%	5.75%

(iv) **स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना / Voluntary Health Scheme**

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2025
कुल बीमांकिक देयता / Total Actuarial Liability	60	65
धारणाएं / Assumptions		
बट्टा दर / Discount Rate	7.87%	7.05%

(v) **छुट्टी किराया रियायत / Leave Fare Concession**

बैंक ने अप्रयुक्त छुट्टी किराया रियायत के लिए ₹ 15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4 करोड़) का प्रावधान किया था. प्रावधान का निर्धारण 6.48% (पिछले वर्ष 6.54%) की छूट दर और 4% (पिछले वर्ष 4%) की लागत वृद्धि दर का उपयोग करके बीमांकिक रूप से किया गया था.
The Bank had made a provision towards unutilised Leave Fare Concession amounting to ₹ 15 crore (Previous year ₹ 4 crore). The provision was determined actuarially using a Discount Rate of 6.48% (Previous year 6.54%) and Cost Escalation Rate of 4% (Previous year 4%) .

(vi) **परिवर्ती वेतन / Variable Pay**

परिवर्ती वेतन का भुगतान अर्थात् नकद घटक (यदि 25 लाख रुपये से अधिक है) और ईएसओपी घटक के बदले नकद को स्थगित किया गया तथा क्रमशः 3 और 4 वर्षों की अवधि में किस्तों का भुगतान किया गया.
The payment of variable pay viz. cash component (if more than ₹ 25 lakh) and cash in lieu of ESOPs component deferred and paid in tranches over a period of 3 and 4 years respectively.

इस आस्थगित भुगतान का 6.59% (पिछले वर्ष 6.54%) की छूट दर का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है और 31 मार्च 2026 को दायित्व का कुल मूल्य ₹ 115 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 81 करोड़) है.
This deferred payment is actuarially valued using a discount rate of 6.59% (Previous year 6.54%) and the total value of the obligation as on March 31, 2026 is ₹ 115 crore (Previous year ₹ 81 crore)

(vii) बैंक के कर्मचारी अशक्तता सहायता के लिए पात्र हैं जिसे अशक्तता की घटना घटित होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
Employees of the Bank are eligible for disability assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

(viii) **भविष्य निधि / Provident Fund**

एएस 15 कर्मचारी लाभ से संबंधित मार्गदर्शन नोट में कहा गया है कि नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जहाँ ब्याज की गारंटी है, को परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जाना जाये और देयता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए. भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) ने छूट प्राप्त भविष्य निधियों पर गारंटीकृत ब्याज दर के मूल्यांकन पर एक मार्गदर्शन नोट जारी किया है. बीमांकक ने तदनुसार इसका मूल्यांकन किया है और बैंक ने गारंटीकृत ब्याज लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के लिए 31 मार्च 2026 शून्य राशि (पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान कर रखा है.
The guidance note on AS15, Employee Benefits, states that Employer established Provident Funds, where interest is guaranteed are to be considered as defined benefit plans and the liability has to be valued. The institute of Actuaries of India (IAI) has issued a guidance note on valuation of interest rate guaranteed on exempt provident funds. The actuary has accordingly valued the same and the Bank held provision of NIL as on March 31, 2026 [Previous year NIL], towards the present value of the guaranteed interest benefit obligation.

बीमांकक ने मार्गदर्शन नोट द्वारा निर्धारित नियतात्मक दृष्टिकोण का पालन किया है.
The actuary has followed the deterministic approach as prescribed by the guidance note.

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
बट्टाकृत दर (भारत सरकार प्रतिभूति प्रतिफल) Discount rate (GoI Security Yield)	7.59%	6.82%
प्रत्याशित गारंटीकृत ब्याज दर / Expected Guaranteed Interest Rate	8.25%	8.25%

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(ix) 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने चार नई श्रम संहिताओं-वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; एवं व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 को अधिसूचित किया, जिनके द्वारा 29 मौजूदा श्रम कानूनों का एकीकरण किया गया है. बैंक द्वारा इन परिवर्तनों के प्रभाव का, जहाँ तक लागू है, आकलन किया गया है तथा इन परिवर्तनों के संभावित प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 32.88 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. बैंक, नई श्रम संहिताओं के संदर्भ में केंद्रीय एवं राज्य स्तर के नियमों के अंतिम रूप दिए जाने तथा सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरणों की निरंतर निगरानी कर रहा है और ऐसे विकासों के आधार पर, आवश्यकता अनुसार उपयुक्त लेखांकन प्रभाव प्रदान करेगा.

On November 21, 2025, the Government of India notified four new Labour Codes – *The Code on Wages, 2019, The Industrial Relations Code, 2020, The Code on Social Security, 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020* consolidating 29 existing labour laws. The Bank has assessed impact of these changes to the extent applicable and has made an additional provision of ₹ 32.88 crore during the year ended March 31, 2026, towards the estimated impact of these changes. The Bank continues to monitor the finalization of Central and State Rules and clarification from the Government on the New Labour Codes and would provide appropriate accounting effect on the basis of such developments, as needed.

4. **खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS-17)**

बैंक मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन कारोबारी खंडों में परिचालन करता है:
The Bank primarily operates in three business segments as under:

i)	ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालनों में सभी निवेश, मुद्रा बाज़ार परिचालन, डेरिवेटिव ट्रेडिंग तथा प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include all investments, money market operations, derivative trading, and foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
ii)	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में मोटे तौर पर ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार सहित व्यक्तियों और लघु कारोबार उन्मुख हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल/करेंसी कार्ड और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards and transaction Banking services
iii)	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलापों को कवर करने वाले कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी / सिंडिकेशन, परियोजना मूल्यांकन भी शामिल हैं. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों से संबंधी नियोजित पूंजी शामिल की जाती है. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal. Results, revenue and capital employed of international operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
iv)	अविनिधानित Unallocated	इसमें प्रावधान को घटाकर अग्रिम प्रदत्त कर, आस्थगित कर और संस्था स्तर पर गणना किए गए प्रावधानों जैसी मदें शामिल हैं. Includes items such as tax paid in advance net of provision, deferred tax and provisions to the extent reckoned at the entity level.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	समाप्त वर्ष Year Ended	
		31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
क./a.	**खंड राजस्व / Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	8,737	8,695
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	35,030	34,369
	ट्रेजरी / Treasury	16,110	14,391
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	253	206
	अविनिधानित / Unallocated	329	819
	कुल / TOTAL	**60,459**	**58,480**
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less : Inter-segment revenue	24,716	24,654
	निवल खंड राजस्व / Net Segment Revenue	**35,743**	**33,826**
ख. b.	**खंड परिणाम- कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results-Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	3,245	2,165
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	3,264	5,125
	ट्रेजरी / Treasury	4,897	2,311
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	190	189
	अविनिधानित / Unallocated	329	778
	कर पूर्व लाभ / (हानि) / Profit/(Loss) before tax	**11,925**	**10,568**
	आय कर / Income taxes	2,412	3,053
	निवल लाभ / (हानि) / Net profit/(Loss)	**9,513**	**7,515**
ग. / c.	**खंड आस्तियां / Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	78,130	65,712
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	1,90,184	1,66,375
	ट्रेजरी / Treasury	1,94,103	1,72,749
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	26	33
	अविनिधानित आस्तियां / Unallocated assets	4,117	6,838
	कुल आस्तियां / Total assets	**4,66,560**	**4,11,707**
घ / d.	**खंड देयताएं / Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	44,185	38,506

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	समाप्त वर्ष Year Ended	
		31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	3,13,498	2,81,895
	ट्रेजरी / Treasury	41,235	31,051
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	4	4
	अविनिधानित आस्तियां / Unallocated liabilities	-	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	**3,98,922**	**3,51,456**
ङ e.	**पूंजी नियोजित (खंड आस्तियां - खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	33,945	27,206
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	(1,23,313)	(1,15,520)
	ट्रेजरी / Treasury	1,52,867	1,41,698
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	22	29
	अविनिधानित / Unallocated	4,117	6,838
	कुल / Total	**67,638**	**60,251**

- रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और लागू लेखांकन मानक (एएस) - 17, 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुपालन में, रिपोर्ट करने योग्य खंडों को ट्रेजरी, कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालनों के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और संबंधित आय/ व्यय को ट्रेजरी खंड के अंतर्गत पुनःसमूहीकृत किया गया है.

  As per extant RBI guidelines and in compliance with the applicable Accounting Standard (AS) – 17, 'Segment Reporting', reportable segments are identified as Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and other banking operations. Entire investments portfolio and corresponding income/expenses have been regrouped under the Treasury Segment.

- योजनाओं एवं सेवाओं के स्वरूप और जोखिम प्रोफ़ाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफ़ाइल, संगठन संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन खंडों की पहचान उक्त लेखांकन मानक (एएस) के अनुरूप की गई है.

  These segments have been identified in line with the said Accounting Standard (AS) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

- 'खंड परिणाम' निर्धारित करने में, बैंक द्वारा अपनाई गई निधि अंतरण मूल्य तंत्र का इस्तेमाल किया गया है.

  In determining 'Segment Results', the funds transfer price mechanism adopted by the Bank has been used.

- परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में नियोजित पूंजी को कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल किया जाता है.

  Results, Revenue and Capital Employed of International operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.

- कारोबारी खंडों की पहचान की गई है और रिपोर्टिंग लक्षित ग्राहक प्रोफ़ाइल, योजनाओं एवं सेवाओं की प्रकृति, विभिन्न जोखिमों और प्रतिलाभों, संगठन संरचना, आंतरिक कारोबार रिपोर्टिंग प्रणाली और रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए की गई है.

  Business Segments have been identified and reported taking into account the target customer profile, the nature of products and services, the differing risks and returns, the organisation structure, the internal business reporting system and the guidelines prescribed by the RBI.

- 7 अप्रैल 2022 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, डिजिटल बैंकिंग को खुदरा बैंकिंग के भाग के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां अभी तक चालू नहीं हैं.
  As per RBI circular dated April 7, 2022, Digital Banking to be reported as part of Retail Banking. Digital Banking Units are not yet operational in IDBI Bank Ltd.
- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की गई निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल है.
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक ने माना है कि इसका परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
  The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

5. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

I. प्रवर्तक : / Promoter:

- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) / Life Insurance Corporation of India (LIC)

II. सहायक संस्थाएं (पूर्ण स्वामित्व वाली और अन्य सहायक कंपनियां): / Subsidiaries (Wholly owned and Other subsidiaries):

- आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड / IDBI Capital Markets & Securities Ltd.
- आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Ltd.
- आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / IDBI Mutual Fund Trustee Company Ltd.
- आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड* / IDBI Asset Management Ltd.*
- आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड / IDBI Trusteeship Services Ltd.

** आईएएमएल को डबल्यूओएस के रूप में माना जा रहा है क्योंकि इसमें आईडीबीआई और आईसीएमएस की क्रमशः 66.67% और 33.33% हिस्सेदारी है.*
** IAML is being treated as WoS as 66.67% & 33.33% are held by IDBI & ICMS, respectively*

III. सहयोगी संस्थाएं / Associates:

- बॉयोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लिमिटेड / Biotech Consortium India Ltd.
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड / North Eastern Development Finance Corporation Ltd
- नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (6 आगस्त 2025 तक) / National Securities Depository Ltd (Upto August 6, 2025)
- पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआईपीडीआईसीएल) (16 मई 2025 तक) Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd (PIPDICL) (Upto May 16, 2025)

IV. एलआईसी समूह कंपनियां / LIC Group Companies:

- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सहयोगी / LIC Housing Finance Ltd Associate
- एलआईसी म्यूचुअल फंड एएमसी लिमिटेड सहयोगी / LIC Mutual Fund AMC Ltd. Associate
- एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सहयोगी / LIC Mutual Fund Trustee Co. Pvt. Ltd. Associate
- एलआईसीएचएफएल असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड सहयोगी / LICHFL Asset Management Company Ltd. Associate
- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड सहायक / LIC Pension Fund Ltd. Subsidiary
- एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड सहायक / LIC Card Services Ltd. Subsidiary
- एलआईसी (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड सहायक / LIC (Singapore) Pte Ltd. Subsidiary
- एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड सहायक / LIC (Nepal) Ltd. Subsidiary
- एलआईसी इंटरनेशनल बीएससी (सी) बहरीन सहायक / LIC International BSC (C) Bahrain Subsidiary
- एलआईसी (लंका) लिमिटेड सहायक / LIC (Lanka) Ltd. Subsidiary
- एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड सहायक / LIC of Bangladesh Ltd. Subsidiary

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

V. बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key management personnel of the Bank:

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Shri Rakesh Sharma, MD & CEO
- श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक (14 जनवरी 2024 तक)
  Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, DMD (upto January 14, 2024)
- श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक
  Shri Jayakumar S. Pillai, DMD
- श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक (15 जुलाई 2024 से)
  Shri Sumit Phakka, DMD (From July 15,2024)
- श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ
  Smt. Smita Harish Kuber, Executive Director & CFO
- श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव / Smt. Jyothi Nair, Company Secretary

VI केएमपी के रिश्तेदार और उनकी हितबद्ध संस्थाएं / Relative of KMP & their interested entities:

i. श्रीमती अनिता शर्मा, श्री हर्षवर्धन शर्मा, श्री पार्थ शर्मा, श्रीमती करुन्या पुली गड्डा, श्री राजेश कुमार लव, श्रीमती आशा गोस्वामी, श्रीमती निधि शर्मा, श्रीमती शैलजा कौशल, श्रीमती सीतालक्ष्मी आर, श्री जे सुब्रमोनिया पिल्लै, श्री अरविंद जयन, कु. नंदना जयन, श्री पद्मकुमार एस, रानी पीएस, श्रीमती नमिता फक्का, श्रीमती उर्मिला फक्का, सुश्री अनुष्का सूद, संगीता सूद, निमिशा अरोड़ा, श्री हरीश विनायक कुबेर, श्री दत्तात्रेय जे. पाध्ये, श्रीमती शुभांगी डी. पाध्ये, चिन्मयी एच. कुबेर, श्री जितेंद्र डी. पाध्ये, श्रीमती भावना एच. पापट, श्री बीजू नायर, श्री कुट्टी कृष्णन नायर, श्रीमती देवी के नायर, अदित्री नायर, प्रीति जावजी, रेति नायर

Smt. Anita Sharma, Shri. Harshvardhan Sharma, Shri Parth Sharma, Smt. Karunya Puli Gadda, Shri.Rajesh Kumar Lav, Smt. Asha Goswami, Smt. Nidhi Sharma, Smt. Shailja Kaushal, Smt. Seethalekshmy R , Shri J Subramonia Pillai , , Shri Aravind Jayan , Kum. Nandana Jayan , Shri Padmakumar S , Rani PS , Smt. Namita Phakka, Smt. Urmila Phakka, Ms. Anushka Sood, Sangita Sood, Nimisha Arora, Shri Harish Vinayak Kuber , Shri Dattatraya J. Padhye , Smt. Shubhangi D. Padhye , Chinmayee H. Kuber , Shri Jitendra D. Padhye Smt. Bhavna H. Papat ,Shri Biju Nair, Shri Kutty Krishnan Nair, Smt. Devi K Nair, Aditri Nair, Preethi Javaji, Rethi Nair.

ii. संस्थाएं जिनमें केएमपी का हित है - एसआईआरएफ इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., सोशल फूटप्रिंट प्रा. लि., कोजेंट मीडिया लैब्स. निको मीडिया स्टूडिओ एलएलपी एवं सीएसए सर्वाइवर फाउंडेशन.

Entities in which KMPs have Interest - SIRF Investment Pvt. Ltd.,Social Footprint Pvt. Ltd., Cogent Media Labs, Nico Media Studio LLP & CSA Survivor Foundation.

अ. संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण
A. Details of transactions with Related Parties

i. **31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेषराशियां**
Transactions/ balances with related parties during the Period ended Mar 31, 2026

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	सहयोगी संस्थाएं# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक$@ Key Management Personnel$@	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रिलेटिव $@ Relatives of Key Management Personnel$@	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया उधार Borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-		-
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-		-

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	सहयोगी संस्थाएं# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक$@ Key Management Personnel$@	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रिलेटिव $@ Relatives of Key Management Personnel$@	कुल Total
जमाराशि का नियोजन Placement of deposit	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2026 को बकाया जमा राशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2026	6,398	387	54	-	-	6,839
वर्ष के दौरान बकाया जमाराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	13,438	467	247	-	-	14,152
31 मार्च 2026 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2026	0.10	28	-	-	-	28
वर्ष के दौरान अन्य बकाया देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	0.10	90	-	-	-	90
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	307	27	-	-	334
बकाया अधिकतम निवेश Maximum investments Outstanding	-	307	37	-	-	344
31 मार्च 2026 को अग्रिम Advances as on March 31, 2026	950	3	-	-	-	953
वर्ष के दौरान अधिकतम अग्रिम Maximum Advances During the year	950	3	-	-	-	953
31 मार्च 2026 को प्राप्य बकाया Receivable Outstanding as on March 31, 2026	1,178	2	-	-	-	1,180
वर्ष के दौरान प्राप्य बकाया की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	1,184	10	-	-	-	1,194
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	1	17	5	-	-	23
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	18	-	18
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	8	127	1	-	-	136
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	134	14	-	-	-	148

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	सहयोगी संस्थाएं# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक$@ Key Management Personnel$@	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रिलेटिव $@ Relatives of Key Management Personnel$@	कुल Total
अग्रिमों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	65	-	-	-	-	65
उधारों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2026 को बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding as on March 31, 2026	10	14	1	-	-	25
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	10	16	1	-	-	27

 # 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीआईपीडीआईसी) में बैंक की पूरी हिस्सेदारी (21.14%), जिसका अवलेखित मूल्य एक रुपया था, कुल ₹ 18.83 करोड़ में बेच दी गई.
 # During the quarter ended June 30, 2025, Bank's entire stake in Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (PIPDIC) (21.14%), carried at written down value of rupee one, was sold for the total consideration of ₹ 18.83 crore.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) में अपनी 11.11% हिस्सेदारी के 2,22,20,000 इक्विटी शेयरों को, इसके आईपीओ में ऑफर फॉर सेल के माध्यम से ₹ 799.87 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर ऑफर किया तथा ₹ 1,706.91 करोड़ (व्यय पश्चात, कर पूर्व) का निवल लाभ दर्ज किया. बिक्री के बाद, एनएसडीएल में बैंक के शेष निवेश को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफ़एस) श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है.

During the financial year 2025-26, the Bank had offered 2,22,20,000 Equity shares consisting 11.11% shareholding in National Securities Depository Ltd. (NSDL), by way of Offer for Sale, in its IPO, at the issue price of ₹ 799.87 per share & booked a net gain of ₹ 1,706.91 crore (net of expenses, before tax). Post sale, Bank's residual investment in NSDL has been reclassified into Available For Sale (AFS) category.

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट नहीं किया गया है.

$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

@ 1) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में अर्जित किए जाते हैं और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों पर आवंटित नहीं किए जाते हैं.
@ 1) Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.

2) एनईडी, डब्ल्यूटीडी, एमडी एवं सीईओ / सीईओ, महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य कर्मचारियों को पारिश्रमिक के बारे में दिनांक 28 नवंबर 2025 के रिजर्व बैंक परिपत्र आरबीआई/ डीओआर/2025-26/149 डीओआर.एचजीजी.जीओवी.नं.68/29.67.001/2025 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिवर्ती वेतन (नकद घटक) हेतु कुल ₹ 3.5 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 2.04 करोड़) का भुगतान किया गया था.
2) In accordance with RBI Circular RBI/DOR/2025-26/149 DOR.HGG.GOV. No.68/29.67.001/2025-26 dated November 28, 2025 on Remuneration of NEDs, WTDs, MD&CEO / CEO, Material Risk Takers, and Control Function staff For the FY 2025-26, total amount of ₹ 3.5 Crore (previous year ₹ 2.04 crore) was paid for variable pay (cash component).

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेष राशियां
Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2025

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक* Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	सहयोगी संस्थाएं# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रिलेटिव$@ Relatives of Key Management Personnel$@	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया उधार Borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-	-	-
जमाराशि का नियोजन Placement of deposit	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 को बकाया जमाराशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2025	8,187	319	104	-	-	8,610
वर्ष के दौरान बकाया जमाराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	8,395	617	175	-	-	9,187
31 मार्च 2025 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2025	0.03	29	-	-	-	29.03
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	0.09	79	-	-	-	79.09
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	307	37	-	-	344
बकाया अधिकतम निवेश Maximum investments Outstanding	-	307	37	-	-	344
31 मार्च 2025 को अग्रिम Advances as on March 31, 2025	950	-	-	-	-	950
वर्ष के दौरान अधिकतम अग्रिम Maximum Advances During the year	950	45	-	-	-	995
31 मार्च 2025 को प्राप्य बकाया Receivable Outstanding as on March 31, 2025	12	2	-	-	-	14
वर्ष के दौरान प्राप्य बकाया की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	13	10	-	-	-	23
जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	1	20	5	-	-	26
पारिश्रमिक / Remunerations	-	-	-	12	-	12
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	8	107	1	-	-	116
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	126	13	-	-	-	139

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक* Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	सहयोगी संस्थाएं# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रिलेटिव$@ Relatives of Key Management Personnel$@	कुल Total
अग्रिमों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	59	3	-	-	-	62
उधार पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	-			-	-	-
31 मार्च 2025 को बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding as on March 31, 2025	10	12	0.37	-	-	22
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	10	14	0.37	-	-	24

(ii) 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक ₹ 17.66 करोड़ है.
Remuneration paid to Key Management Personnel during the Period ended March 31, 2026 is ₹ 17.66 crore.

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. S. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25
1	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ. Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO	8.53	6.18
2	श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक (14 जनवरी 2024 तक) Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, Deputy Managing Director (upto January 14, 2024)	0.00	0.01
3	श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक Shri Jaya kumar S Pillai, Deputy Managing Director	3.97	2.78
4	श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक (15 जुलाई 2024 से) Shri Sumit Phakka, Deputy Managing Director (From July 15, 2024)	3.72	1.90
5	श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Smt. Smita Harish Kuber, Executive Director & Chief Financial Officer	0.95	0.89
6	श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव Smt. Jyothi Nair, Company Secretary	0.49	0.48
	कुल / Total	**17.66**	**12.24***

**वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए ₹ 3.50 करोड़ शामिल हैं, जो वर्ष 2024-25 से संबंधित है.*
** Includes ₹ 3.50 crores paid to Key Management Personnel during FY 2025-26 pertains to FY 2024-25.*

6. **पट्टे (एएस-19) / Leases (AS-19)**

I. **प्रकटीकरण - पट्टेदार के रूप में पट्टे पर लिया गया परिसर**
Disclosure - As Lessee Premises taken on lease

क) पट्टा / किराए आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/रद्द करने योग्य होती हैं.

a) The Properties taken on lease/rental basis are renewable/cancellable at the option of the Bank.

ख) बैंक द्वारा लिए गए लीज सहमत अवधि के लिए होते हैं जिसमें लीज अवधि के दौरान भी पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर लीज को समाप्त करने के विकल्प होता है.

b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

ग) नवीकरण और वृद्धि खंड की शर्तें वे हैं जो सामान्य रूप से ऐसे करारों में प्रचलित हैं. करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुर्वह खंड नहीं है.

c) The terms of renewal and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

घ) परिचालनगत पट्टे के लिए भुगतान किए गए पट्टा किराए को उस वर्ष में जिससे वह संबंधित है, लाभ - हानि खाते में दर्शाया जाता है.

d) Lease rent paid for operating leases are recognised in the Profit & Loss account in the year to which it relates.

ङ) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया लीज किराया ₹ 474 करोड़ (पिछले वर्षः ₹ 399 करोड़) है.

e) The lease rent recognised in Profit & Loss account during the FY 2025-26 is ₹474 crore (Previous Year: ₹399 crore).

II. **प्रकटीकरण - पट्टाकर्ता के रूप में: पट्टे पर दिए गए परिसरों का विवरण**
Disclosure - As Lessor: Details of Premises given on lease

पट्टा व्यवस्था का सामान्य विवरणः
General Description of the leasing arrangement:

क) पट्टे/किराये के आधार पर दी गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/रद्द करने योग्य हैं.

a) The Properties given on lease/rental basis are renewable/cancellable at the option of the Bank.

ख) बैंक द्वारा किये गये पट्टा करार सहमति अवधि के लिए हैं, जिसमें लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का नोटिस देकर पट्टा अवधि के दौरान भी पट्टे को समाप्त करने का विकल्प है.

b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

ग) नवीकरण और वृद्धि की शर्तें वही हैं जो सामान्यतः इस प्रकार के करारों में प्रचलित होती हैं. करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुर्वह खंड नहीं हैं.

c) The terms of renewal and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

घ) पट्टे पर दिए गए परिसरों का विवरण नीचे दिया गया है:

d) The details of premises given on lease as below:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
कुल लागत / Total Cost	87	133
अवलिखित मूल्य / Written Down Value	87	132
संचित मूल्यह्रास / Accumulated Depreciation	0	1
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास / Depreciation during the year	7	6
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन / Revaluation during the year	(46)	33
31 मार्च को पुनर्मूल्यन रिज़र्व Revaluation Reserve as on March 31st	76	129

नोटः उपरोक्त आंकड़े पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के आधार पर आनुपातिक राशि दर्शाते हैं.
Note: The above figures reflect the proportionate amount on the basis of area given on lease.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

7. **अ) प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (एएस-20)**
(A) Earnings Per Share (EPS) (AS-20)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़) Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ crore)	9,513	7,515
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares outstanding at the end of the financial year	1075,24,02,175	1075,24,02,175
मूल ईपीएस की गणना के लिए शामिल किये गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	0	0
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए शामिल किये गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
ईपीएस (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	8.85	6.99
ईपीएस (न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	8.85	6.99
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

7. **लाभांश / Dividend**

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है.
The Board of Directors have not proposed any divided for the financial year 2025-26.

वर्ष के दौरान बैंक ने प्रति शेयर ₹ 2.10 का लाभांश दिया था जिसे 21 जुलाई 2025 को संपन्न वार्षिक महासभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था.
During the year, the Bank had paid dividend of ₹ 2.10 per share for financial year 2024-25 which was approved by the shareholders at the Annual General Meeting held on July 21, 2025.

8. **आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / Accounting for Taxes on Income (AS-22)**

समय अंतराल के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयता के घटक निम्नानुसार हैं:

The components of Deferred Tax Asset and Deferred Tax Liability arising out of timing difference are as follows:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मार्च 2026 को As at March 2026	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए घट-बढ़ Movement for the year ended March 31, 2026	मार्च 2025 को As at March 2025
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों से संबंधित अस्वीकृति तथा अन्य प्रावधानों की अनुमति नहीं दी गई . Disallowance related to NPA and other provisions not allowed under Income Tax Act, 1961	1,134	(236)	1,370

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

विवरण Particulars	मार्च 2026 को As at March 2026	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए घट-बढ़ Movement for the year ended March 31, 2026	मार्च 2025 को As at March 2025
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी और 35डी के अधीन अस्वीकृति Disallowance u/s 43B and 35D of Income Tax Act, 1961	470	34	437
अनवशोषित मूल्यह्रास Unabsorbed depreciation	0	0	0
कारोबार हानि / Business Loss	2,405	(2,100)*	4,505
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	8	(17)	25
कुल (अ) / Total (A)	4,017	**(2,320)**	**6,337**
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	308	0	308
एएफएस रिज़र्व में जमा किए गए निवेशों की निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास पर आस्थगित आय कर देयता (डीटीएल) Deferred Income Tax Liability (DTL) on net appreciation/depreciation of Investments credited to AFS Reserve	(38)	(86)	48
कुल (आ) / Total (B)	270	**(86)**	**356**
आस्थगित कर आस्ति /(देयता)/(निवल)(अ)-(आ) **Deferred tax asset/ (liability) (net) (A) – (B)**	**3,747**	**(2,234)**	**5,982**

** पिछले वर्ष के प्रभाव को चालू वर्ष में शामिल किए जाने के कारण, डीटीए का रिवर्सल ₹ 13 करोड़ से कम हुआ है.*

** Reversal of DTA is lower by ₹ 13 crore due to impact of previous year considered in current year.*

बैंक कारोबार हानि सहित आस्थिगत कर आस्ति (डीटीए) को इसके रिवर्सल होने की आभाषी निश्चितता को ध्यान में रखते हुए दर्ज करता है.

Bank is recognizing deferred tax asset (DTA) including that on business loss keeping in view the virtual certainty of its reversal.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

कराधान का प्रावधान / Provision of Taxation

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended March 31, 2025
आयकर के लिए प्रावधान - वर्तमान कर/ Provision for Income Tax - Current Tax	93#	137##

 # मकान संपत्ति से आय ₹ 6 करोड़ और अन्य स्रोतों से आय ₹ 362 करोड़ (जिसमें ₹329 करोड़ का आयकर रिफंड पर ब्याज शामिल है) पर ₹ 93 करोड़ के कर का प्रावधान किया गया है

 # Provision for tax of ₹ 93 crore has been created on Income from House Property amounting of ₹ 6 crore and on Income from Other sources amounting to ₹ 362 crore (which includes interest on income tax refund of ₹ 329 crore).

मकान संपत्ति और अन्य स्रोतों से प्राप्त ₹ 858 करोड़ की आय पर ₹ 137 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसे ₹ 297 करोड़ के अनवशोषित मूल्यह्रास से आंशिक रूप से समायोजित किया गया है.

Creation of provision of ₹ 137 crore on Income from House Property and Other sources amounting to ₹ 858 crore which is partially set off against carried forward unabsorbed depreciation of ₹ 297 crore.

9. परिचालन बंद करना (एएस-24) / Discontinuing Operations (AS-24)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके कारण देयता घटी है और आस्तियों से प्राप्ति हुई है और उपरोक्त प्रभाव उत्पन्न करने वाले किसी भी परिचालन को पूरी तरह से बंद करने के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

During the FY 2025-26, the Bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realisation of the assets and no decision has been finalised to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect

10. संयुक्त उद्यम (एएस-27) / Joint Ventures (AS-27)

एएस-27 के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम में बैंक की हिस्सेदारी शून्य थी (पिछले वर्ष शून्य).

As required by AS-27, Banks' holding in joint venture during current FY was Nil (Previous Year Nil)

11. आस्ति का ह्रास (एएस-28) / Impairment of Asset (AS-28)

प्रबंधन की राय में चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आस्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है.

In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the current year and previous year.

12. अ. आकस्मिक देयताओं का विवरण (एएस-29)
A. Description of Contingent Liabilities (AS-29)

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल असर पड़ेगा This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता की शेष अदत्त राशियों को दर्शाती है. इसमें उद्यम पूंजी निधियों के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं. This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल आनुमानिक मूलधन का वृहद मूल्य सृजित होता है, जबकि इसका निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
IV	संघटकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहकों की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.
VI	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता. Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये योजनाएं उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल आनुमानिक मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
		This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. भारतीय कॉरपोरेट बॉण्डों से संबद्ध ऋण जोखिमों के प्रबंध के लिए बैंक ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VII	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये योजनाएं उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होते हैं, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VIII	विवादित कर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed taxes, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विभिन्न कर संबंधी मामलों में एक पक्षकार है, जिनमें अपीलें लंबित हैं . बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू कानूनों के अनुसार अपील प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्षों में ऐसे मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favorable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961 and applicable laws..
IX	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	यह मद निम्नलिखित का निरूपण करती है This item represents the following क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां. a) guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity.

क्र. सं. आकस्मिक देयता Sr. No. Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
	ख) **जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित राशि** - जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना में विनिर्दिष्ट अनुसार बैंक निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि और दस वर्षों या उससे अधिक समय से दावा न की गई शेष राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज को अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर अंतरित करता है. यदि ग्राहक/ जमाकर्ता अपनी अदावी राशि/ जमा के लिए मांग करते हैं, जिसे बैंक ने डीईए निधि योजना के अनुसार, पहले ही रिज़र्व बैंक को अंतरित कर दिया है, बैंक ग्राहक/ जमाकर्ता को ब्याज सहित, यदि लागू हो, भुगतान करता है और ग्राहक/जमाकर्ता को भुगतान की गई राशि के समतुल्य राशि के लिए रिज़र्व बैंक से वापसी के लिए दावा करता है.
	b) **The amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)** - In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014, the Bank transfers the proceeds of the inoperative accounts and the balances remaining unclaimed for ten years or more as specified in the scheme and the interest accrued thereon, on the last working day of the subsequent month. In case the customer / depositor(s) raises a demand for their unclaimed amount / deposit which the Bank has already transferred to RBI, as per DEA Fund Scheme, the Bank pays to the customer / depositor, along with interest, if applicable, and lodge a claim for refund from RBI for an equivalent amount paid to the customer / depositor.
	ग) पूंजी खाते में निष्पादन के लिए शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि, अनाहरित आंशिक ऋण संवृद्धि सुविधाएं, प्रतिभूतियों के जारी होने तक जारी की गई प्रतिभूतियां आदि. c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, undrawn partial credit enhancement facilities, When Issued Securities till issue of securities etc.

आ. दीर्घावधि संविदाएं

B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घावधि संविदाओं पर उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

इ. लंबित मुकदमें

C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और कर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियाँ शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

ई. आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधान में घट-बढ़
D. Movement of provision against Contingent Liabilities

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25
अ) / a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	5357	2995
आ) / b)	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ (रिवर्सल) / Addition/ (reversal) during the year	(555)	2362
इ) / c)	अंतिम शेष / Closing Balance	4802	5357

उ. /C. अन्य प्रकटन / OTHER DISCLOSURES

I. वर्ष के दौरान कोई भी इक्विटी शेयर अधिमानी आधार पर आवंटित नहीं किया गया था. (पिछले वर्ष शून्य).
During the year no Equity Shares were allotted on preferential basis (Previous year Nil).

II. **भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) / Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)**

भारत सरकार जो ट्रस्ट की 'सेटलर' एवं 'लाभार्थी' है, ने अपने दिनांक 20 मार्च 2026 के पत्र के माध्यम से एसएएसएफ को निदेश दिया कि अपनी बहियों में दर्ज एक ऋण खाता एवं एक निवेश शेष, तथा उसके पास धारित जमा राशियों को आईडीबीआई बैंक को अंतरित करे तथा 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के अंतिम समापन के लिए आवश्यक कदम उठाए. एसएएसएफ के न्यासी मंडल ने 27 मार्च 2026 को आयोजित अपनी बैठक में भारत सरकार के उपर्युक्त निर्देशों पर विचार किया तथा 31 मार्च 2026 को कारोबार समय की समाप्ति तक एसएएसएफ के परिचालनों के समापन का निर्णय लिया. तदनुसार, दिनांक 31 मार्च 2026 को कारोबार समय की समाप्ति पर एसएएसएफ भंग कर दिया गया है.

GOI the "Settlor" and "Beneficiary" of the Trust, vide their letter dated March 20, 2026, directed SASF to transfer one loan account and one investment outstanding in its books and deposits held by it to IDBI Bank and take necessary steps for the final closure of the Trust by March 31, 2026. The Board of Trustees of SASF, at its meeting held on March 27, 2026, took note of the aforesaid GOI's directive and resolved to close the operations of SASF by the close of business hours on March 31, 2026. Accordingly, SASF stands dissolved at the close of business hours on March 31, 2026.

III. **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय / Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure**

क) 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित गतिविधियों पर बैंक द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि ₹ 145 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 103 करोड़) थी.

a) The gross amount required to be spent by the Bank on Corporate Social Responsibility (CSR) related activities during the year ended March 31, 2026, was ₹ 145 crore (previous year ₹ 103 crore)

ख) वर्ष के दौरान बैंक के बोर्ड द्वारा व्यय हेतु अनुमोदित राशि ₹ 145 करोड़ थी (पिछले वर्ष ₹ 103 करोड़).

b) The amount approved by the Board of the Bank to be spent during the year was ₹ 145 crore (previous year ₹ 103 crore).

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

ग) वर्ष के दौरान अलग सीएसआर अव्ययित खाते में खर्च/अंतरित की गई राशि नीचे दी गई है:

c) Amount spent/transferred to separate CSR unspent account during the year is given below:

निम्नलिखित तालिका में, दर्शाए गए वर्षों के लिए, बैंक द्वारा सीएसआर से संबंधित गतिविधियों पर खर्च की गई राशि दर्शाई गई है.
The following table sets forth, for the years indicated, the amount spent by the Bank on CSR related activities.

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026			31 मार्च 2025 March 31, 2025		
		वर्ष के दौरान किया गया खर्च Spent during the year	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतरित Transferred to separate CSR unspent a/c	कुल Total	वर्ष के दौरान किया गया खर्च Spent during the year	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतरित Transferred to separate CSR unspent a/c	कुल Total
1.	किसी आस्ति का निर्माण अधिग्रहण Construction acquisition of any asset	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2.	उपरोक्त (1) के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए On purpose other than (1) above	127	18	145	70	33	103

निम्नलिखित तालिका में चल रही परियोजनाओं से संबंधित अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतरित की गई राशि का सारांश दिया गया है:
The following table sets forth the summary of amount pertaining to ongoing projects transferred to separate CSR unspent account:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

वर्ष Year	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में प्रारंभिक शेष Opening Balance in Separate CSR Unspent A/c	राशि जो वर्ष के दौरान खर्च की जानी है Amount required to be spent during the year	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि Amount spent during the year		वर्ष के दौरान अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतरित राशि Amount transferred to Separate CSR unspent A/c during the year	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतिम शेष Closing Balance in Separate CSR Unspent A/c
			बैंक के खाते से From Bank's A/c	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से From Separate CSR Unspent A/c		
वि.व. 26 / FY 26	52	145	127	27	18*	43@
वि.व. 25 / FY 25	26	103	70	6	33*	52

** 30 अप्रैल 2026 को या उससे पहले अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की जाने वाली राशि.*
** Amount to be transferred to unspent CSR account on or before April 30, 2026.*

@ इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित ₹ 18 करोड़ ; वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित ₹ 14 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित ₹ 11 करोड़ की राशि शामिल है.
@ Includes an amount of ₹18 crore pertaining to FY 2025-26; ₹ 14 crore pertaining to FY 2024-25 and ₹ 11 crore pertaining to FY 2023-24.

निम्नलिखित तालिका, दर्शाए गए वर्षों के लिए, लेखांकन मानक (एएस)18 संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरणों के अनुसार सीएसआर से संबंधित गतिविधियों से जुड़े संबद्ध पक्षकार लेनदेनों का विवरण प्रस्तुत करती है.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

The following table sets forth, for the years indicated, the details of related party transactions pertaining to CSR related activities as per Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures.

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31मार्च 2025 March 31, 2025
1	शून्य/Nil	-	-

IV. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अनुसरण में प्रकटीकरण.
Disclosure pursuant to the provision of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	₹ राशि Amount ₹
(i)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा नहीं की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाये). the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year.	शून्य/Nil
(ii)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ-साथ धारा 16 के तहत क्रेता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year	शून्य/Nil
(iii)	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना. The amount of interest due & payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act.	शून्य/Nil
(iv)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त ब्याज की राशि है; और आगामी वर्षों में भी ब्याज की राशि बकाया एवं देय बकाया रहती है उस तारीख तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज की देय राशि वास्तव में लघु उद्यम को धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए भुगतान नहीं कर दी जाती है. the amount of interest accrued end of each and remaining unpaid at the accounting year; and the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23	शून्य/Nil

V. समाधान संरचना 1.0 और समाधान संरचना 2.0 के बारे में रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च 2026 को कुल ₹ 167 करोड़ के विनियामक प्रावधान को बनाये रखा है. प्रबंधन के आकलन के आधार पर, पुनर्संरचित खुदरा एवं कॉरपोरेट उधारकर्ताओं हेतु ₹ 1,124 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी रखा गया है.

As at March 31, 2026, the Bank continues to hold regulatory provision aggregating to ₹ 167 crores in terms of RBI's circular on Resolution Framework 1.0 and Resolution Framework 2.0. Based on management assessment, additional provision of ₹ 1,124 crores is held for restructured Retail and Corporate borrowers..

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

VI. बैंक के पास ₹400 करोड़ (पिछले वर्ष ₹400 करोड़) की निवल ओवरनाइट खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा है. वर्ष (2025-26) के दौरान खुली स्थिति स्वीकृत सीमा के भीतर थी और औसत उपयोग ₹ 179 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 191 करोड़) था. वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोग 28.11.2025 को ₹ 245 करोड़ (पिछले वर्ष 06.01.2025 को ₹ 326 करोड़) था.

The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹ 400 crore (Previous Year ₹ 400 crore) w.e.f. May 31, 2023. During the year (2025-26) the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 179 crore (Previous Year ₹ 191 crore). The maximum utilization during the year was at ₹ 245 crore on 28.11.2025. (Previous Year ₹ 326 crore on 06.01.2025).

VII. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, इस समझ से, लिखित या अन्य प्रकार से, बैंक द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, विदेशी संस्थाओं सहित ('मध्यवर्ती') में/को कोई भी राशि अग्रिम या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से जुटाई गई राशि से) के रूप कोई निधि प्रदान नहीं की गई है और यह कि मध्यवर्ती, बैंक द्वारा या की ओर से निर्धारित पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या उनमें निवेश करेगी. इसके अतिरिक्त बैंक को किसी भी पक्षकार (निधीयन पक्षकार) से कोई भी निधि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं हुई है कि बैंक और सहायक संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक द्वारा या इसकी ओर से अभिनिर्धारित किसी व्यक्ति या संस्था ('अंतिम लाभार्थी') को उधार या उसमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार कुछ और प्रदान करेंगे.

During the year ended March 31, 2026, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Bank (Ultimate Beneficiaries). Further, The Bank has not received any fund from any parties (Funding Party) with the understanding that the Bank shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Bank ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

VIII. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड (आईएएमएल) की असेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) को 29 जुलाई 2023 से ₹89 करोड़ के बिक्री प्रतिफल पर एलआईसी म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया है. सेबी ने 10 मार्च 2026 के अपने पत्र के माध्यम से आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए 30 सितंबर 2026 तक समय बढ़ाने को मंजूरी दे दी है.

Asset Under Management (AUM) IDBI Asset Management Ltd (IAML) has been transferred to LIC Mutual Fund Asset Management Ltd with effect from July 29, 2023 for a Sale Consideration of ₹ 89 crore. SEBI vide its letter dated March 10, 2026 has approved extension of time up to September 30, 2026 for surrender of license of IDBI Mutual Fund.

IX. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) में अपनी 11.11% हिस्सेदारी के 2,22,20,000 इक्विटी शेयरों को, इसके आईपीओ में ऑफर फॉर सेल के माध्यम से ₹799.87 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर ऑफर किया तथा ₹1,707 करोड़ (व्यय पश्चात, कर पूर्व) का निवल लाभ दर्ज किया. बिक्री के बाद, एनएसडीएल में बैंक के शेष निवेश को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफ़एस) श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है. 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीआईडीपीआई) में बैंक की पूरी हिस्सेदारी (21.14%), जिसका अवलेखित मूल्य एक रुपया था, कुल ₹ 19 करोड़ में बेच दी गई.

During the FY 2025-26, the Bank had offered 2,22,20,000 Equity shares consisting 11.11% shareholding in National Securities Depository Ltd. (NSDL), by way of Offer for Sale, in its IPO, at the issue price of ₹ 799.87 per share & booked a net gain of ₹ 1,707 crore (net of expenses, before tax). Post sale, Bank's residual investment in NSDL has been reclassified into Available For Sale (AFS) category. During the quarter ended June 30, 2025, Bank's entire stake in Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (PIPDIC) (21.14%), carried at written down value of rupee one, was sold for the total consideration of ₹ 19 crore.

एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Standalone Financial Statements

X. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि वे चालू वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुरूप हों और साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटन) निदेश, 2025 यथा संशोधित की अपेक्षाओं के अनुसरण में और जहां भी आवश्यक समझा जाए, ऐसा किया गया है।

Figures of the previous year, are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year and also pursuant to the requirement of Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025, as amended and wherever considered necessary.

लेखों की '1' से '18' अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर / Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts
बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)	(जयकुमार एस. पिल्लै)	(सुमित फक्का)	(समरेश परिदा)	(स्मिता कुबेर)	(ज्योति नायर)
(Rakesh Sharma)	(Jayakumar S. Pillai))	(Sumit Phakka)	(Samaresh Parida)	(Smita Kuber)	(Jyothi Nair)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
Managing Director & Chief Executive Officer	Dy. Managing Director	Dy. Managing Director	Director	Chief Financial Officer	Company Secretary
डीआईएन/DIN: 06846594	डीआईएन/DIN: 10041362	डीआईएन/DIN: 08259618	डीआईएन/DIN: 01853823		

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी	कृते सूरी एंड कंपनी
For Chokshi & Chokshi LLP	For Suri & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045	फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S
राकेश जैन	नटराजन वी
Rakesh Jain	Natarajan V
साझेदार/Partner	साझेदार/Partner
स. सं./ M.No. 042364	स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

एकल नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
Standalone Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2026

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण Particulars			31.03.2026 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2025 (Audited)
अ. A.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from Operating Activities**			
(1)	कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ/(हानि) Net profit/(loss) before tax and extra-ordinary items		11925 86 88	10568 21 33
(2)	**समायोजन / Adjustments :**			
	-	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets	9 43 41	2 31 20
	-	मूल्यह्रास और पुनर्मूल्यन हानि Depreciation and revaluation loss	610 39 26	531 47 68
	-	परिपक्वता तक धारित निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of premium on Held to Maturity investments	137 51 48	115 60 18
	-	ऋणों/निवेशों के लिए प्रावधान/ बट्टे खाते डालना Provisions/ Write off of Loans/ Investments	97 10 10	(1856 36 36)
	-	मानक और पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for Standard and Restructured Assets	(1080 06 02)	2699 72 07
	-	अन्य प्रावधान / Other Provisions	(105 38 99)	(332 82 32)
	-	रणनीतिक निवेश की बिक्री से (लाभ)/हानि (Profit)/ Loss on Sale of Strategic Investment	(1725 74 43)	
	-	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/हानि (Profit) / Loss on revaluation of Investments	(166 44 88)	87 23 71
	-	उधार राशियों पर ब्याज (परिचालन गतिविधियों के अलावा) Interest on borrowings (other than operational activities)	208 70 65	591 51 71
	-	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी संस्थाओं से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiary companies/joint ventures/ Associates	(18 50 00)	(25 23 35)
	-	डेरिवेटिव और विनिमय लेनदेनों के उचित मूल्य पर (लाभ)/ हानि (Gain)/loss on fair value of derivatives and exchange transactions		
			9892 87 46	**12381 65 85**
(3)	**परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**			
	-	निवेश / Investments	(8331 62 33)	(1639 91 06)
	-	अग्रिम / Advances	(35363 05 35)	(27468 46 47)
	-	अन्य आस्तियां /Other Assets	(1689 21 11)	566 07 45

एकल नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
Standalone Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2026

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण Particulars		31.03.2026 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2025 (Audited)
(4)	**परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
-	उधार राशियां Borrowings	11374 26 00	7544 58 36
-	जमाराशियां / Deposits	36950 73 07	32596 32 63
-	अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	3531 95 61	56 70 96
	परिचालन कार्यकलापों से कर पूर्व नकदी प्रवाह Cash Flow from Operating Activities before taxes	**16365 93 35**	**24036 97 72**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड घटाकर) Direct Taxes paid (Net of Refund)	**386 36 82**	**1758 50 30**
	परिचालन कार्यकलापों से/ (में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह Net Cash flow from / (used in) Operating activities	**16752 30 17**	**25795 48 02**
आ. B.	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing activities**		
-	अचल आस्तियों की खरीद, चालू कार्य सहित Purchase of fixed assets including work in progress	(322 60 02)	(342 63 66)
-	अचल आस्तियों की बिक्री Sale of fixed assets	1 94 26	2 24 62
-	रणनीतिक निवेश की बिक्री से प्राप्त राशि Proceeds from Sale of Strategic Investment	1730 18 83	
-	सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगी संस्थाओं से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiary companies/joint ventures/Associates	18 50 00	25 23 35
	निवेश कार्यकलापों से/ (में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह Net cash flow from/ (used in) Investing activities	**1428 03 07**	**(315 15 69)**
इ. C.	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Financing activities**		
-	इक्विटी शेयर जारी करना / Issue of Equity Shares	-	-
-	आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि Share application money pending allotment	-	-
-	प्रदत्त लाभांश / Dividend paid	(2256 67 19)	(1611 79 46)
-	उधार राशियों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on borrowings	(318 92 82)	(645 49 78)
-	टियर 1 बॉण्डों का मोचन / Redemption of Tier I Bonds		
-	बॉण्डों का मोचन / Redemption of Bonds	(3202 00 00)	(4745 00 00)
-	बॉण्डों के निर्गमन से प्राप्तराशियां / Proceeds from Issue of Bonds	-	-
-	**वित्तपोषण कार्यकलापों से /(में प्रयुक्त) निवल नकदी प्रवाह Net Cash flow from / (used in) Financing activities**	**(5777 60 01)**	**(7002 29 24)**

एकल नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
Standalone Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2026

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण Particulars	31.03.2026 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2025 (Audited)
ई. D.	ट्रांसलेशन रिज़र्व पर विनिमय के उतार-चढ़ाव का प्रभाव Effect of exchange fluctuation on translation reserve	18 84 57	5 27 27
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ (कमी) (अ+आ+इ+ई) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A+B+C+D)	**12421 57 80**	18483 30 38
	वर्ष के प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash & Cash Equivalents as at the beginning of the year	44416 18 88	25932 88 52
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य Cash & Cash Equivalents as at the end of the period	56837 76 68	44416 18 88
	नकदी प्रवाह विवरण के बारे में टिप्पणियां: Notes to Cash Flow Statement:		
1.	नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
	नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	33230 37 25	21294 15 38
	बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks & money at call and short notice	23607 39 43	23122 03 50
	कुल / Total	**56837 76 68**	44416 18 88
2.	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर की जाती है Cash Flow from Operating activities is reported by using Indirect method		

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)	(जयकुमार एस. पिल्लै)	(सुमित फक्का)	(समरेश परिदा)	(स्मिता कुबेर)	(ज्योति नायर)
(Rakesh Sharma)	(Jayakumar S. Pillai))	(Sumit Phakka)	(Samaresh Parida)	(Smita Kuber)	(Jyothi Nair)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
Managing Director & Chief Executive Officer	Dy. Managing Director	Dy. Managing Director	Director	Chief Financial Officer	Company Secretary
डीआईएन/DIN: 06846594	डीआईएन/DIN: 10041362	डीआईएन/DIN: 08259618	डीआईएन/DIN: 01853823		

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी	कृते सूरी एंड कंपनी
For Chokshi & Chokshi LLP	For Suri & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045	फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S
राकेश जैन	नटराजन वी
Rakesh Jain	Natarajan V
साझेदार/Partner	साझेदार/Partner
स. सं./ M.No. 042364	स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

समेकित वित्तीय विवरण

Consolidated Financial Statements

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

प्रति,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके बाद 'बैंक' या 'धारक कंपनी' के रूप में संदर्भित किया गया है), और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है) एवं इसकी सहयोगी कंपनियों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2026 का समेकित तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ तथा हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, जिसमें उनके साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसमें इसके बाद 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) शामिल हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- दिनांक 30 अप्रैल 2026 की हमारी रिपोर्ट के माध्यम से हमारे द्वारा लेखापरीक्षित आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण.
- अन्य लेखापरीक्षकों के द्वारा लेखापरीक्षित, भारत में निगमित 5 घरेलू सहायक संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण.
- 2 सहयोगी कंपनियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों एवं अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों, बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित ढंग में, आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2021 प्रयोज्य सीमा तक यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2026 को समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं के कार्यों की समेकित स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ और इसके समेकित नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ('एसए') के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की है. उन मानकों के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व' खंड में भी वर्णित है. हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार साथ ही अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत नियमों के तहत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं आचार संहिता के अनुरूप

To the Members of

IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of IDBI Bank Limited (hereinafter referred to as the 'Bank' or 'Holding Company') and its subsidiary companies (the Holding Company and its subsidiaries together referred to as 'the Group'), and its associate companies which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the 'Consolidated Financial Statements') annexed thereto, in which the following are incorporated.

- Audited Financial Statements of IDBI Bank Limited, audited by us, vide our report dated April 30, 2026
- Audited Financial Statements of 5 domestic subsidiaries incorporated in India, audited by other auditors
- Unaudited financial statements of 2 associate companies

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of reports of the other auditors on separate financial statements and on the other financial information of the subsidiary and associates, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 (the 'Act') and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 as amended to the extent applicable, of the consolidated state of affairs of the Group and its associate companies as at March 31, 2026, and its consolidated profit, and its consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing ('SAs') specified under Section 143 (10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements' section of our report. We are independent of the Group and its associate companies in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements under the provisions of the Act, and the Rules thereunder,

अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे 'अन्य मामले' खंड में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, तथा सहायक कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और अन्य जानकारियों पर विचार के आधार पर, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में विचार किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों को मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है, जिन्हें हमारी अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किया जाना है:

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया
अग्रिमों से आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण	
कृपया अनुसूची 9 का संदर्भ लें, जिसे अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के घट-बढ़ और संबंधित प्रावधानों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों तथा आस्ति गुणवत्ता की प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए. अग्रिमों से संबंधित आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निदेशों के तहत अपेक्षित है, जिन पर बैंक द्वारा 31 मार्च, 2026 तक सामूहिक रूप से विचार किया गया, बैंक अग्रिमों को अर्जक एवं अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकृत करता है जिसमें मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियां शामिल हैं और उचित प्रावधान करता है. अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधान और बट्टे खाते डालना एक मुख्य लेखापरीक्षा मामला है, क्योंकि बैंक के पास विभिन्न क्षेत्रों, उत्पादों, उद्योगों	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में अग्रिमों से संबंधित आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों एवं समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था. विशेषकर: • अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के संबंध में रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया; • आस्ति वर्गीकरण (मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि), उनके गत- देय दिनों(डीपीडी) की स्थिति (एनपीए के गैर-वित्तीय मापदंडों पर विचार, कार्यशील पूंजी ऋणों में क्रेडिट की पर्याप्तता, पुनर्संरचना दिशानिर्देश, विनियामक पैकेज और

and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us along with consideration of audit reports of the other auditors referred to in the 'Other Matters' section below is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the consolidated financial statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements and other information of the subsidiaries, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the year ended March 31,2026. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	How KAM was addressed in our audit
Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and provisioning as per regulatory norms	
Please refer to Schedule 9, read with relevant Notes to the Consolidated Financial Statements and Asset Quality in respect of movement of Non-Performing Assets (NPAs) and related provisions. As required under prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect of asset classification and provisioning pertaining advances, and relevant circulars, notifications and directions issued by the RBI which were collectively considered by the Bank till March 31, 2026, the Bank classifies advances into performing and non-performing advances (NPA) which consists of Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss categories and makes appropriate provisions. The Classification, Provisioning and Write off of Advances is a Key Audit Matter as the Bank has significant credit risk	Our audit approach included testing the design, and operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of asset classification and provisioning pertaining to advances. In particular: • Evaluated the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances; • Tested key IT systems/ applications used and their design and implementation as well as operational effectiveness of relevant controls, in relation to asset classification (standard, sub-standard, doubtful and loss) with reference to their days-past-due (DPD) status

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया
और भौगोलिक क्षेत्रों के बड़ी संख्या में उधारकर्ताओं के प्रति महत्वपूर्ण ऋण जोखिम एक्सपोजर है. अग्रिम राशि की वसूली, लेन-देनों की प्रकृति और उस पर प्रावधानों का आकलन तथा बट्टे खाते डाले जाने वाले खातों की पहचान में अत्यधिक जटिलता, अनिश्चितता और निर्णय का उच्च स्तर शामिल हैं. बैंक विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करता है. इसमें शामिल महत्व, लेन-देनों की प्रकृति, विनियामक आवश्यकताएं, मौजूदा कारोबारी माहौल, उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति का आकलन करने में निहित अनुमान / निर्णय के साथ-साथ प्रतिभूतियों के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है.	समाधान ढांचा सहित) और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के संबंध में प्रयुक्त प्रमुख आईटी प्रणालियों एवं एप्लिकेशन और उनके डिजाइन तथा कार्यान्वयन के साथ-साथ प्रासंगिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया. • रिकॉर्ड की गई राशियों की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण, खातों के विवरण की जांच, ह्रास के संकेतक, अनर्जक आस्तियों के लिए ह्रास प्रावधान और लागू रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के संदर्भ में अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के अनुपालन की जांच करने के लिए अग्रिमों का परीक्षण किया गया; • मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा की. • शाखाओं / कार्यालयों का दौरा किया एवं दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच की. • चयनित अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने प्रबंधन के पूर्वानुमान और वसूली योग्य नकदी प्रवाह, उधारकर्ता के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, अंतर्निहित प्रतिभूतियों और

Key Audit Matters	How KAM was addressed in our audit
exposure to a large number of borrowers across various sectors, products, industries and geographies. There is a high degree of complexity, uncertainty and judgment involved in recoverability of advances, the nature of transactions and estimation of provisions thereon and identification of accounts to be written off. The Bank applies both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations. Considering the materiality involved, nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation / judgment involved in assessing the financial condition of borrowers as well as valuation of securities, we have determined this as Key Audit Matter.	(including consideration of non-financial parameters of NPA, sufficiency of credits in working capital loans, restructuring guidelines, the Regulatory Package and Resolution framework) and provisioning pertaining to advances; • Test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, indicators of impairment, impairment provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines; • Reviewed account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors. • Carried out visits to branches / offices and examination of documentation and other records. • For the selected non-performing advances, we assessed Management's forecast and inputs of recoverable cash flows, borrower's audited financial statements, valuation of underlying

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया
	संपार्श्विक के मूल्यांकन, चूक की वसूली योग्य राशि का अनुमान और पुनर्भुगतान के अन्य स्रोतों के इनपुट का आकलन किया; • रिज़र्व बैंक विनियमों के अनुपालन के लिए अग्रिमों पर प्रावधान करने हेतु बैंक की प्रक्रियाओं और प्रावधान करने के लिए आंतरिक रूप से निर्धारित नीतियों का परीक्षण किया; • स्वचालित ई-एनपीए प्रणाली को देखा और लेखापरीक्षा क्षेत्र पर विचार करते हुए चयनित नमूनों के लिए मुख्य कार्य क्षमता का परीक्षण किया. • आईआरएसी मानदंडों एवं नियामक पैकेज के संदर्भ में सामूहिक प्रावधानों की गणना के लिए प्रयुक्त मापदंडों को मान्य किया गया; • रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 31 मार्च 2026 को धोखाधड़ी वाले खातों के लिए किये गये प्रावधान का परीक्षण किया गया. • हमारी मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के भाग के रूप में, खुदरा और कॉरपोरेट पोर्टफोलियो के नमूने के लिए प्रावधानों की गणना पुनः की गई, ताकि इसकी सटीकता का निर्धारण किया जा सके; (मानक पोर्टफोलियो के लिए सामूहिक और अनर्जक पोर्टफोलियो के लिए मामला विशिष्ट). • बैंक प्रबंधन के साथ उन क्षेत्रों पर चर्चा की जहां ऋण जोखिम की आशंका है और प्रबंधन द्वारा चिन्हित दबावग्रस्त क्षेत्रों

Key Audit Matters	How KAM was addressed in our audit
	security and collaterals, estimation of recoverable amounts on default and other sources of repayment; • Tested the Bank's processes for making provision on advances for compliance with RBI regulations and internally laid down policies for provisioning; • Undertaken the walkthrough for the automated E-NPA system and tested the core functionality for selected samples considering the audit universe. • Validated the parameters used to calculate collective provisions with reference to IRAC norms, and the Regulatory Package; • Tested provision created for fraud accounts as at March 31, 2026 as per the RBI circular; • Re-performed, for sample cases of retail and corporate portfolios, as part of our substantive audit procedures the calculation of provisions, to determine the accuracy of the same; (Collective for standard portfolio and case specific for non performing portfolio) • Discussed with the management of the Bank on sectors where there is perceived credit risk

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया
	से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की; • रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया गया.
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियां और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण	
बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग, आईआरएसी और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर हैं. आईटी नियंत्रण परिवेश में खामियों के कारण वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकार्डों में महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन होने का जोखिम बना रहता है. इसलिए आईटी नियंत्रणों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एप्लिकेशन अपेक्षित रूप से डेटा को संसाधित करें और परिवर्तन उचित तरीके से किए जाएं. बैंक के आईटी नियंत्रण ढांचे में स्वचालित, अर्ध-स्वचालित और मैनुअल नियंत्रण शामिल हैं, जो पहचाने गए जोखिमों से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. आईटी नियंत्रणों को संस्था स्तर नियंत्रण (ईएलसी), आईटी सामान्य नियंत्रण (आईटीजीसी) और आईटी एप्लिकेशन नियंत्रण (आईटीएसी) में वर्णित किया गया है. इस तरह के नियंत्रण, त्रुटिपूर्ण आउटपुट डेटा के जोखिम को कम करने में योगदान देते हैं. हमने आईटी नियंत्रण ढांचे को एक मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में चिन्हित किया है, क्योंकि बैंक का कारोबार प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है. आईटी वातावरण जटिल है और आईटी नियंत्रणों की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर सीधा	इस मामले के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: बैंक की आईटी प्रणालियों पर नियंत्रणों के आकलन के दौरान, हमने अपने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को शामिल किया ताकि आईटी परिवेश, आईटी बुनियादी संरचना तथा आईटी प्रणालियों की समझ प्राप्त की जा सके. आईटी सामान्य नियंत्रण (आईटीजीसी), एप्लिकेशन नियंत्रण (आईटीएसी) और आईटी पर निर्भर मैनुअल नियंत्रण के परीक्षण के लिए. • हमने बैंक की आईटी प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और नमूना जांच की योजना बनाई है, उन्हें डिजाइन एवं निष्पादित किया है. • बैंक में कार्यान्वित आईटी एप्लिकेशन परिदृश्य की व्यापक समझ प्राप्त की. इसके बाद प्रक्रिया को समझे, एप्लिकेशन की मैपिंग करना तथा मानव-प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न वित्तीय जोखिमों को समझे. • मुख्य आईटी परीक्षण प्रक्रियाओं में पूर्णता, वैधता, पहचान/प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, अखंडता और

Key Audit Matters	How KAM was addressed in our audit
	and the steps taken by management to mitigate the risks pertaining to identified stress sectors • Assessed the adequacy of disclosures against the RBI Guidelines
Information Technology (IT) Systems and Controls over financial reporting	
The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking, IRAC, Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls. There exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. Hence the IT controls are required to ensure that applications process data as expected and that changes are made in an appropriate manner. The Bank's IT control framework includes automated, semi-automated and manual controls designed to address identified risks. IT controls are stated in Entity Level Controls (ELC), IT General Controls (ITGC) and IT Application Controls (ITAC). Such controls contribute to risk mitigation of erroneous output data. We have identified IT Controls Framework as a Key Audit Matter as the Bank's business is highly dependent on technology. The IT environment is complex and the design and operating effectiveness of IT controls have a direct impact on its financial reporting process. Such controls provide assurance on	Our Audit procedures with respect to this matter includes following : In assessing the controls over the IT systems of the Bank, we involved our technology specialists to obtain an understanding of the IT environment, IT infrastructure and IT systems. For testing the IT general controls (ITGC), application controls (ITAC) and IT dependent manual controls. • We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank. • Obtained a comprehensive understanding of IT applications landscape implemented at the Bank. It was followed by process understanding, mapping of applications to the same and understanding financial risks posed by people-process and technology. • The key IT Testing procedures includes various parameters such as Completeness,

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया
प्रभाव पड़ता है. इस तरह के नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टें तैयार करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न आईटी एप्लिकेशन के माध्यम से संसाधित डेटा की अखंडता और पूर्णता का आश्वासन देते हैं.	जवाबदेही जैसे विभिन्न मापदंड शामिल हैं. एप्लिकेशन से स्वचालित नियंत्रणों को महत्वपूर्ण मानकर परीक्षण का फोकस करना था कि क्या नियंत्रण अनधिकृत लेनदेन को रोकते हैं या उनका पता लगाते हैं और लेनदेन की पूर्णता, सटीकता, प्राधिकरण और वैधता सहित वित्तीय उद्देश्यों का समर्थन करते हैं. • आईटीजीसी परीक्षण में, नमूना आधार पर, हमने उपयोगकर्ता एक्सेस प्रबंधन जैसे नियंत्रण क्षेत्रों और आईटी परिचालन नियंत्रण के अन्य पहलुओं की समीक्षा की. इसमें यह परीक्षण शामिल है कि सिस्टम तक एक्सेस के अनुरोध की समीक्षा की गई और उसे अधिकृत किया गया. हमने नमूना आधार पर लेखापरीक्षा परीक्षणों को रिकॉर्ड करने की प्रणाली की भी समीक्षा की है. • आईटीएसी के लिए, हमने सिस्टम गणनाओं की सटीकता का आकलन करने के लिए नमूना आधार पर सिस्टम कार्यक्षमता के अनुपालन का परीक्षण किए. • उपर्युक्त के अतिरिक्त, पूछताछ, दस्तावेजीकरण / रिकॉर्ड / रिपोर्ट की समीक्षा जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया, जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर मुख्य आंतरिक प्रणाली नियंत्रण माना गया था.

Key Audit Matters	How KAM was addressed in our audit
the integrity and completeness of data processed through various IT applications which are used for the preparation of financial reports.	Validity, Identification/ Authentication, Authorization, Integrity and Accountability. Focus of testing automated controls from applications considered as critical, was whether the controls prevent or detect unauthorized transactions and support financial objectives including completeness, accuracy, authorization and validity of transactions. • In ITGC testing, on sample basis, we reviewed control areas such as User Access Management, and other aspect of IT operational controls. This includes testing that request for access to systems were reviewed and authorised. We have also reviewed system of recording the audit trails on a sample basis. • For ITAC, we carried out on sample basis, compliance tests of system functionality in order to assess the accuracy of system calculations. • In addition to the above, the design and operating effectiveness of certain automated controls, that were considered as key internal system controls over financial reporting were tested. Using various techniques such as inquiry, review of documentation / record/ reports

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में केएएम का समाधान कैसे किया गया
	• क्षतिपूर्ति करने वाले नियंत्रणों या सुधारे गये नियंत्रणों के संयोजन का परीक्षण किया और/या वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जहां आवश्यक हो, का निष्पादन किया. • इसके अतिरिक्त, हमने बैंक के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई आईएस लेखा परीक्षा पर भी भरोसा किया है.

Key Audit Matters	How KAM was addressed in our audit
	• Tested a combination of compensating controls or remediated controls and / or performed alternative audit procedures, where necessary. • In addition, we have also relied on IS audit conducted by internal audit department of the Bank

समेकित वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली निदेशकों की रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इनमें एकल वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं. अन्य जानकारी लेखापरीक्षक की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और उस पर हम किसी तरह का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें उपलब्ध कराए जाने पर उक्त निर्दिष्ट अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से मिथ्यावर्णन प्रतीत होती है.

जब हम अन्य जानकारी का अध्ययन करते हैं यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई तात्विक मिथ्यावर्णन है, तो हमारे लिए उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को उसकी सूचना देना आवश्यक है और प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के तहत लागू होने वाली आवश्यक कार्रवाई करें.

समेकित वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली 2021, यथासंशोधित, जहां तक वे बैंकों पर लागू होते हैं के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों में वर्णित निर्धारण एवं मापन सिद्धांतों के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा बैंक पर लागू अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ('रिज़र्व बैंक') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों, बैंकों पर यथा प्रयोज्य, समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं की समेकित

Information other than the consolidated financial statements and Auditor's Report thereon

The Bank's Management and Board of Directors are responsible for preparation of Other Information. The other information comprises the Management Discussion and Analysis, Business Responsibility and Sustainability Report, Directors' Report forming part of the Annual Report, Corporate Governance Report but does not include the Standalone Financial Statements, Consolidated Financial Statements and our auditor's reports thereon. The other information is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take necessary actions as applicable under the relevant laws and regulations.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors are responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group, including its associates, in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Accounting Standards specified under Section 133 of the Act read with Companies (Accounting Standard) Rules 2021, as amended, in so

वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. बैंक और समूह में शामिल सहायक कंपनियों और इसकी सहयोगी संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं की आस्तियों की सुरक्षा के लिए, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना, जो लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित थे, सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो उपर्युक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य के लिए उपयोग किये गये हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं में शामिल संबंधित कंपनियों के प्रबंधन और निदेशक मंडल समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं के कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने के लिए संबंधित कंपनियों की क्षमता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह हैं जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल का इरादा समूह और इसके सहयोगी संस्थाओं में शामिल कंपनियों का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

समूह में शामिल कंपनियों और इसकी सहयोगी संस्थाओं के संबन्धित निदेशक मण्डल समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण मिथ्या कथन उत्पन्न हो सकता है और और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब इनकी अकेले या समग्र रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उचित रूप से प्रभावित करने की संभावना हो सकती हो.

एसए के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना,

far as they apply to banks, provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India ('RBI') from time to time, as applicable to the Bank. The respective Board of Directors of the Bank and the subsidiary companies included in the Group and its associate companies are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act and the RBI Guidelines, for safeguarding of the assets of the Group and its associates, for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the Management and Board of Directors of the respective companies included in the Group and its associates are responsible for assessing the ability of the respective companies included in the Group and its associates to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless respective the Board of Directors either intends to liquidate the companies included in the Group and its associate companies or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the Companies included in the Group and of its associates are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associate companies.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an Auditor's Report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to

हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो पर्याप्त और उचित हों. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझ कर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है.

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन एवं निदेशक मंडल द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों का औचित्य एवं समेकित वित्तीय विवरणों में उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना.

- समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन और निदेशक मंडल के लेखांकन के कार्यशील संस्था के रूप में उपयोग करने के उपयुक्तता पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं या परिस्थितियां से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चतता मौजूद है जिसमें सहयोगी कंपनियों सहित समूह के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की सक्षमता पर सार्थक संदेह व्यक्त करती हो. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां सहयोगी कंपनियों सहित समूह के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती हैं.

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना तथा क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का निरूपण इस ढंग से करते हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति कर सकें.

- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण

those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Group and its associate companies have adequate internal financial controls with reference to consolidated financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures in the consolidated financial statements made by the Management and Board of Directors.

- Conclude on the appropriateness of the Management and Board of Director's use of the going concern basis of accounting in preparation of consolidated financial statements and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's, including its associate companies, ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditor's Report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditor's Report. However, future events or conditions may cause the Group, including its associate companies, to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group and its associate companies to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits

और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं. इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामले' नामक खंड के पैरा (क) और (ख) में आगे वर्णित किया गया है.

हम बैंक में अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसका समय और लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को वक्तव्य भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही सभी संबंधों और उन मामलों की जो हमारी स्वतंत्रता को उचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो चालू वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा संप्रेषण करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अन्य मामले

क) हमने पांच सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2026 को कुल आस्तियां ₹ 1,303.92 करोड़, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः कुल राजस्व ₹ 470.44 करोड़ और कर पश्चात कुल निवल लाभ ₹ 123.50 करोड़ दिखाया गया है; और समेकित वित्तीय विवरणों में निवल नकदी अंतर्वाह ₹ 16.55 करोड़ है, जिनकी लेखापरीक्षा उनके स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है. इन सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों से संबंध में शामिल की गई राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, सिर्फ ऐसे लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर ही आधारित है और हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उपर्युक्त पैराग्राफ में दी गई है.

ख) समेकित वित्तीय विवरण में दो सहयोगी कंपनियों [बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (27.93%) और नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (25%)] के संबंध में समूह के हिस्सा का कर पश्चात निवल लाभ ₹ 25.16 करोड़ शामिल है. इन सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों का न तो हमारे द्वारा और न ही उनके संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं. इन अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को उन सहयोगी कंपनियों के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया

carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described in para (a) and (b) of the section titled 'Other Matters' in this audit report.

We communicate with those charged with governance of the Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

a) We did not audit the financial statements of five subsidiary companies; whose financial statements reflect total assets of ₹ 1,303.92 crores as at March 31, 2026, total revenues of ₹ 470.44 crores and total net profit after tax of ₹ 123.50 crores for the year ended March 31, 2026 respectively, and net cash inflows of ₹ 16.55 crores as considered in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by its independent auditors. The independent auditors' reports on financial statements of these subsidiaries have been furnished to us by the management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, is based solely on the reports of such auditors and the procedures performed by us as stated in paragraph above.

b) The Consolidated Financial Statements include the Group's share of net profit after tax of ₹ 25.16 crore for the year ended March 31, 2026 in respect of two associate companies [Biotech Consortium India Limited (27.93%) and North Eastern Development Finance Corporation Limited (25%)]. The financial statements of these associate companies have neither been audited by us nor by their respective auditors. According to the information and explanations given to us by the Management, the financial statements of these associate companies are not material to the Group. These unaudited financial statements have been approved by the Management

गया है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहयोगी कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, सिर्फ ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर आधारित है.

उपर्युक्त मामलों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय संशोधित नहीं की गई है.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1) हमारी राय में समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा अधिनियम की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2021, यथा संशोधित, इसके तहत जारी किए गए नियमों, के अनुसार तैयार किए गए हैं.

2) जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित ऐसी सहायक कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारियों पर विचार के आधार पर, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लिखित किया गया है हम, जहां तक लागू हो, रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगे एवं प्राप्त किये हैं जो उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में, बैंक द्वारा उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा गया है, जैसा कि उन बहियों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

(ग) इस रिपोर्ट में विचार किए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि खाते और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजनार्थ रखी गई सुसंगत बहियों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली 2021, यथा संशोधित, के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों को पूरा करते हैं जहां तक वे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं;

(ङ) 31 मार्च 2026 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिये जाने के आधार पर और इसकी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों

of the respective associate companies and furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these associate companies, is solely based on such unaudited financial statements / financial information.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements is not modified in respect of above matters.

Report on other legal and regulatory requirements

1) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and Section 133 of the Act and read with Companies (Accounting Standard) Rules, 2021, as amended, issued thereunder.

2) As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of such subsidiary companies as were audited by other auditors, as noted in the 'Other Matters' paragraph, we report, to the extent applicable, that:

(a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid Consolidated Financial Statements;

(b) in our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid Consolidated Financial Statements have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors;

(c) the consolidated balance sheet, the consolidated profit and loss account, and the consolidated cash flow statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements;

(d) in our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Companies (Accounting Standard) Rules, 2021, as amended, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

(e) on the basis of the written representations received from the directors of the Bank as on March 31, 2026, taken on record by the Board of Directors of the

के आधार पर, समूह के किसी भी निदेशक को 31 मार्च 2026 को अधिनियम की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; और

(च) समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध अ' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

उपर्युक्त 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लिखित दो सहयोगी संस्थाओं के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों/जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की गई है. अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में हम उक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं.

3. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014, यथा संसोधित, के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा एवं सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में नोट किया गया:

(क) समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च 2026 को लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 18(13) (ए) और (सी) देखें;

(ख) 31 मार्च 2026 के समेकित वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हों, के लिए लागू विधिक या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किए हैं - ऐसे मदों के संबंध में, समूह एवं उसकी सहयोगी कंपनियों से संबंधित विवरण हेतु समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी 18(13) (ए) एवं (बी) देखें;

(ग) 31 मार्च 2026 को बैंक, भारत में निगमित इसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है.

(घ) (i) बैंक और इसकी संबंधित सहायक कंपनियों के प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों पर टिप्पणियों (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 18 (14) (vii) का संदर्भ लें) में प्रकटन के

Bank and the report of the statutory auditors of its subsidiary companies, none of the directors of the Group is disqualified as on March 31, 2026, from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act; and

(f) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Group and its associates and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in 'Annexure A'.

In respect of two associate companies as referred to in 'Other Matter' paragraph above, whose financial statements / information have not been audited. In absence of reporting by statutory auditors of such entities under section 143(3) of the Act, we are unable to comment on such compliance for the said entities.

3. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us and based on our audit and the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of the subsidiary companies as noted in the 'Other Matters' paragraph:

(a) the Consolidated Financial Statements disclose the impact of pending litigations as at March 31, 2026 on the consolidated financial position of the Group and its associates - Refer Note No. 18(13)(A) and (C) to the Consolidated Financial Statements;

(b) provision has been made in the Consolidated Financial Statements as at March 31, 2026, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts - Refer Note No. 18(13) (A) and (B) to the Consolidated Financial Statements in respect of such items as it relates to the Group and its associate companies;

(c) there has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund during the year ended March 31, 2026 by the Bank, its subsidiary companies and associate companies incorporated in India

(d) (i) The management of the Bank and its respective subsidiary companies have represented that, to the best of their knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to accounts,

अलावा, बैंक या इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों को या किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी से कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत/निधि के प्रकार से) इस समझ के साथ नहीं ली गई है (जो एकल रूप में या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है), जो लिखित अथवा अन्यथा रूप में है कि मध्यस्थ, बैंक या इसकी सहयोगी कंपनियों या सहायक कंपनियों द्वारा/की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति आदि प्रदान करेगा;

(ii) बैंक और उसकी संबंधित सहायक कंपनियों के प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों पर टिप्पणियों (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 18 (14) (vii) का संदर्भ लें) में प्रकटन के अलावा, बैंक या समूह की सहयोगी कंपनियों और सहायक कंपनियों से किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं), विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टी") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं हुई है (जो एकल रूप में या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है), जो लिखित अथवा अन्यथा रूप में है कि बैंक या उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति आदि प्रदान करेगा,; और

(iii) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपर्युक्त उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण है.

(iv) उपर्युक्त 'अन्य मामले' के पैराग्राफ में संदर्भित 2 सहयोगी संस्थाओं के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों/ जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की गई है के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11(ई) के अंतर्गत हम उक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं.

(Refer Note No.18(14)(vii)to the Consolidated Financial Statements) no funds (which are material either individually or in aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank or its subsidiary companies and associate companies to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Bank or its subsidiary companies or its associate companies ('Ultimate Beneficiaries') or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(ii) The management of the Bank and its respective subsidiary companies have represented that, to the best of their knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to accounts (Refer Note No.18(14)(vii) to the Consolidated Financial Statements) no funds (which are material either individually or in aggregate) have been received by the Bank or its subsidiary companies or associate companies from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, the Bank or its subsidiary companies or associate companies shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ('Ultimate Beneficiaries') or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries,; and

(iii) Based on such audit procedures that were considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) above contain any material misstatement.

(iv) In respect of for two associate companies as referred to in 'Other Matter' paragraph above, whose financial statements / information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities under Rule 11(e) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, we are unable to comment on such compliance for the said entities.

(ङ) वर्ष के दौरान, बैंक तथा इसकी सहायक कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में घोषित अंतिम लाभांश का भुगतान किया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक ने किसी अंतिम लाभांश का प्रस्ताव नहीं किया है.

(च) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल है और जो सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा की गई, भारत में निगमित कंपनियां जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, बैंक और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी संबन्धित लेखा बहियों के रखरखाव के लिए लेखांकन साफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) रिकार्डिंग करने की सुविधा है और साफ्टवेयर में सभी लेनदेनों को रिकॉर्ड करने के लिए उसे पूरे वर्ष परिचालित किया है. इसके अलावा, लेखापरीक्षा के दौरान, हमें और अन्य लेखापरीक्षकों जिनकी रिपोर्ट बैंक प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है को लेखा परीक्षा ट्रेल के साथ हस्तक्षेप का कोई उदाहरण नहीं मिला. इसके अतिरिक्त, बैंक और भारत में निगमित सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षा ट्रेल को रिकार्ड रखने की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार संरक्षित किया गया है.

इसके अलावा, जैसा कि ऊपर 'अन्य मामले' के पैराग्राफ में संदर्भित है, दो सहयोगी संस्थाओं के लिए, जिनके वित्तीय विवरणों/ जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की गई है, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के तहत लेखापरीक्षा ट्रेल पर रिपोर्टिंग के संबंध में ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में उपर्युक्त वर्णित नियम 11(जी) के अंतर्गत हमारे द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट के संबंध में हम उक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं.

4. अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में, बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत परिभाषित एक बैंकिंग कंपनी है. तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 197 के तहत निर्धारित आवश्यकताएं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी(2ए) के आधार पर लागू नहीं होती हैं.

जिन सहायक कंपनियों की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, सहायक कंपनियों द्वारा अपने निदेशकों को चालू वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है. सहायक कंपनी द्वारा किसी भी निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है.

(e) During the year, the Bank and its subsidiaries has paid final dividend declared for FY 2024-25 in compliance with section 123 of the Act. The Bank has not proposed any final dividend for the FY 2025-26.

(f) Based on our examination, which included test checks, and that performed by the auditors of the subsidiary companies which are the companies incorporated in India, whose financial statements have been audited under the Act, the Bank and its subsidiary companies incorporated in India have used accounting software for maintaining their respective books of account for the year ended March 31, 2026 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of audit, we and other auditors, whose reports have been furnished to us by the Management of the Bank, have not come across any instance of the audit trail feature being tampered with. Additionally, the audit trail has been preserved by the Bank and its subsidiary companies incorporated in India as per the statutory requirements for record retention.

Further, for two associate companies as referred to in 'Other Matter' paragraph above, whose financial statements / information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities with respect to reporting on audit trail under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 during the year ended March 31, 2026, we are unable to comment on such compliance for such entities as required to be reported by us under Rule 11(g) mentioned above.

4. With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under section 197(16) of the Act, the Bank is a banking company as defined under Banking Regulation Act, 1949. Accordingly, the requirements prescribed under Section 197 of the Companies Act, 2013 (the 'act') do not apply by virtue of Section 35B(2A) of the Banking Regulation Act, 1949.

Based on the reports of the statutory auditors of the subsidiary companies which were not audited by us, the remuneration paid during the current year by the subsidiary companies to its directors are in accordance with the provisions of Section 197 of the Act. The remuneration paid to any director by the subsidiary company is not in excess of the limit laid down under Section 197 of the Act.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

इसके अलावा, ऊपर 'अन्य मामले' पैराग्राफ में संदर्भित दो सहयोगी कंपनियों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों / सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में, हम उपर्युक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 197 (16) के तहत हमारे द्वारा रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है.

Further, in respect of two associate companies as referred to in 'Other Matter' paragraph above, whose financial statements / information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities with respect to compliance of the provisions of section 197 during the year ended March 31, 2026, we are unable to comment on such compliance for the said entities as required to be reported by us under section 197(16) of the Act.

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W / W100045)

राकेश जैन
Rakesh Jain
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 042364
यूडीआईएन/ UDIN: 26042364WIAQFU1938

कृते सूरी एंड कंपनी
For Suri & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/(FRN – 004283S)

नटराजन वी.
Natarajan V.
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 223118
यूडीआईएन/ UDIN: 26223118ZHISYA8279

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध अ

(31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों को सम दिनांकित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में 'अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2(एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ("बैंक"), इसकी सहायक कंपनियों (बैंक और इसकी सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है) और सहयोगी कंपनियों, जो 31 मार्च 2026 को भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

संबंधित कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक और संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरणों के मानदंडों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं. इन जिम्मेदारियों में संबंधित कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी बैंक, इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों ('मानकों') के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखापरीक्षा की. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited for the year ended March 31, 2026

(Referred to in paragraph 2(f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date to the members of IDBI Bank Limited on the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2026)

Report on the Internal Financial Controls with reference to the aforesaid consolidated financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank"), its subsidiary companies (The Bank and its subsidiary companies together to be referred to as 'the Group') and associate companies, which are companies incorporated in India as of March 31, 2026, in conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective company's management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls with reference to consolidated financial statements criteria established by the Bank and respective companies considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the respective Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of the Bank, its subsidiary companies and associate companies, which are companies incorporated in India, based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note issued by the ICAI and the Standards on Auditing ('the Standards'), prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls with reference to consolidated financial statements. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to consolidated financial statements were established and maintained and whether such controls operated effectively in all material respects.

हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसे जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या गलती से किसी तात्विक मिथ्या कथन की जोखिम का आकलन शामिल है.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे 'अन्य मामले' पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, बैंक, इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित ब्योरे, परिशुद्धता और बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;

2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से अधिव्यापन की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक मिथ्याकथन की घटना हो सकती है और जिनका पता नहीं चल पता है. साथ ही, भावी अवधियों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to consolidated financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their report referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of the Bank, its subsidiary companies and associate companies, which are companies incorporated in India.

Meaning of Internal Financial Controls with Reference to Consolidated Financial Statements

A Bank's internal financial controls with reference to consolidated financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of consolidated financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control with reference to consolidated financial statement includes those policies and procedures that

1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;

2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and

3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the consolidated financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with Reference to Consolidated Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements to future

मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारी राय में, और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के विचार के आधार पर, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक, इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों में, जो भारत में निगमित हैं, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक, इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरणों के मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2026 को प्रभावी रूप से काम कर रहे थे.

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक निम्न तथ्यों से संबंध है:

- भारत में निगमित पांच सहायक कंपनियों की उन कंपनियों के संबंधित लेखा परीक्षकों की तद्नुरूपी रिपोर्ट पर आधारित हैं.
- भारत में निगमित दो सहयोगी कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय प्रभावित नहीं है क्योंकि समेकित वित्तीय विवरणों में इन सहयोगी कंपनियों के संबंध में शामिल निवल लाभ / हानि और प्रकटीकरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

इन मामलों के संबंध में हमारे अभिमत को संशोधित नहीं किया गया है
Our opinion is not modified in respect of these matters.

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी
For Chokshi & Chokshi LLP
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W / W100045)

राकेश जैन
Rakesh Jain
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 042364
यूडीआईएन/ UDIN: 26042364WIAQFU1938

कृते सूरी एंड कंपनी
For Suri & Co.
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/(FRN – 004283S)

नटराजन वी.
Natarajan V.
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 223118
यूडीआईएन/ UDIN: 26223118ZHISYA8279

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to consolidated financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and based on the consideration of the reports of the other auditors on internal financial controls with reference to consolidated financial statements, to the best of our information and according to explanations given to us, the Bank, its subsidiary companies and associate companies, which are incorporated in India, have, in all material respects, an adequate internal financial controls with reference to consolidated financial statements and such internal financial controls were operating effectively as at March 31, 2026, based on internal control with reference to consolidated financial statements criteria established by the Bank, its subsidiary companies and associate companies considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note.

Other Matters

Our aforesaid reports under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements in so far as it relates to:

- Five subsidiary companies, incorporated in India, are based on the corresponding report of the respective auditors of those companies.
- Two associate companies, incorporated in India whose financial statements / financial information are unaudited, our opinion on the Internal Financial Controls with reference to consolidated financial statements is not affected as the share of net profit / loss and disclosures included in respect of these associate companies in the consolidated financial statements are not material to the Group.

समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च 2026 को
Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10752 40 22
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	57811 75 85	50867 64 93
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	2A	177 81 56	164 83 16
जमाराशियां / Deposits	3	346776 13 58	309893 43 85
उधार राशियां / Borrowings	4	28103 74 85	19931 99 42
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	23764 25 73	21397 36 67
कुल / TOTAL		**467386 11 79**	**413007 68 25**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	33230 47 19	21294 23 76
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	23684 23 99	23182 34 35
निवेश / Investments	8	128440 13 78	118452 80 38
अग्रिम / Advances	9	253623 57 23	218399 15 56
अचल आस्तियां / Fixed Assets	10	9775 47 10	12200 01 61
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	18632 22 50	19479 12 59
कुल / TOTAL		**467386 11 79**	**413007 68 25**
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	275403 98 26	323028 65 33
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		14076 25 31	12757 55 78
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां समेकित तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में है The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)	(जयकुमार एस. पिल्लै)	(सुमित फक्का)	(समरेश परिदा)	(स्मिता कुबेर)	(ज्योति नायर)
(Rakesh Sharma)	(Jayakumar S. Pillai))	(Sumit Phakka)	(Samaresh Parida)	(Smita Kuber)	(Jyothi Nair)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
Managing Director & Chief Executive Officer	Dy. Managing Director	Dy. Managing Director	Director	Chief Financial Officer	Company Secretary
डीआईएन/DIN: 06846594	डीआईएन/DIN: 10041362	डीआईएन/DIN: 08259618	डीआईएन/DIN: 01853823		

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी	कृते सूरी एंड कंपनी
For Chokshi & Chokshi LLP	For Suri & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045	फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S
राकेश जैन	नटराजन वी
Rakesh Jain	Natarajan V
साझेदार/Partner	साझेदार/Partner
स. सं./ M.No. 042364	स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2026

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
I	**आय/ INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	29019 58 74	28917 06 50
	अन्य आय / Other Income	14	6611 59 92	5141 68 04
	कुल / TOTAL		**35631 18 66**	**34058 74 54**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	15474 48 40	14256 54 98
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	9575 06 30	8619 01 61
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		1370 18 94	3594 19 16
	कुल / TOTAL		**26419 73 64**	**26469 75 75**
III	**लाभ / PROFIT**			
	सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा Share of Earnings/(loss) in Associates		25 16 48	67 33 31
	अल्पसंख्यक हित की कटौती से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		9236 61 50	7656 32 10
	घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित / Less: Minorities' Interest		26 64 82	25 63 83
	समूह से वर्ष का समेकित लाभ/(हानि) Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		**9209 96 68**	**7630 68 27**
	जोड़ें: समूह से आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि) Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		11705 01 81	7685 80 63
	कुल / TOTAL		**20914 98 49**	**15316 48 90**
IV	**विनियोजन / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		2378 34 07	1878 79 43
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		1532 17 97	119 81 63

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2026

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		-	-
अंतरिम/अंतिम लाभांश Interim/Final Dividend		2258 00 45	1612 86 03
निवेश घट-बढ़ रिजर्व (आईएफआर) में अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR)		384 83 41	-
शेष राशि समेकित तुलनपत्र में ले जाई गई Balance carried over to Consolidated balance sheet		14361 62 59	11705 01 81
कुल / TOTAL		**20914 98 49**	**15316 48 90**
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per Share (₹) (Face Value ₹ 10 per Share)	18 (7)(A)	8.57	7.10
न्यूनीकृत / Diluted			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18	8.57	7.10
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां समेकित लाभ-हानि लेखे के अभिन्न अंग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit and Loss Account			

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)	(जयकुमार एस. पिल्लै) (Jayakumar S. Pillai))	(सुमित फक्का) (Sumit Phakka)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida)	(स्मिता कुबेर) (Smita Kuber)	(ज्योति नायर) (Jyothi Nair)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director	निदेशक Director	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary
डीआईएन/DIN: 06846594	डीआईएन/DIN: 10041362	डीआईएन/DIN: 08259618	डीआईएन/DIN: 01853823		

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP	कृते सूरी एंड कंपनी For Suri & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045	फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S
राकेश जैन Rakesh Jain	नटराजन वी Natarajan V
साझेदार/Partner	साझेदार/Partner
स. सं./ M.No. 042364	स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 2100 00 00 000 इक्विटी शेयर 2100 00 00 000 Equity Shares of ₹ 10 each	21000 00 00	21000 00 00
	21000 00 00	21000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) Equity Shares of ₹10 each fully paid up (अनुसूची 18 टिप्पणी 14 (i) देखें) / (Refer Schedule 18 Note 14 (i))	10752 40 22	10752 40 22
कुल / TOTAL	**10752 40 22**	**10752 40 22**

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	7623 02 21	5744 22 78
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2378 34 07	1878 79 43
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		10001 36 28	**7623 02 21**
II	**विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व/ Foreign Currency Translation Reserves**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	23 49 15	18 21 88
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	18 84 57	5 27 27
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		42 33 72	**23 49 15**
III	**पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3347 86 74	3228 03 23
	वर्ष के दौरान परिवर्धन#/ Additions during the year#	1532 17 97	119 83 51
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		4880 04 71	**3347 86 74**
IV	**समेकन पर पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve on Consolidation**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	486 90 31	381 92 52
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	104 97 79
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	139 05 89	-
		347 84 42	**486 90 31**
V	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	10511 63 74	7933 45 36
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	2854 62 37
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	2121 82 70	-
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	373 64 35	276 43 99
		8016 16 69	**10511 63 74**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
VI	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष* / Opening Balance*	5323 56 46	5323 56 46
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		5323 56 46	**5323 56 46**
VII	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve**		
	(क) सामान्य रिज़र्व		
	(a) General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	8846 35 76	7540 13 01
	वर्ष के दौरान परिवर्धन (समेकन समायोजनों को छोड़कर) Additions during the year (Net of Consolidation Adjustments)	-	1029 78 76
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरित Transferred from Revaluation Reserve	373 64 35	276 43 99
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		9220 00 11	**8846 35 76**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	(b) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व		
	(c) Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
	(घ) निवेश घट-बढ़ रिज़र्व		
	(d) Investment Fluctuation Reserves		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	892 99 17	892 99 17
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	384 83 41	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1277 82 58	**892 99 17**
	(ङ) एएफ़एस रिज़र्व		
	(e) AFS Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	534 44 54	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2234 18 71	534 44 54
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2768 63 25	**534 44 54**
VIII	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss Account**	**14361 62 59**	**11705 01 81**
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**57811 75 85**	**50867 64 93**

 # एएफ़एस (वित्तीय वर्ष 2025) के अंतर्गत वर्गीकृत इक्विटी लिखतों की बिक्री पर ₹ 188 हजार का लाभ शामिल है
 # includes gain of ₹ 188 Thousand on sale of equity instruments designated under AFS (FY 2025)

** सहायक कंपनियों के आंकड़ों को हटाने के पश्चात*
** After eliminations of subsidiaries figures*

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 2 अ - अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
मूल-सहायक संबंध अस्तित्व में आने की तिथि को अल्पसंख्यक हित Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	29 84 39	29 84 39
बाद में वृद्धि/(कमी) / Subsequent increase/(decrease)	147 97 17	134 98 77
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित / Minority interest on the date of balance sheet	177 81 56	164 83 16

अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
अ. / A.				
I.	**मांग जमाराशियां / Demand Deposits**			
	(i)	बैंकों से / From banks	12240 93 33	13176 48 20
	(ii)	अन्य से / From others	51256 06 81	48700 92 60
	कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)		**63497 00 14**	**61877 40 80**
II.	**बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits**		91059 47 19	82371 63 72
III.	**मीयादी जमाराशियां / Term Deposits**			
	(i)	बैंकों से / From banks	15396 11 61	9303 01 18
	(ii)	अन्य से / From others	176823 54 64	156341 38 15
	कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)		**192219 66 25**	**165644 39 33**
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)		**346776 13 58**	**309893 43 85**
आ. / B.				
	(i)	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां / Deposits of branches in India	346560 36 95	309727 88 50
	(ii)	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	215 76 63	165 55 35
	कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)		**346776 13 58**	**309893 43 85**

टिप्पणी: जिन जमाराशियों पर धारणाधिकार अंकित किया गया है उनकी राशि ₹ 28685 47 96 हजार है (पिछले वर्ष ₹ 23485 01 45 हजार)
Note: The amount of Deposits against which lien is marked is ₹ 28685 47 96 Thousand (Previous Year ₹ 23485 01 45 Thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I.	**भारत में उधार राशियां / Borrowings in India**		
(i)	भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	5000 00 00	-
(ii)	अन्य बैंक / Other banks	147 25 17	382 30 00
(iii)	टियर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	-	-
(iv)	अपर टियर II बॉण्ड / Upper Tier II bonds	-	-
(v)	अप्रतिभूत, प्रतिदेय बॉण्ड (टियर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	-	302 00 00
(vi)	बासेल III ओम्नी टियर 2 बॉण्ड / Basel III Omni Tier 2 Bond	-	1900 00 00
(vii)	अन्य / Others	12136 31 70	9577 02 44
	कुल (I)/ TOTAL (I)	**17283 56 87**	**12161 32 44**
II.	**भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India**	10820 17 98	7770 66 98
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**28103 74 85**	**19931 99 42**

टिप्पणी: उपर्युक्त I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां ₹ 17082 10 97 हजार (पिछले वर्ष ₹ 8522 30 97 हजार)
Note: Secured borrowings included in I and II above ₹ 17082 10 97 Thousand (Previous Year ₹ 8522 30 97 Thousand)

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I.	देय बिल / Bills Payable	1935 74 97	1896 86 55
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	361 76 51	374 88 85
IV.	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)**		
(क) (a)	मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	6541 75 28	7562 70 87
(ख) (b)	प्राप्त अग्रिम भुगतान Advance payments received	817 08 26	724 53 76
(ग) (c)	देय लाभांश तथा लाभांश कर Dividend and dividend tax payable	-	-
(घ) (d)	विविध लेनदार Sundry Creditors	128 20 59	119 99 73
(ङ) (e)	देय सेवा कर/टीडीएस/अन्य कर Service tax/TDS/Other taxes payable	257 65 57	177 44 83
(च) (f)	विविध जमाराशियां Sundry Deposits	85 69 94	46 59 59
(छ) (g)	अन्य डेरिवेटिव देयताएं Other Derivative Liabilities	3662 62 45	1496 02 33
(ज) (h)	अन्य प्रावधान Other provisions	5460 31 93	5373 54 58
(झ) (i)	विविध Miscellaneous	4513 40 23	3624 75 58
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**23764 25 73**	**21397 36 67**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1649 07 27	1390 00 91
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	9304 39 92	12468 22 85
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	22277 00 00	7436 00 00
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**33230 47 19**	**21294 23 76**

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I	**भारत में / In India**		
	(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
	(क) (a) चालू खातों में in Current Accounts	47 42 34	39 17 97
	(ख) (b) अन्य जमा खातों में in Other Deposit Accounts	8863 12 25	6797 61 18
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
	(क) (a) बैंकों के पास with banks	12365 34 95	14512 08 01
	(ख) (b) अन्य संस्थाओं के पास with other Institutions	-	-
	कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	**21275 89 54**	**21348 87 16**
II	**भारत से बाहर / Outside India**		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	1027 78 40	1401 39 57
	(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	1301 06 98	393 84 32
	(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	79 49 07	38 23 30
	कुल (i, ii तथा iii) / Total (i, ii and iii)	**2408 34 45**	**1833 47 19**
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**23684 23 99**	**23182 34 35**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां@ / Government Securities@	102639 95 27	99300 62 27
(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
(iii)	शेयर / Shares	3890 71 37	1585 23 27
(iv)	डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	2856 53 75	3844 65 45
(v)	सहयोगी संस्थाएं/Associates	352 04 20	885 29 03
(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी,वीसीएफ़, सीडी) Others (CPs, Units in MFs, SRs,PTCs,VCFs, CDs)	17757 22 82	12149 09 70
	कुल (i से vi) / TOTAL (i to vi)	**127496 47 41**	**117764 89 72**
II	**भारत के बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	943 20 49	687 45 50
(ii)	सहयोगी संस्थाएं/Associates	-	-
(iii)	अन्य निवेश / Other investments	45 88	45 16
	कुल (i से iii) / TOTAL (i to iii)	**943 66 37**	**687 90 66**
	कुल योग (I तथा II) / Grand Total (I and II)	**128440 13 78**	**118452 80 38**
III	**भारत में निवेश / Investments in India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	132459 66 74	123198 99 04
	घटाएं: मूल्यह्रास के लिए कुल प्रावधान / Less: Aggregate provision for depreciation	4963 19 32	5434 09 32
	निवल निवेश / Net investments	**127496 47 42**	**117764 89 72**
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	943 66 36	687 90 66
	घटाएं: मूल्यह्रास के लिए कुल प्रावधान / Less: Aggregate provision for depreciation	-	-
	निवल निवेश / Net investments	**943 66 36**	**687 90 66**

@ इसमें गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 12438 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं.

@ Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous Year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
अ / A			
(i)	खरीदे और भुनाए गए / पुनः भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted / re-discounted	15925 08 64	12326 91 52
(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	76892 44 15	69034 95 29
(iii)	मीयादी ऋण@ / Term loans@	160806 04 44	137037 28 75
	कुल (i, ii तथा iii) / TOTAL (i, ii and iii)	**253623 57 23**	**218399 15 56**
आ / B			
(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत@@ / Secured by tangible assets@@	199709 19 39	170606 29 85
(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित@@@ Covered by Bank / Government Guarantees@@@	14541 77 41	12088 71 39
(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	39372 60 43	35704 14 32
	कुल (i, ii तथा iii)/ TOTAL (i, ii and iii)	**253623 57 23**	**218399 15 56**
इ / C			
I	**भारत में अग्रिम / Advances in India**		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	81662 01 16	63909 25 80
(ii)	सरकारी क्षेत्र / Public sector	9129 00 43	7997 28 00
(iii)	बैंक / Banks	232 70 94	187 01 94
(iv)	अन्य / Others	146517 35 70	132877 71 26
	कुल (i, ii, iii तथा iv) / TOTAL (i, ii ,iii & iv)	**237541 08 23**	**204971 27 00**
II	**भारत के बाहर अग्रिम / Advances Outside India**		
(i)	बैंकों से देय / Due from banks	-	-
(ii)	अन्य से देय / Due from others:	-	-
	(क) (a) खरीदे तथा भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted	-	-
	(ख) (b) समूहित ऋण Syndicated loans	-	-
	(ग) (c) अन्य Others	16082 49 00	13427 88 56
	कुल (i और ii)/TOTAL (i and ii)	**16082 49 00**	**13427 88 56**
	कुल योग (इ.I. तथा इ.II.)/ GRAND TOTAL (C.I. and C.II.)	**253623 57 23**	**218399 15 56**

@ ₹ 1150 00 00 हजार (पिछले वर्ष : ₹ 6251 00 000 हजार) के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल) शामिल है.

@ Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) ₹ 1150 00 000 Thousand (Previous Year: ₹ 6251 00 000 Thousand)

@@ बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं.

@@ Includes advances against book debts

@@@ बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं.

@@@ Includes advances against letter of credit issued by banks.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी (2) देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note (2))**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	11431 03 23	9309 79 24
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	20 35 47	117 52 06
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन Revaluation made during the year	(2237 69 51)	2003 71 93
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	3 11 25	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	325 88 03	43 42 64
	कुल/ TOTAL	**8884 69 91**	**11387 60 59**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	3019 56 92	2909 00 75
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	298 64 32	250 40 89
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	70 55 12	139 84 72
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	2447 36 78	2287 49 92
	कुल/ TOTAL	**800 29 34**	**732 07 00**
III	**पट्टाकृत आस्ति/Leased Asset**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
	कुल/ TOTAL	**-**	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	90 47 85	80 34 02
	कुल योग (I से IV)/ GRAND TOTAL (I to IV)	**9775 47 10**	**12200 01 61**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	3218 73 53	3308 95 28
III	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	476 42 81	946 25 84
IV	लेखन सामग्री और स्टांप / Stationery and stamps	31 98	48 14
V	दावों की तुष्टि में अधिगृहीत गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)	710 53 75	710 53 75
VI	अन्य / Others		
(क/a)	आस्थगित कर आस्ति (निवल) / Deferred Tax Asset (net)	3756 16 17	5988 06 22
(ख/b)	आबंटन के लिए लंबित शेयर/बॉण्ड/ Shares / Bonds Pending allotment	4 69 74	118 89 88
(ग/c)	विविध जमाराशियां व अग्रिम / Sundry deposit and advances	806 86 14	747 72 57
(घ/d)	प्राप्य दावे / Claims receivable	1423 43 83	275 11 55
(ङ/e)	दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) में अंतरित मामलों के संबंध में व्यय / संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	-	-
(च/f)	अन्य डेरिवेटिव आस्ति Other Derivative Asset	3231 87 83	1691 57 88
(छ/g)	विविध@ / Miscellaneous@	5003 16 72	5691 51 48
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**18632 22 50**	**19479 12 59**

@ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की जमाराशियों में ₹ 2021 05 42 हजार (पिछले वर्ष ₹ 3547 90 06 हजार) का निवेश शामिल है.

@ Includes Investment in Priority sector deposit ₹ 2021 05 42 Thousand (Previous Year ₹ 3547 90 06 Thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the bank not acknowledged as debts	317 95 90	232 84 98
II	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	-	74 83
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	187169 12 57	214461 75 35
IV	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	57148 96 51	47962 94 23
	(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	614 71 60	567 45 72
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	18413 75 24	16861 25 45
VI	**अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है** **Other items for which the bank is contingently liable**		
	क) a) ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	10303 82 09	40362 80 72
	ख) b) अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative contracts	-	1372 29 48
	ग) c) विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	381 33 26	437 92 70
	घ) d) अन्य / Others	1054 31 09	768 61 87
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**275403 98 26**	**323028 65 33**

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	19403 33 69	19223 52 49
II	निवेशों से आय / Income on investments	8212 92 02	8273 87 61
III	रिजर्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	964 57 06	413 69 48
IV	अन्य / Others	438 75 97	1005 96 92
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**29019 58 74**	**28917 06 50**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2430 11 08	2178 80 95
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	2232 06 67	912 59 28
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	165 48 95	(87 23 71)
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	6 16 10	(2 33 54)
V	विनिमय लेन-देन/ डेरिवेटिव पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	687 69 78	493 24 47
VI	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	880 24 67	1444 34 89
VII	विविध आय / Miscellaneous Income	209 82 67	202 25 70
	कुल (I से VII) / TOTAL (I to VII)	**6611 59 92**	**5141 68 04**

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	13945 20 91	12720 31 61
II	रिज़र्व बैंक/ अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज / Interest on RBI / inter bank borrowings	381 82 86	497 79 90
III	अन्य / Others	1147 44 63	1038 43 47
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**15474 48 40**	**14256 54 98**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	4542 85 26	4235 78 79
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	613 32 32	567 54 26
III	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	46 00 46	43 18 71
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	47 17 70	60 89 11
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on bank's property	616 91 96	538 11 81
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	3 58 44	4 07 46
VII	लेखापरीक्षक की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	3 02 85	3 93 91
VIII	विधि प्रभार / Law charges	40 81 82	33 85 72
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	138 22 43	143 30 69
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	152 68 91	122 24 52
XI	बीमा / Insurance	391 82 80	337 00 78
XII	अन्य व्यय / Other Expenditure :		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	256 96 10	239 68 05
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	418 15 60	354 29 63
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	25 42 88	23 58 48
	(घ) बट्टे खाते डाले गये मामलों से वसूली संबंधी व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	11 83 82	9 84 97
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	861 26 95	795 93 34
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	184 23 43	148 14 51
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	21 16 14	22 03 33

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2025
(ज) (h) यात्रा और वाहन प्रभार / Travelling and conveyance charges	47 48 57	44 32 73
(झ) (i) ट्रेजरी व्यय / Treasury expenses	17 00 23	6 66 62
(ञ) (j) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय / Fee and other expenses for borrowing	7 04 91	12 15 37
(ट) (k) अन्य / Others	1128 02 72	872 38 82
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**9575 06 30**	**8619 01 61**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

समूह के वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां अर्थात् विशिष्ट लेखांकन नीतियां और इन सिद्धांतों को लागू करने के तरीके निम्नलिखित हैं.
Following are the significant accounting policies i.e., the specific accounting policies and methods of applying these principles in the preparation and presentation of the financial statements of the Group.

1) पृष्ठभूमि / Background

मुंबई, भारत में निगमित आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('आईडीबीआई बैंक' या 'बैंक') एक बैंकिंग कंपनी है जो खुदरा बैंकिंग, थोक बैंकिंग और ट्रेजरी परिचालनों सहित कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है. बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अधिशासित होता है. बैंक की अपतटीय बैंकिंग इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी), गिफ्ट सिटी, भारत में स्थित है. बैंक अपनी 2243 बैंकिंग आउटलेट (2174 भौतिक शाखाओं और 69 निश्चित बीसी बैंकिंग आउटलेट) के अपने नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है.
IDBI Bank Limited ('IDBI Bank' or 'the Bank'), incorporated in Mumbai, India is a banking company engaged in providing a range of banking and financial services including retail banking, wholesale banking and treasury operations. The Bank is governed by the Banking Regulation Act, 1949 and the Companies Act, 2013. The Bank has Offshore Banking Unit at International Financial Service Centre (IFSC), GIFT City, India. The Bank provides a wide array of services to its customers across India through its network of 2243 Banking Outlets (2174 Brick-and-Mortar branches and 69 Fixed BC Banking Outlets).

2) तैयार करने का आधार / Basis of Preparation:

वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों और स्पष्टीकरणों, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 और कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों (एएस), जहां तक वे बैंकों पर लागू होते हैं, अधिनियम के प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः प्रचलित पद्धतियों के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय पद्धति तथा परंपरागत लागत रीति, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया हो को छोड़कर, का अनुसरण करता है.
The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines and clarifications issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) notified under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with the companies (Accounts) Rules, 2014 and the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, in so far as they apply to banks, provisions of the Act and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting and historical cost convention, except where otherwise stated.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया हो को छोड़कर, पिछले वर्ष की तरह ही जारी रखी गई हैं.
The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year except as otherwise stated.

3) समेकन का आधार / Basis of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक एएस-21 'समेकित वित्तीय विवरण', एएस-23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस 27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किए अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी - ''बैंक'')और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यम के लेखे शामिल हैं.
The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – "the Bank") and all its Subsidiaries/Associates/Joint Venture as defined in Accounting Standard AS-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 `Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'.

समेकन में प्रयुक्त सहायक / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख के तैयार किए गए हैं जिस तारीख के बैंक के तैयार किए गए हैं अर्थात् 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष एवं अनुसूची 18(10) में उल्लिखित चार सहयोगी संस्थाओं को छोड़कर, जिनके रिपोर्टिंग तिथि के वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं, के आधार पर तैयार किये गये हैं. इनको नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किया गया है. समूह महत्वपूर्ण राशियों के लिए असमान लेखा नीतियों के लिए समायोजन करता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The financial statements of the subsidiaries/associates/joint venture used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2026 and have been prepared on the basis of except for four associates as mentioned in Schedule 18(10), for which financial statements as on reporting date are not available. These have been consolidated based on latest available financial statements. The group makes adjustments for non-uniform accounting policies for material amounts.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है: (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) एएस-23 की इक्विटी विधि के अनुसार इसकी सहयोगी संस्थाओं को समेकित कर. अंत:-समूह संव्यवहारों और शेष राशियों को समेकन पर हटा दिया गया है. सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के बीच के अंतर को वित्तीय विवरण-पत्रों में साख/पूंजी रिजर्व के रूप में दर्शाया गया है, समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, b) Its associates by consolidating as per Equity method as per AS-23. Intra Group transactions and balances have been eliminated on Consolidation. The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries/associates is recognized in the financial statements as goodwill/ Capital Reserve Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

(क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी की राशि; तथा
(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

ख) मूल संस्था-सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में घट-बढ़ में अल्पसंख्यक का हिस्सा;
(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :
The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र.सं. S. No.	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
अ) A)	**वित्तीय सहायक संस्थाएं: Financial Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लि. IDBI Capital Markets & Securities Limited	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	भारत India	66.67	66.67
आ) B)	**गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं: Non-Financial Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Limited.	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Limited	भारत India	100	100
3)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Limited	भारत India	54.70	54.70
इ) C)	**सहयोगी कंपनियां @@ Associate Companies @@**			
1)	नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉजिटरी लि. $ National Securities Depository Limited. $	भारत India	14.99	26.10
2)	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.* Biotech Consortium India Limited *	भारत India	27.93	27.93

क्र.सं. S. No.	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at 31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
3)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.* North Eastern Development Finance Corporation Limited *	भारत India	25	25
4)	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल)# Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (PIPDICL)#	भारत India	-	21.14

@@ समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय परिणामों का प्रभाव महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है.
@@ Impact of financial results of associates on the consolidated financial results is expected to be not material.

$ पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में बैंक की धारिता 26.10% थी. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने बिक्री हेतु प्रस्ताव के माध्यम से एनएसडीएल की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 11.11% हिस्सा बेचा. इस विनिवेश के बाद, बैंक की शेयरधारिता घटकर 14.99% रह गई और एनएसडीएल बैंक की सहयोगी कंपनी नहीं रही.
$ The Bank holds 26.10% of the paid-up equity share capital of National Securities Depository Ltd (NSDL) in previous FY 2024-25. During FY 2025-26, Bank sold 11.11% of paid-up equity share capital of NSDL through Offer for Sale. Following this divestment, the Bank's shareholding reduced to 14.99 % and NSDL ceased to be an associate company of the Bank.

** 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लाभ के हिस्से को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पूंजीगत रिजर्व में जमा कर दिया गया है.*
**The share of profits for the year ended March 31, 2025 has been credited to capital reserve during the FY 2025-26.*

 # पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. (21.14%) को बट्टे खाते डालकर एक रुपया कर दिया गया है, अतः पिछले वित्तीय वर्ष में समेकन नहीं किया गया था. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पीआईपीडीआईसी में संपूर्ण शेयरधारिता बेच दी गई है.

 # Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (21.14%) has been written down to rupee one, hence not consolidated in the previous Financial Year. During FY 2025-26, the entire shareholding in PIPDIC has been sold.

4) अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखांकन अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that may affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

5) राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा तक किया जाता है कि बैंक को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकता है.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured.

(i) ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, अनर्जक आस्तियों को छोड़कर, जिनकी गणना रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली पर की जाती है.
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(ii) शर्त के उल्लंघन पर दंडस्वरूप प्रभार रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार इसकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है.
Penal charges for covenant breach are recognized upon certainty of its realization as per the prudential norms of the RBI.

(iii) साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान आय के रूप में उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued as income over the period of LC/ BG.

(iv) शुल्क और कमीशन आय को आय के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब देय हो और वसूली का उचित अधिकार स्थापित हो जाता है तथा इसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है. सिंडिकेशन / अरेंजर शुल्क को आय के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब कोई महत्वपूर्ण कार्य / तय सीमा तक पूरा हो जाता है.
Fees and commission income is recognized as income when due and reasonable right of recovery is established and can be reliably measured. Syndication / Arranger fee is recognized as income when a significant act / milestone is completed.

(v) बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि में दर्शाया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

(vi) सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों के मामले में लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है. असूचीबद्ध इक्विटी निवेशों के मामले (रणनीतिक पोर्टफोलियो के अंतर्गत धारित निवेशों सहित) में लाभांश को प्राप्ति आधार पर बुक किया जाता है.
In case of listed equity investments, Dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established. In case of unlisted equity investments (including investments held under Strategic portfolio), dividend is booked on receipt basis.

(vii) अनर्जक अग्रिमों (एनपीए)/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये (टीडब्ल्युओ) खातों के मामले में वसूली का विनियोजन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है:
The appropriation of recoveries in case of Non-Performing Advances (NPA)/ Technically Written-off (TWO) accounts is done in the following manner:

क) एनसीएलटी/ मध्यस्थता या विधिक कार्यवाही के तहत उधारकर्ताओं के संदर्भ में, वसूली को एनसीएलटी/ मध्यस्थ/न्यायालय के सुसंगत आदेश के अनुसार विनियोजित किया जाता है और विशिष्ट मामले या मामलों के समूह के संबंध में सांविधिक/विनियामक निदेशों, यदि कोई जारी किये गये हो, के अनुसार किया जाता है.

a) In respect of borrowers under NCLT/Arbitration or Legal Proceedings, the recovery is apportioned in terms of relevant order of NCLT/ Arbitrator/ Court of Law and in accordance with statutory /regulatory directives if any issued in respect of a specific case or group of cases.

ख) ऐसे मामलों में जहां वसूली ऋण खातों के अंतिम खाताबंदी (गारंटर/अन्य पक्षों, यदि कोई हो, सहित ऋणदाता/ उधारकर्ता संबंध विच्छेद) की ओर उन्मुख हो [एकमुश्त निपटान/बातचीत के जरिए निपटान/ दबावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के अंतरण/आईबीसी के माध्यम से वसूली (समाधान रीति/परिसमापन रीति के तहत), लेकिन वसूली के किसी अन्य तरीके के तहत कोई और विधिक वसूली-प्राधिकार उपलब्ध या प्रस्तावित न हो] को नीचे वर्णित अनुसार विनियोजित किया जाएगा:

b) In cases where recovery is leading to final closure (severance of lender /borrower relationship including with guarantors /third parties, if any) of loan accounts [by way of One-time settlement /Negotiated settlement /transfer of Stressed Loan Exposure/Recovery through IBC (under resolution mode/liquidation mode) but no further legal recourse is available or proposed through any other mode of recovery] shall be appropriated as mentioned below:

(i) मूलधन
Principal

(ii) अदत्त व्यय / पहले से ही उपगत/प्रदत्त व्यय
Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.

(iii) ब्याज /दंडस्वरूप ब्याज (31 मार्च 2024 तक पहले ही नामे किया गया है लेकिन वसूल नहीं हुआ)
Interest /penal Interest (already debited upto March 31, 2024, but not recovered).

(iv) दंडस्वरूप प्रभार और उस पर जीएसटी
Penal Charges and GST thereon.

(v) प्रभार (बकाया शुल्क/ बीजी कमीशन) और उस पर जीएसटी
Charges (Fees/BG commission outstanding) and GST thereon.

ग) ऐसे मामले में जहां वसूली के परिणामस्वरूप खातों को अंतिम रूप से बंद नहीं किया जाता है, संविदा की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया जाएगा.

c) In cases where recovery not resulting in final closure of accounts, it shall be appropriated as per contractual terms.

जहां एनपीए में वसूली के विनियोजन के प्रयोजन के लिए बैंक और उधारकर्ता के बीच कोई स्पष्ट समझौता नहीं है, उसे नीचे बताए गए अनुसार विनियोजित किया जाएगा:

In absence of any clear agreement between bank and borrower for the purpose of appropriation of recoveries in NPAs, the same would be appropriated in following order:

(i) अदत्त व्यय/ पहले ही उपगत/प्रदत्त व्यय
Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.

(ii) ब्याज /दंडस्वरूप ब्याज (31 मार्च 2024 तक पहले ही नामे किया गया है लेकिन वसूल नहीं हुआ)
Interest /penal Interest (already debited upto March 31, 2024, but not recovered).

(iii) दंडस्वरूप प्रभार और उस पर जीएसटी
Penal Charges and GST thereon.

(iv) प्रभार (बकाया शुल्क/ बीजी कमीशन) और उस पर जीएसटी
Charges (Fees/BG commission outstanding) and GST thereon.

(v) मूलधन \ Principal

घ) बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से वसूल की गई संपूर्ण राशि को लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में दर्शाया जाता है.
d) Entire amounts recovered against debts written off are recognized as income in the Statement of Profit & Loss.

ङ) एनपीए के लिए प्रावधानों को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
e) Provisions for NPA are recognized as an expense in the Statement of Profit & Loss.

च) ऋणों की बिक्री (समनुदेशन) से हुए लाभ/हानि को रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार दर्शाया जाता है.
f) Gain/loss on sell down (assignment) of loans is recognised in line with the extant RBI Guidelines.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिडेट के मामले में
B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

(i) कूपन वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मूलधन प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर उपचित ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के रूप में व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.

(ii) तुलन-पत्र की तारीख को धारित नियत कूपन वाली ऋण प्रतिभूतियों/ सावधि जमाओं पर ब्याज, खंडित अवधि के लिए कूपन दर / जमा दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.
Interest on fixed coupon debt securities / fixed deposits, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate / deposit rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

(iii) निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अधिग्रहण लागत पर बिक्री / मोचन राशि का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है.
Profit on Sale of Investments is recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with loss on sale of Investments.

(iv) कंपनी द्वारा हामीदारी दिए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ एवं हानि लेखे में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मूल्य में से समायोजित नहीं किया जाता.
Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to profit and loss account and not netted against the value of investments.

(v) द्वितीयक बाज़ार परिचालनों से अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित होता है.
Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(vi) मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के संबंध में ग्राहकों को प्रदान किए गए ऋणों के मामले में ब्याज का निर्धारण ग्राहकों से बकाया राशि और प्रयोज्य दर पर विचार करते हुए समय अनुपात आधार पर विलंबित भुगतान के रूप में किया जाता है.
Interest is recognized on delayed payments from customers on a time proportion basis in relation to the loans relating to the Margin Trading Funding provided to customers taking into account the amount outstanding from customers and the rates applicable.

(vii) डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, टर्मिनल शुल्क और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Depository, Portfolio Management, terminal charges and other fees are accounted for on accrual basis.

(viii) निर्गम प्रबंधन, ऋण समूहन तथा वित्तीय सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त राजस्व की गणना ग्राहक के साथ किए गए करार की शर्तों के आधार पर की जाती है.
Revenue from issue management, loan syndication and financial advisory services is recognised as per terms of agreement with the client.

(ix) लाभांश का निर्धारण तब किया जाता है जब तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है.
Dividend is recognized when the company's right to receive payment is established by the balance sheet date.

(x) किराये की आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है.
Rent income is recognized on accrual basis.

(xi) राजस्व में सेवा कर/जीएसटी, जहां भी वसूल किया गया है, शामिल नहीं है.
Revenue excludes Service Tax/GST, wherever recovered.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Asset Management Limited

(i) निवेश प्रबंधन शुल्क
Investment Management fees

निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर जीएसटी को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') द्वारा विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो.
Investment Management fees are recognized net-off GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') as amended.

(ii) अन्य आय
Other income

क) ब्याज आय को अवधि अनुपात आधार पर हिसाब में लिया जाता है. ब्याजयुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कूपन दर पर उपचित होता है. ऐसे निवेशों की खरीद पर, अंतिम ब्याज देय होने की तारीख से खरीद की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान को खरीद की लागत नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूली योग्य ब्याज माना जाता है. इसी प्रकार बिक्री के समय अंतिम ब्याज देय तारीख से बिक्री की तारीख तक की अवधि के लिए प्राप्त ब्याज को बिक्री मूल्य का भाग नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूला गया ब्याज माना जाता है.

a) Interest income is accounted for on period proportion basis. Interest on interest bearing securities is accrued on the coupon rate. On purchase of such investments, interest paid for the period from the last interest due date up to the date of purchase is not treated as a cost of purchase but is treated as interest recoverable. Similarly, interest received at the time of sale for the period from the last interest due date up to the date of sale is not treated as part of sale value but is treated as interest recovered.

ख) खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ और हानि विवरण में किया जाता है.

b) The profit/loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost.

ग) लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.

c) Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

घ) सेवा शुल्क को सहमत शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर गणना में लिया जाता है.

d) Service charges are accounted for on accrual basis as per the agreed terms.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

(i) ट्रस्टीशिप शुल्कः ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमन') तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए.
Trusteeship fees: Trusteeship fees is recognized on accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.

(ii) अन्य आयः निवेशों से आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ और हानि विवरण में किया जाता है.
Other income: Income from Investments is accounted on accrual basis. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. Profit / loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost.

उ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Intech Limited

(i) राजस्व मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं तथा सॉफ्टवेयर उत्पादों के लाइसेंस से प्राप्त होता है. कंपनी कॉल सेंटर सेवाओं से भी राजस्व अर्जित करती है.
Revenue is primarily derived from software development and related services and from the licensing of the software products. The Company also generates revenue from call center services.

(ii) सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ व्यवस्था या तो एक निश्चित मूल्य पर, या निश्चित समय सीमा या समय और सामग्री के आधार पर होती है.
Arrangement with customers for software development and related services are either on a fixed price, fixed-timeframe or on a time-and-material basis.

(iii) समय और सामग्री संविदाओं पर राजस्व तभी निर्धारित किया जाता है जब संबंधित सेवाओं को निष्पादित कर दिया जाता है.
Revenues on time and material contracts are recognised when the related services are performed.

(iv) निश्चित मूल्य और निश्चित समयबद्ध संविदाओं के मामले में, जहां माप या प्रतिफल की सामूहिकता के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है, वहाँ इन्हें संविदा के मूल्य और पूर्ण सेवा की पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है. जब माप या अंतिम सामूहिकता के बारे में अनिश्चितता होती है, वहाँ ऐसी अनिश्चितता का समाधान होने तक राजस्व आकलन स्थगित कर दिया जाता है.
In case of fixed price and fixed time framed contracts, where there is no uncertainty as to measurement or collectivity of consideration, are recognized using percentages of completion method of value of the contract and completed service. When there is uncertainty to the measurement or ultimate collectivity, revenue recognition is postpone until such uncertainty is resolved.

(v) सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को माल की प्रॉपर्टी के अंतरण अथवा प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति पर हिसाब में लिया जाता है.
Revenue from sale of software applications and products are recognized on transfer of property of goods or on achievement of milestone.

(vi) वार्षिक तकनीकी सेवाओं (एटीएस) से प्राप्त राजस्व को उस अवधि के अनुपात में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं.
Revenue from Annual Technical Services (ATS) are recognized proportionately over the period in which services are rendered.

(vii) ग्राहक प्रशिक्षण, सॉफ़्टवेयर उत्पादों की बिक्री के कारण उत्पन्न होने वाली सहायता और अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को संबंधित सेवाओं के निष्पादन होने पर मान्यता दी जाती है.
Revenue from client training, support and other services arising due to the sale of software products is recognised as the related services are performed.

(viii) अपूर्ण संविदाओं से अनुमानित हानि, यदि कोई हो, का प्रावधान उस अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें वर्तमान अनुमान के आधार पर ऐसी हानि संभावित होती हैं.
Provision for estimated losses, if any, from the incomplete contracts are recorded in the period in which such losses become probable based on the current estimate.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(ix) पूर्ण किए गए कार्य के प्रतिशत के संविदा मूल्य में किसी भी संशोधन का प्रभाव उस वर्ष में परिलक्षित होता है जिसमें परिवर्तन ज्ञात होता है. निष्पादित सेवाओं के लिए अग्रिम में प्राप्त या बिल की गई राशि को अनर्जित राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है. अन्य चालू आस्तियों में शामिल बिल न की गई सेवाएं संविदा की शर्तों के अनुसार बिलिंग से पहले की गई सेवाओं के आधार पर मानी जाती हैं. राजस्व को छूट/प्रोत्साहन घटाने के बाद रिपोर्ट किया जाता है.
The impact of any revision in contract value of the percentage of work completed is reflected in the year in which the change becomes known. Amount received or billed in advance of services performed are recorded as unearned revenue. Unbilled services included in other current assets represents amount recognized based on services performed in advance of billing in accordance with contract terms. Revenue is reported net of discount / incentive.

(x) कॉल सेंटर से प्राप्त राजस्व इकाई कीमत वाली संविदाओं, समय आधारित संविदाओं, लागत आधारित परियोजनाओं और सहभागिता सेवाओं से प्राप्त होती है. ऐसे राजस्व को संबंधित सेवाओं की पूर्ति पर हिसाब में लिया जाता है और इसे ग्राहक के साथ हुई संविदा की निर्धारित शर्तों के अनुसार बिल में शामिल किया जाता है.
Revenue from call centre arises from unit priced contracts, time based contracts, cost based projects and engagement services. Such revenue is recognised on completion of the related services and is billed in accordance with the specific terms of the contract with the client.

(xi) ब्याज आय को समय आनुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है.
Interest Income is recognised on time proportion basis.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में
F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

(i) कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर के किराए, बैंक सावधि जमाराशियों एवं म्यूचुअल फंडों में निवेश से आय के रूप में प्राप्त करती है जिनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है.
The company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from investments in Bank Fixed Deposit and Mutual Funds, which are accounted for on accrual basis.

(ii) यदि कोई बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों से आय को प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में लिया जाता है. ऐसे अनियमित समनुदेशनों के प्रति पिछले वर्षों की कोई भी बकाया राशि, निर्धारण के वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दी जाती है.
Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year/s amounts outstanding against such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination.

(iii) जब अंतिम वसूली अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य माना जाता है व बट्टे खाते में डाल दिया जाता है.
Other Debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.

(iv) वर्ष के अंत में अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान की गणना निम्नानुसार तब की जाती है जब यह निश्चित हो जाए कि बकाया राशि की वसूली संदिग्ध है:
A bad debt provision is recognized at the year-end where it is ascertain that the outstanding dues are doubtful of recovery as under:

क) 18 माह से अधिक के देनदार: 75%
a) Debtors over 18 months – 75%

ख) जहां वसूली की संभावना नगण्य हो वहाँ मामला-दर-मामला आधार पर अतिरिक्त प्रावधान: 100%
b) Additional provision on case to case basis where chances of recovery is negligible - 100%

(v) निवेश पर ब्याज आय को बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को हिसाब में लेते हुए समयानुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है. इसे अन्य आय में शामिल किया जाता है.
Interest income on investment recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the applicable interest rate. It is included in other income.

6) अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions

(i) अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है. विदेशी शाखाओं के संबंध में, ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों के अनुसार या रिज़र्व बैंक के मानदंडों, जो भी अधिक विवेकपूर्ण हो, के अनुसार किए जाते हैं.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by the RBI. Advances are stated net of specific provisions towards non-performing advances. In respect of foreign branches, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per norms of the RBI, whichever is more prudent

(ii) नकदी प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के जरिये अंतरित आस्तियों को तुलनपत्र से तब हटाया जाता है जब उन्हें बेच दिया जाता है (सही बिक्री का मानदंड पूरी तरह से पूरा किया जाता है) और बैंक को प्रतिफल प्राप्त हो जाता है.
Assets transferred through direct assignments of cash flows are de-recognized in the Balance Sheet when they are sold (true sale criteria being fully met with) and consideration is received by the Bank.

(iii) जहाँ मूर्त प्रतिभूति (बही ऋण सहित) पर अग्रिमों को विनिर्दिष्ट किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. भारतीय/विदेशी सरकारों, भारतीय/विदेशी बैंकों, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) की गारंटी द्वारा कवर किए गए अग्रिम और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), निम्न आय आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) द्वारा कवर किए गए अग्रिमों को 'बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. जहां ऐसी प्रतिभूति विनिर्दिष्ट नहीं है/कोई कवर उपलब्ध नहीं है, अग्रिमों को 'अप्रतिभूत' रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त' नहीं माना जाता है.
Advances wherein a tangible security (including book debts) is stipulated are classified as 'Secured by Tangible Assets'. Advances that are covered by guarantees of Indian/foreign governments, Indian/foreign banks, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC), Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) and advances to the extent they are covered by Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Credit Risk Guarantee Fund Trust for Low Income Housing (CRGFTLIH) are classified as 'Covered by Bank/Government Guarantee'. Where such security is not stipulated/ no cover is available, advances are classified as 'Unsecured'. Any Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc. are not considered as Tangible.

(iv) बैंक एक पुनर्संरचित खाते को एक ऐसा खाता मानता है, जहां बैंक, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या विधिक कारणों से, उधारकर्ता को ऐसी रियायतें देता है, जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करता. पुनर्संरचना में आम तौर पर अग्रिम/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होता है, जिसमें आम तौर पर अन्य के साथ-साथ, चुकौती अवधि / चुकौती राशि / किस्तों की राशि / ब्याज दर में परिवर्तन शामिल होता है (प्रतिस्पर्धी कारणों के अलावा अन्य कारणों से). पुनर्संरचना पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन पर ही बैंक द्वारा पुनर्संरचित खातों को ऐसा वर्गीकृत किया जाता है.
The Bank considers a restructured account as one where the Bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants to the borrower concessions that the Bank would not otherwise consider. Restructuring would normally involve modification of terms of the advance / securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period / repayable amount / the amount of instalments / rate of interest (due to reasons other than competitive reasons). Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.

(v) बैंक रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे मामलों के लिए चूक की तारीख से अतिरिक्त प्रावधान करता है जिनमें व्यवहार्य समाधान योजना रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू नहीं की गई है. इन अतिरिक्त प्रावधानों का रिज़र्व बैंक के रिवर्सल संबंधी दिशानिर्देशों की शर्तों को पूरा करने पर प्रतिलेखन किया जाता है.
The Bank makes additional provisions as per RBI guidelines for the cases where viable resolution plan has not been implemented within timelines prescribed by RBI, from the date of default. These additional provisions are written back on satisfying the conditions for reversal as per RBI guidelines.

(vi) एनपीए के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किए जाते हैं जो रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक प्रावधानों से अधिक होते हैं.
Provisions are made for NPAs as per the rates determined by the management which are higher than the minimum regulatory provisions stipulated by the RBI.

(vii) विशिष्ट मामलों/परिस्थितियों में प्रबंधन द्वारा एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं.
Additional provisions on NPAs are made by the management in specific cases/circumstances.

(viii) ब्याज दर और विदेशी मुद्रा डेरेवेटिव संविदाओं को वर्तमान बाज़ार मूल्यों पर अंकित करने के लिए गणित ऋण एक्सपोजर के लिए प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किये जाते हैं. सामान्य प्रावधान में निर्दिष्ट उधारकर्ता को बैंक के निधिक एक्सपोजर के अनुपात में निर्दिष्ट उधारकर्ता को बैंकिंग प्रणाली द्वारा सामान्यतया अनुमत उधार सीमा (एनपीएलएल) से अधिक के लिए वृद्धिशील एक्सपोजर हेतु प्रावधान भी शामिल है. ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत परिलक्षित होते हैं और निवल एनपीए निर्धारित करने के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है.
General provisions are also made for standard assets, including provision for credit exposures computed as per the current marked to market values of interest rate and foreign exchange derivative contracts. The General provision also includes provision for incremental exposure of the banking system to a specified borrower beyond Normally Permitted Lending Limit (NPLL) in proportion to the Bank's funded exposure to a specified borrower. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(ix) बैंक चिन्हित दबावग्रस्त क्षेत्रों की मानक आस्तियों पर विनियामक न्यूनतम प्रावधान से अधिक दरों पर जोखिम मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान भी कर रहा है.
Bank is also making additional provisions on stressed sectors based on risk assessment at rates higher than the regulatory minimum provision on standard assets of identified stressed sectors.

(x) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे और कोविड-19 से संबद्ध दबाव के लिए समाधान ढांचों के बारे में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक ने पात्र उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजनाएं लागू की हैं. आस्ति वर्गीकरण और उनके लिए आवश्यक प्रावधानीकरण रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.
In accordance with the RBI guidelines on the prudential framework for resolution of stressed assets and the resolution frameworks for COVID-19 related stress and its Board approved policy, the Bank has implemented resolution plans for eligible borrowers. The asset classification and necessary provisioning thereon has been carried out in accordance with the said RBI guidelines.

(xi) इरादतन चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के संबंध में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक त्वरित प्रावधान करता है. धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किये गये ऋणों को हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रतिभूति के मूल्य पर विचार किये बिना तत्काल पूर्ण प्रावधान किया जाता है.
In respect of borrowers classified as wilful defaulters, the Bank makes accelerated provisions as per the extant RBI guidelines. Loans reported as fraud are classified as loss assets, and fully provided immediately without considering the value of security.

(xii) रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षानुसार किसी उपचित एवं देय ब्याज को ऋण (अर्थात् निधिक ब्याज मीयादी ऋण) में बदला जाता है तो ऐसी आय को रिवर्स किया जाता है और नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
As per requirement of RBI guideline, any interest accrued and due if converted into a loan (i.e. Funded Interest Term Loan), then such income is reversed and recognized on cash basis

(xiii) दिनांक 28 नवंबर 2025 के मास्टर निदेश 'भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरणः प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण) निदेश, 2025' के अनुसार, बैंक ने परियोजना वित्त के संबंध में आवश्यक प्रावधान बनाये रखा है.

As per Master Direction 'Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures) Directions, 2025' dated November 28, 2025, the Bank has maintained necessary provisioning on Project Finance.

(xiv) **देश संबंधी एक्सपोजर के लिए प्रावधान**
Provision for Country Exposure

आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, अलग-अलग देशों (गृह देश के अलावा) के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कंट्री एक्सपोजर के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं. देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, महत्वहीन, निम्न जोखिम, मध्यम रूप से निम्न, मध्यम, मध्यम रूप से उच्च, उच्च और बहुत उच्च, तथा प्रावधान रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर इसकी कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है. यह प्रावधान तुलपनपत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत दिखाया जाता है.
In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual direct as well as indirect country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low risk, moderately low, moderate, moderately high, high and very high and provisioning is made as per the extant RBI guidelines. If the net funded exposure of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of its total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. The provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others"

(xv) **अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर**
Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक त्रैमासिक आधार पर रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएचएफसीई) वाली संस्थाओं के लिए वृद्धिशील पूंजी और प्रावधान रख रहा है. बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है जो बैंक की ऋण नीति में शामिल है.
The Bank is holding incremental capital and provisions for entities with un-hedged foreign currency exposure (UHFCE), in line with the RBI guidelines, on quarterly basis. Bank has a laid down process for managing foreign currency induced credit risk for its borrowers which is covered in Bank's Credit Policy

7) निवेश / Investments

अ. आईडीबीआई बैंक के मामले में

A. In case of IDBI Bank Limited

रिज़र्व बैंक के संशोधित मास्टर निदेश 2023 के संक्रमण काल के समय बैंक ने उपर्युक्त मास्टर निदेशों के अध्याय XIV में बताये अनुसार संक्रमण एवं निरसन प्रावधानों का अनुसरण किया था. इसके अलावा, 31 मार्च 2024 को अर्जक निवेशों (पीआई) के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में शेष को राजस्व/सामान्य रिज़र्व में रिवर्स किया था. तथापि, एनपीआई के लिए प्रावधानों को आईआरसीएपी मानदंडों के अनुसार रखा गया था.

At the time of transition to revised RBI Master Direction 2023, the Bank had followed Transition and Repeal Provisions as provided in Chapter XIV of the said Master Directions. Further, the balance in provision for depreciation for Performing Investments (PI), as at March 31, 2024, was reversed into the Revenue/ General Reserve. However, provisions for NPI was maintained as per IRCAP norms

क) वर्गीकरण

a) Classification

दिनांक 28 नवंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश 2025 के अनुसार बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

In terms of Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025, dated November 28, 2025 the entire investment portfolio of the Bank is classified as

(i) परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity,

(ii) बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and

(iii) लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) [ट्रेडिंग के लिए धारित (एफवीटीपीएल-एचएफटी). एफवीटीपीएल-एचएफटी श्रेणी के अलावा बैंक का अन्य एफवीटीपीएल पोर्टफोलियो को एफवीटीपीएल गैर-एचएफटी या एफवीटीपीएल - एनएचएफटी के रूप में निर्धारित किया जाता है.

Fair Value through Profit & Loss (FVTPL) [including Held For Trading (FVTPL-HFT). FVTPL portfolio of the Bank other than FVTPL-HFT category is designated as FVTPL Non-HFT or FVTPL-NHFT.

(iv) सहायक, सहयोगी संस्था और संयुक्त उद्यम (एसजेए) / Subsidiary, Associates and Joint Venture (SJA)

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को तुलनपत्र में अनुसूची-8 निवेशों के अंतर्गत निम्नानुसार दिखाया जाता है:

Investments under each category is presented in the Balance Sheet under Schedule 8-Investments as under:

(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities

(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities

(iii) शेयर / Shares

(iv) डिबेंचर तथा बांड / Debentures & Bonds

(v) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and / or Joint Ventures

(vi) अन्य / Others

ख) वर्गीकरण का आधार

b) Basis of Classification

I. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)*

Held till Maturity (HTM)*

(क) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा:

(a) Securities that fulfil the following conditions shall be classified under HTM:

(i) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित किए जाने के उद्देश्य से किये गये निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है; और

Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'; and

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें ऐसा नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं जिनमें निर्दिष्ट तारीखों को मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज ('एसपीपीआई मानदंड') का ही भुगतान किया जाता है.

The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.

(ख) निम्नलिखित प्रतिभूतियों को जिस भी इरादे से अधिगृहीत किया गया है, वे एसपीपीआई मानदंड को पूरा नहीं करती हैं, अतः वे एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकृत किये जाने की पात्र नहीं होंगी:

(b) Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they are not meeting the SPPI criteria and therefore shall not be eligible for classification either as HTM or AFS:

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(i) अनिवार्यतः,ऐच्छिक या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय विशेषताओं वाले लिखत.
Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.

(ii) संविदात्मक हानि अवशोषक विशेषताओं वाले लिखत जैसे बासेल-III पूंजी विनियमनों के अंतर्गत अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 योग्यता वाले लिखत.
Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.

(iii) ऐसे लिखत जिनके कूपन ब्याज के स्वरूप वाले नहीं हैं. मूलधन एवं ब्याज मानदंड के एकमात्र भुगतान (एसपीपीआई) के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए ब्याज में विशिष्ट समयावधि के दौरान बकाया मूलधन राशि से संबद्ध ऋण जोखिम के लिए धन के समय मूल्य के प्रतिफल और अन्य मूलभूत उधार जोखिमें एवं लागत, साथ ही लाभ मार्जिन शामिल हैं.
Instruments whose coupons are not in the nature of Interest. For the purposes of determining eligibility under the solely payments of principal and interest ('SPPI') criteria, interest consists of consideration for the time value of money, for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs, as well as a profit margin.

(iv) अधिमानी शेयर (ऐसे अधिमानी शेयरों के अलावा जो शोधनीय हैं, गैर-विवेकाधिकार लाभांश मिलता है, परिपक्वता पर प्रतिफल निर्गमकर्ता के लिए उधार की बाज़ार दर के नजदीक है और लाभांश के आस्थगित भुगतान पर क्षतिपूर्ति प्रदान करता है) और इक्विटी शेयर (एएफएस के रूप में वर्गीकृत किए गए के अलावा).
Preference shares (other than a preference share which is redeemable, carries a non-discretionary dividend, with a yield to maturity close to the market rate of borrowing for that issuer and provides for compensation on deferred payment of dividend) and Equity shares (Other than classified as AFS)

ग) इक्विटी ट्रांच के अलावा प्रतिभूतिकृत नोटों में निवेश पर एसपीपीआई मानदंड पूरा करने के लिए विचार किया जायेगा यदि ऐसा ट्रांच जिसमें निवेश निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है:

(c) Investments in the securitization notes, other than the equity tranche, shall be considered to meet the SPPI criteria if the tranche in which the investment is made meets all the following conditions:

(i) वर्गीकरण के लिए मूल्यांकन किये जा रहे ट्रांच (वित्तीय लिखतों के अंतर्निहित पूल को देखे बिना) की संविदात्मक शर्तें ऐसी नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जिसमें केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान हो.
The contractual terms of the tranche being assessed for classification (without looking through to the underlying pool of financial instruments) give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

(ii) वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित पूल एसपीपीआई मानदंड को पूरा करता है.
The underlying pool of financial instruments meet the SPPI criteria.

(iii) ट्रांच की ऋण जोखिम आस्तियों के मिश्रित अंतर्निहित पूल की ऋण जोखिम के बराबर या कम है.
The credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined underlying pool of assets.

* *अन्य शर्तें 28 नवंबर 2025 के रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश के अनुसार.*
* *Other stipulation as per RBI Master Direction dated November 28, 2025.*

II. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
Available for Sale (AFS)

(क़) निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाली प्रतिभूतियां एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत की जायेंगी:

(a) Securities that meet the following conditions shall be classified under AFS:

(i) प्रतिभूति ऐसे उद्देश्य के साथ अधिगृहीत की गई है जो संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्रित करने और बिक्री प्रतिभूतियों,दोनों को पूरा करती है और
The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and

(ii) प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मापदंड'को पूरा करती हैं अर्थात् प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें ऐसी नकदी प्रवाह को उत्पन्न करती हैं जिसमें निर्दिष्ट तारीखों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हो.
The contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion' i.e. the contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding on specified dates.

बशर्ते प्रारंभिक निर्धारण पर बैंक ऐसे इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए अविकल्पी चयन करे जिसे एएफएस के अंतर्गत ट्रेडिंग (अर्थात् 28 नवंबर 2025 के रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश में सूचीबद्ध उद्देश्यों में से किसी के लिए भी धारित नहीं) के उद्देश्य के लिए धारित न किया हो.
Provided that on initial recognition, a bank may make an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading (i.e., not held for any of the purposes listed in RBI Master Direction dated November 28, 2025) under AFS.

(ख) एएफएस प्रतिभूतियों में अन्य के अलावा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) के उद्देश्य के लिए धारित ऐसी ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं जिसमें बैंक का इरादा परिपक्वता तक धारित या परिपक्वता से पहले बिक्री के संबंध में लचीला है.

(b) AFS securities shall inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

III. लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)
Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

क) ऐसी प्रतिभूतियों को एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा जो एचटीएम या एएफएस में शामिल करने के योग्य नहीं हैं. इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगी:

a) Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS shall be classified under FVTPL. These shall inter-alia include:

(i) (क) सहायक, सहयोगी संस्थाओं या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों और (ख) ऐसे इक्विटी शेयर जिनके प्रारंभिक निर्धारण पर एएफएस के रूप में वर्गीकृत करने का अविकल्पी चयन का उपयोग किया गया है, को छोड़कर इक्विटी शेयर
Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.

(ii) म्यूच्युल फंडों, वैकल्पिक निवेश फंडों, स्थावर संपदा निवेश ट्रस्टों, बुनियादी संरचना निवेश ट्रस्टों, आदि में निवेश.
Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.

(iii) ऐसे प्रतिभूतिकृत नोटों में निवेश जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन के इक्विटी ट्रांच का निरूपण करते हैं. अधिमानी एवं अन्य गौण ट्रांचों में निवेश को एसपीपीआई मानदंड के संबंध में उनके अनुपालन की समीक्षा करने की जरूरत होगी.
Investment in securitisation notes which represent the equity tranche of a securitisation transaction. Investments in senior and other subordinate tranches shall need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion.

(iv) बांड, डिबेंचर आदि जिनका भुगतान ब्याज दर बेंचमार्क की बजाय विशिष्ट सूचकांक जैसे इक्विटी सूचकांक में घट-बढ़ से जुड़ा होता है.
Bonds, debentures, etc. where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

(v) वे प्रतिभूतियां जो एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हैं.
Securities which are not eligible for classification either as HTM or AFS .

IV. ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)
Held for Trading (HFT)

बैंकों ने एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी के नाम से अलग उप-श्रेणी बनाई है. ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी), जो लाभ एवं हानि के जरिये उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) की उप-श्रेणी हैं, में ऐसे सभी लिखत शामिल होंगे जो भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निदेश, 2025 के अनुसार एचएफटी के विशेष विवरणों को पूरा करते हैं.
Banks has created a separate sub-category called HFT within FVTPL. Held for Trading (HFT), which is a sub-category of Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) shall consist of all instruments that meet the specifications for HFT as per Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

V. सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों (एसजेए) में निवेश
Investments in Subsidiaries, Associates and Joint Ventures (SJA)

सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है. ऐसे निवेश अन्य निवेश श्रेणियों (अर्थात् एचटीएम,एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग होते हैं.
All investments in subsidiaries, associates and joint ventures are held in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

ग) अधिग्रहण लागत
c) Acquisition Cost

(i) निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारण करने में:
In determining the acquisition cost of an investment:

क) द्वितीयक बाज़ार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अधिग्रहण लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.
a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अधिग्रहण लागत/ बिक्री में शामिल नहीं किया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.
b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी बट्टे या प्रीमियम जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हैं, को लिखत की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है.
c) Any discount or premium on the acquisition of debt securities under HTM, AFS & FVTPL which pass SPPI criterion is amortised over the remaining life of the instrument.

घ) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.
d) Cost is determined on the weighted average cost method.

घ) प्रारंभिक निर्धारण
d) Initial Recognition

सभी निवेशों को प्रारंभिक निर्धारण पर उचित मूल्य पर आंका जाता है. जब तक तथ्य और परिस्थितियां सुझाव नहीं देती कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से काफी भिन्न है,तो यह माना जाता है कि अधिग्रहण लागत उचित मूल्य है. जिन स्थितियों में अनुमान की जांच की जाती है, उसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless fact sand circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it is presumed that the acquisition cost is the fair value. Situations where the presumption is tested include:

क) लेनदेन संबद्ध पक्षकारों (एनडीएस-ओएम पर किये गये लेनदेनों को छोड़कर) के बीच किया गया है.
a) The transaction is between related parties (excluding transactions carried out on NDS-OM).

ख) लेनदेन दबाव के अंतर्गत किया गया है जिसमें एक पक्षकार को लेनदेन का मूल्य स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया है.
b) The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.

ग) लेनदेन प्रतिभूति की उस श्रेणी के मूल बाजार के बाहर किया गया है.
c) The transaction is done outside the principal market for that class of securities.

घ) अन्य स्थितियां जिनमें पर्यवेक्षक, तथ्य और परिस्थितियां अनुमान की जांच को न्यायसंगत ठहराती हैं.
d) Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.

नीलामी (डिवाल्वमेंट सहित) के जरिये अधिगृहीत सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित (एनडीएस-ओएम पर किये गये लेनदेनों को छोड़कर) स्विच परिचालन और खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) में जिस मूल्य पर प्रतिभूति आबंटित की जाती है, उसे प्रारंभिक निर्धारण के उद्देश्य के लिए उचित मूल्य समझा जाता है.
In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted (Excludes transactions on NDS-OM.) by the RBI, the price at which the security is allotted is considered as the fair value for initial recognition purposes.

जहां प्रतिभूतियां क्वोट की जाती हैं या बाज़ार से सुस्पष्ट इन्पुट (जैसे प्रतिफल वक्र, ऋण स्प्रैड, आदि) के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया जा सकता है, उसे किसी भी दिन 1 के लाभ/हानि को अनुसूची 14: 'अन्य आय', 'निवेशों के पुनर्मल्यन पर लाभ' या 'निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि', जैसी भी स्थिति हो, के उप-शीर्षक के भीतर लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.
Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss is recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the sub-head 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

क) लेवल 3 के निवेशों से उत्पन्न किसी दिन 1 की हानि को तत्काल दर्शाया जाता है.
a) Any Day 1 loss arising from Level 3 investments recognised immediately.

ख) लेवल 3 के निवेशों से उत्पन्न किसी दिन 1 के लाभ को स्थगित कर दिया जाता है. ऋण लिखतों के मामले में दिन 1 के लाभ को परिपक्वता की तारीख (शाश्वत लिखतों के लिए सबसे पहली परिपक्वता पूर्व मोचन की तारीख) पर सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित कर दिया जाता है,जबकि अनुद्धृत इक्विटी लिखतों के लाभ को तब तक देयता के रूप में अलग रखा जायेगा जब तक प्रतिभूति सूचीबद्ध या अमान्य न हो जाये.
b) Any Day 1 gains arising from Level 3 investments is deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain is amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be aside as a liability until the security is listed or de-recognised.

ङ) परवर्ती आकलन
e) Subsequent Measurement

(i) एचटीएम के लिए धारित प्रतिभूतियों को उनके लागत पर दिखाया जाता है और प्रारंभिक निर्धारण के बाद बाज़ार मूल्य पर अंकित करने (एमटीएम) के अधीन नहीं होती हैं. एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर किसी बट्टे/ प्रीमियम को लिखत की शेष बची अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Securities held in HTM are carried at cost and not subjected to be marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount / premium on the securities under HTM are amortised over the remaining life of the instrument.

(ii) हालांकि रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में केवल एचएफटी पोर्टफोलियो के लिए दैनिक मूल्यांकन अनिवार्य है, बैंक इस प्रथा को अपने एएफएस ट्रेजरी निवेशों तक विस्तारित करता है. एएफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट या प्रीमियम, लिखत के शेष जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है. परिशोधित राशि अनुसूची 13 के अंतर्गत दर्शायी जाती है. एएफएस के तहत सभी अर्जक निवेशों के लिए निवल वृद्धि या कमी (लागू करों के प्रभाव के लिए समायोजित) को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एएफएस रिजर्व में जमा या नामे किया जाता है. एएफएस श्रेणी में ऋण लिखतों की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस रिजर्व में उस प्रतिभूति के संचित लाभ/हानि को एएफएस रिजर्व से अंतरित किया जाता है और अनुसूची 14: अन्य आय के तहत लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है. तथापि,एक बारगी अविकल्पी चयन का उपयोग कर एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत इक्विटी निवेशों के मामले में बिक्री पर लाभ को लाभ एवं हानि खाते के जरिये रूट किये बिना सीधे पूंजी रिजर्व में जमा कर दिया जाता है. एएफएस रिजर्व को सामान्य इक्विटी टियर (सीईटी) 1 पूंजी माना जाता है. एएफएस रिजर्व में अंतरित किए गए अप्राप्त लाभों को लाभांश और अतिरिक्त टियर 1 लिखतों पर कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए विचार नहीं किया जाता है. एएफएस रिजर्व में मान्यता प्राप्त लेवल 3 निवेशों पर निवल अप्राप्त लाभ को सामान्य इक्विटी टियर (सीईटी) 1 पूंजी से घटाया जाता है.
While RBI guidelines mandates daily valuation only for HFT portfolio, the bank extends this practice to its AFS treasury investments Any discount or premium on acquisition of debt securities under AFS are amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount reflected under Schedule 13. The net appreciation or depreciation (adjusted for the effect of applicable taxes) for all performing investments under AFS are directly credited or debited to AFS reserve without routing through the Profit & Loss Account. Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under Schedule 14: Other Income. However, in case of Equity investments classified under AFS using one-time irrevocable selection, the profit on sale are directly credited to Capital Reserve account without routing the same through P & L Account. AFS Reserve is reckoned Common Equity Tier (CET) 1 Capital. The unrealised gains transferred to AFS Reserve are not considered for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1 instruments. The net unrealised gains on Level 3 investments recognised in AFS Reserve is deducted from Common Equity Tier (CET) 1 Capital.

(iii) एफवीटीपीएल में धारित प्रतिभूतियां का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन से हुए निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ-हानि खाते में जमा या नामे किया जाता है. खरीद से अधिक बिक्री सहित एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत ऐसी प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और बाज़ार मूल्य पर आंकने के कारण हुए लाभ/हानि को एचएफटी पोर्टफोलियो को बाजार मूल्य पर आंकने से संबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The securities held in FVTPL are fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities classified under the HFT sub-category within FVTPL, including the short position, are valued on a daily basis and account for the resultant mark to market gain/losses in to Profit & Loss account as per the relevant guidelines for marking to market of the HFT portfolio.

(iv) एफवीटीपीएल (गैर-एचएफटी) के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों का एमटीएम मूल्यांकन मासिक आधार पर किया जाता है और निवल एमटीएम लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में जमा/नामे किया जाता है.
MTM Valuation of Investments classified under FVTPL (Non-HFT) are valued on monthly basis and net MTM gain/loss is credited/debited in Profit & Loss accounts.

(v) एक बार किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाए, तो उसे पोर्टफोलियो के शेष भाग से अलग कर दिया जाता है और अर्जक पोर्टफोलियो के साथ मूल्यांकन लाभ और हानि की गणना में उसे शामिल नहीं किया जाता है. एनपीआई पर रखा जाने वाला प्रावधान निम्न में से अधिक माना जाता है: (1) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशि,जिसकी गणना निवेश के रखाव मूल्य पर की जाती है जो उसे एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले का है; और (2) एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर निवेश के रखाव मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यह्रास
Once an investment is classified as an NPI, it is segregated from rest of the portfolio and not considered for netting of valuation gains and losses with the performing portfolio. The provision to be held on an NPI is considered the higher of: (1) The amount of provision required as per IRACP norms computed on the carrying value of the investment immediately before it was classified as NPI; and (2) The depreciation on the investment with reference to its carrying value on the date of classification as NPI.

(vi) सहायक, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों (ऋण एवं इक्विटी सहित) को अधिग्रहण लागत पर धारित किया जाता है. ऋण प्रतिभूतियों (जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं) के अधिग्रहण पर बट्टे और प्रीमियम को लिखतों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है.
All investments (including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost. Any discount and premium on the acquisition of the debt securities (that meet SPPI criterion) are amortised over the remaining life of the instruments.

ऐसे मामलों में जहां संस्था में पहले ही निवेश किया हुआ है जो सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम नहीं है और बाद में निवेशित संस्था सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम बन जाती है तो ऐसी संस्था के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख से संशोधित रखाव मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:
In cases where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture, and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associates or joint venture, the revised carrying value as at the date of such entity becoming a subsidiary, associate or joint venture are determined as under:

क) जहां निवेश एचटीएम के अंतर्गत रखा हुआ था, रखाव मूल्य में से स्थायी अनर्जकता को घटाकर संशोधित रखाव मूल्य माना जाता है.
a) Where an investment was held under HTM, the carrying value less any permanent impairment is considered as revised carrying value.

ख) जहां निवेश एएफएस के अंतर्गत रखा हुआ था, एएफएस रिज़र्व में पूर्व में दर्शाये गये संचयी लाभ और हानियों को रिवर्स किया जाता है और संशोधित रखाव मूल्य निर्धारित करने के लिए निवेश के मूल्य में स्थायी कमी के साथ निवेश के रखाव मूल्य को समायोजित किया जाता है.
b) Where an investment was held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS Reserve are reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.

ग) जहां निवेश एफवीटीपीएल के अंतर्गत रखा हुआ था, निवेशित संस्था के सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख को उचित मूल्य को रखाव मूल्य के रूप में लिया जाता है.
c) Where an investment was held under FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming subsidiary, associate or joint venture is taken as the carrying value.

(vii) जब निवेशित संस्था सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम नहीं रहती है तो निवेशों को संबंधित श्रेणियों में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:
When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments are classified to the respective categories as under:

क) जहां निवेश को एचटीएम में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, वहां रखाव मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इसके कारण कोई लेखांकन समायोजन नहीं किया जाता है.
a) Where the investment is reclassified into HTM, there shall be no change is made in the carrying value and consequently no accounting adjustment is made.

ख) जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनः वर्गीकृत किया जाता है, वहां ऐसे पुनःवर्गीकरण की तारीख को उचित मूल्य को संशोधित रखाव मूल्य माना जाता है. संशोधित और पूर्ववर्ती रखाव मूल्य के बीच अंतर को एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनः वर्गीकरण के मामले में क्रमशः एएफएस रिजर्व और लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है.

b) Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification is considered as the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value is transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.

(viii) सहायक, सहयोगी संस्था या संयुक्त उद्यम के पुनःवर्गीकरण या निवेश की बिक्री से हुई आय/लाभ को पहले लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है और उसके बाद लाभ-हानि खाते से पूंजी रिजर्व खाते में (कर एवं सांविधिक रिजर्व में अंतरण को घटाकर), से नीचे की लाइन में विनियोजित किया जाता है.

Any gain / profit arising on the reclassification / sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss account and then appropriated below the line (net of taxes and transfer to statutory reserves) from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve Account.

(ix) सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश में ह्रास का परीक्षण कम से कम तिमाही आधार पर किया जाता है.

Investments in subsidiary, associate or joint venture are tested for impairment at least on quarterly basis

च) मूल्यांकन कार्य-प्रणाली

f) Valuation Methodologies

(i) मूल्यांकन के सिद्धांत

Valuation Principles

क) बट्टाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost,

ख) ट्रेड/ उद्धृत इक्विटी निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य मान्याप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted equity investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the recognised stock exchanges.

ग) सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) का उचित मूल्यांकन/बाजार मूल्यांकन फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा निर्धारित मूल्य/प्रतिफल बेंचमार्क के अनुसार किया जाता है.

c) The Fair Valuation / Market valuation for the government securities (SLR) is performed in accordance with Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FBIL) prescribed price/yield benchmark.

घ) अन्य गैर-अनुद्धृत अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों के लिए जिनकी कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, ऐसी प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य, एफबीआईएल द्वारा जारी की गई समतुल्य परिपक्वता वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक मूल्य जोड़कर, वाईटीएम विधि लागू करके निकाला जाता है.

d) For Other unquoted approved government securities whose prices are not published by FBIL, the fair market value of such securities is arrived by applying the YTM method by marking them up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL.

ङ) ऐसे सभी साधारण डिबेंचर/बांड, जिनके लिए एफआईएमएमडीए की सिक्योरिटी लेवल वैल्यूएशन (एसएलवी) प्रकाशन में प्रतिभूति स्तर पर मूल्यांकन उपलब्ध है, उनके लिए प्रकाशित मूल्यों को ही अपनाया जाता है.

e) For all plain vanilla debentures / bonds where Security Level Valuation is available in FIMMDA Security level Valuation (SLV) publication, the prices as published are used .

च) ऐसे अन्य बॉण्ड एवं डिबेंचर तथा नियत आय वाली प्रतिभूतियाँ, जिनके एसएलवी मूल्य/क्रय-विक्रय मूल्य एफआईएमएमडीए/रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, के लिए ऐसी प्रतिभूतियों का उचित बाजार मूल्य, एफबीआईएल/ एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर उपयुक्त मार्क-अप लागू करके निर्धारित किया जाता है (यह मार्क-अप, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिबेंचरों/बॉन्डों को प्रदान की गई रेटिंग तथा एफआईएमएमडीए एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है).

f) For other Bonds & Debenture and fixed income securities whose SLV prices/Traded prices are not published by FIMMDA/reporting portal, the fair market value of such securities is arrived by applying the appropriate mark-up *(The mark-up applied shall be determined based on the ratings assigned to the debentures / bonds by the credit rating agencies and FIMMDA & RBI guidelines)* over the YTM rates for Central Government Securities as put out by FBIL / FIMMDA.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

छ) कॉरपोरेट वर्टिकल द्वारा अधिगृहीत सभी मौजूदा एलसीबी/जेडसीबी (जहां उधारकर्ता ऋण शोधन निधि बनाने में असफल रहा है) का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के संबंधित मास्टर निदेश के अनुसार ₹ 1 पर किया जाता है. दिनांक 28 नवंबर 2025 के (वाणिज्यिक बैंक- दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान निदेश, 2025, अध्याय VIII के पॉइंट सं. 149, पृष्ठ 43- पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में अधिग्रहित लिखतों का विवेकपूर्ण संव्यवहार).

g) Valuation of all existing LCB/ZCB (where the borrower fails to build up the sinking fund) acquired by Corporate vertical is carried out at Re.1 as per the relevant RBI Master Direction. *(Commercial Banks - Resolution of Stressed Assets Directions, November 28, 2025, point no 149, page 43 of Chapter VIII - Prudential Treatment of Instruments Acquired as part of Restructuring).*

ज) अश्रेणीकृत बांड के मार्क-अप के मूल्यांकन के लिए मार्क-अप समान परिपक्वता वाले श्रेणीकृत डिबेंचरों या बांडों पर लागू मार्क-अप से कम नहीं होता है ताकि बैंक द्वारा वहन ऋण जोखिम को प्रदर्शित किया जा सके.

h) For valuing the unrated bonds mark-up not less than the mark-up applicable to rated debentures or bonds of equivalent maturity applied so as to reflect the credit risk borne by the Bank.

झ) अनुद्धृत इक्विटी शेयर अर्थात् ऐसे इक्विटी शेयर जिनकी वर्तमान क्वोटेशन उपलब्ध नहीं हैं या जिनके भाव एक्सचेंज पर उपलब्ध न हो, उनका मूल्यांकन अलग-अलग मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो, पर विचार किये बिना), जो कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र से प्राप्त होगा, के आधार पर किया जाता है. नवीनतम तुलन-पत्र के बनाने की तारीख, मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए. यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के संबंधित मास्टर निदेश के अनुसार एक रुपया प्रति कंपनी पर किया जाएगा.

i) The unquoted equity shares i.e., equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the exchanges, are valued at break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest audited balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available, the shares are valued at Re.1 per company, as per the relevant RBI master direction.

ञ) अनुद्धृत एमएफ़ यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संदर्भ में एमएफ़ द्वारा हाल में घोषित किए गए पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाता है. ऐसी निधियाँ जो लॉक-इन अवधि के साथ हों या कोई अन्य फ़ंड जिसका पुनर्खरीद मूल्य/बाज़ार भाव उपलब्ध न हो, ऐसी यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है. यदि एनएवी उपलब्ध नहीं हो तो इनका मूल्यांकन लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक लागत के आधार पर किया जाता है.

j) Investment in un-quoted MF units are valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme. In case of funds with a lock-in period or any other fund, where repurchase price/ market quote is not available, units are valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these are valued at cost, till the end of the lock-in period.

ट) एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश को ऐसे निवेश के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना कर आवधिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है.

k) Investments by the Bank in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

बशर्ते कि बैंक द्वारा एआरसी को अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी में बैंक निवेश करता है तो बैंक निवेश तब तक सतत आधार पर बहियों में दिखाता है जब तक उपर्युक्त एनएवी के आधार पर एसआर का शोधन मूल्य और अंतरण के समय अंतरित दबावग्रस्त ऋण की एनबीवी में जो कम हो पर अंतरण या वसूली नहीं हो जाती है.

Provided that when the Bank invests in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by it to the ARC, the Bank carries the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.

ठ) (अ)यदि अंतरणकर्ता द्वारा अंतरित ऋणों के बदले जारी एसआर में अंतरणकर्ता द्वारा निवेश अंतरित आस्ति के बदले जारी सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक है तब एसआर का मूल्यांकन निम्नलिखित में से कम पर विचार किया जाता है:

l) (A) If the investment by the transferor in SRs issued against loans transferred by it is more than 10 percent of all SRs issued against the transferred asset, then the valuation of the SRs is considered as the lower of the following:

i) क्लाज (i) के अनुसार निकाला गया मूल्य और
Value arrived at in terms of clause (i); and

ii) यदि ऋण अंतरणकर्ता की बहियों में जारी रहते हैं तो एसआर के अंकित मूल्य में लागू आनुमानिक प्रावधान दर घटाकर.
Face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the loans had continued on the books of the transferor.

ङ) उद्धृत अधिमानी शेयरों को बाज़ार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत/ ट्रेड न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता आधार पर उपयुक्त प्रतिफल के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है.

m) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per the RBI guidelines.

ढ) अनुद्धृत उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ़)/वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ)/अवसंरचना निवेश न्यास/रियल एस्टेट निवेश न्यास में निवेश का वर्गीकरण रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एफवीटीपीएल गैर-एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत बैंक के विवेक पर किया जाता है और एनएवी पर मूल्यांकन किया जाता है. जहां कोई एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के अंतर्गत निर्धारित आवृत्ति के अनुसार अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और उसका प्रकटीकरण करने में विफल रहता है, वहां इकाइयों का मूल्यांकन, उपलब्ध होने की स्थिति में वीसीएफ/एआईएफ के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया जाएगा अथवा, रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, वीसीएफ/एआईएफ प्रति इकाई ₹ 1 के मूल्य पर किया जाएगा.

n) Investments in unquoted Venture Capital Fund (VCF)/Alternate Investments Funds (AIFs)/ InVITs / REITs are categorised, at the discretion of the Bank, under FVTPL Non-HFT category in accordance with the RBI guidelines and valued at NAV. Where an AIF fails to carry out and disclose the valuation of its investments as per the frequency mandated by SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, the units are valued based on the latest audited financials of the VCF/AIF if available or else at Re 1 per VCF/AIF as per the RBI guidelines.

ण) पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एचटीएम श्रेणी में धारित किए जाते हैं तथा लागत पर दर्शाये जाते हैं.

o) PTC investments are presently held only under HTM category and are carried at Cost.

त) दिनांक 28 नवंबर 2025 के मास्टर निदेश के अनुसार बैंकों को निदेशक मंडल की अनुमति के बिना निवेशों की श्रेणियों (अर्थात् एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनःवर्गीकरण की अनुमति नहीं है. इसके अलावा, ऐसे वर्गीकरण के लिए पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन की भी जरूरत है.

p) As per Master Circular dated November 28, 2025, Banks are not allowed to reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of Board of Directors. Further, such reclassification also requires the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.

उत्तरवर्ती पुनः वर्गीकरण के लिए, बैंक दिनांक 28 नवम्बर 2025 की भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन) निदेश, 2025 के अंतर्गत श्रेणियों के मध्य पुनःवर्गीकरण से संबंधित अध्याय VII में निर्दिष्ट पुनः वर्गीकरण लेखांकन का अनुपालन करना होगा.

For subsequent reclassification, Bank shall follow reclassification accounting stipulated under Chapter VII on Reclassification between categories of Reserve Bank of India (Commercial Banks – Classification, Valuation, and Operation of Investment Portfolio) Directions, 2025 dated November 28, 2025

छ) अनर्जक निवेश

g) Non-Performing Investments

अनर्जक निवेशों की पहचान की जाती है तथा उन पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है. ऐसे अनर्जक निवेश के मूल्यह्रास/ प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास से समायोजित नहीं किया जाता है. जब तक अनर्जक निवेशों पर आय प्राप्त नहीं होती तब तक लाभ-हानि खाते में दर्शाया नहीं जाता है.

Non-performing investments are identified and depreciation provisions are made thereon based on the RBI guidelines. The appreciation/depreciation on such non-performing investments are not set off against the appreciation/depreciation in respect of other performing securities. Income on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss Account until it is realised.

ज) अधिविक्रय

h) Short Sale

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में अधिविक्रय करता है. अधिविक्रय स्थितियों को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

The Bank undertakes short sale transaction in Central Government dated securities in accordance with the RBI guidelines. The short positions are categorised under HFT category.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

झ) रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन

i) Repo and reverse repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः संपार्श्विकृत उधार लेने व उधार देने वाले लेन-देनों के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देनों पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

In accordance with the RBI guidelines, repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with the RBI) are reflected as collateralized borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Assets Management Limited

ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हैं और ऐसे निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किए जाने हैं, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है. तथापि, निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, के संबंध में ह्रास के लिए प्रावधान कमी को निर्धारित करने के लिए किया जाता है. ऐसी कमी का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए किया जाता है. बांड की खरीद के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम को बांड की अवधि के दौरान परिशोधित नहीं किया जाता है और इसे खरीद की लागत के रूप में माना जाता है.

Investments which are readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date, on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as long term investments. Current investments are carried at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investments are carried at cost. However, provision for diminution is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually.premium paid during purchase of bonds is not amortized during the tenure of bond and same is considered as cost of purchase.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. के मामले में
C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

ऐसे निवेश जो लंबे समय के लिए धारित हैं, उन्हें गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते हैं. दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप से भिन्न कमी को दर्शाया जाता है. चलनिधि निवेश को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर दर्शाया जाता है.

Investments which are held for long term, same are classified as Non Current Investments. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognised, if considered other than temporary. Liquid investments are classified as a current investment and are stated at cost.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में
D. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

(i) निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के रूप में आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अधिगृहीत तथा धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अधिग्रहण लागत पर किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश को बाजार/उचित मूल्य पर दिखाया जाता है. मार्केट मेकर के रूप में बाज़ार निर्माण प्रक्रिया में अधिगृहीत प्रतिभूतियों को चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at market/ fair value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as Current Investments.

(ii) अल्पावधि धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अधिगृहीत प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है.

Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.

(iii) विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को बाजार/ उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. बाज़ार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाज़ार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल के संदर्भ में और इक्विटी के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यह्रास/वृद्धि, यदि कोई हो, का प्रावधान/विचार किया जाता है.
Securities held as stock-in-trade category wise are valued at market/fair value.. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available balance sheet. Each security is valued individually. The depreciation / appreciation , if any, for each security is provided / considered.

(iv) निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.
Premium paid on government securities held as investment is amortized over the tenor of the instrument.

उ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

निवेश / Investments

निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेश में वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश और ब्याज के रूप में आय अर्जित करने तथा पूंजी मूल्यवृद्धि के प्रयोजन के लिए अधिगृहीत और धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर-चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अधिग्रहण की उनकी लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अस्थायी के अलावा उनके मूल्य में गिरावट, यदि कोई हो, को निर्धारित किया जाता है. चालू निवेश को लागत या बाजार मूल्य से कमतर पर दर्शाया जाता है.
Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest: and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments arc carried at lower of cost or market value.

8) डेरिवेटिव लेनदेन / Derivative Transactions

डेरिवेटिव लेन-देनों में वायदा संविदाएँ, स्वैप, विकल्प और विनिमय-व्यापरित डेरिवेटिव उत्पाद शामिल हैं जिनका प्रकटन आकस्मिक देयताओं के रूप में किया जाता है. वायदा, स्वैप और विकल्पों को ट्रेडिंग या हेज लेन-देन, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Derivative transactions comprise of forward contracts, swaps, options and exchange traded derivative products which are disclosed as contingent liabilities. The forwards, swaps and options are categorized as trading or hedge transactions, as the case may be.

बैंक विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के बारे में लेखांकन मानक 11 के सिद्धांत का अनुसरण करता है.
Bank follows the principle of Accounting Standard 11 on The Effects of Change in Foreign Exchange Rates.

बैंक भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी डेरेवेटिव संविदाओं के लिए लेखांकन के बारे में निर्देशन नोट (संशोधित 2021), उक्त निर्देशन नोट के अनुच्छेद 63 (जिसमें तुलन-पत्र में दर्शाई गई डेरिवेटिव आस्तियों एवं देयताओं को चालू एवं गैर-चालू आधार पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है) को छोड़कर, की अपेक्षाओं का भी अनुपालन करता है. बैंक दिनांक 28 नवंबर 2025 के वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देशन), 2025 के बारे में रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश, के पैरा 109 के अनुसार अपनी डेरिवेटिव आस्ति एवं देयताओं को क्रमशः अनुसची 11: 'अन्य आस्तियां' और अनुसूची 5:'अन्य देयताएं' के अंतर्गत अलग मद के रूप में दर्शाता है.
Bank also complies with the requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India except for paragraph 63 (which requires presentation of Derivative assets and liabilities recognized on the balance sheet on current and non-current basis) of the said Guidance Note. Bank presents its derivative asset and liabilities as separate line items under Schedule 11: 'Other Assets' and Schedule 5: 'Other Liabilities' respectively, in accordance with para 109 of the RBI Master Circular - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2025 dated November 28, 2025.

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में:
In Transactions designated as 'Hedge':

बैंक का 31 मार्च 2026 को कोई सक्रिय हेज लेनदेन नहीं है.
Bank has no active Hedge trade as on March 31, 2026.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:
In Transactions designated as 'Trading':

क) 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि खाते में अंतरित कर दिया जाता है.

a) Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

ख) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंडों में ट्रेडिंग के रूप में नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन्स और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत में निपटान की तारीख को लाभ एवं हानि खाते में अंतरित किया जाता है.

b) Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

ग) 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित रुपया डेरिवेटिव पर आय को वसूली आधार पर लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है.

c) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading "is recognised in the Profit and Loss Account on realisation basis.

घ) डेरिवेटिव संविदाओं के अंतर्गत किसी भी प्राप्यराशि, जो 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ एवं हानि खाते के जरिये 'उचंत खाता निश्चित प्राप्यराशियां' में रिवर्स किया जाता है.

d) Any receivable under derivative contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through Profit and Loss Account to "Suspense Account Crystallised Receivables".

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

भावी एवं विकल्प में लेन-देन
Transactions in Futures and Options

(i) भावी संविदा / विकल्पों की बिक्री करते समय देय प्रारंभिक मार्जिन को सावधि जमा, नकद जमा और प्रतिभूतियों के रूप में एक्सचेंजों के पास जमा के साथ समायोजित किया जाता है.
Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

(ii) भावी संविदाओं में लेन-देनों को संविदा के कल्पित व्यापार मूल्य पर खरीद और बिक्री के रूप में हिसाब में लिया जाता है. तुलन पत्र की तिथि को फ्यूचर्स में खुली संविदा को इसके कल्पित मूल्य से घटाया जाता है.
Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.

(iii) पिछले दिन के निपटान मूल्य या एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य और बाद के दिन के एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य में एक्सचेंज को किए गए या प्राप्त भुगतान अंतर को मार्क टू मार्केट मार्जिन के रूप में माना जाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते में शेष, तुलन पत्र की तारीख तक भावी संविदाओं में खुली संविदा की कीमतों में बदलाव के आधार पर भुगतान या प्राप्त की गई निवल राशि को दर्शाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते में निवल नामे शेष को राजस्व से प्रभारित किया जाता है जबकि निवल जमा शेष को चालू देयताओं के अंतर्गत दिखाया जाता है.
The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.

(iv) विकल्पों की खरीद और बिक्री पर भुगतान या प्राप्त प्रीमियम और विकल्पों के प्रयोग पर भुगतान या प्राप्त अंतर को खरीद या बिक्री के रूप में गिना जाता है. तुलन पत्र की तारीख को बेचे गए विकल्पों में खुली संविदा के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम उन विकल्पों के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक हो जाता है. तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम से अधिक प्राप्त प्रीमियम को मान्यता नहीं दी जाती है. इसी तरह, खरीदे गए विकल्पों के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा विकल्प के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम से अधिक हो जाता है और भुगतान किए गए प्रीमियम पर तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम की अधिकता को उपेक्षित कर दिया जाता है. कई खुली स्थितियों के मामले में, खरीद और बिक्री की स्थितियों में शेष राशि को घटाने के बाद प्रावधान किया जाता है या आधिक्य प्रीमियम को उपेक्षित कर दिया जाता है.

Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognised. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

ब्याज दर स्वैप
Interest Rate Swaps

आस्ति और देयताओं में प्राथमिक डीलरशिप संचालन से संबंधित बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की कल्पित मूल राशि को घटाया जाता है. ब्याज दर स्वैप पर लाभ या हानि की संविदा की शर्तों के अनुसार नियत तारीखों पर गणना की जाती है.
Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

टर्नओवर
Turnover

दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों और विक्रेय माल स्वरूप की अन्य अन्य प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को लाभ-हानि खाते में कंपनी की निधियों के टर्नओवर को इंगित करने की दृष्टि से प्रकट किया जाता है और केवल प्रत्यक्ष लेनदेन शामिल किये जाते हैं. इस उद्देश्य के लिए जब इन प्रतिभूतियों को कंपनी द्वारा परिपक्वता की तारीख तक धारित किया जाता है तो बिक्री, यदि कोई हो, में मोचन से प्राप्तराशियां शामिल होती हैं.
Purchases and sales of dated government securities, treasury bills and other securities in the nature of stock in trade are disclosed in the Profit and Loss Account, with a view to indicate the turnover of funds of the company and include only outright transactions. For this purpose, sales also include redemption proceeds, if any, when these securities are held by the company till the date of maturity.

9) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रमाण पत्र / Priority Sector Lending Certificates

बैंक प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र को उधार के प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) के क्रय या विक्रय के लेन-देन करता है. बिक्री लेन-देन के मामले में, बैंक रिज़र्व बैंक के ट्रेडिंग प्लेटफ़ार्म पर प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र को उधार दायित्वों को पूरा करने की बिक्री करता है और खरीद लेनदेन के मामले में, बैंक प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र को उधार दायित्वों को पूरा करने का क्रय करता है. जोखिम या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं होता है. पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है और पीएसएलसी की खरीद के लिए अदा किए गए शुल्क को अन्य व्यय के रूप में लाभ-हानि खाते में रिकॉर्ड किया जाता है. इनको प्रमाण-पत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.
The Bank enters into transactions for the sale or purchase of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs). In the case of a sale transaction, the Bank sells the fulfilment of priority sector obligation and in the case of a purchase transaction the Bank buys the fulfilment of priority sector obligation through the RBI trading platform. There is no transfer of risks or loan assets. The fee received for the sale of PSLCs is recorded as miscellaneous income and the fee paid for purchase of the PSLCs is recorded as other expenditure in Profit and Loss Account. These are amortised over the period of the Certificate.

10) अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास (संपत्ति संयंत्र और उपकरण)
Fixed Assets and Depreciation (Property Plant and Equipment)

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

(i) अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर दिखाया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि पर दिखाया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and the RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

(ii) पट्टेधृत परिसरों में सुधार में किए गए व्यय को पट्टे की बची हुई प्राथमिक अवधि के दौरान विलोपित किया जाता है.
Improvements to lease hold premises are charged off over the remaining primary period of lease.

(iii) आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

(iv) पुनर्मूल्यन पर मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

(v) अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत या आस्तियों के पुर्नमूल्यन के मामले में पुनर्मूल्यित राशियों पर सीधी रेखा पद्धति द्वारा की जाती है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

(vi) पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिजर्व से सामान्य रिजर्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

(vii) ₹ 5000/- से कम लागत की एकल अचल आस्तियों को पहले पूंजीकृत किया जाता है और फिर उनके परिवर्धन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है क्योंकि बैंक इससे आगामी वर्षों में आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं करता है.
Fixed assets individually costing less than 5,000/- are first capitalized and then fully depreciated in the year of addition as the bank do not expect economic benefit over the period of years.

(viii) मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग-सी के अंतर्गत निर्धारित रूप में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान विनिधानित किया जाता है. उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, किसी अचल आस्ति के अधिग्रहण करते समय उस अचल आस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.

(ix) वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास का प्रावधान आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अविध के लिए किया जाता है.
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.

(x) अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:
The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति Asset	**उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में)** Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन / Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर और फिक्सचर्स a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

(xi) पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है. पट्टेधृत सुधार को उसी आस्ति श्रेणी में पूंजीकृत तथा पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease. Leasehold improvements are capitalized in the same asset category and amortized over period of lease.

(xii) ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले प्रत्येक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और 6 वर्ष से अनधिक अवधि में इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है.
Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 lacs is capitalized and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Assets Management Limited

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचित मूल्यह्रास और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अधिग्रहण/स्थापना लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और इच्छित उपयोग के लिए आस्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष लागत शामिल है. प्रयोग में लाई जा रही आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इन आस्तियों से भावी लाभ/कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि हो. मौजूदा आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव और कलपुर्जों के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है.
Property, plant and equipment are stated at cost of acquisition / installation and less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost comprises purchase price, borrowing costs if capitalisation criteria are met and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for the intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. All expenses on existing assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged as revenue in the period in which they are incurred

(ii) मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया जाता है. आस्तियों के मूल्यह्रास की दरें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को ध्यान में रख कर तय की गई हैं. प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्ति के अधिग्रहण के समय अचल आस्ति का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की गई समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल कम है तो मूल्यह्रास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर उच्च दर पर किया जाता है. इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है:
Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per schedule II of the Companies Act 2013. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

विवरण Description	उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में) Useful life (in years)	अवशिष्ट मूल्य को छोड़कर मूल्यह्रास का प्रतिशत (%) Percentage of depreciation excluding salvage value (%)
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & Fixtures	10.00	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	5.00	19.00
कंप्यूटर हार्डवेयर / Computer Hardware	3.00	33.33
संचार उपकरण Communication Equipment	3.00	33.33

(iii) एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से अधिक की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है, एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से कम की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय / अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Computer software individually costing more than ₹ 2.50 lakhs is capitalized and depreciated over a period of 5 years, Computer software individually costing less than ₹ 2.50 lakhs is fully depreciated in the year of purchase/acquisition.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(iv) कंपनी आस्ति के उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्ति के लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है.
The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale.

(v) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, सॉफ्टवेयर के अलावा, एकल रूप से ₹ 5,000 या उससे कम लागत को खरीद/ अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है.
Property, plant and equipment, other than software, individually costing ₹ 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase / acquisition.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Intech Limited

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनके संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अधिग्रहण की लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में अभीष्ट उपयोग के लिए कार्यशील परिस्थितियों में लाने हेतु आस्ति के अधिग्रहण में हुए सभी व्यय शामिल होते हैं.
Property, Plant and Equipment's are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation/ amortisation and impairment loss, if any. Cost includes all expenses incurred for acquisition of assets to bring them to working conditions for intended use.

(ii) जो अचल आस्तियां रिपोर्टिंग तिथि को उनके इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, उनकी लागत को पूंजीगत चालू कार्य के रूप में दिखाया जाता है. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास और परिशोधन विशेषज्ञ तकनीकी सलाह/ अधिनियम की अनुसूची-II की शर्तों के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी-रेखा पद्धति पर किया जाता है. एकल रूप से ₹ 5,000/- से कम लागत वाली आस्तियों को खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है. अवधि के दौरान खरीदी/बेची गई आस्तियों पर मूल्यह्रास आनुपातिक रूप से प्रभारित किया जाता है.
The cost of the fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date are shown as capital work-in-progress.Depreciation and amortisation on fixed assets is provided on straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as determined by the management based on the expert technical advice/stipulations of schedule II to the Act. Assets individually costing less than ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition. Depreciation on assets purchased / disposed of during a period is proportionately charged.

(iii) निर्माण और स्थापना कार्य पूर्ण होने तक तथा आस्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने तक पूंजीगत चालू कार्य पर मूल्यह्रास दर्ज नहीं किया जाता है.
Depreciation is not recorded on capital work-in-progress until construction and installation are complete and the asset is ready for its intended use.

(iv) मूल्यह्रास या परिशोधन विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में आवधिक रूप से की जाती है.
Depreciation or amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically at each year end.

आस्ति वर्ग Asset class	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में) Estimated useful life (in years)
कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण / Computer & accessories	
सर्वर एवं नेटवर्क / Servers & networks	6
डेस्कटॉप एवं लैपटॉप / Desktops & laptops	3
कार्यालय उपकरण / Office equipment's	5
बिजली उपकरण / Power equipment's	10
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & fixtures	10
मोटर कार / Motor car	8
विद्युत संस्थापनाएँ / Electrical installations	10
अमूर्त आस्तियां / Intangible assets	5

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. के मामले में
D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

अचल आस्तियों को अधिग्रहण की मूल लागत तथा उनके अधिग्रहण के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके अभीष्ट उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यह्रास अवलिखित मूल्य आधार पर प्रभारित किया जाता है. आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान के लिए ऐसे निपटानों की तारीख तक किया जाता है. कम लागत वाली एकल आस्तियों (₹ 5000/- से कम राशि में अधिगृहीत) को उनके अर्जन के वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है.

Fixed assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written down Value basis as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired for less than ₹ 5,000/-) are depreciated in the year of acquisition.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटी लि. के मामले में
E. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों को आरंभ में लागत पर दर्शाया जाता है और तत्पश्चात संचित मूल्यह्रास तथा संचित ह्रासित हानि को घटाकर लागत पर दिखाया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मदों के मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम की अनुसूची-II में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में उनकी मूल्य ह्रासित राशि पर सीधी रेखा पद्धति के द्वारा निम्नानुसार की जाती है:

Items of property, plant and equipment are initially recognised at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation on items of property, plant and equipment is calculated using the straight-line method to allocate their depreciable amounts over their estimated useful lives as specified in Schedule II to the Companies Act as follows:

आस्ति वर्ग Asset class	वर्षों में अनुमानित उपयोगी जीवनकाल Estimated useful life in years
भवन / Buildings	60
कम्प्यूटर / Computers	3
सर्वर्स एवं नेटवर्क / Servers & Networks	5
फर्नीचर एवं फिक्सचर / Furniture & Fixtures	10
कार्यालय उपकरण / Office Equipment's	5
वाहन / Vehicles	5

(ii) सभी मूर्त आस्तियों, जिनका एकल मूल्य ₹ 5,000 से कम है, को आस्तियों की खरीद वाले वर्ष में ही तथा सक्रिय रूप से उपयोग से निवृत्त आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.

All Tangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

(iii) ऐसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को खरीद/अधिग्रहण वाले वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है जिनका एकल मूल्य ₹ 5000 या इससे कम हो.

Property, Plant and Equipment, individually costing ₹ 5,000/ or less are fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.

(iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्यों और अनुमानित उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को यथोचित समायोजन किया जाता है. किसी भी संशोधन के प्रभाव को परिवर्तन होने पर लाभ या हानि के रूप में दर्शाया जाता है.

The residual values and estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted as appropriate, at each balance sheet date. The effects of any revision are recognised in profit or loss when the changes arise.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ए. आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
F. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited

स्वामित्व वाली आस्ति / Owned Asset

स्वयं के उपयोग के लिए रखी गई आस्तियों को उनके संचित मूल्यह्रास और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मूल लागत पर दर्शाया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में क्रय मूल्य, शुल्क, कर और आस्तियों को उनके अभीष्ट उपयोग के लिए कार्य करने की स्थिति में लाने से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष लागत शामिल है.

Assets held for own uses are stated at original cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost of Property, plant and equipment comprises Purchase price, duties, levies and any directly attributable costs of bringing the assets to its working condition of the intended use.

आस्ति हेतु मूल्यह्रास राशि आस्ति की लागत या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि में से अनुमानित अवशिष्ट मूल्य घटाकर होती है.

Depreciable amount for asset is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its estimated residual value.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, नीचे वर्णित को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुरूप है और मूल्यह्रास की पद्धति नीचे बताई गई है:

The estimated useful life of Property, plant and equipment which except as stated hereunder is in line with schedule II to the Companies Act 2013 and the method of depreciation is set out here in below:

मोबाइल फोन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 5 साल का उपयोगी जीवन निर्धारित है, जबकि कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से प्राप्त तकनीकी सलाह के आधार पर इसे 3 साल की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है.

For mobile phone the useful life is prescribed of 5 years under Companies Act, 2013, whereas it is depreciated for a period of 3 years based on the technical advice internally obtained by the company

आस्तियां Assets	वर्षों में उपयोगी जीवनकाल Useful Life in years	मूल्यह्रास की पद्धति Method of Depreciation
संयंत्र एवं उपकरण / Plant & Equipment's	15	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
फर्नीचर एवं फिटिंग्स / Furniture & Fittings	10	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
विद्युत उपकरण / Electrical Equipment's	10	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
वाहन / Vehicles	8	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
कार्यालय उपकरण / Office Equipment's	5	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
कम्प्यूटर / Computers	3	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
मोबाइल फोन / Mobile Phones	3	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method

11) प्रतिभूतीकरण लेनदेन / Securitization Transactions

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं ('एसपीवी') को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक, बिक्री के समय ही होने वाली हानि को तुरंत हिसाब में लेता है और बिक्री के परिणामस्वरूप हुए लाभ/प्रीमियम को उस एसपीवी द्वारा, जिसे आस्तियां बेची गई हैं, जारी की जाने वाली अथवा जारी की गई प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control over the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold

12) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी)को वित्तीय आस्तियों की बिक्री
Sale of financial assets to Asset Reconstruction Companies (ARCs)

प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/ पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है.

Sale of financial assets to Securitization Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

आस्तियों की बिक्री, जिसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाला गया है, के मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की गणना बैंक की निवेश बही में एक रुपये मान कर की जाती है.

In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

जब एक दबावग्रस्त ऋण एआरसी को अंतरण के समय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर अंतरित किया जाता है तो बैंक कमी की राशि को लाभ-हानि खाते में उस वर्ष में नामे करता है जिसमें अंतरण किया जाता है. जब अंतरण एनबीवी से कम मूल्य पर किया जाता है तो बैंक को दबावग्रस्त ऋण के अंतरण में कमी को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय या अस्थिर प्रावधानों का उपयोग करने की अनुमति है.

When the stressed loan is transferred to ARC at a price below the Net Book Value (NBV) at the time of transfer, the bank debits the shortfall to the profit and loss account for the year in which the transfer has taken place. Bank is permitted to use countercyclical or floating provisions for meeting any shortfall on transfer of stressed loan when the transfer is at a price below the NBV.

जब एक दबावग्रस्त ऋण एआरसी को अंतरण के समय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर अंतरित किया जाता है तो बैंक अंतरण पर आधिक्य प्रावधान को लाभ-हानि खाते में उस वर्ष में रिवर्स करता है जिसमें राशियां प्राप्त होती हैं और ऐसा तब किया जाता है जब प्रारंभिक प्रतिफल और/या मोचन या प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/पास थ्रू प्रमाणपत्रों (पीटीसी)/एआरसी द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियों के रूप में प्राप्त नकदी का योग अंतरण के समय ऋण की एनबीवी से अधिक हो. इसके अलावा, ऐसा रिवर्सल उस सीमा तक सीमित रहता है जितना अंतरण के समय प्राप्त नकदी ऋण की एनबीवी से अधिक है.

When the stressed loan is transferred to an ARC for a value higher than the NBV at the time of transfer, Bank reverses the excess provision on transfer to the profit and loss account in the year in which the amounts are received and only when the sum of cash received by way of initial consideration and / or redemption or transfer of Security Receipts (SR) / Pass Through Certificates (PTCs)/ other securities issued by ARCs is higher than the NBV of the loan at the time of transfer. Further, such reversal is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the loan at the time of transfer.

उपर्युक्त के बावजूद, यदि विक्रय प्रतिफल में केवल नकद तथा भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत एसआर शामिल हों, तो बैंक अंतरण के वर्ष में संपूर्ण आधिक्य प्रावधान [अर्थात् विक्रय प्रतिफल(-) एनबीवी] को लाभ एवं हानि खाते में रिवर्स कर सकता है.

Notwithstanding the above, the bank can reverse the entire excess provision [viz. sale consideration (-) NBV] to the Profit and Loss Account in the year of transfer if the sale consideration comprises only of cash and SRs guaranteed by the Government of India.

बशर्ते कि, आधिक्य प्रावधान का गैर-नकद घटक [अर्थात् आधिक्य प्रावधान(-)अंतरण के समय प्राप्त नकद] को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा तथा इस घटक से किसी भी प्रकार का लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा.

Provided that, the non-cash component of the excess provision [viz. Excess provision (-) cash received at the time of transfer] shall be deducted from CET 1 capital, and no dividends shall be paid out of this component.

13) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के अलावा अन्य अंतरिती को वित्तीय आस्तियों की बिक्री
Sale of financial assets to transferee other than Asset Reconstruction Companies (ARCs)

संपूर्ण अंतरण प्रतिफल ऋण अंतरण के समय ही प्राप्त किया जायेगा और ऋण को बैंक की बही से संपूर्ण अंतरण प्रतिफल प्राप्त होने पर ही हटाया जा सकता है.

The entire transfer consideration will be received not later than at the time of transfer of loans, and the loan can be taken out of the books of the Bank only on receipt of the entire transfer consideration.

यदि एआरसी के अलावा अन्य किसी अंतरिती को ऋण का अंतरण, अंतरण के समय निवल एनबीवी से कम मूल्य पर किया जाता है तो कमी को लाभ-हानि खाते में उस वर्ष नामे किया जाता है जिस वर्ष अंतरण किया जाता है.

In case of loan transfer to transferee(s) other than ARCs is at a price below the net NBV at the time of transfer, the shortfall is debited to the profit and loss account of the year in which transfer has taken place.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

यदि अंतरण प्रतिफल अंतरण के समय एनबीवी से अधिक मूल्य है तो आधिक्य प्रावधान को रिवर्स किया जाये.
If the transfer consideration is for a value higher than the NBV at the time of transfer, the excess provisions may be reversed.

14) विदेशी मुद्रा लेनदेन / Foreign Currency Transactions

अ. आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

(i) विदेशी मुद्रा लेन-देनों को आरंभिक अभिनिर्धारण पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

(ii) अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्य निर्धारण फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(iii) वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों को समाप्ति की तारीख पर लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है.

Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts are recognized in the statement of profit & loss on the date of termination..

(iv) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.

Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates..

(v) विदेशी शाखा के परिचालनों को 'गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है. मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों की दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों को तुलन-पत्र की तारीख को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है. आय और व्यय मदों को त्रैमासिक औसत दरों पर रूपान्तरित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप विनिमय अंतरों से उत्पन्न लाभ/ हानि को गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण खाते में संचित किया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as `Non-Integral Foreign Operations'. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the Balance Sheet date, Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates and the resulting profit / loss arising from exchange differences are accumulated in the Foreign Currency Translation Account until disposal of the non-integral foreign operations.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में
B. In case of IDBI Assets Management Limited

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के दौरान निपटान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेनों के कारण होने वाले विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. Exchange difference, if any, arising out of the foreign exchange transactions settled during the year are recognized in the statement of Profit and Loss.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में
C. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जाती है. उन पर उत्पन्न होने वाले तथा विदेशी मुद्रा की वसूली/भुगतान पर होने वाले विनिमय अंतर को संबंधित वर्ष में आय या व्यय के रूप में दिखाया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

ई. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Intech Limited

विदेशी मुद्रा में लेनदेनों को लेनदेन के समय प्रभावी विनिमय की मूल दर पर दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा लेनदेनों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग की तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग कर पुनःवर्णित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले निवल विनिमय अंतर को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currency are recorded at the original rate of exchange in force at the time transactions are effected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss. Monetary items denominated in foreign currency are restated using the exchange rate prevailing at the reporting date and the resulting net exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता को न्यूनतम करने की दृष्टि से, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं निष्पादित करती है. वायदा विनिमय संविदाएं और अन्य ऐसे लिखत, जो पूर्वानुमानित लेनदेनों के संबंध में नहीं हैं, उन्हें लेखांकन मानक ('एएस') 11 'विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' में दिये गये दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए लेखांकित किया जाता है. इन वायदा विनिमय संविदाओं और एएस-11 द्वारा कवर किए गए अन्य ऐसे लिखतों के संबंध में संविदा की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर या तो संविदाओं को रिपोर्टिंग तिथि पर वायदा दर/उचित मूल्य के आधार पर दर्ज किया जाता है, या रिपोर्टिंग तिथि पर स्पॉट विनिमय दर के आधार पर दर्ज किया जाता है.

With a view to minimize the volatility arising from fluctuations in currency rates, the Company enters into foreign exchange forward contracts. Forward exchange contracts and other similar instruments that are not in respect of forecasted transactions are accounted for using the guidance in Accounting Standard ('AS') 11, 'The effects of changes in foreign exchange rates'. For such forward exchange contracts and other similar instruments covered by AS-11, based on the nature and purpose of the contract, either the contracts are recorded based on the forward rate/fair value at the reporting date, or based on the spot exchange rate on the reporting date.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

विदेशी मुद्राओं में लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों को लागू कर बहियों में दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में मूल्यवर्गित सभी मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुनः दर्शाया जाता है. निपटान या लेनदेन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currencies are recorded in the books by applying the exchange rates prevailing on the date of the transaction. All monetary items denominated in foreign currency assets and liabilities are restated at the exchange rate prevailing at the year end. Any income or expense on account of the exchange difference either on settlement or on transaction is recognized in the profit & loss account.

ऊ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
F. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

विदेशी मुद्राओं में लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर पुनः दर्शाया जाता है. विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले सभी लाभ और हानियों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currencies are accounted for at the prevailing rates of exchange on the date of transaction. Foreign currency monetary items are restated at the prevailing rates of exchange as at the Balance Sheet date. All gains and losses arising out of fluctuations in exchange rates are accounted for in the Statement of Profit and Loss.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

15) कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

(i) पेंशन / Pension

परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों के समूह को देय पेंशन के संबंध में, बैंक अपने द्वारा स्थापित और न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित पेंशन फंड ट्रस्ट को वेतन का 10% अंशदान देता है. बैंक प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर पेंशन देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता की कमी के लिए अतिरिक्त राशि का अंशदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि में दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

In respect of Pension payable to the group of employees who are eligible for Pension under Defined Benefit Scheme, Bank contributes 10% of pay to Pension Fund Trust set up by the Bank and administered by the Board of Trustees. Bank further contributes for an additional amount towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial valuation of Pension liability at each Balance Sheet date which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(ii) नई पेंशन योजना (एनपीएस) / New Pension Scheme (NPS)

नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल किए गए कर्मचारियों के संबंध में, बैंक परिभाषित अंशदान योजना में कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते का 14% परिभाषित योजना में अंशदान देता है, जिसे पेंशन फंड कंपनियों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है. बैंक का इसमें अंशदान के अलावा कोई दायित्व नहीं है और इस तरह के अंशदान को वर्ष में किया गया खर्च माना जाता है.

In respect of the employees covered under New Pension Scheme (NPS), Bank contributes 14% of the Pay plus Dearness Allowance of employees to the defined scheme, a defined contribution plan, which is managed and administered by Pension Fund companies. Bank has no liability other than its contribution and recognizes such contribution as an expense in the year of incurrence.

(iii) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ / Compensated Absences

बैंक के कर्मचारी विभिन्न क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के हकदार हैं. कर्मचारी अप्रयुक्त उपार्जित क्षतिपूरित अनुपस्थिति के एक हिस्से को आगे ले जा सकते है और इसका उपयोग भविष्य की अवधि में कर सकते है या निर्दिष्ट दिनों तक कुछ प्रकार के अप्रयुक्त उपार्जित क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति पर नकद प्राप्त कर सकते है. एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा तुलन-पत्र की तारीख को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैंक क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए देयता उपार्जित करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, वेतन वृद्धि, ब्याज दर और छुट्टी का उपयोग करना शामिल है. बैंक के दायित्व के निवल वर्तमान मूल्य का निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके किया जाता है. बीमांकिक लाभों/ हानियों को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है, जिस वर्ष वे उत्पन्न होते हैं.

The employees of the Bank are entitled to various compensated absences. The employees can carry forward a portion of the unutilized accrued compensated absence and utilize it in future periods or receive cash compensation at retirement or termination of employment for certain types of unutilized accrued compensated absence upto specified number of days. The Bank accrues the liability for compensated absences based on the actuarial valuation as at the Balance Sheet date conducted by an independent actuary which includes assumptions about demographics, early retirement, salary increases, interest rates and leave utilization. The net present value of the Banks' obligation is determined using the Projected Unit Credit Method as at the Balance Sheet date. Actuarial gains / losses are recognized in the Profit and Loss Account in the year in which they arise.

(iv) स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) / Voluntary Health Scheme (VHS)

बैंक की एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) है जो कर्मचारियों की विभिन्न ग्रेड के लिए निर्धारित सीमा (घरेलू और अस्पताल में भर्ती) के अनुसार कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी और आश्रित बच्चों (जैसा लागू हो) की, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती है. यह योजना वैकल्पिक थी और सदस्यता के लिए बंद कर दी गई है. इसके अलावा, बैंक तुलन पत्र की तारीख को इस योजना के लिए एक स्वतंत्र बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर कमी राशि के लिए एक अतिरिक्त राशि के लिए अंशदान देता है, जिसकी गणना अवधि में फंड के वास्तविक उपयोग और उन लोगों के लिए शेष सीमा के आधार पर की जाती है जिन्होंने योजना में अंशदान किया है.

The Bank has a Voluntary Health Scheme (VHS) which caters to the post-retirement medical needs of the employees and their spouse & dependent children (as applicable) as per the limits (domiciliary and hospitalization) set for various Grades

of employees. This scheme was optional and has been closed for subscription. Further, Bank contributes for an additional amount towards the shortfall amount based on an independent actuarial valuation for this scheme as on Balance Sheet date which is calculated based on the actual utilization of the fund for the period and the balance limits for those who have subscribed to the scheme.

(v) ग्रेच्युटी / Gratuity

ग्रेच्युटी के रूप में बैंक का एक दायित्व है जो एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस्तीफा, सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर दिया जाता है. बैंक आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में अंशदान देता है, जिसे ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित किया जाता है.

The Bank has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering all eligible employees on resignation, retirement, death while in employment or on termination of employment. The Bank makes contributions to IDBI Bank Employees' Gratuity Fund Trust, administered by the Trustees.

कार्यपालक श्रेणी के कर्मचारी (ईएसओ) तथा विशेषज्ञ वर्तमान में संविदा आधार पर संलग्न हैं तथा संहिता के प्रावधानों के अनुरूप उन्हें निश्चित सेवा अवधि के कर्मचारी (एफ़टीई) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, ये कर्मचारी, स्थायी कर्मचारियों के लिए निर्धारित पाँच वर्ष की सेवा अवधि की तुलना में, एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे. तदनुसार, ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान नई श्रम संहिता, 2026 के अनुसार निर्दिष्ट पद्धति के आधार पर की गई वेतन गणना के आधार पर (जहाँ लागू हो) बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिससे प्रावधान निर्धारण के प्रयोजनों हेतु विचारित वेतन की परिभाषा के साथ सामंजस्य सुनिश्चित किया जाता है.

Employee in the Executive Cadre (ESO) and Experts are currently engaged on contract and will be classified as Fixed Term Employee (FTE), in line with the provision of the Code and are eligible for Gratuity upon completion of one year of service, as against five years for permanent employees. Accordingly, the provision towards Gratuity is made based on the wage computation derived under the methodology indicated as per New Labour Code, 2026 is determined through actuarial valuation (as applicable), ensuring alignment with the wage definition considered for provisioning purposes.

जिन कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है लेकिन 10 साल से कम हो, उन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है. ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए ग्रेच्युटी अधिनियम के नियमों के अलावा बैंक के पास ग्रेच्युटी नियम, 2004 का एक अलग सेट है. ग्रेच्युटी नियम, 2004 उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्होंने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना के लिए एक अलग पद्धति है. ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी अधिनियम और ग्रेच्युटी नियम दोनों के अनुसार की जाती है और जो भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद हो, उसका भुगतान किया जाता है.

The employees who have completed 5 years of service but less than 10 years, Gratuity is paid as per Gratuity Act. Bank has a separate set of Gratuity Rules, 2004 apart from the rules as per Gratuity Act for payment of Gratuity. The Gratuity Rules, 2004 are applicable to those employees who have completed 10 years of service period and has a separate methodology for calculation of Gratuity. For such employees gratuity is calculated as per both Gratuity Act and Gratuity Rules and are paid the amount whichever is beneficial to employee.

बैंक त्रैमासिक आधार पर ग्रेच्युटी देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता में कमी के लिए अंशदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

Bank contributes towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial Valuation of Gratuity liability on a quarterly basis which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(vi) भविष्य निधि / Provident Fund

बैंक एक अलग ट्रस्ट (आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट) को वेतन का 10 प्रतिशत अदा करता है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है. वर्ष में निधि में अंशदान को खर्च माना जाता है और लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसा नियत अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिलाभ दर (ईपीएफओ दरों) सुनिश्चित करना है. ईपीएफओ की प्रतिलाभ दर की तुलना में निधि की आस्तियों में कमी, यदि कोई हो, जो स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उसकी पूर्ति बैंक द्वारा की जाती है और उसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

The Bank pays 10% of Pay to a separate trust (IDBI Bank Employees Provident Fund Trust), which invests the funds in permitted securities. The contributions to the fund for the year are recognized as expense and are charged to the Profit and Loss Account. The obligation of the Bank is to make such fixed contributions and to ensure a minimum rate of return

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

to the members as specified by the Government of India (EPFO rates). Shortfall in the fund assets to match EPFO rate of return, if any, determined based on the independent actuarial valuation, is made good by the bank and charged to the Profit and Loss Account.

(vii) अन्य दीर्घकालिक लाभ / Other Long Term Benefits

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी) और दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजनाएं जैसे ईएसओपी के बदले नकदी शामिल हैं. बैंक की देयता उपचित होती है और रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग कर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है. बीमांकिक पूर्वानुमानों में परिवर्तन के प्रभाव के कारण बीमांकिक लाभ या हानि, जो भी हो, को उनके उत्पन्न होने की अवधि में लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Other long term employee benefits include Leave Fare Concession (LFC) and long term incentive plans like cash in-lieu of ESOPs. The Bank's liability is accrued and provided for on the basis of an actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method at the end of the reporting period. Actuarial gains or losses, if any, due to the effects of changes in actuarial assumptions are accounted for in the Profit and Loss Account, as the case may be, in the period in which they arise.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में
B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

परिभाषित अंशदान योजना / Defined contribution plans

कंपनी की भारत में भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए परिभाषित अंशदान योजनाएं हैं जो भारत सरकार और/या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित हैं. अंशदान को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जब संबंधित निधियों में अंशदान देय होता है.

The Company has defined contribution plans for post-employment benefits in the form of provident fund and superannuation fund in India which are administered through Government of India and/or Life Insurance Corporation of India (LIC). Contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due.

परिभाषित लाभ योजनाएं / Defined benefit plans

(i) ग्रेच्युटी / Gratuity

कंपनी की भारत में अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए परिभाषित लाभ योजनाएं हैं. कंपनी की ग्रेच्युटी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित है. तुलनपत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए देयता का प्रावधान किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड है. बीमांकिक लाभ/ हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और आस्थगित नहीं किया जाता है.

The Company has defined benefit plans for post-employment benefits in the form of gratuity for its employees in India. The gratuity scheme of the Company is administered through Life Insurance Corporation of India (LIC). Liability for defined benefit plans is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

(ii) क्षतिपूरित अनुपस्थितियां / Compensated absences

कंपनी के कर्मचारी कंपनी की नीति के अनुसार क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के रूप में अन्य दीर्घकालिक लाभ के भी हकदार हैं. कंपनी की नीति के अनुसार ऊपरी सीमा से अधिक शेष छुट्टी के लिए वार्षिक आधार पर कर्मचारियों को छुट्टी नकदीकरण दिया जाता है. सेवानिवृत्ति के समय, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर छुट्टी नकदीकरण कंपनी की नीति के अनुसार एक ऊपरी सीमा के अधीन संचित छुट्टी शेष के दिनों की संख्या के लिए देय वेतन के बराबर निहित है. इस तरह के लाभ के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसका निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है. कंपनी की छुट्टी नकदीकरण योजना को जीवन बीमा कंपनी (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड है. बीमांकिक लाभ/ हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और आस्थगित नहीं किया जाता है.

The employees of the Company are also entitled for other long-term benefit in the form of compensated absences as per the policy of the Company. Leave encashment vests to employees on an annual basis for leave balance above the upper limit as per the Company's policy. At the time of retirement, death while in employment or on termination of employment

leave encashment vests equivalent to salary payable for number of days of accumulated leave balance subject to an upper limit as per the Company's policy. Liability for such benefit is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The leave encashment scheme of the company is administered through Life Insurance Company (LIC). The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

(iii) **अल्पकालिक कर्मचारी दायित्व / Short Term Employee Obligations**

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं.

Short-term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit & loss of the year in which the employee rendered the services.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Intech Limited

क) रोजगार के बाद के लाभ
a) Post-employment benefits

कंपनी विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं में भाग लेती है. पेंशन और रोजगार के बाद के अन्य लाभों को परिभाषित अंशदान योजनाओं या परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

The Company participates in various employee benefit plans. Pensions and other post-employment benefits are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans.

परिभाषित अंशदान योजना के तहत, कंपनी का एकमात्र दायित्व निश्चित राशि का भुगतान करना है तथा यदि फंड में सभी कर्मचारी लाभों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त आस्तियां नहीं है तो आगे अंशदान का भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं है. संबंधित बीमांकिक और निवेश जोखिम कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं. परिभाषित अंशदान योजनाओं के व्यय को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

Under a defined contribution plan, the Company's only obligation is to pay a fixed amount with no obligation to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employee benefits. The related actuarial and investment risks are borne by the employee. The expenditure for defined contribution plans is recognized as an expense during the period when the employee provides service.

परिभाषित लाभ योजना के तहत, कर्मचारियों को सहमत लाभ प्रदान करने का कंपनी का दायित्व है. संबंधित बीमांकिक और निवेश जोखिम कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य की गणना एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके की जाती है. बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में पूर्ण रूप से दर्शाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

Under a defined benefit plan, it is the Company's obligation to provide agreed benefits to the employees. The related actuarial and investment risks are borne by the Company. The present value of the defined benefit obligations is calculated by an independent actuary using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognized in full in the Statement of Profit and Loss for the period in which they occur.

पिछली सेवा लागत को तुरंत उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक लाभ पहले से ही निहित हैं, और अन्यथा एक सीधी रेखा के आधार पर औसत अवधि में परिशोधन किया जाता है जब तक कि लाभ निहित नहीं हो जाते.

Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight line basis over the average period until the benefits become vested.

तुलन पत्र में सेवानिवृत्ति लाभ देयता परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है, जिसे योजना की आस्तियों के उचित मूल्य से घटा कर गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत से समायोजित किया जाता है. इस गणना के परिणामस्वरूप होने वाली कोई भी आस्ति परिभाषित लाभ देयता के रूप में निर्धारित राशि और उपलब्ध रिफंड के वर्तमान मूल्य और / या योजना में भविष्य के अंशदान में कमी, जो भी कम हो, तक सीमित है.

The retirement benefit liability recognized in the balance sheet represents the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognized past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to the lower of the amount determined as the defined benefit liability and the present value of available refunds and /or reduction in future contributions to the scheme.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ
b) Short term employee benefits

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जब कर्मचारी उन सेवाओं को प्रदान करता है. इन लाभों में क्षतिपूरित अनुपस्थितियां जैसे एक वर्ष के भीतर ली जाने वाली छुट्टी और देय बोनस, शामिल हैं. अल्पकालिक नकद बोनस या लाभ-साझाकरण योजनाओं के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक देयता को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है, जब कंपनी का कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के कारण इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान में विधिक या रचनात्मक दायित्व है तथा इस दायित्व का विश्वासपूर्वक अनुमान लगाया जा सकता है.
The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized as an expense during the year when the employee renders those services. These benefits include compensated absences such as leave expected to be availed within a year and bonus payable. A liability is recognized for the amount expected to be paid under short-term cash bonus or profit-sharing plans, if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

ग. लाभ योजनाएं
c) Benefit plans

कंपनी की निम्नलिखित कर्मचारी लाभ योजनाएं हैं:
The Company has the following employee benefit plans:

(i) भविष्य निधि / Provident fund

कर्मचारी भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है. नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्येक कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक अंशदान करते हैं. अंशदान का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ('ईपीएफ़ओ') को दिया जाता है और शेष अंशदान सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन कोष में किया जाता है.
Employees receive benefits from a provident fund, which is a defined benefit plan. The employer and employees each make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. A portion of the contribution is made to the Employees' Provident Fund Organisation ('EPFO') and the remainder of the contribution is made to the government administered pension fund.

(ii) ग्रेच्युटी / Gratuity

भारतीय कंपनियों के लिए लागू ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, कंपनी अंतिम आहरित वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान करती है. ग्रेच्युटी फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम ('एलआईसी') द्वारा किया जाता है.
In accordance with the Payment of Gratuity Act, 1972, applicable for Indian companies, the Company provides for a lump sum payment to eligible employees, at retirement or termination of employment based on the last drawn salary and years of employment with the Company. The gratuity fund is managed by Life Insurance Corporation of India ('LIC').

(iii) राष्ट्रीय पेंशन योजना / National Pension Scheme

कर्मचारी, अपने विकल्प के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है. निधि के लिए भुगतान/देय अंशदान उस वर्ष के लाभ और हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा को बिना छूट के आधार पर प्रदान करता है.
Employees, at their option receive benefits from national pension scheme (NPS), which is a defined benefit plan. The contributions paid/payable towards the fund are charged to the statement of profit & loss account during the year in which the employee renders the related service on an undiscounted basis.

(iv) क्षतिपूरित अनुपस्थितियां / Compensated absences

कंपनी के कर्मचारी क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के हकदार हैं. कर्मचारी अप्रयुक्त संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के एक हिस्से को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य की अवधि में इसका उपयोग कर सकते हैं या सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर नकद प्राप्त कर सकते हैं. कंपनी उस अवधि में क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के लिए एक दायित्व दर्ज करती है जिसमें कर्मचारी इस पात्रता को बढ़ाने वाली सेवाएं प्रदान करता है. कंपनी क्षतिपूरित अनुपस्थितियों की अपेक्षित लागत को अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जो कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त

पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की अपेक्षा करती है. कंपनी प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियों को पहचानती है. गैर-संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें अनुपस्थितियां होती हैं. कंपनी एलआईसी द्वारा प्रशासित समूह छुट्टी नकदीकरण योजना (जीएलईएस) में वार्षिक अंशदान करती है.

The employees of the Company are entitled to compensated absences. The employees can carry forward a portion of the unutilized accumulating compensated absences and utilize it in future periods or receive cash at retirement or termination of employment. The Company records an obligation for compensated absences in the period in which the employee renders the services that increases this entitlement. The Company measures the expected cost of compensated absences as the additional amount that the Company expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the end of the reporting period. The Company recognizes accumulated compensated absences based on actuarial valuation using the projected unit credit method. Non-accumulating compensated absences are recognized in the period in which the absences occur. The Company makes annual contribution to the Group Leave Encashment Scheme (GLES), administered by LIC.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Asset Management Limited

(i) नई श्रम संहिताओं के प्रभाव / Effects of New Labour Codes

21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया-मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 (जिन्हें सामूहिक रूप से 'नई श्रम संहिताएं' कहा जाता है), जिनमें मौजूदा 29 श्रम कानूनों का समेकन किया गया है. 20 दिसंबर 2025 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इन विनियामक परिवर्तनों से उत्पन्न वित्तीय प्रभावों के आकलन को सुगम बनाने हेतु मसौदा केंद्रीय नियम तथा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न प्रकाशित किए. तदनुसार, कंपनी ने नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के प्रभाव के कारण देयता, यदि कोई हो, में हुए परिवर्तन की पहचान की है तथा उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर विचार करने के पश्चात उसे पिछले सेवा लागत में समायोजित किया है.

On November 21, 2025 the Government of India notified four Labour Codes –the code on wages, 2019 the industrial relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (collectively referred as the 'New Labour Codes') consolidating 29 existing Labour Laws. The Ministry of Labour & Employment published draft Central Rules and FAQs on December 20, 2025, to facilitate assessment of the financial impact arising from these regulatory changes. Accordingly, the company has recognised change in liability, if any, due to the impact of implementation of New Labour Codes and recognised the same in past service cost after considering best information available.

(ii) ग्रेच्युटी / Gratuity

ग्रेच्युटी देयता एक परिभाषित लाभ दायित्व है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित और प्रबंधित ग्रेच्युटी फंड के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है. कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भविष्य के ग्रेच्युटी लाभों के लिए देयता का हिसाब रखती है.

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is funded through a Gratuity Fund administered and managed by the Life Insurance Corporation of India. The Company accounts for liability for future gratuity benefits based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method carried out as at the end of each financial year.

(iii) भविष्य निधि / Provident fund

कंपनी एक मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अंशदान करती है. अंशदानों की गणना उपचय आधार पर की जाती है और उन्हें लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है.

The Company contributes to a recognized provident fund. The contributions are accounted for on an accrual basis and are recognized as an expense in the statement of profit and loss.

(iv) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ / Short term employee benefits

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दिखाया जाता है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं.

Short term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit and loss of the year in which the services are rendered.

(v) क्षतिपूरित अनुपस्थितियां / Compensated absences

कंपनी कुछ नियमों के अधीन विशेषाधिकार छुट्टी नकदीकरण प्रदान करती है. कर्मचारी भविष्य में नकदीकरण के साथ-साथ छुट्टी लेने के लिए कुछ सीमाओं के अधीन छुट्टी जमा करने के हकदार हैं. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को अप्रयुक्त छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर देयता का प्रावधान किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Company provides for Privilege Leave Encashment subject to certain rules. The employees are entitled to accumulate leave subject to certain limits for future encashment as well as availment. The liability is provided based on the number of days of unutilized leave at each balance sheet date on the basis of an independent actuarial valuation carried out as at the end of each financial year.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Trusteeship Service Limited

रोजगार की शर्तों के अनुसार वर्तमान और पिछली सेवाओं के लिए देय कर्मचारी लाभ, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों देयताओं को "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)" द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है.

Liability for employee benefits, both short and long term, for present and past services which are due as per the terms of employment are recorded in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the "Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)".

परिभाषित अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

क) भविष्य निधि

a) Provident Fund

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के तहत पंजीकृत है. तद्नुसार, अधिनियम के तहत स्थापित निधियों/योजनाओं में सरकारी प्राधिकारियों को कर्मचारियों के न्यूनतम अंशदान के बराबर कंपनी अंशदान कर रही है. पात्र कर्मचारियों को सरकारी प्राधिकारियों से लाभ मिलते हैं. वर्ष के लिए देय अंशदान लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

The Company is registered under the provisions of Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and schemes framed there under. Accordingly, the Company is contributing, in equal share of minimum contribution as those of employees, to the funds/ schemes established under the Act to Government Authorities. The eligible employees receive benefits from Government Authorities. The contribution due for the year is charged to profit and loss account.

ख) ग्रेच्युटी

b) Gratuity

कंपनी वर्ष के अंत में वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर "दि ट्रस्टीज आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना" के रूप में ज्ञात ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान करती है. कंपनी को वार्षिक प्रीमियम अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है. वर्ष के लिए इस प्रकार भुगतान/देय प्रीमियम को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

The Company provides for gratuity, known as "The Trustees IDBI Trusteeship Services Ltd Employee's Group Gratuity Scheme" based on annual actuarial valuation as on year end. The Company is required to pay annual premium contributions. The premium so paid / payable for the year is recognised in profit and loss account.

ग) छुट्टी नकदीकरण

c) Leave Encashment

वार्षिक छुट्टी नकदीकरण के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" के अनुसार वर्ष के अंत में वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

Annual Leave encashment is accounted on based on annual actuarial valuation as on year end as per Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the ICAI.

ऊ. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लि. के मामले में
F. In case of IDBI Mutual Fund Trustee co. Ltd:

प्रदान की गई सेवाओं के लिए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति की गणना कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक 15 के अनुसार की जाती है.

Compensation to employees for services rendered is accounted for in accordance with Accounting Standard 15 on Employee Benefits.

16) खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

बैंक चार खंडों अर्थात कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी और अन्य बैंकिंग सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति और जोखिम रूपरेखा पर विचार करने के बाद खंड रिपोर्टिंग के बारे में एएस-17, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Bank operates in four segments corporate/wholesale banking, retail banking, treasury and other banking operation. These segments have been identified in line with extant RBI guidelines and AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु पहचाननेयोग्य राशियां और आबंटित राशियां शामिल हैं. जो आस्तियां एवं देयताएं पहचाननेयोग्य खंडों में आबंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अनाबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में समूहित किया गया है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में / In case of IDBI Asset Management Limited

कंपनी म्यूचुअल फंड को निवेश प्रबंधन सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है और परिचालनों से संपूर्ण राजस्व भारत में प्रदान की गई उपर्युक्त सेवा से है. इसलिए कंपनी के पास कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय या भौगोलिक खंड नहीं है.

The company is in the business of providing Investment management service to the mutual fund, and the entire revenue from operations is from the above service rendered in India. Hence the company has no other reportable business or geographical segment.

आ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

कंपनी मुख्य रूप से ट्रस्टीशिप व्यवसाय का कार्य करती है और इसका व्यवसाय परिचालन भारत में केन्द्रित है. तदनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-17 खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कोई अलग व्यवसाय खंड एवं भौगोलिक क्षेत्र नहीं है.

The company is engaged primarily in the trusteeship business and its business operations are concentrated in India. Accordingly there are no separate business segments and geographical segments as per AS-17- Segment reporting issued by Institute of Chartered accountants of India.

इ. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Limited

कंपनी मुख्य रूप से एकल क्षेत्र में अर्थात ट्रस्टीशिप के व्यवसाय में है. कंपनी प्रमुख स्रोत, प्रकृति और रिटर्न, आंतरिक संगठन एवं प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक खंडों की पहचान करती है.

The Company is primarily in a single segment i.e. in the business of Trusteeship. The Company identifies primary segments based on the dominant source, nature and returns, the internal organization and management structure.

17) आय कर / Income Tax

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

(i) कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल हैं.
Tax expense comprises of current and deferred tax.

वर्तमान कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार परिकलित अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है.
Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

(ii) वर्ष के बही और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पूर्ण रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है.
Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(iii) अनवशोषित मूल्यह्रास/ हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी हिसाब में ली जाती हैं जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.
Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

(iv) आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और उचित / आभाषी रूप से वसूल होने वाली राशि को समुचित रूप से समायोजित किया जाता है.
Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably / virtually certain to be realized.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Intech Limited

आय पर कर / Taxes on income

आयकर की गणना "आय पर करों के लिए लेखांकन" के बारे में लेखांकन मानक (एएस 22) के अनुसार की जाती है. कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं. वर्तमान कर को लागू कर दरों का उपयोग करके कर अधिकारियों को भुगतान या उनसे वसूल किए जाने वाली अपेक्षित राशि से आंका जाता है. आस्थगित करों को भविष्य के कर परिणाम के लिए मान्यता दी जाती है, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के कारण होता है, जिसे प्रासंगिक अधिनियमित / पूर्ण रूप से अधिनियमित कर दरों पर आंका जाता है.

Income Taxes are accounted for in accordance with Accounting Standard (AS 22) on "Accounting for Taxes on Income". Tax expense comprises of current tax and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid or recovered from the tax authorities using the applicable tax rates. Deferred taxes are recognised for future tax consequence attributable to timing difference between taxable income and accounting income, measured at relevant enacted / substantively enacted tax rates.

अनवशोषित मूल्यह्रास और आगे ले जाने वाली हानियों की स्थिति में, आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जो इस बात के पुख्ता सबूतों द्वारा आभासी रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी आस्तियों की वसूली के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी. अन्य स्थितियों में, आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि इन आस्तियों की वसूली के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी.

In the event of unabsorbed depreciation and carry forward losses, deferred tax assets are recognised only to the extent that there is virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available to realise such assets. In other situations, deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available to realise these assets.

कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के अनुसार आयकर हेतु प्रावधान की गणना करती है. अतः न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं.

The Company calculates Provision for Income Tax as per section 115baa of Income Tax Act, 1961. Hence provisions of Minimum Alternate Tax (MAT) are not applicable to the company.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Asset Management Limited

कराधान / Taxation

आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि), आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (वर्ष के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल हैं.

Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the year).

वर्तमान कर / Current taxes

वर्तमान आयकर के प्रावधान को भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार दर्शाया जाता है और कर भत्ते एवं छूट के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर इसे वार्षिक बनाया जाता है. वित्तीय वर्ष 2021-22 से कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत कर चुकाने का विकल्प चुना है, अतः आईएएमएल पर एमएटी लागू नहीं है.

Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions. From FY 2021-22 the Company has opted to pay tax U/s 115BAA of the Income Tax Act, 1961, hence MAT is not applicable on IAML.

आस्थगित कर / Deferred taxes

आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को समय के अंतर के कारण भविष्य के कर परिणामों के लिए दर्शाया जाता है, जो आय करों के लिए पेश किए गए लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच अंतर के कारण होता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके आंका जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित या पूर्ण रूप से अधिनियमित किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अधिनियमन तिथि शामिल है. आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में आस्तियों की वसूली की जा सकती है. हालांकि, जहां कराधान कानूनों के तहत अनवशोषित मूल्यह्रास या अग्रेषित हानि होती है, आस्थगित कर आस्तियों को तभी मान्यता दी जाती है जब ऐसी आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता हो. आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को उनके संबंधित रखाव मूल्यों की उपयुक्तता के लिए किया जाता है.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date. Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

ई. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd

कराधान / Taxation

आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात आयकर कानून के अनुसार अवधि के लिए निर्धारित कर की राशि), आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल हैं.

Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period).

वर्तमान कर / Current taxes

वर्तमान आयकर के प्रावधान को भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार दर्शाया जाता है और कर भत्ते और छूट के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर इसे वार्षिक बनाया जाता है. वित्तीय वर्ष 2021-22 से कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत कर चुकाने का विकल्प चुना है, अतः कंपनी पर एमएटी लागू नहीं है.

Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions. From FY 2021-22 the Company has opted to pay tax U/s 115BAA of the Income Tax Act, 1961, hence MAT is not applicable to the company.

आस्थगित कर / Deferred taxes

आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को समय के अंतर के कारण भविष्य के कर परिणामों के लिए मान्यता दी जाती है, जो आय करों के लिए पेश किए गए लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच अंतर के कारण है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित या पूर्ण रूप से अधिनियमित किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अधिनियमन तिथि शामिल है. आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में आस्तियों की वसूली की जा सकती है. हालांकि, जहां कराधान कानूनों के तहत अनवशोषित मूल्यह्रास या अग्रेषित हानि होती है, आस्थगित कर आस्तियों को तभी मान्यता दी जाती है जब ऐसी आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता हो. आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को उनके संबंधित रखाव मूल्यों की उपयुक्तता के लिए किया जाता है.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date. Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में
E. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd

चालू वर्ष का कर, वर्तमान कर नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और चालू वर्ष की कर योग्य आय के संबंध में देय कर की राशि लाभ एवं हानि खाते में दर्शाई जाती है.

Current year's tax is determined based on current tax laws and the amount of tax payable in respect of taxable income of the current year is provided in profit and loss account.

आस्थगित कर की पहचान समय अंतराल के कारण की जाती है; कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच का अंतर होना जो एक अवधि में आरंभ होता है और एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्स करने में सक्षम होता है. आस्थगित कर आस्ति को उस सीमा तक ही मान्यता दी जाती है और आगे ले जाया जाता है जहां एक आभासी निश्चितता होती है कि आस्ति की भविष्य में वसूल हो जाएगी. ऐसे मामलों में जहां आभासी निश्चितता कोई ठोस साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है, वहां आस्थगित कर आस्तियों को लेखा बहियों में उपचित नहीं किया जाता है.

Deferred tax is recognised on account of timing difference; being the difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and is capable of reversal of one or more subsequent periods. Deferred tax asset is recognised and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the asset will be realised in future. In cases where there is no virtual certainty supported by convincing evidence, the deferred tax assets is not accrued in books of Accounts.

ऋ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एवं सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
F. In case of IDBI Capital Markets and Securities Limited

(i) वर्तमान कर को आय कर अधिनियम के अनुसार, कर प्राधिकारियों को भुगतान / से वसूली योग्य अनुमानित राशि के आधार पर आंका जाता है.

Current tax is measured at the amount expected to be paid/ recovered from the tax authorities, in accordance with the Income Tax Act.

(ii) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच होने वाले समय अंतर का कर प्रभाव और एक या अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्स किये जाने के योग्य है, को आस्थगित कर आस्ति या आस्थगित कर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है. आस्थगित कर आस्ति और देयताओं को भविष्य के कर परिणामों के स्रोतजन्य समय अंतरालों के लिए पहचाना जाता है. उन्हें तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित या पूर्ण रूप में अधिनियमित कर दरों और कर विनियमों का उपयोग कर आंका जाता है.

The tax effect of the timing differences that result between taxable income and accounting income and are capable of reversal in one or more subsequent periods are recorded as a deferred tax asset or deferred tax liability. Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences attributable to timing differences. They are measured using the enacted or substantively enacted tax rates and tax regulations as at the balance sheet date.

(iii) आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक ही मान्यता दी जाती है और आगे ले जाई जाती हैं जहां पर्याप्त निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकती है; हालांकि जहां अनवशोषित मूल्यह्रास है और हानियाँ आगे लाई गई हैं, आस्थगित कर आस्तियां केवल तभी सृजित की जाती हैं जब आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता है.

Deferred tax assets are recognised and carried forward only to the extent there is reasonable certainty that sufficient taxable income will be available in future, against which the deferred tax assets can be realized; however where there is unabsorbed depreciation and carried forward losses, deferred tax assets is created only if there is virtual certainty of realization of assets.

(iv) प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्थगित कर आस्तियों की रखाव राशि को उस सीमा तक कम किया जाता है जिस तक यह यथोचित रूप से निश्चित नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की वसूली की जा सकती है.

The carrying amount of deferred tax assets at each balance sheet date is reduced to the extent that it is no longer reasonably certain that sufficient future taxable income will be available against which the deferred tax asset can be realized.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

18) पट्टे / Leases

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited:

(i) पट्टे/ किराए के आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ निरसनीय हैं.
The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

(ii) बैंक के द्वारा किए गए पट्टे करार सहमत अवधि के लिए होते हैं जिनमें लीज अवधि के दौरान आपसी सहमति वाला नोटिस देकर समाप्त करने का विकल्प होता है.
The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed notice in writing.

(iii) परिचालन पट्टे के लिए अदा किये गये पट्टे किराये को उसी वर्ष के लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिससे यह संबंधित है.
Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates.

(iv) परिचालन पट्टे के संबंध में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे विधिक लागत, दलाली लागत, आदि को तत्काल खर्च के रूप में लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है.
Initial direct costs in respect of operating leases such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognized as expense immediately in the Profit and Loss Account

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Intech Limited

क) वित्त पट्टा
a) Finance lease

वित्त पट्टे पर ली गई आस्तियों को न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य और उचित मूल्य में से कम पर अचल आस्तियों के रूप में दर्शाया जाता है और समतुल्य राशि के लिए देयता मानी जाती है. लीज भुगतानों को वित्त प्रभार और बकाया देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है.
Assets taken on finance lease are accounted for as fixed assets at lower of present value of the minimum lease payments and the fair value and a liability is recognised for an equivalent amount. Lease payments are apportioned between finance charge and reduction in outstanding liability.

ख) परिचालन पट्टे
b) Operating leases

पट्टे पर ली गई आस्तियां जिसके तहत पट्टेदार द्वारा स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को प्रभावी रूप से प्रतिधारित किया जाता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालन पट्टों के तहत पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है.
Assets taken on lease under which all risks and rewards of ownership are effectively retained by the lessor are classified as operating lease. Lease payments under operating leases are recognised as expenses on straight line basis over the lease term.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

परिचालन पट्टे / Operating Leases

जिन पट्टों में पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से प्रतिधारित करता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालन पट्टे के भुगतान को लीज अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर 'किराया दर और कर' के तहत लाभ और हानि खाते में एक व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Profit and Loss account under 'Rent Rates and Taxes' on a Straight Line Basis over the lease term.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान को पट्टा करार की शर्तों के अनुसार लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

Lease payment under an operating lease is recognised as expenses in the statement of Profit and loss account as per terms of lease agreement.

उ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले
E. In case of IDBI Asset Management Limited

परिचालन पट्टे / Operating Leases

पट्टे पर ली गई आस्तियां जिसके अंतर्गत पट्टेदार द्वारा स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कारों को प्रभावी रूप से प्रतिधारित किया जाता है, को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालन पट्टों के तहत पट्टे के भुगतान/ राजस्व को पट्टे से संबंधित करारों की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर व्यय/ आय के रूप में दर्शाया जाता है.

Lease of assets under which all the risk and rewards of ownership are effectively retained by the lessor are classified as operating leases. Lease payments/ revenue under operating leases are recognized as expense/ income on accrual basis in accordance with the terms of respective lease agreements.

19) प्रति शेयर अर्जन / Earnings Per Share

(i) बैंक एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर अर्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

(ii) प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या इक्विटी शेयरों में परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या, जहां परिणाम न्यूनीकृत विरोधी हों के सिवाय, के योग से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted to equity shares during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year except where the results are anti-dilutive.

20) आस्तियों की अनर्जकता / Impairment of Assets

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि वसूलीयोग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों के ह्रासित होने की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य और उपयोग में मूल्य की आस्ति की रखाव राशि से तुलना द्वारा किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां ह्रासित मानी गई हों तो उस ह्रास को उस आस्ति की रखाव लागत से उसके अनुमानित वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है. दावों के निपटान से प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियों के ह्रास की समीक्षा केवल तब की जाती है जब ह्रास के संकेत स्पष्ट दिखें.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use. Non-banking assets acquired in settlement of claims are reviewed for impairment only when the indications of impairment are evident.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Intech Limited

प्रबंधन बाहरी और आंतरिक स्रोतों का उपयोग करते हुए समय-समय पर मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संकेत है कि एक आस्ति ह्रासित हो सकती है. ह्रासित हानि को तब मान्यता दी जाती है जब किसी आस्ति का रखाव मूल्य वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है. वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है, जिसका अर्थ है कि भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य आस्ति के निरंतर उपयोग और इसके अंतिम निपटान से उत्पन्न होने की उम्मीद है.

The Management periodically assesses, using external and internal sources whether there is an indication that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised where ever the carrying value of an asset exceeds the recoverable amount. The recoverable amount is the higher of asset's net selling price and value in use, which means the present value of the future cash flows expected to arise from the continuing use of the asset and its eventual disposal.

एक आस्ति की ह्रासित हानि को केवल उस स्थिति में रिवर्स किया जाता है जब यह रिवर्सल ह्रासित हानि की पहचान के बाद घटित घटना से तटस्थ रूप से संबद्ध हो. एक आस्ति की रखाव राशि को उसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दिया जाता है, बशर्ते कि यह राशि निर्धारित रखाव राशि से अधिक न हो जो (किसी संचित परिशोधन या मूल्यह्रास को घटाकर) निर्धारित किया गया होता तथा पिछले वर्षों में आस्ति के लिए कोई ह्रासित हानि की पहचान नहीं की गई होती.

An impairment loss for an asset is reversed if, and only if, the reversal can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognized. The carrying amount of an asset is increased to its revised recoverable amount, provided that this amount does not exceed the carrying amount that would have been determined (net of any accumulated amortization or depreciation) had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

(i) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ह्रास का कोई संकेत है, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है. यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो आस्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है.

The carrying amount of assets, is reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, recoverable amount of the assets is estimated.

(ii) जब भी किसी आस्ति या उसकी नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की रखाव राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तब ह्रासित हानि की पहचान की जाती है. वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है, जिसे उनके वर्तमान मूल्यों पर बट्टाकृत अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के आधार पर निर्धारित किया जाता है. सभी ह्रासित हानियों को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

An Impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash generating unit exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in the use, which is determined, based on the estimated future cash flows discounted to their present values. All impairment losses are recognized in the profit and loss account.

(iii) यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन होता है तो ह्रासित हानि को रिसर्व कर दिया जाता है और इसे लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है.

An impairment loss is reversed if there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount and is recognized in the profit and loss account.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

एक आस्ति को आस्तियों की ह्रास के बारे में लेखांकन मानक 28 के अनुसार तब ह्रासित माना जाता है, जब तुलन पत्र की तारीख को ह्रास के संकेत होते हैं और आस्ति की रखाव राशि या जहां लागू हो, नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई जिससे आस्ति संबंधित होती है, उसकी वसूली योग्य राशि (अर्थात आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो) से अधिक राशि होती है. रखाव राशि को वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और कमी को लाभ और हानि के विवरण में ह्रासित हानि के रूप में दर्शाया जाता है.

An asset is considered as impaired in accordance with Accounting Standard 28 on Impairment of Assets when at the balance sheet date there are indications of impairment and the carrying amount of asset, or where applicable the cash generating unit to which the asset belongs, exceeds its recoverable amount (i.e. the higher of the asset's net selling price and value in use). The carrying amount is reduced to the recoverable amount and the reduction is recognized as an impairment loss in the Statement of Profit and Loss.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

जब यह संकेत मिलता है कि पहले की लेखा अवधियों में किसी आस्ति (पुनर्मूल्यांकन आस्ति के अलावा) के लिए मानी गई ह्रासित हानि मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, तो ह्रासित हानि के इस तरह के रिवर्सल को लाभ और हानि के विवरण में उस सीमा तक दर्शाया जाता है, जितनी राशि पहले लाभ और हानि के विवरण से प्रभारित की गई थी. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में ऐसे रिवर्सल को मान्यता नहीं दी जाती है.

When there is indication that an impairment loss recognized for an asset (other than a revalued asset) in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognized in the Statement of Profit and Loss, to the extent the amount was previously charged to the Statement of Profit and Loss. In case of revalued assets such reversal is not recognized.

उ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Asset Management Limited

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि आस्ति ह्रासित हो सकती है. यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी आस्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है. यदि ऐसी आस्ति की वसूली योग्य राशि इसकी रखाव राशि से कम है तो रखाव राशि को इसके वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है. कमी को ह्रासित हानि माना जाता है और लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है. यदि तुलन पत्र की तारीख को यह संकेत मिलता है कि पूर्व में मूल्यांकित ह्रासित हानि मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और आस्ति को वसूली योग्य राशि पर अधिकतम अवक्षयी परंपरागत लागत के अधीन दिखाया जाता है. ह्रास के बाद, मूल्यह्रास आस्ति के शेष उपयोगी जीवन काल में संशोधित रखाव राशि पर प्रदान किया जाता है.

The Company assesses at each Balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the profit and loss account. If at the balance sheet date there is an indication that a previously assessed impairment loss no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of depreciable historical cost. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over its remaining useful life.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के मामले में
F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर आस्तियों की रखाव राशि में ह्रास की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर की जाती है. किसी आस्ति को तब ह्रासित माना जाता है जब आस्ति की रखाव लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है. ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जिसमें आस्ति के ह्रास की पहचान की जाती है. पिछले वर्षों में निर्धारित ह्रासित हानि का रिवर्सल तब रिकॉर्ड किया जाता है जब यह संकेत मिलता है कि आस्तियां के लिए ह्रासित हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है.

The carrying amounts of the assets are reviewed at each Balance Sheet date for impairment based on internal / external factors. An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceed its recoverable value. An impairment loss, if any, is charged to Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. Reversal of impairment loss recognised in prior years is recorded when there is an indication that the impairment losses recognised for the assets no longer exists or has decreased.

21) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

(i) एएस 29 - प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के अनुरूप बैंक प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब अतीत की किसी घटना के परिणामस्वरूप उस पर वर्तमान दायित्व उत्पन्न होता है, यह संभावना है कि दायित्व को चुकाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(ii) प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

(iii) किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह आभाषी रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

(iv) आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

(v) आकस्मिक देयता का प्रकटन निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है:

A disclosure of contingent liability is made when there is:

- जब संभाव्य दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना बहुत कम न हो, या
  a possible obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is not remote; or
- किसी विगत घटना से वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हो रहा है जिसे माना नहीं गया है क्योंकि इस बात की संभाव्यता नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता.
  a present obligation arising from a past event which is not recognized as it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.
- जब कोई संभाव्य दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है.
  When there is a possible obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made .

(vi) जहां यह संभावना हो कि विवादित करों के संबंध में वर्तमान दायित्व मौजूद है तो प्रावधान किया जाता है. जहां यह संभावना नहीं है कि वर्तमान दायित्व मौजूद है, बैंक तब तक आकस्मिक देयता का प्रकटन करता है जब तक गत कर निर्धारण के संबंध में अभिमत/विभिन्न न्यायिक निर्णयों, स्वीकार करने के लिए लंबित अपील, मामले की योग्यता/तथ्यों, लागू कर कानूनों के प्रावधानों और अन्य संबद्ध न्यायिक निर्णयों के आधार पर संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है.

Where it is probable that a present obligation exists in respect of disputed taxes, a provision is made. Where it is not probable that such a present obligation exists, the bank discloses a contingent liability, unless the possibility of an outflow of resources is remote, based on opinions/ various judicial decisions in respect of past assessment, appeals pending admission, merits/facts of the case, the provisions of applicable Tax Laws and other relevant judicial decisions, where in no provision or disclosure is made.

(vii) दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान तब किये जाते हैं जब संविदा से बैंक को होने वाले संभावित लाभ संविदा के अंतर्गत भावी दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागतों से कमतर हों. प्रावधान का आकलन संविदा को समाप्त करने पर संभावित लागत और संविदा को जारी करने की संभावित निवल लागत के वर्तमान मूल्य में से कमतर पर किया जाता है. प्रावधान का निर्धारण करने से पहले बैंक उस संविदा से संबद्ध आस्तियों की किसी ह्रासित हानि की पहचान करता है.

Provisions for onerous contracts are recognised when the expected benefits to be derived by the Bank from a contract are lower than the unavoidable costs of meeting the future obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Bank recognises any impairment loss on the assets associated with that contract

आ आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

प्रावधान / Provisions

(i) प्रावधान तब किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व होता है. यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजन किया जाता है.

A provision is recognized when there is a present obligation as a result of past event. It is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(ii) एक आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व हो या एक ऐसा वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो या संभवतः न भी हो. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की जाती है.

A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent Assets are not recognized.

(iii) सभी बकाया ऋणों की मामला-दर-मामला समीक्षा करने के बाद अशोध्य और संदिग्ध आस्तियों की पहचान की जाती है. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा उनकी वसूली-योग्यता के मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं. यदि किसी भी संदिग्ध ऋण में वसूली की संभावना मौजूद नहीं है, तो उसे पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है.

Bad and doubtful assets are identified after carrying out a case by case review of all outstanding debts. Provisions are made on doubtful debts on management's evaluation of their realisability. In case the chances of recovery do not exist in any of the doubtful debts, the same is written off fully.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Asset Management Limited

कंपनी उस स्थिति में प्रावधान सृजित करती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. एक आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो भी सकती है और संभवत: नहीं भी. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और तुलन पत्र की तारीख को दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date.

प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है. यदि यह संभावना नहीं हो कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, तो प्रावधान को रिवर्स कर दिया जाता है.

Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया जाता है. हालांकि, आकस्मिक आस्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि आभाषी रूप से यह निश्चित हो कि एक आर्थिक लाभ उत्पन्न होगा, तो आस्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन हुआ था.

Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurred.

ई. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Intech Limited

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली किसी घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई वर्तमान विधिक देयता बनती हो और जो तर्कसंगत रूप से अनुमानित हो तथा इस बात की संभावना हो दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी. प्रावधानों का निर्धारण रिपोर्टिंग तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सर्वोत्तम अनुमान द्वारा किया जाता है. जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता वहां आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण किया जाता है. आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है किंतु इन्हें टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है. एक आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब एक संभावित दायित्व हो या एक ऐसा वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो या संभवतः न भी हो. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

A provision is recognised if, as a result of past event, the company has a present legal obligation that is reasonably estimable and it is probable that an outflow of economic benefits required tosettle the obligation. Provisions are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. Where no reliable estimate can be made, a disclosure is made as contingent liability. Contingent liabilities are not recognised but disclosed in the notes. A disclosure for a contingent liability is also made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. Where there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

माप में अनुमानित पर्याप्त मात्रा वाले प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी. आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है किंतु इन्हें टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है.

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. Contingent liabilities are not recognised, but are disclosed in the notes. Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

ऊ. आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
F. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd

कंपनी उस स्थिति में प्रावधान सृजित करती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. एक आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो भी सकती है और संभवतः नहीं भी. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है. यदि यह संभावना नहीं हो कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, तो प्रावधान को रिवर्स कर दिया जाता है.

Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that: the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है. हालांकि, आकस्मिक आस्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि आभाषी रूप से यह निश्चित हो कि एक आर्थिक लाभ उत्पन्न होगा, तो आस्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन हुआ हो.

Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurs.

22) लाभांश के लिए लेखांकन/ Accounting for Dividend

लेखांकन मानक (एएस) 4 ''तुलनपत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं एवं घटनाएं'' के अनुसार, बैंक प्रस्तावित लाभांश या तुलनपत्र की तारीख के बाद घोषित लाभांश को चालू वर्ष के तुलनपत्र में लाभ-हानि खाते से विनियोजन के जरिये देयता के रूप में नहीं दिखाता है. इसे लेखों पर टिप्पणियों में प्रकटित किया जाता है. इसे शेयरधारकों के अनुमोदन वाले वर्ष में दिखाया जाता है. तथापि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए पूंजी निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश को बैंक हिसाब में लेता है.

In terms of Accounting Standard (AS) 4 "Contingencies and Events occurring after the Balance sheet date" the Bank does not account for proposed dividend or Dividend declared after balance sheet date as a liability through appropriation from profit and loss account in current year balance sheet. This is disclosed in the notes to accounts. The same is recognized in the year of approval of shareholders. However, the Bank reckons proposed dividend in determining capital funds in computing the capital adequacy ratio

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

23) अमूर्त आस्तियां / Intangible assets

अ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

अमूर्त आस्तियों को अधिग्रहण की लागत में संचित परिशोधन और ह्रासित हानियों को घटाने के बाद दिखाया जाता है. अमूर्त आस्ति को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि आस्ति के कारण भविष्य में आर्थिक लाभ उद्यम को प्रवाहित होंगे और जब इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है. अमूर्त आस्तियों की परिशोधन योग्य राशि को उसके उपयोगी जीवनकाल के सर्वोत्तम अनुमान पर सीधी रेखा आधार पर आबंटित किया जाता है.

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization and impairment losses, an intangible asset is recognized, where it is probable that the future economic benefits attributable to the asset will flow to the enterprise and where its cost can be reliably measured. The amortizable amount of intangible assets is allocated over the best estimate of its useful life on a straight-line basis

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

अधिगृहीत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंस शुरू में उस लागत पर पूंजीकृत किये जाते हैं, जिसमें खरीद मूल्य (किसी डिस्काउंट और छूट को घटाकर) तथा संपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने की अन्य सीधी लागत शामिल होती है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन को इसके विनिर्देशों से बेहतर करने, जिसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को सॉफ्टवेयर की मूल लागत में जोड़ा जाता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रखरखाव से जुड़ी लागतों को खर्च के रूप में तब दिखाया जाता है जब खर्च किया जाता है.

Acquired computer software licenses are initially capitalised at cost, which includes the purchase price (net of any discounts and rebates) and other directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Direct expenditure which enhances or extends the performance of computer software beyond its specifications and which can be reliably measured, is added to the original cost of the software. Costs associated with maintaining the computer software are recognised as an expense when incurred.

पूंजीकरण के लिए पात्र सॉफ्टवेयर विकास पर व्यय को विकासाधीन अमूर्त आस्तियों के रूप में दिखाया जाता है जहां ऐसी आस्तियां अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं.

Expenditure on software development eligible for capitalisation are carried as Intangible assets under development where such assets are not yet ready for their intended use.

अमूर्त आस्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधन के लिए प्रयुक्त अमूर्त आस्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार हैं:

Intangible assets are amortized on a straight line basis over their estimated useful lives. The estimated useful lives of intangible assets used for amortization are:

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर -3 वर्ष / Computer Software - 3 years

वेब ट्रेडिंग पोर्टल - 3 वर्ष / Web Trading Portal - 3 years

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कार्ड - 21 वर्ष / Bombay Stock Exchange Card - 21 years

प्रबंधन उपयोग में मूल्य के आधार पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राइट्स के आर्थिक मूल्य का अनुमान लगाता है.

Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use.

अधिग्रहण के वर्ष में ₹ 5000 से कम के मूल्य वाली सभी एकल अमूर्त आस्तियों और सक्रिय उपयोग से बाहर कर दी गई आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

All Intangible Assets having individual value of less than ₹ 5000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Intech Limited

सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त आस्तियों, जिस पर कंपनी के पास मालिकाना अधिकार जारी रहता है, को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है. अनुसंधान लागत व्यय के रूप में खर्च की जाती है. सॉफ़्टवेयर उत्पाद विकास लागतों को तब तक व्यय के रूप में खर्च किया जाता है जब तक कि परियोजना की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का प्रदर्शन न हो, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित न हों, कंपनी के पास सॉफ़्टवेयर को पूरा करने और उपयोग करने या बेचने का इरादा

और क्षमता हो और लागतों को विश्वसनीयता से मापा जा सकता हो. जिन लागतों को पूंजीकृत किया जा सकता है, उनमें सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष मानव-शक्ति और उपरि लागत शामिल हैं जो आस्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने से सीधे तौर पर संबंधित है.

The intangible assets like software's, on which propriety rights continue with the company, are capitalized at costs. Research costs are expensed as incurred. Software product development costs are expensed as incurred unless technical and commercial feasibility of the project is demonstrated, future economic benefits are probable, the Company has an intention and ability to complete and use or sell the software, and the costs can be measured reliably. The costs which can be capitalized include the cost of material, direct man-power and overhead costs that are directly attributable to preparing the asset for its intended use.

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

लेखांकन मानक एएस-26 के अनुसार, अमूर्त आस्तियों को अधिग्रहण की लागत में संचित परिशोधन को घटाने के बाद दिखाया जाता है. अमूर्त आस्तियों का परिशोधन आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अवलिखित मूल्य पद्धति द्वारा किया जाता है.

In accordance with accounting standard AS-26, Intangible assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization. Amortization of Intangible assets is provided on written down value method on the basis of estimated useful life of the asset.

उ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Asset Management Limited

अमूर्त आस्तियों की पहचान लागत पर उस वर्ष की जाती है जब इसे उपयोग में लाया जाता है. अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर दिखाया जाता है.

Intangible assets are recognised in the year it is put to use at cost. Intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

24) उधार लेने की लागत Borrowing Costs

अ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

उधार लागतों के बारे में लेखांकन मानक 16 में यथा परिभाषित अर्हकारी आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के लिए उधार लेने की लागत को आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है जिस तारीख को आस्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है. अन्य उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं.

Borrowing costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets, as defined in Accounting Standard 16 on Borrowing Costs, are capitalized as part of the cost of the asset up to the date when the asset is ready for its intended use. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Intech Limited

अर्हकारी आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से संबंधित उधार की लागतों को ऐसी आस्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है. अर्हकारी आस्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है. अन्य सभी उधार लागतें राजस्व के रूप में प्रभारित की जाती हैं.

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalised as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. All other borrowing costs are charged to revenue.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Asset Management Limited

अर्हकारी आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से संबधित उधार लागत को जब तक ऐसी आस्तियां अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार होती है तब तक आस्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है. अन्य सभी उधार लागतों का व्यय के रूप में उस अवधि में किया जाता है, जिसमें वे होते हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of qualifying assets, till the time such assets are ready for intended use are capitalised as part of cost of Assets. All other borrowing cost are expensed in the period they occur.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Capital Markets and Securities Limited

उधार लागत में ब्याज शामिल है. ब्याज व्यय बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू ब्याज दर द्वारा समय के आधार पर उपचित होते हैं. ब्याज को सुसंगत अवधि में व्यय के रूप में परिशोधित किया जाता है.

Borrowing cost includes interest. Interest expenses are accrued on a time basis, by a reference to the principal outstanding and at the interest rate applicable. The interest is amortised as an expense over the relevant period.

25) नकद और नकदी समतुल्य / Cash & Cash equivalents

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI bank Limited

नकद और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के साथ शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल हैं.

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with the RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Intech Limited

कंपनी सभी अत्यधिक चलनिधि वित्तीय लिखतों को शामिल करती है, जो नकदी की ज्ञात राशि में तत्काल परिवर्तनीय है और मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन है और लेखाबंदी की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशि को नकदी समतुल्य माना जाता है. नकद और नकदी समतुल्यों में बैंकों में शेष राशि शामिल है, जो आहरण और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है.

The company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible in to known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and the deposits maturing within Twelve Months from the closing date are considered to be Cash equivalents. Cash and Cash equivalents consists of balances with banks, which are unrestricted for withdrawal and usage.

इ. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कं. लि. के मामले में
C. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd

नकदी में हाथ में नकदी और बैंकों में मांग जमाराशियां शामिल हैं. नकदी समतुल्य में अल्पावधि शेष हैं (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक चलनिधि जमाराशियां जो तत्काल नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित हो जाती हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होती हैं.

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short term balances (with an Original Maturity of Three months or less from the date of acquisition), Highly liquid deposits that are readily converted in to known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Asset Management Ltd

नकद और नकदी समतुल्य में नकद और बैंकों में चालू खातों में शेष शामिल हैं. कंपनी उन सभी अत्यधिक चलनिधि निवेशों पर विचार करती है जिनकी खरीद की तिथि पर शेष परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम हो और जो नकदी समतुल्य होने के लिए तत्काल नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं.

Cash and Cash equivalents comprises of cash and current account balances with banks. The company considers all highly liquid investments with a remaining maturity at the date of purchase of Three months or less and that are readily converted in to known amounts of cash to be cash equivalents

26) कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व / Corporate Social Responsibility

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए किये गये व्यय को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013, is recognized in the Profit and Loss Account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

27) नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement

अ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में:
A. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited:

नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखांकन मानक 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया जाता है और यह कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा नकदी प्रवाह को प्रस्तुत करता है.

The Cash Flow Statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard 3 on Cash Flow Statements and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the Company.

नकदी प्रवाह विवरण में दर्शाये गए नकद और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी और बैंकों में मांग जमाराशियां शामिल हैं.

Cash and Cash equivalents presented in the Cash Flow Statement consist of cash on hand and demand deposits with banks.

आ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में:
B. In case of IDBI Trusteeship Services Limited:

नकदी प्रवाह विवरण से संबधित लेखांकन मानक (एएस-3) में वर्णित "अप्रत्यक्ष पद्धति" के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किए जाते हैं. कंपनी के नियमित राजस्व सृजन, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.

Cash flow statements are prepared in accordance with “Indirect method” as explained in accounting standard on Cash flow statement (AS-3). The cash flows from regular revenue generating, financing and investing activities of the company are segregated.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में:
C. In case of IDBI Asset Management Ltd:

लेखांकन मानक (एएस) 3 के अनुसार नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि के प्रयोग द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें गैर नकदी प्रकृति के लेनदेनों के प्रभाव, नकदी प्राप्ति या भुगतान के भूत या भविष्य में परिचालित किसी आस्थगन या उपचय और निवेश या वित्तीय नकद प्रवाहों से जुड़े आय या व्ययों के मद के लिए कर पूर्व निवल लाभ को समायोजित किया जाता है. कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.

Cash Flows are reported using indirect method as per Accounting Standard (AS) 3 whereby net profits before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated.

ई. आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में:
D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited:

लेखांकन मानक (एएस) 3 के अनुसार नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि के प्रयोग द्वारा रिपोर्ट किये जाते हैं, जिससे गैर नकदी प्रकृति के लेनदेनों के प्रभाव और नकदी प्राप्ति या भुगतान के भूत या भविष्य के किसी आस्थगन या उपचय के लिए असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है. कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर अलग-अलग किया जाता है.

Cash flows are reported using the indirect method as per Accounting Standard (AS) 3, whereby profit/ (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 18 - समेकित लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि, पूर्वावधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)
Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5)

- 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/ व्यय मदें नहीं थी.
- There were no material prior period income/ expenditure items for the year ended March 31, 2026 and March 31, 2025.

- पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
- There is no change in significant accounting policies adopted during the year ended March 31, 2026 as compared to those followed in the previous financial year.

2. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) (एएस-10)
Fixed Assets (Property, Plant & Equipments) (AS-10)

(i) 31 मार्च 2026 को पूनर्मूल्यन रिज़र्व में शेष ₹ 8,016 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10,512 करोड़) है.
The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2026 is ₹ 8,016 Crores (Previous year ₹ 10,512 Crores).

(ii) वर्ष के दौरान आवासीय /कार्यालय भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से ₹ 6.16 करोड़ (पिछले वर्षः निवल हानि ₹ 2.33 करोड़) का निवल लाभ हुआ, जिसे अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है.
Net Profit amounting to ₹ 6.16 Crore (Previous year: Net loss ₹ 2.33 crore) on account of sale of residential/office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.

(iii) चालू वर्ष (2025-26) के दौरान, कुछ विधिक घटनाक्रमों के फलस्वरूप बैंक की दो अचल संपतियां प्रभावित हुईं, जिसके कारण बैंक उक्त संपतियों को बेच नहीं पाया, यद्यपि ये संपतियां बैंक ने निर्बाध क़ब्जे/स्वामित्व में ही हैं. बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांकक्रों क़े माध्यम से इन संपतियों का पुनर्मूल्यन कराया है. उक्त पुनर्मूल्यन के आधार पर, बैंक ने पुनर्मूल्यन रिजर्व को नामे करके इन संपत्तियों के अवलिखित मूल्य में ₹ 2,122 करोड़ क़ी कमी की है.
During Current year (2025-26), Pursuant to certain legal developments affected two immovable properties of the Bank, which restrict the Bank's ability to sell the said properties, though they continue to remain in the Bank's un-interrupted possession/ownership, the Bank has revalued the said properties through independent valuers. Based on such revaluation, the Bank has reduced the written-down value of these properties by ₹ 2,122 crores by debiting the Revaluation Reserve.

(iv) पिछले वर्ष (2024-25) के दौरान बैंक ने एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर अपनी अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यन किया है जिसके लिए उचित मूल्य पर पहुंचने लिए प्रेक्षित कीमतों के संदर्भ में बट्टाकृत नकदी प्रवाह / लागत दृष्टिकोण / तुलनीय बिक्री विधियों का उपयोग किया गया था, जो दिनांक 1 मार्च 2025 प्रभावी है. पुनर्मूल्यन के कारण संपत्तियों के रखाव मूल्य में ₹ 2855 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसे सीधे पुनर्मूल्यन रिज़र्व में जमा कर दिया गया है. इसी प्रकार, पहले अवमूल्यित कुछ संपत्तियों के रखाव मूल्य में ₹ 6 करोड़ की वृद्धि को लाभ और हानि खाते में जमा किया गया है.
During previous year (2024-25) the Bank has revalued its immovable based on valuation by an Independent Valuer, using discounted cash flow / cost approach / comparable sales methods, with reference to observable prices to arrive at fair value, with effective date 1st March 2025. An increase of ₹ 2,855 crore in carrying value of properties, arising on account of revaluation has been credited directly to the Revaluation Reserve. Similarly, an increase of ₹ 6 crore in the carrying value of certain properties earlier devalued has been credited to profit and loss account.

(v) बैंक 7 संपत्तियों के हक विलेखों को नियमित करने की प्रक्रिया में हैं जिनका 31 मार्च 2026 को रखाव मूल्य ₹ 23 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹ 24 करोड़) था, जिनमें एक ऐसी संपत्ति शामिल हैं जिसे बैंक वैकल्पिक भूखंड (31 मार्च 2026 को रखाव मूल्य ₹ 10 करोड़ था) से बदलने के विकल्प की तलाश कर रहा है. तदनुसार, इन संपत्तियों के पुनर्मूल्यन प्रभाव को बहियों में शामिल नहीं किया गया है.
The Bank is in process of regularizing the title in respect of 7 properties having carrying value of ₹ 23 crore as on March 31, 2026 (Previous year - ₹ 24 crore) which includes one property where the bank is exploring the option of replacement with alternate land parcel (the carrying cost of which as at March 31, 2026 was ₹ 10 crore). Accordingly, for these properties, the impact of revaluation is not considered in the books.

(vi) पुनर्मूल्यन रिज़र्व लाभांश के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है.
Revaluation reserve is not available for distribution of dividends.

3. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED)

कर्मचारी लाभ योजना
Employee Benefit Schemes

I. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

वित्तीय वर्ष के लाभ-हानि खाते में भविष्य निधि में अंशदान के लिए निर्धारित और शामिल राशिः
The amount recognized and included for Contribution to Provident Fund in Profit and Loss Account in FY.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था Entity	वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / IDBI Bank Ltd	7.00	7.00
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड / IDBI Asset Management Limited	0.02	0.02
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड IDBI Capital Market & Securities Limited	1.47	1.41
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड / IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.41	0.35
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Limited	5.65	5.24

क) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में :
a) In case of IDBI Bank Limited :

(i) **भविष्य निधि**
Provident Fund

31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में कार्य ग्रहण करने वाले कर्मचारियों, पेंशन का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर, को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत शामिल किया गया है. बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना का प्रबंधन 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि न्यास (न्यास) के ट्रस्टी बोर्ड' द्वारा किया जाता है. आईडीबीआई होम फ़ाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) और आईडीबीआई गिल्टस लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संदर्भ में मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किया गया था और इसके बाद अंशदान उपर उल्लिखित निधि में किया गया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 7 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 7 करोड़) पीएफएस में अंशदान किया गया है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the FY 2025-26 ₹ 7 Crore (Previous FY 2024-25 ₹ 7 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account..

(ii) **नई पेंशन योजना**
New Pension Scheme

1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों को आईडीबीआई बैंक लि. की नई पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निश्चित प्रतिशत के रूप में परिभाषित अंशदान करता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, आईबीएलएनपीएस में ₹ 240 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 228 करोड़) का अंशदान किया गया है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the FY 2025-26, ₹ 240 Crore (Previous FY 2024-25 ₹ 228 Crore) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के मामले में:

b) In case of IDBI Trusteeship Services Ltd :

स्थानीय विनियमनों के अनुसार कंपनी सार्वजनिक रूप से प्रशासित भविष्य निधि में भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान करती है. एक बार अंशदान का भुगतान कर दिए जाने के बाद कंपनी का और कोई भुगतान दायित्व नहीं है. अंशदानों को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में माना जाता है और अंशदानों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में दिखाया जाता है जब वे खर्च किए जाते हैं. पूर्वदत्त अंशदान को उस सीमा तक आस्ति के रूप में माना जाता है, जहां तक नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी उपलब्ध है. वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 0.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.35 करोड़) भविष्य निधि में अंशदान के लिए व्यय निर्धारित किया है.

The Company pays provident fund contributions to publicly administered provident funds as per local regulations.The Company has no further payment obligations once the contributions have been paid.The contributions are accounted for as defined contribution plans and the contributions are recognized as employee benefit expenses when they are incurred. Prepaid contributions are recognized as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is available. During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹ 0.41 Crore (Previous year ₹ 0.35 Crore).

ग) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में

c) In case of IDBI Intech Limited

कर्मचारी और कंपनी, दोनों ही योजना में शामिल कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर राशि भविष्य निधि योजना में मासिक आधार पर अंशदान करते हैं. सभी कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण अंशदान सरकार द्वारा अभिशासित कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि में किया जाता है. लाभार्थियों को प्रति वर्ष देय ब्याज के बारे में सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है. वर्ष के दौरान, कंपनी ने भविष्य निधि में अंशदान के लिए ₹ 5.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.24 करोड़) का व्यय निर्धारित किया है.

Both the employees and the Company make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. The entire contribution in respect of all employees is contributed to the Government administered Employee Provident and Pension Fund. The interest rate payable to the beneficiaries every year is being notified by the Government. During the year, the Company has recognized expenses towards contributions to provident fund for ₹ 5.65 Crore, (Previous year ₹ 5.24 Crore).

घ) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स और सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

d) In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

कंपनी की भारत में भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए परिभाषित अंशदान योजनाएं हैं जो भारत सरकार और/या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित होती हैं. अंशदान उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है जब संबंधित निधियों में अंशदान देय होता है. वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 1.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.41 करोड़) के भविष्य निधि में अंशदान के लिए व्यय निर्धारित किया है.

The Company has defined contribution plans for post-employment benefits in the form of provident fund and superannuation fund in India which are administered through Government of India and/or Life Insurance Corporation of India (LIC). Contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due. During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹ 1.47 Crore (Previous year ₹ 1.41 Crore).).

ङ) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

e) In case of IDBI Asset Management Limited

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 0.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.02 करोड़) के भविष्य निधि में अंशदान के लिए व्यय निर्धारित किया है.

During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹ 0.02 Crore (Previous year ₹ 0.02 Crore).

II. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes

क) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

a) In case of IDBI Bank Limited

(i) बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है.

The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

(ii) बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित होती है.
Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

(iii) इन परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करते हुए की जाती है.
The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

ख) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

b) In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

कंपनी की एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उसे सेवा-मुक्त होते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ है.
The Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹ 0.20 crore.

ग) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

c) In case of IDBI Asset Management Limited

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार कंपनी सभी कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में ग्रेच्युटी का प्रावधान करती है. संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके कार्य के वर्षों के आधार पर निहित कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर एकमुश्त राशि दी जाती है.
In accordance with Payment of Gratuity Act, 1972, the Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company.

ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा प्रबंधित ग्रेच्युटी निधि के जरिए प्रदान किया जाता है. इन निधियों में वार्षिक अंशदान तथा प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.
The gratuity and leave encashment benefit are provided through a Gratuity Fund administrated and managed by the Life Insurance Corporation of India. The annual contributions to these funds and provision is made on the basis of actuarial valuation done.

घ) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले

d) In case of IDBI Intech Limited

कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रशासित कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी बीमा योजना में वार्षिक अंशदान करती है जो अर्हताप्राप्त कर्मचारियों के लिए एक निधिक परिभाषित लाभ योजना है. इस योजना में पूरे किए गए सेवा वर्षों या छह माह से अधिक के हिस्से के लिए निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या सेवा की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान करने का प्रावधान है. निहित लाभ पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर मिलता है.
The company makes annual contribution to the Employee's Group Gratuity Assurance Scheme, administered by the Life Insurance Corporation of India (LIC), a funded defined benefit plan for qualifying employees. The scheme provides for lump sum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment based on completed years of service or part thereof in excess of six months. Vesting occurs on completion of five years of continuous service.

ङ) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में

e) In case of IDBI Trusteeship Services Limited

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में देयता या आस्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना की आस्तियों का उचित मूल्य घटा कर दिखाई जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके बीमांककों द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व की गणना वार्षिक रूप से की जाती है.
The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of defined benefit gratuity plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of the plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using projected unit credit method.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाज़ार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह की भुनाई कर निर्धारित किया जाता है, जिसकी शर्तें संबंद्ध दायित्व की शर्तों के लगभग अनुरूप हैं.

The present value of the defined benefit obligation denominated in INR is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation.

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के निवल शेष तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य पर बट्टा दर लागू करके की जाती है. यह लागत लाभ और हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expenses in the statement of profit and loss.

योजना में संशोधन या कटौती के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछली सेवा लागत के रूप में तत्काल लाभ या हानि के रूप में दर्शाया जाता है.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognized immediately in profit or loss as past service cost.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2026 को समूह के वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो एएस - 15 (संशोधित) के अनुसार है.

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognized in the Group's financial statements as at March 31, 2026 which is as per AS-15 (Revised).

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars		पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2026 March 31, 2026	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2026 March 31, 2026	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2025 March 31, 2025	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2025 March 31, 2025
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन: Change in benefit obligations:**				
	वर्ष के प्रारम्भ में अनुमानित लाभ दायित्व # Projected benefit obligation beginning of the year #	4,537	1,162	4,246	1,050
	ब्याज लागत / Interest cost	320	79	307	76
	चालू सेवा लागत / Current Service cost	61	33	47	34
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान उपगत पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	11	-	-
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(260)	(72)	(265)	(76)
	जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (gain)/ loss due to change in Demographic assumptions	-	(0)	10	32
	वित्तीय अवधारणाओं में बदलाव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	(30)	(82)	89	41

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

	विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2026 March 31, 2026	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2026 March 31, 2026	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2025 March 31, 2025	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2025 March 31, 2025
	अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	125	18	103	5
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/obligation, end of the year	**4,752**	**1,148**	4,537	1,162
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य # Fair value of plan assets, beginning of the year #	4,612	1,148	4,083	1,078
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	326	78	296	78
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	32	24	422	56
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(260)	(72)	(265)	(76)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain / (loss)	(38)	17	76	12
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**4,672**	**1,195**	4,612	1,148
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	4,752	1148	4,537	1,162
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at end of the year	4,672	1,195	4,612	1,148
	तुलन-पत्र में दर्शाई गई निवल (देयता)/ आस्ति Net (Liability)/Asset Recognized in the Balance Sheet	**(80)**	**47**	75	(14)
घ) d)	**लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए व्यय Expenses Recognised in Profit &Loss Account**				

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

	विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2026 March 31, 2026	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2026 March 31, 2026	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2025 March 31, 2025	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2025 March 31, 2025
	सेवा लागत / Service cost	61	33	47	34
	ब्याज लागत / Interest cost	(5)	79	12	76
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	-	(78)	-	(77)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	133	(82)	125	65
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	11	-	-
	वर्ष के लिए लाभ-हानि की वास्तविक लागत **Actual cost to P & L for the year**	**188**	**(37)**	**184**	**98**
ङ) e)	**आस्तियों की श्रेणी** **Category of Assets**				
	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	693	-	682	-
	कॉरपोरेट बांड/ Corporate Bonds	1,068	-	1,024	-
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	2,578	1,195	2,586	1,148
	नकद और नकदी समतुल्य Cash and Cash equivalents	-	-	-	-
	अन्य / Others	333	-	320	-
	कुल / Total	**4,672**	**1,195**	**4,612**	**1,148**
च) f)	**अगले वर्ष में प्रत्याशित अंशदान** **Expected contribution in next year**	**-**	**5**	**-**	**45**
छ) g)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं** **Assumptions used in accounting**				

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2026 March 31, 2026	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2026 March 31, 2026	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2025 March 31, 2025	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2025 March 31, 2025
बट्टा दर / Discount rate	7.87%	6.54% से 7.79% तक From 6.54 % to 7.59%	7.05%	6.54 % से 7.07% तक From 6.54 % to 7.07%
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर Rate of return on plan assets	7.87%	6.54 % से 7.59% तक From 6.54 % to 7.59%	7.05%	6.54% से 7.07% तक From 6.54 % to 7.07%
वेतन वृद्धि दर Salary escalation rate	5.75%	5% से 10% तक From 5% to 10%	5.75%	5% से 10% तक From 5% to 10%
नौकरी छोड़ने की दर Attrition Rate	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 6.00% प्रति वर्ष. 5 वर्ष और उससे अधिक की सेवा के लिए 3.00% प्रतिवर्ष For service 4 years and below 6.00% p.a. For service 5 years and above 3.00% p.a.	स्थायी कर्मचारियों हेतु 4 वर्ष या उससे कम सेवा के लिए 6.00% प्रतिवर्ष; 5 वर्ष और उससे अधिक सेवा के लिए 3.00% प्रतिवर्ष तथा सभी सेवा समूहों के लिए लागू अनुसार 17.75% प्रतिवर्ष और 21.25% प्रतिवर्ष For service 4 years and below 6.00% p.a. For service 5 years and above 3.00% p.a. for Permanent and 17.75% p.a. and 21.25% p.a. as applicable for all services groups.	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 6.00% प्रति वर्ष. 5 वर्ष और उससे अधिक की सेवा के लिए 3.00% प्रतिवर्ष For service 4 years and below 6.00% p.a. For service 5 years and above 3.00% p.a	4 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 4 years and 2.49% thereafter

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2026 March 31, 2026	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2026 March 31, 2026	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2025 March 31, 2025	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2025 March 31, 2025
मृत्यु दर Mortality Rate	रोजगार के दौरान भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी) रोजगार के बाद भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15) During Employment Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban) After Employment Indian Individual AMT (2012-15)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी) रोजगार के बाद भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)After Employment Indian Individual AMT (2012-15)	रोजगार के दौरान भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी) रोजगार के बाद भारतीय व्यक्तिगत एएमटी (2012-15) During Employment Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban) After Employment Indian Individual AMT (2012-15)

बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतन आय वृद्धि के आकलन में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है.
The estimates of future salary income increases considered in the actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

योजना आस्तियों को सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिफल वक्र के आधार पर बाजार मूल्य पर चिन्हित किया जाता है. इसलिए प्रतिलाभ की अपेक्षित दर को छूट दर के समान रखा गया है.
The Plan assets are marked to market on the basis of the yield curve derived from government securities. Hence, the expected rate of return has been kept the same as the discount rate.

अनुभव समायोजन / Experience Adjustments

i. **ग्रेच्युटी योजना / Gratuity Plan**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	1148	1,162	1,050	985	973
योजना आस्तियां / Plan assets	1195	1,148	1,078	1,079	1,038
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	47	(14)	28	94	64

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	20	5	(18)	(16)	(23)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan assets [Gain / (Loss)]	17	13	3	3	13

ii. **पेंशन योजना / Pension Plan**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	4,753	4,537	4,246	3,793	3,619
योजना आस्तियां / Plan assets	4,672	4,612	4,083	3,900	3,821
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	(81)	75	(163)	107	201
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	125	103	(227)	171	(245)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/हानि] Experience adjustments On plan assets [Gain / (Loss)]	38	76	90	(43)	154

(iii) **अन्य दीर्घावधि लाभ / Other Long Term benefits**

अ. छुट्टी नकदीकरण/ बीमारी छुट्टी/विशेष बीमारी छुट्टी

A. Leave Encashment/Sick Leave/Special Sick Leave

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2025
कुल बीमांकिक देयता / Total Actuarial Liability	1,378	1,396
धारणाएं / Assumptions		
छूट की दर / Discount Rate	6.54% से 7.59% From 6.54% to 7.59%	6.54% से 7.07% From 6.54% to 7.07%
वेतन वृद्धि दर / Salary Escalation Rate	5% से 10% तक From 5% to 10%	5% से 10% तक From 5% to 10%

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ. स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना
B. Voluntary Health Scheme

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2025
कुल बीमांकिक देयता / Total Actuarial Liability	60	65
धारणाएं / Assumptions		
छूट की दर / Discount Rate	7.87%	7.05%

इ. छुट्टी किराया रियायत
C. Leave Fare Concession

बैंक ने अप्रयुक्त छुट्टी किराया रियायत के लिए ₹ 15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4 करोड़) का प्रावधान किया था. प्रावधान का निर्धारण 6.48% (पिछले वर्ष 6.54%) की छूट दर और 4% (पिछले वर्ष 4 %) की लागत वृद्धि दर का उपयोग करके बीमांकिक रूप से किया गया था.

The Bank had made a provision towards unutilised Leave Fare Concession amounting to ₹ 15 crore (Previous year ₹ 4 crore). The provision was determined actuarially using a Discount Rate of 6.48% (Previous year 6.54%) and Cost Escalation Rate of 4% (Previous year 4%).

ई. परिवर्ती वेतन
D. Variable Pay

परिवर्ती वेतन का भुगतान अर्थात नकद घटक (यदि ₹ 25 लाख से अधिक है) और ईएसओपी घटक के बदले नकद भुगतान को क्रमशः 3 और 4 वर्षों की अवधि में स्थगित और किस्तों में भुगतान किया जाता है.

The payment of variable pay viz. cash component (if more than ₹ 25 lakh) and cash in lieu of ESOPs component deffered and paid in tranches over a period of 3 and 4 years respectively.

आस्थगित भुगतान का बीमांकिक मूल्यांकन 6.59% (पिछले वर्ष 6.54%) की बट्टे दर का उपयोग कर किया गया है और 31 मार्च 2026 को दायित्व का कुल मूल्य ₹ 115 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 81 करोड़) है.

This deferred payment is actuarially valued using a discount rate of 6.59% (Previous year 6.54%) and the total value of obligation as on March 31, 2026 is ₹ 115 crore (Previous year 81 crore).

उ.
E.

बैंक के कर्मचारी दिव्यांगता सहायता के लिए पात्र हैं जो कि दिव्यांगता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन की जाती है.

Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

ऊ. भविष्य निधि
F. Provident Fund

एएस15, कर्मचारी लाभ पर मार्गदर्शन नोट में वर्णन किया गया है कि नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जहां ब्याज की गारंटी है, को निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के रूप में माना जाये और दायित्व का मूल्यांकन किया जाये. इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया (आईएआई) ने छूट प्राप्त भविष्य निधियों पर गारंटीकृत ब्याज दर के मूल्यांकन पर एक मार्गदर्शन नोट जारी किया है. बीमांकक ने तदनुसार इसका मूल्यांकन किया है और बैंक ने गारंटीकृत ब्याज लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के लिए 31 मार्च 2026 को ₹ 6.60 करोड़ [पिछले वर्ष शून्य] का प्रावधान रखा है. बीमांकक ने मार्गदर्शन नोट द्वारा निर्धारित नियतात्मक दृष्टिकोण का पालन किया है.

The guidance note on AS15, Employee Benefits, states that Employer established Provident Funds, where interest is guaranteed are to be considered as defined benefit plans and the liability has to be valued. The Institute of Actuaries of India (IAI) has issued a guidance note on valuation of interest rate guaranteed on exempt provident funds. The actuary has accordingly valued the same and the Bank held provision of ₹ 6.60 crore as on March 31, 2026 [Previous year NIL], towards the present value of the guaranteed interest benefit obligation. The actuary has followed the deterministic approach as prescribed by the guidance note.

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
छूट की दर (भारत सरकार की प्रतिभूति से प्रतिफल) Discount rate (GoI Security Yield)	7.59%	6.82%
अपेक्षित गारंटीकृत ब्याज दर Expected Guaranteed Interest Rate	8.25%	8.25%

ए. 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया - मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 जिनमें मौजूदा 29 श्रम कानूनों का समेकन किया गया है. बैंक ने लागू सीमा तक इन परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और इन परिवर्तनों के अनुमानित प्रभाव के लिए 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 32.88 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है. बैंक केंद्रीय और राज्य नियमों को अंतिम रूप देने तथा नई श्रम संहिताओं के बारे में सरकार के स्पष्टीकरण पर निगरानी रखता है और ऐसे घटनाक्रमों के आधार पर, यथा आवश्यक, उचित लेखांकन प्रभाव प्रदान करेगा.

G. On November 21, 2025, the Government of India notified four new Labour Codes – The Code on Wages, 2019, The Industrial Relations Code, 2020, The Code on Social Security, 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 consolidating 29 existing labour laws. The Bank has assessed impact of these changes to the extent applicable and has made an additional provision of ₹ 32.88 crore during the year ended March 31, 2026, towards the estimated impact of these changes. The Bank continues to monitor the finalization of Central and State Rules and clarification from the Government on the New Labour Codes and would provide appropriate accounting effect on the basis of such developments, as needed.

4. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्यतः निम्नलिखित तीन कारोबारी खंडों में परिचालन करता है :
The Bank primarily operates in three business segments as under:

i)	ट्रेजरी / Treasury	ट्रेजरी परिचालनों में सभी निवेश, मुद्रा बाज़ार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include all investments, money market operations, derivative trading, and foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
ii)	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में मोटे तौर पर ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार सहित लघु कारोबार उन्मुख हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल/ करेंसी कार्ड और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, and transaction Banking services.
iii)	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलाप सहित कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ समूहन, परियोजना मूल्यांकन भी शामिल है. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों संबंधी नियोजित पूंजी शामिल की जाती हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal. Results, revenue and capital employed of international operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
iv)	अविनिधानित / Unallocated	इसमें प्रावधान घटाकर अग्रिम प्रदत्त कर, आस्थगित कर और संस्था स्तर पर गणना किये गये प्रावधानों जैसी मदें शामिल हैं. Includes items such as tax paid in advance net of provision, deferred tax and provisions to the extent reckoned at the entity level.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित खंड सूचना
Consolidated Segment Information for the year ended March 31, 2026

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	को समाप्त वर्ष / Year ended 31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
क. a.	**खंड राजस्व Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	8709	8,659
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	35031	34,368
	ट्रेजरी / Treasury	15701	14,391
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	577	475
	अविनिधानित / Unallocated	329	819
	कुल / Total	**60347**	**58,712**
	घटाएं :- अंतर-खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	24716	24,653
	निवल खंड राजस्व / Net Segment Revenue	**35631**	**34,059**
ख. b.	**खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ/ (हानि) Segment Results-Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	3359	2,255
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	3265	5,126
	ट्रेजरी / Treasury	4488	2,311
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	216	201
	अविनिधानित / Unallocated	329	819
	कर पूर्व लाभ/ (हानि) / Profit/(Loss) before tax	**11657**	**10,712**
	आय कर / Income taxes	2447	3,081
	निवल लाभ/ (हानि) / Net profit/(Loss)	**9210**	**7,631**
ग. c.	**खंड आस्तियां Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	78126	65,711
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	190184	166,375
	ट्रेजरी / Treasury	194104	173,280
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	808	772
	अविनिधानित आस्तियां / Unallocated assets	4164	6,870
	कुल आस्तियां / Total assets	**467386**	**413,008**
घ. d.	**खंड देयताएं Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	43770	38,159
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	313498	281,895
	ट्रेजरी / Treasury	41235	31,051
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	141	118
	अविनिधानित देयताएं / Unallocated liabilities	-	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	**398644**	**351,222**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित खंड सूचना
Consolidated Segment Information for the year ended March 31, 2026

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	को समाप्त वर्ष / Year ended 31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
ङ. e.	**पूंजी नियोजन (खंड आस्तियां- खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	34356	27,551
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	(123314)	(115,520)
	ट्रेजरी / Treasury	152869	142,230
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	667	654
	अविनिधानित / Unallocated	4164	6,870
	कुल / TOTAL	**68742**	**61,785**

- रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और लागू लेखांकन मानक (एएस) - 17, 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुपालन में, रिपोर्ट करने योग्य खंडों को ट्रेजरी, कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालनों के रूप में पहचाना जाता है. संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और संबंधित आय/व्यय को ट्रेजरी खंड के अंतर्गत पुनः समूहित किया गया है.
  As per extant RBI guidelines and in compliance with the applicable Accounting Standard (AS) – 17, 'Segment Reporting', reportable segments are identified as Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and other banking operations. Entire investments portfolio and corresponding income/expenses have been regrouped under the Treasury Segment.
- योजनाओं और सेवाओं के स्वरूप और जोखिम प्रोफ़ाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफ़ाइल, संगठन संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन खंडों की पहचान उक्त लेखा मानक (एएस) के अनुरूप की गई है.
  These segments have been identified in line with the said Accounting Standard (AS) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.
- 'खंड परिणाम' निर्धारित करने में, बैंक द्वारा अपनाई गई निधि अंतरण मूल्य प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है.
  In determining 'Segment Results', the funds transfer price mechanism adopted by the Bank has been used.
- परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के नियोजित पूंजी को कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल किया गया है.
  Results, Revenue and Capital Employed of International operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
- लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, योजनाओं और सेवाओं की प्रकृति, विभिन्न जोखिमों और प्रतिलाभों, संगठन संरचना, आंतरिक कारोबार रिपोर्टिंग प्रणाली और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कारोबार खंडों की पहचान और रिपोर्ट की गई है.
- Business Segments have been identified and reported taking into account the target customer profile, the nature of products and services, the differing risks and returns, the organisation structure, the internal business reporting system and the guidelines prescribed by the RBI.
- 7 अप्रैल 2022 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, डिजिटल बैंकिंग को खुदरा बैंकिंग के हिस्से के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ अभी चालू नहीं हुई हैं.
  As per RBI circular dated April 7, 2022, Digital Banking to be reported as part of Retail Banking. Digital Banking Units are not yet operational in IDBI Bank Ltd.
- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की गई निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल है.
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
  The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

5. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

अ. एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची
A. List of related party as per AS-18

I. प्रवर्तक / Promoter

- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) / Life Insurance Corporation of India (LIC)

II. सहयोगी संस्थाएं / Associates

- बायोटेक कॉन्सोर्टियम इंडिया लि. / Biotech Consortium India Ltd.
- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (6 अगस्त 2025 तक) / National Securities Depository Ltd (Upto August 6, 2025)
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फ़ाइनैंस कार्पोरेशन लि. / North Eastern Development Finance Corporation Ltd.
- पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) (16 मई 2025 तक)
  Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd (PIPDICL) (Upto May 16, 2025)

III. एलआईसी की समूह कंपनियाँ / LIC Group Companies

- एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सहयोगी
  LIC Housing Finance Ltd Associate
- एलआईसी म्यूचुअल फंड एएमसी लिमिटेड सहयोगी
  LIC Mutual Fund AMC Ltd. Associate
- एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सहयोगी
  LIC Mutual Fund Trustee Co. Pvt. Ltd. Associate
- एलआईसीएचएफ़एल असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड सहयोगी
  LICHFL Asset Management Company Ltd. Associate
- एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड सहायक
  LIC Pension Fund Ltd. Subsidiary
- एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड सहायक
  LIC Card Services Ltd. Subsidiary
- एलआईसी (सिंगापुर) पीटीई लि. सहायक
  LIC (Singapore) Pte Ltd. Subsidiary
- एलआईसी (नेपाल) लिमिटेड सहायक
  LIC (Nepal) Ltd. Subsidiary
- एलआईसी इंटरनेशनल बीएससी (सी) बहरीन सहायक
  LIC International BSC (C) Bahrain Subsidiary
- एलआईसी (लंका) लिमिटेड सहायक
  LIC (Lanka) Ltd. Subsidiary
- एलआईसी ऑफ बांग्लादेश लिमिटेड सहायक
  LIC of Bangladesh Ltd. Subsidiary

IV. बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key management personnel of the Bank

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Shri Rakesh Sharma, MD & CEO

- श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, डीएमडी (14 जनवरी 2024 तक)/ Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, DMD (upto January 14, 2024)
- श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी / Shri Jayakumar S. Pillai, DMD
- श्री सुमित फक्का, डीएमडी (15 जुलाई 2024 से) / Shri Sumit Phakka, DMD (From July 15, 2024)
- श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, सीएफ़ओ / Smt. Smita Harish Kuber, CFO
- श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव / Smt. Jyothi Nair, Company Secretary

V. केएमपी के रिश्तेदार और उनकी हितबद्ध संस्थाएं / Relative of KMP & their Interested entities

- श्रीमती अनिता शर्मा, श्री हर्षवर्धन शर्मा, श्री पार्थ शर्मा, श्रीमती करुन्या पुली गड्डा, श्री राजेश कुमार लव, श्रीमती आशा गोस्वामी, श्रीमती निधि शर्मा, श्रीमती शैलजा कौशल, श्रीमती सीतालक्ष्मी आर, श्री जे सुब्रमोनिया पिल्लै, श्री अरविंद जयन, कु. नंदना जयन, श्री पद्मकुमार एस, रानी पीएस, श्रीमती नमिता फक्का, श्रीमती उर्मिला फक्का, सुश्री अनुष्का सूद, संगीता सूद, निमिशा अरोड़ा, श्री हरीश विनायक कुबेर, श्री दत्तात्रेय जे. पाध्ये, श्रीमती शुभांगी डी. पाध्ये, चिन्मयी एच. कुबेर, श्री जितेंद्र डी. पाध्ये, श्रीमती भावना एच. पापट, श्री बीजू नायर, श्री कुट्टी कृष्णन नायर, श्रीमती देवी के नायर, अदित्री नायर, प्रीति जावजी, रेति नायर.
  Smt. Anita Sharma, Shri. Harshvardhan Sharma, Shri Parth Sharma, Smt. Karunya Puli Gadda, Shri.Rajesh Kumar Lav, Smt. Asha Goswami, Smt. Nidhi Sharma, Smt. Shailja Kaushal, Smt. Seethalekshmy R , Shri J Subramonia Pillai ,Shri Aravind Jayan , Kum. Nandana Jayan , Shri Padmakumar S , Rani PS , Smt. Namita Phakka, Smt. Urmila Phakka, Ms. Anushka Sood, Sangita Sood, Nimisha Arora, Shri Harish Vinayak Kuber , Shri Dattatraya J. Padhye , Smt. Shubhangi D. Padhye , Chinmayee H. Kuber , Shri Jitendra D. Padhye Smt. Bhavna H. Papat ,Shri Biju Nair, Shri Kutty Krishnan Nair, Smt. Devi K Nair, Aditri Nair, Preethi Javaji, Rethi Nair.
- संस्थाएं जिनमें केएमपी का हित है - एसआईआरएफ इन्वेस्टमेंट प्रा. लि., सोशियल फूटप्रिंट प्रा. लि., कॉजेंट मीडिया लैब्स, निको मीडिया स्टूडियो एलएलपी और सीएसए सर्वाइवर फाउंडेशन
  Entities in which KMPs have Interest - SIRF Investment Pvt. Ltd. , Social Footprint Pvt. Ltd. Cogent Media Labs, Nico Media Studio LLP & CSA Survivor Foundation.

आ. संबद्ध पक्षकारों के लेनदेन का विवरण
B. Details of Transactions with Related Parties

(i) 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेनदेन /शेष राशियां
Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2026

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक* Promoter*	सहयोगी # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रिलेटिव$@ Relatives of Key Management Personnel $@	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया उधार Borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-	-
31 मार्च 2026 को बकाया जमाराशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2026	6,398	54	-	-	6,452
वर्ष के दौरान बकाया जमाराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	13,438	247	-	-	13,686
31 मार्च 2026 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2026	1	-	-	-	1

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक* Promoter*	सहयोगी # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रिलेटिव$@ Relatives of Key Management Personnel $@	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	7	-	-	-	7
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	27	-	-	27
बकाया अधिकतम निवेश Maximum investments Outstanding	-	37	-	-	37
31 मार्च 2026 को अग्रिम Advances as on March 31, 2026	950	-	-	-	950
वर्ष के दौरान अधिकतम अग्रिम Maximum Advances During the year	950	-	-	-	950
31 मार्च 2026 को बकाया प्राप्य राशियां Receivable Outstanding as on March 31, 2026	1180	-	-	-	1180
वर्ष के दौरान बकाया प्राप्यराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	1195	-	-	-	1195
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	1	5	-	-	6
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	18	-	18
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	22	1	-	-	22
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	381	-	-	-	381
अग्रिमों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	65	-	-	-	65
उधार राशियों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding during the year	10	1	-	-	11
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	10	1	-	-	11

#30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान, पॉन्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआईडीपीआई) में बैंक की पूरी हिस्सेदारी (21.14%), जिसका अवलेखित मूल्य एक रुपया था, कुल ₹18.83 करोड़ में बेच दी गई.

 # During the quarter ended June 30, 2025, Bank's entire stake in Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (PIPDIC) (21.14%), carried at written down value of rupee one, was sold for the total consideration of ₹ 18.83 crore.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.(एनएसडीएल) में अपनी 11.11% हिस्सेदारी के समतुल्य के 2,22,20,000 इक्विटी शेयरों को, इसके आईपीओ में बिक्री हेतु प्रस्ताव के माध्यम से ₹799.87 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर बेचा तथा ₹1,210.49 करोड़ (व्यय पश्चात, कर पूर्व) का निवल लाभ अर्जित किया. बिक्री के बाद, एनएसडीएल में बैंक के शेष निवेश को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफ़एस) श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

During the financial year 2025-26, the Bank had offered 2,22,20,000 Equity shares consisting 11.11% shareholding in National Securities Depository Ltd. (NSDL), by way of Offer for Sale, in its IPO, at the issue price of ₹ 799.87 per share & booked a net gain of ₹ 1,210.49 crore (net of expenses, before tax). Post sale, Bank's residual investment in NSDL has been reclassified into Available For Sale (AFS) category.

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट नहीं किया गया है.

$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

@ 1) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में उपचित होते हैं और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के प्रति आवंटित नहीं किया जाता है.

@ 1) Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.

2) गैर कार्यपालक निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ को पारिश्रमिक के बारे में रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2025-26/149डीओआर.एचजीजी.जीओवी. सं. 68/29.67.001/2025-26 के अनुसार

2) In accordance with RBI Circular RBI/DOR/2025-26/149DOR.HGG.GOV. No.68/29.67.001/2025-26 on Remuneration of NEDs, WTDs, MD&CEO / CEO, Material Risk Takers, and Control Function staff

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिवर्ती वेतन (नकद घटक) के लिए कुल ₹ 3.5 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.04 करोड़) का भुगतान किया गया था.
For the FY 2025-26, total amount of ₹ 3.5 Crore (previous year ₹ 2.04 crore) was paid for variable pay (cash component).

ii. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेनदेन/ शेष राशियां:
Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2025:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक* Promoter*	सहयोगी # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रिलेटिव Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया उधार Borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 को बकाया जमाराशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2025	8,187	104	-	-	8,292
वर्ष के दौरान बकाया जमाराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	8,395	175	-	-	8,570
31 मार्च 2025 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2025	1	-	-	-	1
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	3	-	-	-	3
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	37	-	-	37
अधिकतम बकाया निवेश Maximum investments Outstanding	-	37	-	-	37

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक* Promoter*	सहयोगी # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रिलेटिव Relatives of Key Management Personnel	कुल Total
31 मार्च 2025 को अग्रिम Advances as on March 31, 2025	950	-	-	-	950
वर्ष के दौरान अधिकतम अग्रिम Maximum Advances During the year	950	-	-	-	950
31 मार्च 2025 को बकाया प्राप्यराशि Receivable Outstanding as on March 31, 2025	15	-	-	-	15
वर्ष के दौरान बकाया प्राप्यराशि की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	20	-	-	-	20
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	1	5	-	-	6
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	12	-	12
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	13	3	-	-	16
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	135	-	-	-	135
अग्रिमों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	59	-	-	-	59
उधार राशियों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding during the year	10	037`	-	-	10
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	10	0.37	-	-	10

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परिवर्ती वेतन (नकद घटक) के लिए कुल ₹ 2.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.16 करोड़) का भुगतान किया गया था.
For the FY 2024-25, total amount of ₹ 2.04 Crore (previous year ₹ 1.16 crore) was paid for variable pay (cash component).

iii. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक ₹ 17.66 करोड़ है.**
Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ended March 31, 2026 is ₹ 17.66 crore.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore))

क्रं. सं. Sr No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25
1	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO	8.53	6.18
2	श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक (14 जनवरी 2024 तक) Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, Deputy Managing Director (upto January 14, 2024)	-	0.01
3	श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक (12 जून 2023 से) Shri Jaya kumar S Pillai, Deputy Managing Director (From June 12, 2023)	3.79	2.78
4	श्री सुमित फक्का, उप प्रबंध निदेशक (15 जुलाई 2024 से) Shri Sumit Phakka, Deputy Managing Director (From July 15, 2024)	3.72	1.90
5	श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, मुख्य वित्तीय अधिकारी Smt. Smita Harish Kuber, Chief Financial Officer	0.95	0.89
6	श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव Smt. Jyothi Nair, Company Secretary	0.49	0.48
	कुल / Total	**17.66**	**12.24**

नोट: मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 3.50 करोड़ का परिवर्ती वेतन वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान किया गया तथा इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के उनके पारिश्रमिक में शामिल नहीं किया गया है.
Note: Variable pay for FY 2024-25 of ₹ 3.50 crore is paid to Key Management Personnel during the FY 2025-26 and is not included in their remuneration for FY 2024-25.

6. पट्टे (एएस-19) / Leases (AS-19)

I. **प्रकटन-पट्टेदार के रूप में पट्टे पर लिये गये परिसर**
Disclosure - As Lessee Premises taken on lease

क. पट्टा /किराए आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/रद्द करने योग्य होती हैं.

a. The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

ख. बैंक द्वारा किये गये पट्टा करार सहमत अवधि के लिए होते हैं जिसमें लीज अवधि के दौरान पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर लीज को समाप्त करने का विकल्प होता है.

b. The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

ग. नवीकरण और वृद्धि खंड की शर्तें वे हैं जो सामान्य रूप से ऐसे करारों में प्रचलित हैं. करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुर्वह खंड नहीं है.

c. The terms of renewal and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

घ. परिचालन पट्टे के लिए भुगतान किए गए पट्टा किराए को उस वर्ष में जिससे वह संबंधित है, लाभ -हानि खाते में दर्शाया जाता है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान दर्शाया गया लीज किराया ₹ 475 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 400 करोड़) है.

d. Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognised during the FY 2025-26 is ₹ 475 Crore (Previous Year: ₹ 400 Crore)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ङ. तुलन-पत्र की तारीख को गैर-निरसनीय परिचालन पट्टों के संबंध में सहायक संस्थाओं के लिए भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:

e. The future minimum lease payments for subsidiaries in respect of non-cancellable operating leases as at Balance Sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 March 31, 2026	31 मार्च 2025 March 31, 2025
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	3	2
एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	11	7
5 वर्ष के बाद / Later than 5 Years	5	5

7. अ) प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (एएस-20)
A) EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया समेकित निवल लाभ/(हानि) (₹ करोड़) Consolidated Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ Crore)	9210	7631
वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares outstanding at the end of the financial year	1075,24,02,175	1075,24,02,175
मूल ईपीएस के लिए शामिल किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
जोड़ें: मंजूर ईएसओपी का न्यून प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	-	-
न्यूनीकृत ईपीएस के लिए शामिल किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
ईपीएस (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	8.57	7.10
ईपीएस(न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	8.57	7.10
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

ख) लाभांश:
B) Dividend:

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभांश प्रस्तावित नहीं किया है.
The Board of Directors have not proposed any divided for the financial year 2025-26.

वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 2.10 प्रति शेयर के लाभांश का भुगतान किया है जिसे 21 जुलाई 2025 को संपन्न वार्षिक महासभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था.
During the year, the Bank had paid dividend of ₹ 2.10 per share which was approved by the members at the Annual General Meeting held on July 21, 2025.

8. आय पर करों का लेखांकन (एएस-22)
Accounting for Taxes on Income (AS-22)

समय-अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्ति एवं आस्थगित कर देयता के घटक निम्नानुसार हैं:
The component of Deferred Tax Asset & Deferred Tax Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particular	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	वित्तीय वर्ष के दौरान घट-बढ़ 2025-26 Movement during the financial year 2025-26	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	9	(17)	26
आयकर अधिनियम,1961 के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों के प्रावधान से संबंधित अस्वीकृति तथा अन्य प्रावधानों की अनुमति नहीं दी Disallowance related to provision for NPA and for other provisions not allowed under Income tax Act, 1961	1,135	(236)	1,371
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 43 बी और 35 डी के अनुसार अनुमति नहीं Disallowance u/s 43B and 35D of Income Tax Act, 1961	472	34	438
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	4	0	4
ग्रेच्युटी / पेंशन / Gratuity/Pension	1	0.58	0.45
निवेश / Investment	0.21	0.21	-
छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment	(0.04)	0.08	(0.12)
कारोबार हानि / Business Loss	2,405	(2,100)	4,505
अनवशोषित मूल्यह्रास / Unabsorbed depreciation	-	-	-
कुल (अ) / Total (A)	**4,025**	**(2,318)**	**6,344**
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particular	31 मार्च 2026 को As at March 31, 2026	वित्तीय वर्ष के दौरान घट-बढ़ 2025-26 Movement during the financial year 2025-26	31 मार्च 2025 को As at March 31, 2025
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	0.37	(0.33)	0.70
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	308	-	308
एएफएस रिज़र्व में जमा निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास पर आस्थगित आयकर देयता (डीटीएल) Deferred Income Tax Liability (DTL) on net appreciation/ depreciation credited to AFS Reserve	(38)	(86)	48
छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment	(0.43)	0.60	(0.49)
कुल (आ) / Total (B)	**270**	**(86)**	**356**
आस्थगित कर (देयता)/आस्ति (निवल) (अ) - (आ) **Deferred tax (Liability)/ Asset (net) (A) – (B)**	3,756	(2,232)	5,988

बैंक कारोबार हानि सहित आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) को इसके रिवर्सल होने की आभाषी निश्चितता को ध्यान में रखते हुए दर्ज करता है.
Bank is recognizing deferred tax asset (DTA) including that on business loss keeping in view the virtual certainty of its reversal.

9. कराधान हेतु प्रावधान
Provision for Taxation

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2026	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2025
आयकर के लिए प्रावधान - वर्तमान कर Provision for Income Tax - Current Tax	129#	166##

 # आईडीबीआई बैंक लि. के संबध में गृह संपत्ति से आय के ₹ 6 करोड़ और अन्य स्रोतों से आय के ₹ 362 करोड़ (जिसमें ₹ 329 करोड़ का आयकर रिफंड पर ब्याज शामिल है) की राशि के लिए ₹ 93 करोड़ का कर के लिए प्रावधान किया गया है.

 # Provision for tax of ₹ 93 crore pertaining to IDBI Bank Ltd has been created on Income from House Property amounting of ₹ 6 crore and on Income from Other sources amounting to ₹ 362 crore (which includes interest on income tax refund of ₹ 329 crore).

₹ 858 करोड़ की गृह संपत्ति से तथा अन्य स्रोतों से आय के लिए आईडीबीआई बैंक लि. ने ₹ 137 करोड़ का प्रावधान किया है, जो ₹ 297 करोड़ के अग्रेषित अनवशोषित मूल्यह्रास के प्रति आंशिक रूप से समायोजित किया गया है.

Creation of provision of ₹ 137 crore pertaining to IDBI Bank ltd on Income from House Property and Other sources amounting to ₹ 858 crore which is partially set off against carried forward unabsorbed depreciation of ₹ 297 crore.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

10. 31 मार्च 2026 को कंपनी अगिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:

Summarized financial information of Subsidiary Companies, Associate Companies & Jointly Controlled Entity as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2026 are as under

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि का हिस्सा Share of profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
मूल संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. **Parent : IDBI Bank Ltd.**	98.39%	67,638	103.29%	9,513
सहायक संस्थाएं: / Subsidiaries:				
भारतीय : / Indian :				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	0.59%	405	0.47%	44
2. आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.	0.20%	136	0.14%	13
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	0.33%	227	0.09%	8
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Co. Ltd.	0.00%	2	0.00%	(0.07)
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.57%	393	0.64%	59
विदेशी: / Foreign :	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित **Minority Interest in all subsidiaries**	0.26%	178	0.29%	27
सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)# **Associates (Investment as per the equity method) #**				
भारतीय / Indian				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech consortium India Limited	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	0.0003%	0.03

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि का हिस्सा Share of profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
2. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	0.27%	25.14
विदेशी: / Foreign :	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
संयुक्त उद्यम / Joint Ventures (इक्विटी पद्धति के अनुसार आनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार) (as per proportionate consolidation / investment as per the equity method)				
भारतीय / Indian	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
विदेशी / Foreign	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
कुल / Total	**100.34%**	**68,978**	**104.62%**	**9,635**
विलोपन / Elimination	-0.34%	(236)	-4.62%	-425
निवल कुल / Net Total	**100.00%**	**68,742**	**100.00%**	**9,210**

नोट: उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है.
Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

 # 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में हिस्सेदारी को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर शामिल किया गया है.
 # The share of profits for the year ended March 31, 2026 have been considered based management certified financial statements.

11. परिचालन बंद करना (एएस-24)
Discontinuing Operations (AS-24)

क) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में

a) In case of IDBI Bank Limited

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके कारण देयता घटी है और आस्तियों से प्राप्ति हुई है और उपरोक्त प्रभाव उत्पन्न करने वाले किसी भी परिचालन को पूरी तरह से बंद करने के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.
During the FY 2025-26, the Bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect.

ख) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
b) In case of IDBI Asset Management Limited

i. 29 दिसंबर 2022 को आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड (कंपनी) और आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के अनुमोदन के बाद, कंपनी ने एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एलआईसी एमएफ एएमसी) के साथ एलआईसी एमएफ एएमसी को आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं के संपूर्ण अंतरण के लिए स्कीम ट्रांसफर एग्रीमेंट (एसटीए) किया था. कंपनी आईडीबीआई एमएफ की योजनाओं के प्रबंध से प्रबंधन शुल्क अर्जित करती है, जो एएस 17, खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कंपनी के लिए एकमात्र खंड है. उपर्युक्त निपटान सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 के प्रावधानों के तहत विनियामक आवश्यकताओं में से एक के अनुपालन में है. विलय की प्रक्रिया 29 जुलाई 2023 को पूरी हो गई थी. स्कीम ट्रांसफर एग्रीमेंट के अनुसार, कंपनी को अभी अपना म्यूचुअल फंड पंजीकरण प्रमाणपत्र सौंपना बाकी है, जिसे सेबी ने पिछली बार 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया था.

On December 29, 2022, subsequent to approval of the Board of IDBI Asset Management Ltd (The Company) and IDBI MF Trustee Company Ltd, the company had entered into Scheme Transfer Agreement (STA) with LIC MF Asset Management Ltd (LIC MF AMC) for transfer of entire IDBI Mutual Fund Schemes to LIC MF AMC. The company earns management fee from management of the schemes of IDBI MF, which is the only segment for the company as per AS 17, Segment Reporting. The disposal is in compliance with one of the Regulatory requirements under the provisions of SEBI (Mutual Fund) Regulations 1996. The process of merger was completed on July 29, 2023. As required by the Scheme Transfer Agreement, the company is yet to surrender its Mutual Fund certificate of Registration, which SEBI has last extended till September 30, 2026.

12. आस्ति का ह्रास (एएस-28)
Impairment of Asset (AS-28)

प्रबंधन की राय में चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आस्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है.
In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the current year and previous year.

13. आकस्मिक देयता
Contingent Liability

(क) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
(a) In case of IDBI Bank Limited

(अ) आकस्मिक देयताओं का विवरण (एएस-29)
A. Description Of Contingent Liabilities (AS-29)

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के विरूध्द विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows..

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता की शेष अदत्त राशियों को दर्शाती है. इसमें उद्यम पूंजी निधियों के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं. This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल आनुमानिक मूलधन का वृहद मूल्य सृजित होता है, जबकि इसका निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
IV	संघटकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
VI	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये योजनाएं उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृहद मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. बैंक भारतीय कॉरपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds
VII	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये योजनाएं उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होते हैं, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
VIII	विवादित कर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed taxes, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विभिन्न कर संबंधी मामलों में एक पक्षकार है, जिनमें अपीलें लंबित हैं . बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू कानूनों के अनुसार अपील प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्षों में ऐसे मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favorable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961 and applicable laws.
IX	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं This item represents the following क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां. a) Guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity ख) **जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित राशि -** जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना में विनिर्दिष्ट अनुसार बैंक निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि और दस वर्षों या उससे अधिक समय से दावा न की गई शेष राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज को अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर अंतरित करता है. यदि ग्राहक/ जमाकर्ता अपनी अदावी राशि/ जमा के लिए मांग करते हैं, जिसे बैंक ने डीईए निधि योजना के अनुसार, पहले ही रिज़र्व बैंक को अंतरित कर दिया है, बैंक ग्राहक/ जमाकर्ता को ब्याज सहित, यदि लागू हो, भुगतान करता है और ग्राहक/जमाकर्ता को भुगतान की गई राशि के समतुल्य राशि के लिए रिज़र्व बैंक से वापसी के लिए दावा करता है. b) **The amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) -** In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014, the Bank transfers the proceeds of the inoperative accounts and the balances remaining unclaimed for ten years or more as specified in the scheme and the interest accrued thereon, on the last working day of the subsequent month. In case the customer / depositor(s) raises a demand for their unclaimed amount / deposit which the Bank has already transferred to RBI, as per DEA Fund Scheme, the Bank pays to the customer / depositor, along with interest, if applicable, and lodge a claim for refund from RBI for an equivalent amount paid to the customer / depositor. ग) पूंजी खाते में निष्पादन के लिए शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि, अनाहरित आंशिक ऋण संवृद्धि सुविधाएं, प्रतिभूतियों के जारी होने तक जारी की गई प्रतिभूतियां आदि. c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, undrawn partial credit enhancement facilities, When Issued Securities till issue of securities etc.

आ. दीर्घावधि संविदाएं
B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घावधि संविदाओं पर उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

इ. लंबित मुकदमें
C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आय कर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियाँ शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय प्रकटनों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial disclosure.

ई. आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधान में घट-बढ़
D. Movement of provision against Contingent Liabilities

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25
क / a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	5357	2995
ख / b)	वर्ष के दौरान परिवर्धन / (रिवर्सल) / Addition/ (reversal) during the year	(555)	2362
ग / c)	अंतिम शेष / Closing Balance	4802	5357

14. अन्य प्रकटन
Other Disclosures

i) वर्ष के दौरान अधिमान्य आधार पर कोई इक्विटी शेयर आबंटित नहीं किये गये (पिछले वर्ष शून्य).
During the year no Equity Shares were allotted on preferential basis (Previous year Nil).

ii) **भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़)**
Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)

भारत सरकार जो ट्रस्ट की 'सेटलर' एवं 'लाभार्थी' है, ने अपने दिनांक 20 मार्च 2026 के अपने पत्र के माध्यम से एसएएसएफ को निर्देश दिया कि अपनी बहियों में दर्ज एक ऋण खाता एवं एक बकाया निवेश, तथा उसके पास धारित जमा राशियों को आईडीबीआई बैंक को अंतरित करे तथा 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के अंतिम समापन के लिए आवश्यक कदम उठाए. एसएएसएफ के न्यासी मंडल ने 27 मार्च 2026 को आयोजित अपनी बैठक में भारत सरकार के उपर्युक्त निर्देशों पर विचार किया तथा 31 मार्च 2026 को कारोबार समय की समाप्ति तक एसएएसएफ के परिचालनों के समापन का निर्णय लिया. तदनुसार, दिनांक 31 मार्च 2026 को कारोबार समय की समाप्ति पर एसएएसएफ भंग कर दिया गया है.

GOI the "Settlor" and "Beneficiary" of the Trust, vide their letter dated March 20, 2026, directed SASF to transfer one loan account and one investment outstanding in its books and deposits held by it to IDBI Bank and take necessary steps for the final closure of the Trust by March 31, 2026. The Board of Trustees of SASF, at its meeting held on March 27, 2026, took note of the aforesaid GOI's directive and resolved to close the operations of SASF by the close of business hours on March 31, 2026. Accordingly, SASF stands dissolved at the close of business hours on March 31, 2026.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय**
Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure

क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशिः ₹ 147 करोड़ (पिछले वर्षः ₹ 105 करोड़)

a. Gross amount required to be spent during the year: ₹ 147 Crore (Previous Year: ₹ 105 Crore)

ख. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशिः

b. Amount spent during the year:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2025-26 FY 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25 FY 2024-25
नकद / In cash	129	72
नकद भुगतान किया जाना शेष है / Yet to be paid in cash	18	33
कुल / Total	**147**	**105**

iv. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकटीकरण.
Disclosure pursuant to the provision of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Particulars	राशि ₹ Amount ₹
(i)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन राशि और उस पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाये) the principal amount and the interest due thereon (to be shown separately) remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year.	शून्य / NIL
(ii)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान, धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा आपूर्तिकर्ता को निर्धारित दिवस के पश्चात् किए गए भुगतान की राशि के साथ-साथ उस पर अदा किए गए ब्याज की राशि. the amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year	शून्य / NIL
(iii)	भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की वह राशि (जो वर्ष के दौरान अदा की गई है, किन्तु निर्धारित दिवस के पश्चात्), परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना. the amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under this Act.	शून्य / NIL
(iv)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में उपचित तथा अदत्त ब्याज राशि; तथा अतिरिक्त ब्याज की वह राशि, जो आगामी वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य बनी रहती है, उस तारीख तक जब तक कि धारा 23 के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु उपर्युक्त ब्याज देयताओं का वास्तविक भुगतान लघु उद्यम को नहीं कर दिया जाता है. the amount of interest accrued end of each and remaining unpaid at the accounting year; and the amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23	शून्य / NIL

v. दिनांक 31 मार्च 2026 को रिज़र्व बैंक के समाधान ढाँचा 1.0 एवं समाधान ढाँचा 2.0 संबंधी परिपत्रों के संदर्भ में, बैंक ने कुल ₹ 167 करोड़ का विनियामक प्रावधान बनाये रखा है. प्रबंधन के आकलन के आधार पर, पुनर्संरचित खुदरा एवं कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए ₹ 1,124 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी रखा गया है.
As at March 31, 2026, the Bank continues to hold regulatory provision aggregating to ₹ 167 crores in terms of RBI's circular on Resolution Framework 1.0 and Resolution Framework 2.0. Based on management assessment, additional provision of ₹ 1,124 crores is held for restructured Retail and Corporate borrowers.

vi. बैंक के पास 31 मई 2023 से ₹ 400 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 400 करोड़) की निवल ओवरनाइट खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा है. वर्ष के दौरान (2025-26) खुली स्थिति स्वीकृत सीमा के भीतर थी और औसत उपयोग ₹ 179 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 191 करोड़) था. वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोग 28.11.2025 को ₹ 245 करोड़ था (पिछले वर्ष 06.01.2025 को ₹ 326 करोड़).

The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹ 400 crore (Previous Year ₹ 400 crore) w.e.f. May 31, 2023. During the year (2025-26) the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 179 crore (Previous Year ₹ 191 crore). The maximum utilization during the year was at ₹ 245 crore on 28.11.2025. (Previous Year ₹ 326 crore on 06.01.2025).

vii. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, इस समझ से, लिखित या अन्य प्रकार से, बैंक और सहायक संस्थाओं द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, विदेशी संस्थाओं सहित ('मध्यवर्ती') में/को कोई भी राशि अग्रिम या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से जुटाई गई राशि से) के रूप कोई निधि प्रदान नहीं की गई है और यह कि मध्यवर्ती, बैंक द्वारा या की ओर से निर्धारित पक्षकार (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या उनमें निवेश करेगी. इसके अतिरिक्त बैंक और सहायक संस्थाओं को किसी भी पक्षकार (निधीयन पक्षकार) से कोई भी निधि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं हुई है कि बैंक और सहायक संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक और सहायक संस्थाआं द्वारा या इसकी ओर से अभिनिर्धारित किसी व्यक्ति या संस्था ('अंतिम लाभार्थी') को उधार या उसमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार कुछ और प्रदान करेंगे.
During the year ended March 31, 2026, no funds have been advanced or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank and Subsidiaries to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Bank (Ultimate Beneficiaries). Further, The Bank and Subsidiaries has not received any fund from any parties (Funding Party) with the understanding that the Bank and Subsidiaries shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Bank and Subsidiaries ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

viii) 29 जुलाई 2023 से आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड (आईएएमएल) के असेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) को ₹ 89 करोड़ के बिक्री प्रतिफल पर एलआईसी म्यूचुअल फ़ंड असेट मैनेजमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है. सेबी ने 10 मार्च 2026 के अपने पत्र के द्वारा आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड के लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए 30 सितंबर 2026 तक समय बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान किया है.
Asset Under Management (AUM) IDBI Asset Management Ltd (IAML) has been transferred to LIC Mutual Fund Asset Management Ltd with effect from July 29, 2023 for a Sale Consideration of ₹ 89 crore. SEBI vide its letter dated March 10, 2026 has approved extension of time up to September 30, 2026 for surrender of license of IDBI Mutual Fund.

ix) पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि वे चालू वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुरूप हों और साथ ही 30 अगस्त 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'वित्तीय परिणाम - प्रस्तुति और प्रकटन' के बारे में मास्टर निदेश (28 नवंबर 2025 को अद्यतित), यथा संशोधित की अपेक्षाओं के अनुसरण में और जहां भी आवश्यक समझा गया है .
Figures of the previous year, are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year and also pursuant to the requirement of Master Direction on financial results - Presentation and disclosure issued by Reserve Bank of India dated August 30, 2021 (updated as on November 28, 2025), as amended and wherever considered necessary.

'1' से '18' लेखा अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)	(जयकुमार एस. पिल्लै)	(सुमित फक्का)	(समरेश परिदा)	(स्मिता कुबेर)	(ज्योति नायर)
(Rakesh Sharma)	(Jayakumar S. Pillai))	(Sumit Phakka)	(Samaresh Parida)	(Smita Kuber)	(Jyothi Nair)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
Managing Director & Chief Executive Officer	Dy. Managing Director	Dy. Managing Director	Director	Chief Financial Officer	Company Secretary
डीआईएन/DIN: 06846594	डीआईएन/DIN: 10041362	डीआईएन/DIN: 08259618	डीआईएन/DIN: 01853823		

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी	कृते सूरी एंड कंपनी
For Chokshi & Chokshi LLP	For Suri & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045	फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S
राकेश जैन	नटराजन वी
Rakesh Jain	Natarajan V
साझेदार/Partner	साझेदार/Partner
स. सं./ M.No. 042364	स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2026

(₹ '000 में / (₹ in '000s)

		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31-03-2026 (Audited)	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31-03-2025 (Audited)
अ. A.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from Operating Activities**		
(1)	**कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ / (हानि) Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items**	11656 51 24	10670 46 41
(2)	**गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन: Adjustments for non cash items:**		
	- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	(6 16 10)	2 33 54
	- मूल्यह्रास और पुनर्मूल्यन हानि Depreciation and revaluation loss	616 91 96	538 11 81
	- परिपक्वता तक धारित निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of premium on Held to Maturity investments	137 51 48	115 60 18
	- ऋणों/ निवेशों के लिए प्रावधान/ बट्टे खाते डालना Provisions/ Write off of Loans/ Investments	101 94 54	(1855 81 64)
	- मानक और पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for Standard and restructured assets	(1080 06 02)	2699 72 07
	- अन्य प्रावधान / Other Provisions	(98 24 14)	(331 04 48)
	- निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/हानि (Profit) / Loss on revaluation of Investments	(165 48 95)	87 23 71
	- उधार राशियों पर ब्याज (परिचालन गतिविधियों के अलावा) Interest on borrowings (other than operational activities)	208 70 65	591 51 71
	- रणनीतिक निवेश की बिक्री पर (लाभ)/हानि (Profit)/ Loss on Sale of Strategic Investment	(1316 83 02)	
		10054 81 64	**12518 13 31**
(3)	**परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन: Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
	- निवेश / Investments	(8324 17 21)	(1736 88 62)
	- अग्रिम / Advances	(35365 39 97)	(27514 00 94)
	- अन्य आस्तियां / Other Assets	(1759 94 12)	905 17 20
(4)	**परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन: Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
	- उधार राशियां Borrowings	11373 75 43	7594 29 83
	- जमाराशियां / Deposits	36882 69 75	32527 92 35
	- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	3555 84 00	(234 40 78)

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2026

(₹ '000 में / (₹ in '000s)

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31-03-2026 (Audited)	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31-03-2025 (Audited)
- **परिचालन कार्यकलापों से कर पूर्व नकदी प्रवाह** Cash Flow from Operating Activities before taxes	16417 59 52	24060 22 35
- प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड घटाकर) / Direct Taxes paid (Net of Refund)	344 15 83	1735 47 48
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह Net Cash flow used in / generated from Operating activities	**16761 75 35**	25795 69 83
आ. B. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing activities		
- अचल आस्तियों की खरीद चालू कार्य सहित Purchase of fixed assets incl work in progress	(327 42 93)	(349 66 87)
- रणनीतिक निवेश की बिक्री से प्राप्त राशि Proceeds from Sale of Strategic Investmen	1730 18 83	-
- अचल आस्तियों की बिक्री / Sale of fixed assets	19 38 86	6 12 04
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाया गया निवल नकदी प्रवाह Net Cash flow used in / raised from Investing activities	**1422 14 76**	(343 54 83)
इ. C. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Financing activities		
- प्रदत्त लाभांश / Dividend Paid	(2256 67 19)	(1611 79 46)
- उधार राशियों पर प्रदत्त ब्याज/ Interest paid on borrowings	(318 92 82)	(645 49 78)
- बॉण्डों का मोचन / Redemption of Bonds	(3202 00 00)	(4745 00 00)
- अल्पसंख्यक हित में वृद्धि / Increase in minority interest	26 64 82	25 63 83
- अल्पसंख्यकों को प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / - Dividend and dividend tax paid to minority	(13 66 42)	(13 66 38)
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाया गया निवल नकदी प्रवाह Net Cash flow used in / raised from Financing activities	**(5764 61 61)**	(6990 31 79)
- ट्रांसलेसन रिज़र्व पर विनिमय के उतार-चढ़ाव का प्रभाव Effect of exchange fluctuation to translation reserve	18 84 57	5 27 27
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	12438 13 07	18467 10 48
प्रारम्भ में नकदी एवं नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	44476 58 11	26009 47 62
अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	56914 71 18	44476 58 11

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2026

(₹ '000 में / (₹ in '000s)

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31-03-2026 (Audited)	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31-03-2025 (Audited)
नकदी प्रवाह विवरण के बारे में टिप्पणी: / Note to Cash Flow Statement:		
1. नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	33230 47 19	21294 23 76
बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks & money at call and short notice	23684 23 99	23182 34 35
कुल / Total	**56914 71 18**	**44476 58 11**

2. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर की जाती है.
Cash flow from operating activities reported by using Indirect method.

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 & 18)

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)	(जयकुमार एस. पिल्लै) (Jayakumar S. Pillai))	(सुमित फक्का) (Sumit Phakka)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida)	(स्मिता कुबेर) (Smita Kuber)	(ज्योति नायर) (Jyothi Nair)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director	निदेशक Director	मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary
डीआईएन/DIN: 06846594	डीआईएन/DIN: 10041362	डीआईएन/DIN: 08259618	डीआईएन/DIN: 01853823		

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते चोक्शी एंड चोक्शी एलएलपी For Chokshi & Chokshi LLP	कृते सूरी एंड कंपनी For Suri & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 101872W/W100045	फर्म पंजीयन संख्या /FRN-004283S
राकेश जैन Rakesh Jain	नटराजन वी Natarajan V
साझेदार/Partner	साझेदार/Partner
स. सं./ M.No. 042364	स. सं./M.No. 223118

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहायक/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित विवरण
STATEMENT CONTAINING SAILENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

भाग ''अ'': सहायक कंपनियां
Part "A": Subsidiaries

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
सहायक संस्था की रिपोर्टिंग अवधि यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period			लागू नहीं Not Applicable		
विदेशी सहायक संस्थाओं के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.			लागू नहीं Not Applicable		
शेयर पूंजी Share capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	15 55 15
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष Reserves & surplus	276 71 31	386 49 52	27 29 94	1 48 84	120 88 85
कुल आस्तियां Total assets	520 28 29	399 53 00	227 54 80	1 70 85	154 85 52
कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों के अलावा) Total Liabilities (excluding capital and reserves)	115 46 98	7 00 20	24 86	2 01	18 41 52
निवेश Investments	116 23 95	270 72 94	99 84 16	23 15	0
टर्नओवर Turnover	174 04 68	108 41 13	13 20 66	11 28	174 66 49

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
कराधान से पूर्व लाभ Profit before taxation	56 87 54	73 11 32	11 24 82	(4 45)	16 34 91
कराधान के लिए प्रावधान Provision for taxation	13 19 99	14 28 71	2 88 86	2 84	3 63 55
कराधान के बाद लाभ Profit after taxation	43 67 54	58 82 61	8 35 95	(7 29)	12 71 36
प्रस्तावित/ अंतरिम लाभांश (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित) Proposed/ Interim Dividend (including corporate dividend tax)	शून्य / Nil	30 16 38	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
शेयरधारिता का % % of shareholding	100%	54.70%	*66.67%	100%	100.00%

** शेष 33.33% धारिता आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. के पास है*
** Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Markets & Securities Ltd.*

टिप्पणियां / Notes:

1. टर्नओवर प्रत्येक संस्था द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई कुल आय है.
   Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
2. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
3. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या बेचा गया हो: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

भाग ''आ'': सहयोगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
Part "B": Associates and Joint Ventures

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

क्रम सं. Sr. No.	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/Joint Ventures	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	नॉर्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड North Eastern Development Finance Corporation Limited
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख Latest audited Balance Sheet Date	31 मार्च 2025 को March 31, 2025	31 मार्च 2025 को March 31, 2025
2.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के धारित शेयर** **Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end**		
	इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	150 00 04	2500 00 02
	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यम में निवेश राशि Amount of Investment in Associates/Joint Venture	1 50 00	25 00 00
	धारिता का % Extend of Holding%	27.93%	25.00%
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लिमिटेड में 27.93% की धारिता को एएस-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in Biotech Consortium India Ltd being 27.93%, considered as an Associate as per AS-23	नॉर्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में 25% की धारिता को एएस-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in North Eastern Development Finance Corporation Ltd being 25%, considered as an Associate as per AS-23
4.	सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम के समेकित नहीं करने के कारण Reason why the associate/joint venture is not Consolidated	लागू नहीं/ N.A.	लागू नहीं/ N.A.
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता स्रोतजन्य निवल मालियत Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	8 29 59	318 52 00
6.	**31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/ हानि** **Profit / Loss for the year ended March 31, 2026**		
	i. समेकन में शामिल (टिप्पणी 3 देखें) Considered in Consolidation (Refer note 3)	2 92	25 13 57
	ii. समेकन में शामिल नहीं Not Considered in Consolidation	-	-

टिप्पणियां / Notes:

1. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है: कोई नहीं
   Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations: None
2. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया है: कोई नहीं
   Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year : None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

3. नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनैंस कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड को, दिनांक 31 मार्च 2026 को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर, एएस-23 के अनुरूप समेकित किया गया है
North Eastern Development Finance Corporation Limited and Biotech Consortium India Limited has been consolidated in accordance with AS-23 based on management ceritified financials as at March 31, 2026.

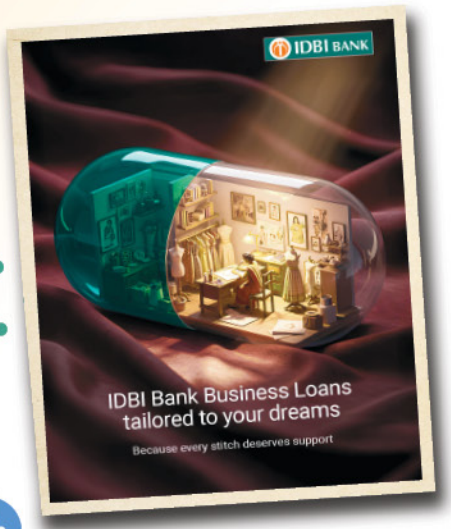
(राकेश शर्मा)	(जयकुमार एस. पिल्लै)	(सुमित फक्का)	(समरेश परिदा)	(स्मिता कुबेर)	(ज्योति नायर)
(Rakesh Sharma)	(Jayakumar S. Pillai)	(Sumit Phakka)	(Samaresh Parida)	(Smita Kuber)	(Jyothi Nair)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	उप प्रबंध निदेशक	निदेशक	निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कंपनी सचिव
Managing Director & Chief Executive Officer	Dy. Managing Director	Dy.Managing Director	Director	Chief Financial Officer	Company Secretary
डीआईएन/DIN: 06846594	डीआईएन/DIN: 10041362	डीआईएन/DIN: 08259618	डीआईएन/DIN: 01853823		

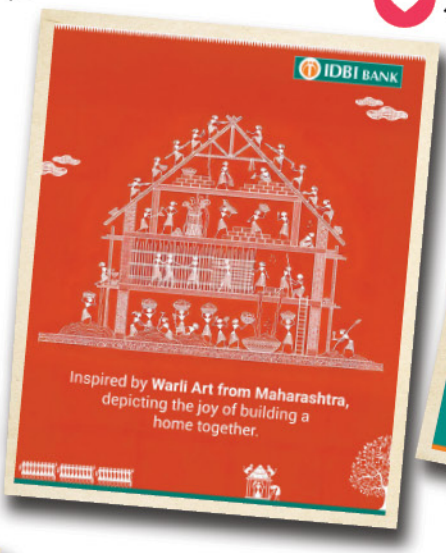
स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 अप्रैल 2026 / Date : April 30, 2026

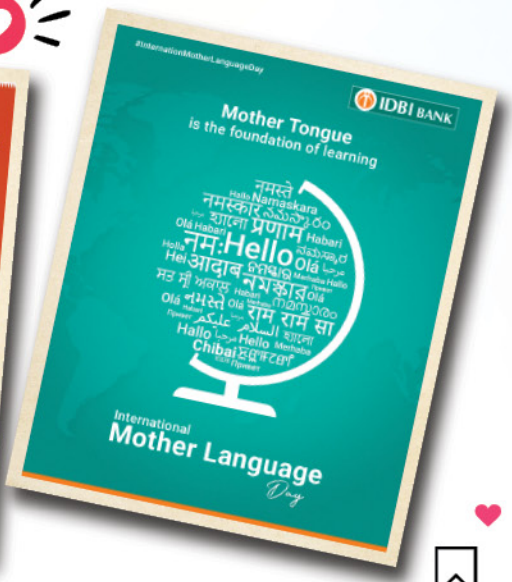
समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2026)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2026)

भारतीय रिज़र्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2026 को पिलर III प्रकटन, तिमाही प्रकटनों के साथ, बैंक की वेबसाइट पर 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2025-26 (Basel III) के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं.

Pillar III disclosures at March 31, 2026 along with quarterly disclosures, as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on the Bank's website under 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2025-26 (Basel III).


IDBI BANK
IDBI Bank Business Loans
tailored to your dreams
Because every stitch deserves support


IDBI BANK
Inspired by Warli Art from Maharashtra,
depicting the joy of building a
home together.

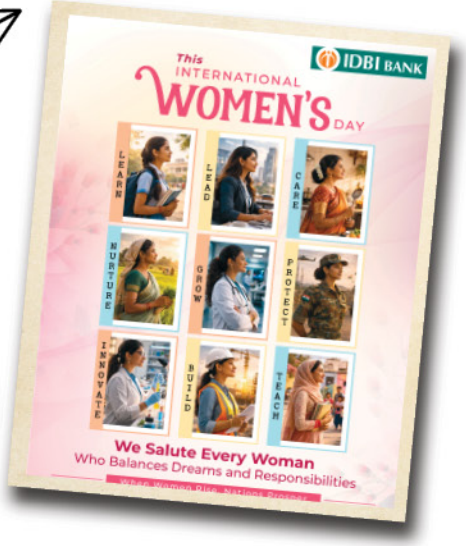

IDBI BANK
Mother Tongue
is the foundation of learning
International
Mother Language
Day

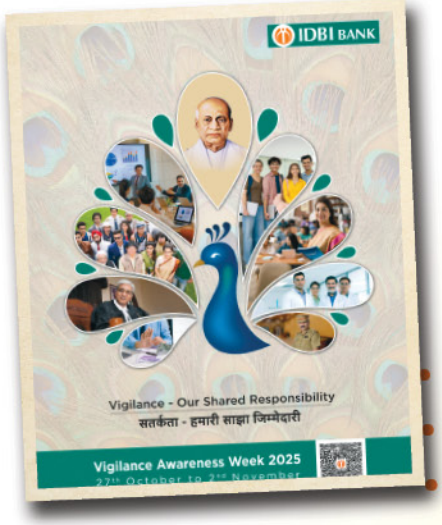

IDBI BANK
AHA!
SNAP! STOP!
NEVER SHARE
AADHAAR OR
SIM DETAILS.
SIM Swap / SIM Cloning
Never share Aadhaar number,
SIM number or personal details
with unknown callers.
#InformationSecurityAwarenessWeek2025


IDBI BANK
Har jeet pe DOST hai saath
CONGRATULATIONS
TEAM INDIA!


IDBI BANK
In The World Of Cyber Threats,
Knowledge Is Your Winning Card


like
IDBI BANK
#EkPedMaaKeNaam
One collective commitment to the planet.
50000+
TREES PLANTED


This
INTERNATIONAL
WOMEN'S DAY
IDBI BANK
LEARN
LEAD
CARE
NURTURE
GROW
PROTECT
INNOVATE
BUILD
TEACH
We Salute Every Woman
Who Balances Dreams and Responsibilities


IDBI BANK
Vigilance - Our Shared Responsibility
सतर्कता - हमारी साझा जिम्मेदारी
Vigilance Awareness Week 2025



IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई – 400005
टोल फ्री नं : 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
गैर-टोल फ्री नं.: 022-67719100.

सीआईएन - L65190MH2004GOI148838

IDBI Bank Limited
Regd. Office:
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005
Toll Free Nos.: 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
Non-Toll Free Nos.: 022-67719100.

CIN - L65190MH2004GOI148838

www.idbi.bank.in @idbi_bank /IDBIBank @idbibankofficial YouTube/idbibank /idbibank

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN L65190MH2004GOI148838
पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005
फोन-(022) 66553336/ 3147
ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbi.bank.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के सदस्यों की **22वीं वार्षिक महासभा मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम)** के जरिये आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जायेगी :

सामान्य कारोबार

1. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

2. श्री सुमित फक्का (डीआईएन: 08259618), उप प्रबंध निदेशक को आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

विशेष कारोबार

3. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाये तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150 एवं 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों एवं इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 16(1)(बी) और 17, समय-समय पर यथा संशोधित; बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए तथा बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(vi) के अनुसार, श्री अभिजीत चक्रवर्ती (डीआईएन: 09494533), जिन्हें 19 मई 2026 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार, बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार और जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार स्वयं श्री चक्रवर्ती से बैंक के निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी जताने का लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें 19 मई 2026 से लगातार दो (2) वर्षों की अवधि के लिए, जो आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे, को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है''.

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखों को निष्पादित करने,

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005,
Phone-(022) 66553336 / 3147
E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbi.bank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the **22nd Annual General Meeting** of the Members of **IDBI Bank Limited** will be held on **Tuesday, July 21, 2026** at **11:00 a.m. exclusively through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM),** to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2026 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the Audited Consolidated Financial Statements of the Bank and the Report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2026;

2. To re-appoint Shri Sumit Phakka (DIN: 08259618), Deputy Managing Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

SPECIAL BUSINESS

3. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149, 150 and 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, Regulations 16(1)(b) and 17 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time-to-time, Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri Abhijit Chakravorty (DIN: 09494533), who was appointed as an Additional Director in the capacity of Independent Director on the Board of IDBI Bank Ltd. with effect from May 19, 2026, pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors, in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association of the Bank, and in respect of whom a notice in writing pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013 has been received from Shri Chakravorty himself signifying his candidature for the office of Director of the Bank, be and is hereby appointed as an Independent Director of the Bank, not liable to retire by rotation, for a term of two (2) consecutive years with effect from May 19, 2026."

"RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorised to execute all

सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों के पास अपेक्षित फॉर्म या आवेदन दाखिल करने तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करना, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उपयुक्त और उचित समझा जाए, के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है.''

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो इसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150 एवं 152 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों एवं इस अधिनियम अधीन बनाये गये नियमों; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 16(1)(बी) और 17, समय-समय पर यथा संशोधित; बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए तथा बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(vi) के अनुसार, श्री केतन शिवजी विकमसे (डीआईएन: 00282877), जिन्हें 26 जून 2026 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार, बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार और जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार स्वयं श्री विकमसे से बैंक के निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी जताने का लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें 26 जून 2026 से लगातार दो (2) वर्षों की अवधि के लिए, जो आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे, को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है''.

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखों को निष्पादित करने, सांविधिक और विनियामक प्राधिकरणों के पास अपेक्षित फॉर्म या आवेदन दाखिल करने तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करना, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उपयुक्त और उचित समझा जाए, के लिए अधिकृत किया जाये और एतदद्वारा किया जाता है.''

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(iii) और (vii); बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी तथा अन्य लागू प्रावधानों, यथा संशोधित, यदि कोई हो, के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशा-निर्देशों एवं परिपत्रों; कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 149, 152, 160, 196, 197, 203 के प्रावधानों और अनुसूची V, यथा संशोधित, के साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों; सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 17(1C) तथा अन्य लागू प्रावधानों; और अन्य लागू कानूनों (जिसमें कोई सांविधिक संशोधन(नों), आशोधन(नों) या पुनः अधिनियमन शामिल हैं, जो इस समय प्रभावी हो) तथा बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसार, श्री जयकुमार एस. पिल्लै (डीआईएनः 10041362) को बैंक के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में पुनर्नियुक्त करने के लिए बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है, जो आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए

such agreements, documents, instruments and writings, file requisite forms or applications with the statutory and regulatory authorities and do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary, expedient and appropriate to give effect to this Resolution."

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149, 150 and 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, Regulations 16(1)(b) and 17 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time-to-time, Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri Ketan Shivji Vikamsey (DIN: 00282877), who was appointed as an Additional Director in the capacity of Independent Director on the Board of IDBI Bank Ltd. with effect from June 26, 2026, pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors, in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association of the Bank, and in respect of whom a notice in writing pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013 has been received from Shri Vikamsey himself signifying his candidature for the office of Director of the Bank, be and is hereby appointed as an Independent Director of the Bank, not liable to retire by rotation, for a term of two (2) consecutive years with effect from June 26, 2026."

`**"RESOLVED FURTHER THAT** the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorised to execute all such agreements, documents, instruments and writings, file requisite forms or applications with the statutory and regulatory authorities and do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary, expedient and appropriate to give effect to this Resolution."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Article 116(1)(iii) and (vii) of the Articles of Association of the Bank; the relevant provisions of Section 35B and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949, as amended, read with the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time-to-time; the provisions of Sections 149, 152, 160, 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013 ('the Act'), as amended, read with the rules made thereunder; Regulation 17(1C) and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'); and other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors of the Bank, the approval of the Members of the Bank be and is hereby accorded to the re-appointment of Shri Jayakumar S. Pillai (DIN: 10041362) as Deputy Managing

दायी होंगे, और जिनका कार्यकाल एक (1) वर्ष का होगा, जो 12 जून 2026 से प्रारंभ होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई 2026 के अपने पत्र द्वारा और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 19 मई 2026 को अनुमोदन प्रदान किया गया है यह पुनर्नियुक्ति पारिश्रमिक सहित ऐसी शर्तों पर होगी, जिनका वर्णन इस सूचना के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में किया गया है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मंडल (जिसमें विधिवत गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति भी शामिल है) को श्री जयकुमार एस. पिल्लै को बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान देय पारिश्रमिक, जिसमें नियत वेतन, प्रदर्शन-आधारित परिवर्ती वेतन और अन्य परिलब्धियां शामिल हैं, को समय-समय पर, जैसा उपयुक्त समझा जाये, परिवर्तन, संशोधन, पुनरीक्षण, भिन्नता अथवा बढ़ाने, जो रिज़र्व बैंक के लागू दिशा-निर्देशों, बैंक की क्षतिपूर्ति नीति, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सेबी सूचीबद्धता विनियमों तथा रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमोदनों के अनुपालन के अधीन होंगे, करने के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखों को निष्पादित करने, सांविधिक या विनियामक प्राधिकरणों के पास अपेक्षित फॉर्म या आवेदन दाखिल करने तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करना, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक, उपयुक्त और उचित समझा जाए, के लिए अधिकृत किया जाये और एतदद्वारा किया जाता है.''

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 2(जेडबी), (जेडसी) और 23; कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा विधि के अन्य किसी प्रासंगिक प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई संशोधन(नों), सांविधिक आशोधन(नों), या उनका पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है जिसमें बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/ गठन की जाने वाली कोई भी समिति (यां) शामिल हैं) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते एलआईसी म्यूचुअल फंड (एलआईसीएमएफ) के साथ संविदाएं/ करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (चाहे एकल लेनदेन हो अथवा लेनदेनों को मिलाकर या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या आशोधन (नों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में, निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैंः

1. म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर कमीशन की प्राप्ति
2. एलआईसीएमएफ के साथ अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएँ और/या संसाधनों/सेवाओं का उसको/से अंतरण, उस प्रतिफल के बदले जो सहमति से तय किया जाये या समय-समय पर तय किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न मुद्रा बाज़ार लेन-देन,

Director (DMD) of the Bank, liable to retire by rotation, for a term of one (1) year commencing from June 12, 2026, as approved by the Reserve Bank of India vide its letter dated May 19, 2026, and by the Board of Directors of the Bank on May 19, 2026, on such terms and conditions, including remuneration, as set out in the Explanatory Statement annexed to this Notice."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank (including the duly constituted Nomination and Remuneration Committee) be and is hereby authorised to alter, modify, revise, vary or increase the remuneration, including fixed pay, performance-linked variable pay and perquisites, payable to Shri Jayakumar S. Pillai during his tenure as Deputy Managing Director of the Bank, from time-to-time, as may be considered appropriate, subject to compliance with the applicable RBI guidelines, the Compensation Policy of the Bank, the provisions of the Companies Act, 2013, the SEBI Listing Regulations and such approval(s) as may be required from the Reserve Bank of India."

"RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorised to execute all such agreements, documents, instruments and writings; file requisite forms, returns or applications with statutory or regulatory authorities; and do all such acts, deeds, matters and things as may be deemed necessary, proper or expedient to give effect to this Resolution."

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Regulations 2(zb),(zc) and 23 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and/ or continuing with contracts / arrangements / transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with LIC Mutual Fund (LICMF), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

1. Receipt of commission on sale of Mutual Funds
2. Other transactions and / or arrangements with and / or transfer of resources / services from / to LICMF, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time-to-time including various money market transactions, Buying/ Selling of Govt. Securities / CDs / SLR/Non-SLR securities /

सरकारी प्रतिभूतियों/सीडी/एसएलआर/गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री, कॉरपोरेट बॉन्डों की प्राथमिक बाज़ार के माध्यम से प्राथमिक नीलामी में भाग लेना तथा उन बॉन्डों की द्वितीयक बाज़ार में खरीद और बिक्री तथा मुद्रा बाज़ार लिखत शामिल हैं. इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी संविदाएं/व्यवस्थाएँ/लेन-देन एक वित्तीय वर्ष के दौरान, चाहे एकल रूप से और/या सामूहिक रूप से ₹ 2,781.56 करोड़ या समय-समय पर लागू विधियों/विनियमों के अंतर्गत किसी अन्य विनिर्धारित सीमा से अधिक हो सकते हैं, जिनमें गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री ऐसे लेन-देन मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगी; बशर्ते उक्त संविदाएं/व्यवस्थाएँ/लेन-देन बैंक स्वतंत्र आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार की प्रक्रिया में ही संपन्न किए जायेंगे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बोर्ड (जिसमें ऐसी कोई समिति शामिल होगी जिसे बैंक के निदेशक मंडल ने गठित किया है या आगे गठित कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं) को ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजों को करने तथा किसी भी करार, दस्तावेज़ और लेख को निष्पादित करने, जो आवश्यक हो, इसके एकल विवेक से उपयुक्त समझा जाये और इसके द्वारा प्रदत्त सभी या कोई शक्ति को बैंक के किसी निदेशक(गण) और/या अधिकारी(गण) को संविदाएं/व्यवस्थाएं/लेन-देन के निष्पादन करने और इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु सौंपने के लिए, अनुमोदन प्रदान करते हैं.''

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,

मुंबई-400 005
दिनांक: 12 जून 2026

participating in primary auction of Corporate Bonds through primary market as well as buying & selling those Bonds in secondary market and money market instruments notwithstanding the fact that such contracts/arrangements/transactions during a Financial Year, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹ 2,781.56 crore or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time-to-time wherein buy/sell of Non-SLR Securities would form a substantial portion of such transaction value; provided however, that the said contracts/arrangements / transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,

Mumbai-400 005
Dated: June 12, 2026

टिप्पणियां:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.
2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सभी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 22 सितंबर 2025 के परिपत्र संख्या 03/2025 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी सभी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 03 अक्तूबर 2024 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 के अनुसार, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में शामिल एवं सहभागिता कर सकते हैं. बैंक का पंजीकृत कार्यालय एजीएम के लिए स्थान माना जाएगा. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of each Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013 are annexed herewith.
2. In terms of Circular no. 03/2025 dated September 22, 2025 read with all earlier Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 read with all earlier Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Registered office of the Bank shall be deemed to be the venue for AGM. Further, the Notice of AGM along with Annual Report for FY 2025-26 is being sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are

ई-मेल पते शुक्रवार, 19 जून 2026 को केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (बैंक का आरटीए)/नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास पंजीकृत हैं.

3. बैंक ने उन शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट के संपूर्ण विवरण तक पहुँचने के लिए सटीक पाथ के साथ वेब लिंक वाला एक पत्र भेजा है, जिनका ईमेल पता बैंक के आरटीए या डीपी के पास पंजीकृत नहीं है. वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियाँ केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएँगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे. जो सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे कंपनी की ई-मेल आईडी अर्थात् idbiequity@idbi.co.in पर अनुरोध भेजें, जिसमें उनके फ़ोलियो नंबर / डीपी आईडी और ग्राहक आईडी का स्पष्ट उल्लेख हो.

4. एमसीए के द्वारा जारी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 22 सितंबर 2025 के परिपत्र सं. 03/2025 के अनुसरण में, इस वार्षिक महासभा में सदस्यों को उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. तथापि, कॉरपोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने, सहभागिता करने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के हकदार हैं.

5. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक आरंभ होने के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा से जुड़ सकते हैं. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आएं पहले पाएं आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं) जिन्हें पहले आएं पहले पाएं आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना वार्षिक महासभा में भाग लेने की अनुमति है.

6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु की जाएगी.

7. कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी सूचीबद्धता विनियम (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए द्वारा 05 मई 2022, 13 जनवरी 2021, 05 मई 2020, 13 अप्रैल 2020 और 8 अप्रैल 2020 के साथ पठित 22 सितंबर 2025, 19 सितंबर 2024, 25 सितंबर 2023, 28 दिसम्बर 2022 को जारी परिपत्रों के अनुसरण में बैंक वार्षिक महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

8. एमसीए के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 22 सितंबर 2025 के परिपत्र सं. 03/2025 के अनुरूप वार्षिक महासभा के आयोजन का नोटिस बैंक की वेबसाइट www.idbi.bank.in पर अपलोड किया गया है. वार्षिक महासभा का यह नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा

registered with KFin Technologies Limited (RTA of the Bank) / National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services India Limited (CDSL) as on Friday, June 19, 2026.

3. The Bank has sent, a letter containing the web link, along with the exact path to access the complete details of the Annual Report to shareholders whose email address is not registered with the Bank's RTA or DP. The physical copies of Annual Report and Notice of AGM will be dispatched only to those shareholders who request for the same. Members who are desirous of obtaining hard copy of the Annual Report should send a request to the Bank's e-mail id viz., idbiequity@idbi.co.in clearly mentioning their Folio number / DP ID and Client ID.

4. Pursuant to the Circular No 03/2025 dated September 22, 2025 read with earlier Circulars, issued by the MCA, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint Authorized Representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate and cast their votes through e-Voting.

5. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc) who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

6. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

7. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and the Circulars issued by the MCA dated September 22, 2025, September 19, 2024, September 25, 2023, December 28, 2022 read with May 05, 2022, January 13, 2021, May 05, 2020, April 13, 2020 and April 08, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

8. In line with the MCA Circular No. 03/2025 dated September 22, 2025 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbi.bank.in. The AGM Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange

www.nseindia.com और एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है.

9. अनुच्छेद 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में बताये अनुसार वार्षिक महासभा के लिए कोरम वीसी के जरिए उपस्थित तीस सदस्य (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) है.

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से उनके पते, सेलेनियम टॉवर बी, इकाईः आईडीबीआई बैंक, प्लॉट सं. 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, - 500 032 [टोल फ्री नं. - 1800-309-4001, ईमेलः einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, इसके पंजीकृत कार्यालय की 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेली. नं. (022) 66553336/3062/2806/3147, 66194172, ईमेलः idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

11. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वार्षिक महासभा के दौरान निरीक्षण के लिए रजिस्टर एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉगिन करने पर उपलब्ध रहेंगे.

12. यथासंशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसारः

i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.

iii) लॉगिन आईडी का विवरण इस नोटिस में नीचे दिया गया है.

13. बैंक का सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियाँ **बुधवार 15 जुलाई 2026 से मंगलवार, 21 जुलाई 2026 तक (दोनों दिन शामिल)** बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्यों या शेयर के हिताधिकारी स्वामियों के रूप में मंगलवार, 14 जुलाई 2026 (दिनांत) को दर्ज होंगे, जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार का निर्धारण करने हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में तय की गई है.

14. सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित संबंधित आईएसआर फॉर्म के साथ सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करके सेवा अनुरोध करें, जिनका प्रारूप बैंक की वेबसाइट https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-investor.aspx और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक), अर्थात् www.kfintech.com पर उपलब्ध है. यह नोट किया जाये कि किसी भी सेवा अनुरोध पर तभी कार्रवाई की जायेगी जब फोलियो केवाईसी अनुपालक है.

of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

9. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.

10. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Limited at their address at Selenium Tower B, Unit: IDBI Bank, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, - 500 032 [Toll Free No.1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No.(022) 66553336/3062/2806/3147, 66194172, E-mail: idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

11. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

12. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :

i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

iii) Details of login id are given below in this Notice.

13. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, July 15, 2026 to Tuesday, July 21, 2026 (both days inclusive).** In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on Tuesday, July 14, 2026 (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

14. Members are requested to make service requests by submitting supporting documents duly filled and signed with relevant ISR forms, the formats of which are available at Bank's website https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-investor.aspx and that of KFin Technologies Limited (KFintech), viz. RTA of the Bank at www.kfintech.com. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC compliant.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** शुरू होगी और **सोमवार, 20 जुलाई 2026 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिन सदस्यों के नाम सदस्यों / हिताधिकारी स्वामियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख) अर्थात् **मंगलवार,14 जुलाई 2026** को दर्ज होंगे, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दे सकेंगे. शेयरधारकों के मताधिकार निर्दिष्ट तारीख अर्थात् **मंगलवार, 14 जुलाई 2026** को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार मतदान करूं?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार ''दो चरण'' शामिल हैं:

चरण 1 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में एक्सेस

अ) डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के लिए लॉगिन पद्धति तथा वर्चुअल बैठक में शामिल होना

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा के बारे में दिनांक 09 दिसंबर 2020 के सेबी के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉज़िटरियों और डिपॉज़िटरी सहभागियों के पास खोले गए डीमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी गई है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें.

डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन पद्धति
वैयक्तिक शेयरधारक जो एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं.	1. मौजूदा **आईडीईएएस** यूजर व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट: https://eservices.nsdl.com पर जाएँ. ई-सेर्विसेस होम पेज पर ''**Login**'' के अंतर्गत ''**Beneficial Owner**'' आइकॉन पर क्लिक करें जो ''**IDeAS**'' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. यह आपको अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करने के लिए कहेगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे. ई-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत ''**Access to e-Voting**'' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे. बैंक के नाम या **e-Voting service provider अर्थात् NSDL** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period begins on and from **Friday, July 17, 2026 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, July 20, 2026 at 5.00 p.m (IST).** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. **Tuesday, July 14, 2026,** may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being **Tuesday, July 14, 2026.**

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. Existing **IDeAS** user can visit the e-Services website of NSDL viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the **"Beneficial Owner"** icon under **"Login"** which is available under **'IDeAS'** section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

	2. यदि यूजर आईडीईएएस ई-सर्विसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsdl.com. पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. ''**Register Online for IDeAS Portal**'' सिलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें. 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही ''**Login**'' आइकॉन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास सोलह अंकों का आपका डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपॉजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम या e-Voting service provider अर्थात NSDL पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 4. शेयरधारक/ सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप ''**NSDL Speede**'' सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play		2. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS Portal"** or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon **"Login"** which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App **"NSDL Speede"** facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience. **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
वैयक्तिक शेयरधारक जो सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. मौजूदा यूजर जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/ इजीएस्ट सुविधा का चयन किया है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध होगा. ईजी/इजीएस्ट पर लॉगिन करने हेतु उपयोगकर्ता से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जायें और **लॉगिन**	**Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL**	1. Existing users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi/Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on

	आइकॉन तथा **New System Myeasi टैब** पर क्लिक करें और अपना मौजूदा माय ईजी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें. 2. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद ईजी/ इजीएस्ट उपयोगकर्ता पात्र कंपनियों का ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग जारी है. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा. इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें. 3. यदि यूज़र ईजी/इजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. **लॉगिन** और **New System Myeasi टैब** पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें. 4. विकल्प के तौर पर, यूजर www.cdslindia.com के होम पेज में उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर डाल कर सीधे ई-वोटिंग पेज पर एक्सेस कर सकते हैं. सिस्टम, डीमैट खाते में रिकॉर्ड पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर का सत्यापन करेगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, यूजर ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेगा जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाता सिस्टम में भी सीधे एक्सैस कर सकेगा.
वैयक्तिक शेयरधारक (जो डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) और अपने डिपॉज़िरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉज़िटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल की डिपॉज़िटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

	login icon & **New System Myeasi Tab** and then use your existing my easi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there are also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on **login** & **New System Myeasi Tab** and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Provider
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/ CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

महत्वपूर्ण सूचना : जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हों वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें.

डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा डिपॉजिटरी अर्थात् एनएसडीएल एवं सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली तकनीकी समस्याओं के लिए हेल्पडेस्क.

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886-7000 पर कॉल कर सकते हैं.
सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं.

आ) डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग तथा वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें.
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज एक बार खुल जाने पर ''Login'' आइकॉन पर क्लिक करें जो ''Shareholders/ Member'' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

   विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉगिन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् Cast your vote electronically की तरफ बढ़ सकते हैं.
4. आपका यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिया गया है :

शेयर धारण करने का ढंग,अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है :
क) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल के डीमैट खाते में हैं.	8 कैरेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा.
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल के डीमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है तो आपका यूजर आईडी 12********** होगा.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at toll free no.: 022-4886-7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDeAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDeAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********

ग)	उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	EVEN संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. वैयक्तिक शेयरधारकों से इतर शेयरधारकों का पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है :

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

   ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करने पर, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.

   ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?

      (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाता है. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.

      (ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आप नीचे वर्णित उन शेयरधारकों के लिए **प्रक्रिया, जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं,** में उल्लिखित चरणों का पालन करें.

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

   क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ''**Forgot User Details/Password?**'' पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).

   ख) www.evoting.nsdl.com पर ''**Physical User Reset Password?**'' विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).

   ग) यदि उपर्युक्त दोनों विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, अपना पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.

   घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स का चयन करते हुए ''Terms and Conditions'' के लिए सहमत पर टिक करें.

c)	For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank. For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

   c) How to retrieve your 'initial password'?

      (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL in your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

      (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered**

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

   a) Click on **"Forgot User Details/Password?"** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

   b) **Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com

   c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

   d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. अब आपको ''Login'' बटन पर क्लिक करना होगा..

9. ''Login'' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा.

चरण 2 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से करें और महासभा में शामिल हों.

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करें और महासभा में कैसे शामिल हों?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के ''EVEN'' देख पाएंगे, जिनके आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग चक्र और महासभा सक्रिय स्थिति में हैं.

2. आप उस बैंक का ''EVEN'' चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा के दौरान मतदान करना चाहते हैं. वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको ''Join General Meeting'' के अंतर्गत ''VC/OAVM'' लिंक को क्लिक करना होगा.

3. अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.

4. उपयुक्त विकल्प अर्थात् Assent या Dissent (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें. आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा ''Submit'' पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर ''Confirm'' पर क्लिक करें.

5. पुष्टिकरण के बाद, ''Vote Cast Successfully'' संदेश प्रदर्शित होगा.

6. आप पुष्टिकरण पेज पर ''Print'' विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

7. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1 संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षा है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, जिसे मतदान के लिए अधिकृत किया गया है, के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट में) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.com को भेजें. संस्थागत शेयरधारक अपने लॉगिन में ''e-Voting'' टैब के अंतर्गत प्रदर्शित ''Upload Board Resolution/Authority Letter'' पर क्लिक करके निदेशक मंडल का संकल्प/मुख्तारनामा/ प्राधिकार पत्र, आदि भी अपलोड कर सकते हैं.

2. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रिसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' या ''Physical User Reset Password?'' के विकल्प पर जाना होगा.

3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तथा 'शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल' देख सकते हैं अथवा 022 - 4886 7000 पर कॉल करें अथवा at evoting@nsdl.com पर श्री संजीव यादव, सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल को अनुरोध मेल भेज सकते हैं.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

2. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".

3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders can also upload their Board Resolution/Power of Attorney/Authority Letter, etc by clicking on "Upload Board Resolution/ Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.com.

इस नोटिस में वर्णित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ट और पृष्ठ भाग), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.

2. यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं तो कृपया DPID-CLID (16 अंकीय डीपीआईडी+ सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप चरण 1 (अ) में बताई पद्धति से लॉगिन करें अर्थात् **डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति** का उपयोग करें.

3. विकल्प के तौर पर शेयरधारक/सदस्य ऊपर उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी व डिपॉजिटरी सहभागी के पास खोले गए डीमैट खाते के माध्यम से ई-वोटिंग करने की अनुमति दी गई है. इस ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही तरीके से अद्यतन करना होगा.

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों जैसी ही है.

2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर मतदान नहीं किए हैं तथा जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे.

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. तथापि, वे वार्षिक महासभा में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जैसा रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है.

वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य **एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली में एक्सेस** संबंधी ऊपर बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक्सेस कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप बैंक के नाम के सामने ''**Join Meeting**'' मेनू के अंतर्गत ''VC/OAVM'' लिंक देखेंगे. आपसे अनुरोध है कि Join

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in.

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**

3. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring User ID and Password by providing above mentioned documents.

4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

2. Only those Members / shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.

3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system.** After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under **"Join meeting"** menu against Bank name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under

Meeting मेनू के अंतर्गत VC/OAVM लिंक पर क्लिक करें. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का EVEN प्रदर्शित होगा. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें रिट्रीव कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे की अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की रुकावट को टाला जा सके.

4. कृपया नोट करें कि मोबाइल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अतः स्थिर वाई-फ़ाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की अनुशंसा की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.

5. ऐसे सदस्य जो बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं, उन्हें एनएसडीएल ई-वोटिंग प्लेटफ़ार्म पर लॉगिन करके और ''Speaker Registration'' टैब पर क्लिक करके तथा अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और शहर का उल्लेख करते हुए गुरुवार, 16 जुलाई 2026 को सुबह 9.00 बजे से रविवार, 19 जुलाई 2026 को शाम 5.00 बजे की अवधि तक अपना नाम वक्ता के रूप में पंजीकृत कराना होगा.

6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से मंगलवार, 14 जुलाई 2026 की सुबह 9.00 बजे से गुरुवार, 16 जुलाई 2026 की शाम 5.00 बजे तक ई-मेल idbiequity@idbi.co.in पर भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.

7. बैंक एजीएम के सुगम संचालन के लिए यथोचित समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखता है. जिन शेयरधारकों ने वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया है, केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

8. एजीएम से पहले या इसके दौरान वीसी/ओएवीएम के संबंध में किसी भी सहायता के लिए सदस्यगण एनएसडीएल से 022-4886-7000 पर संपर्क करें अथवा श्री संजीव यादव को SanjeevY@nsdl.com पर मेल करें.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण के लिए निर्दिष्ट तारीख के बाद अर्थात् शुक्रवार, 19 जून 2026 के बाद और मंगलवार, 14 जुलाई 2026 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार के लिए निर्दिष्ट कट-ऑफ तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शुक्रवार, 19 जून 2026 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण के लिए निर्दिष्ट तारीख) से मंगलवार, 14 जुलाई 2026 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और मंगलवार, 14 जुलाई 2026 की उक्त निर्दिष्ट तारीख को सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयर, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले

Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

5. Members who would like to express their views or ask questions during AGM will have to register themselves as Speaker by logging into NSDL's e-Voting platform and clicking on the tab "Speaker Registration" and mentioning their registered e-mail id, mobile number and city during the period starting from Thursday, July 16, 2026 at 9.00 a.m. up to Sunday, July 19, 2026 at 5.00 p.m.

6. Shareholders who would like to express their views / have questions may send their questions in advance mentioning their name, demat account no / folio no, email id, mobile number at idbiequity@idbi.co.in from 9.00 a.m. on Tuesday, July 14, 2026 till 5.00 p.m. on Thursday, July 16, 2026. The same will be replied by the Bank suitably.

7. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time as appropriate for smooth conduct of AGM. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

8. Members who need assistance regarding VC/OAVM before or during the AGM, can contact NSDL on 022-4886-7000 or email to Mr. Sanjeev Yadav at SanjeevY@nsdl.com.

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., Friday, June 19, 2026 and up to Tuesday, July 14, 2026 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from Friday, June 19, 2026 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till Tuesday, July 14, 2026 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of Tuesday, July 14, 2026, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.com by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for

से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' अथवा ''Physical User Reset Password?'' विकल्प का प्रयोग कर उसे रिसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार मंगलवार, 14 जुलाई 2026 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित वोटिंग कैप के अधीन होगा.
- एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक महासभा में भाग ले सकता है, किन्तु उसे वार्षिक महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रिसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' अथवा ''Physical User Reset Password?'' विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनके आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 20 जुलाई 2026 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो मंगलवार, 14 जुलाई 2026 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं हैं, वे इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझेंगे.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के आरटीए केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (ईकाई-आईडीबीआई बैंक लि.), प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 [टोल फ्री नं. - 1800-309-4001, ईमेलः einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग, 22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022- 66553336/3062/2806/3147/66194172) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 022-4886-7000 पर संपर्क करें.

15. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न रहने की स्थिति में श्री एस.एन. विश्वनाथन को संवीक्षक नियुक्त किया है.

16. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 23 जुलाई 2026 को या उससे पहले बैंक की वेबसाइट www.idbi.bank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com. पर प्रदर्शित किए जाएंगे. ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लि. तथा बीएसई लि. को भी सूचित किए जाएंगे.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन)

casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of Tuesday, July 14, 2026 subject to Voting Cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Monday, July 20, 2026 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on Tuesday, July 14, 2026, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice for information only.

For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Limited (Unit-IDBI Bank Ltd.), RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad– 500 032 [Toll Free No.1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005 (022- 66553336/3062/2806/3147/66194172) or NSDL -Toll Free No. 022-4886-7000.

15. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Mr. S. N. Viswanathan, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

16. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before Thursday, July 23, 2026 by displaying the same on Bank's Website www.idbi.bank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies

नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सदस्यों से, जिन्होंने ईमेल-आईडी (यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करवाया है, अनुरोध किया जाता है कि उक्त विवरण भेजें ताकि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना/ पोस्टल बैलेट, ई-वोटिंग में सहभागिता, वार्षिक रिपोर्ट और/या अन्य सूचनाएँ प्राप्त कर सकें.

02. भौतिक शेयरधारक, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-2023, वित्तीय वर्ष 2023-2024 और वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए घोषित लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-investor.aspx पर उपलब्ध केवाईसी दस्तावेज जैसे **फॉर्म आईएसआर-1, फॉर्म आईएसआर-2, फॉर्म एसएच-13, फॉर्म आईएसआर-3** को नीचे दिए गए पते पर आरटीए को भेजें:

केफिन टेक्नोलोजीस लिमिटेड (केफिनटेक)

ईकाई-आईडीबीआई बैंक लि., सेलेनिअम टॉवर बी,
प्लॉट नं. 31-32,
गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद - 500 032

[टोल फ्री नं. 1800 309 4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com]

उपर्युक्त दस्तावेजों को बैंक के पंजीयक को प्रस्तुत करने के उपरांत, यदि कोई अवितरित लाभांश हो तो उसके जारी करने हेतु कृपया इसकी सूचना बैंक को उसके ईमेल आईडी idbiequity@idbi.co.in पर दें.

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-2023, वित्तीय वर्ष 2023-2024 और वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए घोषित लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित पते पर आरटीए को अद्यतन क्लाइंट मास्टर सूची भेजें.

03. दिनांक 30 जनवरी 2026 के सेबी परिपत्र संख्या: एचओ/38/13/11(2)/2026 एमआईआरएसडी-पीओडी /1/3750/2026 अनुसरण में, सेबी ने 05 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2027 तक एक विशेष सुविधा प्रदान की है, ताकि 01 अप्रैल 2019 से पूर्व खरीदी या बेची गई भौतिक प्रतिभूतियों को हस्तांतरण के साथ अमूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सके, जिसमें वे मामले भी शामिल हैं जो पूर्व में अस्वीकृत हो गए थे या कमियों के कारण लंबित रह गए थे. इस सुविधा के माध्यम से अमूर्तीकृत शेयर एक वर्ष की लॉकइन अवधि के अधीन रहेंगे. यह पहल निवेश को सुगम बनाने एवं निवेशकों के हित की सुरक्षा हेतु की गई है. इस योजना के लिए पात्र सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस विशेष सुविधा का लाभ उठाएं तथा शेयरों का अंतरण अपने नाम(मों) में कराएं.

04. दिनांक 30 जनवरी 2026 के सेबी के परिपत्र संदर्भ संख्या एचओ/38/13(3)/2026-एमआईआरएसडी पीओडी/1/3763/2026 द्वारा पुष्टिकरण पत्र (एलओसी) जारी करने की आवश्यकता को समाप्त कर निवेशक सेवा अनुरोधों को सरल बनाया है तथा प्रतिभूतियों को निवेशकों के डीमैट खातों में सीधे जमा करने की सुविधा प्रदान की है. संशोधित रूपरेखा में डुप्लिकेट प्रमाणपत्रों का निर्गमन, अंतरण, ट्रांसपोजिशन, कॉरपोरेट कार्रवाइयां तथा अदावी उचंत खातों से संबंधित सेवाएं शामिल हैं, जिसका उद्देश्य प्रसंस्करण समय को कम करना और निवेशकों की सुविधा को बढ़ाना है. सेबी ने यह अनिवार्य किया है कि सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण 02 अप्रैल 2026 से केवल अमूर्तीकृत रूप में ही किया जा सकता है.

(Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings/ Postal Ballot, participate in e-Voting, receive Annual Report and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. Physical Shareholders who have not claimed dividend declared for FY 2022-2023, FY 2023-2024 and FY 2024-2025 are requested to submit the KYC documents viz **Form ISR-1, Form ISR-2, Form SH-13 or Form ISR-3 available at** https://www.idbi.bank.in/idbi-bank-investor.aspx to the RTA at the address provided below:

KFin Technologies Limited (KFintech),
Unit IDBI Bank Ltd, Selenium Tower B,
Plot No.31-32,
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad- 500032

[Toll Free No. 1800 309 4001, Email: einward.ris@kfintech.com]

After submission of above documents to the Registrar of the Bank kindly intimate the same to the Bank at its email id- idbiequity@idbi.co.in for release of unclaimed dividend, if any.

Shareholders holding shares in demat mode who have not claimed dividend declared for FY 2022-2023, FY 2023-2024 and FY 2024-2025 are requested to submit the updated Client Master list to the RTA at the address mentioned above.

03. Pursuant to SEBI Circular No: HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, SEBI opened a special window from February 05, 2026 to February 04, 2027 to facilitate for transfer-cum-dematerialization of physical securities that were purchased or sold prior to April 01, 2019, including cases that were previously rejected or remained pending due to deficiencies. Shares dematerialized through this facility shall be subject to a lock-in period of one year. This initiative aims to facilitate ease of investment & safeguard of investor interest. The members who are eligible for this are requested to take advantage of this special window and have the shares transferred in their name(s).

04. SEBI vide Circular Ref. No. HO/38/13(3)2026-MIRSD-POD/1/3763/2026 dated January 30, 2026 has simplified investor service requests by eliminating the requirement of issuing a Letter of Confirmation (LOC) and enabling direct credit of securities to investors' demat accounts. The revised framework covers services such as issuance of duplicate certificates, transmission, transposition, corporate actions and unclaimed suspense accounts, with an objective to reduce processing time and enhance investor convenience. SEBI has mandated that securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 2, 2026.

05. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ़ए), कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2026 से 9 जुलाई 2026 की अवधि में "द्वितीय 100-दिवसीय सक्षम निवेशक अभियान" फिर से शुरू किया है, इसका उद्देश्य केवाईसी अपडेट करना, लाभांश दावों का समय पर निपटारा करना और अदावी लाभांश तथा शेयरों को आईईपीएफ़ में अंतरण को रोकना है. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण अपडेट करें और अपने अदावी लाभांशों का दावा करें; ऐसा करके वे यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि संबंधित शेयर निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ़ए) को अंतरित न हों.

06. भौतिक शेयरों से संबंधित सभी जोखिमों को दूर करने और डीमैट धारिता के विविध लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने द्वारा भौतिक रूप में धारित शेयरों को अमूर्त रूप में धारित करें.

वार्षिक महासभा की सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. सूचना की मद सं. 3 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

बैंक के निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (''एनआरसी'') की अनुशंसा के आधार पर और बैंक के संस्था अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार, श्री अभिजीत चक्रवर्ती (डीआईएनः 09494533) की नियुक्ति को 19 मई 2026 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में अनुमोदित कर दिया है.

बैंक को श्री अभिजीत चक्रवर्ती से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने निदेशक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा है.

यह प्रस्ताव है कि श्री अभिजीत चक्रवर्ती को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में लगातार दो(2) वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाए, जो 19 मई 2026 (उनके अतिरिक्त निदेशक के रूप में मूल नियुक्ति की तारीख) से शुरू होगी, और सूचना की मद संख्या 3 में वर्णित विशेष प्रस्ताव पारित किया जाए.

श्री अभिजीत चक्रवर्ती ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत एक घोषणा प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने पुष्टि की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 16(1)(बी) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह पुष्टि की है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार, निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए वे अयोग्य नहीं हैं.

बोर्ड की राय में श्री अभिजीत चक्रवर्ती एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी सूचीबद्धता विनियमों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे बैंक के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, निदेशक मंडल श्री अभिजीत चक्रवर्ती को 19 मई 2026 से लगातार दो(2) वर्षों की प्रारंभिक अवधि

05. Members are informed that the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA), Ministry of Corporate Affairs, has relaunched the “Second 100 Day Saksham Niveshak Campaign” for the period from April 1, 2026 to July 9, 2026, to facilitate KYC updation, timely processing of dividend claims, and prevention of transfer of unclaimed dividends and shares to IEPF. Members are requested to update their KYC details and claim their unclaimed dividends, thereby ensuring that the corresponding shares are not transferred to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA).

06. To eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of demat holding, shareholders are requested to dematerialize the shares held by them in physical form.

Explanatory Statements in respect of items of the AGM Notice

1. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 3 of the Notice

The Board of Directors of the Bank, based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee (“NRC”), and pursuant to the provisions of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with the Articles of Association of the Bank, approved the appointment of Shri Abhijit Chakravorty (DIN: 09494533) as an Additional Director in the capacity of Independent Director on the Board of IDBI Bank Limited with effect from May 19, 2026.

The Bank has received a notice in writing from Shri Abhijit Chakravorty under Section 160 of the Companies Act, 2013 proposing his candidature for the office of Director.

It is proposed to appoint Shri Abhijit Chakravorty as an Independent Director of the Bank for an initial term of two (2) consecutive years commencing from May 19, 2026, (being the date of his original appointment as an Additional Director), and to pass the Special Resolution as set out at Item No. 3 of the Notice.

Shri Abhijit Chakravorty has furnished a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 confirming that he meets the criteria of independence as prescribed under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Further, he has confirmed that he is not disqualified from being appointed as a Director in terms of Section 164 of the Companies Act, 2013.

In the opinion of the Board, Shri Abhijit Chakravorty fulfils the conditions specified in the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, the SEBI Listing Regulations and the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, for his appointment as an Independent Director and that he is independent of the management of the Bank.

Based on the recommendation of the NRC, the Board of Directors recommends the appointment of Shri Abhijit Chakravorty as an Independent Director of the Bank for

के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा करता है.

एक स्वतंत्र निदेशक के तौर पर, श्री अभिजीत चक्रवर्ती बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए बैठक शुल्क पाने के हकदार होंगे, साथ ही, ऐसी बैठकों में शामिल होने के लिए यात्रा, वाहन व्यय और ठहरने पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो कानून के लागू प्रावधानों और बैंक की नीति के अनुसार होगी.

महासभाओं पर सचिवीय मानक-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित विवरण, इस सूचना के अनुबंध में प्रदान किया गया है.

श्री अभिजीत चक्रवर्ती का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः

श्री अभिजीत चक्रवर्ती (उम्र 61 वर्ष) एप्लाइड केमिस्ट्री में पोस्टग्रेजुएट हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं. वे एक अनुभवी बैंकर हैं, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक (''एसबीआई'') में तीन दशकों से भी अधिक का अनुभव है. वे एसबीआई से उप प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए और उनकी अंतिम नियुक्ति एसबीआई की सूचीबद्ध क्रेडिट कार्ड सहायक कंपनी, एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में थी.

अपने शानदार कैरियर के दौरान, उन्होंने खुदरा बैंकिंग, अंतरर्राष्ट्रीय बैंकिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी वर्टिकलों में वरिष्ठ नेतृत्व वाली भूमिकाओं का निर्वहन किया है. उनके पास वाणिज्यिक एवं मिड-कॉरपोरेट ऋण वर्टिकलों के अंतर्गत बुनियादी संरचना, ऊर्जा, इस्पात तथा खाद्य तेल जैसे क्षेत्रों के उच्च-मूल्य के कॉरपोरेट ऋणों का 11 वर्षों से अधिक का अनुभव भी है.

श्री चक्रवर्ती मुख्य महाप्रबंधक के रूप एसबीआई ग्लोबल आईटी केंद्र के प्रमुख भी रहे हैं और चार वर्षों की अवधि तक अन्य वरिष्ठ पदों पर भी कार्य किया है. उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त है, उन्होंने बांग्लादेश में एसबीआई के परिचालनों का सीईओ और कंट्री हेड के रूप में नेतृत्व किया है और एसबीआई की हांगकांग शाखा में भी अपनी सेवाएँ दी हैं. वर्तमान में वे बॉबकार्ड लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं.

निदेशक सूचना की मद संख्या 3 के अंतर्गत वर्णित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, श्री अभिजीत चक्रवर्ती स्वयं को छोड़कर बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, के अलावा उपर्युक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्य रूप से कोई संबंध या हित नहीं है. श्री अभिजीत चक्रवर्ती का बैंक के किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

2. <u>सूचना की मद सं. 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण</u>

बैंक के निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति (''एनआरसी'') की अनुशंसा के आधार पर और बैंक के संस्था अंतर्नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के प्रावधानों के अनुसार, श्री केतन शिवजी विकमसे (डीआईएनः 00282877) की नियुक्ति को 26 जून 2026 से आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र

an initial term of two (2) consecutive years with effect from May 19, 2026.

As an Independent Director, Shri Abhijit Chakravorty shall be entitled to the payment of sitting fees for attending meetings of the Board and Committees thereof, as well as reimbursement of expenses incurred for travel, conveyance and accommodation for attending such meetings, in accordance with the applicable provisions of law and the policy of the Bank.

The details as required under Secretarial Standard–2 on General Meetings and the SEBI Listing Regulations are provided in the Annexure to this Notice.

The brief profile of Shri Abhijit Chakravorty is provided hereinafter

Shri Abhijit Chakravorty (aged 61 years) is a postgraduate in Applied Chemistry and a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers (CAIIB). He is a seasoned banker with over three decades of experience at the State Bank of India ("SBI"). He superannuated from SBI in the rank of Deputy Managing Director, and his last assignment was as Managing Director & CEO of SBI Cards and Payment Services Limited, the listed credit card subsidiary of SBI.

During his distinguished career, he has handled senior leadership roles across Retail Banking, International Banking and Information Technology verticals. He also possesses over 11 years of experience in high-value Corporate Credit, covering sectors such as Infrastructure, Power, Steel and Edible Oil, within the Commercial and Mid-Corporate Credit verticals.

Shri Chakravorty has also headed the SBI Global IT Centre as Chief General Manager and served in other senior capacities for a period of four years. He has international exposure, having led SBI's operations in Bangladesh as CEO and Country Head, and having served at SBI's Hong Kong Branch. He is presently serving as an Independent Director on the Board of BOBCard Limited.

The Directors recommend passing of the Special Resolution as set out at Item No. 3 of the Notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives, except Shri Abhijit Chakravorty himself, is in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Abhijit Chakravorty is not related to any other Director or Key Managerial Personnel of the Bank.

2. <u>Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 4 of the Notice</u>

The Board of Directors of the Bank, based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee ("NRC"), and pursuant to the provisions of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with the Articles of Association of the Bank, approved the appointment of Shri Ketan Shivji Vikamsey (DIN: 00282877) as an Additional Director in the capacity of Independent

निदेशक की हैसियत से एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में अनुमोदित कर दिया है.

बैंक को श्री केतन शिवजी विकमसे से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक लिखित नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने निदेशक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी जताई है.

यह प्रस्ताव है कि श्री केतन शिवजी विकमसे को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में लगातार दो(2) वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाए, जो 26 जून 2026 (उनके अतिरिक्त निदेशक के रूप में मूल नियुक्ति की तारीख) से शुरू होगी, और सूचना की मद संख्या 4 में वर्णित विशेष प्रस्ताव पारित किया जाए.

श्री केतन शिवजी विकमसे ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत एक घोषणा प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने पुष्टि की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 16(1)(बी) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके अलावा बोर्ड की राय में, वे कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी सूचीबद्धता विनियमों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे बैंक के प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

एनआरसी की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड श्री केतन शिवजी विकमसे को 26 जून 2026 से लगातार दो(2) वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा करता है.

एक स्वतंत्र निदेशक के तौर पर, श्री केतन शिवजी विकमसे बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए बैठक शुल्क पाने के हकदार होंगे और ऐसी बैठकों में शामिल होने के लिए यात्रा, वाहन व्यय और ठहरने पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो बैंक की लागू नीति और सांविधिक प्रावधानों के अनुसार होगी.

महासभाओं पर सचिवीय मानक-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन, इस सूचना के अनुबंध में किया गया है.

श्री केतन विकमसे का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

श्री केतन शिवजी विकमसे (आयु 60 वर्ष) 1990 से केकेसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी (पूर्व में खिमजी कुंवरजी एंड कंपनी एलएलपी) के वरिष्ठ भागीदार हैं. एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, उनके पास कई उन्नत पेशेवर योग्यताएं हैं, जिनमें आईएफआरएस प्रमाणन, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा में डिप्लोमा (डीआईएसए), डेरिवेटिव, आंतरिक लेखापरीक्षा, आईटी और बोर्ड सदस्यों के लिए साइबर सुरक्षा में प्रमाणन शामिल हैं और उन्होंने एआईसीए लेवल-1 एआई पाठ्यक्रम पूरा किया है.

वे फर्म के एश्योरेंस प्रैक्टिस के प्रमुख हैं और उन्हें बड़े कॉरपोरेट, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, जिनमें म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां शामिल हैं, के लेखापरीक्षा के साथ-साथ विनियामक निरीक्षण और जांच का व्यापक अनुभव है. वे आईसीएआई, बीसीएएस, रिज़र्व बैंक और सीएजी द्वारा आयोजित पेशेवर मंचों पर नियमित वक्ता हैं और धर्मार्थ संस्थानों एवं कर सलाहकार चैंबर से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं.

उन्होंने पेशे के भीतर कई वरिष्ठ नेतृत्व और तकनीकी भूमिकाएँ निभाई हैं, जिनमें एचएलबी इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष का पद शामिल है और वे विभिन्न आईसीएआई बोर्डों, समितियों और विशेषज्ञ अध्ययन समूहों

Director on the Board of IDBI Bank Limited with effect from June 26, 2026.

The Bank has received a notice in writing from Shri Ketan Shivji Vikamsey under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying his candidature for the office of Director.

It is proposed to appoint Shri Ketan Shivji Vikamsey as an Independent Director of the Bank for an initial term of two (2) consecutive years, commencing from June 26, 2026 (being the date of his original appointment as an Additional Director), and to pass the Special Resolution as set out under Item No. 4 of this Notice.

Shri Ketan Shivji Vikamsey has submitted a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013, confirming that he meets the criteria of independence as prescribed under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Further, in the opinion of the Board, he fulfils the conditions specified in the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, the SEBI Listing Regulations and the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and is independent of the management of the Bank.

Based on the recommendation of the NRC, the Board recommends the appointment of Shri Ketan Shivji Vikamsey as an Independent Director for an initial term of two (2) consecutive years with effect from June 26, 2026.

As an Independent Director, Shri Ketan Shivji Vikamsey shall be entitled to payment of sitting fees for attending meetings of the Board and/or Committees thereof, and reimbursement of expenses for travel, conveyance and stay incurred in connection with attending such meetings, as per the applicable policy of the Bank and statutory provisions.

The disclosures as required under Secretarial Standard–2 on General Meetings and the SEBI Listing Regulations are provided in the Annexure to this Notice.

The brief profile of Shri Ketan Vikamsey is provided hereinafter:

Shri Ketan Shivji Vikamsey (aged 60 years) is a Senior Partner of KKC & Associates LLP (formerly Khimji Kunverji & Co LLP) since 1990. A distinguished Chartered Accountant, he holds several advanced professional qualifications, including IFRS Certification, Diploma in Information System Audit (DISA), certifications in derivatives, internal audit, IT and cyber security for board members, and has completed the AICA Level-1 AI Course.

He heads the firm's Assurance Practice and has extensive experience in audits of large corporates, banks and financial institutions, including mutual funds, NBFCs and asset reconstruction companies, as well as regulatory inspections and investigations. He is a regular speaker at professional forums organised by ICAI, BCAS, RBI and CAG, and is actively associated with charitable institutions and the Chamber of Tax Consultants.

He has held several senior leadership and technical roles within the profession, including Chairman of the HLB India Federation, and has been a member of various ICAI

के सदस्य रहे हैं. उन्होंने लेखापरीक्षण और बैंकिंग मानकों पर प्रामाणिक प्रकाशनों में योगदान दिया है और लेखापरीक्षा मानकों, बैंक लेखापरीक्षा, आईटी लेखापरीक्षण और लेखांकन मार्गदर्शन पर कई आईसीएआई कार्य समूहों का आयोजन और उनमें भाग लिया है. उन्होंने पुरस्कार विजेता पेशेवर अध्ययन मंडलियों का नेतृत्व भी किया है.

श्री विकमसे ने मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, अटलांटिस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, एचएलबी टेक्नोलॉजीज (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड, मिलोनी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, बरकत प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और ट्रुनिल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्डों में निदेशक के रूप में कार्य किया है.

इसके अतिरिक्त, श्री विकमसे ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में छह वर्षों तक कार्य किया है और वे लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष और एसबीआई की निम्नलिखित समितियों के सदस्य रहेः हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की आईटी रणनीति समिति, धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति और इरादतन चूककर्ताओं की पहचान के लिए बोर्ड की समीक्षा समिति.

निदेशक सूचना की मद संख्या 4 के अंतर्गत वर्णित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री केतन शिवजी विकमसे को छोड़कर बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, के अलावा उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्य रूप से कोई संबंध या हित नहीं है. श्री केतन शिवजी विकमसे का बैंक के किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

3. <u>सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण</u>

श्री जयकुमार एस. पिल्लै को भारतीय रिज़र्व बैंक ("रिज़र्व बैंक") के 19 मई 2023 के अनुमोदन के अनुसार, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया था. श्री जयकुमार ने 12 जून 2023 को कार्यभार ग्रहण किया और तदनुसार, उप प्रबंध निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 11 जून 2026 को समाप्त हुआ.

उनके कार्यनिष्पादन और अनुभव के मूल्यांकन के आधार पर, नामांकन और पारिश्रमिक समिति ("एनआरसी") और निदेशक मंडल ने अपनी-अपनी बैठकों में रिज़र्व बैंक को श्री जयकुमार एस. पिल्लै को 12 जून 2026 से बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में एक और वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त करने की अनुशंसा की. अनुशंसा करते समय, एनआरसी और बोर्ड ने अन्य बातों के साथ-साथ, यह नोट किया कि श्री जयकुमार ने बैंक के कारोबार और अनुपालन कार्यों, दोनों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों के साथ प्रभावी संपर्क बनाए रखा है और परिचालनगत दक्षता बढ़ाने और बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है.

Boards, Committees and Expert Study Groups. He has contributed to authoritative publications on auditing and banking standards and has convened and participated in multiple ICAI working groups on audit standards, bank audits, IT auditing and accounting guidance. He has also led award-winning professional study circles.

Shri Vikamsey has served as a Director on the Boards of Metropolitan Stock Exchange of India Limited, Atlantis Investment Advisors Private Limited, HLB Technologies (Mumbai) Private Limited, Miloni Consultants Private Limited, Barkat Properties Private limited and Trunil Properties Private Limited.

Further, Shri Vikamsey served for six years as an Independent Director on the Board of State Bank of India (SBI) and was the Chairman of Audit Committee and Member of the following committees in SBI:- Stakeholders Relationship Committee cum Customer Service Committee, Risk Management Committee of the Board, IT Strategy Committee of the Board, Special Committee of the Board for Monitoring and Follow–up of Cases of Frauds, Nomination and Remuneration Committee, Corporate Social Responsibility Committee and Board Review Committee for Identification of Wilful Defaulters.

The Directors recommend the passing of the Special Resolution as contained under Item No. 4 of the Notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is clarified that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives, except Shri Ketan Shivji Vikamsey himself, is in any way concerned or interested, financially or otherwise, in the said resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Ketan Shivji Vikamsey is not related to any other Director or Key Managerial Personnel of the Bank.

3. <u>Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice</u>

Shri Jayakumar S. Pillai was appointed as Deputy Managing Director (DMD) of IDBI Bank Limited for a period of three years with effect from the date of taking charge, pursuant to the approval of the Reserve Bank of India ("RBI") dated May 19, 2023. Shri Jayakumar assumed charge on June 12, 2023 and accordingly, his term as DMD concluded on June 11, 2026.

Based on an evaluation of his performance and experience, the Nomination and Remuneration Committee ("NRC") and the Board of Directors, at their respective meetings, recommended to the RBI the re-appointment of Shri Jayakumar S. Pillai as Deputy Managing Director of the Bank for a further period of one year with effect from June 12, 2026. While making the recommendation, the NRC and the Board, inter alia, noted that Shri Jayakumar has been instrumental in strengthening both business and compliance functions of the Bank, has maintained effective liaison with the RBI and other regulators, and has played a key role in driving operational efficiency and enhancing the Bank's overall performance.

श्री जयकुमार ने उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है और कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबध्दता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 और रिज़र्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रकटन प्रस्तुत किए हैं. प्रस्तावित पुनर्नियुक्ति बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी सूचीबद्धता विनियम के प्रावधानों और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में है.

तदनुसार, निर्धारित प्रपत्र में रिज़र्व बैंक को 12 जून 2026 से एक और वर्ष की अवधि के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति के अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था. रिज़र्व बैंक का 19 मई 2026 का अनुमोदन प्राप्त होने पर, निदेशक मंडल ने बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, श्री जयकुमार एस. पिल्लै को 12 जून 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करने को अनुमोदित किया.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित श्री जयकुमार एस. पिल्लै का कुल निश्चित पारिश्रमिक (परिलब्धियों सहित) ₹ 1.38 करोड़ था, जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी किराया रियायत, मनोरंजन व्यय, मुफ्त सुसज्जित आवास/मकान किराया भत्ता और अन्य परिलब्धियां शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, श्री जयकुमार ऐसे परिवर्ती वेतन के पात्र होंगे, जो एनआरसी द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाये, यह उनके और बैंक के कार्यनिष्पादन के आधार पर और रिज़र्व बैंक के अनुमोदन अधीन होगा.

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के लिए क्षतिपूर्ति की अनुशंसा रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - अभिशासन) निदेश, 2025 के अनुसार एनआरसी द्वारा अलग से की जाएगी और रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी. तदनुसार, श्री जयकुमार एस. पिल्लै को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए देय पारिश्रमिक ऐसी अनुशंसा और अनुमोदन के अनुसार होगा.

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निश्चित और परिवर्ती पारिश्रमिक एनआरसी की अनुशंसा और बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा. अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन, वार्षिक रूप से पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का निर्धारण और अनुमोदन करने के लिए एनआरसी और/या बोर्ड को प्राधिकृत करने हेतु अपना अनुमोदन प्रदान करें.

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत अपेक्षित विवरण इस सूचना के अनुबंध के रूप में प्रदान किया गया है.

श्री जयकुमार एस. पिल्लै का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है:

श्री जयकुमार एस. पिल्लै वर्तमान में बैंक के कॉरपोरेट कारोबार वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं और कई महत्वपूर्ण कार्यों की देखरेख करते हैं, जिनमें बृहद एवं मध्य-कॉरपोरेट समूह, एनपीए प्रबंधन समूह, लेनदेन बैंकिंग समूह, विधि विभाग, मानव संसाधन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल बैंकिंग विभाग, ज्ञानार्जन एवं कर्मचारी सहभागिता विभाग, वित्त एवं लेखा विभाग, कॉरपोरेट रणनीति एवं आयोजन विभाग और प्रशासन एवं एफआईएमडी शामिल हैं. वे अनुपालन और जोखिम विभाग की प्रशासनिक देखरेख भी करते हैं.

Shri Jayakumar has given his consent to act as Deputy Managing Director and has submitted the requisite disclosures under the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the applicable RBI guidelines. The proposed re-appointment is in compliance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the SEBI Listing Regulations, and the RBI Guidelines.

Accordingly, an application in the prescribed form was submitted to the RBI for approval of his re-appointment for a further period of one year with effect from June 12, 2026. Upon receipt of RBI approval dated May 19, 2026, the Board of Directors approved the re-appointment of Shri Jayakumar S. Pillai as Deputy Managing Director for a period of one year with effect from June 12, 2026, subject to the approval of the Members of the Bank.

The total fixed remuneration (including perquisites) of Shri Jayakumar S. Pillai, as approved by RBI for FY 2025-26, was ₹ 1.38 crore, which includes Provident Fund, Gratuity, Leave Fare Concession, Entertainment Expenses, free furnished accommodation/house rent allowance and other perquisites. In addition, Shri Jayakumar shall be eligible for variable pay, as may be recommended by the NRC and approved by the Board, based on his performance and that of the Bank, and subject to the approval of RBI.

The compensation of Whole time Directors (WTDs) for FY 2026-27 shall be recommended separately by the NRC in accordance with the RBI (Commercial Banks – Governance) Directions, 2025 and approved by the Board, subject to RBI approval. Accordingly, the remuneration payable to Shri Jayakumar S. Pillai for FY 2026-27 shall be as per such recommendation and approval.

The fixed and variable remuneration of the Whole time Directors of the Bank for each financial year shall be subject to the approval of RBI, based on the recommendations of the NRC and approval of the Board. The Members are, therefore, requested to accord their approval authorising the NRC and/or the Board to determine and approve the remuneration of the Whole time Directors annually, subject to RBI approval.

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations has been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Jayakumar S. Pillai is provided hereinafter:

Shri Jayakumar S. Pillai presently leads the Bank's Corporate Business vertical and oversees several critical functions including the Large and Mid-Corporate Group, NPA Management Group, Transaction Banking Group, Legal Department, Human Resources Department, Information Technology & Digital Banking Department, Learning & Employee Engagement Department, Finance & Accounts Department, Corporate Strategy & Planning Department and Administration & FIMD. He also has administrative oversight over the Compliance and Risk Department.

वे बैंक की कई आंतरिक समितियों की अध्यक्षता करते हैं, जिनमें निवेश समिति, ऋण मूल्यांकन समिति (डीएमडी स्तर), सीएसआर और ईएसजी समिति (डीएमडी स्तर), आईसीएएपी संचालन समिति, आईएनडी-एएस समिति, धोखाधड़ी जांच समिति और इरादतन चूककर्ता पहचान समिति, आदि शामिल हैं.

श्री जयकुमार आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. इन भूमिकाओं के माध्यम से, वे कॉरपोरेट बैंकिंग परिचालनों को सुदृढ़ करने, डिजिटल पहलों को समृद्ध करने, अभिशासन मानकों को बढ़ाने और बैंक में एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

निदेशक संलग्न सूचना की मद संख्या 5 में वर्णित सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करते हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री जयकुमार एस. पिल्लै को छोड़कर बैंक के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, के अलावा उक्त संकल्प से वित्तीय या अन्य रूप से कोई संबंध या हित नहीं है. श्री जयकुमार एस. पिल्लै का बैंक के किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

4. <u>सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण</u>

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 23 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित सभी महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार लेनदेनों और बाद के महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन एक सामान्य संकल्प के माध्यम से आवश्यक है, भले ही ऐसे लेनदेन कारोबार के सामान्य क्रम में और स्वतंत्र आधार पर किए गए हों.

अनुसूची XII के साथ पठित सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 23(1) के अनुसार, ₹ 20,000 करोड़ से अधिक लेकिन ₹ 40,000 करोड़ से अनधिक के वार्षिक समेकित टर्नओवर वाली सूचीबद्ध संस्था के लिए, संबद्ध पक्षकार के साथ लेनदेन को महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब ऐसे लेनदेन(नों) का मूल्य, एकल रूप से या एक वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व लेनदेनों के साथ मिलाकर ₹ 2,000 करोड़ से अधिक हो, साथ ही ₹ 20,000 करोड़ से अधिक के वार्षिक समेकित टर्नओवर का 5% भी हो. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंक का वार्षिक समेकित टर्नओवर ₹ 35,631.19 करोड़ था. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महत्वपूर्ण सीमा ₹ 2,781.56 करोड़ है. चूंकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान बैंक द्वारा एलआईसी म्यूचुअल फंड (एलआईसीएमएफ) (प्रवर्तक समूह का सदस्य) के साथ प्रस्तावित लेनदेन उपरोक्त सीमा से अधिक हो सकते हैं, इसलिए इसके लिए लेखापरीक्षा समिति और बैंक के सदस्यों का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है. बैंक की लेखापरीक्षा समिति ने 24 मार्च 2026 और 15 मई 2026 को आयोजित अपनी बैठकों में अन्य के साथ-साथ LICMF के साथ किए जाने वाले लेन-देनों का अनुमोदन किया, जैसा कि इस सूचना में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है. बैंक की लेखापरीक्षा समिति ने बैंक के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की समीक्षा की है, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि LICMF के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित लेनदेनों की शर्तें बैंक के हित में हैं.

He chairs several internal committees of the Bank, including the Investment Committee, Credit Appraisal Committee (DMD level), CSR & ESG Committee (DMD level), ICAAP Steering Committee, IND-AS Committee, Fraud Examination Committee and Wilful Defaulters Identification Committee, among others.

Shri Jayakumar also chairs the Board of IDBI Trusteeship Services Limited. Through these roles, he plays a pivotal role in strengthening corporate banking operations, advancing digital initiatives, enhancing governance standards and fostering a strong compliance culture across the Bank.

Directors recommend the passing of the Ordinary Resolution set out at Item No. 5 of the accompanying Notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is clarified that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives, except Shri Jayakumar S. Pillai himself, is concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Jayakumar S. Pillai is not related to any other Director or Key Managerial Personnel of the Bank.

4. <u>Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice</u>

Regulation 23 of the Listing Regulations requires Members' prior approval by means of an ordinary resolution for all material related party transactions and subsequent material modifications as defined by the Audit Committee, even if such transactions are in the ordinary course of business and on an arm's length basis.

As per the Regulation 23(1) of the Listing Regulations read with Schedule XII, for a listed entity with annual consolidated turnover exceeding ₹ 20,000 crore but not more than ₹ 40,000 crore, a transaction with a related party shall be considered material if the value of such transaction(s), individually or in aggregate with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 2,000 crore plus 5% of the annual consolidated turnover above ₹ 20,000 crore. For the financial year 2025-26, the Bank's annual consolidated turnover was ₹ 35,631.19 crore. Accordingly, the materiality threshold for FY 2026-27 is ₹ 2,781.56 crore. Since the proposed transactions of the Bank with LIC Mutual Fund (LICMF) (member of promoter group), may exceed the above threshold limit during financial year 2026-27, the same requires the prior approval of the Audit Committee and the Members of the Bank. The Audit Committee of the Bank at its meetings held on March 24, 2026 and May 15, 2026 approved the transactions to be carried out with, inter-alia, LICMF, as specifically mentioned in this Notice. The Audit Committee of the Bank has reviewed the certificate provided by the Whole Time Director and Chief Financial Officer of the Bank confirming that the terms of transactions proposed to be entered into with LICMF is in the interest of the Bank.

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर निदेशक मंडल ने 15 मई 2026 को संपन्न अपनी बैठक में सदस्यों को दी गई सूचना में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा की.

यद्यपि उपर्युक्त लेन-देन स्वतंत्र आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार के अंतर्गत होने के कारण अधिनियम की धारा 188 की आवश्यकताओं से मुक्त हैं, फिर भी बेहतर अभिशासन के लिए अधिनियम की धारा 188 के अनुसार सदस्यों का भी अनुमोदन मांगा जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान, एलआईसीएमएफ के साथ सभी व्यवस्थाओं / अनुबंधों / करारों /लेन-देनों (चाहे एकल लेन-देन हों, सामूहिक लेन-देन हों, लेन-देनों की श्रृंखला हों या अन्यथा) करने के लिए सदस्यों का पूर्व अनुमोदन मांगा जा रहा है, चाहे वह पिछली व्यवस्थाओं/अनुबंधों/करारों /लेन-देनों की निरंतरता(ओं) या विस्तार(रों) या नवीनीकरण(णों) या संशोधन(नों) के रूप में हो या नए और स्वतंत्र लेन-देन(नों) के रूप में हो या अन्यथा. सभी लेन-देन बैंक द्वारा प्राप्त विशिष्ट अनुमोदनों/पंजीकरणों/लाइसेंसों के अनुसार किए जाते हैं और कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और लागू कानूनों के अनुसार होते हैं, इसलिए ये बैंक के हित में हैं.

बैंक का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों का, बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, संकल्प संख्या 6 से वित्तीय या अन्य किसी भी रूप से कोई संबंध/हित नहीं है.

सदस्यगण ध्यान दें कि सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के संबद्ध पक्षकार, जैसा कि उनमें परिभाषित किया गया है चाहे ऐसा संबद्ध पक्षकार (रों) इसमें नीचे उल्लिखित लेन-देन में पक्षकार हो या नहीं, संकल्प संख्या 6 को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे. सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा.

उद्योग मानक नोट में निर्धारित प्रासंगिक विवरण के साथ एलआईसीएमएफ के साथ प्रस्तावित लेनदेन इस प्रकार हैं:

Further, the Board of Directors based on the recommendation of the Audit Committee, at its meeting held on May 15, 2026, recommended passing of the ordinary resolution contained in the Notice to the Members.

Though the aforesaid transactions being on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank are exempt from the requirements of Section 188 of the Act, approval of the Members is also being sought in terms of Section 188 of the Act for better governance. Prior approval of the Members is being sought for entering into all the arrangements / contracts / agreements / transactions (whether individual transactions or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LICMF whether by way of continuation(s) or extension(s) or renewal(s) or modification(s) of earlier arrangements / contracts / agreements / transactions or as fresh and independent transaction (s) or otherwise, during the financial year 2026-27. All the transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives, except to the extent of their shareholding in the Bank, are concerned / interested, financially or otherwise, in the Resolution No. 6.

The Members may note that in terms of the provisions of the Listing Regulations, related parties of the Bank as defined thereunder {whether such related party(ies) is a party to the transactions mentioned herein below or not}, shall not vote to approve Resolution No. 6. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

The proposed transactions with LICMF along with the relevant details as prescribed in Industry Standard Note are as follows:

संबद्ध पक्षकार (''आरपी'') के संबंध में सामान्य विवरण:
General details in respect of the Related Party ("RP"):

क्रम सं. S. No.	**जानकारी का विवरण / Particulars of the information**	**प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी Information provided by the management**
1.	*संबद्ध पक्षकार का नाम / Name of the related party*	**एलआईसी म्यूचुअल फंड (एलआईसीएमएफ) LIC Mutual Fund (LICMF)**
2	संबद्ध पक्षकार के निगमन का देश / Country of incorporation of the related party	भारत / India
3.	संबद्ध पक्षकार के कारोबार की प्रकृति / Nature of business of the related party	म्यूचुअल फंड कंपनी Mutual Fund Company
4.	बैंक/सहायक कंपनी (सहायक कंपनी से जुड़े लेनदेन के मामले में) और संबद्ध पक्षकार के बीच संबंध - जिसमें उनकी चिंता की प्रकृति (वित्तीय या अन्य) और निम्नलिखित शामिल हैं: Relationship between the Bank/subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary) and the related party – including nature of its concern (financial or otherwise) and the following:	एलआईसीएमएफ प्रवर्तक समूह का सदस्य है LICMF is a member of promoter group
	• संबद्ध पक्षकार में बैंक / सहायक कंपनी (सहायक कंपनी से जुड़े लेनदेन के मामले में) की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयरधारिता. Shareholding of the Bank / subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary), whether direct or indirect, in the related party.	शून्य / Nil
	• जहां संबद्ध पक्षकार साझेदारी फर्म या एकल स्वामित्व वाली संस्था या शेयर पूंजी के बिना निगमित निकाय है, वहां बैंक / सहायक कंपनी द्वारा किया गया पूंजी अंशदान, यदि कोई हो (सहायक कंपनी से जुड़े लेनदेन के मामले में) Where the related party is a partnership firm or a sole proprietorship concern or a body corporate without share capital, then capital contribution, if any, made by the Bank / subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary).	लागू नहीं / NA
	• बैंक / सहायक कंपनी में संबद्ध पक्षकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयरधारिता (सहायक कंपनी से जुड़े लेनदेन के मामले में) Shareholding of the related party, whether direct or indirect, in the Bank / subsidiary (in case of transaction involving the subsidiary).	शून्य / Nil
	स्पष्टीकरण: अप्रत्यक्ष शेयरधारिता से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से धारित शेयरधारिता से है, जिस पर बैंक/सहायक कंपनी/ संबद्ध पक्षकार का नियंत्रण हो. ***Explanation:*** Indirect shareholding shall mean shareholding held through any person, over which the Bank/Subsidiary/ related party has control. अप्रत्यक्ष शेयरधारिता की गणना करते समय, संबंधियों द्वारा धारित शेयरधारिता को भी ध्यान में रखा जाएगा. While calculating indirect shareholding, shareholding held by relatives shall also be considered.	
5.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक या सहायक कंपनी द्वारा संबद्ध पक्षकार के साथ किए गए सभी लेन-देनों की कुल राशि. Total amount of all the transactions undertaken by the Bank or subsidiary with the related party during the last financial year. ***स्पष्टीकरण:*** बैंक और उसकी सहायक कंपनी के लिए विवरण अलग-अलग प्रकट किया जाना चाहिए. ***Explanation:*** *Details need to be disclosed separately for Bank and its subsidiary.*	

क्रम सं. S. No.	**लेन-देन की प्रकृति Nature of Transactions**	**वि. व. 2025-26 (₹ करोड़) FY 2025-26 (₹ crore)**
1	म्यूचुअल फंड की बिक्री पर आईडीबीआई बैंक द्वारा प्राप्त कमीशन Commission on MF sale received by IDBI Bank	26.12
2	आईसीएमएस द्वारा प्राप्त ब्रोकरेज Brokerage received by ICMS	0.18
3	आईसीएमएस द्वारा प्राप्त पेशेवर/सलाहकार शुल्क Professional/Advisory Fees received by ICMS	0.12
कुल / Total		**26.42**

क्रम सं. S. No.	जानकारी का विवरण / Particulars of the information	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी Information provided by the management
6.	बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में संबंद्ध पक्षकार के साथ किए गए सभी लेन-देन की कुल राशि, उस तिमाही से ठीक पहले वाली तिमाही तक की राशि जिसमें अनुमोदन मांगा जा रहा है. Total amount of all the transactions undertaken by the Bank or subsidiary with the related party in the current financial year up to the quarter immediately preceding the quarter in which the approval is sought.	लागू नहीं / NA
7.	किसी संबद्ध पक्षकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक या उसकी सहायक कंपनी के साथ किए गए किसी लेनदेन या व्यवस्था के तहत लिए गए किसी दायित्व के संबंध में चूक, यदि कोई हो. Any default, if any, made by a related party concerning any obligation undertaken by it under a transaction or arrangement entered into with the Bank or its subsidiary during the last financial year.	नहीं / No
8.	लेखापरीक्षा समिति की बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जा रहे प्रस्तावित लेन-देनों की राशि Amount of the proposed transactions being placed for approval in the meeting of the Audit Committee	₹ 10,030 करोड़ तक Upto ₹ 10,030 crore
9.	क्या प्रस्तावित लेनदेन, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकार के साथ किए गए लेनदेन के साथ मिलाकर, उन्हें एक महत्वपूर्ण संबंध पक्षकार लेनदेन बनाएंगे? Whether the proposed transactions taken together with the transactions undertaken with the related party during the current financial year would render the proposed transaction a material RPT?	हां / Yes सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 23(1) और अनुसूची XII के अनुसार, किसी संबद्ध पक्षकार के साथ किया गया लेन-देन आईडीबीआई बैंक के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि, चाहे वह एकल रूप से किया गया हो या एक वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पिछले लेन-देनों के साथ मिलाकर, ₹ 2,781.56 करोड़ से अधिक हो. In accordance with Regulation 23(1) and Schedule XII of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, a transaction with a related party shall be deemed material for IDBI Bank if, whether entered into individually or in aggregate with previous transactions during a financial year, exceeds ₹ 2,781.56 crore
10.	प्रस्तावित लेन-देनों का मूल्य, ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में Value of the proposed transactions as a percentage of the Bank's annual consolidated turnover for the immediately preceding financial year	28.15%

क्रम सं. S. No.	जानकारी का विवरण / Particulars of the information	प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी Information provided by the management
11.	प्रस्तावित लेन-देनों का मूल्य, सहायक कंपनी के ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के वार्षिक एकल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में (ऐसे लेन-देन के मामले में जिसमें सहायक कंपनी शामिल हो और जहाँ बैंक उस लेन-देन का पक्षकार न हो) Value of the proposed transactions as a percentage of subsidiary's annual standalone turnover for the immediately preceding financial year (in case of a transaction involving the subsidiary and where the Bank is not a party to the transaction)	लागू नहीं / NA
12.	प्रस्तावित लेन-देनों का मूल्य, संबद्ध पक्षकार के ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के वार्षिक समेकित टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में (यदि समेकित टर्नओवर उपलब्ध न हो, तो गणना संबद्ध पक्षकार के एकल टर्नओवर के आधार पर की जाए), यदि उपलब्ध हो. Value of the proposed transactions as a percentage of the related party's annual consolidated turnover (if consolidated turnover is not available, calculation to be made on standalone turnover of related party) for the immediately preceding financial year, if available.	29.17%
13.	संबद्ध पक्षकार का ठीक पिछले वित्तीय वर्ष का वित्तीय कार्यनिष्पादन: Financial performance of the related party for the immediately preceding financial year: **स्पष्टीकरण: / *Explanations:*** उपरोक्त जानकारी को एकल आधार पर प्रदान किया जाना है. यदि एकल आधार पर उपलब्ध न हो, तो समेकित आधार पर प्रदान करें. *The above information is to be given on standalone basis. If standalone is not available, provide on consolidated basis.*	**विवरण / Particulars** / **वि. व. 2024-25 (₹ करोड़) FY 2024-25 (₹ crore)** टर्नओवर (एयूएम) / Turnover (AUM): 34,380.39 कर पश्चात लाभ / Profit After Tax: 8.29 निवल मालियत / Net worth: 252.75

एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार लेनदेनों हेतु लेनदेन-विशिष्ट विवरण:
Transaction specific details for proposed related party transactions with LICMF:

क्रम सं. S. No.	जानकारी का विवरण Particulars of the information	लेन-देन I Transaction I	लेन-देन II Transaction II
14.	प्रस्तावित लेन-देन का विशिष्ट प्रकार (जैसे: वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री, वस्तुओं/सेवाओं की खरीद, ऋण देना, उधार लेना आदि) Specific type of the proposed transaction (e.g. sale of goods/services, purchase of goods/services, giving loan, borrowing etc.)	**वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री, क्रय या आपूर्ति अथवा अन्य ऐसे व्यावसायिक लेनदेन एवं व्यापार अग्रिम.** **Sale, purchase or supply of goods or services or any other similar business transaction and trade advances.**	

क्रम सं. S. No.	जानकारी का विवरण Particulars of the information	लेन-देन I Transaction I	लेन-देन II Transaction II
15.	प्रस्तावित प्रत्येक प्रकार के लेनदेन का विवरण Details of each type of the proposed transaction	म्यूचुअल फंड की बिक्री पर कमीशन की प्राप्ति Receipt of commission on sale of Mutual Funds	विशेष रूप से उल्लिखित लेनदेनों के अतिरिक्त, एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ अन्य लेनदेन/व्यवस्थाएँ भी हो सकती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, Apart from the transactions as specifically mentioned there may be other transactions/arrangements with LICMF, including but not limited to विभिन्न मुद्रा बाज़ार लेनदेन, सरकारी प्रतिभूतियों / सीडी / एसएलआर / गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की खरीद / बिक्री / प्राथमिक बाज़ार के माध्यम से कॉरपोरेट बॉन्ड की प्राथमिक नीलामी में भागीदारी तथा द्वितीयक बाज़ार में उन बॉन्डों एवं मुद्रा बाज़ार लिखतों की खरीद एवं बिक्री शामिल है. ऐसे लेनदेनों से अर्जित कुल लाभ अधिक नहीं है, तथापि क्रय एवं विक्रय लेनदेनों का योग महत्वपूर्ण सीमा से अधिक हो सकता है, जिसकी आवश्यकता का वर्तमान में पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता. तदनुसार ऐसे लेनदेन, जिन्हें बैंक द्वारा किया जा सकता है, के लिए भी शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा जा रहा है. Various money market transactions, Buying / Selling of Govt. Securities / CDs / SLR / Non-SLR securities/participating in primary auction of Corporate Bonds through primary market as well as buying & selling those Bonds in secondary market and money market instruments. The total profits earned from such transactions is not high but the summation of buy & sell transactions may exceed materiality threshold, the need for which cannot be foreseen currently. Accordingly, approval from shareholders is also being sought for such transactions that may be entered into by the Bank.
16.	प्रस्तावित लेनदेन की अवधि (अवधि वर्षों या महीनों की संख्या में निर्दिष्ट की जानी है) Tenure of the proposed transaction (tenure in number of years or months to be specified)	वित्तीय वर्ष 2026-27 Financial year 2026-27	लेन-देन की अवधि सहित निबंधन एवं शर्तें केवल लेन-देन के समय ही निर्धारित की जा सकती हैं. The terms and conditions including the tenure of the transactions could be determined only at the time of occurrence.
17.	क्या समग्र अनुमोदन मांगा जा रहा है? Whether omnibus approval is being sought?	हाँ / Yes	
18.	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य Value of the proposed transaction during a financial year.	₹ 30 करोड़ ₹ 30 crore	₹ 10,000 करोड़ तक Upto ₹ 10,000 crore
	यदि प्रस्तावित लेनदेन एक से अधिक वित्तीय वर्षों में निष्पादित किया जाना है, तो वित्तीय वर्ष-वार इसका अनुमानित विवरण प्रदान करें. If the proposed transaction will be executed over more than one financial year, provide estimated break-up financial year-wise.	वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान लेनदेनों के समग्र मूल्य हेतु अनुमोदन मांगा जा रहा है. The approval is being sought for overall value of transactions during the financial year 2026-27.	

क्रम सं. S. No.	जानकारी का विवरण Particulars of the information	लेन-देन I Transaction I	लेन-देन II Transaction II
19.	इस बात का औचित्य कि प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार लेनदेन बैंक के हित में क्यों हैं. Justification as to why the RPTs proposed to be entered into are in the interest of the Bank.	यह लेन-देन बैंक को अपने विस्तृत शाखा नेटवर्क का लाभ उठाकर अतिरिक्त शुल्क-आधारित आय अर्जित करने और ग्राहकों के लिए अपने उत्पाद प्रस्तावों में विविधता लाने में सक्षम बनाता है, अतः यह बैंक के हित में है. The transaction enables the Bank to leverage its extensive branch network to generate additional fee-based income and diversify its product offerings for customers and hence it is in the interest of the Bank.	प्रस्तावित लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदनों/ पंजीकरणों/लाइसेंसों (जहां कहीं आवश्यक हो) के अनुरूप किए जाएंगे और ये बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने तथा लागू विधियों के अनुरूप होने के कारण बैंक के हित में हैं. ये लेन-देन दस्तावेजीकरण, अनुमोदनों, सीमा और निगरानी ढांचे के संबंध में मौजूदा आंतरिक और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन हैं. The proposed transactions would be undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses (wherever necessary) held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank. These transactions are subject to compliance of extant internal and regulatory guidelines in terms of documentation, approvals, limit and monitoring framework.
20.	बैंक के प्रवर्तक(कों) / निदेशक(कों) / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का विवरण, जिनका उक्त लेनदेन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हित है. Details of the promoter(s) / director(s) / key managerial personnel of the Bank who have interest in the transaction, whether directly or indirectly. स्पष्टीकरणः परोक्ष हित का आशय ऐसे हित से है जो किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से धारित हो जिस पर संबंधित व्यक्ति का नियंत्रण हो Explanation: Indirect interest shall mean interest held through any person over which an individual has control.	लागू नहीं / NA	
	क. निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का नाम a. Name of the director / KMP	लागू नहीं / NA	
	ख. संबद्ध पक्षकार में निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता, चाहे प्रत्यक्ष हो या परोक्ष b. Shareholding of the director / KMP, whether direct or indirect, in the related party	लागू नहीं / NA	
21.	मूल्यांकन या किसी अन्य बाहरी पक्षकार की रिपोर्ट की एक प्रति, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखी जाएगी. A copy of the valuation or other external party report, if any, shall be placed before the Audit Committee.	लागू नहीं / NA	
22.	निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक अन्य जानकारी. Other information relevant for decision making.	लागू नहीं / NA	
23.	वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री, क्रय अथवा आपूर्ति के लिए किसी पक्षकार के चयन हेतु अपनाई गई निविदा या अन्य प्रक्रिया, यदि कोई हो. Bidding or other process, if any, applied for choosing a party for sale, purchase or supply of goods or services.	लागू नहीं / NA	

क्रम सं. S. No.	जानकारी का विवरण Particulars of the information	लेन-देन I Transaction I	लेन-देन II Transaction II
24.	कीमत निर्धारण का आधार Basis of determination of price.	बैंक सेबी विनियमों के अनुसार कमीशन प्राप्त करता है The Bank receives commission in accordance with SEBI regulations.	लेनदेनों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, शर्तों का निर्धारण लेनदेन के समय बाज़ार मूल्यों तथा प्रचलित बैंकिंग प्रथाओं / मानदंडों के अनुसार किया जाता है. संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन की गई गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की कीमत वही होती है, जो अन्य गैर-संबद्ध संस्थाओं को ऑफर की जाती है. Considering the nature of transactions, the terms are being determined as per market prices and as per prevalent banking practices / norms at the time of the transaction. The pricing of non-SLR securities transacted with related parties is the same as that offered to other non-related entities.
25.	यदि किसी लेनदेन के संबंध में संबद्ध पक्षकार को कोई व्यापारिक अग्रिम (365 दिनों तक या ऐसी अवधि के लिए, जिसके लिए ऐसे अग्रिम सामान्य व्यापारिक प्रथा के अनुसार दिए जाते हैं) प्रस्तावित हो, तो निम्नलिखित विवरण का उल्लेख करें: In case of Trade advance *(of upto 365 days or such period for which such advances are extended as per normal trade practice),* if any, proposed to be extended to the related party in relation to the transaction, specify the following:	लागू नहीं / NA	
	क. व्यापार अग्रिम की राशि a. Amount of Trade advance	लागू नहीं / NA	
	ख. अवधि b. Tenure	लागू नहीं / NA	
	ग. क्या यह स्वयं परिसमापनशील है? c. Whether same is self-liquidating?	लागू नहीं / NA	

बोर्ड के आदेश द्वारा / By Order of the Board
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / For IDBI Bank Limited

राकेश शर्मा / Rakesh Sharma
एमडी व सीईओ / MD & CEO
डीआईएन: / DIN: 06846594

पंजीकृत कार्यालय: / Registered Office:
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / IDBI Bank Limited
आईडीबीआई टॉवर, डबल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, / IDBI Tower, WTC Complex,
कफ़ परेड, / Cuffe Parade,

मुंबई-400 005 / Mumbai-400 005
दिनांक: 12 जून 2026 / Dated: June 12, 2026

सूचना का अनुबंध
Annexure to the notice

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(ए) और महासभाओं के बारे में सचिवीय मानक-2 के अनुसार ब्योरा

Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings

निदेशक का नाम **Name of Director**	**श्री अभिजीत चक्रवर्ती** **Shri Abhijit Chakravorty**	**श्री केतन विकमसे** **Shri Ketan Vikamsey**	**श्री जयकुमार एस. पिल्लै** **Shri Jayakumar S. Pillai**
पदनाम **Designation**	अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी) Additional Director (Independent Category)	अतिरिक्त निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी) Additional Director (Independent Category)	उप प्रबंध निदेशक Deputy Managing Director
जन्म तिथि **आयु** **Date of Birth** **Age**	10-03-1965 61 वर्ष 10-03-1965 61 years	30-03-1966 60 वर्ष 30-03-1966 60 years	31-05-1965 61 वर्ष 31-05-1965 61 years
प्रथम नियुक्ति की तारीख **Date of first appointment**	19 मई 2026 May 19, 2026	26 जून 2026 June 26, 2026	12 जून 2023 June 12, 2023
योग्यता **Qualification**	एम.एससी, एप्लाइड केमिस्ट्री, सीएआईआईबी M.Sc, Applied Chemistry, CAIIB	बी. कॉम, एफ़सीए B. Com, FCA	बी.एफ़.एससी, एमबीए (वित्त), पीजीडीएफ़टी, आईसीए, लंदन से अभिशासन, जोखिम एवं अनुपालन (जीआरसी) में डिप्लोमा, सीएआईआईबी BFSc, MBA(Finance), PGDFT, Diploma in Governance, Risk & Compliance (GRC) from ICA, London, CAIIB
विशेषज्ञता **Expertise**	बैंकिंग, वित्त, लघु उद्योग, मानव संसाधन, जोखिम, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान, कारोबार प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन. Banking, Finance, Small-Scale Industry, HR, Risk, Information Technology, Payment & Settlement, Business Management, Administration and Corporate governance	लेखाशास्त्र, बैंकिंग, वित्त, जोखिम, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन. Accountancy, Banking, Finance, Risk, Information Technology, Administration and Corporate governance.	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त, लघु उद्योग, मानव संसाधन, जोखिम, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन. Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Finance, Small-Scale Industry, Human Resource, Risk, Business Management, Administration and Corporate Governance
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद **Directorship in other entities**	1. बॉबकार्ड लिमिटेड - स्वतंत्र निदेशक BOBCard Limited - Independent Director	शून्य / Nil	1. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड - अध्यक्ष IDBI Trusteeship Services Ltd. – Chairman
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता **Membership / Chairmanship in Committees of other entities**	1. बॉबकार्ड लिमिटेड- लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष BOBCard Limited- Audit Committee - Chairman	शून्य / Nil	शून्य / Nil

निदेशक का नाम Name of Director	श्री अभिजीत चक्रवर्ती Shri Abhijit Chakravorty	श्री केतन विकमसे Shri Ketan Vikamsey	श्री जयकुमार एस. पिल्लै Shri Jayakumar S. Pillai
सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे निदेशकों ने पिछले 3 वर्षों में इस्तीफा दिया है, यदि कोई हो Names of listed Entities from which the Directors has resigned in last 3 years, if any	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
निदेशक की शेयरधारिता Shareholding of Directors	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
निदेशकों का पारस्परिक संबंध Relationship between directors inter-se	कोई नहीं / None	कोई नहीं / None	कोई नहीं / None
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें Terms and Conditions of Appointment/Re-appointment	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी यथा संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं. The terms and conditions governing the appointment and re-appointment of Independent Directors are in accordance with the provisions of Schedule IV of the Companies Act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the guidelines issued by the Reserve Bank of India, as amended from time to time.	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले निबंधन एवं शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी यथा संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं. The terms and conditions governing the appointment and re-appointment of Independent Directors are in accordance with the provisions of Schedule IV of the Companies Act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the guidelines issued by the Reserve Bank of India, as amended from time to time.	पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35B तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 203 और अनुसूची V में दिए गए प्रावधानों के अनुसार हैं. Terms and conditions for Appointment of WTD are as provided in Section 35B of Banking Regulation Act, 1949, Sections 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013. बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार, उप प्रबंध निदेशक ऐसी शक्तियों एवं प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो उन्हें बोर्ड या प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं और यह बैंक के एमडी एवं सीईओ के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अधीन होगा. As per the Articles of Association of the Bank, the DMDs shall exercise such powers and authorities and discharge such functions as may be delegated to them by the Board or the MD & CEO, subject to the supervision, direction and control of the MD & CEO of the Bank.

निदेशक का नाम Name of Director	श्री अभिजीत चक्रवर्ती Shri Abhijit Chakravorty	श्री केतन विकमसे Shri Ketan Vikamsey	श्री जयकुमार एस. पिल्लै Shri Jayakumar S. Pillai
पारिश्रमिक **Remuneration**	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं. Entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति के हकदार हैं. Entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	उप प्रबंध निदेशक को देय पारिश्रमिक रिज़र्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से अनुमोदित अनुसार होगा. Remuneration payable to DMD would be as approved annually by RBI.
नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति का औचित्य तथा इसकी भूमिका के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं तथा प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशकों द्वारा ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने का तरीका. **Justification for Appointment/ Reappointment and skills & capabilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements.**	बैंक की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल का यह मत है कि श्री चक्रवर्ती एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं तथा उनकी योग्यताएँ, बोर्ड स्तर का अनुभव एवं विशेषज्ञता बैंक के हित में हैं. The NRC and Board of Directors of the Bank is of the opinion that Shri Chakravorty is a person of integrity and his qualifications, Board Level experience and expertise, is in the interest of the Bank. इसके अलावा, बोर्ड का यह मत है कि श्री चक्रवर्ती बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपेक्षित कौशल एवं क्षमताओं से संपन्न हैं Further, the Board is of the view that Shri Chakravorty possesses the required skills and capabilities required for an Independent Director of the Bank	बैंक की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा निदेशक मंडल का यह मत है कि श्री विकमसे एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं तथा उनकी योग्यताएँ, बोर्ड स्तर का अनुभव एवं विशेषज्ञता बैंक के हित में हैं. The NRC and Board of Directors of the Bank is of the opinion that Shri Vikamsey is a person of integrity and his qualifications, Board Level experience and expertise, is in the interest of the Bank. इसके अलावा, बोर्ड का यह मत है कि श्री विकमसे बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपेक्षित कौशल एवं क्षमताओं से संपन्न हैं. Further, the Board is of the view that Shri Vikamsey possesses the required skills and capabilities required for an Independent Director of the Bank	लागू नहीं Not Applicable
वित्तीय वर्ष 2025-26 में आज की तिथि तक बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या (आयोजित/ उपस्थित) **Number of Board meetings attended till date of FY 2025-26 (Held/Attended)**	लागू नहीं (19 मई 2026 से नियुक्त) Not applicable (appointed w.e.f. May 19, 2026)	लागू नहीं (26 जून 2026 से नियुक्त) Not applicable (appointed w.e.f. June 26, 2026)	(14/14)